

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# भारतीय राजनीति

# भारतीय राजनीति

विक्टोरियासे नेहरूतकं

( १८५८से १९४७ )

श्री रामगोपाल एम० ए०

बनारस

ज्ञानमण्डल लिमिटेड

प्रथम संस्करण, संवत् २०११

प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस ।

मुद्रक—ओम् प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल यन्त्रालय, बनारस ४५४६-११

**कृष्ण कुमार**

**को**

( जिनकी सहायता बिना मेरे लिए यह पुस्तक  
समाप्त करना असम्भव हो जाता )

## भूमिका

प्रसृत पुस्तक, जैसा कि उसके नामसे विदित है, पिछले १०० वर्षोंकी भारतीय राजनीतिका इतिहास है। इन १०० वर्षोंमें भारतका राजनीतिक मन्त्र बहुधा सघर्षमय और रक्त-रजित रहा। अनेक दलों और व्यक्तियोंने अपने अपने ढंगसे राष्ट्रीयताको, स्वराज्य सम्बन्धी संघर्षको तथा अपने जाति हितोंको प्रोत्साहन दिया।

अंग्रेजी राज्य स्थापित होते ही लोग उसके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहकी तैयारी करने लगे। प्रायः सदैव ही भारतके किसी न किसी कोनेमें अंग्रेजी राज्यको उखाड़ फेंकनेकी योजनाएँ बनती रहीं। वे विद्रोह न व्यापक थे और न सुमधुदित; इसीलिए वे अमफल रहे। दूसरी ओर प्रायः आरम्भसे ही अंग्रेजी शासनके प्रभावमें आये शिक्षित वर्गने वैधानिक संघर्षका रास्ता अपनाया। दोनों ही प्रकारके संघर्षोंसे अंग्रेज शासक परेशान रहे। जबसे वैधानिक संघर्ष उनके लिए चिन्ताका कारण बना तभीसे उन्होंने भारतके रहनेवालोंमें आपसी मतभेदोंको प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप साम्प्रदायिकताकी राजनीतिका एक नया अध्याय खुल गया। ज्यों ज्यों संघर्ष आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों नयी-नयी राजनीतिक पेशी-दमियाँ पैदा होती गयीं।

यदि हम इस कालके राजनीतिक इतिहासपर एक सरसरी दृष्टि डालें तो देखेंगे कि १८५७-५८ के राष्ट्रीय विद्रोहके बाद भी चहानी मुसलमान अंग्रेजी शासनको उखाड़नेके लिए संघटन और सशस्त्र संग्राम करते रहे। दूसरे प्रकारके संघर्षका आरम्भ, जिसका रूप वैधानिक था, १८३७ में जमींदारी एसोसिएशनकी स्थापनाके साथ हुआ। इसके बाद नयी-नयी संस्थाएँ बनती और बिगड़ती रहीं। संघर्षका स्थायी सिलसिला १८७६ में शुरू हुआ जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने राजनीतिमें पदार्पण किया और इण्डियन एसोसिएशनकी नींव डाली। अंग्रेजों द्वारा भारतका आर्थिक शोषण और भारतीयोंका अपमान अधिकाधिक बढ़ रहा था, जनता परेशान थी। अतः एक बार फिर लार्ड लिट्टेनके शासनकालमें सशस्त्र विद्रोहकी तैयारी होने लगी। ऐसी स्थितिमें स्वयं वाइसराय डपरिनने सोचा कि कांग्रेस जैसी संस्थाका जन्म होना चाहिये जिससे सम्पूर्ण देशके शिक्षित लोगोंका ध्यान वैधानिकताकी ओर आकृष्ट हो जाय। पर जिस वेगसे कांग्रेस आगे बढ़ी वह अधिकारियोंके लिए असह्य हो गया और उन्होंने मुसलिम साम्प्रदायवादको जन्म दिया। वगभग, आतंकवाद, हिन्दू-मुसलिम दंगे, मुसलिम लीगकी स्थापना, ये सब उसी नीतिके फलस्वरूप अस्तित्वमें आये। प्रथम महायुद्धके कालमें तो विदेशोंसे प्राप्त हथियारोंसे अंग्रेजी सत्ताको समाप्त करनेके कई प्रयत्न किये गये। वास्तवमें इस प्रकारकी तैयारी तो भारतीयों द्वारा इंग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशोंमें १९ वीं शताब्दीके अन्तसे ही हो रही थी। परन्तु प्रथम महायुद्धके बाद गान्धीजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय संग्रामकी गति पहाडसे उतरती हुई नदीकी भाँति सहसा तेज हो गयी और अगस्त १९४७ तक उसमें सर्वदा नया बल आता गया।

जब मैंने देखा कि भारतकी इन रोमाञ्चकारी राजनीतिक घण्टियोंमें कहीं एक स्थानपर प्राप्त नहीं है, तो मैंने सोचा कि समय मिलनेपर मैं बिगरी हुई सामग्रीको एक पुस्तकके

रूपमें एकत्र करूँगा। मैंने दो वार्तिक परिश्रम किया और प्रस्तुत पुस्तक उमीका फल है। मैंने विभिन्न भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजीकी सैकड़ों पुस्तक-पुस्तिकाओं और पत्र-पत्रिकाओंमें यह सामग्री लेकर निष्पक्षतापूर्वक पाठकोंके सामने रख दी है, जिससे गत १०० वर्षोंकी राजनीतिकी गतिविधि आसानीसे समझमें आ जाये। मैंने प्रस्तावनामें १८५७ के विद्रोहके ३५० वर्ष पूर्वके इतिहासकी एक झलक भी पृष्ठभूमिके रूपमें दे दी है। यह तो राजनीतिके विद्वान् ही बता सकते हैं कि मैं अपने प्रयत्नमें कहाँतक सफल हुआ हूँ।

इस पुस्तकके तैयार करनेमें मुझे श्री कृष्णकुमार मिश्र, श्री सुरेशचन्द्र मिश्र व कुमारी मिमला मिश्रसे असाधारण सहायता मिली है। इनके सिवा श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तवने भी पुस्तकके सम्पादनमें विशेष परिश्रम किया है। मैं इन सब मित्रोंका अति आभारी हूँ।

## विषय-सूची

प्रस्तावना—विक्टोरियासे पूर्वके इतिहासकी एक शलक	...	१
१—बहावी प्रान्ति व कृष्ण विद्रोह	...	३८
२—हिन्दू सुधार आन्दोलन एव राजनीतिक जाग्रति	...	५५
३—भौतिक आन्दोलनका आरम्भ	...	६१
४—आर्थिक शोषणके राजनीतिक परिणाम	...	७२
५—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	...	९१
६—भारतीय कांग्रेसकी शक्ति-वृद्धि	..	१०८
७—आत्मवादका आरम्भ	...	१२९
८—मुसलिम सम्प्रदायवादी राजनीति	...	१४७
९—ब्रह्मसंघ और बहिष्कार आन्दोलन	...	१५८
१०—मुसलिम लीग	..	१७५
११—कांग्रेसमें फूट	...	१८५
१२—प्रान्तिकारियोंका क्रियाकलाप	...	१९६
१३—दक्षिणी अफ्रिकाका सत्याग्रह	...	२१६
१४—कांग्रेस लीग एका—लखनऊ-समझौता	...	२२८
१५—गदरका पङ्कज	...	२४१
१६—होमरूल आन्दोलन	...	२५२
१७—पंजाब हत्याकाण्ड	...	२६८
१८—खिलाफत व असहयोग आंदोलन	..	२८४
१९—स्वराज्य पार्टी	...	३०२
२०—साम्प्रदायिक वैमनस्य पुनः आरम्भ	...	३१६
२१—सत्याग्रह	...	३३७
२२—लगानग्रन्दी आंदोलन	...	३५८
२३—फिर आत्मवाद	...	३७२
२४—समाजवादी व कम्युनिस्ट पार्टियों	...	३७६
२५—कांग्रेस द्वारा पदग्रहण	...	३८३
२६—भारतीय रियासतोंमें आन्दोलन	...	३९३
२७—मुसलिम लीगका अभियान	...	३९९
२८—युद्धविरोधी सत्याग्रह तथा क्रिष्ण-प्रस्ताव	...	४१९
२९—अगस्त-विद्रोह	...	४३०
३०—आजाद हिन्द फौज	...	४४३
३१—कैबिनेट मिशन	...	४४८
३२—भारत स्वतंत्र	...	४६६
३३—उपसंहार	...	४७१



## प्रस्तावना

### विक्टोरियासे पूर्वके इतिहासकी एक झलक

पिछले सौ वर्षोंकी भारतीय राजनीतिका उचित मूल्यांकन, उसके विकासका पूरा ज्ञान, उसके ठीक पहलेकी परिस्थितिके समझे बिना सम्भव नहीं। मुगल साम्राज्यका उत्कर्ष और पराभव तथा ईसाई ताकतोंका उदय और अस्त ये बुनियादे हैं, जिनपर इस कालकी भारतीय राजनीतिकी इमारत खड़ी है। और ये दोनो बुनियाद लगभग साथ ही साथ पड़ीं। मुगलोंके पैर जमनेके लगभग चौथाई शताब्दी पहले ही दक्षिणमें पुर्तगाली आ चुके थे। उस समय देशकी जो हालत थी उसने इन दोनोका स्वागत ही किया—एकका व्यापारमें, दूसरेका शासनमें। इन दोनोंके सत्तासम्पन्न होनेके लिए देशकी परिस्थिति आश्चर्यजनक रूपसे अनुकूल थी।

१६वीं सदीके आरम्भमें यहाँ एक वैसी ही उथल-पुथल चल रही थी जैसी केन्द्रीय शासन-शक्ति के हासके बाद हम देशमें कई बार हुई। मुगलक खानदानके पतनके बाद, मुगलक साम्राज्य भी छिन्न भिन्न होकर ऐसी इकाइयोंमें बँट गया था जिनमेंसे हर इकाई एक स्वतन्त्र देशकी तरह व्यवहार करती थी। दिल्लीका बादशाह अपने आसपासके सिर्फ एक छोटेसे इलाकेपर राज्य करता था। आपसी लड़ाइयों, द्वेष, और वैमनस्य उस समयके राजनीतिक दृश्यका मुख्य अंग था। इस आपसी ईर्ष्या, द्वेष, भय और वैमनस्यसे उत्पन्न परिस्थिति लालची विदेशियोंके लिए बड़ी सुविधाजनक थी। सिर्फ कुछेक हजार दिवरे, बेहतर हथियारोंसे लैस विदेशियोंने आगामीके साथ एकके बाद दूसरा क्षेत्र जीतना शुरू किया। यदि ये इकाइयों संयुक्त होती तो उनका मुकाबला करना असम्भव हो जाता; चूँकि ये विभाजित थीं, वे बालूके घरोंदोंकी तरह अरबरा कर गिरती गयीं। विदेशियोंने उनके पारस्परिक भय और द्वेषका फायदा उठाकर उन्हें एक दूसरेके खिलाफ भड़का कर एक दूसरेमें मिलने नहीं दिया। भारतकी एक शासनसत्तामें समाहित करनेके प्रयास एक हजार सालसे विफल होते आ रहे थे। कभी कभी कोई कुशल राजा अपनी महत्वाकांक्षानी पूर्तिके लिए अपना साम्राज्य देशके बड़े भागपर फैला लेता। इस साम्राज्यमें देशके विभिन्न भागोंको एकेके आधारपर एक राजनीतिक सूत्रमें बाँधनेकी इच्छा नहीं होती थी। साम्राज्यका अस्तित्व उक्त महत्वाकांक्षी राजाके गुणोंपर निर्भर रहता था। जब कोई कमजोर सुवराज गद्दी सम्हालता, साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता। मुगलों और पुर्तगालियोंके आनेके समय देशकी यही हालत थी।

१५वीं सदीके आखिरी दिनोंमें पुर्तगालियोंने भारत आनेका एक समुद्री रास्ता ढूँढ निकाला। पश्चिमी तटके निवासियोंने देखा कि ये विदेशी अरब व्यापारियोंका जहाजी बेड़ा

नष्टभ्रष्ट क्रिये डाल रहे हैं क्योंकि वे भारतीय निर्यात व्यापारकी इजारेदारी अरब व्यापारियोंसे छीन लेना चाहते हैं। छः सौ वर्षोंसे यह इजारेदारी अरबोंके पास थी। वे मक्का जाने आने वाले तीर्थयात्रियोंके यातायातका प्रबन्ध भी करते थे। वे यात्रियोंको जहा और व्यापारके मालको स्वेजमें उतारते थे। स्वेजसे ऊँटोंपर लदकर यह माल सिक्न्दरिया जाता और वहाँमें वेनिस और जेनेवाके व्यापारी उसे भूमध्यसागरके तटीय देशोंमें अपनी नावोंमें पहुँचाते। दक्षिण भारतके बहुतेसे राजा इस व्यापारमें दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इन्हें हर विक्रीपर कर मिलता था। उन दिनों बाहर भेजी जानेवाली चीजोंके व्यापारका सबसे बड़ा अट्टा कालीकट था। कालीकटमें उन दिनों अरबोंकी बस्तियाँ थीं। अरब लोग मक्कासे कीमती सामान लाकर यहाँ उतारते और यहाँसे कालीमिर्च, मसाले, व दूसरी चीजें अपने साथ ले जाते और तुर्की व पूरे यूरोपमें ये चीजें विक्रीतों। अरबोंके धन और प्रभावके कारण देशी जनतामें उनकी अधिक प्रतिष्ठा थी।

पुर्तगालियोंने भारतीय समृद्धि और व्यापारकी कहानियाँ सुनी थीं। इस दौलतकी खोजमें वे साहसिक यात्रापर निकल पड़े। वास्कोडिगागाने होपकी खाड़ी (अफ्रिकाके दक्षिणमें) होकर भारतके लिए एक समुद्री रास्ता खोज निकाला, और वह करनेमें सफल हो गया जो कोलम्बस करना चाहता था पर न कर सका। ६ अगस्त सन् १४९८ को वास्कोडिगागाने सामान और हथियारोंसे भरा अपना बेड़ा कालीकटके किनारे लगाया। पुर्तगाली एक हाथमें बन्दूक और दूसरमें विक्रीकी चीजोंका झोला लेकर आये थे। अरब उनसे भिन्न थे। वे भारतीय राजनीतिमें नहीं पढ़ते थे और देशी राजाओंसे उनके मंत्री व सद्भावना-पूर्ण सम्बन्ध थे। पुर्तगालियोंने अरबोंको प्रतिद्वन्द्वी माना और अरबोंने पुर्तगालियोंको। पुर्तगाली लेखकोंके अनुसार अरब व्यापारियोंने राजाओं और राजदरबारोंमें अपने प्रभावका इन नवागन्तुकोंके विरुद्ध प्रयोग किया। उस जमानेमें राजाओं और उनके अहलकारोंको दी गयी भेंटों और सौगातोंका बड़ा महत्त्व था। इनसे बड़े काम निकलते थे। वास्कोडिगागाने अपने विरुद्ध हो रही साजिशोंका आभास हुआ और वह होशियार हो गया। अपने आगमनके उद्देश्योंको छिपानेके लिए उसने यह कहानी गढ़ी कि हमारा बेड़ा तो बहुत बड़ा था पर हम मुख्य बेड़ेसे बिछुड़ गये और उसीको ढूँढते हुए यहाँ आये हैं। लेकिन कालीकटके राजा जमोरिनने पुर्तगालियोंका स्वागत ही किया। जमोरिन उनसे प्रभावित हुए। पर अरब व्यापारियोंने जमोरिनके कर्मचारियोंको समझाया कि बहुत दूरके एक देशसे आये थे पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करनेकी दृष्टिसे यहाँ नहीं आये हैं। वे देशको देख समझकर लौट जायेंगे और फिर हथियारोंसे लेंस होकर बड़ी संख्यामें लौटेंगे और ताकतसे देशपर कब्जा कर लेंगे तथा उसे लूटेंगे।

यह चेतावनी जमोरिनतक पहुँचायी गयी, पर वह असमञ्जसमें ही पड़े रहे और सोचते रहे कि पुर्तगालियोंको व्यापारकी अनुमति देनेमें कोई बुराई होनेकी आशंका नहीं है। वास्कोडिगागाने पूरी परिस्थितिकों परखा, उसे अपने विरुद्ध पाया और उसने तय किया कि देश लौटकर ऐसा बेड़ा भेजूँगा जो कालीकटके राजा और अरब व्यापारियों, दोनोंसे निवृत्त सके। अगले वर्ष पेद्रोअलवरेज कव्रालके नेतृत्वमें भयानक तोप-बन्दूकोंसे लैस तेरह जहाजोंका एक शानदार बेड़ा, १२०० पुर्तगालियों और साथ ही राजाके लिए सौगात लेकर कालीकट

पहुँचा। इन १२००में पुर्तगालके उस जमानेके सबसे बहादुर और मशहूर मल्लाह भी थे। कथारालको हुकम था कि वह जोर-जबरदस्तीसे अरबोंका व्यापारप्रभुत्व नष्ट कर दे और राजाको भीमती सौगातें देकर शान्तिपूर्ण तरीकोंसे व्यापारकी अनुमति हासिल कर ले। जैसे ही यह बेड़ा भारतीय समुद्रमें पहुँचा उसने अरब बेड़ेपर डटकर हमला बोल दिया। अरब जहाज नष्ट-भ्रष्ट हो गये और उनके व्यापारकी कमर टूट गयी। पुर्तगाली हमले और नौ नौ नैतिक शक्तिकी ग्वर वालीकटके राजाके पास पहुँची और उसने फौरन उनसे मैत्री-संधि कर ली।

पुर्तगालियोंने देशकी अर्थ-व्यवस्थामें अपना महत्त्व आते ही समझ लिया। वे समझ गये कि बढिया हथियारों और अनुशासनबद्ध अपने सिपाहियोंकी मददसे अपना व्यापार और इलाकोंपर अपना प्रभुत्व हम बटे मजेमें बढ़ा सकते हैं। और इसमें वे चूके नहीं। कुछ ही वर्षोंमें पूरे पश्चिमी तटपर थोड़ी थोड़ी दूरपर उनके किले दिखाई पडने लगे।

हिन्दू राजाओंको उन्होंने समझा लिया था कि हम आपकी रक्षा और सहायता करगे। ये राजा तबतक खतरा न समझ सके जबतक इन किलोंसे तोपें न चमकने लगीं।

सन् १५०० में उन्होंने कालीकटमें कारखाना खोला। तीन साल बाद उन्होंने वहीं एक किला बनाया जिनका प्रधान मशहूर पुर्तगाली अलफोंसो टि अलबुक्क था। सन् १५०६ में अलबुक्कने गोआपर कब्जा कर लिया। अब राजा लोग पुर्तगालियोंकी शक्ति समझने लगे थे। अरब व्यापारका अन्त हो ही चुका था; राजाओंने पुर्तगालियोंको दरबारोंमें बुलाना शुरू किया। कोचीनका राजा भी इनमें शामिल था। कोचीनमें पुर्तगालियोंने अपने राजनीतिक पड्यन्त्रके लिए उचित वातावरण पाया। उन्होंने राजासे कहा “कालीकटपर आपका कब्जा करवानेके लिए हम आपको हथियार और सिपाही दंगे।” भारतीयोंको तबतक वन्दूक आदि आग्नेयास्त्रोंका प्रयोग नहीं मालूम था। पुर्तगाली यह प्रयोग जानते थे। इसलिए पुर्तगालियोंका सशक्त मित्रकी भौति कृतज्ञतापूर्वक स्वागत हुआ। कोचीन और पुर्तगालियोंकी समुक्त फौजने कालीकटपर हमला बोल दिया। कई बार इन लोगोंको मुँहकी खानी पडी पर अन्तमें ये लोग विजयी हुए। कालीकट खूब लूटा गया और राजाका महल जला दिया गया। “भारत पहुँचनेके बाद पुर्तगालियोंका हर कृत्य ऐसा था जिससे यूरोपीय देशोंके प्रति बुरी भावना बनती थी। उनके प्रसिद्ध सेनानी अलबुक्कका बिना किसी झगड़ेके ओरमजपर हमला बोल देना, जमोरिनसे संधि करनेके फौरन बाद कालीकटके एक जहाजपर कब्जा कर लेना, वरावर समुद्री डाकुओं जैसा व्यवहार करना और जो नाव, बजरा, जहाज मिले उसपर कब्जा कर लेना—ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि पुर्तगाली राष्ट्रोंके अधिनारोंकी अवहेलना और उल्लंघन करनेकी एक सुनिश्चित योजना बनाये हुए थे। उनकी ये कर्तव्य इतिहासमें बेमिसाल थीं।”

जिन नये देशोंका पता लगाएँ उनमें कैथोलिक ( ईसाई ) धर्मका प्रचार करनेके लिए पुर्तगाली पोपसे वचनबद्ध थे। पोपकी इस आज्ञाका उन्होंने स्फूर्ति व कडाईसे पालन किया। जहाँ उनका प्रभुत्व या प्रभाव था वहाँ लोग जबरदस्ती ईसाई बनाये गये। देशी जनताके धर्ममन्दिर “नष्ट कर दिये गये। ऐसा लगता है कि उन्होंने आग और तलवारके जरिये

१. रिपोर्ट आव दि सिलेक्ट कमेटी आन दि अफेयर्स आव दि ईस्ट इण्डिया कम्पनी, भाग ६, अपेण्डिक्स २०, पृ० ३०० ( १८३२ ) .

प्रचार करनेका प्रयत्न किया।<sup>१</sup> पुर्तगालियोंको हुगलीमें रहने और एक कारखाना बनानेकी इजाजत मिल गयी थी। वहाँ उन्होंने “पड़ोसके मुसलमानों और यात्रियोंको परेशान करना और सताना शुरू किया... समुद्रतटके जिन मन्दिरगाहोंपर वे प्रभुत्व रखते थे वहाँ वे धन-जनको हाथ नहीं लगाते थे, पर जब कोई व्यक्ति नावालिक वस्त्रोंको छोड़कर भरता था तो उसकी सम्पत्ति और वस्त्रोंको वे अपने कब्जेमें ले लेते थे। ये वस्त्रे चाहे सैन्यदत्ते हों, चाहे ब्राह्मणके हों, उन्हें ईसाई और गुलाम बना लिया जाता था।”<sup>२</sup>

धीरे-धीरे पुर्तगालियोंने चीन जापानसे होनेवाले व्यापारको भी हथिया लिया, पश्चिमसे होनेवाला व्यापार तो पहले ही उनके अधिकारमें आ चुका था। कुछ समुद्री रास्ते पुर्तगालके राजाकी इजारेदारी घोषित कर दिये गये। पूर्वी अफ्रीका, चीन और मसालेके द्वीपोंको जानेवाले भारतीय जहाज रोके जाते और सिर्फ पुर्तगाली परमिट पाने पर ही आगे बढ़ पाते। “उनकी इस नीतिका उद्देश्य था भारतीय मालके अरब और फारसकी खाड़ी होकर यूरोप पहुँचनेमें बाधा डालना और इस पुराने रास्तेको तोड़कर पूरा माल अपने लम्बे रास्ते ले जाना। इस लम्बे रास्तेको किफायतसे चलानेके लिए ज्यादासे ज्यादा माल ले जाना जरूरी था, और उसके लिए दूसरे व्यापारियों और दूसरे रास्तोंपर रोक जरूरी थी। इस प्रकार वे पूरे व्यापारको अपने उस राजनीतिक प्रभावके मातहत लाना चाहते थे जो उन्हें भारतीय द्वीपों और प्रायद्वीपके किनारेकी रियासतोंपर अपने हथियारों और युद्धप्रणालीके कारण मिला था।”<sup>३</sup>

पुर्तगाली व्यापारकी एक बड़ी मद थी गुलामोंकी बिक्री। “दुर्भाग्यवश पुर्तगाल और यूरोपके अन्य देश गुलामी और गुलाम व्यापारके अन्यायके प्रति अभी सचेत नहीं हुए थे। अफ्रीकामें पुर्तगाली युद्धोंके समय हवशी और मूर लोग युद्धबन्धियोंकी तरह पकड़े जाते थे और गुलामोंके रूपमें लिसवनमें बेच दिये जाते थे। भारतमें पुर्तगालियोंने गुलामोंकी खरीदके लिए अड्डे बना रखे थे। गोआमें हर पुर्तगाली परिवारमें गुलाम स्त्रियाँ पायी जाती थीं। इन गुलाम स्त्रियोंको कभी-कभी मिटाई बेचने और दूसरे तरीकोंसे अपने स्वामियोंके लिए रुपया कमानेके लिए बाजार भी जाना पड़ता था।”<sup>४</sup>

वादमें तो यह गुलाम व्यापार नैतिक पतन और अत्याचारकी पराकाष्ठापर पहुँच गया था। हुगलीमें कारखाना बनानेकी इजाजतके बाद वहाँ उन्होंने किला बनाकर तोपें लगा दी थीं। “तभी गोआ तथा अन्य पुर्तगाली शहरोंके पतित वादशाहों और गुण्डों, फौजी भगोड़ों और मठोंसे निकाले गये महन्तोंने गंगाके मुहानेके टापुओंपर छोटी-छोटी टाँगियाँ लेकर समुद्री टाकुओं, लुटेरों और बुर्दाफरोशोंकी तरह रहना शुरू किया था। ये लोग मुन्दरवनमें महामारीकी तरह छाये हुए थे। ये लोग डेल्टापर बसे गाँवोंपर छापा मारते और पूरे गाँवकी आवादीको गुलाम बनाकर पकड़ ले जाते। वारातें पकड़ ले जानेका इन्हें विशेष शौक था। उसमें गहना, कपड़ा भी हाथ लगता था। हुगलीके पुर्तगाली इतने नीच थे कि टाकुओंसे इन अभागोंको खरीद लेते और गोआ भेज देते थे। गोआमें रोज गुलामोंके नीलाम होते।

१. वही पुस्तक, ( रिपोर्ट आव दि सिलेक्ट कमेटी... ) भूमिका, पृ० ३६

२. इलियट और डायसन, दि हिस्टरी आव इण्डिया ऐज़ टोटल वाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग ७, पृ० २११

३. ऐनल्स आव दि आनरेबिल इस्ट इण्डिया कम्पनी, भाग १, पृ० ४१

४. जे. टालबॉयज़ व्हीकर, इण्डिया अण्डर ब्रिटिश रूल ( १८८६ ) पृ० १९

सुन्दरवनके वदमाश लुटेरे और हुगलीके पवित्र व्यापारी दोनों अपनी आत्माकी शान्तिके लिए अपने इन शिकारोंको ईसाई बना लेते। वे शानसे कहते, हमने इनको आत्माको नर्कसे बचाया है।<sup>11</sup> लेकिन इसी जमानेमें मुगलोंने शासनसूत्र अपने हाथमें ले लिया था और उन्होने मुलामोंकी खित्रीपर रोक लगा दी।

१६वीं शताब्दीके शुरु होते होते तैमूरलंगका भारतीय साम्राज्य खत्म हो चुका था और देशकी अराजकता बाहरी सगठित शक्तियोंको यहाँ धावा बोलनेके प्रलोभन दे रही थी। तैमूरका वंशज बाबर तुर्की तोपोंकी मददसे काबुल और समरकन्दपर कब्जा जमा चुका था। सन् १५२५ में वह भारतके उत्तरी मैदानपर उतर आया। कुछ भारतीय मुस्लिम राजाओंने उसे भारतपर आक्रमण कर उसे पतह कर लेनेकी दावत भी दी थी। इससे बाबरकी जीत आसान हो गयी। उसे दिल्लीके कुछ अमीरोंने भी सहायताका वचन दिया था। पानोपतके मैदानमें एक बहुत बड़ी फौज उसके मुकाबलेके लिए आयी, पर अधिक अच्छे हथियारों और भारतीय मददसे बाबरकी विजय हुई और उसने दिल्लीपर कब्जा कर लिया। भारतमें वह एकके बाद दूसरी लड़ाई जीतता गया और उसने मुगल साम्राज्यकी नींव डाली। अकबरके जमानेमें (१५५६-१६०५) मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्षपर पहुँचा। न्याय, माल और शासनकी सुगठित प्रणालियाँ प्रचलित हुईं। अकबरमें राज्य चलानेकी विलक्षण प्रतिभा थी। इतिहासमें वह इस कालका सबसे शानदार, आकर्षक और विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। "उन सभी रत्नातांसे मुक्त जिनसे समाजमें शगड़े और भेद पैदा होते हैं, दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णु, दूसरी जातियों और देशोंके लोगोंके प्रति निष्पक्ष, अकबर ही ऐसा था जो अपने साम्राज्यके परस्पर विरोधी तत्वोंको एक सूत्रमें बाँधकर उसे सशक्त और समृद्ध इकाई बना सकता था—उसकी प्रतिभा चतुर राजनीतज्ञकी तरह एकीकरणकी प्रतिभा थी। उसका साम्राज्य मुगल, मुस्लिम, आर्य, द्रविड, हिन्दू सर्वर्ण, अनुत्त या राजपूत साम्राज्य नहीं, भारतीय साम्राज्य था।"<sup>12</sup> वेभिन्न शासकोंसे वैवाहिक या राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर उसने अपने राज्यकालमें शान्ति कायम रखी।

रैयतकी तरह मालगुजारी वसूल करनेवालोंका क्या रीया हो, इस सम्बन्धमें जारी किये गये एक आदेशसे अकबरके दृष्टिकोणकी झलक मिलती है।—"वे अपनेको वास्तकारवा सबसे बड़ा दोस्त समझे, उन्हें बीचके दलाल रखनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये, जरूरत पड़नेपर जरूरतमन्द किसानको वे रूपया उधार दें और उसकी वसूली सहज और छोटी किस्तोंमें करें, कुशल प्रबन्धके लिए वे इनाम दें, मालगुजारी हमदर्दी और सद्भावनासे वसूल की जाये, परेशान करनेवाले कर न लगाये जायें, जितनेपर तय हुआ हो उससे ज्यादा कर न वसूल किये जायें।"<sup>13</sup>

पुर्तगाली अफ़सरके कृपापात्र हो गये थे, पर बादमें अफ़सरने अनुभव किया कि विदेशी नागरिकोंको देशकी अर्थ और नीतिकी व्यवस्थामें हस्तक्षेप करने देना बुद्धिमानी नहीं है। वह उन्हें निकाल बाहर करना चाहता था, लेकिन दूसरे कार्योंमें व बुद्धोंमें व्यस्त रहनेके कारण वह ऐसा न कर सका। उसकी आज्ञाका सत्य निकली जब सन् १५९५ में पुर्त-

१. वही पुस्तक, पृ० २०

२. पृ० जी० वेल्स

३. ई० एस० होव्डन, दि मुगल एम्पायरस आव हिन्दुस्तान, पृ० १५३

गालियोंने उसके घेरे सलीमको इलाहाबादका स्वतंत्र राजा बननेके लिए सहायता दी। पुर्तगाली और बादमें आनेवाले अन्य विदेशी व्यापारी मुगल बादशाहोंके क्रोधसे सिर्फ इस कारण बचे रहे कि वे नगण्य शक्तिवाले थे और दूर-दूर बस्तियोंमें रहते थे। उन्हें स्वतंत्र करनेके लिए एक बड़ी फौज भेजना बड़े खर्चका काम था और साथ ही बीचमें पड़नेवाली अन्य रियासतोंसे सुपतकी लड़ाई होती।

अकबरके जमानेमें ही यूरोपके दो अन्य देशों (हालैण्ड और इङ्गलैण्ड) के नागरिक भारत आये। इनका आगमन पुर्तगालियोंकी लगभग १०० सालकी व्यापारिक इज्जतदारीके बाद हुआ। जबतक हालैण्ड स्पेनके अधीन था, वह भारतीय माल तन्त्रतसे खरीदता रहा। लेकिन स्पेनसे स्वतन्त्र होने और सन् १५८० में स्पेन और पुर्तगालके मिल जानेपर लिस्बनके बाजार उसके लिए बन्द हो गये। उच्च व्यापारियोंके जहाज पुर्तगाली सरकारने छीन लिये थे और उनके मल्लाहोंको कैद कर लिया था। एक कैदी उच्च कमानने जेलमें ही भारतीय समृद्धि और व्यापारका वर्णन पुर्तगाली नाविकोंसे सुना। उसने पहली बार उच्च-भारत व्यापार सम्बन्धोंकी कल्पना की। यह कप्तान जेलसे भाग निकला, अपने देश आया और उसने भारतीय व्यापारसे अर्जित पुर्तगाली समृद्धिका वर्णन किया। उच्च लोग उत्साहित होकर आठ जहाजोंका एक बड़ा बनाकर पूर्वके लिए रवाना हो गये। इनमेंमें चार जहाज होपकी खाड़ी होकर चले और चार उत्तरी पूर्वी रास्तेमें। होपकी खाड़ी आनेवाले जावा जा निकले। उन्होंने पूर्वसे उच्च व्यापारका सूत्रपात किया। सन् १५९८ तक उच्च पूर्वी द्वीप-समूहमें अच्छी तरह जम चुके थे। भारतमें उन्होंने कालीकट और मद्रासमें कारखाने खोले। धीरे-धीरे उनके और कारखाने भी बनने लगे।

यह पुर्तगाली व्यापारका पराभव-काल था। इस अवनतिके कारण बताते हुए उनके भारत-स्थित गवर्नर अल्फोंसो डी सोजाने लिखा है—“पुर्तगाली एक हाथमें तलवार और दूसरेमें सलीब (सूली) लेकर भारत आये। यहाँ उन्होंने सोना देखा, और सलीब फेंककर सोना भरने लगे। जब जेबें इतनी भर गयीं कि एक हाथसे सम्भल न सकीं, तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। बादमें आनेवालोंने उन्हें इसी हालतमें पाया और आसानीसे हरा दिया।”

इन्होंने पुर्तगालियोंके जहाज जला दिये, उनकी वस्तियोंपर कब्जा कर लिया, उन्हें खदेड़ दिया। विदेशी व्यापार बढ़ानेकी दृष्टिसे अकबरने पुर्तगालियोंको प्रोत्साहित किया था। उसे विदेशी बहुमूल्य धातुओं, घोड़ों और ऐशा-आरामकी दूसरी चीजोंकी जरूरत थी। पर जब पुर्तगाली उत्पात देखे तो उसने इन्हें दोन्नी कर ली। अकबरके घेरे जहाँगीरने नूरजहाँके कारण अँगरेजोंको अधिक पसन्द किया। नूरजहाँ नील और कड़े हुए कपड़ोंका व्यापार करती थी जो अँगरेजी व्यापारियोंके द्वारा निर्यात होंते थे।

पुर्तगाली वैभवकी साथीएँ इङ्गलैण्ड भी पहुँचीं। अँगरेज व्यापारी जल्दीसे जल्दी पूर्वके लिए कूच करना चाहते थे। पचास वर्षतक अँगरेज नाविक उत्तरी पश्चिमी रास्तेसे हिन्दुस्तान पहुँचनेकी असफल कोशिश करते रहे। सन् १५७८ में सर फ्रांसिस ड्रेकने भारतसे लौट कर तिन्त्रत जाते हुए एक पुर्तगाली जहाजको पकड़ लिया। उस जहाजपर मिले नक्शोंसे होप अन्तरीपके रास्तेका पता ड्रेकको लग गया।

सन् १५९९ में कुछ व्यापारियों, लुहारों, वजाजोंने ३०१३३३ पाँड पूर्वसे व्यापार करनेके लिए इकट्ठे किये और एक संघ बनाया। अगले वर्ष उन्हें महारानीसे एक चार्टर

(अधिकार पत्र) मिल गया, जिसके अनुसार (यदि राष्ट्रहितमें हुआ तो) वे १५ वर्षोंके लिए पूर्वके साथ व्यापार करनेका एकाधिकार पा गये। यदि यह व्यापार इंग्लैंडके लिए लाभदायक न हुआ तो चार्टर दो सालकी नोटिसपर खत्म किया जा सकता था। वैभार-सम्पन्न व शक्तिशाली मुगल साम्राज्यकी उत्तराधिकारिणी ईस्ट इंडिया कम्पनीकी बुनियाद इस प्रकार पड़ी। कम्पनीके डायरेक्टरोंने तय किया कि “जिम्मेदारीके जिम्मे भी कामपर किसी भलेमानुमती नियुक्त न किया जाय।” उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि हमें अपने ढंगके आदमियोंकी मददसे ही व्यापार करने दिया जाय, नहीं तो यह आम धारणा बन जाने पर कि यह भलेमानुमती कम्पनी है, बहुतसे साहसिक और दुर्दमनीय व्यक्तियोंका सहयोग कम्पनीको न मिल सकेगा।

भारत पहुँचनेवाले पहले वेद्वेकी कप्तान हॉकिंसके हाथमें थी जो सन् १६०८ में सूरतके बन्दरगाहमें आकर लगा। हॉकिंस इंग्लैंडके बादशाह जेम्स प्रथमका एक पत्र भारतके नाम लाया था। तब जहाजगौर बादशाह था। हॉकिंसको अच्छा सत्कार और सम्मान मिला। पर मुगल दरबारमें पुर्तगाली पादरियोंको अग्रजोंके विरुद्ध साजिश करते देखकर वह सूरत लौट गया। इतिहासकी पुनरावृत्ति हुई और सन् १६१२ में कप्तान टामस वेस्टके अधीन चार अग्रजों जहाजोंका बेड़ा पुर्तगालियोंसे मोर्चा लेने आ घमका। जैसे १०० साल पहले पुर्तगालियोंने अरब वेद्वेको खत्म किया था, वैसे ही अग्रजोंने पुर्तगालियोंके वेद्वेपर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियोंके व्यवहारसे जनता पहलेसे ही विद्रोही। उच्च पहले ही बादशाहकी, विशेषकर गुरजहोत्री निगाहसे गिर चुके थे। अग्रज उच्च-पुर्तगालियोंकी खाली जगहोंपर व्यापारको हजारेदारी करने आ पहुँचे और उनका स्वागत हुआ। ६ फरवरीको ईस्ट इंडिया कम्पनी और बादशाहके बीच सधि हुई जिसके अनुसार एक अग्रज राजदूत मुगल दरबारमें रहने लगा।

कोई ३०-४० सालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके कारखानोंका एक जाल सा भारतीय समुद्रके किनारोंपर बिछ चुका था। सन् १६२२ में अग्रजोंने ईरानके शाहसे दोस्ती कर फारसकी खाड़ीमें आधिपत्य जमा लिया। इससे पुर्तगाली प्रतिष्ठाको बड़ा धक्का लगा, और अगले ४० वर्षोंमें पुर्तगाल अक्विल दरजेमें गिरकर तीसरे दरजेको व्यापारिक शक्तिके रूपमें रह गया।

सूरत उन दिनों मुगल व्यापारका महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। मुगल व्यापारियोंके जहाज फारसकी खाड़ी और लालसागरके लिए यहाँसे रवाना होते थे। ब्रिटिश नाविक और बर्द-दिमाग अग्रज कभी कभी एशियावासियोंके लिए नफरत जाहिर करते.....कुछ बाहरी अग्रज कम्पनीके चार्टरकी अवज्ञा कर मनमाना व्यापार करते, मुसलमान तीर्थ-यात्रियोंके जहाज लूट लेते, उनके साथ दूसरे अत्याचार करते। मुगल अधिकारी इसके लिए कम्पनीके कर्मचारियोंको दोषी ठहराते। उन्होंने बड़ी संख्यामें अपने सिपाही भेजकर अग्रज वस्तीपर घेरा डलवा दिया और काफी जुर्माना न मिलनेतक खाना, पानी, व्यापार सब बंद करवा दिया।

सन् १६३९ में डे नामक एक अग्रज व्यापारीने कारोमडल तटपर एक हिन्दू राजासे ५०० पौंड सालाना किरायेपर ६ मील लम्बी और एक मील चौड़ी जमीनकी पट्टीको पट्टेपर ले लिया। यहाँ एक किला बना जिसमें तोपें चढ़ायी गयीं। किलेका नाम था पोर्ट सेण्ट

जार्ज । इसीके आसपास एक व्यापारिक केन्द्र बन गया और बादमें यही केन्द्र मद्रासके नामसे मशहूर हुआ ।

शाहजहाँकी बादशाहतके जमानेमें हुगलीमें और उसके आसपास पुर्तगालियोंके उत्पात और अत्याचार एकएक बढ़ गये । बादशाहने बंगालके सूबेदारको पुर्तगालियोंको सजा देनेका आदेश दिया । शाही फौजने हुगलीको घेर लिया । पुर्तगाली मारे गये, बंद हुए और हुगलीसे उनका नाम निशानतक मिट गया । अंग्रेजोंने इनकी जगह बंगालमें व्यापार करनेकी अनुमति माँगी और प्राप्त भी कर ली । लेकिन उन्हें भारी कर देने और हुगलीतक अपने जहाज न लानेकी शर्त माननी पड़ी ।

तभी अंग्रेजोंके सौभाग्यसे शाहजहाँकी पुत्री बीमार पड़ी । शाहजहाँ उन दिनों अपनी बेटीके साथ दक्षिणमें ही था । बीमारने सूतसे एक अंग्रेज डाक्टर बॉटनको बुलाया जिसने शाहजादीका इलाज कर उसे चंगा कर दिया । शाहजहाँने डाक्टरको मुँहमाँगा इनाम देनेका वादा किया । उसने देशभक्तिकी एक बहुत ऊँची गिसाल पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजोंको बंगालमें बिना कर दिये व्यापार करने और कारखाने खोलनेकी इजाजत दी जाये । डाक्टरको शाही फर्मान मिल गया जिसे लेकर वह शाहजहाँके बेटे शाहशुजाके, जो उन दिनों बंगालमें सूबेदार था, दरवारमें पहुँचा । उन्हीं दिनों शुजाके हरममें एक महिला बहुत ज्यादा बीमार थी । डाक्टर बॉटनने उसे भी चंगा कर दिया और शाहशुजाने कृतज्ञतापूर्वक डाक्टरको हर सम्भव सहायता बंगालमें स्थायी रूपसे अंग्रेजी व्यापारप्रभुत्व कायम करनेके लिए दी ।

जहाँगीरके दरवारमें आये त्रिदिश राजदूत सर टामस रोने सन् १६१६ में लिखा था—  
“यहाँ १०० से अधिक जातियाँ और धर्म हैं, पर वे अपने सिद्धान्तों या पूजाविधिपर झगड़ते नहीं । हर एकको अपने ढंगसे अपने ईश्वरकी आराधना करनेकी पूरी छूट है । धर्मके कारण सताया जाना यहाँ अज्ञात है ।”

सारी शासनसत्ता मुगल बादशाहोंमें केन्द्रित थी । उनका कथन ही कानून था और बादशाहका विरोध अधिक सबल हथियार ही कर सकते थे । शासनकाममें वे अमीरोंसे मदद लेते थे ।

शाहजहाँका राज्य जनताके लिए बड़ा समृद्धिशाली बताया जाता है । मालगुजारी बादशाहकी आमदनीका मुख्य स्रोत थी । यह शाही खर्चके लिए काम आती थी; जनताके हितमें, उसे सुविधाएँ देनेके लिए नहीं ।

हजारों वर्षोंसे मालगुजारीपर बादशाहका न्यायोचित अधिकार माना जाता था । बड़े-बड़े धर्मभीरु और नैतिक लोग भी स्वीकार करते थे कि यह तो राजाका अंश है, उसे वह चाहे जैसे खर्च करे । किसानोंका भी यही दृष्टिकोण था । इस अधिकारके बदलेमें राजाका क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न ही नहीं उठता था । जो बादशाह मालगुजारीकी दर न बढ़ाता, किसानोंको जिसके नौकर परेशान न करते और जो गाँवके जीवनमें हस्तक्षेप न होने देता, उसे ही जनता अच्छा शासक मानती थी । किसान लोग बस उतनी ही उपजको अपना हक मानते जो मालगुजारीसे बच रहती । युद्धमें विजयी राजा विजित राजासे जो जुर्माना, चौथ आदि वसूल करता था वह किसानोंकी गाँदी कमाईसे ही आता ।

१. जान पिकरटन : ए. जेनरल कलेक्शन भाव दि बेस्ट एण्ड मोस्ट एण्टरेस्टिंग वायजेज, पृ० ३२१, ४१५ (१८११) ।



इन खर्चोंसे जो कुछ बचता उसीसे ग्रामीण जीवनकी अर्थव्यवस्था चलती। इस आर्थिक ढाँचेसे जो जीवनस्तर बना वहीं जनताके सुख और सन्तोषका मापदण्ड हो गया। इसी बचतमेंसे गाँव अपनी रक्षाका भी चन्दोबस्त करते। इसीमें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व स्वायत्तशासन सम्बन्धी काम पूरे करते। सरदार, सूत्रेदार और लंडाक राजा युद्धके समय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शान्ति भंग न करना चाहते। कुछ विजयी राजाओंने तो फौजों द्वारा हुए गाँवके नुकसानोंको पूरा करनेके लिए क्षतिपूर्तिके रूपमें रकम भी दी। “उस जमानेमें राज्यतन्त्र या राजा मालगुजारी वसूल करने और पुलिसका काम करनेके बाद अपने कर्त्तव्यकी इतिश्री समझ लेते। निर्माणकार्य या सामाजिक व आर्थिक विकासके कोई काम राज्य अपने हाथमें न लेता। जबतक बादशाहकी आज्ञा उल्लंघन या कोई दूसरा बड़ा जुर्म न हो जाय, राज्य ग्राम्य जीवनमें हस्तक्षेप न करता। अगर गाँव सरकारको परेशान न करता तो सरकार गाँवको न छेड़ती। गाँव सदियों पुराने जीवनका ठर्रा शान्तिमय ढंगसे चलाते जाते।”<sup>१</sup>

मुगलकालके इतिहासमें इस बातके उदाहरणोंको कोई कमी नहीं है कि बादशाह फसलमें अपना हिस्सा वसूल कर लेनेके बाद जनताको शेष भागका उपयोग करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता ही न देते बल्कि इसके लिए भी सचेष्ट रहते कि इस स्वतन्त्रताका कोई अपहरण न करने पाये। इस सम्बन्धमें वे ऊँची नीतिवत्ता और उत्तरदायित्वकी भावना रखते। कर्म-चारियोंको आदेश थे कि वे शाही नीतिको ईमानदारीके साथ अमलमें लायें। मालगुजारीका बकाया छोटी छोटी किस्तोंमें वसूल किया जाता। एक बार जमीनके एक खिस्तेका दरसे ज्यादा लगान शाही खजानेमें जमा देखकर शाहजहाँ इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस अपसरको बरखास्त कर दिया और ज्यादा जमा हुई रकम काश्तकारको लौटा दी।

“शाहजहाँ और औरंगजेबके जमानेके कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि रैयतकी शिकायत बादशाहतक पहुँचने पर, कड़ाईसे ज्यादा मालगुजारी इकट्ठी करनेवाले अपसर और कभी कभी तो सूत्रेदारतक बरखास्त कर दिये गये।” मुगलकालमें हर नये सूत्रेदारको हुक्म मिलता था कि “रैयतको रोती और पैदावार बढानेमें बढावा दो ताकि वे पूरे दिलसे खेतीमें लग सकें। उनसे कुछ ऐठनेकी कोशिश न करो। याद रखो कि रैयत ही आमन्दनीका स्थायी साधन है…… यह देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ताकतवर गरीबको दवाने न पायें।” यदुनाथ सरकारकी तरह ही स्टेनले लेनपूलने लिखा है—“इस बातका ख्याल रखा जाता था कि जिनसे ज्यादा अनुचित कर वसूल कर लिया गया हो, उन्हें अपनी शिकायत ऊपरतक पहुँचानेमें मुदकिल न पड़े, जो ज्यादा रकम वसूल कर ले उन अपसरोंको कड़ीसे कड़ी सजा दी जाती थी।” इतने लम्बे-चौड़े और पैले हुए साम्राज्यमें बादशाहका हुक्म कड़ाईसे पालन कराना, उसके अनुसार कार्य कराना बड़ा कठिन था, और इसलिए इधर उधर अनेक भ्रष्टाचार इत्यादिके मामले बने रहते थे।

एक जमानेसे मालगुजारीकी दर धीरे धीरे बढायी जा रही थी। हिन्दू राज्यकालमें यह कर कुल उत्पादनका छठों हिस्सा था। मुसलिम शासनकालमें कर बढ़ता ही गया। अकबरके

१. यदुनाथ सरकार, दि मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १३-१४

२. मिर्जाबल इगिडिया अंडर मुहम्मदन कूल, पृ० २६३-६४

कालमें 'मालगुजारी' उत्पादनका एक तिहाई हो गयी, और औरंगजेबके कालमें उपजका ५० प्रतिशत हो गयी।

कहा जाता है कि शाहजहाँ-कालीन भारतकी धन-दौलत और समृद्धि दूर देशोंके लोगोंको आश्चर्यमें डाल देती थी। विशेष त्योंहारों और अवसरोंपर तख्त ताउसपर बैठे कोहनूर व जवाहरातसे सजे हुए शाहजहाँके व दरवारके टाट-चाट देखकर बुखारा, (ईरान) फारस, तुर्की, इटली, फ्रांस आदिके विदेशी राजदूतोंकी आँखें चौंधिया जाती थीं। परन्तु उस ऐश्वर्य और खुशहालीको जनताकी खुशहालीका प्रमाण नहीं समझना चाहिये। फिर भी वंधे हुए कर अदा कर देनेके बाद जनताको कोई परेशान न करता था और लोग वैफिक्री, शान्ति और स्वतन्त्रतासे जीवनयापन करते थे। गाँव स्वावलम्बी और स्वतन्त्र आर्थिक इकाई होते थे। प्रत्येक गाँवमें एक बड़े-बड़े लोगोंकी सभा होती थी जिसे पंचायत कहते थे। स्थानीय आवश्यकतानुसार यह पंचायत न्याय, कानून और शासनका सब कार्य देखती थी। गाँवके कामगर इत्यादि उस आर्थिक जीवनका अंग होते थे। उन्हें या तो पैदावारका एक भाग मिलता था, या मालगुजारीने मुक्त जमीन। गाँवकी इस संघटित व्यवस्थाका एक बड़ा लाभ यह था कि कोई भूखों नहीं मरता था। किसीके पास यदि किसी फसलमें कोई काम न होता तो भी संघटित प्रणालीसे उसे भोजन तो मिल ही जाता था! राजसिंहासन-पर बादशाह आते रहते और राजवंश बदलते रहते पर जनताके जीवनमें कोई उलट-फेर न होता था।

चाहे कृष्णनीतिके कारण हो या वास्तवमें जनताकी भावनाओंके आदरके लिए, मुगल सम्राटोंने अपने व्यवहारसे लोगोंको विश्वास दिला दिया था कि उनके धार्मिक मामलोंमें कोई हस्तक्षेप न किया जायगा और इस नीतिने दिल्ली-सम्राटोंकी भी विश्वास हो गया था कि जनता राजनीतिक मामलोंमें उदासीन रहेगी। इस प्रकार संघर्षकी परिधि महत्त्वाकांक्षी पदाधिकारियों व पड़ोसी राज्योंतक ही सीमित रहती थी।

परन्तु जहाँगीर और शाहजहाँ वह पक्षपातरहित व्यवहार और दृष्टिकोण न निभा सके जो उनके प्रख्यात पूर्वज अकबरकी नीति थी। कुछ अवसरोंपर ऐसा प्रतीत होता है कि वे हिन्दू और सिक्खोंके प्रति अनुदार थे।

सिखधर्मकी नींव गुरु नानकने पन्द्रहवीं शताब्दीमें डाली थी। गुरु नानक वास्तवमें एक सुधारक थे। उनके अनुयायी राजनीतिके प्रति उदासीन रहते थे। वे हिन्दू मुसलमान दोनोंसे कहते थे कि "हम न हिन्दू हैं न मुसलमान; हम सब एक ही मालिकके बन्दे हैं।" सिक्खोंके गुरु वास्तवमें अपने विश्वासके प्रति निष्ठा व साहसके इतिहासमें ज्वलन्त उदाहरण हैं।

चौथे गुरुके समयतक सिख लोग नितान्त धार्मिक और सुधारक समुदायकी तरह रहे। परन्तु पाँचवें गुरु अर्जुनदेवसे जहाँगीर नाराज हो गया। उनका अपराध सिर्फ यही था कि उन्होंने जहाँगीरके विद्रोही पुत्र खुसरोंको शरण और सहायता दी थी। गुरु अर्जुनदेवको इस "विद्रोह व धृष्टता" के लिए मृत्यु-दण्ड मिला।

शाहजहाँके समयके इतिहासमें कई मन्दिरोंके मस्जिदमें परिवर्तन किये जानेका विवरण मिलता है। हो सकता है कि इसकी जिम्मेदारी औरंगजेबपर हो क्योंकि ये घटनाएँ दक्षिणकी हैं जहाँ इस समय औरंगजेब सर्वेदार था। मुछा लोग भी कभी-कभी कुचक्रों

और गन्दी हरकतोंमें भाग लेते थे, पर यह सब अपवाद मानकर नजरअन्दाज कर दिया जाता था और इस तरह हिन्दू मुसलमानोंके आपसी सम्बन्ध सद्भावपूर्ण बने रहते थे।

मुस्लिम दरबारोंमें और हिन्दू राजाओं, दोनोंके यहाँ हिन्दू व मुसलमान दोनों ही शासकीय एव सैनिक पदोंपर नियुक्त होते थे और अवसरानुसार अपने प्रभुओंकी खातिर हिन्दू मुसलमानोंके ओर मुसलमान हिन्दुओंके कधेसे कधा भिडानपर अपने धर्म भाइयोंसे रणभेदमें लोहा लेते थे। उनको भाडेके सिपाही कहना अ-न्याय होगा। हिन्दू और मुसलमान एक ही जन-बुट्टीके थे। यह तो बहुत बादमें हुआ कि मुसलमान लोग इस्लामी राज्योंके धार्मिक रूपसे समर्थक बन गये। उन दिनों हिन्दू मुसलमान जनसाधारण मेल मिलाप और सौहार्दके साथ आपसमें मिलकर रहते थे। ब्रिटिश शासनकालकी तरह हिन्दू मुस्लिम दगे उस समय कभी नहीं हुए।

गुरु अर्जुनदेवके प्रति जहाँगीरके निर्दय व्यवहारने सिखोंको सैनिक रूपसे सघटित होनेके लिए प्रेरित किया। स्वयं अर्जुनदेवने भी ऐसा ही अनुभव किया और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी हरगोविन्दको यथासंभव एक बड़ी और सघटित सेना रखनेका आदेश दिया। शाहीद गुरुका यह आदेश उनकी अन्तिम इच्छा बन गया और प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित गुरु हरगोविन्दने अपने शिष्योंमें सैनिक उत्साह भरा जिसमें थोड़े ही समयमें उनके पास एक सुसज्जित और दृढ़ सेना तैयार हो गयी। इस सेनाकी प्रायः ही शाही सेनासे मुठभेड होती, और बहुधा जीत भी सिखोंके हाथ रहती। एक बार गुरु गोविन्दको पकड़नेमें जहाँगीर सफल भी हुआ पर वे किसी प्रकार निकल भागे।

शाहजहाँके बाद उत्तराधिकारका फैसला लगभग सदैव ही तलवारने किया। विजयी युवराज रतूनकी नदी पार करके ही गद्दीतक पहुँचता था। स्वयं शाहजहाँने अपने भाइयों व रिश्तेदारोंके खूनसे हाथ रगकर ही तख्त प्राप्त किया था। इन अभागोंके कटे सिर जनताको आतंकित करनेके लिए शहरमें घुमाये जाते थे। अम्बरके बाद प्रायः प्रत्येक युवराजने सिंहासन-प्राप्तिके लिए पितासे विद्रोह किया। जहाँगीरने पिताके सबसे अधिक प्रिय साहायक अयुल-फजलको मरवा डाला और स्वयं अम्बरके खिलाफ विद्रोह किया। शाहजहाँने भी जब वह शाहजादा था, पिताके विरुद्ध विद्रोह किया था। उसे तभी क्षमा किया गया जब उसने जमानतके रूपमें अपने दो पुत्रोंको, जिनमें एक औरंगजेब था, गूरजहाँके पास रख दिया।

जिस समय मुगल खानदान आपसी वैर और युद्धोंमें लगा हुआ था, यूरोपीय व्यापारी भारतमें अपनी स्थिति मजबूत बनानेमें लगे थे, पर शाहों सैनिक शक्ति फिर भी बहुत मजबूत थी और यह कल्पना भी न हो सकती थी कि यूरोपजाले भारतमें अपना गिवना जमा सकेगे। औरंगजेबके शासनकालमें फ्रांसके व्यापारी भी भारतमें आये, और स्वभावतया, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापारियोंके साथ देशके बाहरी व्यापारमें हिस्सा बढ़ाने लगे। सन् १६६४में फ्रांसीसी मन्त्री कोलबर्टने "कम्पनी डी इण्टीज" नामक एक व्यापारिक संस्था सघटित की जिसे फ्रांसके राजा चौदहवें लुईने १० वर्षतक भारतसे व्यापार करनेका एकाधिकार दे दिया। उसने इस कम्पनीको सभी प्रकारके करोंमें मुक्त कर दिया, और दस वर्षोंतक उसके मारे घाटे और हरजाने सरकार द्वारा भरे जानेका वचन भी दे दिया।

अन्य यूरोपीय व्यापारियोंकी भाँति फ्रांसीसी भी पहले सरतमें आये और उन्होंने १६६८ में वहाँ एक कारखाना कायम किया। वे भी काफी तौरपर सदाख्त थे। फ्रांसीसी व्यापारियोंके

भारतमें आनेसे पहले ही एक भारतीय सरदारने एक पुर्तगाली किले, सेण्ट टोमको जीत लिया था। फ्रांसीसी वेड़ेने सन् १६७०में इस किलेपर धावा बोल दिया और उसे जीत लिया। कुछ ही काल बाद एक डच वेड़ेने इस किलेको फ्रांसीसियोंसे छीनकर फिर गोलकुण्डाके भारतीय सुल्तानके हवाले कर दिया।

अकबरके बादके तीन मुगल बादशाहोंके कालमें अंग्रेज व्यापारियोंने अपनी जड़ें मजबूतीसे जमा ली थीं और सत्रहवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें उनका व्यापारिक केन्द्र मद्रास एक स्वतन्त्र उपनिवेश बन गया। अंग्रेजोंके इस केन्द्रके पास एक भारतीय वस्ती भी बनपने लगी जिसपर अंग्रेज हुकूमत करने लगे। कम्पनीके हाथों बम्बई प्रायः बिना प्रयास ही आ गया। सन् १६६१में पुर्तगालके राजाने इंग्लैण्डके राजा चार्ल्स द्वितीयको बम्बईका इलाका अपनी पुत्रीके दहेजमें दे दिया और चार्ल्सने बम्बईको कम्पनीके हाथ बेच डाला। कम्पनीने अपना सूतका केन्द्र बन्द करके बम्बईमें नया केन्द्र जमानेका निश्चय किया जो टापू होनेके कारण अधिक सुरक्षित बन्दरगाह था और जहाँसे लाल सागर व अरबकी खाड़ीका व्यापार भी सुगम था। इसके अलावा सूतका व्यापारिक सहच भी राजपूतों और औरंगजेबकी शत्रुता, हमलों, और नित्यके झगड़ोंके कारण घट रहा था। इन युद्धों और लूटमारके कारण आगरा और सूतके बीच व्यापार कठिन हो गया था। दक्षिणमें शिवाजीके उत्थानके फलस्वरूप कुछ सुगली इलाकोंकी व सूतकी स्थिति बहुत अरक्षित हो गयी थी।

ऐसा लगता है कि सूतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ख्याति अच्छी न थी। एक अंग्रेज लेखकने लिखा है—“अंग्रेजोंकी हिंसा और बेईमानीके कारण हिन्दू और मुगलमान दोनों ही अंग्रेजोंको उन बड़े नुस्तोंसे भी अधिक जंगली व भयानक समझते थे जिन्हें अंग्रेज रखवालीके लिए अपने साथ लाये थे। वे अपने बापको भी धोखा दे सकते थे और उसी तत्परतासे बन्दूकें चला सकते थे जिस प्रकार वे माल या रुपया लूट सकते थे।” एक दूसरे स्थानपर वही लेखक कहता है—“परन्तु टेरीके अनुसार ईसाई धर्मको भारतके लोग बहुत ओछा समझते थे।” टेरीने यह भी स्वीकार किया है कि “भारतीय स्वयं बहुत ईमानदार और वादेके पक्के होते हैं। अगर किसी वस्तुके लिए दूकानदार द्वारा बतायी हुई कीमतसे बहुत कम दामपर देनेको कहा जाता तो अक्सर वे जवाब देते—क्या हमें ईसाई समझ लिया है जो तुम्हें धोखा देंगे।”

बंगालमें जहाँ अंग्रेजोंने अपना एक कारखाना खोल दिया था, व्यापार बहुत ही लाभदायक था। कम्पनी सिर्फ बंगालके लाभसे बम्बई, मद्रास तथा अन्य कारखानों व किलेबन्दीका खर्च पूरा कर लेती थी। इसी समय औरंगजेबकी शक्तिशाली सत्ता कम्पनीके रास्तेका रोड़ा बन गयी। उस समय शोरा, कच्चा रेशम, अफीम और ढाकेंकी मलमल ही व्यापारकी मुख्य वस्तुएँ थीं। “यह मलमल इतनी बारीक और बढ़िया बनती थी कि हाथकी अँगूठीके बीचसे एक पूरा थान निकाला जा सकता था। सभी मुन्दरियोंकी यह अभिलाषा होती थी कि उनके विवाहकी पोशाक इस हल्के मलमलकी बनी हुई हो।” औरंगजेबने, जो राजनीतिक कारणोंसे अन्य मुस्लिम देशोंसे मित्रता बनाये रखना चाहता था, शोरेका व्यापार इसलिए रोक दिया कि यही शोरा युद्धोंमें मुसलमानोंके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता

था। सम्राट्का यह कार्य कोई अनोखा न था; पर अंग्रेज अपनी शक्ति और महत्त्वके समष्टिमें फूले हुए थे, अतः उन्होंने इस आदेशके विरुद्ध शगड्य करनेकी ठान ली।

उनको क्रुद्ध करनेकी एक बात और हो गयी। कम्पनीको व्यापारिक रिआयतें उदार शाहजहाँने एक भावुकतापूर्ण अवसरपर दे डाली थीं। ये रिआयतें भारतीय व्यापारियोंके लिए तथा राज्यकी करनमूलीमें अत्यन्त हानिकर सिद्ध हो रही थीं। कोई भी इस प्रकारकी रिआयत सदैवके लिए नहीं दी जा सकती। औरगजेवके जमानेमें शाहस्तारोंने, जो उन दिनों बगालका सुवेदार था, कम्पनीके मालपर एक नया कर लगा दिया।

अंग्रेज क्रोधसे भर गये। उन्होंने खोयी हुई रिआयतोंको अपनी सैनिक शक्तिके जोरसे फिर प्राप्त करनेका इरादा किया। उनके पास आधुनिकतम हथियार थे, जिन्हें वे शिक्षित सिपाहियों सहित मराठों तथा औरगजेव तकको दिया करते थे। गौका अच्छा था, क्योंकि उस समय औरगजेवकी फौज युद्धके अन्य मैदानोंमें फँसी हुई थी। इसीमें अंग्रेजोंने बगालपर हमला करनेकी हिम्मत की।

सर जोसियाह चाइल्डको जो कम्पनीके डाइरेक्टरोंके अध्यक्ष थे, कम्पनीके घाटेकी रिपोर्ट भेजी गयी। उन्होंने इंग्लैण्डके सम्राट्की आज्ञामें मुगल फौजपर हमला करनेका आदेश दे दिया। तुरन्त ही "यथासम्भव सबसे बड़ा लडावू बेटा जमा करके भारत खाना कर दिया गया। यह बेटा ब्रिटेनसे पूर्व आनेवाले बेटोंमें सबसे बड़ा था। बरेकी कमान एडमिरल निकल्सनको दी गयी। बरेमें १२ सामरिक जहाज, २०० तोप और ६०० सैनिक थे। ४०० सैनिकोंकी एक टुकड़ी उन्हें मदरासमें मिलनेवाली थी। निकल्सनको आदेश था कि वह फौरन घेरा डालकर चटर्गाँवको जीत ले और फिर आस पासकी भूमिपर कब्जा हासिल करे। जमींदारोंको बहला पुसला ले, एक टकसाल चालू करे और अराकानके राजाके साथ सन्धि कर ले, अर्थात् शर्षेपमें इसका अर्थ यह हुआ कि निकल्सन वहाँ अंग्रेजी राज्य स्थापित करे।"<sup>११</sup>

चाइल्डने यह भी आदेश दिया था कि चटर्गाँवके घेरेके अतिरिक्त मक्का जानेवाले जहाज भी पकड़ लिये जायें। चाइल्डने सोचा कि औरगजेव तंग होकर समझौतेके लिए बाध्य हो जायगा। उसका खयाल था कि अति धार्मिक होनेके कारण सम्राट् मक्काका रास्ता बन्द होनेसे घबड़ा जायगा। परन्तु "सर जोसियाह चाइल्ड औरगजेवकी चालाकी और योग्यताका ठीक अन्दाज न लगा पाया। उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले सम्राट्के जासूस सब ओर फैले हुए थे। कभी-कभी तो वह अनेक घटनाओंका आभास इतना सही और पूर्ण रूपसे लगा लेता था कि लोग सोचने लगते थे कि शायद सम्राट्का किसी दैवीशक्तिपर अधिकार जरूर है।"<sup>१२</sup>

उसीही अंग्रेजी जहाजोंने मुगली जहाजोंको पकड़ना शुरू किया, औरगजेवने सूखके वारतानेके कर्मचारियोंको पकड़वा लिया और भयकी दी कि यदि मुगली जहाज छोड़े न जायेंगे और साथ ही एक बड़ी रकम हरजानेके रूपमें न दी जायगी तो सब कर्मचारियोंको मौतके घाट उतार दिया जायगा। अंग्रेजोंके सामने छुटनेके सिवा कोई चारा न रहा।

एडमिरल निकल्सन तो अपने उद्देश्यमें असफल रहा, परन्तु अपनी महत्वाकांक्षा

१. मार्शमैन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, त्रिपुट १, पृ० २११

२. जे. टालबॉयज इलीजर, इण्डिया अण्डर ब्रिटिश रूल, पृ० २६

पूरी करनेके लिए दृढ़प्रतिज्ञ डाइरेक्टरोंने कप्तान हीथके नेतृत्वमें नयी कुमक भेजी। हीथने आते ही हुगली कारखानेके संचालक जॉन चारनॉक और सभी कर्मचारियोंको व्यापारिक माल सहित हटा लिया और फिर तमाम मुगल जहाजोंको पकड़कर उनपर अधिकार कर लिया। हुगली नदीके मुहानेपरके एक नगरपर गोलाचारी की। शाइस्ता खाँ घबड़ाया; जलयुद्धका उसे बिलकुल अनुभव न था। उसने डरकर समझौतेकी शर्तें अंग्रेजोंके सामने पेश कर दीं। अंग्रेजी बेड़ा तब अराकानकी ओर बढ़ा और उसने वहाँके राजाको हराया; किन्तु अन्तमें अंग्रेजी बेड़ा हार गया और अंग्रेजोंको मुगलोंके सभी जहाज वापस करने पड़े। उन्हें एक बड़ी रकम हरजानेके रूपमें भरनी पड़ी।

अचम्भेकी बात है कि सूत और हुगलीकी हारके बाद ही अंग्रेजोंने बंगालमें दृढ़ताके साथ अपनी नींव डाली। अंग्रेजों द्वारा भविष्यमें शान्तिपूर्वक रहने और सभ्य व्यवहारकी प्रतिज्ञा करने पर उन्हें हुगली नदीके किनारे जमीनकी एक पट्टी खरीदनेकी इजाजत दे दी गयी। भरतीका यह टुकड़ा तीन मील लम्बा था और उसमें तीन गाँव भी थे। यही स्थान बादमें कलकत्तेके रूपमें विकसित हुआ और यहाँ एक किला बना लिया गया।

तत्कालीन इतिहासकी एक बड़ी भारी भूल यह हुई कि औरंगजेबने अंग्रेजी हमलेको नगण्य समझकर उसकी उपेक्षा की। उसको यह विश्वास ही न होता था कि अंग्रेजी व्यापारी किसी समय मुगल साम्राज्यके लिए वास्तविक खतरा बन सकते हैं। जब कभी अंग्रेजी पडवन्त्रों और उनके बुरे इरादोंकी उसके सामने शिकायत की जाती तो वह घृणात्मक हँसी हँसकर उसे टाल देता था। जब उसे यह समाचार दिया गया कि अंग्रेज व्यापारी हुगलीके किनारे खरीदे हुए अपनी तीन गाँवोंकी किलेबन्दी कर रहे हैं तो उसने हँसकर कहा "संभव है मेरे भारतीय प्रजाजन उनसे झगड़ते हों। वे व्यापारी जो अपनी मातृभूमिसे इतनी दूर अकेले पड़े हैं क्यों न अपनी रक्षाका प्रबन्ध करें। मैं कोई भी हस्तक्षेप न करूँगा।"

इस खतरनाक आत्म-विश्वासने वह बीज बो दिया जो कालान्तरमें अंग्रेजी साम्राज्यके एक विशाल वृक्षके रूपमें विकसित हुआ।

औरंगजेबको अपनी शक्तिपर बढ़ा विश्वास था किन्तु उसकी धार्मिक असहिष्णुता एवं हठधर्मीका यह परिणाम हुआ कि अपने-अपने इलाकोंमें राजपूत, जाट, मरहटे व सिख वादशाहतके खिलाफ उठ खड़े हुए और औरंगजेब जिन्दगी भर लगातार उनसे लड़नेमें फँसा रहा।

दक्षिणमें शिवाजीकी शक्ति बढ़ती गयी। उन्होंने पूरे २० वर्षतक औरंगजेबको हैरान रखा। शिवाजीके विरोधी इतिहासकार खफी खाँ के अनुसार "शिवाजीने अपने राज्यमें अपनी प्रजाकी इज्जत और मान बनाये रखनेका सदैव प्रयत्न किया, और अपने हाथ पड़े मुसलमान-स्त्रियों, बच्चोंकी इज्जतकी सदा रक्षा की। इस सम्बन्धमें उसके आदेश बड़े कड़े थे, और जब कभी किसीने उन आदेशोंकी अवज्ञा की, शिवाजीने उसे कड़ा दण्ड दिया।

उसने यह नियम बना लिया था कि युद्ध-कालमें जब उसके सिपाही लूट मार करं तो मस्जिद, पवित्र कुरान और धार्मिक पुस्तकों और स्त्रियोंको कोई हानि या अपमान न करं। जब कभी पवित्र कुरानको कोई प्रति उसके हाथ पड़ती, वह उसे श्रद्धा और सम्मानसे रख देता और अपने किसी मुसलमान अनुयायीको दे देता।"

शिवाजीने कर लगानेकी प्रणालीको नियमित रूप दिया। मालगुजारी किसी अटकल-पर न लगाकर हर फसलकी उपजके अनुपातमें लगायी जाती थी। भूमिका वर्गीकरण किया जाता था, और लगान हर फसलके बाद नियत किया जाता था।

औरंगजेबके कालमें ही मुगलोंके प्रति सिरोंकी घृणा भी पराकाष्ठापर पहुँच गयी। गुरु तेगबहादुरको, जिन्होंने शाही फौजसे मुटभेड ली थी, पकडकर दिल्ली लाया गया। उनसे कहा गया कि उनकी सजा धर्मश्रित्तन या मौत है, वे इन दोनोंमेंसे एक चुन ले। उन्होंने मृत्यु अधिक श्रेयस्कर समझी। इस गुरुके बलिदानने सिरोंको मुगलोंके खिलाफ सैनिक ढगसे सर्वाटत होनेके लिए प्रेरित किया। गुरु गोविन्दसिंहने जो तेगबहादुरके पुत्र और उत्तराधिकारी थे, इसका जिम्मा लिया और एक इलाका जीत लिया। अखततके सीधे-सादे धार्मिक सिख अब लडाकु हो गये और मुगलोंके लिए कौटा बन गये।

औरंगजेबके कठमुत्ले दरबारियोंको छोडकर कोई भी उससे प्रसन्न नहीं था। उसने अपने पिताको कैदमें डाला और अपने लडकोंको भी विद्रोहके अभियोगमें जेठमें बन्द कर दिया। वह शिया मुसलमानोंसे हिन्दुओंसे भी अधिक घृणा करता था, यद्यपि शिया फिरकेके मुसलमानोंसे ही उसे योग्यतम उच्चाधिकारी और बदादुर सेनापति मिले थे।

लेकिन फिर भी औरंगजेबको अपनी फौज और शासकीय विभागोंमें हिन्दू, शिया तथा गैरमुस्लिम रखने पडते थे। वह उन लोगोंका विश्वास मुन्नी अफसरोंकी भाँति ही करता था। इसका सबूत यह है कि कभी कभी ऐसे फौजना सेनापति भी हिन्दू ही होता था, जो किसी हिन्दू राज्यपर धावा करने जाती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिणके एक युद्धसे मिलता है। औरंगजेबका पुत्र मुअज़म दक्षिणकी फौजना, जो शिवाजीके इलाकेपर हमला करनेके लिए भेजी गयी थी, सेनापति था। मुअज़म असफल रहा। तब औरंगजेबने उसे हटाकर जयसिंहको सेनापति नियुक्त किया। जयसिंह शाहके प्रति अपनी निष्ठा दिखानेमें एक उचित सीमाको भी लँध गया। उसने शिवाजीके अफसरोंको बहुत मो रत्न शूद्राओंका लालच देकर फोड़नेकी कोशिश की। पर वह इस कार्यमें बुरी तरह असफल रहा। दोके सिवा सोनेके लोभमें कोई भी न आया, और वे दो भी मराठे नहीं थे।

यद्यपि औरंगजेबके जमानेमें प्रथम बार हिन्दुओंने बहैसियत हिन्दूके अपना सघटन शुरू किया, पर मिली जुली सेनाओंकी प्रथा जारी रही। शिवाजीकी सेना और कार्यालयोंमें मुसलमान भी थे, और दली प्रजार औरंगजेबकी सेना और कार्यालयोंमें हिन्दू भी थे। इस विशाल देशके विभिन्न क्षेत्रोंमें, लगभग प्रत्येक गाँव और प्रत्येक नगरमें, हिन्दू और मुसलमान पड़ोसियोंकी भाँति शताब्दियोंसे प्रेमपूर्वक रहते आ रहे थे। कुछ हिन्दू विरोधी मुस्लिम शासकोंको नौति दोनो सम्प्रदायोंके बीच कोई भेदभाव नहीं पैदा कर सकी। हिन्दू व मुस्लिम जनताने दर्जनों अच्छे और बुरे शासक गद्दीपर बैठते और हटते देखे थे, और अनुभवसे समझ लिया था कि किसी मुस्लिम शासककी हिन्दू विरोधी नीतिसे मुस्लिम जनताका कोई लाभ नहीं होता।

लगतार विद्रोह, क्रांति, युद्ध और हिन्दू राष्ट्रीयताके उदय हानेके बावजूद औरंगजेब साम्राज्यके ढाँचेकी बाधक रखनेमें समर्थ रहा। “वह दुर्गुणों, काहिली और ऐसी आगमसे अपनेको ढर रखता था। उसकी बुद्धि प्रखरता अद्वितीय थी। वह राज काज उतनी ही लगन और उत्साहसे करता था जितनी साधारण न्यचित ऐश करनेमें बर्तते है। कोई भी साधारण

अहलकार सार्वजनिक कार्योंमें, उसके समान परिश्रम नहीं कर सकता था और न उतनी तबजहसे काम कर सकता था। उसका धैर्य और सहनशक्ति उतनी ही बढ़ी-चढ़ी थी जितनी उसकी अनुशासन-प्रियता। उसका संयम संतों जैसा था। फौजी मार्च या युद्धकी कठिनाइयोंका वह एक अति अनुभवी प्यादेकी भाँति चुपचाप मुकाबला करता था। कोई भय उसे निरस्ताह नहीं कर सकता था, न कोई दया या दुर्बलता उसके हृदयको पिघला सकती थी। धार्मिक और नैतिक पुस्तकोंके अध्ययनसे जो ज्ञान अर्जित किया जा सकता है उसका वह सम्पूर्ण अधिकारी था।”

औरंगजेब अपने समयका एक महान् सुधारक था। जनसाधारणका नैतिक स्तर ऊँचा उठानेके लिए उसने अनेक कानून और नियम जारी किये थे। उसने तमाखू, भंग और शराबका उत्पादन, बिक्री और प्रयोग कानून द्वारा बन्द करवा दिये। वेश्याओं और नर्तकियोंको शादी कर गृहस्थ बननेकी या देश छोड़ देनेकी आज्ञा दी। अश्लील गानोंका गाना जुर्म घोषित कर दिया। हिन्दुओंमें प्रचलित सती प्रथापर रोक लगा दी।

परन्तु ऐसे सुधारक बादशाहके ५० वर्षके राज्यकालका परिणाम असफलता और अराजकता हुआ। उसके जीवनकालमें ही साम्राज्यके ढाँचेमें दोमक लग गयी, और वह भर-भराकर गिर पड़नेकी स्थितिपर पहुँच गया। यह दृढ़ पुरुष जो भय और दण्डके जोरसे सूबेदारों व अन्य अफसरोंसे अनुशासन और सम्मान हासिल करता था, १७०७ में इस संसारसे उठ गया। अब प्रांतीय सूबेदार लोग एक-एक करके अपनेको दिल्ली-शासनसे स्वतन्त्र घोषित करने लगे, और उनकी इस नीतिने साम्राज्यका विनाश आसान कर दिया। एक बार फिर इतिहासने भारतको उसी राजनीतिक अराजकतामें देखा जो तुगलक साम्राज्यके भंग होनेके बाद वावरके हमलेके समय पैदा हो गयी थी।

औरंगजेबके बाद मुगल खानदानमें कोई ऐसा योग्य बादशाह न हुआ जो साम्राज्यके छिन्न-भिन्न टुकड़ोंको फिरसे एकत्र कर सकता। लगभग ३० वर्षमें ही मुगल सम्राट् केवल दिल्लीके आस-पासकी भूमिका ही शासक रह गया।

औरंगजेबके उत्तराधिकारियोंमेंसे कुछमें उसका हिन्दू-विरोध पाया जाता है। परन्तु शासकोंकी मनोवृत्तिका हिन्दू-मुसलमानोंके आपसी सम्बन्धपर कभी कोई प्रभाव न पड़ा। इस समय ब्रिटिश शासनकाल जैसे दंगे कभी नहीं हुए। मुसलमानोंके दो वर्गोंमें एक हिन्दूके ऊपर एक बार दंगा अवश्य हो गया था। वह इस प्रकार हुआ—

“८ मार्च, १७२९ को शामको मुंशी शुभकरण, जो दरवारके जौहरी थे, अपने घर जा रहे थे। उनके रास्तेमें जूते बेचनेवालोंकी दूकानें पड़ती थीं। ये लोग सब पंजाबी कट्टर मुसलमान थे। उस समय वहाँ, मौसमकी प्रथाके अनुसार, हिन्दू मुसलमान सभी पटाखे छोड़ रहे थे। पटाखेकी एक चिनगारी जौहरीकी पालकीमें जा गिरी और उससे शुभकरणकी दरवारी पोशाकमें छेद हो गया। इसपर पालकीकी बगलमें चलनेवाले सिपाहियोंने विरोध किया; बात बढ़ी और उनमें और जूतेवालोंमें झगड़ा हो गया। सिपाहियोंके पास हथियार थे, और जूतेवाले अपने डंडोंसे लड़ रहे थे। पर क्योंकि जूतेवालोंकी संख्या बहुत अधिक थी, उन्होंने एक सिपाहीको पकड़कर उसकी ढाल-तलवार छीन ली। क्षुब्ध शुभकरणने घर पहुँच अपने आदमियोंको जूतेवालोंसे बदला लेनेके लिए भेजा। शामको सिपाही अपने मित्रोंको



साथ लेकर जूनेवालोंके मोहलेमें पहुँच गया। इन लोगोंने जाते ही एक लडकेको पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। वहाँके लोग इस लडकेको मुंशीके घर ले गये। मुंशी घबड़ा गया और उसने शाही खानगाभा, शेर अफगन एवं पानीपतीके महलमें जाकर शरण ली, जो स्वयंसे उसमें बड़ा था। उसके बाद एक भीड़ बादशाहके पास गयी और न्यायकी माँग की। बादशाहने अपराधीको गिरफ्तार करनेकी आशा दी, पर शेर अफगनने आशापालन करनेसे इनकार कर दिया। फिर शुक्रवारके दिन मगजिदमें भीड़ हड़ती हुई। शान्ति बनाये रखनेके लिए वजीरने घटनास्थलपर भेजा गया। शेर अफगन भी अपने अफगान साथियोंके साथ वहाँ पहुँच गया। भीड़ काफी उत्तेजित हो चुकी थी। एक दूसरेपर हमला शुरू हो गया, बहुतसे व्यक्ति घायल हुए।<sup>1</sup> परन्तु इस क्षणमें किसी हिन्दूका बाल बँटा न हुआ।

जब दिल्ली दरबार पञ्चमीमें खरा था, पञ्जाबमें शिवा और दक्षिणमें मराठे अपनी-अपनी शक्ति सघटित कर रहे थे। शिवाजीसे मिली राष्ट्रीयताकी भावना एक शैक्षिक सघटनके कारण मराठे एक प्रबल शक्ति बनते जा रहे थे। कुछ समयतक तो ऐसा लगा कि मुगल विजेताओंका सूर्य अस्त होकर उगकी जगह मराठा भाग्य सूर्य उदय होनेवाला है। वे प्रायः समस्त भारतमें, तजौरमें बंगाल और दिल्लीतक हर सूबेदार व राजासे चीज वसूल करते थे। मुगल सूबेदार जो अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर चुके थे, मराठोंसे बहुत डरते थे।

मुगल राज्यके पतनके समय अंग्रेजी व फ्रांसीसी कम्पनियोंकी स्थिति एक-सी ही थी। बंगालमें फ्रांसीसियोंके पास बम्बैनगर था और अंग्रेजोंके पास बलरुत्ता। कर्नाटकमें फ्रांसीसियोंके पास पाटनेरी था और अंग्रेजोंके पास मद्रास। पश्चिमी घाटपर अंग्रेजोंका व्यापारिक केन्द्र बम्बई था और फ्रांसीसियोंका माही। अंग्रेजोंकी शक्ति व वैभवा आरम्भ हुआ दक्षिणमें, और वह अपनी पूर्णवस्थाकी पहुँचा बंगालमें। दक्षिणमें उस समय वही दृश्य उपस्थित हो गया था जो बहुत्सा दिरङ्गमें देखनेको मिलता था अर्थात् आपसी क्षमते और स्तम्भसायी।

सन १७१७ में मध्य भारतके दक्षिणी भागका एक बड़ा इलाका दिल्ली सम्राट्ने एक मन्त्रीके मातहत, जो 'निजामुल मुल्क' कहलाता था, कर दिया था। दिल्ली दरबारकी दुर्बलताका लाभ उठाकर निजामने प्रायः समस्त दक्षिणी भारत अपने कब्जेमें कर लिया, और सूबेदारकी जगह स्वतन्त्र शासक बन बैठा। कर्नाटकका नया उगकी मातहत था। इस निजामने प्रायः २१ वर्ष राज्य किया और उसका शासन पुराने मराठ मगलोंकी तरह अत्यन्त सघटित था। उगकी मृत्यु (१७४८) के पश्चात् दक्षिणमें अराजकता फैल गयी। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी अलग अलग राजाओंका पक्ष लेकर क्षमतेमें अभिलिप्त हो गये। असलमें इन विदेशियोंमें अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए क्षमतेकी आग और भड़का दी। यूरोपमें ब्रिटेन फ्रांस युद्धके कारण भारतमें भी दोनों जातियाँ, एक दूसरेको निकालकर अपना प्रभुत्व जमानेके लिए, लड़ने लगीं। कुछ समय बाद यूरोपमें शान्ति हो गयी, तब अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियोंमें भारतमें भी गन्ध हो गयी और उन्होंने एक दूसरेके जीते हुए स्थान घापण कर दिये।

इतिहासकार राबर्ट वॉर्मके अनुसार अंग्रेज भन्तीभाँति जानते थे कि भारत राजनीतिक हलचल और अरक्षित दशांमें पड़ा हुआ है। वे अपनी शक्ति, वृद्धनीति और तिकड़मका

बल समझते थे। इसलिए वे स्थानीय चुंगीके नियमों आदिकी परवाह न करते और मनमाने ढंगसे व्यापारिक व्यवहार करते थे। किसी राजा या नवाबकी परवाह न करते थे।

सन् १७५६में १९ वर्षीय युवक सिराजुद्दौला अपने नाना अलीवर्दीखानकी मृत्युके पश्चात् बंगालकी गद्दीपर बैठा। मुगल साम्राज्यके पतनके कालमें बंगालका सूबेदार, बंगाल, बिहार और उड़ीसाका स्वतन्त्र शासक बन बैठा था। “बंगालका सूबा उन दिनों संसारके सबसे अधिक उपजाऊ सूबोंमें समझा जाता था। इसकी भूमि मित्रसे भी अधिक उपजाऊ मानी जाती थी।”<sup>१</sup>

सिराजुद्दौलाने बंगालमें अंग्रेजी इलाकोंपर हमला बोलनेका विचार किया। वह मुख्यतया तीन कारणोंसे हमलेके लिए प्रेरित हुआ। (१) देशके निर्धारित नियमोंके विरुद्ध अंग्रेजोंने नवाबके इलाकेमें बड़ी मजबूत किलेबन्दी की है; (२) उन्होंने दस्तकके अधिकारका दुसपयोग किया है—उन्होंने ऐसे लोगोंको दस्तक देना शुरू कर दिया जो उसके हकदार नहीं हैं। इसके फलस्वरूप नवाबकी चुंगीकी आयमें काफी घाटा हो गया। (३) अंग्रेज ऐसे लोगोंको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करते हैं जो नवाबके नौकर थे और जो कुछ अभियोगोंके लिए अदालतके सामने पेश किये जानेवाले थे। कम्पनीने उनको वापस करनेसे इनकार कर दिया।

इन कारणोंसे सिराजुद्दौलाने अंग्रेजोंको निकाल देनेका बीड़ा उठाया, और जून १७५६में अंग्रेजी किलेपर हमला बोल दिया। अंग्रेजोंने बिना किसी मुकाबलेके आत्मसमर्पण कर दिया। कलकत्ता उनके हाथोंसे निकल गया और अंग्रेजी व्यापार प्रायः नष्ट हो जानेकी स्थितिपर पहुँच गया।

अब बंगालके इतिहासमें धोखा, जालसाजी, दमन और देशद्रोहका अध्याय आरम्भ हुआ; इन्हीं चार “साधनों” को सहायतासे भारतमें अंग्रेजी राज्यकी नींव पड़नेवाली थी। सिराजुद्दौला द्वारा पराजित होनेके पश्चात् अंग्रेजोंने फुल्टा नामक स्थानमें जाकर शरण ली। उन्होंने सिराजुद्दौलासे प्रार्थना की कि उन्हें उस स्थानमें कुछ दिनोंतक रहने दिया जाय और वादा किया कि जब समुद्री यात्राके लिए मौसम ठीक हो जायगा तो वे तुरन्त मद्रास चले जायेंगे। इस वहाने उन्होंने गड़बड़ी करनेके लिए समय हासिल कर लिया। उन्होंने मद्रासमें कम्पनीके उच्च अधिकारियोंके पास अपनी पराजय और वर्तमान स्थितिकी सूचना भेज दी। मद्रासके अधिकारियोंने १०० यूरोपीय और १५०० भारतीय सिपाहियोंकी फौज रावर्ट क्लाइव और वाटसनके नेतृत्वमें बंगाल भेज दी। यह छोटी-सी फौजी टुकड़ी सिराजुद्दौलाकी ५०,००० मजबूत सिपाहियोंकी सेनाके सामने कुछ भी नहीं थी। इस समय फ्रांस और दक्षिणमें पुनः युद्ध शुरू हो गया था और भारतमें भी हमकी प्रतिक्रिया होनेकी आशंका थी। परन्तु कुछ भी हो भारतमें अंग्रेजी व्यापार और प्रतिष्ठा फिरसे कायम करना लाजमी था और यह काम बिना धूर्ततापूर्ण तरीकोंके सम्भव नहीं था।

सिराजुद्दौलाने एक हिन्दू राजा मानिकचन्द्रको कलकत्तेका कब्जा दे दिया था। मालूम होता है कि सिराजुद्दौला जिम्मेदारीके लिए हिन्दुओंपर अधिक विश्वास रखता था। जब पुर्नियाके नवाब शौकतजंगने उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो सिराजुद्दौलाने नवाबी पदके लिए एक हिन्दू युगलकिशोरको नियुक्त किया।

क्लाइव अपनी पौजके साथ २२ दिसम्बर, १७५६ को हुगली नदीके दहानेपर आ पहुँचा और उसने शीघ्र ही नवाबकी एक विशाल सेनाको हरार कलकत्ता फिरसे जीत लिया। रेवेरेन्ड लागकी पुस्तक, "सिलेक्शन फ्रॉम दि गवर्नमेंट रेकार्ड्स" के अनुसार अंग्रेजोंने मानिकचन्दको परीद लिया था। कुछ वर्षों बाद जब कम्पनीने मानिकचन्दके पुत्रको एक अच्छी जगहपर नियुक्त किया तो सिफारिशमें यह कहा गया कि मानिकचन्दने पिछले ३० वर्षोंमें कम्पनीकी बहुत सहायता की है।

सिराजुद्दौला सन्धिकी शर्तें तय करनेके लिए ४ फरवरी १७५७ को कुछ सरक्षक और एक छोटी सी पौजी टुकड़ीके साथ कलकत्ता पहुँचा। उसके साथ उसका सेनापति मीर जाफर भो था जो अपने दिलमें स्वयं नवाब बननेकी कामना छिपाये हुए था। कलकत्ता पहुँचने पर सिराजुद्दौलाको अपने कुछ मुख्य अफसरों, विशेषकर मीर जाफरमें, शत्रुभावके चिह्न दिखाई पड़े। उसे मीर जाफरका बर्ताव बहुत आश्चर्यजनक लगा। अंग्रेजी अधिकारियोंने नवाबके मुख्य अफसरोंकी साजिशसे उसकी पौजको अन्धानक रातमें घेरनेकी और नवाबको गिरफ्तार कर लेनेकी योजना बना ली थी। परन्तु नवाबको इन साजिशोंका कुछ भास हो गया और अपने एक विश्वासपात्र समर्थककी सलाह मानकर वह चुपकेसे शिविरसे निकल भागा। अंग्रेजोंको इस बातका पता न लगा, और जब योजनाके अनुसार रातमें हमला हुआ तो नवाबका कहीं पता न चला। एक बार फिर सिराजुद्दौलाने पौज एकत्र करके अंग्रेजोंसे मुकाबलेकी सोची, पर उसके मुख्य सलाहकारोंने जो कम्पनीसे रिश्त ले चुके थे, उसे अंग्रेजोंके साथ सन्धि करनेकी सलाह दी। जो सन्धि हुई उसकी दो शर्तें इस प्रकार थीं—(१) अंग्रेजी कम्पनीका सम्पूर्ण माल बिना किसी प्रकारकी चुगी या अन्य करके मुक्त रूपसे बंगाल, बिहार व उड़ीसामें कहीं भी भेजा जा सकेगा। (२) कम्पनीको विला किसी रोक-टोकके अपनी रक्षाके लिए कलकत्तेकी किलेबन्दी करनेका अधिकार होगा।

नवाबको यह शर्तें भी स्वीकार करनी पड़ी कि उसके मुर्शिदाबाद-स्थित दरबारमें कम्पनीका रेजीडेंट रहा करेगा। वाट्स इस पदपर नियुक्त कर दिया गया। वाट्सका असल काम दरबारके आकाशी तथा असन्तुष्ट व्यक्तियोंको स्वयं उनके तथा कम्पनीके हितके लिए फोड़ना था।

अब क्लाइवपर सन्धिकी शर्तें न पूरी करनेका अभियोग लगाया गया। वाट्सने शिकायत की कि नवाब शर्तोंका पालन नहीं कर रहा है। परन्तु स्वयं क्लाइवने स्वीकार किया है कि "सिराजुद्दौलाने सन्धिकी प्रायः सभी शर्तें पूरी कीं।" असलमें अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसी उपनिवेश उनके हवाले कर दे। सिराजुद्दौलाने उत्तर दिया कि "यह काम मेरी प्रतिष्ठाके विरुद्ध है। मैं ऐसा न करूँगा।" इस उत्तरमें अंग्रेज क्रुद्ध हो गये।

इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण सिराजुद्दौला मुसीबतमें फँस गया। उसे खबर मिली कि दिल्ली-सम्राट, बंगाल, बिहार व उड़ीसामें अपने प्रभुत्वमें लानेके लिए बंगालकी ओर बढ़ रहा है। भयभीत नवाबने कम्पनीसे सहायता माँगी। कम्पनीने सहायता देनेका तुरन्त वादा कर लिया—वादा पूरा करनेके लिए नहीं किया गया था। बंगालके नवाबपर काबू पा लेनेके बाद अंग्रेजोंकी बस एक परेशानी बाकी रह गयी—वह थी फ्रांसीसी प्रतिद्वन्द्वियोंको निकाल भगानेकी। क्लाइव और वाट्सन अब इसी दिशामें काम कर

रहे थे। वाट्सके सहकारी स्कैपटनके लेखानुसार, वाट्सने, मुर्शिदाबाद दरवारके अफसरोंको रिश्तत देकर एक जाली चिट्ठी तैयार की। उस चिट्ठीमें नवाबकी ओरसे लिखा गया कि अंग्रेजोंको फ्रांसीसी उपनिवेश चन्द्रनगरके विषयमें कोई भी काररवाई करनेकी पूरी आजादी है।<sup>१</sup> सिराजुद्दौलाको शाही हमलेके विरुद्ध सहायता देनेके वहाने अंग्रेजोंने चन्द्रनगर पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। चन्द्रनगरमें कुछ नवाबी फौज भी थी, जिसकी कमान नन्दकुमारके हाथमें थी। स्कैपटनका कहना है कि नन्दकुमारको भी रिश्तत दी गयी थी और इसीलिए उसने अपनी फौज चन्द्रनगरसे हटा ली थी।

अंग्रेजोंने चन्द्रनगर तो ले लिया, पर उन्हें सिराजुद्दौला घुरी तरह खटक रहा था; वे समझते थे कि सिराजुद्दौला अब भी उनके रास्तेमें बाधक होता है। वाट्सने सिराजुद्दौलाको हटानेकी तरकीब निकाल ली। उसने मीर जाफर ( जो अंग्रेजोंसे मिला हुआ था ) और एक पूँजीपति अमीचन्दका अपनी तरकीबको सफल बनानेके लिए प्रयोग किया। एक दिन वाट्स अचानक मुर्शिदाबाद दरवारसे गायब हो गया। इस अनोखी घटनाके सिराजुद्दौलाके दिलमें सन्देह पैदा कर दिया। उसने अपनी फौजको तैयारीका हुक्म दे दिया, और स्वयं मीर जाफरके पास जाकर बफादारी और प्रीतिभावके लिए प्रार्थना की। मीर जाफरने कुरान हाथमें लेकर कसम खायी कि मैं सदैव नवाबके प्रति बफादार रहूँगा। उसने इसी प्रकारकी कसम कलाइवके प्रति खायी थी। सिराजुद्दौलाको अब मीर जाफरपर सन्देह न रह गया और उसने उसे उस फौजकी कमान सौंप दी जो अंग्रेजोंमें लड़नेके लिए तैयार की गयी थी। अंग्रेजी फौज चन्द्रनगरसे १३ जून १७५७ को रवाना हुई। लड़ाई शुरू हो गयी परन्तु ज्यों ही नवाबकी फौजें निर्णयात्मक हमला करने जा रही थीं, मीर जाफरने उन्हें लौट पड़नेका आदेश दे दिया। सिराजुद्दौला अब सब राज जान गया और अपनी जान बचाकर भाग गया।

२५ जून १७५७ को मीर जाफरने मुर्शिदाबादके शाही महलका कब्जा प्राप्त कर लिया। परन्तु कलाइव नगरसे ६ मीलकी दूरीपर ही टहरा रहा। वह नगरमें प्रवेश करते हुए डर रहा था। इसकी वजह उसने बादको पार्लमेण्टरी कमेटीके सामने गवाही देते हुए बताया; “उस समय वहाँके निवासी दर्शकोंकी संख्या कई लाख थी; यदि वे चाहते तो टण्टों और पत्थरोंसे ही यूरोपीय लोगोंको खत्म कर सकते थे।”

जब लोग अपने-अपने काममें लग गये और वायुमण्डल शान्त हो गया तो कलाइवने २०० यूरोपीय और ३०० भारतीय सिपाहियोंके साथ नगरमें प्रवेश किया। उसी दिन संध्या समय वह मीर जाफरसे मिला। मीर जाफर लिहाजके भारे गद्दीपर न बैठा, और तभी बैठा जब कलाइवने स्वयं उसे बैठाया। तब कलाइवने नये नवाबको सलाम किया।

खजानेका रुपया गिना गया—१ करोड़ ५० लाख था। मीर जाफरने अपनी सन्धिमें १ करोड़ ७० लाख रुपये कम्पनीको देनेका वादा किया जिसका आधा गुरन्त दे दिया, और शेष आधा तीन वार्षिक किस्तों द्वारा। ६ जुलाई १७५७ तक कम्पनीके डायरेक्टरोंकी समितिको ७२,७१,६६६ नकद रुपये मिल गये। इस धनको ७०० बक्सोंमें बन्द कर नदी मार्ग द्वारा सिपाहियोंकी संरक्षतामें नदिया भेज दिया गया। इससे पहले कभी भी ब्रिटिश राष्ट्रको इतनी बड़ी रकम एक मुद्दत नहीं मिली थी।<sup>१</sup>

१. रिक्डोस्तान, पृ० ७०

२. ऑर्म्स हिस्टरी ऑफ इन्दोस्तान, भाग २, पृ० १८७-८८

सन्धित्री निम्नलिखित शर्तोंसे स्पष्ट है कि नया नवाब कम्पनीके हाथकी कटपुतली बन गया —

(१) सिराजुद्दौलाने जो शर्तें स्वीकार की थीं, मैं उन सबका पालन करूँगा ।

(२) अंग्रेजोंके दुश्मनोंको मैं अपना दुश्मन समझूँगा चाहे वे भारतीय हों या यूरोपीय ।

(३) 'राष्ट्रोंके स्वर्ग' बगालमें तथा बिहार और उड़ीसामें फ्रांसीसियोंका जो भी सामान और पैकटोरियाँ हैं वे अंग्रेजोंके कब्जेमें रहेंगी और इन सूबोंमें मैं फ्रांसीसियोंको कभी भी बसने न दूँगा ।

(४) कलकत्ताकी विजय और छटसे अंग्रेजों कम्पनीको जो भी हानि हुई और उसकी पौजपर जो चार्ज हुआ उनके हरजानेके रूपमें मैं एक करोड़ रुपया दूँगा ।

(५) बलकत्तेके अंग्रेज निगमियोंका जो सामान लूटा गया था उसकी क्षतिपूर्तिके लिए ५० लाख रुपया दूँगा ।

(६) बलकत्तेकी हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य प्रजाका जो सामान लूटा गया था उसकी क्षतिपूर्तिके लिए मैं २० लाख रुपया दूँगा ।

(७) इसी प्रकार अमेरिकियोंके सामानके लिए मैं ७ लाख रुपया दूँगा ।

इन रकमोंको वितरण करनेका पूरा अधिकार वाय्ज, बलाइव तथा कौंसिलके अन्य सदस्योंको होगा ।

(८) कलकत्तेकी सीमाके चोतरवाकी खाईमें स्थित जमींदारोंकी भूमि तथा खाईके बाहर ६०० गज भूमि मैं कम्पनीको दूँगा ।

(९) कलकत्तेके दक्षिणकी भूमि तथा बालपीतक सब भूमि कम्पनीकी जमींदारी हो जायगी, और उस इलाकेके सभी अपसर कम्पनीके मातहत होंगे । कम्पनी इन क्षेत्रोंमें जमींदारकी भौति मालगुजारी चसूल करेगी ।

(१०) जब कभी मुझे अंग्रेजी सहायताकी जरूरत होगी, मैं उसका खर्चा बरदास्त करूँगा ।

(११) ज्यों ही मैं तीनों सूबोंकी सरकारका कार्यभार सभाल दूँगा, उक्त वणित रकमें अदा कर दी जायँगी ।

सधिमैं दर्ज रकमोंके अलावा, मीर जापरने गद्दीपर बैठनेके बाद कम्पनीके मुख्य नौकरोंको लम्बी लम्बी भेंटें भी दीं । सन् १७७२ की सिलेक्ट कमेटीने ऐसी रकमोंका अनुमान १२ लाख ५० हजार पौण्ड लगाया था जिसमेंसे अकेले बलाइवको २ लाख ३४ हजार पौण्ड मिले थे । परन्तु ये ऐसी भेंटें थीं जिनका या तो "सबूत मिल गया या सेनेवालोंने मजूर कर लिया था ।" शायद इनके अलावा और भी रकमें प्राप्त की गयी होंगी । सन् १७५९ में कम्पनीने बलाइवको सन्धित्री ९ वीं शर्तमें वणित चौबीस परगनेकी आय प्राप्त करनेका अधिकार दे दिया । मीर जापरने ५ लाख ४० की एक और रकम उसको दी जिससे उसने अपंग सिपाहियोंके लिए एक कोष खोल दिया ।

बहा जाता है कि कुछ समय बाद सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीरजापरके पुत्रने, नवाबकी मंशाके विरुद्ध, उसे मौतके घाट उतार दिया ।

दक्षिणमें फ्रांसीसी फिरसे अंग्रेजोंके मुकाबलेमें तैयार हो गये । उन्होंने दिसम्बर १७५८ में मद्रासपर घेरा डाल दिया और उसे १६ फरवरी १७५९ तक जारी रखा । आंग्ल-फ्रांसीसी

कशमकश १७६० तक चलती रही, लेकिन अन्तमें फ्रांसीसी हार गये। उनका मुख्य इलाका पाण्डिचेरी उनसे अंग्रेजोंने छीन लिया। यद्यपि यूरोपके सप्तवर्षीय युद्धके बाद पाण्डिचेरी और चन्द्रनगरके इलाके फ्रांसीसियोंको लौटा दिये गये, परन्तु उनका प्रभाव भारतमें खत्म हो गया।

इसी तरह अन्य यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वी, डच लोगोंका भी प्रभाव कलाइवने खत्म कर दिया। हुगलीमें डच लोगोंकी एक फैक्टरी थी। कहा जाता है कि मीर जाफरके आमन्त्रणपर वे कई युद्धके जहाजों और सात आठ सौ यूरोपीय सैनिकोंके साथ हुगलीमें प्रकट हुए। अंग्रेजोंने एक भारी फौजसे उनका मुकाबला किया और उन्हें हरा दिया। डचोंका इस युद्धका पर-जाना देना पड़ा और उनकी फैक्टरी कायम रहने दी गयी। इस प्रकार अंग्रेजोंके प्रतिद्वन्द्वियोंकी कहानी समाप्त हुई और अंग्रेज भारतीय रंगमंचके निष्कण्ठक मालिक हो गये।

मीर जाफर जब गद्दीपर बैठा तब बंगालका सूबा कम्पनीके कर्मचारियोंकी दृष्ट और उनके करमुक्त व्यापारके कारण निर्धन हो चुका था। बेचारा मीर जाफर कलाइवके जालका निस्सहाय शिकार हुआ था। “यदि संघिकी शर्तें नवाबमें जबरदस्ती पूरी न करायी जातीं, तो संघमें दी हुई बड़ी बड़ी रकमें वसूल हो ही नहीं सकती थी। हजारों हीले हवालोंने यह साफ हो चुका था कि नवाबके पास यदि जरा भी शक्ति होती तो वह एक भी शर्त पूरी न करता।” मना मीर जाफरके काबूके बाहर हो रही थी क्योंकि उसके पास सेनाको वेतन देनेतकके लिए पैसा नहीं था। सरकारी व्ययके लिए रुपया एकत्र करनेके लिए उसे प्रजाका शोषण करना पड़ता था। सूबा अस्त-व्यस्त और अरक्षित दशामें था। नवाबके कुछ प्रमुख हाकिमोंको यह देखकर धोभ व दुःख होता था कि नवाब अंग्रेजोंकी कठपुतली बन गया है। ये लोग नवाबकी खोई हुई प्रतिष्ठा और शक्तिको पुनः प्राप्त करानेके लिए बहुत इच्छुक थे।

परन्तु तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे कलाइवको अपनी महत्ता और बढ़ानेका अवसर मिला। १७५८में मुगल शाहजादा अलीगौदरने जो दिल्ली दरबारमें बंगाल, विहार और उड़ीसा तीनों सूबोंका युवराज माना जाता था (हालाँकि व्यावहारिक रूपमें उगका इन सूबोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं था) विहारपर हमला कर दिया। यह हमला उमने नवाबको दबाकर उससे मालगुजारीका शाही हिस्सा वसूल करनेके अभिप्रायसे किया था।

मीर जाफर अपने पूर्वजोंकी भाँति इन सूबोंका स्वतन्त्र शासक था। वह हम हमलेमें भयभीत हो उठा। उसने कम्पनीसे भारतीय और अंग्रेजी सेनाकी सहायता माँगी। और कलाइवकी ओरसे उसे तुरन्त सहायताका आश्वासन मिल गया। बंगाल, विहार और उड़ीसासे मुगल युवराजको दूर रखनेमें स्वयं अंग्रेजोंकी भी भलाई थी। यदि मुगल प्रभुत्व हो जाता तो अंग्रेज इतने बड़े भूखण्डके मालिक बनकर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी कूटनीतिक चालें और सेना-संचालन आरंभ कर दिया। उन्होंने मुगल युवराजसे गुप्त लिखा-पढ़ी शुरू की जिसका मीर जाफरको पतातक न चला। कलाइवने युवराजसे वादा कर दिया कि भविष्यमें मालगुजारीका शाही हिस्सा उसे मिला करेगा। अंग्रेजोंके सैनिक प्रदर्शनसे अलीगौदर इतना प्रभावित और उनके व्यवहारसे इतना संतुष्ट हो गया कि वह हमलेका

१. हालवेलका १७६०का स्मृतिपत्र ( वंसाटर्क्स नैरेटिव भाव दि ट्रांजेक्शन्स इन बंगाल १७६०-६४ ) भाग १, पृ० ४६

इरादा छोड़कर अवध लौट गया। मुगल युवराजको जो इन सूबोंसे हाथ धो बैठा था, कलाइवका यह वादा अति सुविधाजनक प्रतीत हुआ। कलाइवकी इस नीति और चातुर्यने युवराजकी नजरोंमें अंग्रेजोंकी महत्ता, आवश्यकता और सैनिक शक्तिकी धाक जमा दी। ७ जनवरी १७५९ को कलाइवने विलियम पिटको जो पर लिया था उसके अनुसार मुगल युवराजने कलाइवसे कहा था कि वह बगाल, बिहार व उड़ीसाकी दीवानी कम्पनीको ही इस शर्तपर दे देगा कि कम्पनी मालगुजारीका एक निश्चित भाग सम्राटको देती रहेगी और बारी आय सूबोंमें ही रोक लेगी। कम्पनीको इन सूबोंपर अपना प्रभुत्व जमानेका यह अनोखा सुअवसर मिला। अब कम्पनीको बाजाबता वह सब काम करनेका मौका मिला जो उसके अप्सर वास्तवमें वहाँ पहलेसे ही कर रहे थे।

जब अंग्रेजोंने समझ लिया कि मीर जाफरको काफी निचोड़ा जा चुका है, अब वह उन्हें कुछ न देगा तब उन्होंने सोचा कि अब कोई नया नवाब गद्दीपर बैठाया जाय। उनकी नजर मीर जाफरके दामाद मीर कासिमपर पड़ी। उससे बातचीत की गयी और वह फौरन राजी हो गया। अंग्रेजों और मीर कासिममें एक गुप्त सन्धि हुई जिसके अनुसार प्रकटमें मीर जाफर ही नवाब रहे पर उसके सारे अधिकार मीर कासिमको दे दिये जायें। जब मीर जाफरसे कहा गया कि वह मीर कासिमको अपना नायब बनाकर सारी शक्ति उसे सौंप दे तो उसने इनकार कर दिया। परन्तु उसके अस्वीकार करनेसे होता ही क्या, अंग्रेज तो अन्तिम निर्णय कर ही चुके थे। एक रातको अंग्रेज मिपाहियोने मीर जाफरका महल घेर लिया। पहले तो मीर जाफरने सोचा कि उसे अंग्रेजोंका मुकाबला करना चाहिये, पर तुरन्त ही उसकी समझमें आ गया कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सामना कर सके। उसने आत्म समर्पण कर दिया और मीर कासिम नवाबी गद्दीपर आसीन हो गया। नये नवाबने दो लाख पाँड कम्पनीके प्रमुख अधिकारियोंको नगद दिये। यह धन कम्पनीकी कांसिलके आठ सदस्योंने आपसमें बाँट लिया। इसके अलावा उसने बगालके तीन जिले—बर्दवान, मिदनापुर और चिटगाँव कम्पनीको दे दिये।

परन्तु मीर कासिम और अंग्रेजोंकी मित्रता अधिक दिन नहीं चली। मीर जाफरके मुकाबलेमें मीर कासिम कहीं अधिक योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने शासनमें कुछ सुधार भी किया। परन्तु मीर कासिमको पूरा मौका ही नहीं दिया गया। शुरूसे ही कलकत्ता कांसिलके अधिकतम सदस्य उसे शत्रु और सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे। उन्हें मीर कासिमका योग्य शासन खटकने लगा क्योंकि अब उन्हें लूटने खसोटनेका मौका कम मिलता था।<sup>१</sup>

सूबेमें अराजता फैल रही थी। मीर कासिम अंग्रेज गवर्नर वंसीटार्टका ध्यान बहुधा इस परिस्थितिकी ओर आकृष्ट करता था। उसका कहना था कि “कासिम बाजारसे पटना, टाका व कलकत्तेके पूरे इलाकेमें अंग्रेज अप्सर और उनके गुमास्ते बहैसियत तहसीलदार, जमींदार और तालुकदारके काम करते हैं, कम्पनीका झंडा लगाते हैं, और उन्होंने मेरे अप्सरोंको विस्त्रुल शक्तिहीन कर दिया है। कोई पहले सोच भी नहीं सकता था कि कम्पनीके गुमास्ते नवाबी अप्सरोंको गिरफ्तारतक किया करेंगे।”<sup>२</sup>

वंसीटार्टको स्वयं भी इन उल्पातोंका शन था। वह अंग्रेज व्यापारियोंकी लूटपाट

१. रैमजे म्यूर, वही पुस्तक पृष्ठ १७-१८

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १८

और अत्याचारोंको रोकना चाहता था । पर कौंसिलमें उसे अपने विरुद्ध बहुमतका भय था । इसलिए वह लाचार था ।

स्वयं क्लाइवने, जब वह सन् १७६५ में दुबारा भारत आया, लिखा था—“ऐसी अव्यवस्था, अराजकता, गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, लूटखसोट और आचारभ्रष्टता बंगालके अलावा किसी देशमें देखी-सुनी न गयी होगी, और न ऐसे अनुचित और लूटखसोटके उपायोंमें इतनी सम्पत्ति और धन जमा किया गया होगा । बंगाल, बिहार और उड़ीसाके तीन सूत्रे, जिनसे ३० लाख पौंडकी आय है, मीर जाफरके कालसे कम्पनीके नौकरोंके प्रभुत्वमें हैं । इन नौकरोंने ( जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों ही हैं ) नवाबसे लेकर छोट जमीदारोंतक सभीसे, जबरदस्ती रुपया छंट्टा है । कम्पनीके नौकरोंके कारनाम इतने पतित हैं कि हर हिन्दू व मुसलमान उनके नामतकसे नफरत करता है ।”

मीर कासिम मीर जाफरसे भिन्न था । वह अंग्रेजोंके प्रत्येक अन्यायके सामने छुटनेकी तैयार न था । उसकी जिदपर कम्पनी अपने करहीन व्यापारमें कुछ नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो गयी । उसने यह भी शर्त मान ली कि कुछ वस्तुओंपर कम्पनी भी ९ प्रतिशत कर देगी जब कि भारतीय २५ प्रतिशत कर देते थे । परन्तु इस समझौतेके बाद भी अंग्रेज व्यापारी नियमविरुद्ध काम करते थे और नियत किया हुआ कर नहीं देते थे । अन्तमें हारकर मीर कासिमने व्यापारको सब प्रकारके कर और चुर्गोसे मुक्त कर दिया । इस आज्ञाके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजोंके समान करमुक्त व्यापार करने लगे । इस परिस्थितिके तीन परिणाम हुए—

(१) करमुक्तिके कारण भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजोंसे प्रतियोगिता करने लगे—पहले करके कारण वे अपना माल अंग्रेजोंके समान सस्ता नहीं बेच सकते थे । (२) अंग्रेजी व्यापारको इससे बहुत धक्का लगा क्योंकि उनका एकाधिकार समाप्त हो गया । (३) नवाबकी आमदनी बहुत घट गयी ।

इस न्याय और समताके कार्यने अंग्रेजोंको मीर कासिमका दुश्मन बना दिया और वे उसे भी गद्दीमें उतारनेकी साजिश करने लगे । नवाब उस समय बिहारमें था । अंग्रेजी सेनाओंने पटनापर हमला कर दिया । पहले हल्लेमें अंग्रेजोंकी करारी हार हुई और सैकड़ों सैनिक खेत रहे । वे हतोत्साह हो गये, पर भाग्यने उनकी मदद की ।

मीर कासिमकी सेनामें एक अंग्रेज सिपाही था जो अंग्रेजी सेनाका ही भागा हुआ अपराधी था । एक रात वह चुपचाप अंग्रेजी सेनासे आ मिला । उसने नवाबके गुप्त दरादों और सैनिक कार्यक्रमोंका सब हाल अंग्रेजोंको बता दिया । फौरन ही अंग्रेजी सेनाको तैयारीका हुकम दिया गया और रातमें ही उस दगावाज अंग्रेज सिपाहीके बताये हुए तरीकोंसे नवाबकी सेनापर हमला कर दिया गया । मीर कासिम बेखबर था, उसे ऐसी स्थितिमें घेर लिया गया कि वह कुछ भी न कर सकता था । वह छिपकर अवधकी ओर भाग गया । अंग्रेजोंने अब योग्य मीर कासिमके मुकाबलेमें दखू मीर जाफरकी कीमत पहचानी और उसे फिर नवाब बना दिया । एक बार फिर मीर जाफरको जो कुछ भी अंग्रेजोंने माँगा देना पड़ा । उसने भारतीयोंपर फिर २५ प्रतिशत व्यापार-कर लगा दिया और अंग्रेजी व्यापार विल्कुल करमुक्त कर दिया । अंग्रेजोंने नवाबसे ६७॥ लाख रुपया लड़ाईका हरजाना वसूल किया ।



उसे ५ लाखकी एक और रकम उस घाटेकी पूर्तिके रूपमें देनी पड़ी जो अंग्रेज व्यापारियोंको भारतीय व्यापारमें बर दटानेके पलस्वरूप हुआ था। कहा जाता है कि अंग्रेजोंने ५ लाख की जमाद ५३ लाख वसूल किये। जनवरी, १७६५ में मीर जाफरकी मृत्यु हो गयी। कहते हैं कि "अंग्रेजोंकी बेजा माँगों और वसूलीके बेजा दवावने उसकी भीतको गजदीक ला दिया।"

अठारहवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें उत्तर भारतमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी, उनका विवरण जाननेके लिए हमें पिछले इतिहासके पन्ने उलटने पड़ेंगे। मराठोंने अहमद शाह अब्दालीके आपसरोसे पंजाब छीन लिया था और अब उनका आधिपत्य समस्त उत्तरी भारतमें दिल्ली तक फैल गया था। जब इस घटनाका समाचार अब्दालीको मिला तो उसने भारतपर फिर एक बड़ी सेना लेकर हमला किया। इसी समय भारतीय इतिहासका एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। मराठोंने भारतकी बिखरी हुई शक्तियोंको (जिनमें हिन्दू और मुगलमान दोनों ही थे) शत्रुके विरुद्ध एकट्ठा किया। भारतीय शासकोंकी नसोंमें देशभक्तिका अपूर्व उत्साह दिलोर ले रहा था। पानीपतमें शत्रुसे दृढ़तापूर्वक लड़नेके लिए उन्होंने अपने आपको एक रूपमें सज्जित किया। परन्तु जो एका मराठोंने स्थापित किया था, उन्होंने स्वयं ही उसे तोड़ दिया। दिल्लीका सिंहासन उन समय चाली था—मुगल बादशाह अकबरमें अपनी रक्षाके लिए छिपा हुआ था। मराठोंके रग टगसे उनके अन्य साथियोंको संदेह हो गया कि वे दिल्लीका राज्य हड़पना चाहते हैं। इस संदेहवा परिणाम भयकर हुआ। मराठोंने कुछ भिन्न राजे दूसरोंको अकेला छोड़कर मैदानमें चले गये। बाकी लोग अपनी शक्तिभर अब्दालीका मुकाबला करते रहे; किन्तु वे हार गये। फिर भी अब्दालीकी विजय उसके पुराने हलाकोंक ही सीमित रही। १७६१ की इस पानीपतकी लड़ाई ने मराठोंका मुगलोंके उत्तराधिकारी बननेका स्वप्न छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ समयतक तो ऐसा लगा कि उत्तरी भारतमें मराठोंके पैर उगड़ गये, पर केवल थोड़े समयके लिए। दक्षिणमें वे अब भी बड़ी शैनिक शक्ति थे और अंग्रेज उनसे डरते थे। १८ वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें भारतीय राजनीतिक समानपर तीन बड़ी शक्तियाँ थीं—मराठे, हैदरअली (बादमें उमका नेता टीपू सुल्तान) और अंग्रेज। अंग्रेजोंके पास अपने प्रतियोगियोंको बमजोर करनेका एक ही तरीका था—भारतीय नरेशोंको एक दूसरेके विरुद्ध लडाकर स्वयं लाभ उठाना।

उपर मीर फागिमने अवधके नवाब गुजाउद्दौलाको सलाह दी कि यह दिल्ली सम्राटके नामसे बंगालके हलाकोंपर हमला करके उन्हें जीत ले। मराठोंने भी इस योजनाको पसन्द किया और गुजाउद्दौलाको मदद करनेका वचन दिया। गुजाउद्दौला मुगल सम्राट, मीर फासिम, और मराठोंको साथ लेकरबंगालकी ओर बढ़ा। सम्मिलित सेनाकी संख्या ५०,००० थी और उसके पास पानी मजबूत तोपोंकी एक बड़ी संख्या थी। अंग्रेजोंको अबतक जितनी सेनाओंका सामना करना पड़ा उन सबसे यह अधिक मजबूत थी।<sup>१</sup> अंग्रेजी सेनामें केवल १२०० यूरोपीय और ८००० भारतीय सिपाही थे। उन्ही समय अंग्रेजी सेनाके भारतीय सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजी सेनापतको एक बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा। परन्तु उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक उसका दमन किया। पूरी अंग्रेजी सेना

१. सर विक्रियम हन्टर, ऐतिहासिकल अनाइन्ट भाव घंटाक, भाग ९, पृ० १९३।

२. मिटिल स्कूल इन इण्डिया, पृ० ३९

शुजाउद्दौलाकी सम्मिलित सेनाके मुकाबलेमें कुछ भी नहीं थी और वह अंग्रेजोंको आसानीसे हरा सकती थी। परन्तु अंग्रेजोंके पाँचवे कालम्बे अवधकी सेनामें फूट डाल दी। प्लासीवाली चालाकियाँ यहाँ भी चली गयीं। उनका स्वाभाविक परिणाम अंग्रेजोंकी विजय हुई। मुगल सम्राट आतंकित हो गया। उसे सलाह दी गयी कि यदि वह अपना सिंहासन कायम रखना चाहता है तो अंग्रेजोंकी शरणमें आ जाय। भयभीत बादशाहने ऐसा ही किया। बक्सरकी यह लड़ाई अंग्रेजोंने १७६४ में जीती। शुजाउद्दौला और अंग्रेजोंकी संधि हो गयी जिसके अनुसार नवाबने अंग्रेजोंको ५० लाख रुपये युद्धके हरजानेमें दिये और इसके साथ ही गाजीपुर तथा उसके आस-पासका इलाका भी दे दिया।

बक्सर-युद्धके पश्चात् अंग्रेजों और बादशाहमें भी एक सन्धि हुई जिसके अनुसार सम्राट् शाहआलम द्वितीयने बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी कम्पनीको प्रदान कर दी और कम्पनीने सम्राट्को २६ लाख रुपयेकी वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। एक दूसरे ज़ाही आदेश द्वारा सम्राट्ने वर्दवान तथा अन्य जिलोंपर कम्पनीका कब्जा मान लिया, और उन सभी जागीरोंके निमित्त जो कम्पनीने कर्नाटकके नवाबसे प्राप्त की थीं, ज़ाही स्वीकृति प्रदान कर दी। सम्राट्ने कम्पनीको उत्तरी सरकारके जिले भी दे दिये। परन्तु आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि ये सब शर्तें ऐसे व्यक्तिके साथ की गयी थी जिसका दिल्ली सिंहासनसे कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रह गया था। दिल्लीके बाहर वह नागमात्रका सम्राट् था।

औरंगज़ेबकी मृत्यु (१७०७) के बाद १८०६ तक केवल दो ही सम्राट् ऐसे हुए जिन्होंने ६ वर्षसे अधिक राज्य किया। एक था मोहम्मदशाह (१७१९-१७४८) और दूसरा था शाहआलम (१७५९-१८०६)। शाहआलम असलमें बराबर उन शक्तियोंका कैदी या पेंशन-भोगी रहा जो तख्त और ताकतके परस्पर-विरोधी दावेदार थे। वे लोग शाह-आलमका नाम अपने-अपने स्वार्थोंके लिए इस्तेमाल करते थे।

भारतीयोंपर कम्पनीकी प्राथमिक विजयका एकमात्र उद्देश्य धन-प्राप्ति था, साम्राज्य-वित्तर नहीं। साम्राज्य-वित्तरको क्लाइवने व्यापारके लिए हानिकारक बतलाया था। १७६५ में उसने कहा था—“अगर हम लोग साम्राज्यके चक्रमें पड़ जायेंगे तो हमें एकके बाद दूसरा इलाका जीतना पड़ेगा। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा क्योंकि तब पूरा साम्राज्य हमारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़ा हो जायगा और हमारा कोई भी मित्र न रह जायगा। इसलिए, अति आवश्यकता पड़नेके अतिरिक्त, हमें कभी भी उन इलाकोंसे अधिक अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहिये जो कासिमअली खाँसे हमें प्राप्त हुए हैं।”

उपर्युक्त कथनसे यह बात आसानीसे समझमें आजाती है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसापर कम्पनीका एकच्छत्र आधिपत्य होनेपर भी क्लाइवने नवाबीका ढोंग कायम रखा। दीर्घकाल तक क्लाइवके उत्तराधिकारियोंने उसकी नीतिका पालन किया। उन्होंने बड़े बड़े राज्योंपर कब्जा प्राप्त किया, पर कठपुतली नवाबों या राजाओंको कायम रखा। ऐसा मालूम होता है कि उन नवाबों और राजाओंके प्रति जनताकी निष्ठा जल्द रही होगी। उसी नीतिके अनुसार क्लाइवने मरते हुए शाहआलमके भीतर कृत्रिम साँस डालकर उसे सम्राट्के रूपमें जीवित रखा और उसकी आड़में वह कम्पनीका प्रभुत्व बढ़ाता रहा। मुगल सम्राट्का नाम

अब चाणू मिकषीकी भौति इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि उसके स्थानपर कोई अन्य व्यक्ति गद्दीपर न बैठा था। उसके नामसे बिना किसी रोकटोकके कम्पनी मालगुजारी वसूल कर सकती थी। यह एक बड़ी भारी मनोवैज्ञानिक चाल थी क्योंकि बादशाहके नामपर लोग कर या मालगुजारी देनेमें आनापानी नहीं करते थे। कम्पनीके निजी स्वार्थके लिए यह जरूरी था कि वह बादशाहको २६ लाख रुपये मालानाकी पंशन देनी पड़े, और इसीलिए उसने अवधके नवाबसे बादशाहको इलाहाबाद और कौटाके सूबे दिलवा दिये जिसे उसकी शाही शान बनी रहे।

कुछ वर्षोंतक कम्पनीने बंगालमें भी नवाबी प्रथा स्थापन रखी, हर नये नवाबसे वह लम्बी लम्बी रकमें वसूल करती रही। पर जब अंग्रेजोंने समझ लिया कि अब उनकी स्थिति मजबूत हो गयी है तो उन्होंने नवाबकी पंशन देकर हटा दिया। हेस्टिंग्सके जमानेमें कम्पनीने बंगाल, बिहार और उड़ीसाके शासनकी यागदंड रख बजावता समाप्त कर ली। इसी बीच शाहआलम अपना मिहामन और प्रतिष्ठा फिरसे प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ था। जब उसने देखा कि उसकी मनोकामनाकी गिद्धिमें अंग्रेज कोई मदद नहीं दे रहे हैं तो उसने मराठोंकी सहायतासे गद्दी प्राप्त कर ली। पानीपतकी पराजयके दस वर्ष बाद मराठाना प्रभाव उत्तरमें फिर बढ़ रहा था। अंग्रेज अपनी मजबूती समझकर पहले ही शाहआलमकी पंशन बन्द कर चुके थे।

कम्पनीके शासनने बंगालके धनधा-यपूर्ण सूबेकी बरपाद और बंगाल बना दिया। एवं बलाहवने यह बात अपने एक पत्रमें जो उसने ३० सितम्बर १७६५ को कम्पनीके हाइकेक्टरोके नाम लिखा था स्वीकार की है—“निर्दयता और अत्याचारोंका जो गिला-सिला कम्पनीके कर्मचारियों व उनकी आइमें यूरोपीय एजेंटों व भारतीय उप एजेंटोंने शुरू किया है, वह इस देशमें अंग्रेजोंके नामपर स्थायी कलक रहेगा।”

बंगालकी दीवानी जो नवाबीके अन्तिम वर्ष १७६४-६५ में ८ लाख १८ हजार पौण्ड थी, अंग्रेजों शासनके प्रथम वर्ष १७६५-६६ में ही १४ लाख ७० हजार हो गयी। इस रकममें वह धन शामिल नहीं है जो कम्पनीके अफसरोंने अपने व्यक्तिगत लाभके लिए वसूल किया। सन् १७८७ में विलियम पुल्टर्नने ( जो ब्रिटिश पार्लियमेंटके एक सदस्य थे ) बंगालकी दशाका वर्णन करते हुए लिखा था—“पहले जमानेमें बंगालके प्रदेश पूर्वी राष्ट्रोंके अन्नके भण्डार और व्यापारके केन्द्र माने जाते थे। हमारे शासनके कुप्रबन्धसे २० वर्षोंमें ही उनके बहुतेसे भाग उजाड़ दिए जा चुके हैं। मत्त अब जोते बोये नहीं जाते; बड़े बड़े भूयन्त्रोंपर अब जंगली झाड़ियाँ गन्दी हुई हैं; किसान लुटा जाता है, कारीगर सताये जाते हैं, अकालका आगमन बार बार होता है; जनसंख्या घटती जा रही है।”

वारेन हेस्टिंग्सके शासनकालमें राजाओंसे रूपया वसूल करनेके निर्दय तरीके अपनाने लगे। आमतौरपर हेस्टिंग्सकी नीति यह थी कि वह एक राजाको दूसरेसे लड़ाया करता था और हममें रूपया बना लेता था, साथ ही विजयी राजाको अपने इलाकेमें ब्रिटिश सेना रखनेको बाध्य करता था। बनारसके राजा जेतसिंह भी हेस्टिंग्सके शिकार हुए और उसकी एकके बाद दूसरे इच्छा पूरी करते गये, पर अन्तमें हेस्टिंग्स उनसे नाराज भी हो गया क्योंकि उन्होंने पाँच लाख रुपये देनेकी माँग नामजूर कर दी थी। इसपर हेस्टिंग्सने सुभानेके तौरपर पाँच लाखकी माँग बढ़ाकर ५० लाखकी कर दी और यह रकम वसूल करने

के लिए बनारसपर हमला बोल दिया। वहाँ हेस्टिंग्सको अकस्मात् चेतसिंहकी प्रजाका भी सामना करना पड़ गया जो सुशासनके कारण चेतसिंहकी भक्त हो गयी थी। प्रजाने अंग्रेज अफसरों व उनके हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको बेकाबू कर दिया और मार डाला। इसपर हेस्टिंग्सने बहुत बड़ी सेना भेजकर जनताके विद्रोहका दमन किया।

अवधकी वेगमोसे रुपया एंटनेके हेस्टिंग्सके तरीके और भी नियंत्रित थे। मुद्द वेगमके लड़के व नातीको गवर्नर-जनरलने गुप्त धनगंमे १२ लाख पौंड हेस्टिंग्सके लिए देनेको वाध्य किया। अवधका नवाब रुहेल्लोंसे लड़नेमें आना-कानी कर रहा था पर हेस्टिंग्सने उसे पट्टी पढ़ाकर लड़ाया। अंग्रेजी भेदियोंके कारण रुहेल्ले हार गये और अवधका नवाब जीत गया। रुहेल्लोंका इलाका अवधकी नवाबीमें शामिल हो गया पर अमली जीत अंग्रेजोंकी रही, कम्पनीको ४० लाख रुपया इनाम और २ लाख १० हजार लड़ाईके खर्चके तौरपर मिला। एक अंग्रेजी फौज नवाबके खर्चपर अवधमें रहने लगी। इसके कारण नवाब कम्पनीकी कठपुतली बन गया। पर तो भी कलाइवकी नीतिका अनुमरण करते हुए हेस्टिंग्सने रुहेल्लखण्डको कम्पनीके कब्जेमें न लेकर नवाबके अधीन ही रहने दिया।

बंगालमें हेस्टिंग्सका शासन उसके अत्याचारोंके लिए मशहूर है। कम्पनीके कर्मचारी विलियम बोल्ट्सने लिखा है—“देशके असंख्य गरीब कारीगर और बुनकर वगैरह कम्पनीके गुलामोंकी तरह उसकी हजारेदारीमें हैं जिनपर ऐसी-ऐसी मुसौबतें और अत्याचार किये जाते हैं, जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। उनपर जुमाने होते हैं, उन्हें बंधे लगते हैं, उन्हें कैदमें सड़ाया जाता है, उनसे जबरदस्ती पैसे लिखाये जाते हैं” इन अत्याचारोंके कारण देशमें बुनकरोंकी संख्या बहुत घट गयी है”।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राजनीतिक प्रभाव अब कलकत्तेसे दिल्लीतक फैला हुआ था और ताजुबकी बात तो यह है कि इस प्रभावको जनता या राजे महसूस भी नहीं करते थे। पर तब दक्षिण काफ़ी मजबूत था—शायद उतना ही मजबूत जितना शुक्रके मुगल बादशाहोंके जमानेमें उत्तर मजबूत था। मैसूरका राजा हैदरअली बड़ा शक्तिशाली था और एक बड़े इलाकेपर मरहटोंका राज्य था। वहाँ प्रभुत्व जगाना अंग्रेजोंके लिए आसान न था। अंग्रेजोंको डर था कि अगर कहीं ये दोनों निजामसे मिल गये तो हमारे हरादे मिश्रीमें मिल जायेंगे। वस, उन्होंने इनमें फूट डालनेका फैसला कर लिया। उन्होंने निजामसे सन्धि की और कुल मरहटे सरदारोंसे मिलकर हैदरअलीके खिलाफ लड़ाईकी घोषणा कर दी। अंग्रेजोंकी पहली बार मात हुई। हैदरअली अधिक होशियार और साधनसम्पन्न था; उसने अंग्रेजोंके इन दोनों साथियोंको फोड़ लिया। अंग्रेज लौट गये और हैदरअलीकी मौतके बादतक यथास्थिति बनी रही।

हैदरअलीका पुत्र टीपू सुल्तान भी अपने बापकी तरह बहादुर और अंग्रेजोंका पक्का दुश्मन था। उसे हराये बिना अंग्रेजोंकी बन नहीं सकती थी। अंग्रेज उसे अगर सीधे नहीं हरा सकते थे तो ग्वासी और बक्सरकी चालवाजियोंसे ही बाज क्यों आते? उन्होंने निजामको मरहटोंके विरुद्ध संरक्षण दिया था और इसलिए वह उनके प्रभावमें था। उनके मातहत दोस्त था। मरहटोंको अंग्रेजोंने इस बादपर तोड़ लिया कि टीपूकी हारके बाद मैसूरका एक भाग उन्हें दे दिया जायगा। मैसूरके पुराने दोस्त अब अंग्रेजोंके साथ थे। रहा बचा काम भेदियों और गद्दारोंने पूरा कर दिया। “टीपूके यूरोपीय कर्मचारी अब अपना कौशल और ज्ञान उसे

ही नष्ट करनेके लिए प्रयोग करनेको कठिबद्ध थे—वही कौशल और ज्ञान जो वे अभीतक टीपूकी रक्षामें लगा रहे थे।<sup>१</sup> अंग्रेजों, निजाम और मरहठोंने मिलकर टीपूके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी—या जैसा कि कुछ इतिहासकारोंका कहना है टीपू द्वारा घोषित लड़ाईमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तीन सालतक लड़ाई चली। पहली बार तो गद्दारी और दुस्मनोंके मजबूत जमावके बावजूद टीपूने उन्हें करारी शिकस्त दी पर बादमें उसे हार माननी पड़ी। सधिके शर्तनामके अनुसार टीपूको अपना आधा राज विजेताओंको देना पड़ा और २६ लाख पाँड “लडाईका खर्च” भी उसपर लगाया गया जो विस्तोंमें अदा होना था। “सधिके अनुसार ही टीपूको रकमकी अदायगी और इलाकेके तराटलेकी गारंटीमें अपने दो बेटोंको अंग्रेजोंके पास शरीरबन्धकके रूपमें रख देना पड़ा।”<sup>२</sup> इस प्रकार सन् १७९२ में अंग्रेजोंके इलाकेमें २० हजार वर्गमील और जुट गये।

सात वर्ष बाद झूठे आरोप लगाकर टीपूपर फिर हमला किया गया। टीपूने जमकर मुकाबला किया पर इस बार वह कमजोर तो था ही, खुद उसके सेनापति पूर्णियाको अंग्रेजोंने इस घाटेपर खरीद लिया था कि टीपूके राज्यका कुछ हिस्सा उसे दे दिया जायगा और वह स्वतंत्र राजा बना दिया जायगा। उसके कुछ और यशदार नौकरोंको भी रुपये या बेहतर नौकरियोंके लालचने गद्दार बना दिया था। टीपू लडाईके मैदानमें मारा गया और उसके लडके कैद कर लिये गये। मैसूरका २६ हजार वर्गमीलका नया इलाका अंग्रेजी प्रभुत्वमें आ गया लेकिन झाइवकी नीतिका अनुसरण करते हुए हैदरअलीके पहलवाले राज-चक्रका एक पंचवर्षीय बालक गद्दीपर बैठा दिया गया। नया मैसूर राज्य पुरानेकी छायामात्र था, फिर भी उससे प्रजाकी धारणा बनती थी कि पुरानी व्यवस्था ही चल रही है और अंग्रेज देशके भीतरी शासनमें दिलचस्पी नहीं लेते।

१९ वीं सदीके पहले सालमें ही वेलेस्लीने बिना रक्तपात, तजोर, कर्नाटक, सूरत और अवध अंग्रेजी कब्जेमें ले लिये। तजोर और कर्नाटकके युवराज “अंग्रेजी संरक्षणमें राजा” थे। उनपर कम्पनीके दुस्मनोंसे सौंठगाँठ करनेका अभियोग लगाया गया और उनके प्रतिवादीके बावजूद उन्हें गद्दीसे हटाकर पेंशन दे दी गयी। अंग्रेजोंका सिंघास दक्षिणमें बुलन्द हो रहा था अतः वे इन प्रतिवादोंकी परवाह क्यों करते ?

सन् १७९८ में वजोर अली अवधका नवाब था। अंग्रेज उससे खुश नहीं थे, और सआदत अलीको गद्दी देना चाहते थे। सआदत अलीने अंग्रेजी फौज अवधमें रखनेके लिए कम्पनीको ७६ लाख रुपये सालाना देनेकी शर्त बकूल कर ली, और अंग्रेजोंने उसे गद्दीपर बैठाकर वजोर अलीको कैद कर लिया। पर बंगालके नवाबोंकी तरह सआदत अली भी बहुत दिनों तक अंग्रेजोंका कृपापात्र न रह सका। अंग्रेजोंने उससे अपनी भारतीय फौजमें भारी छुटनी करने और अंग्रेजी फौजको बटानेके लिए कहा, और जब उसने यह प्रस्ताव माननेमें अनाकानी की तो उसपर मुसीबत आ गयी। अंग्रेज उससे निचट गये। उसके सामने दो ही रास्ते थे—या तो गद्दी छोड़ दे या कम्पनीको खुश करे। उसे अवधका आधेमें अधिक हिस्सा ( करीब ३० हजार वर्गमील ) कम्पनी को देना पड़ा। इस इलाकेमें निचले दोआबका पूरा हिस्सा ( गंगा और यमुनाके बीचका क्षेत्र ), इलाहाबाद और गंगा व घाघराके किनारे

१. विलियम मेल्बोर्न जेम्स—पृष्ठ ८८

२. थार्नेटन हिस्ट्री भाव मिडिल इंडिया

वनारसकी सीमातकका सत्र भूखण्ड शामिल था। अंग्रेजोंने अवधके शासकोंसे जो वादे और संधियाँ की थीं उनके बिल्कुल विरुद्ध यह इलाका लिया गया था। इंग्लैण्डके भारतीय दफ्तरके राजनीतिक व गुप्त विभागके मन्त्री, सर जॉन के ने लिखा है—“ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रिटिश सरकारने वादे तोड़नेकी इजारेदारी ले ली थी। अगर अहदनामोंकी शर्तोंके भंग करनेके दण्डमें अंग्रेजोंकी जमीनें जप्त हो जातीं, तो ब्रह्मपुत्रसे सिन्धुतक ब्रिटिश सरकारके पास भूमिका एक टुकड़ा भी न बचता।”

उन्नीसवीं शताब्दीमें केवल मराठे ही अंग्रेजोंके ( भारतीय ) प्रतिद्वन्द्वी रह गये थे। मराठे मुगल साम्राज्यके उत्तराधिकारी होनेवाले थे, और १८ वीं शताब्दीमें तमाम भारतमें फैल गये थे। उनकी स्थिति १८१८ तक मजबूत रही, लेकिन फिर अंग्रेजोंने धीरे-धीरे उनकी शक्ति समाप्त कर दी। अपने समकालीन अन्य शासकोंसे भिन्न, मरहटे देशभक्ति और राष्ट्रीयताकी भावनासे ओतप्रोत थे। कुछ मराठे शासक अत्यन्त उदार और प्रजापालक थे। उन्होंने कृषिमें सुधार किये, सार्वजनिक कार्योंका निर्माण किया, और सिंचाईके साधनोंका प्रसार किया। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरूने कहा है, मरहटोंने उत्तरी और मध्य भारतके उन विशाल क्षेत्रोंमें, जिनमें वे फैले हुए थे, अपनी शक्तिको संगठित नहीं किया। वे आये और गये, पर उनकी शक्तिने जड़ें नहीं पकड़ी!...उन्होंने अपने व्यवहारसे वीर राजपूतोंको क्रुद्ध कर दिया, अतः इन्हें अपना मित्र और सहायक समझनेके बजाय मराठोंको इनका प्रतिद्वन्द्वी या अंसतुष्ट जागीरदारोंकी तरह मुकाबला करना पड़ा। मरहटोंमें आपसमें भी गहरी प्रतिद्वन्द्विता थी, और पेशवाके नेतृत्वमें एकताके वावजूद वे आपसमें झगड़ा करते थे। प्रायः महत्वपूर्ण अवसरोंपर वे एक दूसरेकी मदद न करते थे, और इसीलिए अलग-अलग हरा दिये जाते थे।”

पेशवा मरहटा राजाका प्रधान मंत्री होता था। परन्तु कालान्तरमें उस पारिवारिके लोग स्वयं राजा बन बैठे। स्वतन्त्र मरहटे शासकोंने पेशवाकी छत्र-छायामें एक राज्य-संघ कायम कर लिया। बड़ी-बड़ी रियासतोंके प्रमुख ये थे—ग्वालियरका सिंधिया, इन्दौरका होल्कर, बड़ौदाका गायकवाड़ और नागपुरका भोंसला। पेशवाका इन सरदारोंपर वैसा दबाव या आधिपत्य न था जैसा ब्रिटिश पार्लमेण्ट और कम्पनीके डाइरेक्टरोंका भारत स्थित अंग्रेजोंपर था। पेशवाका आधिपत्य और अधिकार उसके व्यक्तित्वपर निर्भर करता था। भारतीय राजनीतिमें व्यक्तित्वका सदा ही बड़ा महत्त्व रहा है; दुर्बल उत्तराधिकारी होनेसे बड़े-बड़े राजनीतिक उथल-पुथल हो जाते थे। मरहटा राज्योंको एक दुर्बल सूत्र आपसमें बाँधे हुए था; अपने तरीकोंसे अंग्रेजोंके लिए उस सूत्रको तोड़ना आसान था। मुगल साम्राज्यके उत्तराधिकारी बननेका मरहटा स्वप्न किस प्रकार व्यक्तित्वकी शिलापर टकराकर चूर हो गया, इसका एक उदाहरण महादार्जी सिंधियाके व्यक्तित्वसे मिलता है। एक मजबूत सेना लेकर वह सन् १७८४ में दिल्लीमें दाखिल हुआ, और दुर्बल सम्राट शाहआलमकी सारी शक्ति अपने हाथमें ले ली। उसने शाहआलमके हस्ताक्षरने पेशवाको मुगल साम्राज्यका डिप्टी नियुक्त करवा दिया और अपनेको पेशवाका डिप्टी नियुक्त करवाकर मुगल फौजकी कमान हासिल कर ली। अपने इस नये पदसे उसने छोटे-छोटे जाट और राजपूत राज्योंको भी जीतना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह उत्तर भारतमें साम्राज्य-विस्तार

में लगा हुआ था, उसे पूना जाना पड़ा और वहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद उत्तरमें मरहटोंका कोई नामलेवा तक न रह गया।

जब कि अंग्रेज उन दिनों बड़ी आसानीसे भारतीय शासकोंपर अपनी पूँज लाद रहे थे, मरहठे उस पूँजको लेनेसे इनकार करते रहे। अंग्रेज चाहते थे कि बिना मुझके मरहठे भी उनके प्रभुत्वमें आ जायें परन्तु मरहठोंके अंग्रेजी पूँज न रखनेके दृढ़ निश्चयने अंग्रेजी योजनाको बेकार कर दिया। अंग्रेज मरहठोंसे कई टकराएँ ले चुके थे और उनकी वीरता पर लज चुके थे। परन्तु भाग्यवश उन्हें जन्दी ही एक अवसर मिल गया, या योंही कहा जा सकता है कि उन्होंने मुद अपने लिए सुअवसर पैदा कर लिया। सन् १८०२ में जसवन्तराव होस्कर और पेशवा बाजीराव द्वितीय यह युद्धमें व्यस्त थे। पेशवाकी स्थिति कमजोर थी, अतः उसने अंग्रेजोंकी सहायक पूँज रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा और कम्पनीमें संधि हो गयी जिसकी शर्तोंके अनुसार पेशवाको कम्पनीकी सेना मिली, उसने कुछ इलाके अंग्रेजोंको दे दिये, और कम्पनीको उसकी बाह्यनीति निर्धारित करनेका भी अधिकार मिल गया। पेशवाके मुटने टेक देनेसे मरहठों संधिके जहाजमें छेद हो गया; उसे डुबानेका अंग्रेजोंका काम सरल हो गया।

सन् १८०३ में अंग्रेज फिर मुगल बादशाहको अपने प्रभावमें ले आये और १२ लाख सालानाकी पेंशन उसके लिए बाँध दी। उन्होंने अन्य शासकीय कामोंके साथ साथ मालगुजारी घटूल करनेका जिम्मा ले लिया। इसी मालगुजारीमेंसे वे बादशाहको पेंशन देते थे। पेशवाके दूट जानेके बाद अंग्रेजोंने अन्य मरहठों सरदारोंको भी, उन्हें आपसमें लड़ाकर, उनके शासन व पूँजोंके मुख्य व्यक्तियोंको भ्रष्ट करके, शाहआलमको सम्राटकी वास्तविक शक्ति और प्रतिभा प्रदान करनेका वादा करके ( जो कभी पूरा नहीं हुआ ), छोटे छोटे राजाओं व सरदारोंको अस्पष्ट आश्वस्तनके बूतेपर पीड़कर, और मरहठों दरबारोंमें फूट डालकर, या तो हरा दिया या अपने वशमें कर लिया। पेशवाके आत्ममर्णके बाद उसे आठ लाख रुपये सालानाकी पेंशन उसकी मालगुजारीसे ही बाँध दी गयी, जो १८१८ से १८५१ तक बराबर चलती रही। परन्तु जब पेशवा बाजीराव मर गया तो उसके बेटे नानासाहबमें कह दिया गया कि पेंशन अब बन्द कर दी जायगी। नानासाहबने पेंशन पानेके सामान शान्तिमय उपाय किये, परन्तु सफल न हुआ। अन्तमें वह अंग्रेजोंका भयानक शत्रु हो गया। वह १८५७ के गदरके प्रमुक्त सगठन कर्त्ताओंमें था।

भारतीय रियासतोंमें पञ्जाब और अवध सबसे आरिपरमें ब्रिटिश राज्यमें मिलाये गये। १८ वीं शदीके उत्तरार्धमें सिरा लोमोने पञ्जाबमें बहुत सी छोटी छोटी रियासतें बना ली थीं। ईरानी आक्रमणकारी, अहमदशाह आन्दालीने पटियालाके शासकों परहले अपने गातहत राजा स्वीकार किया, फिर पाँच वर्ष बाद उसे महाराजा मान लिया। सन् १७६४ के बरोच सिरा राजाओंने भी मरहठोंकी तरह संध बना लिया। सतलज नदीके दोनों ओर सिरा रियासतें थी। नदीके एक ओरकी रियासतोंने, मरहठोंकी पराजयके बाद, अंग्रेजोंकी सरक्षण स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओरकी रियासतोंपर महाराजा रणजीतसिंह हुकुमत करते थे। रणजीतसिंहकी मृत्युके पश्चात् अंग्रेजोंने एक एक करके पञ्जाबकी समस्त रियासतोंको जीतकर कम्पनीके राज्यमें मिला लिया। इन युद्धोंमें जीतके मुख्य साधक स्वामी देशद्रोही ही थे। सन् १८५६ में अन्ततक ही अवधमें कम्पनीकी पूँजें घुम पड़ीं। बेवस होकर नवाबको आत्म समर्पण करना पड़ा।

सन् १८१८ में मराठोंके दमनके बाद कम्पनी अपनेको देशकी प्रमुख राजनीतिक शक्ति मानने लगी। इसलिए उस वर्षसे उसने मुगल बादशाहको नजरें ( भक्ति सूचक भेंट ) देना बन्द कर दिया। सन् १८०६ में शाहआलमकी मृत्युके बाद कम्पनीने बादशाहके सीमित शासन अधिकारोंमें भी हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया था। बादशाहकी मृत्युके बाद नया उत्तराधिकारी भी कम्पनीका ही नामजद व्यक्ति होता था। परन्तु लगता है कि इस प्रकारके नाममात्रके बादशाहके प्रति भी जनताकी काफी भक्ति थी क्योंकि सन् १८३५ तक कम्पनी अपने सिधे बादशाहके नामसे ही चलाती रही। अंग्रेजोंकी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि बादशाहको गद्दीसे उतारनेके लिए उनका बस उँगली उठाना काफी था। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बादशाहके गद्दीसे हटाये जानेके परिणामस्वरूप उन्हें विद्रोहकी आशंका थी—वे इस खतरेके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने बहादुरशाहको गद्दीपर कायम रहने दिया। निदान सन् १८५७ के गदरके बाद बादशाहके पदकी पूर्ण रूपसे समाप्ति कर दी गयी।

भारतीय राज्योंमें स्थित अंग्रेज रेजीडेन्ट वहाँके लोगोंको भ्रष्ट करते थे। नेहरूने लिखा है—“इन रेजीडेण्टोंका दरबारोंमें खास काम रिश्वत देना और मन्त्रियों तथा अन्य अफसरोंको भ्रष्ट करना था। एक इतिहासकारका कथन है कि कम्पनीका जासूसी विभाग अत्यन्त कुशल तथा पूर्णरूपेण संघटित था। उसे प्रत्येक दरबारी प्रतिद्वन्द्वी या सरदारकी गतिविधि और राजाओंकी सेनाकी पूरी खबर रहती थी। परन्तु भारतीय शासक अंग्रेजी गतिविधिसे पूर्णतया अनभिज्ञ रहते थे। कम्पनीके भेदिये निरन्तर अपने काममें लगे रहते थे। संकट या घमासान युद्धके समय ये लोग अपने स्वामीको धोखा देकर अंग्रेजोंमें आ मिलते थे। यही कारण था कि अधिकतर लड़ाइयोंमें अंग्रेजोंकी विजय वास्तविक युद्ध आरम्भ होनेके पहले ही हो जाती थी। फार्सीके युद्धमें यही हुआ। सिख युद्धोंतक इस नीतिकी बार-बार पुनरावृत्ति हुई।”

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वेलेस्ली ( १७९८-१८०५ ) भारतमें साम्राज्यकी योजनाएँ पूरी करनेकी भावनासे प्रेरित होकर आया था। “शुरुमें ही उसका सिद्धान्त यह था कि अंग्रेज भारतमें सर्वोच्च शक्ति बन जायँ, और सब भारतीय नरेश अपना राजनीतिक स्वतन्त्रता अंग्रेजोंको सौंपकर नाममात्रके राजा रह जायँ।”

राज्योंकी आन्तरिक स्वतन्त्रता खण्डित हो चुकी थी, और उनकी दुर्बलतापर ही अंग्रेजोंका सर्वोच्च सत्ताकी नाँव पड़ रही थी। सहायक संधि प्रथाने, जहाँ देशी राजाओंको बाहरी खतरेसे और स्वयं उनकी प्रजाके सम्भावित विद्रोहसे सुरक्षित कर दिया था, वहाँ उनका कर्तव्यच्युत भी कर दिया—शासनकी दशा खराब होती जाती थी।

सहायक सन्धि प्रथाकी बुराइयों पर टिप्पणी करते हुए टागोर मनरोने लिखा है—“जहाँपर भी यह प्रथा लागू होती है वहाँकी सरकारोंको निकम्मा, कमजोर और अत्याचारी बना देती है, कुलीन वर्गोंकी स्वाभिमानकी भावनाको खत्म कर देती है और समस्त जनताको पतन और गरीबीकी ओर ले जाती है। भारतमें कुशासन या बुरी सरकारको खत्म करनेके दो ही तरीके रहे हैं—शाही घरानेमें क्रांति या जनताका सशस्त्र विद्रोह। परन्तु अंग्रेजी सेनाकी उपस्थितिके कारण इन दोनों तरीकोंमें से एक भी प्रयोगमें न लाया जा



सकता था। यह प्रथा राजाओंको चाहिए बना देती थी क्योंकि वे अपनी रक्षाके लिए अजनबी शक्तिपर भरोसा करने लगे थे, इस प्रथाने उन्हें निर्दयी और लालची बना दिया था क्योंकि अंग्रेजी पीजके बलपर वे अपने प्रति प्रजाकी पृणाकी परवाह न करते थे। जहाँ भी सहायक गंधि प्रथा चली, थोड़े ही दिनोंमें उजड़े गाँव और गिरगी हुई जनसख्या इस प्रथाके मधुतके तीरपर मिलने लगे।”

सन् १८१३ से १८५७ तकके दूगरे चरणमें कम्पनीके एजेन्टोंने साम्राज्य विस्तारकी बडी बडी योजनाएँ बनायीं। वे अपनेको केन्द्रीय भारतीय सरकारका उत्तराधिकारी मानने लगे। लार्ड हैस्टिंग्स ( १८१३-१८२३ ) के चले जानेके बाद अंग्रेजी रेजीडेन्टोंका देशी राज्योंमें प्रभाव ऐसी तेजीसे बढ़ा कि वे शासनाधिकारी या प्रबन्धकी हैसियतमें काम करने लगे और म्बय राजा लोग उनके घर हाजिरी देने लगे। ऐसे राजाओंको रियासतें बिलयनमें वच गयीं और ब्रिटिश शासनके अन्ततक कायम रही। सन् १८५७ के विद्रोहमें उनमेंसे बहुतोंने अंग्रेजोंकी धन जनसे मदद की।

हैस्टिंग्सके बाद प्रत्येक गवर्नर जनरल अधिनाधिक देशी रियासतोंको अंग्रेजी राज्यमें मिलाता रहा, परन्तु लार्ड डलहौजी ( १८४८-५६ ) ने इस स्तारको बहुत तेज कर दिया, जिसके फलस्वरूप अगन्तोपके बीज उगने लगे जो क्षीप्र विद्रोहके रूपमें प्रकट हुए। सतारा, नागपुर, नुर्गा, झाँसी और अवधके एकके बाद एक किसी न किसी बहाने मिलाये जानेके कारण जनता, राजाओं व सिपाहियोंमें प्रतिहिमाकी आग भडक उठी।

अंग्रेजोंने कई रियासतें तो उनके राजाओंकी मृत्युके पश्चात् गद्दीके उत्तराधिकारकी गड़बडीमें हृद्य लीं। इस गडबडमें अंग्रेज गद्दीके दावेदारोंमेंसे किसी एककी मदद करने लगते और उसके गफल होने पर उग महत्वाङ्गीमें परले ही तय की गयीं शतोंके अनुगार खुद राजनीतिक शक्ति हथिया लेते जिनसे नया राजा नष्टपुतली मान बनकर रह जाता।

भारतीय इतिहासमें कुछ कोई आश्चर्यजनक बात न थी, पर उनका परिणाम ऐसा आर्थिक सफट या नीतिक पठन कभी नहीं हुआ जैसा कि अंग्रेजी जीतने बाद हुआ। जनरल नेपियरके अन्दोंमें, जो सिन्धपर अंग्रेजी कब्जेके बाद १८४३ में वहाँका प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ “अंग्रेज भागमें आतंकवादी आक्रमणकारीनी हैसियतमें थे... उनसे बढकर जालिम और कमीनी शक्तिने मायद ही कभी भारत जैसे महाराष्ट्रपर शासन किया हो। भारत-विजय और हमारे सभी नृपतक कारनामोंका एकमात्र कारण था धन लिप्ता। कहा जाता है कि पिछले साठ वर्षोंमें अंग्रेजोंने भारतीयोंमें एक अरब पीण्ट रुपये चणल किये हैं। इस रकमका प्रत्येक मिलिम रूनीमें सना हुआ था जिसे पीछर हत्यारोने अपनी जेबमें रग लिया। पर कितना ही उमे धोओं या पीछो, उमका धना तो कभी न मिटेगा। वह धना हमेशा बना रहेगा और यदि स्वर्गमें ईश्वर है तो हमें उग रूनका जवाव देना होगा।”

कुछ इतिहासकारोंका मत है कि भारतमें ब्रिटिश राज पहला विदेशी शासन था क्योंकि इसके पहले इस देशका आर्थिक शोषण किसी दूसरे देशके लिए नहीं हुआ। यह भारतके लिए नया अनुभव था। “भारतने पहले कभी अपनी स्वाधीनता नहीं खोयी थी। वह कभी ऐसे वर्गके आगमनमें नहीं आया था जो हमेशा विदेशी बना रहा।” इसके पहलेके सभी आक्रमणकारी विदेशी होते हुए भी भारतमें ही बस गये थे, और इस देशको उन्होंने

अपना घर बना लिया था। इसलिए खेतीवारी व उद्योगकी उन्नति और प्रजाकी भलाईके अन्य कार्योंको वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे।

परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनीका एकमात्र ध्येय था पैसा कमाना; इस देशको जीत लेनेके बाद भी उसका यही उद्देश्य बना रहा। धन कमानेकी शुरुआत हुई भारतके मुन्दर व वारीक कपड़े तथा मसालोंके इंग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशोंके लिए निर्यातसे। अंग्रेज व्यापारी यहाँसे सस्ते भावपर जवरदस्ती और निर्दयतासे माल वगूल करके बाहर भेजते थे। उस समय इंग्लैण्डमें कपड़ेके कारखाने नहीं थे और भारतका कता व बिना कपड़ा इंग्लैण्डके लोग बड़े चावसे खरीदते थे। परन्तु जब इंग्लैण्डमें विजलीकी शक्तिसे चलनेवाले करघोंका आविष्कार हो गया तो वहाँ कपड़ा बड़ी मात्रामें बनने लगा, और वजाय भारतसे वहाँ निर्यात होनेके कपड़ा वहाँसे उल्टा वहाँ जाने लगा।

अब कम्पनीको वह धुन हुई कि इंग्लैण्डका कपड़ा भारतमें बिके। भारतका चर्खा और करघा उद्योग नष्ट किया गया जिससे मजदूर होकर लोग इंग्लैण्डका बना हुआ कपड़ा खरीदें। चुनकर और जुलाहोंका वर्ग समाप्त हो गया; उन्होंने वह काम छोड़ दिया। उन्होंने खेतीका सहारा पकड़ा और भूमिसे रोजी कमानेवालोंकी संख्या बढ़ गयी। जवाहरलाल नेहरूके अनुसार “लायों चुनकर बेकारी और गरीबीसे भूखों मर गये।” कहा जाता है कि १९वीं शताब्दीके मध्यमें ५५ प्रतिशत व्यक्ति जीविकाके लिए खेतीपर निर्भर रहते थे। ब्रिटिश कपड़ा उद्योगके विकाससे और भारतीय उद्योग चौपट होनेपर यह संख्या बढ़ती गयी। सन् १८३४ में गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिकने लिखा था कि “भारतीयोंकी दयनीय दशा और मुसीबतकी मिसाल दुनियाके व्यापारमें कहीं नहीं मिलती। चुनकरोंकी हस्तियोंसे समस्त भारतीय मैदान भरे पड़े हैं।” मालगुजारीके बढ़ जानेसे इस गरीबी और मुसीबतमें और भी अधिक वृद्धि हो गयी। अंग्रेजी शासनमें मालगुजारीकी दर बढ़ती ही गयी। अंग्रेजी सरकारने शोषकोंका एक नया वर्ग (जमींदार) पैदा किया। इन्हें धीरे-धीरे धरतीका वास्तविक मालिक बना दिया गया। इनका काम किसानोंसे मालगुजारी वसूल करना और उसका एक निर्धारित भाग अंग्रेजी सरकारके कोषमें जमा करना था।

सन् १८२९ में बेंटिकने कहा था कि जमींदारोंकी एक बड़ी जमात पैदा करके अंग्रेजी सरकारने अपने शासनके ऐसे समर्थक बना लिये हैं जिनका जनतापर जोर और प्रभाव है।

“यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सृष्टे सबसे अधिक कालतक अंग्रेजी शासनमें रहे वे ही सबसे अधिक कंगाल हैं जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा।” पंजाब बहुत बादकी अंग्रेजी शासनमें मिलाया गया। इसलिए वह तुलनात्मक दृष्टिसे अधिक सम्पन्न रहा। अतीतसे चली आयी पंचायत प्रथाको खत्म करके अंग्रेजोंने भारतीय ग्रामके धार्मिक और सामाजिक जीवनमें गड़बड़ी पैदा कर दी। सर टामस मनरोके अनुसार “प्रत्येक भारतीय गाँवमें नियमित रूपसे निर्वाचित म्यूनिसिपल समिति होती थी जो माल (दीवानी) व गाँवकी रक्षाका प्रबन्ध करती थी, और यही काफी हद तक न्याय प्रशासनका काम भी करती थी। राज बदलते रहते थे पर इन संस्थाओंमें कोई आक्रमणकारी हस्तक्षेप नहीं करता था।

१. नेहरू, डिस्कवरी ऑव इण्डिया, पृ० ३४८, ३४९,

२. नेहरू, वही पृष्ठ।

मराठों और मुगलोंके शासनमें भी इन्हें वही मान्यता और सम्मान प्राप्त रहा। पर अंग्रेजी शासनने इन संस्थाओंकी अवहेलना की और इन्हें उखाड़कर फेंक दिया। देशी पचायतोंकी जगह विदेशी जज नियुक्त कर दिये गये।”

पचायत प्रथाके अन्त और जमींदारी प्रथाके आरम्भने प्रजाके स्वाभिमान और अपनी रक्षा करनेकी योग्यतापर एक और कुठाराघात किया।

खैर, अच्छा बुरा जैसा भी हो और भारतीय उसे पसन्द करते हों या नहीं, अंग्रेजी राज कायम हो गया। परन्तु भारतीय जनताने उसे अंगीकार नहीं किया। सन् ५७ के विद्रोहसे पहले, ५० वर्षोंमें भारतीय सिपाहियों व जनताने कई बार ब्रिटिश शासनका मुकाबला किया। सन् १८०६ में मद्रासकी सेनामें एक गम्भीर विद्रोहका संगठन किया गया। सन् १८२४ में ४७ वीं बंगाल इन्फैन्ट्री ( पैदल सेना ) ने हमलेके लिए बर्मा जानेसे इनकार कर दिया। इस सेनाका यूरोपीय तोपचियों द्वारा दमन करके उसे रज़ारिज कर दिया गया। मेटकाफने १८२४ में लिखा था “समस्त भारत हर समय हमारे पतनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारतके प्रत्येक कोनेमें लोग हमारे नाशपर खुशियाँ मनायेंगे।” सन् १८१४ में उसने कहा था : “हमारी स्थिति भारतमें हमेशासे डोंयाडोल रही है। हम एक ही धक्केमें उखाड़े जा सकते हैं। हमारी जड़ें यहाँ जमी हो नहीं हैं।” सन् १८२० में मराठोंपर विजय प्राप्त होनेके बाद उसने इसी प्रकारका भय प्रकट किया था—“क्या कभी भी हम भारतीय जनतामें अपनी सरकारके प्रति लगन पैदा करनेका उपाय निकाल सकेंगे? और क्या हम भारतीय उच्च वर्गोंके हितोंको अपने हितोंके साथ मिलाकर ऐसा कर सकते हैं? क्या उनके और अपने हितोंको एक साथ मिलाना सम्भव है? यदि इन सब प्रश्नोंका उत्तर मुझसे पूछा जाय तो मैं कहूँगा ‘नहीं’।”

सन् १८५६ में विद्रोहके ठीक पहले लार्ड कैनिंग भारतका गवर्नर जनरल होकर आया। वह मजा हुआ राजनीतिज्ञ था। देशकी राजनीतिक नाडीकी उसे खूब परख थी। उसने आते ही कहा—“मैं चाहता हूँ कि मेरा शासनकाल शान्तिमय हो। परन्तु मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि यद्यपि भारतीय आकाश शान्त और उज्ज्वल दिखलाई पड़ता है, उसमें हथेली बराबर बादलका टुकड़ा कभी भी उठ सकता है और वह बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर सकता है जो हमारे विनाशका कारण बन सकता है।” कैनिंगका सन्देह ठीक उतरा। अगले वर्षके भारतके उज्ज्वल आकाशमें बादलका एक छोटा सा टुकड़ा उठा और उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया।

वैसे तो विद्रोहका संगठन बहुत दिनोंसे चल रहा था, परन्तु तात्कालिक कारण “चर्ची के कारतूस” बन गये। एनफील्ड राइफलमें जो कारतूस भरे जाते थे, उनपर चिकनाईवाले कागजका एक खोल मढ़ा रहता था जिसे कारतूस भरनेके पहले दौंतीसे काटना पड़ता था। यह ख्याल था कि यह चिकनाई गाय और सुअरकी चर्चासे बनायी जाती थी। इससे हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी ही धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुँचती थी। सिपाहियोंने उन कारतूसोंका प्रयोग करनेसे इनकार कर दिया।

१. मनरो, भाग १, पृष्ठ १०२, १०३

२. डबल्लू डबल्लू ईस्टरके “दि इण्डिया आव दी क्वीन ऐण्ड अदर प्लेज”में इच्छत,

सिपाहियोंकी भावनाओंको टेस पहुँचानेवाली दूसरी बात थी अंग्रेजोंका भारतीयोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित करनेका प्रयत्न। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंके अध्यक्ष 'मिंगल्स'ने ब्रिटिश पार्लियामेंटमें कहा था "हिन्दुस्तान जैसे विराट देशका आधिपत्य ईश्वरने हमें इसलिए सौंपा है कि हम वहाँ एक कौनेसे दूसरे कौनेतक ईशुमनीहकी विजयपताका फहरा दें ताकि सारा भारत ईसाई हो जाय। इस काममें किनीको कोताही नहीं करनी चाहिये।" धर्म-परिवर्तनका काम खाम तौरसे सेनामें चला। वहाँ पदोन्नति व दूसरे हित साधनोंके लिए धर्म-परिवर्तन एक प्रकारकी रिश्तत बन गया।

बंगालमें ब्रिटिश शासनको लगभग नौ साल तक बरदाश्त करनेके कारण लोग उनके आदी होते जाते थे। परन्तु उत्तरी ग्योंमें जोश बाकी था और विद्रोहकी भावना बट रही थी। "गंगा पारके इलाकेमें ही नहीं, दोआबके जिलोंमें भी श्राभीण जनता उठ खड़ी हुई थी, और श्रांश ही ऐसा कोई गाँव, नगर और मनुष्य न बचा जो अंग्रेजोंके विरुद्ध खड़ा न हो गया हो।"

उत्तीसवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें कई बार समझदार अंग्रेजोंने चेतावनी दी कि जिन दंगने अंग्रेज भारतमें व्यवहार कर रहे हैं वह किसी भी दिन विद्रोहकी आगकी भट्का देगा।

नानासाहब विद्रोहके प्रमुख संघटनकर्ता थे। वे पेशवा बाजीरावके मोद लिये हुए पुत्र थे और अंग्रेजोंने उन्हें पेशवाकी मौतके बाद पन्थान देनेसे इनकार कर दिया था। नानासाहबने देशभरमें पूर्ण विद्रोहका संघटन करनेका निर्णय कर लिया, और इसके लिए ३१ मई १८५७ को तारीख निश्चित कर दी गयी। जान के लिखना है—“गद्दीनोंसे, असलमें वर्षोंसे, लोग विद्रोहका जाल फैला रहे थे। देशके एक कौनेसे दूसरे कौनेतक, एक दरवारसे दूसरेतक, नानासाहबके आदमी रहस्यमय भाषामें विभिन्न राजाओं और नवाबोंके पास गुप्त रूपसे विद्रोहके निमन्त्रण पहुँचाते थे।”

बड़ी बड़ी आममभाएँ की जाती थीं, जिनमें विद्रोही संगठनके नेता लोग भाषण करते थे और लोगोंको ब्रिटिश शासन उन्हाट फेंकनेके लिए आह्वान करते थे। जो लोग अतक वह समझे बैठे थे कि भारतीयोंमें देशप्रेमकी भावना नहीं है, स्वाभिमान और राष्ट्रियताकी इस लहरने उनकी आँखें खोल दीं।

अंग्रेजी सेनाके भारतीय सिपाही जिन्हें परम्परामें किरायेके दट्टे समझा जाता था जोशके साथ विद्रोहकी तैयारी करने लगे और विद्रोहके नेताओंके अनुशासनको सहर्ष मानने लगे। वे निर्धारित तिथि, ३१ मई को अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह शुरु करनेके लिए राजी हो गये। परन्तु कारगुनोंकी घटना और अंग्रेज अफसरोंके व्यवहारने दो रेजीमेण्टोंके सिपाहियोंको खिजाकर सहनशीलताकी सीमापर पहुँचा दिया। उन्होंने पहले दो अफसरोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया।

इस प्रकार विद्रोह मेरठमें १० मई को ही आरंभ हो गया। बहादुरशाहको भारतका बादशाह घोषित कर दिया गया। दिल्लीको स्वतंत्र किया गया और फिर तो एकके बाद दूसरे इलाके स्वाधीन होते गये। स्वतंत्रता संग्रामकी सेना तेजीसे बढ़ रही थी। जो अंग्रेजी इलाका स्वतंत्र किया जाता उसकी सेना विद्रोहियोंके साथ चल पड़ती। परन्तु इन छोटी-

१. जान के, इण्डियन म्यूटिनी, भाग २, पृ० १९५.

२. जान के, वही पुस्तक भाग १, पृ० २४.

छोटी जीतोंसे भारतीयोंमें यह गलतफहमी पैदा हो गयी कि शत्रु परास्त हो गया और देशका बहुत बड़ा भाग स्वतंत्र हो गया।

इस बीच अंग्रेजोंने अपनी बिलारी हुई शक्तिको इकट्ठा किया और देशी राजाओंसे कहा कि अंग्रेजोंको मदद देनेमें ही उनका कल्याण है। उनमेंसे बहुतसे टूट गये। अंग्रेजोंने सब्ज बाग दिखाकर सिपों और गोरखोंको भी अपनी ओर मिला लिया। फिर तो लडाईका रूप ही बदल गया। अंग्रेजोंके पैर पुनः जमने लगे और विजयके दौरमें उन्होंने अक्रयनीय प्रजाके दमन और अत्याचार किये। इनका थोड़ा सा आभास नीचेके उद्धरणोंसे मिलता है—

सर चार्ल्स डिल्फने अपनी पुस्तक 'ग्रेटर ब्रिटेन'में लिखा है—“दमनके दौरानमें गाँवके-गाँव जला दिये गये। निर्दोष गाँववालोंका वह कत्लेआम किया गया कि मुहम्मद तुगलक भी उनमें शर्मा जायगा।”

चार्ल्स बालने अपनी पुस्तक 'इण्डियन म्यूटिनी'में लिखा है—“जनरल हैवलॉकने सर ह्यू व्हीलरकी मौतका भयकर बदला लेना शुरू किया।” ब्रुड-के ब्रुड भारतीय फौसीपर चढ़ाये गये। कुछ विद्रोही नेताओंने फौसीके तल्लेपर चढ़नेके समय भी ऐसा महान् व्यवहार और शान्त चित्तता दिखलाई जो वे ही व्यक्ति दिखा सकते हैं जो सिद्धान्तपर मर मिटनेवाले होते हैं।”

मॉटगोमरी मार्टिनने लिखा है—“जब हमारी सेनाने नगरके अन्दर प्रवेश किया तो जितने भी व्यक्ति उसमें मिले उसने सत्रको तलवारसे मौतके घाट उतार दिया। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी क्योंकि कुछ घरोंमें तीस तीस चालीस चालीस व्यक्ति छिपे हुए थे।”

रमेलकी डायरीके पृष्ठ ३०८ पर लिखा हुआ है—“कुछ मिपाही जिन्दा बचे थे, उन्हें भी निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। उनमेंसे एकको पैरोंसे घसीटकर बाहर रेतीले मैदानमें ले जाया गया। वहाँ कुछ अंग्रेजोंने उसके चेहरे और शरीरपर सर्गोने भोकी। फिर ईंधन इकट्ठा करके एक छोटी-सी चिता बनायी गयी और जब सब सामान तैयार हो गया तो उसे जिन्दा चितामें ढकेल दिया गया। यह सब करनेवाले अंग्रेज थे। कई अपसरोंने भी यह काण्ड होते देखा। किसीने हस्तक्षेप न किया। इस नारकीय नृशंसताकी भयकरता तब और बढ़ गयी जब उस अभागे सिपाहीने बड़ी बोशिशसे जलती चितामें निकलनेकी कोशिश की। एकाएक वह उछलकर निकल आया। वह इतना जल चुका था कि उसका मास हड्डियोंसे अलग लटफ रहा था। वह कुछ ही कदम भाग पाया था कि उसे पकड़कर चितामें फेंक दिया गया और वहाँ सर्गोनेमें उसे रोक रखा गया। वह अभाग उसी चितामें स्वाहा हो गया।”

इस प्रकारके अत्याचारोंके वर्णनोंसे इतिहासकी पुस्तकें भरी पडी हैं। लेयर नामक पार्लमेन्टके एक सदस्यने (२५ अगस्त १८५८) टाइम्स अखबारमें लिखा था कि इस प्रकारके अत्याचार मदरमें भारतीयोंने नहीं किये थे। उसने लिखा था—“हिन्दुस्तानियोंके ऊपर अंग्रेज औरतों और बच्चोंपर अत्याचार करनेके जो आरोप लगाये गये हैं वे सब गठी हुई कथाएँ हैं।”

जब विद्रोहका दमन हो चुका तो अंग्रेजोंने बहादुरशाहकी खबर ली। उसके कुछ पुत्र और रिश्तेदार मार डाले गये। बहादुरशाह और उसको बेगमको कैद करके रगून जेलमें बन्द कर दिया गया जहाँ तैमूर वशके अन्तिम बादशाहकी १८६३ में मृत्यु हो गयी।

भारतकी पुनर्विजयका युद्ध १८५८ के अन्त तक चलता रहा। अवधमें तो १८५९ जनवरीमें जाकर शान्ति और व्यवस्था कायम हो पायी।

## अध्याय १

### वहाबी क्रान्ति व कूका विद्रोह

सन् १८५७-५८ के सशस्त्र विद्रोह ( गदर ) के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य समाप्त हो गया, और पहली नवम्बर, १८५८ को ब्रिटिश सम्राज्ञीने, एक शाही घोषणा द्वारा भारतका शासन अपने हाथोंमें ले लिया। घोषणामें कहा गया था कि महारानीकी “प्रजाके लोग चाहे वे किसी भी जाति, रंग व धर्मके हों विना किसी रोक-टोक और भेद-भावके सरकारी नौकरियोंमें उनकी शिक्षा, योग्यता और कार्यक्षमताके अनुसार भरती किये जायेंगे।” भले ही महारानीने यह घोषणा सच्चे हृदयसे की हो, परन्तु उनकी भारतीय और ब्रिटिश सरकारोंने इसके प्रत्येक शब्दका जानबूझकर उल्लंघन किया और भारतीयोंको बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियोंसे वंचित रखा। जिस समय यह घोषणा की गयी थी विद्रोहकी आग पूर्णतया न बुझ पायी थी, परन्तु स्थिति कावूमें आने लायक हो गयी थी और अंग्रेजोंमें फिरसे आत्म-विश्वास जाग्रत हो गया था। मुगल साम्राज्यका अन्तिम दीपक सदैवके लिए बुझ चुका था, और अज्ञानसे अज्ञान व्यक्ति भी अब समझ गया था कि भारत एक यूरोपीय कौमके अधीन हो गया है।

सन् १८५७-५८ के “स्वतंत्रता संग्राम” के बाद कुछ वर्षों तक भारतीय लोग अत्यन्त भयभीत रहे। विद्रोहके विफल होनेसे जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसे मन मारकर लोग सहन कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ अंग्रेजोंके घोर अत्याचारने जनताके दिल दहला दिये। जंगली जातियोंको भी शर्मिन्दा करनेवाले काले-आत्म हुए, पाँसियाँ, और अन्य यातनाएँ दी गयीं।

इतिहासका यह हृदय-विदारक अध्याय भी समाप्त हुआ और लोग धीरे-धीरे जीवनके धन्धोंमें फिरसे व्यस्त हो गये। लेकिन मुसलमानोंके एक धार्मिक सम्प्रदायने जिसे वहाबी कहते हैं विद्रोहकी मशाल जलाये रखी, और यही कारण था कि मुसलमानोंके मध्यमवर्गकी परेशानीका काल और बढ़ गया। असफल विद्रोह या क्रान्ति जनताके लिए दमनका कारण होती है, परन्तु इस वहाबी आन्दोलनके कारण मुसलमानोंपरसे अंग्रेजोंका विश्वास पूर्णतया उठ गया।

वहाबी लोगोंने तथा मुसलमानोंके अन्य मुल्लाओंने पहले मुसलिम जनताको अंग्रेजोंसे असहयोग करनेका पाठ सिखाया। उन्होंने फतवों द्वारा मुसलमानोंको आज्ञा दी कि वे अंग्रेजी पढ़ना लिखना न सीखें, ऐसा करना पाप है। इस एक बातके कारण मुसलमान लोग साधारणतया हिन्दुओंसे शिक्षा, राजनीति और आर्थिक उन्नतिमें बीसों वर्ष पिछड़ गये। इस ऐतिहासिक घटनामें हमें हिन्दू और मुसलिम राजनीतिके दो विभिन्न सूत्रोंमें वहनेके आदि कारण मिलते हैं। ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीतिका विकास हुआ, त्यों-त्यों इन सूत्रोंके बीचका फासला चौड़ा होता गया।

वहाबी आन्दोलन क्या था। उन्नीसवीं शताब्दीके मुसलिम इतिहास और राजनीतिमें दो नेताओंका प्रमुख स्थान है—सैयद अहमद और सर सैयद अहमद खाँ। सैयद अहमद

बहावी आन्दोलनके नेता थे। १८३१ में उनकी मृत्यु हो गयी और उनके बाद आन्दोलनका संचालन उनके शिष्य करते रहे।

सैयद अहमद मुसलमानोंके उन धार्मिक नेताओंकी परंपरामें थे जो शाह कली-उल्लाहके काल ( १७१९ ई० ) से आरंभ होती है, और जो भारतमें फिरसे मुसलमानोंकी सत्ता जमानेके लिए धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलन करती रही। सैयद अहमद राय-बरेलीके रहनेवाले थे। उनके जीवनकालमें पंजाबमें सिखोंका राज्य था। उन्होंने सुन रखा था कि सिख राजा रणजीतसिंहके राज्यमें सिख लोग "मुसलमानोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें धार्मिक कर्तव्य पूरे करनेसे रोकते हैं, और उनके इबादतके स्थानोंको अपवित्र करते हैं। इसलिए सैयद अहमदने उनके राज्यको दाखल हर्ष घोषित कर दिया और उसके विरुद्ध जिहाद करनेका निर्णय किया। यद्यपि मराठोंने भी तभी अपना राज्य स्थापित किया था, परन्तु वे मुसलमानोंके धार्मिक कामोंमें बाधा नहीं डालते थे। उनके राज्यमें मुसलमान लोग अपने धर्म, काममें स्वच्छन्द थे। उन्होंने मुसलिम कानियोंको भी उनके स्थानोंपर कायम रखा। इसलिए मुसलमान लोग मराठों और राजपूतोंके राज्योंको दाखल हर्ष नहीं बल्कि दाखल इस्लाम मानते थे।" दाखल इस्लाम उस राज्यको कहते थे जहाँ इस्लाम धर्मके पालनमें कोई बाधा न थी; उसका विपरीत राज्य दाखल हर्ष कहलाता था जिसके विरुद्ध शत्रुताका व्यवहार और जिहाद करना धर्म समझा जाता था।

रणजीतसिंह स्वयं मुसलिम विरोधी न था। उसके अति विश्वासपात्र लोगोंमें उसका मुसलिम मन्त्री पीरजादा अजीजउद्दीन भी था। उसके तोपखानेका प्रधान अधिकारी भी इलाहीबख्श नामक एक मुसलमान था, जिसके नामसे तोपखाना इलाहीबख्श तोपखाना कहलाता था।

मुसलमानोंके प्रति बुरा बर्ताव बहावी आन्दोलनके जिहादका एक कारण हो सकता है, पर यह आन्दोलन बुनियादी तौरपर राजनीतिक था जिसका आरंभ कलीउल्लाहकी "तहरीक" से हुआ था। मुसलिम धार्मिक और राजनीतिक नेता जानते थे कि भारतपर फिरसे विजय प्राप्त करनेका सशस्त्र आन्दोलन उत्तरमें अफगानिस्तानकी सहायतासे आरंभ होना चाहिये, और स्वयं भारतमें मुसलमान लोग इस ध्येयकी ओर तैयारी करें। उन दिनों मुसलमानोंको, अथवा किसी भी जातिको, सघटित करनेके लिए धार्मिक नारे बहुत जरूरी होते थे। बस एक बार यह समझ लेनेके बाद कि सैयद अहमद इस्लामका एक बड़ा भारी पीर है, मुसलमान उन्हें पूजने लगे, उनके अन्धभक्त हो गये और हजारोंकी सख्यामें पंजाबके जिहादके लिए उनके पीछे हो लिये।

निम्नलिखित वर्णनसे पता चलता है कि मुसलमानोंपर उनका कितना प्रभाव था—  
 "उनकी आध्यात्मिक शक्तिसे लोग इतने प्रभावित थे कि उनके चेहरे नौकरोंकी भाँति उनकी सेवा करते थे। विद्वान और उच्चपदके लोग साधारण नौकरोंकी भाँति नगे पाँव उनकी पालकीके पीछे दौड़ते थे। पटनामें कुछ अधिक समयतक टहरनेके कारण उनके अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गयी कि प्रत्येकके लिए एक नियमित सरकार स्थापित करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। सैयद अहमदने बड़े-बड़े नगरोंमें, जो उनके शक्तमें पड़ते थे, व्यापार-

१. राजेन्द्र प्रसाद, इण्डिया डिवाइडेड, पृष्ठ ८०

२. मुकैल अहमद, मुसलमानोंका रीतान मुस्तकबिल (उद्दू) पृष्ठ १०९

रियोंसे कर वसूल करनेके लिए गुमास्ते नौकर रखे। कलकत्तेमें तो इतनी भारी संख्यामें लोग उनके पास आये कि उनके लिए अलग अलग हाथ फेरकर शिष्य बनानेकी रस्माको निगमाना असम्भव हो गया। इसलिए अपने लम्बे चौड़े सापेको फेंकते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इसे छू भर लेगा मेरा शिष्य हो जायगा।<sup>१</sup>

अपने अनेक अनुयायियोंको साथ लेकर सैयद अहमद सिंध होते हुये काबुलके लिए रवाना हुए। कन्धारके फाटकपर उस नगरके धनी लोगों और साधारण जनताने उनका ज्ञानदार स्वागत किया। इन दोनों नगरोंमें लोगोंने उनकी फौजमें भरती होनेके लिए काफी उत्साह दिखाया। धीरे-धीरे एक लाख व्यक्ति जिहादके लिए तैयार हो गये। यह विश्वास करना कठिन है कि अफगानिस्तानके बादशाहको उसके राज्यमें इतनी बड़ी सैनिक तैयारीका पता नहीं था जो पंजाबपर हमला करनेके लिए हो रही थी। संभव है कि वह पंजाब-विजय में दिलचस्पी रखता हो, उसमें परन्तु अपने उन पूर्वजोंकी शक्ति न थी जिन्होंने भारत-पर सदियों पहले सफलतापूर्वक हमले किये थे, इसलिए वह शायद चाहता था कि बहावियों द्वारा या उनकी आठमें किसी तरह पंजाब अपने राज्यमें मिला लिया जाये।

दूसरी ओर अंग्रेज भी पंजाबको हड़पना चाहते थे और सोच रहे थे कि बहावी आन्दोलन उनकी योजनाके लिए सहायक होगा। इसलिए जब कि वे हर रियासती शमड़ेमें हस्तक्षेप करते थे, वे बहावी-सिख संग्रामकी ओरसे उदासीन रहे। “उन दिनों मुगलिय लोग मुसलमान जनतासे सरेआम सिखोंके विरुद्ध जिहाद करनेके लिए कहते थे। हजारों सशस्त्र मुसलमान और असंख्य हथियार जिहादके लिए जमा किये गये। लेकिन जब अंग्रेजी कमिश्नर और मजिस्ट्रेटको इस विषयकी सूचना दी गयी और उन्होंने सरकारको सूचित किया तो सरकारने उनसे साफ कह दिया कि वे इस मामलेमें हस्तक्षेप न करें।<sup>२</sup>” मुहम्मद जाफरने निश्चित रूपसे लिखा है कि “इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सरकार (ब्रिटिश सरकार) सैयद अहमदके विरुद्ध होती तो उन्हें हिन्दुस्तानसे कोई सहायता न पहुँच पाती। लेकिन अंग्रेजी सरकार उन दिनों मनसे यही चाहती थी कि सिखोंकी शक्ति किसी प्रकार कम हो।<sup>३</sup>”

परन्तु जिहादके प्रति अंग्रेजोंको उदासीनता, उन्हींके लिए पंजाब विजयके बाद मुसीबत साबित हुई। बहावियोंने अंग्रेजी राज्यको भी दारुल हर्ब घोषित कर दिया और मुसलमानोंसे कहा कि ऐसे राज्यके प्रति उनके नामने दो ही रास्ते हैं—जिहाद या हिजरत। हिजरतसे मतलब दारुल-हर्बका इलाका त्याग देनेसे था। इसलिए लोगोंने जिहादका रास्ता पसन्द किया। बहावियोंने पहलेसे ही सीमान्तकी स्वात घाटीके सिताना नामक स्थानमें अपना स्थापित केन्द्र बना रखा था। वहाँ वे लगभग पच्चीस वर्षोंतक सिखोंके विरुद्ध धार्मिक युद्ध चलाते रहे थे। इस मुसजित युद्ध-गझीनको उन्हें केवल अपने नये शत्रुको अंग्रेजकी ओर धुमा देना था। हण्टरने अपनी पुस्तकोंमें सितानाके बहावी केन्द्रको बार्गी कैम्प या

१. उल्लेख, डब्ल्यू. हण्टर, इण्डियन मुसलमान्स, पृ० १३

२. राजेन्द्रप्रसादके “इण्डिया डिवाइडेड” में उद्धृत, पृ० ३७

(सर सैयद अहमद खाँके इन्स्टीट्यूट गजट ता० ८ सितम्बर, १८७१ में प्रकाशित एक लेखसे।)

३. मुहम्मद जाफर “सवानत अहमद दिया”, पृ० १३९



देशद्रोही कैम्प कहा है। इसके विषयमें सन् १८७१ में उसने लिखा था—“वर्षोंसे वागी कैम्पने हमारी सीमाको खतरमें डाल रखा है। समय-समयपर धर्मान्ध लोगोके झुण्डके झुण्ड हमारे कैम्पके ऊपर हमला करते हैं, हमारे गाँव जला देते हैं। हमारी प्रजाका कल करतें हैं और हमारी फौजोंको लडाइयोंमें फँसाते हैं। हर महीने यह विरोधी दल बगालमें फौज भर्ती करता है। वहाबियोंके ऊपर लगातार चलाये गये अभियोगोंमें सिद्ध होता है कि पडयन्त्रना जाल हमारे समस्त सूत्रोंमें फँस गया है। पजाबके ऊपरके पहाडोंसे लेकर उस स्थानतक जहाँ गंगा समुद्रमें गिरती है, जगह-जगहपर विद्रोहियोंने अपने अड्डे बना रखे हैं।

उनसे एक सघटनका पता चलता है जो नियमित ढंगमें धन जनने गंगाके डेल्टामें दो हजार मील दूर वहाबी कैम्पको भेजता है। बड़े बुद्धिमान और धनी लोग इस पडयन्त्रनाका सचालन करते हैं। जिस कौशलपूर्ण ढंगसे रपया भेजा जाता है, उसने देशद्रोहके एक बड़े सतर्नाक व्यापारको मुचाह और सुरक्षित ढंग व्यञ्जनाके रूपमें परिणत कर दिया है।”

ब्रिटिश भारतीय प्रदेशोंमें पटना, वहाबी काररवाइयोंका केन्द्र था। वहाँ गुप्त कार्य इस सफाई और कुशलतासे किये जाते थे कि बहुत वर्षों तक अधिभारियोंको यह पता न लग सका कि विद्रोही काररवाइयोंमें पटनेका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब पटना सघटन गुप्त रूपमें पका हो गया तो नगरके पास पास निवासी घुले आम सरकार-विराधी प्रचार करने लगे। ब्रिटिशराज्यको उखाड़ फेंकनेके लिए पटना नगरमें एक अभूतपूर्व उत्साह दिखाई देने लगा। मैजिस्ट्रेटने रिपोर्ट की कि वागियोंकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। पुलिस भी वागियोंसे मिल गयी। वागी नेता लोग अंग्रेजी सत्तासे न डरते थे। उनमेंसे एकने जिसके घरमें ७०० आदर्श जमा थे, घोषित कर दिया था कि अब मैजिस्ट्रेटकी कोई भी जाँच न होने देगे और उसका मुनाबला शक्तिसे करेंगे। सन् १८५२ में, अंग्रेजोंके कई हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको वागियोंके साथ पत्र व्यवहार करनेके अपराधमें सजा दी गयी थी। सीमा-तपर वागी नेताओंने १८५२ में अंग्रेजोंकी भारतीय सेनाके साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया था। इस विषयके कुछ पत्र पकड़े भी गये थे। इन वर्षोंमें अंग्रेजी प्रदेशोंमें भाग-भागकर लोग वागी कैम्पमें शामिल होते थे। सन् १८६२ में उनकी संख्या इतनी बढ़ गयी कि पञ्जाब सरकारने भारत सरकारको एक और सीमान्त युद्ध करनेका परामर्श दिया। सन् १८६३ में अंग्रेजों और वागियोंमें भयानक युद्ध हुआ। वागी पीछे हटकेल दिये गये और सरकारको कुछ समयके लिए चैन मिला। परन्तु वहाबी उत्साह अजेब रहा।

हण्टरका कहना है कि “वहाबी आन्दोलन दक्षिणी भारत तक असर पहुँचा चुका था। हम द्रोहियोंसे नहीं डरते, परन्तु डरना कारण हमारे साम्राज्यका राजद्रोही जनसमूह और सीमांतके धर्मान्ध कच्चावली हैं जिन्हें बार बार वागियोंने हमारे विरुद्ध उभारकर धर्म-युद्धके लिए अपनी और मिलाया है। सच तो यह है कि जब हम सीमान्त बस्तियोंकी फौजी शक्तिसे उखाड़ फेंकनेकी कोशिश करते हैं तो हमारी मुसलिम रियायाके धर्मान्धवर्ग धन और जनके असीम भण्डारमें इसे और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। जैसे हम बुझी राख समझकर छोड़ देते हैं उसे वे मानो तेल डालकर फिर लपट बना देते हैं।”

हण्टरके अनुसार सीमान्तके विद्रोह शिथिलमें वैचल्य मुसलमान थे। परन्तु सर सैयद

१. हण्टर पृ० ९

२. हण्टर, पृ० ४२, ४३, ४४

अहमद खाँ इस विचारसे सहमत न थे। सन् १८५७-५८ के विद्रोहमें सर सैयद अंग्रेजोंकी तरफ थे, और उनके जीवनका बड़ा भाग मुसलमानोंको अंग्रेजोंका वफादार बनानेमें बीता था। उनके कथनानुसार सीमान्तके वागियोंमें हिन्दू-मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे। सन् १८७१ में हण्टरने अपनी किताब “इण्डियन मुसलमान” में लिखा था कि “भारतके मुसलमान बहुत कालसे ब्रिटिश सत्ताके लिये खतरा रहे हैं और मालूम होता है सदैव रहेंगे।” इस पुस्तकके प्रकाशनके बाद सर सैयदने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने हण्टरके कथनका खण्डन किया। उनका कहना है कि “१८५७ के विफल होनेके बाद कुछ परेशान विद्रोही अंग्रेजी दमन और सजाके कारण मुल्का व सितानामें, नेपालकी तराईमें, और बीकानेर और राजपूतानाके जंगलोंमें बस गये। जो उत्तर-पश्चिम सीमान्तकी ओर भाग गये थे उनमें सब जातियोंके हिन्दू और विभिन्न फिरकोंके मुसलमान भी थे, और क्योंकि वे सब एक ही खतरेमें बचनेके लिए भागे थे स्वाभावतः साथ-साथ रहे। इन्हीं लोगोंने मुल्का तथा अन्य स्थानोंपर कब्जा कर लिया, परन्तु यह कहना जैसी कि हण्टरकी राय है, कि वे सरकारके विरुद्ध धार्मिक युद्ध करनेके लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे, विश्वासके योग्य नहीं है क्योंकि इस जमावमें सब जाति-भौतिके हिन्दू और मुसलमान थे।”<sup>१</sup>

सर सैयद ठीक कहते थे कि हिन्दू मुसलमान मिलकर कोई धार्मिक युद्धकी योजना कैसे बना सकते थे क्योंकि उनके धर्मोंमें बहुत अन्तर है। वास्तवमें उनका विद्रोह राजनीतिक था, और क्योंकि “जिहाद” शब्दका प्रयोग “पवित्र युद्ध” के लिए होता आया था, इसलिए वे सब ब्रिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेके संग्रामको जिहाद ही कहते रहे। परन्तु आदर्शजनक बात यह है कि उन विद्रोहियोंमें जिनपर सीमान्त संबंधी कृत्योंके विषयमें अवि-योग चलाये गये, एक भी हिन्दू न था। अगर वास्तवमें हिन्दू सीमान्तके उपनिवेशोंमें थे तो इस बातके दो ही कारण हो सकते हैं—(१) शायद उनकी संख्या बहुत कम थी और इसी लिए विद्रोहमें उनका हिस्सा नगण्य रहा; और (२) शायद अंग्रेज सरकार हिन्दू मुसलमान दोनोंको एक साथ शत्रु बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यदि अभियोगोंमें कुछ हिन्दू भी शामिल कर लिये जाते तो सम्भवतः हिन्दू जनता भी उनके विरुद्ध हो जाती। उस समय अंग्रेजों की नीति हिन्दुओंको खुश रखनेकी थी।

विद्रोह (१८५७) के बाद वहाबी आन्दोलन बीसों वर्षोंतक ब्रिटिश सत्तासे मुठभेड़ लेता रहा। हण्टरने उस समयके खतरेका इस प्रकार वर्णन किया है—“स्वयं मुसलमानोंने जो कागजात प्रकाशित किये हैं उनसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि भारतीय साम्राज्य एक भारी खतरेमें गुजर रहा है। उनको पढ़नेसे प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्तिको विश्वास हो जायेगा कि जब कि अधिक साहसी मुसलमान खुल्लमखुल्ला देशद्रोहके कार्यमें लगें हुए थे, सम्पूर्ण मुसलिम जातिके दिमागमें इस बृहत् प्रश्नने उथल-पुथल मचा रखी है। शायद ही कभी इतने बड़े पैमानेपर लोग प्रभावित हुए हों। विद्रोह करना सब मुसलमानोंका कर्तव्य है, इस बातको बहुत सुन्दर और मार्बजनिक ढंगसे इस्लामी कानूनका रूप दे दिया गया है।”<sup>२</sup>

विद्रोहके नेताओंने बहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया जिसमें विद्रोहियोंको निश्चयात्मक युद्ध करनेके लिए उत्साहित किया गया और भविष्यवाणी की गयी कि अंग्रेजोंका पतन

१. सी. एफ. आई ग्रहम, “दि लाइफ ग्रेण्ड वर्क ऑव सैयद अहमद खान” पृ० २२१

२. हण्टर, पृ० १०

समीप है। यह साहित्य गुप्त रीतिसे हाथोहाथ इधर-उधर बेचा गया। इस प्रचारका प्रभाव साहित्यके पाठकोंतक सीमित न था, घरन् अनुभवी उपदेशकों द्वारा जो विद्रोहके सचालनमें बड़ी सावधानीसे शिक्षित किये गये थे, बंगालके प्रत्येक जिलेमें फैलाया गया। वहाबी प्रचारमें निरन्तर कहा जाता था कि यदि मुसलमान ब्रिटिश शासनके विरुद्ध युद्धमें भाग लेंगे, तो वे सदाके लिए नरुसे छुटकारा पा जायेंगे।

महारानी विक्टोरियाके विरुद्ध विद्रोह फैलानेके लिए वहाबियोंने सम्पूर्ण देहातामें एक स्थायी प्रचारसघटन स्थापित कर रखा था। विद्रोहके जिल्लाकेन्द्र पटना प्रचार कार्यालयसे नियमित सम्पर्क रखते थे। प्रत्येक जिल्ला इम्पाईका जनधन इकट्ठा करनेका अलग सघटन था। सन् १८७० में ऐसे दो जिलासघटन अंग्रेज अधिकारियोंके हाथमें पड़ गये। उनके प्रधान प्रचारकोंको आजीवन कारागारकी सजा दे दी गयी और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। उन दिनों कोड़े मारनेकी सजाका बहुत चलन था। जिन अपराधियोंको कोड़े मारे जाते थे उन्हींके साथ विद्रोहियोंकी भी गिनती होती थी। इस सजाकी नृशसताका वर्णन बंगाल सिविल सर्विसके एक सदस्य, सर हेनरी काटनने इस प्रकार किया है—

“अपराधी हाथ पैरोंमें एक तिकोनी टिकटीपर नगा बंध दिया जाता है, जिससे वह हिल न सके। तब कमरमें नीचेके भागमें उसके खून बेत लगाये जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बेंत पड़नेमें उस स्थानकी खाल और मांस कट कटकर डुकड़े हो जाती है। कभी कभी मनुष्य अराहनीय कष्टमें वेहोश हो जाते हैं, और मैंने अधिकृत रूपमें सुना है कि बहुतमें आदमी बेंत यातनामें मर जाते हैं। बंगालमें प्रत्येक दलके बाहर इस नृशसताकी याद दिलाने वाली तिकोनी टिकटियाँ दिखाई देती हैं। मुझे यह सब स्वीकार करनेमें घोर वेंदना हो रही है। मैं इस विषयपर अधिक लिखना नहीं चाहता, क्योंकि यह अति भयकर है और मैं इसे न्यायके लिए दी गयी सजा नहीं मान सकता। इससे अधिक बर्बरतापूर्ण सजा विचारमें ही नहीं आ सकती और मैं शर्म और शोकसे स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी इस हुक्मको देनेकी आदत पड़ गयी थी। मैं लगातार अपने न्यायके निर्णयोंमें कोड़े लगवानेकी सजा देता था।”

जिस समय इण्डियन विहिप्स ऐक्ट (कोड़े लगानेका कानून) पारित किया गया था (१८६४) उस समय वहाबी आन्दोलन जोरसे चल रहा था। आजीवन कारागार या मृत्यु—दण्ड इस सजाके सामने कुछ भी नहीं था, और यह सजा जेलकी चारदीवारीके अन्दर, जनताकी दृष्टिसे बहुत दूर, दी जाती थी। बाहर लोग अभियोगोंकी सुनवाईके विषयमें तो जानते थे लेकिन जो बर्बरताका व्यवहार जेलके अन्दर होता था उसका किसीको पता न चलता था। अंग्रेज जाति ही इस प्रणालीकी सजा कानूनसे न्यायसंगत बना सकती थी।

अब हम फिर मुख्य विषयपर आते हैं। उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें १८६० से १८७२ तक बहुतेसे वहाबी अपराधियोंपर मुकदमोंमें चलाये गये। उनपर देश-द्रोह और महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके चार्ज लगाये गये और उनको आजीवन कारागारकी सजा दी गयी। सन् १८६४ के मुकदमेकी सुनवाईमें, जो कि सन् १८८३ के वहाबी युद्धसे सम्बंधित था, दूर दूरके सूबोंमें फैले हुये एक मुसंधाटित पडयन्तका पता लगा। लोगोंको अचम्भा होता था कि किस प्रकार वहाबियोंने इस सघटनको गुप्त रखा और इसके द्वारा आत्मरक्षाका

१. सर हेनरी काटन, “इण्डियन वेण्ड होम मेमोरीज”, पृ० ८०

२. वही पुस्तक, पृ० ७९

सुचारु प्रवन्ध किया। इस मुकदमेमें ११ मुसलमानोंपर “घोर राज-द्रोह” का चार्ज लगाया गया था। “इनमें मुसलिम समाजके प्रत्येक वर्गके प्रतिनिधि थे, अर्थात् उच्च कुलोंके मौलवी, एक फौजका ठेकेदार भंगी, सिपाही, उपदेशक, खानसामा और किसान।” ८ को आजावन कारागार और ३ को फाँसीकी सजा दी गयी।

इस मुकदमेके मुख्य अपराधी याहिया अली थे, जो पटना प्रचार-केन्द्रके प्रधान अधिकारी थे। वे इस केन्द्रसे स्वयंसेवकोंको भरती करके सीमान्तके उस पार विद्रोही-शिविरमें भेजते थे। उनको फाँसीकी सजा दी गयी थी जो वादको क्रम करके आजावन कालापानी कर दी गयी थी। न्यायाधीश, सर हरबर्ट ऐडवर्ड्सने उनके बारेमें अपने फैसलेमें कहा था—“याहिया अलीने अपने सैकड़ों और हजारों देशवासियोंको राजद्रोह और विद्रोहके लिए बहकाया है। उन्होंने अपने पदबंधों द्वारा सरकारको सीमान्त-युद्धमें फँसाया जिसके कारण सैकड़ों मनुष्योंकी जानें गयीं। वह एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, और वह बहाना नहीं कर सकते कि उन्होंने यह सब काम नासमझीमें किया। जो कुछ भी उन्होंने किया है, विचार-पूर्वक, हृदयप्रतिष्ठ होकर तथा कठु राजद्रोहकी भावनासे प्रेरित होकर ही किया। वह एक ऐसे धर्मान्ध कुलके हैं जो परम्परासे ही अराजभक्त रहा है।”

पूर्वी बंगालके प्रत्येक जिलेमें विद्रोह-आन्दोलन जोरोंसे फैला हुआ था। पटनासे लेकर बंगालके समुद्रतक मुसलमान किसानोंकी यह हालत थी कि वे नियमित रूपसे प्रति सप्ताह विद्रोही शिविरके लिए कुछ दान निकाल देते थे। सन् १८६४ के अभियोगके बाद, जिसकी सुनवाई अंबालामें हुई थी, यागियोंको करतले इतनी बढ़ गयीं और उनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि सन् १८६८ में सरकारको १८१८के रेगुलेशन ३ के अर्थान विना अभियोग जलाये गिरफ्तार करनेकी शक्तिका प्रयोग करना पड़ा।

बहादुरियोंपर किये गये अत्याचारोंका कुछ पता मुहम्मद जाफर थानेश्वरको उर्दू पुस्तक “कालापानी या ताराख अजाब” से चलता है। मुहम्मद जाफर २० वर्षका कालापानी काटकर घर लौटे थे। वह भी अंबाला अभियोगके एक अपराधी थे। दिनम्बर १८६३ में जब उन्हें पता चल गया कि वे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिये जायेंगे तो वे फरार हो गये। थानेश्वर और देहलीमें सैकड़ों मकानोंकी तलाशी ली गयी पर वे न मिले। उनके भाई और माताको उनका पता जाननेके अभिप्रायसे पुलिसने त्वष्ट पीटा। अन्तमें वह अलीगढ़में पकड़े गये। उनके साथियोंके विषयमें पूछा गया, और जब बार-बार वह यही कहते गये कि “मैं अपने साथियोंके बारेमें कुछ भी न बताऊँगा”, तो उनको इतना पीटा गया कि वे बेहोश हो गये। इस पीटाईके दूसरे दिन फिर पारसन नामक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट उनका हवालातकी कोठरीमें प्रकट हुआ और उनसे कहा कि यदि वह सब हाल बता देंगे तो उनको एक बड़ी सरकारी नौकरी दे दी जायगी। “मेरे फिर इनकार करने पर पारसन सहज सुझे सुबह ८ बजेसे रातके ८ बजेतक पीटता रहा। मेरे सगे भाईको इतना मारा गया कि वह मेरे खिलाफ गवाही देनेके लिए तैयार हो गये।” मुहम्मद जाफरका कहना है कि बहादुरियोंको पकड़नेकी आड़में पुलिसने “पेशावरसे बंगालके उत्तर-पूर्व भागतक शायद ही कोई इज्जतदार मुसलमान छोड़ा हो जिससे उम्ने रुपया बचल न किया हो।”

१. हफ्टर, पृष्ठ ८३

२. हफ्टर, पृष्ठ ९३

सन् १८६८ में वहाबी आन्दोलन फिर इतना जोर पकड़ गया कि उसका दमन करनेके लिए सरकारको पुनः बड़े पैमानेपर तैयारी करनी पड़ी। सरकारको अब अनुमत्त होने लगा कि केवल हिंसात्मक दमन, अभियोगों और कड़ी सजाओंसे आन्दोलन दबनेवाला नहीं है। इसलिये उसने उसकी जड़पर कुल्हाड़ी चलानेकी योजना बनायी। प्रत्येक जिलेमें विद्रोही नेताओंकी सूची तैयार की गयी। रास-रास उपदेशकोंको हिरासतमें ले लिया गया, और इस प्रकार जो जादू-सा अमर वे जनतापर डालते थे वह खत्म किया गया। उनकी गुप्त काररनाइयोंमें विषयमें गवाही इकट्ठा की गयी। यह पता लगानेके लिए कि विद्रोही लोगोंमें कौन लोग रुपा देते हैं काफी छान-बीन की गयी।

सन् १८६४ से १८७१ तक पाँच बड़े वहाबी अभियोग चलाये गये। जिन जिलोंमें वे चलाये गये थे वे एक दूसरेसे सैकड़ों मीलकी दूरीपर थे, लेकिन पहचानमें वे सब सम्बन्धित थे। सीमान्तके प्रत्येक युद्धके बाद भारतमें वहाबी अभियोग चलाये जाते थे और प्रत्येक मामलेसे बहुतसे मामलोंका पता चलता था।

सन् १८७१ के वहाबी अभियोगके जमानेमें अंग्रेजोंके विरुद्ध मुसलमानोंका रोप परकाशपर पहुँच गया था। उस वर्षके सितम्बर मासमें बंगालके मुख्य न्यायाधीश, जॉन पैकमटन नॉर्मनको एक मुसलमानने कल कर दिया। हण्टरका कहना है कि अंग्रेजोंका इतना विरोध १८५७ के विद्रोहके बाद कभी न था। सन् १८७३ में वादसराय मेजोको शेरअली नामक एक वहाबीने मार डाला। मेजो अण्डमन गये हुए थे और वहाँ जब वह नानपर चढ़ रहे थे तो शेरअलीने उनका काम तमाम कर दिया। मेजो मर तो गये, परन्तु वहाबी आन्दोलनको एक मनोपैशानिफ टगसे खत्म करनेकी योजना वह पढ़ते ही बना चुके थे और उसपर काररवाई भी शुरू हो गयी थी।

मेजोने वहाबी आन्दोलनके फैलनेके आदि कारणोंपर, जो मजहबी थे, विचार किया। उसने सोचा कि यदि मुसलिम विद्रोही अपने मुल्लाओं द्वारा यह पतवा निकलवा सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य दारुल हर्ब है, तो कुछ ऐसे मुल्ला भी मिल सकते हैं जो इस राज्यको दारुल इमलाम घोषित कर दें। ऐसे पतवेमें जिहादकी जरूरत ही नहीं रह जाती। वह काम हण्टरको निपुर्द किया गया। उन्होंने वहाबी आन्दोलनपर एक पुस्तक लिखी—“भारतीय मुसलमान—क्या वे धार्मिक दृष्टिमें महारानीके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिए बाधित हैं?” वहाबी आन्दोलनकी एक रूपरेखा देनेके बाद हण्टरने अपनी पुस्तकमें यह सुझाव दिया कि मुसलमान विद्रोहके लिए बाधित नहीं हैं। देशमें एक बहस खटी हो गयी कि भारत दारुल हर्ब है वा दारुल इस्लाम। कोई भी खुलमखुला यह न कह सकता था कि अंग्रेजी राज्य दारुल हर्ब है। जो कोई ऐसा कहता उसे जेलमें बन्द कर दिया जाता। प्रत्यक्ष है कि बहस एकतरफा थी। दक्खिनी और नीम दक्खिनी मुल्ला ‘दारुल हर्ब’ और ‘दारुल इस्लाम’ शब्दोंकी नयी व्याख्या और विवेचना करने लगे। उन्होंने जोरदार शब्दोंमें कहना शुरू किया कि वहावियोंने जो मानी लगाये हैं वे भ्रामक हैं। उन्होंने घोषणा की कि, चूँकि भारतमें इस्लाम मजहबको सच्चे रूपमें माननेकी आजादी है, अंग्रेजी राजके खिलाफ जिहाद करना गरिबतके खिलाफ होगा, मक्कागरीबके कुछ मुफितियोंके पतवे मँगवाये गये, जिनके अनुसार “जबतक देशमें इस्लामकी कुछ रास खियायते कायम हैं, वह ‘दारुल-इस्लाम’ है।” भागलपुरके कमिश्नरके निजी सचिवने उत्तर भारतके मुल्लाओंके पास जा जाकर उनकी राय माँगी

जिन्होंने कहा कि “ईसाई यहाँ मुसलमानोंकी हिफाजत करते हैं और जहाँ मुसलमान गहफूज हैं, वहाँ जिहाद नहीं हो सकता।” सन् १८६३ में बहावियोंके मुकदमोंके वक्त नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा कलकत्तेमें स्थापित ‘मुहमडन लिटरेरी सोसायटी’ (मुस्लिम साहित्य गोष्ठी) बहावी आंदोलनका विरोध करती थी। यह सोसायटी अंग्रेजोंकी समर्थक थी और इसने भी इस व्याख्याका समर्थन किया कि भारत दाकल-इस्लाम है। सोसायटीने (जिसे उस वर्गके लोग चलाते थे, जिसका अस्तित्व अंग्रेजी कृपापर निर्भर था) मुस्लिम आलिमों (विद्वानों) की घोरघणाएँ भी एकत्र कीं। खुद नवाब अब्दुल लतीफने वक्तव्य दिया कि “ब्रिटिश राज इतना मजबूत है कि उसका मुकाबला नहीं हो सकता, वह इतना फायदेमन्द है कि उसे दरगुजर नहीं किया जा सकता। जो मुसलमान तरकी करना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजोंमें मिलकर उन अवसरोंका फायदा उठाना चाहिये जो विदेशी मध्यमवर्गके लिए मिल रहे हैं।” सोसायटी अंग्रेजी शिक्षाको प्रोत्साहन देती थी। सर सैयद अहमदखाने भी इस विवादमें भाग लिया था और ४ अप्रैल सन् १८७१ के “पायनिबर”में सम्पादकके नाम पत्रमें लिखा था। “मुसलमान चाहे दाकल-हर्बमें रहते हों या दाकल-इस्लाममें, जो नरकार उनके दीन ओर इबादतमें दखल नहीं देना, उनके खिलाफ बगावत करना शरियतके खिलाफ है।” इससे लगभग दस साल पहले सर सैयदने एक पुस्तिका ‘दि लायल मुहमदैस आव इंडिया’ (भारतके बफादार मुसलमान) लिखी थी, पर उन दिनों बहावियोंके विद्रोहकी तैयारियाँ जोरोंपर थीं, इसलिए उस किताबका मुसलमानोंपर असर न हुआ था। अब परिस्थिति बदल चुकी थी।

मुसलमानों—खास तौरपर बहावियोंकी काररवाइयोंने नरकारको इतना नाराज कर दिया था कि मुसलमान सरकारी नौकरियोंके अयोग्य समझे जाते थे। अंग्रेजीका ज्ञान न होना उनकी दूसरी अयोग्यता थी। मौलवियोंने फतवोंके काले थे कि फिरंगीकी भाषा सीखनेसे दोख्त (नर्क) मिलेगा। अंग्रेजी न पढ़नेके कारण बेकालत और डाकटरी जैसे पेशे भी उनके लिए बन्द थे। छोटी सरकारी नौकरियाँ आमानोंसे पा जानेवाले हिन्दुओंको मुसलमान ईर्ष्या करते थे। मुस्लिम प्रवक्ता इस भावनाको खुलेआम व्यक्त भी करते थे। कलकत्तेसे प्रकाशित फारसी अखबार ‘दूरवीन’ने १४ जुलाई सन् १८६९ को लिखा था—“हर किरमकी छोटी-बड़ी नौकरियाँ धीरे-धीरे मुसलमानोंमें छिनती जा रही हैं और दूसरी जातिवालोंको, खास तौरपर हिन्दुओंको दी जा रही है। सरकारको अपनम् प्रजाकी सभी जातियोंको एक ही आँखसे देखना है; पर आज वक्त यह है कि सरकार अपने गजटोंमें मुसलमानोंको ओहदोंसे दूर रखती है। हालमें, सुन्दरवनके कमिश्नरके दफतरमें कई जगहें खाली हुई थीं, पर हाकिमने उनके विज्ञापनमें ही लिख दिया था कि ये नौकरियाँ हिन्दुओंके अलावा और किसीको न मिलेगी। नतीजमें, मुसलमान इतने गिर गये हैं कि सरकारी नौकरीकी योग्यता रखने हुए भी उन्हें इन नौकरियोंमें हुकम जारी कर, अलग रखा जाता है। मुसलमानोंकी इन असहाय दशापर कोई भी ध्यान नहीं देता और जेने हाकिम तो मुसलमानोंका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते।”

नवाबी शासनमें मुसलमानोंको ऊँचे पद मिलते थे और हर दौजी व सिविल ओहदा उन्हें उपलब्ध था। अब इनके दरवाजे उनके लिए बन्द थे। उन्हें भौतिक सम्पत्ति भी प्राप्त

साहसके साथ, कभी-कभी जानका खतरा मोल लेकर भी, उन मौलवियोंके फतवोंका निरोध करते रहे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षाको गैरमजहबी घोषित किया था। मेयोकी नीतिने सर सैयदको ब्रिटिश अनुयायी नहीं बनाया था; वे हमेशासे ब्रिटिश सरकारके प्रति निष्ठावान् थे—संभवतः ईमानदारीसे निष्ठावान् थे क्योंकि वे समझते थे कि अंग्रेजी राजकी जड़ इस देशमें स्थायी रूपसे जम गयी है। सन् ५७ के महान् विद्रोहके समय भी, जब अंग्रेजी सत्ताकी जड़ें हिल गयी थीं, तब भी उनका विश्वास अटूट रहा। अपनी इस अंग्रेज-भक्तिको उन्होंने पराकाष्ठापर तब पहुँचा दिया, जब उन्होंने अंग्रेजोंकी आलोचना इस बातपर की कि वे हिन्दू-मुस्लिम भेदभावका पायदा उठाकर भारतीय सेनाकी वफादारीकी गारण्टी नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि “भारतमें अंग्रेजी सैन्य संघटन सदैव दोषपूर्ण रहा है; उसका एक बड़ा दोष यह रहा है कि उसमें काफी अंग्रेज सिपाही नहीं रहे। जब नादिरशाह मुरासान जीतकर फारस और अफगानिस्तान दोनोंका मालिक बना, वह हमेशा दो बरानर बरानर शक्तिकी सेनाएँ रखता था। एकमें ईरानी व कजलबाश होते थे, दूसरीमें अफगान। जब ईरानी फौजमें बगावत होनेका अन्देशा होता अफगान फौज उसे दवानेके लिए मौजूद रहती; इसी तरह ईरानी अफगान सेनाके विद्रोह दमनके साधन रहते। अंग्रेजोंने भारतमें इस दृष्टान्तके अनुसार काम नहीं किया। इसमें सन्देह नहीं कि सिपाही वफादार थे और सरकारी काम अंजाम देते थे। पर सरकारकी इसका विश्वास कैसे हुआ कि वे कभी भी सरकारी आदेशोंके खिलाफ काम नहीं करेंगे? सरकारने यह जरूर किया था कि एक ही सैनिक टुकड़ीमें दोनों जातियोंके सिपाही रखा दिये थे; बरानर हेल-मेल रहनेसे टुकड़ीकी दोनों ‘जातियों’ लगभग एक हो गयीं। यह होना अपेक्षित और स्वाभाविक ही है कि बरानर साथ रहनेसे एक रेजिमेण्टके सिपाहियोंमें दोस्ताना और भाईचारा हो जाय। वे अपनेको एक इकाई समझने लगते हैं। इसीलिए हिन्दू मुस्लिम भेद इन रेजिमेण्टोंमें मिट गये। अगर रेजिमेण्टके कुछ सिपाही कोई काम करते, तो नाकी भी उसीमें लग जाते। अगर हिन्दू और मुसलमान सिपाहियोंके अलग-अलग रेजिमेण्ट बनाये जाते, तो उनमें भाईचारेकी भावना पैदा न होने पाती।”

सर सैयदका बचपन और जवानी मुगल दरबारमें कटी थी और वहाँ उन्होंने ‘नादशाहकी स्थितिका खोजलापन, उसकी छायाशक्तिका झूठ और अंग्रेजी शक्ति’ देखी थी। सन् १८३७ में २० वर्षकी उम्रमें ही अपने रिश्तेदारोंको नाराजकर नादशाहकी नौकरी छोड़कर अंग्रेजोंकी नौकरी कर ली थी। पहले वे बर्क थे, पर बादमें मुंसिफ़ हो गये। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, पर अन्यथा विद्वान् थे और कई बहुमूल्य पुस्तकें लिखी थीं। उनकी दूसरी पुस्तक ‘आक्यालोजिकल हिस्ट्री आव दि रुहन्स आव डेलही’ पर उन्हें रायल एशियाटिक सोसायटी की सदस्यता (फैलोशिप) मिली। वह इतने अंग्रेजपरस्त थे कि उन्हें उनकी तुलनामें भारतीय जानवर मालूम पड़ते थे। सन् १८५७ के विद्रोहमें उन्होंने अंग्रेजोंकी मदद की थी और इससे मुसलमान उनसे क्रुद्ध हो गये थे। विद्रोहमें इम सहायताके लिए उन्हें अंग्रेजोंमें डेरों प्रशंसा और काफी माली इनाम मिले। उत्तरी-पश्चिमी सूबेके एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने उनके बारेमें लिखा था—“सन् ५७ में अंग्रेज सरकारके

१. सर सैयद अहमद खाँ—‘दि कौंज आव दि इण्डियन रिवाल्ट’ (उर्दू में), ग्रैहम द्वारा अनूदित और उद्धृत, पृष्ठ ५४-५५

प्रति भक्ति और अदम्य साहसका ऐसा महान् परिचय किसी औरने नहीं दिया जैसा सर-सैयदने; जैसी लगन और निष्ठा उन्होंने दिखायी उसका वर्णन करना कठिन है।<sup>१</sup> उन्हें अपने और अपने बड़े लटकके उम्रभरके लिए २००) माहवारकी त्रास पेदान मिली और कुछ दूसरे इनाम मिले। सन् १८६९ में तीसरे दर्जेका 'स्टार ऑव इण्डिया' का रिताप मिल्य। उसी साल उन्हें दो सालके लिए २५० पांड सालाना की एक पेदान 'गदरमें की गयी सेवाओके लिए' और मिली। सन् १८६४ में उन्होंने गाजीपुरमें (जहाँ वे सबजज थे) अंग्रेजी कितायोका उर्दूमें अनुवाद करने और मुसलमानों व अंग्रेजोंके बीच अधिक निकटके सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए एक सोसायटी बनायी। इस सोसायटीमें सरकारी ओहदोंपर नौकर मुसलमान शामिल थे और कुछ स्थानीय अंग्रेज अपसर भी दिलचस्पी लेंते थे। बादमें इस सोसायटीका नाम हुआ 'अलीगड साइण्टीफिक सोसायटी'।

सन् १८७० में सर सैयदने उर्दूमें एक माहित्यिक व राजनीतिक अखबार निफालना शुरू किया, जो आठ साल चला। अखबार मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजोंमें सहयोगका प्रचार करता था। मद्राके मौलवियोंके पत्रके सर सैयदके रिताप गरज उठे। उन्हें अनेक गुमनाम पत्र मिले, जिनमें अज्ञात लेखकोंने लिखा था कि हमने कुरान हाथमें लेकर कमम खायी है कि तुम्हें मार डालेंगे। उनमेंमें एकने लिखा था कि 'लार्ड मेयोको मारनेवाला शेर अनी मूर्ख था, सर सैयदको मारकर वह बहिस्त जाना पका कर सकता था।'<sup>२</sup> इन धमकियोंकी परवाह किये बिना वे अपना काम करते रहे। सन् १८७० में ही उनके प्रयत्नोंसे भारतीय मुसलमानोंमें शिक्षा-प्रगारके लिए एक कमेटी बनी। जब उन्होंने शिक्षा प्रचार शुरू किया उस समय भारतमें कुल २६ मुसलमान प्रेजुएट थे, जिन कि हिन्दू प्रेजुएटोंकी संख्या १६२५ थी। सन् १८७१ में बंगालमें 'जिम्मेदारीके पदों' पर ७७३ भारतीय थे, जिनमें बंगालकी जनसंख्यामें बराबरी करनेवाले मुसलमानोंको कुल ९२ पद मिले हुए थे। इससे स्पष्ट हो जायगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षामें मुसलमान जितने पिछड गये थे उसे सर सैयदके प्रयत्न भी पूरा नहीं कर सकते थे।

धीरे-धीरे मुसलमानोंने अंग्रेजी शिक्षाका महत्त्व समझा और मुस्लिम कालेजकी स्थापनाके लिए चन्दा इकट्ठा करने लगे। सन् १८७५ में सर सैयदने मुसलमानोंके लिए एक हाई स्कूल स्थापित किया। सन् १८७८ में यह स्कूल दूसरे दर्जेका काटेज हो गया और फलकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध हो गया। कालान्तरमें यह कालेज मुसलमानोंके सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी व राजनीतिक कार्योंका केन्द्र बन गया। शिक्षाका माध्यम उर्दू था, पर अंग्रेजी भाषाके ज्ञानपर बहुत जोर दिया जाता था। प्रिंसिपल व अधिपतर अध्यापक अंग्रेज थे। यह कालेज कई बातोंमें अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओंकी नकल करता था। नमाजके लिए छात्र मस्जिद जाते थे। मुन्नी और शिया छात्र अलग-अलग नमाज पढ़ते थे।

कालेजके संस्थापकने सन् १८७७ में लार्ड लिटनको एक मानपत्र देते हुए कहा था—“देशवासियोंको शिक्षित करना ताकि वे अंग्रेजोंकी उदारशयता समझ सकें, भारतीय मुसलमानोंकी ब्रिटिश सरकारकी योग्य और उपादेय प्रजा बनना, उनमें ऐसी निष्ठा जाग्रत

१. प्रेहम द्वारा उद्धृत, पृष्ठ १९

२. वही पुस्तक पृ०, २०४



करना जो विदेशीसत्ताकी दासतामूलक अधीनतासे नहीं, सदाशय सरकारकी उदारताके ज्ञानसे उत्पन्न होती है—कालेजके संस्थापकोंके ये ही उद्देश्य हैं।”

यह बात अजीब जान पड़ेगी, पर हिन्दुओं और मुसलमानोंके पृथक् रजिमेण्ट बनानेकी सलाह देनेवाले सर सैयद अहमदखॉ सम्प्रदायवादी नहीं थे। उन्होंने मुसलमानोंको ‘राष्ट्र’ और ‘राष्ट्रीयता’का ज्ञान कराया था और इन शब्दोंकी परिधिमें वे हिन्दुओं व मुसलमानों दोनोंको शामिल करते थे। वं कहते—“कॉम, वह जो एक मुल्कमें रहें.....याद रहे कि हिन्दू और मुसलमान धार्मिक शब्द हैं; अन्यथा इस मुल्कमें रहनेवाले सभी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई इस देशके होनेके नाते एक कॉम हैं। जब ये सब समूह एक हैं तो जिससे उन सबके देशका फायदा होगा, उससे उन सबका भी फायदा होगा.....। अब वह वक्त गुजर चुका है जब धर्ममें भेद होनेके कारण किसी देशके वासी दो कॉम गिने जाते थे।”

पंजाबके हिन्दुओंके बीच भाषण करते हुए एक बार उन्होंने कहा था—“आप अपने लिए जिस ‘हिन्दू’ शब्दका इस्तेमाल करते हैं वह मेरी रायमें सही नहीं है, क्योंकि यह किसी धर्मका नाम नहीं है.....हिन्दुस्तानका हर रहनेवाला अपनेको हिन्दू कह सकता है। इसलिए मुझे दुःख है कि आप मुझे हिन्दू नहीं मानते, हालाँ कि मैं भी हिन्दुस्तानका एक वाशिन्दा हूँ।”

हिन्दू भी उनको राष्ट्रीय नेता मानते थे। उन्हें वे मानपत्र देते थे। वाहसरायकी कार्य-कारिणीके सदस्यकी हैसियतसे उन्होंने मुसलमानोंके साथ कोई पक्षपात नहीं किया। अंग्रेज सरकारसे जब कभी वे राजनीतिक अधिकार या सरकारी नौकरियाँ माँगते, तब भारतीयोंके लिए, सिर्फ मुसलमानोंके लिए नहीं। आगरेके दरवारसे वे उठकर चले आये थे क्योंकि अंग्रेजोंकी बैठनेकी जगह मंचपर बनायी गयी थी और भारतीयोंकी नीचे। ‘तहजीबुल अखलाक’ में उन्होंने लिखा था—“कोई कॉम इज्जत और सम्मान तबतक नहीं पा सकती जबतक वह शासक जातिकी बराबरीपर नहीं पहुँच जाती और अपने मुल्ककी सरकार चलानेमें हिस्सा नहीं बैठाती। कलवाँ या ऐसी छोटी नौकरियाँ करनेके लिए दूसरे देशोंके लोग हिन्दुओं और मुसलमानोंकी इज्जत नहीं कर सकते। किसी कदर, जो सरकार अपनी प्रजाकी इज्जत नहीं करती, उसकी भी इज्जत नहीं होती। मेरे देशवासियोंका सम्मान तो तभी होगा जब वे शासक जातिके बराबरके दर्जेपर आयेंगे”

लेकिन भारतमें अंग्रेजी राज तो “लड़ाओ और राज करो” की नींवपर कायम होना था। अगर सर सैयद जैसे उसके समर्थकोंकी इच्छा थी कि वह कायम रहे तो उन्हें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिये था जो इस नीतिके अनुकूल हो। सर जॉन सीलीने अपनी पुस्तक ‘दि एक्सपेंशन आव इंग्लैण्ड’ में लिखा था—“आप देखें, मदर तो काफी हद तक दबाया गया, भारतकी जातियोंको एक दूसरेसे लड़ाकर। जबतक यह किया जा सकता है और जनताकी सरकार (वह चाहे जो भी सरकार हो) की नुकताचीनी करने और उसके खिलाफ उठ खड़े होनेकी आदत न पड़ जाय, इंग्लैण्डमें बैठकर भारतपर शासन किया जा सकता है और

१. तुफैल अहमद ‘मुसलमानोंका रौशन मुस्तकबिल’ पृ० २८३

‘मजमुआ-ए-लेक्चर्स सर सैयद अहमद’ के पृ० १६७ से उद्धृत

२. वही पुस्तक पृ० २८३। सर सैयदके ‘सफरनामा पंजाब’ के पृ० १३९ से उद्धृत

३. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद द्वारा पृष्ठ ९३ पर ‘इंडिया डिवाइडेड’ में उद्धृत

इसमें अचम्भोकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर स्थिति बदले और जनता किसी तरह एक राष्ट्रीयताके सूत्रमें बँध जाय तो हमें साम्राज्यके तत्परेकी बात नहीं सोचना चाहिये बल्कि साम्राज्यकी उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिये।

इसलिए यह साफ है कि अंग्रेजोंको यह समझानेके लिए किसी सर सैयदकी जरूरत नहीं थी कि सेनाका सघटन ऐसा हो कि मोजा पड़नेपर भारतीयोंको भारतीयोंसे लड़ाया जा सके। अंग्रेज एक व्यापारिक कम्पनीकी हैसियतसे भारत आये थे और यहाँ मालिक बन बैठे थे और इसके लिए उन्होंने हर उचित अनुचित तिकड़म लगायी थी। सन् ५७के विद्रोहने साबित कर दिया था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजोंके कठोर दुस्मन हो सकते थे। “फूट डालो और राज करो”की नीति सबसे पहले फौजमें चलायी गयी। सर जॉन (बादमें लार्ड) लारेंसने जो विद्रोहको दवानेवालोंमें था और बादमें वाइसराय हुआ था, सर सैयद अहमदकी तरह ही कहा था कि “गदरके पहलेकी फौजके दोषोंमें जो सबसे खराब और हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ वह था बगाल फौजकी एकता और भाईचारा। इसकी दवा पहले तो भारतीय और यूरोपीय फौजका सतुलन है और फिर भारतीय जातियोंकी फौजोंका सतुलन है।”

सन् १८५९ में फौजके सघटनकी जाँचके लिए एक शाही कमीशन—पील कमीशन बैठाया गया। कमीशनके मामले हुई गवाहियोंमें इसी ऊपर लिखी रायका प्रतिपादन किया गया। कमीशनकी रिपोर्टके आधारपर सन् १८६१ में फौजका पुनर्सघटन हुआ। जैसा कि ‘टिफिन आव इंडिया’ के लेखक नीरदचन्द्र चौधरीने लिखा है, फौजमें विभिन्न जातीय व साम्प्रदायिक तत्वोंको “इस प्रकार रचदित किया गया है कि उनकी जाति या सम्प्रदायके प्रति भक्ति तो कायम रहती है, साथ ही वे एक दूसरेकी शक्ति और विशेषताओंका सतुलन करते रहते हैं।”

अंग्रेज किस तरह हर मौके, यहाँतक कि हर संकटका इस्तेमाल जातीय भेदभाव बढ़ानेके लिए करते थे, इसका उदाहरण सन् १८७४ के पारसी मुसलमान दंगोंमें मिलता है।

हाकिमोंकी उपेक्षासे बम्बईमें एक मामूली झगड़ेने बढकर भीषण साम्प्रदायिक दंगोंका रूप ले लिया। हाकिम बेशर्मीसे अलग खड़े यह दंगा देखते रहे, मानो जिस देशपर वे राज करते हैं, यहाँ शान्ति व सुरक्षा कायम करनेमें उनका कोई सरोकार न हो।

सन् १८७३ के अन्तमें, जब मुसलमानोंको खुश करनेकी अंग्रेजी नीति चाल थी, टीके लगानेवाले एक पारसीने गुजरातीमें एक किताब लिखी, जिसपर कुछ मुसलमानोंको यह आपत्ति हुई कि किताबमें हजरत पैगम्बरके सम्बन्धमें एक अपमानजनक इशारा है। उन्होंने पुलिसको इत्तिला दी और उसने फौरन किताब जप्त कर ली। पारसी लेखकने ‘अनजानेमें हुए अपराध’ के लिए क्षमा भी माँग ली। पर कुछ मुसलमान इसमें सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने खूनसे बदला लेनेकी टानी। वे पारसी पूजाघरोंमें घुस गये, प्रार्थनाकी किताब फाड़-डाली और पवित्र अग्नि बुझा दी। कुछ पारसी परिवारोंको सताया भी गया। दोनों सम्प्रदायोंमें खुले आम बलवा हुआ, जिसमें कई जानें गयीं। इस बलवेकी सूचना पुलिसको पहले

१. ‘दि पब्लिकेशन ऑफ इंग्लैण्ड,’ पृष्ठ २७०

२. दि कम्युनल ट्रायंगिल’ में पृष्ठ ५४ पर उद्धृत

ही दे दी गयी थी पर तब भी, ऐन मौकेपर पुलिस नदारद थी। हाकिमोंने हालत विगड़ते देखी और स्थिति काचूसे बाहर जाते देखकर भी फौज न बुलायी।

संख्यामें कम होनेके कारण पारसी मुसलमानोंका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने बम्बईके गवर्नर सर फिलिप बुडहाउसके पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। पर उनके साथ सहानुभूति प्रकट करनेकी जगह गवर्नरने कहा—“तुम पारसियोंको सरकारपर निर्भर रहनेकी जगह अपनी रक्षा अपने आप करना सीखना चाहिये।” इस सलाहका मतलब यही था कि अगर मुसलमान पारसियोंपर हमला करें तो पारसी मुसलमानोंपर जवाबी हमला बोल दें। पुलिस कमिश्नर फ्रेंक स्ट्रटर तो एक कदम आगे बढ़ गया। पारसियोंका अपमान करते हुए उसने उनकी एक भीड़को संबोधित करते हुए कहा—जहनुममें जाओ, तुम पारसी लोग; तुम्हींने शगड़ा उकसाया है। मैं तो चाहता हूँ कि एक-एक पारसी मार डाला जाय। मैं पूरी पुलिस हटा दूंगा और तुम लोगोंकी कोई मदद न करूँगा।” दूसरे दिन पारसियोंकी एक सार्वजनिक सभामें उनके नेता फारोजशाह मेहताने गवर्नरकी सलाहपर क्षोभ प्रकट किया; अंग्रेजी राजके बफादार होनेके नाते, असहाय होकर कहा—“सज्जनों! मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने जो उपचार माँगा है, वह हमें मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार और महारानी विक्टोरिया स्वयं जानती हैं कि पारसी जाति सबसे अधिक स्वामिभक्त और शान्तिप्रिय जाति है।”

भारतमें तब साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये थे। सन् १८७१-७२ में जब बहावी आन्दोलन अपनी चरम सीमापर था, संयुक्त प्रान्तमें बरेली व कुल्लू और जगहोंपर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे मानों अंग्रेज-विरोधी मुसलमानोंका ध्यान बटानेके लिए हुए हों।

लेकिन अंग्रेज सरकार अभीतक निराश थी। हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध अच्छे थे। छिट-फुट दंगोंका सामान्य वातावरणपर ज्यादा असर न हुआ था। यहाँ एक और विद्रोही वर्गका जिक्र कर देना असामयिक न होगा। सन् १८७२ में नामधारी सिख ( जिन्हें कृका भी कहते हैं ) सरकारके कोपका भाजन बने और उनमेंसे बहुतसे या तो तापके मुँहसे बाँधकर उड़ा दिये गये, या कालेपानीमें डाल दिये गये। नामधारी सम्प्रदाय वावा बालकराम और उनके शिष्य भार्दराम सिंहने ( जो महाराज रणजीतसिंहकी फौजमें थे ) चलाया था। खालसा फौजके विघटनके बाद भार्दरामसिंहका दृष्टिकोण धार्मिक हो गया और वह साधु-वावा बालक रामसे मिले। भार्दरामसिंहकी आत्मा दुखी थी क्योंकि सिखोंने “विलासी जीवन अपना लिया था”। उन्होंने सिख जातिके सुधारका प्रत ले लिया। उनके पवित्र और परंपकारी जीवनकी ओर बहुतसे सिख आकर्षित हुए। उनके अनुयायियोंकी संख्या बढ़ी और नामधारी या कृका सम्प्रदायकी नींव पड़ी। इस सम्प्रदायमें मुसलमान भी शामिल हो सकते थे, पर अधिकतर हिन्दू व सिख इसमें शामिल होते थे। नामधारियोंका एक बार अमृतसरके कुल्लू बूचड़ोंसे शगड़ा हो गया और कई बूचड़ मार डाले गये। नामधारियोंपर मुकदमा चला और उनमेंसे कुल्लूका फौसी मिली।

कृका सम्प्रदाय सामान्यतः अंग्रेजोंसे सहयोग नहीं करता था। नामधारी न्यायके लिए अदालत भी नहीं जाते थे। वे सरकार या उसके मुहकमोंसे कोई शरोकार नहीं रखते थे। लोग जानते थे कि ‘कृका अंग्रेजी राजसे अप्रसन्न है’। भार्दरामसिंहने उन्हें सिखोंके

विगत कैमरकी याद दिलायी । सन् १८७२में उनकी एक मजबूत टुपडीने मलेरकोटला रियासतपर हमला किया । टुकडी हरा दी गयी, विद्रोह शान्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह इस बातका ही उदाहरण है कि अंग्रेज सिविलियन कैसे जानवरकी तरह व्यवहार करने लगते थे । सर हेनरी काटनने लिखा है—“१४ जनवरी सन् १८७२को लगभग १०० कूकाओंका ( सितोंका एक सम्प्रदाय जो ब्रिटिश राजसे अप्रसन्न थे ) एक गिरोह मालेघपर हमलाकर खूली हिसापर उतर आया और सतलजपारकी मलेरकोटला नामक रियासतकी राजधानीपर उसने आक्रमण कर दिया । जमजर लडाई हुई और दोनों ओर काफी लोग हताहत हुए । आक्रमण विफल हुआ और बाकी बचे ५६ कूका ( जिनमें २२ घायल थे ) पठियाला रियासतमें भाग गये । वहाँ १५ जनवरीको उन्होंने हथियार डाल दिये और एक रात उन्हें शेरपुरके किलेमें रखा गया । उनके हथियार डाल देनेसे ही कूका विद्रोह खत्म हो गया ।

“१६ जनवरीको तुधियानाके डिप्टी कमिश्नर कोचनने बैदियोको मलेरकोटला बुलवाया । वह भी वहाँ पहुँच गया । उसी शामको उसने अपने अपसर कमिश्नरको लिखा कि शांति स्थापित हो चुकी है और ‘भे वल सवेरे बैदियोको तोपसे उडा देने या पाँसी देनेका प्रस्ताव करता हूँ ।’

“अगले दिन ( १७ जनवरी ) को कमिश्नर फोरसाइथका जवाब कोचनको दोपहरतक मिल गया; जिगमें कहा गया था कि तुधियानासे फौजी पदरा भेजनेतक बैदियोको शेरपुरमें ही रखा जाय । कोचनका कहना है कि मैंने यह चिट्ठी जेवमें सर ली और फिर उसके बारेमें सोचा भी नहीं । शामको ४ बजे कूका बन्दी कोटला लाये गये और उसी घण्टा किसी मुकदमे, सफाई, गुनवार, सख्त घोररहका बहानातक किये सँग कोचनने उनमेंसे ४९ को तोपके मुँहसे बँधवाकर उडवा दिया । शामको ७ बजे जब ४९ में से आठिरी ६ कूका तोपसे बाँधे जा रहे थे, कमिश्नर फोरसाइथका हुक्म आया कि कैदी मुकदमेके लिए भेजे जायें । सरकारको अपनी सफाई देते हुए कोचनने लिखा—‘फोरसाइथका पत्र पढ़कर मैंने बर्गल पर्सिसको दे दिया और कहा कि जो कैदी तोपसे बाँधे जा चुके हैं, उनकी सजा स्थगित करना असम्भव है, इससे हमारे आसपास मौजूद लोगोंपर बहुत बुरा असर पड़ेगा’ । तोपसे बाँधे छः कूका भी उडा दिये गये । ५० बाँ कूका पहलेसे छूटकर भागा और उगने कोचनकी दाढी पकड़कर उगापर हमला करनेकी कोशिश की, पर उसे वही मौजूद देशी अपसरोंने तलवारसे फौरन काट डाला ।

“इस घटनामें कोचनकी कारगुजारी यह थी । कमिश्नर फोरसाइथने बार बार उगमें कहा था कि जानतेकी कावनी तानापुरी जरूर कर लो । १७ को ही उगने सरकारको तार दिया था—‘मैं घटनास्थलपर हूँ और मामलेको कायदेसे और जल्दी निपटा दूँगा । असाधारण कारवारीकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें उजोजना बंदीकी जो न हो तो ही अच्छा है ।’ लेकिन जब १८ तारीखको कोचनके त्तरे उसे इस भीषण दुस्खान्त घटनाकी सूचना मिली, उगने कोचनको लिखा—‘प्रिय कोचन, जो कुछ तुमने किया मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ । तुमने प्रशंसात्मक ढंगसे काम किया है । मैं आ रहा हूँ ।’ वह आया और कानूनके मुताबिक १६ बैदियोको पाँसीकी सजा दे दी । वे १६ भी लटका दिये गये ।

“इस घटनापर भारत सरकारने एक विस्तृत प्रस्ताव स्वीकार किया। कहा जाता है कि इस प्रस्तावका मसविदा वाइसरायकी कार्यकारिणीके कानून-सदस्य जस्टिस स्टीफेनने तैयार किया था। ‘वाइसराय महोदय व उनकी कार्यकारिणी यह दुःखद घोषणा करनेकी आवश्यकता समझते हैं कि मिस्टर कोवनका तरीका गैरकानूनी था, उसके लिए कोई सार्वजनिक स्थिति या आवश्यकताका दवाव नहीं था; इस मामलेमें ऐसी घटनाएँ हुईं जो वर्तमानपूर्ण हैं’; इसलिए वाइसरायने ‘खेदके साथ’ आदेश दिया कि ‘मिस्टर कोवनको नौकरीसे अलग कर दिया जाय।’ फौरनसाइथकी कड़ी आलोचना की गयी और एक दूसरे सूत्रमें उसका तवाबला हो गया जहाँ उसका ओहदा व तनखाह वही रही जो उसे लुधियानेमें मिलती थी। बादमें वह सर डगलस फौरसाइथ हुआ।”

सर डगलसने अपनी आत्मकथामें इस घटनासे अपना सम्बन्ध बताते हुए लिखा है—“देशी रियासतोंके सुपरिटेण्डेण्ट व कमिश्नर होनेकी हैसियतसे मुझे मौतकी सजा देनेका अधिकार था, जो कोवनको नहीं था। मैंने उसे लुधियानेसे लिखा कि विद्रोहियोंका मुकदमा करो, पर सजा तबतक न दो जबतक मैं न आ जाऊँ। पर कोवनने मनमानी की, मेरा खत जेबमें डालकर उसपर काररवाई करनेसे इनकार किया और कानून अपने हाथमें लेकर कैदियोंको मौतकी सजा दे डाली।...इसलिए मैंने कोवनकी काररवाईकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेका निश्चय किया और ऐसी परिस्थितिमें उसने जो कुछ किया उसका समर्थन करते हुए मैंने एक पत्र उसे लिखा...मैंने उसकी मददके लिए हर संभव कोशिश की और उसके नौकरीसे निकाले जाने पर भारतमें ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दिला दी।”

मलेरकोटला काण्ड यहीं खत्म नहीं हुआ। पंजाब भरके नामधारी-सम्प्रदायको आतंकित करनेका सरकारी आंदोलन चला। नामधारियोंके पंजाब भरके नेता एक रातमें एकाएक पकड़ लिये गये और कुछ रंगून व कुछ अण्डमान भेज दिये गये। अनुपाततः कम महत्वपूर्ण नेता पंजाबकी जेलोंमें भर दिये गये। गुरु-रामसिंह रंगून भेजे गये और उन्हें फिर कभी भारत न आने दिया गया। वे अपने अनुयायियोंमें अँग्रेजोंके खिलाफ विद्रोहकी भावना भरनेके लिए जिम्मेदार थे। वे धार्मिक नेता भी थे और राजनीतिक नेता भी। काफ़ी दिनों बादतक नामधारियोंकी निगरानी होती रही।

सन् ५७ के विद्रोहमें सिख आमतौरपर अँग्रेजोंके साथ थे। जैसा कि सर गोकुलचन्द्र नारंगने लिखा है “दिल्लीमें मारे गये नये गुरुका नाम ले लेकर और औरंगजेबके उत्तराधिकारियोंके उस मौतका बदला लेनेकी अपीलें निकालकर सिखोंको उभारनेकी चाल चली गयी।” सिखोंका अंग्रेज-भक्त वर्ग अपने भाइयोंका कल्लेआम हाते और वह भी अंग्रेजके हाथों हाते देखकर अचम्भेमें पड़ गया। सिखोंके शान्तिमय जीवनमें एक लहर आयी—सिर्फ एक लहर। शीघ्र ही फिर सब कुछ शान्त हो गया।

१. सर डगलसकी आत्मकथा, पृ० ३६, ३७, ४२, ४३

२. नारंग, पृष्ठ ३३६।

## अध्याय २

### हिन्दू सुधार आन्दोलन एवं राजनीतिक जाग्रति

सन् १८५७-५८के विद्रोहके पश्चात् हिन्दू समाजमें कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधारकोंका प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने यह सोचकर कि अंग्रेजी राज तो अब कायम हो ही चुका है उसका यथासाक्षि उन्नित प्रयोग करनेकी कोशिश की। अंग्रेजी शिक्षाके अध्ययनसे वे आज्ञादी, धर्म, राजनीति, और सामाजिक रीति रिवाजोंकी पाश्चात्य विचारधाराके सम्पर्कमें आएँ। उन्हें एक नये प्रकारके जीवनका आभास और अनुभव हुआ और इसका उत्तर इतना महारा प्रभाव पड़ा कि उनको हिन्दू समाजमें अनेक बुराइयों तथा दोष दिखाई देने लगे। अदभ्य धार्मिक उत्साह व लगनके साथ वे उन बुराइयोंको दूर कराने के लिए समाज-सुधारके वाथमें लग गये। ये जानबूझ कर राजनीतिसे दूर रहे क्योंकि उन दिनों राजनीति का मतलब था हिमात्मक तरीकों द्वारा ब्रिटिश राज कात्म कर देना।

धीरे धीरे उनका धार्मिक सुधारकार्य विस्तृत होता गया और उन्होंने अन्तमें उस क्षेत्रमें प्रवेश किया जिसे वैधानिक राजनीति कहा जाता था। उन्होंने जो मार्ग अपनाया उसे ५० वर्ष पहले राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३)ने दिखाया दिया था। हिन्दू दफिया-गूपीपनके विरुद्ध उन्होंने बड़ा त्याग करके यह रास्ता ग्रहण किया जिसके लिए उन्हें अपने नाते रिश्तेदारोंतकसे अलग होना पड़ा।

जैसा कि एंट्रज और मुकर्जीने लिखा है हिन्दू समाज "उन दिनों दयनीय और गण-पासक हालतमें था। सदियोंके मुसलिय प्रभुत्वने हिन्दुओंकी प्रेरणाशक्ति व कर्मठताको दबा दिया था। पूर्वी बंगालमें विशाल जन संख्या मुसलमान हो गयी थी, यद्यपि उसके जीवन-दर्शन और रहन सहनकी हिन्दू पृष्ठभूमिका लोप नहीं हुआ था। इस प्रकार ऐतिहासिक रूपसे जब ईस्ट इण्डिया कम्पनीने अपनी शक्ति जमाना आरम्भ किया, हिन्दू समाज दुर्बलताकी चरम सीमातक पहुँच गया था"।<sup>१</sup>

नानाही शासनकालमें सरकारी नौकरियोंमें हिन्दू और मुसलमानोंका अनुपात विभिन्न शासकोंकी मनोवृत्ति व रुतपर निर्भर करता था। इस्लामके पक्षपाती शासकोंके जमानेमें सभी महत्त्वपूर्ण पद सिर्फ मुसलमानोंको ही दिये जाते थे, परन्तु कुछ शासकोंके जमानेमें हिन्दुओंको भी बड़ी-बड़ी जगह मिलती थीं। धर्मांध मुद्दाओंकी प्रेरणासे चलनेवाली यह नीति हिन्दुओंको शासनके विरुद्ध कर देती थी। उसके फलस्वरूप हिन्दू मध्यम वर्गका एक भाग ब्रिटिश शासनमें अपनी उत्पत्ति का स्वप्न देखने लगा और सरकारने भी अपने हितसाधनके लिए हिन्दू पक्ष-पातकी नीति अपनायी और मुसलमानोंका खुलम खुला विरोध किया। सरकारी नौकरियोंके इच्छुक हिन्दुओंने इसका शार्दिक स्वागत किया। उनके लिए यह केवल निजी आर्थिक प्रश्न था। पेट भरनेके खातिर सरकारी नौकरी करनेवाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय समस्याएँ गौण हो जाती हैं विशेषकर जब उसके पूर्वजोंके साथ सरकारी नौकरीमें भेदभाव चरता गया हो।

१. सी. एफ. पैट्रूज व गिरिजा मुकर्जी, दि राइज ऐण्ड प्रोथ आफ दि कॉंग्रेस पृ० २२

अँग्रेजी राज्य स्थापित होनेके पहले हिन्दू और मुसलमान एक होकर बंगालतकमें अँग्रेजोंसे लड़े थे। धर्मान्ध शासकोंकी संकीर्ण नीति भी उन्हें अँग्रेजोंसे देशकी वचनानकी बड़ी जिम्मेदारियोंसे विस्त नहीं कर सकी थी। परन्तु अँग्रेजोंकी पूर्ण विजयके पश्चात् सरकारी नौकरोंका प्रश्न पेट्रे-लिये मध्यमवर्गके दिग्गममें प्रमुख हो गया।

हिन्दू समाजके इस रद्दोवदलके जमानेमें राजा राममोहनराय प्रकट हुए। उन्हें “भारतीय राष्ट्रीयताका पैगम्बर और आधुनिक भारतका पिता” कहा जाता है। इतिहासकारोंने उन्हें “अति स्पष्टदर्शी धार्मिक नेता और अगुगामी राजनीतिक विचारक माना है।” वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागोंको पृथक करनेकी आज्ञा उठायी, और वे ही प्रथम भारतीय थे जो पार्लैमेंटकी एक समितिके सम्मुख गवाही देनेके लिये इंग्लैण्ड गये। समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्वकी पश्चात्य विचारधाराका प्रभाव उनपर इतना पड़ा कि इंग्लैण्डके रास्तेमें जब उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज दिखाई पड़ा, जिसपर आजादीका झण्डा फहरा रहा था, तब उन्होंने उसपर जाकर फ्रेंच राष्ट्रके प्रति, जिसने समस्त प्रकारकी गुलामीके विरुद्ध क्रांतिक झण्डा उठाया था, भारतकी श्रद्धाजलि देनेका निश्चय प्रकट किया। जब वे फ्रांसीसी जहाजपर चढ़ रहे थे तो वे फिसलकर गिर गये और उनके पैरोंमें रंगी चोट आयी कि वे जन्मभरके लिये लँगड़े हो गये।

एक अत्यन्त प्रान्चीन परम्परा-युक्त ब्राह्मण परिवारमें पैदा होकर होश संभालते ही उन्होंने अपनेका मूर्तिपूजा और संस्कारके बीचमें पाया। उनकी शिक्षा-दीक्षा पटनामें हुई जो उस समय इस्लाम धर्मका केन्द्र था। शिक्षा समाप्त करके जब वे घर लौटे तो मूर्तिपूजा तथा परम्परागत रीति-रिवाजोंसे उनका विश्वास पूर्ण तरह टूट चुका था। उनका कहना था कि उपनिषद् अद्वैतवादकी शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्तिपूजाका कोई स्थान ही नहीं है।

“कहा जाता है कि अपनी जवानीमें वे अँग्रेजोंको बहुत नाफसन्द करते थे। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी नौकरोंमें अच्छे अनुभवसे और दिग्गमी जैसे योग्य अँग्रेजोंके सम्पर्कमें आनेके बाद वे अपनी राय बदलने लगे।”

उनमें धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था और १८०३ तक उनके सुधार सम्बन्धी विचारों की उनके जीवनपर इतनी गहरी छाप लग गयी कि उनकी स्त्री और माताने उनके साथ रहनेसे इनकार कर दिया। कम्पनीकी नौकरोंसे वे १८१४में पृथक हो गये और १८१५में उन्होंने “आत्मीय सभा”की स्थापना की। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित कीं जिनके द्वारा पेट्रे-लिये लोगोंमें विचारोंका आदान-प्रदान हुआ और विवाद शुरू हुआ। उनकी आत्मामें सती, अग्नी प्रथाओंके विरुद्ध विद्रोह-भाव था और उन्होंने उसके विरुद्ध आन्दोलन किया। मुख्यतः उनके प्रचारके फलस्वरूप ही लार्ड विलियम बैंटिंकने एक आज्ञा जारी करके सती प्रथाको निषिद्ध घोषित कर दिया।

सन् १८२८ और १८३३के बीचके कालमें उनके सुधार और सामाजिक कार्य परा-काष्ठापर पहुँच गये। इसी कालमें इंग्लैण्डमें भी सुधार-आन्दोलन चल रहा था। ब्रिटिश उपनिवेशोंमें गुलामी प्रथापर रोक, नयी जनतांत्रिक पार्लैमेंट, भारतमें धार्मिक और जातीय समानताका चार्टर, जैसे सुधारोंकी घोषणा इसी आन्दोलनके फलस्वरूप हुई थी। भारतीय चार्टरमें कहा गया था कि “धर्म, जन्मस्थान, जाति, रंगभेद आदिकी वजहसे किसी भी

भारतीयको किसी भी सरकारी ओहदे या नौकरीके लिए अयोग्य न समझा जायगा ।” यह घोषणा कभी कार्यान्वित नहीं हुई, हमेशा इसका उल्लंघन किया गया । भारतीयोंको कोई भी बड़ी जगह नहीं दी गयी ।

राममोहन राय नहीं चाहते थे कि भारत-शासनका भार ब्रिटिश सम्राट कम्पनीसे ले ले । उनके निजी सचिवके लेखानुसार “उनका तर्क यह था कि औपनिवेशिक मामलोंमें सर्वधित मन्त्री सार्वभौम सत्ताका प्रयोग करता है और पार्लमेण्टके सदस्योंमेंसे अधिकतर उसके अधीन-से रहते थे । इसलिए प्रस्तावित तबदीलीके माने होंगे एक ऐसे शासकीय ढर्रेको, जिसमें शक्ति-के दुष्प्रयोगपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, छोड़कर सार्वभौग सत्ताके अधीन ही जाना ।

उन दिनों भारतमें ईसाई पादरियोंका बहुत जोर था । वे भारतीय धर्मोंको मूलत रूपमें प्रदर्शित कर ईसाई धर्मको ही एकमात्र मुक्ति-मार्ग बताते थे । उनका प्रभाव मिटानेके अभिप्रायसे राममोहन रायन “ब्रह्मसमाज”की स्थापना की जिसका उद्देश्य हिन्दुओंको यह बताना था कि रीति-रिवाजोंके कुसंस्कारोंका पालन हिन्दू धर्म नहीं है, परन्तु हिन्दू धर्म उनसे भिन्न मानवकी ऊँचा उठानेवाला है । राममोहन रायकी मृत्युके तीस वर्ष बाद जिस व्यक्तिने जोशके साथ ब्रह्मसमाजका आन्दोलन चलाया वह थे केशवचन्द्र सेन । उन्होँके प्रयत्नोंमें सिविल विवाह कानून बना जिसके अन्तर्गत कोई भी गैर ईसाई जो यह घोषित कर दे कि वह न हिन्दू है, न मुसलमान, न पारसी और न यहूदी, सिविल विवाह कर सकता था । उन्हींने एक विधेयक तैयार किया जिसमें यह उपबन्ध किया गया था कि विवाहके समय लड़कीकी उम्र कम से कम १४ वर्षकी होनी चाहिये ।

बादको ब्रह्मसमाजके प्रमुख सदस्योंमें इस बातपर मतभेद होने लगा कि सुधारोंका क्या सीमा और क्या तरीके होने चाहिये । मतभेद बड़ा और नयी संस्थाओंका जन्म हुआ, जैसे प्रार्थना समाज, भारतीय ब्रह्मसमाज, साधना समाज । बादके वर्षोंमें इन संस्थाओंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको कई बड़े बड़े नेता प्रदान किये । धीरे धीरे ये सभी समाज अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंकी गोष्ठियों बनकर रह गयीं जिनके सदस्यों और जनतामें कोई सम्पर्क न था ।

ब्रह्मसमाजके समान ही आर्यसमाज एक दूसरा धार्मिक आन्दोलन था जिसने भविष्य-की राजनीतिपर एक अमिट छाप डाली । आर्यसमाज बताता था कि ज्ञान और प्रज्ञाके लिए भारतको पश्चिमी दर्शन नहीं, वेदोंपर आश्रित होना चाहिये । ब्रह्मसमाजकी तरह आर्य-समाज भी ईसाई प्रचारके विरुद्ध चुनौती बनकर आया । उसके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द कहते थे कि यदि भारतीय वेदोंके अनुसार अपने आचरण सँभाल लें तो उनकी हीनताकी भावना जाती रहेगी । जैसे-जैसे समय बीतता गया आर्यसमाज पढ़े-लिखे उस्ताही युवकोंका केन्द्र बनता गया । इसने भी भविष्यकी राजनीतिमें कई नेता दिये ।

आर्यसमाजके कृत्योंके एक पहलूने मुसलमानोंको क्रुद्ध कर दिया—वह पहलू था अहिन्दुओंकी शुद्धि । आर्यसमाजियोंकी यह महसूस थी कि यदि इस्लाम और ईसाईधर्ममें अन्य धर्मोंके अनुयायी प्रवेश पा सकते हैं, तो हिन्दूधर्मका दर्जा भी अन्य धर्मोंके बलिभियोंके लिये खुला होना चाहिये । यह तर्क अज्ञान्य था । वेदोंमें धर्म-परिवर्तनपर कोई रोक नहीं है । इस तर्ककी ऐतिहासिक गजबूती भी प्राप्त थी । वैदिक धर्म प्राचीनतम था; अन्य धर्मोंका प्रादुर्भाव हजारों वर्ष बाद हुआ । अनेक पुस्तकें और पुस्तिकाएँ यह सिद्ध करनेके लिए निराली गयीं कि अन्य सभी धर्मोंकी अच्छी बातोंका आधार वैदिक धर्म ही है । आर्यसमा-



जियोंके सम्मुख मुसलमान और ईसाई प्रचारकोंका उदाहरण था जो अपने धर्मावलम्बियोंकी संख्या बढ़ानेमें बड़े जोशके साथ काम करते थे। लगभग ९० प्रतिशत भारतीय मुसलमान हिन्दू धर्मसे ही इस्लाममें गये; हिन्दुओंको मुसलमान बनानेका काम नित्य प्रति चलता रहता था। रीति-रिवाजोंके कारण हिन्दूधर्ममें अनेक बुराइयाँ आ गयी थीं, जैसे बालविवाह, जिसका परिणाम था युवती विधवाओंकी संख्यामें वृद्धि, विधवाविवाह निषेध, और अस्पृश्यता। और इन दोषोंसे मुक्त इस्लाम धर्म इन दुःखी व्यक्तियोंको शरण देता था। इस प्रकार हिन्दुओंकी संख्याकी कमीसे मुसलमानोंकी संख्या-वृद्धि होती जाती थी। स्वामी दयानन्दने इन बुराइयोंकी जड़पर कुन्हाड़ी चलायी। उनके अनुयायी यह प्रचार करते हुए धूमने लगे कि विधवाओंका पुनर्विवाह होना चाहिये, वेदोंमें अस्पृश्यता वर्जित है, हिन्दुओंके सब वर्गोंको ( जिनमें तथाकथित अछूत भी शामिल हैं ) आपसी व्यवहार और खान-पानमें कोई भेद-भाव नहीं करना चाहिये।

परन्तु आर्यसमाजका धर्म-परिवर्तनका कार्य कुछ अधिक सफल न रहा; इसका उल्टा परिणाम यह निकला कि मुसलमान आर्यसमाजको अपना शत्रु समझने लगे। क्योंकि अँग्रेज शासक हिन्दू-मुसलमानके आपसी भेदभावको बढ़ानेमें हर तरीकेका इस्तेमाल करते थे, धर्म-परिवर्तनका प्रचार भारतके राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हुआ। उसके फलस्वरूप दोनों जातियों कमजोर होती गयीं और अँग्रेजी शक्ति बढ़ती गयी। लेकिन, जैसा कि श्रोमती एनी बेसेण्टने कहा है, “दयानन्द प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि ‘भारत भारतीयोंका है’।”

दूसरी धार्मिक संस्था जिसने अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय राजनीतिपर प्रभाव डाला, रामकृष्ण मिशन थी। रामकृष्ण बंगालके प्रायः अशिक्षित ग्रामीण पुरोहित थे। उनका मत था कि विभिन्न धर्म एक ही लक्ष्यपर पहुँचनेके लिए विभिन्न मार्ग हैं। स्वामी दयानन्दकी भाँति उन्होंने भी भारतीयोंको बताया कि उन्हें पाश्चात्य संस्कृतिकी नकल नहीं करनी चाहिये, और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीयताकी भावना जाग्रत की। परन्तु दयानन्दके विपरीत वे परम्परागत हिन्दू पूजा-पद्धतिके पक्षपाती थे। उनके मतानुसार भगवानकी पूजा और प्राप्ति हिन्दुओंके प्राचीन ढंगसे हो सकती थी जिसकी ईसाई प्रचारक हँसी उड़ाते थे।

उन्नीसवीं सदीके उत्तरार्द्धमें भारतीय विद्वान् देशके प्राचीन गौरवका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आध्यात्मिक क्षेत्रमें खोज कर रहे थे। वेदों और उपनिषदोंका देशकी प्रचलित भाषाओंमें अनुवाद किया गया; धर्म और दर्शनपर बहुतसे ग्रन्थ लिखे गये।

उधर विद्रोहके पश्चात् अनेक कवि और लेखक जनतामें आजादीकी भावना जाग्रत करनेका प्रयत्न कर रहे थे। सन् १८५९ में रंगलाल बनर्जीने ‘पद्मिनी’ नामक एक नाटक लिखा जिसका नायक अपना प्रभावशाली भाषण इस प्रकार करता है—“कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपमानजनक गुलामीमें रहना चाहेगा? कौन ऐसा है जो गुलामीकी बेटियाँ पहनना पसन्द करेगा? युगोंतक गुलामीमें रहना नरक समान है, एक दिनकी भी आजादी मुखकी पराकाश है। उस व्यक्तिका जीवन और शक्ति धन्य है जो अपनेको उत्सर्ग करके देशको आजाद कराता है।”

वैसे तो रवींद्र ठाकुरके प्रायः सभी कुटुम्बियोंने राष्ट्रीय भावनाओंको जाग्रत करनेमें योग

दिया, परन्तु उन सबमें देवेन्द्रनाथका स्थान उच्चतम है। वे अंग्रेजी चमकसे प्रभावित नहीं हुए और यह आरोप कभी स्वीकार नहीं किया कि भारतीय नीचे दर्जेके लोग हैं। कृष्णनगर कालेजके प्रिंसिपल, लीवने एक समाचार पत्रमें देवेन्द्रनाथके विषयमें इस प्रकार लिखा था—  
 “यह वयोवृद्ध गवींला पुरुष अंग्रेजोकी प्रशंसातक स्वीकार नहीं करता।” देवेन्द्रनाथने “तत्वबोधिनी पत्रिका” नामक समाचारपत्रकी स्थापना की। उसके विषयमें प्रसिद्ध कवि और नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ ठाकुरने लिखा है—“राष्ट्रीय भावनाका प्रचार ‘तत्वबोधिनी’का आरम्भ होनेके साथ बढ़ने लगा। अधयमुमर दत्तने भारतके प्राचीन गौरवपर कहानियाँ और लेख लिपकर लोगोंके हृदयोंमें देशभक्तिकी भावनाएँ जाग्रत की।”

राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्रने ( जो आदि ब्रह्मसमाजो थे ) देशभक्ति और राष्ट्रीय विचारोंका प्रचार करनेके उद्देश्यसे ‘हिन्दू मेला’ आरम्भ किया। नवगोपाल ‘नैशनल पेपर’ नामक पत्रके सम्पादक थे। अन्य राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे भी उनका सम्बन्ध था। उन्हें ‘नैशनल’ ( राष्ट्रीय ) शब्द इतना प्रिय था कि उसके कारण उनका नाम ही ‘नैशनल नवगोपाल’ पड़ गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने “संस्मरणों”में लिखा है कि नवगोपालका “बहुत देशप्रेम एक आध्यात्मिक उत्साह था। देशके नामपर उनकी ओर चमकने लगती, वे उत्साहसे उछल पड़ते, और चाहे उनकी आवाज सुरमें मिलती या न मिलती वे सबके साथ गाने लगते—

‘हमने बाँधा है हजारों हृदयोंको एनताके सूत्रमें

‘हमने समर्पित किये हैं हजारों जीवन बस एक कार्यके लिए’।”

‘हिन्दू मेला’ सघटित करनेके लिए एक समिति स्थापित की गयी। इसका एकमात्र उद्देश्य लोगोंको राष्ट्रीय गौरवका बोध कराना था।

इस मेलेके विषयमें राजनारायण बसुने लिखा है—“जब मैं एक अंधेरे तग कमरमें समितिका काम करता था तब सोच भी नहीं पाता था कि इसका फल विशाल क्षेत्र मेला या हिन्दुओंका इतना बड़ा सग्रह होगा।” प्रथम मेला सत्येन्द्रनाथ ठाकुरकी एक कविताके पाठसे शुरू हुआ जिसका रुपान्तर यह है—“हम सब भारतीय एक स्थानपर इकट्ठा होकर, एकचित्त और एक स्वरसे भारतकी गौरव गाथाका गान करते हैं। भारत जैसा देश और कौन है जिसके पर्वत हिमालयके समान ऊँचे हों, जहाँकी भूमि ऐसी उर्वरा हो, जहाँ इतनी विशाल नदियाँ हो, जहाँ मणिमुक्ताकी सहस्रों खानें हों। आओ गाव मिलकर गाव भारतके विजय गान” इत्यादि।

उसके बाद तो जैसे राष्ट्रीय कविताका युग आ गया। वीरों नाटककारोंने देशभक्तिके नाटकीय रचना की। रगभूमि राष्ट्रीय भावनाओंके प्रचारका इतना बड़ा शक्तिशाली माध्यम बन गयी कि सरकारको आशका होने लगी और उसने रगभूमिके दमनके लिए ड्रैमेटिक परफार्मेंस ऐक्ट ( नाटक नियन्त्रण कानून ) बनाया।

शायद राष्ट्रीय लेखकोंमें सबसे उच्च स्थान बकिमचन्द्रका था। उनके लेखोंमें से एक उद्धरण यहाँ दे देना ठीक होगा—“भारतका भविष्य अन्धकारमय रहेगा, जबतक सब भारतीय जातियाँ एक मत, एक नीति और एक ध्येयने ओतप्रोत नहीं होती।—यह एकता सिर्फ

१. वही पुस्तक पृ० ३१

२. वही पुस्तक पृ० ३२

अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे ही आ सकती है क्योंकि संस्कृत अब एक मृत भाषा है। अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसे बंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्री इत्यादि सभी समझते हैं। इस भाषाकी डोरीसे हम सब एक सूत्रमें बँध सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषाका प्रचार यथा-सम्भव बढ़ाना चाहिये। परन्तु बिल्कुल अंग्रेज बन जाना अच्छा न होगा। बंगाली कभी भी अंग्रेज नहीं बन सकता।”<sup>१</sup>

“बन्दे मातरम्” बंकिम चाम्बूका रचना हुआ प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है जो लाखों बार कांग्रेसकी सभाओंमें गाया गया और जिसने लाखों व्यक्तियोंको कांग्रेसकी ओर आकृष्ट किया। यह गीत बंकिम चाम्बूके उपन्यास ‘आनन्द मठ’में (जो १८८२में लिखा गया था) आता है।

एक अन्य संघटन जिसने राष्ट्रीय उत्थानमें सफलकारी और मूल्यवान योग दिया, समाज सुधार आन्दोलन<sup>२</sup> था। इस सुधार आन्दोलनका श्रीगणेश भी बंगालमें ही हुआ। दक्षिणदि बसु (१८४०-१९२४) इस आन्दोलनकी जान थे। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८९१) भी सामाजिक सुधारमें उत्साह और आत्मत्यागसे काम करते थे। वे विख्यात विद्वान थे, उनके संसर्गमें सामाजिक आन्दोलनको काफी प्रतिष्ठा मिली। महादेव गोविन्द रानडे, मलबारी और नारायण चन्दावरकरने महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय विचारोंका प्रसार किया। रामवार्द सरस्वतीने भी सुधार आन्दोलनमें महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणमें आन्दोलनका संचालन रघुनाथ राव, वीरसल्लिम और ‘इण्डियन सोशल रिफार्मर’के संपादक नटराजनने किया। आन्दोलनका काम स्त्रियोंकी स्थितिमें सुधार करना और हिन्दू समाजके सभी बड़े और छोटे वर्गोंमें समानताकी मनोवृत्ति पैदा करना था।

१. हेमचन्द्रनाथदास गुप्त, ‘दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस’, पृ० ४१

२. Social Reform movement.

## अध्याय ३

### वैधानिक आन्दोलनका आरम्भ

बंगालमें वैधानिक राजनीतिका आरम्भ १८३७ में स्थापित जमींदारी ऐसोसियेशनसे माना जाता है। यद्यपि उसकी स्थापना मुख्यतः जमींदारोंके स्वत्वों और अधिकारोंकी रक्षाके लिए ही हुई थी, वादको उसने कार्यक्षेत्रका विस्तार बढ़ा और वह जनसाधारणके हितोंकी बातोंपर भी गौर करने लगी। उसकी पहली बैठकमें जो १२ नवम्बर १८३७ को हुई, निश्चय किया गया कि जमींदारी ऐसोसियेशन सब प्रकारके लोगोंकी रक्षा होगी, जाति, रंग, देशका कोई भेद-भाव इसमें न होगा। पार्थक्यकी हर भावनाको त्यागकर यह मस्था व्यापक और उदार सिद्धान्तोंपर चलेंगी। ऐसोसियेशनकी सदस्यताके लिए एक ही योग्यताकी जरूरत होगी; इसके सदस्य चर्ही हो सकेंगे जो थोड़ी बहुत भूमिके स्वामी हों।<sup>१</sup> इसके सदस्योंमें ब्रह्म-समाजके कतिपय प्रमुख नेता थे। राजा राजेन्द्रलाल मित्रके शब्दोंमें इस ऐसोसियेशनने ही “पहली बार लोगोंको वैधानिक ढंगसे रचना और प्रतिष्ठा व साहससे अपने अधिकारोंकी माँग करना व अपना मत प्रकट करना सिखाया।”

२० अप्रैल, १८४३ को एक दूसरी सस्था जिसका नाम “बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी” था, स्थापित हुई। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतमें बसनेवालोंकी असली दशा, देशके कानून, सस्थाओं और साधनोंके विषयमें जानकारी इकट्ठी करना और उसे प्रसारित करना तथा अन्य शान्तिमय और कानूनी उपायोंको काममें लाना था जिनमें समस्त प्रजाजनके हित और न्यायोचित अधिकार बढें और उनको भलाई हों।<sup>२</sup> सोसायटीने निश्चय किया कि वह सिर्फ ऐसी काररवाइयोंको अंगीकार करेगी और ऐसी सिफारिश करेगी “जो भारतके सम्राट और उनकी सरकारके प्रति पूर्ण निष्ठासे ओतप्रोत होंगे और जिनसे देशके कानूनके कानूनोंकी अवस्था न होगी। सोसायटी ऐसे प्रयत्नोंका विरोध करेगी जिनका उद्देश्य कानूनी प्रशासनके विरुद्ध काररवाई करना हो या सभाजकी शान्ति या हितमें सलजली पैदा करना हो।”<sup>३</sup> परन्तु सोसायटीने कुछ प्रगति नहीं की। इन दोनों सस्थाओंके सदस्य सिर्फ उच्चवर्गके भारतीय और गैरसरकारी अंग्रेज थे।

परन्तु अंग्रेजोंकी जल्दी ही ये सस्थाएँ छोड़ देने पड़ीं। इसके दो कारण थे। (१) सन् १८५० में भारत सरकारने केन्द्रीय विधानसभामें एक बिल उपस्थित किया जिसका उद्देश्य गरीब किसानोंको गैरसरकारी अंग्रेजोंके अत्याचारमें बचाना था। नील और चाय बागानोंके अंग्रेज मालिकोंका व्यवहार इन गरीब और असहाय किसानोंके साथ घोर अत्याचारपूर्ण था। और जब किसानोंके कष्ट सार्वजनिक आन्दोलनका रूप लेने लगे तो सरकारको हस्तक्षेप करना पडा। (२) उन दिनों भारतके किसी भी भागके रहनेवाले अंग्रेज अपराधीके

१. वही पुस्तक पृ० ९८

२. ‘राजा राजेन्द्रलाल मित्रा’ज स्पीचेज’, पृ० २५

विपक्ष केवल कलकत्तेमें ही मुकदमा चलाया जा सकता था क्योंकि कानूनके अनुसूच कलकत्ता अदालत ही उसके मुकदमोंकी सुनवाई कर सकती थी। सरकारने मसूदा किया कि कानूनमें ऐसा सुधार कर दिया जाय कि अंग्रेज अपराधीका मुकदमा भी भारतीयोंकी भाँति, उनके निवास-स्थानकी अदालतमें ही पैदा हो सके। तदनुसार कौंसिलमें बिल उपस्थित कर दिया गया। अंग्रेज लोग बहुत विरुद्ध गये और उन्हें नि आन्दोलन करनेकी आज्ञा दी। सरकारने मजबूर होकर बिल वापिस ले लिया। अंग्रेजोंके इस स्वार्थी और संकीर्ण दृष्टिकोणने भारतीय जनताको उनके विरुद्ध कर दिया। पहलेका मोहार्द्र विद्रोहमें बदलने लगा। इस परिवर्तित मनोवृत्तिका फल यह हुआ कि ३१ अक्टूबर, १८५१ को एक नितान्त विरुद्ध भागीय संस्था—'ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशन'—कायम कर दी गयी।

उसी वर्ष जगोनाथ मकरसेठ और दादाभाई नौरोजीने बम्बई ऐसोसिएशनकी स्थापना की। इसने सर मंगलदास नाथुभाईके नेतृत्वमें काफी प्रगति की। बंगालके रामगोपाल घोष और कृष्णदास पालकी भाँति नाथुभाईको भी बम्बई कारणोद्घानमें अनेक सफल व्यक्तियोंके उपलक्ष्यमें, 'जनताके र्भाषिकार' के नामसे पुकारा जाने लगा। परन्तु बम्बई ऐसोसिएशन दस वर्षमें अधिक न चल पायी, जब कि ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशन ५० वर्षोंतक कायम रही। बम्बई ऐसोसिएशनकी नौरोजी सरदूनजीने १८७३में नया जीवन दिया, पर वह शीघ्र ही मृत्यु हो गयी।<sup>१</sup>

ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशनका उद्देश्य उनकी सर्वप्रथम मात्याना विशेषीं इस प्रकार बताया गया था—“भारतके स्थानीय प्रशासनमें और पार्लमेण्ट द्वारा निर्धारित शासनपद्धतिमें सुधार करवाना”। उन समय ईस्ट इण्डिया कम्पनीका चार्टर बदलनेवाला था। जनताके नेताओंने यह निश्चय किया कि पार्लमेण्टके सामने सरकारी शासनपद्धतिमें परिवर्तन और सुधारकी माँग एकमतसे रखनी चाहिए। इस उद्देश्यके लिए एक संस्थाकी स्थापना करना आवश्यक था। इसलिये ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशनकी बुनियाद पड़ी। मन् १८५२ में ऐसोसिएशनने पार्लमेण्टके पास एक अर्जी भेजी जिसमें कहा गया था कि भारतीय इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि उन्हें ब्रिटेनमें सम्बन्ध स्थापित होनेमें उतना लाभ नहीं पहुँचा जितने लाभकी आशा करना उनका अधिकार है।

अर्जीकी मुख्य माँगें ये थीं—(१) माल-ध्वंस्यकी कड़ाई दूर करना; (२) न्याय प्रशासनमें सुधार (३) जनसाधारणके जान-मालकी रक्षा; (४) ईस्ट इण्डिया कम्पनीके व्यापारिक एकाधिकारोंमें भारतीयोंको राहत दिलाना; (५) देशी उत्पादनको प्रोत्साहन, (६) जनताकी शिक्षाका उचित प्रयत्न; (७) शासनके उच्च पदोंपर भारतीयोंकी नियुक्ति करना।

अर्जीमें निम्नलिखित सुझाव भी दिये गये (१) भारतीय शासन सम्बन्धी मामलोंके संचालनके लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय। (२) केन्द्रीय सरकारका नियन्त्रण निर्द राजनीतिक और फौजी मामलोंमें, प्रेसीडेन्सियोंके गवर्नरोंके ऊपर तथा भारतीय विधायिका नमाओं द्वारा बनाये कानूनोंको रद्द करनेपर हो। (३) भारतीय विधायिका सभाएँ केवल उन लोगोंमें जिनको राजनीतिक और प्रशासनकी शक्ति दी गयी है, जुदा ही न हों वरन् उनमें जनप्रिय लोग भी हों जो भारतीय जनमतका प्रतिनिधित्व कर सकें और जिन्हें भारतके लोग अपना समझें। (४) कलकत्तेमें एक विधान परिषद स्थापित होनी चाहिये जिसमें १७

सदस्य हों, अर्थात् तीन-तीन सदस्य हर प्रेसीडेंसीके जाने-माने प्रतिष्ठ-प्रसिद्ध व्यक्तियोंमेंसे लिये जायें, एक एक सदस्य प्रेसीडेंसीके गवर्नरों द्वारा ऊँचे अफसरोंमेंसे नियुक्त किया जाय और एक सदस्य गभ्राट द्वारा मनोनीत हो जो परिषदका अध्यक्ष हो और जिसपर सरकारका कोई दबाव न हो।<sup>1</sup>

ब्रिटिश दृष्टियन ऐंग्लोसियेशन ही प्रथम समस्या थी जिसने भारतमें अंग्रेजी राजके आर्थिक तथा राजनीतिक पलना अध्ययन किया। पार्लमेण्टको जो अर्जा ऐंग्लोसियेशनने भेजी थी उसमें उसने समस्त शासन विभागोंका मिहावलोकन किया तथा सुधार सम्बन्धी अपने सुझाव दिये। उसने अंग्रेजी न्यायप्रणाली, पुलिस, दीवानीमें फौजदारी कानूनों और मैजिस्ट्रेटोंकी आलोचना की। आर्थिक क्षेत्रमें उसने कम्पनीके व्यापारिक एकाधिकारोंको समाप्त करनेकी माँग की, विशेषकर नमक व्यापारकी हजायेदारीको। माल-व्यवस्थाके सम्बन्धमें अर्जामें लिखा गया था कि यद्यपि जमीन व अन्य कर जो अंग्रेजी सरकार वसूल करती है सुसलमाना शासनकालमें कहीं अधिक हैं, परन्तु तब भी अंग्रेजी सरकार जाने-जानेकी थल व जल मार्गोंके गाधनोंपर बहुत छोटी रकम खर्च करती है। उसने पादरियों तथा अन्य बड़े बड़े धार्मिक पदाधिकारियोंको सरकारी राजनेसे भारी घेतन दिये जानेपर कड़ी आपत्ति की, विशेषकर इसलिए कि कम्पनीकी सरकार हिन्दू, सुसलमान तथा ईसाइयों की एक मिली जुली आवादीपर शासन करती थी।

ऐंग्लोसियेशनकी स्थापनाके दौरान बाद ही इंग्लैंड मन्त्री देवेन्द्रनाथ ठापुरने मद्रासमें भी ऐंग्लोसियेशनकी शाखा स्थापित करनेके विचारमें मद्रासके नेताओंमें लिखा पढी आरम्भ की। ११ दिसम्बर, १८५१ को उन्होंने मद्रासवालोंको सुझाव भेजा कि पार्लमेण्टके पास भेजी जानेवाली अर्जियोंका सहव और भी बढ जायगा यदि कम्पनीके नये चार्टर बदलनेके समय सम्पूर्ण भारतके विभिन्न लोगोंकी ओरमें वे अर्जियाँ एक साथ भेजी जायें या ऐसी सस्थाकी ओरमें भेजी जायें जो समस्त भारतके प्रतिनिधित्वका दावा कर सके।<sup>2</sup>

इस पत्रका मद्रासमें अमर हुआ और वहाँ ऐंग्लोसिएशनकी शाखा खुल गयी जिसका उद्देश्य था—“समस्त वैधानिक और कानूनी उपायों द्वारा भारतके ब्रिटिश शासनमें उत्तमता और सुधार लानेका प्रयत्न करना ताकि भारत और ब्रिटेन दोनोंके हितोंकी रक्षा हो और भारतीय प्रजाकी दशा सुधरे।”

अवधमें इस ऐंग्लोसिएशनकी शाखा खुल गयी। वहाँ यह उद्देश्य रखा गया—“महाराजाकी भारत सरकारकी सहायताके लिए, विशेषकर अवधमें, हर वैधानिक व कानूनी उपायका प्रयोग करना ताकि यह सरकार भारत और ब्रिटेन दोनों देशोंकी जनताकी भलाईमें कारगर और कामयाब हो सके।” जमींदारोंकी बढी सख्या इस ऐंग्लोसिएशनमें शामिल हो गयी।

परन्तु ऐंग्लोसिएशनका अंग्लिज भारतीय रूप न बन सका। इस ऐंग्लोसिएशनकी स्थापना और गन् ५७ के विद्रोहके बीचके कालमें अंग्रेजों और भारतीयोंका जाति द्वेष अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गया था।

विद्रोहके बाद ऐंग्लोसिएशनमें परिवर्तन हुआ। इसका राजनीतिक रूप समाप्त हो गया; जमींदारोंके हितोंकी रक्षा करना ही अब इसका उद्देश्य रह गया। वह सरकारी री-

ख्वाहोंकी जमात बन गयी। सन् १८५९ में इसने पार्लमेण्टसे देश भरमें इस्तमरारी बन्दोवस्त लागू करनेकी प्रार्थना की। अर्जीमें कहा गया था कि भारतमें विद्रोहके नादकी गड़बड़ने “बन्दोवस्तवाले जमींदार वर्गका राजनीतिक महत्त्व साबित कर दिया है। यह महत्त्व जमीनके उन मालिकोंके महत्त्वसे कहीं ज्यादा है जो विभिन्न नामों व उपाधियोंसे उन सूत्रोंमें जाने जाते हैं जहाँ इस्तमरारी बन्दोवस्त नहीं है। विद्रोहके अतिसंकट कालके खैरख्वाहों और गैर-खैरख्वाहोंकी तुलना करनेसे पता चल जायगा कि इस्तमरारी बन्दोवस्तसे वह शक्तिशाली वर्ग पैदा होता है जो अपने और शासकोंके हितोंको एक ही समझता है, और जो अपनी स्थितिसे संतुष्ट है। जो व्यवस्था इस्तमरारी बन्दोवस्तसे भिन्न है उसकी वृत्ति और परिणाम भी भिन्न है, यह साबित हो चुका है।”

इस्तमरारी बन्दोवस्त जमींदारोंके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ, परन्तु किसानोंका जैसा कि इस पुस्तकके एक अन्य अध्यायमें बताया गया है, इससे बहुत आर्हित हुआ। सन् १८६० में ऐसोसियेशनने फिर पार्लमेण्टको अर्जी भेजी जिसमें इस्तमरारी बन्दोवस्तकी माँगको दुहराया।

फिर भी, विद्रोहने पहले ऐसोसियेशन देशकी प्रमुख संस्था थी। बंगालके कई प्रमुख नेताओंने इसी संस्थाके द्वारा सार्वजनिक जीवनमें पदार्पण किया और ख्याति पायी। इन नेताओंमें थे ऐसोसियेशनके मुखपत्र ‘हिन्दू पैट्रियट’के संपादक हरिश्चन्द्र मुकर्जी, कृष्णदास पाल, प्रसिद्ध वक्ता राममोपाल घोष, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा रागनाथ, सर ज्योतीन्द्र मोहन ठाकुर, महाराजा बहादुर सर नरेन्द्र कृष्ण, राजा राजेन्द्रनारायण देव, तथा राजा राजेन्द्रलाल मित्र।

ऐसोसियेशनमें अब भी कृष्णदासपाल जैसे व्यक्ति थे जो आवश्यकता पड़नेपर जनताके हितोंके लिए बहादुरीसे लड़ सकते थे, परन्तु ऐसोसियेशन अपने पुराने जीवनकी छायागात्र रह गया था। अब किसी दूसरी संस्थाकी आवश्यकता थी। सन् १८७५ में शिशिरकुमार घोष तथा उनके भाई मोतीलाल घोषने ‘इण्डियन लीग’की स्थापना की। डाक्टर शम्भूनाथ मुकर्जी इसके अध्यक्ष हुए। डाक्टर मुकर्जीका नाम उस समयके एक सार्वसिक कार्यके साथ जुड़ा हुआ है। सन् १८७६ में कलकत्तेके टाउनहालमें, बंगालके लेफ्टीनेण्ट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पलके सभापतित्वमें एक सभा की गयी। सभाका उद्देश्य इस प्रस्तावपर विचार करना था कि वाइसरायके नामपर ( जो अवकाश प्राप्त करके इंग्लैण्ड वापिस जा रहे थे ) एक स्मारक बनवाया जाय। डाक्टर मुकर्जी तथा उनके नौ साथियोंने उस प्रस्तावमें एक संशोधन पेश किया जिसका अप्रत्यक्ष अभिप्राय था कि जनताको वाइसरायमें विश्वास नहीं है। संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। उस समयके पढ़े-लिखे लोगोंमें वाइसरायके प्रति अत्यन्त श्रोभ था क्योंकि उन्होंने नाटकोंपर प्रतिबन्ध लगानेवाला कानून जारी किया था और उसके द्वारा रंगमंचको दवा दिया था। बादको मोतीलाल घोष ‘अमृत बाजार पत्रिका’के संपादक हो गये, जिसने वाद्यों राष्ट्रीयताके विकासमें अच्छा हिस्सा ग्रहण किया।

इण्डियन लीग जनप्रिय न बन सकी। इसका एक कारण पदाधिकारियोंका आपसी मतभेद भी था। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इण्डियन लीग प्रथम संस्था थी जिसमें जमींदारोंका बोल-बाला नहीं था और जिसमें मुख्यतः मध्यम वर्गीय लोग ही थे।

इसी समय भारतीय राजनीतिक गगनमें एक नये सितारेका उदय हुआ। वे थे

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी। सरकारी नौकरीके शुरूमें ही एक गलतीने उन्हें राजनीतिमें लपटा दिया। सन् १८७१ में सिविल सर्विसकी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करनेके बाद, २२ नवम्बरको वे सिलहटके सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। परन्तु शीघ्र ही उनके एक क्लर्कने उन्हें मुनीबतमें डाल दिया। उस दस्तरमें क्लर्कोंने कुछ ऐसी प्रथा चला रखी थी कि यदि किसी पौजदारोके मुकदमेको अधिक कामके कारण या किसी अन्य वजहसे स्थगित करवाना हो तो अभियुक्तको पाइलमें पुरार दिया देते थे और ऐसिस्टेंट मजिस्ट्रेटसे मुकदमा स्थगित करा लेते थे। परन्तु एक अभियुक्त मुधिष्ठिरके मामलेमें उपाधिकारियोंने यह चालाकी पकड़ ली। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी ईमानदारीपर सन्देह हुआ और उन्हें बरखास्त कर दिया गया। राजनीतिक नेतानारा युग था; लोगोंने करना शुरू कर दिया कि बनर्जी भारतीय हैं, बस इसलिए उनको बरखास्त कर दिया गया है। परन्तु बनर्जीकी हानिसे देशका बड़ा लाभ हुआ। यह एक ऐसी सस्था बनानेके प्रश्नपर गभीरतापूर्वक विचार करने लगे जो शिक्षित मध्यम वर्गकी भावनाओका प्रतिनिधित्व करे और जो उस वर्गमें सार्वजनिक कामोकी लगन पैदा करे। ये सोचते थे कि जर्मन्दारोकी सस्था होनेके कारण ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशन किसी आन्दोलनका नेतृत्व नहीं कर सकती। यह तथ्य स्वयं ऐसोसियेशनके नेताओंने भी स्वीकार किया। एक वर्षकी तैयारीके बाद इण्डियन ऐसोसियेशनके नामसे नयी सस्थाका जन्म २६ जुलाई १८७६ को हुआ। बनर्जीने उसके सिद्धान्तोको इस प्रकार बताया। (१) देशमें स्वतन्त्र जनमत तैयार करना; (२) समस्त भारतीयों व विभिन्न जातियोंमें राजनीतिक हितो और आवाशाओंके आधारपर एकता पैदा करना; (३) हिन्दू और मुसलमानोंके बीच मित्रभाव बढ़ाना, और (४) जनसाधारणको राजनीतिक आन्दोलनोंमें शामिल करना।

बादमें इस ऐसोसियेशनके एक नेताने इसके सिद्धान्तोकी व्याख्या करते हुए कहा—  
“ब्रिटिश नरेशके प्रति वफादारी और वैधानिक सरकारकी स्थापनाके लिए आन्दोलन करना ही ऐसोसियेशनके दो सिद्धान्त हैं जिनको हमने सदा बढ़ाया है।”

सरकारी नौकरीमें हटाये जानेके कारण क्रुद्ध होकर बनर्जीने राजनीतिमें प्रवेश नहीं किया था। देशसेवाकी उनमें तीव्र आकांक्षा थी। उनपर मैजिनीके लेटोका भारी प्रभाव पडा था। उन्होंने लिखा है—“मैजिनीकी देशभक्तिकी पवित्रता, उनके सिद्धान्तोकी उच्चता, मानवमनके लिए उनका व्यापक प्रेम, उनके हृदयोद्वारा भरे शब्दोने जैसा मुझे प्रभावित किया है वेगामें कभी नहीं प्रभावित हुआ। मैजिनीने इटली निवासियोंको एकताका पाठ पढाया। हम भारतीय एकता चाहते थे। मैजिनीने मुझको द्वारा काम किया। मैं चाहता था कि बंगालके युवक भी अपनी शक्ति समझे और अपनेको देशकी मुक्तिके लिए तैयार करें। जब कभी मैंने मैजिनीके ऊपर भावण किये, मैंने सावधानीके साथ नवयुवकोसे कहा कि वे उनके (मैजिनीके) क्रांतिकारी विचारोंसे दूर रहें, परन्तु उनके त्याग तथा आत्मबलिदानका अनुकरण वैधानिक प्रगतिके लिए करें”।<sup>१</sup>

इस ऐसोसियेशनकी स्थापनाके एक वर्षके भीतर ही बनर्जीको एक जनान्दोलन आरम्भ करनेका अवसर प्राप्त हो गया। भारतीयोको इण्डियन सिविल सर्विसमें नौकरी मिलनेका प्रश्न था। आन्दोलनका तथा उसके उद्देश्यका वर्णन करनेके पहले इण्डियन सिविल सर्विसके सम्बन्धमें ज्ञान लेना जरूरी है। इससे आन्दोलनको समझना सरल हो जायगा।

१. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प नेशन इन दि मेकिंग, पृ० ४०



सन् १८३३ में ब्रिटिश पार्लियामेण्टने यह घोषणा की थी कि "कोई भी भारतीय धर्म, जन्मस्थान, जाति, रंग, या ऐसे ही किसी अन्य कारणसे, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके मातहत किसी नौकरीके लिए अयोग्य न ठहराया जायगा।" परन्तु जब कई युवकोंने ब्रिटेन जाकर सिविल सर्विसके लिए योग्यता प्राप्त कर ली और फिर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया गया तो उन्हें भारी निराशा हुई। निराशाने कम्पनीके विरुद्ध क्रोध भड़का दिया और कम्पनीके नये चार्टरके विरुद्ध जो १८५३ में आनेवाला था, एक आन्दोलन संघटित किया गया। तीनों प्रेसीडेन्सी सूबोंके लोगोंके हस्ताक्षरोंमें पार्लियामेण्टके पास अर्जियाँ भेजी गयीं जिनमें गौम की गयी कि कम्पनीका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाय। बंगालमें भेजी गयी अर्जा केवल विरोधात्मक ही नहीं थी, उसमें कई रचनात्मक सुझाव भी दिये गये थे जैसे (१) दौहरी सरकार समाप्त करके एक भारतीय सचिव व एक भारतीय कांसिलकी नियुक्ति हो; (२) भारतके लिए एक अलग विधान सभा बनायी जाय; (३) प्रेसीडेन्सी सूबोंको एक प्रकारका प्रांतीय स्वशासन दे दिया जाय; (४) निम्नश्रेणीके सरकारी नौकरोंके वेतन बढ़ाये जायँ और उच्च श्रेणियोंके कम किये जायँ; (५) सिविल सर्विसके द्वार समस्त ब्रिटिश प्रजाके लिए खोल दिये जायँ और नियुक्तियाँ प्रतियोगिताकी परीक्षाओंके फलके आधारपर हों।

इस अर्जाका असर हुआ और १८५४ में प्रतियोगिता परीक्षाका कायदा बना दिया गया। सन् १८५५ में दादा भाई नौरोजी ( १८२५-१९१७ ) ने प्रतियोगिता परीक्षा दिल्लीमें भी किये जानेका इंग्लैण्डमें आन्दोलन शुरू किया। नौरोजीने भारत और इंग्लैण्डमें सब मिलाकर करीब ३० संस्थाओंका संघटन किया था। इनमेंसे बहुतांका उद्देश्य भारतको राजनीतिक प्रगतिकी ओर अग्रसर करना था। कुछ शिक्षा सम्बन्धी सुधारोंके लिए और कुछ स्त्रियोंकी दशामें सुधार करनेके लिए कायम की गयी थीं। इंग्लैण्डमें स्थापित 'ईस्ट इण्डियन एसोसियेशन' का काम भारतीय आकांक्षाओंको ब्रिटिश जनताके सामने रखना था।

भारतीयोंका सफलतापूर्वक प्रतियोगिता परीक्षाओंमें भाग लेना देखा अधिकारियोंको चिन्ता होने लगी। इसलिए १८६० में उम्मेदवारोंकी अधिकतम उम्र घटाकर २२ वर्ष कर दी गयी, लेकिन जब इस छोटी अवस्थामें भी भारतीय युवक इंग्लैण्ड जाकर परीक्षामें उत्तीर्ण होते रहे, तो १८६६ में उम्र फिर घटाकर २१ वर्ष कर दी गयी। मानो प्रतिकारकी भावना काम कर रही हो, सन् १८६० में अधिकतम उम्र उस समय कम की गयी जब इण्डिया कांसिलकी एक पाँच सदस्योंवाली कमेटीने यह रिपोर्ट की कि प्रतियोगिता परीक्षा भारतमें भी इंग्लैण्डके साथ होनी चाहिये। नौरोजीके आन्दोलनके फलस्वरूप १८६१ में पार्लियामेण्टने भारतके गवर्नर-जनरलको यह शक्ति प्रदान की कि वह बिना प्रतियोगिता परीक्षाके ही एक सीमित संख्यामें भारतीयोंकी भर्ती कर सकता है। परन्तु भारत सरकारने इस कानूनके विरोधी नियम बनाकर इसका प्रभाव खत्म कर दिया और इसके अन्तर्गत केवल एक या दो भारतीय भर्ती किये गये। सन् १८७७ में लार्ड लिटन ने ( जो अति प्रतिक्रियावादी चाट्सराय था ) यह रिपोर्ट की कि सिविल सर्विस भारतीयोंके लिए बिल्कुल बन्द कर दी जाय। प्रकट रूपमें यह बन्द तो नहीं हुई, पर अधिकतम वय २१ में घटाकर १९ कर दी गयी।

यह उम्रका नया घटाव उस समय हुआ जब इण्डियन एसोसियेशन बन चुका था।

बनर्जीने इस प्रश्नपर आन्दोलन सदा कर दिया। ऐसोसियेशनने एक प्रस्ताव किया कि अखिल भारतीय आन्दोलनका सघटन किया जाय। शुरुवात कलकत्तेमें २४ मार्च १८७७ को एक सार्वजनिक सभासे हुई जिसकी अध्यक्षता सर नरेन्द्रकृष्ण बहादुरने की। सम्पूर्ण भारतमें इस आन्दोलनमें भाग लेनेकी अपील की गयी और सब सूबोंको इस प्रश्नपर एक हो जानेके लिए आमन्त्रित किया गया। ऐसा प्रयत्न पहले कभी नहीं हुआ था। सूबोंमें दौरा करनेका काम बनर्जीको सौंपा गया। वे बड़े उत्साह और कर्तव्यपरायणतासे धन इकट्ठा करने और प्रचार करनेमें जुट गये। बनर्जी उस समय मेट्रोपोलिटन इस्टीम्यूटमें प्रोफेसर थे। गर्मीकी सुट्टी हो गयी थी। इसलिए वे नरेन्द्रनाथ चटर्जीको ( जो उस समय बंगाली भाषाके ओजस्वी वक्ता थे ) साथ लेकर उत्तरी भारतके दौरेके लिए निकल पड़े। पहले वे आगरा गये जहाँ सिविल सर्विस स्मृतिपत्रका उर्दू अनुवाद जनतामें बाँटा गया। लाहौरमें हिन्दू, मुसलमान और सिख सभीने उनका स्वागत किया। एक विद्यार्थी सभा हुई जिसमें कलकत्ते का प्रस्ताव और स्मृतिपत्र पारित किये गये। लाहौरमें उन्होंने इण्डियन ऐसोसियेशनकी शाखा भी स्थापित करवा दी जिसका नाम लाहौर इण्डियन ऐसोसियेशन रखा गया। बनर्जीका खयाल है कि पञ्जाबमें यह पहला राजनीतिक सघटन था जिसने सब वर्गोंके लोगोंके लिए एक सामान्य कार्यक्षेत्र प्रस्तुत कर दिया। लाहौरके राजनीतिक जीवनको अंग्रेजी दैनिक 'ट्रिब्यून'से काफी भोग मिला; बनर्जीके अनुरोधसे सरदार दयालसिंह मन्नीठियाने 'ट्रिब्यून'का प्रकाशन शुरु किया था।

अपने तूफानी दौरमें बनर्जी अमृतसर, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद और पना गये। इन सब स्थानोंमें महती सभाएँ हुईं और कलकत्तेका प्रस्ताव व स्मृतिपत्र पारित हुए। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊमें ऐसोसियेशनकी शाखाएँ भी स्थापित हुईं। वे मद्रास भी गये थे, परन्तु वहाँ किसी बजहसे सभा नहीं हो सकी।

उत्तरी भारतके दौरेमें बनर्जीने प्रमुख भारतीयोंसे सम्पर्क स्थापित किये और भारतीय एकताका धीजरोपण किया। उनका कहना है कि जिन लोगोंसे वे मिले उन सबमें सर सय्यद अहमद रॉस "सबसे प्रसिद्ध" व्यक्ति थे। सर सय्यदने अलीगढ़की सभाका सभापतित्व किया और कलकत्ता प्रस्ताव पारित करनेके अलावा माँग की कि प्रतियोगिता परीक्षा भारतमें भी होनी चाहिये। बादमें इन्हीं सर सय्यदने साम्प्रदायिक कारणोंसे इस परीक्षाके भारतमें किये जानेकी माँगका विरोध किया।

ब्रिटिश शासनमें पहली बार देशने एक सूत्रमें बँधकर एक आवाज उठायी। सिविल सर्विस आन्दोलनने देशमें सघटित राजनीतिक कामके लिए पथप्रदर्शन किया। बंगला इस आग्रहका नेता था। इसके विषयमें बंगाल सिविल सर्विसके सर हेनरी काटनने ( जो बादको कांग्रेसके अध्यक्ष हुए ) लिखा है—“पढ़े-लिखे लोग ही देशके मस्तिष्क और आवाज होते हैं। आज पेशावरसे चटगाँवतक बंगाली बाबू जनमतपर काबू किये हुए हैं। और यद्यपि उत्तरी पश्चिमी भारतके लोग शिक्षा और राजनीतिक स्वाधीनताकी भावनामें अपने बंगाली भाइयोंसे कहीं ज्यादा पिछड़े हुए हैं, परन्तु धीरे धीरे वे भी दक्षिणी सूबोंकी भाँति उनके बौद्धिक नियन्त्रण और पथप्रदर्शनमें आ रहे हैं। चौथाई शताब्दी पहले इस बातकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पञ्जाबमें किसी बंगालीका असर हो सकता है। लेकिन

वह सच है कि पिछले वर्ष एक बंगाली उपदेशकने अंग्रेजीमें भाषण करके अनोखी विजय प्राप्त की है। और आजकल सुन्दरनाथ बनर्जीका नाम उठती हुई पाठियोंमें सुल्तानमें भी उतना ही उल्हास जाग्रत करता है जितना दकानमें।”

सम्पूर्ण भारतमें एक मत स्थापित करके इण्डियन एसोसियेशनने इंग्लैण्डमें आन्दोलन करनेकी ठानी। सिविल सर्विसके प्रश्नपर एक-अग्निल-भारतीय स्मृतिपत्र ब्रिटिश लोकसभाके पास भेजा गया और लालमोहन घोष भारतके प्रतिनिधि चुने गये। लालमोहन घोष अति उच्च कोटिके कुशल वक्ता थे। इंग्लैण्ड पहुँचते ही उन्होंने बड़ी लगनमें काम शुरू कर दिया। जान ब्राइटकी अध्यक्षतामें एक बड़ी सभा हुई—ब्राइट उस समय ग्लेस्टनके बाद सर्वोत्तम वक्ता समझे जाते थे। वे इंग्लैण्डमें भारतके बड़े हितैषी भिन्न थे—सन १८४७ में १८८० तक वे पार्लैमेण्टमें भारतके पक्षमें बराबर बोलते रहे। घोषके भाषणकी प्रशंसा करते हुए ब्राइटने कहा कि “मैं अब न बोलूँगा, इस सुन्दर भाषणका प्रभाव मैं विगाड़ना नहीं चाहता”। इस काररवाईका तुरत असर हुआ और २४ घण्टेके अन्दर ही लोकसभामें वे स्थल पेश कर दिये गये जिनके द्वारा भारतीय स्टेट्यूटरी सर्विसकी स्थापना की गयी।

वह आन्दोलन चल ही रहा था कि भारतीय राजनीतिमें एक और जोरदार लहर आयी। वह थी सरकार द्वारा पत्रोंका गला घोटना। लॉर्ड हेस्टिंग्सके कालमें, पत्रोंका काफी आजादी थी; उन दिनों अधिकतर यूरोपियन ही पत्रोंके मालिक थे। सन १८२३ में अस्थायी गवर्नर जनरल जॉन ऐटमने एक आर्डिनेन्स (कानून) द्वारा भारतके पत्रोंपर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये। तमाम पत्रोंके लिए यह आवश्यक हो गया कि वे गवर्नर-जनरलमें लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र) प्राप्त करें। इस आर्डिनेन्स (या अध्यादेश) के प्रथम शिकार कलकत्ता जनरलके सहायक, बकिंघम और उनके महायक मैन्फोर्ट आरनौट हुए। बकिंघमको २ माहकी नोटिस देकर इंग्लैण्ड रवाना कर दिया गया और आरनौटको गिरफ्तार करके इंग्लैण्ड जानेवाले एक जहाजपर बैठा दिया गया। उनका दोष यह था कि वे सरकारकी आलोचना किया करते थे। राजा राममोहन राय उस समय इंग्लैण्डमें थे। उन्होंने इस कानूनके खिलाफ पहले तो ईस्ट-इण्डिया कम्पनीके टाइम्सपत्रोंके सामने अर्जी पेश की, फिर, इंग्लैण्डके वाटसाहसे अपील की, पर कुछ न हुआ। परन्तु १८३५ में अस्थायी गवर्नर-जनरल सर चार्ल्स मेटकाफने प्रेसको फिर मुक्त कर दिया। तमाम सुनरोने (जो कम्पनीके एक मुल्ताजिम थे) यह सुझाव दिया था कि निरंकुश शासन और स्वतन्त्र प्रेस एक साथ नहीं चल सकते। वे कहते थे—“स्वतन्त्र पत्रोंका प्रथम कर्तव्य क्या है? देशको बाहरी जुग्मे मुक्त करना”।

फिर भी मेटकाफने हिम्मतमें काम लिया और पत्रोंको बहुत आजादी दे दी। सन् ५७ के विद्रोहमें फिर पत्रोंने जोर पकड़ा। और उनपर एक नियत समयके लिए प्रतिबन्ध लगा दिये गये।

सन १८७५ के बादके वर्षोंमें भारतीय भाषाओंके पत्रोंने सरकारपर ही नहीं वरन् अंग्रेजी राजपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसमें अधिकारीगण भयभीत हो गये। विद्रोहके जमानेके अंग्रेजी अत्याचारोंने कुछ वर्षों तक पत्रोंको चुप कर दिया था। परन्तु

१. हेनरी कॉटन, न्यू इण्डिया, पृ० १५-१६

२. सर जॉन कस्मिग, पॉलिटिकल इण्डिया, पृ० ३५

ज्यों ज्यों समय बीतता गया, भारतीयोंके प्रति अंग्रेजोंका रवैया सख्त होता गया—ये भारतीयोंकी आकांक्षाओंके साथ सहानुभूति रखनेके बजाय उनका अपमान करने लगे। इसलिए भारतीय पत्रोंने अंग्रेजोंके विरुद्ध शत्रुताका रवैया अखिण्ण्यार कर लिया। सन् १८७५ में 'अमृत बाजार पत्रिका'ने जो सदासे अंग्रेज विरोधी पत्र था, बडौदाके गायकवाड द्वारा वहाँके अंग्रेज रेजीडेण्ट कर्नल पैयर्सको बख्त करनेके बखित प्रयत्नपर लिखा कि "एक मामूलीसे कर्नलको जहर देना उतना भारी अपराध नहीं है जितना एक पूरे राष्ट्रको शक्तिहीन कर देनेमें है जिससे सरकार बिना किसी सकटके शासन कर सके।"<sup>१</sup>

भारत सरकारके कानून सदस्यके भाषणसे जो उन्होंने उस समय राजकीय विधान परिषद् (इम्पीरियल कौंसिल)में किया था, पता चलता है कि सरकारका भारतीय भाषाओंके पत्रोंके विषयमें क्या विचार था। उन्होंने उस भाषणके दौरानमें कहा था। "ऐसे देशी पत्रोंकी एक बड़ी और बढ़ती हुई संख्या है जिनका उद्देश्य उत्तेजक सिद्धान्तोंका प्रसार करना, सरकार और उसके यूरोपीय अफसरोंके प्रति घृणा पैदा करना, और शासक जाति तथा देशकी जनताके बीच विरोधी भावनाओंको उभाड़ना है। इस प्रकारके लेख कोई नयी चीज नहीं है परन्तु चार पाँच वर्षोंसे उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। पिछले बारह महीनोंमें तो यह गति बहुत ही तीव्र हो चली है, क्योंकि लेखक समझते हैं कि उन्हें कोई सजा तो मिलेगी नहीं। उनके लिखनेके मुख्य विषय ये हैं—अंग्रेजी सरकारका अन्याय, दमन और अत्याचार, उसमें भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिक अभाव, भारतमें बसे हुए अंग्रेजोंकी उद्दण्डता और घमंड। इन लेखकोंकी रायमें कोई ऐसा पतित, निरुद्ध और धूर्ततापूर्ण अपराध नहीं है जो अंग्रेजी शासक आदतन न करते हों।"<sup>२</sup>

कानून सदस्यने आगे कहा—“हालमें इस रवैयेमें और प्रगति हुई है; अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे लोगोंको उभाड़कर अंग्रेजी शासनको उखाड़ पेंकनेकी हिदायत दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि दुर्बल डरपोक अंग्रेजोंमें अब भारतपर शासन करनेकी योग्यता सही रह गयी है।"<sup>३</sup>

देशी भाषाओंके पत्रोंके विरुद्ध कानून पास करनेके लिए गवर्नर जनरलने निम्न आशयका तार भारत-सचिवके पास भेजा था—

“राजद्रोहात्मक हिंसाकी ओर, जिसका आजकल देशी पत्र खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, स्थानीय सरकारें हमारा ध्यान बराबर आकर्षित कर रही हैं। मिर्फ मद्रास सरकारको ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वहाँ देशी भाषाके पत्र नहींके बराबर हैं, नाकी सभी सरकारोंकी मॉग है कि एक सख्त कानून बनाया जाय। परिषद् भी एक मतसे यही चाहती है। हम सब, गत कुछ महीनोंसे सख्त बंदम उठानेकी बात सोच रहे थे, परन्तु मेरी और अन्य सूबाई सरकारोंकी रायमें देशी पत्रोंकी भाषा जो हमेशासे शरारत भरी रही है, अब बहुत खतरनाक हो गयी है, और भारतीय समाज समझता है कि अन्य स्थानोंकी घटनाओंके कारण हमारी शक्ति अब बहुत दुर्बल हो गयी है। इसलिए अब सर्वजनिक हितके कारण सरकारके लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि देशी पत्रोंके राजद्रोही कृत्योंको रोका जाय,

१. एडवर्ड टामसन, दि रिफॉर्मिस्टिकन आव इण्डिया, पृ० ५०

२. सर वरनी क्वेट, ए हिस्टरी आव इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, पृ० २२

अन्यथा, इस कालकी अजीब स्थितिमें उनका खतरा बढ़ता ही जायगा।” इस “अजीब स्थिति” का वर्णन बादके अध्यायमें किया गया है।

देशी भाषा-पत्र कानून ( वरनाक्वूलर प्रेस ऐक्ट ) राजकीय विधान परिषद्की एक ही बैठकमें १४ मार्च १८७८ को पास कर दिया गया। एक दिनमें पास करनेके लिए क्रायदोंको अध्यक्षकी आज्ञासे मुअत्तल कर दिया गया। किसीने भी विरोधकी आज्ञाज नहीं उठायी। भारतीय सदस्य, महाराजा सर ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुरने भी विलके पक्षमें राय दी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके कथनानुसार, “ऐसा कहा जाता है कि ठाकुरसे वाहसरायने पक्षमें राय देनेके लिए बुलाकर कह दिया था।”

इस कानून द्वारा मैजिस्ट्रेटोंको यह अधिकार मिल गया कि वे भारतीय भाषाओंके पत्र-सम्पादकोंसे प्रान्तीय सरकारोंकी आज्ञासे, कह सकते थे कि वे या तो अपने पत्रोंमें छपनेवाली सामग्रीका प्रूफ सेन्सर करानेको भेजे या प्रतिज्ञा लिखकर दें कि वे कोई ऐसा लेख या खबर न छापेंगे जिमसे सरकारके प्रति अविश्वास पैदा हो या जिससे विभिन्न जातियोंमें द्वेष भावना पैले। शरारती दफा १२४ ए ने जो भारतीय दण्ड विधानमें १८७० में जोड़ी गयी थी, सरकारको इस प्रकारको काफी शक्ति दे रखी थी। परन्तु इस दफाका प्रयोग किसी अपराधके होनेके बाद ही हो सकता था; इसलिए वरनाक्वूलर प्रेस ऐक्टकी जरूरत पड़ी। इस ऐक्टने अपराधकी रोकथाम पहले ही की जा सकती थी। इस ऐक्टकी तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि ‘मोम प्रकाश’, ‘नव विभाकर’, ‘साधारणी’ तथा ऐसे ही अन्य पत्रोंने, जिन्होंने राष्ट्रीय जाग्रतिमें काफी भाग लिया था, स्वतः प्रकाशन बन्द कर दिया। अमृतवाजार पत्रिका होशियारीसे इस ऐक्टके पंजेसे निकल गया; उसने अपना प्रकाशन वजाय बंगालीके अंग्रेजीमें शुरू कर दिया।

विद्रोहके बाद समाचारपत्रोंकी संख्या बढ़ने लगी। सन् १८७० में त्रिटिश भारतमें ६४४ समाचारपत्र थे जिनमेंसे ४०० देशी भाषाओंमें निकलते थे। अभयचरण मजुमदारका कहना है कि “बंगालमें छोटे-छोटे बहुतसे बंगाली समाचारपत्र निकले, जिनमें हर प्रकारकी खबरें और टीका टिप्पणी होती थी। कभी-कभी वे खबरें और टिप्पणियाँ गलत भी होती थीं, पर इनका सम्बन्ध सदैव देशके नये जोशसे होता था। शामको दर्जनों अनपढ़ लोग इन पत्रोंको सुननेके लिए दूकानोंपर इकट्ठा हो जाते थे”।<sup>१</sup>

त्रिटिश शासनके आरम्भसे ही भारतमें दो वर्गोंके राजनीतिक नेता थे। एक तो वे जो किसी भी प्रकार अंग्रेजी शासनको भारतसे उखाड़ फेंकना चाहते थे, दूसरे वे जिन्होंने उस शासनको स्वीकार कर लिया था, और धीरे-धीरे उसे स्वशासनमें विकसित कर लेना चाहते थे। उग्रदलवाले अखबारोंका पूरा लाभ उठाते थे। कभी-कभी उग्रदल और नरम दलवाले साथ-साथ भी काम करते थे। दोनों सोचते थे कि वे दूसरेकी सहायताने अपनी विचारधाराको प्रोत्साहन दे रहे हैं। कभी-कभी नरम दलवालोंसे मिलकर उग्रदलवाले खुल्लम-खुल्ला काम करने लगते थे और नरमदलकी नीतिमें भी परिवर्तन करवा देते थे। कभी-कभी नरमदलवालोंमें उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता था कि उस दलवाले उन्हींके विचारोंको अपना लेते थे, और उन्हींके नेताओंको अपने नेता मानने लगते थे। इस प्रकार नरमदलीय-

१. लार्ड लिटन्स, इण्डियन गेडमिनिस्ट्रेशन पृ० ५०६-५०७

२. अभयचरण मजुमदार, इण्डियन नेशनल इवोल्यूशन पृ० २२

मत्तने सरकारी आशासे अधिक तेजीके साथ प्रगति की। और परिणामस्वरूप सरकार और नरमदलके मतमें काफी चौड़ी खाई बन गयी।

इन दोनों दलोंके कृत्योंने जो असन्तोष उत्पन्न कर दिया था वह समाचारपत्रोंमें परिलक्षित हो रहा था। सरकार परेगान थी। कुछ सवादक बम्बई तथा कलकत्तेसे निर्वासित कर दिये गये। वर्नाक्वूलर प्रेस ऐक्ट ( जो गलाघौट्ट कानूनके नामसे प्रसिद्ध हुआ ) भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीय प्रगतिके रास्तेमें बाधक सिद्ध हुआ। शिक्षित वर्ग अत्यन्त विचलित तथा क्षुब्ध हो उठा। कुछ बड़े बड़े नेता भयभीत से मालूम पड़ने लगे और उनकी प्रसहिम्मतीके कारण जनताका उत्साह भी टोला पड़ने लगा।

इस कानूनके विरुद्ध इण्डियन ऐसोसियेशनने आन्दोलन उठाया और एक सार्वजनिक सभा करनेकी घोषणा की गयी। जिस शामको सभा होनेवाली थी उस दिन प्रातः के पत्रोंमें समाचार निकला कि इसके साथ युद्धकी सम्भावनाके कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री डिजरेली ने ६००० भारतीय सैनिक माट्टा भेज दिये हैं। नेताओंको आश्चर्य होने लगी कि शायद सुरक्षाके विचारसे सभा करनेकी आज्ञा न मिले। परन्तु सभाके सयोजकोंने सभा करना निश्चय कर लिया और उसका जो कुछ भी परिणाम हो उसके लिए वे तैयार हो गये। सभा बिना किसी रोक-टोकके हुई जिसमें वर्नाक्वूलर प्रेस ऐक्टके विरोधमें एक प्रस्ताव पारित किया गया।

सन् १८७८ में एक अन्य आपत्तिजनक कानून बनाया गया जिसने भारतीयोंको और भी क्रुद्ध कर दिया। वह था इण्डियन आर्म्स ऐक्ट ( नाम कानून )। इस कानूनने भारतीयोंको हथियारोंमें वंचित कर दिया। इसके अनुसार कोई भारतीय बिना लाइसेन्सके कोई घातक हथियार नहीं रख सकता था। इस कानूनका उल्लंघन करनेवालेके लिए ३ वर्षकी कैद या जुर्माना या दोनोंका उपबन्ध किया गया था। भारतीय नेताओंने इस कानूनका भी विरोध किया।

इन दोनों कानूनोंके विरोधमें ग्लेडस्टनका भी सहयोग प्राप्त था। उस समय वे विरोधी दलके नेता था। पर जब वे प्रधान मन्त्री हुए तो उन्होंने वर्नाक्वूलर प्रेस ऐक्ट तो रद्द कर दिया लेकिन आर्म्स ऐक्टको उन्होंने भी नहीं छुड़ा।

## अध्याय ४

### आर्थिक शोषणके राजनीतिक परिणाम

ब्रिटेन जिस ढंगसे भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित कर रहा था, उसमें उसका मुख्य लक्ष्य था अधिकतम मुनाफा कमाना। महारानी द्वारा शासनकी नागडोर सँभालनेके पहले ही ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भारतीय वस्त्र-उद्योग नष्ट कर दिया था और ब्रिटेन अपने यहाँ बना कपड़ा भारतको निर्यात कर रहा था। ब्रिटिश वस्त्र-उद्योगके लिए रूईकी जरूरत थी और वह रूई ब्रिटेन भारतसे प्राप्त करने लगा था। भारतीय-तट-कर नीति लगभग पूरी तरहसे ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा निर्धारित होती थी। ब्रिटिश पार्लेमेण्टमें उनका प्रभाव था और यह नीति ब्रिटिश व्यापार तथा उद्योगका हित देखकर तय होती थी। भारतीय वस्तुओंका यूरोपको निर्यात भारी कर लगाकर दबाया जाता था, ब्रिटिश वस्तुओंका भारतमें आयात नागमनाके करों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था। इतिहासकार होरेस विल्सनके शब्दोंमें ब्रिटिश कार-खानेदार अपने ऐसे प्रतियोगियोंके दमन और अन्ततः विनाशके लिए राजनीतिक अन्यायका सहारा लेता था, जिनसे वरावरीकी होड़में वह कभी टक्कर न ले पाता।”

भारतसे बड़ी मात्रामें अन्न इंग्लैण्ड भेजा जाता था, जिससे यहाँ दुर्भिक्ष पड़ने लगे। अन्नका यह निर्यात हर वर्ष बढ़ता ही गया। सन् १८५९में गेहूँ, चावल व दूसरे अनाजका २८ लाख पौंडका निर्यात हुआ और सन् १८७७में यही निर्यात बढ़कर ८० लाख पौंडका हो गया।” यदि भारतीय जनता पेट भर खाती होती तो अतिरिक्त अन्न बचता ही नहीं। अन्न का निर्यात भारतमें बहुतसे भूखे पेटोंका प्रतीक था” किन्तु अन्नकी कर्मा इस निर्यातसे कहीं अधिक थी क्योंकि भारतमें वसे अंग्रेजोंने हजारों मील उपजाऊ भूमिमें गल्लेकी खेती बन्दकर रूई और जूटकी खेती शुरू कर दी थी। बंगालके बहुतसे चावल पैदा करनेवाले जिले अब जूट पैदा करने लगे थे। भारतके बड़े बड़े इलाकोंमें गेहूँ और चावलकी फसलोंकी जगह रूई ले रही थी। भारतीय किसान वही पैदा करनेको बाध्य था जो उसका साम्राज्यवादी मालिक चाहता था। भारतीय जनता भूखी रहे या अकालग्रस्त हो, अन्नका निर्यात जारी रहता था। दुर्भिक्षके दिनोंमें भी निर्यात बदस्तूर जारी रहता था।” सन् १८७६-७७में जब देशमें विकराल “दुर्भिक्ष आसन्न था अन्नका निर्यात पहले वर्षोंसे अधिक ही हुआ।”

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाका ढाँचा ऐसा कर दिया गया था कि किसान अपनी उपज बेचनेको बाध्य थे, यद्यपि वे जानते थे कि वर्षके बड़े भागमें उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। लगान बढ़ा दिये थे और उसे अदा करनेके लिए काश्तकारोंको उपजका बड़ा हिस्सा बेच देना पड़ता था। फिर ब्रिटेनसे आयी वस्तुओंका दाम भी देना होता था, जो यहाँसे अनाज और कच्चा माल भेजकर अदा किया जाता था।

१. रमेशचन्द्रदत्त ‘इण्डियन ट्रेड, मैनुफैक्चर्स एण्ड फाइनेंस’ पृष्ठ १

२. डब्लू टब्लू हण्टर ‘इण्डिया आव दि वर्दान एण्ड आदर ऐसेज’ पृष्ठ १४८

३. रमेशचन्द्रदत्त.....पृष्ठ १४३

बंगालमें इस्तमरारी बन्दोबस्तने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे सन् १८५९ में किसान विद्रोह हो गया। यह बन्दोबस्त अमेजी राजकी बड़ी देन गिना जाता था क्योंकि इसमें जमींदार बार-बार मालगुजारी बढ़नेकी रातरेसे बच गये थे। गहलेके दाम बढ़ रहे थे और कास्तकारोंकी आमदनी घट रही थी क्योंकि लगान नहीं बढ़ा था। किसानकी इस आपेक्षिक समृद्धिने जमींदारोंको लालची बना दिया और १९ वीं शताब्दीके मध्यमें उन्होंने लगान बढ़ाने शुरू किये। फल यह हुआ कि जमींदारको तो बँधी हुई मालगुजारी ही देनी होती थी परन्तु वे किसानोंसे बढ़े हुए भावोंके अनुपातमें भी अधिक लगान वसूल करने लगे। सन् १८५९ में सरकारने लगान-वृद्धि पर रोक लगानेकी एक हल्की-सी बोधिश की पर उससे कास्तकारोंका विरोध लाभ नहीं हुआ।

बंगालके दुखी किसानोंने ऐसी स्थितिमें, लगानबन्दी आन्दोलन करनेका निर्णय किया। वे सब उसका फल भोगनेके लिए भी तैयार हो गये। बंगालके सबसे शान्त जिले पाबनामें किसान विद्रोहकी स्थिति पैदा हो गयी। लेकिन यह विद्रोह पूरी तरहसे वैधानिक था। आवेशके कुछ भगण्य उभारोंको छोड़ दे तो किसानोंकी सारी नीति यही मान्य पड़ती थी कि 'हम लड़ेंगे नहीं और हम लगान भी नहीं देंगे, हम दरिद्रकार कास्तकारोंके हक मँगे; लगानकी हर रकम वसूल करनेके लिए तुम जमींदार लोगोंको मुकदमा लड़ना पड़ेगा; अर्जीदावेरो लेकर जमीनके नीलामतक, ये मुकदमे हम हर स्तरपर लड़ेंगे; फानूसके हर पेच, फेर और वाक् छलको अम्ब बनाकर हम देर लगायेंगे, तुम्हें आतिरकार डिगरी मिल जायगी, पर डिगरी पानेमें तुम तथाद भी हो जाओगे, हमारी हालत तो खराब है ही और तुम्हें लगान देनेके लिए अपनी आतिरी गाय बेचनेसे अच्छा है कि हम गाय बेचकर तुमसे अदालतमें लड़ लें।' बंगालके दो तिहाई—६० लाख—लोग १० शिलिंगसे कम ही सालाना लगान देते हैं। ऐसे छोटे किसानोंके देशमें मुकदमे लड़ लड़कर लगान वसूल करना असंभव है। और किसानोंकी एकता तथा सघटनने सचमुच ही बहुतसे जमींदारोंको बर्बाद कर दिया।"

अगले साल, सन् १८६१ में बंगालके कास्तकारोंने फिर मोर्चा लिया। इस बार यह यह मोर्चा नीलके यूरोपीय प्लाण्टरोंके खिलाफ था। बिहार और बंगालमें कुछ उद्योगी यूरोपीयों द्वारा शुरू की गयी नीलकी खेतीके पीछे एक दर्द भरी, यातनाओंकी बहानी छिपी हुई है। किसानोंकी एक बहुत बड़ी मख्याको धोखा देकर इनसे लम्बी अवधिके लिए नीलकी खेती करनेके इकरारनामे लिखा लिये गये थे। बादमें बेचारोंको पता लगा कि नीलकी खेतीमें मुनाफा नहीं होता। पर इन इकरारनामोंके बलपर दमन और दबाव डालकर उन्हें नीलकी खेती करनेकी मजबूर किया गया, यद्यपि वे यह खेती छोड़ना चाहते थे। बंगाल सरकारके कागजातसे पता चलता है कि प्लाण्टरोंके साथ पुलिस और मजिस्ट्रेटोंककी मिली भगत थी। बंगालके लेफिटनेण्ट गवर्नर भी प्लाण्टरोंके पक्षमें थे। लेकिन अन्तमें, किसानोंकी दयनीय दशा और अमानुषिक अत्याचार देखकर अपसरोको भी अपना रस बदलना पडा।

कास्तकारोंकी सहनशीलता सीमातक पहुँच चुकी थी। आतिरकार उन्होंने साहस बटोरकर गोरे मालिकोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन इकरारनामोंके बावजूद उन्होंने नील बोनेसे इनकार कर दिया। कुछ जगहोंपर उन्होंने हिसासे काम लिया, कुछ दूसरी जगहोंपर उन्होंने नील-कोठियाँ जला दीं; पर हिसाकी ऐसी घटनाएँ कम ही थीं। विद्रोहका



संघटन इतना अच्छा था कि अधिकारियोंको विगड़ती हुई हालतसे परेशानी होने लगी। काश्तकारोंकी संघटित एकतासे लार्ड कैनिंग जैसे वाइसराय भी बेचैन हो उठे, जिन्होंने १८५७ के विद्रोहमें बड़ी-बड़ी घटनाएँ देखी थीं। आन्दोलनके बारेमें आपने लिखा—  
 “एक हफतेतक तो मुझे इतनी चिन्ता रही जितनी दिल्ली-विद्रोहके बाद कभी नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि किसी मूर्ख प्लाण्टर द्वारा क्रोध या भयसे चलायी गयी एक गोलीसे दक्षिणी बंगालके हर कारखानेमें आग लग जायगी।”

भाग्यसे, इस वर्ष बंगालके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर जॉन पोटर ग्राण्ट थे जिन्होंने काश्तकारोंकी माँगका न्याय देखकर उन्हें मदद पहुँचानेका निश्चय किया। जिलोंके अपने दौरमें सर जॉनने रैयतीकी भीड़ोंको सरकारसे यह हुक्म जारी करनेकी माँग करते देखा था कि उन्हें नील बोनको विवश नहीं किया जाय। सर जॉनके अनुसार—“यह समझना भूल ही होगी कि दस-दस हजार स्त्री पुरुषों व बच्चोंके इन प्रदर्शनोंका कोई गम्भीर अर्थ नहीं है। इतने बड़े देशमें एक उद्देश्यसे एक साथ ऐसे स्मरणीय प्रदर्शन करनेकी शक्ति और संघटन गम्भीर विचार करने योग्य हैं।”

जिन दो भारतीयोंने देशभरका ध्यान नीलकाण्डकी ओर आकर्षित किया वे थे दीनबन्धु मित्र व हरिश्चन्द्र मुखर्जी। दीनबन्धुने एक नाटक लिखा नीलदर्पण और शायद ही कभी किसी नाटकका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा हो। उसमें यूरोपीय प्लाण्टरों द्वारा नीलके काश्तकारों और उनके परिवारोंपर किये गये अत्याचारों और नृशंसाओंका बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया था। नील-प्रदेशका उसमें इतना सही वर्णन था कि नाटक संकड़ों जगह खेला गया और जिसने भी उसे देखा वह इस अत्याचारके अन्तके लिए प्रेरित हो गया। प्लाण्टरोंके विरुद्ध और नील-किसानोंके पक्षमें विशाल जनमत तैयार हो गया।

किसानोंकी दुर्दशासे कई ईसाई पादरियों और अंग्रेज अपासरोँके मित्र भी पिघल गये। इनमें रेवरेण्ड जेम्स लॉग भी थे जिन्होंने किसानोंके लिए जेल भी काटी। बंगाल सरकारके सेक्रेटरी सेटनकरके कहने पर माइकेल मधुसूदन दत्तने नील वर्णनका अंग्रेजीमें अनुवाद किया और पादरी लॉगने उसमें अपनी भूमिका जोड़कर उसे प्रकाशित किया। करने सरकारो मुहरसे इस अनुवादकी २०० प्रतियाँ इंग्लैण्ड भेज दीं। इसने प्लाण्टर क्रोधित हो उठे और उन्होंने ‘इंगलिशमैन’ के सम्पादक वाल्टर ब्रेटसे लॉगके विरुद्ध मानहानिका दावा करवा दिया। लॉगने अपनी भूमिकामें ‘इंगलिशमैन’ व एक दूसरे अंग्रेजी दैनिककी आलोचना करते हुए लिखा था—“चाँदीकी कितनी आकर्षक शक्ति है! घुणित जूड़ाने चाँदीके ३० टुकड़ोंके लिए इंग्रमसीहको धोखा देकर भयावह पॉटियस पाइलेटके सिपुर्द कर दिया था। इसमें क्या आश्चर्य है कि दो सम्पादक चाँदीके एक हजार टुकड़े पानेके लिए निर्धन रैयतको तुम्हारे चंगुलमें डाल दें।”

लॉगको १०००) जुर्माने और एक मासकी कैदकी सजा मिली। उनके लिए जुर्माना फौरन अदा कर दिया गया और वह खुशी-खुशी जेल चल दिये। जेल जाते समय उन्हें कहते सुना गया कि ऐसे कामके लिए मैं हजार बार जेल जानेको तैयार हूँ।

१. डाक्टर हेमेन्द्रनाथदास गुप्तकी ‘दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ के पृष्ठ १९ पर उद्धृत
२. वही पुस्तक पृष्ठ १९-२०
३. दासगुप्त द्वारा पृष्ठ २५ पर उद्धृत

हरिश्चन्द्र मुखर्जी ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनके प्रभावशाली सदस्य थे और 'हिन्दू पेट्रिअट' के सम्पादक थे। उन्होंने अपने पत्रमें किसानोंकी हिमायत ही नहीं की, वे आन्दोलनके नेता भी हो गये। उन्होंने अपने लेखों और सम्झाने-बुझानेके सरकारको राजी कर लिया कि नीलके किसानोंकी शिकायतोंकी जांच करनेके लिए एक कमीशन घेठाया जाय। मुखर्जी ही नदिया और जैनोरसे किमानोको लाये, जहाँ नील कष्ट सबसे उग्र था और उनसे कमीशनके सामने गवाहियाँ दिलवायीं। नीलकी खेतीवाले परीदपुरके भूतपूर्व मजिस्ट्रेट ई. डब्लू. एल. टेलरने कमीशनके सामने गवाही देते हुए कहा—“पादरियोंको यह कहनेपर काफी द्रैपका सामना करना पडा है कि 'इसानके खूनसे रंगे वगैर नीलकी एक पेटी भी इङ्गलैण्ड नहीं पहुँचती'। इसे एक कथाका रूप दिया गया है। पर यह मेरा अपना कथन है और मैं इसके सबसे व्यापक अर्थमें भी इसे अपना स्वीकार करता हूँ। परीदपुर जिलेमें मजिस्ट्रेट होनेके नाते मेरे पास बहुतसे रैयतोंको भेजा गया जिनके आरपार भाटे छेद दिये गये थे। मेरे सामने उन रैयतोंके शरीर आये हैं, जिन्हें मिस्टर फोर्ड ( एक फ्लॉटर ) ने गोलीका शिकार बनाया। मैंने रिपोर्ट लिखी हैं कि किस प्रकार दूसरे लोग भालोंसे घायल किये गये, फिर गायब कर दिये गये। इस तरह नीलकी खेती करनेको मैं रक्षपातकी प्रणाली ही मानता हूँ।”

कमीशनने नील किसानोंकी शिकायतको सही पाया। उसके अनुसार इस खेतीसे किमानोंका कोई फायदा नहीं था; फ्लॉटर उन्हें सबसे उपजाऊ भूमिमें नील बोनेको बाध्य करते थे, कारखानोंके कर्मचारी उन्हें तरह तरहसे सताते थे। कमीशनने किसानोंके पक्षमें रिपोर्ट दी और बंगालके लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने लगभग पूरीकी पूरी रिपोर्ट मान ली। नीलकी खेती खत्म हो गयी और किसानोंने राहतकी साँस ली।

विहारमें भी किसानोंकी ऐसी ही हालत थी। लेकिन वहाँ हरिश्चन्द्र मुखर्जीकी तरह उनके लिए आन्दोलन करनेवाला कोई नहीं था। इसलिए वहाँ किसानोंके दुर्दिन कायम रहे। आखिरकार, १८६७ में जौरुठिया ( चम्पारन ) के वास्तकारोंने नील बोनेसे इनकार कर दिया और दूसरी फसलें बो दीं। दूसरे गाँवोंके लिए यह एक इशारा था कि वे भी ऐसा ही करें। लालसैरयाके आस पास किसानोंमें ऐसा उथाल आया कि वहाँनी नील कोठी जला दी गयी। १८६७ के चम्पारन गज़टमें लिखा है—एक बार तो रैयत और फ्लॉटरोंके झगडेके उग्ररूप धारण करनेकी आशका पैदा हो गयी। इसका कारण एक ओर तो किसानोंकी नाकाफी आमदनी था और दूसरी ओर कारखानोंके नौकरों द्वारा उनपर किये गये अत्याचार, अनुचित रूपसे धन वसूल किया जाना तथा अन्य परेशानियाँ थीं।

पर किसानोंको नहींके बराबर ही सुविधाएँ मिलीं। १८७५ में पत्रनेके कमिश्नरने प्रस्ताव किया कि उनकी हालत जाँचनेके लिए एक कमीशन घेठा दिया जाय, पर प्रस्ताव नामजूर हो गया। सरकारको आशका थी कि इससे हलचल मच जायगी। १८७७ में कमिश्नरने फिर लिखा कि स्पानीय कर्मचारियोंको बहुत असन्तोष दिखाई पड रहा है। १८८५ में उसने फिर लिखा—“जनहितकारी कानून बनानेके प्रयत्नोंके बावजूद, यहाँ एक ऐसी प्रथा भी जन्म ले रही है, जिनमें रैयत अपनी पूरी जमीन और घरतक एक ऐसी अवधिके लिए रेहन रख देती है, जो उसकी मौतके बाद भी खत्म नहीं होती। इससे छुटकारा पानेके

लिए उसे कर्जकी अदायगी करनी पड़ती है। सामान्य शब्दोंमें रैयत अपनी आत्मा और शरीर बेचकर लान्चार दासतामें बँध जाती है।<sup>१</sup> पर बिहारके नील-किसानोंके दुख-दर्द तब तक जारी रहे जबतक १९१७ में गाँधीजीने आकर उनका समर्थन नहीं किया।

देशकी सत्ता कम्पनीके हाथसे निकलकर महारानी विक्टोरियाके हाथमें जानेके बाद प्रथम १२ सालोंमें “भारतका आर्थिक शोषण चौगुना हो गया था।”<sup>२</sup> विद्रोहके कारण और उसके बाद अन्य कारणोंसे सरकारी खर्च बढ़ गया था, जिसके लिए नये करोंकी जरूरत थी। और चूँकि व्यापारपर कर लगानेसे ब्रिटिश वाणिज्यपर कुप्रभाव पड़ता, भूमि-कर और लगान बढ़ा दिये गये। सरकारी आयका एक प्रत्यक्ष साधन आयात-निर्यात-कर बढ़ाना होता, पर इसका ब्रिटिश उद्योगपति विरोध कर रहे थे। आयातकरसे ब्रिटेनसे बनकर आये तैयार मालके दाम बढ़ जाते, निर्यातकरसे यहाँसे ब्रिटेन जानेवाला कच्चा माल गँहगा पड़ता।

विद्रोहके बादके १८ सालोंमें सरकारी आय ३ करोड़ ६० लाख पौंडमें बढ़कर ५ करोड़ १० लाख पौंड हो गयी। इसमेंसे ब्रिटेनमें खर्च होनेवाली रकम ७५ लाखसे बढ़कर एक करोड़ पौंड हो गयी। अपने १०० वर्षके राजमें कम्पनीने भारतपर ६ करोड़ ९५ लाख पौंडका सार्वजनिक कर्ज लाद दिया था। लेकिन विक्टोरिया शासनके १९ वर्षोंमें कर्जकी यह रकम दुगुनी—१३ करोड़ ९० लाख पौंड हो गयी।

विक्टोरिया राजके पहले १२ वर्षोंमें कर बढ़ाकर डबोढ़े कर दिये गये थे। २९ मार्च सन् १८७१ में बम्बई एंजोसियेशनने ब्रिटिश लोकसभाको जो स्मृतिपत्र भेजा था उसमें लिखा था—“पिछले १२ सालोंमें नगक-कर मद्रासमें १०० फीसदी, बम्बईमें ८१ फीसदी और शेष भारतमें ५० फीसदी बढ़ गया है; शकरपर १०० फीसदी ड्यूटी बढ़ा दी गयी है; शराबपर आवकारी दुगुनी हो गयी है, स्टाम्प ड्यूटी बार-बार बढ़ायी गयी है और अब वए इतनी ज्यादा और परेशान करनेवाली है कि उसके कारण बहुधा न्याय नहीं मिल पाता। हालमें भारी कोर्टफीस और दो फीसदी उत्तगधिकार-कर भी लगा दिया गया है। जमीनपर ६॥ फीसदीकी सेस लग रही है; गाँवसेवा सेसकी दर भी इतनी ही ऊँची है; देहाती कस्बा सेस, व्यापार और पेशेवर कर, मकान टैक्स, जुंगी तथा बहुतसे दूसरे म्युनिसिपल व स्थानीय कर देशके विभिन्न हिस्सोंमें लागू हैं, जिनकी सम्मिलित रकम क्रूरता और निर्दयतापूर्ण रूपसे बढ़ी है। बहुतसे सूबोंको भारत सरकारसे मिलनेवाले अनुदान कम कर दिये जानेसे जो घाटा पड़ रहा है, उसे पूरा करनेके लिए अब फिर नये स्थानीय कर लगानेका प्रस्ताव है। हम आवेदकोंका मत है कि अंग्रेजी राजमें कई वर्षसे अत्यधिक कर ही भारतके लिए विनाश-कारक मानित हो रहे हैं; अधिकारियोंने सरकारी खर्च कम करनेकी पूरी कोशिश नहीं की है। ये खर्च हर साल बढ़ते गये हैं यहाँतक कि सन् १५६-१५७ के मुकाबले वे १ करोड़ ९० लाख पौंड बढ़ गये हैं।”<sup>३</sup>

इस स्मृतिपत्रका ब्रिटिश सरकारपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे आगे आनेवाले सालोंमें ये कर और बढ़ा दिये गये।

ब्रिटिश कम्पनियाँ बड़ी-बड़ी जमीनें लेकर उनपर चाय बागान लगा रही थीं।

१. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, ‘सम्याग्रह इन चम्पारन’ पृ० १७

२. रमेशचन्द्रदत्त इण्डियन ट्रेड, मेन्यूफैक्चर एण्ड फाइनेंस, पृ० १३८

३. दत्त.....पृष्ठ १७६-१७७

ब्रिटिश हितमें वह ब्रिटिश पूंजी भारतमें लग रही थी। प्लाण्टरोंको इन बागानोंके लिए बड़ी सख्यामें मजदूर चाहिये थे और वे चाहते थे कि मजदूर प्राप्त होनेकी कानूनी गारण्टी मिल जाय। बागानके लिए मजदूरोंकी भरतीका एक विशेष कानून बना दिया गया, जिसमें गरीब और निरीह लोगोंपर दमन और अत्याचारका एक नया तरीका शुरू हुआ। इस कानूनको गुलामीका कानून कहा जाता था। बच्चे और अंगूठे अक्सर पुसलाकर या मगाकर बागानमें पहुँचा दी जाती थीं। अष्ट और अनजान लोगोंसे मजदूरोंके इकट्ठारनामे करा लिये जाते थे और उनके बागानसे भाग निकलनेकी कोशिश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर सजाएँ दी जाती थीं। कानूनने उन्हें उन मालिकोंकी गुलामीमें बाँध दिया था। रमेशचन्द्र दत्तके अनुसार "बंगालकी फौजदारी अदालतोंमें, मजदूर प्राप्त करनेके लिए धोखाधड़ी, बेजा दवाव और जबरदस्ती भगा ले जानेकी घृणित घटनाओंका पता लगा है। आमामके चाय बागानोंके इतिहासमें इन स्त्री पुरुषोंपर बुराया हुआ बलात्कारों व अत्याचारोंके घन्टे लगे हुए हैं। उन्नावारी और उच्च पदासीन अधिकारियोंने इन कानूनोंके रत्न करनेकी इच्छा प्रकट की है और सिफारिश की है कि चाय बागानके मालिक मजदूरोंके बाजारमें मौजूद और गणतके सावधान नियमोंके अनुसार मजदूर भरती किया करें। लेकिन पूंजीपतियोंका प्रभाव बहुत मजबूत है, किसी वाट्सराय या भारतके लिए 'सेट्रेटरी आन स्टेट'ने इन कानूनोंको रद्द करनेकी हिम्मत नहीं की है और न आज भी भारतमें मौजूद इस अर्द्ध-दासताकी प्रथाकी रत्न करनेकी कोशिश हुई है।" न्यायता और अत्याचारोंकी अनेकों घटनाओंकी रिपोर्ट सरकारको दी गयीं, लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियोंको नाराज न कर सकनेवाली सरकार इस मामलेमें अपनेको असहाय समझती रही।

भारतसे बाहर, ब्रिटिश हितोंमें लड़ी गयी लड़ाइयोंका खर्च भारतपर लाद दिया गया। देशके साधनोंके अनुपातमें फौजी खर्च कहीं ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटिश साम्राज्य बढ रहा था। फौजी महत्वके स्थानोंको ब्रिटेनके लिए सुरक्षित रखनेके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं, लेकिन इन सबका खर्च भारतको देना पड़ता था। ब्रिटिश राजकी भारतमें स्थिर और स्थायी बनानेके लिए खर्च की गयी चार कराड पीटकी रकम 'गदरना कर्न'के रूपमें भारतमें व्यय करनेकी और क्या तुक हो सकती थी? इसी तरहसे चीन, अफगानिस्तान, ईरान, अरबीसीनिया आदिमें लड़ी गयी साम्राज्यवादी लड़ाइयोंमें इस्तेमाल किये गये भारतीय सिपाहियोंका खर्च ब्रिटिश सरकारको देना था, न कि भारतको। पर भारत असहाय था।

कुछ अग्रज स्वतंत्र उठाकर भी सब बोलते थे। सन् १८६०में मद्रासके गवर्नर सर चार्ल्स ड्रेवेल्लियनको गवर्नरीमें हटा दिया गया क्योंकि वे बड़े हुए खर्च और करोंका बार बार प्रतिवाद कर रहे थे। १८५९में उन्होंने तम्बाकूपर लगनेवाले करका विरोध किया। १८६०में उन्होंने तीन बार बढते हुए करोंका प्रतिवाद किया। अपने चौथे प्रतिवादके लिए उन्हें गवर्नर पद छोड़कर बीसत चुकानी पड़ी। उन्होंने सिफारिश की थी कि "अपनी वर्तमान सुविधाओंकी शक्तिका प्रयोग कर यदि हमने अप्रिय और अनिष्टकर टैक्स उलनापर लाद दिये तो हम ऐसी स्थितिमें पड़ जायेंगे जो देशी फौज कम करनेके लिए उपयुक्त न होगी। हम एक साथ ही जगता और फौज दोनोंको अद्य-गुप्त नहीं रण सकते।"<sup>१</sup>

१. दत्त, वही पुस्तक, पृष्ठ १४६

२. दत्त-इण्डियन ट्रेड, सेन्सूफेक्चर एण्ड फाइनेंस, पृष्ठ १७१

१८७६में लार्ड लिटन भारतके गवर्नर-जनरल होकर आये और उन्होंने फौरन ही साफ बात दिया कि सरकार किसानोंकी हित-रक्षा क्यों नहीं करेगी। ११ मई १८७६को उन्होंने सेक्रेटरी आफ स्टेट ( भारत सचिव )को लिखा—“मेरा निश्वास है कि भारतमें आने वाले योग्य और अनुभवी अफसरोंकी बुनियादी राजनीतिक भूल यह है कि वे समझते हैं कि हम ‘अच्छी सरकार’ द्वारा भारतको अपने कब्जेमें रख सकते हैं, यानी गैरतकी हालत सुधार कर, मही और मच्चा न्याय कर और मिच्चाई आदिके कामोंमें बढ़ी-बढ़ी रकमें खर्च कर, उनके अनुसार अच्छी सरकार भारतपर कब्जा कायम रख सकती है। राजनीतिक दृष्टिसे भारतीय किसान एक गतिहीन, निश्चल पिण्ड है, अगर वह कभी भी चलेगा तो अपने ब्रिटिश हित-चिन्तकोंके दृष्टार और अनुशासनमें नहीं, अपने देशी राजाओंके दृष्टारमें—वे राजा चाहें जितने जालिम क्यों न हों। भारतीय जनमतके अकेले राजनीतिक प्रतिनिधि वे बाबू हैं जिन्हें हमने शिक्षा देकर देशी अन्वयारोंमें अर्द्ध-राजद्रोहात्मक लेख लिखना सिखाया है और यह बाबूवर्ग अपनी गलत स्थितिके मिया और किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करना। अपने इतालवी प्रान्तोंके शासनमें अस्ट्रियाने जो गलती की, वह देखिये। वे प्रात इटलीके सबसे सुशासित भाग थे। आस्ट्रियाने वहाँके किसानोंके हितोंकी रक्षा की, पर वहाँके ‘कुल्दीन’ जागीरदारसे उरकर उनका दमन और अपमान किया। जब इस कुल्दीनवर्गने समझ लिया कि अस्ट्रियाके शासनसे उनका हित नहीं मथ रहा, तो उसने उसके खिलाप साजिश की; किसान या तो इससे उदासीन रहा और या फिर अपने देशी नरेशोंका अनुसरण कर विदेशी हितचिन्तकोंके विरुद्ध होकर उसपर हमला बोल दिया। पर भारतीय मुस्लिम और राजे सिर्फ कुल्दीन जागीरदार ही नहीं हैं। वे शक्तिशाली सामन्त हैं।

“आज हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, वह है भारतीय सामन्तवर्गका कुशलतापूर्वक, पूर्णरूपेण अपने हितमें उपयोग। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समस्या शीघ्र और सरलतापूर्वक हल नहीं होगी। क्योंकि, एक ओर तो हमें उनकी स्वैच्छा-प्रेरित और सद्भावनापूर्ण निष्ठा चाहिये, जो किसी ढंगमें ब्रिटिश सत्तामें उनके हित और सहायु-भूतिके समन्वयपर निर्भर है; और दूसरी ओर हम निश्चय ही, उन्हें ऐसी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं दे सकते जो हमारी शक्तसे स्वतंत्र हो। सौभाग्यवश, यह वर्ग भावनाओंमें बहुत आसानीसे प्रभावित होता है और उन ‘प्रतीकों’के प्रभावको बड़ी जल्दी ग्रहण करता है, जो वस्तु-स्थितिमें कुछ भी नहीं हैं।”

अपने वाइसराय रहनेके कालमें, लार्ड लिटनने इसी नीतिका अनुसरण किया। इतना ही नहीं, उनके बादकी सभी सरकारोंने छोट-गोटे परिवर्तन कर इसी नीतिका पालन किया। लार्ड लिटनने उस वक्त भारतसे गेहूँ, इंग्लैण्ड भेजा, जब यहाँ अकाल पड़ रहा था और लाखों करोड़ों भारतीय कुत्तोंकी मौत मर रहे थे। सन् १८७७ में अपनी एक्जीक्यूटिव काउंसिल (कार्यकारिणी) के अधिकतर सदस्योंकी रायके विरुद्ध, उन्होंने सूती वस्त्रपर लगनेवाला आयात कर खत्म कर दिया और इस प्रकार भारत सरकारकी आयका काफी बड़ा साधन खत्म हो गया। काउंसिलके सदस्योंने इस प्रकार भीसमें स्वीकृति लेनेका प्रतिवाद किया पर वाइसरायको उनकी राय टकरानेका अधिकार था। यह निर्यात कर उस समय तोड़ा गया

१. लार्ड वेटी बालपर, लार्ड लिटनस इंडियन पंडमिनिस्ट्रीशन १८७६-१८८०  
पृष्ठ १०९-११०

था, जब दक्षिण भारत १८७७ के अफालके बाद उटकर गढ़ा भी न हो पाया था और उत्तर भारतमें १८७८ का अफाल पड़ रहा था, लगानमें नये मेस हालमें ही बढाये गये थे, वनटमें घाटा था; विशेष कर ल्याकर बनाया गया 'अफाल बीमा बोप' न जाने कैसे गायब हो गया था और सामान्य प्रदेशमें अमान्ति थी।

अगलमें, लार्ड लिटनकी नियुक्ति ही वे सब अप्रिय और गन्दे काम करनेके लिए हुई थी, जिन्हें उनके पहले आनेवाले लार्ड नार्थब्रुकने करनेमें इनकार कर दिया था और जिस इनकारकी वजहसे उन्हें इस्तीफा देकर धापम जाना पड़ा था। नार्थब्रुककी जादो वापसी का कारण आयात कर भिद्यनेका मामला ही था। लिटनकी नीति और शासन समझनेमें आसानी होगी अगर नार्थब्रुककी वापसीके कारणोंपर एक निगाह डाल ली जाय। १९ बी गरीकी आठवीं दशाब्दीमें भारतमें कुछ गृनी कपडेके कारणाने बन गये थे। ब्रिटिश मिल मालिकोंने उन्हें अपना प्रतिस्पर्डी माना। जनवरी मन् १८७४ में मैनचेस्टरके व्यवसायी महलने भारतमन्त्रीको एक स्मृतिपत्र भेजकर भारत जनेवाले गृनेपर ३० और कपडेपर ५ पीमद्री आपान करका विराध किया और उमें गम्भ करनेकी मांग की। इन व्यापारिकोंका तर्क था कि भारतमें यह आयात कर लगाना मानो इंग्लैण्डके गृन और कपडेके व्यापारपर रोक लगा देना है। यह स्मृतिपत्र भी बड़े टीक समक्षपर भेजा गया था। इंग्लैण्डमें आम चुनाव होनेवाले थे और वहाँकी पार्लेमेण्ट उस समय भंग की जा चुकी थी जब लैटनकी सरकार अपने अन्तिम दिनोंमें जनतामें अप्रिय हो रही थी। लकनायकरों बोंडोकी वहाँ कीमत थी और कौर्दे भी राजनीतिक दल वहाँके उद्योगपतियोंकी नागज नहीं कर सकता था कजरेंटिप (अनुदार) इल उद्योगपतियोंका विश्वासभाजन था, वही जीता और १८७४ में डिज्मेलीने अपनी सरकार बनायी। १८७५ में डिज्मेलीके भारतमन्त्री लार्ड गेल्लिमवरीने अपने गचिपत्रो भारत सरकारमें आर्थिक कानूनोंके सवधमें वातचीत करनेके लिए वहाँ भेजा। गेल्लिमवरीका आग्रह था कि सूती मालपर लगनेवाला आयात कर धीरे धीरे मिलकुल गत्म कर दिया जाय। नार्थब्रुक और उनको संप्रकारिणोंने परन्तो मन् १८७६ में हम आग्रहके उत्तरमें लिख भेजा कि यह कर हटाना उचित न होगा क्योंकि "आठ लाख पीठ सालानाकी आमदनीवाले हम करको गत्म कर भारतीय अर्थ व्यवस्थापर ऐसा गभीर प्रभाव डालनेवाले आदेशका कोई पूर्ण दृष्टान्त नहा है।"

हम घटनाके बाद नार्थब्रुककी इस्तीफा देना पड़ा और लिटनकी नियुक्ति हा गयी। १८७७ में ब्रिटिश लीज-गभाने एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकारकी आदेश दिया कि वह गृनी कर गत्म कर दे।

लार्ड लिटनने पूरे मनोयोगसे जमींदारों व सामन्तोंको सुविधाएँ देकर भारतीय किसानों और गरीबोंके दमनकी नीति लागू करनी शुरू कर दी। ३० अप्रैल मन् १८७६ को लिटनने प्रधानमन्त्री डिज्मेलीको लिखा—भारतीय राजाओं, महाराजाओंमें भेदमें मुझे जिस बातमें सवधे अप्रिय आहृष्ट किया वह उनका वजमत उपाधियों और पर्वजोंके यशकी महत्त्व पूर्ण मानना है। यहा यह बडा मामन्ती कुर्लिन बर्ग है, जिसमें हम छुटकारा नहीं पा सकते, जिमें गुन करने और जिसपर शासन करनेकी हम उम्मुक है, पर ब्रिटिश ताजके आसपास सामन्ती समूहकी तरह जिमें समेटने बढोस्नेके लिए हमने अबतक प्रायः कुछ भी कोशिश नहीं की है। जिन राजाओंमें मेरी बातचीत हुई उनमेंसे हर एक अपने वशकी प्राचीनता, पुराने

जमानेमें केन्द्रीयसत्ता द्वारा मिले उसके परिवारके महत्वका मुझे विश्वास दिलाना चाहता था। उनमेंसे बहुतोंने अपने खर्चपर, बड़े चावसे संपादन कर अपनी वंशावलियाँ और परिवारके लेख-प्रमाण छपवाये हैं और मुझे उनकी प्रतियाँ दी हैं। यह बड़ा विलक्षण और मनोरंजक है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सलामीकी तोपोंकी संख्यामें वृद्धि, दरवारमें अधिक सम्मानित स्थान, वाइसराय द्वारा उनके यहाँ जाने आदिके ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये छोटे अनुग्रहों और सम्मानोंका वे सब उतना ही आदर करते हैं, जितना मालगुजारी या अधिकार क्षेत्रकी भूमिमें विस्तारके उन टोस फायदोंका जो अकबर या औरंग जेबने उनके परिवारोंको कराये थे।”

इन सामन्ती ‘कुलीनों’को बेवकूफ बनानेका अवसर भी शीघ्र हाथ लग गया। इसी साल डिजरेलीने ( “ जो अचानक ही एक नये साम्राज्यवादकी ओर झुक पड़ा था ” ) सुझाव दिया कि “इंग्लैण्डकी महारानी भारतकी साम्राज्ञी बहलये।” “विकटोरियाको यह बात बहुत पसन्द आयी और आयेदिन वह अपने प्रधानमन्त्रीसे इस नयी उपाधिकी संगतिपर जोर देने लगी। डिजरेलीने असहमति प्रकट की पर विकटोरिया नहीं मानी। १८७६ में अपनी और अपने मंत्रिमंडलकी अनिच्छाके बावजूद डिजरेलीको ब्रिटिश लोक व लार्ड सभाओंके प्रचण्ड अधिवेशनमें नयी परेशानी मोल लेनी पड़ी। उन्होंने शाही उपाधिमें परिवर्तन करनेका विल पेश किया और दोनों सदनोंमें उसके क्रोधमय विरोधका उन्होंने असीमित शक्तिसे सामना और विलका समर्थन किया। महारानी विकटोरिया डिजरेलीसे खुश हो गयी।”<sup>१</sup> विल पास होकर कानून बन गया।

लार्ड लिटनने इसका स्वागत किया और १८७७ में एक शाही दरवार लगाकर महारानी विकटोरियाकी नयी उपाधियोंकी घोषणा की और उसका उत्सव मनाया। यह दरवार भी पिछले दरवारकी तरह उस समय हुआ जब देशमें अकाल पड़ रहा था जिसमें दक्षिण भारतके ५० लाख व्यक्ति मरे थे और राष्ट्रीय भारतने इसका विरोध किया। महाराष्ट्रमें भूखसे मरनेवालोंने तीव्र निराशामें जमीन्दारों, महाजनों और दूसरे आतताइयोंपर हंगल बोल दिया। एक बड़ी उथल-पुथल मच गयी जिसमें हजारोंने भाग लिया। यह एक पूरा पका कृषि-विद्रोह था। पुलिसने लगभग एक हजार व्यक्तियोंको पकड़ा, जिनमेंसे आधे सजा पा गये। पर लिटनको इसकी परवाह न थी। वह राजा महाराजाओंको खिताब बाँटकर उन्हें अपनी ओर मिलानेकी योजना पूरी करनेमें लगा था। “अभीतक जिन सेवाओं”को पूरी स्वीकृति नहीं मिली थी, अब वे पुरस्कृत हुईं; जिन प्राचीन परिवारोंको पेशानें मिलती थीं और जिनकी असंदिग्ध निष्ठाने उनकी योग्यता बढ़ा दी थी, उनकी पेशानोंकी रकमें बढ़ा दी गयीं; बहुतसे मुख्य-मुख्य देशी राजाओंको बढ़ी हुई आजीवन तनख्वाहें मिलने लगीं; और हर उस राजाको, जिसे सलामी लेनेका अधिकार मिला था, महारानीके नाममें एक-एक रेशमी झण्डा मिला जिसपर एक ओर शाही चिह्न और दूसरी ओर उस राजाका अपना चिह्न अंकित था। ये पताकाएँ राजाओंके स्तवके अनुसार विभिन्न रंगोंकी थीं; हर सरकारी या राज्य उत्सवमें इन राजाओंके आगे ये पताकाएँ ले चलनेका नियम बन गया; दरवारकी

१. लेडी वेटी वालफर, लार्ड लिटनस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ १०८

२. लिटन स्ट्रेची ‘क्वीन विकटोरिया’ पृष्ठ २१३

३. लेडी वेटी वालफर, वही पुस्तक पृष्ठ २१३

यादगारके तौरपर सोने और चाँदीके पदक भी महारानीकी ओरसे राजाओ व कुछ दूरे चुने हुए लोगोंको दिये गये। लगभग २०० कुलीनो और सम्भ्रान्त नागरिकोंको सम्मानित उपाधियाँ भी दी गयी जिनकी भारतीय बहुत कद्र करते है। आनरेरी मजिस्ट्रेटो, म्युनिसिपल कौंसिलोंके सदस्यों आदिको देशभरसे बहुतसे सम्मानके सर्टिफिकेट बाँटे गये; भारतीय पौजके अपसरों, ओहदेदारों व जवानोंके वेतन व भत्ते बढ़ा दिये गये; ब्रह्मूतोको ओ. बी. आई के खिनाय बाँटे गये।”

अब देशकी आम विद्रोहात्मक परिस्थितिपर एक नजर डाल लें। दो प्रमुख अंग्रेज अपसरोंने ( जो बादमें भारतीय राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय अभिलाषाओंसे निकटरूपसे सम्बद्ध रहे ) मिली सूचनाओके आधारपर रिपोर्ट दी कि विद्रोह तेजीके साथ सघटित किया जा रहा है। उन्हें आशंका थी कि १८५७ की घटनाओंकी पुनरावृत्ति होगी। ये अंग्रेज अपसर ये एलन अक्टेवियन ह्यूम और विलियम वेडरवर्न। ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके पिताकी तरह माने जाते हैं, वेडरवर्न कांग्रेसके प्रसिद्ध अध्यक्ष हुए। वेडरवर्नने ह्यूमकी जीवनीमें लिखा था—अपनेमें ही मगन, शिमलेकी पहाड़ियोंपर रहनेवाले विदेशी नौकरशाहों और मैदानोंकी कठिन परिश्रम करनेवाली करोडो जनताके बीच एक गहरी खाई थी। १८७८-१८७९ में देशभरमें आर्थिक और राजनीतिक कष्ट मिलकर असतोप और अशांति पैदा कर रहे थे; जनताके भौतिक कष्ट, कुछ लोगोंके बौद्धिक असतोपमें मिलकर इस अशांतिको सफटकी सीमातक पहुँचा रहे थे। एक ओर गरीबी और अकाल, महामारीसे पीडित कृषक समुदाय निराश होना जा रहा था; उसकी बात नहीं सुनी जाती थी और स्थितिमें किसी सुधारकी आशा नहीं रह गयी थी; दूसरी ओर स्कूलों और कालेजोंमें पश्चिमी शिक्षाका परिवर्तनकारी प्रभाव बुद्धिजीवियोंमें घर कर रहा था; इस शिक्षामें राजनीतिक इतिहास उन्हें सिखा रहा था कि ब्रिटिश जनता स्वतन्त्रताका फल भोगनेमें केवल श्रम और विद्रोह द्वारा ही समर्थ हो सकी। नयी पीढ़ीका हृदय क्रान्तिकारी और हिंसामुक्त परिवर्तनके स्वप्नमें प्रेरणा और स्फूर्ति पाने लगा। मिस्टर ह्यूम इस सवटापत्र स्थितिमें अच्छी तरह समझ रहे थे। ऊपर शान्त सतहके नीचे जो धाराएँ प्रभावित हो रही थी, उन्हें उनका असाधारण शन था, और वे जानते थे कि जनतामें उथल-पुथल होनेका सफट आसन्न है; और वे यह भी समझते थे कि यह उथल पुथल उस शान्तिपूर्ण उन्नतिको नष्ट कर देगी जिमपर भारतकी भलाई निर्भर है। पुरानी बोलचालमें नया शराबका खमीर उठ रहा था, कभी भी यह बोलचाल पट सकती थी और शराब बह निकल सकती थी।”

लेकिन ह्यूमके पास ( जिन्होंने १८५७-५८ के विद्रोहके दमनमें हिस्सा लिया था ) इस बातके पक्के सबूत मौजूद थे कि एक और विद्रोह आसन्न है। ह्यूमकी जीवनीके ‘धर्मनिष्ठ भारतीय’ शीर्षक अध्यायमें उस समय की परिस्थिति सही तौरपर समझमें आ जाती है। वेडरवर्नने लिखा—“१८५७ के गदरमें मिस्टर ह्यूमके अनुभव, शौर्य और युक्तिसाधना देखनेके बाद, आसन्न गदरकी सत्यतामें उनके निजी विश्वासके महत्वपर शक नहीं किया जा सकता। विभिन्न सूत्रोंमें फैले उनके बहुतेरे मित्रोंका समर्थन भी स्थितिके उनके मूल्यांकनको प्राप्त था। लेकिन, इसके अलावा भी उन्हें सूचना और चेतावनी एक विशेष सूत्रसे—भारतभरमें फैले

१. लेडी बैटी बालफर पृष्ठ १११-११२

२. डॉ. वेडरवर्न, एलन अक्टेवियन ह्यूम, पृष्ठ २



धर्मके भक्त नेताओंसे मिली थी। ह्यूमके कागजातमें भारतीय समस्याके सबसे महत्वपूर्ण अंग लाखों सदस्यवाले अर्धधार्मिक संघटनों सम्बन्धी एक स्मृतिपत्र भी है, जो स्थितिपर बहुत प्रकाश डालता है। धार्मिक जीवनयापन करनेवाले असंख्य राष्ट्रियों, फकीरों और वैरागियोंके सम्बन्धमें ह्यूमका विचार था कि उनमें अधिकांश बदमाश और टग हैं। पर जहाँ तलछट है वहाँ सोना भी है और इन सम्प्रदायोंके गुरुओंमें प्राचीन यद्दी द्रष्टाओंकी तरह महान व्यक्ति भी हैं जो भौतिक आकांक्षाओंसे निर्लिप्त और निष्काम होकर अधिकतम भलाई करनेकी आकांक्षा रखते हैं। इन धार्मिक गुरुओं या नेताओंको अपने चेलोंके द्वारा ऊपरी शान्त सतहके नीचे बहनेवाली धाराओंकी पूरी सूचना प्राप्त रहती है, जनगत बनानेमें उनका बड़ा हाथ रहता है। लिटनके वाइसरायकालका जब अन्त हो रहा था, तभी मिस्टर ह्यूम इन गुरुओंके सम्पर्कमें आये। सहानुभूतिका आधार अंशतः धार्मिक रहा होगा, लेकिन इन लोगोंके ह्यूमसे मिलनेका व्यावहारिक कारण उनकी यह आशंका थी कि देशभरमें, समाजके निम्नतम स्तरतक पहुँची वह अशुभ अशान्ति ऐसा भयंकर उद्वेलन उत्पन्न कर देगी जो भारतके भविष्यके लिए विनाशकारी होगा; और उनका विचार था कि सरकारतक पहुँच रखनेवाले ह्यूम जैसे लोग यदि जनताकी नैराश्यकी भावना दूर करनेके लिए सक्रिय न हुए तो यह विपत्ति आकर रहेगी। उनका कहना था—‘जंगल बिलकुल सूखा है; ठीक हवा चलनेपर ऐसे जंगलोंमें आग आश्चर्यजनक तेजीसे फैलती है; और यह हवा इस समय तेजीसे चल रही है।’ ह्यूमने लिखा है—‘स्थिति मुझे इन शब्दोंमें समझायी गयी। छोटे पैमानेपर, गदरमें इसी प्रकारकी घटनाओंके अनुभवने मुझे देश और जनताका परिचय करा दिया था; गरीब, सर्वहारा जनताकी सच्ची और विश्वसनीय स्थितिके पुष्ट प्रमाणोंपर मुझे विश्वास था; इन दोनोंके वाद मुझे इसमें न तब संशय था और न अब है कि एक भयंकर क्रान्तिके घोर संकटमें हम पड़े हुए थे।’

“और ये पुष्ट प्रमाण क्या थे, इसका उनके शब्दोंसे अच्छा वर्णन असम्भव है— ‘लार्ड लिटनके जानेके १५ महीने पहले, मुझे जिस प्रमाणने आसन्न क्रान्तिके संकटकटा विश्वास दिलाया, वह यह था। वर्मा, आसाम और कुछ छोटे हिस्से छोड़कर शेष सारे देशके सम्बन्धमें सात मोटी-मोटी पुस्तकें दिखायी गयीं जिनमें असंख्य इन्दराज थे; तरह तरहकी सूचनाओं, रिपोर्टोंके ( जो जिलों, तहसीलों, कस्बों, शहरों, गाँवों आदिमें सिलसिलेवार वेंटी हुई थीं, लेकिन ये जिले वर्तमान शासकीय जिलोंसे भिन्न थे ) उद्गरणोंके अंग्रेजी अनुवाद भी पुस्तकोंके साथ थे। ये असंख्य इन्दराज ३० हजार संवाददाताओं द्वारा शकट्टी सूचनाके आधार पर किये गये थे। मैंने उन्हें गिना नहीं, वे असंख्य थे; उत्तरी पश्चिमी सूबेके एक उपद्रवी जिलेके गाँवों और शहरोंकी मुझे गहरी जानकारी थी, और वहाँके सम्बन्धमें किये ३०० इन्दराजोंमेंसे काफीको मैं पूर्णतः या अंशतः पहचान सका; ये लोगोंके नाम आदि थे।’ यहाँ जिस जिलेका जिक्र है, वह निर्विवाद रूपसे इटावा है, जहाँ गिस्टर ह्यूम कई साल तक मुख्य अधिकारीके रूपमें काम कर चुके थे। उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तकें उनके पास सिर्फ एक सप्ताह रहीं; छः को उन्होंने सरसरी तौरपर पलट डाला; लेकिन एक किताबको जिसमें उत्तरी-पश्चिमी सूबे, अवध, विहार और मुन्दैलखण्ड व पंजाबके हिस्सोंका वर्णन था, उन्होंने सावधानीसे पढ़ा; जहाँतक सम्भव हो सका उन्होंने उन जिलोंके इन्दराजोंकी जाँच भी की, जहाँके सम्बन्धमें उन्हें काफी जानकारी थी। बहुतसे इन्दराज गरीब

और निम्न श्रेणीके लोगोंकी बातचीतकी रिपोर्टोंके रूपमें थे। "इन सबसे यही प्रकट होता था कि इन गरीबोंमें एक नैराश्यकी भावना घर घर गयी थी; वे समझते थे कि वे भूखों मर जायेंगे और वे 'बुछ' करना चाहते थे" वे 'बुछ' करनेवाले थे और उसके लिए अपनेमें एकता बढ़ा रहे थे, और यह 'बुछ' थी हिंसा क्योंकि अनेक इन्दराज पुरानी तलवारों, भालों और टोपीदार बन्दूकोंके निवालनेमें सम्बन्धित थे। अनुमान यह नहीं था कि शुरू शुरूमें यह तैयारी हमारी सरकारके खिलाफ विद्रोहके रूपमें प्रकट होगी, या सही अर्थमें यह विद्रोह ही होगा। भविष्यवाणी यह थी कि अक्समात् छिटपुट अपराध—महाजनोंके यहाँ डाके, बाजारोंकी छूट, घृणित व्यक्तियोंकी हत्या आदि—शुरू हो जायेंगे। 'अधभूखे गरीब लोगोंकी वर्तमान हालत देखकर अनुमान लगाया गया था कि शुरूमें कुछ घटनाएँ, सैकड़ों नयी घटनाओंके लिए इशारेका काम करुगी, इससे आम अराजकता फैलेगी और सरकार व सम्मानित वर्गोंका काम रुक जायगा। यह भी निश्चित माना गया था कि हर जगह छोटे छोटे जत्थे पत्तेपर पड़ी पानीकी बँदोंकी तरह मिलकर बड़े गिरोहोंमें परिवर्तित हो जायेंगे, देशभरके लोटे लोग भी इसमें शामिल हो जायेंगे और शीघ्र ही ये गिरोह बढ़े पैमानेपर सघटित होने लगेंगे; कुछ पढ़े लिखे लोग सरकारसे कटुता (शायद अनुचित कटुता) के कारण निराशाके उन्माद—इम उथल-पुथलमें शामिल हो लेंगे, जहाँ सहाँ उसका नेतृत्व करेंगे, इम उथल-पुथलको सूत्रबद्ध आन्दोलनका रूप देंगे और इसे राष्ट्रीय विद्रोहके रूपमें सञ्चालित करेंगे।"

"यह थी वह विगिष्ट नेतावनी जो मिस्टर ह्यूमको मिली थी। देशव्यापी उपद्रवकी यह भविष्यवाणी बादमें मेरी आँसोंके सामने हुई बम्बईकी घटनाओंसे सच साबित हुई; दक्खिनके दगोंके नामसे शत कृषकविद्रोहकी शुरुआत छिटपुट इत्रैतियों और महाजनोंपर हुए हमलोंसे हुई। धीरे धीरे डकैतोंके ये गिरोह मिलकर इतने सज्जत हो गये कि पुलिस उनका सामना न कर सकी और पूनाकी पूरो सुडसवार, पैदल, तोपखाना आदि पीज उनके खिलाफ लगानी पड़ी। पश्चिमो घाटके पहाड़ी जगलोंमें, पीजके सामने वे तितर बितर हो जाते, पर फिर वही सुनिधाजनक स्थानपर इकट्ठे हो जाते। महायलेश्वर और मथेरनके पहाड़ोंसे रातमें हमें उनके शिबिरोंकी रोशनी हरतरफ दिखाई पड़ती। उनका एक पदालिखा नेता था जो अपनेको शिवाजी द्वितीय बताता और सरकारको चुनौतियाँ भेजा करता। उसने बम्बईके गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पलको मारनेवालेको ५०० के इनामकी घोषणा की थी और उसका दावा था कि वह उसी ढंगपर एक राष्ट्रीय विद्रोहका नेतृत्व कर रहा है, जैसे पहले मरहटा शक्ति सघटित हुई थी।"

फिर १८७९ में मरहटा आन्दोलन शुरू हुआ जोकि १८६२ के आन्दोलनकी पुनरावृत्ति था। इतिहासकार हेनरी डब्वेल्के अनुसार यह आन्दोलन बहानी आन्दोलनके ढंगका था; वशवियोंकी काररवाइयोंका केन्द्र पटना था, मरहटोंका पूना। मरहटोंकी अपनी स्वतन्त्र सत्ताकी यादगार मुसलमानोंके मुकाबलेमें ज्यादा ताजी थी। असलमें, अगर अग्रज हस्तक्षेप न करते तो मुगलों और मुस्लिम सत्ताके अन्तके बाद मरहटे ही भारतके शासक हुए होते। डब्वेल्ने लिखा है—यद्यपि मरहटे "धर्मो-मादसे प्रेरित या उत्तेजित नहीं थे, लेकिन यह कमी मरहटा इतिहाससे उत्पन्न जातिगर्वकी भावनासे पूरी हो जाती थी। १८६९ में

पड्यन्त्रोंका पता लगा था। वार्टिल फ्रेटने केनिंगको लिखा था—“यह आन्दोलन उसी असन्तोषकी एक शाखा है, जिसके चुने नेता नाना, तात्या टोपे आदि थे और जो आज भी मरहटाप्रदेश और मध्य भारतमें सुलग रहा है।” जहाँतक मुझे मालूम हो सका है, यूरोप या अमेरिकामें युद्ध जैसी किसी एक चिनगारीसे विन्ध्याचल और तोधुन्द्रके बीचके प्रदेशभरमें अलग-अलग किन्तु संघटित बलवे सुलग उठते। आन्दोलनकी खबर उसके भीषण रूप धारण करनेके पहले ही लग गयी, लेकिन यह आग पूरी तरह बुझी नहीं। १८७९ में अफगान युद्धसे प्रेरणा पाकर इसी भावनासे दक्षिणमें डकैतियोंकी भरमार हो गयी। आन्दोलनका नेता सरकारके खिलाफ घोषणाएँ जारी करता। लेकिन उसे चन्द हफ्तोंमें ही दबा दिया गया और उसे सिर्फ एक ही टोस सफलता मिल पायी—पूनामें पेशवाके प्रसिद्ध शीशमहलको जला डालनेमें।” इसी वर्ष पूनामें रमोसियोंका (जो मरहटा सेनाके अंग थे) विद्रोह हुआ।

दक्षिणके ये उपद्रव किसानोंकी उपेक्षा और सरकारके प्रति कुलीनवर्गमें निष्ठा जगानेके लिए उन्हें सुविधाएँ देनेकी ब्रिटिश नीतिके ही फल थे। अदालतें महाजनोंकी रक्षा करती थीं, क्योंकि कानून उनके पक्षमें था, कर्जदार किसान अक्सर अपनी जोतोंसे बेदखल कर दिये जाते थे और अपना सबकुछ बेचकर उन्हें जमींदारोंका पेट भरना पड़ता था। महाजनोंका चंगुल किसानोंपर इस तरह जकड़ रहा था कि जमीन धीमे-धीरे सूदग्वारोंकी सम्पत्ति बनती जा रही थी और किसान गुलामोंकी हीनावस्थाको पहुँच रहे थे। दमदूपत (मूल ऋणका दुगुनेसे ज्यादा न लेनेका नियम) खत्म हो गया। महाजन अदालतोंकी मददसे अपनी लूट जारी रखते। फल यह हुआ कि बम्बईमें १८७५ में किसानोंमें घोर असन्तोष पैदा हो गया और जनता एक कानूनी अन्यायको दूर करनेके लिए उठ खड़ी हुई। पूनाके ४५ और अहमदनगरके २२ गाँवोंमें उसने महाजनोंको रुकके, पट्टे लौटा देनेकी बाध्य कर दिया और इन दस्तावेजोंको खुलेआम जला डाला गया। १८७८ में फिर असन्तोष भड़का और सरकार किसानोंकी हालत सुधारनेके लिए कानून बनानेके लिए बाध्य हो गयी। इस कानूनसे सूदखोरीपर कुछ रोक लगी और कर्जके बदले जमीनोंपर कब्जा करनेको गैरकानूनी माना गया।

१८९७ में बजीरी उठ खड़े हुए। उनके दमनके लिए भेजी गयी ब्रिटिश फौजने टोकी घाटीपर कब्जा कर लिया। इसके बाद ही स्वातके कबीलोंने मलाकन्दपर और मोहमन्दोंने पेशावरके गाँवोंपर हमले किये और अफरीदियोंने खैबर दर्रेपर कब्जा कर लिया। “थोड़े ही दिनोंमें—टोकीसे वूनर तक सारे सीमाप्रान्तमें आग-सी लग गयी जिसे बुझानेमें ६० हजार सिपाही छः महीने तक व्यस्त रहे।”

लिटनके नृशंस और अत्याचारी शासनका अन्त इंग्लैण्डमें सरकार बदलनेके साथ ही हुआ। २८ अप्रैल सन् १८८० का ग्लैटस्टन फिर ब्रिटेनके प्रधानमंत्री हुए और नयी सरकारकी नीति भारतमें ठीक तरहसे लागू करनेके लिए लिटनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह लार्ड रिपन नियुक्त हुए। रिपनका राज कुछ दर्शनीय या चमत्कारिक चीजोंके लिए मशहूर हुआ। सन् १८८२ में रिपनने लिटनका वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट रद्द करवा दिया। भारत सरकारने घोषणा की कि हालात बदलते जानेके फलस्वरूप यह कानून रद्द किया

जाता है। लेफ्टिन आर्म एक्ट ( शस्त्र कानून ) जैसाका तैयार बना रहा। ग्लेड्स्टन भी उसे छूनेको तैयार नहीं थे।

रिपनने नर्म दलवालोंको मुश करनेमें सफलता पायी और उनका राज भारतीय जनताको लिटनके प्रतिगामी राजकी बाद एक मुक्ति का मान्यम पडा। मुरेन्द्रनाथ बनर्जीने इस मिलगलेमें लिखा है—“लिटनके राजने “जनताका उदासीनताका रुग्ण बदल दिया था और सार्वजनिक जीवनको उसमें एक स्फूर्ति मिली थी। राजनीतिक प्रगतिके विकासमें धुरे या क्रूर शासन बहुधा एक गुप्त चरदानके रूपमें आते हैं। उनके कारण समाजमें ऐसी जागृति आती है, जैसी वर्षोंके प्रचार और आन्दोलनसे भी न उत्पन्न हो।”

राज्यकी बागडोर हाथमें लेते ही रिपनने यह चर्चा कर दी कि महाराजोंने मुझे भारत के म्युनिसिपल शासनको ठीक करनेका कहा है। नर्म दलवालोंको हममें सरकारकी यह सच्ची इच्छा दिखाई दी कि गीमिन क्षेत्रमें ही सही पर वह भारतीयोंको शासन चलानेमें लेना जरूर चाहती है। वे इसके लिए प्रचार और जनमत तैयार करनेमें जोजानते लग गये। इंग्लिशन एंथ्रोपियेशनके प्रचार छाधन इसी काममें लग गये। एक गम्भी चिट्ठी भेजी गयी; फिर छोटे कक्षोंके सरदाताओंके पास प्रतिनिधि भेजे गये जो म्युनिसिपल मस्याओंमें चुनाव और जन प्रतिनिधि लानेके आधारपर म्युनिसिपल सुधारकी बातें इन सरदाताओंको समझाते थे और उनमें बहुत थ कि सरकारसे ये माँग करो। इन प्रतिनिधियोंने बगालके भीतरी जगहोंमें जा जा कर सभाएँ का। मुरेन्द्रनाथ बनर्जी स्वयं स्वायत्त शासनके फायदे समझाते हुए बगालके कक्षोंका दौरा करने लगे। उस जमानेमें म्युफिया पुलिस नहा थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओंके पीछे भेदिये नहीं घूमते थे और सार्वजनिक सभाओंकी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी।

१८ फरवरी सन् १८८१ में कलकत्तेके टाउनहालमें एक सभामें प्रस्ताव द्वारा मुरेन्द्रनाथ बनर्जीने सिफारिश की कि स्वायत्त शासन मस्याओंका विधान ऐसा हो जिम्में इन मस्याओंमें जनताके चुने हुए प्रतिनिधि आ सक, उनका अध्यक्ष भी चुना हुआ हो, मजिस्ट्रेट या कलकट्ट हरगिज नहीं; और, इन मस्याओंके कार्यक्षेत्र व अविहार बढा दिये जायँ क्योंकि ये प्रस्तावित स्थानीय बोर्डोंमें शामिल होनेवाली हैं।

हालाँकि १८७० के पहले ही स्थानीय शासनमें स्वशासनका एक पुट दे दिया गया, रिपन हम दिशामें एक लम्बा दग भरना चाहते थे। भारत सरकारने १० अक्टूबर १८८१ को सूचा सरकारोंको मस्ती चिट्ठियाँ भेजकर प्रस्तावित सुधारोंपर उनकी राय माँगी। उनसे पृछा गया कि—“(१) नैरसरकारी और जहाँ सम्भव हो चुने हुए सदस्योंकी समितियोंको प्रान्तीय आसदनो और सर्वकी कौनसी मद दी जा सकती है; और जो मद ‘स्थानीय’ स्वातंत्र्य होने हुए भी प्रान्तीय सरकारके प्रशासकीय जिम्मे है, उनमें कौन सी इन समितियोंके हवाले की जा सकती है; (२) मदोंका यह बटवारा किस तरह किया जाय ताकि वह जनताको अधिक ग्राह्य हो और स्थानीय व म्युनिसिपल मस्याओंको अधिक लाभदायक हो; (३) अधिन और बेहतर स्थानीय स्वशासनके लिए कौन कौनसे कानून बनाये जायँ, या दूसरे काम किये जायँ, (४) पूरे साम्राज्य भरमें स्थानीय व म्युनिसिपल

करोंकी समान दरें निश्चित करने, अनुचित या कड़े कर रोकने और जनतामें प्रिय और उसे ग्राह्य तरीकोंको अपनानेके लिए क्या किया जाय।”

१८८२ में भारत सरकारने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानिक बोर्डोंके अधिकार और कार्यक्षेत्र बढ़ा दिये तथा देहातोंमें नये बोर्ड बनाये। इण्डियन एसोसियेशनका कहना था कि इस सरकारी प्रस्तावसे लगभग वे सभी गाँवें पूरी हो गयीं जो टाउनहालकी सभामें पेश की गयी थीं।

रिपन सचमुच उन खराबियों और शैतानियोंको जहाँतक हो सके दूर करना चाहते थे, जो लिटनने भारतमें की थीं। पर रिपनकी अपनी सीमाएँ थीं। वे अंग्रेजी राजकी नीति तो बदल नहीं सकते थे जिसकी बुनियाद ही भारतको लूटकर ब्रिटेनका घर भरना थी। रिपनने किसानोंका बोझ कम करनेके लिए इस सिद्धान्तको उठाया कि सरकार लगान तो बढ़ा सकती है, पर यह लगान वृद्धि गल्लेकी कीमतोंके अनुपातमें होनी चाहिए। लगान तय करनेके लिए यह सिद्धान्त उचित ही था पर दिसम्बर सन् १८८४ में जब रिपन वाहसरायकी गद्दी छोड़कर ब्रिटेन वापस गये तो उसके एक महीनेके भीतर ही यह सिद्धान्त पलट दिया गया। रिपनके पहले आये अंग्रेजोंने आर्थिक क्षेत्रमें जो अनुचित रवैया अम्लित्यार किया था (जैसे आयात-निर्यात कर नीति) वह कायम रहा। भारतको ब्रिटिश उपनिवेश बनानेकी नीति जारी रही।

रिपनके शासनकालमें ही भारतमें रहनेवाले गोरे अंग्रेजोंने एक हलचल मचायी। सिरफिरे गोरोंको, जो रिपनको ‘भारतका पक्षपाती’ कहा करते थे, गोरे और कालेका भेद लेकर वावैला मचानेका मौका मिला। आई० सी० एस० (इण्डियन सिविल सर्विस) की प्रतियोगितामें ब्रिटेनकी उम्र घटा देनेके वाचजुद् कुछ भारतीय उसमें आ गये थे। उन्हें ज्यादातर अदालती काम करनेके लिए जुडीशियल सर्विसमें रखा जाता था, प्रशासकीय कामके लिए गोरे अपसर ही रहते थे। सन् १८८३ तक कुछ भारतीय अपसर इतने पुराने हो गये थे कि उन्हें जिला व सेशन जजी मिलती। पर उस जमानेके कानूनके अनुसार कोई भी भारतीय जज वग्नेर्इ, कलकत्ता और मद्रास छोड़कर अन्यत्र कहीं भी किसी अंग्रेजका मुकदमा नहीं कर सकता था। आई० सी० एस० अपसरोंमें सर एशले इंडन व वी० एल० गुत जैसे लोगोंकी धारणा थी कि सरकारी नौकरोंमें भारतीय और अंग्रेजोंके बीच इस कानूनसे द्वेषपूर्ण भेदभाव होता है। दूसरा तर्क यह था कि “भारतीय अपसरोंको अंग्रेजोंके मुकदमें करनेका अधिकार न मिला तो यह गलत स्थिति पैदा हो सकती है कि यूरोपीय जौइण्ट मजिस्ट्रेटोंको वे मुकदमें करनेका अधिकार होगा, जो उनके अपसर, भारतीय जजोंको प्राप्त नहीं है। वग्नेर्इ, कलकत्ता व मद्रासके प्रेसीडेंसी शहरोंमें भारतीय मजिस्ट्रेटोंको जो अधिकार है, वह दूसरे शहरोंके भारतीय जजोंको भी नहीं है।”

रिपनकी सरकारने यह गलत स्थिति दूर करनेका निश्चय किया। न्यायमन्त्री सर कोर्टने एक बिलका मसविदा तैयार किया। इस बिलका उद्देश्य जजोंमें रंग या जातिके आधारपर जो भेदभाव था उन्हें दूर करना था। नील और चाय वागानोंके गोरे मालिक, जो अपने मजदूरोंपर हर तरहके जुल्म करते थे, इस बिलको अपनी निजी हानि मानने लगे।

१. मुखर्जी—इण्डियन कांस्टीट्यूशनल डीव्यूमेण्ट्स पहला भाग पृ० ६३९

२. लाइफ एण्ड वक्स आव रमेंशचन्द्रदत्त पृ० ९५

इन गौरे मालिकोंने एक तरहसे भारतमें फिरसे दासप्रथा चालू कर दी थी। और वे अपनेको कानूनसे परे या ऊपर मानते थे। इसलिए डब्लू. व्लण्टने इस बिलका दूसरा उद्देश्य बताया—“उन गौरसरकारी अग्रेजों—विशेषकर बागान मालिकोंकी दण्ड निवृत्तिका अन्त करना जो अपने देदी नौकरोसे घुरा चर्ताव करते थे और कभी-कभी उन्हें मार तक डालते थे।”

कलकत्तेके अग्रेज व्यापारियोंकी इस बिलमें प्रत्यक्ष या सीधी दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके विरोधमें वे भी बागान मालिकोंकी तरह बहुत उम्र थे। उन्होंने रिपनका सरकार करना बन्द कर दिया और अपमान भी किया। इस बिलको लेकर कलकत्तेका यूरोपीय समाज इतना उद्वेलित हो उठा कि कुछ अग्रेजोंने यह पड्यन्त्र भी रचा कि “गार्नमेण्ट हाउस ( वाइसराय भवन ) के सन्तरियोंपर काबूकर वाइसरायको जबरदस्ती पकड़कर चाँदपाल घाटसे जहाजपर चढ़ाकर इङ्ग्लैण्ड खाना कर दिया जाय।” कलकत्तेके कुछ अग्रेज पूरी गर्भातराके साथ यह पड्यन्त्र पूरा करनेकी सोच रहे थे। बिलके विरोधमें आन्दोलन शुरू किया गया और एक ‘रक्षा संघटन’ भी कायम किया गया जिसका मुख्य दफ्तर कलकत्तेमें और शाखाएँ देशके विभिन्न भागोंमें थीं। आन्दोलन चलानेके लिए डेढ लाख रुपयेका चन्दा इकट्ठा किया गया। कलकत्तेके टाउनहालमें एक सभा की गयी जिसमें ऐसे भाषण किये गये जो “इतने असंयमित थे कि शिष्टाचारके विरुद्ध पड़ते थे। ऐसी सभाएँ बंगालभरमें की गयीं। अग्रेजोंके अखबार—खास तौरपर ‘इंगलिशमैन’ तो बिल्कुल बौखला गया। ‘रक्षा संघटन’ के स्वसंसेवकोंको सरकारी नौकरीसे सामूहिक इस्तीफे देनेके लिए उभाया गया। कुछ लोगोंने पौजी कैण्टीनोंमें जाकर उनकी पथ भी ठोकी बजायी अर्थात् दूसरे शब्दोंमें पौजमें बगावत पैदा करनेकी कीशाना की।”

इस बिलकी सीधी जिम्मेदारी लार्ड रिपनपर न थी। बंगाल सरकारने बिलका मुस्ताव दिया था, दूसरे सबोंकी सरकारोंने उसका समर्थन किया था और ब्रिटिश सरकारके भारत-सचिव व उनकी परिषदने उसमें रजामन्दी जाहिर की थी। पर इस वक्त हमलेके शिकार हुए लार्ड रिपन। वे व्यग्र हो उठे और बोले—“अगर मुझे यह मात्स होता कि मैकालेको हुगलीमें डुबो देनेकी धमकी देनेके समयमें अबतक अग्रेजोंने न कुछ सोचा है और न वे कुछ भूले हैं, तो शायद मैं इस मामलेमें अभी हाथ न डालता।” इस उपद्रवमें पठनेका उन्हें दुःख था। उन्हें झुकना पडा। निदान भारत सचिवको स्वीकृतिपर भारत सरकारने अगस्तमें घोषणा की कि “बड़े हुए अधिकार सिर्फ सेशन जजों और जिला मजिस्ट्रेटोंको मिलेंगे और हाईकोर्टोंको मुकदमा एक अदालतसे दूसरी अदालतमें हटा ले जानेका अधिकार होगा।” यह प्रस्ताव दिसम्बरमें कौंसिलमें पेश हुआ पर अग्रेज आन्दोलनकारियोंको इससे सन्तोष नहीं हुआ। सरकारको और झुकना पडा। सन् १८८४ में एक और कानून बना जिसमें भारतीय जजों व जिला मजिस्ट्रेटोंको यूरोपीय मुजरिमोंके मुकदमोंका अधिकार इस

१. डब्लू. एस. व्लण्ट इण्डिया अण्डर रिपन, पृ० ५

२. लूसियन मुल्क ‘लाइफ आव लार्ड रिपन’ भाग दूसरा पृ० १२८

३. “ ” “ ” “ ” “ ” १३६

४. वही पुस्तक पृ० १२६

शर्तपर मिला कि अपराधी जूरी बैठलानेकी माँग कर सकता है और जूरियोंमें कमसे कम आधे यूरोपीय या अमरीकी होंगे।

यह कानून सरकारकी इज्जत रखनेकी तरकीब थी। बहुत से ऐसे जिले थे जहाँ जूरी बनानेके लिए काफी अंग्रेज या अमरीकी होते ही नहीं थे। ऐसे मुकदमे दूसरे जिलोंमें भेजे जाते थे। पर सरकार तो किसी तरह इस कठिन स्थितिमें छुटकारा चाहती थी और जब मागला इस तरह रपादफा हुआ तो उनमें आरामकी सोंग ली।

लेकिन इस सबके बावजूद इल्वर्ट विलने भारतस्थित अंग्रेजोंमें जो क्रोध पैदा कर दिया था वह पूरी तरह शान्त न हुआ। भारतीयोंके प्रति उनकी घृणा और अधिक उग्र और प्रत्यक्ष हो गयी। भारतीयोंको किसी भी ढंगके स्थानिक स्वशासन देनेकी वे खिल्ली उड़ाते थे। रिपनके स्वायत्त शासन सुधारोंको वे अव्यावहारिक और कुविचारपूर्ण बताते। उनका तर्क था कि देशी लोग स्वशासनके अयोग्य और असमर्थ हैं। उनकी खूदगर्जीने उनके विवेकको इतना अन्धा बना दिया कि वे ऊँचे सरकारी पदोंके लिए होनेवाली खुली प्रतियोगिताका भी विरोध करने लगे। उन्हें आशंका थी कि ऐसी प्रतियोगितामें 'बाबू' अफसर बन जायेंगे। बाबुओंको वे किरानियोंकी हैसियतसे स्वीकार करते थे, पर अपने समान अफसर बनने देनेसे घृणा करते थे।

इल्वर्ट विलके मामलेमें सरकारको शिकस्त देकर अंग्रेज भारतीयोंका वैशिक्षक और वैशर्माने अपमान करनेकी छूट पा गये। 'इण्डिया अण्डर रिपन—ए प्राइवेट टायरी'के लेखक डब्लू. सी. ब्लण्ट सन् १८८४ में भारतमें थे। उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार लिखे हैं—

“इंग्लैण्डमें लोग इसपर विश्वास नहीं करेंगे, पर आज सन् १८८४ में भी भारतमें ऐसा कोई होटलवाला नहीं है, जिसकी हिम्मत हो कि किसी देशी मेहमानको टिका ले। उन्हें देशी लोगोंसे कोई जाती घृणा नहीं है, पर वे अपने गौर अतिथियोंके नाराज हो जानेके डरमें ऐसा नहीं कर पाते। जाइोंमें जब मैं बम्बईमें था, वहाँके देशी मगाजके लोगोंने मेरा अत्यधिक सम्मान किया और मेरे साथ बड़ी मेहरबानीसे पेश आये। शहरके प्रमुख मुस्लिम मुहम्मदअली रोजेने भी मेरे साथ बड़ा आदरपूर्ण व्यवहार किया। वे यूरोप घूम रहे थे, अंग्रेजी लिव्वासमें रहते थे और उन्होंने हमारा दृष्टिकोण और शिक्षाचार यहाँतक अपना लिया था कि वे चार घण्टोंवाली टगटमपर बिना काँचवान चढ़ते थे और सभी सार्वजनिक कार्योंमें दान देते थे। लेकिन तब भी एक दिन उन्हें भोजनके लिए आमंत्रित करनेपर मुझे बताया गया कि यह नहीं हो सकता—कमसे कम मुझे सार्वजनिक हालमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अंग्रेज मेहमानोंके नाराज हो जाने और होटल छोड़ जानेकी आशंका है।

“बंगाल और उत्तरी भारतमें दशा और अधिक खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कोई भी भारतीय, उसकी वेद्यभूषा अथवा पदवी कितनी ही उच्च क्यों न हो, उन जगहोंपर जहाँ अंग्रेज लोग घूमने जाते हैं बिना अपमानके भयके नहीं घूम सकता। अपमान और बेइज्जतीका खतरा रेलयात्रामें तो बहुत है। मेरी जान-पहचानके लगभग सभी भारतीयोंने अपने प्रति रेलयात्रामें हुए दुर्भावपूर्ण दुर्व्यवहारके कटु अनुभवोंकी कहानियाँ सुझे सुनायीं। इस कारण उच्च पदाधिकारियों व स्वाभिमानी लोगोंको ल्याचर्रीसे यात्राके लिए खास टिकटोंका इन्तजाम करना पड़ता है या फिर वे तीसरे दरजेमें सफर करते हैं। उन्हें

विशेष रूपसे दूसरे दल्लेके डिम्बेका भय लगता है। मे ये बात न कहता अगर इनकी सच्चाईमें मुझे जरा भी शक होता। लेकिन मुझे इनकी गन्चाईका पूरा विश्वास है और इसकी ताईद कलकत्तेकी सुप्रीम विधान सभाके दो सदस्योंने भी की, जिन्होंने अपने अनुभव मुझे बताये।”

अपमानजनक भेदभावकी यह कहानी कोई नयी न थी! यह तो जयसे अंग्रेज भारतके निरयुध शासक हुए, तबसे चला आरहा था।

भारतमें जो यूरोपीयन व्यापारी या शासककी हैसियतमें आये थे, उनके आचार विषयक नियम बडे विचित्र थे! एक यूरोपीयनकी जिन्दगीकी कीमत कई भारतीयोंके बराबर थी! यूरोपीयनकी जिन्दगी पवित्र थी और भारतीयोंकी नगण्य। “अंग्रेजों द्वारा भारतीय लगातार पीडित और कल्ल किये जाते रहे पर अपराधियों या तो कोई सजा ही नहीं मिलती थी या फिर पूरे यूरोपीयन समाज द्वारा माँग की जानेपर हत्का मा दण्ड दे दिया जाता था।” यहाँपर एक और टेक्क सर थियोडोर मॉरीसनका हवाला दिया जा सकता है। वे लिखते हैं “यह एक महासत्य है जिसे छिपाया नहीं जा सकता कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयोंकी हत्या की जानेकी घटनाएँ अनेकी दुकेली नहीं हैं। अमृतवाजार पत्रकारोंने एक अवामे (११ अगस्त १८९८) ऐसी तीन वारदातोंका जिक्र है जिनमें हत्यारोंको पूरी कानूनी सजा नहीं मिली। यूरोपीयनोंने मुन्दमोंमें शहरोंसे जूरी बुलाये जाते हैं। उनमें विजेता जातिके होनेका अहकार सबसे ज्यादा है, उनकी नैतिक भावना इस बातकी अनुमति नहीं देती कि एक अंग्रेजको किसी ‘निगर’ की हत्या करनेके अपराधमें अपनी जान देनी पड़े।”

मॉरीसन के ही अनुसार तोपभेनाके तीन सिपाहियोंने डा० सुरेशचन्द्र नामी एक आदमीकी हत्या बडे अमानुषिक ढंगसे की थी परन्तु उनको केवल सात सात सालकी बड़ी कैदकी सजा मिली। एक पौजी अपसरने इस न्यायपर कहा था “भारतके अलावा ससारके किसी भी भागमें इन तीनों फौजियोंको फाँसी दे दी जाती।”

परन्तु आश्चर्यकी बात है कि लार्ड कर्जनने जो अपने प्रतिनियोगदाई शासनके लिए बदनाम है, इन बातोंपर बडा रुच अपनाया, और अपराधियोंको बड़ी सजा दी। भारतमें आगमनके पौरन बाद ही लार्ड कर्जनको मालूम हुआ कि एक ब्रिटिश बटालियनने कई फौजी सिपाहियोंने एक औरतके साथ बलात्कार किया, यहाँतक कि उनकी मृत्यु हो गयी। यहाँपर जो पौजी अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने मामलेको दबा दिया। मुकामा सरकारी अपसरोंने भी मामलेकी उपेक्षा की। बादमें अंग्रेजी सिपाहियोंका चालान किया गया, पर मुकदमा कानूनी दौव पंचमें खतम हो गया। परन्तु कर्जनने इस बातपर विशेष जोर दिया कि अपराधियोंको यो ही नहीं छोड़ देना चाहिये! उनको फौजसे निकाल दिया गया। फौजके उच्चाधिकारियोंको सरत चेतावनी दी गयी और कुछ लोगोंसे सेनाकी कमान छीन ली गयी। रेजिमेंटको दो सालके लिए अर्द्ध भोज दिया गया और रेजिमेंटकी दो सालकी छुट्टियाँ और सब आमोदप्रमोद बन्द कर दिये गये। निविल सरकारी अपसरोंको भी चेतावनी दी गयी और आलीसमें.....वाइसरायने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें सरकार द्वारा इस घटनापर क्षोभ और ग्लानि प्रकट की।

१. ‘इंडिया अंडर रिपन’, पृ० २६३.

२. मॉरीसन—इम्पेरियल रूट इन इण्डिया पृ० २७-२९ ३. वही पुस्तक, पृ० २९

४. रोनाल्डरो—दि लाइफ आफ लार्ड कर्जन, जिन्द दो, पृ० ७२



लार्ड कर्जनने अदालतों द्वारा हत्यारोंको सजा न मिलनेपर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ऐसी ही एक घटनाका जिक्र जिसमें दो भारतीयोंकी हत्या हुई थी, भारत-सचिवसे करते हुए उन्होंने लिखा था “मैं नहीं कह सकता कि आप इन घटनाओंके बारेमें क्या सोचते हैं परन्तु मेरे दिलमें इनसे सख्त चोट लगती है।” परन्तु कर्जन भी अपने देश-वासियोंके नैतिक स्तरको उठानेमें असमर्थ रहा। सन् १९०२ में, नवी लॉसर्स (सियालकोट) नामक एक फौजी रेजिमेंटके दो फौजियोंने एक देशी वावर्चीको केवल इस अपराधपर कि वह “उनकी कामवासनाकी तृप्तिके लिए औरत नहीं ला सका”, इतना पीटा कि वह मर गया। फौजी अधिकारियोंने इसपर कोई काररवाई नहीं की। जब कर्जनको इस घटनाका पता लगा तो उसने जाँचका हुक्म दिया परन्तु अपराधियोंको विशेष सजा न मिली। कुछ अनुशासनकी काररवाई करके गामल्य खत्म कर दिया गया।

जब पंजाबमें राजनीतिक वातावरण अशान्त था तो लाहोरके ऑग्ल-भारतीय दैनिक अखवार दी सिविल एण्ड मिलिटरी गजटने अपने कालमेंमें भारतीयोंको जी खोल कर गालियाँ दीं। पढ़े-लिखे भारतीयोंके लिए “बलबलाते वी० ए०” “वर्णसंकर वी० ए०” “गुलाम” “बुडसवार भिखारी” “दास जाति”, “कलंकी जाति” जैसे अपशब्दोंका व्यवहार किया गया। जब इस शर्मनाक बातका ध्यान नायब गवर्नरको दिलाया गया तो उसने “लेखोंके लहजेपर अफसोस जाहिर किया परन्तु उनपर कोई काररवाई करनेसे इन्कार कर दिया”। ऑग्ल-भारतीय अखबारोंको गाली देनेकी पूरी छूट थी, जब कि इससे बहुत हलके कसूरोंपर हिन्दोस्तानी सम्पादकोंको कैदकी सजा हो जाती थी। ऑग्ल-भारतीय अखबारोंने हत्याएँ करनेके लिए उकसाया परन्तु कानूनने इसका खयाल न किया। कलकत्तेसे निकलनेवाले अखवार ‘ऐशियन’का एक नमूना देखिये। एक बदनाम मैजिस्ट्रेट किंगजफोर्ड एक क्रांतिकारीकी गोलीसे बच गया और दो यूरोपीय महिलाओंकी उसी गोलीसे मृत्यु हो गयी। इसपर उक्त अखवारने लिखा—“मिस्टर किंगजफोर्डको अब अच्छा अवसर मिला है। हमारा विचार है कि नजदीकसे उनका निशाना कभी नहीं चूकेगा। हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे माउजर पिस्तौलका इस्तेमाल करें.....हम आशा करते हैं कि मिस्टर किंगजफोर्ड मन भरकर शिकार करनेमें कामयाब होंगे। हमें उनके इस अवसर पानेपर ईर्ष्या होती है। उन्हें हर अपने या अपने मकानके पास आनेवालेको मार डालनेका पूरा-पूरा हक हासिल है। और उनकी अपनी भलाईके लिये हम विश्वास रखते हैं कि बिना कोर्टकी जेबसे पिस्तौल निकाले ही वह सीधा निशाना लगानेमें क्षमता रखते हैं।”

परन्तु कर्जनने भारतकी सबसे अधिक बेइज्जती की। कलकत्ता विश्वविद्यालयमें ११ फरवरी १९०५ को दीक्षान्त भाषण करते हुए कर्जनने कहा “निसंदेह पश्चिमके नीति-शास्त्रमें सच्चाईका प्रमुख महत्व हो चुका था; जब पूर्वने इसको बहुत वादमें अपनाया। वहाँ तो चालाकी और दौंव-पंच ही सदा आदर पाते रहे हैं।” इस भाषणकी प्रतिक्रिया-स्वरूप बंगालके नौजवान आतंकवादी बन गये। देशभरमें क्रोधकी लहर फैल गयी। अखबारोंमें इसके जवाब लिखे गये और इसके विरोधमें स्थान-स्थानपर सभाएँ हुईं।

१. वहाँ पुस्तक, पृ० २४४

२. नेविंसन—द्री न्यू स्पिरिट इन इण्डिया पृ० २२९

## पाँचवाँ अध्याय

### भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

कुछ समयसे भारतीय नेता सोच रहे थे कि देशमें एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था सघटित की जाय। विशेषकर १८७७ के दिल्ली दरबारके वक्तसे लोगोंके दिमागमें यह विचार उठने लगा था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जमशेदजी जीजीभाई, विश्वनाथ माण्डलिक, मंगलदास नाथूभाई, नौगोजी परहनजी जैसे लोग जब कभी आपसमें मिलते, तब वे एक दूसरेसे कहते—“अगर निरकुश बादशरायकी गान शौकत बढ़ानेके लिए राजों-महाराजोंको एक तमाशा खड़ा करनेके लिए बाध्य किया जा सकता है, तो क्या जनताको सघटित कर वैधानिक उपायों द्वारा निरकुश शासनकी भावनाको रोकना नहीं जा सकता ?”

पर जनताको सघटित करनेमें एक न एक बाधा आती रही। तभी, इल्वर्ट विल आन्दोलनने भारतीय राजनीतिकी गति तेज कर दी। आखिरकार सन् १८८३ में एक अखिल भारतीय संस्था बनानेका विचार कार्यरूपमें परिणत हो गया और कलकत्तेमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काग्रेस हुई। इसमें विभिन्न सूबोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। अध्यक्ष आनन्दमोहन बसुने कहा—“राष्ट्रीय पार्लमेंटके रास्तेकी पहली मजिल हमने इस सम्मेलन द्वारा पार कर ली। इस सम्मेलनकी स्मरणीय बात सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा की गयी—सभावित (कवेनेण्टेड) सिविल सर्विसोंको तीव्र आलोचना थी। उनके भाषणके सम्बन्धमें विलफ्रीड ब्लण्टने कहा—“मैंने अपने जीवनमें जो अच्छे अच्छे भाषण सुने हैं, उनमेंसे एक यह था।” काग्रेसमें तबकालकेकोई प्रस्ताव पास नहीं हुए।

लगभग इसी समय हमारे दिलमें भी ऐसी संस्था बनानेके विचार उठे थे। वे एक राष्ट्रीय संस्था सघटित करनेमें लग गये जो जनताकी मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक भलाई करनेका काम करे। मार्च सन् १८८३ में कलकत्ता विश्वविद्यालयके ग्रेजुएटोंको एक गश्ती चिट्ठी भेजकर उन्होंने कामकी शुरुआत की। वे चाहते थे कि इन ग्रेजुएटोंमें कमसे कम ५० ऐसे संस्थापक सदस्य निकल आवें जो राष्ट्रीयताके लहलहाते वृक्षके बीजका काम दे सकें। इस गश्ती चिट्ठीमें हमने लिखा था—“यदि देशके मार, आप पत्रे लिखे लोगोंमें भी पचास ऐसे व्यक्ति नहीं निकलते जिनमें श्यामकी समुचित शक्ति हो, जिन्हें देशके लिए समुचित प्रेम और गर्व हो, जिनमें इतनी सच्ची, आत्मत्यागमूलक देशभक्ति हो कि देशकी दोष जीवन अर्पण कर सकें, तो फिर भारतके लिए कोई आशा नहीं है। भारतमाताके पुत्र विदेशी शासकके हाथोंमें कटपुतली ही बने रहेंगे और बने रहना चाहिये.....अगर आप अपने और अपने देशके लिए अधिक स्वाधीनता, अधिक निष्पक्ष प्रशासन, राजकाजमें अधिक हिस्सा पानेके लिए जमकर सघर्ष नहीं कर सकते तो हम आपके भिन्न गलत साबित होंगे और हमारे प्रतिद्वन्दी सही।”

इस अपीलकी देशके हर हिस्सेमें बड़ी ही उत्साहवर्धक और अनुकूल प्रतिक्रिया हुई

और शीघ्र ही 'इण्डियन नेशनल यूनियन' नामक संस्थानका जन्म हुआ। यूनियनकी पहली बैठककी रिपोर्टके इस उद्धरणसे उसके लक्ष्य और उद्देश्योंपर काफी प्रकाश पड़ता है—“यूनियनका जितना संघटन हुआ है, उसमें यह सर्वसम्मत भावना मालूम पड़ती है कि इस संस्थानका मूल मन्त्र ब्रिटिश ताजके प्रति अटूट श्रद्धा है। जब जरूरत पड़े, यूनियन सभी वैधानिक तरीके काममें लाकर उन सभी बड़े छोटे अपसरोंका विरोध करनेका तैयार रहेगी जो ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा भारतके शासनके लिए नियत और ब्रिटिशताज द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तोंके विरुद्ध काम करते हैं, या उन सिद्धान्तोंको लागू नहीं करते। किन्तु साथ ही, यूनियनका विश्वास है कि भारतका ब्रिटेनसे सम्बन्ध भारतके राष्ट्रीय विकासके लिए अत्यावश्यक है। कमसे कम इतनी अवधितकके लिए तो आवश्यक है ही जितनी राजनीतिक दृष्टिसे देखी जा सकती है।” यूनियनकी सदस्यताके लिए आवश्यक शर्तोंमें थी—सामाजिक और वैयक्तिक जीवनमें सदा ईमानदारीका व्यवहार, भारतीय जनताके भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और बौद्धिक स्तरको उँचा उठानेकी लगन, प्रखर बुद्धि जो शिक्षासे विकसित हुई हो, आवश्यकता पड़ने पर जनहित और परमार्थके कामोंमें स्वार्थ और व्यक्तिगत हितोंकी कुरबानीके लिए तत्परता और चरित्रकी स्वतन्त्रता व विवेककी गम्भीरता।

‘एक ऐसा संघटन बनानेके लिए जो सभी सदस्योंको सबसे अधिक प्रिय हो सके’ यूनियनके सदस्योंका एक सम्मेलन पूनामें विचार-विमर्शके लिए बुलाया गया। कराची, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, पूना, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा व लाहौरमें स्थानीय समितियाँ बनीं और इन्हींमें पूना सम्मेलनमें शामिल होनेके अस्वाभन भेजे। यह सुझाव भी आया कि यूनियनकी केन्द्रीय समिति बननेके पहले एक जनरल सेक्रेटरी चुना जाय जो जगह जगह जाकर सम्मेलनके कार्यका निरीक्षण कर सके, विभिन्न स्थानीय समितियोंके अनुभव एक दूसरेको बता सके और यूनियनके कामका आग तौरपर निरीक्षण कर सके। ह्यूम पहले जनरल सेक्रेटरी बने।

एक राष्ट्रीय संस्थाके संघटनकी तैयारियाँ पूरी करके, ह्यूम इंग्लैण्ड गये ताकि मित्रोंसे मन्त्रणा कर सकें कि भारतीय मसलों और आकांक्षाओंमें ब्रिटिश जनता और पार्लमेण्टको दिलचस्पी दिलानेके क्या तरीके हो सकते हैं? वहाँ उन्होंने सबसे पहले गैरसरकारी भारतीय समाचारोंके ब्रिटिश पत्रोंमें प्रकाशनका उचित प्रवन्ध किया। ‘रायटर’के तारोंसे ही खबरें इंग्लैंड पहुँचती थीं और आम शिकायत यह थी कि रायटरके तार भारतीय दृष्टिकोणको ठीक तरहसे पेश नहीं करते तथा उनमें हमेशा एक सरकारी रंग रहता है। ह्यूमने भारतीय ‘टेली ग्राफ यूनियन’का संघटन किया। इसका काम यह था कि महत्वपूर्ण भारतीय मसलोंपर ब्रिटेनके ऐसे पत्रोंको तार भेजना जो उन्हें प्रकाशित करें। उन्होंने विभिन्न पत्रोंके सम्पादकोंसे बातचीत की और लगभग पौन दर्जन समाचारपत्र (जिनमें मेंचेस्टर गार्जियन जैसे प्रमुख पत्र भी थे) इस यूनियनसे आर्थी खबरें छापनेको तैयार हो गये। लेकिन पैसेकी कमीसे यह यूनियन चल नहीं सकी।

ह्यूमने ब्रिटिश राजनीतिक जगतके प्रमुख लोगोंसे भी पूछा कि पार्लमेण्टके सदस्योंको भारतीय मामलोंमें दिलचस्पी कैसे दिलायी जाय। ब्रिटेनमें तब हालमें ही आम चुनाव होनेवाले थे। पार्लमेण्टके एक सदस्य रीड (बादमें लार्ड लोर बने) ने ह्यूमको एक पत्र लिखकर

सुझाव दिया कि हर निर्वाचन क्षेत्रके दो तीन मतदाता अपने उम्मीदवारोंसे वादा करा लें कि वे भारतीय मसलोंमें दिलचस्पी लेंगे। इन वादोंको अल्पवारोंमें छपवा दिया जाय। रीडका विश्वास था कि इतना आसान वादा सभी उम्मीदवार कर देंगे, उनमेंसे दस फीसदी इस वादे को पूरा भी करेंगे और इस प्रकार भारतीय मसलोंपर होनेवाले विवादोंके समय पार्लमेंटमें श्रोता तो मिलने लगेंगे। अल्पवारोंमें उनके वादे छप जानेके कारण वे उन्हें तोड़नेमें भी हिचकेंगे। ह्यूमन काग था हर निर्वाचन क्षेत्रमें ऐसे मतदाता ढकड़े करना जो उम्मीदवारोंसे ये वादे ले सकें। ह्यूमने यह काम शुरू भी किया, पर उन्हें हममें ज्यादा सफलता नहीं मिली।

वैधानिक राजनीतिकी एक अस्थिर भारतीय संस्था बनानेकी कठिन समस्याके लिए ह्यूमको प्रेरणा किसमें मिली और उसके दिमागमें यह बात ऐसे घर क्यों कर गयी यह जानने के लिए ह्यूमके जीवनपर दृष्टिपात करना होगा। ह्यूमके पिता देशभक्त और सुधारक थे, वे चारद वर्षतक ईस्टइण्डिया कम्पनीमें थे और उसके बाद पार्लमेंटके सदस्य हो गये थे। ३० वर्षतक वे पार्लमेंटके उग्रदलके नेता गिने जाते रहे। ह्यूम स्वयं कम्पनीकी नौकरीमें आये। पिताके बहुतसे गुण उनमें थे। वे उन इने गिने अंग्रेजोंमें थे जो भारतमें अंग्रेजी राज कायम तो जरूर रखना चाहते थे, पर साथ ही यह भी चाहते थे कि यह राज भारतीयोंकी भलाईमें दक्षिण हो। सन् ५७ के विद्रोहके नौ वर्ष पहले वे बंगाल सिविल सर्विसमें भरती हुए थे। २६ वर्षकी अवस्थामें वे इटावा जिलेके सबसे बड़े हाकिम हो गये थे। इटावा क्षेत्रफल १६९३ वर्गमील था, जनसंख्या ७ लाख २२ हजार थी और मालशुजारी १ लाख ३६॥ हजार पौंड थी। जन विद्रोह हुआ वे इटावेंमें ही थे। इटावा भी दूसरे जिलोंकी तरह भारतीयोंके अधिकारमें आया। ह्यूमने इटावा खाली करने और बादमें फिर उसपर अधिकार करनेमें बड़े साहसका परिचय दिया।

इटावेके हाकिमकी हैसियतसे ह्यूमने वहाँकी जनताकी शिक्षा और भलाईमें बड़ी दिलचस्पी ली। आवकारीसे होनेवाली आमदनीको वे "पापकी कमाई" कहते थे। जब माल-बसाल जिलेकी यह आमदनी बढ़ती गयी, उन्होंने अपने ऊँचे हाकिमोंको लिखा— "अभूतपूर्व गरीबी और मुमिवतको दैपते हुए, हालका बन्दोवस्त आर्थिक दृष्टिमें बहुत सफल माना जा सकता है। लेकिन मुझे आवकारीसे होनेवाली आयमें वृद्धि का दुःख है। प्रति वर्ष मैं इस पापी व्यवस्थाका असफल विरोध करता हूँ कि जिसमेंसे पहले ऐसे लोगोंका एक बड़ा वर्ग पैदा हुआ और अब जिससे वह वर्ग पलता पनपता है जिनका जीवनमें एकमात्र ध्येय यह है कि अपने साधियोंको शराबी और उसके अनिवार्य निरुत्तरूपमें दुराचारी व अपराधी बनायें। दुर्गायवश, ये ललचानेवाले बराबर सफल होते रहते हैं, हर साल शराबियोंकी संख्या और शराबकी खपत बढ़ती जाती है। पिछले २० वर्षमें शराबखोरी कितने गंभीर रूपमें बढ़ गयी है, यह उन्हींको मालूम हो सकता है जो मेरी तरह देशी समाजकी गतिविधि जाननेकी फिक्र करते हैं। और, हम अपनी प्रजाको तो पापाचारमें प्रवृत्त करते हैं, पर उनके विनाशमें हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। पापकी इस कमाईके मध्यममें पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि पापसे इकट्ठी दौलत पलती नहीं। आवकारीसे अगर एक रुपयेकी आमदनी होती है तो तन्निमित्त अपराधोंके दमनमें सरकारको दो रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं।"

अपने मित्रान्तों और विचारोंके लिए ह्यूमको दण्ड भोगना पड़ा। उनकी पदअवर्तित

हुई और दूसरे कम-उम्र अपासरोको उनके पहले तरफ़ी दी गयी। लेकिन ब्रिटिश ताजकी निष्ठावान् प्रजाकी हैसियतसे छूमको भारतमें अंग्रेजी राजके लिए खतरा नजर आया और वे भारत और ब्रिटेन दोनों देशोंकी, अपने ढंगसे, सेवा करनेमें लगे रहे।

भारतीय राजनीतिमें तब दो मुख्य विचारधाराएँ थीं। एक मतके लोग हिंसा द्वारा अंग्रेजी राजका अन्त कर देना चाहते थे। दूसरे मतके लोग अंग्रेजी राजका अन्त नहीं चाहते थे। वे सिर्फ़ भारतीय शासनमें भारतीय प्रतिनिधित्व चाहते थे—जो बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाय कि ब्रिटिश ताजके अन्तर्गत भारत स्वशासन प्राप्त कर ले। छूमको मिले प्रमाणोंसे और बादके किसान विद्रोहोंसे स्पष्ट है कि हिंसात्मक शक्तियोंने कई बार सुदृढ़ संघटन बनाकर ब्रिटिश शासनपर चोट करनेकी तैयारी की। परन्तु-लिखे लोगोंकी वैधानिक राजनीति गामूली बात थी और सरकार भी उसमें विचलित नहीं थी। रिपनने किसी हद तक विद्रोहकी तलवारको कुण्ठित कर दिया था और प्रान्तकारियोंका बढ़ाव रोक दिया था। पर यह प्रत्यक्ष था कि यह शान्ति अस्थायी है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सुट्टी भर लोग ही वैधानिक राजनीतिकी प्रगतिमें परिचित थे और उनका प्रभाव भी शहरोंके भोड़के लोगोंतक सीमित था। लेकिन हिंसात्मक शक्तियोंका एक देशव्यापी संघटित जाल अंग्रेजी सत्ताके अस्तित्वको चुनौती दे रहा था। ये शक्तियाँ जनतासे अपील करती थीं, उसे मुख्यमय भविष्यका आश्वासन दिलाती थीं और जनता उनका विश्वास करती थी। उनका आश्वासन था कि अंग्रेजी राजका तख्ता पलट दिया जायगा और देशमें फिर एक बार समृद्धि आ जायगी। अपनी अवस्था सुधारनेके लिए जनता और शिक्षित वर्ग हिंसा और विद्रोहसे खींचकर किस प्रकार वैधानिक राजनीतिमें लगाये जायें, छूमकी यही समस्या थी। इस समस्याका हल यही था कि एक ऐसी सुदृढ़ अखिल भारतीय संस्था बनायी जाय जिसे जनता अपनी प्रतिनिधि संस्था मानने लगे और जिसका अस्तित्व लोगोंको भरोसा दिलाये। इससे यह संस्था जोर पकड़ती जायगी और जनता हिंसासे विरत होकर इसी संस्थाकी ओर आकृष्ट होगी।

रिपनके उत्तराधिकारी लार्ड टफरिन भी ऐसी संस्था चाहते थे जो जनताकी भावनाओं को वैधानिक ढंगसे पेश कर सके। छूमकी जीवनीके लेखकके अनुसार “छूम स्वयं अपना सुधार प्रचार सामाजिक स्तरसे शुरू करना चाहते थे, पर लार्ड टफरिनकी मन्दाहमे उन्होंने राजनीतिक संघटनको प्राथमिकता दी। लगता है कि लार्ड टफरिनने उनमें कहा था कि शासनाध्यक्षकी हैसियतसे मुझे जनताकी सच्ची इच्छाएँ जाननेमें बड़ी कठिनाई होती है, और शासनकी दृष्टिसे, एक ऐसे उत्तरदायी संघटनकी स्थापना जनसेवाका काम होगा जिससे सरकार भारतीय जनमतके सम्बन्धमें जानकारी करती रह सके।”<sup>1</sup>

कांग्रेसके प्रथम अध्यक्ष डब्लू. सी. बनर्जाने अपनी पुस्तक ‘इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन पोलिटिक्स’ ( भारतीय राजनीतिकी भूमिका ) में ( जो सन् १८९८में छपी थी ) छूम-टफरिन मन्त्रणाके सम्बन्धमें और भी स्पष्ट रूपसे लिखा था कि “सम्भवतः बहुतसे लोगोंके लिए यह नयी खबर होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—जैसी वह बनी और जैसी वह चल रही है, अमलमें लार्ड टफरिनकी कृति है, जिसे उन्होंने अपने गवर्नर-जनरल रहनेके समयमें बनाया।” उनका मुझाव था कि भारतीय राजनीतिक नेता हर वर्ष एकत्र होकर सरकारको बताया करें कि शासन कहीं दोषपूर्ण है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। उनका यह भी कहना

था कि ऐसे सम्मेलनोंमें गवर्नरको सभापति न बनाया जाय क्योंकि गवर्नरकी उपस्थितिमें लोग सम्भवतः ग्लुत्तर वाते न कर सकें। ह्यूम डफरिनके तर्कोंसे प्रभावित हुए और जब उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदिके राजनीतिज्ञोंके समक्ष अपनी व डफरिन दोनोंकी योजनाएँ रखी तब सर्वसम्मतिसे डफरिनकी योजना स्वीकार कर ली गयी और उसीको कार्यान्वित किया जाने लगा। डफरिनने ह्यूमसे वादा करा लिया था कि जबतक मैं भारतमें हूँ, मेरा नाम इस सिलिलिमें न लिया जाय। यह वादा पूरा हुआ। जिनसे ह्यूमने सलाह मसखिरा किया, उन्हें छोड़कर और क्रिगोंको इस बातका पता भी नहीं चला।

कांग्रेसके जन्मकी कथा इस विवरणके साथ ही एण्ड्रूज व मुर्जाके इस कथनको पढ़ लेनेसे स्पष्ट हो जायगी कि ह्यूमने "समझ लिया था कि जनताके दुरत दूर करनेके लिए भारत सरकारको प्रेरित करना अगम्भय ही है। आत्मतुष्टिके वातावरणमें सुपुसगे हाकिम अपनी मानसिक शक्ति भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सन् '५७ में विद्रोहका दमन कर दिया था और इससे उनमें सुरक्षाकी भावना व्याप्त थी। इतिहासकी पुनरावृत्ति बड़े बिलक्षण ढंगसे होती है; क्योंकि सन् ५७ में जिस तरह हाकिम जनमत और जनभावनासे अनभिज्ञ थे, बिल्कुल उसी प्रकार अब थे। यह सन्तोषकी भावना ह्यूमकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। वे हार कर शिमला गये और वहाँ सर्वोच्च अधिकारियोंको बताया कि परिस्थिति किस प्रकार विस्फोटक हो रही थी। सम्भव है, ह्यूमकी इस वाचाने वाइसरायको जो कुशल शामक और चतुर व्यक्ति थे स्थितिकी गम्भीरताका परिचय करा दिया हो और उन्होंने ह्यूमको कांग्रेसकी स्थापनाकी प्रेरणा दी हो। जैसा कि विदित है, अखिल भारतीय आन्दोलनके लिए समय बिल्कुल परिपक्व था। शिक्षित वर्गकी सहानुभूति व सहायता प्राप्त किताब विद्रोहके स्थानपर नयी विक्रागमान शक्तियोंको एक राष्ट्रीय मन्त्र मिल गया।"

इस परिस्थितिमें, विशेष कर जब शिक्षित भारतीय वैधानिक आन्दोलन द्वारा भारतकी राजनीतिक प्रगतिमें व्यस्त थे, ह्यूमकी प्रोजेक्टोंको भेजी गयी गइती चिट्ठी कुछ अनोखी लगेगी। उसका एक वाक्य था—'यदि देशके सार, आप पठे लगे लोनोंमें भी पचास ऐसे व्यक्ति नहा निकलते, जिनमें त्यागकी समुचित शक्ति हो, जिन्हें देशके लिए समुचित प्रेम और गर्व हो, जिनमें इतनी सच्ची, आत्मत्यागमूलक देशभक्ति हो कि रोप जीवन देशको अर्पित कर सकें, तो फिर भारतके लिए कोई आशा नहीं है।'

भारतीय राजनीतिक रगमच खाली नहीं था। देशकी उन्नतिकी लगन लगाये सैकड़ों देशभक्त उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इलवर्ट बिल विरोधी आन्दोलनसे भारतीयोंमें एक चेतना आ गयी थी और एक अखिल भारतीय मघटन का विचार सबके हृदयोंमें घर कर चुका था। मद्रासमें सन् १८७८ में स्थापित अंग्रेजी दैनिक 'दि हिन्दू' ने राजनीतिक चेतना जगायी थी और ६ साल बाद सन् १८८४ में मद्रास महाजन सभाका जन्म हो चुका था। शुद्धभात कुछ सरकारी नौकराके एन छोटेसे सम्मेलनसे हुई जिनमें मद्रास नेटिव एसोसियेशन बनाना तय हुआ। फिर आनन्द चारल, वीरराघवाचार्य, रमैयानायडू, जी० मुन्नरायण ऐयर और एन० सुन्बाराउ आदि प्रमुख लोगोंने 'दि हिन्दू' की स्थापना की। मद्रास महाजन सभाकी भी इन्हीं लोगोंने जन्म दिया। पश्चिममें सन् १८७० में ही पूना सार्वजनिक सभा सघटित हो चुकी थी। यह रानाडे और गणेशदत्त

जोशीकी अगुआईमें चल रही थी। राव बहादुर कृष्णजी लक्ष्मण नूलकर, रीताराम हरि चिपलणकर जैसे प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे। सभा एक त्रैमासिक पत्रिका पाठकोंकी राजनीतिक शिक्षाके लिए निकालती थी। इसमें अधिकांश लेख रानाडेके लिखे होते थे। जेम्स कैलकने लिखा है—“सभाने पश्चिमी भारतको जगानेमें बड़ा काम किया; इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मतलोंपर जनमन भी बनाया।”

जनवरी सन् १८८५ में बम्बईके प्रेसिडेन्सी एसोसियेशनकी नींव पड़ी। इसके सूत्रधार बदरुद्दीन तैयबजी, फीरोजशाह मेहता, काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग और ह्यूम थे। बंगालमें सर यतीन्द्रमोहन टैगोरके नेतृत्वमें ‘नेशनल लीग’ नामक एक नयी संस्थाका जन्म हुआ।

राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरणमें समाचारपत्र भी अपना योग दे रहे थे। इन पत्रोंमें प्रमुख थे—इण्डियन मिरर, हिन्दू पेड्रियट, अमृतवाजार पत्रिका, दि बंगाली, मुम्बई समाचार, सोमप्रकाश, सुलभ समाचार, सकल्य प्रकाश, मराठी सुबोधिका पत्रिका, गुजराती दपतरदुम और दि हिन्दू।

अदालतकी मानहानिके अभिमोगमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको मिली कैदकी सजासे एक और जोश पैदा हुआ। उनकी रिहाईपर गभाओं, बुद्धों और मानपत्रोंकी धूम मच गयी। जहाँ भी वे भाषण करने जाते छात्रोंसे पूछते—तुममेंसे कौन गैरीवाल्डी और मेजिनी बनना चाहता है? और उत्तरमें सभी कहते—हम, हम सब।

मैसूर रियासतने आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया। रियासतके प्रधान मन्त्री दीवान रंगाचरुदत्ते सन् १८८१ में प्रतिनिधि असेम्बलीकी स्थापना की। यह असेम्बली कोई विधायिका या व्यवस्थापिका सभा न थी। यह तो व्यवस्थामें जनसहयोगके लिए एक जनप्रतिनिधि संघटन था। रंगाचरुदत्ते क्लर्ककी हैसियतसे जीवन आरम्भ किया था और तरफ़ी करते-करते वे भारतकी प्रमुख रियासतके, जो क्षेत्रफलमें इंग्लैण्डके बराबर थी, दीवान बन गये थे। उन्होंने नौकरशाही मनोवृत्तिसे अपने मस्तिष्कको संकुचित नहीं बनाया था। भारत व ब्रिटेनकी सारी परम्पराओंके अध्ययनके बाद उन्होंने यह तरीका निकाला था जिससे जनता किसी हदतक शासन-व्यवस्थाके सच्चे सम्पर्कमें आ पाती।<sup>१</sup>

दिसम्बर सन् १८८३ में, थियोसोफिकल सोसायटीके वार्षिक सम्मेलनके बाद दीवान बहादुर रघुनाथ रावने अपने मित्रोंकी एक विशेष बैठक बुलायी, जिसका उद्देश्य था भविष्यमें भारतको स्वराज्यके मार्गपर ले चलनेके लिए शासन व्यवस्थामें सुधार करनेके हेतु राजनीतिक आन्दोलन चलाना और इसके लिए देशके सभी राजनीतिज्ञोंके एकत्र करनेके उपयोगपर विचार करना।

दिसम्बर सन् १८८४ में, ‘विश्ववन्धुत्व’ और थियोसोफिकल सोसायटीके उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए आद्व्यार, मद्रासमें वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक वक्ताओंने मुझाव रखा कि यह सम्मेलन ही भविष्यकी भारतीय पार्लियेमेंटका केन्द्र हो। इस सम्मेलनमें भाग लेनेवालोंमें ह्यूम, जानकीनाथ घोषाल और इण्डियन मिरर सम्पादक नरेन्द्रनाथसेन भी थे। ह्यूम सोसायटी के उत्साही सदस्य थे और उसके सम्मेलनोंमें बराबर भाग लेते थे। सन् १८८४ के सम्मेलनमें जिन प्रतिनिधियोंने भाग लिया था वे नरेन्द्रनाथ सेनके शब्दोंमें ‘सामाजिक और बौद्धिक दृष्टिसे

१. महादेव गोविन्द रानाडे, पृष्ठ २५

२. के. टी. पॉल—दि ब्रिटिश कनेक्शन विथ इण्डिया पृ० ७५

समाजके नेता होने योग्य थे।' इनमेंसे कुछ वादमें मद्रासमें दीवान बहादुर राधेन्द्ररावके निवास-स्थानपर एकत्र हुए और 'भारतमाताकी रक्षा' के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक आन्दोलन चलानेका विचार पुष्ट किया। उन्होंने आठ सदस्योंकी एक समिति बनायी जो इस विचारकी कार्यरूपमें परिणत करनेवाली थी। इस समितिमें नरेन्द्रनाथसेनके अतिरिक्त जानकीनाथ घोषाल, दीवान रघुनाथराव, एस. सुब्रह्मण्य ऐयर ( जो बादमें मद्रासके चीफ जस्टिस हुए ) भी थे। समितिने हर प्रान्तके प्रमुख व्यक्तियोंको अखिल भारतीय सस्थाकी आवश्यकता बताते हुए पत्र लिखे। इस प्रस्तावना बहुतेरे लोगोंने स्वागत किया।

लेकिन इस विचारको कार्यान्वित करनेमें एक बाधा यह समझी गयी कि इस कार्यसे अप्रत्यक्ष रूपमें थियोसोफिकल सीसायटीका नाम जुड़ गया था। सीसायटीकी प्रधान मैडम ब्ल्याच्डरकी रूगी थी और उस समय रुग्ण व इगलैण्डमें अनजन थी। ह्यूमने साचा कि किसी भी ऐसे राजनीतिक सम्मेलनको अधिकारी राशयकी दृष्टिसे देखने और उसके विरुद्ध हो जायेंगे जिसमें थियोसोफिस्टोंका प्रधानत्व होगा।

इस कठिनाईका हल अपने आप सामने आ गया। सन् १८८४ में लार्ड डपरिन भारत आये और वे स्वयं अंग्रेजी शासनके लिए एक ऐसे उपायकी खोजमें थे, जैसा कि हम पहले बह चुके हैं, जिससे जनताका असन्तोष दूसरे रास्ते निकल जाय। समय रहते ही ह्यूम उनसे मिले। दोनोंकी राय हुई कि एक राजनीतिक सम्मेलनकी स्थापना हो और यह तय पाया कि दिसम्बर सन् १८८५ में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय।

इसी बीच, सन् १८८३ की तरहका वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन दिसम्बर सन् १८८५ में बलरुत्तमें हुआ। ह्यूम द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका बम्बईमें हुआ पहला जलसा और यह सम्मेलन एक ही समय हुए। दोनोंके सयोजकोंको एक दूसरेके सम्मेलनका तयतय पता न चला जबतक दोनों सम्मेलन हो न लिये।

कलकत्तेके राष्ट्रीय सम्मेलनकी सयोजक बई सस्थाएँ थी—यथा, ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन, इण्डियन एसोसियेशन, नेशनल लीग, सेण्ट्रल मुव्हेमडन एसोसियेशन ( जिसकी स्थापना मुगलमानोंकी राजनीतिक सस्थाके रूपमें हाल्हीमें कलकत्तेमें हुई थी )। ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनके दफतरमें २५, २६ व २७ दिसम्बरको यह सम्मेलन हुआ। इसमें बंगाल, आसाम, बम्बई, बिहार पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और उड़ीसाके लगभग २०० प्रतिनिधियोंने भाग लिया। ये प्रतिनिधि अपने अपने प्रान्तके बड़े जमींदार, उद्योगपति आदि समृद्ध वर्गोंके थे। हाकिमोंमें नेपालके राजदूत और बंगाल सिविल सर्विसके एच. जे. एस. कॉटन थे। मुस्लिम कुलीन वर्गका प्रतिनिधित्व अमीर अली कर रहे थे। पहले दिनकी बैठकका सभापतित्व श्री दुर्गानरुण लालने किया, दूसरे दिनका जयकृष्ण सुवर्जने और तीसरे दिनका महाराजा नरेन्द्रकृष्णने।

सम्मेलनमें छः प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिनके द्वारा विधायिका कौंसिलोंके पुनर्गठन, मात्र कानूनमें सशोधन, सरकारी रुचमें कमी, सिविल सर्विसकी भारत व इगलैण्ड दोनों जगह परीक्षा और उन्नती बंद कम करने, न्याय व प्रशासनके पृथक् करने और पुलिसके पुनर्गठनकी माँग की गयी थी। पहला प्रस्ताव सुरेन्द्रनाथ बनर्जने पेश किया था। इसका समर्थन करते हुए फॉटनेने कहा—'सरकारी नीकरियों और उनके बाहर भारतमें भी, मरे ख्वाल्में ऐसे बहुत लोग न मिलेंगे जो विधायिका कौंसिलोंके पुनर्गठनका विरोध करते हो और मुझे विश्वास है कि इगलैण्डमें सभी उदार राजनीतिज्ञ इसी मतके हैं।'



ए० सी० मजूमदारके अनुसार कलकत्ता सम्मेलनने कांग्रेसके जन्मका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने लिखा—“कलकत्ता सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा। आखिरी दिन यह खबर मिलनेपर कि अगले दिनसे बम्बईमें पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका जलसा शुरू हो रहा है, सभी खुश हो उठे, और सम्मेलनकी ओरसे बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संघटनके जन्मका स्वागत करते हुए शुभकामनाका एक सन्देश वहाँ भेजा गया।” ह्यूमकी भॉति कॉटन भी बढ़ते हुए भारतीय असन्तोषसे अवगत थे और उच्चाधिकारियोंसे उन्होंने सिफारिश की थी कि पढ़े लिखे भारतीयोंको विश्वासभाजन बनाया जाय।

जनमतके अनेक नेता अपने-अपने ढंगसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक संघटन बनानेके लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन ह्यूमने यह काम बड़े पैमानेपर शुरू किया। दूगरे उन्हें वाइसरायका विश्वास प्राप्त था, इसलिए वे तेजीसे अपना काम आगे बढ़ानेमें स्वतन्त्र थे। उन्होंने धार्मिक उत्साहसे काम किया और एक ओर जहाँ उन्होंने भारतको उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था प्रदान की, वहीं उन्होंने अपने देश ब्रिटेनका भी हित साधा; क्योंकि उन्होंने भारतीय असन्तोषकी वाढ़ बाँध बाँधकर रोक ली, नहीं तो इस वाढ़से अंग्रेजी राज्यके वह जानेका खतरा था। उनका काम परमार्थसेवाका प्रशंसनीय उदाहरण था। अदूरदर्शी अंग्रेज अफसर उन्हें गलत समझते थे, पर वे चुपचाप अपना काम करते रहे और उसी कामसे उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यको आसन्न संकटसे बचा लिया। और जहाँतक भारतीय पक्षका सम्बन्ध है, ह्यूमकी यह काररवाई उसके विपरीत नहीं पड़ी, क्योंकि वह उसी कामको बड़े पैमानेपर करते रहे जो वैधानिक ढंगपर चलनेवाले भारतीय स्वयं कर रहे थे। यह कहा जा सकता है कि वे भी सशस्त्र क्रान्ति द्वारा अंग्रेजोंको भारतसे निकालनेके विरुद्ध थे।

लन्दनमें ६ अगस्त सन् १९१३ के दिन ह्यूम स्मारक सभामें बोलते हुए गोखलेने कहा था—कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना नहीं कर सकता था। यह बात अगर छोड़ भी दी जाय कि इतने बड़े कामके लिए ह्यूम जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वकी आवश्यकता थी, अगर किसी भारतीयका ऐसा व्यक्तित्व होता भी और वह यह आन्दोलन चलानेके लिए आगे आ जाता तो हाकिम उसे ऐसी संस्था न बनाने देते। राजनीतिक आन्दोलन उन दिनों ऐसी संशयकी निगाहसे देखे जाते थे कि यदि कांग्रेसका जन्मदाता इतना महान अंग्रेज और प्रमुख गैरसरकारी व्यक्ति न होता तो हुकूमत इस आन्दोलनके दमनके लिए कोई न कोई तरीका ढूँढ़ निकालती।

लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेसके जन्मके समय भारतकी राजनीतिक परिस्थिति अंग्रेजोंके अनुकूल न थी, जो कॉटनके निम्नलिखित वर्णनसे स्पष्ट है—

“जो व्यक्ति बिना श्लिष्टक दावा करे कि भारतीय जनता अंग्रेज सरकारकी मित्र है, वह अवश्य ही साहसी है। ऊपरके लक्षणोंसे अवश्य यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय राजाओं महाराजाओंकी भक्तिमें संशय नहीं है, जो हालके संकटमें आक्रमणके प्रतिरोधके लिए अपनी फौजें सरकारको सौंपनेको तैयार हो गये। साम्राज्यके सबसे शान्तिमय सूबेके समृद्धशाली कुलीन सामन्तोंकी निष्ठामें भी संशय नहीं है, जिन्होंने इसी कामके लिए अपना धन और साधन सरकारको सौंपनेकी इच्छा प्रकट की। एक स्वरसे अपनी भक्ति प्रकट करनेवाले अखबारों और देशरक्षके लिए अंग्रेजोंके साथ कन्धा भिड़ाकर लड़नेवाले

स्वश्रेयसोंको भरती करनेवाले नेताओंमें भी सरकारके प्रति निष्ठा प्रकट होती है। (रूससे आसन्न युद्धकी ओर यहाँ इद्दित है)। लेकिन मैं इन प्रकट लक्षणोंसे आश्चर्य हो जाने वाले पाठकोंको सावधान करना चाहता हूँ। उन विभिन्न वर्गोंके हितोंपर दृष्टिपात करनेसे इन प्रकट सद्भावनाओंके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अपनी पीजे सरकारको सौंपनेवाले देशी महाराजे बुद्धिमानीसे काम ले रहे हैं। वे जानते हैं कि अन्वयल तो इस भेंटके स्वोकार किये जानेकी सम्भावना नहीं है, दूसरे लार्ड डल्हौजीकी रियासतें हटप लेनेकी नीतिका यद्यपि ब्रिटिश पार्लमेण्ट और ब्रिटिश राष्ट्र दोनोंने सण्डन किया है, पर भारत आये हाकिम उस नीतिका पोषण करते हैं और बराबर देशी राजाओंकी पीज तोड़ देनेका मुसाव रखते हैं ... बेहतर होगा कि हम अंग्रेजी-भाषी शिक्षित भारतीय समाजके व्यापक असन्तोष और कठोरताको पूरी तरह समझ ल और अस्पृश्योंकी व अन्य लोगोंकी भक्तिशयोंको अनावश्यक महत्त्व न दें (जैसा कि दिया जा रहा है)।”

कांग्रेसका जन्म इस प्रकार हुआ—

मार्च सन् १८८५ में एक गस्ती चिट्ठी भेजी गयी जिसमें कहा गया था कि “इण्डियन नेशनल यूनियनका एक सम्मेलन पूनामें २५ से ३१ दिसम्बर तक होगा, जिसमें बंगाल, बम्बई व मद्रास प्रेसीडेंसी सूबोंके सभी भागोंके प्रतिनिधि और अंग्रेजीभाषी प्रमुख राजनीतिज्ञ भाग लेंगे।”

इस चिट्ठीमें लिखा था कि इस सम्मेलनका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगतिके लिए कार्य करनेवाले सभी सच्चे लोगोंका आपसी परिचय होना और अगले वर्षके लिए राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित करना है। यह प्रत्यक्ष उद्देश्य था। चिट्ठीमें लिखा था कि अप्रत्यक्ष रूपसे यह सम्मेलन देशी पार्लमेण्टका केन्द्र बन जायगा और ठीक तरह चलनेपर यह सस्था कुछ वर्षोंमें ही उन लोगोंके लिए एक जवाबदा काम करने लगेगी जो कहते हैं कि भारत अब भी किसी प्रतिनिधित्वपूर्ण शासनके अयोग्य है। सम्मेलन पूनामें होनेवाला था, पर आखिरी वक्तपर यह स्थान बदलना पड़ा। बड़े दिनकी ठीक पहले पूनामें हैजेकी कुछ छिटफुट घटनाएँ हुईं और लगा कि महामारी फूट पडनेवाली है। सम्मेलन दो तीन दिन देरसे—२८ दिसम्बरको दोपहर १२ बजेसे बम्बईके गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कालेजमें शुरू हुआ। चिट्ठीमें इसे इण्डियन नेशनल यूनियनका जलसा कहा गया था, पर सम्मेलनके कुछ ही दिन पहले हमके मुसावपर इसका नाम बदल दिया गया और वह इण्डियन नेशनल कांग्रेसका अधिवेशन हो गया। अधिवेशनमें पहले वक्ता स्वयं ह्यूम थे जिन्होंने उमेदाचन्द्र बनर्जीका नाम सभापतित्वके लिए पेश किया। इस प्रस्तावका समर्थन और अनुमोदन सुब्रह्मण्य ऐयर और के. टी. सैलमने किया। एक अंग्रेज वकीलके क्लर्ककी हैमियलसे बूनर्जी सन् १८६४ में हंगलैण्ड गये थे। सन् १८६७ में उन्होंने बैरिस्टरी पास की और वहाँमें लैटकर बैरिस्टरी करने लगे। कलकत्ता हार्दिकोर्टमें दीर्घ ही उनका नाम चमक उठा और वे सरकारके स्थायी कानूनी सलाहकार बना लिये गये। उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करनेका प्रस्ताव तीन बार किया गया पर उन्होंने इनकार कर दिया।

अधिवेशनमें ७१ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। इनमें तीन बंगालसे, अठारह बम्बईसे,

१. न्यू इण्डिया, पृष्ठ २०, २१, २२

२. एनीबेसेण्ट ‘हाऊ इण्डिया फॉर फॉर फ्रीडम’, पृष्ठ ३

आठ मद्राससे, दो कराचीसे, छः सूरतसे, आठ पूनासे, तीन लखनऊसे, दो आगरासे और एक प्रतिनिधि वीरमगँव, बनारस, शिमला, इलाहाबाद, लाहौर, अम्बाला, अहमदाबाद, बरहामपुर (मद्रास), मसुलीपट्टम्, चिंगलीपट्टम्, तंजौर, कुम्भकोनम्, महुरा, तिन्नेवली, कोयम्बटोर, गलेम और कुदापुरसे आये थे। शिमलेसे खुद खूम् प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधियोंमें प्रमुख थे—वनर्जा, दादाभाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन, टन्ड्यू० एम० आण्टे, अगरकर, गंगाप्रसाद वर्मा, रहीमतुल्ला सायाणी, तैलंग, पीरोंजशाह मेहता, दीनशाहाचा, वी० एम० मल्लावारी, एन० जी० चन्दावरकर, रंगैया नायट्ट, सुब्रह्मण्य ऐयर, आनन्द चामल, वीर राघवाचार्य और केशव पिल्लड। जिन पत्रोंके सम्पादक अधिवेशनमें शामिल हुए थे वे थे— ज्ञानप्रकाश (पूना सार्वजनिक सभाका त्रैमासिक पत्र), नवविभाकर, इण्डियन गिरर, नसीम, हिन्दुस्तानी, दि ट्रिब्यून, इण्डियन यूनिशन, इंसिक्टेर इन्डुप्रकाश, हिन्दू व दिग्रेमेंट। सर विलियम वेन्डरवर्न, जस्टिस जार्डइन, कर्नल फिल्लिस और प्रोफेसर वर्ट्स्वर्थने प्रतिनिधियोंका हार्दिक स्वागत किया। लगभग हर राजनीतिक संस्थाका प्रतिनिधि कांग्रेसमें था। अपने अध्यक्षीय भाषणमें वनर्जांने कहा—“भारतभूमिमें, इतिहासकी यादमें, एसा महत्त्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ।”

सम्मेलनका पूर्ण प्रतिनिधित्वपूर्ण घोषित करते हुए आपने कांग्रेसके उद्देश्य इस प्रकार बताये—

(अ) साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले भारतके सच्चे गेवकोंमें मित्रता और नैकट्य स्थापित करना,

(ब) सभी देशप्रेमियोंमें आपसी मैत्रीपूर्ण वातचीतके द्वारा जाति, धर्म व प्रान्तगत पक्षपातोंको मिटाना और राष्ट्रीय एकताकी उन भावनाओंको विकसित व संघटित करना जिनका जन्म हमारे प्रिय लार्ड रिपनके स्मरणीय राज्यमें हुआ,

(स) देशके अक्षयता महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामयिक सामाजिक प्रश्नोंपर देशके शिक्षित वर्गोंके प्रौढ़ विचारोंपर खुलकर वाद-विवाद करना।

वनर्जांने दावा किया कि “मुझसे और यहाँ एकत्र भेरे दोरतोंमें ज्यादा ब्रिटिश सरकारके सच्चे हितचिन्तक और पक्के वफादार लोग और कहीं नहीं हैं।” उन्होंने, “भारतकी भलाईके लिए” ग्रेट ब्रिटेनने जो अच्छे काम किये हैं, उनका प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेनने हमें सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, रेलें दीं और आशीर्वाद स्वरूप पश्चिमी शिक्षा दी। इसके बाद वनर्जांने कहा कि भारतीय जनता चाहती है यूरोपमें प्रचलित शासन-मिद्धान्तोंके अनुसार ही भारतमें सरकार बने। इस इच्छामें ब्रिटिश सरकारके प्रति उसकी अटूट निष्ठामें कोई व्याघात नहीं होता। वह तो सिर्फ यह चाहती है कि उसे भी शासनमें उचित और वैध प्रतिनिधित्व और भाग मिले और शासनतन्त्र और अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व करे।

खुदे अधिवेशनमें एक प्रस्ताव स्वीकार कर माँग की गयी कि वर्तमान व सर्वोच्च विधायिका कौंसिलोंका सुधार और विस्तार हो जिनमें काफी संख्यामें चुने हुए सदस्य हों (और ऐसी ही कौंसिलें पंजाब, अवध व पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके लिए भी बनायी जायँ)। प्रस्तावमें यह भी माँग की गयी थी कि सभी वज्रट इन कौंसिलोंके विचारार्थ पेश किये जाया करें। सदस्योंको अधिकार प्राप्त हो कि वे शासनकी विभिन्न शाखाओंके विषयमें कौंसिलमें

प्रश्न पूछ सके। ब्रिटिश लोकसभाकी एक स्थायी समिति बनायी जाय, जो इन कौंसिलोंके बहुमत द्वारा शासनकी काररवाईके विरुद्ध भेजे गये प्रतिवादोंपर विचार विया करे। यह उपबन्ध जरूरी है क्योंकि कार्यकारिणीको कौंसिलोंके बहुमतको रह करनेका अधिकार होगा।

इस प्रस्तावपर कई भाषण हुए। दादाभाई नौरोजीने कहा कि जिन सुधार और प्रश्न पूछनेके अधिकारके लिए प्रार्थना की गयी है, उसके स्वीकृत होनेपर सरकार बहुत सी गलत पहमी और परेशानीसे बच जायगी। सुब्रह्मण्य ऐय्यरने कहा कि निर्वाचनका अधिकार न होने से कौंसिलोंके गैरसरकारी सदस्य शक्तिहीन रह जाते हैं। रानाडेकी राय थी कि भारत सचिवकी सलाहकार कौंसिलमें नामजद और निर्वाचित दोनों तरहके सदस्य हों। अधिवेशन समाप्त होनेपर कुछ प्रतिनिधियोंने बैठकर इस सवात्पर विचार किया कि इस प्रस्तावपर जनमत किस प्रकार केन्द्रित किया जाय। उन्होंने प्रस्तावकी दस हजार प्रतियाँ अंग्रेजीमें और एक लाख प्रतियाँ विभिन्न प्रांतीय भाषाओंमें छपवाकर बटवायीं। इङ्गलैण्डमें भी कोवडन झुवकी मददसे प्रस्तावकी प्रतियाँ बँटी गयीं।

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माँग की गयी कि “यहाँ और इङ्गलैण्डमें भारतीय शासनकी जो व्यवस्था है, उसकी जाँचके लिए एक शाही कमीशन बँटाया जाय जिसमें भारतीयोंका भी उचित प्रतिनिधित्व हो और यह कमीशन भारत व इंग्लैण्ड दोनों जगह गवाहियों ले।” तीसरे प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकारके भारतसचिवकी सलाहकार कौंसिल भंग करनेकी माँग की गयी। दो प्रस्ताव फौजी खर्च सम्बन्धी थे। एकमें कहा गया था कि “फौजी खर्चमें प्रस्तावित वृद्धि अनावश्यक है और राज्यकी आमदनी देरते हुए वर्तमान परिस्थितिमें अधिक भी है।” दूसरे प्रस्तावमें कहा गया था कि खर्च घटाया जा सकता है और यह छुटनी करके व सटकर और लैसकर फिरसे लगाकर किया जा सकता है।

कांग्रेसने उत्तरी बर्मापर आधिपत्यका विरोध किया (उस समय सरकार बर्मापर अधिकार करनेके लिए लड़ाई लड़ रही थी)। लेकिन कांग्रेसकी राय थी कि अगर सरकार उत्तरी बर्मापर कब्जा कर लेनेपर तुली ही हुई है तो उसे पूरे बर्माको भारतसे अलग कर लकाकी तरह उसका एक अलग उपनिवेश शाही संरक्षणमें बना देना चाहिये। इपरिन्तने माण्डलेके राजा थी बाके विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा था। थी बाने २७ नवम्बर सन् १८८५ को हथियार डाल दिये और उसके अगले दिन माण्डलेपर अंग्रेजी कब्जा हो गया। जनवरी सन् १८८६ में पूरा बर्मा भारतमें मिल गया।

कांग्रेसमें यूरोपियन एसोसियेशनके अध्यक्ष डी. एस. हार्टने प्रस्ताव पेश किया था कि गिविल सर्विस परीक्षा भारत और इंग्लैण्ड दोनों जगह साथ साथ हुआ करे। यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया था।

सभी राजनीतिक सस्थाओंको कांग्रेसके प्रस्तावोंकी प्रतियाँ भेजी गयीं और उनसे अनुरोध किया गया कि इन प्रस्तावोंमें उठाये गये प्रश्नोंको हल करनेके लिए वे भी आवश्यक कदम उठावें।

कांग्रेसका तीन दिनोंका अधिवेशन ‘कांग्रेसके पिता ह्यूम्’ की जयकारसे समाप्त हुआ और ह्यूम्ने इस अभिगदनके उत्तरमें महारानी विक्टोरियाकी जयकारके नारे लगाये।

कांग्रेसका अगला अधिवेशन सन् १८८६ में २७ से ३० दिसम्बर तक कलकत्तमें हुआ। इसमें ४४० प्रतिनिधि आये जिन्हे सार्वजनिक सभाओं और विभिन्न सस्थाओं द्वारा

चुना गया था। जिन संस्थाओंने प्रतिनिधि नहीं भेजे उनमें नवान अब्दुल लतीफ और सैयद अमीर अलीकी संस्थाएँ थीं। लेकिन, अमीर अलीने एक पत्रमें लिखा था—“हमें विश्वास है कि कांग्रेसके इस अधिवेशनमें ऐसे कदम उठानेपर विचार होगा जिनसे भारतीय जनताकी हालत सुधरे और हमें ऐसा कुछ करनेसे दुख होमा जिससे लगे कि हम इस सुन्दर उद्देश्यको मदद नहीं कर रहे हैं।

मुसलमान समाजके ३३ प्रतिनिधि आये थे। इनकी अनुपाततः कम संख्याका एक कारण तो यह बताया गया कि उनमें उच्च शिक्षाका अभाव है, दूसरे कलकत्तेके तीन प्रमुख मुसलमानोंने कांग्रेसके विरुद्ध खुलेआम वक्तव्य देकर ‘सरकारमें विश्वासकी नांति’ अपनायी थी। लेकिन कलकत्तेका मुहेमदन एसोसियेशन कांग्रेसके संयोजकोंमेंसे एक था।

पहले अधिवेशनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको अनुपस्थिति स्पष्टकी थी। इस साल वे आये और फिर १९१७ तक बराबर हर साल आते रहे। २५ वर्षीय नवयुवक रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने एक गीतसे अधिवेशनका शीर्षणेश किया।

कलकत्ता अधिवेशनका प्रबन्ध बम्बईमें नेहतर था। ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनके अध्यक्ष राजा राजेन्द्रलाल मिश्रके सभापतित्वमें एक स्वागत समिति भी बनायी गयी थी।

दूसरे अधिवेशनके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। उसी साल वे हल्वर्न (पिंसवरी) से ब्रिटिश पार्लमेन्टमें चुने गये थे। देशके राजनीतिक जीवनमें वे बहुत दिनोंसे सम्बद्ध थे। सन् १८८५ में वे बम्बईकी विधायिका कौंसिलमें नामजद हुए थे। अधिवेशनसे सिर्फ दो दिन पहले उन्हें बताया गया था कि आप अध्यक्षता करेंगे। पर तो भी उन्होंने लम्बा भाषण तैयार कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासनकी प्रशंसा और कांग्रेसके उद्देश्योंका समर्थन करते हुए कहा—‘यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शासनमें रह रहे हैं, जो हमें इस तरह मिलने देता है। ब्रिटिश जनता और महारानीके ‘सभ्य बनानेवाले’ राजमें हम बेरोकटोक मिलते हैं और वे शिक्षक और निडर होकर अपने दिलकी बात कहते हैं। यह सिर्फ ब्रिटिश राजमें ही सम्भव है।’ जन उन्होंने ‘सीधा’ सवाल किया—क्या कांग्रेस ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध द्रोह और वगावत पैदा करनेकी संस्था है? सभी तरफसे प्रतिनिधि चिल्लाये—‘नहीं, नहीं। नौरोजीने इसपर कहा—“तो हम मर्दोंकी तरह ऐलान कर दें कि हमारा रोम-रोम राजभक्त है (हर्षध्वनि); अंग्रेजी राजसे जो लाभ हुए हैं, वे हमें मालूम हैं; हमें जो शिक्षा दी गयी है, उसका मूल्य हम परखते और जानते हैं; हमें जो नया प्रकाश मिला है, हमें अँधेरेमें जैसे प्रकाशमें लाया गया है और बताया गया है कि बादशाह जनताके लिए होते हैं, प्रजा बादशाहके लिए नहीं, उसका मूल्य हम समझते हैं। और यह सबक हमने सीखा है एशियाके निरंकुश शासनोंके अँधेरेमें स्वतन्त्र अंग्रेजी सभ्यताकी रोशनी पाकर।” नौरोजीने आश्वासन दिया कि कांग्रेस ब्रिटिश राजके विरुद्ध हो ही नहीं सकती, “हम अंग्रेजी राजके खिलाफ द्रोह नहीं करना चाहते।”

भारतकी गरीबीकी चर्चा करते हुए उन्होंने विचार प्रकट किया कि यदि कौंसिलोंमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ जाय तो स्थिति सम्बल सकती है। आपने कहा—‘दुर्भाग्यवश, भारतकी समृद्धिके सम्बन्धमें गलत धारणाएँ बनी हुई हैं; अगर कौंसिलोंमें उचित प्रतिनिधित्वकी माँग मान ली जाय तो हमारे प्रतिनिधि कौंसिलों और शासकोंको वे कारण समझायें जिनसे देशमें सबसे बड़ी बुराई—जनताकी गरीबी बढ़ रही है और उसे दूर करनेके

तरीके बताये। अगर गरीबी बढ़ती ही जाती है तो ब्रिटिश राजके सारे पायदे धीरे धीरे जामेज दासकीके सभी महान् कार्य बेकार साबित होंगे।” उन्होंने बताया कि सन् १८४८ से रैपटरी हालत बराबर बिगड़ती गयी है और चार करोड़ व्यक्ति एक एक खाना खाकर जिन्दा रहते हैं, अक्सर यह एक बसका माना भी नग्य नहीं होता। सुब्रह्मण्य ऐयरने इस कथनकी पुष्टि करते हुए कहा कि 'माल विभागके हाकिमोंकी रिशततलोरीपर काबू पाना असम्भव है।' कांग्रेसके इस अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा 'भारतीय प्रजाके एक बड़े भागकी बढ़ती हुई गरीबीपर गम्भीर आशंका' प्रकट की गयी।

इस अधिवेशनके प्रस्ताव पिछले अधिवेशनके प्रस्तावोंमें मिलते जुलते थे। केन्द्रीय व स्थानीय विधायिका कौंसिलोंके सुधार और विकासकी माँग दोहरायी गयी, लेकिन प्रस्तावकी सरकारकी दृष्टिमें स्वीकार्य बनानेके लिए उमें इतना नर्म कर दिया गया कि जो कुछ प्रस्तावके एक हिस्सेमें माँगा गया था, दूसरा हिस्सा उमें लगभग काट-सा देता था। कौंसिलोंमें आये प्रतिनिधियोंके निर्वाचित होनेकी माँग की गयी थी, पर यह निर्वाचन सीधा जनता द्वारा न होकर म्युनिसिपैलिटी, ग्यानिव बोर्ड, व्यापारी मण्डल और विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय कौंसिलोंमें और स्थानीय कौंसिलों द्वारा केन्द्रीय कौंसिलमें करनेका सुझाव रखा गया। साथ ही, सरकारको अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो कौंसिलोंके निर्णयोंको पलट दे; सिर्फ इतना यह भी कि शासन द्वारा पलटे गये निर्णयोंकी अपील भारत सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंटकी स्थायी समितिमें की जा सके। प्रस्तावमें कहा गया था कि हम तरह तरह निर्णय पलटनेपर शासन अपनी इस काररवाईके लिए महीनेके भीतर स्पष्टीकरण इस स्थायी समितिके पास भेज दे।

कांग्रेसके इस दूसरे अधिवेशनके लिए सन्तोषका विषय यह अन्वय था कि पिछले सालके प्रस्ताव और लार्ड टफ्टिनके प्रयत्नोंके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारने सन् १८८६ में पब्लिक सर्विस कमीशनकी स्थापना कर दी थी। अधिवेशनकी एक उपसमितिके सरकारके इस फैसलेपर अपनी रिपोर्टमें सिफारिश की कि सिविल सर्विस परीक्षा एक साथ ही भारत व इंग्लैण्डमें हुआ करे; परीक्षामें बैठनेकी अधिकतम उम्र १९ से बढ़ाकर २३ वर्ष कर दी जाय और ऊँचे सिविल पद प्रतियोगिता द्वारा भरे जाय करें। संक्षेपमें कांग्रेस सिर्फ यह चाहती थी कि सरकारी नौकरियों योग्यता और क्षमताके आधारपर मिलें और उनके लिए हर व्यक्ति उम्मीदवार हो सके। सन् १८८५ के अधिवेशनकी जो एक अन्य माँग अंततः स्वीकार कर ली गयी थी वह थी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके लिए कौंसिलकी स्थापना।

न्याय, प्रशासनके क्षेत्रमें, कांग्रेसने माँग की कि मुकदमोंमें जूरी बैठालेकी प्रथाका विकास हो और जूरीका फैसला मान्य हो। जूरी प्रथा सन् १८७२ तक तो पूरी तरह प्रचलित थी, लेकिन उसी साल (जब महाविधियोंके मुकदमोंमें जजोंकी निष्पत्ताकी परीक्षा होती थी) जूरियोंका फैसला देनेका अधिकार छीन लिया गया था; हाईकोर्टके सेसन जजोंको जूरी निर्णय अमान्य कर देनेका अधिकार मिल गया था। कलकत्ता अधिवेशनमें इसे न्यायके लिए अहितकर घोषित करते हुए जूरियोंको पहलेसाल स्थान दिलानेकी माँग की गयी। इस प्रस्तावपर बोलते हुए मुरलीधर (पंजाब) ने कहा—मैं जो सोचता हूँ और जो मेरी धारणाएँ हैं, उन्हें मैं बंधक कह देता हूँ इसलिए मुझे राजनीतिक आन्दोलनकारी माना जाता है और मुझे कैदकी सजा मिली है; इस तरहके मामलोंको जूरीकी रक्षा मिलनी चाहिये।

वादके कई अधिवेशनोंमें यह माँग दोहरायी गयी, पर वह मानी नहीं गयी। न्यायको प्रशासनसे अलग करनेकी माँगका भी यही हुआ; वह भी मानी नहीं गयी।

दूसी अधिवेशनमें अवधके राजा रामपाल सिंहका यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ कि सरकारसे स्वयंसेवकोंकी भरतीकी अनुमति देनेका अनुरोध किया जाय, ताकि ये भारतीय स्वयंसेवक संकटकके समय सरकारकी सहायता कर सकें। प्रस्ताव पेश करते हुए राजा साहबने अपने भाषणमें कहा—सरकारने जो कुछ भलाई की है, उसके लिए हम आभारी हैं, पर हम इसके लिए आभार-प्रकाश नहीं कर सकते कि वह हमारा चरित्र और प्रकृति पतित कर दे, हमारे साहस और शौर्यको लगातार कुचलती जाय और गिपाहियों और थोडाओंकी जातिको कलम घिसनेवाली गेंडें बना दे। परमात्मका धन्यवाद है कि हालत अभी इतनी नहीं बिगड़ी है। हममें हर जगह अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो तलवार उठानेको तैयार हैं, अपने घरों और उस सरकारकी रक्षाके लिए जरूरत पड़नेपर सिर कटानेको भी तैयार हैं जिसने हमें इतना कुछ दिया है... हम वर्तमान नीतिपर आंग प्रकट करते हैं। ऊँच और नीच, हम सब शस्त्रोंका प्रयोगतक भूलते जा रहे हैं। पचास वर्ष पहले युद्धकी आकांक्षा न करते हुए भी, मैदानमें अपने जोहर दिखानेके विचारमात्रमे हर नाजवानका सीना फूल उठता था। अब, मुझे डर है कि अधिकांश नवयुवक इस तरहकी आवश्यकतापर मिश्रित भावनाओंसे विचार करेंगे।”

प्रस्तावके आर्थिक पहलूपर बोलते हुए राजा रामपाल सिंहने कहा—“देश गरीब होता जा रहा है; उसकी एक बड़ी वजह स्थायी फौजका बेतहाशा खर्च है। आज नहीं तो कल खर्चका यह भारी बोझ या तो देशकी कमर तोड़ देगा या सरकारकी। लेकिन अगर भारतीय स्वयंसेवकोंको दंगसे प्रोत्साहन दिया जाय तो इस फौजी खर्चको काफी हदतक कम किया जा सकता है और साथ ही साथ रक्षाके दृष्टिकोणसे देश और भी मजबूत हो जायगा।”

सरकारने इस मुझाव और विचारको आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस बननेसे कुछ साल पहले भी यह सवाल उठा था और सर सैयद अहमद खानने इसका समर्थन किया था, पर हाकिमोंने इसका कड़ा विरोध किया और इन विरोधियोंमें पुलिसका उच्चाधिकारी ग्रेहम भी था, जिसने बादमें सर सैयदकी जीवनी लिखी।

कांग्रेसने यह भी निश्चय किया कि हर महत्त्वपूर्ण स्थानपर स्थायी कांग्रेस समितियाँ बना दी जायँ।

अधिवेशन बाइसराय लार्ड डफरिन द्वारा दिये गये एक प्रीतिभोजके बाद समाप्त हो गया।

तीसरा अधिवेशन दिसम्बर सन् १८८७ में मद्रासमें हुआ। इसकी तैयारियाँ मईसे ही शुरू हो गयी थीं। इन तैयारियोंमें जनसम्पर्ककी शुरुआत हुई। १२० सदस्योंकी स्वागत-समिति बनी जिसमें हर जाति और धर्मके लोग थे। उसके अध्यक्ष बने राजा सर टी. माधवराव। “दस हजारसे अधिक आवादीवाले हर शहरमें एक उप-समिति बनानेको कहा गया और जोरदार राजनीतिक प्रचार शुरू हुआ। वीर राववाचारियरकी तमिल पुस्तिका ‘कांग्रेस प्रश्नोत्तरीकी ३०,००० प्रतियाँ बाँटी गयीं। इस प्रचारका फल यह हुआ कि ५॥

हजार रुपये तो इकट्ठी, हुआड़ीसे लेकर डेढ़ रुपये तक देनेवाले ८ हजार लोगोंसे इकट्ठे हुए। जिन्होंने ३० तक दिये उनसे ८ हजार और मिले। माण्डले, रंगून, सिंगापुर और पूर्वी द्वीपसमूह तबसे गरीब लोगोंने चन्दे जमा कर करके भेजे। मद्रास अधिवेशनमें ४५ रैयत व १९ कामगार प्रतिनिधि आये। ७६० प्रतिनिधियोंमें ६०७ ने अधिवेशनमें आकर भाग लिया। बदरुद्दीन तैयबजी ( जो सन् १८९५ में बम्बई हाईकोर्टके जज हुए ) अधिवेशनके अध्यक्ष बनाये गये। उनकी शिक्षा लन्दनमें हुई थी और वे सन् १८६७ से वैरिस्टरी कर रहे थे। १८७० में वे अजुमन ए इस्लामके मेनेटरी चुने गये थे और बादमें अंजुमनके अध्यक्ष भी हुए थे। १८८२ में वे बम्बईकी विधायिका कौंसिलके सदस्य नामजद हुए थे। उनकी अध्यक्षताका काल वह था जब सर सैयद अहमदके अनुयायी मुसलमानों को कांग्रेसमें शामिल होनेमें रोक रहे थे। दौकीपुरमें नवाब अब्दुल लतीफने मुसलमानोंको राय दी थी कि वे कांग्रेसमें शामिल न हों। लेकिन तब भी काफी संख्यामें मुस्लिम प्रतिनिधियोंने इस अधिवेशनमें भाग लिया। इनमें प्रमुख थे मौलवी सफुद्दीन, अमीर हैदर, तफज्जुल हुसैन ( जो पटनाके वकीलों के बार एसोसियेशनकी एक सभामें प्रतिनिधि चुने गये थे )। सफुद्दीन बादमें कलकत्ता हाईकोर्टके जज भी बने थे।

तैयबजीके भाषणका काफी भाग, इसीलिए, मुस्लिम समस्यापर विचार करनेमें लगा। उन्होंने कहा—“राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वके हमारी सस्थाके चरित्रपर शका प्रकट करते हुए कहा गया है कि पिछले दो अधिवेशनोंमें देशके एक बड़े समाज—मुस्लिम समाजने भाग नहीं लिया। अगल तो यह लक्षण केवल आर्थिक रूपमें ही सच है और वह भी देशके एक भागके सम्बन्धमें—जिनका कोई अस्थायी, स्थानीय या विशिष्ट कारण हो सकता है (हर्षभनि)। दूसरे, ऐसी कोई शिकायत न्यायपूर्वक इस अधिवेशनके खिलाफ नहीं की जा सकती, आर में आप लोगोंके सामने ईमानदारीके साथ कुबूल करता हूँ कि तन्दुरुस्तीकी इस हालतमें आप लोगोंके विचार क्रियमयके सभापतित्वकी गम्भीर जिम्मेदारी ओढ़ लेनेमें मेरी एक बलवती इच्छा यह रही है कि मैं व्यक्तिगत रूपमें ही नहीं, बल्कि बम्बईकी अजुमन-ए इस्लामके प्रतिनिधिवी हैसियतमें भी यह कह सकूँ कि भारतकी विभिन्न जातियोंकी स्थितिमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक जातिके नेताओंको आम मुधारोंके लिए प्रेरित होनेमें रोकें। मुझे विश्वास है कि ये महान आम मुधार और अधिकार जो सभीके हित और फायदेके हैं, सर्वसम्मतिसे सरकारके सामने पेश करनेसे ही मिल जायेंगे. मेरी तो समझमें नहीं आता कि मुसलमान अन्य जाति व धर्मोंके देशवासियोंके साथ कन्धेसे कन्धा भिडाकर सर्वसाधारणके हितोंके लिए काम क्यों न करें। बम्बई प्रान्तमें तो हम लोग इसी सिद्धान्तपर काम कर रहे हैं। और मद्रास, बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रान्तमें आये प्रतिनिधियोंके पद, चरित्र, रतये, गुण और योग्यता देखकर कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सारे भारतके मुस्लिम समाजके नेताओंका भी (कुछ अनवादों—सम्भ्रतः महत्त्वपूर्ण अपवादोंको छोड़कर) यही मत है।” इस भाषणपर बार बार हर्षभनि हुई।

सन् १८८० के करीब रूसकी मध्यपूर्वके देशोंमें गतिविधि देखकर भारतस्थित ब्रिटिश अधिकारी बहुत चिन्तित थे और इस सम्बन्धमें भारतीय शिक्षित समाजकी प्रतिनिया जाननेको उत्तुङ्ग थे। निचले दर्जोंके अप्रैज अफसर कांग्रेसमें नाराज रहते थे और उसके नेताओंको राजद्रोही बताते थे। अध्यक्षने फिर ब्रिटिश सरकारके प्रति कषादारीकी घोषणा



करते हुए कहा कि शिक्षित भारतीय वर्गका रोम-रोम वफादार है। उन्होंने उन अखबारोंकी निन्दा की जो ब्रिटिशविरोधी भावनाएँ व्यक्त करते थे। उन्होंने प्रतिनिधियोंको अपनी गाँगोंमें संयम बरतनेकी सलाह देते हुए मुख्य विवादके आरम्भमें ही कहा कि प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन-संस्थाओंकी जो माँग हम करते आये हैं, उनके स्वीकार होनेपर, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियोंमेंसे बहुतसे अपने-अपने क्षेत्रोंमें चुन लिये जायेंगे। मद्रासमें कांग्रेसके प्रचार और जन-चेतना उत्पन्न करनेके लिए गरीब जनतासे भी कांग्रेसकोपमें एक-एक आना लिया गया।

इस वार भी अधिवेशनका मुख्य प्रताप केन्द्रीय व प्रान्तीय विधायिका कौंसिलोंके विस्तारके संबंधमें था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने अपना सुन्दर भाषण भी इसी प्रस्तावपर किया था। वारीसालके अदिवनीकुमार दत्तका भाषण भी आनन्दमय आश्चर्यके साथ सुना गया जब उन्होंने कहा—“४५ हजार व्यक्तियोंके दस्तखतोंकी एक अपील में आपके सगक्ष विचारार्थ रखता हूँ। जब इन लोगोंने इस पत्रपर हस्ताक्षर किये हैं उनके उत्साह और उनकी शक्तिपर खुशीसे फूल उठा। एक तथाकथित हरिजनने आकर कहा—हुजूर! हमारे अपने आदमी कानून बनायेंगे। कितने बड़े भाग्यकी बात है। एक गरीब मुसलमानने मुझे एक चवन्नी देते हुए अनुरोध किया कि इसे मैं इस काममें खर्च करूँ। एक किसानने अपने पड़ोसी से कहा—देखो! जैसे हमारी पंचायत चलती है और हम उसके पैसेले मानते हैं, वैसे ही हमारे आदमी कानून बनायेंगे और हम खुशी-खुशी उन्हें मानेंगे। सज्जनों! आप देखें कि जनता इस मामलेमें कितनी उत्सुक है।”

नार्टन नामक मद्रासके एक मशहूर वकीलने (जिनकी फीस कलकत्ते चले जानेपर हजार रुपया रोज हो गयी थी) अपने जोशीले भाषणमें कहा—“कल मुझे एक ऐसे सज्जनने, जिनकी विद्वत्ता और चरित्रका मैं सगमान करता हूँ कहा कि कांग्रेसके विचार-विनिर्णयमें शामिल होकर मैंने ‘छिपे राजद्रोही’का नाम पा लिया है। अगर अन्यायके खिलाफ विद्रोह करना, और अपने देशके शासनमें अपना उचित हिस्सा माँगना राजद्रोह है, अगर ब्रूट शासन व प्रजापीड़नके खिलाफ आवाज उठाना राजद्रोह है, अगर उत्पीड़न और अन्यायके खिलाफ गदर कर देना राजद्रोह है, अगर सजाके पहले सुनवाईकी माँग करना, अगर व्यक्तिकी स्वतन्त्रताकी माँग करना और धीरे-धीरे, पर हमेशा बढ़नेवाले मुधारोंकी माँग करना राजद्रोह है तो मुझे राजद्रोही होनेमें खुशी है और अपने आपको ऐसे प्रमुख ‘राजद्रोहियों’के समाजमें पाकर तो मुझे दुगुनी, तिगुनी खुशी है।”

नार्टनने भारतीयोंको राय दी कि वे शासन-मुधारके अपने लक्ष्यपर दृष्टे रहें।

मद्रास अधिवेशनमें स्वीकृत शस्त्र-कानून सग्वन्धी प्रस्तावपर बड़ी गर्म बहस हुई। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी व विपिनचन्द्र पालने शस्त्र-कानून रद्द करनेकी माँग की। पर त्रैलक्ष्यनाथ मैत्रने सुझाव रखा कि कानूनमें संशोधन कर हर व्यक्तिको स्थानीय अधिकारियों या म्युनिसिपल अधिकारियोंसे अनुमति लेकर शस्त्र रखनेका अधिकार दे दिया जाय। इस बहससे हमको बड़ी परेशानी हुई क्योंकि उन्हें डर था कि शस्त्र-कानूनको रद्द कर देनेकी माँगके कारण उपरिन् कांग्रेससे नाराज हो जायेंगे। अन्तमें जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहा गया था कि

शस्त्र कानून जनताकी सरकार भक्तिपर अनावश्यकरूपसे आक्षेप करता है, इसलिए उसकी धाराएँ सरकारको सशोधित कर देनी चाहिये ।

ह्यूमरो इस प्रस्ताव सम्बन्धी परेशानी 'नवजीवन' नामक मासिक पत्रिकामें प्रकाशित एक पत्रसे प्रकट है । अधिवेशनमें शामिल एक सज्जनने पत्रमें लिखा था—'मिस्टर ह्यूमकी पीडा और वैचैनी शस्त्र कानून रद्द करनेके प्रस्तावपर विवादके समयसे ही दृष्टिगोचर हुई जब वे एकके बाद दूसरे व्यक्तिके पाग दौड़ने लगे, उसकी अनिच्छा और दूसरी कई छोटी बातोंमें उनके रुख व रवैये ने मात्रित कर दिया कि वे सिर्फ़ भारतकी भलाई ही नहीं सोचते, अपनी जातिके हिमोंका भी खूब ध्यान रखते हैं ।'

सिद्धान्तपर अटिग रहनेका एक अच्छा उदाहरण कांग्रेसने बंगालके राजा शशि शेखरेस्वर रायके एक प्रस्तावपर यह दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है और सिर्फ़ उन्हीं मसलोंको लेगी जिनका पूरे राष्ट्रसे सम्बन्ध है । राजा साहबका प्रस्ताव था कि मोहत्या बन्द की जाय । प्रतिनिधियोंने अपने रवैये और भाषणोंसे स्पष्ट कर दिया कि प्रस्ताव मुस्लिम अल्पमत को अप्रिय होगा और प्रस्ताव गिर गया ।

कांग्रेसका अपना कोई विधान नहीं था और जब उसे बनानेका सुझाव आता तो मुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे लोग कहते—इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्यकी पार्लेमेण्टका विधान नहीं है तो हम इसपर माथापच्चो क्यों करें ? कांग्रेसके नियम बनानेके लिए एक कमेटी भी बनायी गयी और उसने नियमोंका मसविदा भी पेश किया पर मसला वही रह गया ।

पिछले दो अधिवेशनोंकी तरह इस बार भी प्रतिनिधियोंकी गवर्नरके यहाँ दावत हुई । "गवर्नरने खूब आतिथ्य सत्कार किया और बहुत मिलनसारी प्रकट की । प्रतिनिधियोंके मनोरंजनके लिए खास इन्तजाम किया गया, भारी नायता था और गवर्नरका चैण्ड बज रहा था ।" नार्टनने एक दावत दी जिसमें गवर्नर भी आमंत्रित थे । गवर्नर अधिवेशनमें भी शामिल होना चाहते थे, पर डफरिनने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि तुम खुद ही प्रतिनिधियोंको दावत दो ।

अधिवेशनमें पुराने प्रस्ताव फिर पास हुए । जो नये थे उनमें मॉग की गयी थी कि आय करके लिए जो निम्नतम आमदनी है उसे बढ़ा दिया जाय और घाटा विदेशी महीन सूती कपड़ेपर आयात कर लगाकर पूरा कर लिया जाय, भारतीयोंको टेक्निकल शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जाय और पीजी शिक्षण संस्थाएँ यहाँ खोलकर उनमें भारतीयोंको सैनिक शिक्षा दी जाय; इस प्रकार शिक्षित भारतीयोंको ऊँचे पीजी ओहदे दिये जायें ।

## अध्याय ६

### भारतीय कांग्रेसकी शक्तिवृद्धि

वैधानिक राजनीतिकी परिधिके अन्दर कांग्रेसने १८८७ में अपने कार्यका विस्तार इतना कर दिया कि वह शिक्षित वर्गोंके अतिरिक्त जनसाधारणकी संस्था बन गयी। तीन अधिवेशनोंने यह सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेसमें खुले हंगसे अपने विचार व्यक्त करनेका अवसर और स्थान है। वक्ताओंने सरकारकी आर्थिक नीतिकी कड़ी आलोचना की और उसको भारतीय जनताका शोषक बताया। इन बातोंसे सरकारकी चिन्ता बढ़ी और उसने कांग्रेसके प्रभावका प्रतिकार करनेकी कोशिश शुरू कर दी—कुछ कांग्रेस-विरोधी संस्थाओंको जन्म दिया गया। सरकारने दमन करना भी आरम्भ कर दिया और अपने मातहत आदमियोंको कांग्रेसके कार्योंमें भाग लेनेसे रोका। बिना इल्जाम लगाये हुए लोगोंसे अच्छी चाल-चलनके लिए भारी रकमके मुचलके लिये जाने लगे। “एक कष्टर कांग्रेस-विरोधी जिल्ला अपसरके मना करनेके वायजूद जब एक व्यक्तिने कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनमें हिस्सा लिया तो उसमें शान्ति कायम रखनेके लिए २०,००० रु० की जमानत माँगी गयी। उसने जमानत दाखिल कर दी और चुपचाप चला गया। उसको खतरा था कि यदि उसने हसकी अपील की और जीत भी गया तो जिल्ला अधिकारी उसको परेशान और अपमानित करनेके दूसरे साधनोंका प्रयोग करेंगे। पंजाबके केवल एक जिल्लेमें, एक सालके अन्दर पाँच-छः हजार आदमियोंमें नेक-चलनी आदिके मुचलके लिये गये।”<sup>१</sup>

सन् १८८८ में कांग्रेस और अधिक क्रियाशील हो गयी। उस वर्षके अधिवेशनकी रिपोर्ट इस वाक्यसे शुरू होती है—“इण्डियन नेशनल कांग्रेसके चौथे अधिवेशनका आरम्भ ही सरकारके विरोधमें किये गये उग्र भाषणोंसे हुआ।”

तीन साल बीत गये और प्रतिवर्ष जनताकी आवाज कांग्रेस गंचमें उग्रतर होती गयी, परन्तु सब व्यर्थ! “संवेदनाशील व्यूग अधिकारियोंकी आडम्बरपूर्ण सहायुभूतिको ढोंग और मजाक समझते थे क्योंकि जनताकी भलाईके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था! व्यूगको जनताकी हानि दशासे बहुत कष्ट होता था, विशेषकर जब कि उनके विचारमें ये तकलीफें दूर की जा सकती थीं। उन्हें भारतीय गाँवोंकी असली हालतका पता था और उन्होंने स्वयं एकके बाद दूसरा अकाल और उसके भयानक परिणाम देखे थे। भूखे किसानोंके कष्टोंसे भी परिचित थे..... भारतीय जनताके अकाल और बीमारियोंसे दुःख पानेका वास्तविक कारण उनकी गरीबी है। और यह दरिद्रता रोकी जा सकती है अगर सरकार अपनी कौंसिलमें अनुभवी प्रतिनिधि, जिनको इस दुर्दशाका मूल कारण ज्ञात है, ले ले। परन्तु सरकारने कोई काररवाई नहीं की। ऐसी दशामें क्या किया जाय? दुर्दशाका फौरन ही कोई उपाय होना चाहिये था। क्योंकि अकाल और महागारीसे लोग हज़ारों और लाखोंकी संख्यामें नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्यामें मर रहे थे। सरकारको इसका कुछ न कुछ उपाय करनेके

निमित्त मजबूर करनेके लिए यह आवश्यक था कि भारतीय जनताके नेता शास्त्र कदम उठाये जैसे कि इंग्लैण्डमें वहाँके निवानियोके लिए ब्राइट और कॉबडेनने अपने साथ-आन्दोलनमें उठाये थे ।

अपनी जयानीके दिनोंमें ह्यूमने इस आन्दोलनकी प्रगति देखी थी । उन्होंने बताया कि किस प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्सने बॉर्न लॉ ब्रिगके मुमाइन्दोकी बात सुननेमें भी इनकार कर दिया था । और तब कॉबडेनने अपने प्रचारमें कुछ मारगभित शब्द कहे जिनका इंग्लैण्डवासियों पर आगे चलकर बड़ा असर पडा । कॉबडेनने कहा—“मुमाइन्दोंने हाउस ऑफ कॉमन्सको समझाना चाहा, परन्तु हाउस ऑफ कॉमन्सने समझनेसे इनकार कर दिया और अब हम पूरे राष्ट्रको समझायेंगे, यही हमारा सबसे कारगर तरीका होगा ।” ह्यूमने कहा “हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है । हमारे शिक्षित भाइयोंने पृथक् पृथक् रूपसे, हमारे अल्पचारोंने व्यापक रूपसे तथा हमारी राष्ट्रीय महासभाके समस्त प्रतिनिधियोंने—एक स्वरसे सरकारको समझानेकी चेष्टा की है । किन्तु सरकारने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकारका रीत्या होता है, समझनेसे इनकार कर दिया । अब यह हमारा काम है कि हम देशमें अल्प जगामें ब्रिटेनको तथा इस महाद्वीपके राष्ट्रोंको समझाव ताकि हर भारतीय जिनने भारतमाकी छातीका दूध पिया है हमारा माथी, महयोगी तथा सहायक बन जाय और यदि आवश्यकता पड़े तो कॉबडेन और उसके बहादुर साथियोंकी तरह आजादी, न्याय तथा अपने अधिकारोंके लिये जो महासंग्राम हम छेड़ने जा रहे हैं उसका वह सैनिक बन जाय ।”

जनतामें अब प्रचार किया जाने लगा और इस प्रकार भारतीय राजनीतमें यह एक नया पृष्ठ खुला । “ह्यूमने जुटार कर काम शुरू कर दिया । जनताके हर वर्गसे धनकी सहायता माँगी । लोगोंमें पत्तें, दस्तदार और छोटी छोटी किताबें बाँटीं, वक्ता भेजे और क्या बड़े शहर, क्या देहात, हर जगह प्रचार गमाएँ करायीं । इस प्रकार पूरे देशमें १००० से ऊपर गमाएँ की गयीं । इनमेंसे बहुतोंमें उपस्थित ५००० से अधिक थी । पाँच लाखमें अधिक किताबें बाँटी गयीं । इनमेंमें दो उल्लेखनीय पुस्तिकाओं ‘कांग्रेससे कुछ प्रश्न और उत्तर’ व ‘मौलवी परीद-उद्दीन और कमबख्तपुरके रामबरक्षमें बातचीत’का चारह भारतीय भाषाओंमें अनुवाद कर बाँटा गया । इन पुस्तिकाओंमें हितोपदेशके टगपर यह दिखलानेकी चेष्टा की गयी थी कि जब सरकारके मुख्य कर्ता धर्ता उस देशमें न रहकर जिसपर ये शासन करते हैं, अन्यत्र दूर रहते हों, तो इसमें अनेक बुराइयाँ आ ही जाती हैं, चाहे सरकारके इरादे कितने ही नेक क्यों न हों ।”

ह्यूमने इस कार्यसे, जिसमें जनतामें जागृति हो रही थी, अधिकारी चौकन्ने हो गये । उनके अप्रैल दोस्त उनसे मिले और गभीरताने उन्हें समझाया “तुम ऐसी शक्तियोंको जगा रहे हो जिन्हें तुम सहाय न पाओगे ।” ३० अप्रैल १८८८ को इलाहाबादमें एक विराट सभामें भाषण करते हुए उन्होंने उसका जवाब दिया । जो ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेसकी उत्पत्ति और उद्देश्योंपर एक भाषण’ शीर्षकसे छपा । उन्होंने कहा कि “कांग्रेसका वास्तविक उद्देश्य (१) लोगोंका ध्यान निजीस्वार्थ और छोटे-मोटे झगडोंमें हटाकर, उभे राष्ट्रको प्रगतिपर केन्द्रित कर परोपकार और भाईचारेकी प्रवृत्ति बटाना है; (२) जो इसमें हिस्सा लें उनको न

१. येडरबर्न, पृ० ६१-६२ व ६३

२. वही किताब पृष्ठ ६३

सिर्फ भाषण और तर्क करनेकी बल्कि ठीक ढंगसे सोचने और अपनी रायोंको व्यक्त करने और दूसरोको समझा सकनेकी शिक्षा देना; (३) न सिर्फ लोगोंके अन्दर सचाई और खोजकी लगन पैदा करना, बल्कि उनके अन्दर संयम, विनम और उदारता पैदा करना है; असलमें उनमें सच्ची वैधानिक प्रवृत्ति पैदा करना; (४) बड़े पैमानेपर देशको प्रतिनिधिसभाओंकी काररवाइयों और काम करनेके ढंगसे अवगत कराना, और (५) इस ज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ इंग्लैंडके निवासियों और सरकारको यह दिखलाना है कि भारत जिन सभाओंमें प्रतिनिधित्वकी माँग करता है, उनका प्रबन्ध और संचालन करनेकी क्षमता भी रखता है।”

भाषणमें आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेसकी शिक्षाओंसे कोई राजनीतिक खतरोंकी बात नहीं है। “जनताको अंग्रेजी शासनके फायदे समझाये जाते हैं। उसे यह भी बताया जाता है कि शान्ति मय अंग्रेजी शासनपर ही देशकी समृद्धि और सुरक्षा निर्भर है। लोगोंको शिक्षा दी जाती है कि यद्यपि उनकी परेशानियाँ और तकलीफें जिनकी वे शिकायत करते हैं सही हैं, फिर भी अंग्रेजी शासनसे हुए लाभोंको देखते हुए वे नगण्य हैं। यदि वे शान्तिमय ढंगसे भारत सरकार, इंग्लैण्डकी सरकार और इंग्लैंड वासियोंसे माँग करें तो ये शिकायतें दूर हो सकती हैं और हो जायेंगी। लोगोंको समझा दिया जाता है कि गैरकानूनी या विद्रोही ढंगके आन्दोलन चलाना अनुचित है। उनके दिलोंमें यह विश्वास जगा दिया गया है कि एकता, धैर्य और वैधानिक ढंगसे आन्दोलन करने पर उनकी जो भी न्यायोचित माँगें होंगी अन्तमें पूरी हो जायेंगी। इसके विपरीत जल्दवाजी और हिंसात्मक ढंगसे काम करनेपर न सिर्फ उनका उद्देश्य नष्ट हो जायगा बल्कि वे खुद भी नर्वाद हो जायेंगे।”

भारतके प्रति सद्भाव रखकर ह्यूमने राजनीतिमें प्रमुख भाग लिया था। लेकिन यह नया दौर जनताका शान्तिमय और वैधानिक प्रार्थनापत्र पेश करनेका था, क्योंकि ह्यूमका विचार था कि कभी भी जनता हिंसात्मक उपायोंका अवलम्बन ले सकती है। अंग्रेज अधिकारी जन-आन्दोलनोंका निर्दयतासे दमन करनेमें विश्वास रखते थे। ह्यूमका लक्ष्य था जनताको शासनमें कुछ अधिकार दिलवाकर जन-आन्दोलनोंको उठनेसे रोकना। अधिकारियोंको उनका मत अमान्य प्रतीत हुआ और वे कांग्रेसको संदेहकी दृष्टिसे देखने लगे। आंग्ल-भारतीय समाज और इसके अखबारोंने तो, जबसे कांग्रेसका काम शुरू हुआ तभीसे उसका मजाक उड़ाना और गाली देना शुरू कर दिया था। इनमें पायनीयर और इंग्लिशमैन उल्लेखनीय हैं भारतीय सिविल सर्विसने कांग्रेसके प्रति अपनी घृणाको विस्कुल नहीं छिपाया। परन्तु शासनके उच्चाधिकारियोंकी कांग्रेसके प्रति सहानुभूतिके कारण तीन वर्षोंतक वे अपने जोहर दिखानेसे अममर्थ रहे। वेटरवर्नने सरकारी प्रतिक्रियाके बारेमें लिखा है—“मैं उन लोगोंके हृदयकोंके बारेमें, जो जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं और स्वेच्छारी शासक हैं, जो गुप्तचर विभागमें विश्वास रखते हैं, जिन्होंने इस आन्दोलनके खिलाफ मुसलमानोंमें वर्गीय विद्रोह फैलाया है, जो कांग्रेसका दमन करना चाहते थे, और जिन्होंने ह्यूमके देश निकालेकी सिफारिश की, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता।” संदेहशाल पुरुषोंमें एक मुख्य व्यक्ति

१. वेटरवर्न, पृ० ओ० ह्यूम पृष्ठ ६४-६५

२. वही पुस्तक, पृ० ६५

३. वही पुस्तक, पृ० ६७

उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्तके गवर्नर सर ऑकलेण्ड कौलविन थे जो मद्रासमें कांग्रेसके तीसरे अधिवेशनतक, जहाँ भारतीय राजनीतिने नयी करवट ली थी, कांग्रेसके प्रति मित्रता रखते थे। १८८८ में जनताके बीच किये जानेवाले प्रचारने उन्हें उद्वेलित कर दिया और उन्होंने ह्यूमके साथ इस विषयमें लम्बा पत्रव्यवहार किया। उनका पत्र छपे हुए चीस पृष्ठोंसे अधिक था और ह्यूमका उत्तर लगभग ६० पृष्ठोंका। सर ऑकलेण्डका विचार था कि भारतीय उस समयकी राजनीतिक परिस्थितमें 'उग्र' प्रचार असामयिक था और इससे उद्देश्यके अमफल हो जानेकी सम्भावना थी। आगे उन्होंने लिखा कि "उग्र और निन्दात्मक उपायोंको अपनाना अवश्य हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि इससे सरकार और उसके कर्मचारियोंके खिलाफ घृणा पैदा होगी। और चूँकि आन्दोलनकी प्रतिक्रिया भी होगी इसलिए देश दो परस्पर विरोधी पक्षोंमें बँट जायगा।" कांग्रेसके उत्तर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पक्षके लोग अनिश्चित रूपसे भारतीय जनताके प्रतिनिधित्वका दावा करते हैं। अन्तमें उन्होंने यह सलाह दी कि सुधारकोंको केवल समाज सुधारमें लगना चाहिये क्योंकि जनताकी भलाईके लिए राजनीतिक सुधारसे ज्यादा समाज सुधारको जरूरत है।

वेडरबर्न द्वारा ह्यूमके उत्तरके उद्धरणोंसे उस समयकी देशकी राजनीतिक परिस्थितिका अच्छा चित्र मिलता है। "ह्यूमने जवाब दिया कि किसानोंके वास्तविक दुःखोंकी तरफ ऑल बन्द कर लेनेमें कोई फायदा नहीं। हर आदमी, जिसको जरा भी गोंबाका ज्ञान है, जानता है कि वहाँके लोग आपसमें किस कदर कटु होकर बात करते हैं। अत्यधिक सत्तीली और अनुपयुक्त दीवानीकी अदालतोंके निर्दय और रिश्वतखोर पुलिस, लगान वसूल करनेके कड़े दगों, आर्म्स और फौरिस्ट ऐक्टके बर्बर दगसे लागू करने आदिके सम्बन्धमें उनकी आलोचनाएँ कितनी तीव्र होती हैं। इस समय आवश्यकता है—सस्ते, सही और सुदृढ न्यायको, ऐसी पुलिसकी जिसे लोग अपना मित्र और रक्षक समझ सकें, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण व सदाय लगान वसूलीके दगकी, आर्म्स और फौरिस्ट ऐक्टके अधिक नमीसे लागू किये जानेकी। इसी नीतिके अनुसार प्रचार पुस्तिकाओंमें समझाया जाता है कि "वर्तमान भयानक घुराइयोंके प्रति उदासीन मत बने रहो, न उनकी अवहेलना करो। हर गोंबमें आपको लोगीके ऐसे स्वाभाविक नेता मिलेंगे जो हमारे उपनारोंके लिए, ( जो अच्छे काम हमने उनके लिए किये हैं ) अतुच्छ होते हैं। परन्तु साथ ही उनमें, हमारे उन कामोंके प्रति, जिनको हम अपने नेक इरादोंके बावजूद, अपनी अज्ञानतासे गलत दगसे करते हैं, शिक्षाप्रत भरी हुई है। इसीलिए अपनी प्रचार-पुस्तिकाओंके जरिये हम इन बुद्धिमान लोगोंको सहानुभूतिपूर्ण दगसे समझाते हैं। हम उनकी सुमीयताको स्वीकार करते हैं। पर हम उन्हें अधिक मुलायम शब्दोंमें चिन्तित करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अग्रज सरकार समारमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसका बुनियादी सिद्धान्त जनताकी इच्छाओंके अनुकूल, शासन-नीति बनानेका है। हम उन्हें जोरदार शब्दोंमें समझाते हैं कि शासनकी त्रुटियोंके लिए इसका दुष्का गवर्नर या अफसर दोषी नहीं है बल्कि यह शासनकी प्रणाली और प्रथा ही दोषयुक्त है। राजभक्ति और वैधानिक दगमें आवाज उठाने के इस शासन प्रणालीमें भी सुधार करवा सकते हैं और उनके बहुतसे दुःख भी जिनका उनको सामना करना पड़ता है, कम हो सकते हैं। सरकार और उसके कर्मचारियोंके खिलाफ नफरत पैलानेके इलजामका यह जवाब है।"

“दूसरा प्रश्न कांग्रेस आन्दोलनके प्रतिक्रियास्वरूप देशके दो परस्पर विरोधी पक्षोंमें

बैठ जानेका है। यहाँपर सर सैयद अहमद व उनके मित्रोंके कांग्रेसके व्यक्तिगत विरोधकी याद करना अनावश्यक है। मिस्टर ह्यूम इस विरोधको महत्त्व नहीं देते थे। उनका विचार था कि छोटी-सी नगण्य संख्याको छोड़कर सभ्य और बुद्धिमान वर्ग कांग्रेसके साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस विरोधी संस्थाकी सख्तीसे आलोचना की जिसमें जैसा कि वे समझते थे, थोड़ेसे आँग्ल-भारतीय, अधिकांशतया अफसर सम्मिलित थे और आँग्ल-भारतीय अखबार इस विरोधकी सहायता करते थे।” कांग्रेसके विरोधी कौन हैं? कुछ ईमानदार पर अल्पबुद्धि, घोर रुढ़िवादी, कुछ ऐसे मनुष्य जो अपने हृदयोंमें अंग्रेजोंसे प्रेम्णा करते हैं या कुछ ऐसे लोग जो गुप्त रूपसे अंग्रेजोंके शत्रुओंकी नौकरीमें हैं; और कुछ अवसरवादी आदर्मी जो वास्तवमें कांग्रेस विरोधी नहीं हैं परन्तु जो इस कामको सिर्फ इसलिए करते हैं कि शायद इससे वे कुछ लाभ उठा सकें। उनकी यह धारणा थी कि कांग्रेस देशमें फूट पैदा करनेके बजाय एकता पैदा करती है। ऐसे लोगोंमें, जो इससे पहिले केवल झगड़ने या लड़नेके लिए ही मिलते थे, इनमें भाईचारा और मौहार्द पैदा करती है। इस सिलसिलेमें उन्होंने सलेमका दृष्टान्त दिया जो कुछ ही समय पूर्व तक हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच धार्मिक वैमनस्यका क्षेत्र बना हुआ था।

“उनके विचारमें कांग्रेस-विरोधको बाहरसे, नासमझ अधिकारियोंसे जो अभी तक ‘फूट डालो और राज्य करो’ के सिद्धान्तका अनुसरण करते थे; तथा सरकारके शत्रुओंसे, जो अंग्रेजी साम्राज्यके झण्डके नीचे सब पाटियों और विचारके लोगोंके एक करनेवाले आन्दोलनसे प्रेम्णा करते थे, बल मिलता था। आगे उनका ख्याल था कि संयुक्त आन्दोलनसे सबसे अधिक फायदा मुसलमानोंको होगा क्योंकि इससे वे वर्तमान प्रगतिके पथपर अग्रसर हो सकेंगे। उनका विश्वास था कि मुसलमानोंकी सद्बुद्धि उन्हें सही रास्ता दिखायेगी और तीन ही सालमें कांग्रेस-विरोधी पार्टी खत्म हो जायेगी।

ह्यूमने स्वीकार किया कि कांग्रेस आंदोलनमें अतरेकी संभावना है, भारतके लिए यह एक नया प्रयोग है और परिस्थिति पूरे तौर पर अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया कि यदि संभव होता तो वे स्वयं कुछ वर्षोंके लिए प्रचारको स्थगित कर देते परन्तु उन्होंने लिखा कि जिन लोगोंने इस आंदोलनको प्रारम्भिक प्रेरणा दी थी, उनके सामने दूसरा चारा न था। पश्चिमी विचारोंकी उपज, यह हलचल, शिक्षा, अन्वेषण और आधुनिक संघ बहुत तेजीसे अपना प्रभाव फैला रहे थे। और यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी कि इन प्रभावोंके विस्तारके लिए वैधानिक और सही रास्ता निकाला जाय बजाय इसके जैसा कि शुरू भी हो गया था, कि आगको अंदर ही अंदर सुलगने दिया जाय। गैने हमेशा स्वीकार किया है कि कुछ सूत्रोंमें, किन्हीं विचारधाराओंके अनुसार, आंदोलन असामयिक है। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण विचार अँग्रेजी साम्राज्यकी भविष्यकी एकसूत्रताकी रक्षाका है। जब कांग्रेसकी स्थापना की गयी थी तो अगली सवाल इसके असामयिक होनेका नहीं बल्कि इसके था कि क्या इतनी देर हो गयी है कि अब देश इसके लिये प्रस्तुत नहीं है?.....हमारे अपने ही कार्योंमें उत्पन्न, जबरदस्त बढ़ती हुई भावनाओंका उच्चाटन निकालनेके लिए एक साधनकी—एक निर्गमद्वारकी—आवश्यकता थी और हमारे इस कांग्रेस आंदोलनसे ज्यादा कारगर कोई ‘निर्गमद्वार’ नहीं ढूँढ़ा जा सकता था। इस दिशामें ह्यूम, जैसा कि उन्होंने स्वयं

लिखा है, विशेष उत्सुकतापूर्वक प्रयत्नशील थे। भारतीयोंके स्वभाव, उनकी रूढ़िवादी भावनाओं, उनकी कानून माननेकी प्रवृत्ति, उनकी आत्मन्यजनक सहनशीलता, और शालीनताके गुणोंको (बसतें कि वे निराशाकी भावनामें आकर अपनी पुरातन शक्तिको न छोड़ दें) ध्यानमें रखते हुए हमको यह विश्वास था कि वे उनकी यह बतला कर कि दुष्टों से प्राण पानेकी आशा नहीं छोड़ना चाहिये, और शक्तिमय तथा अनुशासनपूर्ण ढंगसे आवाज उठानेपर मुसौबतीका कुछ हल भी निकल सकता है, वे उचित पथप्रदर्शन कर रहे थे।

“एतदा इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि निरकुश सत्ता मुट्ठी भर ऐसे विदेशियोंके हाथमें रहती है जो जनताकी भाषा, राष्ट्रीयता, विचारोंमें बिल्कुल अपरचित हैं तथा जो दूसरोंकी भावनाओं और धारणाओंकी परवाह न करते हुए अपनेको विजेता राष्ट्र घोषित करते हैं। परिणाम यह होता है नृपानकी घटा उदय होते देगकर भी वे सजग नहीं होते और सन् १८५७ के विद्रोह या काउलकी दु सदाई घटनाकी आकस्मिक वज्रपात समझ बैठते हैं। इसीलिये हम साहब जैसे मनुष्योंकी, जो परिस्थितिको समझते हैं, चेतावनियोंपर ध्यान देना भारतमें अग्रजों साम्राज्यके कायम रहनेके लिये आवश्यक है... । निम्नदेह जब कभी विपत्ति आती है, अग्रज नरहादुरीसे उसका सामना करते हैं और अतमें आमतौर पर विजयी भी होते हैं परन्तु इस तरह अर्थोंकी तरह भटकते हुए चलनेमें धन, जन और शक्ति की बड़ी बर्बादी होती है”।

अब तो डफरिन भी कांग्रेसको ‘विचार प्रकट करनेका हानिरहित साधन’ माननेको तैयार नहीं थे और अपने शासन कालकी समाप्ति पर एक भोजके अगसरपर उन्होंने कांग्रेस की घोर निन्दा की। उन्होंने कांग्रेसको “ऐसा नागण्य अल्पमत” कहा “जिसको एक शानदार और विभिन्न रूपोंवाले साम्राज्यके शासनकी बागडोर हाँक नहीं दी जा सकती”। उन्होंने यह भी कहा—“फिलहाल मुझे उसका भारतीय जनताके प्रतिनिधित्वका दावा बेसुनियाद मालूम होता है। यदि वह भारतीय जनता या यूँ कहिये करोड़ों बेजवान इंसानोंका सच्चा प्रतिनिधित्व करनी होती तो ‘प्रजाय आमदनीपर लगनेवाले करमें कमीकी माँग करनेके, जैसा कि वह चाहती है, उसे जनता-करमें दस गुनी वृद्धि करानेका स्पष्ट आदेश देती।”

लेकिन जानेके पूर्व डफरिनने अपनी कार्यकारिणीके तीन सदस्योंकी एक समिति राजनीतिक सुधारोंके प्रश्नपर विचार करने और सुझाव पेश करनेके लिए नियुक्त कर दी। इस कमेटी द्वारा प्रस्तावित योजनामें, जो अन्तमें भारत सचिवके पास भेजी गयी थी, गिफारिश की गयी थी “प्रान्तीय परिषदोंका विस्तार किया जाय, उनके अधिकार बढ़ाये जायें, उनके कार्यक्षेत्रमें वृद्धि की जाय, निर्वाचन पद्धतिका आधिक आरम्भ कर दिया जाय और राजनीतिक गस्थाओंकी हैमियतसे उनकी उदार बनाया जाय।”

ऑग्ल भारतीय अखबारों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयतापर अनेक आक्षेप किये गये। श्री अम्बिकाचरण मजुमदारके शब्दोंमें “पायनीयने कांग्रेसके खिलाफ राग अलापना शुरु किया और चिह्लादट मचानेवाले अन्य मय अल्ल गरोने एक स्वरसे उसका अनुकरण किया। उन्होंने आन्दोलनकी घोर निन्दा की और कहा कि यह आपरिश पेनियनवादकी तरह है और वैसे

१. त्रेडरवर्स, वही पुस्तक पृष्ठ ७०-७३

२. रिपोर्ट ऑन इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशनल रिफार्म्स १९१८, पृष्ठ ४२



ही इसके तरीके हैं। छत्र-वेशमें यह ऐसी राजद्रोही संस्था है जिसे न तो जनताका प्रति-निधित्व प्राप्त है और न जिसका कोई मूल्य है।”

इस राजनीतिक उतार-चढ़ावकी पृष्ठभूमिमें कांग्रेसका चौथा अधिवेशन इलाहाबादमें होनेवाला था। उत्तरी-पश्चिमी सूबेके गवर्नर सर ऑकलैंड कॉलविन थे। इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबादमें न होने देनेके लिए, हर मुगकिन रुकावट डाली। खुले अधिवेशनके लिए खुसरोबाग चुना गया था परन्तु सरकारके अनुमति न देनेपर इस स्थानको छोड़ना पड़ा। इसके बाद किलेके रागीपकी जगहपर नजर पड़ी। मगर यह जगह स्वास्थ्यकी निगाहमें उचित न थी। तीसरा स्थान केंद्रनमेंट चुना गया परन्तु इसकी भी अनुशा सरकारने न दी। परन्तु चौथी जगह एक नवाबकी कांठी ‘लॉर्डर कांसिल’को थोड़ी-सी दिक्कतोंके बाद, स्वागत समितिके अध्यक्ष अयोध्यानाथने पट्टेपर ले लिया। इसपर अधिकारकी गारण्टीके लिए सर लक्ष्मीश्वर सिंहने इसको खरीद लिया और कांग्रेसके लिए खाली रखा। कॉलविनने एक और अड़ंगा लगाया—आदेश-पत्र द्वारा सरकारी नौकरोंको कांग्रेस-अधिवेशनमें भाग लेनेसे रोक दिया। अधिवेशनके समय वह स्वयं देहातके दौरेपर चला गया।

सन् १८८८ का अधिवेशन पिछले अधिवेशनोंके मुकानलेमें अधिक सजीव था। इसमें १२४८ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था, जिनमें २२१ मुसलमान, २२० ईसाई, ६ सिख ७ पारसी और बाकी हिन्दू थे। इलाहाबाद अधिवेशनके सभापति स्काटलैंडनिवासी जार्ज यूल् निर्वाचित हुए। वे कलकत्तेके एक प्रमुख व्यापारी थे और उस समय ‘बंगाल चैम्बर आफ कामर्स’के अध्यक्ष भी थे। शेख रजा हुसैन खाने उनके चुनावके समर्थनमें लखनऊके मुन्त्रियोंके धार्मिक नेताका फतवा पेश कर दिया। खाने साहबने कहा “यह मुसलमान नहीं बल्कि उनके सरकारी आका हैं जो कांग्रेसकी मुखालफत करते हैं।” अपने अध्यक्ष-पदसे दिये लम्बे भाषणमें यूल्ने एक ही विषय ‘विधान-परिपदोंमें सुधार’ पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तर्ककी निन्दा की कि भारत प्रतिनिधि-सभाओंके योग्य नहीं है। अपने पक्षमें इन्होंने थोरोल्ड रोनेरकी पुस्तक ‘दो ब्रिटिश मिटीजन’ का एक उद्धरण पेश किया, जिसमें कहा गया था कि “मैं इस बातका विश्वास नहीं करता कि सौ साल पहिले दगमें एक आदमीसे अधिक, या बीसमें एक औरत पढ़ना-लिखना जानती थी। नौजवानीके दिनोंमें मैं जब हेम्पशायर नामक गाँवमें था तो वहाँ चालीस सालमें ऊपर उम्रके किसानोंमें शायद ही एकाध आदमी लिखना-पढ़ना जानता हो। उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देना भी व्यर्थ समझा गया।” यूल्ने आगे कहा “यदि एक या दो सदी पहिलेकी बात लें तो इंग्लैण्डमें मुट्ठीभर आदमियोंको छोड़कर, बूढ़ोंमें लेकर बच्चोंतक, रईम गरीब सब बुरी तरह अज्ञानताके अंधेरोंमें फँसे थे, फिर भी वहाँ हाउस ऑफ कामन्स था।” इसी तर्कको लेकर उन्होंने कहा कि “यदि किसी देशमें थोड़ेसे भी ऐसे आदमी हैं जो मताधिकारका विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें केवल इस आधारपर इस अधिकारसे वंचित रखना कि बाकी लोग अयोग्य हैं, गलती होगी।” इस तरहमें उन्होंने भारतको प्रतिनिधि सभाओंके अधिकार दिलानेकी सिफारिश की और कहा “हम चाहते हैं कि विधान-परिपदोंको जहाँतक सम्भव हो इतना बढ़ाया जाय कि उनमें देशके विभिन्न हिस्सोंकी नुमा-इन्दगी हो जाय। परिपदोंमें आधे सदस्य निर्वाचित और आधे सरकार द्वारा नियुक्त किये

जायें । और हम यह शर्त माननेको तैयार हैं कि शासन-विभागको विशेषाधिकार प्राप्त हो ।”

पिछले वर्षोंमें स्वीकृत प्रस्ताव फिर मजूर किये गये । नये प्रस्तावोंमें (१) एक जॉच-समितिकी माँग की गयी, जो असन्तोषजनक और दमनकारी पुलिसके मौजूदा सघटनकी जॉच करे । (२) नशीलो वस्तुओंकी बटती हुई खपतपर चिन्ता प्रगट की गयी और सरकारसे प्रार्थना की गयी कि वह इनका बढता हुआ प्रयोग रोकनेकी कोशिश करे । (३) भारतीय औद्योगिक स्थितिकी जॉचके लिए एक मिले जुले कमीशनकी माँग की गयी । (४) नमक करमें कमीकी माँग की गयी । (५) सरकारसे विभाके लिए बजटमें अधिक धन देनेकी प्रार्थना की गयी । और (६) जमीन बन्दोबस्तमें बार बार रद्दोबदल होनेमें जो किसानोंकी तफलीक बढ जाती है उसके बारेमें तय किया गया कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ इस विषयका अध्ययन कर और अगते अधिवेशनमें अपनी रिपोर्ट पेश करें । वहसके लिए कोई भी ऐसा विषय, विषय समिति निश्चित नहीं करेगी जिसपर हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि एकमतसे या लगभग एकमत होकर आपत्ति करें ।” लस्नऊ ‘पत्र’ के सम्पादक सज्जाद हुसैनने पुलिसपर बहुत व्यगात्मक भाषण किया । आपने कहा “सरकारने भारतीयोंपर बहुत उपकार किये हैं । पुलिस भी एक उपकार है । वैसी पुलिस ? ऐसी पुलिस जो चोरो तथा बदमाशोंसे भी ज्यादा ईमानदार नागरिकोंके लिए कष्टप्रद है । लोगोंको पुलिस द्वारा चोरीकी जॉचमें डकैतीसे भी अधिक परेशानी उठानी पडती है ।” इसी प्रकार मदन मोहन मालवीयने महारानीकी १८५८ की घोषणाके बारेमें जिसका अक्सर उदाहरण दिया जाता था, कहा कि “यह ईमानदारोंसे शुभेच्छाओंके साथ नहीं बल्कि तात्कालिक नीतिवशा की गयी है ।”

इस अधिवेशनकी एक रोदजनक घटना थी बनारसके राजा शिवप्रसादका ब्यवहार । उन्होंने कांग्रेसकी खुलेआम निन्दा कर अधिकारियोंका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था । किसी प्रकार उन्होंने बनारसके इलाकेसे अपनेको इलाहाबाद कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि चुनवा लिया हालाँकि उगी इलाकेके अन्य प्रतिनिधियोंने इसका जोरदार विरोध किया था और किसी प्रकार भी उनके साथ ‘प्रतिनिधिके लिए नियुक्त स्थान’ पर बैठनेको राजी न हुए । तब उनको बाहर बैठनेको स्थान दिया गया । गुरेन्द्रनाथ बनर्जीके शब्दोंमें “राजा शिवप्रसाद अधिकारियोंके विश्वासी मित्र थे और उनका कांग्रेसमें भाग लेना आश्चर्यजनक था । परन्तु यह केवल एक कूटनीतिक चाल थी । ये वास्तवमें वहाँ प्रस्ताव करनेके लिए नहीं बल्कि भर्त्सना करनेके लिए गये थे । इस कारण ब्रेडले (?) नॉर्टनने अपने तिरस्कार और नफरत भरे भाषणमें उनको खूब फटकारा ।” परिषदमें सुधारके बारेमें आये प्रस्ताव और लार्ड डपरिनके कांग्रेस सम्बन्धी विचारोंपर वहसके दौरानमें राजा साहबने एक प्रस्ताव पेश करना चाहा जिसमें सरकारसे से प्रार्थना की गयी थी कि वह राज द्रोहात्मक भाषणोंपर रोक लगा दे । इसपर प्रतिनिधियों और दर्शकोंको बहुत रोष आया यहाँतक कि उस दिनकी काररवाईके खात्मेपर, उनकी स्वागत-समिति द्वारा दिये गये रक्षकोंकी सुरक्षामें अपने मकान भेजा गया ।

यहाँपर थोडा सा जि. इंग्लैंडमें किये गये कांग्रेसके कामका कर देना चाहिये ।

१. बेसेण्ट—वही पुस्तक, पृष्ठ ६८

२. बनर्जी—वही पुस्तक, पृष्ठ १०९

इंग्लैंडमें कांग्रेसकी स्थापनाके लिए सबसे पहिला कदम १८८७ में उठाया गया जब कि दादाभाई नौरोजी जो इस समय इंग्लैंडमें ही रहते थे, कांग्रेसके एजेण्टकी हैसियतसे काम करनेको तैयार हो गये। “उनको धनकी सहायता नहीं दी गयी, और चूँकि वे व्यापार करते थे, इस कारण कांग्रेसके काममें थोड़ा ही समय दे सकते थे। वस्तुतः थोड़ा-सा ही काम किया जा सका।” फिर भी सन् १८८८ में काममें निश्चय ही कुछ प्रगति डब्लू० सी० बनर्जी और अर्डले नॉर्टनके इंग्लैंडमें दादाभाई नौरोजीके पास पहुँच जानेसे हुई। वे लोग भारतके प्रमुख हिमायती चार्ल्स ब्रेडलॉकी सहायता प्राप्त करनेमें सफल हो गये। २५ क्रैवन स्ट्रीट, स्ट्रेण्डपर कांग्रेसका दफ्तर खोला गया और देशमें जोरदार तरीकेसे काम शुरू कर दिया गया। तीसरी कांग्रेसकी रिपोर्टकी दस हजार प्रतियाँ और अन्य भाषणोंके हजारों पन्ने और पुस्तिकाएँ छपवाकर बाँट दी गयीं। अपने भारत-प्रेमके कारण ‘भारतके सदस्य’के नामसे मद्रास, ब्रेडलॉने इंग्लैंडके विभिन्न भागोंमें भारतके सम्बन्धमें गुप्त भाषण किये। हालाँकि भारतीय एजेन्सीको ‘पब्लिक हॉल’, विज्ञापनका व दूसरे छोटे-मोटे खर्च उठाने पड़े। “इस काममें सात महीनोंके अन्दर १७०० पाँड खर्च हो गये।”

हम यह बात अच्छी तरह समझ रहे थे कि कांग्रेसकी, भारतके साथ न्याय करनेकी चार-चारकी अपीलसे अंग्रेज अधिकारियोंके कानोंपर जूँ भी नहीं रंगती। उन्हें इस बातका पूरा यकीन हो गया था कि शिमलामें स्थित सरकारसे नाममात्रकी भी सुधार करनेकी कोई उम्मीद नहीं। दूसरा चारा इंग्लैंडमें प्रचारकार्यको अधिक शक्तिशाली करना था। इसी विचारके अनुसार उन्होंने १० फरवरी १८८९ को पत्र द्वारा इंग्लैंडमें कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको उचित पैमानेपर प्रचार-कार्य करनेका महत्व समझाया। उन्होंने बतलाया “हमारी आशा केवल हम लोगोंके प्रति किये गये अनाचारों तथा वर्तमान शासनके अन्यायों और अदूरदर्शिताके खिलाफ इंग्लैंडकी जनताकी चेतना जाग्रत करनेमें निहित है। हमारा न्यूनतम काम काफी धन इकट्ठा कर अपने सबसे योग्य वक्ताओंका शिष्टमंडल बराबर इंग्लैंड भेजनेका है ताकि वे वहाँपर देशके निमित्त आवाज उठाते रहें—अपनी इंग्लैंड स्थित कमेटीको इस काविल बना दें कि उसकी सभाओंका क्रम टूटने न पाये, जहाँ भारतके सच्चे चित्रका वर्णन किया जाय। ब्रिटेनको परचों, पुस्तिकाओं, अखबारों और पत्रिकाओं तथा लेखोंसे भर दें—एक शब्दमें अपने आंदोलनको ‘विजयी, एण्टी कॉर्न लार्जिंग’ की भाँति शक्तिशाली बना दें।” हम का इंग्लैंडमें १८८९ के बीच प्रचार-कार्यके खर्चका तखमीना २५०० पाँड था। उनकी योजना स्वीकार कर ली गयी। २७ जुलाई सन् १८८९ को इंग्लैंडमें विलियम वेडरवर्नके सभापतित्वमें एक कमेटी बनायी गयी जिसमें दादाभाई नौरोजी, डब्लू० एस० केन० एम० पी०, डब्लू० एस० ब्राइट मेकलारेन एम० पी० थे। इसके संत्री, डब्लू० डिग्बी नियुक्त हुए। बादमें इस कमेटीमें जान ऐलिन० एम० पी०, जार्ज यूल्०, डब्लू० सी० वैनर्जी, सर चार्ल्स डेन एम० पी०, सर हरवर्ट रॉबर्ट्स एम० पी०, डा० जी० वी० हार्क और मार्टिन बुड भी शरीक हो गये। १८८९ की कांग्रेसके प्रस्ताव द्वारा इस कमेटीका विधान भी स्वीकृत हो गया और इसका चलानेके लिए ४५००० रु० मंजूर हुआ यह रुपया प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों आनपातिक हंगसे चन्दे करके

१. बनर्जी, वही पुस्तक, पृष्ठ ८७

२. वही पुस्तक देखो पृष्ठ ८५-८६

देनेवाली थी। इस कमेटीका नाम 'दि ब्रिटिश कमेटी ऑव दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया।

जब इलाहाबादके कांग्रेस अधिवेशनने इंग्लैंडमें कांग्रेसके कामके लिए धनकी अपील की तो रुपयों और छोटे सिक्कोंकी वर्षा होने लगी। मुरलीधरने मचपर नगद ५५५ रु० जमा कर इसको पहल को। २०००० रु० से ऊपर तो वही जमा हो गये और वादाको मिला कर यह रकम ६४००० रु० हो गयी। कांग्रेसने इंग्लैंड जाकर पार्लमेंटके सदस्योंको उम समयकी भारतकी दशा समझानेके लिए उमेशचन्द्र बनर्जी, आर० एन० मुखालकर, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अर्डेले नार्टन और ह्यूमफ्रा एन शिएमण्डल नियुक्त किया।

कांग्रेसकी अपनी रिपोर्टके निम्नलिखित उद्धरणसे १८८८ में कांग्रेसकी स्थितिका पता चलता है—

“कांग्रेसी विचारधाराका देशके दिमागपर इतना गहरा असर पड़ चुका है कि संसारकी कोई शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। अगर कल हजारों कांग्रेसियोंको देश निकाला दे दे तो भी यह विचारधारा पनपनी ही जायगी, एकके बाद दूसरेके दिमागपर कब्जा करती जायगी, यहाँतक कि भारतीय जनताके प्रत्येक पुरुष, औरत और बच्चेपर अपना अधिकार जमा लेगी। इसकी शक्ति बराबर बढ़ती जायगी। भारतीयोंके लिए कांग्रेस लाभदायक है और उनके लिए इसके उद्देश्य उदार व शान्तिमय हैं। सरकारी विरोध और दमनसे न सिर्फ इसके विकासमें वृद्धि होगी बल्कि इससे वैधानिक व शान्तिमय आन्दोलनका रूप बदल कर गुप्त प्रान्तिकारी व गैरकानूनी हो जायगा।”

१८८९ की कांग्रेस सर विलियम वेडरबर्नकी अध्यक्षतामें बम्बईमें हुई। वे सिविल सर्विसके कर्मचारी थे और सरकारकी सेवा उन्होंने जिला मैजिस्ट्रेट, जज, विधानपरिषदके सदस्य व अन्य पदोंपर रह कर की थी। सन् १८८५ में उन्होंने सिविल सर्विससे इस्तीफा देकर भारतमें समाजसेवाका काम अपना लिया। भारतीय राजनीतिक असन्तोषको एक धाराका रूप देनेमें उन्होंने ह्यूमफ्रा साथ दिया।

वेडरबर्नने कहा कि “भारतीय कर-देनेवालोंकी मुख्य दिलचस्पी इन बातोंमें है— शान्ति कायम रहे, मितव्ययितासे काम लिया जाय और शासन व्यवस्थामें सुधार हो। लेकिन ये सब चीज फौजी तथा मुल्की दोनों ही सरकारी वर्गोंको नापसन्द है। उसाही और सामानसे लैम सेना शान्ति कब चाह सकती है, वह तो युद्ध चाहती है। और कौन अकल्मन्द आदमी सरकारी कर्मचारियोंसे मितव्ययिताकी आशा कर सकता है? त्रिपायतके मानी उनकी तनख्वाहोंपर चोट है, फिर शासन सम्बन्धी सुधारोंको ही वे कब पसन्द कर सकते हैं? क्योंकि इससे उनकी हुकूमतमें कमी जो आ जाती है। इन हालातमें मुझे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि भारतीय कर-दाता और सरकारी कर्मचारियोंके हित परस्पर विरोधी हैं... हमको स्वीकार करना पडता है कि इंग्लैंडमें संप्रति शक्ति हमारे विरोधियोंके हाथमें है। इण्डिया ऑफिस हमारा बहुत सख्त विरोधी है, लन्दनके अख्तार भी हमारे पक्षमें नहीं है। पार्लमेंटके वे सदस्य, जिनको भारतका अनुभव है, ज्यादातर अधिकारियोंके साथ हैं। नये प्रजातन्त्रवादके पोषक भारतीय अभिलाषाओंके समर्थक हैं और जहाँ वहाँ भी मजदूरोंकी सभाओंमें भाषण किये गये हैं, वे तैयार ही नहीं, उल्टा है कि भारतके साथ न्याय किया जाय।

१८८९ के अधिवेशनमें ठीक १८८९ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। अकेले बम्बईने ८२१ प्रतिनिधि भेजे जब कि १८८५ के अधिवेशनमें वहाँके प्रतिनिधि केवल ३८ थे। प्रथम अधिवेशनमें सिर्फ दो मुसलमान प्रतिनिधियोंने भाग लिया था और १८८९ में इनकी संख्या २५८ हो गयी। इस सालके प्रतिनिधियोंमें गोपालकृष्ण गोखले, बालगंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल व लाजपत राय जैसे भविष्यके नेता व कुछ स्त्रियाँ थीं।

बम्बईके गर्वनरने कॉल्विनकी वनिस्वत अच्छा व्यवहार किया। बहुतसे सरकारी कर्मचारी भी वेश बदल कर कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल हुए। वे ब्रेडलॉको, जो इस समय भारत में ही था, और अधिवेशनमें भाषण करनेवाला था, खासतौरपर मुननेको आये थे। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई प्रतिनिधियोंकी संख्याको कम करनेके लिए कांग्रेसने एक नियम बनाया कि आइन्दासे कांग्रेस कमेटियाँ प्रति दस लाख मनुष्योंकी आवादीपर केवल पाँच प्रतिनिधि भेज सकेंगी। परन्तु आमतौरपर इस नियमका पालन कड़ाईसे नहीं होता था।

अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव हस्त मामूल परिपदाओंमें सुधार और इनके विस्तृत करनेके बारेमें था। परन्तु इस मर्तवा प्रस्तावमें इसके बारेमें एक योजना भी पेश की गयी। अध्यक्षको यह अधिकार दिया गया कि वे “कांग्रेसकी यह प्रार्थना चार्ल्स ब्रेडलॉ तक पहुँचा दें कि वे इस योजनामें इंगित विचारोंके आधारपर एक बिल तैयार करें और उसको हाउस ऑफ कॉमन्समें पेश करें।”

योजनामें ये सुझाव थे—

(क) केन्द्रीय व प्रांतीय विधान परिपदाओंमें कम-से-कम आधे निर्वाचित सदस्य हों और एक चौथाईसे अधिक ऐसे सदस्य न हों जो अपने पद-विशेषके कारण लिये गये हों। शेष सदस्य सरकार द्वारा नामजद हों।

(ख) मालगुजारीके जिले ही सामान्यतः निर्धारित क्षेत्र मान लिये जायँ।

(ग) कुछ खास योग्यताएँ रखनेवाले इक्कीससे ऊपर उम्रवाले सब प्रजाजनोंको मताधिकार प्राप्त हो।

(घ) हर जिलेमें मतदाता एक या उससे अधिक निर्वाचन-संस्थाओंके लिए मतदान करें।

(च) इस प्रकारसे चुने हुए सब जिलोंके प्रतिनिधि जो किसी-न-किसी निर्वाचन-क्षेत्रमें शामिल हैं केन्द्रीय विधान सभाओंके लिए अपने क्षेत्रकी आवादीपर प्रति पचास लाखपर एक मेम्बर चुने व अपने प्रांतकी विधान सभाओंके लिए प्रति दस लाखपर एक मेम्बर भेजें। यह चुनाव इस तरीकेसे किया जाय कि जब कभी भी पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिन्दू अल्पमतमें हों तो चुने हुए पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिन्दू मेम्बरोंकी संख्याका अनुपात कुल मेम्बरोंमें उनकी आवादीके अनुपातसे कम न हो। दोनों विधान सभाओंके मेम्बरोंके निर्वाचनके लिए कुछ योग्यताएँ और अयोग्यताएँ हों जो बादमें निर्धारित कर दी जायँ।

इस प्रस्तावपर जो संशोधन पेश किये गये यद्यपि वे स्वीकार नहीं किये गये, फिर भी उनपर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि उनसे उस कालकी जनताकी भावनाओंका पता चलता है। ग्रूम ‘अल्पमतवाली धारा’ को निकलवा देना चाहते थे। उनका तर्क था कि “भारतीय भारतीय हैं। उसमें अल्पमत और बहुमतका प्रश्न क्यों उठाया जाय ?” परन्तु इसको काफ़ी लोगोंका समर्थन नहीं मिला। अवधके हिदायत रगूलने सुझाव दिया कि हालाँकि हिन्दू

बहुमतमें हैं परन्तु परिषदोंमें हिन्दू और मुसलमान सदस्योंकी संख्या बराबर होनी चाहिये। उन्हींके सहधर्मी लखनऊके शमिदअली खाँ, बार एट लॉने इसका विरोध करते हुए जवाब दिया कि हिन्दू मुसलमानोंका प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। एक दूसरे मुसलमान प्रतिनिधि वाजिदअली विवाजीने तैममें आकर कहा कि “परिषदोंमें मुसलमान मेम्बरोंकी संख्या हिन्दू मेम्बरोंसे तिगुनी होनी चाहिये।” एक चौथे मुसलमानने इन मुद्दोंका विरोध करते हुए कहा “हम यहाँ एक समान उद्देश्यके लिए इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे अवसरपर मुसलमानोंको भूल जाना चाहिये कि वे मुसलमान हैं और हिन्दुओंको कि वे हिन्दू हैं। बल्कि जाति, विचार, और रंगके भेद-भाव भूलकर हम सबको अपनेको भारतीय कहना चाहिये।” और जब हिदायत रमूलके संशोधनपर मत लिया गया तो मुसलमान प्रतिनिधियोंने भी इसके विरोधमें मत दिया।

सन् १८८९ की कांग्रेस द्वारा नियुक्त शिष्टमंडल मार्च १८९० में इंग्लैंडको रवाना हो गया और अप्रैलमें वहाँ पहुँच गया। शिष्टमंडलके प्रत्येक मेम्बरने अपना सफर खर्च और होटलका खर्च स्वयं उठाया था। इगलैंड, वेस और स्वाटलैंडके बड़े बड़े शहरोंमें इण्डियन नेशनल कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी द्वारा आयोजित बड़ी बड़ी सभाओंमें इस शिष्टमंडलके सदस्योंने भाषण किये। मैनचेस्टरके चैम्बर ऑफ कामर्सकी एक सभामें सुरेन्द्रनाथ बैनर्जीके भाषण करनेके बाद एक आदमीने उठकर कहा कि “आजतक भारतके विषयमें कभी भी मुझे ऐसी गहरी अनुभूति नहीं हुई थी जैसी आज हुई।” शिष्टमंडलके सदस्य अर्डले नार्टनने अवसरका लाभ उठाकर आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीमें कांग्रेस प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावमें कहा गया था—“सभा इस बातपर खेद प्रगट करती है कि हाउस ऑफ कामर्सके सामने पेश ‘निर्वाचन नियम बिल’ को मान्यता नहीं दी गयी।” नार्टनने इस बिलको पेश करते समय एक जोरदार भाषण किया। विरोध पक्षना नेतृत्व लॉर्ड ह्यू सेसिलने किया। भारतकी अधिष्ठाका पिछड़ापन उनके तर्कोंके तरकशका सबसे भयानक तीर था और इसका जवाब बनर्जीने दिया। उन्होंने कहा “सन् १८२१ में इंग्लैंडमें स्कूलोंकी संख्या केवल १८,४६७ थी और विद्यार्थियोंकी ६५०,०००। और १८८१ के पहिले वे भारतके स्कूलों और विद्यार्थियोंकी संख्याके बराबर नहीं पहुँच पाये थे! फिर भी १८८१ में इंग्लैंडके निवासियोंको पूर्ण विकसित पार्लमेंटकी संस्थाएँ प्राप्त हो गयी थीं। हम तो इसके बहुत कम मॉग रहे हैं।” जब इसपर मत विभाजन हुआ तो शिष्टमंडलको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रस्ताव बहुमतने स्वीकार कर लिया गया। “इससे यह प्रगट हो गया कि कांग्रेसका सुधारका कार्यक्रम इतना नम्र था कि अंग्रेजी जनताके रूढ़िने रूढ़िवादी वर्गको भी यह मान्य था।”

बनर्जीके भाषणका एक छोटा सा हिस्सा यह दिखलानेके लिए कि किन जोरदार शब्दोंमें उन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके पक्षमें भाषण किया यहाँ उद्धृत करते हैं—उन्होंने कहा, “बहुसंके दौरानमें कहा गया है कि अंग्रेजोंके भारत आगमनके पूर्व भारतवासी बर्बर या अर्द्ध-बर्बर लोगोंका गिरोह थे! मेरा ख्याल है कि इषी भाषाका प्रयोग किया गया था। मैं इस सभाको याद दिलाता चाहता हूँ कि भारतीय हिन्दू—जिस जातिक्रा होनेका मुझे भी गौरव प्राप्त है—एक उच्च पुरातन रक्तके वंशज हैं। और जिस समय यूरोपके सबसे सभ्य राष्ट्रोंके पूर्वज जगलों और कन्दराओंमें घूम रहे थे,

हमारे पूर्वजोंने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिये थे, बड़े बड़े नगर बसाये थे, आचार-विचार विषयक नियम बना लिये थे, एक धर्म-पद्धतिका प्रतिपादन कर चुके थे, और सुन्दर भाषाको जन्म दे चुके थे, जिसकी प्रशंसा आज भी सभ्य संसार करता है। आप लोगोंको सिर्फ यह रास्ता पारकर बोटलियन पुस्तकालयमें जाकर बैठनेकी आवश्यकता भर है। वहाँ आप भारतके प्राचीन-उद्योग धर्मों, संस्कृति और नीति-शास्त्रके इतिहासका अवलोकन कर सकते हैं। इस कारण मुझे यह कटाक्ष समझोचित नहीं मालूम पड़ता। और यदि वह कटाक्ष प्रतिनिधि संस्थाओंके लिए की गयी हमारी याचनाओंके प्रति विद्वेष पैदा करनेकी भावनासे किया गया था, तो यह इसमें अधिक अनुपयुक्त नहीं हो सकती था। क्योंकि स्वशासन-संस्थाएँ आर्य जातिकी सभ्यताकी प्रमुख अंग थीं और हम आर्योंके वंशज हैं। हमारे इस प्रस्तावके विद्वान्-विरोधीने अपने कुछ उद्धरणोंकी पुष्टिमें सर हेनरी मेनकी पुस्तकोंका हवाला दिया है। मैं भी उनकी विद्वत्ताके सामने झुकता हूँ। उनके भारत विषयक ज्ञानको स्वीकार करता हूँ। भारतके विषयमें उनकी क्या राय है? स्वशासन संस्थाओंका व्यावहारिक उदाहरण सबसे पहिले हमें भारतमें मिलता है। वहाँकी गाँव पंचायतें इतनी प्राचीन हैं जितनी कि वहाँकी पहाड़ियाँ। जब हम प्रतिनिधि-संस्थाओं या उनमें आंशिक गुधारकी माँग करते हैं, तो यह माँग उनके इतिहासकी परम्पराके विलकुल अनुरूप है तथा भारतमें अँग्रेजी शासनकी प्रथाके भी अनुरूप है।”

परिपदोंमें सुधारके लिए भारतीय प्रचारकार्य इंग्लैंडमें १८९०, १८९१ व १८९२ में बहुत जोरदार तरीकेसे होता रहा। सन् १८९० में ब्रेडलॉने १८८९ की कांग्रेस द्वारा इंगित योजनाके आधारपर एक विधेयक तैयार कर, इंग्लैंडकी पार्लमेंटमें पेश किया। परन्तु इस विधेयकपर बहसके लिए समय नहीं दिया गया। सारा समय दूसरे कामोंमें व्यतीत हो गया। उन्होंने दूसरा प्रयास किया, परन्तु व्यर्थमें और ३० जनवरी १८९१ को उनकी मृत्यु हो गयी। ब्रेडलॉके विधेयकमें परिपदोंके गैरसरकारी मेम्बरोंके चुनावके लिए एक निर्वाचकमंडल (Electoral College) पद्धतिकी माँग की गयी थी। शासक-वर्गको यह विलकुल अमान्य था। इसीलिथे उसी साल सन् १८९० में भारत सचिव लार्ड क्रॉसने ‘हाउस ऑफ लार्ड्स’में एक दूसरा विधेयक सरकारकी तरफसे पेश किया। इस विधेयक द्वारा प्रशासनको जैसेका तैसा रखनेकी कोशिश की गयी थी। केवल गवर्नर जनरलको केन्द्रीय परिपदके गैर-सरकारी मेम्बरोंकी संख्या बढ़ानेका अधिकार दे दिया गया। १८६१ के परिपद-विधान द्वारा गवर्नर जनरलको अपनी सलाहकार समितिमें कमसे कम छः और अधिकसे अधिक बारह सदस्योंको बढ़ानेका अधिकार मिला, बशर्ते कि नामजद किये हुए सदस्योंमें कमसे कम आधे गैरसरकारी हों। लार्ड क्रॉसके विधेयक द्वारा यह संख्या बढ़ा कर कमसे कम दस और ज्यादासे ज्यादा सोलह कर दी गयी। इस तरह यह गुंजाइश रखी गयी कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो गैरसरकारी मेम्बरोंकी संख्या पुरानीवाली ही रखें। मद्रास और बम्बईकी स्थानीय संस्थाओंके सदस्योंकी संख्या १८६१ के कानून द्वारा कम से चार और आठ थी, नये विधेयकमें यह संख्या आठ और बीस कर दी गयी। बंगालके लिए यह संख्या बीस नियत कर दी गयी और उत्तरी पश्चिमी प्रांतके लिये पन्द्रह। इस विलमें यह भी अधिकार दिया गया कि परिपदोंमें वार्षिक आर्थिक लेख-जोखों पर बहस हो सकेगी और “गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नरों द्वारा बनाये गये नियमोंके अंदर कुछ सवाल भी पूछे

जा सकेंगे।” यह विधेयक १८९० या १८९१ में भी स्वीकार न किया जा सका। १८९२ में ही जाकर यह कानून बन सका। एफरिन सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारोंकी तुलनामें भी इस कानूनमें बहुत कम सुधार थे। जबकि कांग्रेसके लगातार कई अधिवेशनोंमें स्वीकृत मुख्य प्रस्तावका भाग्य अनिश्चित था और लार्ड क्रॉसका विधेयक राजनीतिक भारतके लिए निराशा ही प्रदान करनेवाला था, तब दिसम्बर मन् १८९० में कलकत्तेमें कांग्रेसका छठा अधिवेशन हुआ। बंगाल सरकारने एक आदेशपर निजाल्फर सब सचिवों और विभागोंके प्रधान व मानदृत कर्मचारियोंको कांग्रेस-अधिवेशनमें दर्शककी हैसियतसे भी जानेकी मनाही कर दी। कर्मचारियोंके कांग्रेसकी सभाओंमें भाग लेनेपर सख्त प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लेफिनेण्ट गवर्नर और उनके मलाहकारोंको भेजे गये दर्शकोंके नेमनग्न पत्र वापस कर दिये गये। कांग्रेस अधिचारियोंने वाह्यसरायको इस विषयमें लिखा। राइसरायने कहा कि भारत सरकारके आदेशको बंगाल सरकारने गलत समझा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आन्दोलन “अपने तारपर पूर्ण न्याययुक्त है” और “भारत सरकार यह स्वीकार करती है कि कांग्रेस देशका प्रतिनिधित्व करती है, प्रायः उसी तरह जिस तरह यूरोपमें अधिक उन्नत उदार दल है, जिसे भिन्न और जिसने समन्वय अनुदार दल है। दोनों सरावरीसे काम करते हैं।”

कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष फीरोजशाह मेहता ये। ‘वम्पर्ड प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन’ के वे जन्मदाता थे और कांग्रेसके जन्ममें ही उसके साथ थे। वम्पर्डके म्युनिसिपल कारपोरेशन के वे अत्यन्त सफल सदस्य थे और एक नामो बनील भी थे।

१८९० की कांग्रेसकी रिपोर्ट सरकारपर अभियोगोंके साथ परम्प हुई, जिसकी खास बातें थीं—भारतके प्रशासनमें जहाँ कुछ गुण भी हैं, वहाँ हजारों दोष भी। देशके पञ्चानवे फी सदी उच्च, प्रमुख और जिम्मेदार पदोंपर यूरोपियनोंका एकाधिकार है। कुल जनसंख्याका पाँचवाँ हिस्सा भुलमरोनी दशममें है। लगभग सभी स्वदेशी उद्योग और कलाएँ खत्म कर दी गयीं हैं। विनाशक ऊँचे करोंकी ‘अस्थायी बन्दोबस्त’ की प्रणालीके शिकारमें खेती धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। जनता परतहिम्मत बनायी जा रही है। भारतमें अमीरोंके तिलाफ गरीबोंको या पुलिस व अधिकारियोंके तिलाफ गैर-सरकारी लोगोंको कहीं भी सच्चा न्याय नहीं मिलता।”

१८९१ में कांग्रेसका अधिवेशन मद्रासके पी. आनन्द चारल्लकी अध्यक्षतामें नागपुरमें हुआ। वे अपनी इण्डिया कौंसिलकी कड़ी आलोचनाके लिए प्रसिद्ध थे। मन् १८९५ में वे केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके सदस्य हो गये और उस पदपर १९०३ तक काम करते रहे।

आनन्द चारल्लने प्रतिनिधियोंको सलाह दी कि “वे जनताके बीचमें पहिलेसे अधिक जमकर काम करें। उनके हृदयोंमें कांग्रेसी मदेशको पहुँचा दें जो राष्ट्रीय भावनाका दूसरा नाम है।”

नागपुरके अधिवेशनमें एकके बाद दूसरे बनाने खड़े होकर गाँवोंकी आँखों देसी बुरी दशाका मार्मिक और सजीव चित्र खींचा। जगन्नाथके नये कानूनने आदमियों और जानवरों-को उनके प्राकृतिक अधिकारसे वंचित कर दिया था। मद्रासके एक प्रतिनिधि पीटर पॉल



पिल्लर्डने कहा “व्यवस्थापकोंने कलमके एक ही दृशारेसे जंगलगत कानूनके रैयतके जातीय अधिकारोंको खत्म कर दिया—उन अधिकारोंको जिन्हें वे सदियोंसे भोगते चले आ रहे थे—जिन्हें पूर्वकालकी सरकारें स्वीकार करती थीं—और जिनको अंग्रेजी सरकार स्वयं भी पहिले मानती थी। आवश्यकतासे लाचार होकर लोग सर्वग्राही जंगलके कानूनोंकी अवज्ञा करनेकी बाध्य होते हैं। मेरे जिलेमें इस कठोर कानूनकी मामूली अवज्ञा करनेपर हजारों फौजदारीके मुकदमे चल रहे हैं।”

साल भरकी काररवाइयोंका संक्षिप्त वर्णन वेसेन्टने बहुत अच्छी तरहसे किया—“यदि असलमें पूछा जाय तो अंग्रेजी शासनके विरुद्ध किसानोंको जितना इस जंगलके कानूनने किया है, उतना किसी चीजने नहीं। नमक-कर बुरा है। जमीनोंके कर-निर्धारणके बन्दो-वस्तका तरीका निर्दयतापूर्ण और कठोर है परन्तु ‘जंगलका कानून’ तो हर कदमपर कुटारा-घात करता है, और बेचारा किसान, अपने पूर्वजोंकी भाँति, जिनके साथ पीढ़ियोंसे यही होता चला आ रहा था, अपराधी करार दे दिया जाता था। मिस्टर पिल्लर्डने दिखाया कि १८९० में सरकारने किसानोंसे डेढ़ लाख रुपया चरागाह-करके रूपमें वसूल किया और साढ़े तीन लाख जुर्मानेमें जो उन्होंने जानवरोंके जव्त चरागाहोंमें चले जानेपर वसूल किया था। एक जिले, उत्तरी आरकाटमें सन् १८९१ में तीन लाख जानवर चारोंकी कमीसे मर गये। यह संख्या जानवरोंकी साल भरकी औसत मृत्यु संख्याके अलावा थी।”

वक्ताओंमें श्री एस. वी. भाटे भी थे, जिन्होंने कहा कि उनके जिलेमें जंगलके कानूनके लागू करनेके कारण जानवर भूखे मर रहे हैं। अस्थायी तौरपर भी चारागाहके दस्तेमालकी अनुज्ञा नहीं है। किसान अपने जानवरोंको हटा रहे हैं। दस-दस बारह-बारह रुपयेपर जानवर बेचे जा रहे हैं। एक दूसरे प्रतिनिधिने जिसने अपनेको एक गरीब पहाड़ी जिलेके एक गरीब गाँवका आदिम निवासी बताया, कहा कि “जंगलोंने मनुष्यको जो वह चाहता था ईंधन, लकड़ी, घास, पत्थर, जमीन, पत्तियाँ, छाल, जड़ें दीं परन्तु ये सभी चीजें ईश्वरने नहीं, लोभी मनुष्यने छीन ली हैं। सैकड़ों पीढ़ियोंसे वे इन चीजोंका उपयोग निर्द्वन्द्वतासे करते चले आ रहे थे और अब वे प्रकृतिकी दी हुई चीजोंसे वंचित कर दिये गये हैं। हिन्दू और मुसलमान शासकोंके समयमें जो जंगल उनके लिए आजीर्वाद थे, वही अब अभिशाप बन गये हैं।” एक मर्तवा फिर गाँवोंका आर्थिक संघटन चरमराने लगा था। किसानके खेत पहाड़ियोंपर थे, परन्तु वह बनों, जंगलों, झाड़ियों और झुरमुटोंका प्रयोग नहीं कर सकता था। वह अपने ही पेड़ोंको पत्तियाँ भी नहीं दस्तेमाल कर सकता था हालाँकि उसीने लगाया था। फिर जानवर कहाँ चरे। सरकारी-सुरक्षित जंगल थेंदे नहीं गये थे। स्वाभाविक था कि जानवर उनमें घुस जाते थे, बेचारे मालिकोंपर जुर्माना होता था। एक देहातीने, जिसको डाक्टर उपलब्ध नहीं था, जंगलमें कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनेकी कोशिश की और उसपर जुर्माना कर दिया गया। कांग्रेसने जंगलोंके कानूनके शिकंजेसे लोगोंका मुक्ति दिलानेके लिये बार-बार प्रस्ताव पास किये, परन्तु चूँकि जंगलोंसे अंग्रेजी शासकोंकी जेबमें काफी धन जाता था, इसलिये कांग्रेसकी प्रार्थनापर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।” आर० ए० मधोलकरने कहा कि बारह सालकी अवधिमें अकालसे एक करोड़

वीस लाख आदमी मर गये। उन्होंने अपनी बातकी पुष्टिमें सर चार्ल्स ईलियटका हवाला दिया जिन्होंने कहा था कि “आधे सेतिहर किसान साल साल भरतक यह नहीं जानते कि भर पेट खाना किसे कहते हैं।”

पंजाबके मुरलीधरने उन लोगोंकी भर्त्सना की जो अपना शोषण होने देते हैं। उन्होंने कहा “तुम तुम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने भाइयोंके हृदयका रक्त चूसकर मोटे होनेवाले इन पतित राशियोंका साथ देनेसे सन्तुष्ट हो। (‘नहीं नहीं’का शोर)। मैं कहता हूँ, ‘हाँ’। अपने चारों तरफ देखो—ये सभ शामिलाने और झाड़-फानूस—ये यूरोपकी बनी कुर्तियाँ और मेज—ये बढिया बढिया कोट और टोप, ये अग्रेजी कोट, ब्रियोंकी फ्रॉकें और टोप, ये चाँदीकी मूठीकी छडियाँ, यह अपने घरोंके आराम और आराधना सामान, यह सब क्या है? क्या ये भारतकी दुर्दशाके स्मारक नहीं हैं? क्या ये भारतकी मुखमरीके यादगार और प्रतीक नहीं हैं? हर वह रूपया जो तुम यूरोपकी बनी चीजोंपर खर्च करते हो, वह रूपया है जो तुम अपने गरीब और ईमानदार बुनकर भाइयों, जिनकी जीविकाका साधन भी अब खत्म हो रहा है, के हाथमें छिनते हो? स्वतन्त्र व्यापार! राष्ट्रोंके बीच न्यायसगत कार्य ॥ ओफ् इन शूटे दावोंसे मे किस कदर नफरत करता हूँ, गरीब भारत और मोटे पूँजीवादी इंग्लैंडमें क्या न्यायसगत व्यापारका कार्य हो सकता है? यह वैसी ही बात है जैसी एक बच्चे और शक्तिशाली आदमीके बीच न्यायपूर्ण लड़ाईकी, जैसी खरगोज और अजगरकी न्यायसगत लड़ाईकी! इसमें सन्देह नहीं कि यह सब अर्थशास्त्रके ऊँचे गिद्वान्तीके अनुरूप है, मगर मेरे दोस्तो! यह याद रखो कि इससे माने अपने भाइयोंके मुँहका मांस छीनना है।”

१८९२में दादाभाई नौरोजी अपने विरोधियोंकी तीन वोटोंसे हराकर पार्लमेंटके लिए चुन लिये गये। वे हाउस आफ कॉमन्सके प्रथम और अन्तिम भारतीय सदस्य थे। पार्लमेंटके चुनाव आन्दोलनमें भारतके सबालने काफी बड़ा स्थान ग्रहण किया। सेल्डिखरी व मेकलीन जैसे आदमियोंने भारतीयोंके विरुद्ध गन्दा प्रचार किया। ओल्डहमने किये गये भाषण में मेकलीनने हिन्दुओंको गुलाम और मुसलमानोंको ‘ठेकेपर लिये गये गुलाम’ नामसे सम्बोधित किया। भारतकी मुधारोंको माँगोंके बारेमें वे जोरोंसे यह कहते थे कि “हमने भारतको तलवारके जोरसे जीता है और उसीके जोरसे हम उसे अपने अधीन रंगेंगे।” नौरोजीने इसका विरोध किया—“मिस्टर मेकलीन सदस्य लोग, भिन्न भिन्न परिपदाओंमें निर्वाचित सदस्योंके अनुपातकी भारतीय प्रार्थनाको गलत ढंगसे पेश करते हैं। मुझे यह बात दुहरते हुए दुःख होता है कि मिस्टर मेकलीन जैसे लोग जाति-विद्वेष, घृणा और बदलेकी भावना पैलाकर भारतमें अँगरेजी सत्ताको कमजोर बनानेमें या उसे खत्म करनेमें सबसे बड़े साधक सिद्ध होंगे।”

लेकिन इंग्लैंड स्थित भारतीय विद्यार्थियोंने अधिक जोरदार विरोध किया। मेकलीन के शब्दोंको उन्होंने भारतकी बेइज्जती समझा। उन्होंने ओल्डहममें एक सभा बुलायी और वहाँ मेकलीनके व्यवहारकी भर्त्सना की। चितरजनदास, जिनका भारतीय राजनीतिमें बादमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, उस समय, कुछ ही महीनों बाद होनेवाली सिविल सर्विसकी परीक्षाके लिये तैयारी कर रहे थे। उन्होंने भारतके मित्रोंको एग्जिटरमें इकट्ठा किया और और उनके बीचमें बोलते हुए कहा “महाशयो, मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि एक मर्तबारे ज्यादा पार्लमेंटरी भाषणोंमें यह बात कही गयी है कि इंग्लैंडने तलवारके जोरसे भारतको जीता

है और तलवारके जोरपर वह भारतकी अधीनताको बरकरार रखेगा (शर्म)। इंग्लैंडने, महाशयो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। वह उसकी तलवार नहीं थी और न संगीन थी, जिसने इस ज्ञानदार और बृहत् साम्राज्यको जीता है। और न यह विजय सैनिक-शूरताके बलपर मिली है। यह मुख्यतया नैतिक विजय या नैतिक उत्कर्ष था, जिसका इंग्लैंडको सही गर्व हो सकता है।” ‘भारतका सवाल’ चुनाव-आन्दोलनमें विवादका आम सवाल बन गया। सी. आर. दासको कई स्थानोंमें सभाओंमें भाषण करनेका निमन्त्रण मिला। आल्डमकी सभामें उन्होंने विधान परिषदकी “सफेद झूठ, धोखेकी टट्टी और निरर्थक आडंबर” कहकर निन्दा की। हमारे यहाँ परिषदोंमें ऐसे आदमी हैं जिनको वहाँ होनेका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे आदमी परिषदोंमें नहीं लिये गये हैं जिनके बिना किसी देशकी भी विधान-परिषद पूर्ण नहीं हो सकती। हम ठीक ढंगके भारतीयोंको चाहते हैं, परन्तु हिज ऐकमेंटेंगी वाइसरायने हम बातकी विशेष परवाह की है कि सिर्फ एक खास सच्चिके लोगोंको परिषदमें नामजद किया जाय, वे आदमी जो या तो कम बुद्धिके हैं या उनमें सहमत हैं—वे आदमी जो मेरे अग्रमुख्य देशवासियोंसे बिल्कुल अतभिन्न हैं और जिनको आप लोग हम देशमें रईसीके नमूने कहेंगे।”

१८९२ की कांग्रेसका स्थान इलाहाबाद चुना गया और नौरोजी अध्यक्षताके लिए मनोनीत हुए! परन्तु पार्लमेंटके चुनावमें उनके विरोधीने मत-पत्रोंकी दुवारा जाँचके लिए आवेदन किया जिसके कारण उनको इंग्लैंडमें रुकना पड़ा। इसलिए प्रथम कांग्रेसके अध्यक्ष दब्ल्यू. सी. वैनर्जी इस अधिवेशनके भी अध्यक्ष बनाये गये। लार्ड क्रॉसका भारत विशेषक अव कानून बन गया था और वैनर्जीने इसको “पहली खुशखबरी” बताया! परन्तु उन्होंने आगे कहा “यह कानून वास्तवमें कुछ ज्यादा देनेका वादा नहीं करता” फिर भी “इस कानूनके अन्तर्गत बननेवाले नियमोंमें इसमें काफी विस्तारकी गुंजाइश है।” कांग्रेसने ‘राज-भक्तिकी भावना’ से इण्डियन कॉन्ग्रिगल-एक्टको इस खेदके साथ, कि इस कानून द्वारा लोगोंको परिषदोंमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया, स्वीकार-कर लिया।

नौरोजीके विरुद्ध चुनाव सचिका खारिज कर दी गयी। अब उन्होंने अपनेको भारतके मामलोंमें पार्लमेंटके सदस्योंमें दिलचस्पी पैदा करनेके काममें लगा दिया और करीब डेढ़ सौ सदस्योंकी एक पार्लमेंटकी समिति बन गयी। इंग्लैंडमें प्रचार करनेके लिए ‘इण्डिया’ नामक पत्रिका भी निकाली गयी।

१८९३ में लाहौरमें होनेवाले कांग्रेसके नवें अधिवेशनके अध्यक्ष फिर नौरोजी चुने गये जब नौरोजी हिन्दुस्तानके लिए खाना हो रहे थे तो पार्लमेंटके करीब सत्तर अस्सी वामपक्षी और आयरलैंडके सदस्योंने उनको पूरी सहायताका वचन दिया। उनके नेता डेविटने नौरोजीकी खानगीसे दो दिन पूर्व उनसे कहा था “कांग्रेसमें जाकर अपने सहयोगियों से बह कठना मत भूलिये कि पार्लमेंटमें आयरलैंडके होमलूलके सदस्य भारतीय जनताकी माँगके समर्थनमें आपके साथ हैं।” इनके अलावा “नौरोजीने कहा कि ऐसे सदस्य भी काफी बड़ी संख्यामें हैं जिनको हम अपना सहायक समझते हैं और जिनको हम जल्द ही भारतीय पार्लमेंट-समितिके सदस्य बनानेकी आशा भी करते हैं।” समितिकी सदस्यता बढ़ कर डेढ़ सौ हो गयी।

भारतके नौजवान दादाभाईमें अगाध श्रद्धा रखते थे। जब वे बोड़ोंसे जुती एक

गाड़ीमें कॉंग्रेस पंडाल ले जाये जा रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी वहाँ बीडते हुए आये और घोंड़ोंको पोल कर खुद ही अभ्यक्षकी सगारी खींचने लगे। सर विलियम हण्टरने टाइम्समें इस पर लिखा "स्वदेश पहुँचने पर जैसा स्वागत श्रीदादाभाई नौरोजीका हुआ, उसकी तुलना वाइसरायके भी बंधल एक बारके स्वागतमे की जा सकती है। लाहौरमें महाराणा रणजीत सिंहके बाद ऐसा शानदार स्वागत किसीका भी नहीं हुआ।"

अपनेसे पहलेके अभ्यक्षोंके भाषणोंसे नौरोजीके अभ्यक्षपदसे किये गये भाषणमे स्वागत-योग्य भिन्नता थी क्योंकि दसम देशकी आर्थिक और राजनीतिम द्वापर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने कहा कि १८६१ के अभिनियम द्वारा बोर्ड भी सदस्य, गवर्नर जनरलकी पूर्व स्वीकृतिके बिना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, या इसपर किसी तरहका प्रभार डालनेके सम्बन्धका प्रस्ताव पुरःस्थापित नहीं कर सकता और न शाही पीछों या जहाजी बेड़ेके अनुशासन या उनके कायम रखनेके र्च सम्बन्धी बोर्ड भी प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। इसके मानी यह हुए कि जहाँतक हमारे धनके र्च करने आदिना माल है, विधान परिषदका होना न होगा बराबर है। (शर्म, शर्मने नारे)। पहलेसे पेश किये प्रस्ताव या उनसे सम्बन्धित बहसके अलावा सदस्योंको अन्य विषयोंपर प्रस्ताव पेश करनेकी अनुज्ञा नहीं मिल सकती। इसलिए सरकार या उनके विभागोंसे उनके कामोंके लिए जगवतलव करनेका कोर्द अवसर ही नहीं मिल सकता। भारत सचिपकी काररवाहियोंमें इतनी ताकत और प्रामाणिकता होती है जैसे ऐक्ट बना ही न हो। यह निरकुश सत्ताका एक उदाहरण है। १८९२ के ऐक्ट द्वारा, आर्थिक मामलोंपर बहसके समय मतविभाजन कराने, या इस ऐक्टमे पूछे गये किसी भी प्रश्नका उत्तर देने, या राय और प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार किसी भी सदस्यको न होगा। कानून अथवा नियम बनानेके उद्देश्यसे की गयी सभाओंमें इस ऐक्टके अन्तर्गत बने नियम न तो बदले जा सके और न उनमें संशोधन किये जा सकेंगे।"

माल्धीयजीने, जो उन चन्द लोगोंमें थे, जो हर कांग्रेसमें लोगोंको याद दिलाते रहते थे कि अंग्रेजोंने किस तरह भारतका शोषण किया था, १८९३ की कांग्रेसमें भाषण करते हुए कहा "वे चुनकर कहाँ है? वे भिन्न-भिन्न उद्योग धन्धोंसे अपना पेट पालनेवाले लोग आज कहाँ हैं? और वे औद्योगिक वस्तुएँ कहाँ हैं जो प्रतिवर्ष इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपीय देशोंमें बड़ी सख्यामें भेजी जाती थी? ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। यहाँपर बैठे सब लोग विलायती कपड़े पहने हुए हैं। आप जहाँ भी जायें, हर जगह आपको विलायती माल व अंग्रेज कारीगरोंकी बनी चीजें भरी मिलेंगी। देशी आदमियोंके पास दयनीय जीविकाका एक ही साधन, खेती, बचा है। वे इस एकमात्र साधनसे नहींके बराबर लाभ उठाते हैं। नौकरियों और व्यापारमें लोगोंको जितना पचास साल पहले लाभ और मुनाफा होता था आज उसका सौवाँ हिस्सा भी नहीं मिलता। फिर यह किस प्रकार संभव है कि देश सुखी हो?"

जी. मुन्नमथ ऐयरने जो अर्थशास्त्रके विद्वान थे, आँकड़ों और तथ्योंसे कांग्रेस अधिवेशनोंमें अंग्रेजों द्वारा भारतकी लूटखसोटका पर्दाफास किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कोलारकी सोनेकी खानोंमें हर साल बीस करोड़ रुपयेका सोना इंग्लैण्ड भेजा जाता है और एक समय आयेगा जब मैसूरमें सिवाय कक्कड पत्थरोंके और कुछ भी बाकी

न बचेगा। अपने लेखोंके कारण उनको जेलमें बन्द कर दिया गया जहाँसे वे रोगसे जीर्ण-शीर्ण होकर लौटे।

लाहौर अधिवेशनके अपने एक भाषणके कारण श्री जी० के० गोखले सरकारके कोप-भाजन बन गये। भारत और इंग्लैण्डमें सिविल सर्विसकी एक साथ परीक्षाएँ होनेके प्रदनके ऊपर, और भारतीयोंके लिए जो कुछ भी नौकरियोंके द्वार खुले हैं उनको बन्द करनेकी सरकारकी नयी नीतिकी निन्दा करते हुए उन्होंने कहा “अगर हर चीजको अविश्वासकी निगाहने देखनेवाली हकूमत जल्द ही नहीं बदलती तो इस दरिद्र देशका भविष्य अंधकार-मय है।” इस नेतावनीके उल्टे अर्थ लगाये गये और गोखलेको “शत्रु समझा जाने लगा तथा उनके पीछे खुफिया पुलिस लगा दी गयी।”<sup>१</sup>

हर ऐसी बुराई, जिससे सरकार व दूर अंगरेजोंकी जेबमें धन जाता था और जिससे अंगरेजी सत्ताका कायम रखनेमें सहायता मिलती थी, सरकार द्वारा प्रश्रय पाती थी। कांग्रेसका विरोध भी इस नीतिमें बाधक नहीं बन पाया। बार-बार कांग्रेसने सरकारका ध्यान दिलानेकी कोशिश की कि पुलिस लूटती और जुल्म करती है। जमीनोंकी लगान वसूलीका अस्थायी दंग किसानोंको तबाह किये दे रहा है, न्याय और प्रशासनके संयुक्त होनेका बेजा फायदा उठाकर मैजिस्ट्रेट जिनको भी पाते हैं उन्हें डराते धमकाते हैं, और उनपर जुल्म करते हैं, राजद्रोहके नामपर लोगोंको जेलोंमें भर दिया जाता है। पर इस सब विरोधका कोई फल नहीं निकला।

लगभग हर अधिवेशनमें कांग्रेसने इंग्लैण्ड और भारतमें एक साथ सिविल सर्विसकी परीक्षा लेनेकी माँग उठायी और जब १८९३ में लोकसभाने एक प्रस्ताव द्वारा इसको स्वीकार भी कर लिया तो भारत सचिवने अड़ंगा लगा दिया। उनका कहना था कि प्रस्तावके ऊपर वोट जल्दीमें ले लिये गये थे। इस सिलसिलेमें उन्होंने भारत और प्रान्तीय सरकारोंकी सम्मति चाही। सिवाय मद्रासके हर प्रान्तने इसका विरोध किया। भारत सचिवने परीक्षा विषयक प्रस्तावको फाइलोंमें बन्द करके रख दिया। इसके विपरीत, सिविल-सर्विसमें जो कुछ थोड़ी-सी नियुक्तियाँ भारतीयोंकी हुई थीं, सरकारने भारतीयोंको उनमें भी वंचित करनेकी ठानी। १८९३ में सिविल-सर्विसमें एक हजार यूरोपियनोंके सुकावलेमें सिर्फ बीस भारतीय थे। कर्जन द्वारा नियुक्त पुलिस-समितिनने भारतीयोंको विशेष पुलिससे भी वंचित कर दिया। यूरोपियनोंके लिए भारत शिकारगाह बन गया। विसमार्क जैसे आदमियोंको भी भारतमें नौकरी करनेका लालच होने लगा। “मैं अंगरेजी अंटेके नीचे भारतमें नौकरी करना चाहता था” विस्मार्कने अपनी जवानीमें कहा था “मगर फिर मैंने सोचा कि आखिर भारतीयोंने मेरा क्या विगाड़ा है ?”<sup>२</sup>

१८९४ में मद्रास कांग्रेसमें आयरलैण्ड निवासी श्री अल्फ्रेड धेव (पार्लमेंटके सदस्य) अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने करुण शब्दोंमें भारतकी दरिद्रता और इंग्लैण्डकी प्रतिदिन बढ़ती हुई अमीरीका वर्णन किया। जब कि इंग्लैण्डकी जनताको सालाना आमदनी प्रति पनुष्य ३३ पौण्ड १४ शि० थी, भारतीयोंकी केवल २ पौ० या उसमें कुछ अधिक थी। १८४० और १८८८के बीच इंग्लैण्डकी सालाना वचत ११०,०००,००० पौण्ड या ३००,००० पौण्डसे

१. वेसेण्ट, वही पुस्तक पृ० १४७

२. वॉररेण्ड रसेलकी पुस्तक फ्रीडम एण्ड ऑर्गनाइजेशनसे उद्धृत पृ० ४१६

ऊपर प्रति दिनकी औंठी मयी । यह सब धन और दौलत वहाँमे आयी ! वेवने रम्य इसका उत्तर देते हुए कहा "१८८२ और १८८३में भारतमे फौजोके ऊपर खर्चा १,८३,१९,००० रु० हुआ (इसमें अफगानिस्तानके ऊपर होनेवाला १७००० रु० और मिस्रके ऊपर होने वाला १३,०८,००० रु० भी शामिल है) । १८९३में यह खर्च २७% बढ़कर २३,८७७,००० रु० हो गया परन्तु इस बढ़े हुए खर्चका लाभ अँगरेजी और देशी फौजोको बराबर बराबर नहीं हुआ । यूरोपीयन अफमरोंकी पेशने ३७ फी सदी बढ़ा दी गयी और देशी अफमरोंकी केवल ११ फी मदी । अँगरेजी आम फौजी सिपाहियोंपर १३ फी मदी ज्यादा खर्च किया जाने लगा जब कि देशी आम फौजियोंपर पहलेमे भी ४ फी सदी कम ।

"तुमसे कर द्वारा वसूल किये हुए रुपयेसे बाहर किये जानेवाले खर्चकी रकम १८८२ में १,७३,६९००० रु० से बढ़कर १८९२में २,२९,११,००० रु० हो गयी । पिछले सालोंमें यह धन तुम्हारे कुल खर्चका २३ फीसदी होता था, बादमें यह २५ फीसदी हो गया । कोई भी देश हमेशा इतना बड़ा बोझा नहीं उठा सकता । यह बढोतरी मुद्रा विनिमयकी दर बदलनेके कारण नहीं हुई ।"

अधिवेशनमें दो नये लगनेवाले करोंपर काफी उत्तेजना रही । करोंमेमे एक भारतमे बननेवाले रुईके मालपर विदेशी मालके बराबर कर लगाना था—यह बात साफ थी कि करोंमे बराबरी लंकाशायरके कपडोंके मिला मालिकोंके इशारोंपर की गयी थी—और दूसरा १८६१के भारतीय पुलिस ऐक्टमे सशोधनके कारण, जिसमे गडबडीके क्षेत्रोंमे रखी जानेवाली दण्ड-पुलिसका खर्चा करके रूपमे वसूल किया जाता । अंग्रेजों द्वारा गणित देशी रियासतोंमें अखबारों पर लगाये गये प्रतिबन्धों और इन नये करोंका कांग्रेसने काफी विरोध और निन्दा की । १८९१में विना राज प्रतिनिधि पोलिटिकल एजेंट की आज्ञाके किसी भी अखबारके छपाने, सम्पादन व प्रकाशनपर सरकारने एक विधिपर द्वारा रोक लगा दी । इस कानूनकी अवज्ञा करनेवालेको रियासतसे निन्दाके सजा मिल सकती थी ।

१८९५में पूनामें होनेवाले अधिवेशनमे सुभेन्द्रनाथ बनर्जन ने अध्यक्षपदमे भाषण करते हुए तथ्यों और औंठोंमे यह सिद्ध कर दिया कि १८९२के सुभार सिकं टाग हैं और वास्तव मे इ ग्लैण्ड भारतको आर्थिक दृष्टिसे बर्बाद कर रहा है ।

पूना कॉंग्रेसमें (१) सर्वोच्च विधान परिषदमें पेश किये गये वकालती विधेयक, (legal practitioners bill) पर जिसके द्वारा प्रान्तोंमे वकीलोंको जिला जजो और मालगुजारीके कमिश्नरोंके अधीन कर दिया गया था, विरोध प्रकाश किया । (२) सरकारसे प्रार्थना की गयी कि वह तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी गिनायतें दूर करे । (३) सर्वोच्च परिषदमे मध्य प्रदेशका एक प्रतिनिधि स्थानीय सभ्याओंसे सलाह किये विना नामजद करनेको निन्दा की गयी और इसको अपनानेकी तरफ जाना बतलाया । (४) सरकारसे माग की गयी कि दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी कठिनाइयों दूर की जायें । (५) माँगकी गयी कि भारतके बाहर हुए युद्धोंके खर्चका सारा भार भारतपर न डाला जाय ।

१८९६ का अधिवेशन कलकत्तेमें हुआ, जिसकी अध्यक्षता, बम्बईके वकील और उसी साल केन्द्रीय विधान परिषदके निर्वाचित सदस्य श्री रहीमतुल्ला एन. सायनीने की । उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालयके फेलोकी हैसियतसे, बम्बई कारपोरेशनके अध्यक्षके पदमे और बम्बई विधान परिषदके सदस्यकी हैसियतसे, तीस वर्षोंसे सार्वजनिक कामोंमे

हिस्सा लिया था। इसी अधिवेशनमें श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'वन्दे मातरम्' गाया था जो बादमें राष्ट्रीय गीत बन गया। "जिस समय कविने अपनी कोयल सी सुरीली आवाजमें यह गाना गाया जिसके साथ बाजा उनके भाई ज्योतीन्द्रनाथ बजा रहे थे, उस समय अधिवेशन मन्त्रमुग्ध सा हो उठा। उपस्थित श्रोताओंकी रगोंमें विद्युत् लहरी-सी दौड़ गयी।"

इसी साल देशके बड़े भागमें फिर एक भयंकर अकाल पड़ा। विहार, उत्तर-पश्चिमी सूबा, पंजाब, मध्यप्रदेशके कुछ भागों, बम्बईके कुछ जिलों, मद्रास और मंसूरमें पानी न बरसा और सूखा पड़ गया। एकदमसे गल्लेकी कीमत पचाससे सौ फी सदी बढ़ गयी। वें लोग जो रोज कुआँ खोदते और पानी पीते हैं, बुरी दशामें थे। कई जगहोंसे गल्लेके लट्टने और दंगा-फसाद होनेकी खबरें आयीं। जैसा कि श्रीसायनीने अपने भाषणमें बतलाया, सरकारी आँकड़ोंके अनुसार भारतमें हर साल ५,०७\*६ लाख टन गल्ला पैदा होता है और हर आदमी पीछे तीन पाव प्रतिदिनके हिसाबसे भारतकी आवश्यकता ५,०८ लाख टन गल्ला सालानाकी थी जिसका मतलब यह हुआ कि भारत अपनी जरूरत भर्के लिए गल्ला पैदा कर लेता था, मगर चूँकि भारतको हर साल २९ लाख टन अनाज विदेशोंको लाचारिने निर्यात करना पड़ता था, एक करोड़ जनताके खानेके लिये अनाज नहीं बचता था। कमीवाले सालमें इस एक करोड़ जनताकी भुखमरीका असर दूसरे कई लाख आदमियोंपर पड़ता था, और वे सबलोग अधभूखे और दुर्दशाग्रस्त रहते थे। निर्यात पैदावारपर एक जबरदस्त वीशा था जिसके कारण अकालके लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया जा सकता था।

१८९६ की कांग्रेसके मुख्य प्रस्तावमें देशकी दुर्दशा दिखलाई गयी थी। प्रस्तावमें कहा गया था "कांग्रेसका यह अधिवेशन लगभग पूरे देशमें अकाल पड़नेपर घोर चिन्ता प्रकट करता है और इस अकाल-स्थिति व पिछले सालोंके अकालोंका मूल कारण जनताकी भयंकर दरिद्रताको मानता है। अत्यधिक कर, लोगोंकी आमदनीको ज्यादा आँककर ज्यादा कर लगाने और इस प्रकारसे भारतकी दौलत लट्टकर फौजी व अन्य सरकारी विभागों द्वारा फजूल खर्चोंसे उसका दुरुपयोग करनेकी नीति भारतीय जनताकी भयंकर गरीबीका अगली कारण है। लोग हतने गरीब हो गये हैं कि अनाजकी जरा-सी कमी हो जानेसे वें एकदमसे असहाय हो जाते हैं। उनको सरकारी मदद या निजी दानकी सहायताके बलपर ही भुखमरीसे बचाया जा सकता है। कांग्रेसकी रायमें, कृपायत और कम खर्चकी नीति अपनाकर, देशके साधनोंका सदुपयोग कर, विभिन्न देशी उद्योग धन्धों और कलाओंको प्रोत्साहन देकर, जो आज लगभग खत्म हो गयी हैं, नये उद्योगधन्धे व कलाओंको खोलकर अकालकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है।" भारतको अनाजका निर्यात कर बाहरसे कारखानोंका माल मँगाना पड़ता था।

कांग्रेसने यह भी माँग की कि (१) जयतक जाँच समिति द्वारा किसी राजा या सरकारका कुशासन या बुरा व्यवहार सिद्ध न हो जाय, उसको गद्दीसे न उतारा जाय। (२) बम्बई और मद्रासकी प्रशासन कार्यकारिणीमें भारतीय सदस्योंको लिया जाना चाहिये।

## अध्याय ७

### आतंकवादका आरम्भ

१८९७ में भारतीय आकाशपर प्राकृतिक संकटोंके—भूकम्प व प्लेगकी महामारीके—काले बादल छाये हुए थे। राजनीतिक वातावरणमें भी राजनीतिक हत्याओं, बालगंगाधर तिलककी नैद, कुछ राजनीतिक नार्यकर्ताओंके निष्काशन, तथा स्वशासन सस्थाओंके अधिकार क्षेत्रमें सफ़ोर्णताकी नीतिसे उथल पुथल मन्त्री हुई थी। जैसा कि स्वामाविक था, इस दौरके समय राजनीतिक सक्रियतामें भी काफी वृद्धि हुई। यद्यपि तिलक अपने कांग्रेस अधिवेगानोंके मापणों और अपनी दो पत्रिकाओं—मराठीमें कैसरी और अंग्रेजीमें मराठा—द्वारा प्रतिद्धि पा चुके थे, वे भारतीय राजनीतिमें १९९७में एक नये नक्षत्रकी भौति चमके। अकाल पहिले ही बरसादी ला चुका था और उसके बाद कोढ़में खाजकी तरह प्लेगने भी एक बड़े क्षेत्रको आक्रान्त कर दिया। बम्बई और पूनामें प्लेगके कारण नाहि नाहि मच गयो। सरकारने प्लेगकी रोकथामके लिए कुछ उपाय किये और श्री टन्डू सी. रेंडकी प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया। प्लेगमालोंके लिए अलग जगह नियत कर दी गयीं जहाँ इस रोगसे पीडित रोगी ले जाये जाते थे। तिलकने इस कार्यमें सरकारको सहयोग दिया और स्वयं भी एक प्लेग अस्पताल खोल दिया। परन्तु जब बीमारोंके सहायनार्थ नियुक्त फौजियोंने औरतोंका बेइज्जती करने और पूजाके स्थानोंको गन्दा करनेके अलावा आदिमियोंको तरह-तरहसे परेशान करना शुरू कर दिया तो तिलकने अपना सहयोग वापस ले लिया और इस मामलेकी चर्चा अपने पत्रोंमें की। दक्षिण भारतके दो सरदारों बलचन्त राव नातू और हरिपत रामचन्द्र नातूने प्लेग द्वारा लायी हुई बर्बादी और फौजियोंकी ज्यादतीका एक विस्तृत विवरण, हंगलैण्डमें कांग्रेस नेता श्री गोपालकृष्ण गोखलेको लिखकर भेज दिया। गोखलेने इसका निम्नलिखित सक्षिप्त विवरण अंग्रेजी अखबारोंमें प्रकाशित करवाया—

“प्रतीत होता है कि दूसरे तरीकोंके होते हुए भी फौजी सिपाहियोंने मरानोंका निरीक्षण, बिना जरूरत, जबरदस्ती घुसकर किया था। दुकानदारों व मरानमालिकोंकी अनुपस्थितिमें दुकानों व मरानोंके ताले तोड़ डाले और मरान व सामानकी रक्षापर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फौजियोंके खिलाफ शिकायतोंपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक फौजी ने एक हिन्दू महिलापर आक्रमण किया और जब श्री नातूने इसकी शिकायत सबूत सहित अधिनियमोंके तहत भी इसको दवा दिया गया। फौजियोंके ऊपर बरा न चलनेके कारण उनके विरुद्ध शिकायतोंकी अग्रहेलना की जाती है। एक आदमीके बीमार पडनेपर इसके पास पड़ोसके लोगोंको सक्कामक कैम्पोंमें जबरदस्ती ले जाकर बिना सामानके छोड़ दिया गया। उनके पास तन ढंरनेको कपडा भी न था और घरोंपर उनकी गाय, भैंस और घोड़े बिना देन रेष करनेमालोंके थो ही छोड़ दिये गये थे। बिना आवश्यकता एक आदमीको अस्पताल भेज दिया गया। जॉन्चमें मालूम हुआ कि उसको प्लेग नहीं हुआ है, मगर घर वापस आने पर उसे मालूम हुआ कि उसका सारा सामान तहस नहस कर दिया गया है।



उसकी बीबी व उसके रिश्तेदारोंको जबरदस्ती संक्रामक कैम्पोंमें भेजकर वहाँ रोक लिया गया है। फौजियोंने मन्दिरोंको भ्रष्ट किया और श्री नातूका विश्वास है कि उनके निजी मन्दिरको केवल इस कारण अपवित्र किया गया कि उन्होंने फौजियोंकी शिकायत करनेका साहस किया था। एक गुट्टे आदमीके जाँच करनेवालोंको यह विश्वास दिलानेपर भी कि वह प्लेगसे पीड़ित नहीं है उसे जाँचमें बाधा पहुँचानेके नागपर कई घण्टे जेलमें बन्द रखा गया। बाधासे मतलब यह था कि उसने विश्वास दिलानेमें देर की। स्वयंसेवकोंको सेवाका पुरस्कार क्या मिला? अपमान। उनके मुझावोंको उनकी धृष्टता समझा जाता था। यह बात आप सब लोगोंको मालूम है कि आपकी मुसलमान प्रजा अपनी औरतोंके परदेके मामलेमें किस कदर ज्यादा भावुक है, और जब श्री नातूने यह मुझाव पेश किया कि मुसलमान घरोंकी जाँचके लिए मुसलमान स्वयंसेवकोंकी सेवाएँ इस्तेमाल की जायँ तो उन्हें जवाब मिला कि उनका यह व्यवहार अनधिकार चेष्टा है और उनकी भी सेवाएँ समाप्त कर दी गयीं। श्री नातूने इस मामलेकी शिकायत हाकिमोंमें की और कहा कि जाँच-पड़तालके तरीके सरकारी नियमोंकी भावनाके विरुद्ध हैं, जिनके कारण बड़ा असंतोष पैलता जा रहा है।”

अपने इस ‘अपराध’के कारण नातू भाइयोंको १८२७ के पुराने और लुप्तप्राय बम्बई-कानूनकी पचीसवीं धारा, जिसकी तुलना १८१८ के बंगाल-कानूनसे की जा सकता है, के अन्तर्गत, दो वर्षोंके लिए देश-निकालेकी सजा मिली। भारत वापस आने पर गोखले भी, अंग्रेजी अखबारोंमें प्रकाशित अपने वक्तव्योंके कारण, मुसीबतमें पड़े और उनको क्षमायाचना करनी पड़ी। सवाल यह उठा कि क्या गोखले अपने वक्तव्योंको प्रमाणित कर सकते हैं? अवश्य! परन्तु फिर भी उन्होंने क्षमा माँग ली, क्योंकि उनके वक्तव्य, नातू भाइयोंके अलावा, कतिपय गण्यगान्य व्यक्तियोंकी दी हुई खबरोंके आधारपर थे, और साबित करनेके लिए उन्हें इन सब व्यक्तियोंके नाम बताने पड़ते। इसीलिए गोखलेने क्षमा माँगना श्रेयस्कर समझा। गोखलेके जीवनी-लेखकके अनुसार “यह चर्चा आम तौरपर पैली हुई थी कि टाइम्सके सम्पादकने गोखलेका माफीनामा लिखा था और श्री रानाडेकी सम्मतिसे गोखलेने उसपर विना हिचक दस्तखत कर दिया।” आगे वे लिखते हैं “इस माफीनामेके कारण जनमत गोखलेके इतना खिलाफ हो गया कि अमरावती कांग्रेसमें उनका साहस भाषण करने तकका नहीं हुआ और अगर वे बोलनेका साहस करते भी तो जनता उनके ‘कायरपन’ पर उन्हें विना लाँछित किये न सुनती।”

२२ जून १८९७ को सम्राज्ञीकी रजत जयंती मनायी गयी। उसी दिन जब रातके अंधेरमें प्लेग कमिश्नर श्री रेंड, उनके सहकारी लेविस, लेपिटनेण्ट आइस्ट और उनकी पत्नी राज-भवनसे लौट रहे थे, किसीने अंधेरसे निकलकर रेंडको गोली मार दी और वे तत्काल वहीं ढेर हो गये। दूसरी गोलियोंके लक्ष्य आइस्ट और लेविस थे। लेविस तो बच गये परन्तु आइस्टका प्राणान्त अस्पतालमें थोड़ी देर बाद हो गया। यह घटना घृणाकी है। “आंग्ल-भारतीय अखबारोंके गुटने इन हत्याओंके पीछे दुरभिसन्धि ढूँढ़ निकाली। संसारव्यापी इस

१. १८९७ की कांग्रेसमें राष्ट्रपति श्री सी० शंकरन नायरका भाषण

२. एन० सी० केलकर—लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ लोकमान्य तिलक, पृष्ठ-४१७

३. वही पुस्तक-पृष्ठ ४१८

उत्सवके दिन हुई इन राजनीतिक हत्याओंके, अखबारोंके गुटके अनुसार, यह सिद्ध कर दिया कि इनके पीछे ऐसा गहरा षडयंत्र था जिसकी तैयारी केवल पत्रलिखे चालाक व्यक्ति कर सकते थे। पूनामें घटित हर घटनाको इस षडयंत्रका अंग मान लिया गया। देशी अखबारों और शिक्षित भारतीयोंपर आक्षेप किये जाने लगे जिनमें ऐसी कटुता थी जैसी गदरके बाद पहले नहीं देखा पड़ी थी। प्रतिबन्धक कार्रगोंकी जोरोंसे माँग की जाने लगी। भारतीयोंको शिक्षा देनेकी नीतिका विरोध किया जाने लगा। इंग्लैण्डके अखबारोंको भडकाया गया। यहाँतक कि यूरोपियनोंमें त्रास फैल गया। शिक्षित भारतीयों तथा देशी अखबारोंपर किया गया हमला कायरतापूर्ण और अत्यन्त कटु था। इस बातपर खेद प्रकट किया गया कि देशी लोग गदरका मक्का भूल गये हैं और यह सुझाव दिया गया कि ऐसा ही सबक पाने पर ये लोग सीधे हो जायेंगे। यह दुराग्रह किया गया कि देशी अखबार राजद्रोही हैं और वे ही हत्याओंके लिए जिम्मेदार हैं। आगल भारतीय अखबारोंने प्लेग सम्बन्धी सरकारी नियमोंकी कड़ी आलोचना करनेवाले तिलकको सजा देनेकी माँग की। अंगरेजों अखबारोंके अनुसार, इस द्वेषपूर्ण हमलेसे आगल भारतीय समाजमें फैले हुए घ्रासने, व अंगरेजी जनताको गुस्सा दिलानेमें मिली हुई दुर्भाग्यपूर्ण सफलताने भारत सचिव लार्ड सेण्टहर्स्टको सख्त कदम उठानेके लिए अन्याय कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि यदि उनपर यह दबाव न पड़ता तो वे इतनी कठोरता न बरतते।”

अब तिलक और कुछ भारतीय पत्रिकाओंके सम्पादकोंकी वारी आयी। उनको कैद करके भिन्न भिन्न सजाएँ दी गयीं। एक देशी अखबारने प्रकाशन बन्द करते समय इन शब्दोंमें विदार्थ ली—“आजकी परिस्थितिमें अखबार चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए, हम लोग जो अपना पेट दूसरे उपायोंसे भर सकते हैं, आपसे विदार्थ लेते हैं। अब हमको प्रकाशित खबरो और लेखोंकी जमावदेहीके लिए डिप्टी कमिश्नरके बैंगलेपर रोज हाजिरी देनेकी कोई जरूरत नहीं है।”

१८९६-९७ के अफाल और महामारीसे उपर राजनीतिको बहुत बढ़ावा मिला। अशांतिकी एक नई लहरके लक्षण प्रकट होने लगे थे, जिनको समझनेके लिए हमें तिलक और उनके कार्योंसे अवगत होना पड़ेगा। १९१० में प्रकाशित अपनी किताब ‘इण्डियन-अनरेस्ट’के लिए जब विल्सोन्स शिरोल सामग्री इकट्ठी कर रहे थे तो उन्हें सलाह दी गयी थी कि यदि वे भारतीय-अशांतिके मनोविज्ञानका अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें तिलकके जीवन चरित्रसे शुरू करना चाहिये। शिरोलके कथनानुसार, “यह सलाह अमूल्य थी क्योंकि यदि कोई भी आदमी ‘भारतीय चेतना’का जनक होनेका दावा कर सकता है तो वह बालगगाधर तिलक है।”

तिलक चितपावन ब्राह्मण थे, और उस समयके चितपावन ब्राह्मणोंके बारेमें शिरोलने कहा है कि “उनकी महान शासनात्मक योग्यताओंका लोहा मानना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियोंमें आज भी उनकी संख्या उसी प्रकार अधिक है जिस प्रकार कि नाना पंडनवीस ( जो स्वयं चितपावन ब्राह्मण थे ) के जमानेमें थी। हमारे समयके सबसे अधिक विद्वान और प्रगतिशील भारतीय चितपावन ब्राह्मणोंमेंसे हैं और उनमेंमें अनेकने अंग्रेजी सरकारकी सेवा राज-भक्ति और ईमानदारीसे की है। शायद यह सही है कि उनमेंसे अधिकारके दिलोंमें

पिछले सौ सालोंसे, पेशवाके पतनके बादसे, अंग्रेजी शासनके विरुद्ध घृणाकी परम्परा चली आ रही है—एक अमर-आज्ञा कि शायद किसी दिन यह हुकूमत खत्म हो और उनकी सत्ता का सितारा चमके। यदि गदर-कालीन नाना साहब (चितपावन ब्राह्मण) और उनके साथियोंके शूरताके कारनामों या १८९७ के पूनाके रामोशी विद्रोहको छोड़ भी दिया जाय तो भी ये पूनाके ही अखवार थे जो ज्यादातर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गये थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन और शासकोंके खिलाफ लड़ाईकी अगुआई की, जिसके परिणामस्वरूप १८९७ का 'प्रेस-एक्ट' बना।<sup>१</sup> पेशवाओंके शासनकालमें राज्यके मुख्य पदोंपर चितपावनोंका ऐश अधिकार हो गया था कि मरहटा साम्राज्य वास्तवमें चितपावन साम्राज्य बन गया था। शिरोलके अनुसार रेंड और आइस्टकी हत्याएँ करनेवाला कोई चितपावन ब्राह्मण ही था।

जब तिलकने १८८०-९० के पूर्वार्द्धमें सार्वजनिक कामोंमें हिस्सा लेना शुरू किया उस समय रानाडे बम्बईके एक प्रसिद्ध नेता थे। रानाडे नरमदलीय राजनीतिज्ञ थे, परन्तु तिलक सत्र रखनेमें असमर्थ थे। रानाडेके विरोधमें वे उग्रदलीय हो गये। उन्होंने अपने आपको, अंग्रेजी शासनके विरुद्ध लोगोंके दिलोंमें नफरत पैलाकर उन्हें लड़नेके लिए तैयार करनेके काममें सम्पूर्ण शक्तिसे लगा दिया। "वे 'सीधी-लड़ाई'के महत्वके प्रशंसक थे और उस समयकी कांग्रेसमें प्रचलित वैधानिक लड़ाईके ढंगको हेय समझते थे। आशय यह कि भारतमें वामपक्षी दलके वास्तविक जनक तिलक ही थे।"<sup>२</sup> गौजवानोंके संघटन बनाये गये जहाँ उनको लकड़ी चलाने व कुदनी लड़नेकी शिक्षा दी जाती थी। १९१८ में सरकार द्वारा नियुक्त राजद्रोह जाँच समितिकी रिपोर्टके अनुसार उत्सवोंपर पच्चे बाँटे जाते थे जिनमें "मरहटोंको शिवाजीकी भाँति विद्रोह करनेको उकसाया गया। पच्चोंमें ऐलान किया गया था कि विदेशी सत्ताकी गुलामी हर दिलको चोट पहुँचाती है और उनको उकसाया गया कि विदेशी सत्ताको उखाड़ फेंकनेके लिए पहला कदम धार्मिक विद्रोह है।" तिलकके गतमें अँग्रेजोंको हटानेके लिए कोई भी दृष्टियार अच्छा है, और इसके लिए उन्होंने अँगरेजोंके खिलाफ व देशभक्तिकी भावना भरनेके लिए नाटकों, त्योहारों व धार्मिक उत्सवोंका माध्यम चुना। इसी प्रकारका एक माध्यम गणपति-उत्सव था।<sup>३</sup> दक्षिणके प्रत्येक प्रमुख केन्द्रमें गणपति समाज स्थापित किये गये। प्रत्येक गणपति समाजकी अपनी नाटक व भजन-गण्डली हुआ करती थी। उत्सवोंपर गाने गाये जाते थे व नाटक खेले जाते थे, जिनमें पौराणिक कथाओंकी आड़में विदेशी हुकूमतके खिलाफ घृणाका प्रचार किया जाता था। इनमेंसे एकमें जान-वृद्धकर लार्ड कर्जनपर व्यंग किया गया था। नाटकमें यद्यपि चरित्र सब पौराणिक थे मगर अपार दर्शकोंकी भीड़में सब समझते थे कि नाटकका असल इशारा किसकी तरफ है। सब इस रूपकका असली उद्देश्य समझ रहे थे—इंग्लैण्डकी एक कमजोर सरकारने वाइसरायके हाथ सब सत्ता सौंप दी है और वे उसका इस्तेमाल भारतका अपमान करनेमें कर रहे हैं। नरमदलवादी वैधानिक उपायोंके पक्षमें थे। उग्र दलवादी उस समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे जब इन नरम उपायोंकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी, तब तीव्र आवातोंका अवसर आयेगा। अत्याचारी शासकको विना कठिनाई टिकाने लगा, उसके साथियोंको

१. इण्डियन धनरेंड, पृ० ४०

२. जॉन कर्मिंग द्वारा सम्पादित 'पोलिटिकल इण्डिया' का पृ० १५० रशयुक विलियम्स द्वारा लिखित 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' अध्याय

तत्कारके घाट उतार दिया जायगा। स्वदेशको स्वतन्त्र कर उग्रदलवादी आक्रमणकारियोंसे देशकी रक्षा करनेमें समर्थ होंगे। रूपरुका अमली आदय यह था जो सब दर्शक समझ रहे थे। दर्शक अत्याचारी शासनके ऊपर धू धू करते, नरम दलवालोंकी कायरतापर रोप प्रगट करते, उग्रदलवालोंकी धोरताकी प्रशंसा करते और अन्तमें अत्याचारियोंके मर्दनपर उनमें सन्तोषकी लहर दौड़ जाती। तिलकने हम शक्तिशाली नाटकका उपयोग अपने पक्षका औचित्य दिखानेके लिए किया।<sup>१</sup>

इन नाटकोंमें विदेशियोंको भ्येच्छ और उनसे सहयोग करनेवालोंको शत्रुके रूपमें दिखलाया जाता। उत्तेजनापूर्ण जुद्ध निर्याते जाते और युष्मिके गिराफ गाने लगानेके लिए इन अवसरोंका उपयोग किया जाता। इन नारोंसे पुलिगवालोंकी क्रोध आता, कमी कभी मुकुदमें भी चलाये जाते थे। इग सम्बन्धमें अधिनारियों द्वारा की गयी काररवाईका इस्तेमाल जनताको ओर जागरूक करने तथा प्रदर्शन करनेके लिए किया गया।

लोगोंके दिलोंमें शिवाजीकी याद ताजा करके तिलकने शिवाजीकी एक बार फिर जीवित शक्ति बना दिया। इसका आरम्भ उन्होंने नष्टप्राय पडी हुई शिवाजीकी समाधिकी टीक करनेके मुशावसे किया। आत्मसम्मान जमानेके लिए उन्होंने लोगोकी भर्त्सना की कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेताके अन्तिम विश्राम स्थलको नष्ट हो जाने दिया है। शिवाजीको अप्रिम पत्तिमें लाकर तिलकने राष्ट्रध्यायी प्रचार शुरू किया जिनके परिणामस्वरूप १८९५ में दक्षिणमें राजनीतिक और सामाजिक कार्योंके कई केंद्रोंमें उत्पन्न मनाये गये।

क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, दोनोंमें ही तिलक दिन प्रति दिन अधिक प्रसिद्ध होते जा रहे थे। १८९५ में स्थानीय मस्याओंकी ओरसे बम्बई विधान परिषदमें भी वे अपना सरकार विरोधी आन्दोलन चलाते रहे। भारतमें वे अंगरेजोंसे सदस्य थे जिनके भाषण निर्भय और ओजस्वी होते थे। १८९६ में जब देशके कई भागोंको एक जबरदस्त अकालने ग्रस लिया तो तिलकने दक्षिणमें 'कर न दो' आन्दोलन चलाया—उनके सन्देशवाहकोंने जगह-जगह जाकर प्रचार किया कि सरकारने एक सीमा नियत कर दी है जिनमें ज्यादा पमल खराब होनेपर लगान विलकुल माफ कर दिया जायगा। रैयतोंने उनका यकीन किया और जब मरनारी कारिन्दे वहाँ लगान बगुलीके लिए गये तो उन्होंने पैसा देनेसे इन्कार कर दिया। बात बढ़ी "यहाँतक कि बम्बईमें सम्राज्ञीकी मूर्ति नष्ट कर डाली गयी, चर्च मिशन हालको आग लगानेकी कोशिश की गयी और नरम दलवाले हिन्दुओंपर जिन्होंने इस कार्य-क्रममें साथ देना अस्वीकार किया, बहुधा हमले किये गये।"<sup>२</sup>

अंग्रेज विरोधी आन्दोलनको चलानेके लिए तिलकको रुढ़िवादियोंसे भी हाथ मिलानेमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। १८९० में भारत सचिवने सरकारसे केन्द्रीय परिषदमें समाति विधेयक (कसेन्ट बिल) पेश करनेको कहा जिनके द्वारा हिन्दू कन्याओंकी विवाह योग्य उम्र दससे बढ़ाकर बारह की जानेवाली थी। इस विधेयकको अपने घर्मपर किया गया आक्रमण घोषित कर बंगालके अल्पवारोंने विरोधका त्पान तपडा कर दिया। ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशनने भी इसमें साथ दिया। अल्पवारोंमें हमनी अगुआई, अंग्रेजी सासाहित अमृत बाजार पत्रिकाने की। कुछ समय बाद हम आन्दोलनमें सर रमेशचन्द्र

१. सर फ्रांसिस यंग हम्ब्रेण्ट, डान इन इण्डिया (१९३०) पृष्ठ ३६-३७

२. गिरील 'इंडियन अनरेस्ट', पृ० ४७ ४८

मिस्टर ( हाईकोर्टके न्यायाधीश और वादमें विधान-परिषदके सदस्य ) और महाराजा जतीन्द्र मोहन ठाकुर-जैसे लोग भी सम्मिलित हो गये । इस विधेयकके विरोध-प्रदर्शनमें कलकत्तेमें एक सभा की गयी जिसमें एक लाखसे अधिक व्यक्तियोंने भाग लिया । सम्प्रति-विधेयकका विरोध भविष्यके राजनीतिक आन्दोलनकी तैयारी था । महाराष्ट्रमें इस आन्दोलनका नेतृत्व तिलकने किया । विधेयकके पक्षमें डा० भंडारकर, न्यायाधीश तेलंग, एन० जी० चन्द्रावरकर जैसे हिन्दू सुधारकोंके होते हुए भी, तिलक संघटन और प्रचार-कार्यमें आगे बढ़ते गये । केसरीमें विधेयकके पक्षमें खड़े होनेवाले हर हिन्दूको हिन्दुत्वके प्रति विश्वासघाती और स्वधर्म त्यागी कहा गया । इसका सामाजिक पहलू जो कुछ भी रहा हो, तिलकने विधेयकको अपने अंग्रेज-विरोधी प्रचारका एक और हथियार बना लिया । यूरोपियन लेखक तिलकको 'भारतीय-चेतनाका अग्रणी' मानते थे ।”

अब हम तिलकके ऊपर चलाये गये मुकदमे और सजापर ध्यान दें । जैसा कि कहा जा चुका है तिलकने शिवाजीको अपने आंदोलनकी धुरी बनाया था और लोगोंकी भावुकताको उभाड़नेके लिए, तिलकके अनुयायी शिवाजीकी स्तुतिमें ऐसे गीत गाते थे :—  
“भाटकी तरह गुणगान करनेसे स्वतंत्रता नहीं मिल जायगी । आजादीके लिए शिवाजी व वाजीकी भाँति साहसी कार्य करने पड़ेंगे । यह बात समझते हुए तुम लोगोंको कभर कसकर ढाल-तलवार उठानी पड़ेगी । और राष्ट्रीय-युद्धके अवसरपर हम जीवनकी बाजी लगा देंगे । अपने धर्मको नष्ट करनेवालेके रक्तसे हम धरती सींच देंगे । जब तुम स्त्रियोंकी भाँति घरोंमें बैठकर कहानियाँ सुनोगे, हम वीर गतिको प्राप्त होंगे ।”

जिन दो लेखोंपर आपत्ति की गयी थी वे सम्पादकीय नहीं थे, बल्कि उनमें एक 'शिवाजीके उद्गार' शीर्षक कविता थी और दूसरा दो प्रोफेसरोंके शिवाजीके ऊपर दिये गये भाषणोंकी रिपोर्ट थी । लवेटके अनुसार कवितामें शिवाजीको नींदसे जागकर एक समयमें अपने साम्राज्यकी वर्तमान दुर्दशापर शोक प्रकाशित करते दिखाया गया था । अत्याचारीका नाश करके उन्होंने संसारका भार हलका किया था और देशको स्वराज्य दिलाया था । परन्तु अब विदेशी देशका धन लूटे लिये जा रहे थे, सुख-समृद्धि नष्ट हो चुकी है, और इनके स्थानपर अकाल और महामारी देशको राहुकी तरह ग्रसे हुए हैं । ब्राह्मणोंको कैद किया जाता है, गायोंका प्रति दिन वध होता है । बिना संतोषजनक कारण बताये हुए भी 'श्वेत पुरुष' न्याय-दंडसे बच जाते हैं । औरतोंको रेलके डिब्बोंसे घसीट लिया जाता है । जब अंग्रेज भारतमें व्यापारीकी हैसियतसे आये थे तो शिवाजीने उनकी रक्षा की थी और अब अंग्रेजोंकी वारी थी कि शिवाजीकी प्रजाको संतुष्ट रखकर कृतज्ञता प्रदर्शित करें ।”

दूसरे लेखमें एक प्रोफेसरने लिखा था कि “शिवाजी नैतिक आचार-विचारसे परे मनुष्य थे । हर मराठे और प्रत्येक हिन्दूको शिवाजी-उत्सव मनाना चाहिये । हम सब अपनी खोयी हुई आजादीको पुनः प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं ।” दूसरे प्रोफेसरने लिखा कि फ्रांसकी क्रान्तिमें भाग लेनेवालोंने यह अभियोग अस्वीकार किया कि उन्होंने हत्याएँ की हैं, बल्कि दावा किया कि उन्होंने केवल अपने रास्तेके काँटोंको हटाया है । वही तर्क महाराष्ट्रके लिए क्यों नहीं ठीक है ? अन्तमें तिलककी टिप्पणी छपी—‘महापुरुषोंपर सर्वसाधारणके

१. लवेट-वही पुस्तक ( ? ) पृष्ठ ४८

२. वही पुस्तक पृष्ठ ५०

नैतिक आचार विचारके नियमोंके प्रतिबन्ध नहीं लागू हो सकते। शियाजीने अपजल खोंका बध करके पाप किया या नहीं ? इसका उत्तर स्वयं महाभारतमें मौजूद है। गीतामें श्रीकृष्णने अत्याचारी भार्द बन्धुओं और गुदओंको भी मारनेका उपदेश दिया है।

इन लेखोंके प्रकाशित होनेके ठीक एक सप्ताह बाद पूनामें हत्याएँ हुईं। ऑग्ल-भारतीय अखबारोंने तत्काल ही राय दी कि हत्याएँ इन लेखों द्वारा प्रेरित हैं। अधिकारी इससे सहमत थे। तिलकपर मुकदमा चला और १४ सितम्बर १८९७ को उन्हें १८ महीनेकी बन्दी कैदकी सजा सुना दी गयी। न्यायमन्त्रोंमें पाँच यूरोपियन, तीन भारतीय और एक यहूदी थे। यूरोपियनों और यहूदियोंने उनको दोषी पाया और भारतीयोंने निर्दोष। श्री तिलक प्रथम राजनीतिक बन्दी थे। इससे देशभरमें उत्साहका लहर दौड़ गयी।

जेलमें तिलकके साथ एक साधारण कैदीकी भाँति व्यवहार किया जाता जिससे उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया और उनका बजन तेजीसे घटने लगा। बम्बईके एक वकीलने इगलैण्डमें हॉवर्ड एमोसियेशनके मन्त्रीको हसकी सूचना दी। यह सघटन जेलके जीवनको सुधारनेकी चेष्टा करता था। तिलकके मामलेकी जाँचके परिणामस्वरूप हॉवर्ड एमोसियेशनने भारतमें राजनीतिक बन्दीयोंके साथ व्यवहारपर एक प्रस्ताव पाम किया। प्रस्तावमें कहा गया था कि "प्रेस कानून (प्रेस लॉज) की वास्तविक और कथित अवज्ञा करनेपर दिये गये दण्डोंके सम्बन्धमें भारतसे कई सूचनाएँ अभी हालमें ही हॉवर्ड एमोसियेशनकी कमेटीके पाम आयी हैं। इस कमेटीकी रायमें इस प्रकारके अपराधोंको राजनीतिक अपराधोंकी श्रेणीमें समझना चाहिये न कि मामूली पौजदारीके अपराधोंकी। और उनको दण्ड देते समय यह बात ध्यानमें रखना चाहिये।"<sup>१</sup>

तिलकको पहले बम्बई जेलमें रखा गया लेकिन बादमें उनका तबादला यरवदा जेलको कर दिया गया। उनका यरवदा जेल भेजा जाना थिलमुल गुप्त रखा गया, परन्तु कल्याणके स्टेशनपर एक प्लेगका डाक्टर उनकी जाँच करनेवाला था। जैसे ही डाक्टरने डिब्बेका दरवाजा खोला, प्लेटफार्मपर लड़े हुए कुछ लोगोंने बन्द डिब्बेकी खिडकियोंसे अन्दर झाँका। उन्होंने अपने नेताको पहचान लिया और यह खबर जगलकी आगकी भाँति फैल गयी। दर्शनको उत्सुक तिलकके प्रदासकोंकी भीड़ प्लेटफार्मपर तत्काल ही जमा हो गयी।

यों कांग्रेसकी ओरने उस सालके अधिवेशनमें तिलककी सजाके ऊपर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया, परन्तु कांग्रेसजनोंने व्यक्तिगत रूपसे अपने हृदयोंके उद्गारोंको व्यक्त किया। उमेशचन्द्र बनर्जीने कहा—“न्यायाधीश स्ट्रेचीकी राजद्रोहकी परिभाषाके पक्षमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता और जनमलकी दृष्टिने तो यह घृणित है ही।”<sup>२</sup>

नातू भाइयोंके देश-निकालेपर भी कांग्रेसने सतर्कतासे एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था—“यद्यपि बम्बई सरकारने जिम्मेदारीसे ही १८२७ के बम्बई कानूनके २५० वे विनियमनके अन्तर्गत नातू भाइयोंको गिरफ्तार किया था, फिर भी कांग्रेसकी रायमें चूँकि गिरफ्तारीको पाँच महीने हो गये हैं इसीलिये न्यायकी दृष्टिसे, और जनतामें फैली हुई बेचैनी और असंतोषको शांत करनेके लिए सरकारका यह कर्तव्य हो जाता है कि नातू सरदारोंपर फौरन ही मुकदमा चलाया जाये। यदि सरकारके पास न्यायालयको सजुद करने योग्य नातू

१. केलकर—वही पुस्तक, पृष्ठ ४२०

२. केलकर—वही पुस्तक, पृष्ठ ४१६-१७

भाइयोंके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नहीं है तो उनको मुक्त कर दिया जाये।” लेकिन राष्ट्रपति श्री शंकरन नायरने स्पष्ट रूपसे कहा कि “यदि सरकार आपको अपनी मरजीसे, बिना अभियोग चलाये गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है और आपकी जायदाद जब्त कर सकती है, तो व्यक्तियोंकी धन-जनकी स्वतन्त्रता सिर्फ एक मजाक है, ढोंग है, यह स्वेच्छा-चारी निरंकुश शासनके सबसे बुरे दिनोंकी याद दिलाता है।”

प्रोफेसर सेक्स गुलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचर्ड गार्थ; विलियम केन, दादा भाई नौरोजी और रमेशचन्द्र दत्तके हस्ताक्षरोंसे सरकारको एक आवेदन पत्र भेजा गया जिसके फलस्वरूप तिलक मियादसे छः महीने पहले ही छोड़ दिये गये। “तिलकने स्वयं शर्त रखी कि यदि कभी भी फिर उनको राजद्रोहके अभियोगमें मजा मिले तो उस मजामें यह छः महीनेकी छूट भी जोड़ दी जाये।”

रेण्ड-हत्याकाण्डमें पुलिसको यह सूचना मिल गयी कि दामोदर चाफेकर व बालकृष्ण चाफेकर दो भाइयोंने रेण्ड हत्याएँ की हैं। उनपर मुकदमा चला और उनको फाँसी दे दी गयी। परन्तु इसके परिणाम स्वरूप दो हत्याएँ और हो गयीं। चाफेकरोंके अभिन्नमित्र द्रविड़ भाइयोंने पुलिसको भेद बताया था। द्रविड़ भाइयोंमेंमें एक जालसाजीके लिए सजा भुगत रहा था। उसका पता था कि रेण्ड और आइस्टकी हत्या चाफेकर बन्धुओंने की है। २०,००० रु० के इनामके लालचसे उसने यह भेद पुलिसको बताया। ८ फरवरी १८९९ को दो व्यक्ति-चाफेकर बन्धुओंका सबसे छोटा भाई वासुदेव और उसका एक मित्र-द्रविड़के घर पहुँचे और ऊपर बैठे हुए लोगोंको आवाज दी कि उनको ब्रूनने, जो रेण्ड हत्याकाण्डकी जाँचके लिए विशेष अफसर नियुक्त हुए थे, बुलाना है। द्रविड़ नीचे आकर बुलानेवालोंके साथ चल दिये। जैसे ही चारों आदमी रास्तेमें पहुँचनेवाले मन्दिरके पास पहुँचे, वासुदेव और उसके मित्रने विस्तृत निकालकर भेदियोंको गोली मार दी। अस्पतालमें उनका प्राणान्त हो गया। पुलिस नायब-इंस्पेक्टर जब वासुदेवसे सवाल पूछ रहा था तो उसने क्रोधमें आकर पहले नायब-इंस्पेक्टर और फिर रेण्डपर गोली चला दी, मगर वे दोनों बच गये। वासुदेव और उसके मित्र दोनोंने अभियोग स्वीकार कर लिया और फाँसीपर झूल गये।

राजनीतिके इस नये पहलूसे सरकार भयभीत हो उठी और उसने ताजीरात हिन्दकी १९४ अ धाराका संशोधनकर राजद्रोहकी परिभाषामें “हिज मैजिस्ट्री या सरकारके विरुद्ध घृणा या उपेक्षाका प्रचार या प्रचारकी कोशिश करनेवाला प्रत्येक आदमी” शामिलकर दिया। सरकारके प्रति ‘असंतोष’ शब्दके क्षेत्रमें शत्रुताके हर प्रकारके भाव और अभक्ति भी शामिल कर दिये गये। यह संशोधित कानून ( Act ) १८९८ में लागू कर दिया गया।

भारतीय राजनीतिक वातावरण दिन-प्रतिदिन अधिक उग्र होता जा रहा था। उस समयके भारत सचिव लॉर्ड जार्ज हेमिल्टनके शब्दोंमें “भारतमें अंग्रेज वारुदके ढेरके ऊपर बैठे हुए थे।” दंड पुलिसके दस्ते राजनीतिक अशान्तिके क्षेत्रोंमें तैनात कर दिये गये। डाकखाना-कानून ( पोस्ट आफिस ऐक्ट ) में संशोधन कर डाक-बाधुओंको यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी सन्देह योग्य ( राजद्रोहात्मक ) चिट्ठी या डाकसे जानेवाले

सामानको रोक सकते हैं। जनताके प्रबल विरोधके बावजूद इस नये नियमको, राजद्रोह-कानूनमें उसका क्षेत्र विस्तृत करनेके लिए, शामिल कर लिया गया।

१८९८ में भी प्लेग त्राहि मचाये हुए था। और अधिकारियोंके दमनकारी व्यवहार-से रोगमें आकर कुछ मुसलमान बुनकर उनके विरोधमें उठ खड़े हुए। कई बुनकरोको पुलिसने गोली मार दी।

गणितज्ञ अध्यापक और बंगाल विधान परिषदके सदस्य आनन्दमोहन वसुकी अध्यक्षतामें १८९८ में कांग्रेसका अधिवेशन मद्रासमें हुआ। अधिवेशनका एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, देशके कुछ भागोंमें सरकार द्वारा नियुक्त, दमनके लिए बनायी गयी गुप्त प्रेम समितियों ( सीक्रेट प्रेस कमिटीज़ ) के सम्बन्धमें था। ये समितियाँ अस्तर नियन्त्रकके रूपमें काम करती थी। इस कदमको 'ब्रिटिश इण्डियापर लानत' कहकर निन्दा करनेवाले प्रस्तावको अधिवेशनमें उपस्थित लन्दन समाचार समितिके प्रतिनिधि श्री. डब्लू. ए. चेम्बर्सने पेश किया। श्री. चेम्बर्सने अपने भाषणमें कहा "गुप्त प्रेम समितियोंके बनावे जानेसे मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी अंग्रेज इस समितिका समर्थन नहीं कर सकता। इस बातकी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की जा सकती कि अँग्रेजों द्वारा शासित किसी भी देशमें ऐसा हो सकता है, फिर भी हम इन्हीं बातोंके लिए रूस व जर्मनीकी निन्दा करते हैं।

काँग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था तभी लॉर्ड कर्जन भारतके वाइसराय होकर आये। उनके आनेपर काँग्रेसने प्रस्ताव पास किया कि "यह अधिवेशन लॉर्ड कर्जनका स्वागत करता है, भारतीयोंके प्रति श्रीमान्ने सहानुभूतिके शब्दोंके लिए कृतज्ञता प्रगट करते हुए आशा करता है कि उनके शासनकालमें अँग्रेजोंकी श्रेष्ठ परम्पराके अनुकूल प्रगति और देशी लोगोंमें विश्वासकी नीतिका अनुसरण किया जायगा।"

मुरलीधर व मालवीयके भाषणों, उस समयकी आर्थिक परिस्थिति, जिसका विश्लेषण विवरण श्री रमेशचन्द्रदत्तकी कई पुस्तकोंमें मिलता है, और समकालीन वक्ताओं और लेखकोंके लेखोंकी तुलनामें यह प्रस्ताव कुछ अजीब सा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपतिने पदसे निये गये भाषण भी इतने अधिक नम्र नहीं थे।

१८९९ का लखनऊ काँग्रेस अधिवेशन हिन्दू मुस्लिम सहकृतिका सगम था। अधिक संख्यामें मुसलमान प्रतिनिधि इस अधिवेशनमें उपस्थित थे। ७८९ में ३०० मुसलमान प्रतिनिधि थे। श्री रमेशचन्द्र दत्त जिन्होंने १८९७ में भारतीय सिविल सर्विसमें त्यागपत्र दे दिया था, इस अधिवेशनके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने धर्मताओंकी भावुकतासे नहीं बल्कि आकड़ोंसे प्रभावित किया।

भारतमें अफ़ालका राक्षस फिर मनुष्योंके जीवनसे होली खेल रहा था और अनाजने लदे जहाज़पर जहाज इंग्लैण्डको भेजे जा रहे थे। इसपर टीका करते हुए श्रीदत्तने कहा "कभी कभी इस बातका दावा किया जाता है कि भारतकी गरीबी और अकाल, जैती समारके किसी भी मुशामित देशमें नहीं हैं, केवल आबादीके अधिक बढ़ जानेसे है। यह असत्य है। यदि आप आँकड़ोंकी देखें तो आपको पता लगेगा कि भारतकी आबादी उस तेजीसे नहीं बढ़ रही है जैसे जर्मनी या इंग्लैण्ड व अन्य यूरोपियन देशोंकी। भारतीय किसानोंकी दुर्दशा और कर्ममें ह्रास होनेका मूल कारण, बंगाल व कुछ दूसरे इलाकोंको छोड़कर, अत्यधिक भूमिकर है, जिसके कारण किसान अच्छी फसल होनेपर भी दुर्दिनके लिए कुछ भी नहीं



वचा पाते । कताई और बुनाईके हमारे गाँवके उद्योग, इंग्लैण्डके कारखानोंसे प्रतियोगिता न कर पानेके कारण मिट गये हैं । हमारे किसानों और औद्योगिक वर्गके ग्रामीणोंको भी केवल भूमिपर ही निर्भर रहना पड़ता है । वही उनका जीवन-आधार है । ... चूँकि किसानके पास जमानत देनेके लिए कोई सामान नहीं है, इसीलिये उसे कम व्याजपर रपया उधार नहीं मिल सकता और उसे २५% या २७% व्याजपर ऋण लेना पड़ता है ।” उन्होंने कहा कि पौजी व्यव, मुद्रा नीति और राष्ट्रीय कर भारतकी मालगुजारीपर भवकर बोझा है । “ब्रिटेनमें १८६० से राष्ट्रीय ऋण घटाकर साढ़े सत्तरह करांड ५० कर दिया गया है “परन्तु भारतमें यह ऋण उसी अवधिमें दस करांड बढ़ा दिया गया है और इंग्लैण्डको व्याजके भुगतानके लिए भेज दिया जाता है जिसके कारण भारतकी मालगुजारी और आयपर अनावश्यक जबरदस्त बोझा पड़ रहा है । अभी हालमें ही मुद्रा समिति ( Currency committee ) ने मुद्रा-नीति इस ढंगकी बनानी जिससे लाखों किसानोंका अहित ही हुआ है । उनके कर्ज और बढ़ गये हैं और वचत कम हो गयी है ।” भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि “शासनमें यह त्रुटि है और हमारा दुर्भाग्य है कि जिला अधिकारिगण गाँववालोंसे या उनके स्वाभाविक नेताओंसे नहींके बराबर सम्पर्क रखते हैं । प्रत्येक कार्यमें उनको पुलिसकी शरण लेनी पड़ती है । गाँवमें कोई मुसीबत आयी हो, जाँच पुलिस करेगी । हैजा फैला है तो दवा पुलिस बाँटेगी । यदि गाँवका जलशय घट जाय या पानीकी कमी पड़ जाय तो पुलिस सहायता संघटित करती है । अगर कोई पेड़ गिर पड़े और गाँवका रास्ता रुक जाय तो ( मैंने स्वयं इस प्रकारकी घटनाएँ देखी हैं ) गाँववाले, जबतक पुलिस सहायता न करे, असहाय बने रहते हैं । यह कितना दुर्भाग्य है कि वह देश जिसने सर्वप्रथम गाँव-समाज, गाँव-पंचायतें और गाँवोंमें स्वशासन संस्थाएँ स्थापित की थीं और ३००० सालोंतक इनको सफलतासे चलाया था, इस तरहसे असहाय हो जाय और उस देशपर अवांछनीय पुलिस द्वारा शासन किया जाय ।”

श्री दत्तने सुझाव दिया—“दुर्भिक्षते उत्पन्न मुसीबतको, संकटोंको और मृत्युओंको रोका जा सकता है । सुख-सम्पत्ति बढ़ायी जा सकती है, पूरे राष्ट्रकी भक्ति और उत्साहपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है । यह सम्भव है केवल एक शर्तपर—देशको स्वराज्यका वरदान मिल जाय ।”

कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सरकारसे माँग की कि देशकी आयपरसे बोझा कम किया जाय, व्यय घटा दिया जाय, करोंमें कमी हो और देशी उद्योग-धन्धोंका विकास किया जाय ।

लखनऊ अधिवेशनमें कांग्रेसका विधान बना लिया गया । विधानमें कांग्रेसका उद्देश्य था “विधानिक उपायों द्वारा भारतीय साम्राज्यकी जनताके सुख और हित-लाभकी चेष्टा करना ।” विधानकी अन्य धाराएँ थीं—

(१) राजनीतिक संघटनों, या दूसरी संस्थाओं द्वारा और सार्वजनिक सभाओंमें प्रतिनिधियोंका निर्वाचन होगा । (२) अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिके पँतालीस प्रतिनिधि होंगे जिनमेंने चालीसको प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीयाँ चुनकर भेजेंगी । यदि किसी प्रान्तमें कांग्रेस कमेटी नहीं है तो वहाँके प्रतिनिधि महासमितिके लिए नुमाइन्दे चुनेंगे । महासमितिके सदस्योंका कार्यकाल एक अधिवेशनसे दूसरे अधिवेशनतक होगा । (३) महासमितिकी बैठक

वर्षमें कम से कम तीन बार हुआ करेगी और इसको नियम व कानून बनानेका अधिकार होगा। (४) प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ, प्रान्तीय अधिवेशन करेंगी और अपना कार्यक्षेत्र बढाकर जिला कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित करगी (५) इंग्लैण्डमें एक ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी बनायी जायगी जिसका एक वैतनिक मन्त्री होगा। कमेटीपर वर्षमें पाँच हजार रुपये व्यय किया जायेगा जिसको पिछले आर आगामी अधिवेशनकी स्वागत समितियाँ आपसमें बाँट लेंगी।

सन् १९०० अधिक सफ़टमय था, लेकिन बम्बईके पत्रकार और वकील श्री एन. जी चन्दावरकरकी अध्यक्षतामें लाहोरके कांग्रेस अधिवेशनमें घाटाकरण उदासीन सा रहा। इस वर्षका दुमिश्च अधिक भयकर था, जैसा कि वाइसराय लार्ड कर्जनने कहा “भारतवर्षमें इतना भयकर अफ़ाल कभी नहीं पडा।” मयुक्त प्रान्तमें (अब उत्तर प्रदेश) प्तेगने बराबर लोग मर रहे थे। हस्व मामूल अधिकारियोंका व्यवहार उत्तेजनापूर्ण विमुक्तताका था। अप्रैल १९०० में कानपुरके प्तेग-फ़ैम्पर एक भीड़ने हमला कर दिया जिसमें पाँच पुलिसवाले मारे गये। गौराग प्रभुओंने न्यायमें खुलकर अनधिकार बिघ्न डाला जैसा कि इन दो उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। १९ अगस्त १८९९ को छपराके जिला पुलिस सुपरिटेण्डेंट कौरवेतने एक गिपाही नरसिंहके चूतडोंपर डोकर मारी, और जिला इन्जिनियर सिमफ्रिन्सने उसके सरपर कोडा मारा। कौरवेतने फिर उसके मुँहपर घूँसा मारा जिससे वह एक दीवारमें टकराकर गिर गया। नरसिंहका अपराध केवल जिला इन्जीनियरके लिए बेगार करनेसे इनकार करना था। उसको अस्पतालमें भरती किया गया जहाँ जॉच करनेपर मालूम हुआ कि उसके घाव भयकर थे। शिकायतके डरसे कौरवेतने नरसिंहको नौकरी छोड देनेको कहा। नौकरी न छोडनेपर उसपर मुकदमा चलानेकी धमकी भी दी गयी। नरसिंहने इस हुक्मको न माना। उसपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमेंके निर्णायक मैजिस्ट्रेट मौलवी जाफ़िर हुसैनने दवावमें आकर उसको दो महीनेकी सरत वैदका हुक्म सुना दिया। उसने जिला और मेगन जज आयरलैण्ड निवासी श्री पैनलको अदालतमें अपील कर दी। श्री पैनल ने अपील तो मजूर कर ली मगर उसकी बजहमें खुद मुसीबतमें पड गये। उन्होंने अपने फैसलेमें कहा—“दुर्भाग्यवश यूरोपियनों द्वारा देशी लोगोंपर हमला और मारपीट अनोखी नहीं है। और जबतक जातीय श्रेष्ठताका भाव विलुप्त न हो जाये तत्रतक यह मारपीट खत्म होनेवाली नहीं है। उनको सजा देना सही है परन्तु अधिक बडी सजा देनेमें परस्पर जातीय सम्बन्धोंके अन्धे होनेकी जगह ज्यादा खराब होनेकी सम्भावना है, और उससे उद्देश्यकी हानि ही होगी। देशी लोगोंमें अधिक समझदार आदमी खुद ही यूरोपियनोंके इस देशमें आकर पैदा हुए घमण्डका और उसके परिणामस्वरूप पैदा हुई मारपीटका ख्याल रखते हैं।”

७ अक्टूबरको दिये गये इस निर्णयमें प्रान्तभरके अधिकारियोंमें खलबली मच गयी। यहाँतक कि लेफिटेनेण्ट गवर्नर सर जॉन बुडवर्न भी इससे चिन्तित हो उठे और वाइसराय लार्ड कर्जनने पैनलके इस कार्यको ‘जॉचकी स्वतन्त्रता’ का दुरुपयोग समझा और उनको तार द्वारा नोआखालीको स्थानान्तरित कर दिया।

कुछ समय बाद बुडवर्न नोआखाली गये और अपने निजी कमरेमें पैनलको बुलाकर कहा “तुम्हारा निर्णय देखकर मुझे तुम्हारी न्याय विभागमें नौकरी करनेकी योग्यतापर सन्देह

होता है। न्याय-अधिकारी उसी प्रकार मेरे मातहत हैं जिस प्रकार प्रशासकीय अधिकारी और मैं चाहता हूँ कि वे कायदेगें काम करें। ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी भलाईके ही लिए कह रहा हूँ। और तुम्हारा पैसला पढ़कर मुझे शक होता है कि क्या तुम उतने ही निष्पक्ष हो जितना तुम्हें होना चाहिये। जिस प्रतिशोभमय जलनसे तुम पुलिस और जिला अधिकारियोंके पीछे पड़ गये, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी उनकी लड़ाई है।”

पैनल—आप ऐसा सोच सकते हैं, परन्तु उस निर्णयका मुख्य कांग्रेसके दो अभिवेशनोंके बराबर है।

बुडवर्न—मैंने तो एक निष्पक्ष व्यक्तिकी हैसियतमें यह राय दी है।

पैनल—मैं जानता हूँ कि आपकी सरकारने सत्यको दवानेकी भरसक चेष्टा की है।

लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने जरा गरग होकर कहा—मेरी सरकारने! रावधान पैनल, तुम जो कुछ कह रहे हो सोच समझकर कहो।

पैनल—आपने कानूनी सलाहकार (लीगल रिमेम्बरेन्सर) ने मशविरा किया था कि क्या गवाहोंको मेरे सामने पेश करनेकी कोई आवश्यकता है।

बुडवर्न—हाँ। मुझे कानूनी सलाहकारसे मशविरा करनेका पूरा अधिवार था। सामला विलकुल तुच्छ था।

पैनल—तुच्छ मामला! क्या मैं इस मामलेको हाईकोर्ट ले जाऊँ?

बुडवर्न—नहीं पैनल, मैं हाईकोर्टसे किसी विवादमें नहीं पड़ना चाहता, मैं तो तुमसे निजी तौरपर बात कर रहा हूँ।

एक दूसरे मामलेमें पैनलने अपने पैसलेमें लिखा “इस प्रकारके मामलेमें, इस देशमें, अधिकारियोंके खिलाफ गवाही देनेका केवल ऐसे लोग साहस कर सकते हैं जो अपने घरोंके जलाये जानेका, दूकाने टूटी जानेका, अपने रिश्तेदारोंके सरकारी नौकरियोंसे निवाल दिये जानेका, और स्वयंके व अपने घरवालोंके ऊपर शूटा मुकदमा चलाकर जेल भेज दिये जानेका खतरा उठा सकते हैं।”

नोआखालीमें पैनलने पुलिस मुपरिण्टेण्डेण्ट रेलीको शूटी गवाही देनेके अमियोगमें गिरफ्तार करवा दिया। रेलीने शूटी गवाही देकर एक हत्याके रिहा करवानेकी चेष्टा की थी। पैनलने हत्याके फौसीकी सजा दी। इस मामलेने पैनलको लोगोकी दृष्टिमें बहुत ऊँचा उठा दिया और १५ फरवरी १९०१ को जब पैनलने पैसला सुनाया तो १,००,००० आदमी उसकी जय जयकार करते, धर्मावतार और सच्चा न्यायकर्ता कहते उसके बंगले तक गये। परन्तु सरकारकी गिफारिशपर हाईकोर्टने पैनलको मुअत्तल कर दिया और तार द्वारा रेलीको जमानतपर छोड़ देनेका हुक्म दिया। पैनलके कलकत्ता खाना होते वक्त सब तरहके लोगोकी पन्द्रह हजारकी भीड़ उनके पीछे उनके घरसे स्टेशनतक गयी। जिस रास्तेसे पैनलकी गाड़ी जा रही थी, उसके दोनों ओर लोग खड़े हुए थे।

१९०१ के कलकत्तेमें हुए कांग्रेस अधिवेशनमें कांग्रेसकी प्रशासनमे न्याय विभागको अलग कर देनेकी माँगका औचित्य सिद्ध करनेके लिए पैनल काण्डका जॉरदार प्रमाण दिया गया। कलकत्ता कांग्रेसकी अध्यक्षता दीनशा ईन्दुलजी वाचाने की। आप कांग्रेसके जन्मसे उसका साथ देते रहे। और प्रारम्भमें ही आपका नाम कांग्रेसके आतिशवाज पड़ गया था। राष्ट्रपतिने अपने भाषणमें कहा—“मॉल्लेके शब्दोंमें उन्मत्त

साम्राज्यवाद दमनकारी, प्रतिगामी और नैतानियतकी नीतिका अनुसरण करता हुआ इस समय अधिक शक्तिशाली हो रहा है। निस्सन्देह हमारी सरकार अच्छी है परन्तु उसमें कई बुराइयाँ भी हैं। श्री वाचाके लम्बे भाषणमें देशकी आर्थिक दशा और दुर्भिक्षका विवेचन था। बिना जनताको जरा भी लाभ पहुँचाये हुए करोड़ों रुपया अकाल सहायतापर खर्च कर दिया गया। उन्होंने गोकुलदास पारलकके विधान परिषद्में किये गये भाषणका उल्लेख किया कि अधिहारीगण गरीब रैयतपर अत्याचार कर रहे हैं और दाहिने हाथसे तकावी वाँटकर बायें हाथसे उगाही बसूल कर रहे हैं। कांग्रेसने सर्वश्री तिलक, मालवीय व अन्य सात आदमियोंकी एक समेटी भारतवर्षकी आर्थिक दशाकी जाँच करनेके लिए नियुक्त की। रमेशचन्द्रदत्तने सरकारकी आर्थिक नीतिकी निन्दा करते हुए कहा कि दुर्भिक्ष शोषणकी नीतिका अनिवार्य परिणाम है।

१९०२ का अधिवेशन गुजरातकी राजधानी अहमदाबादमें हुआ जिसकी एक करोड़की आबादीका २ भाग दो अनालोंमें सर चुका था। परन्तु उसी समय देशकी राजधानीमें सम्राट एडवर्ड सप्तमकी ताजपोशीकी खुशीमें एक महान दरवारका जशन और उत्सव मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति मुरेन्द्रनाथ बैनर्जीने सम्राटके प्रति उचित सम्मानपर बोलते हुए कहा कि “वह समय गुजर गया जब चक्काचोप और चकित करनेके लिए गडक गडकका आडम्बर, भारतके लोकमतपर कोई स्थायी प्रभाव डाल सके।” परन्तु उनके उत्तराधिकारी श्री लालमोहन घोषने १९०२ के मद्रास अधिवेशनकी अध्यक्षता करते हुए सीधा आक्रमण किया। उन्होंने पूछा “क्या तुम समझते हो कि इंग्लैण्ड, फ्रांस या अमेरिकाकी सरकारें एक सोसले आडम्बरपर इतना अधिक धन फूँकनेका साहस करेगी? जन कि देशमें दुर्भिक्ष और महामारी मनुष्योंके जीवनमें होली खेल रही हैं और यमदूत खुशी मनानेवालोंके कानोंके ऊपर होल बजा रहे हैं। जहाँ तक जनताका सम्बन्ध है, उसके लिए इससे ज्यादा निर्दय और कटोर क्या हो सकता है कि एक श्रेष्ठ सरकार सगारके सबसे गरीब लोगोपर सबसे ज्यादा कर लगाये और इस तरहसे एकत्रित धनको व्यर्थके नाच तमाशा और आतिशबाजीमें फूँक दे जबकि जनता भूखों मर रही हो।”

उसके बाद श्रीगोषने अँग्रेजी शासनकी तुलना भूतपूर्व शासनोंसे करते हुए कहा “यद्यपि आज हम डाकुओंके उपद्रवोंसे बचे हुए हैं—आज हमें लूटपाट, हत्याओं, जान-मालके जानेना डर नहीं है, प्रतिद्वन्दी सरदारों और राजाओंके बीच घरेलू और आपसी झगड़े और राज्योंके हथियानेके पडयनों और रक्तपातमें हम बचे हुए हैं, लेकिन हमको यह न भूलना चाहिये कि तक्षीरना एक दूसरा रूप भी है। परिणाम एक ही है, चाहे लाखों करोड़ों जानें युद्ध और अराजकताके कारण नष्ट हों या अकाल और मुत्तमरीसे।”

अहमदाबाद कांग्रेसने कर्जनकी प्रतिगामी शिक्षानीतिकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। कर्जनने शिमलामें १९०१ में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया था जिसमें केवल यूरोपियन शिक्षा-विशेषज्ञोंको आमन्त्रित किया गया। सम्मेलन सभा गुप्त थी और उसकी काररवाई कभी प्रकाशित नहीं की गयी। सम्मेलनके फलस्वरूप एक विश्वविद्यालय कमीशन (यूनिवर्सिटी कमीशन) नियुक्त हुआ जिसने सिफारिश की कि (१) माध्यमिक-शिक्षा कॉलेजोंको तोड़ दिया जाय। (२) प्रबन्धक सभ (सिण्डिकेट) द्वारा कॉलेजोंमें न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर दिया जाय जिसका असली अर्थ शुल्कोंका बढ़ना था और

(३) कानूनी पढ़ाईको खत्म कर दिया जाय। कार्यक्षमताका स्तर बढ़ानेके लिए ऊँची शिक्षाका क्षेत्र संकुचित करनेका प्रयत्न किया गया। जैसा कि कमीशनके सदस्योंने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी सिफारिशोंके मानी शिक्षाके क्षेत्रको संकीर्ण करना और ऊँची शिक्षाको सीमिति करना था। प्रतिरोध-आन्दोलनोंको आंशिक सफलता प्राप्त हुई और माध्यमिक शिक्षा संस्थाएँ बन्द नहीं की गयीं।

सर वनें लवेटने कमीशनकी सिफारिशोंका औचित्य सिद्ध करनेके लिए कहा कि “गैर सरकारी लोगोंके हाथमें माध्यमिक शिक्षाके निःशुल्क अत्यधिक अवनतिके कारण शिक्षा स्तर बहुत गिरा है” परन्तु शिक्षा सम्मेलनको गुप्त रखनेमें जो सावधानी बरती गयी, और उस समयकी राजनीतिक परिस्थितिका लवेटने जो विश्लेषण किया है, इन दोनोंसे पता चलता है कि ऊँची शिक्षाके क्षेत्रको संकुचित करनेका असली कारण शिक्षा-स्तरमें गिरावटका भय नहीं बल्कि राजनीतिक था। दरबारके बादकी राजनीतिक परिस्थितिपर लवेटने लिखा है “वास्तवमें इस दरबारमें चालीस सालके शान्तिमय और विना झगड़ेके युगका अन्त होता है यह युग सरकारकी सफलता और अप्रतिम सच्चाका युग था। शिक्षाका क्षेत्र बढ़ा, व्यापार बढ़ा, मालगुजारीकी अच्छी व्यवस्था हुई, चारों ओर हम दौरमें प्रगति हुई। पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त लोगोंमें असंतोष अभी गहरी नींद में रहा था। आर्थिक स्थितिकी विगड़ी हुई स्थितिकी विचित्रतामें नौजवानोंके जीवनकी कठिनाइयाँ और गृहीतमें बढ़ रही थीं। सदियोंके रीति रवाज टूटने लगे थे। सामाजिक उत्सवों, गेलों और जातीय सम्मेलनोंमें अधिक जनता अब राजनीतिक सभाओंमें जाने लगी थी। परिवर्तनकी भावना जोर पकड़ रही थी, वर्तमानसे असंतुष्ट लोगोंमें ‘नयेमें पुराना अच्छा’ सिद्धांत अधिक जमता जा रहा था।”

राष्ट्रपतिके भाषणमें आँकड़ों द्वारा सिद्ध किया गया था कि भारतकी आर्थिक दुर्दशाका कारण अंग्रेजी सरकारकी लूट थी। उसमें लवेट द्वारा कथित सर्वगुप्ती प्रगतिकी असत्यता दिखाई गयी थी।” लवेटकी पूरी पुस्तकमें सिर्फ अधिवारियोंका पक्षपात किया गया था और उन्हींको उचित दिखानेकी चेष्टा की गयी थी।

न्याय विभागकी दशापर श्री घोषने सर हेनरी कौटनका उल्लेख किया “अगर इन अपराधोंके लिए अँगरेजोंपर अभियोग चलाया जाता है तो आम तौरपर क्या परिणाम होता है? बहुधा इन अभियोगोंमें निर्णयोंको न्यायपर कलंक ही कहा जा सकता है। यह सही है कि वह किसीको फाँसी दिलवानेके लिए उत्सुक नहीं था लेकिन फिर भी यह तो कहना पड़ेगा कि अनगिनत अभियोगोंमें अपराधियोंपर ऐसा नृशंस और कठोर हत्याओंका अभियोग होता है कि फाँसीके सिवा और कोई दंड हो ही नहीं सकता लेकिन वे टीक हंगके और निष्पक्ष न्याय न होनेकी कमजोरीके कारण बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभियोगोंकी जाँचके लिए नियुक्त जुरीमण (Jury) उन्हींके देशवासी होते हैं।”

कर्मन सरकार अपनी प्रतिक्रियावादी नीतिपर ही चल रही थी। सरकारने राजद्रोह ऐक्ट (Sedition act) लागू किया। लोगोंकी आजादीपर एक और आघात सरकारी गोपनीयता ऐक्ट (official secrets act) लागू करके किया। जिनके द्वारा यह अभियोक्ताकी जिम्मेदारी नहीं रही कि अपराधोंका सिद्ध करे बल्कि अभियुक्तको अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनी पड़ती थी।

नवाय सैयद मुहम्मद और जी० के० गोसलेने (दोनों केन्द्रीय परिषदके सदस्य थे) इस ऐक्टकी घोर निन्दा की और इसको "घृणित ही नहीं बल्कि असत्य अन्वयपूर्ण" बताया जिसके बारेमें "धैर्य या गमयमे बात नहीं की जा सकती" कांग्रेसने इस बिल्का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। मद्रासमें बगालकी ही भाँति स्थानीय स्वशासन गस्थाओंके अधिकारोंमें कमी कर दी गयी। एक दूसरे नियम द्वारा विदरविद्यालयोंका स्वशासन अधिकार छीन लिया गया। लैटिन कर्जनके प्रतिभागी शासनका सबसे बुरा कदम बग-भंगका निर्णय था।

बीनही कांग्रेस बम्बईमें, जैसा कि कांग्रेसकी अभिकृत रिपोर्टमें कहा गया था, कर्जनकी दमन और प्रतिक्रियावादी नीतिकी वजहसे हुई अनिश्चिताक वातावरणमें हुई। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने लैटनके शासनकी छिपे हुए रूपमें आभीर्वाद बतलाया क्योंकि हमने भारतीयोंको कर्मशील बना दिया था।

१९०४ के बम्बई अधिवेशनकी अवस्था पर हेनरी कॉटनने की। उन्होंने एक विचारगमित भाषण किया जिसमें उन्होंने कहा कि साम्राज्यका यही रीथा है कि वह ऐसे पूर्ण स्वशासी राज्योंका संघ हो जो समान उद्देश्यों और अपने हितोंके कारण केन्द्रीय सत्तामें सम्मिलित हो।" इसलिए उन्होंने सुझाव रखा कि भारतको स्वतंत्र राज्योंका एक संघ होना चाहिये—भारतका संयुक्त राष्ट्र।" इस सम्मतिकी गर्वके साथ अपहेलना की गयी। इसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप भारत देशोंमें विभाजित हो जाता जिनमें प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यमें स्वतंत्र हो जाता। परन्तु विभाजनके राक्षसने भारतमें अपने मजबूत कदम जमा ही लिये।

अधिवेशनके प्रथम प्रस्तावमें कर्जनकी उस घोषणाकी ओर ध्यान मीचा गया जिसमें उन्होंने भारतीयोंको अंग्रेजी शासनके अन्तर्गत ऊँची जिम्मेदारियों निभानेके अयोग्य घोषित किया था, जिसका मुग उद्देश्य वास्तवमें भारतीयोंको ऊँची नौकरियों और पदोंमें वचित करना था, उन पदोंपरमें भी जिनपर वे काम कर रहे थे। प्रान्तीय नौकरियों (प्राविशल् सर्विसेज) में भी सरकारने प्रतियोगिताकी जगह नामजदगीकी अवस्था तय कर दी। इसका कारण राजनीतिक था। सरकार इसका निर्णय कि किस प्रकारने मनुष्य लाभदायक सिद्ध होंगे, अपने हाथमें ही रचना चाहती थी। कर्जनकी भारतीयोंमें विश्वास नहीं था और 'कार्यक्षमता बढ़ानेकी आइड' उन्होंने विदरविद्यालय-प्रत्येक समितियों (यूनिवर्सिटी टिनेट्रुग) को अधिकारी वर्गकी सौंप दिया और पूर्ण रूपमें उनका यूरोपीयकरण कर दिया।

बई वर्ष बाद कांग्रेसने फिर एक प्रस्ताव द्वारा "देशके शासन व मामलोंके नियन्त्रणमें अधिक अधिकारोंकी माँग की।" इस प्रस्तावपर बोलते हुए मदनमोहन मालवीयने कहा कि सुधार अच्छे हैं, परन्तु परिषदोंको अधिक अधिकार मिलने चाहिये और उनमें विस्तार होना चाहिये। प्रस्तावमें माँग की गयी थी कि (१) भारतके प्रत्येक प्रान्त या प्रेसीडेन्सीकी अंग्रेजी लोक सभामें (हाउस ऑफ कामन्स) कमसे कम दो सदस्योंको भेजनेका अधिकार हो। (२) केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदोंमें, गैर सरकारी सदस्योंकी संख्या बढ़ा दी जाय और उनको यह अधिकार रहे कि वे तमाम आर्थिक मसलोंपर मत विभाजन कर सकें, भले ही गवर्नर या वाइसरयके हाथमें विशेषाधिकार रहने दिया जाय। (३) भारतीय

प्रतिनिधि ( जो विधान-परिषदके निर्वाचित सदस्यों द्वारा नामजद हों ) लंदनकी भारत-परिषद ( इण्डिया कांसिल ) में रखे जायें तथा भारत सरकारकी प्रशासन-परिषद, ( Executive Council ) और बम्बई व मद्रासकी सरकारमें भी नियुक्त किये जायें ।

राष्ट्रपतिको कांग्रेसके प्रस्तावोंको लेकर वाइसरायसे मिलनेका अधिकार दिया गया । परन्तु कर्जनने राष्ट्रपतिमें मिलनेसे इनकार कर दिया । इसपर कांग्रेसने अंगरेजी जनताके सामने भारतकी तकलीफें रखनेके लिए लाला लाजपत राय और गोखलेका एक शिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजा । १९०५ में दोनों नेताओंने इंग्लैण्डमें भ्रमण किया, लोगोंमें मिले, मार्चजनिक गभाओंमें भाषण किये, परन्तु उन्हें अंगरेजी सरकार या अंगरेजी जनतासे कोई सहायभूति न मिली । वे निराश होकर वापस लौट आये । लालपत रायको अंगरेजोंकी इस उपेक्षामें बहुत दुःख हुआ । वे यह विश्वास लेकर लौटे कि भारतको अपनी ही शक्तिका भरोसा करना चाहिये ।

भारतीयोंकी ऊँचे पदोंपर नियुक्तिके विरोधमें कुछ अंगरेज लोग इस प्रकारकी बातें करते थे “भारतीय और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, या स्कॉटलैंडके विश्वविद्यालयोंके स्नातकोंके बौद्धिक स्तरमें विरोध अन्तर नहीं है । लेकिन फिर भी वे विद्वानों और मनुष्योंकी हैमियतमें बहुत हीन हैं । जो कुछ भी हमारी दृष्टिमें नैतिक-शिक्षा और उचित उद्देश्योंकी शिक्षा है वह उनमें नहीं है । हिन्दू बुद्धि अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य विचारोंमें आंत-प्रांत होनेपर भी विकसित नहीं होती । हिन्दू चरित्रपर जब अंग्रेजों विद्वानोंकी छाप पड़ती है तो वह अपना भी स्वाभाविक गुण खो देता है । कलकत्ता, बम्बई या मद्रासके स्नातक समान स्थितिमें ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिजवालोंको गणित या अध्यात्मवादमें हरा सकते हैं, लेकिन द्वारा हुआ अंग्रेज बढ़कर मनुष्योंका स्वामी बनेगा क्योंकि वह स्वयं अपना विधाता है, और अपने लिए एक सुन्दर भविष्यकी रचना करेगा क्योंकि उसके उद्देश्य महान हैं । जब कि उसका विजेता सरकारी क्लर्क, एक अत्याचारी जमींदार या सिर्फ विपरी बनकर रह जायगा ।”

यद्यपि जनतापर कांग्रेसका प्रभाव बढ़ रहा था परन्तु सरकारपर इसका कोई असर नहीं था । स्पष्ट है कि कांग्रेस इतनी नम्र संस्था समझी जाती थी कि जिसकी बराबर उपेक्षा की जा सके । पीछे लौटना शुरू हो गया था । स्थानीय स्वायत्त शासनमें गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया । १८९२ के परिषद सम्बन्धी सुधार व्यर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि उनमें भारतका राजनीतिक और आर्थिक दोषण रोकनेमें रंचमात्र भी सहायता नहीं मिली । जो थोड़ेसे गैर-सरकारी सदस्य भारतीय परिषदोंमें बैठते थे उनका कोई प्रभाव न था । अतः उनके वहाँ न होनेमें भी कोई विशेष अन्तर न पड़ता । पूरे बीस सालमें कांग्रेस जनताके दुःख-दर्द और तकलीफोंपर प्रस्ताव पास करती रही और वैधानिक सुधारोंकी माँग करती रही परन्तु सरकार कानोंमें तेल डाले बैठती रही । दोनों ( सरकार और कांग्रेस ) अपने-अपने कर्तव्योंका पालन कर रही थीं । कांग्रेसके जन्मके पूर्व देशके कुछ हिस्सोंमें लोगोंने लड़नेका निश्चय किया भी, और सरकारकी सत्तामें विद्रोह कर दिया । आमकवर्ग भी चिन्तित होकर यह सोचनेपर विवश हो जाता था कि जनताको कैसे मनुष्य रखा जाय । जैसा कि हम देख चुके हैं लिटन ( वाइसराय ) के प्रतिक्रियावादी आगमनने जनताके एक ऐसे वर्गको जन्म दिया जो कुछ करनेकी टाने हुए था । यह सब अब अतीतकी कहानी बन

चुका था। सौभाग्यवश कर्जनके और अधिक प्रतिक्रियावादी शासनने कांग्रेसके अन्दर एक उप पार्टी पैदा कर दी। वे राजनीतिज्ञ जो वास्तविकता समझते थे सम्राज्ञीके आधे शताब्दी-व्याप्त शासनके कड़वे अनुभवोंसे समझ चुके थे कि भारतीयोंके साथ बराबरीके व्यवहारका वादा करनेवाला १८५८ का घोषणापत्र केवल, जैसा कि मालवीयजीने कांग्रेस अधिवेशनमें कहा था, एक कूटनीतिक चाल थी, जिसे पूरा करनेका इरादा कभी नहीं किया गया था।

जैसा कि डा० पट्टाभी सीतारामेयाने कहा है, उस कालके राजनीतिज्ञ "सरकारके शत्रु नहीं थे। यह न सिर्फ़ उनकी बार-बारकी घोषणाओंसे व्यक्त होता है बल्कि समय-समयपर ऐसे देशभक्तोंके साथ सरकार द्वारा किये गये अनुग्रहोंसे और प्रतिष्ठित पदोंके दिये जानेसे भी सिद्ध होता है। स्वाभाविक था कि न्याय विभाग ही इन अनुग्रहोंके लिए चुना जाता।" कुछ राष्ट्रपतियों और सक्रिय कांग्रेसियोंको न्यायाधीश बना दिया गया। बद्रुहीन सैयब जी (१८८७ के राष्ट्रपति), शंकरन नायर (१८९७), चन्दावरकर (१९००) और के. टी. तेलंग इनमेंसे थे। कुछको वाइसराय और गवर्नरकी कार्यकारिणी समितिका सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि कांग्रेस सरकारके अन्तर्गत ऊँचे पद प्राप्त करनेका एक माध्यम बन गया है। इस प्रकारके कार्योंसे राजनीतिपर प्रभाव पड़ता था और पडा।

सन् १८९६ से तिलक कांग्रेसका स्तर उठानेका प्रयत्न कर रहे थे। जन १८९९ में उन्होंने बम्बईके गवर्नर लार्ड सेण्डहर्स्टके कुशासनकी निन्दाका प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति चाही तो विरोधका एक तूफान खड़ा कर दिया गया। "उन्होंने प्रतिनिधियोंको चुनौती दी कि वे प्रमाणित करें कि सेण्डहर्स्टका शासन जनताको धर्वाद नहीं कर रहा है। उन्होंने नीवर-शाहीके कारनामों और हथकण्डोंका हवाला देते हुए पूछा कि क्या 'मैं बड़ा चढाकर कह रहा हूँ?' परन्तु राष्ट्रपति आर. सी. दत्त व कुछ अन्य प्रतिनिधि तिलककी प्रस्तावनाके विरुद्ध थे। और जब तिलकने तर्कपर तर्क और प्रमाण देना शुरू किया कि प्रस्ताव पेश करने से रोकना नहीं जा सकता तो राष्ट्रपतिने धमकी दी कि यदि तिलक जिद्द करेंगे तो 'मैं त्यागपत्र दे दूँगा'।"

परन्तु बादमें दादाभाई नौरोजीको भी अंग्रेजी शासनमें कोई विश्वास नहीं रहा। उन्हीं नौरोजीने, जिन्होंने दूसरी कांग्रेसमें राष्ट्रपतिके पदसे सम्राज्ञीके घोषणापत्रपर बोलते हुए एलान किया था कि "प्रत्येक शिशुको, जसमें उसे समझ आने लगती है और वह तुलना शुरू कर देता है, इसे कठाम्र करा देना चाहिये", कुछ वर्षों बाद लिखा कि "भूतपूर्व शासक कर्तारजी भोंति इधर उधर आघात करते थे परन्तु अंग्रेज कुशल सर्जनकी भोंति अपने वैज्ञानिक हाथियोंसे सीधे दिलपर वार करते हैं और मजा यह कि घाय दिरालाई भी नहीं पड़ता क्योंकि नुरत ही सम्मता, उन्नति और दुनिया भरकी लच्छेदार बातोंकी मरहमकी मोटी तह घावको ढक लेती है।"

आयरलैण्ड स्वधी आर्थर-बालफोरके भाषणोंमें, जिसका आर० पी० करन्दीकरने १९०४ की बम्बई कांग्रेसमें उल्लेख किया था, भारत सरकारकी औद्योगिक नीतिके परिणामोंके बारेमें कहा गया है कि "एक एक करके हर उन्नति कर सकनेवाले उद्योगका जन्मते ही गला घोट दिया गया है या हाथ पैर बाँधकर इंग्लैण्डमें विरोधी हितोंके हवाले कर दिया

१. हीरेन्द्रनाथ मुखर्जीकी; इण्डिया स्टूडन्स फॉर फ्रीडम, से उद्धृत पृष्ठ-२९



गया है। यहाँ तक कि धन उत्पन्न करनेवाला प्रत्येक न्यौत दृढ़तासे बन्द कर दिया गया है और पूरे राष्ट्रको विवश होकर खेतीपर निर्भर होना पड़ा है।” उन्हीं दिनों एक राजनीतिज्ञने अंग्रेजी और मुसलमानी शासनोंकी इस प्रकार तुलना की “शिक्षा, रक्षा और ग्लेकोंके लिए अंग्रेजी शासन अधिक अच्छा है, परन्तु भारतकी धन-सम्पत्तिकी दृष्टिसे मुसलमानी शासन श्रेष्ठतर था, मुसलमान भारतीय बन गये और उनका धन भारतकी ही सम्पदा रहा जब कि अंग्रेज देशकी सम्पत्तिकी लूटकर विदेश ले गये।”

---

## अध्याय ८

### मुस्लिम सम्प्रदायवादी राजनीति

मुसलमानी राजनीतिके सिलसिलेवार विवरणके लिए हमको १८८०-९० के इतिहासपर दृष्टिपात करना पड़ेगा। यद्यपि कांग्रेसने अपना जीवन राजभक्तिपूर्ण विरोधोके रूपमें आरम्भ किया था, फिर भी नौजवाही और गैरसरकारी यूरोपियन इनकी जरा सी भी आलोचना सुननेको तैयार नहीं थे। उनकी झुठता आग्ल भारतीय अखबारोंके कालमें व्यक्त होती थी और अलीगढ कालेजके अग्रेज प्रिंसिपल बेकने अखबारोंको कांग्रेस विरोधी सामग्री व लेख देनेमें प्रमुख भाग लिया। बेकने १८८३ में प्रिंसिपलका पद प्रहण किया और शुरू शुरूमें मुसलमान उनको अग्रेजोंका गुमचर समझते थे। परन्तु यह भाव थोड़े ही दिनोंमें विलीन हो गया और बेक मुसलमानोंके सबसे अच्छे मित्र समझे जाने लगे। इंग्लैण्डमें एक भाषणमें उन्होंने कहा कि “भारतके लिए पार्लिमेण्टरी प्रणाली नितान्त अनुचित है और प्रतिनिधिसभाओं (रीप्रेजेंटेटिव इन्स्टीट्यूशन) के आरम्भ किये जानेका प्रयोग असफल और व्यर्थ सिद्ध होगा। मुसलमान हिन्दू बहुमतकी अधीनतामें रहेंगे और इस बातको मुसलमान बहुत बुरा मानेंगे। मुझे तो यह विश्वास है कि वे खामोशीमें इसको स्वीकार नहीं करेंगे।”

पहला काम जो बेकने किया वह अलीगढसे प्रकाशित ‘इन्स्टीट्यूट गजट’ का प्रबन्ध अपने हाथमें लेना था। सर सैयद अहमद खाँ इस अखबारके सम्पादक व प्रबन्धक थे। बेकने ‘गजट’के कालमेंका इस्तेमाल बंगाली हिन्दुओं और सर सैयद अहमद खाँके बीच दुश्मनी पैदा करनेके लिए किया। “उस समयतक सर सैयद अहमद खाँके विचार बंगालियोंके वारेमें बहुत ऊँचे थे। वे समझते थे कि बंगालियोंके ही कारण शिक्षामें बहुत उन्नति हुई है और देशमें स्वतन्त्रता और देशभक्तियों भावना फैली है। वे कहा करते थे कि “ये सब जातियोंके विरमौर हैं और उन्हें ( सर सैयद अहमद खाँको ) बंगालियोंपर नाज है।”

बंगालियोंको गालियाँ देकर बेकने अपनी राजनीति शुरू कर दी। उन लेखोंकी जिम्मेदारी सर सैयदके सर जाती थी। उनमें तथा सर सैयद अहमद खाँके बीच बहुत दूरीका भन्तर था। स्पष्टतः उन्होंने यह बात जाननेकी कोई कोशिश नहीं की कि इन लेखोंका असली लेखक कौन है ! वे समझे कि चूँकि सर सैयद पत्रके सम्पादक हैं इसलिए यदि ये लेख उन्होंने स्वयं नहीं लिखे हैं तो लेखोंका अनुमोदन अवश्य किया है। दोनोंके बीच एक खाई पैदा कर दी गयी जो प्रतिदिन बढ़ती ही गयी।

“परन्तु कुछ ही समय बाद बंगाल नेशनल लीग नामक एक सखाना जन्म हुआ और ‘स्टार इन दो वेस्ट’ जैसे पत्रोंका प्रकाशन शुरू हुआ जिनकी नीति लडाकू और भाषा व शैली अपमानजनक थी और जिन्होंने लोगोंमें राजद्रोह और विप्लवको एक नयी भावना फैलायी।

१. सुहम्मद नोमानजी ‘मुस्लिम इण्डिया’ से उद्धृत, पृष्ठ ५२

२. तुफैल अहमद, मुसलमानोंका रीजन मुस्तकबिल, पृष्ठ २९१

सर सैयदने बंगालियों द्वारा आरम्भ किये हुए उद्वेलनसे अपना नाता तोड़ लेना अधिक श्रेयस्कर समझा क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी भी प्रकारके उद्वेलनमें मुसलमान भी शरीक समझे जायँ । मुसलमानोंके बीच आंदोलन करनेके माने विद्रोह खड़ा कर देना था और सर सैयद यह खतरा मोल लेनेके लिए तैयार नहीं थे ।”

सर सैयदमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, जैसा कि उनके मध्य प्रांतके स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक (लोकल सेल्फ गवर्मेंट) सम्बन्धी वहसके दौरानमें, किये गये भाषणसे प्रतीत होता है । उन्होंने कहा कि “मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि हिन्दोस्तानका कोई भी हिस्सा इस काविल नहीं है जहाँपर प्रतिनिधि संस्थाओंके तरीकेका पूरा इस्तेमाल किया जा सके । प्रतिनिधि-संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित स्वायत्त शासनका उल्लंघन शायद सबसे महान और उत्तम शिक्षा है जो भारतको इंग्लैण्डकी उदारता सिखायेगी । परन्तु इंग्लैण्डसे प्रतिनिधि-संस्थाओंकी प्रणालीको उधार लेते वक्त इंग्लैण्ड और भारतके सामाजिक-राजनीतिक अन्तरकी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यानमें रखना परम आवश्यक है । भारतकी वर्तमान समाजिक एवं राजनीतिक दशा सदियोंके निरंकुश अनिश्चित राज्यक्रम व कुशासन एक जातिके ऊपर दूसरी जातिकी, एक धर्मके ऊपर दूसरे धर्मकी प्रधानता और प्रभुत्व के इतिहासका परिणाम है । जनताके विचारों, परम्पराओं और उसकी वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक दशापर उसके अतीतके इतिहासका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । मनुष्यता सिखलानेवाला अँग्रेजी शासन अभी भी अँग्रेजी प्रभुत्व द्वारा लायी हुई शान्तिके पूर्वकालीन युद्ध, रक्तपात, वैमनस्य और लड़ाई-झगड़ेकी यादको दिमागसे हटा नहीं पाया है । भारत स्वयं एक महाद्वीप है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं व भिन्न-भिन्न जातिके लोग बसते हैं । धर्मकी मदान्धताने पड़ोसियोंको भी अलग रखा है । जाति-भेद अभीतक सशक्त और प्रधान है । एक ही जिलेमें विभिन्न कौमों और मतोंके लोग मिलेंगे । यदि एक तबकेके पास धन व व्यापार है । दूसरेके पास अकल और तालीम । एक तबका संख्यामें दूसरेसे बड़ा हो सकता है । आवादीके एक हिस्सेका बौद्धिकस्तर शेष आवादीसे बहुत ऊँचा हो सकता है । एक समाज जिला बोर्डों और स्थानीय बोर्डोंमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेके महत्त्वको बखूबी समझ सकता है, जब कि हो सकता है कि दूसरा इससे विलकुल ही विमुख हो । ऐसी हालतोंमें इस बातसे इन्कार करना मुमकिन नहीं है कि प्रतिनिधि-संस्था-प्रणालीके भारतमें शुरू करनेमें काफी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी और इससे पैदा होनेवाले सामाजिक व राजनीतिक खतरोंको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता.....निर्वाचनसे प्रतिनिधित्व तय करनेकी पद्धतिके माने जनसंख्याके बहुमतके विचारों और हितोंका प्रतिनिधित्व है और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे देशोंके लिए जहाँ एक ही जाति और विचारधाराके लोग बसते हैं यह प्रणाली सर्वोत्तम है, लेकिन श्रीमान् ! भारत ऐसे देशमें जहाँ जाति-व्यवस्था अभीतक सशक्त है, भिन्न-भिन्न जातियोंका संगम नहीं बन पाया है, धार्मिक वैमनस्य अभीतक प्रखर है, जहाँ आवादीके हर हिस्सेको आधुनिक अर्थमें शिक्षा, वरावरीसे और टीक अनुपातमें, नहीं मिली है, मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जिलाबोर्डों और स्थानीय बोर्डोंमें विभिन्न हितोंके प्रतिनिधित्वके लिए निर्वाचनके सिद्धान्तको आरम्भ करनेसे भयानक बुराइयाँ पैलेंगी जो आर्थिक विपमताओंसे !कही अधिक भयंकर होंगी । जबतक कौमी और धार्मिक मतभेद, जाति

व्यवस्थाके भेद-भाव, भारतके सामाजिक और राजनीतिक जीवनके महत्त्वपूर्ण अंग हैं और वहाँके रहनेवालोंके शासन सम्बन्धी व देशकी भलाई-सम्बन्धी विचारोंपर प्रभाव डालते हैं; निर्वाचन प्रणाली नहीं अपनायी जा सकती। यह समाज छोटे समाजके द्वितीय पर काबिज हो जायेगा और अज्ञान जनता ऐसे विपत्तियोंके लिए जो कौमी और विचार-भारतोंके अन्तरको पहलेसे अधिक घेनस्यतापूर्ण और प्रसार बनानेवाले हैं सरकारको उत्तरदायी ठहरायेगी।<sup>१</sup>

इस भाषणने हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचका अन्तर स्पष्ट कर दिया। एक तरफ तो ऐसे राजनीतिक वे जो हिन्दू थे और प्रजातांत्रिक संस्थाओंके शुरू किये जानेके लिए ध्येय थे और उनके लिए उत्साहसे प्रयत्न कर रहे थे। दूसरी तरफ विरोधमें सर सेवद थे जो मुसलमानोंके एकमात्र सहायकार समझे जाते थे। धीरे-धीरे अलगावकी भावनाएँ बढी और एच० जे० एस० कॉटनने एक प्रबंध (मीसिस) तैयार कर लिया 'जिसमें हिन्दू और मुसलमान' अलग अलग दो राष्ट्र हैं, यह बात प्रतिपादित किया गया। उन्होंने लिखा कि—

“हिन्दू और मुसलमानोंके परस्पर सम्बन्धी अस्थिरताकी तरफ, उस ईश्यायी तरफ भी जो दोनोंके बीचमें है और जो अंग्रेजी शासनके मातहत भी प्रत्यक्ष है, भर्मान्यताकी स्थानीय उन्मूलकी तरफ, इस्लामके सहायकार अनुयायी भक्तोंकी कृष्ण और कालीके मूर्ति पूजकोंके प्रति पैदाहसी उपेक्षाकी तरफ, आँसू बन्द कर देना असम्भव है। इसलिए इस दानेके लिए यथेष्ट आधार है कि एक समाज दूसरेकी अधीनता सहन नहीं कर सकता। याकई, मैं खुद भी यह बात नहीं मानता कि दोनोंमें शायद समिभ्रण हो जाय या किसी भी समाजमें ऐसा नेता मिल जाय जिसकी दोनों पक्षोंके प्रति समान सहायुभूति हो। वास्तवमें दोनों पक्षोंके नेता अलग होनेके लिए काफी हदतक सहमत हैं। भौतिकदृष्टिसे भारतके कई भागोंमें मुसलमान मुस्लिम सामन्ती वर्ग इस प्रकारसे बँटा हुआ है कि अपने हिन्दू प्रतिद्वन्द्वियोंसे शायद बचना मुमकिन है। इसलिए यह भयंकर प्रतीत होता है कि अंग्रेजी सरकार इस समाजात्मिक प्रवृत्तको मदद दे। सौभाग्यवश नीची श्रेणियोंके वर्गोंपर इस पृथक्ताका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जनताके यथे भागको एकीभूत होनेकी कठिनाइयों न उठानी पड़ेंगी। उदाहरणके तौरपर मगालके दोआबके सहायकार दिहसेमें शान्तिप्रिय और सीधे साधे लोग आबाद हैं, वे नाने हिन्दू हैं या मुसलमान, दोनोंमें बहुत लम्बे समयसे साथ साथ रहनेके कारण अनिष्ट संघर्ष है। इस्लामके माननेवालों, जो निस्सन्देह जनसंख्यामें अधिक हैं, तथा उस भूभागके प्राचीन निवासियोंमें भाषा, रीति रीवाजकी दृष्टिसे बहुत कम अन्तर है, अतः देशके इन विभाजनसे कोई कठिनाई नहीं पैदा होती; लेकिन देशके दूसरे भागोंमें, आमतौरपर मुसलमान अब भी उगी प्रकार समाजके प्रभावशाली मुख्य सदस्य हैं जेमे कि मुसलमान राजदारी जमानेमें। उन्होंने अपनेको कानिचोंसे बिलगुल ही पृथक् कर लिया है, जिनके साथ उनको रहना पड़ता है।”

यह १८८६ में लिखा गया था, उन कथित अनुभवोंपर, जो भी कॉटनने मगाल विधिल सन्तर्कके एक अपसरणी हैतियतसे कई वर्षोंमें प्राप्त किये थे। अंग्रेजी शासनमें, उच्च वर्गके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पहली त्राई तब पैदा हुई जब

१. मुहम्मद नोमान, 'मुसलिम इण्डिया'से उद्धृत—पृष्ठ ३४-३६

२. कॉटन—मू. इण्डिया, पृष्ठ १२३-२४

बंगालके मुस्लिम खानदानोंकी जायदादें, उनसे लेकर, हिन्दुओंको दे दी गयीं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मुसलमान किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षाका वॉयवॉट कर हिन्दुओंसे बहुत पिछड़ गये थे—इस बातने मुसलमानोंकी राजनीतिक विकासकी तरफ उदासीन कर दिया! यहाँतक कि अंग्रेजोंने ही मुसलमान नेता वर्गको यह सझ दी कि संख्यामें कम मुसलमान शिक्षित वर्ग हिन्दुओंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर राजनीतिक प्रगतिके पथपर न चल सकेंगे। वहाबी आन्दोलनके दमनके बादके दस साल राजनीतिक दृष्टिसे एक बातके लिए महत्वपूर्ण हैं; इस कालमें लड़ाकू और हर त्रिटिश-विरोधी मुसलमान सम्राज्ञीकी राजभक्त प्रजा बन गया; और राजभक्त शिक्षित हिन्दुओंमें धीरे-धीरे ऐसी भावना पनपने लगी जिससे अंग्रेज चिढ़ने लगे। जहाँ अंग्रेजोंने ताकतके जोरपर वहाबी-आन्दोलनका दमन कर दिया था, वे एक वैधानिक उद्वेलनको दवा नहीं सके; क्योंकि वे स्वयं अपने मतके तर्कके अनुसार वैधानिक उद्वेलन और हिसारमक आन्दोलनको समान नहीं समझते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि वे इससे परेशान नहीं थे, सिर्फ इस उद्वेलनको दवानेका तरीका भिन्न था। इस मामलेमें दमनके उपाय फौजी न होकर सिविल थे। उदाहरणके लिए सिविल शासनकी एक चाल भिड़ा जनताके एक हिस्सेको दूसरेके खिलाफ कर देना है, एक धार्मिक सम्प्रदायको दूसरे सम्प्रदायसे बढ़ा देना है। हालाँकि हिन्दू राजभक्तोंका एक बहुत बड़ा हिस्सा उतनी ही लगनमें अंग्रेजी शासनका समर्थन करता था जितना कि मुसलमानोंका, हिन्दू नेताओंने नयी चेतनाएँ उत्पन्न कीं, और अंग्रेज अधिकारियोंका यह सन्देह स्वाभाविक था कि हिन्दू चाहे कितने ही राजभक्त क्यों न हों, वे अपने समाजके नेताओंसे अवश्य प्रेरित और प्रभावित होंगे। चूँकि मुसलमानोंमें हिन्दू नेताओंके समकक्ष नेता नहीं थे इसलिए अंग्रेजोंके दिलोंमें यह धारणा जम गयी कि वे हिन्दुओंसे अधिक मुसलमानोंका विश्वास कर सकते हैं।

प्रथम कांग्रेस अधिवेशनके एक वर्ष बाद अलीगढ़में प्रथम मुहमदन शिक्षा सम्मेलनमें कांग्रेसके विरोधमें संघटित आवाज उठायी गयी। इस सम्मेलनमें सर सैयद अहमद खान भाषण किया। उन्होंने विचारोत्तेजक बातें कहीं “मैं उन लोगोंसे सहमत नहीं हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि सियासी बहसों कौमी-तरकीमें मददगार साबित होंगी। मैं सिर्फ तालीमकी तरकीको कौमकी तरकीका जरिया मानता हूँ।” सर सैयदके रोंगटे मुसलमानोंके विद्रोहके बादके क्रान्तिकारी कार्योंके परिणामोंको सोचते ही खड़े हो जाते थे और वे मुसलमानोंके एक बार फिर राजनीतिके भँवरमें कूद पड़नेका खतरा उठानेके लिए तैयार नहीं थे चाहे वह राजनीति कांग्रेसकी ही तरहकी क्यों न हो। पिछली घटनाओंपर खेद प्रकट करते हुए ये कहते कि यदि वे घटनाएँ न हुई होती तो “हमारे कितने ही नौजवान” आज “महत्वपूर्ण फौजी व सरकारी पदोंपर आसीन होते।”

अगले वर्ष मुहमदन शिक्षा कांग्रेस (जिसका नाम बादमें मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन हो गया, दिसम्बर १८८७ में लखनऊमें हुई जहाँपर सर सैयदने अपना पहला कांग्रेस विरोधी भाषण किया। यह कूटनीतिक भाषाके आवरणमें लिपटा हुआ था और श्रोताओंके बड़े हिस्से, अमीर और कुलीन मामन्ती वर्गके मुसलमानों, की भावनाओं और मनोदशाके अनुकूल था। “आप लोग, मुझे विश्वास है” उन्होंने कहा “यह कभी भी गवारा न करेंगे कि एरे गैरे नत्थू खैर वी. ए. और एम. ए. की डिग्रियाँ हासिल कर

छेनेके बाद विधान परिषदोंमें बैठे और आपके ऊपर हुजूमत करे। जरा कयात फीजिये कि वाइसराय साहब इन लोगोंको 'मेरे सहयोगी' या 'मेरे माननीय सहयोगी' कह कर सम्बोधन करेंगे। सरदार इसके लिए कभी भी राजी न होगी। वाइसराय इन लोगोंको पानेपर या सरकारी उत्सवोंपर कभी दावत नहीं दे सकते जहाँ ब्यूक और अर्थ जैसे आदरणीय महापुरुष तशरीफ लायेंगे।" सर सैयद विधान परिषदोंमें वृद्ध करने और उनमें निर्वाचित भारतीयोंके शामिल बि गे जानेकी काँग्रेसकी गोंगके विरोधमें बोल रहे थे।

इसके बाद उन्होंने काँग्रेसकी इस माँगको लिया कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इण्डियन सिविल सर्जिनी परीक्षाएँ एक साथ लेकर देशके शासनमें उन्हें उचित हिस्सा दिया जाय। उन्होंने उम्मी तैसमें बोलते हुए कहा "भारतके आला खानदानोंके लोग यह वैसे गयारा कर सकते हैं कि सामान्य लोग, जिनकी पैदाइशसे वे अच्छी तरह नाफिक है, उन पर हुजूमत करे। अमेजोंकी बात दूसरी है क्योंकि वहाँ बैठकर इतनी दूरीसे हम अन्दाज नहीं लगा सकते कि कौन किस तरहसे आता है। फिर इंग्लैंड प्रतियोगिता-परीक्षाके लिए उचित स्थान है क्योंकि यहाँकी आवादीमें एक ही तरहके लोग हैं; लेकिन हिन्दोस्तानमें तो कई कौमों बसते हैं। फिर हिन्दोस्तान एक और वजहसे प्रतियोगिता परीक्षाओंके लिए अयोग्य स्थान है; यदोंके विभिन्न निवासियोंके शिक्षा स्तरमें बहुत अन्तर है—शिक्षाकी दृष्टिसे मुसलमान पिछड़े हुए हैं; और इस सबे (गू. पी.) के हिन्दू बंगालियोंके मुवाविलेमें निशामें पिछड़े हुए हैं।" सर सैयद उत्तरी भारतके उमा और मथ्या वर्गीय मुसलमानोंके निर्दि-याद नेता थे; और स्वाभाविक था कि उनके उद्गारोंपर राजनीतिक बहस चिड़ जाय। अपने मतानी मुस्लिम सर सैयद सुल्फर गुरानरा हवाला दिया करते थे, जिसे वे अपने लोगका सबसे बड़ा दोस्त मानते थे। सल्फरके मुहम्दन शिक्षा काँग्रेसके अधिवेशनके दौरान बाद ही उन्हें सरका रिताय मिला। यह आदर उस समय बहुत महत्वका समझा जाता था।

जब १८८८ में गू. पी. के ऐपिटनेण्ट गवर्नरने इलाहाबादमें काँग्रेसका अधिवेशन न होने देनेके लिए भरसक रोड़े अटकाये, काँग्रेस विरोधी आन्दोलनने काफी जोर पकड़ा। उस वर्ष कुछ हिन्दुओंने गौवध विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया और अलीगढ़ विचारके लोगोंको इससे काँग्रेसके तालाफ एक और दृष्टिपार मिल गया। बाबूद इसने, उधियाना, जल्पर होशियारपुर, कपूरथल, अमृतसर, छपरा, गुजरात, जम्मू, पिनोडपुर, पसर, मुत्तान, अम्बाला, सहाजनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद वगैरहके मुस्लिम मजदबी नेताओंके दस्तावतोंसे एक कताा जारी किया गया जिसमें घोषणा की गयी थी कि मुसलमान काँग्रेसमें शामिल होनेके लिए आजाद है। ये सब नेता खुद काँग्रेस अधिवेशनमें भाग लेनेको उत्सुक थे। लेकिन इनमें प्रतिनिधियोंकी नियमित योग्यताओंकी एक कमी थी—ये अमेजी नहीं जानते थे।

१८८८ के काँग्रेस विरोधी कार्योंकी चरम सीमा पहर राजभक्तों द्वारा 'संयुक्त भारतीय देशभक्त संघ' (लिमिटेड इण्डियन पेट्रिआटिक एसोसियेशन) नामी एक संस्थाकी जन्म देना था। प्रत्येक व्यक्ति इस संघका सदस्य हो सकता था। इसने उद्देश्य थे—(१) पार्लियेण्टके सदस्योंको विभास दिलाना कि भारतीय जनता काँग्रेसके साथ नहीं है

और 'इसके गुमराह करनेवाले वक्तव्योंका' विरोध करती है। (२) कांग्रेस विचारधाराके विरोधमें प्रचार करना।

संघकी पहली गीटिंगमें निश्चय किया गया कि अंग्रेजीमें एक पत्रिका निकाली जाय और इसकी नीति निर्धारित करनेके लिए यूरोपियन सम्पादक नियुक्त किया जाय। इस अभिसन्धिके पीछे वेकका कुटनीतिज्ञ दिमाग था, यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि इसे बनानेके बारेमें भेजे गये गइती खतोंपर उनके और सर सैयदके दस्तखत थे। संघके सदस्य मुख्यतया, मुसलमान नवाब, हिन्दू राजे, खिताब पाये हुए लोग और कुछ अंग्रेज थे। इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क एक पौण्ड था। राजा शिवप्रसाद इसके सबसे कर्मठ सदस्योंमेंसे थे। उन्होंने सरकारको यह सुझाव देकर कि कांग्रेसको गैरकानूनी करार दे दिया जाय सबसे वाजी मार ली। सर सैयदको अपनी सफलतापर बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने अपने जीवनी-लेखक कर्नल ग्रैहमको लिखा ".....मैंने तथाकथित राष्ट्रीय कांग्रेस (नैशनल कांग्रेस) की मुखालफतमें एक बहुत बड़े कामकी जिम्मेदारी ली है, और एक संघ बनाया है।"

लेकिन एक सीमित क्षेत्रके बाहर सर सैयद और वेककी आवाज नहीं मानी जाती थी। बहुतसे मुसलमान अभीतक कांग्रेस अधिवेशनोंमें भाग ले रहे थे और उनमें शामिल होना उन्होंने जारी रखा। १८८७ में सर सैयदने लखनऊमें अपना पहला कांग्रेस विरोधी भाषण किया। इस वर्षके कांग्रेसके अधिवेशनके अध्यक्ष वम्बईके गइहूर मुसलमान वदरहीन तैयब जी थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशनमें वम्बईके अंजुमने इस्लामकी नुमाइन्दगी की। उन्होंने इस मतकी मुखालफत की कि मुसलमान कांग्रेसमें न शरीक हों।

लेकिन वेकने अभी तक हिम्मत न हारी थी। अलीगढ़ कॉलेजके, जहाँसे वाकी सब मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओंके मुकाविलेमें ज्यादा मुसलमान स्नातक (ग्रेजुएट्स) निकलते थे, प्रधानाध्यापककी हैसियतसे वेकके पास मुसलमानोंके दिमागकी चाभी थी। उन्हें शिक्षणकार्यसे अधिक उनके व्यक्तित्व बनानेमें अधिक दक्षता प्राप्त थी। यदि उन्हें अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिए सच्चाईको तोड़ना-मरोड़ना भी पड़े तो भी वेक मुसलमानोंको हिन्दुओंके खिलाफ खड़ा करनेके किसी मौकेसे न चूकते थे। स्पष्ट था कि ईमानदारी या अन्तरात्मा उनको कभी कष्ट नहीं देती थी। १८८९ में चार्ल्स ब्रेटल्लोने भारतीय प्रशासनमें सुधार आरम्भ करनेका सवाल पार्लमेंटमें उठाया। जैसा कि हम देख चुके हैं, ब्रेटल्लोके विधेयक (बिल) का आशय भारतमें प्रजातन्त्रवादका एक उखलका शुरु करना था। वेकने तुरन्त ही ब्रेटल्लोके विधेयक के खिलाफ मुसलमानो-लोकमत जागरित करना आरम्भ कर दिया। चूँकि उन्हें अपनी सफलतामें किञ्चित् सन्देह था, लिहाजा उन्होंने चालवाजीकी शरण ली। लगभग उसी समय हिन्दुओंने गो-वध-विरोधी उद्वेलन शुरु किया था। वेकने अनेक मुसलमानोंकी तरफसे एक स्पृतिपत्र तैयार किया जिसमें यह साबित करनेकी चेष्टा की गयी थी कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओंके अयोग्य है। अलीगढ़-विद्यार्थियोंके जयंथ भिन्न-भिन्न शहरोंमें हस्ताक्षर-आन्दोलन चलानेके लिए भेजे गये। स्वयं वेक मौजवानोंकी एक टोलीके साथ पहिले ही दिल्ली रवाना हो गये। वहाँ वे प्रसिद्ध जामा मस्जिदके फाटक-पर बैठ गये और वहाँसे अपने विद्यार्थियोंको राहगारोंके पास जाते देखते, जुमेकी नमाजसे

लौटे मुसलमानोंको समझाया जाता कि स्मृतिपत्रमें ( जो अग्रोजीमें था ) सरकारसे मुसलमानोंके गौ-बुश्राके हक्की हिजाजत करनेकी प्रार्थना की गयी है, क्योंकि हिन्दू उन्हें उर्राधे वचित्त करनेकी योजना बना रहे हैं। इस प्रकारसे २०७३५ हस्ताक्षर ह्वट्टे किये गये और पार्लमेंटके सामने स्मृति पत्र पेश कर दिया गया।”

इस स्मृतिपत्रकी न तो किसी माने हुए मुस्लिम नेताने अगुआई की थी और न इसपर किसीके हस्ताक्षर ही थे।

जब थेक हिन्दू और मुसलमानोंके बीच दरार डालनेकी जीतोड़ कोशिशें कर रहे थे, वाइसरॉय लार्ड डफरिनने प्रस्तावित सुधारोंमें मुसलमानोंके लिए पृथक् प्रतिनिधित्वका मुझाव रखकर इस प्रयत्नको पूरा कर दिया। डफरिनकी भारत सरकार और अग्रोजी सरकारने इसको बहुत होशियारीसे हासिल किया। उन्हें इस बातका भय था कि शायद पार्लमेंट पृथक् निर्वाचनको स्वीकार न करे। अधिकृत सुधार विधेयक ( रिफार्ज बिल ) में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी थी और न ऐक्टमें ही कही इसका जिक्र था। लेकिन विनियमन ( रेगुलेशन्स ) बनानेवालोंको दिये गये निर्देशोंमें पृथक् निर्वाचनकी व्यवस्था की गयी थी।

१८९० के कांग्रेस अधिवेशनमें सुधार प्रस्तावपर बोलते हुए एक मुसलमान सदस्य सैयद सफुद्दीनने इसका तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और सुधारोंसे उनका अहित होगा, इस तर्कमें जरा भी दम नहीं है। उन्होंने कहा “आप पटना शहरको ही लीजिये, म्यूनिस्पैलिटीमें २० सीटें हैं बावजूद इस बातके कि हिन्दू बहुसंख्यक हैं, वे अधिमतस्तर मुसलमानोंको ही चुनते हैं। बीसमें तेरह मुसलमान सदस्य हैं। बम्बईमें हिन्दू जबरदस्त बहुमतमें हैं, फिर भी वहाँ पाँच पारसी, तीन यूरोपियन, दो हिन्दू और दो मुसलमान सदस्य हैं। हमारे देशमें अभी तब बहुमत और अल्पमतके प्रश्नके ऊपर कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है और न इस प्रकारका कोई सवाल उठना ही चाहिये।”

डा० आम्बेटकरने कहा है कि इस व्यवस्थाके आरम्भके लिए कौन जिम्मेदार था, यह एक रहस्य है। पृथक् निर्वाचनकी योजना किसी संघटित मुसलमान सघके आन्दोलनका परिणाम तो थी नहीं। तब यह किसने शुरू की? यह कहा जाता है लार्ड डफरिनने इसका आविष्कार किया था, जिन्होंने १८८८ में ही विधान परिषदके प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर इस बातपर जोर दिया था कि इंग्लैण्डकी तरहकी प्रतिनिधित्व प्रणाली भारतमें लागू नहीं की जा सकती। यहाँपर हिंदुओंको प्रतिनिधित्व देना होगा।

एक सवाल और उठता है कि किस बातने लार्ड डफरिनको यह योजना पेश करनेको प्रेरित किया? ऐसा समझा जाता है कि मुसलमानोंकी कांग्रेससे अलग करनेका विचार, जो तीन वर्ष पहले ही उत्पन्न हो चुका था, इसके लिए उत्तरदायी है। जो भी हो, इस ऐक्ट द्वारा मुसलमानोंके लिए पृथक् प्रतिनिधित्व पहली बार भारतीय संविधानका एक अंग बन गया।”

१. वही पुस्तक पृष्ठ—३००

२. अम्बेडकर—पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इण्डिया पृष्ठ-२४०

३. सर मुहम्मद जफरीका ‘माइनासिटीज सब कमेटी ऑफ दी फर्स्ट राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेंस’ ( इण्डियन एडिशन ) का भाषण पृष्ठ-५७

४. राजा नरेन्द्रनाथका भाषण, वही पुस्तक, पृष्ठ ६५



बिना किसीके माँगे हुए १८८८ में डफरिनकी सुधार-समितिये पृथक् प्रतिनिधित्वके सिद्धान्त का प्रस्ताव सामने रखा। वेक द्वारा चलाया हुआ हस्ताक्षर आन्दोलन इसके वाद हुआ और यह साफ समझा जा सकता है कि वेकने वाइसरायसे सम्पर्क स्थापित कर लिया था और अपने लोकतन्त्र विरोधी प्रस्तावोंके पक्षमें किसी प्रकारका दिखाऊ तर्क उपस्थित करनेका प्रयत्न कर रहे थे।

१८९३ में वेकने कहा कि तिलकके गणपति-उत्सवोंसे मुसलमानोंकी भावनाओंको दुःख पहुँचता है। ३० दिसम्बर सन् १८९३ को सर सैयदकी सहायतामें उन्होंने उत्तरी भारत का मुहम्मदन आंग्ल प्राच्य सुरक्षा संघ ( दि मुहम्मदन एंग्लो ओरियण्टल डिफेन्स एसोसियेशन आव अपरइंडिया ) कायम किया। यद्यपि वेकका भारतीय देशभक्त संघपर पूरा प्रभाव था, फिर भी अपनी अभीष्ट सिद्धि वे उसकी सहायतासे नहीं कर सकते थे, क्योंकि गैर मुसलमान भी इसके सदस्य थे। इसलिए उन्होंने 'देशभक्त संघ'को छत्रम करके केवल मुसलमानोंका एक संघटन खड़ा कर दिया, जिसके मन्त्री वे स्वयं बने।

अपने उद्घाटन-भाषणमें उन्होंने कहा "भारतीय देशभक्त संघ दोषयुक्त साबित हुआ, क्योंकि इसके कार्योंने जन-उद्बोलनोंका रूप ग्रहण कर लिया था। इसमें पचास संघ सम्मिलित थे। इसके अलावा यह सिर्फ मुसलमानोंका ही संघटन नहीं था, हिन्दू भी इसके सदस्य थे। हम यह प्रस्ताव करते हैं कि इस नये संघमें, जिसको हम बना रहे हैं, किसी भी शाखाको न शामिल किया जाय। और न कोई सार्वजनिक सभा की जाय। संघकी परिपदको समस्त अधिकार दे देने चाहिये।"<sup>१</sup>

वेकने एक अंग्रेजी पत्रिकामें लिखा "इस देशमें पिछले कुछ वर्षोंमें दो आन्दोलन हुए हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और दूसरा गोवध विरोधी आन्दोलन। पहला आन्दोलन अंग्रेजोंके खिलाफ है और दूसरा मुसलमानोंके। कांग्रेसका ध्येय अंग्रेजोंके हाथोंसे देशकी वागडोर छीनकर हिन्दुओंके हाथ सौंप देना है। वह हथियार कानून (Arms Act) को वापस लेनेकी माँग करती है, फौजी व्यवमें कमीकी माँग करती है जिसका नतीजा सीमा प्रान्तकी सुरक्षामें कमजोरी होता है। मुसलमानोंको इन माँगोंसे कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। गोवध रोकनेके लिए हिन्दुओंने मुसलमानोंका वहिष्कार तक करना प्रारम्भ कर दिया है.....जिसका नतीजा आजमगढ़ और बम्बईके दंगोंका रक्तपात है। यह अंग्रेजों और मुसलमानोंके लिए अत्यावश्यक हो गया है कि वे इन आन्दोलनकारियोंसे लड़नेके लिए एक हो जायँ और गैर मुनासिब प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणालीको लागू होनेसे रोकें क्योंकि वह देशकी जहनीयतके विपरीत और गैर जरूरी है। इसलिए हमारी सम्मतिमें सरकारके प्रति वफादारी और आंग्ल-मुस्लिम गठबन्धन होना चाहिये।"<sup>२</sup>

सुरक्षा संघके उद्देश्य थे ( १ ) मुस्लिम-भारतके विचारोंसे अंग्रेजोंको आमतौरसे और सरकारको विशेष तौरपर अवगत कराना व मुसलमानोंके राजनीतिक अधिकारोंकी सुरक्षा करना। ( २ ) भारतमें अंग्रेजी शासनको मजबूत करनेके लिए बनाये गये नियमोंकी पूरी

१. तुफैल अहमदकी उसी पुस्तकसे अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन द्वारा 'दी कम्यूनल ट्राइंगिल'में अनुवादित, पृष्ठ २६

२. वही पुस्तक पृष्ठ ५९

हिमायत करना । ( ३ ) मुगलमानोंमें राजनीतिक उद्वेलन पैलनेसे रोकना । ( ४ ) शान्ति-स्थापनाकी सहायता करना और जनतामें राजभक्तिकी भावना पैदा करना ।

कांग्रेस और हिन्दू विरोधी उद्वेलनमें बेरने कोशिश की कि अंग्रेज मुगलमानोंका पक्ष लें । कांग्रेस, उन्होंने कहा, अंग्रेजोंके विरुद्ध है और हिन्दू मुसलमानों के । वे मुसलमानोंको यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि कांग्रेस हिन्दू समाजके एक हिस्सेके लिए राजनीतिक सत्ता चाहती है लिहाजा कांग्रेसकी पौजी व्ययमें कमीकी माँगका मुसलमान समर्थन न करे क्योंकि इससे हुकूमत कमजोर हो जायगी । वे यह सिद्ध करनेमें सफल थे कि कांग्रेस और मुगलमानोंके हित एक ही हैं क्योंकि भोवध विरोधी आन्दोलन दोनों समाजोंके लोगोंके भोजनका प्रधान भाग छीननेका एक राजनीतिक पैतरा है, जिससे उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता था । उनका नारा था कि ब्रिटिश और मुसलमान दोनोंको अपने समान रातरे कांग्रेस व हिन्दूके खिलाफ एक हो जाना चाहिये । इस प्रकारके तर्कोंसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत प्रजातान्त्रिक रुखाओंके अयोग्य है । वेककी राजनीतिमा यह दौर सर सैयदके व्यक्तिगत दृष्ट विस्वाओंके बरतिलाप था परन्तु बेक अपनी बातपर अड़े रहे । सर सैयद बहुधा अपने अनुयायियोंसे कहते थे कि मायकी कुर्बानी करके अपने हिन्दू भाइयोंको नाराज करना अनुचित है क्योंकि गो-कुशीसे उनकी दोस्ती ज्यादा कीमती है ।

बेरने पार्लैमेंटमें पेश करनेके लिए एक और आवेदनपर लिखा और उसपर हजारों मुसलमानोंके दस्तखत करवाये । इसमें कांग्रेसकी भारत और इंग्लैण्डमें सिविल सर्विस परीक्षाओंके करनेकी माँग तुरत देनेकी प्रार्थना की गयी थी । ब्रिटिश हुकूमतका खुद भी इस माँगको मान लेनेका कोई हरादा नहीं था और उसने मधन्यवाद मुगलमानोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । सुरक्षा संघ (डिफेन्स एसोसियेशन)की परिषदके सामने सरकारका जवाब पेश किया गया और परिषदने भारत मन्त्रिके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित की ।

बेरके, मुसलमानोंके बगैर प्रतिनोगिता-परीक्षाओंमें बैठे सिविल सर्विसमें लोभे भर्ती कर लिये जानेके प्रयासने उसको बहुत जन-प्रिय बना दिया ।

१८९५ में वे इंग्लैण्ड गये । उनके वहाँ लगातार किये गये भाषणोंमें भारतीय राजनीतिको गुमराह करनेवाला निवरण था । उन्होंने कहा कि (१) मुसलमान और अंगरेज दोस्त बन सकते हैं लेकिन हिन्दू और मुसलमान नहीं । (२) मुसलमान कभी भी ऐसी शासन प्रणाली स्वीकार न करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दू उनपर हुकूमत करे । (३) भारतीयोंको प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली पसन्द नहीं है—वे राजतन्त्रको संयत्तर रक्षते हैं । (४) विद्रोहके बीच और बादके मुसलमानोंके विमर्शी तर्जें अगलने मुस्लिम समाजको हिन्दुओंकी उद्वेलनकारी राजनीति के प्रति सावधान कर दिया है, और मुसलमानोंको राजभक्त बना दिया है । (५) मुसलमान एक साथ परीक्षाएँ लेनेके विरोधी हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप निष्पक्ष अंग्रेज दान्तिमोंके स्थान-पर मुसलमान विरोधी हिन्दू आजायेंगे ।

अलीगढ़ कॉलेजकी १८९७ की परसरी माहवी पत्रिकाके अनुसार सुरक्षा संघकी अपनी वार्षिक रिपोर्टमें बेकने इस बातकी तरफ इशारा किया था कि संघकी परिषदकी अगली मीटिंगमें सर सैयद कांग्रेसकी पौजी राचेमें कमीकी माँगके खिलाफ तजवीज पेश करेंगे । सर सैयदने वास्तवमें ऐसा ही किया । इनका प्रस्ताव था कि संघकी संघमें भारतमें एक राष्ट्रीय

सेना होनी चाहिये लेकिन यह संघ फौजी व्ययमें किसी भी कमीके खिलाफ है। वे और एक कदम आगे गये और सीमाओंपर सेना बढ़ानेकी माँग की।

सितम्बर १८९९ में वेककी मृत्यु हो गयी। जैसा कि हार्डकोर्टके प्रधान-न्यायाधीश सर आर्थर स्ट्रैचीने उनको मृत्युपर कहा था भारतीय रंगमंचसे साम्राज्यकी जड़ें जमानेवाला एक अंग्रेज चला गया। उनके साथ ही मुहम्मडन सुरक्षा संघ भी लुप्त हो गया। सरसैयदका देहान्त एक वर्ष पूर्व ही हो गया था।

वेकके देहान्तके पश्चात् अलीगढ़ कॉलेजके प्रधानाध्यापक श्री थियोडोर मॉरोसन हुए। आप वहाँके भूतपूर्व प्रोफेसर थे और वेकने आपको राजनीतिक कामोंकी शिक्षा दी थी। वास्तवमें उनका शिक्षा तो पहले ही लन्दनमें शुरू हो चुकी थी जहाँ उन्होंने 'देशभक्त-संघ' (पेट्रियॉटिक एसोसियेशन) की शाखा खोल दी थी, बादमें आप लन्दनमें वेकके प्रधान प्रतिनिधि बन गये। मुस्लिम विद्यार्थियोंको नौकरी दिलानेके लिए रोजगार दिलाऊ दपतर खोलकर मॉरोसनने प्रधानाध्यापकीका कार्यकाल आरम्भ किया। यह अलीगढ़-कॉलेजकी परीक्षाओंके अनुरूप ही था ताकि विद्यार्थी अपनेको भविष्यका सरकारी नौकर समझें और राजनीतिक आन्दोलनसे बचे रहें।

वेकके पदचिह्नोंपर चलते हुए मॉरोसनने घोषणा की कि भारतमें प्रजातन्त्र अल्प-संख्यकोंको लकड़हारों और भिक्षुओंकी दशामें पहुँचा देगा। मुसलमानोंको यह सलाह ऐसे समयमें दी गयी जब कि हिन्दी-उर्दू विवादमें द्वारकी वेदनासे उत्तेजित होकर मुसलमान एक राजनीतिक संघटन बनानेकी सोच रहे थे। संक्षेपमें कहानी यह है कि—कुछ हिन्दुओंकी प्रार्थनापर यू० पी० सरकारने १८ अप्रैल १९०० को एक प्रस्ताव प्रकाशित किया जिसमें सरकारी दपतरों और अदालतोंको देवनागरी लिपिमें लिखी दरखास्तें स्वीकार करनेका आदेश दिया गया था। इन कामोंके लिए अभीतक उर्दूको ही मान्यता प्राप्त थी। आदेशमें यह भी कहा गया था कि आइन्दासे अदालती सम्मन और सरकारी घोषणाएँ हिन्दी उर्दू दोनोंमें जारी की जायँ; और सरकारी नौकरियोंके लिए दोनों भाषाओंका ज्ञान आवश्यक है। इस प्रस्तावका अर्थ अलीगढ़-विचारधाराके मुसलमानोंने यह निकाला कि उर्दूका दर्जा घटा दिया गया है। मुस्लिम-रोप प्रगट करनेके लिए प्रान्तमें कई जगह विरोध-सभाएँ की गयीं। सरकारके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करनेके लिए हिन्दुओंने अलग सभाएँ कीं। कई महीनोंतक अखबारोंमें यह विवाद उग्रतासे चला जिससे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचकी खाई बढ गयी। १३ मई १९०० को छतारीके लुप्तअली खाँकी अध्यक्षतामें हुई एक सभामें यू० पी० के एक लेफिटनेण्ट गवर्नरसे इस प्रस्तावको वापस लेनेकी प्रार्थना करनेका निश्चय किया गया। इसी प्रकारकी एक सभा अगस्तमें लखनऊमें हुई जिसमें अलीगढ़ कॉलेजके मन्त्री नवाब मोहसिनूल-मुल्कने एक जोरदार भाषण किया जिसपर लेफिटनेण्ट गवर्नरने आक्षेप किया। नवाब साहबसे अलीगढ़-कॉलेजके मन्त्रिपद और अंजुमने-उर्दूकी राजनीतिमेंसे चुननेको कहा गया। उन्होंने अंजुमने-उर्दूसे हाथ खींच लिया। इस घटनासे मेहदीहसन और वकारुल मुल्क जैसे मुस्लिम नेताओंको मुसलमानोंके लिए एक राजनीतिक संघटन कायम करनेके लिए प्रेरित किया। वेककी मुसलमानोंको राजनीतिमें हिस्सा न लेनेकी सलाहका उल्लेख करते हुए मोहसिनूलमुल्कने इस प्रस्तावका विरोध किया।

मॉरोसनने भी इसका विरोध किया। इन्स्टीट्यूट-गजटमें प्रकाशित एक पत्रमें उन्होंने

लिखा कि प्रस्तावित योजनाका अर्थ कांग्रेसके कदमोंपर चलना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च स्थितिके लोग सरकारकी नाराजीके भयसे किसी राजनीतिक सघटनमें नही सम्मिलित होंगे। इससे मुसलमानोंमें भेदभाव पैदा हो जायगा। पच्चीस सालसे सरकार मुसलमानोंके साथ अधिक आदरका व्यवहार करती आ रही है और तियासी सघटनमें मुसलमानोंके हितोंको पायदा होनेकी जगह नुकसान ही ज्यादा होगा। उनको अपना भविष्य सरकारके हाथोंमें सौंप देना चाहिये और कांग्रेसकी नकल नहीं करनी चाहिये। सरकारी नौकर मुसलमानोंकी चुपचाप मदद करते हैं और राजनीतिक मॉंगे उठा कर वे अपनेको इस मुविधा-विशेषसे वचित कर लेंगे।

नवाब मोहसिनूल मुल्कने मॉरीसनके इस खतको मुसलमानोंके लिए निर्देश माना और प्रस्तावित योजना समाप्त कर दी गयी।

लेकिन योजनाके समर्थकोंने अलीगढ़के राजनीतिक वातावरणको अनुकूल न समझकर सैयद मुहम्मद शरीफुद्दीनकी अध्यक्षतामें एक मीटिंग लखनऊमें बुलाई। नवाब वकासल मुल्कने अगुआई करते हुए कहा कि कुछ समयसे मुसलमानोंके अधिकारोंपर हमला किया जा रहा है। उन्होंने उर्दू-हिन्दी विवादका जिक्र किया और तब मुहम्मदन राजनीतिक सघटन बनानेकी योजना पेश की जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। ( १ ) मुसलमानोंका मत सरकारके सामने विनम्रतासे पेश करना। ( २ ) मुसलमानोंको यह समझ देना कि उनकी भलाई अंग्रेजी शासनपर निर्भर है। ( ३ ) मुसलमानोंको कांग्रेसकी प्रतिनिधि सस्थाओं और एक साथ परीक्षाएँ लेनेकी मॉंगमें शामिल होनेसे रोकना। इस मीटिंगमें विभिन्न जिलोंमें शाखाएँ सघटित करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी। नवाब वकासल मुल्कने कई जिलोंका दौरा किया, वहाँ सभाएँ की और मुसलमानोंको राजनीतिमें दिलचस्पी लेनेको उत्साहित किया। वे पहला काम जो करते यह जिला मजिस्ट्रेटसे मिलना था। लेकिन मुसलमान राजनीतिसे डरे हुए थे, यहाँतक कि अलीगढ़में २६ जुलाई १९०३ को मुहम्मदन-राजनीतिक सघटनकी एक सभामें सभापति श्री आपताम अहमदको अपने श्रोताओंसे कहना पड़ा कि सरकार मुसलमानोंके राजनीतिक कार्योंमें भाग लेनेसे दृष्ट हो जायगी, यह डर वेबु-नियाद है; बल्कि वे तो पहलेसे कहीं ज्यादा राजभक्त हो जायेंगे। परन्तु यह सघटन चल नहीं सका और पाँच वर्षोंमें ही मृतप्राय हो गया।

## अध्याय ९

### बंगभंग और वहिष्कार आन्दोलन

अंग्रेजोंके पैर भारतमें मजबूतीसे जमनेके बादसे ही स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें बंगालने अगुआई की थी। ब्रिटिश भारतका वह राजनीतिक दृष्टिसे सबसे ज्यादा सचेत सूत्रा था। पर वहाँ एक अनोखी स्थिति दृष्टिगोचर हुई जिसमें अंग्रेजोंको राजनीतिक प्रगति रोकनेकी आशा-किरण नजर आयी। सन् १९०५ में बंगालका जो भाग पूर्वी बंगाल बना वह पश्चिमी बंगालके मुकाबले राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षाकी दृष्टिसे पिछड़ा हुआ था। पूर्वी बंगालकी अधिकांश आवादी मुसलमानोंकी थी और 'फूट डालो व राज करो' की नीति अपनाकर लार्ड कर्जनने इस इलाकेको पश्चिमी बंगालकी आन्दोलन-मूलक राजनीतिये अलग काट देनेका फैसला किया। कर्जनका विश्वास था कि मुसलमानोंको अधिक सुविधाएँ देनेसे वे राजनीतिये विमुख रखे जा सकते हैं। अविभाजित बंगालमें अधिक योग्य होनेके नाते अधिकतर नौकरियाँ हिन्दुओंको ही मिलती थीं। पर यदि मुस्लिम बहुमतका एक सूत्रा अलग बनाया जा सके तो मुसलमानोंको सरकारी नौकरियोंमें अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था। कर्जनने ठीक ही सोचा था कि यह तर्क मुसलमानोंको पसन्द आयगा और उन्हें बंगाल विभाजनका समर्थक बनाया जा सकेगा। उनका विश्वास था कि इस ढंगसे बंगालका आधा सूत्रा कलकत्तेकी राजनीतिक दृष्टिसे बच जायगा।

विभाजन प्रशासकीय सुविधाके नामपर किया जानेवाला था। यह सही भी है कि बंगालका सूत्रा इलाकेमें बहुत बड़ा था। सन् १८७४ में आसाम बंगालसे अलग कर दिया गया था और उसमें सिलहट, ग्वालपाड़ा और काचार के तीन बंगलाभाषी जिले शामिल कर दिये गये थे; पर तब इसकी आलोचना नहींके बराबर ही हुई थी क्योंकि जनमतकी तब शक्ति नहीं थी। बादमें, १८९२ के सुधारोंके बाद सरकारने प्रस्ताव रखा कि चटगाँवको भी बंगालसे निकाल दिया जाय, पर प्रबल विरोधके कारण यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया। बंगालकी कर्जन योजनामें पूरा उत्तरी बंगाल और फरीदपुर व वारीसालके जिले पूर्वी बंगालमें आते थे। अगर प्रशासकीय सुविधाके लिए विभाजन इस प्रकार किया जाता जिससे बंगला भाषी जनताका विभाजन न होता तो बंगालियोंको कोई विरोध न होता पर कर्जन-योजनामें बंगला भाषी जनता भी वैटती थी। योजनाका उद्देश्य तो राजनीतिक था ही, "उसका विचार, विवाद और निर्णय सब गोपनीय ढंगसे हुए—जनताको कानोंकान खबर किये बगैर।" जनमतके नेताओंने समझा कि उनका अपमान हुआ है, उन्हें धोखा दिया गया है और उनकी बेइज्जती हुई है।

सन् १९०३ में यह योजना प्रकाशमें आयी और जुलाई सन् १९०५ में विभाजनकी वाजाल्ता अनुमति मिली। इस बीच बंगाल ही नहीं पूरे भारतमें अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना पैदा हुई। दिसम्बर सन् १९०३ से अक्टूबर सन् १९०५ तक दोनों बंगालोंमें दो हजारसे ज्यादा सार्वजनिक सभाएँ हुईं जिनमें ५०० से लेकर ५०,००० तक श्रोता भाग लेते थे।

सरकार निराश हुई, क्योंकि विरोधकी पहली वादमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंवा उत्साह बराबर था। ढाकाके नवाब सर सलीमुल्लाहने “आन्दोलनके शुरुमें ही विभाजनका ‘पारस्विक प्रबन्ध’ कहकर विरोध किया था।”

लेकिन कर्जन हट्टप्रतिश व्यक्ति थे और उन्होंने मुसलमानोंको विभाजन समर्थक बनानेका जिम्मा अपने ऊपर लिया। कर्जनके जीवनी लेखक लवेट प्रोजेने लिखा है— ‘उन्होंने शायद ही कभी ऐसी कोई प्रतिज्ञा की हो, जिसे वे पूरा न कर सके हो। सन् १८८७ में जब वे भारत आये थे लॉर्ड कार्निगके साथ खाना खाकर लौटते वक्त गवर्नमेण्ट हाउसके शानदार पाठकपर रुक कर उन्होंने कहा था—“अगली बार जब मैं इस पाठकके भीतर घुँगा तो वाइसराय बनकर।” और सन् १८९८ में ४० वर्षकी अवस्थामें वे वाइसराय बनकर ही उस पाठकमें गये। उनमें कम उम्रके वाइसराय सिर्फ डेल्हौजी ही थे जो ३६ सालकी उम्रमें ही गवर्नर जनरल बनकर आये थे।

फरवरी सन् १९०४ में वे जनताकी नाडी टोटोने पूर्वी बंगालके दौरेपर निकले। हर जगह उन्हें वक्त्रोंके झुण्ड “हमें आसामी न बनाओ”की तस्वितरियाँ लगाये मिले। यात्रामें हर जगह कर्जन प्रमुख मुसलमानोंसे मिले और गैमनसिंह, जटगॉव व ढाकामें मुसलमानोंकी बड़ी-बड़ी समारोह कर उन्होंने भाषण कर उन्हें समझाया कि ‘बंगाल-विभाजनमें मेरा उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा देना भर नहीं है, मैं एक मुस्लिम सूना बनाना चाहता हूँ, जहाँ इस्लाम प्रधान होगा, जहाँ इस्लामके अनुयायियोंका बोलबाला होगा। यही बात ध्यानमें रखते हुए मैंने ढाका कमिश्नरीके बाकी दो जिले भी अपनी योजनामें शामिल करनेका फैसला कर लिया है।” अपने एक भाषणमें कर्जनने कहा कि विभाजनमें “पूर्वी बंगालके मुसलमानोंको वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान वादशाहों और सूबेदारोंके राजके वाद नमीच नहीं हुई थी।” लेकिन बगमंगका अपना स्वप्न पूरा होते देखनेके पहले ही कर्जनको पता चला कि शीघ्र ही उन्हें इन्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने इन्तीफा दिया भी पर उसके पहले गिमलामें केन्द्रीय विधायिका पॅरिसिलकी बैठकमें (जिसमें सिर्फ सरकारी सदस्य ही भाग ले सके) विभाजन सम्बन्धी कानून पास करा लिया। नवम्बर सन् १९०५ में उन्होंने वाइसरायपद छोड़ने पर थंग भंग कानून १६ अक्टूबरको ही लागू करा दिया गया था। महीनोंमें प्रमुख मुसलमानोंको वाइसरायकी नीतिका अनुसरण करनेके लिए बहलाया पुरालाया या दवाया जा रहा था। मुद नवाब सलीमुल्लाहने अपना मत बदल दिया, नायद इसलिए कि उन्हें समी दरपर एक लाल पोंड उधार दे दिया गया था। बड़ी संख्यामें सरकारी नौकरियों मुसलमानोंके लिए सुरक्षित कर दी गयीं। बहुत-सी जगहें इसलिए ताली रती गयीं कि उपयुक्त मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

१. लवेट प्रोजेने—‘इण्डिया अण्डा कर्जन एण्ड आउटर’ पृष्ठ ७

२. वही पुरतक, पृष्ठ ३८०

३. मजूमदार, इण्डियन नेशनल इण्डियन, पृष्ठ २२२

४. नेविनसन—दि न्यू रिपब्लिक इन इण्डिया पृष्ठ १९१

५. गुरुमुख निहाल सिंह—‘लैण्डमार्क्स इन इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट’, पृष्ठ ३१९

६. नेविनसन—वही पुस्तक, पृष्ठ १९२

लेकिन तब भी मुसलमानोंका बड़ा भाग अडिग रहा और इसमें कुलोन सामन्तीवर्गके लोग भी शामिल थे। सन् १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनमें सर सलीमुल्लाहके भाई नवाबजादा ख्वाजा अतीकुल्लाहने कहा—“मैं आपसे बताता हूँ। यह कहना ठीक नहीं है कि पूर्वी बंगालके मुसलमान बंग-भंगके पक्षमें है। असलियत यह है कि विभाजनका समर्थन कुछ प्रमुख मुसलमान अपने हितसाधनके लिए कर रहे हैं।” कलकत्तेके केन्द्रीय मुहमडेन एसोसियेशनने भी यही मत प्रकट किया और अपने सेक्रेटरी नवाब अमीर हुसेन द्वारा इसे सरकारके पास भेज दिया। अमीर हुसेनने लिखा—“मेरी समितिकी रायमें बंगलाभाषी जातिके किसी भागको बहुत बड़ी आवश्यकताके बिना पृथक नहीं किया जाना चाहिये और समितिकी रायमें अभी ऐसी किसी आवश्यकताका अस्तित्व नहीं है।”

एक अंग्रेजी पत्रमें सर हेनरी कॉटनने लिखा—“पूर्वी बंगाली समाजके दोनों वर्ग अधिकांशतः एक स्वरसे विभाजनकी निन्दा और विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपट्ट और असंयत मुस्लिम भोड़को हठीले या धर्मान्ध दूतोंने हिंसाके लिए उभारा है। यह दिखानेका निष्फल प्रयास किया गया कि कुछ मुस्लिम नेता विभाजनके पक्षमें हैं।”

सरकार और ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको सैकड़ों स्मृतिपत्र भेजे गये; उनमेंसे एकपर पूर्वी बंगालके ७०,००० व्यक्तियोंके हस्ताक्षर थे। कुछ बंगाली नेताओंने मिलकर या वाइसरायको तार भेजकर उनसे यह अनुरोध करनेका निश्चय किया कि यदि बंगाल-विभाजन अनिवार्य ही है तो योजनामें इस प्रकार संशोधन कर दिया जाय कि सारी बंगलाभाषी जनता एक सूत्रमें आ जाय। लेकिन कर्जन अपने निश्चयपर अड़े रहे, क्योंकि जैसा सुरेन्द्रनाथ बनर्जोंने कहा—“इसके पीछे एक राजनीतिक चाल है” जो तारमें प्रस्तावित संशोधनसे पूरी नहीं होती।

विभाजनके विरुद्ध आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता गया कर्जन भारतमें बदनाम होते गये। यह आन्दोलन ब्रिटिश पार्लमेण्टमें भी चला जहाँ हर्बर्ट रावर्ट्सने विवाद छेड़ा, पर कर्जन अड़े रहे। योजनाके विरोधको उन्होंने ‘बनाया हुआ’ बताया।

इंग्लैण्डमें भी कर्जन ‘फूट डालो और राज करो’ की नीतिके लिए भी अति दुस्साहसी या संशयात्मक सफलतावाले व्यक्ति गिने जाने लगे। भारतसचिव ब्रौडरिकसे वे लड़ चुके थे और ब्रौडरिकको परेशान होकर अपना पद छोड़ना पड़ा था। ब्रौडरिकको “कर्जनके कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और उनकी धारणा थी कि वाइसरायके रवैये और रखके कारण उनका काम बहुत हदतक रुक गया था।” सन् १९०५ में इंग्लैण्डमें उदारदलीय सरकार बनी और मॉल्लेने भारत-सचिवके पदपर काम करना पसन्द किया। उसके बाद शीघ्र ही कर्जनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लार्ड मिण्टोने नवम्बर सन् १९०५ में आकर कार्यभार संभाला। लेकिन केन्द्रीय सचिवालयमें ‘कर्जन वातावरण’ अब भी मौजूद था और कर्जन लन्दनसे बैठे दिल्लीके निर्णयोंपर असर डालनेकी कोशिश कर रहे थे।

१. नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ठ १९१

२. मजूमदार—“इंडियन नेशनल इवॉल्यूशन” पृष्ठ २२३

३. जे० डी० रीस द्वारा ‘दि रीअल इण्डिया’में पृष्ठ १७८ पर उद्धृत

४. बनर्जा, वही पुस्तक, (ए नेशन इन मेकिंग ?) पृष्ठ १८८

५. मेरी, काउण्ट्रेस भाव मिण्टो, ‘इण्डिया, मिण्टो एण्ड मॉल्ले’ १९०५-१९१०, पृष्ठ १९

मिण्टोको इस हस्तक्षेपसे परेशान होकर भारत-सचिव मौलेंको लिखना पड़ा कि 'कर्जन वहाँपर बैठे उन निर्णायोंपर असर डालनेके लिए आन्दोलन-या चला रहे हैं जिनसे उनका यहाँ सीधा सम्बन्ध था; और इससे स्वभावतः सन्देह होता है कि वे अपने समर्थकोंसे यहाँ सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं।' मिण्टोने 'उप विरोधी देशी भावना' की भी शिक्षायत्त की जो कर्जनने "बंगालके विभाजन और अपने तत्सम्बन्धी भाषणोंसे पैदा कर दी थी।"<sup>३</sup>

मिण्टो शान्ति स्थापनाके उद्देश्यसे आये थे, पर उनके परले पड़ा विद्रोहके बादका सबसे अमान्त युग। जैसा कि ईदरके महाराजा सर परताप सिंहने कहा—कर्जनने मिण्टोके लिए झूल ज़ेया तैयार की थी, उनके विस्तरपर कोंटे बिछा दिये थे और मिण्टोको उन कोंठे पर लेटना ही था। असतोष और अशान्तिके जो बीज कर्जनने बोये थे वे मिण्टोके कार्यकाल में फले-फूले। हिंसा, नैतिक विद्रोह, राजनीतिक हत्याओ, बमबाजी और राजद्रोहके मुलेआम प्रचारका एक दौर सा चल पड़ा और सरकारने इसका जवाब कठे दमनसे दिया।

२० जुलाई सन् १९०५ को बंगभंगकी सरकारी घोषणा हुई, जिसने हजारों नौजवानोंको अग्रेजोंके खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़नेकी प्रेरणा दी। अग्रेजके मच, समाचारपत्रों और पुस्तकोंसे भारतीय जनताने अनगिनत बार सुना था कि ब्रिटिश उद्योग और व्यापारके हितमें अग्रेज शासक जो आर्थिक शोषण कर रहे हैं उससे देश तेजीसे गरीब होता जा रहा है। इसलिए अग्रेजों मालका बहिष्कार अपने आप ही एक हथियारकी तरह जनताके सामने आ गया। स्वदेशी आन्दोलन—देशी उद्योगका पुनरुत्थान और विनाश—इस हथियारका दूसरा हिस्सा था। बायकाट या बहिष्कारसे ब्रिटिश सामानका आयात कम होता था और देशी उत्पादनको बढ़ावा मिलता था।

७ अगस्त सन् १९०५ को स्वदेशी आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ। उसीके साथ ही विभाजनके विरुद्ध पहला प्रदर्शन भी हुआ। यह प्रदर्शन ऐतिहासिक था। कलकत्तेके मचयुवक जे० चौधुरीके नेतृत्वमें कालेज स्टावरमें टाउनहालतक एक गभीर जलूस बनाकर चले। भारतीय दूकानें बन्द थीं। भीड़ इतनी बड़ी थी कि उसे तीन भिन्न-भिन्न सभाओंमें वितरित करना पड़ा। इन तीनों सभाओंमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जाने भाषण किये।

सार्वजनिक सभाएँ और सम्मेलन राजनीतिक कार्य-क्रमके दैनिक अंग बन गये। तब यह सोचा गया कि सिर्फ इनसे ही काम न चलेगा और कोई ठोस कदम उठाया जाय। एक मुझाब यह भी आया कि भारतीय सभी अवैतनिक पद—जैसे कि आनरेरी मजिस्ट्रेट और जिला बोर्डों व म्युनिसिपैलिटियोंकी सदस्यताएँ हस्तीफे दे दें। पर इसमें आंशिक असफलता-की आशंका थी, इसलिए नेताओंने इस मुझाबको कार्यक्रमका अंग नहीं बनाया।

कुछ अग्रेजों और अग्रेजोंके पत्रोंने भी विभाजनका विरोध किया। 'स्टेट्समैन'ने विभाजनपर शोक ही प्रकट नहीं किया, बल्कि बायकाट आंदोलनकी निन्दा करनेकी जगह उसका भौतिक सिद्ध करनेकी कोशिश की। उसने लिखा—'बायकाटके प्रस्तावक निस्संदेह चीनी उदाहरणसे प्रेरित हुए हैं और उन्हें आशा है कि अग्रेजी मालका बहिष्कार उतना ही प्रभावकारी और अग्रेजोंके लिए क्षतिकारी होगा, जितना अमरीकी वस्तुओंका चीनी बहिष्कार दिखाई पड़ता है। इस धारणापर कई कारणोंसे अग्रेज मुस्करा उठेंगे। लेकिन तब भी पूरे आन्दोलनको गैरईमानदारीसे भरा एक उबाल मान लेना सरकारी भूल होगी। इसके



विपरीत, कुछ समयसे यह स्पष्ट हो रहा है कि बंगालवासी विरोधके दूसरे अधिक प्रभावकारी तरीके सीखते जा रहे हैं। राजनीतिक आन्दोलनमें वर्तमान-परिस्थितिने जो व्यावहारिकता ला दी है, उसे सरकारने अवश्य देखा होगा।

लेकिन सरकार अपना निर्णय बदलनेको तैयार नहीं थी। हर तरफ निराशा छा रही थी। जनताको सरकार बदलनेका अधिकार नहीं था। उसने दूसरा सबसे कारगर तरीका—ब्रिटेनके खिलाफ आर्थिक दवाव डालनेका तरीका अपनाया। जनताकी इस मनो-दशामें वायकाटका चीनी उदाहरण अपनाया गया था। जैसा कि बनर्जीका ख्याल था, वायकाटका विचार कई नेताओंके मनमें एक साथ उठा। पवनामें एक सार्वजनिक सभामें पहली बार इसकी चर्चा की गयी; फिर तो असंख्य सभाओंमें यह बात दोहरायी गयी। अखबारोंमें अमरीकी सामानके चीन द्वारा बहिष्कारकी कथाएँ छपने लगीं और भारतीयोंसे ब्रिटिश मालके खिलाफ यही हथियार उठानेकी अपीलें की जाने लगीं। सभाओंमें ब्रिटिश सामानके बहिष्कार और स्वदेशीको अपनानेके प्रस्ताव पास होने लगे।

सबसे अधिक उद्देलित विद्यार्थी समाज था जो अपने उत्साहमें कभी-कभी 'अति' कर बैठता था। उसमें अभूतपूर्व उमंग थी। बनर्जीने अनेक सार्वजनिक सभाओंमें छात्रोंके समक्ष भाषण किये और छात्रोंने लगनके साथ उनके बताये मार्गका अनुसरण किया। अगर कोई लड़का विदेशी कपड़े पहनकर आता, तो उसके कपड़े फाड़ डाले जाते। "रिपन कालेजमें एक परीक्षामें उत्तर लिखनेके लिए जो कापियाँ छात्रोंको मिली वे विदेशी कागजकी थीं। छात्रोंने कापियाँ छूनेसे इनकार कर दिया। लड़कोंका विरोध इतना उग्र था कि उसकी अवहेलना खतरनाक हो सकती थी। देशी कागज लाया गया और फिर परीक्षा बदरवर् हुई।" सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी पाँचवपीया नातिनने एक सम्बन्धी द्वारा भेजे गये एक जोड़ा जूते यह कहकर वापस कर दिये कि ये विलायतके बने हैं। एक छः सालकी बच्ची बीमारीमें सन्निपातमें चिल्ला उठी कि 'मैं विदेशी दवा नहीं खाऊँगी।' अक्सर विवाहोंमें मिली ऐसी विदेशी-भेंटें अस्वीकार कर दी जातीं जो भारतमें भी बन सकती थीं। पण्डित और पुरोहित बहुधा ऐसी पूजापर बैठनेसे इनकार कर देते जिसमें देवतापर चढ़ानेके लिए विदेशी सामग्री होती। जिन दावतोंमें विदेशी नमक या शकरका प्रयोग होता अतिथि भोजन करनेसे इनकार कर देते। जनमत इतना शक्तिशाली हो उठा कि कोई बंगाली विदेशी कपड़ा खरीदनेकी सोचता तक नहीं था; जो उसके सस्तेपनके कारण उसे खरीदनेको मजबूर भी होते, वे भी रातमें खरीददारी करते।

भारतीय उद्योगको प्रोत्साहन मिला। जुलाहोंको अपना खोया हुआ पेशा मिल गया और उन्होंने बहिष्कार आन्दोलनको दुआएँ दीं। एकके बाद एक, माधुन, गाचिस, सूती कपड़ेके कारखाने खुलने लगे। जुलाहोंकी खुशी चन्द्रराजा थी। जब देशी मिलें बड़ी मात्रामें उत्पादन करने लगीं, करघेका कपड़ा फिर उसी तरह गायब हो गया, जैसे मैनचेस्टरका माल आनेपर हुआ था। स्वदेशी बैंक और बीमा कम्पनियाँ चल निकलीं।

नवयुवक, खासतौरपर छात्र, घृण-धूमकर स्वदेशीका प्रचार किया करते थे। चारों ओर अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना दिखाई देती थी; हाकिम इममे आशंकित थे। जिला मजिस्ट्रेटोंने सभी शिक्षा-संस्थाओंके प्रधानोंको चेतावनी भेजी कि अगर आप अपने छात्रोंको

वायफाट, धरना आदि "तथाकथित स्वदेशी आन्दोलनसे सम्बन्धित बुराइयोंसे नहीं रोक्ते तो आपकी संस्थाकी सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी, छात्र-वृत्ति प्रतियोगिताकी सुविधा छीन ली जायगी और मित्रविद्यालय मान्यता छीन लेगा। यह गदती चिट्ठी कलकत्तेके स्कूलों, कालेजोंको नहीं भेजी गयी थी, शायद इसलिए कि ज्यादा उपद्रव न हो। लेकिन चिट्ठीसे मुफरिसलमें भी उत्तेजना फैली। इस आदेशका विरोध और उल्लंघन करनेके लिए एक सस्था बन गयी। इस गदती चिट्ठीकी लाञ्छना करते हुए 'स्टेट्समैन' ने लिखा— 'हम उस मूर्ख अन्तरजा नाम जानना चाहेंगे जिसकी रायपर लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने इस आदेशको स्वीकृति दी। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि सरकारको गलत राय दी गयी है। यह राय या तो ऐसे व्यक्तिने दी है जो स्थितिसे बिलगुल अनजान है, या फिर पिछले कुछ हफ्तोंकी मनसानीमें जो बुरी तरह डर गया है।' सरकार ऐसी बच्चों जैसी और निरर्थक नीतिमें भटक पडी है जिसका व्यावहारिक नतीजा सिर्फ यह होगा कि 'गद्दीदोंकी फीज खड़ी हो जायगी।' स्टेट्समैनकी चेतावनी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। इस आदेशके फलस्वरूप सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंका भी वायफाट शुरू हो गया। वग जातीय विद्यापरिषद्की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय ढंगसे, राष्ट्रीय नियन्त्रणमें राष्ट्र-निवृत्तिकी पूर्तिके लिए शिक्षा देना' था। परिषद्ने पूर्वी बंगालमें ही २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खोले।

सरकार जनमतके इस प्रबल उयालसे आशङ्कित हो दमनका रास्ता अपनाने लगी। शान्ति व सुरक्षाके नामपर जनताकी भावनाकी अभिव्यक्ति रोकनेकी लगातार कोशिश की जाती रही और हमेसाकी तरह दमननीति पलटकर दमनकारियोंपर आघात करने लगी। "जितने ज्यादा दमनकारी हथियार उठाये गये, जनताकी उत्तेजना और असन्तोष उतना ही बढ़ता गया और हर हथियार उसे रोकनेमें असफल रहा।"

बहिष्कार सभाओं और प्रदर्शनोंमें जोश लानेके लिए 'बन्देमातरम्' गाया जाता। ज्यादा जोश और सैनिक वृत्तिके गाने मिलते तो हिन्दू युवक उन्हें और भी उत्साहसे ग्रहण करते। 'बन्देमातरम्' हाकिमोंके लिए भयना एक कारण बन गया। पूर्वी बंगालके नये सूबे की सरकारने इस गानेको गैरकानूनी करार दिया और सड़कोंपर इसका गाना जुर्म हो गया।

व्यक्तिगत बातचीतमें लार्ड मिण्टो स्वीकार करते कि बंग-विभाजन गलत हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीसे उन्होंने सार-सार कहा— "तुम्हारे प्रान्तकी तरह मेरे देशका विभाजन होता तो मैं भी तुम्हारी तरह सोचता।" पर जब इण्डियन एसोसियेशनका एक प्रतिनिधि-मण्डल उनसे मिला तो उन्होंने कह दिया— "विभाजन तो हो चुका अब कुछ नहीं हो सकता।"

'पूर्वी बंगाल' १६ अक्टूबरको अस्तित्वमें आनेवाला था। नेताओंने उसे राष्ट्रीय शोक दिवसकी तरह मनाना तय किया। उस दिनका एक कार्यक्रम बनाया गया। उस दिन बीमारोंको छोड़कर और किसीका खाना नहीं पकेगा, सब वाम काज बन्द रहेगा, सब लोग सबेरे नगे पैर जाकर गंगा स्नान करेंगे, बंगालके एकीकरणके लिए बराबर प्रयत्न करते रहनेका सब लोग प्रण करेंगे। यह कार्यक्रम कलकत्तेमें मुफरिसलके नेताओंकी रायसे बनाया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया। कलकत्तेमें बंगालकी एकताके प्रतीकस्वरूप एक भवन स्थापित करनेका मुझान सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने दिया। उस भवनके लिए एक जमीन भी चुन

ली गयी। शामको उसी स्थलपर एक सार्वजनिक सभा हुई। पर पूरे कार्यक्रममें सबसे हृदयग्राही और पवित्र राखी-बन्धन था। भ्रातृत्व भावनाके प्रतीक स्वरूप हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्तिको लाल धागे बाँध रहा था। सवेरेसे ही गंगाके किनारे राखियोंका ढेर लिये स्त्री-पुरुषोंकी भीड़ स्नान घाटोंपर इकट्ठी होने लगी। लोग मित्रों और सम्बन्धियोंको तो राखी बाँध ही रहे थे, अजनबियोंतकको बाँध देते थे। भवनका शिलान्यास श्री आनन्दमोहन बसुने 'वन्दे मातरम्'के गगनभेदी नारोंके बीच किया। उन्हें उनकी मृत्यु-शैयासे कुरसीपर बैठाकर लाया गया था। सारे दिन सड़कों और बाजारोंमें 'वन्देमातरम्'की ही गूँज सुनाई पड़ती रही। विभाजन-विरोधी आन्दोलनके लिए उस दिन एक राष्ट्रीय कोप खोला गया जिसमें एक दिनमें ही छोटे-छोटे चन्दोंसे ७० हजार रुपये इकट्ठे हो गये। भवन-स्थलपर हुई सभामें रिटायर हुए जज सर गुरुदास बनर्जी भी थे जिन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषणमें बंगभंगका विरोध किया। विभाजनने समाजके हर वर्गको इतना विक्षुब्ध कर दिया था कि राजनीतिज्ञ व गैरराजनीतिज्ञमें कोई अन्तर न रह गया था। शिलान्यासके पहले सर आशुतोष चौधुरीने नीचे लिखी घोषणा पढ़ी (इसे प्रस्ताव नहीं कहा गया था)। श्री चौधुरीकी अंग्रेजी घोषणाका श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने बँगलामें अनुवाद करके सुनाया—

“बंग राष्ट्रके सार्वजनिक विरोधके बाद भी सरकारने बंगालका विभाजन कर दिया है, तो हम शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम बंगभंगके दुष्परिणामोंको दूर करनेके लिए यथाशक्ति सब कुछ करेंगे और अपने राष्ट्रकी एकता कायम रखेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करे।”

किसीने आपत्ति की कि घोषणा तो सिर्फ सरकार कर सकती है, इसलिए इसे घोषणा न कहा जाय, पर वह सुनी नहीं गयी।

नेताओंने बंगभंगके अस्तित्वको ही स्वीकार नहीं किया और अगला प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन बारीसाल (पूर्वा बंगाल) में किया। पूर्वा बंगालमें आन्दोलनका और भी ज्यादा जोर था। वहाँ हर शहरमें 'वन्देमातरम्' के नारेपर रोक लगा दी गयी थी। सम्मेलनके बारीसाल स्थित संयोजकोंने सम्मेलनको सफलताको दृष्टिसे हाकिमोंसे समझौता कर लिया था कि बड़ी सड़कोंपर 'वन्देमातरम्' के नारे नहीं लगाये जायेंगे। बाहरसे आये प्रतिनिधियोंने भी अनिच्छासे इस समझौतेको माना। पर उन्होंने कहा कि सम्मेलनमें नारे लगानेका हमारा अधिकार अक्षुण्ण है। “आज्ञाका यह थी कि पुलिस हस्तक्षेप करेगी और सम्भवतः बलप्रयोग भी। किन्तु सभीको ताकीद कर दी गयी थी कि वे किसी भी हालतमें पुलिसके बलप्रयोगका जवाब न दें और लाठी या छड़ी भी लेकर न चलें।” जुल्स अध्यक्ष श्री ए० रसूल और उनकी पत्नीके नेतृत्वमें चला। लाठियाँ लिये पुलिस पहलेसे ही तैयार खड़ी थी। जुल्सपर हमला करनेके लिए अवसर ढूँढ़नेका धैर्य पुलिसमें न था। उसने नेताओंको तो निबल जाने दिया, पर जैसे ही अहातेसे निकलकर नौजवानोंका समूह जुल्समें शामिल हुआ, उसने लाठी चार्ज शुरू कर दिया, हालाँकि किसीने अबतक 'वन्देमातरम्' की आवाज भी नहीं निकाली थी। वन्देमातरम्के जो विल्ले जुल्सवालोंके हाथोंमें बँधे थे, वे नोच डाले गये। एक लड़केको तालाबमें फेंक दिया गया। उसका अपराध यही था कि हर लाठी प्रहारपर वह 'वन्देमातरम्' का नारा लगाता था।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको गिरफ्तार कर अंग्रेज मजिस्ट्रेटके घर ले जाया गया। मजिस्ट्रेटने

वनजी व उनके साथ आये कालीप्रसन्न काव्य विशारद दोनोंका अपमान किया। काली प्रसन्न पुरोहित ये और कुरता आदि नहीं पहिने थे। जैसे ही वे बंगलेमें घुमने लगे, मजिस्ट्रेटने चिल्लाकर कहा—निचल जाओ। वनजी जैसे ही बैठने लगे, मजिस्ट्रेट चिल्लाया—'तुम कैदी हो, बैठ नहीं सकते, तुम्हें गड़ा रहना होगा।' वनजीने कहा—'मैं आपके घर आपसे अपमानित होने नहीं आया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मुझे शिष्टाचारका व्यवहार किया जायगा।' उनका यह उत्तर 'अदालतकी मानहानि' मान लिया गया और उनसे माफी माँगनेकी कहा गया। माफी माँगनेमें इनकार करनेपर वनजीपर २००) जुर्माना ठोक दिया गया। फिर उनपर एक रीरनागुनी जुद्धसमं शामिल होने और वे नाच लगानेका अभियोग लगाया गया जो कानूनी तौरपर बर्जित थे। वनजीने समय माँगा वह नहीं मिला, उन्होंने गवाह पेश करनेकी अनुमति माँगी वह नहीं मिली, उन्होंने पुलिस कप्तानसे जिरह करने चाही, उगकी भी इजाजत नहीं मिली। इस अभियोगमें भी ऊपर २००) जुर्माना हुआ।

सुरेन्द्रनाथ वनजीके मजिस्ट्रेटके घर ले जाये जानेके बाद उन्हींकी रायपर सम्मेलनकी काररवाई जारी रही। कार्यक्रम सारम हुआ, प्रतिनिधि 'बन्देमातरम्' की गगनमंरी ध्वनि करते हुए बारीसालकी सड़कोंपर पंल गये। पुलिसने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन सम्मेलनके सभाभवनमें आकर पुलिस कप्तानने आश्वासन माँगा कि कार्यक्रमके अन्तमें प्रतिनिधि सड़कोंपर 'बन्देमातरम्'के गाने नहीं लगायेंगे। अन्यत्रने प्रतिनिधियोंमें राय ली और आश्वासन देनेमें इनकार कर दिया। इसपर कप्तानने मजिस्ट्रेटका आदेश पढ़कर सुनाया जिसमें सभाको गैरकानूनी घोषित किया गया था। प्रतिनिधि सभाभवन छोड़कर 'बन्देमातरम्'के गाने लगाते हुए तितर बितर हो गये। वे फिर एक घरमें एकत्र हुए जहाँ वनजी, विपिनचन्द पाल और काव्य विशारदने अपने भाषणोंमें बगमग विरोधी आन्दोलन चलाते रहने और स्वदेशी वस्तुओंके प्रयोगकी शपथ पालन करनेकी अपील की।

बारीसाल सम्मेलनमें सरकारी व्यवहार देखकर गवयुवकोंका मन वैधानिक राजनीतिमें विचलित होने लगा और स्वराज्य प्राप्तिके लिए वे अराजकता और आतङ्कादकी सोचने लगे। दमनचक्र और जोरमें चला। "स्वदेशीके प्रचारकों और कार्यकर्त्ताओंपर मुकदमे चलाये जाते, उन्हें दुःख दिये जाते, मार्गजिनिक सभाओंपर रोक लगायी जाती; शान्त मुहल्लोंमें फौजी पुलिस सेनात बर दी जाती और ये पुलिसवाले शान्त नागरिकोंपर हमले किया करते। बनारीपुरा ( बारीसाल ) के बहुतसे निवासी तो सुरमा सिपाहियोंके अत्याचारोंके कारण गभीरतापूर्वक वहाँसे भाग निचलनेकी सोचने लगे। भन्ने आदमियोंपर 'स्वदेशीकी निन्दिता' बोटने और राजद्रोहके झूठे मुकदमे चलाये जाते।" इन घटनाओंकी नोजयानोंपर क्या प्रतिक्रिया हुई, यह एक उदाहरणमें स्पष्ट हो जायगा। एक दिन दो नवयुवक सुरेन्द्रनाथ वनजीमें एकान्तमें मिले और कहा—"एक अति गभीर मसालेपर हम आपकी सम्मति लेने आये हैं। हमने मर बेम्पनीन्द फुल्लर ( पूर्वा बंगालके गवर्नर ) को मार डालनेकी योजना बनायी है, और हम आज रातको ही रवाना हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं?" उन्होंने कहा कि हम फुल्लरको इसलिए मार डालना चाहते हैं कि उसके सुरमा सिपाहियोंने बनारीपुरामें हमारी माँ बहिनोंकी इज्जत लूटी है। हम इसका बदला फुल्लरसे लेंगे। इसमें जो

खतरा है वह हम उठायेंगे और अपनी माँ बहिनोंके सम्मानके लिए जरूरत पड़नेपर मरेंगे भी । बनजाने उन्हें यह योजना त्याग देनेकी सलाह दी और बताया कि फुलर तो एस्तीफा दे ही चुके हैं । योजनाकी निश्चित असफलताका जिम्मा करते हुए बनजाने उन दोनों नव-युवकोंसे वचन ले लिया कि वे इस कामसे विरत हो जायेंगे ।

ये दो नवयुवक तो सरकारके विरुद्ध उत्पन्न घृणाके प्रतीक मात्र थे । बंगालमें अनेक आतंकवादी संस्थाओंकी स्थापना हो गयी और उनके संगठन बंगालके बाहर भी बनने लगे ।

वैधानिक स्तरपर वारीसाल काण्डकी निन्दा बंगाल व दूसरे प्रान्तोंमें सार्वजनिक सभाओंमें की गयी । एक मन्दिरके अहातेमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके स्वदेशी अपनानेके भाषणके बाद दस सहस्र व्यक्तियोंने खड़े होकर शपथ ली कि 'ईश्वर साक्षी हो; आनेवाली पीढ़ियोंके समक्ष हम प्रण करते हैं कि जहाँतक सम्भव होगा हम घरकी बनी चीजोंका ही प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करेंगे । ईश्वर हमारी सहायता करे ।' यही शपथ वादमें बहुत-सी सार्वजनिक सभाओंमें दोहरायी गयी ।

पुलिस द्वारा वारीसाल-सम्मेलन भंग होनेका वर्णन करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने लिखा है—जो व्यक्ति सार्वजनिक आन्दोलनके प्रति उदासीन रहते थे, उन्होंने भी स्वदेशी अपनानेकी शपथ ली और उसे दैनिक जीवनमें कार्यान्वित किया । जो लोग कितानी वाँड़े समझे जाते थे, वे भी अपना वैराग्य छोड़ कर्म-भूमिमें उतर आये और स्वदेशी व विभाजन विरोधी आन्दोलनोंमें भाग लेने लगे । "बंगभंग-विरोधी आन्दोलनमें भाग लेनेवाले मुसलमानोंकी संख्या कम ही थी । उन्हें तो बताया गया था कि बंगभंग मुसलमानोंकी आर्थिक व राजनीतिक भलाईके लिए ही किया गया है ।

समयके व्यतीत होनेसे विभाजनका जखम भरा नहीं, उल्टे आन्दोलन दिन व दिन जोर ही पकड़ता गया । सभाएँ, प्रदर्शन और हड़तालें सामाजिक जीवनका सामान्य अंग बन गयी थीं । दूसरी ओर फुलर-शासन और अधिक दमनकारी होता जा रहा था । वह खुले आम कह रहा था—रक्तपात हो सकता है । सन् १९०७ तक आन्दोलनने तीन भिन्न रूप ग्रहण कर लिये थे—रचनात्मक, राजद्रोहात्मक और क्रान्तिकारी ।

समाचारपत्रोंका भी महत्वपूर्ण योग था । इनका नेतृत्व विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष कर रहे थे । पाल सन् १९०३ से ही अपने साप्ताहिक पत्र 'न्यू इण्डिया' द्वारा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शिक्षा और नयी चेतनाका प्रचार कर रहे थे । अरविन्दने भी उत्साह-पूर्वक इसी विचारधाराका प्रचार शुरू किया ।

दिसम्बर सन् १९०८ में सरकारने बंगभंग विरोधी आंदोलनके नौ नेताओंको निष्कासनकी सजा दी । ये थे कृष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनी-कुमार दत्त, मनोरंजन गुहा-ठाकुरदा, सुबोधचन्द्र मलिक, शर्चिन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग । अखबारोंपर तो आयेदिन मुकदमें चलते थे ।

३० वर्ष पहले, भारतीय राजनीतिक श्रौंगणेश सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके देशव्यापी दौरेसे इस मांगपर हुआ था कि भारतीयोंका सिविल सर्विसोंमें लिया जाय और अब लोगोंके सरकारी नौकरियोंका बहिष्कार करनेके लिए कहा जा रहा था । वायकाट आंदोलन बंगालमें शुरू हुआ और वहाँसे मद्रासमें फैला । विपिनचन्द्र पालने मद्रास जा कर 'नयी-चेतना' कई भाषणों द्वारा प्रसारित की और भारतमें राजनीतिक सिद्धान्तोंका एक कार्यक्रम पेश किया । पाल

बड़े बुद्धिमान, मेधावी और चरित्रवान व्यक्ति थे। वे यूरोप और अमरीका का काफी भ्रमण कर चुके थे। उनके मद्रासके भाषणोंकी पुस्तकके कई संस्करण हाथों हाथ फिर गये और इसके प्रभाव स्वरूप वहाँकी राजनीतिमें एक उम्र दलका सघटन हुआ। पाल जो नयी चेतना उत्पन्न करनेके लिए उत्सुक थे वह एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगी। उन्होंने एक भाषणमें कहा—आपको हाईकोर्टकी जजी या विधायिका कौंसिलकी मेम्बरो मिल सकती है, शायद कार्यकारी-कौंसिलकी मददस्यता भी मिल जाय। आप विधायिका कौंसिलका विस्तार चाहते हैं? या ब्रिटिश लोकसभामें अपने कुछ प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं? आप सरकारी नौकरियोंमें भारतीयोंका और बड़ा प्रतिनिधित्व चाहते हैं? हमें देखना यह चाहिये कि ५०, १००, २०० या ३०० भारतीय हाकिम क्या हम सरकारको भारतीय सरकार बना देगे?... सभी हाकिम भारतीय हो जायें तब भी वे नीति नहीं निर्धारित कर सकते, शासन चला नहीं सकते, वे तो सिर्फ हुकम बजाते हैं। एक कौंसिलके बोलनेसे जैसे बरसात नहीं आ जाती, वैसे ही हजारों भारतीय हाकिम भी ब्रिटिश सरकारको देशी या भारतीय सरकार नहीं बना सकते। हाकिम गोरा हो या काला उसे परम्पराएँ निवाहनी होती हैं, कानून और नीतिका पालन करना पडता है और जबतक ये परम्पराएँ न तोड़ी जायें, सिद्धान्त न बदले जायें, नीति न बदली जाय, गोरे हाकिमोंकी जगह काले हाकिम रखा देनेसे मर्राज नहीं हो जायगा।”

सरकारी नौकरियोंके बायकाट पर बोलते हुए उन्होंने कहा—“वे कहते हैं—क्या तुम सभी सरकारी नौकरियोंका बायकाट कर सकते हो? पर हममेंसे यह किसीने कहा ही क्या था कि सरकारकी सेवाके लिए एक भी भारतीय न मिलेगा? जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम सरकार चलाना असम्भव कर दें, उन्हें हिन्दुस्तानी नौकर ढूँढना असम्भव भले ही न हो। शासन चलाना कई तरहसे रोका जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हर टिप्पणी मजिस्ट्रेट करें कि मैं इस सरकारकी नौकरी नहीं करूँगा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि अगर कोई सरकारी नौकरोसे इस्तीफा दे देगा तो उसकी जगह खाली रह जायगी। लेकिन अगर यह भावना देशमें फैल जाय तो सरकारी नौकरोमें भी यही भावना आयगी और तब एक दिन पूरा दफतरका दफतर हडताल कर सकता है। इससे सरकार नहीं टूटेगी पर उसके रास्तेमें अनेक बाधाएँ आयेंगी और ये जटिलताएँ या बाधाएँ देशके हर भागमें आने लगेंगी तो सरकार लगभग ठप हो जायगी। असली चीज तो सरकारकी प्रतिष्ठा है और इस बायकाट आन्दोलनसे उस प्रतिष्ठाके ही मूलपर आघात होता है।... हम हर सरकारी नौकरको उस स्तरपर गिरा सकते हैं मानो वह भारतीय नागरिकताके गौरवसे वंचित हो गया हो” किसी भी व्यक्तिका सम्मान इसलिए न किया जाय कि वह हाकिम या मुंसिफ या हुजूर सरिस्तेदार है। कोई भी कानून हमें मजबूर नहीं कर सकता कि धर आनेवालेको हम कुरमी दें ही। मैं अपने घरपर एक मामूली दूकानदारको कुर्सी दूँ और टिप्पणी मजिस्ट्रेट या सब जजको न दूँ, कोई व्यक्ति अपनी बेटी किसी गरीब भित्कारीको ब्याह दे और मजिस्ट्रेटके बेटेको न ब्याहे तो यह करनेका उसे पूरा अख्तियार है, वह इसमें कानूनकी सीमाके बाहर है।

“निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रहको इंग्लैण्डमें कानूनी मान्यता प्राप्त है। सिद्धान्त रूपमें यह भारतमें भी वैध है और अगर कोई नया कानून बनाकर इसे गैरकानूनी करार

दिया गया तो यह कानून वैयक्तिक स्वतन्त्रताके मूल अधिकारोंके विरुद्ध पड़ेगा, यह खतरनाक रास्तेपर चलना होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि स्वराज्य प्राप्तिके लिए जो नकारात्मक या निषेधात्मक काम करना है, वह वायकाटसे पूरा हो जायगा। लेकिन स्वराज्यके लिए ठोस और सकारात्मक प्रशिक्षणकी भी आवश्यकता है। यह हमें ग्रामीण जीवनके संघटनसे प्राप्त होगा। सरकारसे स्वतन्त्र और उसके समानान्तर अपनी जनप्रिय शासन-व्यवस्था स्थापित करनेका काम हमें अपने कार्यक्रममें शामिल कर लेना चाहिये... यही हमारा असली कार्यक्रम रहेगा।”

विपिनचन्द्र पालको ‘साम्राज्यके भीतर स्वराज्य’की माँग जो १९०६ में कांग्रेसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजीने पेश की थी पसन्द नहीं थी। उन्होंने कहा—‘क्या साम्राज्यके भीतर स्वराज्यकी माँग व्यावहारिक लक्ष्य हो सकती है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा कि या तो हमें सच्चा स्वराज्य न मिलेगा या इंग्लैण्डका सच्चा साम्राज्य यहाँ न रहेगा।’

उनकी भाषणमालासे मद्रासमें आन्दोलन और उपद्रवोंकी आग भड़क उठी।

२७ जून सन् १९०७ को वाइसरायने भारत सचिवसे विपिनचन्द्र पालको निष्कासनकी सजा देनेकी अनुमति माँगी। उन्होंने लिखा—“पालका व्यवहार दानवी है और उसके खतरेको हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते।” वाइसरायका कहना था कि मुकदमे चलानेकी नीति स्थिर है पर कलकत्तेमें ऐसा कोई जूरी नहीं मिलेगा जो विपिनचन्द्र पालको धारा १२४ ए ( राजद्रोह ) में अपराधी घोषित कर दे। “विपिनचन्द्र पाल जैसे खास मामलोंमें..... निष्कासन ज्यादा सीधा, कारगर तरीका होगा बनिस्वत मुकदमा चलानेके और इसपर उतना ध्यान भी आकृष्ट न होगा, तथा जनतापर फौरन असर पड़ेगा।”

वाइसरायने आगे लिखा.....‘हम सबकी धारणा यही है कि भारतीय सेना इस छूतसे बच जाय। फौजी अपसरोंकी रिपोर्ट है कि सिपाहियोंमें उत्तेजक पर्चे खुले आम बँट रहे हैं। इसका और पता लगानेके लिए मैंने सन्देशजनक पत्रोंको रोककर खोलनेकी अनुमति देदी है। बहुत सा राजद्रोहात्मक और उत्तेजक साहित्य पकड़ा गया है। खुफिया विभागकी रिपोर्ट है कि रूस और रूसी अपसरोंसे भी द्रोहात्मक पत्र-व्यवहारके सवृत मिले हैं।”

विभाजनके बाद जिस दूसरे नेताकी ख्याति और सम्मान बहुत बढ़ा वह तिलक थे। उनकी अदम्य कार्यशक्ति, स्वाधीनता प्राप्तिके लिए उनकी आत्माकी बेचैनी, उनकी व्यावहारिक साधनसम्पन्नता और सबसे अधिक उनकी धवल और श्रेष्ठ निशाने उनके बंगाली श्रोताओंपर गहरा प्रभाव डाला। सन् १९०५ और १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनोंमें प्रतिनिधियोंके बीच उनका व्यक्तित्व ही सबसे ज्यादा चमका। ब्रिटिशराजके खिलाफ आर्थिक शस्त्रकी तरह स्वदेशीके वह पहले समर्थक थे। वायकाट आंदोलनमें उन्हें सरकार विरोधी तत्वोंको उभारनेका अभूतपूर्व अवसर दिखाई दिया...तिलकको विपिनचन्द्र पाल व अरविन्द घोष जैसे उत्साही व्यक्तियोंका सहयोग प्राप्त था—ये लोग उनके राजनितिक शिष्य थे।”

तिलक राष्ट्रीय-भारतके नेता बन चुके थे। उनके उग्र अनुयायियोंकी संख्या दिन-ब-

१. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ १४७-४८

२. वही पुस्तक पृष्ठ १४८

३. वेलेण्टाइन शिरोल ‘इंडियन अनरेस्ट’ पृष्ठ ५०

दिन बढ़तो जा रही थी। इन अनुयायियोंमें बड़ी बौद्धिक शक्तिवाले नेता भी थे। वे अपने देशवासियों व उनकी चित्तवृत्तितो परिचित थे। शिवाजी और गणेशपूजाको तत्कालीन राजनीतिसे सम्बद्ध कर देनेसे वे उत्सव प्रभावकारी मनोवैशानिक दृषियार बन गये। उनके तरीके बंगालमें भी काममें लाये गये और स्वदेशी व वहिष्कार बालीके सरक्षणमें रत दिये गये। और तिलकके तरीके अपनावनेवालोंमें प्रमुख थे गरमदलीय सुधारवादी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी। उन्होंने भी तिलककी तरह स्कूलों व कालेजोंके छात्रोंकी व्यायामशालाएँ खुलवायी जहाँ राजनीतिक प्रचार होता। उम्र पन्धी बंगालियोने सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको बगनरेसारी उपाधि दी। यह तब हुआ जब सोनेकी छतरीके नीचे उन्हें एक जल्लुका नेतुरा करते हुए ले जाया गया। जल्लुके आगे आगे वालीकी एक प्रतिमा जा रही थी जो एक अंग्रेजका शरीर रोद रही थी। यह विजयी भारतमाताकी ब्रिटेनपर विजयका प्रतीक थी।”<sup>१</sup>

पूर्वी बंगाल सरकार बराबर आगमें घी डालनेका काम कर रही थी। “छोटे अफसर सिर्फ हिन्दुओंको ही सताते थे। हिन्दू ही सरकारी नौकरियोंसे अलग रखे जाते थे। हिन्दू स्कूलोंको मिलनेवाली सरकारी सहायता ही बन्द की जाती थी। अगर मुसलमान उपद्रव करते तो पुलिस हिन्दुओंके घरोंकी तलाशी लेती और हिन्दू मुहल्लोंमें ही सुरक्षा बोज तैनात की जाती।”<sup>२</sup>

मिण्टोके ( जो शान्ति स्थापनाके लिए उत्सुक थे ) कार्यकालमें पूर्वी बंगालमें बर्जनकी नीतिमें ही काम हो रहा था। पुलर नये वाइसरायकी नीतिपर नहीं चलते थे। बर्जनके जमानेमें एक हुकम निकला था कि छात्र विभाजन आंदोलनमें भाग न लें।<sup>३</sup> पूर्वी बंगालके कुछ स्कूलोंके छात्रोंने जान-बूझकर इस आदेशका उल्लंघन किया। पुलर सरकारने तीन सौ लड़कोंके नाम काट देनेका हुकम निवाला, लेकिन भारतसचिव मौरिंके प्रस्तावपर नाम कटना रफ गया। इसपर दरबारी सन् १९०६ में पुलरने बलकृष्ण विश्वविद्यालयको लिखा कि उन दो स्कूलोंमें मान्यता छीन ली जाय जिन्होंने उस आदेशका उल्लंघन किया था।... “वाइसरायने यह समझकर कि इससे भारतीयोंमें आवेश व उद्वेग और बढ़ेगा, पुलरको बार-बार सलाह दी कि वह विवेकसे काम लें और नये नियम लागू होनेसे पहले रुके रहें। पर दरबानेमें असमर्थ और तिफटमसे अपना उद्देश्य पूरा करनेकी धुनमें पुलरने भारत सरकारके पास अपना इस्तीफा भेज दिया। वाइसरायने तुरन्त इस्तीफा स्वीकार कर लिया, इससे पुलर अन्तर्भेमें पड गये।”<sup>४</sup> मिण्टो, जो पुलर शासनकी गम्भीर तदरा मानते थे, कुछ आश्चर्य हुए।

एक ओर बंगालकी जनता—अधिकांशतः हिन्दू जनता—अपना आन्दोलन उग्रतर करती जा रही थी। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल सरकार हिन्दू मुस्लिम बलबे करवा रही थी चाहे इसका उद्देश्य मुसलमानोंको यह समझाना हो रहा हो कि हिन्दू उनकी दुस्मन हैं और एक पृथक् मुस्लिम प्रान्त आवश्यक है। बर्जन रग मन्ते दृष्ट चुके थे, पर उनके द्वारा नियुक्त रेफिटेनेण्ट गवर्नर पुलर उनकी नीति पूरी तरहसे लागू कर रहे थे। “मुस्लिम देशांतोंमें इस्लामके

१. मेरी मिण्टो, पही पुस्तक पृष्ठ १२१

२. नेविनसन, पही पुस्तक पृष्ठ २०२

३. बबन—'लार्ड मिण्टो' पृष्ठ २३७

४. मेरी मिण्टो, पही पुस्तक पृष्ठ ५२



पुनरुत्थान और ब्रिटिश सरकारके मुसलमानोंके पक्षमें होनेका प्रचार करते घूमते थे। ये मुल्ले कहते कि अदालतें तीन महीनेके लिए बन्द कर दी गयी हैं, और इस बीच हिन्दू विधवाओंको भगाने, हिन्दू दूकानें लूटने या हिन्दुओंपर हमले करनेकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लाल रंगकी एक पुस्तिका, जिसमें इसी तरहकी अनाप-शनाप बातें लिखी थीं, खुद खुलकर बाँटी गयी।” फुलर मजाकमें इशारा किया करते कि मेरी दो वीवियोंमेंसे मुसलमान वीवी मुझे ज्यादा प्यारी है। “मुसलमान सचगुच ही यकीन करने लगे कि अंग्रेज अपसर उनकी सभी व्यादतियोंको माफ करनेको तैयार हैं।” लेकिन बलवे फुलरके जानेके बाद भी जारी रहे।

“१९१० में राजधानी मुस्लिम भीड़के अधिकारमें तीन दिन और तीन राततक रही जब रईस मारवाड़ी सराफ लूटे गये। हाकिम लोग खुश होकर इन घटनाओंका हवाला देते, हुए कहते कि अंग्रेज शासक चले गये या उन्होंने थोड़ी भी दिलचस्पी कम कर दी तो हिन्दुओंकी यही हालत होगी।” अफसर जनताको समझाते कि बंगाली देश-भक्तों द्वारा चलाये गये स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलनके कारण ही यह अराजकता फैल रही है। लेकिन पूर्वा बंगालमें ही एक अंग्रेज मजिस्ट्रेटने खुलेआम कहा कि उपद्रव वायकाट आन्दोलनका नतीजा नहीं है। यह हो भी नहीं सकता था, क्योंकि स्वदेशी आन्दोलनमें गरीब मुसलमानोंको बड़ा फायदा हुआ था; इन मुसलमानोंमें अधिकतर जुगुप्से और मोची थे। एक मुस्लिम स्पेशल मजिस्ट्रेटने कुछ मुस्लिम उपद्रवियोंके मुकदमेंके फैसलेमें लिखा—“दंगा या बलवा करनेका कोई बहाना या उत्तेजना नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल हिन्दुओंको परेशान करना था।” एक दूसरे मुकदमेंके फैसलेमें उक्त मजिस्ट्रेटने लिखा—“सवृत पक्षकी गवाहियोंसे पता चलता है कि अभियुक्त ( एक मुसलमान ) ने मुसलमानोंकी एक भीड़में एक नोटिस पढ़कर सुनाया और कहा कि सरकार और टाकाके नवाब बहादुरने हुकम निकाल दिया है कि हिन्दुओंको लूटने और सतानेके लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायगा।” इसलिए कालीकी एक प्रतिभा खण्डित करनेके बाद मुसलमानोंने हिन्दू व्यापारियोंकी दूकानें लूटीं। एक अन्य यूरोपीय मजिस्ट्रेटने लिखा—“कुछ मुसलमानोंने डुर्गी पीटकर एलान किया कि सरकारने हिन्दुओंको लूटनेका हक दे दिया है।” एक स्त्रीको भगानेके मुकदमेमें इसी मजिस्ट्रेटने लिखा—“सारी घटना इस एलानकी वजहसे हुई कि सरकारने हिन्दू विधवाओंसे निकाह कर लेनेकी इजाजत मुसलमानोंको दे दी है।” लेकिन निष्पक्ष मुसलमान भी थे जो समझते थे कि सरकारकी ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पूरे जोर-शोरसे लागू है।

कुमिल्ला उपद्रवकाण्डके मुकदमेमें एक जजने खुले आम मुसलमानोंके साथ पक्षपात किया। हार्दकोर्टने उसकी आलोचना करते हुए कहा—“जज महोदयने गवाहोंको दो—हिन्दू और मुसलमानवर्गोंमें विभाजित कर एक वर्गकी बात मानकर और दूसरेकी बात अस्वीकार कर जो तरीका अपनाया है, उसकी कटुतम आलोचना की जायगी। जज महोदयको सिर्फ उस सवृतकी ओर ही ध्यान देना चाहिये था, जो उनके सामने पेश किया गया;

१. नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ठ १९२
२. वही पुस्तक पृष्ठ १९१
३. मजूमदार, वही पुस्तक पृष्ठ २५३
४. नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ठ १९३

और जनताके किसी वर्गके साथ उनकी जो सहानुभूति पहलेसे बनी हुई है, उसे मुकदमोंमें परिलक्षित न होने देना चाहिये था।”

कर्जनकी नीति सफल हुई। बंगालके दगोने देशभरका ध्यान आकृष्ट किया और हिन्दू हिन्दूके लिए व मुसलमान मुसलमानके लिए सहानुभूति व समवेदना प्रदर्शित करने लगा। ऐसे मामलोंमें समझदारीका निष्पक्ष दृष्टिकोण रखनेवाले हमेशा कम ही होते हैं।

गोपालकृष्ण गोरखेकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका अधिवेशन सन् १९०५ में बनारसमें हुआ। अधिवेशनमें पेश कर्जन शासनकी रिपोर्टके सम्बन्धमें कहा गया था—“वाग्नेसका यह अधिवेशन देशके राजनीतिक जीवनमें बड़े सफटके समय हो रहा है। लार्ड लिटनके वाइसराय-कालके अन्धकार युगके बाद कभी भी देश इतना असन्तुष्ट, हताश और विचलित व व्यग्र नहीं था, कभी भी इतने राजनीतिक व दूसरे दुर्भाग्योका शिकार नहीं हुआ था, कभी भी उच्चाधिकारियोंकी ओरसे ऐसी घृणा और शूद्र प्रचारका निशाना न बना था—उसकी अति साधारण मॉर्गे अस्वीकार की गयी और उनकी गिरली उड़ायी गयी, उसकी न्यायोचित प्रार्थनाओंपर गवॉ-मन्त ‘नहीं’ कह दिया गया, उसकी महान् अभिलाषाओं और आकांक्षाओंको ठोकर मारी गयी या बन्वास कहकर टाल दिया गया, उसके उच्चादर्श सिद्धासनमें गिराकर पैरो तले रोद दिये गये—देशकी हालत कभी भी इतनी सफटापन्न नहीं हुई थी जितनी कर्जनराजके दूरे बुग्रहमें। सार्वजनिक विरोधके बावजूद सरकारी गोपनीयताका कानून बना। इस कानूनकी सर्वत्र निन्दा हुई, सभी भारतीय ओर आंग्ल भारतीय समाचारपत्रोंने इसकी निन्दा की, हर ओरसे विरोधपत्र आये, लेकिन लार्ड कर्जन न माने और वह वाला कानून बन गया। शिक्षाका अंगभंग हुआ तथा वह लँगडो कर दी गयी, वह और भी लचौली और सरकारी दगको कर दी गयी, और राष्ट्रीय हितोंको गुलाम बनानेका सबसे प्रभावकारी हथियार—विद्वानिन्सालय कानून, बना दिया गया। वेंट्रिक, मैकाले, हैलीवेकग आदिके महान कामको, जिसका पिछले ५० वर्षोंमें देशके लिए बहुत आनन्ददायक परिणाम निकला था, रत्न करनेकी नहीं तो कमसे कम उसे रौननेकी नीति तो अवश्य ही काममें लायी जाने लगी।

वातावरणका तनाव अध्यक्षके भाषणसे भी स्पष्ट था। जितनी एक मुखारवादी नरम-दलीय नेतासे आशा की जा सकती थी, गोरखेने उनसे ज्यादा आलोचनात्मक और स्पष्ट भाषण किया। वाइसरायकी हैसियतसे सन् ५७ के ठीक पहले लार्ड केनिगने जो चेतावनी दी थी, गोरखेके भाषणके पहले वाक्यमें उसीकी गूँज थी। उन्होंने कहा—“जब आजसे चार महीने पहले मुझे यह पद स्वीकार करनेका निमन्त्रण मिला था, हमें क्षितिजपर बादलका एक छोटा सा हाथभरका डुकड़ा ही दिखलाई पड़ता था। तबसे बादल घिर चुके हैं और तूफान आ गया है; सामने चट्टानें हैं और समुद्रकी क्रोधित गरजती लहर थपड़े मार रही हैं, जब मुझे कांग्रेसकी नावकी पतवार सम्हालनेको कहा गया है।”

कर्जन राजपर टीका करते हुए गोरखेने कहा—ऐसे शासनका उदाहरण ढूँढनेके लिए हम अपने देशके इतिहासमें औरगजेवके शासनकालके पीछे लौटना होगा। वही हमें इतने तीव्र रूपसे वैयक्तिक और इतने अधिक केन्द्रीभूत शासनका प्रयास देखनेको मिलेगा; वही औरगजेव जैसी उद्देश्य पूर्तिकी लगन, वही कर्त्तव्यपरायणताकी सर्वोपरि चेतना, वही

आश्चर्यजनक कार्यशक्ति, वही अकेलेपनका बोध, वही दमन और अविद्वानकी नीतिका पालन जिससे सब ओर खीझ और क्रोध पैदा हो गया।”

बंगभंगके परिणामोंके सम्बन्धमें गोखलेने कहा—“हमारी राष्ट्रीय प्रगतिके इतिहासमें, बंगालके विभाजनके परिणामस्वरूप पैदा हुआ जनरोप और भावनाका महान् उद्रेक चिरस्मरणीय रहेगा। अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाके बाद पहली बार भारतीय समाजके सभी वर्ग जाति और धर्मके भेद मूलकर, किसी बाहरी दबावके बिना, सभीके साथ हुए अन्यायका प्रतिरोध करनेकी एक भावनासे अभिभूत होकर आगे बढ़े। उस प्रान्तपर एक सच्ची राष्ट्रीय चेतनाकी लहर छा गयी है और उसके प्रभावसे पुरानी बाधाएँ—कमसे कम कुछ समयके लिए तो ढह ही गयी हैं; वैयक्तिक ईर्ष्या तिरोहित हो चुकी है, दूसरे विवाद स्थगित हो गये हैं। नृशंस और निर्वन्ध नौकरशाहीके दमनचक्रका बंगालने जिस साहसके साथ सामना किया है उससे पूरा भारत आनन्दित और कृतार्थ हो उठा है। सद्गुणगूति और राष्ट्रीय आकांक्षाओंके कारण देशके विभिन्न भाग एक दूसरेके निकट आ गये हैं और इस प्रकार बंगालकी पीड़ा और कष्ट निष्प्रयाजन और व्यर्थ ही नहीं गये। जिस तरहकी बाढ़ हालमें बंगालमें देखी गयी, उसमें कहीं कहीं किनारोंके ऊपरतक पानी भर जाना अनिवार्यसा है। जब विशाल जनमसुदाय अकस्मात् अन्धकारसे प्रकाश, दासतासे स्वतन्त्रताकी ओर बढ़ता है, कहीं कहीं ‘अति’ हो जाना स्वाभाविक ही है। इनसे हमें अत्यधिक परेशान होनेकी आवश्यकता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है देशके सार्वजनिक जीवनको बहुत बढ़ी और महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई है—और इसके लिए देश बंगालका ऋणी और आभारी है।”

लेकिन तब भी नरमदलीय नेता कोई बड़ा कदम उठानेको तैयार नहीं थे। वे काँपते थे और उग्र-कांग्रेसी आगे बढ़नेके लिए उतावले हो रहे थे। इन उग्र कांग्रेसियोंमें महान् नेता भी थे जो भिखारीकी झोली नहीं फैलाना चाहते थे, जिनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ निर्बाध थीं, कोई सीमा नहीं जानती थीं। उन्होंने एक नयी संस्था-नेशनलिस्ट पार्टी (राष्ट्रीय दल) की स्थापना की और कांग्रेस शिविरमें ही खुला अधिवेशन कर भविष्यका अपना कार्यक्रम तय करना शुरु किया। इस सभामें तिलकने अपना सचिनय प्रतिरोधका सिद्धान्त प्रतिपादित किया। सभाने स्वयं-सहायताके सिद्धान्तका प्रचार करने और जनताको देशी वस्तुओंके प्रयोग और बहिष्कार आंदोलनके लिए प्रेरित करनेका निश्चय किया। प्रतिनिधियोंने ब्रिटिश सरकारसे शासन और सार्वजनिक कार्योंके हर क्षेत्रमें असहयोग करनेके प्रश्नपर भी विचार किया।

इस घटनाने कांग्रेसके शान्त वातावरणमें उद्वेलन उत्पन्न कर दिया। विषय समितिकी बैठकमें नरमदलीय व राष्ट्रीय पार्टीके नेताओंमें मतभेद पैदा हो गया। लगभग कांग्रेस अधिवेशनके समय ही ब्रिटिश युवराज प्रिंस आर्चबिशप सपत्नीक भारत आये थे। परम्परातुसार कांग्रेस (नरमदलीय) उनका ‘सम्मानपूर्वक, विनयपूर्ण, भक्ति और कर्त्तव्यमय स्वागत’ करना चाहती थी। ‘राष्ट्रीय’ नेताओंने इस प्रस्तावका विरोध किया, क्योंकि वे ऐसी हर बातके विरुद्ध थे। संकटापन्न स्थिति पैदा हो गयी। लेकिन कांग्रेसके पुराने नेताओंने समझौतेका यह रास्ता निकाला कि जब यह प्रस्ताव पेश हो तिलक गुट बैठकमें उठकर चला जाय। तिलक गुट उठ गया और कांग्रेसकी एकता कायम रही। फूटका डर एक और प्रस्तावपर पैदा हुआ। वायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षापर नरमदली उस ढंगका प्रस्ताव पारस नहीं करना

चाहते थे, जिस दंगका 'राष्ट्रीय' नेता। लेकिन यहाँ नरमदलीय नेता हुए गये और अधिवेशन शान्तिपूर्वक समाप्त हो गया।

अधिवेशनका कौंसिलोंके विस्तारकी माँगवाला मुख्य प्रस्ताव जे. चौधरीने पेश किया, जिन्होंने वंगभंगके सम्बन्धमें कहा कि यदि केन्द्रीय कौंसिल मात्र वाद विवादका अत्पाटा न होती तो यह कानून बिल्कुल दूसरे ढंगका होता। भारतीयोंका हाकिमोंके लिए उत्तर कुछ इस प्रकारका था—'हमारा यह सुझाव है, तर्क हमारे पक्षमें है; न्याय हमारे पक्षमें है; वोट तुम्हारे पक्षमें हैं; जो चाहो करो।' मुख्य प्रस्तावमें कहा गया था कि "समय आ गया है जन केन्द्रीय और प्रांतीय विधायिका कौंसिलोंके ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता है।" प्रस्तावमें सिफारिश की गयी थी कि "निर्वाचित और गैरसरकारी सदस्योंकी संख्या और बढ़ायी जाय और कौंसिलोंके सामने आनेवाले आर्थिक प्रश्नोंपर उन्हें मतविभाजनका अधिकार हो; शासनाध्यक्ष उनके निर्णयोंपर निर्बंधाधिकारका प्रयोग कर सकेंगे।" इसी प्रस्तावमें माँग की गयी थी कि (अ) हर प्रांतका ब्रिटिश लोकसभामें दो प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो, (आ) जानी मानी योग्यता और अनुभवके कमसे कम तीन भारतीयोंको भारतसचिवकी परिषदका सदस्य बनाया जाय, और (इ) गवर्नर जनरलकी कार्यकारी कमिश्नके दो सदस्य भारतीय हों और मद्रास व बम्बईकी कार्यकारी कौंसिलोंमें एक एक भारतीय सदस्य हो। समय समयपर भारतीय हालतकी ब्रिटिश लोकसभा द्वारा जांच की जा प्रणाली ईस्ट इण्डिया कंपनीके समय चल रही थी, एक अन्य प्रस्ताव द्वारा उसे फिरसे चार्ज करनेकी माँग की गयी। जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया था, समझा यह जाता था कि इससे भारतीय शासनतन्त्रकी जांचका अवसर मिलता रहेगा।

वंगभंगपर बन्देमातरमकी ध्वनिके बीच प्रस्ताव पेश करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने कहा कि जयन्तक विभाजन रक्त न कर दिया जाय, आन्दोलन जारी रहेगा। वह आन्दोलन नहीं रुका, तब भी नहीं रुका जब वंगभंग समाप्त हो गया और दोनों बंगाल मिलकर फिर एक हो गये।

कांग्रेसने भारत सरकार और भारत सचिवसे अपील की कि वे प्रबन्ध बदलें या उसमें सुधार करें। एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश वस्तुओंके बहिष्कारकी न्यायसंगत चर्चाते हुए बंगाल सरकारकी दमननीतिकी निन्दा की गयी। कांग्रेसने यह भी तय किया कि गोखले इगलैण्ड जाकर वहाँकी सरकारका ध्यान कांग्रेसके प्रस्तावोंकी ओर आकृष्ट करें।

वादविवादमें जिन्होंने सक्रिय भाग लिया, उनमें मदनमोहन मालवीय और लाजपतराय भी थे। वर्जनके असह्यकारी शासनसे उत्पन्न विरोधभावनाको कुचलनेके लिए काममें लाये गये दमनचक्रकी निन्दा करते हुए उन्होंने बंगालका अनुकरण करनेकी अपील की। एक मुस्लिम प्रतिनिधि ए० एच० गज्जनीने पूर्वी बंगालके गवर्नर सर बेम्पीट्ट पुल्लके 'उन्नेजक और सन्नपाती व्यवहार' का पर्दाफाश करते हुए उनकी धमकी, उनके सज्जनोंके प्रति असभ्य व्यवहार और निर्दयतापूर्वक अपमान करणोंकी घटनाओंका वर्णन किया। बनारस अधिवेशनमें ७५६ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। इनमें केवल १७ मुसलमान थे।

मिष्टों कांग्रेसको सन्देहकी दृष्टिमें देखने लगे थे और उसकी जगह किसी अन्य संस्थाके समर्थनकी सोच रहे थे—सम्भवतः कांग्रेस जैसी ही किसी संस्थाकी जिसका जन्म सन् १८८५ में सघटित हिंसा (जिसके काफी खूबसूरत ह्यूसो मिल गये थे) का खतरा दूर

करनेके लिए हुआ था। २८ मई सन् १९०६ के अपने पत्रमें मिण्टोने भारत सचिवको लिखा था—“जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है.....हमें उसके बेहतर नेताओंको मान्यता देनी चाहिये और उनसे मित्रता करना चाहिये; लेकिन तो भी मुझे भय है कि उसके आन्दोलनमें बहुतसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारके प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते, बिल्कुल बफादार नहीं हैं; भविष्यके लिए उनसे खतरा है.....कांग्रेसके उद्देश्योंके जवाबके तौरपर कोई संस्था खड़ी करनेके प्रश्नपर मैं इधर कापी दिनोंसे सोच रहा हूँ। देशी महाराजाओंकी समिति या उसी किस्मकी किसी और संस्थासे हमारा काम चल सकता है। एक प्रिवी काँगिल हो जिसमें राजाओंके अलावा कुछ और बड़े लोग भी हों, जो सालमें एक बार एक हफ्ते या पखवारेके लिए दिल्ली या कहीं और मिला करें। वाद-विवादके विषयों और कार्यसंचालनपर कापी गौर करना पड़ेगा; हमें कांग्रेससे भिन्न विचार वहाँ लाने होंगे।”

मौलेंको यह मुझसे पसन्द आया और उन्होंने अपने जवाबमें लिखा कि मेरा निजी तार किसी भी दिन तुम्हारे पास पहुँच सकता है कि तुम एक भारतीय ल्यूगा (रूसी पार्लियामेंट) स्थापित करनेका प्रवन्ध करो। मौलेंने अपने पत्रमें यह भी लिखा था कि “मैं बिना सोचे समझे, ऑखपर पट्टी बाँधकर निरंकुश शासनके रास्ते भी नहीं चलना चाहता।”

लेकिन मौलेंके इसी पत्रमें एक और महत्वपूर्ण अंश है जिसे कांग्रेसकी जगह लेनेवाली संस्था, या कम-से-कम एक अन्य बड़े समस्थाको ओर दृग्गित माना जा सकता है। उन्होंने लिखा था—भारतमें जो नयी चेतना पैदा हो रही है और फैलती जा रही है उससे हमें सभी सावधान कर रहे हैं। लारेंस<sup>१</sup>, शिरौल<sup>२</sup>, सिडनी लो<sup>३</sup> सभी वही राग अलापते हैं। तुम भी पुराने ढंगसे शासन नहीं चला सकते; कांग्रेस संस्था और कांग्रेस सिद्धान्तोंके बारेमें तुम्हारे कुछ भी विचार क्यों न हों, तुम्हें उनसे निवृत्तना है। तुम विद्वान रखो कि शीघ्र ही मुसलमान भी तुम्हारे खिलाफ कांग्रेससे अपना गान्ध जोड़ देंगे, वर्गैरह वर्गैरह।” इसका इलाज साफ था। मुसलमानोंको कांग्रेसमें शामिल होनेसे रोकना जरूरी था। इसके कुछ ही महीनों बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीगका जन्म हो गया।

१. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ २८-२९

२. वही पुस्तक पृष्ठ ३०

३. सर वाटर लारेंस (कर्जनके प्राइवेट सेक्रेटरी)

४. सर वेलेण्टाइन शिरौल (टाइम्सके संवाददाता)

५. सर सिडनी लो (शाही यात्राके समय आये विशेष संवाददाता)

## अध्याय १०

### मुस्लिम लीग

यंगमंगके बाद भारतीय राजनीतिमें इतनी तेजी आयी और वह इतने क्रान्तिकारी ढंगसे आगे बढ़ी कि अँग्रेज शासकोंको सब प्रकारकी आशंकाएँ घेरने लगीं। उनको इस बातकी पौरन आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि सरकार भक्त मुसलमानोंको एक राजनीतिक संघटनमें संघटित कर कांग्रेसके मुकाबलेमें खड़ा किया जाय। अँग्रेजोंके मित्र अलीगढ़के जागीरदार हाजी मुहम्मद इस्माइल खॉनने ३० जुलाई १९०६ को नैनीतालसे एक खत नवाब मोहसिनूल मुल्कको लिखा कि विधान परिषदको बढ़ानेकी बात सोची जा रही है और मुसलमानोंको भी अपनी माँग सरकारके सामने पेश कर देनी चाहिये। उस समय श्री थियोडर मॉरीसनके उत्तराधिकारी आर्चीबाल्ड शिमलांने ये। उन्होंने वाइसरायके निजी सेक्रेटरीसे बात करके नवाब मोहसिनूल मुल्कको इस तरहका खत लिखा—“वाइसरायने मुसलमानोंके एक शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार कर लिया है। वाइसरायको पेश किये जानेवाले मान-पत्रपर सब शर्तोंके प्रभावशाली व महत्वपूर्ण, मुस्लिम नेताओंके हस्ताक्षर होने चाहिये। इसमें चुनावकी नई वस्तु नामजदगीकी प्रणालीकी व्यवस्था करनेकी प्रार्थना करनी चाहिये क्योंकि मुसलमानोंको लाभ केवल नामजदगीसे ही होगा। जमीदारोंकी रायको उचित महत्व देना आवश्यक है। समय कम है और यदि हम एक आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं तो हमें जल्दी करना चाहिये।”

खतमें उन्होंने मुसलमानोंके हितको प्रत्येक सहायताका आश्वासन दिया परन्तु कहा कि वे स्वयं परदेकी आड़में रहेंगे। इस मिलनितेमें आगे बात करनेके लिए नवाब मोहसिनूल मुल्कको तार द्वारा शिमला बुलाया गया। मौलाना अजुल कलाम आजादने अपने एक भाषण में शिमलाके पैतरोकी चर्चा करते हुए कहा “मैं इस बातका जिन्दा सुबूत हूँ कि जब जनताके उद्वेलनके फलस्वरूप, १९०६ में कुछ सुधार किये जानेवाले थे, स्वर्गीय नवाब मोहसिनूल मुल्कको बम्बईसे, जहाँ वे अपने एक मित्रके यहाँ ठहरे हुए थे, तार द्वारा शिमले बुलाया गया। शिमलेमें उनकी मुलाकातका नतीजा यह हुआ कि आगा खॉनको अपनी यूरोप यात्रा स्थगित कर अदनसे वापस लौटना पड़ा। मुसलमानोंकी तरफसे हैदराबाद (दक्कन) के सैयद विलगारामीने पृथक् निर्वाचन पद्धतिकी माँग करते हुए एक स्मृतिपत्र तैयार किया। ये सब दौखेंच शिमलासे ही रोले गये थे।” (शिमला भारतकी औष्मकालीन राजधानी था)। १९२३ की कांग्रेसमें मौलाना मोहम्मद अलीने राष्ट्रपतिके पदसे भाषण करते हुए शिमला तमाशेको ‘हुक्मी-तमाशा’ बताया। आशय यह कि, जैसा डा. अम्बेडकरने कहा है, स्मृति पत्रकी तैयारी अँग्रेजी सरकारने करवायी थी।”

यही नवाब मोहसिनूल मुल्क, जिनको यू. पी. के लेफ्टिनेंट गवर्नरने ‘राजनीतिक

१. अब्दुल मजीद खॉ, कम्यूनलिज्म इन इण्डिया-इट्स ग्रोथ एण्ड ओरिजिन—पृष्ठ २३

२. अम्बेडकर, वही पुस्तक पृष्ठ, ४२८

कायों'के लिए सन् १९०० में डाँटा था, अब भारत सरकारके इशारेपर हाथ बाँधे खड़े रहते थे। वाइसरायकी सेवामें पेश करनेके लिए आवेदनपत्रपर उन्होंने थोड़ेसे वक्तमें लगभग ४००० मुसलमानोंके हस्ताक्षर इकट्ठे कर लिये। तब मुस्लिम सामन्तोंके ३५ सदस्योंके एक शिष्टमण्डलने वाइसरायकी सेवामें एक लम्बा स्मृतिपत्र पेश किया। जो संक्षेपमें यह था :—

“श्रीमान्की कृपासे,—प्राप्त हुई आशाके सुअवसरसे लाभ उठाकर हम ( जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं ) अगीर जागीरदार, ताल्लुकेदार, वकील, जमींदार, व्यापारी व अन्य लोग सम्राटकी भारतके विभिन्न भागोंकी मुहम्मडन प्रजाका प्रतिनिधित्व करते हुए, अत्यधिक नम्रता और विनयपूर्वक निम्नलिखित स्मृतिपत्र कृपापूर्ण विचारार्थ श्रीमान्की सेवामें प्रस्तुत करते हैं।

“१९०१ की जनसंख्या गणनाके अनुसार भारतकी मुहम्मडन ६ करोड़ २० लाख या सम्राटके भारतीय उपनिवेशकी कुल जन संख्याका १ और १ के बीचका भाग हैं। और यदि हिन्दू समाजमेंसे ‘नगण्य धर्मावलम्बी, व अमभ्य ब्रह्मवादी’ लोगोंके भागको और ऐसे तत्वके लोगोंको भी जो आम तौरपर हिन्दू शुमार किये जाते हैं पर वास्तवमें हिन्दू नहीं हैं, घटा दिया जाय तो मुहम्मडनोंका बहुसंख्यक हिन्दुओंसे अनुपात बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणालीमें चाहे उसका क्षेत्र सीमित हो या बृहद, ऐसे समाजको जिसकी जनसंख्या रुसको छोड़कर किसी भी प्रथम श्रेणीकी यूरोपियन सत्तासे अधिक है और जो राज्यके महत्वपूर्ण अंग हैं, उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिये।

“श्रीमान्की आज्ञासे हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पद्धति या ऐसी किसी भी व्यवस्था, जिससे उनके प्रभाव या हैसियतपर असर पड़े, को लागू करते समय मुहम्मडन समाजकी स्थितिकी आँक सिर्फ उनकी जनसंख्याको नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्यकी सुरक्षाके लिए की गयी सेवाओंको ध्यानमें रखते हुए, करनी चाहिये। हम आशा करते हैं कि श्रीमान् विचार करते समय भारतमें मुसलमानोंकी सौ वर्ष पूर्वकी प्रतिष्ठित स्थितिको, जिसकी परम्पराएँ अभी उनके दिलोंमें टूटी नहीं हैं, अवश्य ध्यानमें रखेंगे।...

“हमें आशा है कि श्रीमान् हमको प्रारम्भमें ही यह कहनेमें क्षमा करेंगे कि प्रतिनिधि संस्थाएँ जिस प्रकारकी यूरोपीय देशोंमें प्रचलित हैं, भारतीय जनताके लिए नहीं हैं। हमारे समाजके कई विचारशील सदस्योंकी सम्मतिमें यदि भारतकी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए प्रतिनिधि-संस्था-प्रणालीको उनके अनुकूल सफलतासे लागू करना है तो अत्यधिक यत्न, सावधानी और दूरदर्शितासे कार्य करना पड़ेगा। और यदि अत्यधिक सावधानी और यत्नसे काम न लिया गया तो इसके अर्थ और विपत्तियोंके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय हितोंको, वैमनस्यपूर्ण बहुसंख्याकी गरजीपर छोड़ देना होगा।.....

“.....इस बातकी कोई सम्भावना नहीं है कि निर्यान्त्रक मण्डल ( जैसे कि वे इस समय विद्यमान हैं ) द्वारा किसी भी मुसलमान उम्मीदवारका नाम सरकारकी स्वीकृतिके लिए पेश किया जायगा। ऐसा तभी सम्भव है जब कि वह उम्मीदवार सभी महत्वपूर्ण मसल्लोंपर बहुसंख्यकोंका समर्थन करे। न हमें अपने गैर-मुस्लिम भाइयोंकी इस इच्छामें कोई बुराई नजर आती है कि वे अपनी बहुसंख्याकी शक्तिका पूरा फायदा उठाकर केवल अपनी

जातिके सदस्योंके लिए मतदान करे, या उन लोगोंके लिए मतदान करे जो हिन्दू न होते हुए भी बहुसंख्यक हिन्दुओंके पक्षमें वोट दंगे क्योंकि उनको भविष्यके चुनावोंके लिए उन्हींकी शुभेच्छाओपर अवलम्बित रहना पड़ेगा ।”

स्मृतिपत्रमें ये माँग गिनायी गयी थी (१) मुसलिमोंको उनकी संख्याके उचित अनुपातसे सरकारी नौकरियों मिलें; (२) नौकरियोंमें भर्तोंके लिए प्रतियोगिता समाप्त कर दी जाय; (३) प्रत्येक हाईकोर्ट व चीफ कोर्टमें मुसलमान जजोंकी नियुक्ति हो; (४) जैसा कि पञ्जाबके कई शहरोंमें होता है, म्युनिसिपलिटियोंके चुनावके लिए यह अधिकार दिया जाय कि हिन्दू मुसलमान अलग अलग अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें; (५) विधानपरिषदके लिए चुनाव करनेवाले निर्वाचनमण्डलोंमें, महत्वपूर्ण मुसलमान जमींदार, वकील, व्यापारी व दूसरे हितोंके प्रतिनिधि, जिलाबोर्डोंके मुसलिम सदस्य और विश्वविद्यालयोंके मुसलिम स्नातक ( ग्रेजुएट ) (जिनकी स्थिति कमसे कम पाँच सालकी हो) हो ।

वाइसरायका जवाब भी स्मृतिपत्रकी माँगि लम्बा था । इसके ज्यादातर हिस्सेमें मुसलमानोंके अतीतके इतिहासका, सर सैयदकी सेवाओं और अलौगढ आन्दोलनका वर्णन था । उत्तरके प्रासंगिक वाक्य ये थे—

“मैं यह बतलानेकी कोशिश तो नहीं करूँगा कि विभिन्न धर्मावलम्बियोंका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो । लेकिन मुझे इसका पूरा विश्वास है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि आपको भी है, कि इस दीपकी जनसंख्याके वर्गोंकी परम्पराओं और विश्वासोंको बिना ध्यानमें रखा हुआ कोई भी प्रतिनिधि-निर्वाचक प्रणाली जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत मताधिकार देना हो, पूर्ण रूपसे अमफल सिद्ध होगी.... मैं मुसलिम समाजको पूरे तौरपर आश्वासन देता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित किसी भी प्रशासन-पुनर्निर्माणमें उनके हितों और अधिकारोंकी रक्षा की जायगी ।”

शामको वाइसरायकी स्त्री मेरी मिटोको एक सरकारी अफसरका निम्नलिखित पत्र मिला जिसका अर्थ साफ है और काफी महत्त्व रखता है । “श्रीमान्की सेवामें एक पक्ति भेजकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ी घटना हुई है । कुशल नीतिरताका एक कार्य आज हुआ है जिसका प्रभाव भारत और भारतीय इतिहासपर वर्षोंतक रहेगा । छः करोड़ बीस लाख आदमियोंको राजद्रोहियोंकी पकड़में शामिल होनेसे रोक देनेका यह कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है ।” वे अपने १ अक्टूबर १९०६ के जर्मलमें लिखती हैं कि “आजका दिन बहुत घटनापूर्ण रहा । जैसा कि मुझसे किसीने कहा—भारतीय इतिहासमें यह युगप्रवर्तक माना जायगा ।” भारतभरमें फैली हुई असन्तोषकी भावनासे हम परिचित हैं, सन घनों और विचारोंके लोगोमें पैली हुई अशान्तिकी हम जानते हैं । आन्दोलनकर्ता इस भावनाको फैलाने और पोषण करनेमें पूरी तरह तत्पर हैं । स्वाभाविक है कि इस वृहद् समाज ( मुसलमानों ) का सहयोग प्राप्त करनेका उन्होंने भरसक प्रयास किया है । नौजवान पीढ़ी अनिश्चित सी थी, काम्रेसके अग्रणी आन्दोलनकारियोंका साथ देनेकी तरफ उसकी अधिक

१. स्मृतिपत्र और वाइसरायके उत्तरका पूरा विवरण अभ्येडकरकी उसी पुस्तकमें मिलेगा, पृष्ठ ४२८-४२९

२. मुसलमानोंको

३. मेरी मिटो, वही पुस्तक पृष्ठ ४७-४८



प्रवृत्ति थी। एक पुंकार उठी कि राजभक्त मुसलमानोंका समर्थन नहीं करना चाहिये और आन्दोलनकारी उद्देलनके जरिए अपनी माँगों हासिल कर लेंगे।<sup>1</sup> अब इसमें जरा भी संशय नहीं रह जाता कि राजभवन शिमलामें शिएमण्डलकी पूरी योजना बनी थी और विजलीकी तेजीसे यह कार्यान्वित की गयी।

अब हम इस स्थितिमें हैं कि १८८५ में कांग्रेसके जन्मके बादसे मुस्लिम राजनीति और उसकी धाराओंका विद्वलेपण कर सकें। कुछ खिताब प्राप्त और कुलीन सामन्तीवर्गके लोग जिन्होंने निजी तौरपर या राजनीतिक सभाओंमें कभी भी मुस्लिम समाजके लिए चिन्ता प्रगट नहीं की थी, मुसलमानोंके स्वयं-नियुक्त नेता बन गये।

उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी ऊँची स्थितिको बरकरार रखना और मुसलिम समाजके एक बहुत ही सूक्ष्म भागके लिए सरकारी ओहदे प्राप्त करना था। अपने हितोंकी रक्षाके लिए सरकार-भक्तिका राग अलापना उनका उद्देश्य था। कांग्रेसकी तरफके लोग भी अपने वर्गाय हितोंके लिए समान रूपसे सतर्क थे परन्तु वे इस स्तरसे ऊँचे उठे और उन्होंने ब्रिटिश सरकारपर भारतमें आर्थिक-बर्बादी लानेका आरोप लगाया। लगातार वर्षोंतक कांग्रेसने अंग्रेजों द्वारा भारतके आर्थिक शोषणकी तरफ सरकारका ध्यान सीचा और सुधारोंकी माँग की। आमतौरसे मुसलमान हिन्दुओंसे ज्यादा गरीब थे; बंगालमें किसानोंकी दशा बहुत बुरी थी। करघोंके सहारे जीवन-वृत्ति यापन करनेवाली मुसलमान जनता भूखों मर रही थी। लेकिन तथाकथित मुस्लिम नेताओंने इनके बारेमें कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यदि वे एक शब्द भी कहते तो वह राजनीति समझी जाती, जिसे वे एक तरहका 'होआ' समझते थे। वे सरकारको रुष्ट करनेका साहस नहीं कर सकते थे। मुगल शासनकालमें प्राप्त अपनी पूर्वजोंकी खानदानी प्रतिष्ठाके चलपर वे सरकारी पदोंपर अपना स्वत्व चाहते थे। उस समय लोगोंकी खानदानी स्थितिके ऊपर ऊँची पदवियाँ और उपाधियाँ बहुत आसानीसे प्राप्त हो जाती थी। अंग्रेजी शासनकालकी भौति ऊँची पदवियाँ और उपाधियाँ प्राप्त करनेके रास्तेमें प्रतियोगिता-परीक्षाका रोड़ा न था। यदि हिन्दू और विशेषतया नीची श्रेणीके हिन्दू, परीक्षामें उनको नीचा दिखा देते तो वे इतने नाराज हो जाते कि वे नयी पद्धति और प्रजातन्त्रकी घोर निन्दा करने लगते क्योंकि इन्हेंके अन्तर्गत प्रतियोगिता-परीक्षाएँ आरम्भ हुई थीं। वेक और उनके उत्तराधिकारियों, जैसे उनके अलीगढ़ कॉलेजके शिक्षकोंने, उनकी मनःस्थितिका अध्ययन किया और उन्हें अपने लिए (मुसलमानोंके लिए) सीधी नियुक्तियोंकी माँग करनेकी सलाह दी। कालान्तरमें मुसलमानोंकी यही राजनीति बन गयी—प्रजातन्त्र और प्रतियोगिता-परीक्षाएँ मुस्लिम-हितोंके विरुद्ध थीं।

जीवन-वृत्तिके साधनके बाद मुसलमानोंके इस वर्गको सबसे प्रिय-इस्लाम था। कुछ मुस्लिमोंने इसका फिरसे अध्ययन किया और कुरान व अरबके पैगम्बरकी स्तुतिमें प्रशंसनीय साहित्य लिखा।

राजनीतिमें स्वतन्त्रता और समानताकी भावनाकी नयी विचारधारासे उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। अधिक-से-अधिक वे इन बातोंकी कुरानमें उत्पत्ति ढूँढनेका प्रयास करते। उनमेंसे कुछ धार्मिक निरपेक्षताका जीवनका एक स्वतन्त्र पहलू मानते थे, कई विपमताओंके सामने वे असहाय थे और यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि मुस्लिम

नेता राजनीतिसे धर्मको कभी अलग नहीं कर सकते थे। इन्होंने एक नवाब मोहिसिनुल मुत्क थे। 'मुस्लिम राष्ट्रकी अवनतिसे कारणों' पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि उनका (मुस्लिम) समाज तबतक उन्नतिकी आशा नहीं कर सकता जबतक वे सिर्फ अपने पूर्वजोंकी प्रतिष्ठामें ही गौरवान्वित महसूस करेंगे और जबतक वे हिन्दुओंकी नये ज्ञानप्राप्तिकी तत्परताकी स्पर्धा नहीं करेंगे।" परन्तु उनके दूसरे भाषणसे मालूम पड़ता है कि वे निराशा और असहायत्व महसूस कर रहे थे। "सत्रनों" उन्होंने कहा, "इस बातको बार बार याद रखिये कि हमको अपने प्रयासोंमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी जबतक आदर्शनीय व माननीय उलेमाओंकी सस्था (पुराने ढंगके विद्वान मुसलमान) हमारी सहायता नहीं करती। हमारे समाजका बहुत बड़ा तबका हमारी बात नहीं सुनता। जनतातक विकसित विचार पहुँचानेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन पूरे समाजके हृदयोंपर आधिपत्य रखनेवाली सस्थाकी आवाजको पेशावरसे वरमातक, कस्मीरसे मद्रासतक प्रत्येक मुसलमान ध्यानसे सुनेगा। सत्रनों ! इसमें जरा भी संशय नहीं है कि मुसलमान चाहे कितने ही अज्ञानी और अविवेकी क्यों न हों उनके हृदय इस्लामकी सुदृढतसे ओत प्रोत है, उनके विचारोंपर धार्मिक उत्साहका बहुत प्रभाव है.....उलेमाओंकी व्याख्याके अलावा उनके लिए इस्लाम और कुछ नहीं है।"१

मोहिसिनुल मुत्कके विचारोंके लोग बहुत थोड़े थे। वे राजनीतिमें वृद्धनेका साहस न कर सके। न सिर्फ यह, उनका अग्रजोसे इतना गहरा नाता था कि अग्रजोके हुकमपर वे मुसलमान जनताके एकमात्र नेता होनेका दावा कर सकते थे। भारतीय जनताकी आर्थिक दुर्दशाकी तरफ ध्यान रींचनेवाले सघटनको वे मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था माननेको तैयार नहीं थे।

मुसलमानोंके इस तबकेका अपने प्रतिरूप हिन्दू तबकेमें सरकारी नौकरियाँ पानेके लिए सघर्ष चलता था। मुगल शासनकालमें प्राप्त एकाधिकारसे आज हिन्दू इनको वंचित कर रहे हैं, इस भावनाने पुनरुत्थानवादकी प्रवृत्तियोंको जागरित किया। अपनी उन्नति और इस्लाम उनके जीवनका मुख्य ध्येय बन गया था। ऐसे मुसलमान, जैसा नेहरूजी कहते हैं "अपनी राष्ट्र-भूमिको अत्यन्त ढूँढनेकी कोशिश करते थे। कुछ हदतक वे अफगान और मुगलकालमें अपनी राष्ट्रीय जड़ देखते थे। सांस्कृतिक जन्म भूमिकी यह खोज कुछ मुसलमानोंको (उनमेंसे कितने ही मध्यम वर्गके थे) इस्लामके इतिहास और उस कालकी ओर ले गयी जय इस्लाम बगदाद, स्वेन, का-स्टंटिनोपल, सेंट्रल एशिया व अन्य जगहोंपर विजयिनी और रचनात्मक शक्ति था। मछाकी हज यात्रा भी इसी प्रकारकी चीज थी जिसकी यादसे मुसलमान अपनेको गौरवान्वित महसूस करते थे। भारतके मुगल-सम्राट भारतके बाहरकी किसी भी आध्यात्मिक शक्ति या तलीफाको मान्यता नहीं देते थे। १९ वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें जब मुगल सत्ताका पूर्ण पतन हो गया तब भारतीय मस्जिदोंमें तुर्कोंके सुल्तानोंका नाम लिया जा सका। गदरके बाद यह पूरे तीरपर प्रचलित हो गया।"२

उन्हे हिलालसे सुदृढत्व भी क्योंकि वपौतक यह उनके सुख और समृद्धिका प्रतीक

१. जी० एन० नटेशन एण्ड कं० की 'एग्जिनेट मुसलमान' पृष्ठ ८५

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ८३-८४

३. नेहरू—डिस्कवरी आफ इण्डिया—पृष्ठ २९०

रहा। अपनी जन्म-भूमिसे ज्यादा उन्हें तुर्कीसे प्रेम था जहाँ खलीफा रहता था। १९ वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें तुर्कीके सुल्तान हमीदने सर्व-इस्लामवादके आन्दोलन (पान-इस्लामिक मूवमेंट) को प्रोत्साहन दिया। भारतीय मुसलमानोंके ऊँची स्थितिके लोगोंने इसका साथ दिया। लेकिन सर सैयदने, जिनको कोई भी चीज उनके दृढ़ निश्चयसे डिगा नहीं सकती थी, इस योजनाका विरोध किया और कहा कि यह त्रिटिश हितोंको हानि पहुँचावेगी। उन्होंने अपने सहधर्मियोंको सलाह दी कि उनके धर्ममें राजभक्त रहनेका उपदेश दिया गया है। लेकिन फिर भी ऊँची श्रेणीके मुसलमान सर्व-इस्लामवादके आन्दोलनसे आकर्षित होते रहे।

अंग्रेजी अखबारोंने शिमला-योजनाकी सफलताको बहुत बड़ी सफलता मानकर हर्ष प्रकट किया। उन्होंने मुसलमानोंकी बुद्धिमत्ताकी तारीफ की और कांग्रेस व बंगालके आन्दोलनोंकी हँसी उड़ायी। जिस दिन शिमला नाटक खेला गया उसी दिन लन्दन-टाइम्सने अपने कुछ कालमेंमें भारतीय समस्या और मुसलमानके बारेमें काफी लिखा और वेकके इस सिद्धान्तका जोरदार समर्थन किया कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओंके अयोग्य है। दूसरे दिन, २ अक्टूबरको, टाइम्सने बंगाल उद्देलनकारियों और मुसलमान राजनीतिज्ञताकी तुलना की। एक दूसरे अखबारने हिन्दुओं और कांग्रेसकी निन्दा की और मुसलमानोंको शूरवीर कौम कहकर प्रशंसा की।

वाइसरायके निमंत्रणपर प्रथम बार देशके विभिन्न भागोंके कुलीन सामन्तीवर्गके लोग शिमलामें इकट्ठे हुए। स्पष्टतः वह मीटिंग अखिल भारतीय मुसलमान संघटन बनानेकी भूमिका थी। अलीगढ़की राजनीति अब देशव्यापी होनेवाली थी। ढाकाके नवाब सलीमुद्दौल खॉने 'ऑल इण्डिया मुस्लिम संघ' (Muslim All India Confederacy) के नामसे एक राजनीतिक संघटन बनानेका प्रस्ताव रखा। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम नेताओंकी एक मीटिंग ढाकामें ३० दिसम्बर १९०६ को बुलाई। ढाका बंग-भंगके खिलाफ आंदोलनका मुख्य केन्द्र हो रहा था। वहाँपर कर्जन द्वारा पैदा किये गये तीव्र हिन्दू-मुसलमानोंके मतभेदोंको, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलरने और उभारा था, देखते हुए ढाका प्रथम अखिल-भारतीय मुसलमानोंके सम्मेलनके लिए आदर्श स्थान था। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। सम्मेलनमें स्वीकृत प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इण्डिया मुस्लिम लीगके नामसे मुसलमानोंका एक राजनीतिक संघटन बनानेका निश्चय किया गया। एक दूसरे प्रस्तावमें कहा गया कि बंग-भंग मुसलमानोंके हितमें है। इस प्रस्तावकी एक प्रति सरकारके पास भेज दी गयी। दी टाइम्सने भारतीय राजनीतिके इस नये मोड़पर फिर संतोष प्रकट किया। ढाका-सम्मेलनके करीब तीन मास बाद अलीगढ़में हुई विद्यार्थियोंकी एक सभामें नवाब बकारुल मुल्कके भाषणसे लीगकी राजनीतिक आकांक्षाओं और अँग्रेजी शासनके प्रति दृष्टिकोणकी एक झाँकी मिलती है। उन्होंने कहा "ईश्वर न करे यदि भारतसे अँग्रेजी शासन गायब हो जाय तो हिन्दू ऐश करेंगे और हम लोगोंको बराबर हर समय अपने जान, माल, और इज्जतका खतरा बना रहेगा। मुसलमानोंको इस खतरेसे बचनेका सिर्फ एक रास्ता है—अँग्रेजी शासनके कायम रखनेमें मदद करना। मुसलमान अगर दिलसे अँग्रेजोंके साथ हैं तो वह शासन जरूर बरकरार रहेगा। मुसलमानोंको अपनेको अँग्रेजी सेना समझना चाहिये, बराबर सम्राटकी सेवामें अपना खून बहाना चाहिये और जिदगी कुर्बान करनेके लिए हमेशा तैयार रहना

चाहिये।” फिर कांग्रेसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “हमें कांग्रेसियोंको आदोलनकारी राजनीतिको नहीं अपनाना चाहिये। अगर हमारी कोई माँग है तो हमें मसलताने सरकारकी सेवामें पेश करना चाहिये। लेकिन याद रखो कि अंग्रेजी शासनके प्रति राजभक्त रहना तुम्हारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे फुटबालके मैदानमें या टेनिसके खेलमें, अपने आपको अंग्रेजी धीजका सिपाही समझो। तुमको ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षा करनी है और इसके लिए शत्रुसे लोहा लेना पड़ेगा। अगर तुम यह समझ लो और इसके पूरा करो तो तुम्हारा नाम भारतीय ब्रिटिश इतिहासमें सुनहले अध्रोंमें लिखा जायगा। आनेवाली पीढ़ियों तुम्हारा नाम आदरके साथ स्मरण करेगी और तुम्हारी कृतज्ञ रहेगी।”<sup>१</sup>

सन् १९०७ में कराचीमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ—यह इसका प्रथम अधिवेशन था। एक विधान तैयार किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे—(१) भारतीय मुसलमानोंमें अंग्रेजी सरकारके प्रति निष्ठाकी भावना पैदा करना और सरकार द्वारा उठाये गये कदमोंसे अभिप्रायके बारेमें पैदा हुई गलतफहमियोंको दूर करना; (२) भारतीय मुसलमानोंके राजनीतिक और दूसरे अधिकारोंकी रक्षा करना; उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओंको मसलताने सामने पेश करना; (३) जहाँतक सम्भव हो, बिना ऊपर बताये गये उद्देश्योंको हानि पहुँचाये हुए मुसलमानों और दूसरी जातियोंके बीच मित्रताके भाव पैदा करना।

विधानमें एक स्थायी अध्यक्षता स्थान स्वीकृत हुआ था। इस स्थानपूर्तिके लिए आगा खॉं ही उपयुक्त समझे गये और वे इस पदपर १९१३ तक रहे जब कि लीग उनके नियन्त्रणसे बाहर चली गयी और कांग्रेसकी नीतिपर चलने लगी। अध्यक्षकी अनुपस्थितिमें एक अस्थायी सभापति लीगकी बैठकोंका सभापतिव्र करता था। १९०६ और १९०७ के बीच केन्द्रीय लीग व शाराओंमें पाठ हुए प्रस्तावोंमें केवल एक बातपर जोर दिया जाता रहा—सरकारी ‘हलवे और मडि’ में ज्यादा हिस्सा मिलनेकी माँग करना।<sup>२</sup>

सर मैजिस्ट्रेट अली इमामकी अध्यक्षतामें अमृतसरमें दिसम्बर १९०८ में लीगका दूसरा अधिवेशन हुआ। उन्होंने अपने भाषणमें लीग और कांग्रेसके विरोधी अन्तरको स्पष्ट किया। उन्होंने इस बातका दावा किया कि मातृभूमिके लिए श्रद्धा और भक्तिमें मुसलमान किसीसे पीछे नहीं हैं। लेकिन जहाँ कांग्रेस औपनिवेशिक स्वशासनकी माँग करती है, वहाँ लीग केवल शासनमें लगातार सुधारोंकी माँग और उदार प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षित भारतीयोंकी समाभाविक-आकांक्षाओंकी पूर्तिसे मनुष्य हो जायगी। “क्या इस आदर्श स्वशासनकी माँगने, चाहे वह जितने सुन्दर आवरणमें रखी जाय, बेवैनी नहीं पैदा की है? और क्या इस बेवैनीने आदर्शवादियोंको क्रान्तिय विमूढ नहीं कर दिया है? और क्या सतुलनके नष्ट हो जानेसे उप्रवादिताना जन्म नहीं हुआ है और क्या इस उप्रवादिताने परिणाम-स्वरूप अराजकता, बम, गुप्त सगठनों और हत्याघोंको जन्म नहीं हुआ है?” इसके बाद उन्होंने कहा “कांग्रेस घोषणा करे कि उसकी राजनीतिमें अमली तोरपर अंग्रेजी शासनके प्रति भक्ति ही भारतके प्रति भक्ति है, और वर्तमान प्रशासनमें सुधार तभी सम्भव हैं जब कि अंग्रेजी नियन्त्रण स्थापित रहे” जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन

१. तुर्कल अहमद, वही पुस्तक पृष्ठ ३६३, ६४

२. एक भारतीय मुसलमान, मुसलमान्म पृष्ठ इण्डियन पोलिटिकल पृष्ठ iii

नेशनल कांग्रेस) हमारे सामने एक ऐसी नीति पेश नहीं करती जिसपर अमल किया जा सके, ऐसी नीति जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, तबतक मुस्लिम-लीगको एक पवित्र कर्तव्य पूरा करना है। वह कर्तव्य अपने समाजको, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसे संघटनमें शामिल होनेकी राजनीतिक गलतीसे बचाना है, जो लॉर्ड. मॉलेंके कथनानुसार मानो चंद्रमा प्राप्त करनेके लिए चिल्लाता है।

उन्होंने स्वीकार किया कि बहुतसे सवालेंपर कांग्रेस और लीगमें कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने ऐसे चौदह सवालोंको गिनाया। (१) न्याय और प्रशासकीय विभागोंको पृथक कर देना; (२) अपमानजनक औपनिवेशिक आर्डिनंसोंका रद्द किया जाना; (३) प्राथमिक शिक्षाका प्रसार; (४) उच्च नौकरियोंमें अधिक संख्यामें भारतीयोंका लिया जाना; (५) स्वास्थ्य व सफाईका उचित प्रयत्न होना; (६) स्थानीय स्वायत्त शासनके मामलोंमें अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेपका बन्द होना; (७) फौजी व्ययमें उचित कमी होना; (८) भारतकी युद्धप्रिय (लड़ाकू) जातियोंको स्वयंसेवकोंकी मान्यता देना; (९) भारतीयोंको फौजमें कमीशन देना; (१०) भारतकी आयसे इंग्लैण्डमें या इंग्लैण्डके हिसाबमें हुए खर्चका ठीक-ठीक लेखा-जोखा रखना और न्यायोचित खर्च करना; (११) जमोनके लगानको सीमित करना; (१२) गाँव पंचायतोंका कायम किया जाना; (१३) भारतीय कला और उद्योगकी सुरक्षा करना और उसको प्रोत्साहन देना; (१४) जातीय भेद-भाव मिटा देना।

१९०८ के लीग अधिवेशनवेेशनमें पास हुए प्रस्तावोंमें माँग की गयी थी—(१) स्थानीय वर्गोंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका विस्तार होना। (२) प्रिवा काँउंसिलमें एक हिन्दू और एक मुसलमानकी नियुक्ति होना। (३) राज्यकी सब नौकरियोंमें मुसलमानोंको हिस्सा देना।

कांग्रेसके बंग-भंग-विरोधी प्रस्तावका विरोध किया गया, ट्रांसवालमें भारतीयोंके प्रति दक्षिण-अफ्रीकाकी सरकारकी नीतिकी निन्दा की गयी। “सम्प्रदायगत चुनावपर लीगने जोर दिया” साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिए भारत और इंग्लैण्ड दोनों जगह, अखबारों और सभाओं द्वारा प्रभावशाली उद्बेलन किया गया। सर सैयद अगीरअलीकी अध्यक्षतामें लन्दनमें लीगकी एक अंग्रेजी शाखा स्थापित की गयी। भारत सचिवसे मिलनेके लिए एक शिष्टमण्डल भेजा गया। वाइसरायके सामने एक स्मृतिपत्र पेश किया गया। अंग्रेज झुके और मिन्टो-माल्ले-सुधारोंमें इस स्मृतिपत्रकी माँग भी शामिल कर ली गयी।

राष्ट्रीय नेताओंने जिनमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे, पृथक निर्वाचनका विरोध किया। एक चैरिस्टर नवाब सादिकअली खॉने लखनऊमें एक सभामें कहा “वर्गाय और धार्मिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त इस योजनाकी सबसे दुष्टतापूर्ण बात थी।.....मुसलमानोंके हितमें यह अच्छा नहीं है कि उन्हें यह सिखाया जाय कि उनके राजनीतिक हित हिन्दुओंसे भिन्न हैं।.....मेरी नाकिस रायमें मुस्लिम दृष्टिकोणसे भी यह सिद्धान्त बहुत ही दुष्टतापूर्ण और बुरा है।” मिन्टो-माल्ले सुधारोंके ठीक दो वर्षों बाद, अंग्रेज राजनीतिज्ञ रेमजे मैकडोनल्डने भारतपर लिखी पुस्तकमें कुछ भेद खोले हैं। उन्होंने कहा “मुस्लिम समाजके कुछ दूरदर्शी सदस्य यह महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने गलती की। बहुतोंने मुझसे दुखित होकर अपने नेताओंके रवैयेकी बात की कि किस प्रकार वे नेता आंग्ल-

भारतीय अधिकारियोंका खेल खेलनेको राजी हो गये हैं। दूसरी तरफ जो कुछ हो गया था उससे जो लोग अभीतक सहमत थे, उनमें भी इस बातका मान हो रहा था कि आगे खतरे आनेवाले हैं और अच्छा होता अगर उन लोगोंने इस तरहकी माँग न की होती।”

उन्होंने आगे लिखा है—“मुस्लिम नेता कुछ आंग्ल भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित हैं। इन अधिकारियोंने हिमाल और लदनमें सॉट गॉट की है और मुसलमानोंके साथ विशेष पक्षपात करके हिन्दू और मुस्लिम समाजोंमें वैमनस्य पैदा किया है। यह जानकर और पैसाचिक्र दगसे “लडाओ और राप्य करो” सिद्धान्तके अन्तर्गत किया गया है या यह केवल एक भयानक गलती है—ऐसी गलती जो एक बार फिर सिद्ध करती है कि हमारे कुछ जिम्मेदार अधिकारी भारतको कितना कम समझते हैं या अपने कार्योंके परिणामोंका अन्दाजा लगा पाते हैं—यह बात लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि लार्ड मिण्टोके भाषणों और लार्ड मॉलेके विरोधी भाषणों तथा दोनोंके सरकारको भेजे गये परस्पर विरोधी समाचारोंके सच्चे अर्थ अभीतक गुप्त रखे गये हैं।”

अप्रैल १९०९ के हिन्दोस्तान रिव्यूमें एक मुसलमान सज्जनने लिखा “मेरे सह-धर्मियोंका भारतमें एक न पटनेवाली खाई पैदा करनेका प्रयत्न स्तुत्य नहीं है। इससे अनिवार्य रूपमें बुराईयोंका स्रोत खुल जायगा और भारतको महाविषम गम्भीर परिस्थितिका सामना करना पड़ेगा।” ये सज्जन सही साबित हुए, १९१९ के सुधारोंने सिखों और कुछ परिगणित जातियोंमें भी पृथक् निर्वाचनका सिद्धान्त लागू कर दिया।

जनवरी १९१० में लीगका अधिवेशन दिल्लीमें आगा खॉकी अध्यक्षतामें हुआ। अध्यक्षने १९०९ के सुधारोंपर सन्तोष प्रकट किया और कहा कि अगर अब आन्दोलनको जारी रखा गया तो प्रस्तावित सुधार वापस लिये जा सकते हैं।

लीगका प्रधान कार्यालय अलीगढ़में स्थापित किया गया, परन्तु १९१० में इसको लखनऊ हटाना पडा, क्योंकि लीगके एक नेताने एक गवर्नरको नाराज कर दिया था। २२ फरवरी १९०९ को यू० पी० के० लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर जॉन हीवेट अलीगढ़ कॉलेजके अध्यक्ष थे। कॉलेजकी प्रबन्ध समिति द्वारा पेश किये गये मानपत्रका जवाब देते हुए उन्होंने विचार प्रगट किया कि किसी कक्षामें साटसे अधिक छात्र न हों और न किसी अध्यापकको आम्रतौरपर चार घण्टोंसे अधिक पढाना पड़े, अध्यापकोंकी सरया अनुपयुक्त थी। कॉलेजके मन्त्री नवाब बकासल मुल्कने प्रधानाध्यापकसे दैनिक कार्यक्रम माँगा। राजनीतिक प्रधानाध्यापकने इसको अपने काममें हस्तक्षेप माना और बजाय मन्त्रीको कार्यक्रम देनेके उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया जिसकी एक प्रति उन्होंने लेफ्टिनेण्ट गवर्नरको भेज दी। इसके बाद वह खुद लखनऊ जाकर लेफ्टिनेण्ट गवर्नरसे मिले और उनके सम्मुख अपना मामला रखा। नवाब बकासल मुल्कको लखनऊ बुलाया गया और उनसे प्रधानाध्यापक द्वारा लगाये गये कुछ आरोपोंका उत्तर माँगा गया। दोनों पक्षोंकी बात सुननेके बाद लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने अपना फैसला दिया जो अधिकांशतया मन्त्रीके खिलाफ था। मन्त्रीको गवर्नरके आदेशपर दस्तखत देनेको कहा गया। उन्होंने दस्तखत कर दिये। अपमानका यह घूँट निगलना प्रबन्धक समिति (‘ट्रस्टीज’) के लिए बड़ा कठिन था। उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर

१. मैकडोनल्ड, दि अवेक्निंग आव इण्डिया पृष्ठ १२९

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १०६-१०७

यह राय रखी कि संरक्षककी हैसियतसे लेफ्टिनेण्ट गवर्नर कॉलेजके मामलोंमें दखल नहीं दे सकते। भारतके विभिन्न नगरोंमें सभाओं द्वारा इस विरोधका समर्थन किया गया। विरोध-प्रस्तावकी प्रतियाँ लेफ्टिनेण्ट गवर्नरको भेजी गयीं। लेफ्टिनेण्ट गवर्नरकी कूटनीतिशताने स्वयं उनको इस विरोध-प्रदर्शन, जिसकी वह राजभक्त मुसलमान नेताओंसे आशा नहीं करते थे, के सामने झुकनेको बाध्य किया; स्वयं उनके सुझावपर उनसे एक शिष्टमंडल भिजा और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। परन्तु वे मुसलमानोंमें अपनी तरहके इस पहले आंदोलनका मूल कारण सोचने लगे ? क्या मुसलमानोंकी हिम्मत, मुस्लिम लीगने बढ़ायी है ? इसलिए उन्होंने आगा खांपर, जो लीगके अध्यक्ष थे और लीगकी धनसे सहायता करनेवालोंमें मुख्य थे, दवाव डाला कि वे लीगका प्रधान कार्यालय अलीगढ़से हटाकर लखनऊ ले आयें।

घटनावश इस मामलेके कारण यूरोपियन प्रधानाध्यापक द्वारा मुस्लिम राजनीतिका संचालन खत्म हो गया।

## अध्याय ११

### कांग्रेसमें फूट

१९०६ में कांग्रेसका अधिवेशन राजनीतिक चहलपहलके केन्द्र कलकत्तेमें हुआ जिसमें १६६३ प्रतिनिधियों और २०,००० दर्शकोंने भाग लिया। इतने प्रतिनिधि सन् १८८९ से नहीं आये थे। दर्शकोंका पण्डाल सचापच भरा था।

दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गये। इस समय उनकी अवस्था ८१ वर्षकी थी। वे तब हंगलैण्डमें थे। कांग्रेसकी आन्तरिक राजनीतिमें खाई बढ रही थी और फूटका डर हो रहा था, इसीलिए पुराने नेताओंने नौरोजीको अध्यक्षता करनेके लिए राजी किया था। तिलकके जीवनी लेखक अठखलेके अनुसार नौरोजीको लानेका मुख्य कारण यह था कि तिलक अध्यक्ष न हो सके। नरमदलीय और 'राष्ट्रीय' नेताओंमें अनयन सी थी। 'राष्ट्रीय' नेता बाबराटका अर्थ केवल अँग्रेजी वस्तुओंका बहिष्कार ही नहीं लगाते थे, बल्कि शासन और सार्वजनिक कार्योंके सभी क्षेत्रोंमें अँग्रेजोंसे अमहयोग भी उगीमें शामिल समझते थे। नेशनलिस्ट पार्टी प्रचार करती थी कि सभी सरकारी रिताय वापस कर दिये जायें, लोग सरकारी अदालतोंमें मुकदमें न ले जायें, कौंसिलों और स्वायत्त शासन मन्शाओंमें कोई शामिल न हो। ब्रिटिश मालके बहिष्कारके साथ देशी उद्योग चलाना भी पार्टीके कार्य क्रमका अंग था। 'शासन व्यवस्थाका संघटित प्रतिरोध करना और स्वयं महायताकी नीतिमें सरकारी अडगोबाजी हो तो सविनय प्रतिरोध करना पार्टीका सिद्धान्त था। यह प्रतिरोध आवश्यकता पडनेपर आत्म-मन भी हो सकता था। और, यह प्रतिरोध कोई एक रास शिक्षायत दूर करानेके लिए नहीं, देशमें एक स्वतंत्र जनतागिन सरनारकी स्थापनाके लिए था।' नेशनलिस्ट पार्टीको लोग उग्र दल, गरम दल और कांग्रेसके पुराने सुधारवादी नेताओंको 'नरमदल' कहते थे।

१९०६ के जाडोंतक गरम और नरमदलोंके बीचकी खाई इतनी चौड़ी हो चुनी थी कि नौरोजी जैसे विशाल व्यक्तित्वके अभावमें कांग्रेस अधिवेशनके शान्तरूपसे हो जानेमें संशय हो रहा था। नौरोजी राजी हो गये और जो तूफान १९०६ में आगेवाला था, वह एक सालके लिए टल गया। लेफिन विषय समितिकी बैठकमें बड़े क्षोभ और उपद्रवके दृश्य हुए। सभामें शान्ति रचना मुश्किल हो गया और अगर नरमदलीय लोग बोल पाये तो तिरफ अपने-आमह और हटसे।

नया भावना अन्यक्षरक भाषणसँ भी प्रकट थी। दादाभाई सुदापेक कारण खडे न रह सकते थे, इसलिए गोखलेने उसे पडकर सुनाया। हेनरी कैम्पबेल बेनरगेनके इस उद्धरणसे भाषण शुरू हुआ कि 'जनताकी अपनी सरकारकी एवजमें अच्छी सरकार नहीं हो सकती।' कलकत्ता कांग्रेसकी बालिंग कांग्रेस बताते हुए आपने कहा—अब गभीरतापूर्वक सोचना है कि भारतीयोंकी हालत है क्या और होनी क्या चाहिये। आजादीसे कम से कम ये

१. अठखले 'लाइफ भाव लोकमान्य तिलक' पृष्ठ १५१

२. आचार्य बरेन्द्रदेव 'कांग्रेस कामेसरेसन वॉल्यूम' में लेख पृष्ठ १४६



अधिकार तो मिलते ही हैं कि सरकारी नौकरियोंमें देशी लोग रखे जाते हैं, कार्यकारी और विधायिका कौंसिलोंमें उनका प्रतिनिधित्व होता है और देशोंके बीच उचित आर्थिक सम्बन्ध होते हैं। उन्होंने कहा—आन्दोलन करो, आन्दोलनका अर्थ है सूचना देना, बताना, प्रचार करना। “देशकी जनताको बताना है कि उसके क्या अधिकार हैं और वे क्यों और कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं। इंग्लैण्डका तो जीवन ही एक व्यापक आन्दोलन है। सवेरे आप समाचार पत्र खोलें, पूरा अखबार कांग्रेस, सम्मेलन, सभाओं, और प्रस्तावोंसे भरा मिलेगा, वहाँ हजारों स्थानीय और राष्ट्रीय आन्दोलन चला करते हैं। वहाँ प्रधान मन्त्रीसे लेकर छोटेसे छोटे राजनीतिज्ञ—सभी सब कामोंके लिए आन्दोलन करते हैं। पार्लमेण्ट, सभाएँ, अखबार—वहाँ सब आन्दोलन ही हैं।” और कलकत्ता अधिवेशनके बादके वर्षोंमें भारतमें भी सब ओर आन्दोलन ही चला।

वायकाट आन्दोलनका समर्थन करते हुए नौरोजीने कहा—“जबतक २० करोड़ रुपया दूसरे देशके पुत्रोंकी तनखाहों, पेंशनों आदिमें जाता रहेगा और भारतके पुत्र भूखे और गरीब होते रहेंगे, वहाँ आर्थिक नियमोंकी बात करना जलेपर निमक छिड़कना है।”

बंगभंगके विरोध और वहिष्कार आन्दोलनके पक्षमें आये प्रस्तावपर बोलते हुए मदनमोहन मालवीयने प्रस्तावक विपिनचन्द्र पालसे मतभेद प्रकट किया और कहा कि वायकाट आन्दोलन और सुवोंमें नहीं चलाना चाहिये। उन्होंने आज्ञा प्रकट की कि दूसरे प्रान्तोंमें वायकाटकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसपर गोखलेने पिछले वर्षके प्रस्तावकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि हम उस प्रस्तावसे बँधे हुए हैं। इस मामलेपर नरम व गरम दलोंमें फूट पड़ने लगे पर जैसे जैसे समझौता हो गया।

नरमदलको अब भी विश्वास था कि अंग्रेज भारतके साथ न्याय करेंगे। लार्ड मिण्टो भी जानते थे कि नरमदलको खीज और निराशामें गरम दलसे मिलने देनेसे रोकना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका कुछ ऊँचे पदोंपर भारतीयोंको बैठा देना और सुधारोंकी एक ओर किस्त दे देना था। उन्होंने भारत सचिव मॉलेंको लिखा कि केन्द्रीय विधायिका और कार्यकारी कौंसिलोंमें कुछ भारतीय रख लिये जायँ और सुधारोंका प्रस्ताव तैयार कर लिया जाय। ब्रिटिश सरकार इससे आगं जानेको तैयार नहीं थी और भारत सचिवने इसकी सूचना गोखलेको दे दी थी। अगस्त सन् १९०६ को मॉलेंने मिण्टोंको लिखा था—‘कल मेरी गोखलेसे पाँचवीं और आखिरी बातचीत हो गयी। उन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्टतः बताना दिया कि भारत स्वशासित उपनिवेश हो। मैंने भी अपना विश्वास उनपर प्रकट कर दिया कि काफ़ी दिनोंतक—इतने दिनोंतक जितने दिन मुझे भारत सचिव नहीं रहना है—यह लक्ष्य स्वप्न ही रह सकता है। ‘हाँ, उस दिशामें बढ़नेके लिए न्यायोचित सुधारों का यह बहुत सुन्दर अवसर है।’”

मॉलेंने यह भी लिखा था कि राजनीतिक सुधारोंसे लाख दर्जे ज्यादा माँग इस बातकी है कि हर तरहके ऊँचे पदोंपर भारतीय नियुक्त किये जायँ। चार महीने बाद मिण्टो और मॉलें दोनों वाइसरायकी कार्यकारी कौंसिलमें एक ‘देशी सदस्य’ रखनेको राजी हो गये। यह अर्द्ध-सरकारी समझौता ही था और इसे सरकारी रूप देते हुए मॉलेंने जनवरी सन् १९०७ में लिखा कि यह अनिवार्य तो है लेकिन शायद यह “एक खतरनाक यात्राकी

शुरूआत भी है।" वाइसरायकी कौंसिलमें इस प्रस्तावका बड़ा विरोध हुआ। इस विरोधके जवाबमें मिण्टोने कहा—मेरी रायमें, अपने आस पास होनेवाली घटनाओंकी जानकारीके बाद, हम जहाँ हैं, वही तो ठहर नहीं सकते।"

एक तरफ देशमें असन्तोषकी ज्वाला उठ रही थी और दूसरी ओर भारत स्थित यूरोपीय समाज सुधारोंका घोर विरोधी था। इन विरोधी भावनाओंके बीच दवे लार्ड मिण्टोकी दिमागी हालतका पता उनके ८ मई सन् १९०७ के पत्रसे लगता है, जो उन्होंने भारत सचिवको लिखा था—“भारतीय दावोंको स्वीकार करनेका यूरोपीय समाजपर क्या असर पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अगर ये सुधार सालके शुरूमें लागू हो गये होते तो यह उथल पुथल और विशोभ रोक जा सकता था, या कम-से कम हमें रोकनेमें हम ज्यादा सक्षम होते।”

किसी भारतीयको वाइसरायकी कौंसिलमें लेना बड़े साहसका काम समझा जाता था। खुद मिण्टोने १९ मार्च सन् १९०७ को मॉलेंको इस सिलसिलेमें लिखा था—“इस मुझासे सम्बन्धित पत्र जितनी कठिनाइयों और सम्भावनाओंसे भरा हुआ है उतनी कठिनाइयों और सम्भावनाओंसे भरा पत्र कभी भी भारतसे इंग्लैण्ड नहीं गया। यह ऐसे भविष्यके सम्बन्ध में है, जिनके सम्बन्धमें निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।”

मार्चमें ही सुधारोंके सम्बन्धमें मोरले वाइसरायमें मिले थे और कहा था कि पूरीकी पूरी नयी पीढ़ी गरमदलमें जा रही है। लेकिन अंग्रेज भारतीय राजनीतिक उथल पुथलको समझते हुए भी शासन सत्ताका एक अंश भी हस्तान्तरित करनेको तैयार न थे। सुधारोंके मसौदेके साथ मिण्टोने जो पत्र मॉलेंको लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि “भारत सरकारको निरकुश रहना ही चाहिये; सार्वभौम सत्ता अंग्रेजोंके हाथोंमें ही रहनी चाहिये और किसी भी विस्मकी देशी प्रतिनिधि सभाको नहीं मिलनी चाहिये। कोई भी सभा भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करनेका दावा नहीं कर सकती जबतक कि भारतकी ९० फीसदी अपट जनता यह नहीं समझती कि ‘उत्तरदायी सरकार’ होती क्या है और जबतक वह किसी भी चुनावमें प्रभावकारी ढंगसे भाग लेनेमें असमर्थ है।” जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नीको लिखा मिण्टोको डर था कि “हाजिमोंकी अडङ्गेवाजीकी दीवार हर उस काममें रुकावट डालती है जिसका तोड़ मरोड़कर भी वह अर्थ निकल आये कि अंग्रेज हाकिमोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप हो रहा है।”

बढ़ते हुए आतंकवाद (अगले अध्यायमें इसका विवरण दिया गया है) और गरमदलवालोंके प्रचार आन्दोलनने वाइसरायपर क्या असर डाला था, यह उनके उस पत्रसे स्पष्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम सबको लगता है कि हम इस देशमें एक यात्राके बीचमें रुके यात्री भर हैं और इस पड़ावसे हमें शीघ्र बूच कर देना है। और मॉलेंने लिखा—“जिस ढंगसे तुमने बहॉकी स्थिति लिखी है, उसमें स्पष्ट है हमारा महान् राज्य नितना कृत्रिम और क्षणमगुर है। हम सोचते हैं कि यह टिकेगा कैसे? यह टिक नहीं सकता और हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगली व्यवस्था—वह चाहे जो भी हो, कुछ सुधरी हुई हो।” उसी पत्रमें उन्होंने आगे लिखा था—“क्या तुम्हारी सुधार

नीति, मेरी कौंसिलमें देशी सदस्योंके रखे जाने, विवेकीकरण, टेक्सोंमें कमी, और दूसरे भलाईके कामोंसे ब्रिटिश राजके बारेमें उनके विचारोंमें रस्ती बराबर भी अन्तर आयगा ?”

कुछ महीने बाद दो भारतीय भारत सचिवकी कौंसिलके सदस्य बना लिये गये और १९०८ में एक सदस्य वाइसरायकी कार्यकारिणीमें रख लिया गया। तिलक, पाल और अरविन्द घोषके नेतृत्वमें गरमदलके लोग कांग्रेसकी पूरी राजनीतिको ही दूसरी दिशामें मोड़नेके लिए प्रयत्नशील थे। न सुनी जानेवाली अजियाँ लगानेसे उनका विश्वास उठ चुका था। उन्होंने सुना कि वायकाट आन्दोलनके सिलसिलेमें हुई कुछ अशान्तिगम घटनाओंसे नरमदलीय नेता बहुत घबड़ा गये हैं और १९०७ के अधिवेशनमें वायकाटका प्रस्ताव नहीं लाना चाहते। तिलक काटवद्ध थे कि ऐसी कोई योजना सफल होने दी जायगी। इसलिए उन्होंने अरविन्द घोषके सभापतित्वमें राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर कांग्रेसके अगले अध्यक्षके चुनावके पहले ही कांग्रेससे माँग की कि कलकत्ता अधिवेशनके प्रस्तावोंका समर्थन हो। इस प्रकार उन्होंने नरमदलीय नेताओंके उपर्युक्त इरादोंको विफल करनेका प्रयास किया।

अब कांग्रेसके इतिहासका तृपानीकाल आ गया था। १९०७ का अधिवेशन नागपुरमें होनेवाला था और स्थानीय कार्यकर्त्ता उसकी तैयारियोंमें लगे थे। स्वागत समितिकी एक बैठक बुलाई गयी जो गड़बड़-घोटालेमें ही भंग हो गयी। ‘राष्ट्रीयदल’ के लोगोंने प्रस्ताव किया कि नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष तिलक हों। नरमदलोंका यह प्रस्ताव अमाधारण मालूम पड़ा क्योंकि अबतक उन्हींके उम्मीदवार सर्वसम्मतिसे चुने जाते रहे। उन्होंने डाक्टर रामविहारी घोषका नाम चुना था और स्थापित परम्परामें राष्ट्रीय दलका यह व्याव्रात वे सहन नहीं कर सकते थे। ये मतभेद खत्म नहीं हुए और अन्तमें अधिवेशन नागपुरसे हटाकर सूरतमें किया गया। २६ दिसम्बरको स्वागताध्यक्ष त्रिभुवनदास मालवीयके भाषणसे काररवाई शुरू हुई। देशकी राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमें उन्होंने कहा— पिछले अधिवेशनके बादसे हम बड़े आपत्तिकालसे गुजर रहे हैं। प्रमुख भारतीयोंपर सन्देह किया गया है और उनपर राजद्रोह, उपद्रव आदिके गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, जो अधिकांशतः आधारहीन हैं। इस साल किसी तरह शासकोंके दिलमें यह बात घर कर गयी कि विद्रोहके बादका ५० वॉ साल होनेके कारण भारतीय फिर विद्रोह करनेकी तैयारीमें हैं; इससे वे घबरा गये। इस काल्पनिक विद्रोहको रोकनेके लिए उन्होंने बहुतसे प्रतिगामी और दमनकारी कदम उठाये। पुराने भूले हुए ऐसे कानून ढूँढ़ निकाले गये जिनके अस्तित्वका लोगोंको ध्यान ही नहीं रह गया था और उन्हें लोगोंको दण्डित करनेके काममें लाया गया। लोगोंपर अस्पष्ट आरोप लगाये गये और अभियुक्तोंको न समय दिया गया, न अवसर जिसमें वे अपराधोंका खण्डन करते या अपना बचाव कर सकते। कुछ जगहोंपर यों ही मान लिया गया कि यहाँके निवासियोंके मनमें राज-द्रोहात्मक भावनाएँ हैं और वहाँ सार्वजनिक सभाओंपर पाबन्दी लगा दी गयी। और अब एक और खतरनाक कानून हमपर ल्या दिया गया है, जो गजटमें घोषणा करने भरसे सारे देशमें लागू हो जायगा। यह कानून है—

“राजद्रोहात्मक सभा कानून।”

स्वागताध्यक्षके भाषणके बाद पण्डालमें कुछ समयतक विलकुल सन्नाटा रहा। तब

दीवान बहादुर अम्बालाल एस. देसाईने जायतेसे डाक्टर रासबिहारी घोषका नाम अध्यक्ष पदके लिए प्रस्तावित किया। कुछ प्रतिनिधियोंने 'नहीं, नहीं' कह कर विरोध प्रदर्शित किया पर देसाईके भाषणमें इससे अधिक व्याघात नहीं हुआ। लेकिन जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए खड़े हुए, तब इतना शोर मचा कि उनका भाषण सुना ही न जा सका। स्वागताध्यक्षने अन्तमें बैठक अगले दिनके लिए स्थगित कर दी ताकि तबतक लोगोंका आवेश खत्म हो ले।

गरमदलको खबर लगी थी कि अधिवेशनमें पेश होनेवाले प्रस्तावोंमें स्वराज्य, बायकाट, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विषयोंके प्रस्ताव शामिल नहीं किये गये ताकि सरकार नालुदा न हो। गरमदलवाले कांग्रेसकी धीमी रफ्तारसे असंतुष्ट थे; उन्होंने फैसला किया कि जो हो चुका है, उससे पीछे तो हरगिज नहीं लौटने दिया जाय। २३ दिसम्बरको सूत्रतमें ही एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए तिलकने नरमदलकी पीछे लौटनेकी नीतिको राष्ट्रहितके लिए घातक बताया। दूसरे दिन ५०० 'राष्ट्रीय' प्रतिनिधियोंकी एक सभा अरविन्द घोषके सभापतित्वमें हुई जिसमें निदरचय हुआ कि हर वैधानिक तरीकेसे कांग्रेसको पीछे लौटनेसे रोक जाय; जरूरत पड़े तो अध्यक्षके चुनावका भी विरोध किया जाय। २५ दिसम्बरको राष्ट्रीय प्रतिनिधियोंकी फिर बैठक हुई और वही निर्णय दोहराया गया, अतः इन प्रतिनिधियोंकी संख्या ६०० हो चुकी थी। पर नरमदल और कांग्रेसके सचिवालयने न तो इन लोगोंकी आपत्तियाँ ही गम्भीरतापूर्वक सुनीं और न इनकी समझौतेकी बातचीतपर ही ध्यान दिया।

२७ दिसम्बरको बैठक शुरू होनेपर तिलकने स्वागताध्यक्षको एक पर्चा भेजा जिसपर लिखा था—“अध्यक्षके नामके समर्थनके बाद मैं प्रतिनिधियोंके समक्ष इसी प्रस्तावपर बोलना चाहता हूँ। मैं एक रचनात्मक मुझावके साथ काम स्थगित करनेका प्रस्ताव पेश करूँगा। कृपया मेरे नामकी घोषणा कर दे।” स्वागताध्यक्षने कोई जवाब नहीं दिया। तिलकने फिर याद दिलाते हुए एक पर्चा भेजा पर उसका भी जवाब नहीं मिला। तिलकको अपनी बात कहनेका मौका नहीं मिला। इसलिए जब डाक्टर घोष अध्यक्ष घोषित कर दिये गये, तिलक स्वयंसेवकोंको धकेलते हुए मंचपर पहुँच गये। उसी वक्त डाक्टर घोष अध्यक्षकी कुरसीपर बैठ रहे थे। तिलकने जैसे ही भाषण शुरू किया, एकदम शोरगुल मचने लगा। नरमदलवाले चिन्हाते कि तिलक बैठ जायें, गरमदलवाले कहते कि तिलकको मुना जाय। जब तिलक मंचसे नहीं हटे तो घोष और मालवोयने उन्हें हटानेका आदेश दिया। स्वागत समितिका एक मंत्री मंचपर आकर उन्हें हटाने लगा, पर तिलकने उसे धकेलते हुए कहा कि मुझे अपनी बात सुनानेका अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं मंच तबतक नहीं छोड़ूँगा जबतक मुझे जबरदस्ती घसीटकर मंचसे हटा नहीं दिया जायगा। इसके बाद जो हुटदंग शुरू हुआ उसमें पीरोजसाह मेहताको एक जूता लगा, किसीने यह जूता मंचपर फेंका था। कुरसियाँ फँकी गयीं। घोषने दो बार बड़ी हिम्मतसे अपना भाषण शुरू किया लेकिन 'नहीं', 'नहीं' की आवाजोंने उन्हें चुप कर दिया। जब शान्ति स्थापनाकी आशा न रही, अध्यक्षने बैठक स्थगित कर दी और पुलिस बुलायी गयी, जिसने फौरन आकर हाल सली करा दिया। प्रसिद्ध लेखक हेनरी नेविनसन अधिवेशनमें मौजूद थे, उन्होंने लिखा है—“हवामें कुरसियाँ गोलोंकी तरह छूट रही थीं। लाठियों लड रही थीं। फूटे सिरोसे खून बह रहा था। कठिन और अस्पष्ट सवर्ण था। दस हजार कुर्सियोंपर बैठे दस हजार व्यक्ति; न कोई चरदी और

न कोई पहिचान; नरम और गरममें अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं—सिवा उनके चेहरेके भावके।”

तिलक चाहते थे कि बैठक स्थगित कर दी जाय और अध्यक्षके चुनावपर उत्पन्न मतभेद दोनों दलोंके प्रमुख प्रतिनिधियोंकी एक संयुक्त समझौता-समितिमें तय हो जायें। अगले दिन उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया कि “मैं और मेरे दलके लोग डाक्टर घोषके चुनावका विरोध छोड़ देने और पुरानी बातोंको भूलनेको तैयार हैं, पर शर्त यह है कि एक तो स्वराज्य, स्वदेशी, वायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी गत वर्षके प्रस्तावोंपर टिका जाय और ईमानदारीसे उन्हें दोहराकर उनका समर्थन किया जाय, दूसरे यदि डाक्टर घोषके भाषणमें कुछ ऐसे अंश हैं जो नेशनलिस्ट पार्टीको नागवार लगें, तो उन्हें निकाल दिया जाय। “सुरत अधिवेशनसे ठीक पहले गोखलेने कांग्रेसके विधानका एक मसौदा तैयार किया था जिसमें कांग्रेसका ‘अंतिम लक्ष्य’ “भारतके लिए उर्ध्व प्रकारका स्वशासन प्राप्त करना, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्यके दूसरे राष्ट्र-सदस्योंको प्राप्त है” बताया गया था। इस अन्तिम लक्ष्यको नेशनलिस्ट पार्टी व्यावहारिक राजनीतिसे परे मानती थी और वह स्वराज्यकी माँगपर अटिग थी। पर गोखलेको डर था कि नेशनलिस्ट पार्टीका प्रस्ताव स्वीकार करनेसे, वातावरणके उस तनावमें, सरकार बुरा मान जायगी। अपनी इस आशंकाको उन्होंने एक पत्रमें इस प्रकार लिखा था—आप इस सरकारके पीछे जो विशाल शक्ति छिपी हुई है, उसे नहीं समझते। अगर कांग्रेस आपके मुद्दाव मान ले तो सरकार पाँच मिनटमें कांग्रेसका मुँह बन्द कर सकती है और गला घोट दे सकती है। “विधायिका कौंसिलमें मार्च सन् १९०६ में गोखलेने बजटपर जो भाषण किया था उससे उनका मुधारवाद अधिक स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा था—“शिक्षित वर्गोंको समझानेका प्रश्न ऐसा है—जिसे हल करनेमें ब्रिटिश राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिताके पूरे साधन लग जायेंगे। इन वर्गोंसे मुल्ह करनेका सिर्फ एक रास्ता है, और वह है उन्हें अपने देशके शासनमें ज्यादा ज्यादा लगाना—आज इस देशको जिस चीजकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह है ऐसी सरकार जो तत्त्वतः राष्ट्रीय हो, चाहे उसे चला विदेशी ही रहे हों।”

अधिवेशन स्थगित होनेके बाद नरमदलके प्रमुख नेता, जैसे डाक्टर घोष, पारंज-शाह मेहता, गोखले, दीनशा वाचा, मदनमोहन मालवीय, कृष्णस्वामी ऐयर आदि एकत्र हुए और उन्होंने अगले दिन २८ दिसम्बरको एक राष्ट्रीय सम्मेलन करनेकी नोटिस प्रसारित की। इस सम्मेलनमें सिर्फ वे ही प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे जो मानते थे कि (१) भारतको वैसा ही स्वशासन दिलाना उसका राजनीतिक ध्येय है जैसा ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य सदस्य राष्ट्रोंको प्राप्त है और भारतको अन्य ऐसे राष्ट्रोंके समकक्ष ब्रिटिश साम्राज्यके अधिकारों और दायित्वोंका समान भाग मिलना चाहिये, (२) इस दिशामें केवल वैधानिक तरीकोंसे प्रगति करनी चाहिये। १६०० में से ९०० प्रतिनिधियोंने इस उद्देश्यको माना और सम्मेलनमें शामिल हुए। डाक्टर घोष अध्यक्ष बनाये गये। सम्मेलन ने १०० में अधिक सदस्योंकी एक समिति कांग्रेसका विधान बनानेके लिए नियुक्त की। अगले साल १८ व १९

१. एडवर्ड टॉमसनकी ‘दि रिफॉर्मेशन आव इण्डिया’ में पृ० ९७ पर ‘मॉर चेंजेज, मॉर चांसेज’के पृष्ठ २७० से उद्धृत

२. वूकनके ‘लार्ड मिण्टो’ में २३१ पृष्ठपर उद्धृत

अप्रैलको इस समितिकी बैठक इलाहाबादमें हुई और जो विधान तैयार किया गया, उसमें कांग्रेसका लक्ष्य 'ऐसी शासन प्रणालीका भारतमें प्रचलन जैसी ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य स्वशासित देशों में है', बताया गया। यह विधान १९०८ के अधिवेशनमें पेश हुआ पर वह पास १९११ में हुआ। इस बीच विधान नियमोंकी खानापूर्तीमें पड़ा रहा। पर सूरतमें अलग हुए राष्ट्रीय नेता १९१६ तक कांग्रेसमें नहीं लौटे।

१९०८ में मुधारोंकी दूसरी विस्त—मॉर्ले-मिण्टो मुधारोंकी घोषणा हुई। इनके द्वारा विधायिका कौंसिलोंका विस्तार और गैर सरकारी सदस्योंके अप्रत्यक्ष चुनावकी व्यवस्था हुई। केन्द्रीय कौंसिलमें सरकारी सदस्योंका बहुमत कायम रखा गया, पर प्रांतीय कौंसिलोंमें निर्वाचित सदस्योंकी संख्या सरकारी सदस्योंसे कुछ ज्यादा रखी गयी। मुधारोंकी एक रास बात चुनावमें साम्प्रदायिक मतदाता प्रणालीके सिद्धान्तकी स्वीकृति थी। इसे राजनीतिक नेताओं व समाचारपत्रोंने हिन्दुओं व मुसलमानोंको अलग करनेकी चाल बताया। जमींदारोंको विशेष प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। यद्यपि कौंसिलोंका विस्तार हुआ था और उनमें और अधिक भारतीय आनेको थे, पर वे पहलेकी तरह ही बाद विवादकी संस्थाएँ भर बनाकर रखी गयी थीं। उन्हें सरकारके सालाना बजटपर विचारकर उसमें संशोधनके मुद्दाय देनेका अधिकार तो था पर बहुमतसे पास करनेके बाद भी कौंसिल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो सरकार न करने देना चाहती हो।

मॉर्लेने ब्रिटिश लोकसभामें ईमानदारीके साथ स्वीकार किया कि भारतको संसदीय पद्धतिकी सरकार कभी भी न प्राप्त होगी। उन्होंने कहा—“यदि मैं भारतमें संसदीय पद्धतिकी सरकार चलानेकी कोशिश करता हूँ, या कोई यह कहता है कि मुधारोंके इस अभ्यायसे सीधे या अप्रत्यक्ष रूपसे भारतमें संसदीय पद्धतिकी सरकार स्थापित हो रही है, तो मैं इस कामसे हाथ खींच दूँगा।”... यदि मैं इस पद या इस जीवनकी सामान्य अवधिमें २० गुनी ज्यादा अवधि पा जाऊँ, तब भी इस लक्ष्यकी ओर बढ़नेकी तो मैं एक क्षणके लिए भी नहीं मोचूँगा।”

लेकिन तब भी नरमदलने इन मुधारोंका हार्दिक स्वागत किया। गोरखलेने उन्हें 'उदार और उचित' की मश दी और अनुरोध किया कि उन्हें अनुग्रहीत होकर स्वीकार किया जाय। लेकिन क्रांतिकारियों और उग्र दलवालोंके लिए तो मॉर्लेका यह भाषण एव चुनौती था। आनेवाले दस वर्षोंमें बम और पिस्तौलकी राजनीतिने सरकारके नाकों दम कर दिया।

भारत सचिवके पदपर मॉर्लेके उत्तराधिकारी लार्ड ब्रूने भी मॉर्लेकी नीति ही जारी रखी और जून सन् १९१२ में ब्रिटिश लोक-सभामें दो भाषणोंमें उन्होंने भारतीयोंसे कहा कि वे स्वशासनकी कोई आशा न रखें। उन्होंने कहा—“भारतमें एक वर्ग ऐसा है, जो दूसरे उपनिवेशोंको मिले स्वशासनकी तरहका स्वशासन भारतमें भी चाहता है। मुझे नहीं लगता कि भारत भविष्यमें भी उस ओर बढ़ेगा। एक दूसरी जातिके लोगोंको हमारी इस लोक-सभाके नियन्त्रणमें बाहर स्वशासन देनेका प्रयोग नहीं किया जा सकता, चाहे उस जातिकी सेवामें हमारी जातिके सबसे उत्तम लोग ही क्यों न लगे हों... कथा यह सोचा भी जा सकता है कि आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैण्डकी तरह, भारतीय साम्राज्यकी भविष्यमें कोई ऐसी स्थिति हो जायगी जब कोई अंग्रेज अपसर वहाँ न रहे—विशेषकर जब भारतसे हमारे रुधिर, धर्म

या कोई ऐसे बन्धन नहीं हैं जो भौतिक बन्धनोंका स्थान ले सकें ?.....मुझे तो यह केवल कल्पनालोककी बात मालूम पड़ती है ।”

अब हम जरा पीछे लौटें । दिसम्बर मन् १९०८ में ब्रिटिश सरकारने लोक-सभामें भारतके लिए सुधार बिल पेश करना तय किया था; पर तभी वाइसराय लार्ड मिण्टो बंगालमें आतंकवादके दमनके लिए एक कड़ा कानून बनानेकी सोच रहे थे ।

११ दिसम्बर १९०८ को वाइसरायकी (केन्द्रीय) विधायिका कॉमिलने एक बैठकमें ही फौजदारी कानून संशोधन बिल पास कर दिया । इस बिल द्वारा सरकारने “कुछ अपराधोंके मुकदमोंको शीघ्रता-पूर्वक तय करने और मार्बजनिज शान्तिके लिए गतरनाक संस्थाओंपर रोक लगाने” के अधिकार अपने हाथमें ले लिये । इसके एक हफ्ते बाद भारत सचिवने लार्ड सभामें भारत सुधार बिल पेश किया । इस बिलकी घोषणा जान-बूझकर एक हफ्ते बाद की गयी थी । मिण्टोने ३० नवम्बरको ही मॉल्टिको लिखा था.....लोक-सभामें सुधारोंकी घोषणाके पहले ही दमनकारी कानून बन जाना चाहिये । मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपकी घोषणाके पहले ही यहाँका अरुचिकर काम समाप्त हो जाय । हम पहले दवा दे दें और उसके बाद उसका कड़वा स्वाद दूर करनेके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें । आपकी घोषणाके बाद यहाँ कड़ा कानून बनाना और काले पानीकी गजाएँ देना बड़ी भारी गलती होगी । आखरी बूँटका जायका ही मरीजके मुँहमें रह जायगा । मैं चाहता हूँ कि आपकी घोषणाका स्वागत यहाँ संख्यबन्धित ही—उसका प्रभाव कम न होने पाये, ऐसी ही कोशिश मैं कर रहा हूँ ।”

फौजदारी कानूनके संशोधनके दो दिनोंके भीतर दस बंगालियोंको बिना मुकदमा चलाये काले पानी भेज दिया गया । और उसके पाँच दिन बाद, पूर्व निश्चयके अनुसार भारत सचिवका सुधार बिल आया ।

सूत अधिवेशन स्थगित माना गया और अगले सालका मद्रास अधिवेशन भी २३वाँ अधिवेशन ही माना गया । मद्रास अधिवेशन बिल्कुल नरमदलीय अधिवेशन था । डाक्टर घोष फिर अध्यक्ष हुए । उन्होंने अपने भाषणमें सुधारोंके प्रस्तावका स्वागत किया । एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसने उन्हें सुधारों की बड़ी और उदार किन्तु जो देशवागियों को राजकाजमें काफ़ी हिस्सा देने और शासन तन्त्रको जनताकी भावना व आवश्यकताके अनुकूल बनानेके लिए जल्दी थीं, बताया । उसी साल बादशाहने एक घोषणा द्वारा १० वर्ष पहले विकटोरिया द्वारा किये बार्दोंको दोहराया और वैधानिक सुधारोंकी आशा दिलायी । बादशाहके इस मन्देशका स्वागत करते हुए कांग्रेसने उनके प्रति अपनी ‘निष्ठापूर्ण श्रद्धाञ्जलि’ अर्पित की ।

१९०९ के लाहौर अधिवेशनके लिए मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गये । अधिवेशन शुरु होनेके कुछ छ दिन पहले उन्हें इसकी सूचना दी गयी । असलमें लोगोंका इशारा किरोजगाह मेहताकी अध्यक्ष बनानेका था, पर वे राजनीतिमें अवकाश ग्रहण करनेका निश्चय कर चुके थे और उन्होंने यह आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया था । मालवीय तब योगार थे और अध्यक्ष-भाषण लिखनेका परिश्रम उनके स्वास्थ्यके लिए उचित नहीं था । पर, तब भी

उन्होंने ६३ पृष्ठोंका छपा हुआ लम्बा और प्रससनीय भाषण तैयार कर लिया । इसमें उस समयकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितिकी विशद् चर्चा की गयी थी ।

लाहौर अधिवेशनने 'धर्मके आधारपर स्थापित पृथक् निर्वाचन पद्धतिते अतहमतिकी तीव्र भावना' व्यक्त करते हुए उस कानूनके अधीन बने नियमोंसे 'देश ध्यापी घोर असन्तोष' का वर्णन किया । इस असन्तोषके कारण थे, (अ) एक विशेष धर्मके अनुयायियों (मुसलमानों) को मिला "अत्यधिक और अनुचित प्रतिनिधित्व" (ब) मुस्लिम व गैर-मुस्लिम प्रजाके अनुचित, अपमानजनक और द्वेषपूर्ण भेद भाव; और (स) प्रांतीय 'कौंसिलोंमें इस दृग्गणे गैर-सरकारी बहुमतका रखा जाना जिससे वह ध्यावहारिक रूपसे अप्रभावकारी और अवास्तविक रह जाय । अपने भाषणमें मालवीयजीने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकोंको पृथक् निर्वाचनके साथ ही सामान्य निर्वाचनमें भी मतदानकी सुविधा मिली हुई है, लेकिन पंजाब और आसाममें हिन्दू अल्पसंख्यकोंको ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं । उन्होंने यह भी कहा कि ३०००) सालाना आयकर देनेवाले मुसलमानको तो वोट मिला हुआ है, पर ३००,०००) सालाना आयकर देनेवाले हिन्दूको नहीं । पाँच साल पहले बी० ए० पास करनेवाले मुसलमानको तो वोट मिला है पर ३० साल पहले बी. ए. हुए गैरमुस्लिमको यह हक नहीं है । सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने कहा कि १९०९ के कानूनके अन्तर्गत बने नियमों ने सुधारको व्यर्थ कर दिया है । उस साल भारत सचिवने भारत सरकारको लिखा था कि शहरी व देहाती स्थानिक सस्थाओंको सच्ची स्वायत्त शासन सस्थाएँ बनानेकी जरूरत है । कांग्रेसने इसपर सन्तोष प्रकट किया ।

'राष्ट्रीय' प्रतिनिधि न आने और शिक्षासस्थाओंपर रोक लगनेके कारण लाहौर अधिवेशनमें उपस्थिति बहुत कम थी । कुल २४३ प्रतिनिधि आये हुए थे ।

१९१० के इलाहाबाद अधिवेशनमें ६३६ प्रतिनिधि आये । अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न चुने गये थे । अपने भाषणमें उन्होंने यूरोपीय अफसरों और शिक्षित भारतीयों, हिन्दुओं और मुसलमानों तथा नरम और गरम दलोंके बीच उत्तम मतभेदोंको मिटानेकी आवश्यकतापर जोर दिया । इस साल पृथक् निर्वाचन जिला व म्युनिसिपल बोर्डोंमें भी लागू कर दिया गया था । कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा स्वायत्त शासन सस्थाओंमें पृथक् निर्वाचन चलानेकी जोरदार निन्दा की ।

१९११ में वादशाह और महारानी भारत आये और उनके लिए दरबार किया गया जिसमें दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ हुईं । एंग्लो बंगभंगको रद्द कर दिया । उसकी जगह बिहार व उड़ीसाका एक अलग संघ बना दिया गया । दूसरी घोषणामें भारतकी राजधानी कलकत्तेके बजाय दिल्ली बना दी गयी । कांग्रेसका अधिवेशन विष्णुनारायण धरकी अध्यक्षतामें खुशीके वातावरणमें हुआ । धर वैरिस्टर और कलकत्ता कारपोरेशनके सदस्य थे । पहले रैमजे मैकडो-नल्डकी अध्यक्ष बनानेका इरादा था, पर उनकी पत्नीकी मृत्युके कारण वह पद ग्रहण न कर सके । धरने अपने भाषणमें कहा—“हमारे दुर्भाग्यका कारण हमारी आकांक्षाओं और आदर्शोंके प्रति अहलकारी समाजकी अनुदार एवं उभेष्ठापूर्ण मनोवृत्ति है; और अगर यह मनोवृत्ति न बदली तो भविष्यमें गम्भीर संकट आ सकता है । एक ओर नये भारतका सृजन हो रहा है, दूसरी ओर यह मनोवृत्ति बढ रही है; इससे संकटापन्न स्थिति पैदा हो गयी है । एक ओर भारतका शिक्षित समाज है, जो नये ज्ञान और अपने राजनीतिक अधिकारोंकी नयी



चेतनासे युक्त है, लेकिन एक दकियानूसी शासन-प्रणालीसे बंधा हुआ है; दूसरी ओर स्थिर स्वायत्तसे युक्त अहलकारी वर्ग है, जो उद्धत स्वभाव, निरंकुश शासनकी परम्परा और ज्ञानके प्रति संशयकी भावनामें पड़ा है, जाति-पार्थक्यके कारण जनजीवनसे कटा हुआ है और एक ऐसी शासन-प्रणालीके अन्तर्गत धन और शक्तिका भोग कर रहा है जो आजके उदार सिद्धान्तोंमें नहीं खपती।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलनकी टकरामें मुस्लिम लीगको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विधायिका कौंसिलोंमें जर्मीदारों व मुसलमानोंके अत्यधिक प्रतिनिधित्व और पृथक् निर्वाचन-प्रणालीका विरोध करते हुए धरने कहा—जर्मीदार अधिकसे अधिक अनुदार प्रवृत्ति-के ही हो पाते हैं—इंग्लैण्डके जर्मीदारोंकी तरह नहीं जो पड़े-लिखे, बुझाग्र बुद्धि और राजनीतिके जानकार होते हैं; भारतीय जर्मीदार एक वर्गकी हैसियतसे ज्ञानमें पिछड़े, पुरातन विचारोंमें लीन और जीवनके चरम उत्कर्षको प्राचीनताके घने कुहरेमें देखनेवाले हैं। कौंसिलोंमें उनके आधिक्यसे सरकारके सुधारकार्यमें कोई सहायता नहीं मिल सकती; कृषिकानूनोंके सम्बन्धमें तो यह वर्ग बाधास्वरूप है। उनका उपयोग अहलकारी वर्ग अधिक प्रगतिशील लोगोंकी टकरामें कर सकता है और जर्मीदारोंका यह उपयोग बहुधा हुआ भी है, जब शिक्षितवर्गने कोई ऐसी माँग रखी है, जिसे सरकारने ठुकराना चाहा है; पर वे जनताके विचारों या भावनाओंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते।

सुधारोंमें मिले कौंसिलोंके गैरसरकारी प्रतिनिधित्वके बहुमतको गरीबिका बताने हुए आपने कहा कि उनमें जर्मीदारों, राजाओं और रईसोंका ही बहुमत होगा और इन लोगोंको जनताके हितोंसे दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त प्रान्तकी कौंसिलका उदाहरण देते हुए आपने कहा—“गैरसरकारी सदस्योंका लगभग हर प्रस्ताव वहाँ भारी बहुमतसे गिर गया क्योंकि कुछ निर्वाचित और सभी नामजद सदस्य सदैव सरकारकी सहायताके लिए तत्पर रहते थे।” आपने हर प्रान्तीय कौंसिलमें निर्वाचित सदस्योंके प्रत्यक्ष और साफ बहुमतकी माँग की।

आँकड़े देकर आपने सिद्ध किया कि स्वायत्त शासनमें पृथक् निर्वाचन शरारतसे भरा है; संयुक्त निर्वाचनसे मुसलमानोंको भी लाभ है। उदाहरणार्थ, संयुक्तप्रान्तमें मुसलमानोंकी जनसंख्या कुल १४ प्रतिशत है लेकिन जिला बोर्डोंमें उनके प्रतिनिधि २३ पीसदी हैं। “४५ में से २९ जिला बोर्डोंमें मुस्लिम सदस्योंका अनुपात उनकी आबादीके अनुपातसे ज्यादा है।” आपने आगे बताया कि जिला बोर्डोंके ६६२ सदस्योंमें ४४५ हिन्दू और १८९ मुसलमान; म्युनिसिपल बोर्डोंमें ५६२ हिन्दू और ३१० मुसलमान।

१९१२ में आर. एन. मधोलकरकी अध्यक्षतामें बॉकोपुरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। इस साल दो दुखद घटनाएँ हुई थीं। ‘कांग्रेसके पिता’ कहे जानेवाले ल्यूमकी (जो २२ वर्ष-तक लगातार कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरी रहे) ३१ जुलाईको मृत्यु हो गयी थी। देशभरमें शोक मनाया गया और सार्वजनिक सभाओंमें भारतके प्रति उनके उपकारोंके लिए कृतज्ञता प्रकाशके प्रस्ताव पास किये गये।

दूसरी घटना नये वाइसराय लार्ड हार्टिजपर उनके दिल्ली जानके समय चम फेंके जानेकी थी। कांग्रेसने तार भेजकर वाइसरायके बच जानेपर बधाई दी और चमकाण्डकी निन्दा की।

मधोलकर वकील थे। वे १८८८ में कांग्रेसमें शामिल हुए थे और तबसे बराबर उसके उत्साही कार्यकर्ता रहे। १८८८ में ही उन्होंने बरार सार्वजनिक सभाकी स्थापना की थी और १८९८ तक उसके सेक्रेटरी रहे। अपने भाषणमें उन्होंने कांग्रेसजनोंसे जनताकी सच्ची राजनीतिमें भाग लेनेकी अपील की। आपने कहा—कांग्रेसके नेताओंको जनताको जगानेकी ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये; जनताको जगाकर, उमकी दिलचस्पी और चेतना स्थायी रूपसे ऊँचे स्तरपर रखकर सघटनकी मजबूत शारताएँ खोलकर जनवाणीकी ओर सुखर बनाना होगा। भारतीय शासन और शासन-व्यवस्थाके व्यावहारिक पहलुपर ज्यादा ध्यान देकर उन्हें व्यावहारिक प्रश्नोंके हल ढूँढने होंगे। सामाजिक प्रगति और नैतिक व आध्यात्मिक पुनर्जागरणके बिना कोई भी सच्ची और ठोस राजनीतिक प्रगति नहीं हो सकती।”

वाँकीपुर अधिवेशनमें बहुतेसे मुस्लिम प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया था। स्वागतवाच्यमें मजदूरल हक थे। लेकिन लगता है कि वे भारतीय मुसलमानोंकी प्रतिनिधि सस्था मुस्लिम लीगको ही मानते थे। उन्होंने कहा—“उदार नेता मुसलमानोंका एक सशक्त और विराट् सघटन बन चुका है, इस संस्थाके उद्देश्य और लक्ष्य वे ही हैं जो कांग्रेसने...यही सस्था भविष्यमें भारतीय मुसलमानोंका नेतृत्व करेगी।”

‘राष्ट्रीय’ नेताओं और कार्यकर्ताओंके निकल जानेके बाद कांग्रेस और अधिक नरम हो गयी, क्योंकि उसके नेता समझते थे कि उन्हींके प्रयासोंके फलस्वरूप सुधारोंकी दूसरी किल मिली।

१९११ के उत्तरार्द्धमें, अखबारोंमें एक खबर यह छपी कि भारत सरकारने भारत सचिवको लिखा है कि भारतको प्रान्तीय स्वराज्य दे दिया जाय। खबरमें लिखा था—“यहाँकी सभी कठिनाइयों और समस्याओंका एकमात्र हल यह मालूम पड़ता है कि प्रान्तोंको धीरे-धीरे स्वशासन दिया जाय, यहाँतक कि देश भरमें स्वराज्य-प्राप्त प्रान्त बन जायें; हाँ भारत सरकार उनके ऊपर रहे और शासनमें हस्तक्षेपका अधिकार उसे रहे।” यद्यपि भारत सचिव लार्ड क्रू ने इस समाचारका खण्डन किया था, कांग्रेस बराबर विद्रोह करती रही कि प्रान्तीय स्वराज्य आ रहा है। कांग्रेस पण्डालके बाहर बड़े अधरोंमें क्रू, जार्ज पचम और हार्डिंजके नाम लिये गये, जिसमें यह बताया गया कि प्रान्तीय स्वराज्यका वादा इन महा-नुभावोंके कारण ही मिल सका। स्वयं अभ्यर्थने कहा—सज्जनों! इस लक्ष्य और कांग्रेसके लक्ष्यमें बड़ा सादृश्य और समानता है। यह सही है कि लार्ड क्रू ने भारत सरकारके पत्रका महत्व कम करनेकी कोशिश की। लेकिन उनके सहायक श्री मोंटेगूने (जिनका हमने भारत आगमनपर स्वागत किया था, और जो उदारदलके उदीयमान नेता है) परवरीके अन्तमें केम्ब्रिजमें जो भाषण किया था, उसमें इस महान् पत्रके सिद्धान्तपर प्रतिपादन ही किया गया है।” विलियम आर्थर जैसे अग्रजोतकने कांग्रेस विचारोंकी विनयपूर्ण दीनताकी आलोचना की (१५ जनवरी सन् १९१३ के ‘डेली न्यूज एण्ड एडिटर’ में)।

## अध्याय १२

### क्रान्तिकारियोंका क्रियाकलाप

कर्जनके प्रतिक्रियावादी शासन और वंगभंग व कांग्रेसकी वन्ध्या वैधानिक राजनीति ने सचेत नवयुवकों तथा कुछ समाचार-पत्रोंको निराश, विकल व आतुर बना दिया। कांग्रेसकी ब्रिटिश सरकारके पास भेजी जानेवाली वार्षिक प्रार्थनाओंमें उनका विश्वास उट चुका था। वे कुछ करना चाहते थे जिसे छूमके शब्दोंमें कहें तो—ऐसा कुछ करना चाहते थे, जिसका अर्थ हिंसा होता। विदेशी शिकञ्जेसे जन्मभूमिकों स्वतन्त्र करनेकी प्रेरणा उन्हें इस बातसे भी मिली कि दो सालमें ही सन् १८५७के महान विद्रोहकी अर्द्धशती होनेवाली थी। समाचारपत्र इस भावनाके अग्रदूत थे। जनताको विद्रोहके लिए प्रेरित करते हुए समाचार-पत्र, पुस्तिकाएँ एवं पत्रों बड़ी संख्यामें बाँटे गये। सन् १९०४ में हुआ यह श्रीगणेश निरीह और निर्दोष-सा ही था पर उसकी व्यापकता और तीव्रतासे अधिकारी पंगुमान हो उठे। रीसने लिखा है—‘यह आन्दोलन पूरे देशमें देशी भाषाओंके पत्रों द्वारा ऐसी सफलताके साथ फैलाया गया, जिससे ब्रिटेनकी चुनाव प्रचार एजेंसियाँ ईर्ष्या करने लगीं।’<sup>१</sup> ग्वास जोर वायकाट आन्दोलन पर था। हर जगह जनतामें प्रचार किया गया कि अंग्रेज देशको बर्बाद कर रहे हैं और घूस ले रहे हैं। बहिष्कार आन्दोलनके दो नमूने यहाँ दे दें। “पूर्वी बंगालमें वकीलोंके पुस्तकालयों द्वारा एक गश्ती चिट्ठी प्रसारित करायी गयी, जिसमें अंग्रेजोंको झूठे, धोखेबाज कहा गया था जो हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमारे उद्योग बर्बाद कर रहे हैं और अपने यहाँका बना माल यहाँ भर रहे हैं, हमारे खेत लूट रहे हैं, हमें बीमारी, प्लेग और अकालके मुँहमें डाल रहे हैं, जो हमारा खून पी रहे हैं...क्या हम इम और बरदाश्त करेंगे? ‘संजीवना’ नामक पत्र ने लिखा—‘अरे भाई! अंग्रेजी माल लूकर हम अपने हाथ गन्दे नहीं करेंगे। इसे अंग्रेजी गोदामोंमें पड़ा मटने दो और दीमकों व चूहोंका भोजन बनने दो।’<sup>२</sup>

फिर जैसे जैसे विद्रोहकी पचासवीं वर्षगाँठ निकट आती गयी, आन्दोलन जोर पकड़ता गया, अखबार अपने सम्पादकीय लेखोंका स्वर तेज करते गये। ‘विहारी’के सम्पादकने बिल्फ्रिट वल्फ्टकी एक कविताकी चर्चा करते हुए लिखा कि भारत गुलाम हो गया है और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका उपाय तलवार ही है, जो अन्तमें मियानसे निकालनी ही होगी। बम्बई हार्दिकोर्टने उन्हें दो सालकी सजा दी। इसके पहले उन्होंने फिरंगियोंके राजको ‘पृथ्वीपर नरक’ और अंग्रेजोंको गृहसततामें नीरो, नादिरशाह, तैमूर लंग और खुद शैतानसे भी बदतर लिखा था। ‘विहारी’ के एकके बाद एक-तीन संपादकोंको सजा हुई। यह १९०६, १९०७ व १९०८ में हुआ। दि ‘टेकन हेरल्ड’ ने एक घोषणापत्र

१. जे. टी. रीस ‘दि रीअल इण्डिया’ पृष्ठ १७१

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १७४

३. वही पुस्तक, पृष्ठ १९१-९२

प्रकाशित क्रिया जिनमें सभी ईमानदार बगालियोंसे उठ पड़ने और ५० हजार फिरगियोंको मार डालकर समुद्रमें फेंक देनेको कहा गया था।<sup>१</sup> कलकत्तेके 'युगान्तर'ने लिखा कि "गुलाम समाजका नाश क्रान्तिमें ही है। दृढ़ संकल्पसे अंग्रेजोंका राज एक दिनमें खत्म किया जा सकता है। स्वतन्त्रता-मन्दिरमें अपने जीवनको अर्पित कर दो। रक्तपात बिना देरी ('बन्दे मातरम्' की मातरम्) की विजय पूर्ण नहीं होगी। बाहरी हस्तक्षेप करनेवालोंके सिरोन्नी बलि दे दो। गात करोड हाथ तलवार उठा लें। साधुओं और फकीरोंने रावलपिण्डीमें देशी फौजमें पच्चे ब्रांट दिये हैं। अंग्रेजोंका पापका घडा भर चुका है।"<sup>२</sup>

सरकार आतङ्कित हो उठी और प्रतिशोधमें उसने कई दमनकारी कदम उठाये। पहला था ११ मई सन् १९०७ का आर्डिनेंस जिनके द्वारा सार्वजनिक सभाओंकी सूचना सात दिन पहले जिला मजिस्ट्रेटको देना आवश्यक कर दिया गया। मजिस्ट्रेट अपनी मर्जीपर सभाकी अस्वीकृति दे सकता था। जिनपर निषेध लागू नहीं होता था, उनकी पुलिस निगरानी करती थी। यह आर्डिनेंस फौरन पंजाब और पूर्वी बंगालमें लागू कर दिया गया। छः महीने बाद इस आर्डिनेंसको कानूनका रूप दे दिया गया। अराजकतावादियोंके दमनके लिए सन् १९०८ में विस्फोटक सामग्री कानून बनाया गया। बम बनानेमें इस्तेमाल होनेवाली किसी भी चीजके रखनेपर १४ सालकी कालापानीकी सजा इस कानून द्वारा मिल सकती थी। विस्फोटकी इच्छा या प्रयासके लिए भी २० सालका कालापानी या सात सालकी सजा मिल सकती थी। १९०८ में ही समाचारपत्र (अपराधोंको प्रोत्साहन) कानून बना। इसके अनुसार सरकारको उन सभी प्रेसोंकी अपने कब्जेमें लेनेका अधिकार मिल गया जो 'विस्फोटक सामग्री कानूनके अन्तर्गत किसी अपराध, हिंसा या हत्याके लिए प्रेरित करते हों। अभियुक्तको सुनवाईका मौका देनेके पहले ही जिला मजिस्ट्रेट छापेखाने जप्त कर सकते थे। 'जहाँ आवश्यक समझे' वहाँ मजिस्ट्रेटको जाननेकी काररवाईके पहले ही छापेखाने छीन लेनेका अधिकार मिला था। भारत सचिवके हस्तक्षेपपर इस सर्वग्रासी कानूनमें यह संशोधन किया गया कि अभियुक्तको अपील करनेका अधिकार रहेगा। इन अधिकारोंके अलावा इस कानूनके अन्तर्गत मजिस्ट्रेटोंको यह भी अधिकार मिला था कि वे जब चाहे समाचारपत्रके प्रकाशनका अनुमतिपत्र खारिज कर दें। इसी १९०८ में जास्ता पीजदारी कानूनमें संशोधन कर आतङ्कवादियों और अराजकतावादियोंके सरसरी मुफ्तमें करनेकी व्यवस्था की गयी। इस संशोधन कानूनके अन्तर्गत किसी भी संस्थाको गैर कानूनी करार दे सकेका विधान था। जिन संस्थाको गैरकानूनी करार दिया गया हो, उसके द्वारा आयोजित सभामें भाग लेनेपर छ महीनेकी कैदकी व्यवस्था थी। बंगालमें सन् १९०२ से जो स्वयंसेवक दल काम कर रहा था, इस कानूनकी गिरफ्तमें सबसे पहले बंदी आया।

इन कानूनोंके फौरन बाद दण्ड और दमनका दौर शुरू हुआ। यहाँ कुछ उदाहरण असंगत न होंगे। बंगालमें दो प्रमुख पत्र—'युगान्तर' और 'बन्दे मातरम्' बन्द हो गये। मध्यप्रान्त (अब मध्यप्रदेश) में 'हरिनिशोर' के सम्पादकको पाँच वर्षका कठिन कारावास मिला और प्रेसपर सरकारी कब्जा हो गया। संयुक्त प्रान्त (अब उत्तरप्रदेश) में 'उर्दू ए-मुजल्ल' के सम्पादकको दो सालकी कड़ी कैद और पाँच सौ रुपये जुर्मानेकी सजा मिली।

१. वही पुस्तक, पृष्ठ १९२

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १९५

‘बन्देमातरम्’ के अलीगढ़ स्थित संवाददाताको सात वर्षका कालापानी इसलिए हुआ कि उनकी भेजी एक खबर ‘राजद्रोहात्मक’ मानी गयी थी और उनपर ‘राजद्रोहात्मक पर्चा’ बाँटनेका अभियोग लगा था। बम्बईमें ‘हिन्दू स्वराज्य’, ‘विहारी’ व ‘अरुणोदय’ के सम्पादकोंको भी कैदकी सजाएँ दी गयीं।

१९०७ के इन मामलोंमें दो विशिष्ट हैं। ‘बन्देमातरम्’ के मुद्रक और सम्पादकीय विभागके सदस्य अरविन्द घोषपर अगस्तमें राजद्रोहका मुकदमा चला। विपिनचन्द्र पालको सवृतके गवाहकी हैसियतसे बुलाया गया। पर उन्होंने यह कहकर गवाही देनेसे इनकार कर दिया कि मेरी रायमें यह मुकदमा देशहितमें नहीं है। इसपर उन्हें छ महीनेकी कैदकी सजा दे दी गयी। लेकिन अरविन्दके विरुद्ध राजद्रोहका अभियोग साबित न हो सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। मुद्रकको तीन महीनेकी कैद मिली। दूसरा मामला ‘सन्ध्या’ के सम्पादक ब्रह्मचान्धव उपाध्याय व युगान्तरके सम्पादक भूपेन्द्रनाथ दत्त का है। उपाध्यायने मुकदमेकी सुनवाईमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया और अपने लिखित वक्तव्यमें कह दिया—“मैं इस मुकदमेमें भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं मानता कि ईश्वर द्वारा नियत स्वराज्य प्राप्तिके मिशनमें अपना तुच्छ योग देनेके लिए मैं किसी विदेशीके सामने उत्तरदायी हूँ—विशेषकर जब ये विदेशी हमारे शासक हों—और जिनका हित अनिवार्य रूपसे हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकासमें बाधक हो।” उपाध्यायकी अस्पतालमें मृत्यु हो जानेके कारण उनका मुकदमा खत्म हो गया। दत्तको एक वर्षका कठोर कारावास मिला।

भारतमें चालू इस आतंकराजसे भारत सचिव मॉर्ले भी उद्विग्न हो उठे। १४ जुलाई सन् १९०८ को उन्होंने मिण्टोको लिखा—मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि राजद्रोह आदिके लिए जो भयंकर सजाएँ दी जा रही हैं उन्हें देखकर मैं त्रस्त और उद्विग्न हो उठा हूँ। मैंने आज पढ़ा कि बम्बईमें पत्थर फेंकनेके लिए साल-साल भरकी सजा मिल रही है। यह तो सचमुच ही अत्याचार है। तिन्नेवली-तूतीकोरिनके दो व्यक्तियोंको जन्मभरके लिए कालापानी और दस वर्षकी जो सजाएँ मिली हैं, उनका समर्थन असम्भव है। ये सजाएँ बरकरार नहीं रह सकतीं। मैं किसी भी हालतमें ऐसे राक्षसपनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम इन गलतियों और खामियोंकी ओर ध्यान दो। शान्ति कायम रखना आवश्यक है, लेकिन अति दमनसे शान्ति स्थापित नहीं होती, वह शान्तिका रास्ता नहीं है, बल्कि बमका रास्ता है।”

बीसवीं सदीके शुरूके सालोंमें भारतीय क्रान्तिकारियोंकी हलचलोंका केन्द्र लन्दन रहा। श्यामजी कृष्ण वर्मा चुपचाप लन्दन चले गये थे और वहाँ कुछ दिनोंतक अज्ञातवास करनेके बाद उन्होंने १९०५ में इण्डिया होम लुल सोसायटी (भारत स्वराज्य संघ) की स्थापना की। इसका दफ्तर जिस इमारतमें रखा उसका नामकरण ‘इण्डिया हाउस’ (भारत भवन) किया गया। उन्होंने अपनी सोसायटीका मुखपत्र ‘इण्डियन सोस्योलोजिस्ट’ भी निकाला जो साप्ताहिक था। इसमें प्रकाशित घोषणाके अनुसार सोसायटीका उद्देश्य भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त कराना और उसके लिए इंग्लैण्डमें हर सम्भव उपाय द्वारा प्रचार करना था।

१. पृथ्वीराजचन्द्र राय—‘लाइफ एण्ड टाइम्स आन सी० आर० दास’ पृष्ठ ५७

२. मॉर्ले ‘रिकलेक्शंस’ भाग दो, पृष्ठ २६९-७०

श्यामजी कृष्ण एक निर्धन मंसाली परिवारमें ४ अक्टूबर सन् १८५७ को पैदा हुए थे। विद्याथीकालमें वे दयानन्दके सहायकोंके रूपमें आर्यसमाजकी ओरसे 'भाषण यात्राएँ' करते रहे। एक अंग्रेज अध्यापकने उन्हें १८७९ में इंग्लैण्ड भेज दिया। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयसे ग्रेजुएट बनकर बफाल्ट करने भारत लौटे। सस्कृतके उद्भट विद्वान् होनेके नाते भारतसचिवने उन्हें सन् १८८१ में बर्लिनके 'पूर्वी प्राचीन-भाषा सम्मेलन' में भारतका प्रतिनिधित्व करने भेजा। वहाँसे लौटकर वे रत्नागिरी, उदयपुर व जूनागढमें दीवान आदिके पदोंपर रहे। जूनागढसे एक अंग्रेज अपसरने ( जिसपर बर्माने अनुग्रह किया था ) उन्हें निकलवा दिया। उनपर तिलककी राजनीतिका गहरा प्रभाव पडा था और तिलककी गिरफ्तारीके बाद वे स्थायी रूपसे लन्दन चले गये।

इण्डिया हाउसमें श्यामजी कृष्णने कुछ क्रान्तिकारियोंकी भरती की। इनमें प्रमुख थे विनायक दामोदर सावरकर। उनकी अवस्था उस समय केवल २२ वर्षकी थी। वे पहले क्रान्तिकारी थे जिन्हें कालेपानीकी सजा हुई थी। जिसे हम मोटे तौरपर 'राजनीतिक जीवन' कह सकते हैं, वह सावरकरने दस वर्षकी अवस्थामें ही शुरू कर दिया था। एक हिन्दू-मुस्लिम दंगेकी खबर सुनकर जिसमें हिन्दुओंपर काफी अत्याचार हुए थे, सावरकरका खून खौल उठा और उन्होंने बदला लेनेकी ठान ली। अपने स्कूली साथियोंको लेकर उन्होंने गोंयकी मस्जिदपर हमला बोल दिया। इस घटनाका प्रभाव उनपर आजीवन बना रहा। १८९९में १६ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने एक क्रान्तिकारी दैद्यभक्त सघटन स्थापित किया। शुरूमें इनमें केवल तीन सदस्य थे, पर १९०० में 'मित्रमेल' के रूपमें यह सघटन खूब विवसित हो गया। "नासिरकी हर सार्वजनिक राजनीतिक सस्थामें मित्रमेलका जोर हो गया और मेलाने धार्मिक उत्सवोंकी राजनीतिक व राष्ट्रीय उत्सवोंमें परिवर्तित कर दिया। मेलाने कार्य कलासे जिला अधिकारियोंको सोना दूभर हो गया।"<sup>१</sup>

१९०१ में मित्रमेलकी एक बैठकमें इस प्रश्नपर विचार हो रहा था कि महारानी विकटोरियाकी मृत्युपर शोक और नये बादशाह एडवर्डके प्रति निष्ठा प्रकट की जाय या नहीं। कुछ सदस्य दुलमुल यकीन हो रहे थे। तभी सावरकर उठकर बोले—“इंग्लैण्डके महाराज और महारानी हमारे शत्रुओंके महाराज और महारानी हैं। उनमें निष्ठा प्रकट करना गुलामीकी शपथ लेना है।”<sup>२</sup> सावरकरके जीवनी लेखकके अनुसार भारतमें विदेशी धर्मोंकी होली सबसे पहले १९०५ में सावरकरने ही आयोजित की। १९०४ में जब सावरकर कालेजमें पढ रहे थे, मित्रमेल एक क्रान्तिकारी सघटन बन गया और उसका नाम 'अभिनव भारत' हो गया। इसी समय खबर मिली कि विलायतमें पढनेके इच्छुक छात्रोंकी श्यामजी कृष्णवर्मा छात्रवृत्ति देंगे। सावरकरने इसके लिए अर्जी दी और इसे पाकर वे जून सन् १९०६ में लन्दन खाना हो गये।

१९०५ के शुरूमें सावरकर महात्मा श्री अगम्य गुरु परमहंसके आन्दोलनमें शामिल हो गये थे। महात्मा सारे भारतमें निर्भीक रूपसे सरकारके विरुद्ध भाषण करते थे और कहते थे कि सरकारने नहीं डरना चाहिये। “इस आन्दोलनके एक अगके रूपमें पूनामें सन् १९०६

१. धनंजय कीर, 'सावरकर एण्ड हिज टाइम्स' पृष्ठ ९

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १०

में, कुछ छात्रोंने एक संस्था कायम की, सावरकरको उसका अध्यक्ष बनाया और उन्हें महात्मासे मिलने बुलाया ।”

सावरकरके सुझावपर नौ सदस्योंकी एक समिति आन्दोलनके उद्देश्य पूरे करनेके लिए बनायी गयी । महात्माजीने राय दी कि संस्थाके लिए एक इकट्ठी कांप खोल्या जाय ; जब काफी पैसा इकट्ठा हो जाय तब महात्मा उसे खर्च करनेका ढंग बताते । पर सावरकरके लन्दन चले जानेके उपरान्त यह संस्था निष्क्रिय हो गयी ।

लन्दनमें सावरकरने ‘फ्री इण्डिया सोसायटी’ ( स्वतन्त्र भारत संघ ) स्थापित की । यह संस्था खुले रूपसे चलती थी और इसके द्वारा अभिनव भारतके लिए मददस्य छांट जाते थे । इनमें मैडम कामा, सेनापति वापट, मदनलाल धींगरा, रविशंकर शुक्ल, गिकन्दरदयाल खॉ, भाईपरमानन्द, हरदयाल, हेमचन्द्रदास आदि भी थे । ज्ञानचन्द्र वर्मा इसके भेक्रेटरी थे । दादाभाई नौरोजीकी भूतपूर्व सचिव मैडम कामा पहली भारतीय थीं जिन्होंने १९०७ में जर्मनीमें एक सोशलिस्ट सम्मेलनमें भारतीय राष्ट्रीय झण्डा पहराया था । झण्डा पहराते हुए उन्होंने कहा—“यह भारतकी स्वतन्त्रताकी पताका है; देखिये, इसका जन्म हो चुका है; भारतीय नवयुवकोंके वल्लिदानके रक्तसे यह पताका पवित्र हो चुका है; मैं उपस्थित सज्जनोंमें अनुरोध करती हूँ कि वे खड़े होकर भारतीय स्वाधीनताके इस झण्डेको सलामी दें । दुनियाके स्वतन्त्रताप्रिय लोगोंसं में इस झण्डेके नामपर अपील करती हूँ कि वे मानवजातिके पंचमांशको स्वतन्त्र करानेमें सहयोग दें ।” उपस्थित लोगोंने खड़े होकर झण्डेको सलामी दी ।

‘अभिनव भारत’ का एक काम था क्रान्तिकारी साहित्यप्रकाशित करना और पिस्तौलें इकट्ठी कर भारत भेज देना । एक बैठकमें सेनापति वापट और हेमचन्द्रदासको बम बनाना सीखनेका काम सौंपा गया । ये दोनों पेरिसमें एक रूसी क्रान्तिकारीसे यह सीख आये और उससे बम बनानेकी एक पुस्तक भी खरीद लिये । वापट, दास और होतीलाल वर्मा इस पुस्तककी कई साइक्लोस्टाइल प्रतियाँ लेकर भारतके लिये रवाना हो गये । अभिनव भारतकी भारतीय व लन्दन शाखाओंमें सर्पक स्थापित हो चुका था । सर वेंलेण्टाइन शिरोलने तभी लन्दन टाइम्समें लिखा था—“दक्षिणमें गुप्त संस्थाओंका जाल-सा बिछा है ।” अभिनव भारतका अपना खुफिया विभाग भी था । इसने बम्बईमें तिलककी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारका एक सन्देश भी हस्तगत कर लिया था । लन्दन शाखा क्रान्तिकारी कामोंके अतिरिक्त वैधानिक आन्दोलन भी करता थी । २० दिसम्बर सन् १९०८ को लन्दनमें एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । सम्मेलनने शीघ्र लागू होनेवाले मिण्टो-पॉले सुधारोंको ‘धोखा, निराशा और अपमान’का खोत बताया क्योंकि इनसे ‘भारतमें साम्प्रदायिक तनाव’ बढ़ता था । सम्मेलनके मुख्य प्रस्तावमें भारतके लिए पूर्ण राजनीतिक आजादीवाले स्वराज्यकी माँग की गयी ।

ब्रिटिश समाचार-पत्र और राजनीतिज्ञ इंग्लैण्ड स्थित भारतीयोंके कामोंसे चिन्तित हो रहे थे । दि स्टैण्डर्डने लिखा—“इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयोंमें जो कुशाग्रबुद्धि व मेधावी भारतीय छात्र वकालत पढ़ रहे हैं, उनमेंसे काफी भारतकी नयी पीढ़ीको सम्यक् विद्रोहकी भावनासे प्रेरित करनेमें लगे हैं ।” ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतने परेशान थे कि बम्बईके भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड लेभिगटनके सभापतित्वमें उन्होंने एक सभा की जिसमें

क्रान्तिकारी भारतीयोंको 'सामाजिक' बनानेके प्रश्नपर विचार किया गया। सभाके एक वक्ता सर विलियम ली वार्नरने भारतीय क्रान्तिकारी कुञ्जविहारी भट्टाचार्यके लिये 'गन्दा निगर' शब्दका प्रयोग किया। इस सम्बोधनसे वहाँ उपस्थित भारतीय इतने नुपित हो गये कि 'मध्या' व 'युगान्तर'के भूतपूर्व सम्पादक वामुदेव भट्टाचार्यने उठकर सर विलियमके मुँहपर तमाचा मार दिया। वामुदेवपर मुद्दमा चला और बीस रुपये जुर्मानेकी सजा हुई।

भारत सचिव मालेने एक समिति नियुक्त की, जिसका काम था वे तरीके ढूँढना जिनसे 'भारतीय छात्र उन आन्दोलनकारियोंसे बचाये जा सकें जो नये छात्रांगी प्रतीभामें रहते हैं, उन्हें ऐसे घर देने हैं जहाँका वातावरण ही ब्रिटिश सरकारके प्रति विद्रोहकी भावनामें ओतपोत रहता है।' १९०७ के उत्तरार्धमें श्यामजी कृष्णगर्ग पेरिस चले गये और वहाँ बस गये। पर 'इण्डियन सोशललिफ्ट' लन्दनमें ही निरकला रहा। पत्रके दिग्दर्शन एक अङ्कमें निरकला कि—“लगत है कि भारतमें चलाये जानेवाले आन्दोलन अनिवार्यतः गुप्त आन्दोलन होंगे और अंग्रेज सरकारका दिमाग दुस्त करनेका उपाय रूसी तरीके इस्तेमाल करना ही है। यह रूसी तरीका तपतल लगातार और तीव्र रूपसे इस्तेमाल किया जाय जयतक अंग्रेज दमनाका निरका दीला न कर दें और हमारा देश छोड़कर भाग न जावें। इस आन्दोलनके नियम और दमके सम्बन्धमें मरिष्यवाणी नहीं की जा सकती, वे तो स्थानीय परिस्थितियों देपर ही तय होंगे। लेकिन आम तौरपर यह कहा जा सकता है कि रूसी तरीके अंग्रेज आचरोंकी जगह दंगी आचरोंसे शुरू किये जावें।” रूसी तरीका बमबाजीका था। पत्र सरकारका कोपभाजन बन गया। मुद्रकको जुलाई १९०९ में कैद हो गयी। दूसरेने मुद्रण शुरू किया और उसे भी सितम्बरमें कैद हो गयी। तब पत्र पेरिससे प्रकाशित होने लगा।

मई १९०८ में इण्डिया हाउसने ५७-५८ के विद्रोहकी जयन्ती मनायी। निमन्त्रण-पत्र भेजे गये और इग्लैण्ड भरसे लगभग सौ भारतीय छात्र इकट्ठे हुए। इन्हें दो दो पुस्तिकाएँ—'ग्रेव वार्निंग' (गम्भीर चेतावनी) और 'ओह मार्स' (हे शहीदो) दी गयी और उन्हें अपने मित्रोंके पास भारत भेजनेको कहा गया। इनकी जो प्रतिष्ठा भारत आयी उनमेंसे कुछ लन्दनमें प्रकाशित दैनिक "लण्डन टेली न्यूज" के पत्रोंमें लिपटी थी, जिनसे पता लगता था कि वे लन्दनमें कितरिस हुई हैं।<sup>१</sup>

जून १९०८ में लन्दन विश्वविद्यालयके एक भारतीय छात्रने बम बनाने, उसमें इस्तेमाल होनेवाली सामग्री और बम प्रयोगके औचित्यपर भाषण किया। उसने श्रोताओंसे कहा—“जब आपमेंसे कोई अपनी जानकी बाजी लगाकर बम प्रयोगके लिए तैयार हो तो यह मेरे पास आ जाय, मैं उसे पूरा तरीका बता दूँगा।” १९०९ में सावरकर इण्डिया हाउसके नेता हो गये और रविवारकी बैठकोंमें उनकी पुस्तक "५७ का भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध—एक भारतीय 'राष्ट्रवादी कृत' के अर्थ पढ़नेकी परम्परा बन गयी। उसी वर्ष 'इण्डिया हाउसके सदस्य लन्दनमें रिवाटर चलानेका अभ्यास करने लगे, और १ जुलाई १९०९ को इण्डिया हाउसमें सम्बन्धित मदनलाल धीगरा नामक युवकने भारत सचिवके राजनीतिक

१. रीस 'दी रियल इण्डिया', पृष्ठ १६७

२. सेहीशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ ४

३. वही पुस्तक, पृष्ठ ६



सहकारी कर्नल सर विलियम कर्जन वाइलीकी हत्या लन्दनकी इम्पीरियल इंस्टीट्यूटमें हुई एक सभामें कर दी।<sup>१</sup> धांगरा बंग-बंग करानेवाले लार्ड कर्जनको मारना चाहते थे पर वे असफल रहे।

धांगराके राजभक्त पिताने भारत सन्निवको तार दिया कि मैं ऐसे पुत्रपर लज्जित हूँ। सर मनचरजी भौनागरी, आगा खाँ, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्र पाल जैसे कुछ नरमदली भारतीयोंने एक सभा कर इस हत्याकी निन्दा की। सभामें अन्तमें अध्यक्षने कहा—‘यह सभा सर्वसम्मतिसे मदनलालजी धांगराकी निन्दा करती है।’ लेकिन भीड़मेंसे एक आवाज उठी—‘नहीं, सर्वसम्मतिसे नहीं।’ अध्यक्षने क्रोधमें पूछा—‘नहीं कौन कहता है? तुम्हारा नाम क्या है?’ उसी आवाजमें उत्तर आया—‘मैं हूँ। मेरा नाम सावरकर है।’ इसके बाद सभामें भय छा गया। भावनाके उद्वेगमें एक अभगोरने सावरकरपर झपट कर उनके माथेपर धूँगा मारा। सावरकरके सून बहने लगा।<sup>२</sup> मदनलालको १७ अगस्त १९०९ को फाँसी दे दी गयी। आयरलैण्डके पत्रोंने धांगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए बड़े-बड़े पत्रों बाँटे, उनमें एक था—‘आयरलैण्ड मदनलाल धांगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है जिसने अपने देशके लिए अपनी जान दी।’<sup>३</sup>

कुछ समयके लिए भारतीय छात्र ब्रिटिश अभिकारियोंको काँटेकी तरह खटकने लगे। अपने लेखों व प्रचारके कारण वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व श्यामजी कृष्णवर्माकी टिगरियाँ छिन गयीं।<sup>४</sup> वाइलीकी हत्याके बाद ब्रिटिश गुप्तिया पुलिस सावरकरके पीछे पड़ गयी। सावरकर लन्दनकी भारतीय क्रान्तिकारी संस्थाओंकी जान थे। वे एक जगहसे दूसरी जगह घूमते फिरते। यहाँतक कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और मित्रोंके जोर टालनेपर जनवरी १९१० में वे पेरिस चले गये। लेकिन १३ मार्च १९१० को वे फिर लन्दन वापस आ गये। विकटोरिया स्टेशनपर जब वे ट्रेनमें उतर रहे थे, सम्पर्क तार द्वारा आये एक वारण्टपर वे गिरफ्तार कर लिये गये। १८८१ के भगोड़े अपराधी कानूनके अन्तर्गत यह वारण्ट निकला था। उनपर अभियोग थे—‘भारतके सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़नेमें मदद देना; ब्रिटिश भारतपरसे या उसके कुछ भागमें सम्राटकी सार्वभौम सत्ता हटानेका पट्टयन्त्र करना; सम्राट्ट एकट्टे कर उन्हें वितरित करना और जैक्सनकी हत्यामें मदद देना; लन्दनमें सम्राट्ट एकट्टे कर वहाँमें युद्ध छेड़ना; भारतमें जनवरीसे मार्च १९०६ तक और लन्दनमें १९०८ से १९०९ तक राजद्रोहात्मक भाषण करना।’<sup>५</sup> उन्हें वापस भारत भेजनेकी आज्ञा हो गयी।

उन्हें लेकर भारत आनेवाला जहाज जब मार्साट्टमें लंगर टाल रहा था, सावरकर सिपाहियोंको धोखा देकर भाग निकले और समुद्रमें कूद पड़े। सिपाही भी पीछे कूदे पर उन्हें पकड़ नहीं पाये। सावरकर मार्साट्टके टाड बन्दरके किनारे लगे और घाटपर चढ़ गये। बह लगभग ५०० गज दौड़े, पर गाड़ी किरायेंपर करनेके लिए उनके पास

१. सेडीशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ ६

२. कौर, वही पुस्तक, पृष्ठ ५६

३. सावरकरकी ‘लण्डनचे-वातर्मापत्र’, पृष्ठ १०८

४. नार्थ ए. एल्ड्रेड ‘ट्रि हेंरल्ड आव रिबोल्ट’, पृष्ठ १९१

पैसा नहीं था। ये विदेशों में और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जहाज के सिपाही उन्हें पकड़कर फिर जहाज पर ले गये।

१५ सितम्बर १९१० को बम्बई की डोंगरी जेल में नासिक पदमन्य केम शुरु हुआ। उसमें साबरकर के अतिरिक्त ३६ अन्य अभियुक्त थे। मुकदमा ६८ दिन चला और २३ दिवस-भरको पैसला हो गया। साबरकर को आज-म कालेपानी और सम्पत्ति जफती की सजा मिली। कुछ अभियुक्त रिहा हो गये; कुछ को छः महीने में लेकर १५ वर्ष तक की कैद हुई। पैसले में कहा गया था—'अभिनव भारत की प्रान्तिकारी सभ्यताओं के आधार पर बना सघटन था। जिन तरीकों में लड़ाई की तैयारी की जानी मुझाव था, उनमें पड़ोसी देशों में हथियार खरीद कर इकट्ठा करना, मोटा पात्र उन्हें इन्तेमाल करना, गुप्त रूप में हथियार बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कारखाने स्थापित करना और दूररे देशों में चुपचाप हथियार खरीदकर चोरी से उन्हें बनापारी जहाजों में भारत भेजना शामिल था।'

जनवरी १९११ में साबरकर फिर अदालत के सामने पेश किये गये और उन्हें 'जैसनक' हत्या में आज-म कालेपानी की सजा मिली। फ्रांसीसी पत्रों में साबरकर को गैरकानूनी गिरफ्तारी का विरोध हुआ और फ्रांसीसी सरकार ने मांग की कि साबरकर फ्रांस वापस भेजे जायें। पर अंग्रेज सरकार नहीं मानी। साबरकर ५० वर्ष के लिए अख्तियार होपमसूह भेजे गये। वहाँ साबरकर की मृत १८५७ के कुछ जीवित बचे हुए विद्रोहियों को हुई।

भारत में प्रान्तिकारियों का काम विद्रोह के ५० वें साल १९०७ में तरमभी में शुरु हुआ था। पहले बंगाल की पटनाओं का ही वर्णन किया जाय। १९०२ में सायनबाबू कालेज के उपाध्यक्ष अरविन्द घोष के भाई वारीन्द्रगुप्त घोष (उम्र २२ वर्ष) बड़ीदागे कलकत्ते आये। वारीन्द्र के पिता सरकारी नौकरी में डाक्टर थे। वारीन्द्र इंग्लैण्ड में पैदा हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिसात्मक उपयोग में पलटने के लिए आरम्भिक प्रान्तिकारी आन्दोलन की बंगाल में नींव डालने के लिए वे कलकत्ते आये थे। जो संस्थाएँ उस समय चल रही थीं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं ने प्रान्तिकारी विचारों के प्रसारण प्रयत्न किया, पर उनके फल में वे असमर्थ रहे। तर वे दो साल तक जिडे जिडे का दौरा करते और स्वाधीनता के लिए प्रचार करते गये।

१९०७ के आरम्भ में उन्हीं १४, १५ नवयुवकों को लेकर एक गुट स्थापित किया। इनमें उल्लासकर दत्त भी थे। उन्हीं ने रिवाज और राष्ट्रिय जमा की। उल्लासकर ने विन्पोटक सामान बनाना सीखा। इस गुट का नाम रखा गया अनुशीलन समिति। इसका केन्द्र कलकत्ता था। बाद में ढाका में भी एक शाखा खुली। दानाकी समिति का इतना विस्तार हुआ कि बंगाल के गाँवों और कस्बों में इसकी पहुँच भी शाखाएँ स्थापित हो गयीं।

क्रान्तिकारी दलों में ढाका समिति सदैव सबसे शक्तिशाली सघटन रही। इसकी नींव पुलिन विहारीदासने डाली थी। "दास और भूनेन्द्रचन्द्र राय ढाका के नेशनल स्कूल में अध्यापक थे, यह स्कूल भरती और ट्रेनिंग का मुख्य केन्द्र था।" दूसरा केन्द्र था ढाके का मोनारग नेशनल स्कूल। इसे भाग्यलाल मेनने चलाया था। दास के कालेपानी भेजे जाने के बाद सेन ही समितिके नेता हुए। "समिति सबसे अधिक सुगमपटित ढाका और मैमनसिंह में थी, पर यह उत्तर पश्चिम में दीनाजपुर में लेकर दक्षिण पूर्व के चटगाँव और बुचविहार में दक्षिण पश्चिम में

मिदनापुरतक सक्रिय थी।” बंगालके बाहर इसके सदस्य आसाम, बिहार, पंजाब, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त और पूनामें काम करते थे। वे सब एक दूसरेसे सम्पर्क रखते थे।

इन संस्थाओंके अलावा कम संघटित गुट थे जो इन्हीं सिद्धान्तोंपर उन्नित वातावरण पैदा करने, क्रान्तिकारियोंकी भरती और उनके कामोंमें योग देते रहते थे। गीत, साहित्य, समाचार पत्र, गुप्त मभाओं, संघटनों, उपदेशों आदि द्वारा जनमत प्रबुद्ध कर उचित वातावरण पैदा किया जानेवाला था “असन्तोष उत्पन्न किया जानेवाला था—असन्तोष जिसे इतिहासमें विद्रोह कहा जाता है।”

क्रान्तिकारियोंने कई पत्र शुरू किये पर उनका मुख्य पत्र युगान्तर ही था। अलीपुर पब्लिशिंगकेसेके पैसलेमें सेशन जजने लिखा था (और बादमें चीफ जस्टिसने इसे दोहराया था) कि ये पत्र “ब्रिटिश जातिके प्रति घृणाकी कटु भावना, एक-एक पंक्तिमें क्रान्तिकी प्रेरणा और ऐसी सामग्री छावते हैं जिससे इस बातका निर्देश मिलता है कि क्रान्ति किस तरह की जा सकती है।”

बंगालके क्रान्तिकारियोंने बहावियोंकी तरह आन्दोलनमें शिथिलोंके साथ आम जनता को भी लानेके लिए धर्मका सहारा लिया। आम जनताके लिए धर्ममें बड़ो प्रेरणा थी। शक्ति की देवी कालीसे प्रेरणा ली गयी। गेजिनी और जेरीवाल्डोके उदाहरण रामने अवश्य थे, पर दुष्ट और पातकी—अंग्रेजो राज, के विरुद्ध धर्मग्रन्थोंकी वाणी और फतवोंने क्रान्तिकी चिनगारोको व्यापकता प्रदान कर दी। अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्धको न्याय्य बताते हुए पुस्तिकाएँ निकाली गयीं। इन पुस्तकोंमें हथियार बनाने और रुपया इकट्ठा करनेके लिए राजनीतिक उकैतियाँ डालनेके मुझाव दिये जाते थे।

नवयुवकोंकी भरतीके लिए हाई स्कूल और किसी हदतक कालेज सबसे अच्छे केन्द्र माने जाते थे। क्रान्तिकारी साहित्य अध्यापकों व छात्रोंमें बाँटा जाता और उसके बाद लोगोंसे व्यक्तिगत रूपसे बात की जाती। मई १९०७ में विद्रोह करनेकी जीताइ कोशिश हो रही थी, पर वह हुआ नहीं; सब जगह एक साथ आग नहीं भड़की। हाँ, जहाँ तहाँ हिंसात्मक विस्फोट जरूर हुए।

अक्टूबर १९०७ में लेफ्टिनेण्ट गवर्नरकी ट्रेन उड़ा देनेके दो पब्लिशिंगके पता पुलिसको लगा। दिसम्बरमें उनकी ट्रेन सचमुच ही, मिदनापुरके पास, एक बम द्वारा पटरीसे उतार दी गयी। बमके धड़ाकेसे पाँच फुट चौड़ा और पाँच फुट गहरा गड्ढा पटरीपर हो गया। पूर्वी बंगालके एक अंग्रेज अफसर एलनपर भी हमला किया गया। उसे सांघातिक चोट लगी, पर वह बच गया। ११ अप्रैल १९०८ को चन्द्रनगरके मेयरके घरपर बम फेका गया।

लेकिन ३० अप्रैलको भीषण घटना हो गयी। मानिकतल्लेकी क्रान्तिकारी पार्टीके खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी नामक दो नवयुवकोंने मुजफ्फरपुरमें एक गाड़ीपर यह समझकर बम फेंका कि उसमें जिला जज किंग्सफर्ड बैठे हैं। किंग्सफर्डने कलकत्तेके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी हैसियतसे युगान्तर, ‘बन्देमातरम्’, सन्ध्या और वनशक्तिके संपादकोंको कड़ी सजाएँ दी थीं। मुर्शीलकुमार सेन नामक तरुण क्रान्तिकारीको १५ काँड़ोंकी सजा भी किंग्सफर्डने दी थी। पर गाड़ीमें वे नहीं थे। उसमें भारतीय समर्थक अंग्रेज प्रिगिल कैनेडीकी पत्नी और पुत्री थीं जो मर गयीं। बोस व चाकी पकड़ लिये गये। चाकी जिन्दा नहीं पकड़े

जा सके, उन्होंने पुलिसके हाथमें पड़ते ही गोली मार ली। बोस तबतक छात्र थे। उन्हें पाँसी दे दी गयी। उनका स्वागत शहोदकी तरह किया गया। “उनकी तसवीरकी बही बिक्री हुई और उम बंगाली युवक वे धोतियाँ पहनने लगे जिनकी किनारियोंमें खुदीराम बोसका नाम बना रहता था।” जिस दिन खुदीरामको पाँसी लगी “बंगालके बहुतसे स्कूलोंके छात्र नगे पैर, नगे बदन और उपवास करते हुए स्कूल आये। जमालपुरमें यह प्रदर्शन एक सप्ताहक रहा।”

मई व जून १९०८ में तिलकने अपने पत्र ‘केसरी’में श्रीमती व कुमारी केनेडीकी हत्या, राजनीतिमें बमके प्रादुर्भाव आदिपर कई लेख लिखे। इनमेंसे दो लेख राजद्रोहात्मक माने गये। उन्हें छः वर्षका कालापानी हुआ। जजने पैसलेमें लिखा कि लेखोंमें “राजद्रोह लबा लब भरा है; उनमें हिंसाका उपदेश दिया गया है। उनमें हत्याका वर्णन प्रदामात्मक भावसे किया गया है और भारतमें बमके प्रयोगका स्वागत किया गया है मानो वह भारतके भलेके लिए आया हो।”

केनेडी दरवाकाण्डके सूत्र टूँटते हुए पुलिसको तैयारियोंके कई और सुराग मिल गये। २ मईको कलकत्तेके कई घरोंपर छापा मारकर पुलिसने बम, डाइनामाइट, कारतूस और पत्र पकड़े। मुरारीपूकुर रोड (मानिकतला) के एक मकानमें बमके एक कारखानेका पता लगा। इसे कुछ बंगाली नवयुवकोंने ‘मीथी कारखाने’ कर सरकारको ठप कर देनेके लिए बनाया था। उसी दिन समितिके मस्तिष्क वारोन्द्रकुमार घोष और उनके कुछ साथी पकड़े गये। अगले कुछ दिनोंमें कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए जिनमें अरविन्द घोष भी थे। मुजफ्फरपुर बमकाण्ड और मानिकतला बम कारखानेके सिलसिलेमें कुल ३६ व्यक्ति पकड़े गये। इनपर सम्राटके रिलाफ युद्ध छेड़ने और उमने लिए शस्त्र इकट्ठे करने व पड़्यन्त्र करनेका मुकदमा चला। यहाँ पांडिचेरीके सन्त अरविन्द घोषके सम्बन्धमें दो शब्द अनुपयुक्त न होंगे। वे १८९० में सिविल सर्विसकी परीक्षामें बैठे थे और उन्होंने अच्छा स्थान भी प्राप्त किया था पर घुडसवारी न जाननेके कारण वे लिये नहीं गये। बगभग आन्दोलनने उन्हें बंगालमें आकर्षित किया और वे १९०६ में ‘बन्देमातरम’के सम्पादकीय विभागमें काम करने लगे। उन्होंने राजनीतिके प्रचारके लिए वेदान्तको माधन बनाया। “उनके लेखों व भाषणोंसे यह निष्कर्ष निकालनेका प्रयत्न किया गया कि उन्होंने इन नवयुवकोंके राजनीतिक ध्येयके रूपमें भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनताका प्रचार किया और उन्होंने पड़्यन्त्रकारियोंकी लक्ष्यप्राप्तिमें योग देनेके लिए ऐसा किया।” अरविन्दका मुकदमा चित्तरजनदास (सी आर. दास) ने लड़ा। उन्होंने अदालतमें कहा—“अगर आप अरविन्दको पड़्यन्त्रकारी मानते हैं तो पत्तोंके कुछ अशोंको उनके जुरमके सबूतके रूपमें पढा जा सकता है। पर यदि आप इस प्रकार दोषी मानकर न चले और उन्हें बेगुनाह मानकर चले, जो कि आपका कर्तव्य है तो इन अशोंका निरीह अर्थ भी होता है, विशेषकर जब उनके धार्मिक दृष्टिकोणका ध्यान रखा जाय।” अरविन्द छूट गये, लेकिन उनके भाई वारीन्द्र और उल्लासकर दत्तको पाँसीकी सजा

१. शिरोल बही पुस्तक, पृष्ठ ९०

२. ‘बंगाल ‘पब्लिकेशन रिपोर्ट’ पृष्ठ ४०८-९

३. पृथ्वीनाचन्द्र राय ‘लाइफ एण्ड टाइम्स आव सी. आर. दास’ पृष्ठ ५९

४. वही पुस्तक पृष्ठ ६१

हुई। बादमें हाईकोर्टने इसे घटाकर आजन्म कालापानी कर दिया। उपेन्द्रनाथ बनर्जीको भी आजन्म कालापानी हुआ। दूसरे अभियुक्तोंको भी विभिन्न सजाएँ मिलीं। इन्दुभूषणको दस वर्षकी कैद हुई। इस अलीपुर पड्यन्त्रकेसमें अधिकतर छात्र और अध्यापक ही पकड़े गये थे। वीरेन्द्रनाथ घोष कुल १७।। साल के थे, नरेन्द्र बख्शी १८ साल के, विभूतिभूषण सरकार, २० वर्षके, उल्लासकारदत्त २२ के। हाईकोर्टने फैसलेमें कहा कि सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए हथियार, बारूद, कारतूस और राजद्रोहका साहित्य इकट्ठा किया गया था। अलीपुर पड्यन्त्रकेसकी शाखाके रूपमें ही नरेन्द्रनाथ गुसाईँ हत्याकाण्डका मुकदमा चला। गुसाईँ अलीपुर केसका अभियुक्त था और उसने पुलिसको अपने साथियोंके पते दे दिये थे। इस शपथ-खण्डनके लिए केसके दो अभियुक्तों—कन्हारीलाल दत्त व सत्येन्द्रनाथ बसुने तिकड़मसे हथियार जेलमें भँगाकर गुसाईँकी हत्या कर दी। दत्त और बसु दोनोंको फाँसी हुई। जब इन दोनोंके शव सेण्ट्रलजेलमें दग्धान ले जाये जा रहे थे, कालीघाटमें सड़कके दोनों ओर पचास हजार व्यक्ति खड़े थे। “इन राजनीतिक हत्याकारियोंकी शवयात्रापर हुए प्रदर्शनका सरकारपर इतना असर पड़ा कि उस दिनसे राजनीतिक बन्धियोंके फाँसी पानेपर उनकी अन्तिम क्रिया जेलके बाहर करनेपर रोक लग गयी।”

क्रान्तिकारियोंकी माथासे हटकर, यहाँ संक्षेपमें अण्डमन जीवनकी एक झाँकी दे दी जाय। दो एक उदाहरण ही काफी होंगे। इन्दुभूषण राय बीमार पड़ गये थे। पर दवा देनेकी जगह जेलर बैरीने उन्हें तेलके कोल्हूमें बैलकी जगह जोत दिया। उसी कोल्हूपर सावरकर काम कर रहे थे। “बड़े कष्ट और बड़ी कोशिशके बाद इन्दुभूषण घूम रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था।” सावरकरने अपना हाल बताकर उन्हें सांत्वना देने और प्रसन्न चित्त करनेकी कोशिश की। पर कुछ हुआ नहीं। “दूसरे दिन इन्दुभूषणको कष्टसे छुटकारा मिल गया। उनकी मृत्यु हो गयी।” उपेन्द्र बनर्जीको भी कोल्हूमें जोता गया। उनका सारा शरीर दुखता था और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गयी थी कि समवेदनाका एक शब्द सुनकर वे रो पड़ते थे। उल्लासकर दत्तको बिजलीसे पीड़ा पहुँचायी जाती थी। वे कराहते थे, आर्तनाद करते और ऐसे दर्द भरे स्वरमें चीखते थे कि सुनकर कलेजा मुँहको आता था। उन्हें पागलोंके अस्पतालमें भेजा गया। वहाँसे वे छूट गये।

९ नवम्बरको किसीने प्रफुल्ल चाकीकी गौतका बदला लेनेके लिए उन्हें गिरफ्तार करनेवाले पुलिसके थानेदारको मार डाला। बंगालके जीवनमें राजनीतिक हत्याएँ आयेदिनकी घटनाएँ बन गयी थीं। १० फरवरी १९०९ को अलीपुर केसके सरकारी वकीलको किसीने गोलीसे मार डाला। २४ जनवरीको अलीपुर केसकी अपीलमें गौजद पुलिसके एक डिप्टी सुपरिटेण्डेण्टको हाईकोर्टसे निकलते वक्त मार डाला गया था। बंगालके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर एण्ड्रू फ्रेजरकी जानपर ७ नवंबर १९०८ को असफल हमला हो चुका था। जिसे आक्रमणकारी समझा गया उसे १० वर्षकी कड़ी कैदकी सजा मिल चुकी थी। १९०८ में राजनीतिक ढकेतियोंके अनेक मुकदमे चल रहे थे। इनमेंसे कुछमें हत्याएँ भी हुई थीं। मई १९०८ से अप्रैल १९०९ तक न जाने कितने बमकाण्ड हुए। नवम्बर १९०८ में तीन गैरसरकारी व्यक्ति मारे गये। यह माना गया कि यह भी क्रान्तिकारियोंका काम है।

१. वही पुस्तक, पृष्ठ ७२

२. कीर, 'सावरकर एण्ड हिज टाइम्स', पृष्ठ ११३

उसी समय पुलिसको बमोंके एक कारखानेका पता चला। "यह अपराह भी पँल गयी कि वाइसरायको उनके दफ्तरमें ही मारनेका प्रयत्न किया जायगा। सरकारी मालखानेमें राइफिलें ले जाकर गवर्नमेंट हाउसमें मेजों, कुर्सियों वगैरहके नीचे छिपा दी गयी। वहाँके अमलेको गोबेपर क्या करना चाहिये, यह भी बता दिया गया।" पर हुआ कुछ नहीं।

इस परिस्थितिका सामना करनेके लिए दिसम्बर १९०८ में जान्ता फौजदारी कानूनमें संशोधन करनेका बिल पास किया गया। अगली जनवरीमें ढाका अनुशीलन समिति, स्वदेशी बान्धव समिति, वृत्ती समिति, सुदृढ समिति, साधना समिति आदि संघटन गैर कानूनी करार दिये गये।

१९०९ में दस ऐसी राजनीतिक डकैतियों पडों जिनमें अस्त्र-शस्त्रमें सुसज्जित होकर २५-३० नवयुवक ढाटा या नकात्र बोंधकर या नकली दाढी लगाकर धावा बोलते थे। पुलिसने इस सिलसिलेमें अनेक घरोंकी तलाशी ली और आखिरकार एक परते भरे हुए ३५ रिवाल्वर व कारतूस बरामद किये। एक व्यक्तिके पास पोटेसियम साइनाइड नामक घातक विषकी टिकियाँ मिली जो सम्भवतः आवश्यकता पडनेपर आत्महत्या करनेके लिए तैयार की गयी थी।

यहाँ एक डकैतीका वर्णन कर दिया जाय। ११ अक्टूबरको सात आठ नवयुवक ढाकेमें रेलके एक डिब्बेमें चढ़ आये। उस डिब्बेमें तीन व्यक्ति सात घैलोंमें २३०००) लिये बैठे थे। दो पर गौली चली—उनमेंसे एक मर गया। तीसरेको धुरा लगा। नवयुवकोंने शैले डिब्बेके बाहर फेंक दिये और खुद कूदकर भाग गये। बादमें लगभग आधा रूपया मिल गया पर नवयुवकोंमेंसे एकवो छोड़कर बाकी हाथ नहीं लगे। इस एकको आजन्म कालेपानीकी सजा मिली। नगला (जैसोर) की एक डकैतीमें १४ व्यक्तियोंपर सम्राट के विरुद्ध लडनेके पड्यन्त्रका मुकदमा चला और सबको तीनसे लेकर सात सालतकका कालापानी मिला। १९१० में दो पड्यन्त्र केस चले जिनमें ९० व्यक्तियोंपर सम्राटके विरुद्ध लडनेके अभियोग लगे। ये हबडा और ढाका पड्यन्त्र केस थे। पहलेमें ५० अभियुक्त थे पर छःको डकैतियोंमें अलगसे सजा हो गयी थी इसलिए मुकदमा ४४ पर चला। सात मुकदमोंके दौरानमें छोड़ दिये गये। मुकदमा बहुत दिनोतक चला पर अन्तमें सिर्फ छःको सजा हुई क्योंकि अदालतने दो मुसविरोके बयानोंको अविश्वसनीय माना।

पर ढाका पड्यन्त्र केसमें कई बातोंका पता चला। जुलाई १९१० में ४४ व्यक्तियों पर डकैतियों खालने और सम्राटके विरुद्ध लडनेके अभियोगमें मुकदमा चला। इस गुटके नेता पुलिनविहारी दास थे। ये लोग ढाका अनुशीलनसमितिके सदस्य थे और दो शपथों द्वारा गोपनीयताका वचन दे चुके थे। एक शपथ द्वारा सदस्य सक्त्य करते थे कि वे समितिके कभी पृथक न होंगे, उसके हितोंकी रक्षा करेंगे और अपना चरित्र कलकहीन रखेंगे समितिके अधिकारियोंके आदेशोंका निशाने साथ पालन करेंगे, व्यायाम व कवायदमें लगाने भाग लगे, आत्मरक्षाकी कला हर उस व्यक्तिसे छिपायेंगे जो समितिका सदस्य नहीं है और देश व अन्ततः विश्वके कल्याणके लिए काम करेंगे। दूसरी शपथमें सदस्य घोषणा करते थे कि वे समितिकी आंतरिक बातें किसीको नहीं बतावेंगे। फेसलेमें जस्टिस सुसर्जने लिखा था—

“दलकी अन्तिम शपथ लेनेवाला परिचालकके आदेश ( बिना कोई सवाल पूछे ) पालन करने, परिचालकको बराबर अपना पता देते रहने, समितिके विरुद्ध पड्यन्त्रोंका पता दलके नेताको देने और उनके आदेशपर उन्हें विफल करने, नेताके आदेशपर कर्तव्यस्थानपर पहुँचने, किसी कामको हेय न समझने, संयम और त्यागकी भावना पैदा करने और आदेशोंको गुप्त रखनेका वचन देता था ।” सदस्य सम्बन्धियों और मित्रोंको नेताकी अनुमति बिना पत्र भी नहीं लिख सकते थे । सदस्योंके पास आनेवाले और सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र नेताको दिखाने पड़ते थे । सदस्य अपने परिवार व मित्रोंसे अलग रहनेको वाध्य थे और यदि उन्हें कहीं से रुपया मिल जाता तो वह समितिकी सम्पत्ति माना जाता ।” यह शपथ काली माँके समक्ष ली जाती थी । विशेष शपथमें कहा जाता था—“मैं ईश्वर, अग्नि, माँ, गुरु और नेताको साक्षी कर शपथ लेता हूँ कि मैं अपना जीवन संकटमें डालकर केन्द्रका सब काम करूँगा । यदि मैं शपथ पालनमें असफल होऊँ तो ब्राह्मण, माँ और हर देशके महान् देश-भक्तोंका शपथ मुझे तत्काल नष्ट कर दे ।”

समितिका अपना सुसंघटित कार्यालय था जिसमें सदस्योंके विगत इतिहासतकके रजिस्टर रहते थे । प्रान्तीय संघटनके अधीन जिला, नगर और ग्राम समितियाँ काम करती थीं । समिति और सदस्योंके व्यवहार तथा कार्यके लिए नियम बने थे । अवज्ञाका दण्ड मृत्यु था जो कई बार दिया भी गया था । समितिके निरीक्षक गाँवोंका विवरण तैयार करते थे, जिसके लिए छपे हुए फार्म थे । इन फार्मोंपर सूचना संग्रहके लिए २१ वातें छपी थीं । समितिकी अपनी छपी हुई एक कार्यतालिका भी थी । हर गाँवके विवरणके साथ उस गाँवका नक्शा रहता था जिसमें सड़कें, नदियाँ, नहरें, गकान, बाग आदि बने रहते थे । इससे पता चलता है कि समितिका काम कितनी सूक्ष्मतासे होता था । इस सबका उद्देश्य यह था कि पूरे बंगालको क्षेत्रोंमें बाँट दिया जाय और हर महत्वपूर्ण जगहपर समितिकी शाखा हो । क्रान्तिके लिए धन एकत्र करना था । लेकिन नियमानुसार, डकैतियोंको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था । नियम १० के अनुसार “हिंसात्मक उपायोंसे धनसंग्रह निषिद्ध है ।” नियम ११ के अनुसार आयका मुख्य साधन चन्दा था । रूसी क्रान्तिके ढंग और तरीकोंका अध्ययन किया जाता था और उन्हें अपनाया जाता था । गोपनीय पत्रादिके लिए संकेत भाषाका प्रयोग होता था । “ढाका अनुशीलनसमितिके उदाहरण और उपदेशके फलस्वरूप अगले दस वर्षमें अनेकों हत्याएँ, डकैतियाँ व राजनीतिक अपराध हुए ।”

ढाका पड्यन्त्र केसमें १५ व्यक्तियोंको दोसे सात सालतककी कड़ी कैदकी सजाएँ मिलीं ।

लम्बे मुकदमों और कड़ी सजाओंके बावजूद क्रान्तिकारियोंके कामोंमें शिथिलता नहीं आयी । हर तलाशीमें राजद्रोहका साहित्य मिलता । फरवरी १९१० में एक और प्रेस सम्बन्धी कानून ‘भारतीय प्रेस एक्ट’ बना । इस कानूनसे सरकारको हर किसी छापेखानेसे जमानत माँगनेका अधिकार मिल गया । “इस कानूनने राजनीतिक साहित्यका प्रकाशन गुप्त छापेखानोंमें पहुँचा दिया ।”

१९११ में क्रान्तिकारी ढंगकी १८ घटनाएँ हुईं । २१ जनवरीको सोनारांग नेशनल स्कूल (ढाका) के छात्रों व अध्यापकोंने एक ढाकियेसे रुपयोंका थैला छीन लिया । १४ छात्र व अध्यापक गिरफ्तार हुए; सतको कैद या जुर्मानोंकी सजाएँ हुईं । ११ जुलाईको सोना-

रागमें ही पुलिसके तीन भेदियोंका कत्ल कर दिया गया। इनमेंमें एम्ने डाकियेवाले मामलेमें पुलिसकी मदद की थी। सोनाराग स्कूल १९०८ में स्थापित हुआ था और इसके पाठ्यक्रममें व्यायाम, लाठी भोजना, बर्दईगरी व लुहारगरी अनिवार्य विषय थे। १९११ में जो पाँच व्यक्ति मारे गये उनमें तीन सिपाही थे जो राजनीतिक पूछताछ किया करते थे, एक सबूत पत्र का गवाह था और एक सिग्नेरवेलीका बल्लशर एरा था। २ मार्चको काउले नामक अग्रेजनी मोटरपर १६ वर्षके एक बालकने बम फेंका। यह बम जो फूटा नहीं, असलमें कलकत्तेकी लुपिया पुलिसके अन्तर डेनहमके लिए था।

१९१२ में द्दकैतियों व हत्याओंकी तथा पुलिसद्वारा गोली बारूद बरामद करनेकी घटनाओंकी भरमार रही। एक मजिस्ट्रेटका पुत्र गिरीन्द्रमोहन दास शास्त्रीकी बरामदगीके समय गिरफ्तार हुआ। गिरीन्द्रके पास एक बक्कम हथियार और क्रान्तिकारियोंके कामजपत्र बरामद हुए। उसके पिताने गन्दूक खोलकर उगका सामान पुलिसको देनेको कहा था। गिरीन्द्रकी डेढ सालकी कडी नैद हुई। १३ दिगम्बरको पुलिसके एक भेदियेपर बम फेंका गया। “चन्द्रनगरमें ऐसे बम बनते थे और क्रान्तिकारियों द्वारा सारे देशमें बाँटे जाते थे, बम उन भेदियेके घरमें उस कमरेमें फूटा जहाँ वह आम तोरपर सोया करता था। दीगलका एक हिस्सा उड़ गया पर भेदिया बच गया।” उगी महीने वाइसराय लार्ड हार्डिजके नयी राजधानी दिल्लीमें प्रवेशके समय उनपर एक बम फेंका गया जिससे वे बुरी तरह घायल हो गये और उनका एक बर्गचारी मर गया। बम फेंकनेवालेका पता नहीं चला। बादमें मालूम हुआ कि रासबिहारी वसुने यह बम फेंका था।

२९ सितम्बर १९१३ को कलकत्तेके कालेज स्क्वायरमें झोलके किनारे हेड कास्टेबिल हरिपददेवको तीन नौजवानोंने गोलीसे मार डाला। आक्रमणकारी भीड़में लो गये। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला। देवको क्रान्तिकारियोंकी एक शाखाका पता लग गया था, इसलिए उसे पकड़ कर दिया गया। अगले दिन शामको मैमनसिंहमें पुलिसके एक इन्स्पेक्टरको बमसे मार डाला गया। इस इन्स्पेक्टरने ढाका समितिका पता लगानेकी बहुत कोशिश की थी। आर्द. सी. एस के गौड़नको मार डालनेकी योजना भी बनायी गयी— पर बमके एराएक फूट जानेके उसे ले जानेवाला ही मर गया। ‘पिकरिफ एसिड’ का बना एक घातक बम रानीगजरी थानेमें फेंका गया पर वह फटा नहीं।

१९१३ में दो महत्वपूर्ण मुकदमे चले—बारीसाल पञ्चन कैस और बारीसाल पञ्चन पूरक कैस। ३७ व्यक्तियोंपर राजद्रोह और डाके डालनेका अभियोग चलाया गया। इनमेंसे अधितर लोग बारीसाल अनुशीलन समितिके सदस्य थे। ढाका समितिनी शाखा होनेके बावजूद इसका अपना मुहद्द सञ्चलन था। यह पूर्वी बंगालमें जिले जिलेमें शाखाएँ स्थापित कर रही थी। “सञ्चलन पूरा और सुव्यवस्थित था। ‘सिद्धान्त’का प्रचार छात्रोंमें जोरसे होता था। सदस्य धीरे धीरे शपथ लेकर अतरग गोप्रीमें आते थे। समितिके अलग-अलग विभाग थे, जैसे छात्र विभाग, कर्म विभाग, हिंसा, सञ्चलन, आम विभाग आदि।” जिला सञ्चलन योजनाके अतर्गत सिद्धान्तमें दीक्षित अध्यापकोंके देश भरमें पैरने और शिक्षा संस्थाओंसे छाँटकर छात्र भरती करनेकी बाल थी। बारीसाल पञ्चन कैसमें सभी अभियुक्त नौजवान थे; उनकी उम्रों १९ से २९ सालतक थी। १२ व्यक्तियोंको दो से बारह सालतककी कडी कैदकी सजाएँ मिलीं। नवम्बर १९१३ में कलकत्तेके राजाबाजार मुहल्लेमें पुलिसने एक



घरपर छापा मारकर क्रान्तिकारी साहित्य और सिगरेटके टीनोंमें बनाये जाने वाले बम बरामद किये। उस घरमें सोये हुए चार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये; बादमें दो व्यक्ति और गिरफ्तार हुए। उस घरमें जो साहित्य मिला उसमें 'साहसी देशभक्तों द्वारा रक्तपात व हत्याओंके रास्ते भारतको स्वतन्त्रता दिलानेका प्रचार था।' छहों व्यक्तियोंको सजा हो गयी।

अगस्त १९१४ में कलकत्तेके बन्दूक बनानेके एक कारखाने—रोटा एण्ड कम्पनीका एक बाबू ५० गौजर पिस्तौलों और ४६ ००० कारतूसोंके एक बक्सके साथ गायब हो गया। बादमें यह सामान विभिन्न क्रान्तिकारी गोष्ठियोंमें बँटा। पुलिसके अनुसार अगस्तके बाद हुए डाके और हत्याकी ५४ घटनाओंमें गौजर पिस्तौलोंका प्रयोग हुआ। जूनमें एक भेदियेको चटगाँवमें बीच बाजारमें गोली मार दी गयी। अगले महीने एक भेदियेको टांकेमें गोली मार दी गयी। द्रामसे उतरते हुए एक बड़े तिराहेपर कुछ नौजवानोंने खुफिया पुलिसके एक इन्स्पेक्टरको मार डाला। तिराहेकी भीड़में खड़े कुछ पुलिसवालोंने इन नवयुवकोंका पीछा किया। इन पीछा करनेवालोंमें भी एक मार गिराया गया। पुलिसके एक डिप्टी सुपरिण्टेंडेंटके घरके भीतर और बाहर दो बम फूटे। एक हेड कास्टेबल मर गया; दो सिपाही व सुपरिण्टेंडेंटका एक रिश्तेदार घायल हुआ पर वह खुद बच गया। किन्तु उसपर हमले जारी रहे और १९१६ में वह दिनदहाड़े मार डाला गया। १९१४ में एक हत्या और १४ डाकोंकी रिपोर्ट पुलिसमें हुई।

१९१५ से १९१७ तक पुलिसवालोंकी हत्याओं और डाकोंमें बहुत वृद्धि हुई। दर्जनों क्रान्तिकारी कैद या फाँसी पा गये। जिनके घर डाके पड़ते थे, कभी-कभी उन लोगोंको पत्र मिलते कि आजादी मिलनेके बाद रुपया लौटा दिया जायगा। इस तरहका एक पत्र 'संयुक्त भारतके स्वाधीन राज्यकी बंगाल शाखा'के छपे फार्मपर एक सर्राफको मिला, जिससे ९८९१) छीने गये थे। सर्राफके यहाँ जो गहने बन्धक रखे थे, उन्हें हाथ नहीं लगाया गया किन्तु क्रान्तिकारियोंको बादमें सूचना मिली कि दो आभूषण बन्धक थे, जो लूटमें आ गये हैं। सर्राफको फौरन पत्र लिखा गया कि ये दोनों आभूषण उसे शीघ्र वापस मिल जायेंगे।

क्रान्तिकारी दूसरे प्रांतोंमें भी सक्रिय थे, पर उनका वहाँ उतना जोर नहीं था जितना बंगालमें।

### पंजाब

पंजाबमें ब्रिटिश भक्तिकी परम्परा थी। '५७ के विद्रोहमें पंजाबने अंग्रेजोंका साथ दिया था और उन्हें फिरसे भारतपर आधिपत्य जमानेमें सहायता दी थी। ब्रिटेनकी साम्राज्यविस्तारकी लड़ाइयोंमें पंजाब अपने बेटोंको लड़ने भेजता रहा। १९०७ में यह भक्तिपरम्परा कुछ डॉवाडोल-सी हो उठी और अधिवारियोंको चिन्ता होने लगी। कुछ छिट-फुट असफल कोशिशें फौजमें बगावत पैदा करनेके लिए की गयी थी। ये विद्रोहकी आम भावनाका वातावरण पैदा करनेकी योजनाका अंग थी। ५ मार्च १९०७ को लार्ड मिण्टोने भारत सचिवको पत्र लिखा कि "राजद्रोहियोंका प्रभाव निस्सन्देह बढ़ रहा है और मुझे डर है कि पंजाबमें उसका काफी असर हो रहा है। मरदानके फौजी अट्टेमें देशी फौजको सम्बोधन करते हुए एक पर्चा बॉटनेकी खबर मैंने आज सुनी। इस पर्चेमें बताया गया है कि अंग्रेजी राज उखाड़ फेंकना कितना आसान है। देशी फौजपर कुप्रभाव डालनेकी चेष्टाकी

यह पहली साधिकार सूचना मुझे मिली है। यह पत्रां कुछ ऐसे देगी लोगोंका भेजा हुआ है जो अब अमेरिकामें हैं।”

अप्रैलमें अग्रेज त्रिरोधी उच्छेजना इतनी बढ़ी कि अधिकारियोंको सन् ५७ की ५० वीं वर्षगण्टपर विद्रोहकी पुनरावृत्तिकी आशंका होने लगी। शहरों और कस्बोंमें—विशेषकर लाहौर, अमृतसर, राजलपिण्डी, फीरोजपुर व मुल्तानमें अनेक सभाएँ हुईं। बन्नीलों, अध्यापकों और दूसरे शिक्षित वर्गसे वक्ता अपने आप पैदा होने लगे और खुले आम, निदर होकर अपनी भावनाओंको व्यक्त करने लगे। इसके लिए वे जेल भी गये। सैकड़ों लोग पकड़े गये। वाइसरायने भारत मन्त्रिकों तार दिया जिसमें परिस्थितिका वर्णन इस प्रकार किया गया था—तीन दिन पहले मुझे इमटसन (पंजाबके गवर्नर) से पंजाबकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमें एक आवश्यक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिली। “उनके वर्णनमें आशंका उत्पन्न होती है। चारों तरफ उग्रदली लोग खुलेआम बराबर राजद्रोहका प्रचार कर रहे हैं—समाचारपत्रोंमें भी और बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाओंमें भी। “राजद्रोहके इस आन्दोलनके दो रूप हैं। लाहौर अमृतसर, पिण्डी, फीरोजपुर, मुल्तान व दूसरे शहरोंमें ने खुलेआम ऊँचे अफसरोंकी हत्याका मुद्दाव दिया है और उसने व दूसरोंने जनतामें विद्रोह कर अग्रेजोंपर हमला बोल देने और आजाद हो जानेकी सलाह दी है। देहातोंमें किसानों व छोटे जमींदारोंपर प्रभाव डालनेकी बाकायदा कोशिश हो रही है; और इन्हीं लोगोंसे फौजके सिपाही मिलते हैं। विशेष ध्यान सिपाहियों और पेशान-यापता फौजियोंपर दिया जा रहा है। सिपाहियोंके गाँवोंमें बगावतके पर्चे वैंट रहे हैं; और फीरोजपुरमें एक सार्वजनिक सभामें सिपाहियोंको बुलाया गया था, सैकड़ों मौजूद भी थे जब खुलेआम बगावतका प्रचार किया गया। सिपाहियोंसे कहा जा रहा है कि उन्होंने गदरमें हमारी मदद की और अब हम उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आजादीकी लड़ाईमें देशके साथ दगा करनेका यही नतीजा उन्हें मिल रहा है। कहा जा रहा है कि हम कपास और गन्नेके उद्योगोंकी कुचल देना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि हमने जनताका रुपया लेकर उसे बागज थमा दिया है। गाँववालोंसे पूछा जाता है कि हमारे चले जानेके बाद उन मोटोंको कौन भुनायगा? गाँवोंमें कहा जाता है कि वे लगान, सिचाई आदिके कर सरकारको न दें, जब सरकारी अफसर दौरेपर आये तो उन्हें रसद, गाड़ी आदि न दें। देशद्रोही कहकर देशी सिपाहियों व पुलिसवालोंकी पिटली उड़ायी जाती है और उनसे सरकारी नौकरी छोड़नेकी कसमें ली जाती हैं।”

वाइसरायने लिखा कि यह प्रचार आर्य समाजकी एक गुप्त समिति द्वारा किया जा रहा है; समाज धार्मिक संस्था है पर “पंजाबमें उसमें प्रबल राजनीतिक प्रवृत्ति” भी है। उनका खयाल था कि इस पूरे आन्दोलनका केन्द्र और नेतृत्व राजपतरायमें निहित है और उनका प्रमुख अनुचर अजितसिंह है जो राजद्रोह फैलाता घूमता है। “अजितसिंह पहले एक स्कूलमें मास्टर था और पार साल कथित रूसी जायूस लेखने उधे नौकर रखा था।”

१. मेरी मिण्टो, 'इण्डिया, मिण्टो एण्ड मॉर्ले' पृष्ठ १२२
२. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ १२४-२५
३. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ १२५

९ मईको लालपतराय गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके कुछ दिन बाद अजित सिंह भी पकड़ लिये गये। दोनों माण्डले भेज दिये गये और हाथों कि वे एक ही वस्त्रों बन्द थे, उन्हें एक दूसरेके वस्त्रों मालूम न था।

देशमें उस समय जो वातावरण था, वह तो था ही, पंजाबमें ग्यास तौरपर उत्तेजनाका कारण पंजाबमें वस्ती बसानेका विल और वहाँ कई जगह पैली ज्येगर्की रोकथाममें अपमानोंकी ज्यादती थी। यह विल चनाव नहरके इत्यादोंमें भूमि प्रबन्धमें परिवर्तन करनेके लिए था। साथ ही वरी हुआवेमें सिंचाईकी दर बढ़ानेकी भी बात थी। हाथों कि बाइसगवकी अस्वीकृतिके कारण विल पास नहीं हुआ, देहाती लोगोंने सरकारके विरुद्ध वैर-भाव नहीं छोड़ा। इन दोनों इलाकोंके गाँवोंमें सार्वजनिक सभाएँ कर ब्रिटिश विरोधी भावना पैलायी गयी। एक अखबारके मालिक और सम्पादकको सजा देनेपर दंगा हो गया। दो जगह अंग्रेजोंका अपमान किया गया। उत्तरी पश्चिमी रेलवेके उस हिस्सेमें जो चनाव नहरके इत्यादोंमें था, नीचेके अगलेने हटताल कर दी। लाहौरमें ब्रिटिश विरोधी प्रचार उग्र हो उठा और गग्गीर अशान्तिकी स्थिति पैदा हो गयी।

लालपतराय और अजितसिंह छः महीनेके बाद छोड़ दिये गये। अजितसिंह दौरान निकल गये। उनके भाई और बाल्यचन्द फलक नामक एक व्यक्ति अभिन्नि प्रचारके अभियोग में जेल भेज दिये गये।

लेकिन पंजाबमें आतंकवादी कार्रवाई १९१३ में शुरू हुई। १७ मईको लाहौरके लॉरंस गार्डनके रास्तेमें एक बम रज्य दिया गया। दगादा उधरसे गुजरनेवाले अंग्रेजोंको मारने का था पर एक भारतीय अरदलीकी साइकिलके नीचे बम आ गया और अरदली मर गया। इस तथा कुछ अन्य घटनाओंके कारण कुछ लोगों पर लम्बा मुकदमा चला और अमीरचन्द, अवधविहारी, बाल्यमुकुन्द व बसन्तकुमार विस्वासको फाँसी दे दी गयी।

### बम्बई

बम्बईमें पहले १८९७ में राजनीतिक हत्याएँ हुई थीं, वहाँ प्रान्तिकारी आन्दोलनका श्रीगणेश १९०९ में 'लघु अभिनव भारत सेवा' नामक पुस्तकमें कुछ विद्रोही कविताएँ छपनेसे हुआ। वे कविताएँ विनायक दामोदर सावरकरके भाई गणेश दामोदर सावरकरकी लिखी हुई थीं और उन्हें इनके लिए आजन्म कालेपानीकी सजा हुई। हाईकोर्टने सजा बहाल रखते हुए कहा—“लेखकका मुख्य उद्देश्य शिवाजी जैसे बौद्धाओं और हिन्दुओंके कुछ देवताओंके नाममें वर्तमान सरकारके विरुद्ध लड़ाईका प्रचार करना है। वे नाम इस अमली बातके कहनेका बहाना हैं कि 'तलवार गढ़ालो और इस सरकारको नष्ट कर दो क्योंकि यह विदेशी और अत्याचारी है।' लेखकका उद्देश्य और दगादा जाननेके लिए भगवद्गीतासे लिये गये विचारों और भावनाओंको व्याख्यामें ले आना अनावश्यक है।”

लेकिन गणेश आतंकवादी आन्दोलनके संघटनमें लगे थे। उनके भाई विनायक सावरकरने फरवरी १९०९ में परिसरे २० ऑटोमेटिक पिस्तौलें और उनके कार्यालय तकगत किये थे। यह मामला “दृष्टिवा हाउसके रमोइये चतुर्भुज अमीनके एक बकसके नकली पेंदोंमें छिपा हुआ आ रहा था।” अमीन गणेशकी गिरफ्तारीके एक हफ्ते बाद ६ मार्चको बम्बई पहुँचे। गणेशको मालूम था कि मामला आ रहा है और अपनी गिरफ्तारीके दो चार दिन पहले अपने एक दोस्तने इसका जिक्र भी किया था। पिस्तौलोंके आनेके चार दिन पहले

गणेशके मकानकी तलाशी ली गयी और उनके कागजोंमें अंग्रेजीमें ६० पत्रोंमें टाइप की हुई वम बनानेकी क्रिया बतातेवाली क़िताब मिली। ऐसी ही क़िताब फ़लफ़लेके मानिफ़्तला मुहल्लेमें मिली थी; पर गणेशकी प्रति अधिक पूर्ण थी। इसमें वमों, मुरगी और इमारतोंके ४५ नक़्शे भी थे।

दिसम्बर १९०९ में गणेशके साथियोंने नासिकके जिला मजिस्ट्रेट जे।सनको हत्याकी योजना बनायी। जेसनने ही गणेशपर मुफ़दमा चलाया था। यह योजना औरगावादके एक नौजवानने पूरी की और जेसन अपने सम्मानमें मिले एक बिदा भोजमें गोलीसे मार डाले गये। जिन पिस्तौलसे जेसन मारे गये, पुलिसने उसे वही ब्राउनिंग औटोमेटिक बताया जो विनायक सावरकरने लन्दनसे भेजा था। सात व्यक्ति—छाता चित्पावन ब्राह्मण थे—मुकदमेमें फँसे और तीनको फाँसी दे दी गयी। जेसनकी हत्याके बाद सरकार सक्रिय हुई। कई तलाशियाँ हुईं, कई लोग गिरफ़्तार हुए, नामिक पड्यन्त्रकेस चला। २८ व्यक्तियोंपर, उनमेंसे एकको छोड़कर शेष सभी ब्राह्मण, अधिकतर चित्पावन ब्राह्मण थे, मुकदमा चला। २७ को विभिन्न अवधिपोंकी वैदकी सजाएँ मिलीं।

नारिफ़से ग्वालियरमें नव भारत समितिके अस्तित्वका पता लगा। इगीके परिणामस्वरूप ग्वालियर पड्यन्त्र केस चल पडा जिसकी सुनवाईके लिए विशेष ट्रिब्यूनल बैठाया गया। ४१ व्यक्तियोंपर, जो सभी ब्राह्मण थे, मुकदमा चला। इनमेंसे २२ 'नवभारत समिति'के सदस्य थे और शेष 'अभिनव भारत'के। ग्वालियर समितिका नियम ४ इस प्रकार था—“स्वाधीनता, शिक्षा और आन्दोलनके उपदेश पूरे करनेके दो रास्ते हैं। शिक्षामें स्वदेशी, वहिफ़ार, राष्ट्रीय शिक्षा, शरण आदिना त्याग, धार्मिक उत्सव, भाषण, पुस्तकालय आदि शामिल हैं और आन्दोलनमें बन्दूक पिस्तौलका निशाना साधना, तख़्तवार भोजना, वम व डाइनामाइट तैयार करना, रिवाजपर प्राप्त करना और हथियारोंका प्रयोग सिखाना है। उपयुक्त समयपर किसी प्रान्तमें व्यापक विद्रोह होनेके अवसरपर, सभीको सहयोग देकर स्वाधीनता प्राप्त करना है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आर्य देश स्वाधीनता प्राप्त करनेके योग्य है।” नवभारत समिति अपनी तैयारियोंमें ही लगी थी कि उसके अधिकांश सदस्य ग्वालियर पड्यन्त्र केसमें पकड लिये गये और विभिन्न अवधियोंके लिए जेलोंमें बन्द कर दिये गये।

मेरी मिण्टोके अनुगार अहमदाबाद भी “अशान्तिका केन्द्र था”; और यह अशान्ति वाइसरायपर फेंके गये दो बमोंमें परिलक्षित हुई। लार्ड मिण्टो सपत्नीक दक्षिण और पश्चिम भारतका दौरा कर रहे थे। अहमदाबादमें उनकी फ़नीको लगा कि “स्टेशनपर मौजूद भीड़ उदास है और उसमें उत्साह नहीं है।” वाइसरायको देखने आये दर्ग़ोंमें एक छोटा लडका भी था जो दोनों हाथोंमें एक एक शलजमके बराबर सफ़ेद गंद लिये हुए था। वह उन्हें इस तरह खुलेआम लिये हुए था कि किसीको सन्देह भी नहीं हुआ कि वे वम हैं। लडकेने तेज़ीसे एक हाथ घुमाकर वम फेंका, जो रेतिली सडक़पर गिरा। दूसरा वम फेंका, वह भी नहीं फूटा और निशानेसे दूर गिरा। लेकिन वाइसरायके चले जानेके बाद ही पता चला कि वे गंद वम थीं। एक भिदनीने उन्हें उठाया और उसका दाहिना हाथ उड़ गया।

अभिनव भारतकी एक शाखा सतारामें भी थी। १९१० में पुलिसने इसका पता लगाया और बहुतमें नौजवानोंको, जो सभी ब्राह्मण थे, पकड लिया। उन्हें विभिन्न दण्ड मिले।

जिन और प्रान्तोंमें क्रान्तिकारी सक्रिय थे, वे थे संयुक्त प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त व मद्रास। यहाँ प्रेरणा और नेतृत्व बंगालसे मिला था और क्रान्तिकारियोंका यहाँका काम बंगाल व पंजाबकी छाया मात्र था।

संयुक्त प्रान्तमें, १९०७ में शान्तिनारायण द्वारा इलाहाबादमें 'स्वराज्य' पत्र निकालनेके साथ क्रान्तिकारी राजनीति शुरू हुई। पत्र लजपतराय व अजितसिंहके माण्डलेकी नजरबन्दीसे रिहाईकी यादगारमें निकाला गया था। सरकारने इस पत्रको बहुत खतरनाक माना और उसके एक लेखको खुदीराम बोसकी प्रशंसा माना गया (खुदीरामके वमसे श्रीमती व कुमारी केनेडीको मृत्यु हुई थी)। उसके कुछ लेखोंको हिंसाका प्रचार माना गया और शान्तिनारायणको कैद हो गया। उनके बाद आनेवाले दो सम्पादकोंको भी कैद हुई। १९१० में नये प्रेस कानून द्वारा मिले विशेष अधिकारोंसे सरकारने 'स्वराज्य' बन्द कर दिया। एक अन्य पत्र 'कर्मयोगी' भी इसी तरह बन्द कर दिया गया।

१९०८ में शचीन्द्रनाथ सान्यालने बनारसमें अनुशीलन समिति नामक एक गोष्ठी स्थापित की। इसके सदस्योंपर बादमें बनारस पट्टयन्त्र केसमें मुकदमा चला। जब समितिके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी, इसका नाम बदल कर 'यंग मॅस एगोसिएशन' कर दिया गया। सान्याल स्वयं छात्र थे और उनके ज्यादातर साथी भी पढ़ रहे थे। इस समितिमें भी धर्म राजनीतिसे सम्बद्ध हो गया और राजनीतिक हत्याओंके लिए गीताके उद्धरणोंसे औचित्य ढूँढा गया। समिति धीरे-धीरे क्रान्तिकारी दलमें परिवर्तित हो रही थी। १९१४ के शुरूमें लाहौर पट्टयन्त्र केसके अभियुक्त राशबिहारी वसु बनारस आये और आन्दोलनका नेतृत्व करने लगे। उनके खिलाफ वारण्ट था और उनकी गिरफ्तारीपर इनाम था। उनका चित्र व्यापक रूपसे बाँटा जा चुका था। लेकिन वे लगभग एक सालतक बनारसमें रहे और पुलिसकी निगाहसे बचे रहे। वम बनाये गये, लेकिन ज्यादातर वे विशेष दूतों द्वारा बंगालसे भेगाकर इलाहाबाद, मेरठ, लाहौर, जबलपुर आदिमें वितरित किये गये। वसुके सहकारी विष्णु गणेश पिंगलेको वम ले जाते हुए मेरठमें पकड़ा गया। यह २३ मार्चको हुआ। पिंगले १२ वीं भारतीय कैबलरीकी छावनीमें एक बक्समें दस वम लिये जा रहे थे जो "आधी रेजिमेंटको उड़ा देनेके लिए काफी थे।" पिंगलेपर बादमें लाहौर पट्टयन्त्र केसमें मुकदमा चला और उन्हें फाँसी हो गयी। २१ फरवरी सन् १९१५ को निश्चित हुए विद्रोहके पंजाब पुलिसकी कार्रवाईसे असफल हो जानेके बाद बनारस समितिके सदस्योंका पता भी पुलिसको लग गया और उनपर मुकदमा चला। बनारस पट्टयन्त्र केसमें १० व्यक्तियोंको लम्बी लम्बी सजाएँ हुईं। शचीन्द्रनाथ सान्यालको आजन्म कालापानी मिला। कुछ दिनों बाद नवीं भोपाल इन्फैण्ट्रीके भूतपूर्व हवलदार हरनामसिंहको क्रान्तिकारी पुस्तिकाएँ बाँटनेके अभियोगमें दस वर्षकी कैद हुई।

फरवरी क्रान्तिके लिए मध्यप्रान्तमें भी कुछ तैयारियाँ हुईं। आन्दोलन चलानेके लिए राशबिहारी वसुने नलिनीमोहन मुखर्जीको नियत किया था (जो बादमें बनारस पट्टयन्त्र केसमें अभियुक्त हुए)। वे सफल नहीं हुए। प्रयत्न जारी रहे पर कोई ठोस नतीजे नहीं निकले।

बिहार व उड़ीसाकी राजधानी बाँकीपुरमें शचीन्द्र सान्यालने वंकिमचन्द्र मित्रकी सहायतासे अनुशीलन समितिकी शाखा स्थापित की पर विशेष सफलता नहीं मिली।

अप्रैल १९०७ में विपिनचन्द्र पाल मद्रास गये थे और वहाँ कई व्याख्यान दिये जिनसे लोग त्रिदिश-विरोधी हुए थे। उनकी यात्राके बाद ही वहाँ “राजद्रोहात्मक कार-वाइयोंकी बाढ सी आ गयी और उसी माल रूसी गुप्त राख्याओंके संगठन सम्बन्धी पुस्तिकाएँ बाँटी गयीं। निर्माण विभागके कारखानेके कुछ छात्रोंके पास तलाशीमें ये पुस्तिकाएँ बरामद हुई थीं। तिन्नेलीमें स्वराज्यके लिए तैयारी करनेकी आशय करते हुए मुन्नाय्य शिव व निदाम्बरम् फिल्डने भाषण किये। १२ मार्च १९०८ को वे गिरफ्तार कर लिये गये और दूसरे दिन तिन्नेलीमें भीषण दगा हो गया। “इस दंगेमें सरकारी सम्पत्ति जान बूझकर व्यापकरूपसे नष्ट कर दी गयी। सब रजिस्ट्रारके दफतरको छौडकर शेष सभी सरकारी इमारतोंपर हमले हुए। वहाँके पर्जीचर और कागजात जला डाले गये। इमारतोंके कुछ हिस्से भी जल गये। म्युनिसिपल दफतर जन्धर राख हा गया। २७ व्यक्तियोंपर गुरु-दगा चला और उन्हें दंगेमें भाग लेनेके अभियोगमें सजाएँ मिली।

१७ जून १९११ को तिन्नेलीके जिला मजिस्ट्रेटको गोली मार दी गयी जब वे रेलके एक टिन्नेमें बैठे थे। गोली बची ऐयरने मारी थी। उन्हें फाँसी हो गयी। नौ अन्य व्यक्तियोंको सजाएँ हुईं। इस हत्याके पहलेमे ही मद्रासमें भ्रान्तिकारी आन्दोलन चलानेकी तैयारियाँ हो रही थीं। विद्रोहना साहित्य छापकर बाँटा जा रहा था। नीलफण्ट ब्रह्मचारी और डॉक्टर कृष्ण ऐयर “राजद्रोह व स्वदेशीता प्रचार करते हुए और प्रान्तके लोगोंके स्वराज्यप्राप्तिके लिए सभी रक्तशपथ लेनेको कहते हुए” घूम रहे थे। आन्दोलन जोर पकड़ रहा था और बीसियों नौजवान उसमें शामिल हो रहे थे। पर सरकारको पदच्युतका पता जरूरी ही लग गया और यह उते छिन्न भिन्न करनेमें सफल हो गयी।

## अध्याय १३

### दक्षिणी अफ्रीकाका सत्याग्रह

अब भारतीय रंगमंचपर मोहनदास कर्मचन्द गान्धीका आविर्भाव हुआ। गान्धीजीमें राष्ट्रका प्रथम परिचय राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताके रूपमें १८९६ में हुआ। उस वर्ष वे एक विशेष उद्देश्य लेकर दक्षिणी अफ्रीकामें भारत आये थे। वहाँ वे उपनिवेश सरकारके विरुद्ध अहिंसात्मक ढंगसे संघर्ष कर रहे थे।

दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी कहानी संक्षेपमें इस प्रकार है।

१८६० में दक्षिणी अफ्रीकामें बसनेवाले यूरोपीयोंने भारत सरकारसे भारतीय मजदूर भेजनेके बारेमें बातचीत शुरू की। “भारत सरकारने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और भारतसे प्रतिज्ञाबद्ध ( Indentured ) मजदूरोंका पहला जत्था नेटालमें १६ नवम्बर सन् १८६० को पहुँचा।” यह व्यवस्था अर्धगुलामीकी थी, क्योंकि बिना प्रतिज्ञापत्रकी अवधि समाप्त हुए, मजदूर मालिकोंकी गुलामोंकी सेवामें मुक्त नहीं हो सकते थे। वे पीटे जाते और उनके साथ दुर्व्यवहार होता परन्तु वे नौकरीसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते थे। पट्टेकी समाप्तिपर ये मजदूर प्रवासी यूरोपीयोंके लिए एक समस्या बन गये। आजाद होने पर वे स्वतन्त्र रूपसे व्यापार करने लगे और यूरोपीय उनको अपना व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी समझने लगे। नेटाल सरकारने इन ‘स्वतन्त्र’ भारतीय मजदूरोंसे छुटकारा पानेकी एक तरकीब सोची। सरकारने पट्टेसे मुक्त प्रत्येक भारतीयपर २५ पौण्ड सालानाका ( Poll-tax ) लगानेका प्रस्ताव रखा। भारतके गवर्नर जनरलके हस्तक्षेप करने पर यह कर घटाकर ३ पौण्ड कर दिया गया। भारतीयोंने इस करके विरोधमें एक शक्तिशाली उद्वेलन खड़ा किया जो निष्फल रहा। १८९३ में गान्धीजी एक मुकदमेके सम्बन्धमें दक्षिणी अफ्रीका गये हुए थे। भारतीयोंको और अधिक तंग और परेशान करनेके लिए नेटाल सरकारने विधान सभामें भारतीयोंका मताधिकार छाननेका विधेयक पेश किया। गान्धीजीने सत्याग्रह दी कि भारतीयोंको अपने अधिकारोंपर हुए इस आक्रमणका टटकर सामना करना चाहिये। वे इससे सहमत हो गये और उन्होंने गान्धीजीसे इस आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। आन्दोलन शुरू हुआ और एक महीनेके अन्दर ही उपनिवेश सचिव ( सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनियाज ) लार्ड रिपनके सामने पेश होनेवाले स्मृतिपत्रपर दस हजार ( १०,००० ) हस्ताक्षर हो गये। दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंका इस प्रकारके आन्दोलनका यह प्रथम अनुभव था और पूरे समाजमें उत्साहकी एक नयी लहर भर गयी।”

इस आन्दोलनका तात्कालिक प्रभाव हुआ। “लार्ड रिपनने विलको निषिद्ध कर दिया और घोषणा की कि अंग्रेजी साम्राज्यविधानमें रंग-भेद को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता” परन्तु नेटाल सरकारने एक दूसरे संदिग्धार्थ विधेयक द्वारा अप्रत्यक्ष रूपमें वे अधिकार प्राप्त

१. पृ. ० के० गान्धी-सत्याग्रह इन साठव अफ्रीका पृष्ठ ३८

२. वही पुस्तक पृष्ठ ५०

कर लिये जो उसने इसके पूर्व विधान सभामें विधेयक पेश करके हासिल करने चाहे थे और जिसका रिपनने निषेध कर दिया था। भारतीय मताधिकारसे वंचित कर दिये गये। भारतीयोंका उद्देलन जन्म ले चुना था और मई १८९४ में नेटाल भारतीय कांग्रेसकी स्थापना हुई। यह स्मरणीय है कि इसका नामकरण कांग्रेसके ऊपर ही हुआ। गान्धीजी लिखते हैं—“मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस ) के किसी भी अधिवेशनमें भाग नहीं लिया था परन्तु कांग्रेसके बारेमें पटा था। मैंने भारतके पितामह ( ग्राण्ड ओल्ड मैन ) दादा भाई नौरोजीको देखा था और मैं उनका प्रशंसक था। मैं कांग्रेसका भक्त था और इसके नामको पेलाना चाहता था। मैं अनुभवहीन था और मैंने कोई नया नाम हँडलकी चेष्टा नहीं की। इसलिए मैंने नेटालके भारतीयोंको अपने सघटनका नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस ( Natal Indian Congress ) रखनेकी सलाह दी। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस ) के बारेमें अपना सीमित और अपूर्ण ज्ञान उनके सामने रखा।”

वे सन १८९६ के मध्य में भारत लौट आये। दक्षिण अफ्रीकामें शुरू किये हुए कामके बारेमें गान्धीजी लिखते हैं “जब मैं भारतमें था, मैंने दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी दशाके बारेमें एक पुस्तिका लिखी थी। लगभग सभी पत्रोंमें इसका जिक्र हुआ था और इसके दो संस्करण निकले थे। भारतके विभिन्न भागोंमें इस पुस्तिकाकी पाँच हजार प्रतियाँ बाँटी गयीं। इसी कालमें सर पीरोजशाह मेहता, न्यायाधीश बदरुद्दीन तैयबजी व महादेव गोविंद रानाडे जैसे भारतीय नेताओंसे सम्बन्धमें और लोकमान्य तिलक और उनके साथी, प्रोफेसर भंडारकर, गोपालकृष्ण गोखले व उनके साथियोंसे पूनामें मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने बम्बई, पूना और मद्रासमें भाषण किये।” गान्धीजीके दक्षिणी अफ्रीकाके सत्याग्रहमें दिये गये विवरणसे भी हमें तिलक-गोखले राजनीतिका एक चित्र मिलता है। गान्धीजी पहिले तिलकसे मिले। तिलकने उन्हें बताया कि “पूनामें दो दल हैं। एकका प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सभा करती है और दूसरेका दक्षिण सभा ( Deccan Sabha )।” “सार्वजनिक सभा धी लोकमान्य तिलकके नियन्त्रणमें थी जब कि श्री गोखलेका सम्बन्ध दक्षिण सभासे था।”

जब गान्धीजीने तिलकसे पूनामें एक सभा करनेके बारेमें बातचीत की, तो तिलकने कहा “यहाँ पर सभा करना आसान है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी बात सभी पार्टियोंके सामने रखना चाहते हो और सभीका समर्थन चाहते हो। मैं तुम्हारा विचार पसन्द करता हूँ। परन्तु यदि सार्वजनिक सभाका कोई सदस्य मीटिंगकी अध्यक्षताके लिए चुना जाता है तो दक्षिण सभाका एक भी सदस्य सभामें भाग नहीं लेगा। इसी प्रकार यदि दक्षिण सभाका आदमी सभापतित्व करेगा तो सार्वजनिक सभाके लोग सभामें नहीं आयेंगे। इसलिए तुम सभापतित्वके लिए ऐसा आदमी ढूँढ लो जिसका किसी पार्टी विशेषसे सम्बन्ध न हो।” गोखले और तिलक दोनोंकी सम्मतिसे निष्पक्ष व्यक्ति प्रोफेसर भण्डारकर इस पदके लिए चुने गये और एक सफल सभा हुई जिसमें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी दीन दशाका वर्णन किया गया।

१. वही पुस्तक, पृष्ठ ७४-७५

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ८१-८२

३. वही पुस्तक, पृष्ठ ८३



इसके बाद गान्धीजी मद्रास व कलकत्ता गये, वहाँके मुख्य नेताओंसे मिले और अपने उद्देश्यके लिए उनका समर्थन प्राप्त किया। जब वे अपने काममें भारतमें वास्तु थे, नेटाल्ले उनको समुद्री तार द्वारा तुरत वापस लौटनेका अनुरोध मिला। भारतमें उनके उद्देश्यको नेटाल्लेके अखबारोंमें काफी प्रसिद्धि मिली। इस प्रसिद्धिसे नेटाल्लेके यूरोपीय समाजका जल्दी उत्तेजनामें आ जानेवाला वर्ग बहुत क्रुद्ध हो गया। जब गान्धीजी नेटाल्ले पहुँचे तो इन लोगोंने कानून अपने हाथमें लेकर गान्धीजीको जिल्दा जला देनेका प्रयत्न किया। जब गान्धीजी एक एडवोकेट लॉफ्टनके साथ टरवन जा रहे थे, कुछ यूरोपीय नौजवानोंने उनको देख लिया और 'गान्धी गान्धी' चिल्लाने लगे। फौरन ही कुछ यूरोपीयोंकी एक भीड़ जमा हो गयी जो बढ़ती ही गयी। किसीने लॉफ्टनको पकड़कर गान्धीजीसे अलग कर दिया। उसके बाद भीड़ने गान्धीजी पर ईंटों-पत्थरों और गड़े अडोंकी बौछार शुरू कर दी। किसीने उनकी पगड़ी छीन ली, जब कि दूसरे लोग उनको टोकरीं और धुँसोंने मार रहे थे। वे बेहोश हो गये और नरानेके लिए उन्होंने एक मकानके लोहके छप्पेको पकड़ लिया। फिर भी यूरोपीय उनपर शपथें और धुँसें और टोकरीं मारते रहे। सोभागवत पुलिस सुपरिंटेंडेंटकी बीबी जो गान्धीजीको पहचानती थी, उस समय वहाँसे गुजर रही थी। वह वहाँ पर आयी और अपना हाता मोलकर गान्धीजी और भीड़के बीचमें रौप्यी हो गयी। इस कार्यने भीड़की उत्तेजनको रोक दिया। फिर उनको पुलिसके करक्षेत्रमें उस मकानतक पहुँचा दिया गया, जहाँ उनको ठहरना था।

उनके यहाँ पहुँचनेके बाद ही यूरोपीयोंकी एक भीड़ परके सामने इकट्ठा हो गयी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट एलेक्जेंडरको जो वहाँ पुलिसके एक जर्भके साथ पहुँच गये थे, गान्धीजीका जीवन बचानेका एक उपाय सूझ गया। उन्होंने गान्धीजीको एक कॉस्टेबिलकी वरदी पहननेकी सलाह दी। गान्धीजीने ऐसा ही किया। गान्धीजी इस उपायसे परसे बाहर निकल गये और जबतक वे सुरक्षित स्थानपर नहीं पहुँच गये एलेक्जेंडर एक गाना गाकर भीड़का मनोरंजन करते रहे। गानेका आशय यह था—गान्धीको सट्टे सेवके पेड़पर लटककर फाँसी दे दो।

इससे पूर्व भी दक्षिणी अफ्रीकामें कई अवसरोंपर गान्धीजीका इसी प्रकार अपमान किया गया था।

बादमें कांग्रेसकी लंदन स्थित अंग्रेजी समिति (ब्रिटिश कमेटी आफ कांग्रेस, लंदन) ने दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके मतलेको अपने हाथमें ले लिया। नेटाल्ले कांग्रेसने अंग्रेजी समितिसे मतलेको उठानेका अनुरोध किया था।

१८९४ से कांग्रेसने दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रश्नपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उठी वर्ष कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सम्राज्ञीकी सरकारसे प्रार्थना की थी कि वह दक्षिणी अफ्रीकाके उपनिवेशोंमें बसनेवाली सनाश्रीकी भारतीय प्रजाको गताधिकारसे वंचित करनेवाले नेटाल्ले सरकारके विधेयकका निषेध कर दे।

१८९५ में फिर कांग्रेसके सम्मुख यह प्रश्न आया और अधिवेशनमें इस प्रश्नपर काफी बहस हुई। जी. परमेश्वरम् विल्लैने दक्षिणी अफ्रीकाकी सरकार द्वारा भारतीयोंपर लागू किये गये एक एक अयोग्यता प्रतिबन्धको गिनाया। जे. एम. सामन्तने एलान किया कि दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंको गताधिकारसे वंचित करनेवाला ऐक्ट (Act) पूरे

राष्ट्रका अपमान है। दूसरे वर्षके अधिवेशनमें श्री पिल्लैने ज्यादा स्पष्टतासे भाषण किया। उन्होंने कहा “दक्षिणी अफ्रीकामें हमें बिना पारपत्रके यात्रा करनेकी आज्ञा नहीं है, हम रातमें घूम फिर नहीं सकते, हमें पृथक् बस्तियोंमें रहनेको बाध्य किया जाता है, रेलोंमें प्रथम और द्वितीय श्रेणियोंके डिब्बोंमें प्रवेश करनेका हमें निषेध है। ट्रामोंसे हमें निवाल दिया जाता है। हमें सार्वजनिक सड़कोंपर चलने नहीं दिया जाता, हमपर धुका जाता है, हमारी लानत की जाती है, हमें कोता जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे ऐसे अपमान किये जाते हैं जिन्हें कोई भी इन्सान शान्तिसे बर्दास्त नहीं कर सकता।” १८९८ के कांग्रेस अधिवेशनको भी पिल्लैने, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीकाके बारेमें प्रस्ताव पेश किया था, बताया कि भारतीय प्रवासियोंके ऊपर दिन प्रतिदिन अधिक सख्त प्रतिबन्ध लागू किये जा रहे हैं। १८९७ में कांग्रेसने वाच्य किया कि भारतीय ‘स्थायी बन्धन अध्याय घृणित पॉल टैक्स’में से एकको स्वीकार करे। ट्रान्सवाल सरकार उनको ‘पृथक् बस्तियों’ में रहनेको मजबूर कर रही है। उनके लिए ये बस्तियाँ नगरके बाहर बसायी गयी हैं जहाँ कूड़ा फका जाता है और उनको “लाचारीसे कूड़ोंके ढेरोंके बीचमें रहना पड़ना है।” श्रीपिल्लैने कहा कि भारत सचिव लॉर्ड हैमिन्टनसे कोई आज्ञा नहीं है, उन्होंने तो “हमें वर्चस्वकी कौम माना है।” १९०० और १९०१ में विरोधमें प्रस्ताव पास हुए। १९०१ में तो गान्धी जी स्वयं अधिवेशनमें उपस्थित थे। उन्होंने अपनेको “दक्षिणी अफ्रीकाके एक लाख भारतीयोंको ओरसे प्रार्थना घोषित किया” और स्वयं प्रस्तावकी पेश किया। यहाँ हमें पहली बार गान्धीजीके तरीकोंकी एक झलक मिलती है। उनके अपने शब्दोंमें ‘कांग्रेस पण्डालमें गन्दगीकी कोई सीमा नहीं थी। हर जगह पानीके गड्ढे भरे हुए थे। पाखाने एकाध ही थे, वहाँ पेली हुई बंदसूजी यादमें अभीतक मेरा जी मचला उठता है। मैंने इस बातकी तरफ स्वयंसेकोई ध्यान दिलवाया तो उन्होंने मुझे माफ़ जवाब दे दिया “यह हमारा काम नहीं है, यह भगीका काम है।” मैंने साइड मागी तो वह आदमी आश्चर्यमें मुझे देखता रह गया। मैंने एक साइड ली और पाखानेकी सफाई कर दी। यह मैंने अपने लिए किया था। भीड़ इस कदर ज्यादा थी और पाखाने इस कदर कम थे कि उनकी बार-बार सफाईकी आवश्यकता थी। लेकिन यह मेरे बूतेके बाहर था।”

अधिवेशन आरम्भ होनेके दो दिन पूर्व ही गान्धी जी कलकत्ता पहुँच गये थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि ‘अनुभव प्राप्त करनेके लिए वे अपनी सेवाएँ कांग्रेस कार्यालयको अर्पित करेंगे। इसलिए वे कांग्रेसके दफ्तर गये। वहाँ क्या हुआ, इसका वर्णन इस प्रकार है— बाबू भूपेन्द्रनाथ वसु और श्रीयुत घोषाल मन्त्री थे। मैं भूपेन्द्रबाबूके पास गया और अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा ‘मेरे पास कोई काम नहीं है। सम्भव है घोषालबाबू तुम्हें कोई काम बता सकें। कृपारर बड़ी जाओ।’ इसलिए मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे ऊपरसे नीचेतक देखा और मुस्कराकर कहा “मैं तुमको विर्ग लिखा पढ़ीका काम दे सकता हूँ। क्या तुम यह काम करोगे ? “आवश्य” मैंने कहा “मैं प्रत्येक काम करनेको तैयार हूँ अगर वह कार्य शक्तियों बाहर नहीं है।” यही सही भावना है,

१. बेसेण्ट—‘हाऊ इण्डिया फॉर फ्रीडम’, पृष्ठ २३७

२. वही पुस्तक, पृष्ठ २७९-८०

३. गान्धीजी, आत्म चरित्र, पृष्ठ १७५

नवयुवक, अपने चारों तरफ खड़े हुए स्वयंसेवकोंसे उन्होंने कहा, क्या तुमने इस नवयुवककी बातें सुनी हैं? फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा 'अच्छा! यह चिट्ठियोंका ढेर निचटानेके लिए पड़ा हुआ है, वह कुर्सी ले लो और आरम्भ करो।' श्रीयुत घोपाल चपरासीसे अपनी कमीजके बटन लगवावा करते थे? मैंने चपरासीके यह काम खुद करनेकी अनुमति चाही। चूँकि बड़ोंके लिए मेरे दिलमें बड़ी श्रद्धा थी इसलिए इस काममें मुझे बहुत आनन्द आता। जब उन्हें इसका पता लगा तो अपने लिए की गयी मेरी छोटी मोटी सेवाओंको करनेसे वे मुझे न रोकते। वास्तवमें इससे उन्हें प्रसन्नता ही होती। मुझसे कमीजके बटन लगानेके लिए कहकर वे अक्सर कहते "तुमने देता, अब कांग्रेस मंत्रीके पास अपनी कमीजके बटन लगानेका भी समय नहीं है। उनके पास कुछ न कुछ काम हमेशा बना रहता है" श्रीयुत घोपालकी सरन्तापर मुझे हँसी आती, पर इससे ऐसे कामोंके लिए मुझे कोई अर्बुच नहीं उत्पन्न हुई।"

अपने ऊपर पड़े हुए कांग्रेस अधिवेशनके प्रभावोंके बारेमें गान्धीजी लिखते हैं—“यहाँ मैंने समयकी बर्बादी देखी। ग़ैद और धोभके साथ मैंने इस बातपर भी ध्यान दिया कि हमारे मामलोंमें अंग्रेजी भाषाकी अर्भातक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काम करते समय शक्तिका अपव्यय रोकनेकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था। एक आदमीका काम कई आदमी करते थे और बहुतसे जरूरी काम करनेके लिए कोई आदमी ही नहीं मिलता था।”

सन् १९०३ में सी० एफ० सीवराइट ऑस्ट्रेलियाके भारतीयोंकी ओरमें एक आवेदनपत्र लेकर आये जिसमें उन अपमानजनक प्रतिबन्धोंसे मुक्त करानेकी प्रार्थना की गयी थी जो उनपर लगाये गये थे। यह मसला भी दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके सवालके साथ ही जोड़ दिया गया और इस विषयपर पास हुए प्रस्तावमें कहा गया था कि—कांग्रेसका यह अधिवेशन महामान्य सम्राट्के दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य-अन्य अंग्रेजी उपनिवेशोंके भारतीयोंकी दारुण दशापर औपनिवेशिक सरकारों द्वारा उनपर लगाये गये अयोग्यता प्रतिबन्धों, परेशान करनेवाले नियमों और उनके परिणामस्वरूप सम्राट्की भारतीय प्रजा होनेके नाते उनकी स्थिति सम्बन्धी अप्रतिष्ठा और अधिकारोंके अपहरणपर गहरी चिन्ता व दुःख प्रगट करता है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीयोंके साथ पिछड़ी हुई व असभ्य जातियोंके समान किये गये तुरे व्यवहारका कांग्रेस विरोध करती है; और प्रार्थना करती है कि उपनिवेशोंकी उन्नतिके लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा किये हुए महत्वपूर्ण कार्य व भारतीयोंके उपनिवेशमें जाने और वहाँ बसनेसे भारत और उपनिवेश दोनोंको हुए आर्थिक लाभोंको दृष्टिमें रखते हुए भारत सरकार कृपा करके सम्राट्की यूरोपीय प्रजाके अधिकारोंके अनुरूप औपनिवेशिक भारतीयोंका अंग्रेजी नागरिकताके अधिकार और सुविधाएँ प्रदान करे।” १९०४ के कांग्रेस अधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियोंने उपनिवेशोंमें स्वयं भुगतें हुए कर्षकोंका वर्णन किया। कांग्रेस अधिवेशनने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा घोर भारतीय विरोधी कानूनके लागू किये जानेकी धमकीका जोरदार विरोध किया।

अब हम उम दौरकी तरफ आते हैं जिसको भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनोंका पूर्व-

१. वही पुस्तक, पृष्ठ २७७-७८

२. वही पुस्तक, पृष्ठ २७८-७९

अभिनय कहा जा सकता है। सर्वप्रथम १९०६ में ट्रान्सवाल सरकारके एक काले कानून ( ब्लैक ऐक्ट ) के खिलाफ सघर्षमें सत्याग्रह शब्दका, अहिंसात्मक युद्धके हथियारके रूपमें जन्म हुआ था। जब जुलू विद्रोह आरंभ हुआ तो ट्रान्सवाल सरकारने एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया जिसके द्वारा ट्रान्सवालमें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयको—स्त्री, पुरुष, बच्चे जो ८ वर्ष या उससे अधिकके हों, एशियावालोंके लिए नियुक्त रजिस्ट्रार ( Registrar of the Asiatics ) के पास अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती और रजिस्ट्री प्रमाणपत्र हासिल करना पड़ता। और जब कोई पुलिसका हाकिम मोंगे तो रजिस्ट्री प्रमाणपत्र उसके सम्मुख पेश करना पड़ता। यह कानून बहुत ही अपमानजनक था और इसका उद्देश्य ट्रान्सवालमें भारतीयोंको आजादीको कम करना था। आर्डिनेन्सने रजिस्ट्रारको अधिकार दिया था कि वहाँ बसनेवाले प्रत्येक भारतीयकी उँगलियोंके निशान ले लें। भारतीय बहुत परेशान थे। प्रमुख भारतीयोंकी एक समाजम आर्डिनेन्सके बारेमें सोच विचार करनेके लिए बुलाई गयी। उपस्थित लोगोंमेंमें एम्ने आयेगमें आकर कहा “अगर कोई मेरी बीबीसे प्रमाणपत्र मोंगने आया तो मैं उसकी गोली मार दूँगा और परिणाम भुगत दूँगा।” इसके बाद एक सर्वजनिक सभा की गयी जिसमें भारतीयोंने निश्चयपूर्वक घोषित किया कि यदि यह आर्डिनेन्स कानून बना दिया गया तो वह इसके सामने झुकने नहीं, और सब प्रकारके परिणामोंको बरदाश्त करनेके लिए तैयार रहेंगे। आर्डिनेन्सका एक प्रकारका सविनय प्रतिरोध करनेका विचार किया गया। लेकिन गान्धीजीके मस्तिष्कमें आन्दोलनकी जो रूपरेखा थी वह सविनय प्रतिरोधसे कहीं ऊँची थी। उन्हें यह लाभस्पद प्रतीत हुआ कि इस उच्च सघर्षका अंग्रेजी नाम हो। आन्दोलनका नाम मुझानेके लिए छोटा सा पुरस्कार रखा गया। सबसे अच्छा प्रस्ताव सदाग्रह ( सद् + आग्रह ) ( अच्छे उद्देश्योंमें दृढ़ता ) आया। गान्धीजीने अपनी धारणाके अनुसार इसमें मुधारकर इसे ‘सत्याग्रह’ नाम दिया जिसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार बताया “सत्य जिनमें प्रेम भी शामिल है और आग्रह माने दृढ़ता जिनमें शक्ति का बोध होता है।” निष्पक्ष प्रतिरोध अधिकारसे वंचितों और निर्बलोंका हथियार समझा जाता था। लेकिन गान्धीजीने कहा कि “किसी भी दशामें भारतीय आन्दोलनमें बर्बर शक्ति का कोई स्थान नहीं है।” और “सत्याग्रही कभी भी शारीरिक बलका प्रयोग नहीं करेंगे भले ही वे बलका प्रभावशाली प्रयोग करनेकी स्थितिमें हों।”

भारतीयोंने एक शिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजा ताकि सरकार ‘काले कानून’को रद्द कर दे। लेकिन इसके फौरन बाद ही ट्रान्सवालमें एक जिम्मेदार सरकार बन गयी। इस सरकार द्वारा बनाया गया पहला नियम एशियाई रजिस्ट्री ऐक्ट ( एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) था, जो २१ मार्च १९०७ को एक ही बैठकमें पारित कर लिया गया और १ जुलाई १९०७ को लागू कर दिया गया।

भारतीय नेताओंने रजिस्ट्रीके कार्यालयके सामने धरना देनेका निश्चय किया। बारहमे अठारह वर्षके स्वयंसेवक कार्यालय जानेवाली सड़कोंपर तैनात कर दिये गये। उनको समझा दिया गया कि वे कार्यालय जानेवाले प्रत्येक भारतीयके हाथमें एक-एक इस्तहार दे दें जिसमें इस काले कानूनके अन्तर्गत होनेवाले अपमानोंका पूरा-पूरा ध्वारा था। स्वयंसेवकोंको रजिस्ट्री कार्यालय जानेवाले किसी व्यक्तिको रोचना नहीं था; उनका काम शान्तिपूर्ण ढंगसे

समझाना था “अगर पुलिस उनको गाली दे या मारे तो उसे शान्तिसे सहन करें। यदि पुलिस उनको गिरफ्तार करे तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक आत्मसमर्पण कर देना चाहिये।” लगभग ५०० व्यक्तियोंने आज्ञापत्र प्राप्त किये; यह संख्या बहुत कम थी और ट्रांसवाल सरकारको इससे निराशा हुई। सरकारने रजिस्ट्रेशनके खिलाफ एक प्रमुख आन्दोलनकर्ता श्री राममुन्दरको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया। राममुन्दरको एक गारवी सार्दी कैदनी सजा मिली। लेकिन भारतीय समाजके हितमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ क्योंकि प्रमाण-पत्र लेनेके लिए अब कोई न जाता और सैकड़ों जेल जानेको प्रस्तुत थे ?

काले कानून ( ब्लैक ऐक्ट ) के खिलाफ शिक्षा देनेवाला प्रचार कई भाषाओंमें प्रकाशित—इण्डियन ओपिनियन (Indian opinion) नामक एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा किया गया। सरकार ऐक्टकी इतने बड़े पैमानेपर अवज्ञामें परेशान थी। उसने पूरे समाजको दण्ड देनेका फैसला किया। नेताओंको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भिन्न-भिन्न सजाएँ सुनायी गयीं व उनपर जुर्माने किये गये। गान्धीजीने रजिस्ट्रेशनमें प्रार्थना की कि वह गान्धीकी दूखे लोगोंमें अधिक सजा दे “क्योंकि यदि और लोगोंमें अपराध किया है तो मैंने ( गान्धीजीने ) गुस्तर अपराध किया है।” नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद सत्याग्रह आन्दोलनको नयी प्रेरणा मिली और सत्याग्रहियोंमें जेल भरने लगी।

जोहान्सबर्गसे निकलनेवाले दैनिक-पत्र ‘दी ट्रांसवाल लीडर’के सम्पादक अलवर्ट कार्ट-राइट द्वारा सरकारने पन्द्रह दिन बाद समझौता-वार्ता शुरू की। गान्धीजीको जनरल स्मट्ससे मिलनेके लिए जेलसे प्रीटोरिया ले जाया गया। स्मट्सने गान्धीजी और भारतीय समाजको बधाई दी कि वे लोग गान्धीजीकी गिरफ्तारीके बाद भी हट्ट बने रहे। और कहा “तुम लोगोंको मैं कभी नापसन्द नहीं कर सका। तुम जानते हो कि मैं भी वैरिस्टर हूँ। अध्ययन कालमें मेरे साथ कुछ भारतीय विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। यूरोपीय इस कानूनको चाहते हैं, और तुम मुझसे सहमत होगे कि उनमेंसे अधिकांशतः बोजर नहीं बल्कि अंग्रेज हैं। मैं तुम्हें विद्वत्ता दिलाता हूँ कि जैसे ही तुम लोगोंमेंसे अधिकांश अपनी इच्छासे रजिस्ट्री प्रमाण पत्र ले लेंगे, मैं काले कानून ( ब्लैक ऐक्ट ) को रद्द कर दूँगा। जब रजिस्ट्रीको कानूनी करार देनेवाले विधेयकका मसविदा तैयार हो रहा होगा, तुम्हारी आलोचनाके लिए एक प्रति मैं तुम्हें भेज दूँगा। मैं झगड़ेकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता, और तुम्हारे लोगोंकी इच्छाओंका आदर करना चाहता हूँ। समझौता स्वीकार हो गया, गान्धीजी व अन्य कैदी मुक्त कर दिये गये। लेकिन भारतीयोंको अब भी अपनी उँगलियोंके निशान देने पड़ते। इस बातमें बहुतसे लोग समझौतेके खिलाफ हो गये। एक पटानने एक सार्वजनिक सभामें गान्धीजीपर आरोप लगाया “हमने सुना है कि तुमने समाजके साथ गद्दारी की है और १५००० पौण्डपर हम लोगोंको जनरल स्मट्सके हाथ बेच दिया है। हम क्यों भी उँगलियोंके निशान नहीं देंगे। मैं अब्लाहकी कसम खाकर कहता हूँ कि जो भी रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र लेनेके लिए सबसे पहले जायगा, उसे मैं कत्ल कर दूँगा।” वास्तवमें घटनाएँ इसी प्रकार घटीं भी। एक दिन जब गान्धीजी रजिस्ट्री प्रमाणपत्र लेनेके लिए रजिस्ट्री-कार्यालय जा रहे थे तो रास्तेमें चट्टाई बनानेवाले भीर आलम नामक एक आदमी और उसके साथियोंने गान्धीजीपर टण्डोंसे हमला किया। वह ‘हे राम’ कहते हुए गिरकर बेहोश हो गये,

उसके बाद क्या हुआ, हमका उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब उनकी मरहमपट्टी हो रही थी, रजिस्ट्री अधिकारियोंके मना करनेके बावजूद और उनकी सलाहके खिलाफ वह उँगलियोंके निशान देनेपर ज़िद करते रहे “मैंने पहला रजिस्ट्री प्रमाणपत्र लेनेका प्रण किया है।” उन्होंने ऐसा ही किया। अपने आमरणकारियोंके लिए भी गान्धीजीने क्षमायाचना की, मगर कानून, कानून है। गान्धीजीकी देखा देखी बहुतसे भारतीयोंने रजिस्ट्री प्रमाणपत्र ले लिये। लेकिन समझौतेके विपरीत जनरल स्मट्सने वाले कानूनको कायम ही नहीं रखा, बल्कि भारतीयोंके खिलाफ एक नया कदम और उठाया जिसमें यह उपबन्ध किया गया कि निश्चित तिथि (जिसकी भारतीयोंने अज्ञात की थी) के बाद भी स्वेच्छासे प्रमाणपत्र लेनेवालोंके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायगी, और शेष व्यक्तियोंको कानून सख्त सजा देगा।

जनरल स्मट्सको वादेकी याद दिलाते हुए कई पत्र लिखे गये कि वे अपनी बातको पूरी करें, पर वे बिलबुल नहीं छुके। संघर्षको पुनः आरम्भ करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं था। हर जगह आदमी जेल जानेको प्रभुत थे। स्मट्सको एक पत्र, जिसे उसने चुनौती माना, भेजा गया। पत्रमें लिखा था कि यदि एशियाई ऐक्ट (एशियाटिक ऐक्ट) रद्द नहीं किया गया तो रजिस्ट्री प्रमाणपत्रोंको जला दिया जायगा, और भारतीय लोग “नम्रता परन्तु दृढ़तासे सब परिणामोंको भुगतनेके लिए तैयार हैं।” सरकारको ‘पंसला’ कर लेनेके लिए एन अवधि निश्चित कर दी गयी। अवधि समाप्त होनेके करीब दो घण्टे बाद, रजिस्ट्री-प्रमाण पत्र जलानेका सार्वजनिक उत्सव मगानेके लिए एक सभा बुलाई गयी और करीब दो हजार प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लिये गये। मिट्टीके तेलसे भरे कड़ाहमें ये तमाम प्रमाण पत्र झोंक दिये गये और आग लगा दी गयी।

यह दूसरे सत्याग्रह आन्दोलनकी शुरुआत थी। इस आन्दोलनके कार्यक्रममें एक दूसरा कानून भी शामिल कर लिया गया। यह कानून ट्रांसवाल आप्रवासी निरोध ऐक्ट (ट्रांसवाल इमीग्रेशन ऐक्ट) उनी वर्ष पाठ किया गया था जिस वर्ष काला कानून बनाया गया था। निरोध ऐक्ट (रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) का उद्देश्य नये आनेवाले भारतीयोंको ट्रांसवालमें प्रवेश करनेमें रोकना था। इसके द्वारा नेटालमें रहनेवाले भारतीयोंपर भी प्रतिबन्ध लग गया कि जप्तक, वे ऐक्टकी कुछ निश्चित धाराओंको पूरा न कर लें, उनको ट्रांसवालमें घुसनेका भी निषेध था। इन दोनों उद्देश्योंको लेकर चलनेवाला आन्दोलन आरम्भ हो गया। निरोध ऐक्ट (रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) का उल्लंघन करके नेटालके भारतीय ट्रांसवालमें गुप्त रहे थे और ट्रांसवालमें बसनेवालोंने नये प्रमाणपत्र लेनेमें इनकार कर दिया। अनुशासनबद्ध सत्याग्रहियोंने ये दोनों कानून तोड़े। वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। गान्धीजी भी गिरफ्तार कर लिये गये परन्तु वे दूसरे बन्दि्योंमें पृथक् रते गये। सततनाक बन्दि्योंके लिए निश्चित सनहार्ड कोठरीमें वे बन्द कर दिये गये। अधिकारोंकी रक्षाके संघर्षमें सत भारतीयोंका उत्साह इन गिरफ्तारियोंमें क्षीण न हुआ। सरकार चकरमे थी। चूँकि जेले ठसाठस भर चुकी थीं, इसलिए सरकारको दूसरे साधन अपनाने पड़े। सत्याग्रही ट्रांसवालसे बाहर भेजे जाने लगे, कुछको निष्कासित कर भारत भेज दिया गया। इस देशनिवालेकी कानूनी वैधतापर

प्रश्न उठाया गया और जब यह अवैध करार दे दिया गया तो निष्कासन रोक दिया गया। सरकार अड़ी हुई थी और सत्याग्रह अब लम्बा संघर्ष बन रहा था।

१९१२ में गोखले दक्षिण अफ्रिका गये। वहाँ भी गये उनका शानदार स्वागत हुआ। आश्चर्य था कि उनकी सभाओंमें कुछ यूरोपीय भी सम्मिलित हुए। सरकारने भी गोखलेका आदर किया। वे सरकारके मन्त्रियोंमें मिले और उनसे दो घण्टेकी भेंटके पश्चात् पूर्ण रूपसे संतुष्ट होकर लौटे। उन्होंने गांधीजीमें कहा—“तुमको एक वर्षमें अवश्य भारत वापस आ जाना चाहिये। हर चीज तय हो चुकी है। काल्प कानून ( ब्लैक ऐक्ट ) रद्द कर दिया जायगा। प्रवासी-कानून ( एमिग्रेशन ला ) से जाति-भेद निकाल दिया जायगा। ३ पौण्डवाला कर समाप्त हो जायगा।” गांधीजीके लिए, जिन्हें इस सरकारका भली भाँति अनुभव था, यह शत प्रति-शत विजयकी आशाका फूँट निगलना कठिन था। गांधीजीने उत्तर दिया “मुझे बहुत सन्देह है। आप मन्त्रियोंको उतना नहीं समझते जितना मैं। आपकी तरह मुझे इस मामलेमें उतनी आशा नहीं है। परन्तु साथ ही मुझे कोई भय भी नहीं है। मेरे लिए यह काफी है कि आपने मन्त्रियोंमें आश्वासन प्राप्त कर लिया है। आवश्यकता पड़नेपर संघर्ष करना और यह प्रदर्शित करना कि हमारा पक्ष न्यायपूर्ण है मेरा कर्तव्य है। आपको दिया हुआ आश्वासन हमारी भाँगोंकी न्यायप्रियता सिद्ध करनेमें सहायक होगा, और अगर आवश्यकता पड़नेपर संघर्ष करना पड़े तो इससे हमारी लड़नेकी भावनाको दृढ़ा बल मिलेगा। मैं नहीं समझता कि मैं एक वर्षके अन्दर भारत वापस लौट सकूँगा, कमसे-कम बहुतसे और भारतीयोंके जेल जानेके पूर्व तो मैं नहीं लौट सकूँगा।”

लेकिन गोखले गांधीजीके इस भयको सही नहीं समझते थे और उन्होंने फिर कहा कि “जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही होगा। जनरल बोथाने मुझमें वादा किया है कि काल्प-कानून ( ब्लैक ऐक्ट ) रद्द कर दिया जायगा और ३ पौण्डवाला कर समाप्त कर दिया जायगा। मैं कोई भी वहाना नहीं सुनूँगा, तुमको वारह महीनोंके अन्दर भारत अवश्य वापस आना पड़ेगा।”

गोखलेके वापस जानेके बाद जब आशावादी भारतीय ३ पौण्डवाले करके रद्द किये जानेके लिए दक्षिणी अफ्रिकाकी पार्लियमेंटमें आवश्यक नियम पेश किये जानेकी उम्मेद कर रहे थे, विधान सभामें अपनी जगहमें जनरल स्मट्गने कहा कि चूँकि नेटालके यूरोपीयोंको ३ पौण्डवाले करके रद्द करनेपर आपत्ति है, इसलिए यूनियन सरकार ३ पौण्डवाले करको रद्द करनेके लिए कानून बनानेमें असमर्थ है।

इस कारण सत्याग्रह आन्दोलनका तीसरा कार्य ३ पौण्डका कर रद्द करवाना बन गया। इस नयी बातने सत्याग्रहको एक नया उल्हास प्रदान किया। सत्याग्रहमें भाग लेनेके लिए अब औरतोंने भी नाम लिखाना आरम्भ कर दिया। सितम्बर, सन् १९१३ में औरतोंके एक जस्थने ट्रांसवालकी सीमा पार की और वह गिरफ्तार कर लिया गया। संघर्षमें औरतोंके भाग लेनेसे उल्हास पाकर और सरकारके रुखने उत्तेजित होकर, ट्रांसवालकी सीमासे ३६ मील दूर न्यू कासिलकी कोयलेकी खानोंके भारतीय मजदूरोंने ३ पौण्डवाले करके विरोधमें हड़ताल कर दी। मजदूरोंकी संख्या करीब पाँच या छ हजार थी और नव सत्याग्रह करनेकी तैयार थे। खानोंके मालिकोंने गांधीजीको यह विश्वास दिलानेके लिए उरवन बुलाया कि करको रद्द कराना उनके बसके बाहरकी बात है। लेकिन गांधीजीने कहा कि “मजदूरोंके

पास सत्याग्रहके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। ३ पौण्डवाला कर मालिकोंके हितमें लगाया गया है क्योंकि मालिक मजदूरोंसे काम तो लेना चाहते हैं लेकिन यह नहीं चाहते कि वे स्वतन्त्र व्यक्तियोंके रूपमें काम करें। इसलिए ३ पौण्डवाले करको रद्द करानेके लिए मजदूर हड़ताल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह मिल मालिकोंके साथ कोई अन्याय या अनुचित बात है।”

गान्धीजीने तब किया कि सत्याग्रहियोंकी यह 'सेना' ३६ मोल पैदल यात्रा करके ट्रांसवालकी सीमा पार करेगी। गान्धीजीके कथनानुसार यह भ्रम्य यात्रा २८ अक्टूबर १९१३ को आरम्भ हुई। यात्राके लिए अनुशासनके नियम बना दिये गये जिनका प्रत्येक सत्याग्रहीको कडाईसे पालन करना पड़ता। २००० पुरुषों, १२२ औरतों और ५० बच्चोंका सत्याग्रहियोंका यह जत्था सीमाके पास चार्ल्सटाउनमें रुक गया। यहाँमें गान्धीजीने सरकारको लिखा कि “सत्याग्रहो ट्रांसवालमें बसनेकी दृष्टिमें नहीं आना चाहते, उनका उद्देश्य केपल मन्त्रीकी वादाखिलाफोपर प्रभावशाली विरोध प्रकट करना और अपनी अप्रतिष्ठा या बेइज्जतीपर क्षोभ प्रदर्शित करना है। यदि सरकार हमको चार्ल्सटाउनमें ही जहाँपर हम हैं, गिरफ्तार कर ले तो हम सब तरहकी चिन्ता या आकुलतासे मुक्त हो जायेंगे।” उन्होंने सरकारको यह भी आश्वासन दिया कि यदि कर रद्द कर दिया जाय तो हड़ताल समाप्त कर दी जायगी। इसके बाद गान्धीजीने इन्हीं बातोंके लिए स्मार्टको टेलीफोन किया, लेकिन जनरलके सचिवने उत्तर दिया, “जनरल स्मार्ट्स तुमसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, तुम जो चाहे करो।” यात्रियोंमें दो औरतें अपने छोटे बच्चोंके साथ शामिल थीं। एक बच्चा तो सपरमें ही सर्दी लगनेसे मर गया और दूसरा बच्चा झरना पार करते समय अपनी माँ की बाँहोंसे गिरकर हूब गया। यात्रियोंमें गान्धीजी द्वारा सादा जीवन व्यतीत करनेके लिए परिवर्तित किया हुआ एक जर्मन कैलेनबॉक्स भी था। कैलेनबॉक्सको एक यूरोपीयने द्रव्य युद्धके लिए लल्लाया। यद्यपि कैलेनबॉक्स कसरती था, उसने जवाब दिया “चूँकि मैंन शान्ति धर्मको अपना लिया है, इस कारण मैं तुम्हारी लुनौती स्वीकार नहीं कर सकता। जो भी चाहे मेरे साथ बुरेसे बुरा व्यवहार कर सकता है।”

यात्रा चलती रही। गान्धीजीको गिरफ्तार कर एक मजिस्ट्रेटके सम्मुख पेश किया गया। लेकिन गान्धीजीने जमानतके लिए दरखास्त दी और मजिस्ट्रेटको जमानत स्वीकार करनी पड़ी। जमानत इसलिए स्वीकार करनी पड़ी कि खूनमें अपराधियोंके अतिरिक्त हाजिरीके लिए किसी भी अभियुक्तको जमानत दाखिल करनेका अधिकार प्राप्त था। गान्धी जो लौटकर फिर यात्रामें शामिल हो गये। अगले विश्राम स्थलपर वे फिर गिरफ्तार कर लिये गये, परिणाम फिर वही हुआ। गान्धीजीके पाँच मुख्य सहकारी भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। गान्धीजी तिवारा गिरफ्तार कर लिये गये। पोलक नामके एक यूरोपीयको गान्धीजीके स्थानपर यात्राका नेता नियुक्त किया गया। परन्तु दूसरे दिन ही १० नवम्बरको समस्त सत्याग्रहियोंको तैद कर तीन विशेष रेलगाडियोंमें भरकर नेटाल वापस भेज दिया गया। पोलक और कैलेनबॉक्स भी जेलमें बन्द कर दिये गये। गान्धीजीपर इण्डोमें मुद्दमा चलाया गया और उनको नौ माहकी सख्त कैदका हुकम सुना दिया गया। गान्धीजीने स्वयं अपने विरुद्ध अभियोग सिद्ध करनेके लिए गयाह पेश करके सरकारी अभियोक्तका कार्य आसान बना दिया।



गान्धीजीकी गिरफ्तारीसे प्रवासी भारतीयोंमें एक उमंगकी लहर दौड़ गयी और उनमेंसे कितने ही नेटालकी सीमा पारकर ट्रान्सवालमें चुगे । वे सब गिरफ्तार कर लिये गये ।

अब उन तीन विशेष रेलगाड़ियोंका भी हाल देखा जाय । मजदूरोंपर मुकदमा चलाकर उन्हें फौरन जेल भेज दिया गया । लेकिन साथ ही सरकारको यह खतरा पैदा हो गया कि अगर मजदूरोंको काम पर वापस नहीं भेजा गया तो खानें बन्द हो जायेंगी । इससे बचनेकी सरकारने एक तरकीब सोची । उसने खानोंके अहातोंको तारोंकी जालीसे घेर दिया और कहा कि ये ठण्डी और न्यूकैसिल जेलोंके ही बाहरी हिस्से हैं । खानोंके मालिकोंके यूरोपीय कर्मचारी ही इन जेलोंके प्रहरी ( गार्डर ) नियुक्त कर दिये गये । लेकिन कौड़ी इस चक्करमें नहीं पँस । उन्होंने काम करनेसे इनकार कर दिया । उनको बेरहमीसे कोड़े लगाये गये । घमण्डी लोग जिनको यह हुकूमत थोड़े ही दिनोंके लिए मिली थी, मजदूरोंको ठोकें मारते और उनको मालियाँ देते । न सिर्फ यह बल्कि मजदूरोंको वे ऐसे कष्ट देते और ऐसा दुर्व्यवहार करते जिसका कहीं भी आजतक उल्लेख नहीं किया गया । परन्तु मजदूरोंने यह तमाम कष्ट बड़ी शान्तिसे सहन किये । इन ज्यादतियों और निर्दयताकी खबर गोखलेको तार द्वारा भेजी गयी । गोखले संघर्षकी दिन प्रतिदिनकी खबरोंके सम्पर्कमें बराबर रहते । यद्यपि वे बहुत बीमार थे परन्तु उन्होंने रण-शय्यासे इस खबरका प्रचार किया । शोचनीय रण्णावस्थाके होते हुए भी गोखलेने दक्षिणी अफ्रीका सम्बन्धी तमाम कामको देखभाल स्वयं करनेका आग्रह किया । आखिरकार समस्त भारत दक्षिणी अफ्रिकाकी घटनाओंसे उद्देलित हो उठा और यह प्रश्न सबसे मुख्य प्रश्न बन गया । इस समयके भारतके बौद्धसाराय हाटिंजने मद्रासके अपने १३ दिसम्बर १९१३ के भाषणमें न सिर्फ सार्वजनिक रूपसे दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारकी कड़ी आलोचना की बल्कि सत्याग्रहियोंका पूरे दिलसे समर्थन किया, पणित और अनुचित कानूनके विरुद्ध उनके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके प्रति पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की । “इंग्लैण्डमें लार्ड हाटिंजके इस व्यवहारपर नुक्ताचीनी और आक्षेप किया गया । उन्होंने कोई पश्चात्ताप जाहिर नहीं किया बल्कि अपने व्यवहार व रवैयेका औचित्य सिद्ध किया ।”

हड़ताल, गिरफ्तारियाँ, कैद किये जाने और दमनकी खबर हर जगह फैल गयी “और हजारोंकी संख्यामें मजदूर अकस्मात और स्वतः प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रिकाके संघर्षकी हिमायतमें उठ खड़े हुए ।” सरकारने दमन, कल और खू की नीति अपनायी । उसने जबरदस्ती मजदूरोंको हड़ताल करनेसे रोका । छुटसवार-पौजियोंने मजदूरोंका पीछा किया और जबरदस्ती उनको कामपर घसीट लाये । मजदूरोंकी जरा सी भी काररवाईका जवाब रायफलकी गोली द्वारा दिया जाता था । मजदूरोंकी एक टुकड़ोंने जबरदस्ती कामपर वापस ले जाये जानेका विरोध किया । एक आधने पत्थर भी फेंके । उनपर गोली चला दी गयी । कुछ मारें गये और कई घायल हुए । लेकिन मजदूर इससे दबे नहीं । जो काम गोलियाँ नहीं कर सकी वह समझाने चुशानेसे हो गया । एक पारसी सज्जनने मजदूरोंको कामपर वापस भेजनेका बीड़ा उठाया । उन्होंने मजदूरोंसे बात की और उन्हें कामपर वापस चले जानेंके लिए समझानेंमें सफल हो गये । दक्षिणी अफ्रिकाके भारतीयोंका खाल संसारव्यापी बन गया और यूनिथन सरकार ( यूनिथन गवर्नमेण्ट ) सभ्य संसारके लोकमतका विरोध न कर सकी । उसने ( सरकारने ) तमाम मसलेकी जाँच करनेके लिए एक जाँच-समिति नियुक्त

की ओर अपने दिलमें पृणित फानूनाको रद्द करनेका निश्चय कर लिया। भारतीयोंने इस जॉच समितिका बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने जोर दिया था कि कम से कम एक सदस्य भारतीय हो परन्तु यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी। समितिकी सिफारिशोंके आधारपर इण्डियन रिलीफ विल नामसे एक विधेयक पार्लियामेंटमें पेश किया गया। ३ पौण्डवाला कर समाप्त कर दिया गया। बाकी दूसरी धाराएँ या तो रद्द कर दी गयीं या उनमें सुधार किये गये। गान्धीजी विजयी होकर १९१४ में भारत लौटे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें गान्धीजी और उनके साथियोंके साहसिक प्रयत्नोंकी तथा भारतके आत्मगम्मानकी रक्षाके लिए चलाये गये आन्दोलनमें उनके अद्वितीय बलिदानों और भारतीयोंकी शिक्षायत दूर करानेके प्रयत्नोंकी पूरी पूरी प्रशंसा की गयी थी। कांग्रेसके इसके पहलेके अधिवेशनोंमें भी दक्षिणी अफ्रिकाके प्रश्नपर बहस हुई थी तथा सहानुभूति और उत्साह वर्षक प्रस्ताव पास हुए थे।

लेकिन दक्षिण अफ्रिकाने गान्धीजीके सघर्षका अन्तिम चरण अभी शेष था। १६ मार्च १९१६ को मदनमोहन मालवीयने केन्द्रीय विधान परिषदमें शर्तबन्दी प्रथा, जिसके अन्तर्गत भारतीय मजदूर दक्षिणी अफ्रिका भेजे जाते थे, रद्द करनेका प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव तो वॉडसराय मदीदयने स्वीकार कर लिया परन्तु यह कहकर इसको बेकार कर दिया कि "यह व्यवस्था उचित समयकी अवधिमें तब रद्द की जायगी, जब मजदूरोंको भेजनेका इसकी जगहपर दूसरा उपयुक्त उपाय निकल आयेगा।" फरवरी १९१७ में मालवीयजीने फिर इस व्यवस्थाको तत्काल समाप्त करनेका प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति चाही, परन्तु वॉडसराय चेम्सफोर्डने अनुमति देना अस्वीकार कर दिया।

गान्धीजीने अब भारतव्यापी आन्दोलन चलानेका विचार किया और इसके लिए उन्होंने बम्बईमें यात्रा आरम्भ की। इम्पीरियल सिटीजनशिप एसोसियेशनके तत्वाधानमें एक सभा की गयी। सभाने एक प्रस्ताव द्वारा ३१ जुलाई अन्तिम तिथि निश्चित कर दी कि सरकार तबतक यह व्यवस्था समाप्त कर दे। दो सुझाव पेश किये गये थे, एक तो व्यवस्थाको 'तत्काल समाप्त' करनेका था और दूसरा 'जितनी जल्दी' सम्भव हो। लेकिन गान्धीजीने कहा कि 'चूँकि इन वाक्योंके गलत अर्थ लगाये जा सकते हैं, इस कारण कोई तिथि अवश्य निश्चित कर देनी चाहिये। दूसरे सुझावोंके प्रस्तावकोंने गान्धीजीकी यह बात मान ली। बम्बईकी सभाने अगुआई की और देश भरमें सभाओं द्वारा यही प्रस्ताव स्वीकार हुआ। गान्धीजी कराची, कलकत्ता, अन्य दूसरी जगहें गये, वहाँ सभाएँ की और गान्धीजीके शब्दोंमें 'सभाओंमें असीम उत्साह था।' पुलिसके खुफिये बराबर उनका पीछा करते रहे। एक मर्तबा तो उन्होंने गान्धीजीको कई रेलवे स्टेशनोंपर परेशान किया।

लेकिन गान्धीजी फिर विजयी हुए। जुलाई ३१ के पहले ही सरकारने घोषणा कर दी कि भारतसे मजदूर अब विदेश न भेजे जायेंगे।

## अध्याय १४

### काँग्रेस-लीग एका—लखनऊ समझौता

मुस्लिम लीगके दिसम्बर १९१० के नागपुर अधिवेशनके बादके दस वर्ष राष्ट्रीय एकता और अभूतपूर्व राजनीतिक चेतनाके दौरका समय है। इस दौरमें हम मुस्लिम नेताओंको अपने कंधोंसे अंग्रेजी जुआ उतारकर काँग्रेसके साथ कदम मिलानेके लिए तेजीसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह परिवर्तन नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष सैयद नवीउल्लाहके भाषणसे आरम्भ हुआ। उन्होंने नौकरशाहीपर आक्षेप करते हुए दावा किया कि सिविल सर्विसके अफसर मतभेद पैदा करनेके लिये जिम्मेदार हैं। उन्होंने अर्थात्कर्षा मुस्लिम राजनीतिकों छोड़ दिया और कहा कि पॉजी वयव आवश्यकतासे अधिक है तथा गाँग की कि सीमास्थित सेनाकी संख्यामें कमी की जाय। अधिवेशनने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठानेका निश्चय किया। १९१० के काँग्रेस अधिवेशनके बाद हिन्दू और मुस्लिम नेताओंने जनवरी १९११ में इलाहाबादमें एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलनसे विशेष लाभ तो न हुआ परन्तु भविष्यकी समझौता-वार्ताके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गयी।

कुछ ही समय बाद वंग-भंगका अन्त करनेकी सम्राटकी घोषणा हुई। हिन्दू प्रसन्न हुए। परन्तु मुसलमानोंके अंग्रेजोंके प्रति विश्वासको इस घोषणासे बहुत तीव्र धक्का लगा। मुसलमानोंका समाधान घोषणासे किस प्रकार होता, जब कि लार्ड कर्जनने उन्हें बार-बार बतलाया था कि पूर्वी बंगालका निर्माण उन्हींके लाभके लिए किया गया है और जिसके निर्माणमें हिन्दू और मुसलमानोंका इतना अधिक रक्त सागप्रदायिक दंगोंमें बह गया हो। आगाख़ाँकी सलाहके वावजूद कि वंगभंगका अन्त मुसलमानोंके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मुसलमानोंका बहुमत इसको बहुत बड़ा अपकार समझता था। नवाब सलीमुल्लाहने, जिन्होंने मार्च १९१२ में हुए कलकत्तेके लीगके अधिवेशनकी अध्यक्षता की थी, सम्राटकी घोषणापर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि नये प्रांत (पूर्वी बंगाल) से मुसलमानोंको कोई अतिरिक्त लाभ तो हुआ नहीं, हाँ, इस विभाजनने हिन्दू और मुसलमानोंके बीच एक खाई अवश्य पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यह कहना असत्य है कि हिन्दू-मुस्लिम मतभेदोंका कारण विभाजन है। असली कारण तो अंग्रेजोंके विरुद्ध क्रान्तिकारी कार्योंमें मुसलमानों द्वारा हिन्दुओंका साथ देनेसे इनकार करना था। अध्यक्षके भाषणमें निश्चित रूप में आत्म-आलोचनाका भाव सन्निहित था। चारों तरफ नैराश्य फैला हुआ था। मुसलमानोंको अंग्रेजोंके वादोंका अब भरोसा टूट रहा था। मुसलमानोंको हानि पूरी करनेके लिए यह कोशिश की गयी कि टाका विश्वविद्यालयको मुस्लिम विश्वविद्यालय करार दे दिया जाय। इस सिलसिलेमें एक शिष्टमण्डल लेफिटेनेण्ट गवर्नरसे मिला। लेकिन इस विचारका हिन्दुओंने विरोध किया क्योंकि शुद्ध इस्लामी विश्वविद्यालयके विचारकों वे (हिन्दू) हानिकर समझते थे। अलीगढ़ कालेजको मुस्लिम विश्वविद्यालयमें परिणत करनेके लिए हिन्दू-मुसलमानोंने धन एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था, क्योंकि कुछ मुसलमान अंग्रेजोंके प्रति संघटित

हो चुके थे और अंग्रेजी प्रसारका विश्वविद्यालय नहीं चाहते थे। इसी बीच हिन्दुओंका एक वर्ग हिन्दू विश्वविद्यालय कायम करनेमें प्रयत्नशील था। अधिक सुविधाओंके कारण बनारसमें वे हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करनेमें समर्थ हो गये, जब कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अभी-तक केवल स्वप्न ही था। सन् १९११ में दूसरे मुस्लिम देशोंकी घटनाओंने भारतके मुस्लिम नेताओंका ध्यान अधिक आकर्षित करना आरम्भ कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी अंग्रेजोंके प्रति भक्ति अब पिलाफत आन्दोलनके केन्द्र तुर्कोंके प्रति परिवर्तित हो गयी है। तुर्की साम्राज्य सड़कोंसे गुजर रहा था, हिलाल पतारमें था। १९११ के पतझड़में इटलीने तुर्कोंके खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और ट्रिपोलीपर घिना किसी बढ़ानेकी आड़के आक्रमण कर दिया। भारतीय मुसलमान भी इस घटनासे क्रुद्ध हो उठे क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि पूर्णतया नहीं तो आंशिक रूपसे अंग्रेज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सन् १९१२ में बाल्कनकी ताफतोंने जिन्होंने तुर्कोंके खिलाफ दृढतासे युद्ध करनेके लिए बाल्कन लीग (Balkan League) बना ली थी, युद्धमें ६ लाखसे ऊपर कौजी गिपाहियोंको लगा दिया और कॉन्स्टेण्टिनोपलको छोड़कर ज़ेप तुर्कोंको ध्वस्त कर दिया। “भारतीय मुसलमानोंमें तुर्कोंके प्रति आभ्यर्जनक रूपमें सहानुभूति उमड़ पडी। यों तो आक्रमणमें पूरे भारतमें सहानुभूति और आश्रुलता पैदा हो गयी थी, परन्तु मुसलमानोंमें तो वेदद आश्रुलता थी और प्रतीत होता था कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। डा० एम. ए. अन्सारीके नेतृत्वमें डॉक्टरीका एक शक्तिशाली मिशन तुर्की गया। गरीबोंने चन्दा दिया। जिस तेजीसे इस कार्यके लिए रुपया इकट्ठा हुआ, उस प्रकार भारतीय मुसलमानोंने कभी अपने उत्थानके लिए नहीं किया था। प्रथम महायुद्ध मुसलमानोंके लिए बडी गूढ़ समस्याका समय था क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्रोंका साथ दे रहा था। भारतीय मुसलमान असहाय थे और कोई सहायता न दे पाये। युद्धकी समाप्ति पर उनकी दबी हुई भावनाएँ पिलाफत आन्दोलनके रूपमें एनर्जम उभर पडीं।”

लेकिन तुर्कोंकी आंतरिक राजनीतिके कारण भारतीय मुस्लिम नेता दो तरफ बँट गये। तुर्कोंके नौजवान, जिन्होंने पश्चिमके राजनीतिक विचारोंको अपना लिया था, यह चाहते थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्कोंको आधुनिक बनाये। उन्होंने एकता और प्रगति तथ ( जिसको आमतौरपर ‘नौजवान तुर्क’ कहते थे ) नामी एक सस्था स्थापित की और जब उन्होंने देखा कि सुल्तान उनकी माँगोंको माननेको तैयार नहीं हैं तो उन्होंने क्रांतिकारी कार्योंका आश्रय लिया और सुल्तानपर आधिपत्य जमा लिया। भारतके अधिकांश मुसलमानोंको यह बात पसन्द नहीं आयी और उनकी सहानुभूति सुल्तानके साथ थी। लेकिन ऐसे भी मुसलमान थे, यद्यपि वे अल्पमतमें थे, जिन्होंने ‘नौजवान तुर्क’ ( जंग टर्क ) के इस कार्यका स्वागत किया, क्योंकि इससे वैधानिक और सामाजिक सुधारोंकी आशा बलवती हो गयी थी और भारतीय मुसलमानोंने सामने अनुसरण करनेके लिए एक आदर्श उपस्थित हो गया। मौलाना आजाद भी इसी अल्पमतमेंसे थे। आजादकी प्रारम्भिक शिक्षा काहिराके अल अजहर विद्यालयमें हुई थी। वे अभी नवयुवक ही थे कि अपनी अरबी व फारसीकी विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध हो गये। इस्लामी परम्पराओंमें पढे मौलाना आजाद मिस, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक और ईरानके मुख्य मुस्लिम

नेताओंके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आये और इन मुल्कोंके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासमें इनपर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डाला। जिन युद्धोंमें तुर्कों सन्धिगलित हुआ, उनके लिए आजादके दिलमें बहुत हृदयदर्दी और दिलचस्पी थी। अपने विचारोंके प्रचारके लिए आजादने चौबीस वर्षकी उम्रमें 'अल-हिलाल' नामका एक साप्ताहिक पत्र निकाला। पत्रके लेखोंको सरकार पसन्द नहीं करती थी। प्रेस कानून (प्रेस ऐक्ट) के अन्तर्गत अखबारसे जमानत माँगी गयी और आखिरकार सन् १९१४ में छापेखानेको सरकारने जप्त कर लिया। मौलाना आजादने एक दूसरा साप्ताहिक 'अल-वालाय' निकाला जिसको सरकारने १९१६ में बन्द कर दिया। 'मौलाना आजाद' बन्द कर लिये गये और वे लगभग चार सालतक नजरबन्द रहे। १९१२ में अंग्रेजीमें एक दूसरा साप्ताहिक 'कॉमरेड' निकला। मौलाना मुहम्मद अली इसके सम्पादक थे। मौलाना अपने राजनीतिक जीवनके आरम्भमें 'अलीगढ़-विचार धारा' के अनुयायी थे, और उग्र राजनीतिक विरोधी थे। "१९११ में वग-भंगके रद्द किए जानेसे उनको एक प्रबल आघात लगा और अंग्रेजोंकी नेकनीयतीमें उनका विश्वास डोल गया। वाल्कन युद्धने उनको उद्वेलित कर दिया और उन्होंने उद्वेगमें, तुर्कों और इस्लामी परम्पराओंपर जिनका तुर्कों प्रतिनिधित्व करता था, कई लेख लिखे। धीरे-धीरे वे अधिक अंग्रेज-विरोधी होते गये और प्रथम महायुद्धमें तुर्कोंके प्रवेशसे यह क्रम पूरा हो गया। 'कॉमरेड' में प्रकाशित एक प्रसिद्ध लेख 'तुर्कोंका निर्णय' ने अखबारका अन्त कर दिया। सरकारने 'कॉमरेड' का प्रकाशन बन्द कर दिया। इसके फौरन बाद ही सरकारने मौलाना मुहम्मद अली और उनके भाई शौकत अलीको जेलमें डाल दिया। ये दोनों युद्धकाल और उसके एक वर्ष बादतक नजरबन्द रहे। १९१९ के अन्तमें दोनों मुक्त हुए और तत्काल ही राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गये।"

इन घटनाओंका प्रभाव अलीगढ़ कॉलेजके विद्यार्थियोंपर पड़ना अनिवार्य था। १९१२ के वाल्कन युद्धसे वे इतने उद्वेलित हो उठे कि कष्टमें पड़े हुए तुर्कोंकी सहायताके लिए अपने खानेमेंसे पैसे बचाते। तुर्कोंके पक्षमें उत्साहकी इस लहरसे कुछ मुस्लिम सरकारी नौकर बचड़ा उठे, यहाँतक कि उन्होंने तुर्कों टोपियाँ पहनना छोड़ दिया।

१९१३ तक कांग्रेसके पार किये हुए पथपर लीग भी काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसी वर्ष मार्चमें मुहम्मद शफीकी अध्यक्षतामें लखनऊमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ। इससे एक नवीन मुस्लिम राजनीतिक युगका आरम्भ होता है। लीगके विधानमें संशोधन कर इसको शुद्ध राजनीतिक संघटन बना दिया गया। अभीतक इसके उद्देश्य थे कि "भारतीयोंमें ताजके प्रति भक्ति बढ़ायी जाय, मुसलमानोंके हितोंकी रक्षा की जाय, और बिना ऊपर लिखे उद्देश्योंको हानि पहुँचाये भारतके लिए उपयुक्त स्वायत्त शासन हासिल किया जाय।" मुख्य प्रस्तावोंमें मजहूरल हक द्वारा पेश किया हुआ प्रस्ताव भी था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय उन्नतिके लिए हिन्दू और मुसलमानोंको कन्धेसे कन्धा मिलाकर काम करना चाहिये। बहुतसे कांग्रेसी नेता, जिनमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं, अधिवेशनमें उपस्थित थे। बहुतसे मुस्लिम नेता तो लीगको और आगे ले जाना चाहते थे। शिवली नौमानी जैसे लोगोंने लीगके विधानमें 'उपयुक्त' शब्दकी खिस्ली उड़ाते हुए कविताएँ लिखीं। लेकिन इन्हीं शिवली नौमानीने १९०८ में "एक बहुत विद्वत्तापूर्ण लेखमें....."

यह सिद्ध किया था कि शासक सत्ताके प्रति भक्ति रखना मुसलमानोंका धार्मिक कर्तव्य है।”

सर इब्राहीम रहमतुल्लाकी अध्यक्षतामें दिसम्बर, १९१३ में लीगका वार्षिक अधिवेशन आगरामें हुआ। हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे रखनेपर फिर जोर दिया गया। लेकिन आखिरकार लोग केवल मुसलमानोंका संघटन थी और इस बातका प्रतिबिम्ब प्रस्तावोंपर पडना अनिवार्य था। एक प्रस्ताव द्वारा पैजाबादके जिलाधीशकी साम्प्रदायिक हाजडा रोक्नेके लिए गो वध रोक्नेकी आज्ञाकी निन्दा की गयी। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्थानीय मस्थाओमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वको बढानेकी माँग की गयी। कानपुरकी १९१३ की एक घटनासे मुसलमानोंके अग्रजोंके प्रति क्रोधको और बढा दिया। स्थानीय अधिकारियोंने अपनी सडक बनानेकी योजनाके अन्तर्गत एक मस्जिदका कुछ हिस्सा गिरवा दिया। इस घटनासे मुसलमानोंके धार्मिक भाव उत्तेजित हो गये और वे पौरन ही घटनास्थलपर जमा हो गये। भीडसे तितर बितर होनेकी कहा गया और उसके इनकार करने पर गोली चला दी गयी। हिन्दुओंने गोलीकाण्डकी निन्दा और मुसलमानोंके प्रति सहायुभूति प्रकट की।

सन् १९१४ में लीगका कोई अधिवेशन नही हुआ। अगले वर्ष श्रीमजहरुल हककी अध्यक्षतामें अधिवेशन बम्बईमें हुआ। श्री जिन्नाके प्रस्तावपर, दूसरे समाजोंके साथ परामर्श-कर राजनीतिक सुधारोंकी योजना बनानेके लिए एक समिति नियुक्त की गयी। कांग्रेस और लीगके एक दूसरेके इतना नजदीक आ जानेसे आगा राँकी बहुत परेशानी हुई और उन्होंने लीगसे त्यागपत्र दे दिया। १९१५ के वर्षमें मुसलमानों और अग्रजोंके बीचकी खाई और अधिक बढ गयी। तुर्कीके पक्षका समर्थन करनेके अपराधमें, मुहम्मद अली, शौकल अली और अबुल कलाम आजादके अतिरिक्त और कई मुस्लिम नेताओंको कैदकर नजरबन्द कर दिया गया। ये नेता, सैयद फजलुल हसन, हसरत मोहानी, महमूद हसन, हुसैन अहमद मदना व अजीज गुल थे। आरखरी तीन नेता जहाजपरसे कैद करके माल्टामें नजरबन्द कर दिये गये। कवि मुहम्मद इकबाल ऐसे भी लोग थे, जो इतने अधिक भयकर न समझे गये और इस वजहसे वे बच गये। कवि इकबाल इस्लामके और तुर्कीके कष्ट समर्थक थे और उन्होंने “हुस्सन न० १” अग्रजोंके विरुद्ध कई कठोर और मर्मभेदी कविताएँ लिखा।

तस्वीरका दूसरा रस देखनेके लिए हमें सर सैयद अहमद और नवाब मोहसिन-उल-मुल्कके तुर्कीके प्रति भावोंको देखना पड़ेगा। मृत्युसे कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने पान इस्लामी उम्मादमें बटे हुए मुसलमानोंकी अग्रज विरोधी भावनाके विरुद्ध सर्प किया। उन्होंने ‘अलीगढ इन्स्टीट्यूट-गज़ट’ में लेख लिखकर मुल्तानके खलीफाके पदके अधिकारका खण्डन किया और मुसलमानोंको यह समझाया कि यदि भारतके अग्रज शासक लान्छरीमें तुर्कीके प्रति प्रीतीपूर्ण नीति न बरत सके तो भी उनके प्रति बफादार रहना चाहिये। सन् १९०६ में नवाब साहबने घोषणा की कि भारतीय मुसलमानोंके खलीफा तुर्कीके मुल्तान नहीं हैं। उन्होंने हमपर जोर दिया कि अग्रजोंके प्रति राजभक्त रहना मुसलमानोंका धार्मिक कर्तव्य है।

१९१५ में लीगके अधिवेशनके अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा—“अग्रजी समाटकी सुरक्षामें देशकी जरूरतों और आवश्यकताओंके उपयुक्त रयायत शासनकी माँगकी आवश्यकता है।” उनका भाषण इन शब्दोंके साथ खत्म हुआ “हमें दुःख है कि हमारे खलीफाकी सरकार हमारे सम्राटके साथ युद्धमें संलग्न है। हमें अपने साथी धर्मा-

वलिभयोंको अंग्रेजी सैनिकोंसे कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ते देखकर प्रसन्नता होती। युद्धके बारेमें अपनायी गयी इस्लामी देशोंकी नीतिके बारेमें किसीकी कोई भी राय क्यों न हो, भारतीय मुसलमानोंकी न कभी यह इच्छा रही है और न हो सकती है कि अंग्रेजी और इस्लामी सरकारोंके बीच शत्रुता पैदा हो जाय। और मुसलमानोंका यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनोंमें शत्रुता पैदा हो गयी है। मेरी तपस्वीलमें जानेकी कोई इच्छा नहीं है लेकिन हमारे सहयोगी धर्मावलम्बियोंके बहुत बड़े बहुमत और काफी संख्यामें अंग्रेजोंका भी ख्याल है कि यह शत्रुता ब्रिटेनकी पिछली वैदेशिक नीति और कृष्णीतिज्ञताकी असफलताका परिणाम है। त्वैर ! जो भी हो, इस्लामके अनुयायियोंकी यह आन्तरिक उत्कट इच्छा है, कि जब भी अमन आये—और खुदाये हुआ माँगते हैं कि जल्दसे जल्द अमन कायम हो—मुस्लिम देशोंके साथ इस प्रकारका व्यवहार न किया जाय जो उनके लिए अपमान-जनक हो।”

अगले वर्ष लीग और कांग्रेसने अंग्रेजोंका सामना संयुक्त मोर्चा बनाकर किया। इस दौरेतक आनेके लिए कांग्रेसके पिछले तीन वर्षोंके इतिहासपर दृष्टि डालना आवश्यक है। सन् १९१३ में कांग्रेसका अधिवेशन कराचीमें नवान सैयद मोहम्मदकी अध्यक्षतामें संपन्न हुआ। वे खान बहादुर और जागीरदार थे, और सत्तरह वर्षोंतक प्रान्तीय अध्यापक केन्द्रीय विधान परिषदोंके सदस्य रह चुके थे। वे १८९४ से कांग्रेसके अधिवेशनोंमें सम्मिलित होते आ रहे थे और १९१५ में इसके महासचिव बने। अपने अन्तर्गततक राजभक्त, उन्होंने अंग्रेजोंके पक्षका औचित्य सिद्ध करनेकी चेष्टा की। “हम जो कुछ भी उन्नति करनेमें समर्थ हो सके हैं” उन्होंने कहा, “और मैं कह सकता हूँ कि गत ५० वर्षोंमें हमने विलक्षण उन्नति की है, इन सबका अधिकतर श्रेय हमारी सरकारकी प्रगतिशील प्रवृत्तियों और जनताकी जरूरतों और आकांक्षाओंके प्रति सहानुभूतिको है।” उन्होंने तो यहाँतक कहा कि “लड़ाओ और राज्य करो” की नीति सरकारकी नहीं है। अपने समर्थनमें उन्होंने भारत सचिवके भाषणका ( जो उन्होंने उसी वर्ष लोकसभामें किया था ) उल्लेख किया जिसमें लॉर्ड मांटेग््यूने कहा कि “मैं यह बात जोर देकर कहता हूँ कि यदि मुस्लिम और हिन्दू समाजके नेता आपसमें मिल-बैठकर, अपने बीचमें भिन्न परंपराओं और विचारोंमें मतभेदके कारण समय समयपर उठनेवाले सवाल्योंको तय कर लें तो सरकार उन्हें सहयोग देनेको सर्वदा प्रस्तुत है।” नवान सैयद मोहम्मदका विश्वास था “अंग्रेजी सरकारकी रक्षामें उन्नतिकी ऐसी कोई सीमा नहीं है जो हम पा न सकें।”

हिन्दुओं और मुसलमानोंके मतभेदोंका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानोंके राजनीतिक दृष्टिमें पिछड़े होनेका कारण उनका शिक्षामें पिसड्डीपन है। उन्होंने हिन्दुओंमें अपील की कि उन्नति और प्रगतिमें बाधक शिक्षाकी असमानताको हटायें।

कराची अधिवेशनने कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके लिए कांग्रेस लीग-एकताका रास्ता पक्का कर दिया। कांग्रेस और लीगके अधिवेशनोंमें नेताओंने एकता करनेकी भावना प्रकट की। इस बातपर जोर दिया गया कि दोनों संघटनों और समाजोंके आदर्श समान हैं। दोनों पक्ष इस बातका ईमानदारीसे विश्वास करते थे कि “दोनों की समान मानवभूमिकी उन्नति सब लोगोंके स्वच्छापूर्वक सहयोगपर निर्भर है।”

१. लवेटसे उद्धृत, वही पुस्तक (ए. हिन्दी ऑव दि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट) पृष्ठ

कांग्रेसने माँग की कि भारत सचिव और उसकी कार्यकारी समितिमें सुधार किया जाय और उनकी सनख्वाह अंग्रेजी सजानेमे दी जाय। यह प्रस्ताव मोहम्मद अली जिनाने पेश किया था। जिनाने भारत सचिवका जिक्र करते हुए कहा कि “वे भारतके किसी भी सुगल शासकसे बड़े सुगल हैं।” प्रस्तावमें माँग की गयी थी कि कार्यकारी समितिमें कुछ तो चुने हुए सदस्य हों और कुछ नामजद। निर्वाचित सदस्योंको केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदोंके निर्वाचित सदस्य चुनें।

१९१४ में जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया तो, कुछ लोगोंने राय दी कि कांग्रेस अधिनेशन करनेसे सरकारको हैरानी होगी। लेकिन कांग्रेस अधिनेशन, जैसा कि स्वागत समितिने अभ्यक्षते कहा, सम्राटके प्रति अडिग भक्ति और प्रेमका आस्वादन देनेके लिए हुआ। युद्धकी घोषणाके पूर्व कुछ कांग्रेसी नेताओंने जो उस समय भारत कार्यकारी (इंडिया कांसिल) के प्रस्तावित सुधारोंके सिलसिलेमें लन्दनमें थे, एक शिष्टमण्डल बनाकर भारत सचिवके द्वारा एक पत्र सम्राटको लिखा। शिष्टमण्डलमे सर्वश्री एम. ए. जिना, लाजपतराय, एन. एम. समर्थ, बी. एन. शर्मा और एस. एस. सिन्हा थे। उन्होंने “बादरी दुश्मनके खतरेके समय अंग्रेजी सिंहासनको” भारतकी पूर्ण राजभक्तिका विश्वास दिलाया और कहा कि “भारतीय जनता स्वच्छासे और सम्पूर्ण योग्यतासे सरकारके साथ सहयोग करनेको सत्तर्प प्रस्तुत है, और सरकारको अपनी सेवाएँ स्वीकार करनेका अवसर देनेकी इच्छुक है।” गान्धीजीने भी जो युद्ध-घोषणासे पूर्व लन्दन आ गये थे, भारत उप सचिव (अडर सेक्रेटरी आव स्टेट फार इण्डिया) को एक पत्र भेजा जिनमें उन्होंने लिखा:— “सम्राटके सफ़टके समय, हममेंसे बहुतोंने श्रेयस्कर समझा कि जब बहुतसे अंग्रेज अपना काम-धाम छोड़कर सम्राटकी सेवा करनेके लिए आ रहे हैं, तो हम भारतीय जो ब्रिटेनमें रहते हैं, और जिनके लिए सम्भव हो, तुरत ही बिना शर्त लगाये साम्राज्यकी सेवाके लिए प्रस्तुत हो जायें। अपनी तरफसे और उनकी तरफसे भी जिनके नाम परिशिष्टमे दिये गये हैं, अधिकारियोंको हमारी सेवाएँ अर्पित हैं। हम आशा करते है कि क्रिश्चके माननीय मारक्विज हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेगे। हम सादर इस बातपर जोर देना चाहते है कि इस समय जो विचार सर्वप्रथम हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है वह यह है कि हम जो कुछ भी क्षुद्र सहायता दे सकनेके योग्य समझे जायें, दें, जिससे हम सिद्ध कर दें कि यदि हम इस महान साम्राज्यकी सदस्यताकी विशेष मुविधाओंका उपभोग करनेके इच्छुक हैं तो उसकी जिम्मेदारियोंमें भी हिस्सा लेनेकी तैयार हैं।

अवधिनी लगभग पूरी समाप्तिपर तिलकको मण्डले जेलमें रिहा कर दिया गया था। छूटने पर वे कांग्रेसमें फिर शामिल होना चाहते थे, परन्तु नरमदलीयकी हैसियतसे नहीं। उनका तीन सूरी कार्यक्रम था (१) कांग्रेसका आपसी समझौता। (२) राष्ट्रीय दल (नैशनलिस्ट पार्टी) का पुनस्तपटन और होमरूल (स्वशासन) के लिए उद्वेलन प्रारम्भ करनेके लिए भूमि तैयार करना।

कार्यक्रमके पहले सूरीको ही कार्यान्वित करनेके लिए आवश्यक था कि कांग्रेस प्रति निधियोंके चुनावके क्षेत्रों विस्तृत किया जाय। १९०७ की फूटके बादसे कांग्रेसमें केवल नरम दलवाले ही रह गये थे और निर्ण नरमदलीय विचारधाराकी सखाओंको प्रतिनिधियोंका चुनाव करनेके लिए निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कालेजेज) की मान्यता मिली हुई थी।



तिलक चाहते थे कि कांग्रेसविधानमें संशोधन कर दिया जाय ताकि राष्ट्रीय दलके लोगोंको भी प्रतिनिधि चुने जानेका अधिकार प्राप्त हो। कुछ नेता इस संशोधनसे सहमत थे परन्तु गोखलेने इसका विरोध किया। गोखले समझते थे कि तिलकके कांग्रेसमें सम्मिलित होनेका अर्थ पुराने संघर्षकी पुनरावृत्ति होना ही होगा। पहले उन्होंने संशोधनके पक्षमें अपना मत दिया था, परन्तु फिर सोचकर अपना विचार बदल दिया। वास्तवमें संशोधन श्रीमती वेसेण्टने पेश किया। वेसेण्ट अभी हालहीमें कांग्रेसमें शामिल हुई थीं और वे नरम और राष्ट्रीय दलके लोगोंको एक साथ लानेके लिए प्रयत्नशील थीं।

१९१४ में भूपेन्द्रनाथ वसुकी अध्यक्षतामें कांग्रेस अधिवेशन मद्रासमें हुआ। प्रथम बार सम्राटके प्रतिनिधि (मद्रासके गवर्नर) अधिवेशनमें सम्मिलित हुए और उसकी काररवाईमें भाग लिया। जैसे ही वे पंडालमें आये, उपस्थित लोगोंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सम्राटके प्रति कांग्रेसकी वफादारीका विश्वास दिलाते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। ऐसा प्रबन्ध किया गया कि यह प्रस्ताव उस समय पेश किया जाय जब गवर्नर महोदय अधिवेशनमें पधारें। इस प्रस्ताव द्वारा 'अंग्रेजी सरकारके प्रति अटूट भक्ति' प्रगट की गयी। युद्धक्षेत्रमें भारतीय निपाहियोंकी वीरतासे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे लोगोंके हृदयोंमें यह आशा पैदा हो गयी थी कि इसका राजनीतिक पुरस्कार मिलेगा। लेकिन दूसरे लोगोंका विचार था कि 'स्वशासन' भारतका अधिकार है और अधिकारस्वरूप ही यह हमें मिलना चाहिये, पुरस्कारके रूपमें नहीं। इसी विचारको और अधिक विवक्षित करते हुए श्रीमती वेसेण्टने अनुग्रह पुरस्कारके प्रश्नपर बोलते हुए कहा कि "यहाँपर भारतकी राज-भक्तिका पुरस्कार मिलनेकी बात कही गयी है। परन्तु भारत सौदा और मोल-भाव नहीं करेगा कि अपने सपूतोंके रक्त और अपनी सुपुत्रियोंके अमूल्य आँसुओंके बदले हमको स्वराज्य दिया जाय। साम्राज्यकी प्रजा होनेके नाते भारत अपना अधिकार माँगता है, न्याय माँगता है। भारतने यह अधिकार युद्धसे पूर्व माँगा था। भारत युद्धकालमें यही माँग कर रहा है। भारत युद्ध समाप्त होने पर भी यही अधिकार माँगेगा। लेकिन पुरस्कारके रूपमें नहीं, बल्कि अधिकारके रूपमें। इस सिलसिलेमें कोई मिथ्या धारणा नहीं हो सकती।" यद्यपि यह बात स्पष्टतया सामने नहीं आयी, परन्तु अधिवेशनमें किये गये भाषणोंकी पृष्ठभूमिमें यह प्रश्न बराबर उठता रहा कि—भारत आखिर किस लिए युद्ध कर रहा है? अगर भारत साम्राज्यके लिए युद्ध कर रहा है, तो उसका पद वही होना चाहिये जो साम्राज्यके अन्य सदस्य-राष्ट्रोंका है। कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास किया—“वर्तमान संकटमें प्रदर्शित भारतीय जनताकी अटूट और गहरी राज-भक्तिको देखते हुए, कांग्रेसका यह अधिवेशन सरकारसे अपील करता है कि वह इस भक्ति और निष्ठाको स्थिर बनाये। सम्राटके भारतीय और दूसरे प्रजाजनों के बीचके ईर्ष्या उत्पन्न करनेवाले भेदोंको मिटाकर, २५ अगस्त १९११ को खरौतमें किये गये वादोंको पूराकर, और ऐसे क्रम उठाकर जिनसे भारतको साम्राज्यसंघके योग्य सदस्यकी मान्यता मिल सके और जनताके अधिकारोंका सम्पूर्ण और स्वतंत्र उपभोग किया जा सके, भारतकी राज भक्तिको साम्राज्यके लिए बहुमूल्य एवं स्थायी सम्पत्तिमें परिणत कर दे।” प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्रीमती वेसेण्टने कहा कि “अगर कलका बड़ा हुआ वोअर लोगोंका राष्ट्र जिन्होंने अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध किया, इस योग्य समझा जा सकता है कि उसको स्वतन्त्रता मिले तो भारत, जो इंग्लैण्डके लिए युद्ध कर रहा है और जिसकी गहान प्राचीन परम्पराएँ हैं, क्यों नहीं इस योग्य

हो कि उसे स्वतन्त्रता मिले, यमुने राष्ट्रपति के पदसे भाषण करते हुए कहा कि "देशका शासन अभी तक विदेशी सिविल सर्विसके हाथमें है। लगभग १४०० सिविल सर्विसके दारिगोंमें केवल ७७ भारतीय हैं। उन्होंने माँस की कि भारतीयोंको दृष्टिकार रत्नकका एक दिया जाय, पीजमें जिम्मेदारीके पद दिये जायें, साक्षात्कारी सेवामें नेतृत्व महण करनेका आसार मिले, और अपने घरोंकी रक्षाके लिए स्वयंसेवकोंकी सेना बनानेका अधिकार दिया जाय।" एक प्रस्ताव द्वारा दृष्टिकार कागून ( आर्म्स ऐक्ट ) में संशोधन करनेकी तथा अन्य प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय सरकारकी माँग की गयी।

सन् १९१५ में काम्रेसका तीसरा अधिवेशन बम्बईमें साइमरायकी मार्गारिणीके प्रथम भारतीय राष्ट्रिय सार सत्येन्द्रप्रसाद सिन्हाकी अध्यक्षतामें हुआ। कांग्रेसके इतिहासमें प्रथम बार ऐसा प्रतीत होता था कि काम्रेस नेतृत्वविहीन हो गयी है। भी गोराळे और फीरोजशाह मेहता दोनोंकी मृत्यु हो चुकी थी। याना और बन्दावरकर दोनों वृद्धावस्थाके कारण निष्क्रिय हो गये थे। तिलक अभी तक कांग्रेसके बाहर थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी "नयी विचारधारासे सहमत नहीं हो पाये थे। मदनमोहन मालवीय नरमदलीय विचारोंको लेकर कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी स्थितिमें नहीं थे और न उनमें इतनी शक्ति थी कि वे अपने विचारोंको मनया सकें।" गान्धीजी यद्यपि भारत आ चुके थे परन्तु वे राजनीतिमें भाग न ले सकते थे क्योंकि गोराळे उनके ऊपर भाग न देनेका प्रतिवन्दन रखा दिया था। गान्धीजीको सहाय दी गयी थी कि वे चुपचाप एक वर्षतक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियाँ अध्ययन करें। लेकिन गान्धीजीके बम्बई आनेसे प्रेसीडेन्सी ( हाते ) के गवर्नर लार्ड विलिंगटन व्यथ हो उठे। जैसे ही वे बम्बई पहुँचे, गोराळेने उन्हें सूचना दी कि गवर्नर साहब उनमें मिलनेको इच्छुक हैं। वे गवर्नर साहबसे मिले। भागूली बात करनेके बाद गवर्नरने गान्धीजीसे कहा "मे आपसे केवल एक बात चाहता हूँ और यह यह कि अब भी आप सरकार सम्बन्धी कोई कदम उठाये तो उससे पहले मुझसे मिल जरूर ल। गान्धीजीने उत्तर दिया "मे यह आश्वासन तो आपको आसानीसे दे सकता हूँ, क्योंकि एक सत्याग्रहीके रूपमें मेरा यह सिद्धांत रहा है कि जिन लोगोंसे मुझे गपवर्न करना है, उनके दृष्टिकोणको समझनेकी चेष्टा करूँ। और अर्हातक सम्भल हो उनके दृष्टिकोणसे सहमत हो सकूँ। दक्षिण अफ्रिकामें, मैंने इस नियमका कटाईसे पालन किया था और यहाँ भी यही करूँगा। लार्ड विलिंगटनने उन्हें भयगाद दिया और कहा कि "अब आपको इच्छा हो आप मेरे पास आयें और सब आपको पता लगेगा कि मेरी सरकार जान बूझकर कोई गलती नहीं करती।" वास्तविक गान्धीजीके उत्तरके बाद रत्नक हो गयी। गान्धीजीने कहा कि "यही विचार मेरा सबल है।"

बम्बई कांग्रेस अधिवेशनमें फिर नरमदलीय विचारधाराका आधिपत्य रहा। राष्ट्रीय और नरमदलीय राष्ट्रियोंके बीच समशीता करानेके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। स्वाभाविक था कि राष्ट्रपतिका भाषण सभी भूतपूर्व नरमदलीय राष्ट्रपतियोंके भाषणोंमें अधिक नरम हो क्योंकि सरकारसे उनका सम्पर्क बहुत गहरा रहा था। भी सीतारामगाने तो इस भाषणको "सबसे अधिक प्रतिनिधावादी भाषण कहा है" लेकिन अधिवेशनमें प्रतिनिधि बहुत संख्यामें सम्मिलित हुए थे। २२५९ प्रतिनिधियोंने इस सम्मेलनमें भाग लिया।

और सूरतको असफलताके बाद यह उपस्थिति एक बहुत बड़ी सामयिकी समझी गयी। श्री सिन्हाने अपने भाषणके प्रारम्भमें कहा कि "आज यह मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं एक बार फिर अपने आदर्शोंपर और प्रिय सम्राटके चरणोंमें भक्ति प्रकट करूँ।" ".....मेरा दूसरा कर्तव्य, अपने उन भाइयोंके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और अति प्रशंसा प्रकट करना है जो साम्राज्यकी सुरक्षा हेतु यूरोप, एशिया, और अफ्रिकाके युद्धक्षेत्रमें प्राणोंकी बलि लगाये हुए हैं। स्वराज्यकी माँगपर, राष्ट्रपतिने कहा "प्रतिनिधि दम्पुओं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतकी आकांक्षियोंकी 'स्वराज्य' का वही रूप सन्तुष्ट कर सकता है जिसका सुन्दर वर्णन राष्ट्रपति लिखने किया है, जनताका राज्य, जनताके लिए और जनता द्वारा।" जब मैं यह बात कहता हूँ तो निम्न मात्रके लिए भी मेरा यह आशय नहीं है कि हमारे ऊपर जो कृताचिद्योंसे भिन्न-भिन्न लोगोंका शासन रहा है उन सबमें अच्छा अंग्रेजी शासन नहीं है।"

सिन्हाके भाषणके अंशसे काफी विवाद उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा था "यदि आज अंग्रेजी राष्ट्र भारतको तत्काल ही बिना किसी शर्त और कीमतके पूर्ण स्वराज्यका दान देनेको प्रस्तुत भी हो जाय—जिनका आज कांग्रेसके सर्वाधिक मतभेद है वही यह बात सबसे ज्यादा अस्वीकार करते हैं कि अंग्रेज इसके लिए तैयार हो जायेंगे—तो कमसे कम मुझे इसमें सन्देह ही है कि इस प्रकारका दान लेनेके योग्य हम हैं भी, क्योंकि यद्यपि तो राजनीतिका साधारण सिद्धान्त है कि राष्ट्रोंकी भी व्यक्तियोंकी भांति आजादी ग्रहण करने योग्य बननेके लिए परिपक्वता प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। किसी भी राजनीतिक संस्थाके लिए कोई चीज इतनी हानिप्रद नहीं है जितनी कि अपरिपक्वता। और न हमको यही भ्रमना चाहिये कि स्वतन्त्र होते ही भारत अपनी प्राचीन गौरवमयी स्थिति पुनः प्राप्त कर लेगा।"

लेकिन सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी चेष्टासे कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि अब वह समय आ गया है जब कि सरकारको स्वराज्य देनेकी तरफ मुधारोंके कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये, सरकारी व्यवस्थाकी और अधिक उदार बनाना चाहिये ताकि जनताका सरकारी व्यवस्थान्तर प्रभावयुक्त नियन्त्रण हो सके, और इसके लिए 'प्रान्तीय स्वराज्य', जिसमें आर्थिक स्वतन्त्रता भी शामिल हो, तत्काल ही मिलना चाहिये। विधान परिषदोंकी बढाना चाहिये ताकि उनमें दानवर्गमें जनताके सभी वर्गोंका वास्तविक प्रतिनिधित्व हो और सरकारी प्रशासनपर उनका प्रभावशाली नियन्त्रण हो। प्रस्तावमें यह भी माँग की गयी कि वर्तमान कार्यकारी परिषदों (एक्जीक्यूटिव कमिटी) का पुनःसंघटन किया जाय और जिन प्रान्तोंमें अभी ये संस्थाएँ नहीं हैं वहाँ वे फैरन मुल की जायें; भारत सचिवकी कार्यकारिणीमें सुधार किया जाय या उसे समान कर दिया जाय; और स्थानीय स्वायत्त शासनको यथासम्भव आरम्भ किया जाय। प्रस्तावमें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिको यह अधिकार दिया गया कि वह मुधारोंकी योजना और शिक्षाप्रद तथा प्रचारार्थक अनवरत कार्यका एक कार्यक्रम तैयार करे। प्रस्तावका सदन महत्वपूर्ण अंश यह था कि सुधार-योजना बनानेके लिए कांग्रेस महासमिति, ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग से परामर्श करे। श्रीमती वेमेटने प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि "यह प्रस्ताव, कांग्रेसके मत ३० वर्षोंके गौरवशाली इतिहासमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सामने आये प्रस्तावोंमें सबसे महत्वपूर्ण है।" लीग और कांग्रेस

दोनों एक दूसरेसे परस्परिक सहयोगके लिए कटिबद्ध हो रही थीं। उसी समय हो रहे लीगके अधिवेशनमें कांग्रेसके कुछ प्रधान नेता सम्मिलित हुए। लीगने भी दूसरी राजनीतिक पार्टियोंसे परामर्श करके स्वराज्यकी योजना बनानेके लिए एक समिति नियुक्त की।" इस सहयोगकी भावनासे उपद्रवहीन लोगोंको हमारा कांग्रेसमें सम्मिलित होनेके लिए प्रेरित किया और अगले वर्ष वे कांग्रेसमें फिर आ भी गये। उनकी शक्ति भी काफी बढ़ चुकी थी। कांग्रेसने अंग्रेजी सरकारके प्रति भारतीय जनताकी निष्ठा प्रकट करते हुए; युद्धमें अंग्रेजोंके प्येय और पथको न्यायपूर्ण समझते हुए; और वॉइसराय लार्ड हार्डिंजके कार्यपालकों बढानेकी माँग करते हुए प्रस्ताव पास किये।

कांग्रेसने ऐसे गनोंके तत्त्वाधानमें, जिनको स्थापित हुए दो वर्षसे कम न हुए हों तथा जिनके उद्देश्य—“गान्धाजीके अन्तर्गत वैधानिक उपायोंसे स्वराज्यकी प्राप्ति हो”, सर्व जनिक सभामें निर्वाचित कर प्रतिनिधि मेजनेकी अनुमति देकर, राष्ट्र दलीय लोगोंके कांग्रेसमें आनेका रास्ता साफ कर दिया। तिलकने इयत्ता स्वागत किया और उन्होंने पौरन अपने दलकी कांग्रेसमें शामिल होनेकी इच्छा प्रकट की।

सन् १९१५ के कांग्रेस अधिवेशनकी एक विशेष घटना त्रिपय समितिने निर्वाचनमें गान्धीजीकी हार थी। तब राष्ट्रपतिकों गान्धीजीको नामजद करना पडा।

भारतीय राजनीतिमें अब एक नवीन युगका आरम्भ होता है। अलीगढ़ कॉलेजके प्रधानाध्यापक बेकने, इतने परिश्रमसे कांग्रेसी उद्देश्योंसे मुसलमानोंको जो पृथक् किया था, सन् १९१६ में वह सब मिट्टीमें मिल गया। कांग्रेस और लीग दोनों अपने आपस्व-अधिवेशन लखनऊमें किये। दोनों संघटनोंने, जो अमीत्य राजनीतिमें अलग अलग चलते थे पृथक्ताकी नीति छोडकर सुधारोंकी समुक्त योजना पेश की। राष्ट्रपति अभिवाचरण मजूमदार ने अपने भाषणमें गर्मसे कहा “हिन्दू मुस्लिम प्रश्न हल हो चुका है और दोनों जातियाँ स्वराज्यकी माँग समुक्त रूपमें करनेको सहमत हो गयी हैं। अभी हालमें ही दलदलसे अखिल-भारतीय कांग्रेस महासमिति और लीगके प्रतिनिधियोंने दो दिनोंके विचार विमर्शके बाद एक आवाजमें यह फैसला किया है कि भारतके लिए प्रतिनिधि सरकारकी समुक्त माँग पेश की जाय। अति आवश्यक समस्या सुलझ गयी है और मुख्य चीज हासिल कर ली गयी है।”

मजूमदार बफीश और खैरक थे और कांग्रेसके लगभग जन्ममें ही उनका उससे सम्बन्ध रहा था। उन्हें सफल बन्ना होनेका दुर्लभ गुण प्राप्त था। उन्होंने बग मंग विरोधी गान्दोलनमें सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने जनताको अनुशासित और स्वराज्यके लिए तैयार रहनेके लिए आह्वान किया। लीग और कांग्रेस दोनोंके समुक्त विचार विमर्शके फलस्वरूप बनी सुधारोंकी योजनाका मुख्य प्रस्ताव ‘लखनऊ समझौता’के नामसे प्रसिद्ध है। योजनाके दो भाग थे। प्रथम भागमें मुस्लिम समस्यापर विचार किया गया था और द्वितीय भागमें प्रस्तावित सुधार थे। प्रथम भाग, जिसकी कांग्रेस, लीग और भारत सरकारने भी स्वीकार कर लिया था, इस प्रकार था।

“नुमाज द्वारा मुख्य अल्पमतवादी जातियोंके प्रतिनिधित्वका उचित प्रबन्ध होना चाहिये तथा मुसलमानोंका प्राथमिक विधान परिषदोंके लिए निर्वाचन विशेष निर्वाचनों द्वारा निम्नलिखित अनुपातमें होना चाहिये।

(१) पंजाब—निर्वाचित भारतीय सदस्योंकी संख्याके आधे

(२) संयुक्त प्रान्त—निर्वाचित भारतीय सदस्योंकी संख्याके	३० प्रतिशत
(३) बंगाल—	४० प्रतिशत
(४) बिहार—	२५ प्रतिशत
(५) मध्यप्रान्त—	१५ प्रतिशत
(६) मद्रास—	१५ प्रतिशत
(७) बम्बई—	के एक तिहाई

शर्त यह थी कि कोई भी मुसलमान उन निर्वाचनोंको छोड़कर जो विशेष हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले निर्वाचकों द्वारा हुए हों, अन्य किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिषदोंके निर्वाचनमें भाग नहीं लेगा।

यह भी शर्त थी कि किसी भी गैरसरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक या प्रस्ताव या उसकी किसी भी धारापर जो एक या दूसरी जातिके ममलोंसे सम्बन्ध रखती है—और इसका निश्चय केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिषदोंमें उसी जातिके सदस्य करेंगे—विचार नहीं किया जायगा उस हालतमें जब कि सम्बन्धित जातिके तीन-चौथाई सदस्य उस केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिषदमें उस विधेयक या उसकी किसी धारा या प्रस्तावका विरोध करें।”

सुधारोंकी योजनाके द्वितीय भागमें माँग की गयी थी कि साम्राज्यके पुनर्संघटनमें भारतको पराधीनताके पदसे उटाकर साम्राज्यका एक बराबरीका हिस्सेदार स्वशासित राज्य मान लेना चाहिये। प्रान्तीय विधान परिषदोंमें कुल सदस्योंका ४/५ भाग निर्वाचित और १/५ नामजद होना चाहिये। जितना सम्भव हो सके उतने विस्तृत गताधिकार द्वारा परिषदके सदस्योंका सीधा निर्वाचन होना चाहिये।

प्रान्तीय गवर्नरों और उनकी कार्यकारिणीके सदस्योंको आमतौरपर भारतीय सिविल सर्विस ( इण्डियन सिविल सर्विस ) का सदस्य नहीं होना चाहिये। प्रशासन कार्यशक्ति, गवर्नर जनरलमें और प्रान्तोंमें, गवर्नरके हाथों तथा मंत्रियोंमें निहित होना चाहिये जिनमेंसे कमसे कम आधे मन्त्रिगण विधान परिषदके सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों। प्रान्तोंको आंतरिक मामलोंमें पूरा स्वराज्य होना चाहिये, और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओंका चयनमैत्र निर्वाचित होना चाहिये। केन्द्रीय विधान परिषदके सदस्योंकी संख्या १५० होनी चाहिये, जिनमेंसे ४/५ निर्वाचित होने चाहिये और इन ४/५ सदस्योंका १/३ भाग पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होना चाहिये। भारत सचिव और उसकी कार्यकारिणीको समाप्त कर देना चाहिये। केन्द्रीय विधान परिषदके लिए मत देनेवालोंके क्षेत्रमें वृद्धि होनी चाहिये। भारतको एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिये, और प्रत्येक जातिके लोगोंको इसमें प्रवेशका अधिकार होना चाहिये। लगभग इसी प्रकारका एक स्मृतिपत्र केन्द्रीय विधान परिषदके उर्लीस गैर सरकारी सदस्योंने वाइसरायको भेजा।

लेकिन कांग्रेस, जैसा कि लखनऊ अधिवेशनमें पास हुए प्रस्तावसे मालूम होता है, यह नहीं चाहती थी कि भारतको एकदमसे स्वराज्य दे दिया जाये। प्रस्तावमें कहा गया था “कि श्रीमान् सम्राट् कृपाकर यह घोषणा करें कि अंग्रेजो नीतिका यह उद्देश्य और विचार है कि भारतको जल्दी ही ‘स्वराज्य’ दे दिया जाय।” यद्यपि मुस्लिम लीगको वस्तुतः मुसलमानोंका प्रतिनिधि मान लिया गया था, लेकिन कांग्रेस-मंचपर कुछ मुख्य मुसलमान

नेता विराजमान थे। उनमें मुहम्मदअली जिना, राजा महमूदाबाद, गजहल्ल हक और ए. रंगल थे। अन्तिम सत्रजनने बग भंग विरोधी आन्दोलनमें मुख्य भाग लिया था। उग्र ग्मित नेताओंमें गान्धीजी भी एक कोनेमें बैठे हुए थे जिन्होंने अभीतरकी काररवाईमें कोई सार्विय भाग नहीं लिया था।

लखनऊ अधिवेशन ऐसे समय हुआ जब कि प्रथम महायुद्ध पूरी भीषणताते हो रहा था और कुछ शान्तिकारी भारतमें सरकार विरोधी कार्योंके लिए दूसरे देशोंसे हथियार लानेका प्रयत्न कर रहे थे। यू. पी. की सरकारने कांग्रेसकी स्वागत समितियों, अधिवेशनमें राजद्रोहात्मक भाषण न करनेके लिए चेतावनी भेजी। बंगाल सरकार जरिये मनोनीत अध्यक्षपर सरकारी आदेश जारी करवाया गया। परन्तु यू. पी. के गवर्नर सर जेम्स मेरटन अधिवेशनमें सम्मिलित हुए। अध्यक्षने उनका स्वागत किया जिसका सर जेम्सने एक सशिम भाषणमें जवाब दिया।

बिहारके शोषित किसानोंने एक बार फिर अपने यूरोपीय जमादारोंके विरुद्ध सर उठाया। इस प्रश्नने राजनीतिक नेताओंका ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेसने नील पैदा करनेवाले किसानोंके वारंमें, और नील बागानके मालिकोंके दुर्व्यवहारकी निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास किये और माँग की कि सरकारी और गैर सरकारी लोगोंको एक समिति इस वेतिहर शगड़ेकी जाँच करनेके लिए नियुक्त की जाय। गान्धीजीने इस शगड़ेके मूल कारणोंका अध्ययन करनेके लिए आगाभी वर्ष कुछ समय बिहारमें व्यतीत किया। बिहारकी कहानी अन्यत्र लिखी जायगी।

जैसा कि हम दूसरी जगह बता चुके हैं, १८९८ के ऐक्टके तीसरे विनियमनका सरकार खुलकर प्रयोग कर रही थी। बंगालके ५०० नजरबन्दोंमें ६० कैचट इसी विनियमनके अन्तर्गत नजरबन्द थे। यह आम विश्वास था कि नजरबन्दोंमें बहुतरते निर्दोष व्यक्ति भी थे। कांग्रेसने माँग की कि किसीको नजरबन्द करनेसे पहले सरकार स्पष्ट अभियोग बताये और अभियुक्तोंको अवसर दे कि वे विशेष अदालत (ट्रिब्यूनल) के सामने इन अभियोगोंका उत्तर दे सकें।

१९१६ में फिर गान्धीजी विषय समितिकी सदस्यतामें वचित होते होते बचे। लखनऊ अधिवेशनमें सम्मिलित प्रतिनिधियोंमें राष्ट्रीय दलके लोगों—तिलकके आदर्शियों—का बहुमत था। चूँकि विषय समितिका चुनाव प्रान्तीय-आधारपर होता था इस कारण सम्भवतः तिलकके आदर्शियोंका निर्वाचित हो गये। जब गान्धीजीका नाम पेश किया गया तो किसीने एक राष्ट्रीय दलमालेका भी नाम पेश कर दिया और उस समय जैसा वातावरण विद्यमान था, उसमें गान्धीजीको अधिक वोट नहीं मिले। परन्तु तिलकने उठकर घोषित किया कि गान्धीजी निर्वाचित हो गये।

मुहम्मद अली जिनाने १९१६ के लीग अधिवेशनकी अध्यक्षता की। अपने भाषणमें उन्होंने भारतकी समस्याका विश्लेषण किया कि “सम्रपमें हमारे यहाँ अम्रोज अपसरोंका एक कुशल अधिकारीवर्ग है जो केवल अम्रोजी लोक सभाके प्रति उत्तरदायी है। जो उदार निरपुत्र शासनके तरीकोंसे एउ ऐसी जनतापर हुकुमत कर रहे हैं जो अपने भाग्यकी अच्छी तरह जानती है और राजनीतिक आजादी पानेके लिए शाण्तिमय तरीकोंसे सघर्ष कर रही है। थोड़ेमें यह भारतकी समस्या है। यह अम्रोज राजनीतिशुताका काम है कि वह इस समस्याका,

शान्तिमय, तत्काल और स्थायी हल निकालें।” उन्होंने कहा कि हिन्दुओंकी भाँति मुसलमानोंकी आँसों भी भविष्यपर लगी हुई हैं। फिर उन्होंने सारगर्भ वातें कहीं कि “हमारे वृहत् प्रायद्वीपमें ३१ करोड़ ५० लाख मनुष्य रहते हैं, जिनमें विभिन्न जातियों, संस्कृतियों, और धर्मके लोग हैं। मनुष्योंका यह वृहत् समुदाय, एक ही प्राकृतिक और राजनीतिक वातावरणमें एकत्र होकर भी नैतिक और राजनीतिक विकासके विभिन्न स्तरों में है। इसके माने हैं कि दृष्टिकोण, उद्देश्य और प्रयत्नोंमें विभिन्नता होगी।” लेकिन उन्होंने जोर दिया कि भारतीय स्वराज्यके लिए अपनेको योग्य साबित करनेके लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। हिन्दू-मुस्लिम समझौता भारतीय एकताके जन्मका चोतक है। मुहम्मद अली जिजाने कहा कि मुसलमानोंके राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण रूपसे वही है जो हिन्दुओंके हैं। उन्होंने यह माँग की कि मुसलमानोंको स्वयं अपना खलीफा निश्चित करनेका अधिकार होना चाहिये।

लीगके प्रस्ताव कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावोंके लगभग अनुरूप थे। अधिवेशनमें एक दिन थोड़े समयके लिए लेफ्टिनेन्ट गवर्नर भी उपस्थित थे। जिजाने अपने आपको और लीगके नेताओंको सात करोड़ मुसलमानोंका स्वीकृत नेता घोषित किया।

उसी वर्षके आरम्भमें मुसलमानोंकी पान-इस्लामिक भावनाका फिर टेंस पहुँची। मकाके शरीफ ए. आजमने तुर्कीके सुल्तानके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोहसे लीगके कुछ प्रधान नेताओंको, जो समझते थे कि ‘शरीफ’ ने अँग्रेजोंके प्रोत्साहनमें विद्रोह किया है, खेद और शोक हुआ। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा की और “मकाके शरीफके नेतृत्वमें अरब विद्रोहियों और उनके समर्थकोंको इस्लामका शत्रु” घोषित करते हुए निन्दाका प्रस्ताव पास किया।



## अध्याय १५

### गदरका पड्यन्त्र

सद्युक्त घण्टीसे, जैसा कि हम पिछले अध्यायोंमें देख चुके हैं, विश्वके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले भारतीय भारतमें ब्रिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेके उद्देश्यसे सशस्त्र क्रान्तिकारक गठन करनेमें लगे हुए थे। सन् १९१४-१८ के महायुद्ध-कालमें उनके कार्योंमें खास तौरपर भारी उभार आया और विदेशोंसे हथियार जमा करके देशमें विद्रोह खड़ा करनेके इस बीज बड़े अक्षय्य प्रयत्न किये गये।

अमेरिका और कनाडामें उस समय प्रायः १५ हजार भारतीय, अधिकांशतः मिला थे, जो जीवित्तारी तलाशमें वहाँ गये थे और वहाँके विभिन्न पेशोंमें रतकर वहीं बस गये थे। एक पराधीन मानवृत्तिसिद्धि सन्तान होनेके नाते अमेरिकाके सामाजिक जीवनमें उनके विरुद्ध पक्षपात होता था। वे यह समझने लगे थे कि उनके आत्मसम्मानके लिए पहले भारतका विदेशी गुलामीसे मुक्ति पाना अनिवार्य है। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी हरदयालने इन लोगोंको इस उद्देश्यके लिए प्रयत्न करनेकी प्रेरणा प्रदान की थी।

हरदयाल दिल्लीके रहनेवाले थे। पञ्जाब विश्वविद्यालयमें कुछ दिनों अध्ययन करनेके बाद सन् १९०५ में वे एक सरकारी छात्र-वृत्ति पाकर आइरलैण्डमें अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिए इंग्लैण्ड चले गये। वहाँ उनके विचारोंमें परिवर्तन हुआ, और अपने अन्तरगतगी भावनाके प्रति ग्राह्य करनेके लिए उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति बंद कर धापस कर दी कि मैं शिक्षाकी अंग्रेजी पद्धतिको ही पसन्द नहीं करता। सन् १९०८ में वे स्वदेश लौटे और लाहौरमें एक राजनीतिक कक्षा आरम्भ की जिसमें उन्होंने आम बायकाट तथा सविनय अवज्ञा द्वारा सरकारको समाप्त करनेका उपदेश दिया। परन्तु सन् १९११ में वे मैनफ्रासिस्को गये जहाँ उन्होंने अमेरिकामें रहनेवाले भारतीयोंको विद्रोहके सिद्धान्तकी शिक्षा देनेके कार्यके लिए अपने आपको अर्पित कर दिया। उन्होंने सभाओंमें भाषण किये, और ऐसी राक्षसोंका सघटन किया जिनका सफल था कि “भारतमें ब्रिटिश शासन मिटा कर दम लेंगे।” नवम्बर सन् १९१३ में मैनफ्रासिस्कोमें आयोजित एक सम्मेलनमें अमेरिकाके विभिन्न भागोंसे आये हुए भारतीयोंने भाग लिया, १५ हजार डालर चन्दा जमा हुआ और “इण्डियन एंथ्रोपियेशन”की स्थापना की गयी। एंथ्रोपियेशनने सन् १८९७ के विद्रोहके स्मारकके रूपमें हिन्दी, उर्दू, मराठी और गुजरातीमें “गदर” नामक एक पत्रिका प्रकाशित करनेका निश्चय किया। बाद में एंथ्रोपियेशनका ही नाम उक्त पत्रिकाके नामपर “गदरपाटी” हो गया जिसके अध्यक्ष मोहन सिंह मखना और संपादक हरदयाल चुने गये। शीघ्र ही पार्टीकी सदस्य संख्या ५००० तक बढ़ गयी और अमेरिका तथा कनाडामें कुल मिलाकर इसकी ६२ शाखाएँ खुल गयीं। जापान में भी बरकतुस्लाहने पार्टीकी शाखा स्थापित कर दी। उसके बाद सभाओंमें मथुराप्रवादन और हागर्नगमें भगवानसिंहने शाखाएँ खोलीं। दूर दूर देशों जैसे मलाया, जापान, चीन, फिलीपाइन, फिजी, अजेंटाइनके भारतीय “गदर”का चन्दा भेजकर गाहक बनने लगे थे।

२१ दिसम्बर १९१३ के दिन सेन्ट्रामेण्टोमें आयोजित एक सभामें दादाभाईने कहा



कि जर्मनी इंग्लैण्डसे युद्ध छेड़नेकी तैयारी कर रहा है; अतः यही समय है जब हमें भारी क्रान्तिके लिए भारत जानेकी तैयारी करनी चाहिये। १६ मार्च सन् १९१४ को अमेरिकी अधिकारियोंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि उन्हें भारत वापस भेजकर भारत सरकारको सौंप दिया जाय। पर हरदयालने जमानतपर अपनेको रिहा करा लिया और चुपकेसे स्विट्जरलैण्ड भाग गये।

हरदयालके उपदेश जिन सिद्धान्तोंका प्रयोग करने थे वे ब्रिटिश कोलम्बियाके सिग्यों और अन्य भारतीयोंतक पहुँच चुके थे। सन् १९१३ के दिसम्बरमें वानकोवरमें आयोजित एक सभामें “गदर” से उद्भूत एक कविता पढ़ी गयी जिसमें भारतीयोंको ललकारा गया था कि अंग्रेजोंको भारतसे निकाल बाहर करें। ब्रिटिश कोलम्बिया, वेतनकी ऊँची दरोंके कारण, बहुतेरे पंजाबियोंको आशाका ध्रुवतारा जान पड़ता था। पर भारतीयोंके लिए वहाँ बसनेकी आशा पाना आसान न था। एक सज्जन गुरुदत्त मिहने, जो सुदूरपूर्वमें व्यापार करते थे, संकल्प किया कि भारतीयोंपर लगी हुई पाबन्दी तोड़कर रहेगे, और ३११ सिग्यों तथा २१ पंजाबी मुसलमानोंको लेकर जापानी जहाज “कामागोटा मार्स” पर ४ अप्रैल १९१४ के दिन हांगकांगमें खाना होकर वे २३ मईके दिन वानकोवर पहुँच गये। यह कनाडाके कानूनको साफ-साफ चुनौती थी जिसमें एशियावासियोंको कनाडामें प्रवेश करनेकी सुमानियत थी, जवतक कि उनके पास अपने देशकी सरकारसे प्राप्त पासपोर्ट और कुछ रुपया न हो। परन्तु गुरुदत्त सिंह और उनके साथियोंने इस आदेशकी उपेक्षा की और जहाजमें उतरनेका आग्रह किया। आदेशको लागू करनेके लिए पुलिस दल भेजा गया पर गुरुदत्त सिंह और उनके साथियोंकी गोलियोंकी मारसे पुलिसके डबके छूट गये। बादमें मजसूर पुलिसने जहाजको लंगर उठानेपर मजबूर किया और कुछ ही व्यक्तियोंको उतरनेका इत्तजान मिला। इस पूरी घटनाने उन लोगोंका गुम्मा उभाड़ दिया और वे द्रान्तिके विचारोंमें आंत-प्रांत होकर जहाज द्वारा भारत खाना हो गये। इसी बीच भारत सरकारने भारतमें “अवांछनीय विदेशियों” का भारतमें प्रवेश रोकनेके उद्देश्यसे “फॉर्गेन आर्डिनेन्स” जारी किया और इसके तुरत बाद “गदर-मनोवृत्तियाँके प्रवासी भारतीयोंकी वापसी पर गतिविधिपर नियन्त्रण रखनेके लिए “इंग्रेस आर्डिनेन्स” पारित कर दिया।

इन नियन्त्रणोंसे उन्नेजनाकी आगमें मानों घी पड़ गया। २४ मिनम्बर, १९१४ को इन लोगोंका जहाज हुगलीमें ठुसा, और जब २९ को बजबजपर लया तो अधिकारियोंने यात्रियोंको आदेश दिया कि “आप लोग सीधे रेलगाड़ीमें चले जाईं जो तैयार खड़ी है और बादमें आप लोगोंको बिना किराया पंजाब पहुँचा देगा। उन लोगोंने इस सुविधाको स्वीकार करनेसे इन्कार किया और उन्होंने विरोधस्वरूप कलकत्तामें मार्च करनेकी कोशिश की। उन्हें जबरदस्ती पीछे धकेला गया। यह व्यवहार मानों यात्रियोंके लिए जापानी हमला आरम्भ करनेका विगुल था। सड़कपर जमकर युद्धहुआ जिसमें १८ सिग्य मारे गये, बहुतेरे तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये और कुछकी तलाश जारी रही। वे भी बादमें पकड़ लिये गये।

इस घटनाने पंजाबके सिग्योंको सरकारके खिलाफ कर दिया और गयाके क्रान्तिकारियोंको भी इससे बड़ा दल मिला जो विदेशस्थित भारतीयोंसे दर-दर यही आग्रह कर रहे थे कि भारतमें गदर आरम्भ ही होनेवाला है जिसमें भाग लेनेके लिए सबको स्वदेश पहुँचना

चाहिये। इसी अपीलके परिणामस्वरूप करीब ८ हजार प्रवासो भारतीय अपने घरोंको वापस लौटे। सरकार इन सब वापस आनेवालोंपर मुस्तैदीसे नजर रख रही थी और जिनको सरकारने खतरनाक समझा उनमेंसे ४०० तो जेल भेज दिये गये तथा २९०० अपने अपने गाँवकी सीमाके भीतर नजरबन्द कर दिये गये।

“कोमागाटा मारु” जहाजके यात्रियोंकी कहानी दावानलकी तेजीसे पूर्वके सभी देशोंके स्वतन्त्रताप्रेमी भारतीयोंमें फैल गयी और मनीला, हागकाग, योधाई, और अमेरिकासे एकत्र होकर करीब १७३ भारतीय—मुख्यतः सिख—एक अन्य जापानी जहाज “तोसामारु” द्वारा कलकत्ता रवाना हो गये। जहाज २९ अक्टूबर, १९१४ को कलकत्ता पहुँचा। भारत सरकारको इस बीच अपने निजी सुत्रोंसे यह सूचना मिल चुकी थी कि यात्रियोंने अपनी बातचीतमें खुलेआम भारतमें पहुँचने पर विद्रोह आरम्भ करनेकी चर्चा की थी। भारत भूमिपर उतरते ही १०० तो जेल भेज दिये गये। जो बचे वे पंजाब पहुँचकर “कोमागाटा मारु” जहाजसे कुछ दिन पूर्व आये हुए अपने हमराहियोंको क्रांतिकी आग सुलगानेमें योग देने लगे। भावी क्रांतियुग सन्देश पूरे पूर्वमें फैल गया और “गदर पड्यन्त्र” शीघ्र ही ऐसे महान् आन्दोलनमें परिणत हो गया जो ऐतिहासिक महान् विद्रोहके बाद अभूतपूर्व था क्योंकि इसमें भाग लेनेवाले पंजाबके वीर वंशके लोग थे। “तोसामारु” के उन यात्रियोंमेंसे जिन्हें पंजाब जानेकी इजाजत मिल गयी थी, कुछ ही समय बाद ६ को पॉसी दी गयी, ६ को विविध पड्यन्त्र सम्बन्धी मुद्दामोंमें सजा मिली और ६ व्यक्ति गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये।

अधिकारियोंने, अपनी समझमें, “तोसामारु” के उन्हीं यात्रियोंको पंजाब पहुँचने दिया था जो निरापद थे या उन्हें खतरनाक नहीं जान पड़े थे, पर वही लोग पक्के जीवटके क्रांतिकारी साबित हुए। उन्होंने स्थानीय नेताओंसे सपर्क किया और देशके विभिन्न सुबोंमें मोर्चे बनाकर, अगली काररवाईके लिये तैयार हो गये। पूरे जोर शोरमें तैयारी की गयी जिसको “दिल्ली पड्यन्त्र” के प्रख्यात नेता रासविहारी वसुने पूर्णता प्रदान की। २१ फरवरी १९१५ आम विद्रोह आरम्भ करनेकी तरिफ नियुक्त की गयी और लाहौर उसका सदर दफ्तर तय किया गया। अमेरिकाके भारतीयों और स्वदेशके इन क्रांतिकारियोंके बीच बराबर सम्पर्क रहा। दिसम्बर १९१४ में एक युवा मराठा, पूना जिलेका विष्णु गणेश विंगले जो अमेरिकासे कुछ मिल क्रांतिकारियों सहित भारत लौटा था, पंजाबमें पहुँचा। उस युवकने पंजाबके क्रांतिकारियोंकी सभा बुलायी जिसमें जनक्रान्तिनी आम तैयारीपर भारतीय फौजोंको तोड़ने, हथियार प्राप्त एवं एकत्र करने, बम निर्माण, सरकारी खजाने लूटने और क्रांतिके लिए धन जमा करनेके उद्देश्यसे डाके डालने, आदि पर बहस की गयी। विंगलेने एक बगाली बम-विशेषज्ञका परिचय कराया और बम बनानेका सामान प्राप्त करनेके लिए लोग यत्र तत्र भेजे गये। उस समय रासविहारी वसु बनारससे आये और फरवरी १९१५ के आरम्भतक अमृतसरमें रहकर वे सिख क्रांतिकारियोंके साथ काम करते रहे। उत्तर भारत स्थित विभिन्न छावणियोंको, निर्धारित तारीखके लिए फौजी मदद प्राप्त करनेके उद्देश्यसे सन्देशवाहक भेजे गये। विद्रोहमें भाग लेनेवाले ग्रामीणोंके दमन सन्तुष्टि किये गये। “बम तैयार किये गये, हथियार इकट्ठे किये गये, क्षणैतक तैयार रखे थे,

सुदकी घोषणाका मसविदा बनाया गया, रेलों और तारोंको नष्ट करनेके लिए आवश्यक सामग्री जमा कर ली गयी।<sup>१</sup>

लेकिन ठीक उस समय, जब विस्फोटके पूर्वकी स्थिति एकदम तैयार थी, एक गुप्तचरने प्रस्तावित विद्रोहकी व्योरेवार सूचना सरकारको पहुँचा दी। १८ फरवरीको, ऐसे लोगोंको जो नहीं जानते थे कि पंजाबमें सशस्त्र विद्रोहकी योजना बन चुकी थी—यह देखकर विस्मय हुआ कि ब्रिटिश फौजें पंजाबके सभी प्रमुख कस्बोंमें तैनात कर दी गयी हैं। ६ हजार नेपाली सैनिकोंकी नियुक्ति भी खतरेके क्षेत्रोंमें की गयी। “नरीम ५००० व्यक्तियोंपर, सिर्फ पंजाबके भीतर, राजविद्रोहके लिए मुकदमा चलाया गया। ५०० क्रान्तिकारियोंका कोर्ट-मार्शल हुआ और उन्हें पाँसी दे दी गयी, ८०० को कालापानीकी सजा मिली, १० हजारको बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर लिया गया और काफी बड़ी तादादको बहुत दिनोंतक फरार रहना पड़ा। सरकारने प्रायः ५०० क्रान्तिकारियोंको अदमान भेजा। उनमें भार्द परमानन्द प्रमुख थे।”<sup>२</sup>

पूरी परिस्थिति समझानेके लिए कुछ घटनाएँ सविस्तर दी जा रही हैं।

१९ फरवरीको रासबिहारी बसुके प्रधान कार्यालयपर छापा मारा गया और ४ अन्य घरोंकी तलाशी ली गयी। १३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कुछ बग भी बरामद हुए। वहीं बरामद कागजातसे अधिकारियोंने यह नतीजा निकाला कि क्रान्तिकारियोंने लाहौर, फीरोजपुर और रावलपिण्डीमें एक साथ विद्रोह आरम्भ करनेकी सोची थी और बादमें उनका इरादा काफी व्यापक क्षेत्रमें—जिसमें बनारस और जबलपुरतक शामिल थे—विद्रोहकी लपटें फैला देनेका था। बंगालके कुछ क्रान्तिकारी, जो पंजाबकी योजनाओंसे अवगत थे, उसी तारीखसे पूर्वी बंगालमें ठीक उसी ढंगका विद्रोह आरम्भ करनेका इन्तजाम कर रहे थे।

इन रहस्योद्घाटनोंके बाद अधिकारियोंने विभिन्न स्थानोंपर छापे मारकर तथा गिरफ्तारियाँ करके आम-विद्रोहकी योजनाओंको काफी हदतक निष्फल कर दिया, पर प्राकृतिक रूपसे वस्तुस्थिति कुछ ऐसी थी कि देशमें शान्ति पुनः स्थापित करना करीब-करीब असम्भव था। २० फरवरीके दिन कुछ स्वदेश लौटे प्रवासियोंने जिनमें थानेमें तलब किया गया था, एक हवलदारको मार डाला और एक दरोगाको घायल कर दिया। १९ फरवरीको एक योजनाके मुताबिक रेलमें ४० व्यक्ति, कुछ सशस्त्र—“सम्भवतः फौजी शस्त्रागारों और टिपोंपर हमला करनेके लिए”<sup>३</sup> फीरोजपुर पहुँच गये थे परन्तु वे सफल नहीं हो सके क्योंकि म्युफिन्ने अधिकारियोंको पहले ही सावधान कर दिया था। मार्च महीनेमें कुछ प्रवासी भारतीय अंग्रेजोंके खिलाफ विद्रोह करनेके लिए फौजोंको उभाड़ते हुए गिरफ्तार किये गये; लुधियानामें ६ बग पकड़े गये और अनेक राजनीतिक उकैतियाँ टाली गयीं। स्वदेश वापस आने पर इन प्रवासियोंपर कड़ी नजर रखी जाने लगी और क्लकत्ता तथा लुधियानामें कुछ मित्वाकर पुलिसकी पकड़में आये ३,१२५ व्यक्तियोंमें ११९ जेलमें नजरबन्द कर दिये गये, ७०४ पर गौवसे बाहर न निकलनेकी पाबन्दी लगा दी गयी और शेष लोग, हालाँ कि उनकी भी निगरानी रखी

१. सेंटिशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १०८

२. धनञ्जय कौर—“सावरकर एण्ड हिज टाइम्स” पृष्ठ १३६

३. वही पुस्तक, पृष्ठ १०८

गयी पर, बिना किसी पाबन्दीके रहे। इकी-दुकी हत्याएँ, डकैतियाँ, क्रान्तिकारी साहित्यका वितरण विभिन्न स्थानोंपर चलता रहा।

लाहौर व अन्य स्थानोंपर आम गिरफ्तारियोंके बाद क्रान्तिकारियोंके ९ दलोंपर भारत रक्षा कानूनके मातहत वैठायी गयी असाधारण पंच अदालतके सामने मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमोंको "लाहौर पड्यन्त्र केस" कहा गया था। एक मामलेमें ६१ व्यक्तियोंपर, एक अन्यमें ७४ व्यक्तियोंपर और तीसरेमें १२ पर "बादशाहके खिलाफ जग छेड़ने" का हल्जाम लगाया गया था। इन महत्वपूर्ण मुकदमोंमें सबूतपक्षमें ८५५ और सपाईं पक्षसे १३१४ गवाह गुजरे थे। प्रायः सभी व्यक्तियोंको कड़ीसे कड़ी सजाएँ दी गयीं। सिर्फ २९ अभियुक्त बरी किये गये। २८ को फाँसी हुई और बाकीको कालापानी या विभिन्न मीयादोंको कैदकी सजा दी गयी। पहली अदालतने फैसलेमें लिखा कि "पञ्जाबमें राज-द्रोहकी भावना सन् १९०७ से वर्तमान है।" मुकदमेके दौरानमें यह भी पता चला कि मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पैजाबाद, लखनऊमें भारतीय सैनिकोंसे सम्पर्क स्थापित किया गया था हालाँकि सफलता नाममात्रको मिली "पर जो बीज बोया गया वह अवश्य ही कुछ सुसोबत दाता अगर २१ फरवरीको एक साथ विद्रोह आरम्भ करनेकी योजना समयसे पहले ही खुल न गयी होती।" दूसरे पड्यन्त्र केसके फैसलेमें कहा गया कि गाँवोंमें राज-द्रोहके उपदेश सक्रियतापूर्वक दिये गये और फौजी रेजीमेण्टोंमें भारतीय सैनिकोंको हिदायत दी गयी थी कि जैसे ही सप्रेम मिले, विद्रोह करने तथा मरने मारनेके लिए अपनेको एज्जस तैयार रखे। फरवरीकी निराशाके बाद भी क्रान्तिकारियोंने अपने प्रयत्न जारी रखे और छुदीले (?) नामक स्थानपर उन्होंने अट्टा जमाया। ११ जून १९१५ के दिन रेलके पुलको रक्षा करनेवाली एक रेजीमेण्टकी टुकड़ीपर हमला किया गया और २ व्यक्तियोंकी गोली लगनेसे मृत्यु हुई। पुलिसने ५ व्यक्तियोंको गिरफ्तार किया जिन्हें मुकदमेका दिखावा करनेके बाद, फाँसी दे दी गयी। सबूत पक्षके कथनानुसार पहले मुकदमेके अभियुक्त वे नेता और संघटनकर्त्ता थे जिन्होंने "हत्या, मारकाट, और लूटपाट" तथा सरकारको उपाह फंफनेका पड्यन्त्र और प्रयत्न किया था। पहले दलमें भाई परमानन्द भी थे। उन्होंने प्रथम महायुद्ध छिड़नेके बाद भारतका एक इतिहास लिखा था जिसका उद्देश्य पंच अदालतकी नजरमें "ब्रिटिश राजाधिराजकी सरकारके खिलाफ भारतमें अपमान एवं घृणा पैदा करके गदर पड्यन्त्रके सामान्य उद्देश्योंको आगे बढ़ाने"का ही था। तीसरे लाहौर पड्यन्त्र केसके गवाहने कहा कि कुछ क्रान्तिकारियोंने जिनमेसे कम से कम ३ बनाडासे आये थे, बकाकमें मिलकर बर्माकी ओरसे भारतपर हमला करनेकी योजना बनायी थी। अदालतने लिखा—“हमारे सामने स्पष्ट साक्ष्य है कि इस प्रकारकी नीयत थी अवश्य और वह सब गदर आन्दोलनका ही अभिन्न अंग थी जिसमें जर्मन गुप्तचरों या दलालोंकी भी दिलचस्पी थी। यह भी एकदम स्पष्ट है कि गदर आन्दोलनके नेताने सैनिकासिस्कोमें जर्मनोंसे मिलकर ब्रिटिश सरकारको मुसीबतमें डालनेके उद्देश्यसे किसी योजनाका बीजरूप स्थानमें अंकुरित एवं फल्लवित किये जानेके उद्देश्यसे तैयार किया था।” निर्णयमें आगे कहा गया कि "हमने देखा है कि 'युगान्तर आश्रम' (सैनिकासिस्को)में एक कागजके फोस्टरपर लिखा था—जर्मनोंसे मत लडो, वे हमारे मित्र हैं, और यह स्पष्ट रूपसे युद्धके बाद गदरका सिद्धान्तवाक्य था। हमने

देखा है कि गदर कार्यालयोंमें प्रकाशित साहित्य हर जगहके भारतीयोंमें वितरित करनेके लिए जर्मन प्रतिनिधि स्वयं ले गये थे, जर्मनीने भारतीय प्रतिनिधियोंको अमेरिकासे अफगानिस्तान, र्याम, मनोला, तिन्वत और तुर्की जानेके लिए और ब्रिटेनके विरुद्ध मुसौवत खड़ी करनेके लिए खर्च दिया था, सैनफ्रांसिस्को स्थित जर्मन प्रतिनिधिका रागचंद्रमं निकट सम्पर्क था और न्यूयार्क स्थित जर्मन राजदूत भारतीय क्रान्तिकारियोंको अपने खर्चसे जर्मनी भेज रहे थे, तथा जिस प्रकार भी सम्भव हो सहायताका प्रबन्ध करते थे।”

हरदयालने अमेरिकासे अन्तर्धान होनेके बाद बर्लिनमें भारतीय रिवालयूननरी सोसायटी खोल दी थी जिसका उद्देश्य था—भारतमें गणतन्त्रकी स्थापना। इसकी बराबर बैठकें होती थीं जिनमें तुर्क, मिस्री और जर्मन भी भाग लेंते थे। सोसायटीका एक ‘ओरियण्टल व्यूरो’ था जो जर्मनीमें भारतीय युद्धवन्दियोंकी क्रान्तिकारी साहित्यपर आग्या जागरित करता था। फेसलेके शब्दोंमें “जर्मन अधिकारियोंकी ओरसे भारतीय राजे-महाराजोंको लिखे गये उच्चेजात्मक पत्र जिनका मगविदा जर्मन सरकारने तैयार किया, अनूदित और मुद्रित होते थे और बैठकें होती थीं जिनमें भारत तथा जर्मनी दोनोंके समान उद्देश्योंपर जोर दिया जाता था—इन सभाओंमें अध्यक्ष-पद कभी-कभी अत्यन्त उच्च जर्मन अधिकारी ग्रहण करते थे।”

भारत सरकारने क्रान्तिकारियोंको सख्तसे सख्त लोभार्पक दण्ड दिलानेके उद्देश्यसे भारत रक्षा कानून पास करके कानूनकी साधारण पद्धति बदल दी थी। इस कानूनमें ‘क्रान्तिकारी अपराधों’के मुकदमोंके लिए ‘अग्राधारण पंच अदालतों’की व्यवस्था थी, कानूनमें न तो पंच अदालतोंके आगे किसी अन्य पंचले या क्षमादानकी गुंजाइश थी और न अपीलकी ही थी अतः किसीको भी जिसे पुलिस क्रान्तिकारी समझे, सजा देना काफी आसान कर दिया गया था। भारत रक्षा कानूनके नियमोंको सख्तीसे लागू किया गया, काफी बड़ी तादादमें लोगोंको बिना मुकदमा चलाये जेलमें नजरबन्द कर दिया गया और जिनके बारेमें साधारण से-साधारण शक हुआ उनपर विभिन्न प्रकारकी पात्रन्दियाँ लगा दी गयीं। कुछ पत्र-पत्रिकाओंपर प्रकाशनके पूर्व सेंसरके आदेश थे। तिलक और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओंको पंजावमें प्रवेश करनेकी अनुज्ञा नहीं थी। राजभक्त मिस्रोंकी सलाहकार समितियाँ बना दी गयीं थीं जिनका काम अपने धर्म-बन्धुओंको क्रान्तिपथसे विरत करना था। पंजावकी कहानीके उपसंहारमें राजद्रोह कंगेटीकी रिपोर्टने कहा कि “पंजावमें गदर आन्दोलन ऐसी स्थितिपर पहुँच गया था कि व्यापक रक्तपात होते-होते बाल-बाल बच गया।” पंजावके अफसरोंकी राय थी कि “अगर सरकारके पास भारत रक्षा कानून और इंग्रेम आर्डिनेन्स जैसे व्यापक शक्ति-वाले हथियार न होते तो गदर आन्दोलनका इतना शीघ्रतापूर्वक दमन नहीं हो सकता था।”

कुस्तुन्तुनियामें “जहान-ए-इस्लाम” नामका एक और पत्र मई १९१४ में निकला। उसमें अरबी, तुर्की और हिंदीमें लेख रहते थे। इसके उर्दू अंशको पंजावके अबू मय्यद तैयार करते थे। महायुद्धकी घोषणाके बाद इस पत्रके उर्दू अंशमें हरदयाल लिखित एक ब्रिटिश विरोधी अग्रलेख था। २० नवम्बर सन् १९१४ के अंकमें अनवर पाशाका एक भाषण छपा था जिसमें अन्य बातोंके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था—“यही समय है जब भारतमें गदरकी घोषणा हो जानी चाहिये, अंग्रेजोंके तोपखाने व शस्त्रास्त्रोंपर जबरदस्ती कब्जा करके, उनके हथियार लूटकर उन्हींसे उनका खात्मा कर देना चाहिये। भारतीय ३२ करोड़ तो हैं ही और अंग्रेज सिर्फ २ लाख हैं—उन्हें मार डालना चाहिये, उनके पास फौज

नहीं है। कुछ ही दिनोंमें तुम रोज नहरका नाका रोक देंगे। वह व्यक्ति जो सरकार अपने देश, अपनी मातृभूमिको आजाद करायेगा, हमेशा अमर रहेगा। हिन्दुओ और मुसलमानो। तुम दोनों पोजके सिपाही और भाई भाई हो, ये नीच अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें जेहादकी घोषणा करके गाजी बनना चाहिये और अपने भाइयोंसे मिलकर अंग्रेजोंको मारकर भारतको आजाद कराना चाहिये।” इस समय हरदयाल कुस्तु-गुनियामे थे। “जहान ए-इस्लाम” की प्रतियाँ लहौर और पलकत्तामें बिना मूल्य मिल सकती थी।

नवम्बर दिसम्बर १९१४ में पोजके एक अंशमें सिपाही-विद्रोह हो गया। यह सन्-पूर्वमें तुर्की सरकारसे भारतीयोंके सहयोगकी कहानी है। १९१३ में रगूनके एक व्यापारी अहमदमुल्ला दाऊदको रगून रिगत तुर्की सरकारके प्रतिनिधिका पद मिला और इस पद पर वे महासुद्धके आरम्भतक रहे। दिसम्बर सन् १९१४ के अन्तिम सप्ताहमें रगूनके एक मुजराती मुसलमान वासिम मसूरने रगूनमें अपने पुत्रको एक पग गेजा जिसके साथमें तुर्कीके प्रतिनिधि दाऊदके नाम सिमापुरकी दो रेजीमेंटोंमेंसे एक “गलय स्टेड्स गाइड्स” द्वारा भेजी गयी अपील तथा यह सूचना भी थी कि रेजीमेंट ब्रिटिश सरकारके विद्रोह करनेके लिए तैयार है। यह पग ब्रिटिश अधिकारियोंके हाथ लग गया और गलय स्टेड्स-गाइड्सका दूसरी जगह तबादला कर दिया गया। फिर भी विद्रोह, योजनाके मुताबिक, गलय स्टेड्सगाइड्समें न रही ५ वीं लाइट इन्फैंट्रीमें हो ही गया। ५ वीं लाइट इन्फैंट्री जिसमें सभी मुसलमान और अधिमासतः भारतीय थे, भारतमें हाथकागके लिए खाना होनेको भी और उसे ले जानेके लिए जहाज तैयार रखा था। “बटालियनकी सामरिक सामग्री एलेक्जेंड्रा बेरगोपर स्तरियोंपर लदी जा ही रही थी कि एक मोलीना पायर हुआ और इसने बाद तुरन्त ही चिनगारी भानों खाला बन गयी। राजभक्तिका दम भरोवाले वहीं मार गिराये गये और विद्रोहियोंकी तीन दुकानियाँ बन गयी। एक दुकानियोंके जर्मन नजरबन्दी शिविरके मतारियोंको पराभूत करने बन्दियोंको आजाद कराना था, दूसरीको ५ वीं इन्फैंट्रीके कर्नलके मकानपर हमला करनेका काम सौंपा गया और तीसरी सिमापुरसे आनेवाली कुमक-को रोकनेके लिए तैनात कर दी गयी। लेफ्टिनेन्ट माटगोमरी, नजरबन्दी शिविरके कमांडर, मोलीसे उठा दिये गये। इसके बाद भयानक हत्याकाण्ड मचा। अनेक ब्रिटिश अफसर और कुछ जर्मन जानसे मारे गये। विद्रोही इसके बाद जिस मोरेको भी जहाँ मिले वहाँ मार गिरानेके लिए आगे बढ़े। सबसे पहले एक मोटरकार मिली जिसे उन्होंने रोकनेके लिए हाथ दिया। जब वह न रुकी तो उन्होंने मोटरके अन्दर बैठे हुए जितानज और एक अंग्रेज व्यापारीको मोलीना निशाना बनाया और ने तत्काल मर गये। इसी प्रकार न जाने कितनी मोटर रोकी गयी और उनमें सवार मोरे मार डाले गये। बादमें न्यू मित्र रोडपर उन्होंने एक कार रोक ली जिसमें ५ व्यक्ति थे। उन्होंने दो अंग्रेजोंको मार डाला, तीसरेको मुर्दा समझकर छोड़ दिया, भारतीय शोकरको भी मार डाला, पर उसी दलमें एक महिला थी उसपर हाथ न लगाया। इसके बाद उन्होंने एक डाक्टर और उसकी पत्नीपर हमला किया—डाक्टरको मोली मार दी पर इस बार फिर उसकी पत्नीको छोड़ दिया। दूसरी टुरफीको तीन मोरे मिले जिनमें एक लेफ्टिनेन्ट ईलियट, स्पष्ट उन सैनिकोंके आगर भी थे—ने तीनों मार डाले गये। इसके बाद सैनिक एक बगलेसे होकर गुजरे जिसके परामर्दमें बैठे ३ अंग्रेज धूम-पान कर रहे थे—उन्हें भी मृत्युके घाट उतार दिया गया। उन विद्रोहियोंका उस स्थानपर

सोलहों आना कब्जा था—और ३ दिनतक यह कब्जा बना रहा। चाँथे दिन नयी रेजिमेंटें आयीं और उन्होंने पूरे तांगलिनपर, एलेक्जेंड्रा बैरको तथा नारगण्डानपर कब्जा किया। विद्रोहियोंके २ नेताओंको फाँसी दी गयी, ३८ को गोली मारी गयी—और ३ सजाएँ संरे बाजार दी गयीं। ३०० के करीब विद्रोही भागकर जंगलोंमें जा छिपे।<sup>१</sup>

एक अन्य रेजीमेण्ट जिसमें विद्रोह होते होते बचा था बग्घईकी १३० वीं बल्ची रेजीमेण्ट थी। नवम्बर १९१४ में इसके कुछ सिपाहियोंने अपने अपसरोंमेंसे एकको मार डाला, तब बतौर सजाके पूरीकी पूरी रेजीमेण्टका तवादला बग्घईसे रंगूनको कर दिया गया। वहाँ 'गदर' अखवारसे उसे क्रान्तिकी पूरी खुराक मिली और जनवरी १९१५ आनेतक वह नीचेसे ऊपरतक अंग्रेजोंसे नाराज और गदरके लिए तैयार हो चुकी थी। पर किसी प्रकार इसका सुराग लग गया और कठोर काररवाई द्वारा विद्रोह आरम्भ होनेके पहले ही मसल दिया गया। बल्ची रेजीमेण्टके २०० जवानोंका कोर्टमार्शल हुआ।

इसी बीच अलीअहमद सिद्दीकी और हकीम फहीम अली रंगूनमें एक गुप्त सोसायटी संघटित कर रहे थे जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेमें मदद करना। वे 'रिड क्रिसेंट सोसायटी'के सदस्यकी हैसियतसे बालकन युद्धमें तुर्की फौजको डाक्टरी मदद देनेके लिए भारतसे तुर्की गये थे। तुर्कीके महायुद्धमें शामिल हो जानेके बाद वे वापस आये और रंगूनमें बस गये। उन्होंने क्रान्तिके लिए धन और हथियार जमा किये। करीब करीब उसी समय हसनखाँ और सोहनलाल (बादमें सेनफ्रांसिस्कोसे आया हुआ प्रतिनिधि) बंकाकसे आये और रंगूनमें इसी उद्देश्यसे एक मकान किरायेपर लेकर रहने लगे। विभिन्न क्रान्तिकारियोंमें निकट संपर्क स्थापित हो गया पर सरकारको भी पता चल गया कि एक पड्यन्त्रकी भूमिका तैयार हो रही है। क्रान्तिकारी वर्गकी फौजी पुलिसमें जिसमें १५ हजार आदमी थे—विद्रोह करनेकी योजना बना रहे थे। पाठकने "मेमियो स्थित माउंटन बैटरीके कुछ लोगोंसे मिलकर इनकी सरकारकी सेवा करनेकी मूर्खतापर लथाड़ा।" अपने साथ वे जहाँन-ए-इस्लामकी एक प्रति, एक पतवाकी कई प्रतियाँ जिसमें "मुदाके बन्दोंसे नाखुदाओंको बरवाद करनेकी अपील" थी—गदर अखवारका एक अंक, बग न बारूद बनानेकी पूरी विधिका व्योरा, तीन आटोमेटिक पिस्तौलें और २७० कारतूस भी ले गये थे। पर एक वफादारने उन्हें गिरफ्तार करके अपसरोंके हवाले कर दिया। पाँच दिन बाद प्रायः इसी प्रकारके माल सहित उनके साथी नारायणसिंह भी मेमियोंमें गिरफ्तार कर लिये गये। रेजीमेण्टमें पंजाबके सिख और मुसलमान थे और मुसलमानोंके लिए पतवा काफी प्रभावशाली तरीका समझा जाता था।

रंगूनकी मुसलिम गदर पार्टीने अक्टूबर सन् १९१५ में बकरीदके मौकेपर गदरकी योजना बनायी थी और अपील की कि "बकरियों या गायोंके बजाय अंग्रेजोंकी कुरबानी दो।" पर यह विद्रोह मुलतवी कर दिया गया। "नवम्बरमें प्याबवे स्थित फौजी पुलिसमें एक गदर योजनाका भेद खुला और गदरमें काम आनेवाले रिवाल्वर, टाइनमाइट और अन्य वस्तुएँ पकड़ी गयीं।" कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

रंगूनकी इन काररवाइयोंके फलस्वरूप दो पड्यन्त्रके मुकदमे चले जो वर्मा पड्यन्त्र

१. लैफ्टिनेंट जनरल सर जार्ज मैकमन—"टरमायल एण्ड ट्रेजडी इन इण्डिया १९१४ एण्ड आफ्टर, पृष्ठ १०५-१३

केसके नामसे विख्यात हैं, और इनकी सुनवाई १९१६ में मॉडलेम विरोध अदालतके सामने हुई थी। अदालतने फैसलेमें लिखा कि "इसमें शक नहीं किया जा सकता कि पड्यन्त्रका आरम्भ सन् १९१२ में हुआ था, और इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारतको ब्रिटिश राजसे मुक्त करना—अंग्रेजोंको भारतसे बाहर निकालना और देशका शासन देशकी जनताको देना था।"

प्रान्तिकी लहर भारतके विभिन्न क्षेत्रोंमें और उसकी सीमाके बाहर भी फैल रही थी। अतः सीमा प्रदेशोंमें जो बहावी आन्दोलनके तूफानका केन्द्र हो चुका था—एक बार फिर उभार आया। पर बहावी उस्ताह और भावना वापस न आ सकी अतः ये प्रचलन भी निष्फल सिद्ध हुए। ब्रिटिश अधिकारियोंने आरम्भ होते ही इसे दबा दिया।

फरवरी १९१५ में लाहौरके १५ व्यापारी कालेजकी पढाई छोड़कर सीमान्त प्रदेशमें रहनेवाले विद्रोही भारतीयों—“मुजाहिदीन” से जा मिले। वहाँसे ये काबुल गये, जहाँ वे नजरबन्द कर लिये गये। वे बादमें रिहा कर दिये गये, पर उनपर निगरानी रक्ती गयी और उन्हें घूमने फिरनेकी पूरी आजादी नहीं थी। बादमें उनमेंसे तीनको रुसियोंने गिरफ्तार करके ब्रिटिश अधिकारियोंके हवाले कर दिया। उनकी योजना असफल हुई और उसके साथ ही बहावी आन्दोलनको पुनर्जीवित करनेका पहला प्रयत्न भी।

उसी वर्ष भारतमें एक योजना तैयार की गयी कि उत्तर पश्चिमी सीमापर आप्रमण करके और उसीके साथ देशमें विद्रोह आरम्भ करके ब्रिटिश शासनको समाप्त किया जाय। "इस योजनाको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए उर्बैदुल्ला एक धार्मिकपरिवर्तित सिख, जो सहारनपुर जिलेमें देवबन्दके मुसलमान धर्मके स्कूलमें दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, अगस्त सन् १९१५ के प्रारम्भमें तीन साथियों अब्दुल्ला, फतेहमुहम्मद और मुहम्मद अलीके साथ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्तको पार कर गये। रवाना होनेसे पूर्व उर्बैदुल्लाने दिल्लीमें एक स्कूल स्थापित किया था और दो किताब दस्ती तीरपर बाँटनेके लिए जारी की थी जिनमें भारतीय मुसलमानोंके धर्मके लिए अन्धे होकर मारने और मर जानेका उपदेश देते हुए जिहादको सर्वोपरि कर्त्तव्य बताया गया था।" उर्बैदुल्लानी रवानगीके गद्दीने भर बाद उनमें देवबन्द स्कूलके दो साथी मुहम्मद मिया अगारी और मुहम्मद हसन भी रवाना हुए—सीमा प्रान्तकी ओर नहीं हज्जाजने लिए, और १९१६ में असारी वहाँके तुर्की फौजी गवर्नर गालिबपाशाके हाथों लिखा हुआ जिहादका फतवा लेकर आये। रास्तेमें मुहम्मदने इस दस्तावेज "गालिबनामा" की नकल भारतमें और सीमास्थित क्वाइलियोंमें बाँटी। उर्बैदुल्ला और उनके मित्र सीमा प्रदेशमें कुछ दिन टहरनेके बाद काबुल चले गये जहाँ वे टर्की जर्मन शिष्टमण्डलसे मिले। अगारी भी उन्हीं लोगोंमें पहुँच गये। तब यह हुआ कि विद्रोहियोंको काम चलाऊ भारत सरकारकी स्थापना कर लेनी चाहिये जो अंग्रेजोंके भगाये जानेके बाद फौरन काम सम्भाल ले। इस काम-चलाऊ सरकारका राष्ट्रपति राजा महेन्द्रप्रतापजी और प्रधान मन्त्री बरकतुल्लानो बनाना तय हुआ। महेन्द्रप्रताप सन् १९१४ के अन्तमें भारतसे गये थे और जेनेवा जाकर वे हरदयालसे मिले थे। हरदयालने उनका परिचय जर्मन प्रतिनिधियोंके कराया था। बादमें उन्हें भारत सरकारने भारतसे निर्वासित कर दिया और स्वदेश वापस आनेकी अनुमति उन्हें सन् १९४७ में भारतकी आजादीके बाद मिली। बरकतुल्ला इयामजी कृष्ण बर्मामें मित्र थे और अमेरिकी गदरपाटीके सदस्य थे। वे कुछ समय तक



टोकियो विश्वविद्यालयमें हिन्दुस्तानीके प्रोफेसर रह चुके थे और वहाँसे उन्होंने “इस्लामिक फ्रैटरनिटी” नामके त्रिटिश विरोधी पत्रका सम्पादन भी किया था जिमका जापानी अधिकाधिकारियोंने प्रकाशन बन्द कर दिया। वहाँसे बर्खास्त होनेके बाद वे अमेरिका पहुँचे। “काम-चलाऊ भारत सरकार” ने अपना काम भी विधिवत् आरम्भ कर दिया और रूसी तुर्किस्तानके गवर्नर तथा तदनन्तर रूसके जारको पत्र लिखे गये थे जिनमें रूसको त्रिटिनकी मंत्रीका जागा उतारकर भारतमें अंग्रेजी राज्यका नामोनिश्चान मिटानेमें मदद करनेका निमन्त्रण दिया गया था। इन पत्रोंपर गेहेंद्रप्रतापके हस्ताक्षर थे। ये वादमें त्रिटिश सरकारके हाथमें पड़ गये। काम-चलाऊ सरकारने तुर्का सरकारसे मैत्री सन्धि करनेका भी प्रस्ताव किया था और एक फौज संघटित करनेकी व्योरेवार योजना भी तैयार की थी।

मार्चमें जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी यूरोपमें बगवर्द्ध आये और जर्मन मददके वादे भी माँगे लिये। वे कलकत्ता गये और बंगालके क्रान्तिकारियोंको उन्होंने यह मन्देश दिया तथा बटावियामें एक प्रतिनिधि भेजनेका आग्रह किया।

फलतः नरेन्द्र भट्टाचार्य अप्रैलमें सी० मार्टिनके फर्जी नामसे वहाँके जर्मनोंसे पूरी योजना तय करनेके लिए बटाविया भेजे गये। बटाविया पहुँचने पर मार्टिनका परिचय जर्मन प्रतिनिधिने एक थियोडोर हेल्फरिचसे कराया जिमने बताया कि हथियारों और गोली बारूदमें लड़ा हुआ एक जहाज “गैवरिक” कराची भेजा जा चुका है। परन्तु मार्टिनके गुहावपर और जर्मन थोडार्ड राजदूतसे सलह करके यह तय हुआ कि जहाज कराची न जाकर बंगाल जाये। कहा जाता था कि जहाजमें ३०००० रायफल, प्रत्येकके लिए ४०० कारतूस और २ लाख रुपया था। मार्टिन जूनके मध्यमें इस मालको उतरवानेका इन्तजाम करनेके लिए भारत लौट आये। इस बीच मार्टिनने “हेरी एण्ड सन्स” के फर्जी नामवाली संस्थाको कई बार थोड़ा-थोड़ा करके कुल करीब ४३०००) भी भेजा। तय हुआ कि पूरा माल ३ भागोंमें बाँटा जाय और (१) हटिया, पूर्वी बंगाल (२) कलकत्ता और (३) बालासोर, भेजा जाय। विद्रोहकी पूरी योजना तय कर ली गयी। क्रान्तिकारियोंने विचार किया कि वे संख्यामें इतने काफी हैं कि बंगालकी फौजोंसे निपट सकते हैं, परन्तु डर यह है कि कहीं बाहरसे मदद न आ जाय। इसलिए उन्होंने तय किया कि प्रमुख पुलोंको उड़ाकर बंगालमें बाहरसे आनेवाली तीनों रेल लाइनोंको रोक दें। जतीन्द्र मुकर्जी, भोलानाथ चटर्जी और सतीश चक्रवर्ती इस कामपर लगा दिये गये। नरेन्द्र चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्तीसे कहा गया कि वे हटिया जायें, वहाँ एक दल बनायें और पहले पूर्वी बंगालके जिलोंपर कब्जा करके फिर कलकत्तेपर धावा करें। कलकत्तेके दलका, नरेन्द्र भट्टाचार्य और विपिन गांगुलीके नेतृत्वमें काम यह था कि वह सबसे पहले कलकत्तेके आम-पासके सभी सरकारी शस्त्रास्त्रों व शस्त्रालयोंपर कब्जा कर लें। तब यह हुआ कि “गैवरिक” पर आनेवाले जर्मन अफसर पूर्वी बंगालमें टहरेंगे और वहाँपर लोगोंको क्रान्तिकारी फौजमें भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दी जायगी।

सच्ची बात यह थी कि जहाज “एस० एम० गैवरिक” में हथियार नामके लिए भी नहीं थे। योजना यह थी कि वह “एनी लारसन” नामक जहाजमें मिलकर उसपर लदे हुए शस्त्रास्त्र जो टाडशर नामक जर्मन द्वारा न्यूयार्कमें खरीदे हुए होंगे, ले लेगा। “गैवरिक” सैनफ्रांसिस्कोकी एक जर्मन कम्पनी एफ. जेवमन एण्ड कम्पनी द्वारा खरीदा हुआ तेलकी टंकी वाला स्टीमर था। वह कैलीफोर्निया स्थित सैनपैट्रो नामक स्थानसे २२ अप्रैल सन् १९१५ के

करीब बिना किसी मालके खाना हुआ। उसपर चालककी हैसियतमे २५ अपसर सभी भारतीय थे। उनमें एक पजाबी हरिमिहके पास सन्दूकोंमे कापी "गदर" साहित्य था। "मैवरिक" सबसे पहले कैलीफोर्नियाके सैनजोसे डेलकावो पहुँचा और वहाँसे जावामे स्थित अनजेर बन्दरगाह जानेको अनुमति प्राप्त की। इसके बाद वह मैक्सिकोमे ६०० मील सोकोरो द्वीपको "एनी लारसन" जहाजमे मिलनेके लिए चला। पर यह मुलारात कभी न हुई। "एनी लारसन" वाशिंगटन धेनमे हकीम बन्दरपर पहुँचा जहाँ उसपर लदा हुआ माल अमेरिकी अधिकारियोंने पकड़ लिया। इस प्रकार जर्मन सहायताका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। हेल्लरिचने "मैवरिक" के चालकदलको अमेरिका वापस भेजा जिनमें हरिमिहके बजाय "मार्टिन" भेजे गये थे। वहाँ मार्टिनको अमेरिकी सरकारने गिरफ्तार कर लिया।

"मैवरिक"की असफलताके बाद भारतमे भारी परिमाणमे शस्त्रास्त्र चीरी-छिपे पहुँचानेके कई प्रयत्न किये गये परन्तु सभी बेकार सिद्ध हुए। शघाई स्थित जर्मन प्रधान प्रतिनिधिने चार जहाजोंको बगालकी खाड़ी भेजनेकी योजना बनायी। पहलेमें २० हजार रायफुल, ८० लाख कारतूस, २ हजार पिस्तौल, हथगोले व अन्य विस्फोटक तथा २ लाख रुपये थे—दूसरेमें १० हजार रायफुल १० लाख कारतूस और हथगोले व विस्फोटक पदार्थ आने थे। तीसरेका इजन रास्तेमें खराब हो गया अतः वह आगे बढ़ ही न सका। चौथेके लिए योजना यह थी कि वह पहले पोर्ट ब्लेयरपर आगमन करेगा। वहाँमे कान्तिकारी नेदियों और विद्रोही गिगापुर रेजीमेंटके लोगोंको लेगा और तब रगूनपर हमला करेगा। लेकिन जो भी लोग भारतसे शघाई या अन्य स्थानोंको इन जहाजोंकी समुद्र-यात्राका इन्तजाम करनेके लिए गये थे वे सबके सब गिरफ्तार कर लिये गये और पूरी योजना बेकार हो गयी। परन्तु इसी बीच एक जर्मन पनडुब्बी 'एमडेन'ने बगालका राडीम प्रवेग किया और कई ब्रिटिश मालके जहाजोंपर हमला करनेके साथ साथ भारतके पूवा तटपर गोलाबारी भी की। अदमानमे अफवाह थी कि 'एमडेन' पनडुब्बी भावरकरको वहाँमे खेर किसी जर्मन विमान द्वारा 'गदर'के प्रधान कार्यालयतक पहुँचानेके उद्देश्यसे आया है। इसी बीच उक्त 'एमडेन' पनडुब्बी नवम्बर १९१४ मे नष्ट कर दी गयी। अक्टूबर १९१५ मे दा चीनो १२९ पिस्तौलों और २०,८३० कारतूसों सहित, जिन्हे तख्तोंके षण्डलोंके भीतर छिपाकर बल्कत्ता ले जानेकी उनको नीलसेन नामक जर्मनने हिदायत की थी, शघाईकी म्युनिमिपल पुलिसके हाथों गिरफ्तार हो गये। ब्रिटिश पुलिसिया दलकी चौकसीने भारतीय कान्तिकारियोंकी करीब-करीब हर योजना निफल कर दी।

## अध्याय १६

### होमरूल आन्दोलन

कांग्रेसको हुलमुल नीतिसे उग्रपन्थियोंकी ही तरह असन्तुष्ट एक अन्य महान् व्यक्तित्व मानवतावादी दार्शनिक आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेण्टका था। राजनीतिमें प्रवेशसे दो दशकदोसे अधिक पहलेसे वे भारतमें समाजसेविका और धर्मनुधारकका काम कर रही थीं। वे एक अंग्रेज पादरीकी पत्नी थीं, पर युवावस्थामें ही उन्होंने एक प्रगतिशील एवं नास्तिक सामयिक पुस्तकोंकी लेखिका तथा भाषणकर्त्रीकी हैमियतसे अपना स्वतंत्र स्थान बना लिया था। वर्षोंतक उन्होंने चार्ल्स ब्रैडलाके साथ काम किया और जनैः जनैः उनका आकर्षण समाजवादकी ओर हो गया। ब्रैडला समाजवादके विरोधी थे पर समाजसेवाके क्षेत्रमें दोनों साथ काम करते रहे। बादमें वे एक रूसी महिला ब्लाशन्स्कीसे मिले हुए मानवधर्म सिद्धान्त (थियोसोफी) की ओर आकृष्ट हुईं। उन्होंने यूरोपके अनेक देशों और अमेरिकाकी यात्रा की थी। सन् १८९३ में वे थियोसोफिकल सोसायटीका काम करने भारत आयीं जिसकी वे सन् १९०७ में अध्यक्ष हो गयीं। १८९३ में भारतकी प्रथम यात्राके समय ही उन्होंने ६००० मील यात्रा की ओर भारतके विभिन्न भागोंमें पहुँचीं। उनमें हिन्दू ग्रन्थोंके प्रति आकर्षण बढ़ा और प्राचीन भारतीय गौरवका पुनरुत्थान उनका संकल्प हो गया। सन् १९१४ तक वे पूरी तरह धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्योंमें लगी रहीं। पर सन् १९१४ के वसन्तमें वे राजनीतिकी ओर मुड़ीं और उन्होंने अपने साथके कार्यकर्ताओंकी मददसे “दी कामनवोल” नामसे एक सामाहिक पत्र्यालोचन पत्रिका निकाली। बादमें उन्हीं वर्ष उन्होंने “न्यू इण्डिया” के नामसे एक दैनिक पत्र निकाला। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था— “इस दैनिक और ‘कामनवोल’ सामाहिकका जन्म होमरूलके संघर्षको बढ़ानेके लिए हुआ था।” और वस्तुतः सन् १९१६-१७ में इन पत्रोंने होमरूलका झण्डा ऊँचा किया भी।

होमरूल आन्दोलनका आरम्भ इस प्रकार हुआ। सन् १९१५ में बेसेण्टने कांग्रेस और मुस्लिम लीगके नामसे—जो दोनों संस्थाएँ उस समय करीब आ रही थीं—एक होमरूल लीग आरम्भ करनेका सुझाव रखा। पहले तो कांग्रेस और लीगमें से किसीने भी इस ओर दिलचस्पी न दिखायी, पर शीघ्र ही दोनोंकी इस आन्दोलनके महत्त्वका पता चल गया। बेसेण्टकी योजनाके अनुसार भारतको ब्रिटिश साम्राज्यके स्वशासित प्रदेशोंकी भाँति स्वशासन-मिलना चाहिये था। उनकी दलील थी “होमरूलका अर्थ यह नहीं है कि इंग्लैण्ड और भारतका एकदम सम्बन्धविच्छेद हो जाय। इसका अर्थ केवल यह है कि भारतमाता अपने घरकी पूरी तरह स्वामिनी हो जाय।”

कांग्रेस, मालभरमें एक बार प्रस्ताव पास करके चुप होकर बैठ जानेवाली संस्था होनेके नाते बहुत कुछ एक रस्मअदायगीका रूप धारण करती जा रही थी और हर कांग्रेसी यहाँतक नम्रतम उदारपन्थी, एस. पी. गिन्हा भी वह अनुभव करने लगे थे कि लगातार काम करनेके

लिए कुछ तरीका होना चाहिये। वम्बई कांग्रेसके अध्यक्षपदमें उन्होंने कहा था—“मैं यहाँ-पर उपस्थित आप लोगोंकी ही तरह या शायद वहीं अधिक अपनी मदद आप करनेके सिद्धान्तमें यकीन करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्षमें तीन दिन इस प्रकारकी चकन्तताओंकी महफिल जमाने मात्रसे सन्तुष्ट न होकर हमको लगातार कार्य करनेका कार्यक्रम बनाना चाहिये। कामसे मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं जिसमें मार्जनिजक सभाएँ की जायँ, बल्कि कामका मतलब है दलितों और कमजोरोंको ऊपर उठानेकी कोशिश।”

सन् १९१६ की गर्मियोंमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी, इसी उद्देश्यके लिए खास तौरपर नियुक्त कमेटीयोंकी बैठक हुई और होमरूल स्कीम गजूर की गयी। वेसेण्टने शीघ्र ही सभाओं तथा समाचारपत्रों द्वारा होमरूलका प्रचारकार्य तेजीसे आरम्भ कर दिया। वही दिन थे जब क्रान्तिफारियोंने भारतकी मुक्तिके लिए दूसरा मोर्चा खोल रखा था और उनमेंसे कुछ त्रिदेशीयोंसे—उदाहरणार्थ जर्मनीसे—जिससे उस समय ब्रिटेन और उसके मित्रराष्ट्रोंका युद्ध चल रहा था—फौजी मदद पानेका प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए वेसेण्टने यह तर्क उपस्थित किया—“होमरूल भारतके युवकोंके लिए एफ़्दम आवश्यक है क्योंकि भारतका युद्धसमाप्त उस विश्वके मातहत जा उसे प्राप्त हो रही है, मल्ल बगमे स्थिति एव गुमराह किमा जा रहा है। कालेजोंके उन लड़कों और स्कूलोंके उन बच्चोंके हृदयमें अगान्ति और असन्तोषकी ध्वला है, जो समय-समयपर दुःखप्रद दृष्टालोंके रूपमें फूट निकलती है और जिसे छात्रधर्मका कोई प्रेमी उचित नहीं कह सकता। बच्चे हताश हैं और बहुरसे तो क्षणिक पागलपनमें अपना पूरा जीवन बरबाद कर डालते हैं।” इसलिए आन्दोलनका एक विशिष्ट महत्व था और वह यह कि ब्रिटेनके लिए बिना रक्षणातके भारतको स्वशासन प्रदान करना अधिक गौरवकी बात होगी।

होमरूलको प्रेरणा मिली थी आयरलैण्डके आन्दोलनसे और विश्वास किया जाता था कि भारतमें भी विलकुल उसी प्रकारकी राजनीतिक स्थिति है। यह भी यकीन था कि (अ) भारतकी जनता और राजनीतिज्ञोंने बीच कुछ वैसा ही रिश्ता है जैसा आयरलैण्डके होमरूल आन्दोलनके नेताओंका अपने देशकी अधिभूत जनतासे है और (ब) अगर ब्रिटिश शासक यहाँसे हट जायँ तो यहाँके विभिन्न धर्मों, जातियों और मतमतान्तरोंके भेदभेद आपसमें टिक ही जायेंगे।

दो वर्षोंतक होमरूल आन्दोलन इतनी तेजीसे बढ़ा कि वह कांग्रेसपर छा सा गया। कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी, अपने ही शब्दोंमें, सिर्फ एक पर्यवेक्षक या दर्शकमात्र रह गयी थी। वेसेण्ट एक अधिक सक्रिय सस्था चाहती थी और १२ जून सन् १९१६ को उन्होंने इंग्लैण्डमें सहायक होमरूल लीगका संघटन किया। यह स्वतन्त्र सस्था नहीं थी बल्कि कांग्रेसके स्वशासन प्रस्तावके मातहत बनायी गयी थी।

तिलक इस नयी लहरमें इतना बह गये थे कि वेसेण्टके कार्यक्षेत्रमें कूदनेने पहले ही उन्होंने स्वयं ही १३ अप्रैल १९१६ के दिन महाराष्ट्रमें होमरूल लीगकी स्थापना कर दी जिसका प्रधान कार्यालय पूना था। पर नीम्नग्राही उनकी जानी दुश्मन थी। जब कि वे छात्रोंमें फौजमें भर्ती होनेकी अपील कर रहे थे उन्हें पत्रा सरकासका आदेश मिला जिसके मुताबिक

१. वेसेण्ट, वही पुस्तक, पृष्ठ १३

२. लवेट, ए हिस्ट्री ऑव इंडियन नेशनल मूवमेंट (१) पृ० १०६

उन्हें पंजाब या दिल्लीमें घुसनेकी सुमानियत कर दी गयी। उसी समय उनसे २० हजारका जाती मुचलका और दस दस हजारकी दो जमानतें भी ली गयीं। पर इस दमनने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। वे जहाँ कहीं भी गये उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें थैलियाँ भेंट की गयीं। उनकी ६० वीं वर्षगाँठपर उन्हें १ लाखकी थैली भेंट की गयी जो उन्होंने राष्ट्रीय सेवाके लिए दान कर दी। लखनऊ कांग्रेसमें आते समय उनका लखनऊ रेलवे स्टेशन और कांग्रेस पण्डाल दोनों जगह शानदार स्वागत हुआ।

गई, जून सन् १९१६ में उन्होंने वेलग्राम और अहमद नगरमें सार्वजनिक सभाओंमें होमरूलपर भाषण किये। उन भाषणोंको बम्बई सरकारने ब्रिटिश शासनके विरुद्ध घृणा और अवमानना फैलानेवाला समझा और उन्हें एक सालतककी नेकचलनीके लिए भारी जमानत जमा करनेकी आज्ञा दी गयी पर उस आज्ञाको बादमें बम्बई हार्दिकार्टने रद्द कर दिया। उन भाषणोंका सारांश यह था “जब राष्ट्रकी जनता शिक्षित होकर यह समझने लगती है कि वह अपने देशका प्रबन्ध स्वयं करे तो उसकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह दूसरोंसे अपने देशका शासन प्रबन्ध स्वयं अपने हाथोंमें ले ले। यही होमरूल है। इसीका नाम स्वराज्य है। तिलककी उम्र इस समय ६० वर्षकी थी और दूर देशमें ६ वर्षकी लंबी कैदके कारण उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था। पर उनकी आत्मा अब भी अशान्त थी। कांग्रेसकी राजनीतिसे उन्हें असन्तोष था। होमरूल आन्दोलनमें उन्हें आशाकी किरण दिखाई दी थी।

वेसेण्टने अपनी होमरूल लीगकी स्थापना मद्रासमें सितम्बर सन् १९१६ में की क्योंकि तिलककी संस्था महाराष्ट्रके भीतर ही सीमित थी। उन्होंने अपनी संस्थाका नाम अखिल भारतीय होमरूल लीग रखा और भारतके प्रमुख प्रान्तोंमें (पंजाबको छोड़कर) उसकी ५० स्थानोंपर शाखाएँ खुल गयीं तथा उसकी सदस्यसंख्या भी २-३ हजार हो गयी। वेसेण्टने अपना आन्दोलन समाचारपत्रोंमें लेखों और सभाओंमें भाषणों द्वारा जारी रखा। उन्होंने भारतकी विभिन्न समस्याओंसे सम्बन्धित लेखोंको पुस्तकमालाके रूपमें प्रकाशित किया जिनमें “इण्डियन पोलिटिकल पैफलेट्स”, “नेशनल कांग्रेस सीरीज”, “नेशनल होमरूल सीरीज” प्रमुख हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी जिनमेंसे उस समय “भारत एक राष्ट्र” का सबसे अधिक प्रचार हुआ। उनकी पुस्तिकाओंका भारतीय भाषाओंमें अनुवाद हुआ और वे बहुत बड़ी संख्यामें वितरित हो गयीं। परिणाम यह हुआ कि युवकोंमें राजनीतिक उत्तेजना और बढ़ गयी। उन्होंने श्रीमती वेसेण्टका सन्देश घरघर पहुँचाया। सबका उद्देश्य इस सिद्धान्तका प्रसार था कि भारतमें ब्रिटिश शासन स्वाधीनताके लिए घातक है और होमरूलकी माँगके लिए प्रभावशाली तथा सक्रिय संघटन होना चाहिये।

वे बहुधा कहा करती थीं—“मैं खूब समझती हूँ कि जब लोग सो रहे हों और खासतौरसे जब उनकी तबीयत भारी हो तब वे रातभर लगातार नगाड़ा बजा बजाकर जगानेवालेको पसन्द नहीं करते। पर मेरा यही काम है कि मैं सोते हुए भारतीयोंको जगाकर उन्हें मातृभूमिकी सेवा करनेकी प्रेरणा प्रदान करूँ और वे हर ओर जाग रहे हैं—युवक तो वृद्धोंकी अपेक्षा तेजीसे जागकर उल्लव्वल भविष्यको पहचान रहे हैं। तुम्हें याद रखना चाहिये कि भारत क्या था। तुम्हें समझना चाहिये कि ईसाके जन्मसे ३ हजार वर्ष पहले भारत वाणिज्य और व्यापारमें महान् था।”

उनकी पत्रिकाओंमें प्रकाशित कुछ लेखोंको मद्रास सरकारने रगभेद भड़कानेवाला समझा और उनसे प्रेस ऐक्टके मातहत भविष्यमें “अपने प्रकाशन ठीक रास्तेपर” रखनेके लिए २००००) की जमानत माँगी गयी। यह जमानत शीघ्र ही जम्त हो गयी और फिर इससे बटी जमानत माँगी गयी तो उन्होंने जमा तो कर दी पर हाईकोर्टमें जम्तीके खिलाफ अपील की। अपील त्वारिज हो गयी।

बादमें श्रीमती वेसेण्टको बम्बई और मध्य प्रदेशमें घुसनेकी इन एजेंसी सरकारोंने सुमानियत कर दी पर इसका उनके कामपर कोई असर नहीं पडा।

वे उपवादी कांग्रेसजनोंमें इतनी लोकप्रिय हो गयी कि उनका नाम सन् १९१६ में कांग्रेसके अध्यक्षपदके लिए प्रस्तावित कर दिया गया लेकिन नरमदलीय उम्मीदवार अम्बिकाचरण मजुमदारके मुजाबलेमें—जिन्हें श्रीमती वेसेण्टको प्राप्त २५ वोटोंके विरुद्ध ६१ वोट प्राप्त हुए—वे चुनावमें हार गयी।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा होमरूल आन्दोलनका समर्थन और उपवादीयोंके प्रयत्नोंके फलस्वरूप नरमदलीय नेताओंका भी इस ओर धुकाव देखकर वेसेण्टने अपना आन्दोलन और तेज कर दिया। सरकारी नजरमें उनके लेख ऐसे थे जिनमें गान्धियोग होनेका अन्देश था। उन लेखोंके एकआध उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

“विदेशी कारखानोंके लिए भारतीय मजदूरोंकी जरूरत है, भारतीय पूँजी युद्धके ऋणों द्वारा खींचकर विदेश लें जायी जा रही है जिससे अगर अक्सरगाहीना बस चला तो भारतको आजादी नहा मिलेगी। करोंका बोझ, जो कर युद्ध ऋणका सूद देनेके लिए होगा, भारतको कमर तोड़ डालेगा। जब यह हालत होगी तब भारत भरकी जनता समझ लेगी कि मैंने युद्धके बाद होमरूलके लिए सतत प्रयत्न क्यों किया है। वही एक रास्ता है जिससे कि भारत बरबादसे, दूसरोंकी अमीर बनानेके लिए स्वयं कुतियोंकी कौम बननेसे बच सकता है।”

भारतके नान्तिकारियोंके सम्बन्धमें वेसेण्टने २३ मई १९१७ के “न्यू इण्डिया”में लिखा था “सब ओरसे निराश होकर उन्होंने बुजुर्गोंका सब प्रकारका नियन्त्रण तोड़कर फेंक दिया, पड़यत्न आरम्भ किया और उनमेंमें अनेक तो सदाके लिए पड़यत्नकारी बन गये। कुछको पॉली हो चुकी है और कुछ अदमान डीप समूहमें मृतकोंके समान जीवन वितानेके लिए भेज दिये गये हैं, कुछ यहाँ फँदमे है। अब विद्यार्थियोंके आश्रयें पूर्णतः यह देखता है कि ब्रिटेनका प्रधानमंत्री रूसवामी युवकी तथा युवतियोंके इसी प्रकारके कायोंपर प्रसन्नता प्रकट कर रहा है जिन्होंने पड़यत्न किया, रेल उड़ा दीं, जारकी मार डाला, जिनकी आज शहीद कह प्रशंसा की जा रही है और उनमेंमें जो अब भी जीवित हैं उन्हें निजेताकी भौति रूस वापस लाया जा रहा है जिसकी आजादी उनके प्रयत्नोंके फलस्वरूप सम्भव हुई। उनके नामोंको आज पवित्र माना जा रहा है और उनके बलिदानोंकी विजय हुई है।”

२ मईके अन्तमें प्रकाशित एक लेखमें उन्होंने ब्रिटेनकी भारतके प्रति सन्धानासी आर्थिक नीतिके द्वारा भारतकी उत्तोरत्तर श्रद्धती हुई तब्राहीका विवेचन करते हुए अपील की थी—“अगर होमरूलकी स्थापनामें जल्दी नहीं की जाती और भारत ‘साम्राज्यकी व्यापार प्राथमिकता’ ( इम्पीरियल प्रिफरेंस ) का शर्षण आरम्भ होनेसे पहले आजाद नहीं हो जाता, तो भारत बरबाद हो जायगा।

होमरूलकी आवाज देशभरमें गूँज रही थी। मद्राससे यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था; वहाँकी सरकारने एक आदेश द्वारा विद्यार्थियोंको राजनीतिमें भाग लेनेसे रोक दिया।

जूममें मद्रास सरकारने श्रीमती वेसेण्ट और उनके दो प्रमुख सहयोगियों, वाटिया और अरुण्डेल, पर दो आदेश तामील कराये जिनके द्वारा इन लोगोंको किसी भी सार्वजनिक सभामें भाग लेने या बोलने, कहीं भाषण करने, प्रवचन करने या किसी अपने लेख अथवा भाषणको प्रकाशित करने या करवानेकी मुमानियत कर दी। इनकी टाकपर संस्तर लग गया और यह भी आदेश हो गया कि थोड़ेसे निर्धारित समयके बाद ये लोग आदेशमें वतायी गयी जगहके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं न रहे। इस नजरबन्दी आदेशसे देश और विदेशमें बड़ी उत्तेजना पैली। राजनीतिक नेताओं और समानारपत्र-सम्पादकोंने इस प्रश्नको उठाया। भारत सरकारने मद्रास सरकारका यह आदेश रद्द करनेके लिए अपील की गयी। पर जब इसका कोई नतीजा न निकला तो मद्रास प्रेसीडेन्सी और अन्य स्थानोंके राजनीतिक वर्गोंमें व्यापक आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस अवसरपर सन्निवय अवज्ञा और निरोधके सुझाव भी दिये गये और उनपर विवाद भी किया गया।”

श्रीमती वेसेण्टके जीवनीलेखकने स्वयं उन्हींके उद्धारोंका उद्धरण दिया है—“जब हम, नजरबन्द ऊटकगण्डमें जमा हुए तो एक तूफान उठ खड़ा हुआ जिसने ऊपरसे नीचेतक देशको हिला दिया और कई सौ मील प्रति घण्टेकी रफतारसे ब्रिटेन, रूस, फ्रान्स और अमेरिकातकमें छा गया। वाइसरायकी विधान परिषद् और ब्रिटेनकी कांग्रेस सभाओंमें प्रश्नोंकी झड़ी लग गयी। एक बड़े अफसरने गर्भारतापूर्वक कहा—‘कौन जानता था कि एक बुद्ध त्नीके कारण इतनी उथल-पुथल होगी।’ अग्ररूप जनताकी भीड़ और अनेक लोकप्रिय नेता होमरूल लोगमें शामिल हो गये। सभाएँ होने लगीं, प्रस्तावोंकी राड़ी लग गयी और कांग्रेसजनोंने हर जगह इस आगको भड़काया तथा आन्दोलनका नेतृत्व किया। तीन महीनेतक जबरदस्त आन्दोलन अबाध गतिमें चलता रहा।” होमरूल लोगमें शामिल होनेवाले मुसलमानोंमें जिना भी थे।

नजरबन्दोंकी रिहाईके लिए “सन्निवय अवज्ञा” के तरीके अपनातेपर विचार किया गया। जुलाई १९१७ में कांग्रेस महासमिति और मुस्लिम लीग कौंसिलकी संयुक्त बैठक बुलाई गयी और तब हुआ कि दोनों संस्थाएँ अपनी प्रान्तीय शाखाओंमें इस प्रश्नपर छ सप्ताहके भीतर राय भेजनेको कहें। रासविहारी घोषकी अध्यक्षतामें नजरबन्दीका विरोध करनेके लिए आयोजित सार्वजनिक सभापर बंगाल सरकारने रोक लगा दी। कांग्रेस व लीग कमेटियोंकी उक्त संयुक्त बैठकने बंगाल सरकारकी इस काररवाईका विरोध करते हुए एक प्रस्तावमें विश्वास प्रकट किया कि बंगालकी जनता अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिए हर कानूनी तरीकेसे काम लेंगे। कमेटीने राजनीतिक स्थितिपर वक्तव्य तैयार किया। उसमें ये माँगें की गयीं—(१) एक अधिकृत घोषणा द्वारा साम्राज्यकी सरकार भारतको ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वशासित सदस्य बनानेकी नीतिकी स्पष्ट शर्तोंमें प्रतिज्ञा करे, (२) दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूपसे तैयार माँगें मंजूर करनेके लिए तुरत काररवाई हो, (३) सरकारी सुझाव प्रकाशित किये जायें और (४) दमननाति समाप्त की जाय।

१. लवेट, ए. हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट (?) पृष्ठ १३८

२. थियांडोर वेस्टरमैन—‘मिसिज एनी वेसेण्ट, ए. माटर्न प्रोफेट’, पृष्ठ २०१

शीघ्र ही भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोंको जनान्दोलनसे निपटनेकी हिदायते एक गस्ती चिट्ठीमें भेज दी और कुछ प्रान्तोंमें दमनकारी तरीकोंकी चेतावनी भी दे दी गयी ।

कुछ प्रान्तोंकी रायमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन अनुपयुक्त था, पर विहार और मद्रासकी कांग्रेस कमेटियोंने उसका समर्थन किया । विहार कमेटीने तो यह भी माँग की कि "एक तारीख तय कर दी जाय और सरकारसे माँग की जाय कि उस तारीखतक होमरूल लीगके सभी नजरबन्दी, अली बन्धुओं और मौलाना आजादको रिहा कर दिया जाय ।" मद्रासमें वैधानिक आन्दोलन चलानेके लिए एक प्रतिज्ञाका मसविदा तैयार किया गया जिसपर पहला हस्ताक्षर मद्रास हाईकोर्टके रिटायर्ड जज तथा भारतीय होमरूल लीगके अध्यक्ष सर मुन्नहायम् अध्यक्षने किया । उन्होने वेशेष्ट और उनके सहयोगियोंकी नजरबन्दीके विरोधमें "सर" का पिताब छोड़ दिया । पर इसी बीच जब मद्रास आदि एक दो अन्य प्रान्तोंमें आन्दोलनकी तैयारी हो रही थी, राजनीतिक स्थितिमें परिवर्तन हो गया ।

२२ अगस्त १९१७ के दिन भारत सचिवने पार्लमेण्टमें दो घोषणाएँ कीं । एकमें कहा गया कि "ब्रिटिश सरकारकी नीति यह है कि भारतीयोंका प्रशासनही हर शाखासे अधिनाधिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय और धीरे-धीरे स्वशासकीय संस्थाओंका विकास किया जाय ताकि ब्रिटिश साम्राज्यके अभिन्न अंगकी हैसियतसे भारतमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेका उद्देश्य धीरे-धीरे पूरा हो जाय । घोषणामें यह भी कहा गया कि "इस नीतिकी प्रगति धीरे-धीरे ही मुमकिन है ।" भारत सचिवने यह भी कहा कि "मैं भारत सरकारसे इन मसलोंपर सलाह मन्त्रिमंडल करने शीघ्र ही भारत जा रहा हूँ ।" दूसरी घोषणा यह थी कि भारत सरकारने फौजमें कमीशनके ओहदोंपर ९ भारतीयोंकी नियुक्ति करनेका निश्चय किया है ।

नजरबन्दीके आदेश समाप्त हो गये । इन दो वर्षोंकी तूफानी हलचलने वेशेष्टको हतना लोकप्रिय बना दिया कि सन् १९१७ में वे कांग्रेसकी अन्यथा चुनी गयी ।

अध्यक्ष पदसे भाषण करते हुए उन्होंने होमरूल आन्दोलनकी विवेचनामें कहा कि "होमरूल आन्दोलनकी शक्ति, महिलाओंको बहुत बड़ी संख्याके इसमें आ जानेके फलस्वरूप जो अपने साथ नारीशक्तकी असीम वीरता, सहनशक्ति और आत्मबलिदान इस आन्दोलनमें लायी—दस गुनी बढ़ गयी । होमरूल आज, दक्षिणके महान् मन्दिरोंकी पूजाओं तथा उनसे प्रभावित सुदूर देहातीके मन्दिरोंके पूजापाठ और देशके हर भागमें साधु सन्यासियोंके उपदेशमें और प्रवचनोंका आधार घर-घर धर्मका अभिन्न अंग बन गया ।" आन्दोलनने एक और तरीकेसे कांग्रेसका पथ प्रदर्शन किया । देशका सघटन करनेमें होमरूल लीगने भाषाके आधारपर प्रान्तोंका निर्माण स्वीकार किया ।

नजरबन्दीमें रिहा होनेके बाद उन्होंने निरोधात्मक आन्दोलनकी अनुपयुक्त कहा और कई बार बाइसरायसे भेंट करनेकी कोशिश की पर चेम्सफोर्ड उनसे शृणा करते थे और बारबार उनकी प्रार्थना ठुकरा दी गयी । जिन समय होमरूल आन्दोलन अपनी उच्चतम अवस्थामें था, गान्धीजी कुछ चुने हुए कार्यकर्त्ताओंके साथ चम्पारनके रेतिहरोंकी यूरोपीय नीलबागानके मालिकोंके विरुद्ध शिकायतोंका पता लगा रहे थे । वे स्वयं अपने सहयोगियों



सहित ६ महीनेतक आन्दोलनसे एकदम अलग रहे पर वहाँ भारतके पहले सत्याग्रह आन्दोलनकी भूमिका आरम्भ हो चुकी थी ।

चम्पारनके कुछ खेतिहर इस शर्तमें नैघ चुके थे कि अपनी कुल भूमिके ३० मेंसे ३ हिस्सोंमें गोर भूमिपतियोंके लिए नील बोरेगं । इस पद्धतिको "तिनकटिया" कहा जाता था क्योंकि एक एकड़के ३० मेंसे ३ कट्टोंमें नील बोनी पड़ती थी । इन खेतिहरोंसे उच्च वृत्ति जवरदस्ती मनवायी जाती थी क्योंकि नीलकी खेती उनके लिए कतई लाभप्रद नहीं थी और इन खेतिहरोंके प्रति हर प्रकारका अमानुषिक व्यवहार होता था । अगर कर्मों में नीलकी खेती बन्द करनेका विचार करते थे तो उन्हें जुरी तरह पीटा जाता था और "मुर्गाखाने" में बन्द कर दिया जाता था—उनके जानवर खोल लिये जाते थे, घर लूट लिये जाते थे । नाइयों और धोत्रियोंसे उनका बहिष्कार कराया जाता था । कर्मों-कर्मों उनके अपने घरोंका आने-जानेका रास्तातक रोक दिया जाता था । गोर भूमिपतियोंकी तरफसे ५० में ऊपर अनधिकृत और गैरकानूनी कर वसूल किये जाते थे, जैसे कि शान्तिका टैक्स, कोल्ह व खलिहानपर टैक्स आदि । अगर मालिक चोमार है और उने स्वास्थ्यके लिए पहाड़ जाना है तो खेतिहरोंमें विशेष टैक्स लिया जाता था । इसी तरहसे अगर वह घोड़ा, हाथी वा मोटर खरीदना चाहता था तो उसके लिए भी असाधारण कर लिये जाते थे । इसके बाद जुर्माने होते थे । अगर खेतिहरमें किसी बातपर भूमिपति नाराज हो गया तो कानूनको अपनी मुर्दा में लेकर वह भारी जुर्माना करता था जिसकी वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती थी । खेतिहर दुनियामें किसीके पास अपनी मुर्दावत दूर करनेकी अपील नहीं कर सकते थे । अपसरोंपर वागान-मालिकोंका प्रभाव था ।

गान्धीजीको यहाँके किसानोंकी दुखभरी कहानी एक खेतिहर, राजकुमार मुहसे मालूम हुई और गान्धीजीने उनकी मुर्दावत दूर करनेका बीड़ा उठाया । वहाँमें वे मुजफ्फरपुर गये जहाँ उनकी आचार्य कृपालानीसे पहली मुलाकात हुई । कृपालानीने उमी समय गवर्नमेंण्ट कालेजकी प्रोफेसरीके पदसे इन्तीफा दिया था । उन्होंने गान्धीजीसे बिहारकी वर्णनातीत दशापर बात की, और मार्गकी कठिनाइयोंका भी संकेत किया । गान्धीजी चम्पारनके खेतिहरोंकी दशा और नीलवागानके मालिकोंके विरुद्ध उनकी शिकायतोंका पता लगानेका काम हाथमें ले चुके थे । इस कार्यके लिए उन्हें हजारों खेतिहरोंसे मिलना जरूरी था । जैसा उनका तरीका था वे जौंच आरम्भ करनेके पहले वागानके मालिकों और सरकारका दृष्टिकोण भी जानना चाहते थे । इसलिए वे वागान मालिक गंध (प्लान्टर्स एसोसियेशन) के सेक्रेटरीसे मिले । उन्होंने गान्धीजीसे साफ शब्दोंमें कहा कि आप बाहरी आदमी हैं; आपको नीलके खेतिहरों और उनके मालिकोंके आपसी रिश्तोंमें कोई वास्ता नहीं है । अगर आपको कुछ कहना हो तो आप लिखकर दीजिये । गान्धीने नम्रता-पूर्वक उनसे कहा कि मैं अपनेको बाहरी आदमी नहीं मानता और मुझे खेतिहरोंकी हालत जाननेका पूरा हक है । उन्होंने तिरहुत टिबीजनके—जिसका एक जिला चम्पारन भी था—कमिश्नरसे भी बात की । कमिश्नरने पहले तो उन्हें आड़ेहाथों लिया और उनको सलाह दी कि वे तुरत तिरहुत छोड़कर चले जायँ । उनको चम्पारनमें बाहर चले जानेकी नोटिस दी गयी जिसका पालन करनेसे उन्होंने इनकार किया और कहा कि अपनी जौंच पूरी किये बिना मैं यहाँमें नहीं जा सकता । मजिस्ट्रेटों की आदेशका उल्लंघन करनेके जुर्मपर वे अदालतमें पेश किये गये

पर इससे पहले कि उनको सजा सुनायी जाती मजिस्ट्रेटको लेफिटनेंट गवर्नरका आदेश मिला कि मुकदमा उठा लिया जाय। लेफिटनेंट-गवर्नरने गान्धीजीको अपनी जाँच जारी रखनेकी भी अनुमति दे दी। लेकिन जब जाँच कुछ हफ्तों चली तो सरकारने गान्धीजीसे सलाह लेकर एक सरकारी जाँच कमेटी बना दी जिसकी रिपोर्ट खेतिहरोंके पक्षमें आयी। बाग-मालिकों द्वारा चमूले हुए अधि वरोंका एक अंश वापस कराया गया और "तिनकठिया" पद्धति समाप्त कर दी गयी।

कुछ समय बाद गान्धीजीने रोडा (गुजरात)में एक छोटे सत्याग्रह आन्दोलनका नेतृत्व किया। व्यापक रूपसे फसल खराब होनेके कारण किसान वहाँ मालगुजारी अदा करनेमें असमर्थ थे और अमृतलाल ठक्कर, मोहनलाल पण्ड्या और शंकरलाल पारिख जैसे किसान नेताओंने पहले ही इस मामलेमें हाथ डाल रखा था। सरकारी अनुमानके मुताबिक फसल रूपयें चार आनेसे कुछ अधिक हुई थी। पर वस्तुतः पैदावार इससे कहीं कम थी। अधिकारियोंको मालगुजारीकी वसूली स्थगित करनेके प्रार्थनापत्र दिये गये पर वे सुननेको तैयार न थे। अतः गान्धीजीने लगानवन्दी आन्दोलन करनेका निश्चय किया। इस आन्दोलनमें उनके प्रमुख सहयोगी बलभभाई पटेल, शंकरलाल बेकर, अनुमूया वहन, इन्दुलाल याशिक और महादेव देसाई थे। किसानोंसे सत्याग्रहके लिए तैयार रहनेको कहा गया और उनसे निम्नांकित प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कराये गये जिसे गान्धीजीने तैयार किया था—

"हम सक्त्प करते हैं कि हम राजीसे वर्षकी सरकारी मालगुजारी कुल या अविशिष्टा अदा न करेंगे और सरकार जो भी कानूनी काररवाई करे उसे करने देंगे तथा मालगुजारी न अदा करनेके फल हँसते-हँसते देखेंगे। हमें यह पसन्द है कि हमारे खेत कुर्क हो जायें पर हम यह नहीं चाहते कि स्वेच्छासे लगान देकर हम अपने मामलेको छुटा बनायें और अपनी प्रतिज्ञा गवायें।"

अधिकांश किसान इस सक्त्पपर टटे रहे और सरकारी अफसरोंने उनके जानवर और जो भी चल सम्पत्ति मिल सकी, जप्त कर ली। खड़ी फसल बेच डाली गयी। परन्तु शीघ्र ही सरकारने गजूर कर लिया कि सिर्फ़ खाते पीते किसानोंसे लगान वसूला जायगा इसलिए सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त कर दिया गया।

हाँ तो सन् १९१७ में कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनकी चर्चा चल रही थी जिसकी अध्यक्षता एनी बेनेण्टने की थी। अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि पार्लिमेण्टमें सन् १९१८ के भीतर एक बिल लाया जाय जिसके द्वारा "भारतमें एक निश्चित तारीखपर जो सन् १९२३ में हो पर किसी हालतमें १९२८ के बाद न हो—राष्ट्रमण्डलके अन्य देशोंके अन्तुरूप ( उपनिवेशोंके समान ब्रिटेनसे अभिन्न सम्बन्ध रखते हुए ) स्वशासनकी स्थापना कर दी जाय और बीचके ५-१० वर्षोंका उपयोग शासन-सम्बन्ध अग्रेजोंसे भारतीयोंके हाथोंमें धीरे धीरे लानेके लिए होगा।"

दिसम्बर सन् १९१७ में सरकारने "भारतमें फ्रान्तिकारी आन्दोलनसे सम्बन्धित अपराधपूर्ण पद्धतियोंके तीव्र तरीकोंपर रिपोर्ट देने और उनसे निवृत्तनेके लिए आवश्यक कानूनी रूप देना सुधारने"के लिए जस्टिस रौलटकी अध्यक्षतामें एक कमेटी बनायी जो रौलट कमेटीके नामसे विख्यात है।

कांग्रेसने दूरदर्शितासे काम लिया और तुरन्त इस सरकारी घोषणाकी निन्दा करते

हुए एक प्रस्तावमें कहा कि “कमेटीका उद्देश्य भारतको सहायता देनेका नहीं बल्कि अफ-सरींको वंगालकी तथाकथित क्रान्तिकारी लहर दवानेके लिए और अधिक दमनकारी अधिकार देना है।” वादकी घटनाओंने दिखा दिया कि यह आशंका सही थी। इसी प्रस्तावमें माँग की गयी कि सब राजनीतिक कैदियोंको क्षमादान किया जाय क्योंकि भारत रक्षा कानून और सन् १८१८ के नं० ३ रेगुलेशनके मातहत की गयी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियोंसे जनतामें असन्तोष उभर रहा है।

कांग्रेसके मुख्य प्रस्तावमें आग्रह किया गया कि पार्लमेण्ट एक कानून द्वारा भारतमें तुरत उत्तरदायी शासन स्थापित करे और एक अवधि नियत करे जिसके अन्दर पूर्ण स्वशासन स्थापित करे। यह भी माँग की गयी कि इस दिशामें प्रगतिके लिए पहले कदमके रूपमें सुधारोंकी कांग्रेस-लीग योजनाको कानूनी शकल दी जाय। दिसम्बरमें कांग्रेस अधिवेशन होनेके पहले ही गान्धीजी कांग्रेस लीग योजनाको जनतामें लोकप्रिय बनानेके लिए आवश्यक कदम उठा चुके थे। उन्हींके आग्रहपर इस योजनाको भारतीय भाषाओंमें अनुदित किया गया और जनताको समझाया गया। सन् १९१७ समाप्त होते-होते करीब १० लाख जनता इस योजनापर दस्तखत करके इसका औचित्य स्वीकार कर चुकी थी।

अपने पूर्वाधिकारियोंके विपरीत—जिनके लिए कांग्रेसकी अध्यक्षता तीन दिनकी तड़क-भड़क और इज्जतसे अधिक कुछ नहीं थी—श्रीमती वेसेण्टने इस पदको रोजकी जिम्मेदारीका पद बना दिया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको झकझोरा गया कि वे जनताको समझाने, उभारने और सुधार करनेका काम निरन्तर करें। खास तौरसे भारत सचिव श्री माण्टेग्यूकी भारत-यात्राको देखते हुए कांग्रेस संघटनकी सक्रियता और राजनीतिक गति-विधिकी प्रखरता आवश्यक भी थी। माण्टेग्यू १० नवम्बर १९१७ को आये और ६ महीने भारतमें रहे तथा इस बीच उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं और संस्थाओंसे मिलकर पूछताछ की और उनके सुझाव लिये। हाल्य कि इस बीच कुछ जगहोंपर हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी हुए पर कांग्रेस लीग एकता दृढ़ बनी रही और दोनों संस्थाएँ अपनी संयुक्त योजनापर डटी रहीं। श्री माण्टेग्यूने अपनी डायरीमें लिखा—“मुस्लिम लीगने इस धारणापर आश्चर्य प्रकट किया कि दशहरा मुहर्रमके फसादातके फलस्वरूप कांग्रेसके प्रति मुसलमानोंका समर्थन कम हो गया होगा। उसकी राय थी कि यह तो बकती चीजें हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ता।”

कांग्रेसकी ही तरह मुस्लिम लीगके दृष्टिकोणमें भी देशका राजनीतिक भविष्य सर्वोपरि था। लीगके अध्यक्ष श्री जिनाने सन् १९१७ में बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें बोलते हुए कहा था—“उन लोगोंको जो भारतको जानते और समझते हैं यह साफ हो गया है कि अब वह सिर्फ आशा पालन नहीं करेगा। वह अपने मुआमलातका स्वयं प्रबन्ध करेगा—शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा मात्रसे एक पीढ़ीके पहलेके लोगोंको सन्तोष हो जाता था पर आज ये काफी नहीं हैं।” आपने आगे कहा “यह बात सारी दुनिया मानती है कि अगर किसी राष्ट्रको तुम उसका भाग्य-निर्माण करनेवाली उसकी अपनी सरकारमें उसका पूरा हिस्सा नहीं लेने देते तो तुम उसकी शक्तियोंको विद्रोहकी ओर उभाड़ते हो, उसका चरित्र गिराते हो और उसके आत्म-सम्मानको मानों तपायी हुई सलाखसे काँचते हो। बुद्धिके क्षेत्रमें ऐसी सरकार प्रगति नहीं, सर्वनाश लाती है।” आपने हिन्दुओं और मुसलमानोंमें “शीघ्रतिशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण करानेके लिए हर वैधानिक और उचित तरीका

अपनाने और मजबूत एका कायम रखने"की अपील की। पृथक निर्वाचनके सम्बन्धमें आपने कहा—“जहाँतक मैं समझता हूँ पृथक निर्वाचनकी माँग कोई नीतिग्री बात नहीं है पर यह मुसलमानोंकी दिलचस्पीकी बात जरूर है और ये इतने दिनोंसे सोये हुए सुमारमें पड़े हैं कि उनको जगाकर सड़ा करना जरूरी है।”

हिन्दू महासभाको लखनऊ समझौतेमें आशका हुई थी और उसने लखनऊमें एक अधिवेशन करके कहा कि कांग्रेसको हिन्दुओंकी ओरसे बोलनेका कोई हक नहीं है। पर गतिशाली कांग्रेसके सामने इस दुधमुँहे बच्चेकी बात कौन सुनता ?

कलकत्तेमें लीगके वार्षिक अधिवेशनमें भी इसी प्रकारके उद्गार प्रकट किये गये। अधिवेशनके मनोनीत अध्यक्ष मुहम्मदअली जेलमें थे, अतः अध्यक्षपद राजा महमूदायादने ग्रहण किया जिन्होंने अपने भाषणमें कहा—“सबसे पहले देशका हित है। यह यहस किजूल है कि हम पहले भारतीय हैं या मुसलमान। दरअसल हम दोनों हैं और हमारे लिए पहले पीछेका सवाल बेमानी है। लोगने मुसलमानोंको अपने मुक्त और मजहब दोनोंके लिए समान रूपसे कुरवान हो जानेकी प्रेरणा दी है।” लीगके रममन्ने गान्धीजी और सरोजिनी नायडूने अलीवगुओंकी रिहाईकी माँगवाले प्रस्तावके समर्थनमें भाषण भी किया था।

पर कुछ राजनीतिसे भट्कनेवाले मुसलमानोंने मुस्लिम लीगके खिलाफ कर्म कसी और कई चापवद नवजात सघटनोंके प्रतिनिधिनी हैसियतसे भाग सचिवसे मिले भी पर उनकी बातचीतसे ही कलई खुल गयी कि उन्हें पढाकर भेजा गया है। कुछ लोग अपनेको मद्रासके उल्मा कहकर माटेगूमें मिलने गये थे। वाइमराय चेम्सफोर्डने एक सवाल पूछा—“क्या अपने विचार सक्षेपमें मुझे और भारत सचिवको बता सकते हैं ?” उत्तर पौरन आया “हम होमरूल नहीं चाहता”।

माण्टेगूकी डायरीमें इसके बादका एक विवरण इस प्रकार है—“तब एक हँसमुख वृद्ध जिनकी दाढ़ी मूँछ और चेहरा मोहरा काफी सधा ओर मँजा हुआ था बोला कि मैंने कुरान और उनके सब भाष्योंका, धार्मिक और अन्य धर्मग्रन्थोंका अध्ययन किया है लेकिन कहीं भी मुझे एक लाइन भी कांग्रेस लीग योजनाके समझौतेके पक्षमें नहीं मिली।” मुसलमानोंके एक और दलने कहा कि मुस्लिम लीगने असहमत मुसलमान अखिल भारतीय मुस्लिम डिफेंस एसोसियेशन बनानेका विचार कर रहे हैं। सयुक्त प्रान्तके कुछ मुसलमानोंने कुछ महीने पूर्व सचमुच यू. पी. मुस्लिम डिफेंस एसोसियेशन बना भी डाला था। उन्होंने योजना यह पेश की थी कि ५० सीटें हिन्दुओं, ५० मुसलमानों और यूरोपीयोंको दी जायें। माण्टेगू शिष्ट-मण्डलने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कई अन्य स्थानोंका दौरा किया और जिन लोगोंसे मुलाकात की उनमें जिना, मजहबलहक, हसन इमाम, गान्धी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती बेसेण्ट, तिलक, मदनमोहन मालवीय, हिन्दू महासभाके प्रतिनिधि, सनातनी हिन्दुओंके प्रतिनिधि, भारतीय जमींदार सभ, और बिहारके जमींदार उल्लेखनीय हैं।

लेकिन तिलक, विपिनचन्द्र पाल और श्रीमती बेसेण्टपर सरकारकी भोह अभी टैदी थी। तिलक और पालको सन् १९१७ में आदेश मिले कि वे दिल्ली तथा पंजाबकी सीमामें

१. मुहम्मद नोमान—“मुस्लिम इण्डिया”, पृष्ठ १६२-१६३

२. भद्रोक मेहता और अच्युत पटवर्धन—“दि कम्यूनल ट्रायंगल”, पृष्ठ ३५

३. एडविन ए. माटेगू—“एन इण्डियन डायरी”, पृष्ठ ४६

प्रवेश नहीं कर सकते। श्रीमती वेसेण्ट अधिकारियोंकी आँखोंमें काँटेकी तरह खटकती थीं और यह आशंका थी कि किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी या गतिविधिपर पाबन्दी या रोक लग जायगी। अप्रैल १९१८ में वाइसरायने ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके कहने पर फ्रांसमें ब्रिटिश हारके बाद सरकारके पक्षमें जनमत तैयार करनेके लिए दिल्लीमें शासनाधिकारियों और गैरसरकारी नेताओंका सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलनमें सरकारी विधानपरिषद्के एक सदस्य खापड़ने एक प्रस्ताव पेश करके माँग की कि भारतमें “उचित किन्तु निर्धारित अवधिसे भीतर” उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय। वाइसरायने प्रस्तावकी हजाजत नहीं दी। गान्धीजी भी इस युद्ध-सम्मेलनमें आमन्त्रित थे। पहले तो उन्होंने जानमें आगा-पीछा किया, पर वाइसरायके इस तर्कसे वे राजी हो गये कि “आप युद्ध समाप्त होनेके बाद जो भी नैतिक प्रश्न उठाना चाहे उठायें और हमें जितनी बड़ी चुनौती चाहें दें, पर अभी ऐसा न करें।” गान्धीजीने लिखा है कि “वाइसरायकी दिली ख्वाहिश थी कि फौजी भर्तों सम्बन्धी प्रस्तावका मैं समर्थन करूँ।” गान्धी राजी हो गये और हिन्दुस्तानीमें बोलते हुए उन्होंने कहा— “अपनी जिम्मेदारीका पूरी तरह एहसास करते हुए मैं प्रस्तावका समर्थन करता हूँ।” लोगोंकी यादमें इस प्रकारकी किसी सभामें कभी कोई हिन्दुस्तानीमें नहीं बोला था और लोगोंने इसके लिए गान्धीजीको बधाई दी। गान्धीजीकी राय थी कि सरकारको लड़ाईमें विना शर्त मदद दी जाय। उन्होंने फौजी भर्तोंके आन्दोलनमें मदद की। युद्धके प्रति उनके रवैयेका सारांश इन शब्दोंमें था—“हमारी आजादीका द्वार फ्रान्सकी भूमिमें है। देशको मेरी सलाह यही होगी कि विना शर्त प्राणोंकी बाजी लगाकर अंग्रेजोंके साथ युद्ध जीतनेके लिए लड़े और उसके साथ ही जान हथेलीपर लेकर, अगर आवश्यकता हो तो, अपने अभीष्ट शासन-सुधारके लिए भी आन्दोलन करें।” गान्धीजीकी आरम्भिक दिक्कत वाइसरायको लिखे इस पत्रमें व्यक्त हुई थी “मेरी अनुपस्थितिका एक और सम्भवतः सबसे बड़ा कारण यह था कि लोकमान्य तिलक, श्रीमती वेसेण्ट और अलीवन्धु जिन्हें मैं जनमतको व्यक्त करनेवाले सबसे शक्तिशाली नेताओंमें गानता हूँ, इस सम्मेलनमें आमन्त्रित नहीं थे। मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि उनकी राय न लेना एक बर्हृत भयंकर भूल थी और मैं विनम्रता-पूर्वक सुझाव देना चाहता हूँ कि उक्त भूल शायद सुधरी जा सके, अगर इन नेताओंको अपने सत्परामर्शका लाभ देकर मदद करनेके लिए प्रान्तीय सम्मेलनमें आमन्त्रित किया जाय जाँ मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही होनेवाला है।” उन्होंने पहले ही मुहम्मदअली और शौकतअलीकी रिहाईके लिए सरकारसे खतोकितावत आरम्भ कर दी थी। सन् १९१७ में वे मुस्लिम लीगके कलकत्ता अधिवेशनमें आमन्त्रित किये गये थे जहाँ उन्होंने भाषण करते हुए अलीवन्धुओंकी रिहाईके लिए आन्दोलनको मुसलमानोंका फर्ज बताया था।

इसके बाद प्रान्तीय राजधानियोंमें युद्ध सम्मेलन हुए। बम्बई सम्मेलनमें तिलक और होमरूल आन्दोलनके एक अन्य नेताको राजनीतिक विचार प्रकट करनेकी हजाजत नहीं दी गयी और उनके ३ हमदर्द विरोधस्वरूप हालसे उटकर चले गये। १६ जून १९१८ के दिन मद्रासमें होमरूल दिवस मनाया गया क्योंकि उसी तारीखको श्रीमती वेसेण्ट और इनके सहायोगियोंकी नजरबन्दीकी वर्षगाँठ थी। सभाकी अध्यक्षता श्रीसुब्रह्मण्यम् अय्यरने की थी

१. मे और पारिस्व—“महात्मा गान्धी”, पृष्ठ ३८, के. टी. पालकी पुस्तक “ब्रिटिश कनेक्शंस इन इण्डिया”में उद्धृत, पृष्ठ ११८

और उन्होंने होमरूलकी माँगके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलनको पूर्णतया वैध तरीका बताया। श्रीमती बेसेण्ट इस सभामें मौजूद थीं और उन्होंने बम्बई गवर्नर द्वारा होमरूल लीगके सदस्योंके अपमानका विरोध करते हुए कहा कि भारतीय ऐसी आजादीके लिए कैसे लड़ सकते हैं जिसमें उन्हें हिस्सा न मिले। आजादीके बिना जिन्दगी किस कामकी। बम्बईके युद्ध सम्मेलनमें तिलकके उक्त व्यवहारके बाद बम्बई सरकारने अगस्त १९१८ में उनपर बिना पहले मजिस्ट्रेटसे इजाजत लिये कहीं भी लेखर न देनेकी पाबन्दी लगा दी थी।

होमरूलके समर्थकोंको शीघ्र ही अंग्रेजोंसे एक और आघात लगा। सन् १९१७ में २० अगस्तवाली घोषणाके बाद तुरत ही कुछ भूतपूर्व सरकारी नौकर अधगोरो तथा कुछ प्रतिगाभियोंने इंग्लैंडमें इण्डोब्रिटिश एसोसियेशनकी स्थापना भारतीयोंके विरुद्ध प्रचारके लिए की। उसका प्रतिरोध करनेके लिए तिलक और श्रीमती बेसेण्टने तय किया कि एक प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटेन भेजा जाय। पहला प्रतिनिधिमण्डल मार्च १९१८ के मध्यमें रवाना हुआ और जब वह जिब्राल्टर पहुँच गया तो उसे बताया गया कि आप लोगोंका पासपोर्ट—यानी विदेश यानाना अनुमतिपत्र ब्रिटेनके युद्धकालीन मन्त्रिमण्डलकी विशेष हिदायतके मातहत रद्द कर दिया गया। दूसरा प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बोसे जहाज़पर सवार होने वाला ही था कि उसे इसी प्रकारकी हिदायत मिल गयी। भारतमें गोरोकी भी एक मस्था थी जिसका नाम पहले यूरोपियन डिपेंस एसोसियेशन था पर बादमें सिर्फ यूरोपियन एसोसियेशन रह गया। सन् १९१७ में निकट भविष्यमें शासनसुधारकी सम्भावना देखकर इस मस्थाको अधिक सक्रिय होनेका प्रोत्साहन मिला। भारतभरमें उसकी शाखाएँ खुल गयीं और शासनसुधारके प्रस्तावोंकी निन्दा करते हुए प्रचार आरम्भ कर दिया गया। भारतके उच्च सरकारी अफसर—जैसे तौरसे आई. सी. एस.—भी राजनीतिक प्रगतिके इसी प्रकार विरुद्ध थे। और जब शासनसुधार रिपोर्टमें जिसे माण्टेगू और चेम्सफोर्ड—तत्कालीन भारत-सचिव एवं वाइसरायके नामोंको मिलाकर माण्टेगोई रिपोर्ट कहते हैं, विरोधको शान्त करनेके लिए यह कहा गया कि लोग आई. सी. एस. को व्यर्थ बदनाम करनेके लिए कह रहे हैं कि वे शासनसुधार नीतिके विरोधी हैं, तो उसी समय आई. सी. एस. वर्गने यौरन भारत-सचिवके पास दाखिल करनेके लिए एक स्मृतिपत्रका मसविदा आपसमें विगारित किया जिसमें उक्त कथनका सण्डन किया गया। १९१८ में आई. सी. एस. वर्गके कई एसोसियेशन बन गये और शासनसुधारके विरोधमें अनेक पत्र वितरित किये गये। मद्रासका एक इसी प्रकारका पत्र किसी प्रकार 'न्यू इण्डिया' कार्यालयमें पहुँच गया जिसे ११ जनवरी १९१९ के अंकमें प्रकाशित कर दिया गया। इससे राजनीतिक क्षेत्र मानो सिहर उठे और देशके विभिन्न भागोंमें सभाएँ करके भारतीय सिविल सर्विसके इस रवैयेकी भर्त्सना की गयी।

माण्टेगोई सुधारकी रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ के दिन प्रकाशित हुई। इसका महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि बर्माको छोड़कर तत्कालीन भारतके महत्त्वपूर्ण प्रांतोंमें दोहरा शासन—जिसका अर्थ था कि एक प्रान्तीय सरकारके प्रशासकीय अधिकारके दो अंग होंगे—एकमें होंगे ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त गवर्नर और उनके प्रशासकीय सलाहकार और दूसरेमें होंगे विधानपरिषद्के निर्वाचित सदस्योंसे गवर्नर द्वारा नामजद मन्त्री या मन्त्रिमण्डल। पहले अगके अधिकारगत विषयोंको "सुरक्षित" और दूसरेके विषयोंको "हस्तान्तरित" कहा गया था। स्वशासन, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, निर्माण आदि विषय मन्त्रियोंके अधीन

रखनेका प्रस्ताव था। पर केन्द्रमें कोई दोहरा शासन नहीं था। सिर्फ वाइसरायकी कार्य-परिपद्धमें भारतीयोंकी संख्या बढ़ा दी जानेवाली थी। प्रान्तीय विधानपरिपद्धोंका विस्तार होना था और केन्द्रीय विधानपरिपद्धके बजाय एक विधानसभा और एक राज्यपरिपद्ध बनानेका भी प्रस्ताव था। देशी रजवाड़ोंकी भी एक परिपद्ध बननेकी थी। पूरी योजनाकी त्व-सूरत बात यह थी कि बहस करनेवाली परिपद्धोंमें भारतीयोंकी तादाद जरूर बढ़ा दी गयी थी पर असली अधिकार अंग्रेजोंके ही हाथमें रखे गये थे। देखनेमें जो शक्ति भारतीय मन्त्रियों और सलाहकारोंके हाथ आयी थी वह सिर्फ नामके लिए थी क्योंकि उन्हें वित्तपर कोई अधिकार नहीं था। स्वशासन अभी दूर था। इस सुधारके बाद भी भारतीय आर्थिक व्यवस्थाकी बागडोर पहलेकी तरह ब्रिटिश उद्योगोंके लाभार्थ संचालित होनी थी और आम जनताको पहलेकी तरह गरीबीकी चक्कीमें पिसना था। सिवा इसके कि इन सुधारोंसे कुछ भारतीयोंको देखनेके लिए कुछ इज्जतका ओहदा मिल जाय, जनताकी दशामें कोई परिवर्तन होनेवाला नहीं था, न उसे राजनीतिक आजादी मिलनी थी, न गरीबीसे राहत। रिपोर्टमें यह सिफारिश भी की गयी थी कि आर्इ. सी. एस. वर्गमें उच्चपदीपर ३३ प्रतिशत भारतीय होंगे—इस संख्यामें प्रतिवर्ष १॥ का इजाजा होता जायगा जबतक कि ब्रिटिश पार्लमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन स्थितिकी पूरी तरहकी जाँच करनेके बाद अपने नये सुझाव न दे दे। यह कमीशन नयी भारतीय व्यवस्थापिकाओंकी पहली बैठकके १० वर्ष बाद नियुक्त होगा और यही भारत सरकार तथा प्रान्तोंकी वैधानिक स्थितिकी जाँच करेगा। ये सिफारिशें भारतके बड़े लोगोंके लिए काफी आकर्षक थीं जो इनका उपयोग करके आर्थिक लाभ और सम्मान दोनों पा सकते थे। परन्तु, जैसा कि स्वाभाविक था, गरमदलीय लोगोंने इन्हें बेहद नापसन्द किया।

रिपोर्टके निर्माताओंने पहलेसे जान लिया था कि इसे लोग नापसन्द करंगे अतः इस बीच उन्होंने काफी कोशिशसे इस बातका इन्तजाम कर लिया था कि उनकी सिफारिशोंका भारतमें स्वागत हो जाय। वे यह भी जानते थे कि कांग्रेस गरमदलीय लोगोंके हाथमें चली गयी है और गरमदलीय लोगोंका उसमें अल्पमत रह गया है। इसलिए मांटग्यूने सुझाव दिया कि भारतीयोंको एकत्र करके एक नया संघटन बनाया जाय जिसे हमारे प्रस्तावोंके पक्षमें प्रचार करनेके लिए सरकार हर सम्भव तरीकेसे मदद दे और जो हमें मदद देनेके लिए ब्रिटेनमें भी प्रतिनिधिमण्डल भेजे।”<sup>१</sup> जब वे भारतमें थे तभी उन्होंने ऐसी संस्थाके संघटनके लिए काबिले-इतमीनान इन्तजाम कर लिया था। उन्होंने इस विषयपर कई लोगोंसे और भूपेन्द्रनाथ वसु तथा सर सत्येन्द्र सिनहासे भी बात की। अपनी डायरीमें उन्होंने लिखा—“हमने एक गरमदलीय संस्थाके निर्माणके बारेमें बात की। उन लोगोंका काफी उत्साह था और उन्होंने समाचारपत्रोंके सम्पादन और कई अन्य बातोंकी चर्चा की। मेरा ख्याल है कि वे सौदा करनेको राजी हैं।”<sup>२</sup> इसलिए योजनाके मुताबिक मांटफोर्ड रिपोर्ट छपनेके कुछ पहले कलकत्तामें नेशनल लिबरल लीगकी स्थापना की गयी। रिपोर्ट छपनेके दो दिनोंके भीतर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने इण्डियन एसोसियेशनकी बैठक बुलायी जिस संस्थाके साथ ही उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया था। बंगालके समझौतावादियोंकी बैठक

१. मांटग्यू डायरी, पृष्ठ १०४

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ११७

अगस्त १९१८ में नैशनल लिबरल लीगके तत्वावधानमें तथा राजा प्यारमोहन सुरजीकी अध्यक्षतामें हुई। लीगने न सिर्फ शासन मुधारकी उक्त रिपोर्टका स्वागत किया, सभापति महोदय 'तो काफी आगे बढ़कर शत्रुपूर्ण बात कह गये। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारतमें उत्तरदायी शासनकी स्थापनामें देर करके एकदम मुनासिब काम कर रहा है क्योंकि "भारतमें ८० नस्ले हैं, जिनकी अलग-अलग भाषाएँ, यहाँके लोगोंके १०० मतमतान्तर हैं। उनमें एकता तो है ही नहीं, भाईचारा भी मुस्विबल्ये ही दिखाई पड़ेगा।" इसी प्रकार बम्बईमें और अन्यत्र भी मुधारपरस्तोंने मुलेआम रिपोर्टकी सराहना की और जनताको सलाह दी कि वह इस रिपोर्टको मान ले।

रिपोर्टपर विचार करनेके लिए बम्बईमें कांग्रेसका असाधारण अधिवेशन अगस्त १९१८ में हुआ। नरमदलीय मुधारपरस्त पहले ही अपना अलग रास्ता बना चुके थे और उन्हें विश्वास भी था कि रिपोर्टको कांग्रेस नामजूर कर देगी—अतः इस अधिवेशनमें वे नहीं आये। लेकिन इस समाचारसे उन उग्रपंथियोंकी आँस खुल गयी जो मुधारवादियोंका सहयोग पानेकी व्यवस्थामें ऐसा प्रस्ताव पास कर चुके थे जो उतना बड़ा नहीं था जितना वह वस्तुतः हुआ होता। कांग्रेसके इस अधिवेशनमें उपस्थिति काफी थी—डेलीगेटोंकी संख्या ३,८४५ थी। चार दिनों के बाद इस नरमदलीय अधिवेशनमें कांग्रेसने दुनारा कांग्रेसलीग-योजनामें विश्वास प्रकट किया और घोषणा की कि साम्राज्यके मातहत पौरन स्वशासनसे रक्षीभर कम बातपर भारतीय जनताको सन्तोष नहीं होगा। कांग्रेसने रिपोर्टमें कुछ सशोधनोंकी माँग की और माँग की कि कानून बनाकर यह गारण्टी दी जाय कि १५ वर्षके अन्दर भारतमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना हो जायगी। कांग्रेसने एक प्रतिनिधिमण्डल इग्लैण्ड भेजनेका निश्चय किया। मुस्लिम लीगने भी राजा साहब महमूदाबादकी अध्यक्षतामें ऐसा ही प्रस्ताव पास किया।

कांग्रेसी नेताओंने सोचा था कि इस समझौतेकी भावनावाले प्रस्तावमें पास करनेके बाद उदारपंथियों यानी माडरेटोंको मनाकर कांग्रेसमें वापस लाया जा सकेगा। पर माडरेट वापस आनेके लिए नहीं गये थे। नवम्बर १९१८ में बम्बईमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय माडरेट सम्मेलन हुआ जिसमें माण्टेपोर्ट रिपोर्ट द्वारा प्रदत्त सुविधाओंका उपयोग करनेका निश्चय किया गया।

जबतक दिसम्बर १९१८ में कांग्रेसके साधारण अधिवेशनका दिल्लीमें आयोजन हो—महायुद्ध समाप्त हो चुका था। तिलक कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पर उन्हें एक मुद्देके मिलसिलेमें इग्लैण्ड जाना पड़ा। उनकी जगह अध्यक्ष-पदपर पण्डित मदनमोहन मालवीय चुने गये।

मालवीयजीने अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए मित्रराष्ट्रोंकी विनयपर सन्तोष प्रकट किया और कहा—“हमें इस बातका और अधिक अभिमान है कि परीक्षा और कठिन साधनाके दौरानमें मुझे हमारी जनतापर जो भीषण गुसीबतें डालीं उन्हें सहते हुए—उस समय भी जब आसमान बहुत घुँघला था ( अर्थात् ब्रिटेनका भाग्य सतर्कमें था ) भारतकी सहायके प्रति वफादारी और साम्राज्यकी गरते दमतक यथासम्भव पूरी मदद करनेके संकल्पसे रक्षी भर फर्क नहीं पड़ा। इग्लैण्डमें अपने राज्याभिषेकके बाद जब सन् १९११



में सम्राट्ने भारत पधारनेकी कृपा की तो हमने प्रसन्नता-पूर्वक वफादारीकी दुबारा शपथ ग्रहण की। हम अब भी ब्रिटिश सम्राट्की प्रजा बने रहनेके ह्छुक हैं; लेकिन एक दूसरा पहलू आत्मनिर्णयका है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है अर्थात् ब्रिटिश सरकारके मतहत रहते हुए अन्य स्वशासित प्रदेशों जैसी उत्तरदायी सरकारका अधिकार दिया जाय जो हमारे सभी घरेलू मसलोंकी व्यवस्था करे। हम तो अभी पूरी तरह वह भी नहीं माँगते। हम अपना शासन आप करनेकी वही व्यवस्था माँग रहे हैं जिसका संकेत हमने सन् १९१६ की कांग्रेस-लीग योजनामें किया था। हम आग्रह करते हैं कि उस स्वशासन अर्थात् उत्तरदायी सरकारका तौरतरीका उस आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके मुताबिक किया जाय जो इस महानाशकारी महायुद्धसे विजयी होकर निकला है। इतना करनेके लिए यह जरूरी नहीं है कि श्रीमंटेगू और लार्ड नेमसफोर्ट द्वारा बड़े परिश्रम-पूर्वक तैयार शासन-सुधारकी योजनाको बलायेताक रखकर नयी योजना तैयार की जाय।”

कांग्रेसने समझौता-पंथियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए समझौतावादी प्रस्ताव पास करनेकी परम्पराका इस अधिवेशनमें परित्याग कर दिया और माँग की कि प्रान्तोंमें पूर्णरूपेण उत्तरदायी शासन फौरन स्थापित किया जाय। अधिवेशनमें उपस्थित एकमात्र माउण्ट श्रीनिवास शास्त्री थे। उन्होंने एक संशोधन पेश किया कि पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापनाके लिए १५ वर्षका समय दे दिया जाय। श्रीमती वेसेण्टने उनका समर्थन किया लेकिन संशोधन गिर गया। कांग्रेसने शान्ति सम्मेलनमें अपने प्रतिनिधि भेजनेकी इच्छा प्रकट की और तिलक तथा हसन दगामको उसके लिए प्रतिनिधि नामजद किया। एक अन्य प्रस्तावमें भारत रक्षा कानून और प्रेसऐक्ट, राजद्रोही सभा कानून, अपराधी कानून संशोधक अधिनियम, और अन्य दगमकारी कानूनों तथा आदेशोंको रद्द करनेका आग्रह करते हुए नजरबन्दों और राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईकी माँग की गयी। रोलट कमेटीकी रिपोर्टकी जो अप्रैल १९१८ में सरकारके सामने पेश हो चुकी थी निन्दा की गयी। प्रस्तावमें कहा गया कि अगर कमेटीके सुझावके मुताबिक नया कानून बनाना मंजूर किया गया तो यह भारतीयोंके मौलिक अधिकारोंमें हस्तक्षेप होगा। कांग्रेसने यह भी निश्चय किया कि सम्राट्को वफादारीका सन्देश भेजा जाय और “युद्धमें सफलताके लिए बधाई दी जाय।”

दिल्ली कांग्रेसमें, अब इस बारेमें कोई शक नहीं रह गया था कि माउण्ट लोय कांग्रेसमें वापस नहीं आयेंगे। इसलिए उनको बाहरी आदमी मानकर उपेक्षाकी नजरसे देखा जाने लगा। कांग्रेसमें उनके विरुद्ध जो भावना थी उसकी प्रतिध्वनि देशमें भी थी—उन्हें खुलेआम गद्दार, नौकरी-परस्त आदि कहकर उनकी भर्त्सना की जाती थी। सार्वजनिक संभाओंमें चीखपुकारके कारण उनका बोलना दूभर हो जाता था।

मुस्लिम लीगका अधिवेशन भी, दिल्लीमें बदस्तूर कांग्रेसके पण्डालमें ही, श्रीफजल्लुहककी अध्यक्षतामें हुआ। अधिवेशनके आरम्भमें ही एक सनसनी पैल गयी थी। सरकारने एक आर्डर भेजकर स्वागताध्यक्ष श्री एम० ए० अंसारीके छपे हुए भाषणको जव्त एवं अवैध घोषित कर दिया। लीगने एक प्रस्तावमें माँग की कि आत्म-निर्णयका सिद्धान्त, जैसा कि राष्ट्रसंघमें मंजूर हुआ है, ब्रिटेन द्वारा भारतमें भी लागू किया जाना चाहिये क्योंकि वह भी राष्ट्रसंघके प्रमुख सदस्योंमेंसे एक है। अध्यक्षपदसे बोलते हुए श्रीफजल्लुहकने कहा कि ब्रिटिश

शासनमें भारतरा भौतिक विकास रुका पडा है। आपने ब्रिटिश शासनकी निन्दा करते हुए कहा कि उसीके कारण देशकी सम्पत्ति निराल्कर विदेशोंको मालामाल करती है।

हिन्दू मुसलमानोंकी राजनीतिक एकताका यह दौर कांग्रेस और लीग दोनोंके लिए अग्नि-परीक्षाका समय था। हिन्दू मुस्लिम दंगे, जिनका हम अभी विवरण देंगे, कई जगहोंपर हो चुके थे, फिर भी दोनों सघटन ठससे अप्रभावित रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि अपने एक लक्ष्य स्वराज्यपर स्थिर रखी थी।

लीगने एक प्रस्ताव और पास किया जिसमें तुर्कोंके मुन्तानना असली तलीफकी हैसियतसे मुगलमान तीर्थोंपर अधिकार बने रहने देनेकी आवश्यकतापर जोर दिया गया था। इससे कुछ महीने पहलेकी उम घटनाका भी जिक्र करना आवश्यक है जब कलकत्तेके मुसलमानोंने ब्रिटिश अपसरोंपर हमला करनेकी धमकी दी थी। युद्धसे सम्बन्धित एक समाचारमें मुसलमानोंकी धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुँची थी। एक पर्चा व्यापक रूपसे बाँटा गया था जिसमें मुसलमानोंसे अत्यन्त उत्तेजनात्मक भाषामें इस्लामकी रक्षाके लिए कसर बस एक सार्वजनिक सभामें आनेकी अपील की गयी थी। यह हुआ था सितम्बरके दूसरे सप्ताहमें। सभाके कुछ सघटनकर्त्ताओंको बंगाल गवर्नरने मिलनेके लिए बुलाया और आग्रह किया कि समा न की जाय। यह प्रयत्न नाजमयाव रहा—इतना ही नहीं मुगलमानोंका रोष इस इदतक उमड़ा कि भीड़ राजभवनकी ओर चल दी। “गोरे डिप्टी कमिश्नरकी गर्दनमें छुरा मार दिया गया और कुछ कपड़ेकी दूकान लूट ली गयी।” पुलिसने भीड़पर गोली चलायी। भारतीय फौज बुलाकर ९ सितम्बरकी रातको शहरमें जगह जगह तैनात कर दी गयी। प्रदर्शनकारियोंकी भीड़ फिर जमा हो गयी और उनपर फौजने गोली चलायी, पर इससे हालत और बिगड़ गयी। तीन कारखानोंमें मजदूरोंने काम करनेसे इनकार कर दिया और प्रदर्शनकारियोंसे मिलनेके लिए वे जल्दूस बनाकर चल दिये। उनपर भी कई बार गोली चलायी गयी और उन्हें कलकत्ता शहरमें घुसने नहीं दिया गया।

भारतके मुगलमान नेता तुर्कोंके प्रति ब्रिटेनके रपेयेको सगक दृष्टिये देखते थे। इसी शककी प्रतिध्वनि फजलुलहकके अध्यक्षपदवाले भाषणमें भी सुनाई दी। शब्द ये थे— “मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अग्रेज इस मौकेका फायदा उठाकर तुर्कों और उसके कारण आनेवाली यूरोपीय समस्याओंको जड़से खत्म कर दे—यह काफी गौरतलब सवाल है।” स्वीकृत प्रस्तावमें आशा प्रगट की गयी कि ब्रिटिश साम्राज्य और मुसलमान राज्योंके बीच पूर्ण समझौता और चिरस्थायी मैत्री समानता और न्यायके आधारपर बनी रहेगी।

अखिल भारतीय होमरूल लीगने भी कांग्रेस और मुस्लिम लीगके ही समान आग्रहका प्रस्ताव शासनसुधारके सम्बन्धमें पास किया और निश्चय किया कि कांग्रेसको सहयोग दे कर उसे ही मजबूत बनाया जाय।

## अध्याय १७

### पंजाब हत्याकाण्ड

सन् १९१९, जबसे भारतीय इतिहासमें यथार्थमें गान्धीयुग आरम्भ होता है, राजनीतिक-तूफानोंका साल था। अमृतसरमें अंग्रेजोंकी बर्बरतासे—जो जालियाँवाला बागके हत्याकाण्डके नामसे अधिक प्रसिद्ध है—सारं सभ्य संसारके रोंगटे खड़े हो गये। जिम तरहसे एक हजार निहत्थे हिन्दोस्तानी गोलियोंसे भून डाले गये उससे इमानदार अंग्रेजतक स्तब्ध रह गये। यद्यपि अंग्रेज भारतीयोंके साथ कभी सभ्य आदिमियोंकी भाँति व्यवहार नहीं करते थे परन्तु अमृतसर-काण्ड तो इतना बर्बर था कि उसका वर्णन शब्दोंमें किया ही नहीं जा सकता।

जालियाँवाला हत्याकाण्ड अकृतज्ञ शासकोंकी कहानी है। वैधानिक स्तरपर आन्दोलन चलानेमें विश्वास करनेवाले भारतके राजनीतिक नेताओंने स्वेच्छा और उसाहसे युद्धमें अंग्रेजोंका साथ दिया। गान्धीजीने एक धर्मप्रचारक (मिशनरी) की भाँति लोगोंको भरताके लिए प्रेरित किया। वे अंग्रेजोंके इस संकटके समय उनकी पूर्ण सहायता करनेके पक्षमें थे। युद्धमें सहायताके लिए जनता चुपचाप सब शोषण सहन कर रही थी। भारत सरकारने अंग्रेजोंके लिए दस करोड़ पाँण्ड भेंट किये। लड़ाईके कारण गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे थे और अमीरोंकी अमीरी बढ़ रही थी। साधारण जनता नित्यके बढ़नेवाले करोंके बोझसे तवाह हो रही थी। जब करोंसे काम न चला तो सरकारने मुद्रा-प्रसारकी नीति अपनायी। चीजोंके बढ़ते हुए दाम लोगोंको लड़ाईकी याद दिलाते थे—एक ऐसी लड़ाईका जिससे भारतका कोई सम्बन्ध ही न था। बड़े-बड़े सेटोंने अवसरका लाभ उठाते हुए और ज्यादा धन जमा करना शुरू कर दिया। मुनाफाखोरी और सट्टेके कारण कीमतें और चढ़ गयीं। मिलमालिक अत्यधिक मुनाफा बटोर रहे थे मगर मजदूरोंको उचित तनखाहँतक न मिलता। हड़तालें हुईं। भूखी जनता द्वारा लूटनेकी घटनाएँ हुईं। लगातार महामारियोंके कारण भी आर्थिक संकट उग्रतर होता गया। सबसे पहले जुलाई १९१७ में प्लेगका प्रकोप हुआ जिसमें आठ लाख लोग कालके ग्रास बने। अगली गर्मियोंके इन्फ्लूएँजोंने तो जैसे युद्ध-क्षेत्रकी मृत्युसंख्याको चुनौती दे रखी थी। पाँच महीनेके अन्दर साठ लाख आदमी मरे। और फिर आयी अत्यधिक वर्षा; जिसका नतीजा न सिर्फ आर्थिक तवाही था, बल्कि जिसकी वजहसे प्रचण्ड हैजा और मियादी बुखार फैले, जिन्होंने जो खोलकर मनुष्योंका शिकार किया। हर गरीब मुल्ककी भाँति भारतमें भी मृत्यु कष्टोंसे मुक्ति मानी जाती है। परन्तु जीवितोंकी दशा तो मरनेवालोंसे भी अधिक दयनीय थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पचास और अस्सी फीसदीके बीच जनता महामारियोंसे ग्रसित थी। मानो यह काफी नहीं, १९१८ और १९ में लोग जीवन-दायक मौसमसे भी वंचित रह गये। “ऐसा कोई प्रान्त न बचा जहाँ मौसमकी कमीसे लोगोंने कष्ट न पाया हो—कहीं कम और कहीं पूरी तौरपर। जिसका परिणाम यह हुआ कि १९१८-१९ की फसलें पिलले दस सालमें सबसे ज्यादा तवाह थी।” भारतीय जनतामें कष्टसहनकी शक्ति असीम होती है। अगर वह उठती है तो तालाबकी

लहरोंकी भौति जो तूफान खत्म होने पर खुद गायब हो जाती हैं। वे लोग किसी तरह जिन्दगी में मगर दशा इतनी गिर चुकी थी कि एक बुद्धिमान नेता उनसे जो चाहे करवा सकता था। राजनीतिक क्षेत्रमें प्रान्तिकारी लोग अराजकताके काम तेजीसे कर रहे थे। परन्तु जनता उदासीन थी, सिवा इसके कि कभी क्रान्तिकारियोंकी बहादुरीसे रोमांचित हो जाती। फिर भी भारतके देशभक्तों और विशेषतया बंगालके देशभक्तोंके साथ सरकारके अमानुषिक व्यवहारसे समूचे देशमें रोपकी लहर पैल गयी। न्यायकी अपेक्षा तात्कालिक आवश्यकताकी ही अधिक महत्त्व दिया जाता था। बंगालके बाँकुडा जिलेके एक गाँवकी स्त्री सिन्धुवालाका मामला इसका ज्वलन्त उदाहरण है। एक 'सतरनाक' प्रान्तिकारीके कागजोंमें एक पत्रपर सिन्धुवालाका पता पत्रडा गया। पुलिसने एक घरपर छापा मारा और तलाशी ली; मगर उसे वहाँ उस नामकी कोई औरत न मिली। पुलिसवालोंको पता लगा कि एक विलकुल ही भिन्न पुरुषकी पत्नीका नाम भी सिन्धुवाला है। उनके लिए यह काफी था, और उन्होंने पौरन ही उस स्त्रीको गिरफ्तार कर लिया। पुलिसके बीच घिरो हुई वह स्त्री इतनी भयभीत हो गयी कि पूछने पर उसने पुलिस सुपरिंटेंडेंटको बताया कि उसके भाईकी बीबीका नाम भी सिन्धुवाला है और वह एक दूसरे गाँवमें रहती है। दोनों सिन्धुवालाओंको गिरफ्तार कर पैदल ही पुलिसके थानेतक ले जाया गया। उनकी पन्द्रह दिनतक हवालातमें बन्द रखा गया। मगर चूँकि मुकदमा चलानेके लिए उनके खिलाफ कोई सबूत न मिल सका, इसलिए दोनों औरतें छोड़ दी गयी। यह घटना जनवरी १९१८ की है। इस घटनासे लोगोंकी अन्तरात्मा कराह उठी। विरोधसभाएँ की गयीं और बंगाल विधानपरिषद्में एक प्रस्ताव पेश किया गया। लोगोंका ध्यान बँटानेके लिए अग्रजोंकी एक वैधानिक चाल जाँच समिति नियुक्त कर देना था। इस मर्तवा भी बंगाल सरकारने नजरबन्दियोंके मामलोंपर गौर करनेके लिए न्यायाधीश बीचक्रीपट और सर नारायण चन्द्रावरकरकी एक समिति नियुक्त कर दी। बंगालकी जेलोंमें उस समय ८०६ नजरबन्द बँदी थे। समितिने केवल छः आदमियोंको छोड़नेकी सिफारिश की। समितिका तर्क था कि "सब व्यक्तिगत मामले आपसमें एक दूसरेमें हम तरह सम्बद्ध हैं कि वे एक ही वस्तुके अभिन्न अंग, प्रान्तिके अनवरत प्रवाहके सदस्य हो जाते हैं। और जबतक आन्दोलनकी पूर्णतः समाप्ति नहीं हो जाती, तबतक उसे हम जीता जामता तथा विभिन्न अगोमें लम्बमान ही मान सकते हैं।"

१९१८ की गरमियोंमें दक्षिण भारतके राजनीतिज्ञ और सरकारके पशनयापता सर सुब्रह्मण्य अय्यरने विरोधस्वरूप अपना 'सर' का खिताब त्याग दिया। एक वर्ष पूर्व उन्होंने अमेरिकाके प्रेसीडेंट विल्सनको एक पत्र लिखा था कि यदि भारतको राजनीतिक स्वतन्त्रता देनेका वादा कर दिया जाय तो वे लड़ाईके लिए एक करोड़ आदमियोंको तैयार कर सकते हैं। भारतकी दशापर एक अनुच्छेदमें उन्होंने लिखा—“श्रीमान्, मुझे यह कहनेकी इजाजत दीजिये कि भारतमें दुश्मसन और दमनकी पूरी दशासे आप और दूसरे नेता पूरी अज्ञानतामें ररे गये हैं। विदेशी भाषाके बोलनेवाले विदेशी राष्ट्रके अधिकारी हमारे उपर जबरदस्ती अपनी इच्छा लादते हैं। वे स्वयं अत्यधिक तनख्वाहें व अन्य भत्ते ले लेते हैं, हम शिक्षासे भी वंचित हैं, वे हमारा धन छुटते हैं, बिना हमारी सम्मतिके हमेशा बर्बाद कर देनेवाले भारी कर लिये जाते हैं, देशभक्तिकी भावनाके कारण हमारे हजारों साथी जेलोंमें

बन्द कर दिये गये हैं। जेलें इतनी गन्दी हैं कि अक्सर बन्दी घृणित बीमारियोंसे मर जाते हैं।”

भारत-सचिवने इस पत्रको ‘अपमानजनक’ बताया और बादमें जब सुब्रह्मण्य अन्वर उनसे मिले तो वाइसराय और भारत-सचिव दोनोंने उनकी भर्त्सना की। वे वहाँमें बहुत खिन्न होकर लौटे और मद्रास सरकारको एक पत्र द्वारा अपने ‘खिताब’ त्याग देनेकी सूचना दे दी और अखबारोंमें यह खबर छपवा दी।

एक उदाहरण और देनेके बाद, १९१९ की पूर्णाहुतिके प्रत्यक्ष कारणोंपर दृष्टि डालेंगे। वहाँ हमें नीचताने भरे घमण्डका एक उदाहरण मिलता है। पटना हाईकोर्टके भूत-पूर्व न्यायाधीश और १९१८ की कांग्रेसके विशेष अधिवेशनके अध्यक्ष हमन इमाम एक बार रेलके प्रथम-श्रेणीके डिब्बेमें यात्रा कर रहे थे। रास्तेमें एक स्टेशनपर विहार सरकारकी नौकरी करनेवाले भारतीय सिविल सर्विसके अधिकारी क्लेन्टन भी उसी डिब्बेमें चढ़े। एक भारतीयको उसी डिब्बेमें यात्रा करते देखकर उन्हें इतना क्रोध आया कि वे हमन इमामकी छातीपर चढ़ बैठे। जब भूतपूर्व न्यायाधीशने हमपर आपत्ति की तो उन्हें गालियाँ दी गयीं।

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं तुर्की-इटालियन और तुर्की-बाल्कन युद्धमें अंग्रेजोंके रवैयेके कारण, मुस्लिम नेताओंने १९१३ में अंग्रेजोंसे नाता तोड़ लिया था। ‘जर्मादार’ नामी अन्वयार प्रकाशित करनेवाले पंजाबके जफर खानि, तुर्की-बाल्कन हिलाल-आन्दोलन संबन्धित किया। यह ईसाई-विरोधी और अंग्रेज-विरोधी आन्दोलन था। जफर खानका अखबार दिनों-दिन ज्यादा विरोधी और राजद्रोहात्मक होता जा रहा था। सरकारने १९१४ में इस अखबारको बन्द कर दिया। “जब तुर्कीके दो डाक्टर, ‘बाल्कन हिलाल’की तरफसे प्राप्त सहायताके बदले, लद्दाखकी वादयाही मस्जिदमें दो कालीन भेंट करनेके लिए आये तो भारतीय मुसलमानोंकी तुर्कीके प्रति भावनाएँ और तीव्र हो उठीं।”

जाहिर था कि तुर्कीने अपना निकट भविष्य निश्चित कर लिया था और उसीके अनुसार वहाँ कार्य किया जा रहा था। तुर्कीके युद्धमें शामिल होनेके फौरन बाद ही मुस्तानने धार्मिक युद्धकी घोषणा कर दी और ‘जिहाद’ में खलीफाकी मददके लिए दुनिया भरके मुसलमानोंका आह्वान किया। सहायताकी माँगके लिए भारतीय मुस्लिम नेता कुछ कर न सक्ते थे। तुर्कीके प्रति उनकी सहानुभूति थी परन्तु वे असहाय थे। मुस्लिम-अंग्रेज विरोध और हिन्दू-मुस्लिम एका बढ़ रहा था। परन्तु अंग्रेजोंके ऊपर मुसलमानोंके विरोधका कोई टोस असर न पड़ा, उन्हें पंजाबसे हिन्दू-मुसलमान दोनों तरहके लोग फौजी भरतीके लिए बराबर मिल रहे थे। लड़ाई खत्म होने पर मुसलमान तुर्कीके लिए और चिन्तित हो उठे। भारतीय मुसलमानोंकी चिन्ता उन समय और बढ़ गयी जब उन्हें मालूम हुआ कि मित्रराष्ट्र तुर्की-नाम्नाख्यको छिन्न-भिन्न करने जा रहे हैं। उन्हें डर लगा कि खलीफाका पद अब खतरे में है।

युद्धके बादकी राजनीतिपर इन सब बातोंका प्रभाव पड़ा।

सन् १९१९ की घटनाओंको आरम्भ करनेवाली रोलेट-कमेटीकी सिफारिशें थीं। यह

१. दृष्टियन एनुअल रजिस्टर (१९१९), भाग दो, पृष्ठ ४५.

२. लेफ्टिनेन्ट जनरल सर जॉर्ज मैकमुन—‘दरमोहल एण्ड ट्रेजरी इन इण्डिया १९१४ एण्ड आफ्टर’ पृष्ठ ६७

कमेटी १० दिसम्बर १९१७ को नियुक्त की गयी थी। असलमें, जनवरी १९१८ में कमेटीने मुक्त रूपसे अपनी बैठकें शुरू की। कमेटीकी नियुक्ति अंग्रेजोंकी चातुरीका एक नमूना थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लडाईं १९१८ के अन्तके पहले ही रत्न हो जायगी और लडाईंके खतम होनेके छः महीना बाद भारत सुरक्षा कानूनकी अवधि खत्म होनेवाली थी। इस कानूनने अंग्रेजी न्यायके सिद्धान्तोंको वस्तुतः समाप्त कर दिया था और नौकरशाहीके हाथमें भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनमें काम करनेवाले भारतीयोंकी जिन्दगियों और सम्पत्तिको कुचलने और लूटनेके लिए अनियन्त्रित ताकत दे दी थी। सरकार जानती थी कि जिन राजनीतिक दलोंने अंग्रेजोंको लडाईंमें पूर्ण सहायता दी है, लडाईं खत्म होने पर वे स्वराज्यकी माँग करेंगे—यह वह सिद्धान्त था जिसके लिए अंग्रेजोंने लडाईं लड़ी थी और भारतीयोंकी सहायता प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजोंने भारतीयोंके लिए 'कुछ सुधार' अवश्य सोच रखे थे परन्तु चूँकि ये सुधार भारतीयोंकी आशासे बहुत कम थे इसलिए लाजिमी तौरपर असन्तोष बढ़ता। नौकरशाहीकी समक्षमें अराजकतावादियोंके नेतृत्वमें यह असन्तोष ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता जिसका मुद्दागला नौकरशाही असाधारण कानून बनाकर ही कर सकती थी। रौलट-कमेटीका उद्देश्य एक तरफ तो गम्भीर राजनीतिक असन्तोषको दवानेके लिए भारत सुरक्षा कानूनसे अधिक कठोर कानून बनाना था और दूसरी तरफ अंग्रेजी जनताको यह समझाना था कि यह कानून बनाना आवश्यक है। रौलट कमेटीने दो प्रकारके—निरोधात्मक और दण्डात्मक—कानून बनानेके सुझाव दिये। कमेटीने लिखा कि "राजद्रोहात्मक अपराधोंके मुद्दोंमें बिना जरी या असेसरके तीन तीन जजोंकी बच बनावर किये जायें; इन मुद्दोंमें न अपीलना हक हो और न फर्द जुर्म वगैरह लगानेकी प्रारम्भिक काररवाई आवश्यक हो।" कमेटीने दण्डके सम्बन्धमें जो सुझाव दिये उनमें ये भी सिफारिशें थीं—आवासपर प्रतिबन्ध लगा देना, व्यक्तियोंको समय समयपर पुलिसके सामने हाजिरी देनेके लिए बाध्य करना, बिना कोई कारण बताये गिरफ्तार कर लेना और पुलिसके आलावा लोगोंको दूसरोंकी हिरासतमें रख लेना। यह भी सिफारिश की गयी थी कि 'पतननाक व्यक्तियों'को भारत सुरक्षा कानूनके खत्म होनेके बाद भी नजरबन्द रखा जाय।

जनवरी १९१९ में भारत सरकारने घोषणा की कि केन्द्रीय विधानसभाके परवरी अधिकेशनमें यह रौलट कमेटीकी सिफारिशोंके सुताविन कानून बनायेगी। लोकमत प्रस्तावित कानूनके विरुद्ध था। यहाँतक कि नरमदलीय लोग भी इसके खिलाफ थे। उस समय गान्धीजी सख्त बीमार और उनके ही शब्दोंमें 'मृत्यु द्वारके निजट थे'। अभी गान्धीजी ठीक हो ही रहे थे कि उन्होंने अम्बरारोंमें रौलट कमेटीकी रिपोर्टके बारेमें पढा। कमेटीकी सिफारिश देखकर वे चौंक उठे और उन्होंने बल्लभभाई पटेलसे कहा कि 'पीरन ही कुछ करना चाहिये।' उन्होंने सुझाव दिया कि "अगर ऐसे मुद्दों भर आदमी भी मिल जायें जो प्रतिरोधकी प्रतिष्ठापर हस्ताक्षर करनेको तैयार हों और उनके विरोधके बावजूद जन प्रस्तावित प्रस्तावोंको कानूनका रूप दे दिया जाय तो उन्हें पीरन सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिये। यदि मैं स्वयं कण शक्यापर इसी तरह न पढा रहा तो मैं अग्रेला ही लडाईं शुरू कर दूँगा और मुझे आशा है कि दूसरे अनुकरण करेंगे। परन्तु अपनी वर्तमान अगहाय अवस्थामें मैं अपनेको इस कामके लिए पूरी तौरपर अयोग्य समझता हूँ।"<sup>१</sup>

शंकरलाल बैंकर इन आन्दोलनका संघटन करनेमें फौरन ही जुट गये। मत्याग्रह करनेका निश्चय किया गया परन्तु मत्याग्रह कांग्रेसके नाममें नहीं शुरू किया जानेवाला था। गान्धीजी 'लिखते हैं—“चूँकि वर्तमान संघटनों द्वारा मत्याग्रह जैसे सुन्दर हथियारके अपनानेकी कोई आशा नहीं रही, इसलिए मेरे जोर देने पर अलग एक संस्था—मत्याग्रह सभा—स्थापित की गयी। मत्याग्रह सभाके सदस्य मुख्यतया बम्बईके थे, इन कारणोंसे प्रधान कार्यालय भी वहीं रखा गया। परन्तु जारी किये गये, और हर जगह बढ़ी बढ़ी सभाएँ की गयीं। ये सभाएँ 'खेड़ा आन्दोलन' की मभाओंकी भाँति ही होतीं।' गान्धीजी सभाके अध्यक्ष बनाये गये।

१८ मार्चको उन्होंने अनेक आदर्शियोंके हस्ताक्षरों युक्त एक घोषणा छपवायी जिनमें उन्होंने कहा कि “हमारी सम्मतिमें १९१९ का भारतीय दण्ड विधान संशोधन विधेयक नं० १ और १९१९ के दण्ड विधान असाधारण आविचार विधेयक नं० २ अन्यायपूर्ण हैं और स्वतन्त्रता तथा न्यायके सिद्धान्तोंके विपरीत हैं तथा व्यक्तिके उन प्रारम्भिक अधिकारोंपर कुटाराघात करते हैं जिनपर भारत और राज्यकी सुरक्षा आधारित है। हम निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ये विधेयक कानून बन गये तो जयतक ये वापस नहीं लिये जाते हम मविनय इन कानूनों तथा उन कानूनोंकी भी तोड़ेंगे जिन्हें भविष्यमें नियुक्त होनेवाली कमेटी भंग करना उचित समझेगी। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि संघर्षमें हम सत्यका अनुसरण करेंगे और जन, धन तथा सम्पत्तिको कोई हानि नहीं पहुँचायेंगे।”

गान्धीजीने वाइसरायको निर्जा और खुले स्वतः लिखे जिनमें उन्होंने लिखा कि “सरकारने मेरे लिए मत्याग्रहके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है।” परन्तु वाइसराय नहीं सुके।

इसी बीच चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कस्तूरी रंगा अय्यरने मत्याग्रहकी योजनापर बहस करनेके लिए गान्धीजीको बम्बई बुलाया।

गान्धीजी वहीं थे कि खबर आयी कि रॉलेट-विधेयकको एकट बनाकर छाप दिया गया है। दूरे दिन सवेरे गान्धीजीने राजगोपालाचारीको एक स्वप्न सुनाया। गान्धीजीने कहा कि “कल रात स्वप्नमें मुझे यह विचार सूझा कि हमें देशभरमें आम हड़तालका नारा देना चाहिये। मत्याग्रह आरम्भिकी एक विधि है और हमारा संघर्ष एक पवित्र संघर्ष है और मुझे यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मत्याग्रहको आत्मशुद्धिके ही एक कार्यमें आरम्भ करना चाहिये। इसलिए भारतके सब लोग एक राजके लिए अपने काम-बन्धे बन्द करके प्रार्थना और उपवासमें बह दिन बितावें। सम्भव है कि मुसलमान चौबीस घण्टेने अधिककाल व्रत न रखें। इसलिए व्रतकी अवधि चौबीस घण्टेकी होनी चाहिये। यह कहना बहुत मुश्किल है कि मद्य सूखे इस मौनके जवाबमें उठ खड़े होंगे; लेकिन मुझे बम्बई, मद्रास, बिहार और सिन्धका पूरा भरोसा है। मेरा ख्याल है कि यदि यहीं प्रान्त शानदार ढंगसे हड़ताल मनाते हैं तो हमें मनुष्य होना चाहिये।”

आम हड़ताल, व्यापारको बन्द रखने, उपवास और प्रार्थना करने, और देशभरमें सभाएँ करनेके लिए ३० मार्च १९१९ का दिन नियत कर दिया गया। बादमें यह दिन

१. गान्धी, वहीं पुस्तक, पृष्ठ ५५९

२. वहीं पुस्तक, पृष्ठ ५६२

बदल कर ६ अप्रैल कर दिया गया। नरमदलीय समावतः सत्याग्रहके विरुद्ध ये और श्रीमती बेरोपटने गान्धीजीको आन्दोलन न आरम्भ करनेकी सलाह दी; परन्तु गान्धीजी इस कदमको वापस नहीं ले सकते थे। “पूर्व भारतमें एक कोनेसे दूसरे कोनेतक, क्या शहर और क्या गाँव, सब जगह ६ अप्रैलको पूर्ण हड़ताल मनायी गयी।”

कैंचि दिल्लीमें तारीख बदलनेका तार देरमें पहुँचा इसलिए वहाँ हड़ताल ३० मार्चको ही हो गयी। हिन्दू मुस्लिम एकताके साथ दिल्लीकी यह हड़ताल अग्रतपूर्व थी। हकीम अजमल खॉं और स्वामी श्रद्धानन्द इस हड़तालके सघटनकर्त्ता थे। श्रद्धानन्दको जामा मस्जिदमें भाषण करनेकी सुलाया गया। श्रद्धानन्दने वहाँ भाषण किया। “रेलवे स्टेशनकी तरफ जाते हुए हड़तालियोंके जुत्तोंको पुलिसने रोका और गोली चला दी जिसमें कई आदमी मर गये और दिल्लीमें दमनचक्र चलना शुरू हो गया। रेलवे स्टेशनके बाहर ६॥ बजेके करीब एक भीड़ इकट्ठी हो गयी। रेलवेके टेक्दारमे, जिसने अपना काम बन्द नहीं किया था, थोडा सा झगडा होनेके बाद और भीड़के दो आदमी गिरफ्तार कर लिये गये, तब लोगोंने स्टेशनपर हमला कर दिया। पौरन ही अंग्रेजी सेनाकी मदद माँगी गयी और भीड़पर कई भर्त्सा गोली चलाई गयी। बहुतसे आदमी हताहत हुए और कई घटनास्थलपर ही मर गये। कई दिनोंतक दूकानें बन्द रहीं; रेलके मुसाफिर भी रुके रहे। स्वामी श्रद्धानन्दने गान्धीजीको एक तार भेजकर प्रार्थना की कि आप पौरन ही दिल्लीको खाना हो जायें। गान्धीजीने उत्तर दिया कि मैं दिल्ली अपश्य आऊँगा; परन्तु बम्बईमें ६ अप्रैलका प्रदर्शन उमास होनेके बाद ही।

बम्बईमें भी दिल्लीकी ही भाँति हिन्दू मुस्लिम एकताका प्रदर्शन हुआ। मुसलमानोंके निमन्त्रणपर गान्धीजी और एरोजिनी गायडूने मस्जिदमें भाषण किये। शहरमें पूर्ण हड़ताल रही और यह निश्चय किया गया कि ऐसे कानूनोंके खिलाफ सविनय अग्रज्ञ आन्दोलन चलाना चाहिये जिन्हें जनता आसानीसे तोड सके। “नमरुकर अत्यधिक बदनाम था और कुछ दिनोंमें इसे रद्द करवानेके लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन चल रहा था।” इसलिए गान्धीजीने सुझाव दिया कि “नमरु कानून तोडकर लोग समुद्रके पानीसे अपने अपने घरोंमें नमरु बनायें।”

उनका दूसरा सुझाव जस्त साहित्यकी विनीके बारेमें था। गान्धीजीकी दो कित्तवें हिन्दू स्वराज्य और सर्वोदय (रिफ्रानकी अन दू दी लास्टका गुजराती अनुवाद) जो जन्त कर ली गयी थी इस कामके लिए मुलभ हो गयीं। “इन कित्तवोंको छापना और खुले बाजारमें बेचना सविनय अवज्ञा आन्दोलनका सबसे महज रूप था। इसलिये ये कित्तवें एक बडी सरक्यामें छायी गयीं और ग्रह निश्चय किया गया कि हड़तालकी शामको विराट् मभाके बाद ये कित्तवें बेची जायें। ६ तारीखकी शामको स्वयत्वेवनोंकी एक मेना इन कित्तवोंको टेकर बेचनेके लिए पहुँची। बातकी बातमें सब प्रतियों निकल गयीं। इस विनीकी आमदनी सविनय अग्रज्ञा आन्दोलनको चलानेके लिए उपयोगमें लायी जानेवाली थी।” इन कित्तवोंका दाम चार आना प्रति पुस्तक रखा गया; परन्तु बहुतसे लोगोंने चार आनेकी जगह अपनी जेबका कुल पैसा इन उद्देश्यके लिए दे दिया। एक आदमीने तो एक

१. गांधी, वही पुस्तक, पृष्ठ ५९३

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५९६



किताबके लिए पचास रुपया दिया। परन्तु सरकारकी इस घोषणाने कि किताबकी अगली प्रतियाँ जस्त न मानी जायेंगी, जनताके उत्साहपर पानी फेर दिया। “इस खबरने आम निरुत्साह पैदा कर दिया।”

७ अप्रैलकी रातको गान्धीजी अमृतसर और दिल्लीके लिए रवाना हो गये। अगले दिन मथुराके निकट पलवालके स्टेशनपर उनके ऊपर सम्मन जारी कर दिया गया; जिनमें उनके पंजाब सीमामें प्रवेशपर निषेध लगा दिया गया; क्योंकि गान्धीजीके पंजाबमें प्रवेश करनेसे शान्ति-भंगका अन्देश था। गान्धीजीको रेलसे उतरनेकी आज्ञा दी गयी। उन्होंने उतरनेसे इनकार कर दिया और कहा कि “मैं एक निमग्नणके उत्तरमें पंजाब जा रहा हूँ। मैं असन्तोष पैदा करनेके लिए नहीं बल्कि असन्तोषको शान्त करनेके लिए जा रहा हूँ। इसलिए मुझे दुःख है कि मेरे लिए इस आज्ञाको मानना सम्भव नहीं है।” उनको रेलगाड़ीसे नीचे उतार लिया गया और पुलिसकी निगरानीमें बम्बई वापस भेज दिया गया; जहाँ वे मुक्त कर दिये गये।

परन्तु गान्धीजीकी गिरफ्तारीका समाचार बम्बई पहुँच चुका था और उत्तेजित लोगोंकी भीड़ शहरमें इधर-उधर घूम रही थी। इसलिए गान्धीजीने लोगोंको दर्शन दिया और एक सार्वजनिक सभामें भाषण किया। उन्होंने कहा कि “सत्याग्रह यथार्थमें एक सत्यवादीका ही हथियार है। सत्याग्रही अहिंसाका पालन करनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है और जबतक लोग इसको मनसा, वाचा, कर्मणा माननेके लिए प्रस्तुत न हों तबतक मैं जनसत्याग्रह नहीं कर सकता।” इस भाषणसे लोगोंकी उत्तेजना शान्त हो गयी।

लेकिन अहमदावादमें यह गलत अफवाह उड़ गयी कि अनुसूया बैन गिरफ्तार हो गयीं। सामाजिक कार्यकर्त्री अनुसूया बैनका अहमदावादमें बहुत आदर था। मिलके मजदूरोंमें इस अफवाहसे बहुत उत्तेजना फैल गयी और उन्होंने कुछ सरकारी दफ्तरोंमें आग लगा दी, टेलीफोनके तार काट डाले और यूरोपीयोंपर हमला किया। एक पुलिस सार्जेंटको भीड़ने मार डाला। पड़ोसमें ही फौजियोंसे भरी एक रेलगाड़ीको पटरीसे उतार दिया गया। लोगोंपर बारबार गोलियाँ चलायी गयीं जिनमें २८ आदमी मरे और १३५ घायल हुए। घायलोंकी ठीक संख्या नहीं मालूम। अहमदावादमें मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। वीरमगाममें एक अंग्रेजी अधिकारी मार डाला गया। लोग भयव्रत हो गये। लोगोंने हिंसात्मक कामोंमें हिस्सा लिया था और अब उनसे इसका बदला मय सूदके वसूल किया जा रहा था। अन्तोगत्वा गान्धीजी शान्ति स्थापित करनेमें सफल हो गये। उन्होंने एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए घोषणा की कि “पञ्चात्तापस्वरूप मैं तीन दिनका उपवास करूँगा और जनतासे भी एक दिनका उपवास करनेकी अपील की। १३ अप्रैलको मार्शल लॉ वापस ले लिया गया।

कलकत्तेमें अंग्रेज-विरोधी प्रदर्शन किये गये, हमेशाकी तरह, लोगोंपर गोलियाँ चलायी गयीं जिनमें अपार धन-जनकी हानि हुई।

लेकिन पंजाबमें एक महा दुःखद नाटक खेला गया; ऐसा दुःखद नाटक जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहासमें नहीं मिलती, हालाँकि विश्वास होना मुश्किल है कि पंजाबमें १९२० तक गवर्नरका निरंकुश शासन था। दूसरे स्वोंकी भाँति वहाँ कोई गवर्नरकी शासन-

१. गांधी, वही पुस्तक, पृष्ठ ५६६

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५६७

परिषद् न थी। १९२० तक कांग्रेसको हर साल यह आशा होती कि पंजाबमें भी शासन-परिषद् और एक विस्तृत विधान परिषद् कायम की जायगी। परन्तु इस प्रार्थनापर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पंजाबकी दशाका वर्णन करते हुए एक अंग्रेज अधिकारिने लिखा कि “हमको सिखाया गया था कि पंजाबमें हमें प्रत्यक्षतया नम्र रहते हुए लोहेकी तरह सख्त होना चाहिये; कठोर शासन और नम्र शब्द तथा समझौता वार्ता। न कोई पक्षपात और न डराना-धमकाना।”<sup>१</sup> जालियॉवालाबागमें हत्याकाण्डके समय, सर माइकेल ओडायर पंजाबके गवर्नर थे। वे भारतीयोंकी राजनीतिक आकांक्षाओंका भ्रम उड़ाते थे और उन्होंने निर्दयतासे प्रान्तके राजनीतिक जीवनका दमन किया था। उन्होंने तिलक और पाल जैसे उद्बलनकारियोंके पंजाबमें घुसने पर रोक लगा दी। फिर भी पंजाब एक पहेली था। एक तरफ तो अकेले पंजाब पौजी भरतीके आधेसे अधिक आदिमियोंकी वृत्ति करता और ‘वह ऐसा महान् सूत्र था जिसने युद्धमें वास्तविक सहायता दी’ और दूसरी तरफ भ्रान्तिकारी कार्योंका सबसे अधिक भ्रमगीका केन्द्र था। पंजाब कांग्रेस जॉच समितिकी इकट्ठीकी हुई गवाहियोंकी रिपोर्टके अनुसार ‘भरती करनेके लिए जुल्मका महारा लिया गया था।’ इस प्रकारका उदाहरण एक तहसीलदारका है जो गाँवके सब आदिमियोंकी सूची बनवाता और तीन चार आदिमियोंके कुटुम्बसे एक या दो आदिमियोंको भरतीके लिए माँगता। अगर उतनी सख्यामें लोग स्वेच्छासे आ गये तब तो ठीक, अन्यथा कठोर दण्ड दिये जाते। लोगोको नगा करके घरकी आँरतोंके सामने खड़ा कर दिया जाता या उन्हें कोंटेदार झाड़ियोंसे घसीटा जाता। औरतोको बतौर जमानत बन्द कर दिया जाता जबतक लोग भरती न हो जायँ। माइकेल डायरके शब्दोंमें तहसीलदारके कारनामोंसे साफ प्रकट है कि वह अनिवार्य भरती कर रहा था। कुछ गाँववालोंने इस तहसीलदारको मार डाला। जैसा कि श्रीमती वेम्पटने कहा है “सर माइकेल ओडायरके कठोर और दमनकारी शासन, उनके अत्याचारों भरतीके तरीकों, उनके जबरदस्ती वसूल किये गये युद्ध सहायता धन, और तमाम राजनीतिक नेताओंके ऊपर किये गये उनके जुल्मोंने असन्तोषके जलते हुए अगारोंको सिर्फ ढाँक रखा था जो ज्वालामें फूट पडनेके लिए तैयार थे। बम्बईमें हुए कांग्रेसके १९१८ के अधिवेशनमें पंजाबके प्रतिनिधियोंने हमें बतलाया कि वे एक ज्वालामुखीके ऊपर बैठे हुए हैं और प्रूर दमनके किसी भी कार्यसे यह ज्वालामुखी उबल सकता है।”

परन्तु शुरूमें यह चेतावनी अनावश्यक-सी मालूम हुई। अमृतसर, लाहौर और दूसरे स्थानोंमें ६ अप्रैलकी हड़तालका दिन शान्तिसे गुजर गया। परन्तु १० अप्रैलके सबेरे अमृतसरके डिप्टी कमिश्नरने बिना किसी कारणके पंजाबके दो प्रसिद्ध नेता डा० मत्स्यपाल और डा० किचलूको अमृतसरमें निष्कासनके आदेश जारी कर दिये और उनको धर्मशाला नगरमें बन्द कर दिया। सबेरे ११। बजेतक यह खबर शहर भरमें फैल गयी। हड़तालका ऐलान कर दिया गया और दोनों नेताओंकी रिहाईकी माँग करते हुए एक बड़ी भीड़ डिप्टी कमिश्नरके बगलेकी तरफ चली। रास्तेमें यह भीड़ बराबर बढ़ती गयी। भीड़ बिल्कुल शान्त थी, न लाठी, न डण्डे—और न रास्तेमें मिलनेवाले यूरोपीयोंसे ही कोई छेड़छाड़ की गयी।” परन्तु पुलिसने रेलवे क्रासिंगपर भीड़को रोककर जनताके घेरेकी कड़ी परीक्षा ली।

पुलिसने प्रदर्शनकारियोंपर गोलियोंकी वर्षा कर उनको पीछे खदेड़नेकी कोशिश की। यह गड़बड़ीकी शुरुआत थी। इस मर्तवा अधिकारियोंने शान्ति भंग की। भीड़ अनियन्त्रित और क्रुद्ध हो उठी। वह बदलेकी भावनासे उत्तेजित हो उठी और जिस किसी यूरोपीय—पुरुष या स्त्री—को पकड़ लेती उसपर हमला करती। भीड़ने नैशनल बैंक और ऐलाइंस बैंकपर हमला कर उन्हें तहस-नहस कर डाला। उनके यूरोपीयन मैनेजरोंको मार डाला। इमारतोंको आग लगा दी तथा दो अन्य यूरोपीयोंको भी खतम कर दिया। टाउनहाल और दूसरी सार्वजनिक इमारतोंको नष्ट कर दिया, टेलीफोनके तार तोड़ डाले। श्रीमती शेरवुड नामकी एक ईसाई महिलाका भी अन्त कर दिया गया। इसपर फौज बुला ली गयी और उसने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायीं। गड़बड़ीमें, जॉच समितिकी रिपोर्टके अनुसार, करीब दस आदमी मारे गये और बहुत अधिक संख्यामें घायल हुए। भीड़को तितर-बितर करनेके लिए हथियारबन्द गाड़ियाँ और हवाई जहाज इस्तेमाल किये गये। ११ तारीखकी रातको जनरल डायरने, जो जनरल दैननके अधीन जिलेके सहायक कमांडर थे, आये और उन्होंने शहर स्थित सेनाका भार सम्भाला। १२ तारीखको बहुत बड़ी संख्यामें लोग गिरफ्तार कर लिये गये और सभी सभाओं अथवा लोगोंके एक जगह जमा होनेपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

प्रतिबन्ध-सम्बन्धी यह घोषणा शहरके कुछ हिस्सोंमें तो पड़ी गयी पर बाकीमें नहीं।<sup>१</sup> १३ तारीखको राजनीतिक नेताओंने ४॥ बजे शामको एक सार्वजनिक सभा करनेका ऐलान किया। जनरल डायर और शहरके हाकिमोंने इस ऐलानकी ओर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं और शहरके बीच एक खुले मैदान जालियाँवाले बागमें जनताको चुपचाप इकट्ठा होने दिया। इस मैदानके तीन ओर ऊँची पक्की इमारतें थीं और सिर्फ एक ओरसे आने-जानेका एक सँकरा रास्ता था। जब लगभग २० हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गये और हंसराज नामक एक सज्जनने सभामें बोलना शुरू किया, तभी जनरल डायर ५० अंग्रेज और १०० भारतीय सिपाहियोंको लेकर उस बागमें घुस आये और “१०० गजकी रेंजसे बिना चेतावनीका एक शब्द बोले हुए, घनी भीड़पर गोली चलाने लगे... भीड़ घबड़ाकर फौरन तितर-बितर होने लगी, पर उसके बाद १० मिनटतक वे निर्गमतापूर्वक गोलियोंकी बौछार करते रहे। चूहेदानीमें फैसे चूहोंकी तरह, उबलते हुएसे इस मानव-समूहपर १६५० गोलियाँ चलायी गयीं। लोग निकलनेके सँकरे रास्तोंकी ओर निष्पल दौड़ते; या गोलियोंकी वर्षासे बचनेके लिए पेटके बल लेट जाते। जनरल डायरने खुद अपने निदेशसे ऐसी जगहोंपर गोली-वर्षा करायी जहाँ भीड़ सबसे ज्यादा थी।”<sup>२</sup> गोलियाँ भारतीय सिपाहियोंने दागीं, जिनके पीछे मोरे राइफलें साथे तैनात थे। गोली वर्षा १० मिनटतक होती रही और तभी रुकी जब वारुद खतम हो गयी। डायरने कहा कि अगर मेरे पास और कारतूस व वारुद होती तो मैं और गोलियाँ चलवाता। कांग्रेस द्वारा नियुक्त जॉच-समितिके सामने एक प्रत्यक्षदर्शीने कहा कि इस गोलीकाण्डमें १००० व्यक्ति मारे गये। उपद्रव-जॉच समितिके (जो हॉटर कमेटीके नामसे मशहूर है) अनुसार ३७९ व्यक्ति मारे गये, १२०० व्यक्ति घायल हुए। बादमें

१. डिसआर्डर्स इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ ३०

२. पट्टाभि सीतारमैया, हिन्दी आव इंडि० नैश० कांग्रेस, पृष्ठ १६४

३. सर वेलेण्टाइन शिरील 'इण्डिया ऑल्ट एण्ड न्यू, पृष्ठ १७८

सरकार सेवासमितिके आँकड़े माननेको तैयार हो गयी, जिनमे ५०० शव गिने थे। डायरके हुकमपर घायल वही जालियोंवाला बागमें ही रातभर खाना-पानी या दवादारूके बिना रोते कराहते पड़े रहने दिये गये। डायरने घोषणा की कि "मेरा उद्देश्य पूरे पंजाबमें आतक जमा देना था।" कुमारी शेरबुडनी इत्याका बदला लेनेके लिए डायरने हुकम जारी किया कि जिस गलीमें वे मारी गयी थीं, वहाँ कोई भी राहगीर सीधा न चलने पाये, सब पेटके बल रेंगते हुए चलें। दण्ड यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद "स्त्रियों और पुदयोंपर खुले-आम कोड़े और बेल लगाने, अन्धाधुन्ध गिरपतारियोंमें सम्पत्तिकी जब्ती और उन 'आदर्श दण्डों' का दोर शुरू हुआ जो धर्मियोंको दण्ड देनेके लिए उतना नहीं जितना उन्हें अपमानित और आतकित करनेके लिए खोज निकले गये थे।" १५ तारीखको अमृतसरमें मार्शल लॉ (पौजी शासनका कानून) घोषित कर दिया गया। एक हुकम निकालकर रेलोंके तीसरे दर्जेके टिकटोंकी बिक्री बन्द कर दी गयी, जिनमें भारतीयोंका रेल चढना ही बन्द हो गया। अंग्रेजोंके सिवा और सबकी साइकिलें छीन ली गयीं। कड़ी सजाकी धमकी दे कर दूकानें व बाजार खुलवाये गये। किलेके पास और शहरके कई दूसरे हिस्सोंमें कोड़े मारनेके सार्वजनिक प्रदर्शनके लिए टिकटियाँ खड़ी की गयीं। मार्शल लॉ कमिश्नरोंने २९८ व्यक्तियोंका 'सर्गान जुर्मों' में मुफ्तदमा किया, ५१ को फँसी, ४६ को आजन्म कालेपानी और ११५ को विभिन्न अवधियोंके लिए कारावासका दण्ड दिया गया।

पंजाबके पॉच दूसरे शहरोंमें भी मार्शल लॉ लागू हुआ और वहाँ भी हाकिमोंके उदास अत्याचारोंका बोलबाला हो गया। पहले लाहौरको ही लीजिये। १० अप्रैलको गान्धीजीकी गिरपतारीकी खबर आते ही शोकका काला झण्डा लेकर एक जख्म वहाँके मुख्य बाजारमें घूमा। भीड़के तितर बितर होनेमें इनकार करने पर दो बार गोली चलायी गयी। १२ अप्रैलको एक बड़ी सड़कपर, भीड़पर फिर गोली चलायी गयी। दो दिन बाद, १४ अप्रैलको कुछ नेताओंकी गिरपतारी हुई। उत्तेजित जनताने दमनका जवाब हड़ताल जारी रख कर दिया। लेफ्टिन १८ अप्रैलको दूकानें जबरदस्ती खुलवायी गयी। हर सम्भव तरीकेसे लाहौरका अपमान किया गया। वकीलों, उनके दलालों और मुहरिरींसे रजिस्ट्री कराने और बिना अनुमति शहर न छोड़नेको कहा गया। जिन इमारतोंपर मार्शल लॉकी घोषणा छाप कर चिपकायी गयी थी, उनमें रहनेवालोंको धमकी देकर घोषणा पत्रोंकी रथा करनेके लिए कहा गया। सड़कोंपर दोहे ज्यादा लोगोंके साथ साथ चलनेपर रोक लग गयी। सार्वजनिक धावे, तन्दूर व नान-वाइयोंकी दूकानें बन्द कर दी गयीं। कालेजोंके छात्रोंको कालेजसे कई मील दूर दिनमें चार बार हाजिरी देनी होती। अप्रैलकी नपती धूपमें इन छात्रोंको १९-१९ मीलतक चलना पडता। कुछ वैदेशी होकर सड़कोंके किनारे ही गिर पडते। सनातनधर्म कालेजकी दीवालपर मार्शल लॉकी घोषणा चिपकी थी; किसीने उसे उखाड़ दिया। इसपर सभी अध्यापक और सभी छात्र लगभग ५०० पकड़कर पौजी घेरमें किलेतर ले जाये गये, वहाँ तीन दिनतक रोक रखे गये और उनपर अमानुषिक अत्याचार किये गये। भारतीयोंकी मोटरकारें, मोटरसाइकिलें, बिजलीके पत्ते, सब पौजी इन्तेमालके लिए ले लिये गये। इन्के ताँगेवालोंकी पुलिस चौकियोंपर दिनमें चार बार हाजिरी होने लगी ताकि वे हड़तालमें भाग न ले सकें। कोड़े लगाना आम बात थी। एक गाँवके मुखियाको पेडसे बाँधकर गाँववालोंको शिक्षा देनेके लिए ही कोड़े लगाये गये। मार्शल लॉ कैसे लागू किया गया इसका एक उदाहरण इस

घटनासे मिलता है कि लाहौरके पास एक गाँवमें एक मुसलमानकी पूरी बारात—दूल्हा, मुद्दा, मेहमान सबको पकड़कर कोड़े लगाये गये क्योंकि उन्होंने बारात निकालनेकी हिम्मत की थी जब कि लाहौरमें मार्शल लॉ था।

कसूरमें ११ व १२ अप्रैलको हड़ताल हुई। १२ को वहाँ बाजारोंमें होता हुआ एक जल्स रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ भीड़ कावृके बाहर हो गयी और उसने दरवाजे तोड़ डाले, खिड़कियोंपर पत्थर फेंके, सिगनल व टेलीफोनके तार खराब कर दिये, कुर्मी मेज तोड़ डाली, टिकटघर लूट लिया और एक तेलगोदाममें आग लगा दी। जब यह उत्पात चल ही रहा था, एक ट्रेन आयी जिसमें कुछ अंग्रेज मुसाफिर थे। भीड़ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन भारतीय मुसाफिरोंके समझानेपर भीड़ ट्रेन छोड़कर हट गयी। लेकिन दो अंग्रेजोंन भीड़पर गोली चला दी। इसपर भीड़ने पत्थरोंकी मारसे दो अंग्रेज मार डाले। फौरन पुलिस बुलायी गयी। जिसने गोली चलाकर भीड़ तितर-बितर कर दी। लेकिन अंग्रेजोंकी मौतने हाकिमोंको बदलेकी भावनासे भर दिया और वे पहलेसे भी अधिक नृशंस हो गये। बड़ी संख्यामें लोग गिरफ्तार हुए, पूरे शहरके सारे मर्द लोग शिनाख्त परेडमें इकट्ठे किये गये। जनता घबड़ायी हुई थी कि न जाने किस बहाने कोड़े लग जायँ। कसूर तहसीलका शासन कप्तान डवटनके हाथमें था; उन्होंने जनताको आतंकित करनेके लिए कुछ दण्डोंका आविष्कार किया। एक बारातके सभी सदस्योंको वेध्याओंकी मौजूदगीमें कोड़े लगाये गये। जब हण्टर कमेटीने पूछा कि कोड़े मारते वक्त वेध्याएँ क्यों बुलायी गयीं तो डवटनने बात टालते हुए कहा कि मैंने तो पुलिससे शहरके बदमाशोंको पकड़ लानेको कहा था, ताकि वे कोड़ेकी मार देखकर आतंकित हो जायँ। कुछ 'हलके' दण्ड भी थे—जैसे कि पकड़े हुए लोगोंका सिर जमीनसे स्पर्श कराना। डवटन अपने कंदियोंको घुटनोंतक नंगा करगते और उन्हें तारके खम्भोंमें बाँधकर सार्वजनिक रूपसे कोड़े लगवाते। एक दूसरे अपसर कर्नल मेकरे उदाहरण पेश करनेके लिए स्कूलके बच्चोंके कोड़े लगवाते। "बड़े लड़कोंको सिर्फ इसलिए छाँट लिया जाता था कि वे मार ज्यादा सह सकते थे।" १५० व्यक्ति गिरफ्तार कर स्टेशनपर कटघरमें बन्द कर दिये गये थे, शहरके सभी मर्द लगभग १०००० उनकी शिनाख्तके लिए पकड़े बुलाये गये।

गुजराँवालामें किसी सरकारी पिटूने बदमाशीमें रेलवेके दो पुलोंपर एक बछड़ा और एक सूअर काटकर लटका दिया। यह १४ अप्रैलको हिन्दुओं और मुसलमानोंको लड़ानेके लिए हुआ था। पर दोनों जातियोंकी दृढ़ एकता हम बदमाशीसे नहीं टूटी। जनताने फौरन समझ लिया कि पुलिसने यह साम्प्रदायिक झगडा करवानेके लिए किया है। जनतामें उत्तेजना जरूर फैली, पर हाकिमोंके खिलफ। हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एक भीड़ने पुलोंको आग लगा दी। पुलिसने गोली चलायी, जिससे भीड़ और उत्तेजित हो गयी और उसने जिला कचहरी, तहसील, डाकघरगले, गिरिजाघर व रेलवे स्टेशनको आग लगा दी। तीसरे पहर लाहौर हवाई जहाज मँगा लिये गये और गुजराँवालापर बमबर्पा हुई।

जाँच-समितिको मिले सचूतके अनुसार एक खेतमें काम करनेवाले २० किसानोंको मशीनगनसे मार डाला गया। किसीका भाषण सुनते हुए कुछ लोगोंपर एक बम गिराया गया। रायल एयर फोर्सके लोगोंने स्वीकार किया कि हवाई जहाजसे बम गिराते समय

अपराधी और बेकसूर लोगोंमें अन्तर नहीं किया गया; उन्होंने कहा, यह करना असम्भव था। गुजरवालाके मार्शल लॉ अपसर कर्नल ओब्रायनने हुकम निकाला कि अग्रेज अपसरोंको देखते ही भारतीय अपनी गाड़ियोंसे उतरकर उन्हें सलाम करे। जो लोग इस आदेशका पालन नहीं करते थे या सयोगयश अपसरोंको देख नहीं पाते थे, उन्हें कोड़े लगते थे, जुमाने होते थे या दूसरे दण्ड दिये जाते थे। गिरफ्तारियाँ और बिना मुकदमा किये जेलोंमें दस देना साधारण बात थी। कुछ सम्भ्रान्त नागरिकोंको गिरफ्तार किया गया, कदो धूपमें मीलो चलाया गया और फिर एक ठेलागाड़ीमें बन्द करके लाहौर भेज दिया गया। उन्हें इसी हालतमें ४४ घण्टे रहना पड़ा। हिन्दू मुस्लिम एकताकी मखौल उठानेके लिए एक हिन्दू और एक मुसलमानका जोड़ा बनाकर उन्हें जजीरोमें जकड दिया जाता। मार्शल लॉके समय बनी 'सरसरी' अदालतोंने २०० व्यक्तियोंको कोड़ोंकी मार और विभिन्न अवधियोंकी कैदकी सजा दी। मार्शल लॉ कमीशनने २२ को फौसी, १०८ को आजन्म कालेपानी, बहुतांकी कैदकी सजा दी। श्री ओब्रायनने जब देखा कि २४ घण्टेमें मार्शल लॉ खत्म होनेवाला है तो 'सरसरी' अदालतोंने भी बिना मुकदमा चलाये बहुत से लोगोंको सजाएँ दे दी।

शेखूपुरामें बिना किसी कारण मार्शल लॉ लगा दिया गया। वहाँके सिविल अपसर बसवर्ध स्मिथने स्वीकार किया था कि शेखूपुरामें मार्शल लॉ आवश्यक न था। स्मिथने जिस तरह छात्रोंको दण्ड दिया, उसे बीमवी सदीका कोई भी व्यक्ति सुने तो घृणासे भर जायगा। स्कूलोंके हर बच्चेको, चाहे उसकी उम्र पाँच वर्षकी भी क्यों न हो, दिनमें तीन बार परेडकर यूनिफन जैक झण्टेको सलामी देनी पड़ती थी। इन बच्चोंको अप्रैलकी धूपमें मीलो चलना पड़ता। कई बच्चे इससे बीमार पड़कर मर गये। कुछ बच्चोंसे कहलाया जाता—“मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं करूँगा। मुझे पद्चात्ताप है, मुझे पद्चात्ताप है, मुझे पद्चात्ताप है।” स्मिथने एक पद्चात्तापगृह बनानेका भी सुझाव दिया, पर यह लागू नहीं हुआ।

कई अन्य शहरोंमें भी अत्याचार हुए। वजीराबादमें एक पुल और एक पादरीका घर जला डाला गया और तारघर तोड़ डाला गया। देहातोंमें भी अशान्ति फैल गयी। लोग अपनेको गान्धीजीका अनुयायी बताते और ब्रिटिश सत्तापर चोट करते। सरकारी सम्पत्ति जलाते और रेलवे स्टेशनोपर तोड़ फोड़ करते। १७ अप्रैलको मलकवाल नामक स्टेशनपर एक ट्रेन पटरीसे उतार दी गयी जिससे दो व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गयी। गुजरातमें भी क्रुद्ध भीड़ने उत्पात किये। अधिकारियोंने गोली चलाकर जवाब दिया। हजारों पोस्टर चिपकाये गये जिनमें जनतामें विद्रोह करनेकी अपील की गयी। हण्टर कमेटीने जिस पोस्टरका हवाला दिया, उसमें कहा गया था—“महात्मा गान्धी चिरजीवी हों। हम भारतमाताके पुत्र हैं। हम हार नहीं मानगे। हम प्राण उत्सर्ग कर देंगे। हम रौलट बिल कभी नहीं मानेंगे। गान्धीजी ! हम भारतवासी जान देकर भी आपके पीछे लहेगे। जुल्म और बेरहमीका शब्दा गडा हुआ है। हाय अग्रेजो ! तुमने हमें कैसा धोखा दिया..... तुमने भारतीयोंपर गोलियों चलायी और उन्हें मार डाला—.. अमृतसरमें हमारी लड़कियोंपर तुमने असहनीय अत्याचार किये.....यहाँ बहुत सी अग्रेज महिलाएँ हैं जिनका अपमान हो सकता है।”

लाहौर और पंजाबमें रेलवेमें हड़ताल करानेकी कोशिश १० अप्रैलमें ही हो रही थी। लेफ्टिनेण्ट जनरल सर जार्ज मेकमनके अनुसार “जब लाहौर शहर विद्रोहियोंके हाथोंमें था,

एक हिन्दुस्तानी रेलवे सिगनलरने दिल्लीमें अपने दोस्तोंके पास यह खबर भेजी कि ल्याहौरपर भीड़का अधिकार है, भारतीय सिपाही विद्रोह करनेवाले हैं, नार्थवेस्टर्न रेलवेके भारतीय कर्मचारी हड़ताल करनेवाले हैं और दक्षिणकी बड़ी रेलोंके कर्मचारियोंको भी ऐसा ही करना चाहिये। दो दिन बाद दिल्लीमें विद्रोहियोंके नेताओंने रेलवेके अपने साथियोंको यह सन्देश भेजा—“रीलट शब्दका संकेत पाते ही पंजाब स्थित भारतीय पौजी और अवध एण्ट रुहेलखण्ड व ईस्ट इण्डियन रेलवेके कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। ग्रेट इण्डियन पेनिनशुला और बंगाल नागपुर रेलवेके कर्मचारियोंको पौरन तार द्वारा आवश्यक सूचना भेजो।” यह सन्देश कई जगह पकड़ा गया। बीनामें यह पौजी क्वार्टर मास्टर जनरलके हाथमें पड़ा। वे दौरेपर थे और पौरन एक इंजनपर बैठकर सरकारको इत्तिला देने गये। १३ अप्रैलको निम्नलिखित सन्देश तार द्वारा सब जगह पहुँचा—“दक्षिणकी सभी रेलोंके कर्मचारी आज रातसे हड़ताल कर दें; गान्धीजी गिरफ्तार हो गये हैं—भारतीय भाइयोंकी ओरसे।” हालाँकि अधिकारियोंको इस प्रस्तावित हड़तालकी सूचना समय रहते मिल गयी थी और उन्होंने उसे रोकनेके लिये कदम भी उठा लिये थे, पर कई जगह हड़ताल शुरू हो गयी। इरादा यह था कि पौजोंके एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेमें बाधा पड़ जाय। अप्रैलके अन्ततक बहुत कम ट्रेनें चलाना अधिकारियोंके लिये सम्भव रहा और वह भी अधिकांशतः एंग्लो इण्डियन कर्मचारियोंकी मददसे।

जनप्रिय नेता पकड़कर जेलोंमें ठूँसे जा चुके थे। मार्शल लॉ के अधिकारियोंने निरीह निश्चस्त्र लोगोंको तरह-तरहकी यातनाएँ दीं। गान्धीजीके पंजाब प्रवेशपर रोक लगा दी गयी। उन्होंने कई बार वाइसरायसे पंजाब जानेकी अनुमति माँगी पर हरवार उत्तर मिला—‘अभी नहीं’। गान्धीजी इस निषेधाज्ञाका उल्लंघन कर परिस्थितिको और जटिल नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज पादरी और गान्धीजीके सहयोगी सी. एफ. एण्ड्रूज पंजाब पहुँच गये थे। उन्होंने गान्धीजीको जो पत्र लिखा उसमें पंजाबकी स्थितिका हृदय-विदारक वर्णन था। उसी पत्रसे गान्धीजीको पता लगा कि मार्शल लॉके अन्तर्गत अत्याचार उससे कहीं ज्यादा थे जिनका वर्णन अखबारोंमें मिला था। लेकिन इसके पहले कि एण्ड्रूज जाँच कर सकें, उन्हें पकड़कर इंग्लैण्ड भेज दिया गया। पंजाब एक बड़ा कैदखाना बन गया था। वैरिस्टर नार्टन वहाँ जाकर कैदियोंकी कानूनी सहायता करना चाहते थे, पर उन्हें पंजाबमें घुसने नहीं दिया गया। पंजाबमें कानून नहीं चल रहा था। कैदी अपने वकील भी नियुक्त नहीं कर सकते थे। वॉगवे क्रॉनिकलके सम्पादक बी. जी. हनीमैनको जिन्होंने पंजाबकी परेशान जनताका समर्थन किया था, पकड़कर इंग्लैण्ड भेज दिया गया और अखबार बन्द कर दिया गया। समाचारोंपर संसर और आवागमनपर प्रतिबन्ध लगाकर पंजाबको शेष देशसे बिलकुल अलग कर रखा गया था। वाइसरायकी शासन-परिपद्के भारतीय सदस्य शंकरन नायरने लगातार मार्शल लॉ लगाये रखनेका विरोध किया और अन्ततः विरोधस्वरूप शासन-परिपद्से इस्तीफा दे दिया। कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपना सरका खिताब छोड़ दिया। उन्होंने सरकारको लिखा—“समय आ गया है जब सम्मानके ये चिह्न अपमानके सन्दर्भमें हमारी लज्जाको बढ़ाते हैं, और, जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस विशेष सम्मानसे रहित हो अपने उन देशवासियोंके समक्ष खड़ा होना चाहता हूँ जो तथाकथित अकिंचनताके कारण

ऐसे अपमानके भाजन बन रहे हैं जो मनुष्यके योग्य नहीं हैं।" कांग्रेस इस अतीव दुःखान्त नाटककी मूक और असहाय दर्शक थी। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिकी अप्रैल, जून और फिर जुलाईमें बैठकें हुईं। पर वह हम स्थितिमें नहीं थी कि उसकी आवाज सुनी जाती। अप्रैलकी बैठकके अनुसार विट्टलभाई पटेल और एन. सी. केलकर ब्रिटिश अधिकारियोंको भारतकी सही परिस्थिति बताने इंग्लैण्ड गये। जूनकी बैठकके पहले ही बहुजनसे लोगोंको फॉसीकी सजा मिल चुकी थी और वे फॉसीके फन्देके इन्तजारमें बैठे थे। महासमिति ने ब्रिटिश सरकारसे अपील की कि मार्शल लॉ शासनकी जाँच होने तक यह दण्ड रोक दिया जाय। जुलाईकी बैठकमें महासमितिके १९१९ का कांग्रेस अधिवेशन जालियाँवाला बाग बाण्डके स्थान अमृतसरमें करना तय किया और श्रद्धानन्द, मोतीलाल नेहरू व मदनमोहन मालवीयको पंजाब जा कर घटनाओंकी जाँच करनेको कहा।

पंजाबकी घटनाओंने वह रूप धारण कर लिया था जिसकी गान्धीजीने कल्पना भी नहीं की थी और उनका सत्याग्रह आन्दोलन रूका पड़ा था। वातावरण सत्याग्रहके अनुकूल नहीं था। २१ जुलाईको उन्होंने एक वक्तव्यमें कहा—“बहुत सोच विचारके बाद मैंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन कुछ कालके लिए न शुरू करनेका ही निश्चय किया।” जिन्हे लोगोंने आन्दोलन शुरू न करनेकी राय दी थी उनमें भारत सरकार, कुछ भारतीय नेता और उम्रदलके लोग भी थे।

देशके प्रमुख लोग और कांग्रेस पंजाबकी इस प्रचण्डाग्निकी निष्पक्ष जाँचकी माँग कर रहे थे और सरकार अनसुनी कर रही थी। लेकिन जब मार्शल लॉ का क्रोध समाप्त हो गया और पंजाब परास्त, अपमानित व शान्त हो गया, सरकारने उपद्रव जाँच समितिकी नियुक्तिकी घोषणा की। आर्षी सम्भावना तो उनी बिल्से खत्म हो गयी जो सरकार पीरन बाद उन अपसरोकी रक्षा और क्षतिपूर्तिके लिए ले आयी जिनके कृत्योंकी यह समिति जाँच करनेकी थी। कांग्रेस द्वारा जाँचके लिए भेजे गये नेता अभी पंजाबमें ही थे। बादमें एण्ड्रूज, जवाहरलाल नेहरू और मुद्दपोचमदास टण्डन भी जाँचमें शामिल हो गये। अक्टूबरमें गान्धीजीके पंजाब प्रवेशपर धर्मा निषेधाज्ञा भी हट गयी और १७ अक्टूबरको गान्धीजी भी पंजाब पहुँच गये। यद्यपि हण्टर कमेटीका कार्यक्षेत्र कांग्रेसकी माँगसे बहुत ज्यादा सीमित और सर्कोण था, कांग्रेस नेताओंने उसे सहयोग देनेका फैसला किया। यह सहयोग बहुत थोड़े दिन चला। नेता चाहते थे कि मार्शल लॉके कुछ बँदी भी कमेटीके समक्ष गवाहोंकी हैसियतसे लाये जायें। पर पंजाब सरकारने इन वैदियोंको पहलेमें भेजनेसे भी इन्कार कर दिया। कांग्रेसने भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको भी लिखा पर कोई फल नहीं निकला। तब कांग्रेसने हण्टर कमेटीसे सहयोग वापस लेकर एक समानान्तर जाँच समिति बैठानेका फैसला किया। इस गैर सरकारी समितिमें गान्धीजी, मोतीलाल नेहरू, चिन्तरजनदास, अन्वास तैयबजी, फजलुल हक व एम. आर. जयकर थे। गान्धीजीने जो जाँच अपने हाथमें ली, उसके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा—“जैसे जैसे जाँच बढ़ती गयी, मुझे सरकारकी गिरकुशता और उसके अपसरोके मनमाने तानाशाही रीथेके ऐसे ऐसे अत्याचारोंका पता लगा जिनके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था और इसमें मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जिस बातने मुझे तब और अबतक सबसे अधिक आश्चर्यमें डाल रखा है, वह यह है कि जिस प्रान्तने लडाईमें सबसे अधिक



कांग्रेसके इस अधिवेशनमें कुल मिलाकर ५० प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इनमें वाइसराय चेम्सफोर्डको बिलायत वापस बुलानेकी माँग, भाल व्यवस्थाकी जाँच, भ्रमस्थिति, रेलके तीसरे दर्जेके मुसाफिरोकी हुरदशा जैसे विभिन्न विषयोंके प्रस्ताव भी शामिल थे। इनमेंसे एक प्रस्तावका छोटा-सा इतिहास भी है। विषय समितिमें गान्धीजीने भीड़ोंके उत्पत्त और हिंसाकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जो गिर गया। इसपर गान्धीजीने कहा कि अगर कांग्रेसको यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकूँगा। उनकी बात मान ली गयी। प्रस्तावमें “उस गम्भीर उत्तेजनाको स्वीकार करते हुए जिसके कारण भीड़का आकस्मिक क्रोध फूट पडा, अप्रैलमें पंजाब व गुजरातके कुछ स्थानोंमें हुई उन ज्यादतियोंपर कांग्रेसका खेद व निन्दा प्रकट की गयी थी जिनके फलस्वरूप कुछ लोगोंकी जानें गयीं, लोग घायल हुए व सम्पत्तिको क्षति पहुँची।” स्वदेशी सम्बन्धी प्रस्तावमें देशके “हाथकी कताई व बुनाईके प्राचीन उद्योगके पुनरुत्थान”की सिफारिश की गयी थी।

---

## अध्याय १८

### खिलाफत व असहयोग आन्दोलन

यहाँ युद्धमें तुर्कीकी हार और 'मित्र राष्ट्रों' की संधि-शर्तोंके अनुसार उसके साम्राज्यके षट्बारेकी प्रतिक्रिया भारतमें बहुत गम्भीर हुई। तुर्कीके शाह अब्दुल हमीद आग्विरी खलीफा थे। खिलाफतका केन्द्र होनेके नाते तुर्कीके प्रति मुसलमानोंकी आध्यात्मिक आस्था थी। भारतीय मुसलमान तुर्कीके प्रति श्रद्धाका भाव रखते थे और मित्र राष्ट्रों द्वारा हुए तुर्कीके अहितको व्यक्तिगत रूपसे अपना अहित मानते थे। प्रमुख मुसलमानोंने अपनेको तुर्कीके पक्षमें होनेकी घोषणा की थी और इसके लिए वे जेल भी गये थे। भारतीय मुसलमानोंकी आशंका मिटानेके लिए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ल्याड जार्जेन घोषणा की थी कि "तुर्क जातिकी प्रधान आवादीवाले एशिया माइनर व श्रेमके समृद्ध मैदानोंको तुर्कीसे छीन लेनेके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं।" पर यह वादा पूरा नहीं किया गया और तुर्कीके इलाके छीन लिये गये। विरोध और प्रतिरोधकी भावना जितनी भारतीय मुसलमानोंमें पैदा हो गयी, उतनी कहींके मुसलमानोंमें नहीं हुई। पंजाबका क्रोध ठंडा पड़ जानेके बाद जब कांग्रेसकी जाँच जारी थी, तभी दिल्लीमें १९१९ में हिन्दुओं व मुसलमानोंका एक संयुक्त सम्मेलन खिलाफतके प्रश्नपर विचार करनेके लिए बुलाया गया। सम्मेलनके समझ मुख्य प्रश्न यह था कि मुस्लिम विरोधका रूप क्या हो, ताकि हिन्दू भी उसमें भाग ले सकें। सम्मेलनमें स्वीकृत प्रस्तावोंमें एक यह भी था कि हिन्दू और मुसलमान विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार कर स्वदेशीका व्रत लें। लेकिन खिलाफत आन्दोलनका रूप और दिशा अन्ततः गान्धीजीने तय की। गान्धीजीने कहा "मुसलमानोंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया है। यदि संधिकी शर्तें उनके अनुकूल न हों (खुदा न करे कि ऐसा हो) तो वे सरकारसे सहयोग करना बन्द कर देंगे। इस प्रकार सहयोग वापस ले लेना जनताका अधिकार है। हम सरकारी खिताब धारण करते रहने या सरकारी नौकरियाँ करते रहनेको वाध्य नहीं हैं। यदि सरकार खिलाफत जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नपर हमें धोखा देती है, तो हम उससे असहयोग करनेको वाध्य हैं। इसलिए धोखा होने पर हमें सरकारसे असहयोग करनेका अधिकार है।" असहयोगका शब्द पहली बार गान्धीजीने इसी सम्मेलनमें इस्तेमाल किया था। श्रोता बहुत प्रभावित हुए, सम्मेलन खत्म होने पर भी सर्भीके कानोंमें उन्हींके शब्द गूँज रहे थे। यह स्पष्ट था कि यदि खिलाफत आन्दोलन चला तो गान्धीजी उसका नेतृत्व करेंगे।

इस सम्मेलनमें ही एक अन्य मुस्लिम संस्था—जमैयत-उल-उल्लेगाए हिन्द—का जन्म हुआ। "उल्माओंकी धारणा थी कि सन् ५७ के विद्रोहमें मुस्लिम धार्मिक नेताओं (मौलानियों व मुल्लाओं) की सामूहिक शक्ति व प्रभाव खत्म हो गये थे, अब उनको फिर एक साथ मिलकर मैदानमें आना चाहिये।" उनका तर्क था कि "मुस्लिम धार्मिक नेता अत्याचारी शासनका सत्यके लिए विरोध करते थे और राजभक्तिकी राजनीतिसे दूर रहते थे। अब चूँकि

मुस्लिम राजनीति सुधर रही है, हम फिर मैदानमें आ रहे हैं।<sup>१</sup> दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस, लीग, खिलाफत और जमैयतना अमृतसरमें संयुक्त सम्मेलन हुआ और उन्होंने प्रकट किया कि राजनीतिक और खिलाफतके मसलोंपर सब मिलकर आन्दोलन करेंगे।

अमृतसर कांग्रेसमें नेताओंने खिलाफतके प्रश्नपर विचार किया। १९ जनवरी १९२० को डाक्टर अमारीके नेतृत्वमें एक प्रतिनिधिमण्डल वाइसरायसे मिला और उन्हें "तुर्कोंके साम्राज्य और खलीफाकी हैमियतसे मुलतानकी सर्वोच्च सत्ता कायम रखनेकी आवश्यकता" समझायी। वाइसरायने कहा कि हमारी सरकार इस मसलेमें कुछ भी कर सकनेमें असमर्थ है। फरवरी १९२० में बम्बईमें दूसरा खिलाफत सम्मेलन हुआ। उसमें भी पुराना निर्णय दोहराया गया। मार्चमें मुहम्मदअलीके नेतृत्वमें एक प्रतिनिधि मण्डल इंग्लैण्ड भेजा गया। वह १७ मार्चको ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीसे मिला, पर कोई नतीजा नहीं निकला। प्रधान मन्त्री के इस इनकारसे भारतमें बड़ी निराशा हुई और १९ मार्चको शोक-दिवस मनानेका निश्चय किया गया। गान्धीजी इस बातपर तैयार हो गये कि यदि तुर्कोंसे सन्धिकी शर्तें भारतीय मुसलमानोंको मान्य न हुईं तो वे खिलाफत आन्दोलनका नेतृत्व करेंगे। असलमें गान्धीजीने १० मार्चको ही एक घोषणापत्र प्रकाशित कर दिया था जिसमें उन्होंने असहयोगकी रूप रेखा और योजना बतायी थी। उन्होंने लिखा था—“जो अधिकार मुसलमानोंके लिए मौत और जिन्दगीके सवालसे ज्यादा महत्व रखते हैं उन्हें छीनकर इंग्लैण्ड हमसे चुपचाप वरदास्त करते जानेकी आशा नहीं कर सकता। इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों ओरसे काम आरम्भ कर सकते हैं। जो सम्मानित और लाभप्रद पदोंपर हैं वे उन्हें छोड़ दें। जो छोटी सरकारी नोकरीयोंपर निम्न कर्मचारी हैं, वे भी ऐसा ही करें। असहयोग प्राइवेट नोकरीयोंपर लागू नहीं होता। जो असहयोगमें शामिल नहीं होते उनके बहिष्कारकी राय मैं नहीं दे सकता। असन्तोष और जनभावनाकी परीक्षा स्वेच्छापूर्ण असहयोगमें ही है। पीजी सिपाहियोंमें नौकरी छोड़नेके लिए कहनेका समय अभी नहीं आया है। यह पहला नहीं आखिरी कदम है। यह कदम हम तभी उठा सकते हैं जब वाइसराय, भारत सचिव और प्रधान मन्त्री सभी हमें छोड़ दें। इसके अलावा, असहयोगका हर कदम बहुत सोच विचार कर उठाना है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिये ताकि भीषण उत्तेजनमें भी हम आत्म नियन्त्रण कायम रख सकें।” १४ मई १९२० को जो शान्ति सन्धिकी शर्तें प्रकाशित हुईं वे खिलाफत और तुर्कोंके लिए अपमानजनक थीं। गान्धीजीने घोषणा की कि इन शर्तोंके मुधारके लिए वे असहयोग आन्दोलन सघटित करेंगे। २८ मईको बम्बईमें खिलाफत कमेटीकी जो बैठक हुई उसमें गान्धीजीकी खिलाफत योजना स्वीकार कर ली गयी। ३० मईको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बनारसमें हुई जिसमें असहयोग प्रस्तावपर विचार करनेके लिए कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन बुलानेका निश्चय हुआ।

सरकार कांग्रेस और खिलाफतके नेताओंको सन्देहकी निगाहसे देखने लगी थी। मई १९२० में जवाहरलाल नेहरू ( जो उस समय तब राजनीतिमें उतर चुके थे और असहयोग आन्दोलन छिड़नेकी प्रतीक्षा उत्साहपूर्वक कर रहे थे ) अपनी बीमार माँ और पत्नीके साथ मसूरी गये हुए थे। “वहाँ उन दिनों अफगान और ब्रिटिश प्रतिनिधियोंके बीच ( १९१९ के

१. जमैयतकी उद्देश्यमें लिखी काररवाई अशोक मेहता व अच्युत पटवर्धनकी 'दि कम्युनल ट्रायंगिल इन इण्डिया' में ३६ वें पृष्ठपर उद्धृत

अफगान-युद्धके बाद ) शान्ति-सन्धिपर समझौतेकी बात चल रही थी ।” एक शाम अकस्मात् पुलिस कप्तान सरकारका एक पत्र लेकर नेहरूजीके पास पहुँचा और उनमें आश्वासन माँगा कि वे अफगान प्रतिनिधि मण्डलमें सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे । नेहरूजीने लिखा है—“यह मुझे कुछ अजब-सा लगा, क्योंकि एक महीने मसूरी रहनेके बाद भी मैंने इस प्रतिनिधि मण्डलकी सूरत तक नहीं देखी थी ।” उन्होंने आश्वासन देनेसे इनकार कर दिया । इसपर उन्हें मसूरी छोड़ देनेका हुकम मिला । तबतक यद्यपि अवज्ञा आन्दोलन शुरू नहीं हुआ था और नेहरूजी मसूरी छोड़कर चले आये । जब अफगान प्रतिनिधि मण्डलको अवधारणसे इस घटनाका पता चला, उगने नेहरूजीकी माँ और पत्नीके पास प्रतिदिन फलफूल भेजना शुरू कर दिया । बादमें नेहरूजी अपने पिताके साथ सरकारी आदेशके बावजूद मसूरी गये । पर तबतक आदेश वापस लिया जा चुका था ।

देशमें मार्चजनिक आन्दोलनका वातावरण बनता जा रहा था । इस सम्बन्धमें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीयोंकी राय माँगी गयी थी । २ जूनको इत्याहावादमें एक सर्वदल सम्मेलन भी बुलाया गया । कुछ मुस्लिम नेताओं और गान्धीजीकी एक समिति कार्यक्रम तैयार करनेके लिए बनायी गयी । इस कार्यक्रममें स्कुलों और कालेजोंका बहिष्कार भी शामिल था । अगस्तमें असहयोग आन्दोलनकी रूपरेखा स्वीकृत हो गयी और आन्दोलन शुरू हो गया । गान्धीजी और अलीवन्धु देशका दौरा करने निकले । खिलाफत आन्दोलनको १८००० मुसलमानोंकी अफगानिस्तानमें हजरतसे भी काफी मदद मिली । सिन्धमें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त तकके मुसलमान दारुलइस्लाम अफगानिस्तान जाने लगे । पर अफगान सरकारने उन्हें घुसने नहीं दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा । बहुतांकी जान गयी । “पेशावरसे काबुलका रास्ता बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियोंकी कत्रोंसे पट गया था जो रातोंकी तकलीफें बरदाश्त न कर सकनेके कारण वहीं गिर पड़े और फिर उठे नहीं । जब ये लोग लौटे, देवरवार थे क्योंकि जाते समय अपना माल असवाब व घरवार कौड़ियोंके मोल वहीं बेच गये थे ।”

असहयोगके खिलाफलेमें इसी महीने केन्द्रीय विधायिका कांसिलके कुछ सदस्योंने इस्तीफा दे दिया । इसी बीच पहली अगस्तको तिलककी मृत्यु हो गयी थी ।

४ सितम्बरको कलकत्तेमें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन असहयोगके विरोधी लाला लजपतरायकी अध्यक्षतामें शुरू हुआ और ९ सितम्बर तक चला । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीयोंने असहयोगके सिद्धान्तका समर्थन करते हुए अपनी राय अखिल भारतीय कांग्रेसके पास भेजी थी; हालाँकि इस सिद्धान्तके व्यवहारपर कुछ मतभेद था । जालियॉवाला बागमें अफसरोंके कुकृत्योंपर परदा डालनेके लिए बनी इण्टर कमेटीकी रिपोर्टने अधिवेशनमें और ज्यादा जान डाल दी । इस कमेटीके सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमेटीने बहुमतसे स्वीकार किया था कि “इत्यावरने ‘निर्णयमें सम्भोर भूल की जो घटनाकी तर्क संगत आवश्यकताओंमें कहीं बड़ी थी... कर्त्तव्यकी ईमानदार पर गलत भावनामें प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया ।” इंग्लैण्डमें भी अधिकारी इसी प्रकार भारतीयोंके प्रति उदासीन और पंजाबके जवन्ब कृत्योंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अखिलवार कर रहे थे । कांग्रेसने कमेटीकी रिपोर्टको “पूर्णरूपेण अस्वी-

१. जवाहरलाल नेहरू 'श्राद्धकथा' पृष्ठ ५०

२. 'इण्डिया टुन १९२०' पृष्ठ ५२-५३

कार' करते हुए कहा कि रिपोर्ट 'अपूर्ण, एकरतफा और स्वार्थपूर्ण' बातोंपर आधारित होनेके कारण अविश्वसनीय और अस्वीकार्य' है। अपने प्रस्तावमें कांग्रेसने कहा—“पजाबकी घटनाओंपर आवश्यक काररवाई न कर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने भारतीय जनताका विश्वास खो दिया है।”

अधिवेशनके मुख्य प्रस्तावमें खिलापत सम्बन्धी अन्यायका सक्षेपमें वर्णन करते हुए, पजाबमें हुए अत्याचारोंके लिए कहा गया था—“कांग्रेसका मत है कि जबतक इन दो अन्यायोंका प्रतिकार नहीं होता तबतक भारतीयोंको सतोष नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कायम रखने और ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेका एक ही प्रभावकारी उपाय है और वह है स्वराज्यकी स्थापना।”...इस अधिवेशनका यह भी मत है कि भारतकी जनताके लिए केवल एक ही रास्ता अब खुला हुआ है; वह है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये शांति-मय असहयोग आन्दोलनकी नीतिको स्वीकार करना और उसका समर्थन करना, इस निरंतर प्रगति करनेवाले आन्दोलनकी नीति तबतक कायम रहेगी जबतक इन दोनों अन्यायोंका प्रतिकार न हो और स्वराज्यकी स्थापना न हो।”

कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेसके इतिहासमें इसलिए भी स्मरणीय है कि वहाँ सभी कार्य हिन्दुस्तानीमें करने और स्वदेशी वेश-भूषा अपनानेका निर्णय हुआ था।

इन्हीं दिनों नागपुरमें मुस्लिम लीगका अधिवेशन और खिलापत सम्मेलन हुआ जिसमें सरकारसे असहयोगका समर्थन करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसमें एक महीने पहले दिल्लीमें जमैयतना अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही निर्णय हुआ था। लीगके अध्यक्ष जिनाने अपने भाषणमें कहा—मिस्टर गान्धीने देशके सामने अपना असहयोगका कार्यक्रम रखा है और खिलापत सम्मेलनने उसका समर्थन किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि उसके सिद्धान्तको स्वीकार करे या न करे, और सिद्धान्त स्वीकार करनेपर वह कार्यक्रम स्वीकार करे या न करे। यह कार्यक्रम आपमेंसे हर व्यक्तिपर प्रभावकारी होगा, इसलिए अपनी शक्ति सौलगर और प्रश्नकी अच्छाई बुराई देपकर उसपर पैसला करना आपके हाथमें है। लेकिन, एक बार आगे बढ़नेका पैसला कर लेनेके बाद फिर किसी भी हालतमें पीछे लौटनेकी बात नहीं उठनी चाहिये (“नहीं, कभी नहीं” की ध्वनि)। उधर शिमलाकी ऊँचाइयोंपर आत्मसतोषसे भरा एक वाइसराय बैठा हुआ है, जो “घर” से हालमें आये ब्रिटिश सरकारके एक ‘चार्टर’ को ताकतसे सुरक्षित एक बार हम ‘अभागे मुसलमानों’ से हमदर्दी जाहिर करता है और दूसरी बार महात्मा गांधीकी ‘भूलूँतामें सबसे आगे बढ़ी योजना’ पर अफसोस जाहिर करता है। यही वह “बदला हुआ दृष्टिकोण” है जिसकी लड़ाईके उन संकटमय दिनोंमें हम बड़े-बड़े शब्दोंमें तारीफ मुनते थे, जब भारतका सोना और खून माँगा जा रहा था और बदकिस्मतीसे दिया जा रहा था—दिया जा रहा था तुर्कीका विनाश करनेके लिए, दिया जा रहा था रौलट कानूनकी बेड़ियाँ खरीदनेके लिए।”

फिर भी जिना असहयोगके खिलाफ थे। एक बात था जब वे कांग्रेस और लीग दोनोंके लोकप्रिय नेता थे, पर वे कभी कांग्रेसमें लौटे नहीं। कलकत्ता अधिवेशनके बाद वे और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता कांग्रेससे अलग हो गये। जैसा कि नेहरूजीने लिखा है “कांग्रेस-

के नये मोड़—असहयोग व नया विधान जिनसे वह अधिक जनप्रिय संस्था बनी, उन्हें कत्तई पसन्द नहीं थे। खादी धारण करनेवाली, हिन्दुस्तानीमें भाषणोंकी माँग करनेवाली भीड़में वे अपनेको बिलकुल अजनबी पाते। एक बार उन्होंने निजी तौरपर मुझाब भी दिया था कि सिर्फ मेट्रिक पास लोग ही कांग्रेसमें लिये जायँ।” इस प्रस्तावका विरोध करनेवालोंमें चित्तरंजनदास, विपिनचन्द्र पाल और मदनमोहन मालवीय भी थे।

असहयोगका नारा सजीव हो चुका था, पर आश्चर्यकी बात है कि नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष सी० विजयरावचार्य स्वयं उसके विरुद्ध थे। उन्होंने अपने भाषणमें कहा— “आपको इस बातका निर्णय करना है कि क्या यह हमारा धार्मिक कर्तव्य नहीं है कि जब हम देशके मुसलमानों और गैरमुसलमानोंके एकपर गर्व करते हैं, हमें असहयोगके सिद्धान्तके कारण दो नये वर्ग नहीं खड़े करने चाहिये—दो ऐसे वर्ग जो इस मतभेदके कारण भावनाके उद्वेग एवं द्वेषसे परस्पर भीषण रूपसे विभाजित हो जायँ। इस आन्दोलनके हमारे अनुभवके अलावा ऐतिहासिक प्रमाण हमें यही बताते हैं कि इस तरहके आन्दोलनमें एक घण्टे संकट छिया हुआ है—चाहे वह आन्दोलनके सन्त नेताकी इच्छा और आन्दोलनकी प्रस्तावित सीमाके विरुद्ध ही क्यों न हो।”

लेकिन कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। “जो वर्ग अभी तक जनमत बनाते और उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनके द्वारा श्रीगणेश करानेके लिए और चूँकि सरकार अपनी सत्ताकी स्कूलों, अदालतों वा विधायिका कौंसिलोंके नियन्त्रण और खिताबों व उपाधियोंके वितरण द्वारा मजबूत बनती है और चूँकि यह वांछनीय है कि आन्दोलनके उद्देश्यकी पूर्तिके लिए निम्नतम कुरबानी की जाय, इसलिए कांग्रेसका यह अधिवेशन उल्लाहपूर्वक अपील करता है कि—

(क) सभी सम्मानित उपाधियों व खिताबों व अवैतनिक पदोंको छोड़ दिया जाय और स्यानिक सस्थाओंके नामजद स्थानोंमें इस्तीफा दे दिया जाय;

(ख) सरकारी हाकिमों या उनके सम्मानमें आयोजित सभी सरकारी व अर्ध सरकारी सम्मेलनों, दरबारों व स्वागत सभाओंमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया जाय;

(ग) सरकारी नियन्त्रणवाली या सहायताप्राप्त शिक्षा-संस्थाओंसे धीरे-धीरे अपने बच्चोंको निकाल लिया जाय और उनकी जगह हर सूबेमें राष्ट्रीय स्कूलों व कालेजोंको स्थापना कर उनमें बच्चोंको पढ़ाया जाय;

(घ) वकील और मुकदमेवाज धीरे-धीरे सरकारी अदालतोंका बहिष्कार करें और निजी विवादोंको मुलझानेके लिए गैरसरकारी पंच अदालतें कायम करें;

(च) मजदूर, वावू, फौजी कर्मचारी आदि मेसोपोटामियोंमें नौकरीके लिए भरती होनेसे इनकार करें;

(छ) नये सुधारोंवाली विधायिका कौंसिलोंसे लोग अपनी-अपनी उम्मीदवारी वापस लें और जो उम्मीदवार कांग्रेसकी रायके वावजूद चुनाव लड़ता है, उसे मतदाता वोट न दें;

(ज) विदेशी सामानका बहिष्कार किया जाय।

आखिरी शर्तको व्यावहारिक बनानेके लिए प्रस्तावमें राय दी गयी थी कि लोग

स्वदेशी वस्त्रोका प्रयोग करें और "हर घरमें हाथमें कतारें शुरू करनेके लिए वड़े पैमानेपर उद्योग" को प्रोत्साहित किया जाय।

नयी कांसिलोके चुनावके ठीक पहले यह प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। हमसे रत्नलाली मच गयी। जो राष्ट्रीय उम्मीदवार अमृतसर प्रस्तावके अनुसार इन कांसिलोंके लिए चुनाव लड़ रहे थे, वे फीस चुनावसे हट गये। लगभग ८० फीसदी मतदाताओंने वोट नहीं डाले और बहुत-सी जगहोंपर वेलटवस्त गाली रह गये। बंगालके प्रसिद्ध बंगाली चित्तरजन दास अगहयोग आन्दोलनके लिए गान्धीजीके भाषणोंमें प्रभावित नहीं हुए थे, पर उनके निजी सम्पर्कमें आकर उनके विचार बदल गये। दाम १९२० के आसपास बंगालके सबसे बड़े नेता माने जाते थे, हालांकि वे राजनीतिमें १९१७ में ही आये थे और अपनी मृत्युतक आठ साल राजनीतिमें पूरी तरह रत रहे। दासने वामपंथके विशेष अधिवेशनमें अगहयोगका कड़ा विरोध किया था और धार्मिक अधिवेशनमें भी कड़ा विरोध करनेका सन्तुष प्राप्त किया था। नागपुरमें उन्होंने गान्धीजीके निजी समीक्षा भी किया था कि दोनों अपने अपने क्षेत्रोंमें अपना अपना प्रचार करनेको स्वतन्त्र होंगे। पर इसके फौरन बाद चित्तरजन दास गान्धीजीके पूरे अनुयायी हो गये। गान्धीजीका प्रस्ताव अस्वीकार करानेके लिए वे अपने स्वर्णपर पूर्ण बंगाल और आसाममें लगभग दार्द्री प्रतिनिधि लाये थे। पर अब वे प्रतिनिधि गान्धीजीके साथ थे। और सबसे आश्चर्य हुआ, जब दाम स्वयं यह प्रस्ताव पेश करनेके लिए लगे हुए तथा उनके दूसरे विरोधी लानपतराय उगका समर्थन करनेके लिए।

कांग्रेस और देशके इतिहासमें नागपुर अधिवेशन एक नया मोड़ था। इस अधिवेशनने जनतामें कड़ा कि वह अंग्रेजी मत्तामें भय करना छोड़ दे और उसमें अगहयोग करे। लघुक आव कनाट भीम ही भारत आनेवाले थे। उनके स्वागत सम्मानमें होनेवाले आयोजनोका बहिष्कार करनेकी अपील भी की गयी। कांग्रेस विधानमें संशोधन कर उठाया उद्देश्य बनाया गया—“शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपायों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना।” अगहयोग आन्दोलन पूर्णरूपेण शान्तिपूर्ण होना था। गान्धीजीने अपने अनुयायियोंमें कहा—मन, कर्म और वचन सबमें अहिंसा बरतो। लेकिन देशको इस नये दृष्टिकारका प्रयोग अभी सीखना था और कई जगह सरकारी दिसाका जवाब और अधिक हिसामें दिया गया।

अगहयोग आन्दोलनको धार्मिक स्वीकृति देनेके लिए जर्मन डल उलेमाने 'पतवा' निकालकर मुसलमानोंसे विगत्य छोड़ने, रूनों व अदालतोंका बयकाट करने और चुनावोंमें भाग न लेनेकी राय दी। इस पतवपर इस्लामके ४२५ पण्डितोंके हस्ताक्षर थे। बादमें ४७० हस्ताक्षर इसपर और किये गये।

राजनीति हलचलका अद्वितीय वर्ष—१९२१ अगहयोग आन्दोलनके लिए तिलक स्वराज्य पण्डमें चन्दा देनेकी काँग्रेसकी अपीलसे शुरू हुआ। इस काँग्रेसमें पहली बड़ी रजम—एक लाख रुपया देनेवाले जगनालाल बजाज थे, जिन्होंने हालमें ही राखबहादुरी छोड़ी थी। काँग्रेस महामिति और कार्यकारिणीकी बैठकें देशको आन्दोलनके लिए तैयार करनेके लिए जन्दी-जन्दी होने लगीं। ३१ मार्चको भेजवाटामें महामिति और कार्यकारिणीकी मनुक्त बैठक हुई जिहांमें तय हुआ कि काँग्रेस एक कराट रूपका जमा किया जाय और काँग्रेसके एक बरोड सदस्य बनाये जायें। २० लाख चरने बोटनेका प्रभाव भी स्वीकृत

१. पृथ्वीशचन्द्र राय 'लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ सी. भार. दास'—पृष्ठ १५९

हुआ। यह हाथके कते-बुने कपड़ेका उत्पादन बढ़ानेके लिए था। जुलाईमें बम्बईमें जब फिर संयुक्त बैठक हुई तबतक कोषमें एक करोड़से १५ लाख रुपया अधिक जमा हो चुका था, २० लाख चरखे बँट चुके थे और कांग्रेसके ५० लाख सदस्य बन चुके थे।

लेकिन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलनमें ८ जुलाईको ही कराचीमें मुसलमानोंने असहयोगका पहला सबक दे दिया जब उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि “आजकी हालतमें अंग्रेजी फौजमें भरती होना, रहना या भरती करना मुसलमानोंके लिए मजहबी तौरपर गैर-कानूनी और शरिअतके खिलाफ है। यह हर मुसलमान—खासकर उलेमाओंका फर्ज है कि वह फौजके हर मुसलमानतक यह मजहबी फरमान पहुँचाये।” सम्मेलनने यह भी स्वीकार किया कि यदि ब्रिटिश सरकार तुर्कीके खिलाफ लड़ाई छोड़े तो भारतमें मुसलमान स्वतन्त्रताकी घोषणा कर दें और भारतीय जनतन्त्रका झण्डा कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें फहरा दें। सम्मेलनके सभापति मुहम्मदअलीने एक ओजस्वी भाषण किया जो बादमें उनके ऊपर राज-द्रोहके मुकदमेका कारण बना।

२८ से ३० जुलाईतक बम्बईमें कांग्रेस महासमितिकी जो बैठक हुई उसमें भारतीय जनताको राय दी गयी कि “यह हर नागरिकका जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह फौज व सरकारी नौकरीमें किसीके रहने न रहनेपर अपनी राय दे, और फौजियों व सरकारी नौकरोंसे ऐसी सरकारकी नौकरी छेड़ देनेकी अपील करे जो देशकी बहुसंख्यक जनताका विश्वास खो चुकी हो।” महासमितिने “हर कांग्रेस सदस्यसे पहली अगस्तमें विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार” करनेकी भी कहा। वस्त्र आयातकोंसे अपील की गयी कि वे विदेशी आर्डर खारिज कर दें। यह भी निश्चय कर लिया गया कि असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंपर मुकदमें चलें तो वे उन मुकदमोंकी काररवाईमें भाग न लें और जमानत व मुचलके माँग जानेपर वे भी न दें। हाँ, अदालतोंके सामने वे एक बयान देकर जनताके समक्ष अपनेको निर्दोष साबित कर सकते हैं।

कांग्रेस समितियाँ आन्दोलनकी तैयारियाँ कर रही थीं, तभी सरकारने इसके नेताओंका असर बढ़ने न देनेका फैसला कर लिया। बेजवाडाकी बैठकके पहले ही चित्तरंजन दास पर मैमनसिंह, राजेन्द्रप्रसादपर आरा, याकूब हसनपर कलकत्ता और लाजपतराय पर पेशावरमें न बुसने की पाबन्दी लगा दी गयी थी। इसी प्रकारके आदेश कितने ही स्थानीय नेताओं पर भी लगाये गये थे। लाहौरमें राजद्रोहात्मक सभा कानून लागू किया गया था। कांग्रेसजन पकड़ पकड़ कर जेलोंमें ठूँसे जा रहे थे। सरकार घबड़ायी हुई थी, क्योंकि जन-आन्दोलनका निर्णय अभी न होनेके बावजूद नागपुर अधिवेशनके बाद ही उत्साही लोग सभाएँ व प्रदर्शन करने लगे थे।

“पूरी संयुक्त प्रान्तीय (अब उत्तर प्रदेशीय) कांग्रेस कमेटी (५५ सदस्य) अपनी एक बैठक करते वक्त गिरफ्तार कर ली गयी। जोशमें बहुतसे ऐसे लोगोंने भी गिरफ्तार होनेपर जोर दिया जिन्होंने कांग्रेस या राजनीतिमें भाग नहीं लिया था।” सरकारसे असहयोगकी अपीलका ऐसा तात्कालिक प्रभाव हुआ कि अक्सर दफतारोंसे लौटते हुए बाबू उत्साह और उमंगमें वह जगते और घरकी जगह जेल पहुँच जाते थे। “किशोर और नवयुवक पुलिसकी गाड़ियोंमें जा बैठते और उतरनेसे इनकार कर देते। जेल भर रही थी और जेल अधिकारी



इस असाधारण घटनासे चकित और किञ्चित्‌व्यविमूढ हो रहे थे। कभी कभी ऐसा होता कि पुलिसकी लारियाँ एक सख्याके वारण्ट और उससे ज्यादा व्यक्ति लेकर जेल पहुँचतीं। इन वारण्टोंपर नाम भी नहीं होते और जेल अधिकारी यही न समझ पाते कि क्या करें। जेलके नियमोंमें ऐसी स्थितिके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे सरकारने आम गिरफ्तारियोंकी नीति छोड़ दी और सिर्फ चुने हुए लोगोंको पकड़ना शुरू किया।”

समुक्त प्रान्तमें १९२० के आठोंमें तीन किसान नेताओंकी गिरफ्तारीके साथ किसान आन्दोलन शुरू हुआ। “उनपर प्रतापगढ़में मुकदमा शुरू होनेको था। पर सुनवाईके दिन किसानोंकी भीड़ अदालतके मैदानमें भर गयी और अदालतसे जेलतक—जहाँसे अभियुक्त आनेवाले थे, का रास्ता भी किसानोंसे भर गया। मजिस्ट्रेटने सुनवाई अगले दिनके लिए स्थगित कर दी। पर अगले दिन भीड़ और बढ़ गयी और उसने जेलको लगभग घेर लिया। अतः किसान नेता छोड़ दिये गये—सम्भवतः जेलमें ही सरसरी तौरपर मुकदमा करके।” प्रतापगढ़की ही घटनाकी पुनरावृत्ति जनवरी १९२१ में रायबरेलीमें हुई। कुछ किसान नेता गिरफ्तार कर स्थानीय जेलमें रसे गये थे। गिरफ्तारीकी खबर पाते ही बहुतसे गाँवोंके किसान जुद्ध बनाकर शहरको तरफ रवाना हो गये। लेकिन किसानोंकी बड़ी भीड़ शहरके बाहर हो एक छोटी नदीके दूसरी तरफ रोक ली गयी। नेहरू रायबरेलीमें आमन्त्रित थे, और वे भीरन घटनास्थलके लिए रवाना हुए। रास्तेमें उन्हें जिला मजिस्ट्रेटका आदेश मिला कि आप वापस लौट जायें। आदेशकी पुस्तपर ही नेहरूजीने लिख दिया कि ‘मुझे किस कानूनके अन्तर्गत यह आदेश दिया जा रहा है’ और आगे बढ़े। नदीके पुलपर उन्हें फौजने रोका। किसान भी उनके आस पास इकट्ठे हो गये। नेहरूजीने वहाँ भाषण किया। लेकिन नदीके दूसरे तरफ इकट्ठे किसान तितर बितर होनेसे इनकार करते रहे। उनपर गोली चली। कई मारे गये। भीड़ हटानेके लिए नेहरूका एक शब्द काफी होता, पर अधिकारी नेहरूजीको वह नहीं करने देना चाहते थे जिसे करनेमें वे स्वयं असफल हुए थे।

इस तरफ दलित, शोषित किसान उठ रहे थे। “किसान बड़ी संख्यामें ट्रेनोंपर बिना टिकट चलने लगे—खास तौरपर समय समयपर होनेवाली सार्वजनिक सभाओंमें जिनमें ६०-७० हजार लोगतक भाग लेते थे, वे बड़ी संख्यामें बिना टिकट चलकर जाते। वे खुलेआम रेलवेके अधिकारियोंकी अवज्ञा यह कह कर करते कि अन्न पुराना जमाना गुजर गया है।” फैजाबादमें कुछ गाँवोंके किसानोंने एक तालुकदारकी सम्पत्ति लूट ली। उन्हें एक दूसरे जमींदारने भड़नाया था जिसने निजी अदावतका बदला लेनेके लिए किसानोंको समझाया कि गांधीजी यहाँ चाहते हैं। स्पष्ट है कि इन दो तरोकोके लिए कांग्रेसने कभी सौझति नहीं दी थी। गोलीबर्षा, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ सार्वजनिक जीवनकी आम बातें बनती जा रही थीं।

खिलाफतकी गूँज दूर दक्षिणके मलानगर तटपर जा पहुँची और वहाँ मोपलाओंको अंग्रेजी सत्ताके विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह करनेकी प्रेरित किया। मोपलाओंका विद्रोह इतना सकलपूर्ण था कि मलानगरमें एक बड़े इलाकेपर कई दिनतक अंग्रेजी सत्ता लुप्त रही और

१. नेहरू ‘ऑटोबायोग्राफी’, पृष्ठ ८०

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५९

३. वही पुस्तक, पृष्ठ ५९

खिलाफतके शाह मुहम्मद हाजीके नेतृत्वमें खिलाफत राज स्थापित रहा। इस छोटेसे खिलाफत राज्यका अन्त स्वयं मोपलाओंने अपनी धर्मान्धतामें हिन्दुओंके खिलाफ तलवार उठा कर ला दिया। मुसलमानोंकी हैसियतसे वे यह भूल नहीं पाते थे कि हिन्दू काफिर हैं।

मलाबार तटपर ऊँची पहाड़ियों और समुद्रतटके बीच घने वनोंसे आच्छादित छोटी पहाड़ियोंकी शृंखलाएँ हैं। यहीं नवीं सदीमें अरबोंने आकर बस्तियाँ बनायी थीं और द्रविड़ व अन्य हिन्दू बालिकाओंसे विवाह कर मोपला समाजको जन्म दिया था। अरब मुसलमानोंके भारतसे व्यापार-सम्बन्ध बहुत पुराने थे। हठी और अविनीत मोपला स्थापित सत्ताके अन्तके लिए हिंसा ही एकमात्र उपाय मानते थे। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र एकट्ठे व वितरित करने शुरू कर दिये और लड़ाईकी तैयारी होने लगी। २५ जुलाई सन् १९२१ को अधिकारियोंको इसकी सूचना मिली। तलाशीका हुक्म हुआ। पुबकोट्टरमें उपद्रव हो गया और पुलिस पराजित हुई। पौरन बाद पाँच हजार मोपलाओंने परम्पनगट्टीपर हमला बोल दिया और एक अंग्रेज फौजी अपसर व एक पुलिस अपसरको मार डाला; रेलवेका स्टेशन जला डाला गया, पटरियाँ उखाड़ दी गयीं। दूसरे दिन एक अंग्रेज फौजी टुकड़ी और मोपलाओंमें जमकर संघर्ष हुआ। इस टुकड़ीके हाथ-पाँव थोड़ी देरमें फूल गये और दो अंग्रेज अपसरों व कई सिपाहियोंके खेत रहनेके बाद ब्रह्मान अपसरने बचावकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। आसपाससे और फौजी टुकड़ियाँ इस संघर्षमें शोक दी गयीं, पर विद्रोहियोंने उनके पैर उखाड़ दिये। विद्रोही विजयके उल्लासमें आगे बढ़ते आ रहे थे। अब 'हिमालय और बर्मासे, गुरखों, गढ़वालियों, कान्चिनोकी फौजी टुकड़ियाँ भेजी गयीं जिनके हृदयमें इस्लामके अनुरागकी गन्ध भी होनेकी सम्भावना नहीं थी। दूसरे ये लोग जंगल युद्धमें प्रवीण थे। 'पहाड़ी बैटरी'का एक दस्ता भी वहाँ हड़बड़ीमें भेजा गया पर घने जंगलोंमें वह काम न आया। आन्तरिकार, यह तय हुआ कि बड़ी-बड़ी फौजी टुकड़ियाँ जंगलोंको घेर ले और धीरे-धीरे एक-एक इलाकेको भँसा डालें, जैसे शिकारमें जंगल खँगाये जाते हैं। लेकिन इस तरीके में अक्सर ऐसा होता कि छोटी फौजी टुकड़ी मोपलाओंके बड़े दस्तके सामने पड़ जाती। वेपूर नदीके किनारे २१८ गुरखा राइफिलसकी एक टुकड़ी एक मोपला दस्तके सामने पड़ गयी। मलाबारमें पत्थरकी पुरानी मसजिदोंकी बहुतायत है। ये मसजिद मोपला विद्रोहके इतिहासमें बड़ा महत्त्व रखती हैं। एक ऐसी ही मसजिदमें ५६ मोपला विद्रोही लिपे थे। गुरखा टुकड़ीके एक अपसर और छः सिपाहियोंकी मृत और दो अपसरों व १० सिपाहियोंके बुरी तरह घायल होनेके बाद ही मसजिदपर कब्जा हो सका। उठकर सामना करते हुए सभी मोपला मारे गये।

“उत्तेजित मोपलाओंका सामना करना कितना मुश्किल था, यह बतानेके लिए पण्डितकाह चौकीके हमलेका उदाहरण काफी होगा। यहाँ चौकीपर दो तरफसे हमला हुआ। मोपलाओंके कमसे कम ६७ और अधिकसे अधिक १५० लोग खेत रहे, पर उस चौकीका एक अंग्रेज अपसर व आठ सिपाही मारे गये और दो अपसर व १७ सिपाही घायल हुए। ७ जनवरी सन् १९२२ को खिलाफतके शाह, मुहम्मद हाजी और उनके २१ अनुयायियोंको पकड़कर फौजी अदालतके हुक्मसे गोलीसे उड़ा दिया गया, छः मोपला २० जनवरीको गोलीसे उड़ा दिये गये। विद्रोहका यहीं अन्त नहीं हुआ, जनवरीके अन्ततक बहुतसे और मोपला पकड़कर विशेष अदालतोंके समक्ष पेश किये गये।”<sup>१</sup>

१. लेफ्टिनेण्ट; जनरल सर जार्ज मेकमन—'दरमोहल एण्ड ट्रेजेडी इन इण्डिया इन १९१५ एण्ड आफ्टर' पृष्ठ २४८-४९

यह विद्रोह कितना व्यापक और बड़ा था इसका अनुमान इससे लगा सकता है कि "उसमें २२६६ विद्रोही सघर्षमें मारे गये, १६१५ घायल हुए, ५६८८ पकड़े गये और ३८२५६ ने हथियार डाल दिये।"<sup>१</sup>

अप सरकारों प्रतिशोध शुरू हुआ। मोपला कैदियोंको पाँजी अदालतोंके सामने पेश किया जाता, पैसला होता और वे गोलीसे उड़ा दिये जाते। दमनका सबसे क्रूर इतिहास सम्भवतः एक मालगाड़ीमें लिखा गया। लगभग ७० (एक कथनके अनुसार १००) मोपला बन्दी एक मालगाड़ीके एक डिब्बेमें बन्दकर कालीकटसे मद्रास लाये जा रहे थे। दक्षिण भारतकी गर्मी और लोहेका यन्त्र डिब्बा। जब थोदानूर स्टेशनपर डिब्बा खोला गया, ६६ बन्दी दम घुटनेके कारण मर चुके थे और शेष मरणासन्न थे।

अपद मोपले अप्रैजोंके विरुद्ध विद्रोह करते समय गाजी और 'धर्मप्रवर्तक' बनने लगे थे। वे हिन्दुओंको बर्बरतासे मार डालते या जबरदस्ती उनका खतना कर उन्हें सुखमान बना लेते। वे समझते थे कि खिलाफत कायम करनेका यही तरीका है। अपने व्यावहारिक जीवनमें वे हिन्दू जमींदारोंके दुश्मन बन गये थे। जैसा कि स्मिथने लिखा है "मोपलाओंके जीवनमें कबुआहट थी; वे हिन्दुओंके दुश्मन थे; वे अप्रैजोंके दुश्मन थे; वे इस दुनियाके दुश्मन थे जिसने उन्हें इतने कष्ट दिये। उनकी धुन, उनकी लालक, उनकी व्यग्रता उस पीड़ित शोषित समाजकी व्यग्रता थी जो अपने उत्पीड़कके विरुद्ध विद्रोह कर रहा हो, उस समाजकी व्यग्रता थी जो धर्मान्ध हो पापको नष्ट कर सत्य और अच्छाईका राज्य स्थापित कर रहा हो।"<sup>२</sup> कांग्रेस वॉकिंग कमेटीके अनुसार "एक ऐसे धर्मान्ध गिरोह द्वारा हिन्दुओंको बलान् मुस्लिम बनाया गया जो हमेशा खिलाफत और असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध रहा, और जहाँतक हमारी खूना है, सिर्फ़ ऐसी तीन ही घटनाएँ हुईं। लेकिन एक प्रश्नके उत्तरमें मद्रास सरकारकी खूनाके आधारपर केंद्रीय विधान सभामें बताया गया कि "बलान् धर्म परिवर्तनकी सम्भवतः हजारों घटनाएँ हुईं पर प्रत्यक्ष कारणोंसे सही अनुमान लगाना अगम्य होगा।"<sup>३</sup> कंग्रेस कार्यसमिति (वॉकिंग कमेटी) ने मोपला हिंसाकी निन्दानी और एक प्रस्तावमें कहा कि "उपद्रव उन्हीं इलाकोंमें हुए जहाँ खिलाफत व कांग्रेसके कामोंपर रोक लगी हुई थी।"<sup>४</sup>

लेकिन अप्रैजोंका विरोध मोपला क्षेत्रोंमें ही सीमित नहीं था। मद्रासके गवर्नर विलिंगडनने १ सितम्बर १९२१ की मद्रास विधायिका को मिलने कहा—"मलाबारमें तो स्थिति गम्भीर है ही, मैं माननीय सदस्योंको यह चेतावनी दे देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मलाबार ही सरकारों चिन्ताका कारण नहीं है। 'सरकारों'के पूरे इलाके—खास तौरपर मुहानोंके क्षेत्रोंमें वही कष्टपूर्ण प्रचार वैधानिक सत्ताको खोखला करनेके लिए, जातिविद्वेष पैदा करनेके लिए, जनतामें असहिष्णुता और वैधानिक सत्ताके विरुद्ध घृणा पैदा करनेके लिए काम करता रहा है।"<sup>५</sup>

सितम्बरमें कराचीके खिलाफत सम्मेलनके भाषणों और प्रस्तावोंके लिए अलीबन्धु व पॉन्ड अन्य वार्ताक पकड़े गये। वे पॉन्ड थे डाक्टर सैफुद्दीन किचनू, जगद्गुरु शंकराचार्य

१. वही पुस्तक पृष्ठ २५०

२. डॉ. सी. स्मिथ 'मॉडर्न इस्लाम इन इण्डिया' पृष्ठ २३५

३. विधान सभाकी काररवाई १६ जनवरी सन् १९२२

(शारदा पीठ), निसार अहमद, पीर गुलाम मुजाहिद और हुसैन अहमद। वे कराचीके एक मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश हुए और उन्हें दो-दो वर्षकी कैदकी सजाएँ दे दी गयीं। मुहम्मद-अलीने अपने बयानमें कहा—‘आखिरकार, इस मुकदमेके मतलब क्या हैं? किसके विश्वाससे हम भारतके हिन्दू और मुसलमान बँधे हुए हैं? मैं एक मुसलमानकी हैसियतसे कहता हूँ कि अगर मैं सही रास्तेसे हटता हूँ तो मुझे मेरी गलती समझानेके लिए एक ही रास्ता है, और वह है कुरान पाक।’

जब कराचीका मुकदमा चल रहा था, गान्धीजी त्रिचनापल्लीमें थे। जब उन्होंने सुना कि मुहम्मदअलीका भाषण उनके विरुद्ध एक अभियोग है, गान्धीजीने वह भाषण एक सार्वजनिक सभामें दोहराया। कांग्रेस कार्यकारिणीने भी ५ अक्टूबरकी अपनी बैठकमें खिलाफत सम्मेलनका प्रस्ताव पास किया और सभी कांग्रेस समितियोंसे सार्वजनिक सभाओंमें यही प्रस्ताव पास करनेको कहा। कांग्रेस कमेटियोंने १६ अक्टूबरको सार्वजनिक सभाएँ कर यह प्रस्ताव दोहराया। प्रस्तावमें कहा गया था कि ‘यह राष्ट्रहित और राष्ट्रप्रतिष्ठाके विरुद्ध है कि कोई भारतीय ऐसी सरकारकी नौकरीमें रहे जिसने जनताकी सही माँगोंको कुचलनेके लिए रोल्ट कानून आन्दोलनके समय पुलिस और फौजको इस्तेमाल किया हो, जिसने मित्र, तुर्की, अरब व दूसरे देशोंकी राष्ट्रीय भावना कुचलनेके लिए फौजोंका प्रयोग किया हो।’ कार्यसमिति सरकारी नौकरी छोड़नेवालोंके भरणपोषणका प्रबन्ध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ उन्हींको नौकरी छोड़नेको कहा जो बिना नौकरीके काम चला सकें। पुलिस व फौजके सिपाहियोंको सुझाव दिया गया कि वे जीविकाके लिए कताई-बुनाई आदिका सहारा लें।

कार्यसमिति अब भी आम सविनय अवज्ञा आन्दोलनके लिए उपयुक्त समय आया नहीं मानती थी, लेकिन उसने उन व्यक्तियोंको अवज्ञा करनेको अनुमति दे दी थी जिनके स्वदेशी प्रचारपर प्रतिबन्ध लगाये जाते थे। अगले महीने—५ नवम्बरको कार्यसमितिले प्रान्तोंको अपनी जिम्मेदारीपर सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ देनेकी अनुमति दे दी। इसमें लगान व करबन्दी भी शामिल थी। कुछ शतें लगा दी गयीं जिन्हें हर सविनय अवज्ञाकारीको पूरा करना होता था। ये शतें थीं—वह विदेशी वस्त्र त्यागकर खदर धारण करे; वह कताई जानता हो; वह अहिंसा और हिन्दू मुस्लिम एकतामें विश्वास करता हो; वह अस्पृश्यता और छुआछूत दूर करनेके लिए काम करता हो।

नवम्बरके मध्यमें सविनय अवज्ञाकी जगह भीषण हिंसा हो गयी। १७ नवम्बरको ब्रिटिश युवराज प्रिंस आव वेल्स बम्बई आये। कांग्रेसने पहले ही स्वागत सम्मान आदिका बहिष्कार करनेकी सलाह दे दी थी। बम्बई शहरमें इस बहिष्कारको सफल बनानेके लिए बड़ी चहलपहल रही। हजारों उत्तेजित व्यक्ति सड़कों व गलियोंमें घूमते। भीड़ बढ़कर नियन्त्रणके बाहर हो जाती। चार दिनतक मुठभेड़ होती रहीं। उपद्रव हुए और रक्तपात हुआ जिसमें ५३ मरे और ४०० घायल हुए।

स्वयंसेवकोंकी सक्रियता युवराजके आगमनके साथ एकाएक बढ़ गयी, क्योंकि कांग्रेस और खिलाफतके स्वयंसेवकोंके द्वाग ही बहिष्कारका संयोजन होना था। युवराज २५ दिसम्बरको कलकत्ते पहुँचनेवाले थे। वहाँ अधिकारी स्वयंसेवकोंसे आशंकित हो उठे। स्वयंसेवक संवटन गैरकानूनी करार दे दिया गया और इसकी सरकारी घोषणाके साथ ही बंगालभर-

में हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें चित्तरंजन दासकी पत्नी और बहन भी थी। उसके बाद सरकारने आम गिरफ्तारियोंकी नीति अपनायी और लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू आदि सब जेलोंमें भर दिये गये। जेलमें दासके साथ ही सुभाषचन्द्र बसु भी थे जो भविष्यमें महान नेता बने। युवराजके आगमन पर शान्ति कायम रखनेके लिए दिगम्बरतर्फ देशमें २०००० राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किये जा चुके थे। १९२२ के शुरूमें यह संख्या ३०००० तक जा पहुँची थी।

नेहरूजी हड़तालकी नोटिस बॉटनेके अभियोगमें पकड़े गये थे। पर जेलमें तीन महीने बाद उन्हें सूचना मिली कि सुवदमेपर पुनर्विचार करनेवाले अधिकारीके अनुसार उन्हें गलत सजा मिल गयी। उन्हें मुक्त कर दिया गया। पर कुछ ही दिनों बाद कुछ और लोगोंके साथ वे भी 'धमकी देने और रुपया वसूल करने'के अभियोगमें गिरफ्तार कर लिये गये। वे बहिष्कार आन्दोलनके काममें लगे थे और इलाहाबादके व्यापारी विलायती कपडा न खरीदने और न मँगानेकी शपथ ले रहे थे।

सरकार तथा कुछ अन्य व्यक्तियोंको डर था कि युवराजके कलकत्ते पहुँचने पर स्थिति कहीं गम्भीर न हो जाय। ये लोग गान्धीजी और वाइसरायके बीच समझौता करानेकी उत्सुक थे। जिना और मालनीय मन्वस्थ बन २१ दिसम्बरको वाइसराय लार्ड रीडिंगसे मिले। बातचीतकी पहली शर्त राजनीतिक कैदियोंकी रिहाई थी; लार्ड रीडिंग इसके लिए तैयार थे पर वे कुछ राजनीतिक बन्दिओंको, जैसे कि खिलाफत बन्दिओंको, नहीं छोड़ना चाहते थे। बातचीत भंग हो गयी और देशमें युवराजके स्वागतका बहिष्कार हुआ। कलकत्तेमें सारा काम, बाजार, व्यापार बन्द रहा और शहर वीरान सा लगता रहा। इसी तरहकी हड़ताले और प्रदर्शन दूसरे शहरों व कस्बोंमें भी हुआ।

उसके बाद अहमदाबादमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास चुने गये थे, पर वे जेलमें थे, इसलिए हकीम अजमल खॉ अध्यक्ष बने। वे दिल्लीके नामी हकीम थे और देश-विदेश घूमे हुए थे। गान्धीजीके प्रभावमें आकर उन्होंने शेष जीवन देशको अर्पित कर दिया था। प्रिंस आव वेल्सके आगमनके सम्बन्धमें अजमल खॉने कहा—“युवराजसे हमारी कोई दुश्मनी या झगडा नहीं है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि दिवालिया सरकार युवराजके आगमनका सहारा लेकर अपनी सारा कायम करनेकी कोशिश करे।” मोपलाओं द्वारा हिन्दुओंके बलात् धर्म-परिवर्तनकी उन्होंने निन्दा की। चित्तरंजन दासका लिखा हुआ भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडूने पढा। इस भाषणमें १९१९ के भारत वानूत (गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट) पर देशका असन्तोष व्यक्त किया गया था और कहा गया था कि ब्रिटेनको भारतीय सहयोग तभी प्राप्त होगा जब वह भारतका स्वाधीनताका अधिकार स्वीकार कर ले।

कांग्रेसने कार्यसंचालनका पूरा भार गान्धीजीको दे दिया और उन्हें कांग्रेस महा-समितिके पूरे अधिकार भी दे दिये। गान्धीजीका प्रस्ताव अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव था जिसमें भावी आन्दोलनकी रूपरेखा इंगित की गयी थी। प्रस्तावमें कहा गया था कि जहाँतक सम्भव हो कांग्रेसके अन्य काम स्थगित कर दिये जायें और १८ वर्षोंके ऊपरके सभी सदस्य स्वयंसेवक बन जायें। कांग्रेसकी राय थी कि हर जगह सभाओंपर लगी रोकका उल्लंघन कर सभाएँ की जायें। पर ये सभाएँ कांग्रेसके कठोर अनुशासनमें हों; पहलेसे जिनके

नाम घोषित हों वे ही लिखित भाषण करें, भाषणोंमें उत्तेजना या हिंसाको विलकुल बचाया जाय । १८ वर्षसे बड़े छात्रों—विशेषकर राष्ट्रीय संस्थाओंके छात्रों व अध्यापकोंसे स्वयंसेवक बननेकी अपील की गयी । प्रस्तावमें “अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमको पहलेसे और अधिक गतिमान व शक्तिमान बनाकर उस ढंगसे चलानेका कांग्रेसका दृढ़ संकल्प” दोहराया गया था जिस ढंगसे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ उसे चलानेका निर्णय करें । दूसरे प्रस्तावमें उन लोगोंको सम्बोधित किया गया था जिन्हें असहयोगमें पूरा विश्वास न था । इन लोगोंसे अपील की गयी थी कि वे गरीब जनतामें कपास ओटने, बुनने व कातनेका प्रचार कर उनकी स्थितिके सुधारमें सहायता दें ।

इस अधिवेशनमें हसरत मोहानीने एक प्रस्ताव लाकर स्वराज्यकी परिभाषा ‘पूर्ण स्वाधीनता—विदेशी नियन्त्रणसे विलकुल स्वतन्त्र’ करनी चाही । पर गान्धीजीके जोर देने पर प्रस्ताव गिर गया । गान्धीजीने कहा—“दुनियाके सोचने-समझनेवाले लोग कहेंगे कि हम खुद नहीं जानते कि हम हैं क्या । हमें अपनी सीमाएँ भी जान लेनी चाहिये । पहले हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूर्ण और अविच्छिन्न एकता हो जाने दीजिये । आज यहाँ कौन है जो विश्वासके साथ कह सके कि—‘हाँ, भारतीय राष्ट्रीयतामें अविभेद्य हिन्दू-मुस्लिम एकता पैदा हो गयी है । पहले हम अपनी ताकत समझ लें और उसे मजबूत कर लें; पहले हम अपनी गहराई नाप लें; हम ऐसे गहरे पानीमें न उतरें जिसकी गहराई ही हमें न मादूम हो और हसरत मोहानी साहबका प्रस्ताव हमें नामादूम गहराईमें ही ले जाता है ।” गान्धीजीके भाषणके बाद हसरत मोहानीके प्रस्तावको काफी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और वह गिर गया ।

१९२१ में हसरत मोहानी लीगके अध्यक्ष हुए थे । वहाँ भी उन्होंने मुस्लिम श्रोताओंके समक्ष यही प्रस्ताव और अधिक टोस रूपमें, और अधिक जोरके साथ पेश किया; इसपर उन्हें जेल हो गयी । उन्होंने कहा—

“१ जनवरी सन् १९२२ को भारतीय लोकतन्त्र—भारतके संयुक्त राज्यकी स्थापनाकी घोषणा कर दी जाय । मुस्लिम लीग कमजोर है । लेकिन लीग, कांग्रेस और खिलाफत कानफरेंसके ध्येय एक ही हैं । फर्क सिर्फ इतना है कि लीग सिर्फ मुसलमानोंके हकोंकी हिफाजत करना चाहती है । जरूरत इस बातकी है कि पहले स्वराज्य प्राप्त कर लिया जाय; हकोंकी हिफाजत बादमें होती रहेगी । लेकिन लीगका बहुमत दूधरी विचारधाराका है । अगर सरकार पंजाब और खिलाफतके मसलोंको न सुलझाये तो लीगका लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रतासे भी आगे बढ़ना चाहिये ।

“मुसलमानोंको समझना चाहिये कि भारतीय जनतन्त्रकी स्थापनासे उनका दोहरा फायदा होगा; एक तो जनतान्त्रिक राज्यके नागरिकोंकी हैसियतसे उन्हें वे ही फायदे और हक मिलेंगे जो दूसरे नागरिकोंको; और दूसरे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र कम हो जानेसे इस्लामी दुनियाको वह राहत मिल जायगी जो रचनात्मक कामोंके लिए जरूरी है ।”

मोहानीका प्रस्ताव विषय-समिति और खुले अधिवेशन दोनोंमें गिर गया । टण्टी पड़ती और पीछे हटती हुई लीगपर प्रस्ताव जैसे बमके गोलेकी तरह गिरा । १९२१ में लीगने असहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया । सात सालतक लीग और कांग्रेस साथ-

साथ आगे बढ़ी थी, पर अब जब असहयोग एक सत्य बन गया था, लीगने अपना अधिवेशन भी उसी शहरमें नहीं किया, जहाँ काफ़ी हो रही थी। सात साल तक दोनोंके वार्षिक अधिवेशन एक साथ होते रहे थे। जैसा कि हररत मोहानीने कहा था, लीगके अधिकांश लोग दूसरी विचारधाराके थे और वे सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी आगमें नहीं बूढ़ना चाहते थे। १९२२ में तो ऐसा लगा मानो लीगकी जीवनी शक्ति ही क्षीण हो रही हो, उस साल कोई वार्षिक अधिवेशन ही नहीं हुआ। १९२२ में हररतउमें जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें इतने कम आदमी आये कि खुल्ला अधिवेशन ही नहीं हो पाया। अगले तीन अधिवेशनोंमें राजनीतिकी जगह साम्प्रदायिक बातोंपर ही विचार होता रहा।

१९२२ की जनवरीके मध्यमें आन्दोलन टालनेके लिए सरकार और कांग्रेसमें समझौतेकी एक वोगिश और की गयी। चम्बईमें एक सर्वदल सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न पार्टियोंके लगभग ३०० प्रतिनिधियोंने भाग लिया। तीन दिनकी बैठकमें (१४ से १६ जनवरी तक) सम्मेलनने सधिका एक मसौदा तैयार किया जिसपर सरकार और कांग्रेस दोनों के हस्तक्षर होने थे। सम्मेलनके प्रस्तावमें (१) सरकारकी दमननीतिकी निन्दा की गयी थी, (२) खिलापत, पंजाब हत्याकांड और स्वराज्यने प्रश्नोंपर एक गोलमेज सम्मेलन बुलानेका मुझाव दिया गया था और इस गोलमेज सम्मेलनके लिए उचित वातावरण तैयार करनेके लिए सभी राजनीतिक बन्धियोंकी रिहाई और प्रतिबन्धात्मक आदेशोंके हटानेकी माँग की गयी थी। कांग्रेस कार्यसमितिने १७ जनवरीकी बैठकमें सरकारसे सधिके लिए तैयार होनेकी घोषणा की और आन्दोलन महीनेके अन्ततक शुरू न करनेका फैसला किया।

गान्धीजीने वाइसरायसे दोस्तीके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हालाँकि इससे आग्रमें लगानबन्दी आन्दोलनका कार्यक्रम बिगड़ रहा था। आन्ध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटीने करबन्दीका फैसला १५ दिसम्बर १९२१ को ही कर लिया था। जनवरीमें वहाँके जिले आवश्यक सूचना एकत्र करनेमें लगे थे, जब गुप्टरने करबन्दी आन्दोलनका भीगणेश भी कर दिया। पूरा जिला कांग्रेसकी आवाजपर एकदम उठ पडा हुआ; मंदानोमें लोगोंने लगान रोक लिया; पहाडियोंपर जानवर चरानेकी भीस रोक ली। जो किसान अब भी ऊहापोहमें लगे थे उन्हें एक घटनासे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिली। पुलिसके एक दारोगाने किसी गाँवके एक प्रमुख किसानको गोलीया निशाना बना दिया। इसपर गाँववाले उभर पडे और पूंज व पुलिसका आतक भी उनसे लगानअदा न करवा सका। गान्धीजीने सोचा कि आन्ध्रका करबन्दी आन्दोलन सर्वदल सम्मेलनके प्रस्तावके वातावरणमें खपता नही। इसलिए उन्होंने राय दी कि सभी कर २५ जनवरीतक अदा कर दिये जायँ और वे अदा कर दिये गये। लेकिन वाइसराय सन्धि प्रस्तावके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने बात किये बिना ही उन्हें डुकरा दिया।

कांग्रेस कार्यसमितिने २१ जनवरीको परिस्थितिका सिहावलोकन करते हुए सर्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलनको गुजरातके बारदोली तालुकेमें सीमित करनेका फैसला किया, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके बहुतसे अनुभवी लोग मौजूद थे। २९ जनवरीको विट्टलभाई पटेलके सभापतिस्वमें एक तालुका सम्मेलन हुआ जिसमें आन्दोलनके लिए तैयारी प्रकट की गयी। देशभरमें वहाँ और करबन्दी आन्दोलन चलानेकी इजाजत नहीं

दी गयी थी। गान्धीजीको यह अधिकार प्राप्त था कि वे ठीक समझें तो किसी इलाक़ेमें असहयोग या करवन्दी सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें शुरू करनेकी इजाजत दे सकते हैं। गान्धीजीने वाइसरायसे देशके लिए न्याय माँगनेकी एक और कोशिश की। १ फरवरीको उन्होंने वाइसरायको पत्र लिखा जिसमें “सम्पत्ति लूटने, निरीह व्यक्तियोंपर हमला करने, जेलमें कैदियोंके साथ पाशविक व्यवहार करने, कोड़े मारने” आदिमें प्रकट सरकारी दमनकी शिकायत करते हुए कहा गया था “इस अन्यायपूर्ण दमनने ( जो एक तरहसे इस अभाग्य देशके इतिहासमें अभूतपूर्व है ) सार्वजनिक अवस्था आन्दोलन तत्काल प्रारम्भ कर देना एक अनिवार्य कर्त्तव्य बना दिया है। कांग्रेस कार्यसमितिके इसे उन क्षेत्रोंमें सीमित रखनेका पंसला किया है, जिन्हें मैं समय-समयपर छूँटा रहूँ; अभी यह वारदोलीमें सीमित है। मैं इस अधिकारसे गुण्टूर ( मद्रास ) के १०० गाँवोंमें तत्काल आन्दोलनकी अनुमति दे सकता हूँ। यदि वे अहिंसा, विभिन्न वर्गोंकी एकता, हाथके बने सस्त्रके उत्पादन और अस्पृश्यता-निवारणकी शर्तें पक्की तौरपर पूरी कर सकें।” गान्धीजीने एक दूसरे रास्तेका सुझाव रखते हुए अनुरोध किया—“लेकिन वारदोलीकी जनतासे आन्दोलन शुरू करनेके लिए कहनेके पहले मैं विनयपूर्वक आपसे—जो भारत-सरकारके सर्वोच्च अधिकारी हैं, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अन्ततोगत्वा अपनी नीति बदल दें और अहिंसात्मक काररवाइयोंके लिए दण्डित या विचाराधीन सभी असहयोग वन्दियोंको रिहा कर दें और देशमें अहिंसात्मक काररवाइयोंमें बिल्कुल हस्तक्षेप न करनेकी नीतिकी घोषणा स्पष्ट शब्दोंमें कर दें—चाहे ये काररवाइयाँ खिलाफतके अन्यायके प्रतिकारके लिए हों, पंजाब हत्याकाण्डके लिए हों, स्वराज्यके लिए हों या किसी अन्य उद्देश्यसे हों, और चाहे वे भारतीय दण्डविधान, जानता फौजदारी या अन्य किसी दमनकारी कानूनकी धाराओंके अन्तर्गत भले ही आती हों; सिर्फ़ शर्त्त यह रहे कि यह काररवाई हर हालतमें शान्तिमय और अहिंसात्मक होगी। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि समाचार-पत्रोंपर लगे प्रशासकीय नियन्त्रण भी हटा लिये जायँ और हालमें उनपर जो जद्वियाँ और जुर्मानोंके दण्ड हुए हैं वे वापस लिये जायँ। इस अनुरोध द्वारा मैं आपसे सिर्फ़ वही करनेके लिए कह रहा हूँ जो हर ऐसे देशमें होता है, जहाँ सभ्य सरकारें राज करती हैं।” अन्तमें गान्धीजीने लिखा—“यदि इस पत्रके प्रकाशनके एक सप्ताहके भीतर आप आवश्यक घोषणा कर सकें तो मैं आन्दोलनके उग्र रूपको स्थगित करनेकी सलाह देनेकी तैयार हूँ; फिर छूटे हुए वन्दी पूरी परिस्थितिपर नये ढंगसे सोच सकेंगे।”

वाइसरायका उत्तर पत्रोंमें प्रकाशित हुआ जिसमें सरकारी रवैयेको ठीक बताया गया था और गान्धीजीका अनुरोध अस्वीकार कर लिया गया था। गान्धीजी अब वारदोली कार्यक्रम पूरा करनेको स्वतन्त्र थे। पर ऐसा नहीं होना था। ५ फरवरीको चौरीचौरामें एक भीषण हत्याकाण्ड हो गया। चौरीचौरा गोरखपुर ( संयुक्तप्रान्त ) में एक गाँव है। वहाँके किसानोंने एक जुलूस निकाला था। जैसा कि उन दिनों हर जुलूसके साथ होता था, इस जुलूसपर गोली चलायी गयी। जुलूस भंग न हुआ। पुलिसके कारतूस चुक गये। पुलिसवाले थाने लौट गये। पर भीड़ने उनका पीछा किया, उन्हें थानेकी इमारतमें बन्द कर दिया और इमारतमें आग लगा दी। थानेमें २१ सिपाही और एक थानेदार था। वे सब भस्म हो गये। इस घटनाने गान्धीजीको कैप दिया। वे तो हर आन्दोलनकी पहली शर्त्त



शान्ति और अहिंसा मानते थे। उन्होंने बारदोली आन्दोलन स्थगित करनेकी राय दी। १२ फरवरीको कांग्रेस कार्यकारिणीने उनकी राय मान ली। कांग्रेसजनोंसे कहा गया कि वे गिरफ्तार होना और प्रतिबन्ध तोड़कर सभाएँ करना व जुजूस निकालना बन्द कर द। इसकी जगह कांग्रेसके सदस्य बनाने, कतारें बिनाई लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय स्कूल स्थापित करने, पचासतें स्थापित कर नशाबन्दीका प्रचार करनेका काम शुरू हुआ। ऐप्रिल २४ व २५ फरवरीको कांग्रेस महासमितिकी बैठक दिल्लीमें हुई जिसमें कार्यसमितिके प्रस्तावमें कुछ संशोधन हो गये। अब प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ विशेष मामलोंके उल्लंघनके लिए विशेष जगहोंपर विभिन्न व्यक्तियोंको सविनय प्रतिरोध करनेकी अनुमति दे सकती थी। विदेशी वस्त्रों और शराबकी दूकानोंपर शक्तिमय धरना देनेकी भी अनुमति दे दी गयी।

लेकिन सार्वजनिक आन्दोलन न छेड़नेसे जेलमें कांग्रेसके उच्च नेताओंमें भी विस्मय और व्याकुलता आ गयी। मोतीलाल नेहरू और लजपतराय जैसे लोगोंने गांधीजीको क्रोधभरे पत्र लिखे। उनका तर्क था कि चौरीचौरा काण्ड दुर्भाग्यपूर्ण था, पर उससे कार्यक्रममें बाधा नहीं पड़ने देनी थी, उसे एक पृथक घटना मानकर आगे बढ़ना था। कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें कुछ लोगोंने गांधीजीकी भर्त्सना करनेकी भी बात की। लेकिन क्रोध शान्त हो गया और गांधीजीकी विजय हुई।

जैसा कि एण्ड्रूजने लिखा, गांधीजीने तो सत्याग्रह स्थगित कर अपनी महानता का परिचय दिया और स्थिति का हाथसे सामना किया। सरकारने नीचे उतरकर आन्दोलनकी गहृ-बृद्ध स्थिति का फायदा उठाकर ओछा और कायरतापूर्ण हमला कर दिया। १३ मार्चको गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। “दुनियादारोंके दृष्टिकोणसे यह कूटनीतिका अच्छा दाव था, पर इसमें पुस्रोचित शौर्यका नाम भी नहीं था।” गांधीजीके सहयोगी शकरीलल बैकर भी उनके साथ गिरफ्तार किये गये थे। ‘सगहण्डया’ के तीन लेख गांधीजी पर धमियोग लगानेके लिए छोटें गये और उसमें यह दिखानेकी कोशिश की गयी कि गांधीजी सरकारके प्रति अभक्ति पैला रहे थे। गांधीजीने हम अपराधको स्वीकार किया।

अदालतके सामने गांधीजीने एक लम्बा वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे १८९३ से ही ब्रिटिश सत्ताको सहयोग प्रदान करते रहे। उन्होंने कहा— १९१९ में अमृतसर कांग्रेसके समय मिर्चोंकी चेतावनी और आशकाके बावजूद मैं सरकारको सहयोग देने और माटेमू चेम्सफर्ड सुधार लागू करनेके लिए लड़ता रहा। मुझे आशा थी कि प्रधान मन्त्री भारतीय मुसलमानोंको दिया गया अपना वचन पूरा करेंगे, पंजाबके घायपर मलहम लगायेंगे। मैं आशा करता था कि अपर्याप्त और असन्तोषजनक होते हुए भी ये सुधार भारतीय जीवनमें एक नयी आशाका सूरपात करेंगे। पर मेरी आशाएँ छिन्न भिन्न हो गयीं। खिलाफत सम्बन्धी वादा पूरा नहीं होना था। पंजाबके हत्याकाण्डपर लोपागोती कर दी गयी और भारतकी अधभूखी जनता धीरे-धीरे निर्जीव होती जा रही है। वह नहीं जानती कि विदेशी शोषणकी दलालीसे संसका गुजारा होता है, विदेशी शोषणका मुनाफा और दलाली जनताका खून चूसकर आती है। वह नहीं जानती कि कानूनके आधारपर बनी यह सरकार जनताके शोषणके लिए बनी है। कानूनी ढाँच-पेच और ऑकड़ोंका जालू उन कंकालोंका सबूत नहीं मिटा सकता जो देशातोंमें नगी आँखसे देखे जा सकते हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं

है कि यदि ईश्वर है तो इग्रेज और भारतीय नगरवासियों, दोनोंको मानवताके विकरल ऐसे अपराधके लिए जवाब देना पड़ेगा जिसका सम्भवतः इतिहासमें उदाहरण भी न मिलेगा। इस देशमें स्वयं कानून भी विदेशी शोषककी सेवाके लिए बना है। पंजाब मार्शल लाके मामलोंकी मेरी निष्पक्ष जाँचने मुझे इस निष्कर्षपर पहुँचाया है कि कमसे कम ९५ फीसदी दण्ड विलकुल गलत है। भारतमें राजनीतिक मुकदमोंका मेरा अनुभव मुझे बताता है कि १० मेंसे ९ मामलोंमें दण्डित व्यक्ति निरीह होते हैं। उनका अपराध सिर्फ यही है कि वे अपने देशको प्रेम करते हैं। भारतीय अदालतोंमें १०० मेंसे ९९ मामलोंमें अंग्रेजोंके मुकामले-में भारतीयोंको न्याय नहीं मिलता। इसमें अतिशयोक्ति या अतिरंजना नहीं है। यह उस हर भारतीयका अनुभव है जो ऐसे मामलोंसे सम्बन्धित रहा है। मेरा मत है कि इस प्रकार जाने या अनजाने शोषकके हितमें यहाँ न्यायके साथ बलात्कार होता है।

“सबसे बड़े दुर्भाग्यकी बात यह है कि अंग्रेज और उनके साथी भारतीय यही नहीं जानते कि वे यह अपराध कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर बताया है। मैं जानता हूँ कि बहुतसे अंग्रेज और भारतीय अपसर ईमानदारीसे यह समझते हैं कि वे दुनियाकी सबसे अच्छी न्याय प्रणाली व्यवहारमें ला रहे हैं और भारत धीरे-धीरे पर निश्चित रूपसे प्रगति-पथपर अग्रसर हो रहा है। वे नहीं जानते कि एक ओर आतंक पैलानेके सूक्ष्म किन्तु प्रभावकारी उपाय और शक्तिका संघटित प्रदर्शन और दूसरी ओर रक्षा अथवा प्रत्याक्रमणकी शक्तिका अपहरण—दोनोंने मिलकर जनताको निर्जीव कर दिया है और उसने उस व्यवहार-प्रणालीको प्रोत्साहित किया है जिससे शत्रुओंके अज्ञान और कपटको बढ़ावा मिला है। नागरिकोंकी स्वतन्त्रता छीननेकी जितनी धाराएँ हैं, भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२४—अ उन सबकी सिरताज है; मुझे इसी धाराके अन्तर्गत अभियुक्त बननेका संभाग्य प्राप्त है। सरकारके प्रति भक्ति अथवा निष्ठा कानूनसे उत्पन्न या नियन्त्रित नहीं होती। यदि किसी व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तुमें प्रेम नहीं है तो जबतक वह हिंसाको बढ़ावा नहीं देता, उसे अपने इस वैरको व्यक्त करनेका पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। लेकिन जिस धाराके अन्तर्गत मुझपर व श्रीशंकरलाल बैंकरपर मुकदमा चल रहा है, उसमें सरकारसे वैर प्रकट करना ही अपराध है। मैं किसी एक हाकिमके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, शाहके प्रति दुर्भावना या वैरकी भावनाका प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ऐसी सरकारके प्रति निष्ठाहीनताकी भावना रखना मैं एक गुण मानता हूँ, जिसने अन्य किसी प्रणालीसे अधिक हानि भारतको पहुँचायी है। भारतमें ब्रिटिश राजमें जो पुरुषत्वहीनता उत्पन्न हुई है, वह पहले कभी नहीं थी। ऐसा विश्वास होने पर इस सरकार या शासन-प्रणालीके प्रति सद्भावना या निष्ठा रखना पाप है।

“वास्तवमें, मेरा विश्वास तो यह है कि जिस अप्राकृतिक ढंगसे भारत और ब्रिटेन रह रहे हैं, असहयोग द्वारा उससे बचनेका उपाय बताकर मैंने दोनों देशोंकी सेवा की है। मेरे तुच्छ मतमें बुराईसे असहयोग करना उतना बड़ा कर्त्तव्य है जितना अच्छाईमें सहयोग करना। अभीतक बुराई करनेवालेका हिंसात्मक विरोध असहयोगका विशिष्ट अंग रहा है। मैं अपने देशवासियोंको यह समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि हिंसात्मक असहयोग बुराईको बढ़ाता है और चूँकि बुराई हिंसापर पलती है, बुराईसे असहयोगमें हिंसाका नितान्त अभाव आवश्यक है। अहिंसामें बुराईसे असहयोगके दण्डको स्वेच्छासे स्वीकार करना निहित है। इसलिए मैं उस कार्यके लिए अधिकतम दण्डकी प्रसन्नता-पूर्वक कामना करता हूँ जो

कानूनकी दृष्टिमें अपराध है और मेरी दृष्टिमें किसी भी नागरिकका परम कर्त्तव्य है। जज और असेसरो—आपके सामने दो मार्ग हैं; यदि आप समझते हैं कि जिस कानूनको आप लागू करते हैं वह बुरा है और चास्तवमें मैं निरपराध हूँ तो आप अपने पदोंसे इस्तीफा देकर इस बुराईसे असहयोग करें; यदि आप समझते हैं कि जिस शासन-प्रणाली व न्याय प्रशासनमें आप सहायक बन रहे हैं वह इस देशकी जनताकी भलाईके लिए है और इसलिए मेरा कार्य जनहितको आघात पहुँचानेवाला है तो आप मुझे अधिकतम दण्ड दें।”

लेकिन जजने अपना विचार गांधीजीकी ‘अपराध स्वीकृति’ तक सीमित रखते हुए उन्हें छः वर्षकी कैदकी सजा दी और कहा कि ऐसे ही अभियोगमें तिलकको भी इतना ही दण्ड मिला था। यह समझ कर कि वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे, गांधीजीने एक लेख द्वारा लोगोंको सलाह दी थी कि “मेरी गिरफ्तारी और सजा पर हड़ताल, जुटूस या प्रदर्शन न हो।” इसलिए उनकी सजाकी खबर गम्भीर आंगितसे सुनी गयी।

कांग्रेस महासमितिकी बैठक ७, ८ व ९ जूनको लखनऊमें हुई। विचाराधीन प्रश्न था कि ‘क्या सविनय अवज्ञा किसी रूपमें चलायी जाय या इसी किस्मका कोई और कदम उठाया जाय। मोतीलाल नेहरू, डाक्टर अमारी, विट्ठलभाई पटेल, जमनालाल बजाज, राजगोपालाचारी और कस्तूरी रमा आयंगरकी एक समिति प्रश्नपर विचार करनेके लिए बनायी गयी। अध्यक्ष हकीम अजमल खाँ, इस समितिके भी अध्यक्ष थे। अपन सुझावोंके लिए तथ्य संग्रह करनेके लिए समितिने देशका दौरा किया। गुण्डूर रेलवे स्टेशनपर समितिके सदस्योंका स्वागत करनेके लिए लगभग दो सौ स्वयंसेवक एकत्र थे। पुलिसने उन्हें हिरासतमें ले लिया। समितिने सुझाव दिया कि आप्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटीको ‘अपनी जिम्मेदारी पर सीमित सत्याग्रह करनेकी अनुमति दी जाय’। समितिने नयी विधायिका कौंसिलोंमें जानेके प्रश्नपर भी विचार किया, पर इस सवन्धमें मतभेद हो गया। अजमल खाँ, नेहरू व पटेल कौंसिल प्रवेशके पक्षमें थे ताकि कौंसिलको अप्रभावकारी बनाया जा सके; अमारी, राजगोपालाचारी व आयंगर कौंसिलोके बहिष्कारको कायम रखनेके पक्षमें थे।

समितिके सीमित सत्याग्रह और विधायिका सभाओके बहिष्कारके सुझावोंको महासमिति और बादमें दिसम्बरमें गयामें होनेवाले वार्षिक अधिवेशनने स्वीकार कर लिया। खिलाफत कमेटी भी कौंसिलोंके बहिष्कारके अपने निर्णयपर दृढ़ रही।

## अध्याय १९

### स्वराज्य पार्टी

कांग्रेसके गया अधिवेशनकी अध्यक्षता चित्तरंजन दासने की। राष्ट्रपति अपनी जेबमें भाषणके साथ-साथ अपना त्यागपत्र भी रख ले गये थे क्योंकि वे परिपदोंमें सम्मिलित होनेके कार्यक्रमके पक्षमें थे। उन्होंने कहा कि “मैं परिपदोंके बहिष्कारके विरुद्ध नहीं हूँ। मेरी तो बस यही राय है कि सुधार-प्राप्त परिपदें तथा उनकी सगिनी इस्पात-जैसी कड़ी भारतीय सिविल सर्विस भारतीय राष्ट्रके स्वभाव और परम्पराके प्रतिकूल हैं। वह कांग्रेसका कर्तव्य है कि परिपदोंमें शामिल होकर उनका अन्दरसे ज्यादा प्रभावशाली बहिष्कार करें।” चूँकि कांग्रेसमें परिपदोंमें सम्मिलित होनेका प्रस्ताव १७४० वोटोंके विरुद्ध ८९० वोटोंसे गिर गया इसलिए चित्तरंजन दासने अध्यक्षपदसे त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेसके अन्दर स्वराज्य पार्टी स्थापित कर ली। उनका उद्देश्य वैधानिक स्तरपर संघर्षको विधायिका सभाओंमें आगे बढ़ाना था। इस कार्यक्रमसे असहमत लोगोंका नाम ‘अपरिवर्तनशील’ रख दिया गया। राजगोपालाचारी इनके नेता थे। इन लोगोंने अपने आपको, सत कतिने, नशाबन्दी, अद्वैतोद्धार और दूसरे सामाजिक सुधारोंके रचनात्मक कार्योंमें लगा दिया। यह साफ तौरपर फूट थी परन्तु दोनों पक्षोंकी सम्भावनासे यह प्रत्यक्ष होनेसे बचा ली गयी।

१९२३ के आरम्भमें कांग्रेस दो दलोंमें बँट गयी। प्रत्येक दल नीचेके साधारण कांग्रेस कार्यकर्ताओंको अपने अपने कार्यक्रमोंका समर्थक बनाना चाहता था। स्वराजियोंके लिये जिनकी अन्तमें विजय हुई, परिपदोंमें सम्मिलित होना कांग्रेस कार्योंमें सबसे मुख्य था परन्तु अपरिवर्तनशीलोंके लिए, अभी भी सविनय अवज्ञा और रचनात्मक काम मुख्य थे। नागपुरमें सविनय अवज्ञा उद्वेलनका एक अवसर आया। वहाँ आरम्भ कर इसे अखिल-भारतीय उद्वेलनका स्वरूप दे दिया गया। पहली मईको कुछ स्थानीय नेता राष्ट्रीय झण्डेको जुलूसमें लिये जा रहे थे कि उनका पुलिसने मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे रोक दिया। नेताओंने मजिस्ट्रेटकी आज्ञाका उल्लंघन किया और फिर तो जुलूस, आज्ञा-उल्लंघन और गिरफ्तारियाँ दैनिक काम बन गयीं। जब नागपुरके कांग्रेसी कार्यकर्ताओंकी संख्या क्षीण होने लगी तो संघर्ष चलानेके लिए दूसरी जगहोंसे स्वयंसेवकोंके जत्थे आये। आन्दोलनपर कांग्रेस कार्यसमिति और अखिल भारतीय महामण्डलने स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। नागपुर-झण्डा सत्याग्रह चलानेके लिए एक कमेटी बना दी गयी जिसने अगस्ततक सत्याग्रह चलाया। अगस्तमें सत्याग्रह वापस ले लिया गया क्योंकि कांग्रेस जुलूस निकालनेका अधिकार स्थापित करनेमें अंशतः सफल हो गयी थी। वल्लभभाई पटेल सत्याग्रहके, अखिरी दौरमें, नेता नियुक्त किये गये थे।

दूसरी तरफ स्वराजी लोग भी परिपदोंमें सम्मिलित होनेके कार्यक्रमपर समर्थन प्राप्त कर रहे थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिको, जिसकी मईके अन्तिम सप्ताहमें बम्बईमें बैठक हुई थी, यह समझानेमें सफल हो गये कि महासमिति एक प्रस्ताव द्वारा, परिपद-

वहिष्कारके प्रस्तावका मतदाताओंमें प्रचार करनेका निषेध कर दे। 'अपरिवर्तनशीलों' ने इस प्रस्तावको गया कांग्रेसके प्रस्तावका उल्लंघन माना और कांग्रेस कार्य समितिके उनके नेताओंने त्यागपत्र दे दिये। त्यागपत्र देनेवालोंमें राजगोपालाचारी, बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, वृजकिशोरप्रसाद, जी. वी. देशपाण्डे और जमनालाल बजाज थे। ये त्यागपत्र और दागका त्यागपत्र, जो अभीतक रोक लिया गया था, स्वीकार कर लिये गये। पितम्बर-तक विचारधारा पूर्णतया स्वराजियोंके पक्षमें हो गयी। स्वराज्य, दिल्लीमें मौलाना अबुल कलाम आजादकी अध्यक्षतामें एक विशेष अधिवेशन बुलवाकर गयाके प्रस्तावमें परिवर्तन कर उसको परिपक्वमें सम्मिलित होनेके पक्षमें पास करवानेमें सफल हो गये। जब मुहम्मद अलीने परिपक्वमें सम्मिलित होनेके पक्षमें भाषण करते हुए कहा कि मुझे विश्वस्त सूत्रमें पता चला है कि गान्धीजी भी परिपक्वमें सम्मिलित होनेका विरोध नहीं करगे तो सफलताका भरोसा हो गया। इस सकेतका आधार, गान्धीजीका जेलसे अपने पुत्र देवदाग गान्धी द्वारा भेजा हुआ मन्देश था। उन्होंने कहा था कि "मैं आपको कोई मन्देश नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं बन्दीगृहमें हूँ। जेलमें लोगोंके मन्देश भेजनेको मैंने सदैव ही गलत समझा है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आपकी भक्तिने मुझ अभिभूत कर लिया है। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे प्रति भक्तिके अधिक आप देशके प्रति भक्तिके प्रथम द। मेरे विचार सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जेल जानेमें पूर्व मैंने अपने विचार लोगोंपर व्यक्त कर दिये थे और उनमें सबसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप का और मेरा मतभेद भी हो तो उसमें कारण हमारे आपसके अच्छे सम्बन्धोंपर जरा भी असर नहीं पड़ेगा।" इस मन्देशसे मुहम्मदअलीने जो निष्कर्ष निकाला वह यत्रिप उचित नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनके इन शब्दोंसे बहुतमें अनिश्चित मत प्रतिनिधि उनके पक्षमें आ गये। काशी गरम बहर्गके बाद एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया था कि यदि कांग्रेस-जन चाहें तो व्यक्तिगत तौरपर परिपक्वोंके लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। परन्तु वातावरण पूर्णतया अभीतक स्वराजियोंके अनुकूल नहा हुआ था, इसलिए वे इसके लिए सहमत हो गये कि चुनाव जीतनेके लिए वे कांग्रेस प्रभावका उपयोग नहीं करेंगे। स्वराजियोंने चुनावके लिए एक निष्पुण और कुशल सघटन स्थापित कर लिया। धन इकट्ठा किया और बड़ी संख्यामें कार्यकर्ता तैयार कर लिये। प्रस्तावका जो भी आशय रहा हो, स्वराज्य गान्धीजीके आदमी समझे जाने लगे। इन लोगोंने परिपक्वोंमें अन्दरमें गतिरोध पैदा करने और कार्य न करने देनेका काम अपने जिम्मे लिया, परन्तु व्यावहारिक रूपमें यह योजना असम्भव सिद्ध हुई।

१९२३ के चुनाव मुख्यतया उदारदलीय और स्वराज्य पार्टीने लड़े। अधिकांशतः उदारदलीय लोग परिपक्वोंके भूतपूर्व सदस्य थे। "नूनात आन्दोलनमें उदारदलीय लोगोंको बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। अपने कार्यकालमें वे सही मानोंमें एक विरोधी दलके रूपमें काम करनेमें असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप उनकी सघटन और एकता दोनों ही टूटने लगे थे। उनके सुधारयुक्त प्रथम परिपक्वोंके अन्दर काम करनेमें सिद्धान्त नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रश्न अधिक मुख्य रहे। इससे भी घुरी यात यह हुई कि उदारदलीय लोगोंका भारतीय राज नीतिकी मुख्य विचारधारासे कोई सम्पर्क नहीं रहा और वे बिल्कुल अलग्गाममें पटक कर काम करते रहे। उन्होंने ऐसे समय विधान परिपक्वोंमें सम्मिलित होना स्वीकार किया था जब कि

‘आत्म-बलिदान’ लोगोंका ‘तकियाकलाम बन गया था।’... लोगोंने उनको सरकारका हिमायती कहना शुरू कर दिया। यद्यपि वे परिपदोंके सदस्य थे परन्तु उनका अपने निर्वाचन-क्षेत्रके लोगोंसे विशेष सम्पर्क न था। बहुत से भूतपूर्व सदस्योंका भाषणतक सुननेसे लोग इनकार करते थे। इस हतोत्साह स्थितिमें अपनी आपसकी फूट और अस्तव्यस्त पार्टी संघटनके कारण अपनेसे अधिक अनुशासित प्रतिद्वन्द्वियोंसे उदारदलीय हार गये।<sup>१</sup>

फिर भी परिपदोंमें स्वराज्य पार्टीको कोई व्यावहारिक बहुमत न प्राप्त हो सका क्योंकि अपने स्थानीय प्रभावके कारण कई क्षेत्रोंसे स्वतन्त्र उम्मीदवार निर्वाचित हो गये थे। ‘परिणामस्वरूप केवल मध्य प्रदेशकी विधान परिपदमें स्वराज्य पार्टीको साफ तौरपर बहुमत प्राप्त हो सका। बंगालमें यद्यपि एक दलकी हैसियतसे स्वराज्य पार्टी सबसे बड़ी थी, लेकिन संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाये बिना उस दलके लोग अपनी हुकूमत न बना सकते थे। बम्बई और यू. पी. में यद्यपि वे काफी संख्यामें विजयी हुए थे, फिर भी उन्हें परिपदोंमें बहुमत न प्राप्त हो सका। मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसामें वे कमजोर थे। केन्द्रीय विधान परिपदमें, जहाँ उन्होंने विशेष तौरपर चुनावके लिए ताकत लगायी थी वे निर्वाचित सीटोंकी आधी संख्या भी जीतनेमें असमर्थ रहे। इन सब बातोंके बावजूद वे चुनावोंके परिणामोंसे सन्तुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भारतीय बुद्धिजीवी वर्गके प्रवक्ताके पदसे उदारदलको हटा दिया था।<sup>२</sup>

दिसम्बरमें मुहम्मद अलीकी अध्यक्षतामें कोकोनाडामें कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ। उनका भाषण सर सैयद अहमद खाँके समयमें अवतकको मुस्लिम राजनीतिक विश्लेषण था। उन्होंने अपने विचारोंको छिपाया नहीं, हालाँकि उनके विचार कांग्रेस विचारोंके प्रतिकूल थे। उन्होंने कहा कि ‘पृथक निर्वाचन प्रणालीने’ साम्प्रदायिक झगड़ोंको रोकनेके लिए बहुत कुछ किया है।’ फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि यह बात भूल नहीं जाता हूँ कि “जब हिन्दू और मुसलिम समाजोंमें ईर्ष्या और भेद-भाव बहुत बढ़े चढ़े हों तो पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा ऐसे ही लोग चुने जायेंगे जो विरोधी समाजके प्रति अपने कट्टर और उग्र विचारोंके लिए मशहूर हों।” पृथक निर्वाचनके लिए उनका तर्क था कि “संयुक्तनिर्वाचन साम्प्रदायिक झगड़ोंकी सबसे बड़ी जड़ है। इनके द्वारा दोनों समाजोंके बीचकी भेदभावकी खाई और बर्तारों। हर उम्मीदवार चुनावमें वोटोंके लिए अपने-अपने समाजोंसे अपील करेगा और विरोधी समाजके प्रति अपनी कट्टरताके बलपर वोटोंके लिए अपना दावा सिद्ध करनेकी चेष्टा करेगा, फिर चाहे कितना ही उका-छिपाकर, किसी सिद्धान्त, उदाहरणार्थ अपने समाजके हितोंकी रक्षाकी आँटमें यह दावा क्यों न किया जाय।” इसके बाद राष्ट्रपतिने एक-एककर वे परिस्थितियाँ गिनार्याँ जिनके कारण मुसलमान अंग्रेजोंसे नाराज हो गये थे। बंग-भंगका रद्द किया जाना इन कारणोंमेंसे एक था, इसके बारेमें उन्होंने कहा “निस्सन्देह मैं कहता हूँ कि बंगालके विभाजनसे, यद्यपि यह नितान्त ही अनुचित था और लार्ड कर्जनने बंग-भंग बदलेकी भावनासे किया था, किसी हदतक मुसलमानोंका भला हुआ था। लेकिन फिर भी जब परिस्थिति सरकारके काबूके बाहर होने लगी तो उसने मुसलमानोंको ‘गरम आलू’ की तरह छोड़ दिया। भारतके राजनीतिक इतिहासमें इतना नीच विश्वासघात दूसरा नहीं है। अपने पड़ोसियोंके खिलाफ पूर्वी बंगालके

१. इण्डिया इन १९२४-२५, पृष्ठ २९६-२९७

२. वही पुस्तक पृष्ठ २९८

मुसलमानोंने अपने शासकोंकी तरफसे लड़ाई लड़ी और जब शासकवर्गने देखा कि लड़ाई चल्ना उसके हितमें नहीं है तो उसने फौरन ही मुल्ह कर ली और मुसलमानोंको उन टोपोक्री दयापर छोड़ दिया जिनके खिलाफ सरकारने मुसलमानोंको मददगार पौजकी तरह इस्तेमाल किया था ।” उन्होंने मुसलमानोंसे कहा कि “क्या हम विदेशी शासकोंसे सहयोग करेंगे और गैर-मुस्लिम देशवासियोंसे उसी प्रकार लडेगे जित तरहसे हम पहले लडते थे ?”

यद्यपि कांग्रेसके रोजमर्राके कामोंमें अब सत्याग्रहकी अपेक्षा परिपदोंमें कामपर अधिक जोर दिया जा रहा था, फिर भी कांग्रेस ‘सविनय अवज्ञा’पर जमी रही । मुख्य प्रस्तावमें कांग्रेसने प्रान्तीय कमेटीको हिदायत दी कि वे ‘सविनय अवज्ञा’की तैयारी करें और “ध्येयको जल्दी ही प्राप्त करनेके लिए इस दिशामें फौरन कदम उठावें ।”

५ फरवरी १९२४ को गान्धीजी शोचनीय स्वास्थ्यके कारण जेलसे अवधि पूरी होनेसे पहले ही छोड़ दिये गये । जेल अधिकारियोंकी सरशतामें १२ जनवरीको ससून अस्पताल पूनामें गान्धीजीके पेटमें अपेण्डीसाइटिसका ऑपरेशन हुआ । ऑपरेशनके मध्यमें विजलीकी बत्ती खराब हो गयी और शेष ऑपरेशन क्रियाएँ गैमकी लालटेनकी रोशनीमें समाप्त की गयी । रिहा होनेके बाद गान्धीजी स्वास्थ्य सम्भालनेके लिए समुद्रके किनारे बम्बई (जुहू) चले गये, जहाँ कुछ ही समय बाद उनके आसपास स्वराजी व दूसरे कांग्रेस नेता इकट्ठे हो गये । स्वराज पार्टीके नेताओं और गान्धीजीके बीच लम्बी लम्बी बहस हुई और जब दोनोंमें एक भी दूसरेकी अपना दृष्टिकोण समझानेमें असमर्थ रहा तो दोनोंने अपने अपने दृष्टिकोण अस्वभाविकी जरिये जनताके सामने रने । गान्धीजीने कहा “हमारे बीचमें वास्तविक और मौलिक अन्तर हैं । मेरी अब भी यही राय है कि परिपदोंमें सम्मिलित होना और असहयोग जैसा कि मैं समझता हूँ दोनों एक साथ नहीं चल सकते और परस्पर विरोधी हैं । देशके हितके लिए परिपदोंमें सम्मिलित होनेसे बाहर रहना अधिक अच्छा है । हालाँकि मैं अपने स्वराजी मित्रोंको अपनी बात स्वीकार करवानेमें असमर्थ रहा हूँ, फिर भी मे यह समझता हूँ कि जबतक वे अपना दृष्टिकोण न बदलें उनकी जगह निरसन्देह परिपदोंके अन्दर है । यही हम सब लोगोंके लिए अच्छा है ।” परन्तु चूँकि कांग्रेसने स्वराजियोंको परिपदोंमें काम करनेकी अनुमति दे दी थी इसलिए गान्धीजीने कहा कि “मे स्वराजियोंके मार्गमें अयरोध अथवा उनके खिलाफ प्रचारमें भाग नहीं ले सकता यद्यपि मैं ऐसी योजनाकी सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं है ।” परन्तु उन्होंने इशारा किया कि यदि मैं परिपदोंमें सम्मिलित हुआ तो गतिरोधकी नीति नहीं बल्कि कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको बल प्रदान करनेका प्रयत्न करूँगा । इसलिए मैं प्रस्ताव पेश करूँगा कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें (१) अपनी जरूरतोंके लिए कुल कपडा हाथरो कता और बुना सहार लें । (२) विदेशी कपडोंपर भारी आघात कर लगावे ( जिससे विदेशी कपडा आना बन्द हो जाये । ) (३) नशीली चीजोंकी आमदनी खत्म कर दी जाये और कमसे कम उमी अनुपातमें पौजी सखेंमें कमी की जाये । अगर विधान परिपदोंमें स्वीकार हो जानेके बाद भी सरकार इन्हें लागू न करे तो मैं विधान परिपदोंको भग करनेकी माँग करूँगा और इन्हीं बातोंपर जनताका वोट माँगूँगा और अगर सरकार परिपदोंको भग न करे तो मैं अपनी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दूँगा और देशको ‘सविनय अवज्ञा’ के लिए तैयार करूँगा । जब ऐसी अवस्था आ जायगी तो स्वराजी मुझे अपने नीचे काम करनेकी तत्पर

पायेंगे।" स्वराजी नेता चित्तरंजनदास और मोतीलाल नेहरुने अपने वयानोंमें कहा कि परिपदोंमें सम्मिलित होने और असहयोगमें कोई परस्पर-विरोध नहीं है। वे 'अवरोध' की जो परिभाषा पेश करते हैं उससे उनके परिपदोंके अन्दरके कामका सगहनमें मदद मिलती है। "हमारी स्थिति" उन्होंने कहा "वैधानिक स्तरपर उतना अवरोध खड़ा करनेकी नहीं है जितना कि नौकरशाही सरकार द्वारा हमारे स्वराज-प्राप्तिके रास्तेमें अवरोध खड़ा करनेके खिलाफ संघर्ष है, तो जब हम 'अवरोध' का नाम लेते हैं, दरअसल हमारा आशय इस संघर्ष से होता है।" उन्होंने अपने सहयोगके स्तरकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि "केंद्रीय और प्रान्तीय विधान परिपदोंमें जो भी जगह निर्वाचनसे मिले हमें इसे लेनेकी कोशिश करनी चाहिये। हमारी समझमें हमें न सिर्फ हर निर्वाचित जगह पर कब्जा करना चाहिये बल्कि हर उस कमेट्रीमें भी काम करना चाहिये जिसमें हमें जगह मिल सके। लेकिन स्वराजियोंने गान्धीजीसे वादा किया कि जिस क्षण नौकरशाहीके स्वार्थी हठका, सविनय अवज्ञाके अलावा, कोई जबाब न होगा वे विधान परिपदोंसे अलग हो जायेंगे।

अब स्वराजी और अपरिवर्तनशीलोंमें कांग्रेस पर कब्जा करनेकी होट लगी। जूनके अन्तमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिके अपरिवर्तनशीलोंकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने गान्धीजीके कहनेपर एक प्रस्ताव पास करा लिया था कि कांग्रेस संघटनोंमें निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह हाथका कता हुआ दो हजार गज सूत भेजेगा। लेकिन नवम्बरमें हुई महासमितिकी अगली मीटिंगमें स्वराजियोंके अनुयायी अपरिवर्तनशीलोंसे कहीं ज्यादा थे और गान्धीजीने दास और मोतीलाल नेहरुके सामने समर्पण कर दिया। उनके और गान्धीजीके संयुक्त हस्ताक्षरोंसे एक वक्तव्य असहयोगका बन्द करते हुए और स्वराज पार्टीको परिपदोंमें काम करनेकी पूरी आजादी देते हुए दिया गया। स्वराजियोंने कांग्रेसजनोंके बहुमतको इस प्रकार अपने पक्षमें कर लिया कि इस प्रस्तावको कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें भी स्वीकार करा लिया हालाँकि गान्धीजी स्वयं अधिवेशनकी अध्यक्षता कर रहे थे।

मध्यप्रान्त ( मध्य प्रदेश ) की विधानपरिपदमें स्वराज पार्टीको पूर्ण बहुमत प्राप्त था और उसने द्वैध शासनको असम्भवसा बना दिया। अपनी नीतिके अनुसार स्वराजियोंने हस्तान्तरित विधायिका उत्तरदायित्व लेना अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन विधायोंके लिए मन्त्री दूसरी पार्टियोंके लोग बनाये गये। अपनी घोषित नीतिके अनुसार विधान तोड़नेके लिए स्वराज पार्टीने मन्त्रिमण्डलके खिलाफ अविश्वासका प्रस्ताव पास कर दिया। जब वज्र पेश किया गया तो स्वराज पार्टीने हस्तान्तरित विधायोंकी सब माँगें अस्वीकार कर दीं। आवश्यक व्ययोंके लिए गवर्नरको अपने विशेष अधिकारोंके अन्तर्गत अनुमति देनी पड़ी। परन्तु मन्त्रियोंके स्थान रिक्त रहे। यह दशा १९२४ तक कायम रही। १९२४ में स्वराजियोंने अपना विरोध थोड़ा-सा कम कर लिया और आमतौरपर खर्चोंकी माँगें स्वीकार कर ली गयी परन्तु मन्त्रियोंका वेतन घटाकर २) सालाना कर दिया गया। बंगालमें स्वराजियोंने कुछ स्वतन्त्र सदस्योंसे, मुख्यतया मुसलमानोंसे मिलकर, बहुमत बनाया और सरकारकी तरफमें पेश किये गये प्रस्तावोंको अस्वीकार कर दिया। द्वैध शासनको टूटनेका खतरा पैदा हो गया। १९२४ के आरम्भमें, स्वराजी व स्वतन्त्र सदस्योंने संयुक्त होकर बंगाल सरकारको तीन बार हराया और मन्त्रियोंको तनखाहें देनेसे इनकार कर दिया। इन लोगों द्वारा पेश



किये गये प्रस्तावोंमें, १८१८ के विनियमन तीनके अन्तर्गत नजरबन्द किये गये सभी नजर-बन्दोंकी तथा सभी राजनीतिक बन्दिदोंकी रिहाईकी सिफारिश और दमनकारी कानूनोंके रद्द किये जानेकी माँग थी। लेकिन परिपक्व इच्छाओंके वावजूद सरकारने इन प्रस्तावोंको लागू नहीं किया।

केन्द्रीय विधान सभामें, यद्यपि स्वराज्यपार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, परन्तु भयनके १४५ सदस्योंमें इनके कुल ४५ सदस्य थे। इन्होंने दूसरे लोगोंसे मिलकर 'समान मोर्चा' बनाया और ७० आदमियोंको अपने साथ मिला लिया जो इस बातपर सहमत थे कि यदि सरकार, इन लोगोंकी वैधानिक प्रगतिशील माँगके प्रस्तावका सन्तोषजनक उत्तर न दे तो इस सयुक्त दल द्वारा जो बादमें राष्ट्रीय पार्टीके नामसे प्रसिद्ध हो गया, 'अवरोध'की नीति अतिस्थायी की जाये।

स्वराज्य पार्टीने १९१९ के ऐक्टको रद्द करनेके लिए अटगा डालने की अपनी नीति छोड़ दी और विधान सभामें कई विधियोंपर उन्होंने सरकारसे सहयोग किया। स्वराज्यी सदस्य स्थायी समिति व अन्य कमेटियोंमें सम्मिलित होने लगे और काररवाइयोंमें भाग लेने लगे। भारतीय पीजी शिक्षण केन्द्र ( इंडियन मैण्टस्ट्री ) तोलनेकी सम्भावनाओ पर गौर करनेके लिए बनी कमेटिकी सदस्यता मोतीलाल नेहरूने स्वीकार कर ली। इस सहयोगका पहला नतीजा एक प्रस्ताव था जिसमें एक गोलमेज कान्फ्रेंस की माँग की गयी थी जो पूर्ण जिम्मेदार हुकूमत स्थापित करनेकी योजनाकी सिफारिश करे। लगभग सभी निर्वाचित गैर सरकारी सदस्योंने इसके पक्षमें वोट दिया। भारत सरकारने इस माँगको सुना अनुशुना कर दिया जिसमें सयुक्त दल सरकारके विरुद्ध ओर भी कटु हो गया। जब वजट पेश किया गया तो राष्ट्रीय दलने अनुदानकी माँगकी पहली बार मदे अस्वीकार कर दी। वित्तविधेयक पेश करनेकी आज्ञा न देना इनीका अनुसरण था। इसके बाद सरकारकी हार पर हार हुई। परन्तु सयुक्त दलके कारण, जहाँ स्वराज्य पार्टीको सरकारकी हारनेका अवसर मिला था वहीं उसे अपनी 'अवरोध'की नीतिमें समझौता भी करना पडा। स्वराज्यपार्टीने १९२४ में सरदार द्वारा प्रस्तावित इस्पात उद्योग विधेयकका समर्थन किया। इस समय गैर स्वराज्यी सदस्योंमें अपनेको 'रचनात्मक विरोधी दल'की हैसियतसे कायम करनेकी प्रवृत्ति साफ दिखलाई दे रही थी। स्वराज्यियोंके नेतृत्वमें काम करनेवाले राष्ट्रीय दलमें कुछ स्वतन्त्र सदस्य अलग हो गये। उन्होंने मुहम्मदअली जिनाके नेतृत्वमें एक स्वतन्त्र दल स्थापित किया और अपने सचेतक नियुक्त कर लिये। सरकार अब भी निर्वाचित सदस्योंके सयुक्त वोटोंके कारण हारती था परन्तु ये हारें 'अवरोध'की नीतिके अन्तर्गत कम, हर प्रस्तावकी अच्छाई और बुराई पर अधिक होती थीं। फिर भी विधान परिषदमें सब सरकार विरोधी तत्वोंकी प्रतीक 'राष्ट्रीय पार्टी'में फूट पडनेकी सम्भावना पैदा हो गयी थी।

इसी बीच स्वराज्यियोंके सामने एक बार फिर सब राजनीतिक पार्टियोंको एक करनेका अवसर आया। अक्टूबरमें बंगालके गर्वनरने गर्वनर जनरलको सलाह दी कि वे बंगालमें आतकवादियोंका, जिन्होंने एक बार फिर जोरोंमें काम करना शुरू कर दिया था, दमन करनेके लिए बंगाल शासनको एक ऑर्डिनेंस जारी करके असाधारण शक्ति दे दे। इस सलाहके ऊपर गर्वनर जनरलने २५ अक्टूबरको एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके द्वारा बंगाल शासनको यह अधिकार मिल गया कि विशेष कमिश्नर फांतिकारी सघटनोंसे सम्बंध रखनेवाले

लोगोंको तरसरी तौरपर मुकदमा करके सजा दे दें। यह ऑर्डिनेंस फौरन ही लागू कर दिया गया और एकदमसे बड़ी संख्यामें लोग बिना जाँचके गिरफ्तार किये जाने लगे। गिरफ्तार किये गये लोगोंमें कुछ बंगाल-स्वराज पार्टीके सदस्य थे, जिनमें कलकत्ता कॉरपोरेशनके एकजीव्यूटिव ऑफीसर भी थे। राजनीतिक पार्टियों और भारतीय अखबारोंने एक स्वरसे इस दमनकारी कानूनकी निन्दा की। “ऐसे बहुतसे विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणके लोग, जिनकी स्वराजियोंके उद्देश्योंसे कोई भी सहानुभूति न थी इस समान स्तरके खिलाफ स्वराजियोंमें एकता बनानेकी प्रस्तुत थे।..... नवम्बरके आरम्भमें गान्धीजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरूके हस्ताक्षरोंने एक वक्तव्य जारी किया गया जिसमें इस नयी दमन-नीतिके विरुद्ध देशके विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको देशके हितमें एक हो जानेकी आवश्यकता समझायी गयी थी। इस वक्तव्यमें यह भी सिफारिश की गयी थी कि बेलग्राममें होनेवाली कांग्रेस विदेशी कपड़ेके दूस्तेगालको छोड़कर बाकी अमहयोगके कार्यक्रमको स्वीकृत कर दे और स्वराजियोंको कांग्रेस संघटनके अभिन्न हिस्सेकी हैसियतसे विधान-परिषदमें काम करनेके लिए अधिकृत करे।” गान्धीजीको अपना दृष्टिकोण मनवानेकी सफलतामें उत्साहित होकर स्वराजियोंने सर्व दल-नेता सम्मेलन बुलाया ताकि कांग्रेस छोड़कर चले जानेवालोंको फिर कांग्रेसमें शामिल होनेकी राजी किया जाये और कार्यक्रमकी एक समान योजना बनायी जा सके। उदारदलीय और स्वतन्त्र सदस्योंको यह आशा थी कि चूँकि अमहयोग स्वीकृत कर दिया गया है इसीलिए कांग्रेसमें शामिल होना उनके लिए सम्भव है। २१ नवम्बरको सर्व-दलीय नेता सम्मेलन बम्बईमें हुआ जिसने एक प्रस्ताव पास कर सरकारके इस ऑर्डिनेंस जारी करनेकी निन्दा की। परन्तु यह सम्मेलन विभिन्न दलोंको कांग्रेसमें वापस लानेमें असमर्थ रहा। फिर भी तमाम राजनीतिक पार्टियोंको फिर एक करने और कांग्रेसमें मिलानेके लिए, साम्प्रदायिक मसल्लेको मुलज्जा कर स्वराज्यकी एक योजना बनानेके लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी। वह कमेटी तमाम पार्टियोंको एक करनेमें असफल रही, और पार्टियाँ अलग-अलग कायम रहीं।

गान्धीजीने कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके अध्यक्ष-पदमें सब राजनीतिक पार्टियोंको कांग्रेसमें शामिल हो जानेकी दावत दी। १९२४ का अधिवेशन बेलगाँवमें हुआ। गान्धीजीने अमहयोग आन्दोलन बंद करनेके वादकी देशकी दशा बताया। उन्होंने कहा “लेकिन हम ऐसी हालतका सामना कर रहे हैं जो हमें रुक जानेकी मजबूर करती है क्योंकि जहाँ लोगोंको व्यक्तिगत तौरपर अमहयोगमें दृढ़ विश्वास है वहीं जिन लोगोंका इसने करीबका सम्बन्ध है उनमेंमें अधिकांशतः लोगोंको विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके अतिरिक्त इसमें कोई श्रद्धा नहीं रही है। वीसियों बकीलोंने अपनी बकालत फिर शुरू कर दी है। कुछको तो अब यह पछतावा होता है कि उन्होंने बकालत छोड़ी ही क्यों थी? जिन लोगोंने परिषदोंका बहिष्कार किया था, उनमें बहुतसे वापस लौट रहे हैं। विधान-परिषदोंमें सम्मिलित होनेमें विश्वास करनेवालोंकी संख्या बढ़ रही है। मैकडॉनल्डके और लड्डकियाँ, जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंको छोड़ चुके थे, अब पछताते हैं और उनमें फिर पढ़नेको जा रहे हैं। मैंने सुना है कि स्कूल और कॉलेज इन सबको भरती करनेमें अपनेको असमर्थ पा रहे हैं।” उस समयकी देशकी दशा स्पष्ट करनेके बाद, गान्धीजीने स्वीकार किया कि कांग्रेसमें स्वराजी दल अगर बहुमतमें नहीं है तो एक शक्तिशाली और उत्तरोत्तर शक्तिशाली होने-

बाला अल्पमत है। गान्धीजीने आशा प्रकट की कि दूसरी पार्टियों का प्रेसमें शामिल होंगे और राष्ट्रप्री नीतिपर प्रभाव डालनेके लिए काँग्रेसके अन्दर काम करगो। गान्धीजीने खूब कातने, हिन्दू मुस्लिम एकता, अछूत-उदार और मद्यानिषेधके रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। उग्रवादियोंको निराशा हुई जब गान्धीजीने कहा कि "पूर्ण स्वराज्यसे अधिक वे 'औपनिवेशिक स्वराज्य' को पसन्द करेंगे।" उन्होंने जोर देकर कहा "मैं साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य पानेकी चेष्टा करूँगा परन्तु यदि ब्रिटेनकी अपनी गलतियोंके कारण आवश्यक हुआ तो इससे सब नाते तोड़नेमें हिचकूँगा भी नहीं।" गान्धी-दास नेहरू यत्नद्वारा प्रतिपादित नीतिको ही बेलगाम काँग्रेसने चलाया।

१९२५ में काँग्रेसमें स्वराज पार्टी इतनी अधिक शक्तिशाली हो गयी कि गान्धीजी, मोतीलाल नेहरूके हाथोंमें जो केन्द्रीय विधान सभामें पार्टीके नेता थे, नेतृत्व सौंप देनेको प्रस्तुत हो गये। यद्यपि उस साल विधान परिषदमें पार्टीके अभी तकके अपने ही साथियोंके हाथ कई हारें हुईं और वह साल बहुत राजनीतिक उतार चढ़ावका बीता, फिर भी स्वराज पार्टीने वह साल सरकारको एक करारी हार देकर ही शुरू किया था। जनवरीमें बंगाल विधान परिषदने बंगाल आर्डिनेंस, जिमको अवधि समाप्तप्राय थी, को रद्द कर दिया। उस परिषदने कुछ अतिक्रमके बाद जिम बीचमें मन्त्रियोंके वेतनका उपपक्ष स्वीकार कर लिया था, बादमें बजट बहसमें दौरानमें उसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु परिषदमें पार्टियोंकी बदली हुई स्थितिके कारण, स्वराज पार्टीको हमेशा जीतनी आशा नहीं रहती थी। वह परिषदके अध्यक्षके चुनावमें केवल छः वोटोंसे हार गयी। इसी प्रकार, केन्द्रीय विधान सभामें सरकार और स्वराजियोंके बीच सतलुन रखना राष्ट्रीय दलसे अलग होनेवालोंके हाथमें था।

इस बातके बावजूद कि गान्धीजी न सिर्फ काँग्रेसके नेता थे बल्कि १९२५ में काँग्रेसके अध्यक्ष भी थे, स्वराजजी नेता बिना उनमें पूछे नीतिकी घोषणा कर देते। फरीदपुरमें हुए बंगाल प्रांतीय काँग्रेस सम्मेलनमें श्रीदासने सरकारके सामने कुछ शर्तोंपर सहयोग करनेका प्रस्ताव रखा। वे यह समझते थे कि अब सरकारका हृदय परिवर्तन हो गया है। गान्धीजीका उनमें मनभेद था। दासको कुछ अनि आशावादके कारण भारत सचिव लार्ड बर्कनेहेडपर विश्वास था और उन्हें आशा थी कि उनके भाषण (जिसकी भारतमें बहुत प्रतीक्षा की जा रही थी) के कारण १९१९ के ऐक्टसे अबश्य कुछ अधिक सुधारयुक्त प्रगति होगी। दासका दार्जिलिंग में १६ जून १९२५ को देहान्त हो गया। ७ जुलाईको लार्ड बर्कनेहेडने एक लम्बा भाषण किया जिममें वे माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारोंसे एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। यद्यपि इस भाषणसे स्वराजजी और दूसरे राजनीतिक विचारोंके लोग निराश हो गये, परन्तु निरुत्साह नहीं हुए और वे अब लन्दनमें दिये जानेवाले लार्ड रीडिंगके भाषणकी उत्सुकतामें प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब रीडिंग बोले तो उन्होंने सिर्फ बर्कनेहेडकी ही मधुर भावोंको दोहरा दिया। बंगालमें दास द्वारा अर्जित 'तीनों खिताबों'—बंगाल स्वराज पार्टीके नेता, बंगाल प्रांतीय काँग्रेस कमेटीके अध्यक्ष और कलकत्ता कॉरपोरेशनके मेयर—के उत्तराधिकारी अब उदीयमान नेता जे. एम. सेन गुप्ता हो गये।

काँग्रेस महासमितिके स्वराजजी ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर बहुमत प्राप्त करते जा रहे थे त्यों त्यों गान्धीजी शीघ्रतासे पृष्ठभूमिसे हटते जा रहे थे। जुलाईमें हुई अखिल भारतीय महासमितिके बाद गान्धीजीने मोतीलाल नेहरूको लिखा कि वे अब राष्ट्रपतिका पद सँभालें,

क्योंकि वे अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टीके अध्यक्ष थे, जो इस समय कांग्रेसपर काबिज थी। परन्तु स्वराजियोंकी प्रार्थनापर गान्धीजी अपनी कार्यकालकी अवधिकी समाप्तितक यानी १९२५ के अन्ततक काम करनेको सहमत हो गये। अगस्तमें उन्होंने लिखा “मुझे अब शिक्षित भारतीयों द्वारा निर्देशित कांग्रेसके पथमें नहीं आना चाहिये क्योंकि मैंने तो अपनेको पूर्ण रूपसे जनसाधारणको समर्पित कर दिया है और शिक्षित-भारतसे मेरे मौलिक मतभेद हैं। मैं अब भी काम करना चाहता हूँ परन्तु कांग्रेसका नेतृत्व नहीं। मेरी सम्मतियें उन लोगोंके कार्यकी सबसे अधिक सहायता में यही कर सकता हूँ कि उनके रास्तेसे हट जाऊँ और शिक्षित भारतीयोंकी अनुमतिसे, कांग्रेसकी सहायतासे और कांग्रेसके नाममें एकाग्रतासे रचनात्मक कार्यक्रममें दत्तचित्त हो जाऊँ।” स्वराजियोंका निश्चय था कि गान्धी पन्थको रद्द कर दिया जाय, जिसकी भावना यह थी कि सूत कातनेवाले ही निर्वाचित कांग्रेस संघटनोंके सदस्य हो सकते हैं। २१-२२ सितम्बरको पटनामें हुई अखिल भारतीय महासमितिकी बैठकमें वे वेल्गॉवकी प्रस्तावको आमूल बदलवानेमें सफल हो गये। वेल्गॉवके प्रस्तावमें साफ तौरपर दिया हुआ था कि कांग्रेस कार्यक्रम केवल रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित है और विधान परिषदोंमें स्वराज पार्टी स्वयं बनाये हुए नियमोंके अन्तर्गत और स्वयं एकत्र चन्दसे काम करेगी। पटनाके प्रस्तावने स्थितिको इस प्रकार कर दिया “कांग्रेस वे सब राजनीतिक कार्य करेगी जो देशके हितके लिए आवश्यक हों, और इन कामोंके लिए सम्पूर्ण कांग्रेस संघटनों और धन-कोषको काममें लायेगी। केवल अखिल भारतीय और प्रान्तीय खद्दर बोर्डोंके धन और सम्पतिको छोड़ दिया जायगा। यह धन-सम्पति मय वर्तमान आय-व्ययके हिसाबके गान्धीजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय कताई संघको दे दी जायगी। यह संघ कांग्रेस संघटनका अभिन्न अंग है परन्तु इसको अपने उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए इस धन व दूरसे धन कोषोंका उपयोग करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है।” बर्कनहेडने इंगित किया था कि कांग्रेसको शुद्ध राजनीतिक संस्था बन जाना चाहिये। पटनाके प्रस्तावने इसको राजनीतिक संस्था बना दिया और गान्धीजी केवल मात्र रचनात्मक कार्यकर्ता रह गये।.....अब कांग्रेस-जनोंके लिए सूत कातना अनिवार्य न था। “गान्धीजीने निश्चय कर लिया कि बर्कनहेडके जवाबमें वह स्वराजियोंके साथ सम्भव सहयोग करेंगे और परिषद् सम्बन्धी कामोंमें प्रत्येक सहायता देंगे।” गान्धीजीके इस हथियार डाल देनेसे अपरिवर्तनशील बहुत चिन्तित हो उठे और बिहारके नेता राजेन्द्रप्रसादने गान्धीजीसे पटना-प्रस्तावपर हों रही बहसके दौरानमें पूछा कि कहीं गान्धी, नेहरू और दासके बीच कोई सन्धि तो नहीं हो गयी। गान्धीजीने उत्तर दिया कि दूरमें पक्षकी माँग स्वीकार करना मेरे लिए आत्म-सम्मानका प्रश्न बन गया है।

‘असहयोग’ अब आन्दोलनका हथियार नहीं रह गया था, और उसकी जगह नये नेताओं और अन्य राजनीतिक पार्टियोंने वैधानिक उपायोंका हस्तेमाल आरम्भ कर दिया।” अप्रैलके अन्त और मईके शुरूमें राजनीतिक क्रियाशीलता एकदमसे बढ़ गयी। इसका आरम्भ मद्रासकी एक विराट् सभामें श्रीमती वेमण्टके भाषणसे हुआ। उन्होंने ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इण्डिया बिल’के लिए किस प्रकार उद्बेलन किया जाय’ पर भाषण किया था। यह उन्होंने स्वयं ही तैयार किया था। वैधानिक ढंगकी सभाएँ और प्रान्तीय सम्मेलन खुल चुककर हो रहे थे।

एक दृष्टि विधान-सभाओंपर भी डालनी चाहिये। अगस्तमें स्वराज पार्टीके उच्च

नेता चिट्ठेस्माई जे. पटेल विधान सभाके अध्यक्ष नियमित हुए । भारत सरकारके १९१९ ऐक्टके नियमके अनुसार विधान सभाके निर्वाचनके प्रथम चार वर्षके अन्तमें नामजद अध्यक्ष-ता स्थान विधान सभा द्वारा निर्वाचित अध्यक्षकी मिलनेकी व्यवस्था भी । विधान सभाकी मुभाकीके प्रथम वर्ष स्वराजियोंने सरकारको भकारी धार की । मन्त्र हुए प्रचार लड़ा—सिन्धु १९२४ में सरकारने, विधान सभाकी सहायता गौणपर एक कमेटी नियुक्त की, जो हुए धाराकी जॉन करेवाली भी कि 'मन्सिमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्टको विम प्रकार कार्य रूपमें अधिक उदार बनाया जा सकता है । हुए कमेटीके सभापति सरकारके सहमन्त्री सर एन्टो-नोएडर मूवीमें थे । कमेटी इन्हींके नामसे प्रसिद्ध थी । हुए कमेटीने एक सचुमा ( सरकारी ) की रिपोर्ट पेश की और एक अध्याय ( गैर सरकारी ) भी । स्वभावतः सरकारी रिपोर्ट 'मन्सिमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट' की सीमाओंमें बाहर नहीं जा सकती थी । परन्तु अध्यायकी रिपोर्टमें 'पूर्ण उत्तरदायी सरकार' की माँग भी गयी । विधान सभामें जब सचु-मालकी-रिपोर्ट पेश की गयी तो स्वराज्यपार्टीके नेता गोपीबाल नेहरूने एक संशोधन पेश किया । संशोधनमें माँग भी गयी थी कि प्रान्तीयों के प्रशासन स्वतन्त्र करके उभरी अगद प्रकारमन्त्रिमन्त्रेदार सरकार बनायी जाये और केंद्रीय सरकार, पौजी व्यवस्था, वैदेशिक नीति और राजनीति-सहयोगों कोषकर क्षेत्र मामलोंमें केंद्रीय विधान सभाके प्रति उत्तरदायी हो । संशोधनमें यह भी विचारित की गयी थी कि नये संविधानकी विस्तृत योजना बनानेके लिए एक मोल्डोम संशुद्ध सुझाया जाय या ऐसा ही कोई अन्य उपाय किया जाय । दो दिनोंकी सहमके बाद गोपीबाल नेहरूके संशोधनने सरकारको ४५ भोटोंके मुकाबलेमें ७२ भोटोंके धरा दिया । यह संशोधन लागू नहीं किया गया । फिर भी स्वराज पार्टीने यह तो याचित ही कर दिया था कि विधान सभामें ये सब काम होम हैं क्योंकि उनके वाक्यान्तर स्वीकार होने हुए प्रस्ताव भी सरकारकी इच्छा रखनेकी दोबरीके नामोंमें अधिक सहस्य नहीं रखते । कमेटीकी सरकारी रिपोर्टका एक पायावत यह हुआ कि निर्वाचनके नियमोंको बदलकर औरलोंको भी विधान सभामें बैठनेका हक दे दिया गया ।

स्वराज पार्टीकी मुख्य नीति, कभी सहयोग और कभी अवरोध, के कारण स्वराज पार्टीके अन्दर अनिश्चितता मल भीरे-भीरे—'प्रतिदान सहयोग' की नीतिकी तरफ जा रहे थे । हुए विभाग एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षणकर्ता मिला, जब लाजपत रायने एक प्रस्तावित कन्वन्शनों कहा "हम समय-बीचका रास्ता अपनावनेकी आवश्यकता है । हम सहयोगके लिए तैयार नहीं है । परिस्थितियोंके अन्दर जो भी समय अवकाश, व्यावहारिक और सम्भव होगा, हमें वहीं करना चाहिये ।" उत्तरदायी सहयोगी ( रेस्पॉन्सिब गोआपर्मेंट ) कहते थे कि सहयोग करनेका यह प्रदर्शन तो सब गोपीबाल नेहरूने किया है । उन्होंने मॅग्सेसॅस्मे कमेटी, जो स्वीन कमेटीके नामसे आम तौरपर जानी जाती थी, की सहस्यता स्वीकार कर ली थी । अन्तर्गतके आरम्भमें मन्सिमेंटकी विधान सभामें स्वराज्य पार्टीके नेता एम. बी. तास्केने पार्टीके अनुयायनके विरुद्ध मन्सिमेंट प्रवृत्त कर लिया । मन्सिमेंटकी विधान सभा अर्धकी विधान सभा भी जहाँ स्वराज्य पार्टीको पूर्ण सहमत प्राप्त था ।

तास्केने पटना स्वराज्य पार्टीके अन्दर आगे चलकर होनेवाली टूट-फूटका आभास माय थी । मन्सिमेंटकी स्वराज्य पार्टीके अन्दर ऐसे तूफाने होगे भी थे जो तास्केके परिवर्तित मतसे सहमत थे । मन्सिमेंट और महाराष्ट्रमें भी कुछ लोग हमें तरफ बढ़ रहे थे । एम. बी.

केलकर, एम. आर. जयकर और डा. मुञ्जे जैसे स्वराज्य पार्टीके प्रधान नेताओंने अपने आपको नई नीति, उत्तरदायी सहयोगका समर्थक घोषित कर दिया। गोतीलाल नेहरू और अलग होनेवालोंके बीच फिर बहुत गरमा-गरमा बहस चली। पार्टीकी कार्यकारिणीकी बैठक नागपुरमें हुई और बैठकने ताम्बेके कार्यका तीव्र गन्दा की। बादमें मुञ्जे, जयकर और केलकरने विधान सभाकी सदस्यतासे इस्तीफा दे दिया। क्योंकि वे लोग स्वराज्य पार्टीके उम्मीदवारकी हैसियतमें निर्वाचित हुए थे। कुछ समयमें दोनों दल अखबारोंमें और सार्वजनिक स्तरपर अपने झगड़ोंको ले आये थे। बरबर्हमें दोनों दलोंके लोग मिले और इस बातपर सहमत हो गये कि तमाम विवादके सार्वजनिक प्रश्नोंको कानपुरमें होनेवाले कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनतक रोक देना चाहिये।

लेकिन कानपुर कांग्रेस अधिवेशन (१९२५) ने 'उत्तरदायी-सहयोग' के मानने-वालोंका समर्थन करनेके बजाय, अपनी नीतिको इतना अधिक उभार कर दिया जहाँतक स्वराज्य भी नहीं जा सकते थे। अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडूने कहा कि "श्रीमती वेमण्ट द्वारा बनाया हुआ 'कांग्रेसके ऑफ दिसिपलिन बिल' भारतीय राष्ट्रीय गौण बन गया है।" "अब यह सरकारके ऊपर है कि वह कोई जवाबी कदम उठाये और उस सरकारो कदमपर ही हमारा भविष्यका रुख निर्भर है। अगर उसका जवाबी कदम उदार और सच्चाईसे युक्त हुआ, और अगर सरकार सच्चाव एवं निष्ठासे काम करे, तो हमें अपनी वर्तमान नीतियों परिवर्तनकी आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु यदि हमें बसन्त अधिवेशनतक कोई जवाब न मिला था ऐसा जवाब मिला जो असलमें प्रश्नोंका जवाब नहीं देता और जिसे हमें अग्यीकार करना पड़े तो राष्ट्रीय कांग्रेसको अपने प्रभावके अन्दरके सब लोगोंको आदेश दे देना चाहिये कि वे केन्द्रीय और प्रांतीय विधान सभाओंसे त्यागपत्र दे दें और केवलसमे क्रम्याकुमारीतक, मन्थुये ब्रह्मपुत्रतक, भारतीय जनताको एक संयुक्त संघर्षके लिए शिक्षित, तैयार और जागरित करनेके लिए अथक और गतिशील प्रयत्न शुरू कर दें।" उन्होंने नौजवानोंको वाद दिलाया कि "हमारे मैकडॉन नौजवान देशप्रेमके कारण जेलोंमें सड़ रहे हैं। देशप्रेमके अपराधके लिए इस कानूनमें कोई छूट नहीं है।" उन्हें (सरोजिनी नायडू) विश्वास था कि "हमें स्वराज्य गान्धीके बताने समझे ही मिलेगा।" परन्तु देश, जैसा कि गान्धीजीने स्वीकार किया एक दूसरे आन्दोलनके लिए अभी तैयार नहीं था। गान्धीजीने कहा "मैं आज सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर देता यदि मैं समझता कि जनतामें चेतना और उत्साह है। परन्तु अफसोस है कि ऐसा नहीं है।"

कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमको देखनेसे पता चलता है कि कांग्रेस स्वराजियोंकी कटपुतलीकी हैसियत छोड़कर एक बार फिर लड़ाकू संघटन बननेकी चेष्टा कर रही थी। कार्यक्रम संक्षेपमें इस प्रकार था (क) देशमें कांग्रेसका कार्य, जनताको अपने राजनीतिक अधिकारोंकी शिक्षा देना और उन अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए संघर्ष करनेके लिए रचनात्मक कार्यों द्वारा आवश्यक शक्ति और ताकत इकट्ठा करना है। रचनात्मक कार्योंमें चरखा और खहरका प्रचार, साप्ताहिक एवम्ता बढ़ाना, अदृष्टोद्धार, दलित वर्गोंकी दशा ठीक करना, शराबकी बुराई दूर करना मुख्य थे। इनमें स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओंपर कब्जा करना भी शामिल था। (आ) अगर सरकारने भारतके नये विधानपर अपना फैसला फरवरी १९२६ के अन्ततक नहीं सुनाया और यदि कांग्रेस कार्यकारिणीके

सदस्यों व महासमिति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्योंकी विशेष समितिने यह फैसला सन्तोषजनक न प्रतीत हुआ तो पार्टी उचित प्रणाली द्वारा सभामें सरकारको यह सूचना दे देगी कि भविष्यमें पार्टी विधान सभामें न रहेगी और न उसको काररवाइयोंमें भाग लेगी। विधान सभा और राज्य परिषदके स्वराजी सदस्य विचविधेयके विरुद्ध नोट दंगे और तुरत ही विधान सभासे बाहर चले आरेंगे। ऐसी प्रान्तीय परिषदोंके स्वराजी सदस्य जिनका उस समय अधिवेशन हो रहा होगा, अपनी जगहें छोड़कर चले आरेंगे और जहाँ अधिवेशन उस समय न हो रहे होंगे वहाँके सदस्य भविष्यमें परिषदोंकी किसी भी बैठकमें भाग न लेंगे, और विशेष समितिने सूचना दोगे। विधानसभा, विधान परिषद या प्रान्तीय परिषदोंमें स्वराज्य पार्टीका कोई भी सदस्य—अपने खानको रिक्त घोषित होनेसे बचानेके अतिरिक्त, प्रान्तीय बजटोंकी अस्वीकार कराने या किसी नये कर सम्बन्धी बजटको छोड़कर सभा, परिषद या प्रान्तीय परिषद की, या उसको किसी कमेटीकी बैठकमें भाग नहीं लेगा। परन्तु यदि विशेष समितिने सम्मतिमें किसी विशेष आवश्यकताके कारण बैठकमें भाग लेना जरूरी है तो यह विधान सभाकी बैठकमें स्वराज्य पार्टीके सदस्योंको भाग लेंगेकी अनुमति देगी। ( ४ ) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीयोंकी कार्यकारिणियोंके, अगले वर्षके 'आम चुनाव' के लिए उम्मीदवार तय करनेका अधिकार दे दिया गया।"

मदनमोहन मालवीय, जो 'उत्तरदायी सहयोग' के दलमें शामिल हो गये थे, इस कार्यक्रममें एक सशोधन रचना चाहते थे। उन्होंने, प्रस्ताव रखा कि पूर्ण उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिए 'सहयोग अथवा अवरोध' की नीति आवश्यकतानुसार अपनाकर विधान सभाओंका यथासम्भव उपयोग किया जाय। यह सशोधन गिर गया। मुझे, जयकर, और बैलकरने विधान सभाओंसे अपने त्यागपत्र देनेकी घोषणा कर दी। कांग्रेसकी काररवाई चलानेके लिए हिन्दीके माध्यम बनानेवा निश्चय हुआ।

बानपुरसे लौटनेके पौरन बाद ही जयकरने अपने मतमें सहमत बम्बर, बरार और मध्यप्रदेशकी विधान परिषदोंके सदस्योंका एक सम्मेलन १६, १७ जनवरी १९२६ को पुनामें बुलाया। सम्मेलन आगामी कार्यक्रम और 'उत्तरदायी सहयोग' दल द्वारा विधानसभाकी आगामी चुनाव लड़नेका निश्चय करनेके लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन और बादकी बैठकोंके फलस्वरूप स्वराज्य पार्टीकी भौति ही शक्तिशाली ( जैसा हम आगे चलकर देखेंगे ) एक नयी पार्टीकी स्थापना हुई।

अब स्वराज्य पार्टीके सहयोगवादी, स्वतन्त्र और उदारदलीय लोगोंके उद्देश्योंमें कोई विशेष अन्तर न रह गया था। फलतः तैमें सर मोरोपन्त जोशीकी अध्यक्षतामें हुए उदार दलीय सम्मेलनके वार्षिक अधिवेशनमें एक बार फिर प्रयत्न किया कि सब दलोंमें एका हो जाय और वे कांग्रेसमें शामिल हो जायें। यदि ऐसा न हो सके तो हम से क्या ऊपर दिये हुए दल तो मिलकर एक हो जायें। इस विषयपर बोलते हुए अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा "यदि कांग्रेस वर्तमान स्थितिमें यह घोषणा करे कि 'सविनय अवज्ञा' और 'कर न दो' कांग्रेस नीतिके अंग नहीं है तो सब दलोंका कांग्रेसमें आना आसान हो जायगा। तब कांग्रेस तीव्र राजनीतिक प्रचार—जिसका सरकारपर प्रभाव पड़ेगा—की ओर अपना ध्यान एकाग्र कर सकेगी। यदि यह किसी कारणसे असम्भव हो तो 'सीधी काररवाई' ( डाइरेक्ट ऐक्शन ) वालोंके तालाफ वैधानिक राजनीतिवालोंका एक हो जाना तो व्यावहारिक राजनीतिकी दृष्टिसे

सम्भव ही है। उन्होंने यह सुझाया कि “उदारदलीय, स्वतन्त्रों, ‘उत्तरदायी सहयोग’ वालों और परम्परावादियोंका एका तो हो ही सकता है।

बम्बई स्वराज्य पार्टीकी कार्यकारिणीने २० जनवरीको ‘उत्तरदायी सहयोग’ वापस लेनेका निश्चय किया। स्वराज्य पार्टी कमजोर हो रही थी, परन्तु कानपुर अधिवेशन द्वारा निश्चित कार्यक्रमको आगे ले जा रही थी।

उदारदलवाले अपनी नयी योजनाओंपर काम कर रहे थे। ३ अप्रैलको उन्होंने संयुक्त दल बनानेके लिए तैयार राजनीतिक दलोंके नेताओंका एक सम्मेलन बम्बईमें बुलाया। एम० ए० जिनाकी अध्यक्षतामें एक नयी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ( जो राष्ट्रीय पार्टीके नामसे भी प्रसिद्ध हुई ) की स्थापना की गयी।

आश्चर्य इस बातका था कि एक समयके ‘तूपानी कांग्रेसी’ विपिनचन्द्र पाल भी ‘सहयोगियों’ में थे। राष्ट्रीय पार्टी ( नेशनल पार्टी ) का उद्देश्य शान्तिमय और वैधानिक तरीकोंसे ( कर न दो आन्दोलन और सविनय अवज्ञाको छोड़कर ) आपनिवेशक स्वराज्य पानेकी तैयारी करना था। स्वभावतः यह नया संयुक्त दल स्वराज्य पार्टीके लिए एक चुनौती था। मोतीलाल नेहरूने पार्टीके दोनों पक्षोंको एक करनेकी कोशिशके लिए दोनों पक्षोंकी एक मीटिंग २१ अप्रैलको मावरमतीमें बुलायी। इस समझौतेके ऊपर कि “विधान सभामें स्वराज्य पार्टी द्वारा फरवरी १९२४ में उठायी गयी माँगके जवाबमें अगर सरकारने गन्तियोंको प्रभावकर रूपसे कर्त्तव्यपालनके लिए यथेष्ट शक्ति और जिम्मेदारी दे दी, तो वह जवाब सन्तोषप्रद माना जायगा” थोड़े समय चलनेवाली एकता प्राप्त कर ली गयी। यह समझौता ‘सावरमती समझौते’के नामसे मशहूर है। परन्तु अभी समझौतेकी स्याही सूखी गी न थी कि कुछ कांग्रेसजनोंने, विशेषतः आन्ध्र कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष टी. प्रकाशमने इस समझौतेको कानपुर-प्रस्तावके विरुद्ध कहकर उसकी तीव्र निन्दा शुरू कर दी। और जब मोतीलाल नेहरूने अपने कांग्रेसके साथियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए इसका स्पर्धीकरण किया तो सहयोगवादियोंने कहा कि यह स्पर्धीकरण समझौतेके क्षेत्रके बाहर है। मोतीलाल नेहरूका स्पर्धीकरण यह था कि ‘मन्त्री विधान सभाके प्रति पूर्ण उत्तरदायी हों तथा उनको हस्तान्तरित विभागोंकी नौकरियोंपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त हों; और राष्ट्रीय-उत्थान सम्बन्धी विभागोंको उचित धन-सहायता मिले।’ जयकरने इस स्पर्धीकरणको समझौतेका उपहास बताया। समझौता रद्द हो गया।

प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान सभाके लिए आम चुनाव नवम्बर १९२६ में हुए। इस बारका ‘चुनाव रंगमंच’ पिछले चुनावसे बिल्कुल भिन्न था।

दो भाँगोंमें बँट जानेके कारण स्वराज पार्टी कमजोर हो गयी थी। सम्प्रदायवाद ( जो आगामी अध्यायमें विस्तारसे वर्णित है ) का बोलबाला था। मतदाता, जो जनसंख्याके ४% थे, यह समझते थे कि असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया है और इसीके साथ हिन्दू-मुस्लिम एकता भी। साम्प्रदायिकताका लगभग उतना ही प्रभाव हो गया था जितना कांग्रेसका। सम्प्रदायवादकी मयने बड़ी जीत स्वराज्य पार्टीके अन्दरने कुछ अनुभवी नेताओंका साम्प्रदायिकताके रंगमें रँग जाना था। इसलिए १९२६ के चुनावोंके परिणाम स्वराज्य पार्टीको निराशा प्रदान करनेवाले थे। स्वराज्य पार्टीने १९२३ में हासिल की हुई जीत इस बार खो दी। मद्रास प्रेसीडेन्सीको छोड़कर, जहाँ उनकी पूर्ण विजय हुई, स्वराज्यपार्टी



हर जगह बुरी तरह हारी। दलों और सम्प्रदायवादके केन्द्रोंसे दूर मद्रासपर जैसे बदली हुई राजनीतिक परिस्थितिका कोई प्रभाव पडा ही नहीं। इसके अतिरिक्त 'अब्राहमणों' की 'जस्टिस पार्टी' सकुचित दृष्टिकोणके कारण भूतपूर्व परिपक्षमें बुरा 'प्रभाव' छोड गयी थी। स्वराज्य पार्टीकी सबसे बडी हार हुई पंजाब और सयुक्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश) में जहाँ साम्प्रदायिकता अपने सबसे भयानक रूपमें आविष्यत जमाये हुई थी। स्वराज्य पार्टीकी तरफसे एक भी मुसलमानने चुनाव नही लडा। "स्वराज्य पार्टीमें सम्बन्ध न रखनेवाले विधान सभाके लगभग सभी हिन्दू सदस्योंने मालवीय, जयकर और लाजपतरायके नेतृत्वमें एक राष्ट्रीय पार्टी, स्थापित कर ली। पिछली विधानसभाकी स्वतन्त्र पार्टी जिसके नेता जिना थे विलीन हो गयी। उदारदलवाले एक सघटित पार्टीकी हैसियतमें न रह गये थे। अब जिनाके पीछे दो हिन्दू और कुछ मुस्लिम सदस्य रह गये थे। मुस्लिम सदस्योंका बहुमत असघटित रूपमें अलग बैठता था। सब प्रान्तोंमें मन्त्रिमण्डल बने, यहाँतक मद्राससे जहाँ स्वराज्य पार्टीको निर्णयात्मक शक्ति प्राप्त थी 'यू० पी० मे 'सहयोगवादियों' और कट्टर हिन्दुओंके दृष्टिकोणका समर्थन करनेवालोंने एक सयुक्त दल बनाया। यह दल कभी कभी 'स्वतन्त्र कांग्रेस दल' इण्डिपेण्डेण्ट कांग्रेस पार्टी भी कहलाता था। पंजाबमें नवम्बरके चुनावके हिन्दू उम्मीदवार राजपत रायके साथ हो गये और ये लोग अपनेको 'हिन्दू महासभाई' कहने लगे।" वास्तवमें राष्ट्रीय पार्टी ( नैशनलिस्ट पार्टी ) हिन्दू महासभाइयो और सहयोगवादियोंने ही बनी थी। बहुतेसे प्रश्नोंपर निर्वाचित सदस्योंने एक होकर सरकारको हराया।

गोहाटीमें हुए १९२६के कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्षता एस० श्रीनिवास ऐयरने की। अपने भाषणमें उन्होंने केन्द्रीय सभा द्वारा की हुई राष्ट्रीय माँगपर जोर दिया। उस वर्षके अधिवेशनके मुख्य प्रस्ताव थे "स्वराज्य पार्टीको (१) मन्त्रिपद अस्वीकार कर देना चाहिये। (२) माँगोंको नामजूर कर वजटको अस्वीकृत कर देना चाहिये, (३) नौकरशाहीकी स्थितिको मजबूत करनेवाले सब प्रस्तावोंको अस्वीकृत कर देना चाहिये। परन्तु देशकी आर्थिक स्थिति, कृषि, उद्योग और व्यवसायकी उन्नति सम्बन्धी प्रस्तावोंका समर्थन करना चाहिये। खेतिहर किसानोंकी उन्नति तथा मजदूरोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए कदम उठाना चाहिये। गोहाटीमें 'सहयोगवादी' कांग्रेससे अलग हो गये। इसी अधिवेशनमें कांग्रेस जनोंके लिए खहर पहनना अनिवार्य कर दिया गया।"

## अध्याय २०

### साम्प्रदायिक वैमनस्य पुनः आरम्भ

१९१२ में जैसा कि याद होगा, सर सैयदके विचारोंके मुस्लिम नेता, त्रिपोली और वाल्कन युद्धमें अंग्रेजी सरकारके तुर्कोंके खिलाफ रवैयेशे, अंग्रेजोंके विरुद्ध होने लगे थे। इसके बादके दस सालका युग भारतीय राजनीतिमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यका काल है। ताजजुवानी बात यह है कि जहाँ यह युग भारतीय राजनीतिक इतिहासका सुनहला पृष्ठ है, वहीं यह दौर छिटफुट हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके कारण बदनाम भी है। १८९३ और १९११ के बीच हिन्दू-मुस्लिम दंगे लगभग नहीं ही हुए। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कांग्रेसके जन्म (१८८५) से ही अलीगढ़ विचारोंके मुस्लिम नेता कांग्रेसके खिलाफ रहे हैं परन्तु अभीतक कर्मा साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। १९११, १९१२, १९१३, १९१६, १९१७ में गोवधके प्रश्नके ऊपर बिहारके विभिन्न जिलोंमें भयानक दंगे हुए। जब हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजोंके विरुद्ध एक हो गये तो ये दंगे क्यों हुए? हम सवालका जवाब एक दूसरे सवालसे ही दिया जा सकता है। हिन्दू और मुसलमानोंके एकपर अंग्रेजोंकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अंग्रेजोंको यह एकता पसन्द नहीं आयी और न यह उनकी यांजनाके अनुकूल थी। इस एकताकी चरम सीमा १९१६ का लखनऊ समझौता था जो दोनों सम्प्रदायोंके बीच हुआ एक राजनीतिक समझौता था। लीग और कांग्रेसके इस समझौतेका वाक्यांश स्वीकार कर लेनेके बाद, मुसलमानोंको अपनी तरफ मिल्ननेकी चिन्ता और व्यग्रतामें भारत सरकारने घोषणा की कि समझौतेमें बंगालके मुसलमानोंके साथ न्याय नहीं हुआ है। सरकारने तर्क दिया “बंगालके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व साफ तौरपर कम है। यह विवादास्पद है कि जब यह समझौता हो रहा था तो पूर्वी बंगालकी मुस्लिम जन-संख्याको उपयुक्त प्रतिनिधित्व देनेपर जोर दिया गया। बंगालके मुसलमानोंको उनके अनुपातके अनुसार प्रतिनिधित्व देनेके लिए (उससे अधिक नहीं) उन्हें ३४ स्थानोंके बजाय ४४ सीटें मिलनी चाहिये (समझौतेमें बंगालके मुसलमानोंको ३४ सीटें दी गयी थीं)। मुस्लिम-लीगका मुसलमानोंके खिलाफ भड़कानेके लिए वह एक बहुत होशियार चाल थी, मगर यह नाकामयाब रही। बादको लखनऊ समझौतेको १९१९ के ऐक्टमें भी शामिल कर लिया गया। पार्लमेंट द्वारा भारत सरकार मुधार विधेयक (१९१९) के प्रश्नपर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति (जॉइंट सिलेक्ट कमिटी) के सामने गवाही देते हुए, एक प्रश्नके उत्तरमें जिनाने कहा कि समितिको भारत सरकारका बंगाल-सम्बन्धी प्रस्ताव रद्द कर देना चाहिये। जिनाने आगे कहा कि “मेरी रायमें मुसलमानोंके लिए पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका उपबन्ध खत्म कर देना चाहिये।” उन्होंने आशा प्रकट की कि वह दिन दूर नहीं जब पृथक निर्वाचन विलकुल ही गायब हो जायगा। उनका प्रश्नकर्ता—एक अंग्रेज सज्जन—आश्चर्यचकित हो गया। १९१८ में जिनाने रौलट बिलके विरोधमें केंद्रीय विधान परिषदकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया था।

प्रवर समितिके सामने दी हुई, जिनकी दूसरी गवाहीसे साम्प्रदायिक दंगोंके कारणोंपर

प्रकाश पड़ता है। एक प्रश्नका उत्तर देते हुए जिाने कहा "अगर आप मुझसे पूछें तो क्यादातर यह झगड़े गलतफहमियोंकी वजहसे होते हैं; यह गलतफहमी पुलिसके एक या दूसरे सम्प्रदायका पक्ष लेनेसे पैदा हो जाती है क्योंकि इस पक्षपातके कारण दूसरा सम्प्रदाय क्रोधित हो उठता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारतीय रियासतोंमें हिन्दू मुस्लिम दगोंकी खबर नहीं मुनाई पड़ती। और इस समितिके मामले, मुझे बिना नाम बतलाये यह बतलानेमें कोई सकोच नहीं है कि मैंने जब एक रियासतके राजामे इसका कारण पृच्छा तो उन्होंने मुझे बताया 'जब कभी हम छानबीन करते हैं तो हमें पता चलता है कि झगड़ेकी जड़ पुलिस ही है। पुलिस द्वारा हिन्दुओं या मुसलमानोंका पक्ष लेनेके कारण ही झगड़े होते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय जो हम करते हैं, वह यह कि जैसे ही हमें झगड़ेकी खबर मिलती है हम वहाँसे पुलिसके हाकिम (झगडा करानेके लिये जिम्मेदार) को वहाँसे हटा देते हैं और झगडा स्वतः हो जाता है।' यह साबित करता है कि पुलिसको किसी भी समय साम्प्रदायिक दगे करानेके लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सम्प्रदायोंके धर्मांधकों एक दूसरेका सिर फोड़नेको उत्तेजित करनेके लिये किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्तिकी तो आवश्यकता पड़ती नहीं। उदाहरणके तौरपर हिन्दू मन्दिरोंमें गोशतका टुकडा या मस्जिदोंमें सहरना गोशत रख देने भरमें और उनके बाद यह अपवाह उठा देनेसे कि हिन्दू या मुसलमान (जैना भी हो) ने पूजाकी जगहको अपवित्र करनेके मतलबमें यह किया है, झगडा हो जाता है। किसी तीसरी पार्टीके लिए (जिसका हित दोनों सम्प्रदायोंको अलग अलग रखनेमें है) झगडा कराना कितना आसान है। हिन्दू मुस्लिम दगोंको प्रोत्साहन देनेके सर्वोत्तम अवसर दोनों सम्प्रदायोंके त्योहार होते थे,—कांग्रेस लीगके समझौतेके कालमें त्योहारोंपर दगे अधिक हुए। यह एक अजीब-सी बात है। क्या समझौतेके कालमें त्योहारोंका महत्व विशेष रूपसे बढ़ गया था? अंग्रेज शासक और लेखकगण उस समय यह कहते थे कि भारत स्वराज्यके रास्तेपर आगे बढ़ रहा है और हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने राजनीतिक अधिकारोंके प्रति जागरूक हो गये हैं, इसी लिए झगड़े अधिक होते हैं, इन तर्कोंको देनेवालोंके विचारमें स्वराज्यके लिए एक होनेवाले दोनों पक्षोंके नेताओंसे यह धर्मान्ध शायद क्यादा देशभक्त थे। हिन्दू प्रधान बिहार प्रान्तके दगोंमें मुसलमानोंकी सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। फौरन ही अंग्रेज अधिकारियों और लेखकोंने यह मशहूर करना शुरू कर दिया कि बिना अंग्रेजी सुरक्षाके मुसलमान हमेशा अरक्षित रहेंगे और स्वराज्यका अर्थ होगा हिन्दू राज। इसी प्रकारसे मोपला विद्रोहमें, मुस्लिम क्रोधका शिकार हिन्दू हुए—हालों कि मोपलाओंका उद्देश्य अंग्रेजी शासनको समाप्त करना था—हिन्दुओंको 'कांग्रेस खिलाफत गठबन्धन' के विरुद्ध चेतावनी दी गयी। बंगाल और पंजाबमें १९२१ और १९२२ में फिर दगे हुए। परन्तु कांग्रेस लीग एका बराबर तबतक कायम रहा जबतक कि लोग 'असहयोग' के प्रश्नपर एकसे पिछडने लगी। उसकी जगह खिलाफत कमेटीने ले ली। दगेके बावजूद, इस एक्केको देखकर उन लोगोंको बहुत निराशा हुई जो इस एकताको तोड़ देना चाहते थे।

परन्तु 'असहयोग' के स्थगित करने या उसके असफल हो जाने और तुर्कोंके राज नीतिक वातावरणमें परिवर्तन हो जानेसे भारतका राजनीतिक रूप ही बदल गया। कुछ वर्षोंके अनवरत संघर्षके बाद तुर्कीका युवक आन्दोलन सत्तापर अधिकार जमानेमें सफल हो गया। मुस्तान अब्दुल हमीदको तख्त और खिलाफत छोड़ देनेको बाध्य होना पड़ा।

१९२३ में मुस्तफा कमालपाशाने सुल्तानका पद ही समाप्त कर दिया और तुर्कोंको एक गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया। उन्होंने लोगोंकी धार्मिक भावनाओंके आदरस्वरूप खलीफाका पद कायम रखा। परन्तु साथ ही यह विधान बना दिया कि भविष्यमें खलीफाका पद केवल अध्यात्म विषयोंतक ही सीमित रहेगा। सुल्तान अब्दुल हमीदके भाग जाने पर उनके भतीजे अब्दुलमजीद एफेन्दी खलीफा हुए। “परन्तु जब कुछ भारतीय मुस्लिम नेताओंने एक पत्र द्वारा नयी सरकारसे खलीफाके साथ और अधिक अच्छा व्यवहार करनेकी प्रार्थना की, तो मुस्तफा कमाल पाशाने इस घटनाकी आड़ लेकर खलीफाका पद भी समाप्त कर दिया, और कहा कि इसके कायम रखनेसे तुर्कोंके मामलोंमें वैदेशिक हस्तक्षेप होगा।” इस खबरसे, जो भारतमें १० मार्च १९२४ को पहुँची, खिलाफतके नेता अति व्यग्न हो उठे और उन्होंने उच्छेजनामें तुर्की जानेके लिए एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त कर दिया। परन्तु इस शिष्टमण्डलका यात्राकी अनुमति नहीं मिली। जैसा कि जवाहरलाल नेहरूने कहा है कि कमालपाशाके “धर्मविरोध, सुल्तान और खलीफाके पदको समाप्त कर देने, धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम करने और धार्मिक पदोंकी तोड़ देगे, मुसलमानोंके दिलोंमें गहरके जगानेसे बननेवाले धार्मिक साम्राज्यका स्वप्न नष्ट हो गया।” खिलाफत आन्दोलनका केन्द्र अन्यत्र था और जब उसके अन्तर्भागको ही अतातुर्कने नष्ट कर दिया तो ऊपरी ढाँचा भी चरमरा गया और मुस्लिम जनता आश्चर्यचकित रह गयी। न सिर्फ यह, बल्कि राजनीतिक कार्योंके प्रति उदासीनता ही गयी।” खिलाफत आन्दोलनके नेता मुहम्मदअली तो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं बन सके और ‘असहयोग’ आन्दोलनके आरम्भके पूर्व ही उन्होंने इस बातकी सार्वजनिक रूपसे घोषणा भी कर दी थी। मद्रासमें १९२० के श्रीगामें दिये गये भाषणमें मुहम्मद अलीने कहा था कि अगर अफगानिस्तान भारतपर हमला करता है तो भारतीय मुसलमान अफगानिस्तानकी सहायता करेंगे। भारतके मुसलमानोंको अफगानिस्तानका पंचमोंगी बनानेका यह एक नारा था। मौलाना अबुलकलाम आजादने इस भाषणकी प्रतिक्रियाको रोकनेकी कोशिश की। उन्होंने यह समझाते हुए कि अफगानिस्तान द्वारा भारतपर आक्रमणके समय मुसलमानोंका क्या रस्य होना चाहिये, कहा “जब भारत स्वतन्त्र हो, सरकार कायम हो, दूसरे साम्प्रदायोंकी तरह मुसलमानोंको स्वतन्त्रताकी गारण्टी प्राप्त हो तो मुसलमानोंके लिए यह इस्लामका हुकम बन जाता है कि आक्रमणकारियोंसे भारतकी रक्षा करें। आक्रमणकारी मुसलमान और स्वयं खलीफाकी सेना ही क्यों न हो। परन्तु गान्धीजीने इसे अपने दृष्टिकोणसे समझाया। उन्होंने कहा “अगर अफगानिस्तानके अमीरने अंग्रेजी सरकारके खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो एक तरीकेसे मैं उनकी मदद करूँगा। यानी मैं अपने देशवासियोंको खुलेआम बताऊँगा कि एक ऐसी सरकारकी मदद करना अपराध है जिसने सत्तापर अधिकार रखनेके लिए राष्ट्रका विध्वंस खो दिया है।” इन दोनों भाषणोंमें प्रत्यक्ष रूपसे अन्तर है। मुहम्मदअली कभी भी प्रजातन्त्र, या धार्मिक निरपेक्षता अथवा भारतीय

१. स्टीफेन किंग हाल, अवर ओन टाइम्स १९१३-३८, पृष्ठ १८०

२. नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३०२

३. वही पुस्तक, पृष्ठ ३०३

४. तुफैल अहमद, मुसलमानोंका रोशन मुश्तकविल, पृष्ठ ५१२

राष्ट्रीयताके बारेमें नहीं सोच सकते थे। उनके कराचीके भाषणके सम्बन्धमें जो मुन्दमा उनपर चला था उसके सम्बन्धमें उन्होंने अदालतके सामने अपने वेषानमें बुरानी धार्मिक राज्यके नक़्शेको बहुत विस्तारसे समझाया। पर भारतीय स्वतन्त्रता या भारतीय आकांक्षाओं अथवा भारतकी गरीबीके बारेमें, जिनमें शायद हिन्दुओंसे अधिक मुसलमान मन्त्रमें थे, एक शब्द भी नहीं कहा। परन्तु गिरफ्तारके प्रश्नपर मुहम्मद अली काफ़ेससे विस्तृत हिल मिल गये थे। वे गान्धीजीके बहुत बड़े प्रशंसक थे।

१९२३ के काफ़ेस अधिवेशनमें उन्होंने अध्यक्ष पदमें भाषण करते हुए कहा “बहुतों ने महात्माकी मित्राओं और वादमें उनके व्यक्तिगत कष्टप्रद बलिदानोंकी ईसा मसीह से (ईश्वर उन्हें शान्ति दे) तुलना की है... महात्माके आगमनसे पहले भारतकी राजनीतिक दशा वैसी ही थी जैसी कि ईसाके पहले यरूशालमकी थी और भारतके दुर्लोकके निवारणका जो उपाय महात्माने बताया वही ईसूने यरूशालमके लोगोंको बताया था। बलिदानोंके द्वारा आत्म शुद्धि, सरकारकी जिम्मेदारीके लिए नैतिक तैयारी, स्वराज्य प्राप्तिके लिए पहली शर्त आत्म अनुशासन यह महात्माके विचार और विश्वास थे।” परन्तु इन्हीं मुहम्मदअलीने अलीगढ़ और अजमेरमें एक वर्ष बाद भाषण करते हुए कहा—“मिस्टर गान्धीका चरित्र चाहे जितना शुद्ध क्यों न हो, परन्तु धार्मिक दृष्टिकोणमें वे मुझे किसी भी मुसलमानमें हीन नजर आते हैं चाहे वह मुसलमान चरित्रहीन क्यों न हों (अवेडकरकी पुस्तक)।”

इस व्याख्यानकी रिपोर्टकी सच्चाईका बहुतोंने यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद जब वे लखनऊकी एक सभामें व्याख्यान दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या उनके दिल्लीके भाषणकी रिपोर्ट सही है? उन्होंने जवाब दिया “हाँ, अपने धर्म और मतके अनुसार मैं एक व्यक्तिचासे और पतित मुसलमानको मिस्टर गान्धीसे अच्छा समझता हूँ।”

मुहम्मदअलीमें यह परिवर्तन तब आया जब स्वराज्य राजनीतिने असहयोग आन्दोलनका स्थान ले लिया, तुर्कीमें खिलाफत खत्म हो चुकी थी और भारतमें हिन्दू-मुस्लिम दंगोंका बोल बाला था। अंग्रेज फिर हानी हो गये। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि १९२३ में अख्तरी राजनीतिक प्रगति खत्म हो गयी है, और एक बार फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनके असफल हो जाने और हिन्दू मुस्लिम एकताके सयुक्त मोर्चेके टूट जानेके बाद भारतीय राजनीतिक नेता, अंग्रेज सरकारमें भारतको जिम्मेदार स्वशासन देनेकी प्रार्थना कर रहे थे, यद्यपि प्रार्थनापत्रोंमें लिपी हुई धमकी भी होती थी। और अंग्रेज सकट गुजरनेके बाद, निफ्ट भविष्यमें और मुधार करनेके लिए प्रस्तुत नहीं थे। अंग्रेज अधिकारियोंके सामने अब केवल एक ही समस्या थी—अपनी पुरानी स्थितिको फिर प्राप्त कर लेना; यानी हिन्दू और मुसलमानोंके बीच सन्तुलन कायम रखनेकी ताकत रखना। १९२२ और १९२३ में तो साम्प्रदायिक दंगोंकी एक बाढ नी आ गयी। “विशेषतया १९२३ में तो हिन्दू और मुसलमानोंके बीचकी तनातनी बहुत अधिक बढ़ गयी। मार्च और अप्रैलमें अमृतसर, मुन्तान और पंजाबके दूसरे हिस्सोंमें खूबकर दंगे हुए। इन्हें अमृतसरमें और भयानक दंगे हुए। सिन्धमें भी झगडे हुए। जून और जुलाईमें यू० पी० के मुसदावाद, मेरठ और इलाहाबादके जिलोंमें हिन्दू मुस्लिम झगडे हुए। अजमेरमें एक गम्भीर दंगा हुआ। अगस्त और सितम्बरमें अमृतसर, पानीपत, जलपुर, गोंडा, आगरा और रायबरेलीमें दंगोंके कारण स्थिति गम्भीर हो गयी। सब उपद्रवोंमें ज्यादा भयानक झगडा मोहरमके

सिलसिलेमें सहारनपुरमें हुआ।<sup>१</sup> दिल्ली, नागपुर, लाहौर, लखनऊ, भागलपुर, गुलबर्गा, शाहजहाँपुर, कोकोनाड़ामें भी हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। “१९२४ के आरम्भिक महीनोंमें दोनों तरफके साम्प्रदायिक अस्त्रधारोंने जी ग्योलकर एकदूसरेपर गालीगलौजकी बाँछार की।”<sup>२</sup> सितम्बर १९२४ में कोहाटमें (उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त) एक भयानक दंगा हुआ। “लगभग १५५ आदमी मारे गये और धायल हुए। अनुमानतः नौ लाख रुपयेकी सम्पत्ति—मकान और सामान बर्बाद हो गया और बहुत ज्यादा सामान लूट लिया गया। कोहाटकी कुल हिन्दू आबादी कोहाट छोड़कर भाग गयी।”<sup>३</sup> डा० सीतारामयादव अनुसार “नौ और दस सितम्बरके गालीगलौज और रक्तपातके बाद वहाँमें ४००० हिन्दुओंको एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा छटना पड़ा। इन ४००० में २७०० आदमी पिछले दो महीनेसे रावलपिण्डीके ल्योंगोंकी दयापर जीवित थे। शेष १४०० दूसरी जगहोंके थे।”<sup>४</sup>

गान्धीजीकी आत्मा दुःखित थी। उन्होंने दिल्लीमें मुहम्मद अलीके निवास स्थानपर २१ दिनका अनशन आरम्भ किया। दोनों सम्प्रदायोंके नेता इस हिंसक उन्मादको रोकनेके लिए व्यग्र थे और गान्धीजीके अनशनसे दोनों पक्षोंके नेताओंके लिए स्थितिपर गौर करनेके लिए फौरन मिलना बहुत जरूरी हो गया। सब सम्प्रदायोंके नेताओंने २६ सितम्बरसे २ अक्टूबर तक एक सम्मेलन किया। सम्मेलनके सब सदस्योंने प्रण किया कि आत्मा और धर्मकी स्वतन्त्रताके सिद्धान्तोंको लागू करानेके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और उन्जनामें भी इन सिद्धान्तोंसे टिग जानकी घोर निन्दा करेंगे। एक राष्ट्रीय पंचायतकी स्थापना की गयी जिसमें हकीम अजमल खॉं, लाजपतराय, जी. के. नेरीमेंनर, डाक्टर एस. के. दत्त और मास्टर सुन्दरसिंह थे। इसके सभापति और संयोजक गान्धीजी नियुक्त किये गये। इस सम्मेलनने, धार्मिक विचारोंको मानने और व्यक्त करने, तथा धार्मिक कार्योंको सम्पादित करने, पूजाके स्थानोंकी पवित्रता, गोवध, मसजिदोंके सामने गाना-बजाना सम्बन्धी कुछ मौलिक अधिकार और इनकी कुछ सीमाएँ नियत कर दीं। अस्त्रधारियोंको अपने लेम्बोंमें नावधानी बरतनेकी चेतावनी दी गयी। ल्योंगोंमें प्रार्थना की गयी कि गान्धीजीके अनशनके अन्तिम सप्ताहमें वे प्रार्थना करें। आठ अक्टूबरका दिन सार्वजनिक सभाओंमें ईश्वरोपासनाके लिए नियत कर दिया गया।<sup>५</sup> यह व्रत और सम्मेलन कुछ समयके लिए उपद्रवी तत्वोंको जरूर रोक सकता था, परन्तु इस भयानक बीमारी, जिसको बेरोकटोक बढ़ाया जा रहा था, के लिये यह कोई स्थायी उपाय नहीं था। साम्प्रदायिक संघटन जो राष्ट्रीयताके बढ़ते हुए सूर्यके सामने अन्धकारमें छिप गये थे, फिरसे उभरने लगे। इनको दंगोंके कारण जीवन-पोषण मिल रहा था। कुछ राष्ट्रीय नेता अब अपने अपने साम्प्रदायिक संघटनोंमें एकत्र होने लगे। अंग्रेजों-किरोशी संघर्षका स्थान अब मुसलमानोंके हिन्दुओंमें सुरक्षित रहने और हिन्दुओंके मुसलमानोंसे सुरक्षित रहनेके आन्दोलनोंने ले लिया। एक तरफके लोग दूसरी तरफ

१. इण्डिया इन १९२४ २५, पृष्ठ ३००-३०१

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ३२०

३. वही पुस्तक, पृष्ठ २२

४. हिस्ट्री आफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, भाग १, पृष्ठ २७५-७६

५. वही पुस्तक पृष्ठ २७६

के लोगोंके खिलाफ जो तैयारियाँ करते थे, वे अधिक शक्तिशाली नहीं थीं। उनका असर सिर्फ दूमरे पक्षको नाराज करना होता था, नाराज करनेवाले सम्प्रदायको इनसे कोई वास्तविक फायदा भी न होता था। बंगाल और पंजाबमें, साम्प्रदायिक दंगोंने हिन्दू नेताओंके अन्दर यह भावना पैदा कर दी कि वे अरक्षित हैं क्योंकि वहाँ हिन्दू अल्प संख्यामें थे, विशेषतया इसलिए कि इन सूबोंके मुगलमान मॉग कर रहे थे कि उनको स्थायी रूपसे बहुसंख्यक मान लिया जाय। पंजाबके एक हिस्सेमें यह भावना बहुत दिनोंसे थी और इसका प्रत्यक्ष रूप हिन्दू महासभा थी जो बिना विशेष प्रभावके बराबर कायम थी। साम्प्रदायिक वातावरणके गरम होते ही यह सघटन एकदमसे प्रकाशमें आ गया। इसका पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन १९२३ में मदनमोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें बनारसमें हुआ। महासभाने एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दुओंसे अल्लूतोंको सार्वजनिक कुँओं, स्कूलों और मन्दिरोंको इस्तेमाल करनेकी अनुमति देनेकी प्रार्थना की। हिन्दू महासभाकी प्रान्तीय व स्थानीय शाखाएँ सघटित की जाने लगीं। हिन्दुओंके बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, मोपलाओं द्वारा हिन्दुओंपर अत्याचार और बादमें मुस्तानके दंगोंमें, जिनमें “हिन्दुओंके पूजास्थल गन्दे और नष्ट भ्रष्ट किये गये थे, बहुतसे हिन्दू मारे गये थे, बहुतसे हिन्दू घर खड़े और जला दिये गये थे।” इन बातोंमें श्रद्धानन्द जैसे हिन्दू नेताओंको यह आवश्यकता मालूम हुई कि मुसलमानोंको हिन्दुत्वमें वापस लानेके लिए ‘शुद्धि आन्दोलन’ शुरू किया जाय। इस प्रकारसे शुद्धि आन्दोलनका जन्म हुआ। इस आन्दोलनके बारेमें डा० राजेन्द्रप्रसाद कहते हैं “राष्ट्रीयतावादियों और मुसलमानों दोनोंने स्वामी श्रद्धानन्दके ‘शुद्धि आन्दोलन’ की आलोचना की है। समय विशेषपर इसकी उपयुक्तताके बारेमें चाहे कोई कुछ भी कहे, परन्तु यह समझना मुश्किल है कि ईसाई या मुसलमान इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं वे तो स्वयं धर्मपरिवर्तनके मित्रानपर और हिन्दुओंको अपने धर्ममें मिलानेमें बराबर लगे रहते हैं। अगर हिन्दू भी गैर हिन्दुओंको अपने धर्ममें लाते हैं तो इसमें गैर-हिन्दुओंको कोई मतलब नहीं है और न उनको आपत्ति करनी चाहिये विशेषतया जब कि वे स्वयं धर्म परिवर्तनमें संलग्न रहते हैं। हिन्दुओंको भी अपने धर्मका प्रचार करनेका अधिकार उनी प्रचार प्राप्त है जिस प्रकार दूसरोंको। परन्तु आदमी हमेशा तर्क, न्याय एवं औचित्यकी भावनाएँ ही सब काम नहीं करता। मुसलमानोंमें शुद्धि आन्दोलन और स्वामी श्रद्धानन्दके प्रति बहुत कटुता पैदा हो गयी, जिसके फलस्वरूप, कुछ समय बाद, स्वामी श्रद्धानन्द एक मुसलमान हत्यारेके शिकार हो गये। मुसलमानोंने शुद्धि आन्दोलनके जवाबमें ‘तब्लोग’ और ‘तन्जीम’ आन्दोलन चलाये।”

कांग्रेस सघटन दृढ़तासे अपना धर्म निरपेक्ष और असाम्प्रदायिक रूप बनाये हुए था। १९२३ के अन्तिम तीन महीनोंमें प्रधान कांग्रेसजन साम्प्रदायिक तनातनी दूर करनेकी चेष्टा करते रहे। कांग्रेसने ‘राष्ट्रीय समझौता’ तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की। परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्नकी निष्पक्ष जाँचके लिए उपयुक्त वातावरणका अभाव था। बंगालमें चित्ररजन दासने हिन्दू मुस्लिम समझौतेका एक भगविदा तैयार किया ( जो बंगाल समझौतेके नामसे मशहूर है ), परन्तु इसके परिणामस्वरूप स्थिति और बिगड़ी। समझौतेमें स्थानीय सभाओंके प्रतिनिधित्वके लिए ६० और ४० सीटोंका प्रस्ताव रखा गया था। ( बहुसंख्यकोंको

१. डा० राजेन्द्रप्रसाद—इण्डिया टिनाइडेड पृष्ठ ११७

२. डा० राजेन्द्रप्रसाद—इण्डिया टिनाइडेड पृष्ठ ११७

६० और अल्पसंख्यकोंको ४० स्थान मिलें)। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि सरकारी नौकरियोंमें ५५% जगहें मुसलमानोंको दी जायँ। वातावरण समझौतेके अनुकूल नहीं था। इससे हिन्दू नेताओंमें विरोधकी लहर दौड़ गयी। कुछ समय बाद समझौता मुस्लिम नेताओंको भी नाराज करनेका साधन सिद्ध हुआ। बंगाल विधान परिषदमें एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकारी नौकरियोंमें ८०% (अस्सी प्रतिशत) जगहें मुसलमानोंके लिए सुरक्षित रखकर (जबतक कि प्रत्येक विभागमें उनका औसत समस्त संख्याका ५५ प्रतिशत न हो जाय) बंगाल समझौता फौरन लागू किया जाय। परन्तु दास इस प्रस्तावसे असहमत थे। उन्होंने कहा कि समझौतेकी शर्तें केवल स्वराज्य-प्राप्तिके बाद ही लागू की जा सकती हैं।”

१९२४ में हिन्दू महासभाका अधिवेशन बेलगाँवमें उसी पण्डालमें हुआ जहाँ कुछ दिन पूर्व कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था। इस वर्षके अधिवेशनके अध्यक्ष भी कांग्रेस नेता मदनमोहन मालवीय ही थे, इस कारण कई प्रमुख कांग्रेसजन भी अधिवेशनमें सम्मिलित हुए। इनमें अली-बन्धु और अबुल कलाम आजाद भी थे। अपने भाषणमें मदनमोहन मालवीयने इस बातका खण्डन किया कि महासभा साम्प्रदायिक संघटन है। उन्होंने कहा कि किसी भी हिन्दूके लिए राष्ट्रीय कांग्रेसका विरोध करना शर्मकी बात होगी। उनका उद्देश्य तो कांग्रेसकी सहायता और उसको शक्ति प्रदान करना है। महासभाका संघटन करनेकी आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था होनेके नाते समाजी और गैर राजनीतिक प्रश्नों, जिनका विभिन्न जातियोंपर प्रभाव पड़ता है, पर ध्यान नहीं दे सकती। मालवीयजीने इस बातपर जोर दिया कि महासभा सांस्कृतिक आन्दोलन है और वह “अहिंसामें विश्वास रखती है तथा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि प्रेम द्वारा विद्वेष और हिंसात्मक भावनाओंको जीतना चाहती है।” परन्तु अधिवेशनमें पास हुए प्रस्तावोंमेंसे एकमें कहा गया था “सभाका कार्य केवल, हिन्दुओंके सामाजिक और धार्मिक उत्थानतक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि सभा राजनीतिक प्रश्नोंपर भी हिन्दू मतको व्यक्त करेगी और जनताका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करेगी।”

नवम्बर १९२४ में गान्धीजीकी प्रेरणासे बम्बईमें ‘एकता’पर फिर बातचीत शुरू हुई। जिसके फलस्वरूप एक सर्व-दलीय-सम्मेलनकी स्थापना की गयी और एकताकी समस्याका अध्ययन करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी। इस सम्मेलनमें, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जस्टिस पार्टी, लिबरल फेडरेशन और भारतीय ईसाइयोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। जनवरी १९२५ में समितिने ४० सदस्योंकी एक प्रातिनिधिक उप-समिति नियुक्त कर दी। उप-समितिका काम था—(१) ऐसे नियमोंके बनानेकी सिफारिश करना जिनसे सब पार्टियों कांग्रेसमें शामिल हो सकें; (२) विधान सभाओं और निर्वाचन संस्थाओंमें सम्पूर्ण समाजों, जातियों और उप-जातियोंके प्रतिनिधित्वके लिए एक योजना बनाना; (३) स्वराज्यके लिए एक योजना तैयार करना। इस उप-समितिको भी दो छोटी कमेटियोंमें विभाजित कर दिया गया। पहली उपसमितिको विधानपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इमने रिपोर्ट पेश भी कर दी, परन्तु दूसरी कमेटी, जिसका काम साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी योजना तैयार करना था, सिर्फ एक बार बैठक कर सकी और बिना किसी निष्कर्षपर पहुँचे हुए अनिश्चित कालके लिए विसर्जित हो गयी क्योंकि लजपतराय व अन्य हिन्दू प्रतिनिधि कमेटीकी किसी भी आगामी बैठकमें भाग लेनेको तैयार नहीं थे। लजपतराय द्वारा ‘लीडर’



में प्रकाशित एक लेखने विवादको समाप्त कर दिया। लेखमें लालबहादुरशास्त्री ने कहा था कि मैं यह बात नहीं मान सकता कि हिन्दू मुस्लिम एकता, सिर्फ कुछ सूत्रोंमें हिन्दू बहुसंख्यक और कुछमें मुस्लिम बहुसंख्यक मानकर ही हो सकती है।

अब 'राजनीतिक भारत' का प्रतिनिधित्व लीग और कांग्रेस ही नहीं करती थी। व्यक्तिगत नेता गलत प्रचार करके वातावरणको और दूषित कर रहे थे। उदाहरणके तौरपर मार्च १९२५ में एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए डाक्टर रिचार्ड बोले "अगर हम इस देशमें अंग्रेजी शासन खत्म कर दे और फिर यदि अफगान या दूसरे मुसलमान भारत पर आक्रमण करते हैं तो, हम मुसलमान, देशको हमलेसे बचानेके लिए अपने बेटोंतकको कुर्बान कर देंगे।" परन्तु उन्होंने एक शर्त रखी। हिन्दुओंको सम्बोधन करते हुए उन्होंने कहा "अगर तुम 'तर्जिग आन्दोलन' के रास्तेमें दकावट डालोगे, और हम 'हमारे अधिकार' नहीं दोगे तो हम अफगानिस्तान या किसी दूसरी मुस्लिम सत्ताके साथ समान मोर्चा बनाकर इस देशमें अपना राज्य स्थापित कर लगे।"

इस राजनीतिक अशान्ति कालमें मुस्लिम लीग करीब करीब निष्क्रिय रही। १९२४ में वह पुनर्जीवित हुई। इसी वर्ष ३० दिसम्बरको बम्बईमें रजाअलीकी अध्यक्षतामें लीगका अधिवेशन हुआ। लीगने एक प्रस्ताव द्वारा तृतीय प्रमुख मुसलमानोंका एक समिति मुस्लिम समाजकी राजनीतिक माँग तैयार करनेके लिए नियुक्त की। यह प्रस्ताव जिनाने पेश किया था। प्रस्ताव पेश करते समय जिनाने "इस आरोपका खण्डन किया कि वे लीगमें साम्प्रदायिक व्यक्तिकी हैसियतसे आये हैं। व्यक्तिगत तौरपर उन्होंने जोर दिया कि वे हमेशा राष्ट्रीयतावादी रहे हैं। उन्हें स्वयं कोई सकोच नहीं था। उनकी तो इच्छा थी कि विधान सभाओंमें उनकी प्रतिनिधित्व सत्रमें योग्य और उपयुक्त व्यक्ति करें। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके मुस्लिम देशवासी इसके लिए तैयार नहीं थे। वस्तुस्थिति की तरफसे वे औरें घबड़ा नहीं कर सकते थे। वास्तविकता यह थी कि बहुत बड़ी संख्यामें मुसलमान विधान सभाओं और नौकरियोंमें पृथक् प्रतिनिधित्व चाहते थे। वे लीग साम्प्रदायिक एकताकी बात करते हैं, परन्तु साम्प्रदायिक एकता है कहाँ? उपयुक्त समझौता करके ही एकता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने तालिबानोंको गडगडाहटमें कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे सहयोगी स्वराज्यके लिए लड़नेको तैयार हैं परन्तु वे कुछ संरक्षण चाहते हैं। जिनाका कुछ भी दृष्टिकोण क्यों न रहा हो, और वे यह जानते थे कि एक व्यावहारिक राजनीतिक हैसियतसे उन्हें स्थितिको भलीभाँति समझना पड़ता है, एकताके रास्तेमें असली बाधा दोनों सम्प्रदाय नहीं थे बल्कि दोनों तरफके कुछ गडबडी फैलानेवाले लोग थे।"

बम्बई अधिवेशनमें स्वीकृत एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बातकी इच्छा प्रकट की गयी थी कि भारतके विभिन्न मुस्लिम संघटनों और भिन्न भिन्न विचारधाराओंके प्रतिनिधि निम्न भविष्यमें दिल्लीमें मुस्लिम समाजकी आवश्यकता-पूर्तिके लिए "सुयुक्त और व्यावहारिक कार्या-की योजना बनानेके निमित्त" एक सम्मेलन करें। जिनाने यह प्रस्ताव समझाते हुए कहा कि इस प्रस्तावका उद्देश्य, मुसलमानोंको हिन्दू समाजसे लड़नेके लिए नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए उनमें एक होने और सहयोग करनेके लिए संघटित करना है। उन्हें विश्वास था कि

१. टाइम्स ऑफ इण्डिया ता० १४-३-२५

२. दी इण्डियन क्वार्टरली रिविस्टर १९२४ भाग ३ पृष्ठ ४८१

चदि "वे ( मुसलमान ) एक बार संघटित हो जायँ तो फिर हिन्दू महासभाके साथ वे अवश्य एकता स्थापित करेंगे और संसारके सामने घोषणा करेंगे कि हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई हैं ।" लीगने 'शुद्धि' और 'संघटन' आन्दोलनोंकी निन्दा की और 'तंजीम' को न्यायपूर्ण बताया । एक प्रस्ताव द्वारा अधिकारियोंकी प्रशंसा की गयी जिन्होंने जाँचके बाद घोषणा की कि कोहाटके दंगे स्थानीय हिन्दुओंकी धर्मोपताके कारण हुए थे ।

यद्यपि जानाने, कांग्रेसके असहयोग, सविनय अवज्ञा और परिपद-वहिष्कार आरम्भ करनेके बाद, कांग्रेस छोड़ दी थी, पर उन्होंने कांग्रेसपर हिन्दू संस्था होनेका आरोप नहीं लगाया ।

वास्तवमें जब उनके विरोधियोंने उनपर इस प्रकारके वक्तव्य ( कांग्रेस हिन्दू संस्था है ) का आरोप लगाया तो उन्होंने उसका खण्डन किया । इसकी पुष्टि ३ अक्टूबर १९२५ को 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में सम्पादकके नाम प्रकाशित उनके खतमें होती है । उन्होंने पत्रमें लिखा था— "मैं उस वक्तव्यका, जिसका एक बारमें ज्यादा आपने भेरे नामसे प्रचार किया है और जिसकी एक बार फिर आपके संवाददाताने दोहराया है, खण्डन करना चाहता हूँ ( वानी कांग्रेस हिन्दू संस्था है, यह कहकर मैंने उसकी निन्दा की है ) । इसके प्रकाशित होनेके फौरन बाद ही मैंने आपके पत्र द्वारा इसका सार्वजनिक रूपसे खण्डन किया, परन्तु इस 'खण्डन' को आपके पत्रने प्रकाशित नहीं किया । इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर आप इसे प्रकाशित कर दें ।"

तुर्कीमें होनेवाली गड़बड़ियाँ अभीतक खिलाफत सम्मेलनको परेशान कर रही थी । १९२४, १९२५ में खिलाफत सम्मेलनकी सभाओंमें यह निश्चय किया गया कि दुनिया-भरके मुसलमान तय करके किसी दूसरे स्थानपर खलीफाका पद स्थापित करें । सम्मेलन अभीतक कांग्रेसकी नीतिमें विश्वास करता था, यद्यपि इसके कुछ सदस्य व्यक्तिगत तौरपर साम्प्रदायिक भावना व्यक्त करने लगे थे । परन्तु तुर्कीमें परिवर्तनके बाद भारतमें भी खिलाफत सम्मेलन कमजोर होता जा रहा था और अन्तमें १९३२ में वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया । परन्तु दोनों समाजोंमें कुछ समझदार नेताओंकी प्रधानता होती हुए भी साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही थी । २ मई १९२५ को फरीदपुरमें एक बंगाल-मुस्लिम सम्मेलन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता बंगालके भूतपूर्व मन्त्री फजलुल हकने की । उन्होंने अपने श्रोताओंको चेतावनी दी कि जैसे जैसे भारत स्वराज्यकी ओर बढ़ता जायेगा तैसे-तैसे हिन्दू ज्यादासे ज्यादा सत्तापर एकाधिकार जमाते जायँगे । उन्होंने मुसलमानोंको उचित समयमें संघटित होकर हिन्दू महासभाकी भाँति एक संघटन स्थापित करनेकी सलाह दी और कहा कि समस्त बंगालमें संघटनोंका एक जाल-सा बिछा देना चाहिये । उन्होंने मुझसे कहा कि मुसलमान नौजवानोंको शारीरिक शिक्षा देनी चाहिये ।

१९२५ के मुस्लिम-लीग अधिवेशनके अध्यक्ष सर अब्दुरहीमने कट्टर साम्प्रदायिक भाषण किया । "इस भाषणसे पूरे भारतमें उत्तेजना फैल गयी ।" सर अब्दुरहीमने कहा "हिन्दुओंके आक्रमणके कारण मुसलमानोंको हमेशामें ज्यादा मुस्लिम-लीगकी आवश्यकता है । हिन्दुओंने अपने उत्तेजनात्मक और आक्रमणकारी व्यवहारसे यह हमेशाकी बनिस्वत ज्यादा साफ कर दिया है कि मुसलमान अपना भाग्य उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, और आत्म-रक्षाके सभी सम्भव साधनोंको उन्हें अपनाना पड़ेगा । कुछ हिन्दू नेताओंने यह भी

कहा है कि मुसलमानोंको भारतसे उसी प्रकार निष्कासित कर दिया जाय जिन तरफसे स्पेन-वासियोंने मूरोंको निकाला था।” अब्दुर्रहोमने कहा कि विना मुसलमानोंकी सहायताके हिन्दू कभी स्वराज्य स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने यह आशेष लगाया कि कुछ हिन्दू विश्वेशी सघटनोंके साथ मिलकर पट्टयत्र रच रहे हैं। इन सघटनोंका काम भारतमें उपद्रव करवाना है। उन्होंने अपने भाषणमें आगे कहा कि किसी भी मुसलमानने भारतीय क्रांतिकारियोंका साथ नहीं दिया, उन्होने असहयोग आन्दोलनकी तीव्र निन्दा की और जोर दिया कि “भारतके भलेके लिए अंग्रेज अधिकारियोंकी आवश्यकता है।”

अविरोधनके मुख्य प्रस्तावमें शाही कमीशनकी नियुक्तिकी माँग की गयी जो भारत सरकारके १९१९ के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्टको दुबारा ठीक करनेका काम करे। कमीशनमें, अल्प संख्याको सुरक्षा, साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पंजाब, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रान्तमें मुस्लिम बहुसंख्याको कायम रखनेके कुछ मौलिक सिद्धान्तोंकी गारण्टी माँगी गयी। कमीशनकी माँग पहले जिनाने विधान सभा भवनमें पेश की थी।

स्वराज्य पार्टीने जिनाकी इस माँगका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि उनका (स्वराज्य पार्टी) गोलमेज सम्मेलनकी माँगका प्रस्ताव ज्यादा अच्छा था। इस प्रस्तावमें भारतीयों और अंग्रेजोंको बराबरका पद देनेकी माँग की गयी थी। इसलिए मुहम्मदअलीने लीगकी बैठकमें सशोधन पेश किया कि ‘राज्य कमीशन’के स्थानपर ‘गोलमेज सम्मेलन’ कर देना चाहिये। परन्तु अ यधने हम सशोधनको अस्वीकार कर दिया।

वास्तवमें १९२५ में ही हिन्दू महासभा अगिल भारत सघटन बन सकी। ११ अप्रैलको कलकत्तेमें हुई बैठकके अध्यक्ष राजपतरायने सभाके उद्देश्य इस प्रकार बताये—(१) देश भरमें सभाको सघटित करना। (२) साम्प्रदायिक उपद्रवोंसे पीड़ित लोगोंको सहायता देना। (३) बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओंका पुनः धर्मपरिवर्तन करना। (४) व्यायामशालाएँ सघटित करना। (५) सेवा समितियोंका सघटन यानी समाज सेवाके लिए सघटन स्थापित करना। (६) हिन्दी भाषाका प्रचार करना। (७) हिन्दू त्योहारोंको हम प्रकार मनाना कि हिन्दुओंके विभिन्न अंगोंमें भाईचारा और मीठाई बने। (८) मुसलमानों और ईसाइयोंके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना। (९) तमाम राजनीतिक विवादोंमें हिन्दुओंके साम्प्रदायिक हितोंका प्रतिनिधित्व करना।

इसरोनी संख्यामें हिन्दुओंने, विजयपुरा, बंगाल, बिहार, आगाम, गुजरात और सीमाप्रान्तमें बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन क्रिये जानेमें, महासभा बहुत चिन्तित और व्यग्र हो उठी। इस प्रकारमें हिन्दुओंके अन्य धर्मोंमें चले जानेके लिए महासभाने एक ‘हिन्दू रचना सघ’ स्थापित करनेका निश्चय किया। कुछ समय बाद हिन्दू महासभाने आम चुनावमें अपने उम्मीदवार रखे करनेका फैसला किया।

१९२६ के आरम्भमें मॉण्टपोर्ड सुधारोंके अन्तर्गत उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें विधान परिषद् कायम करनेके प्रश्नपर विना जरूरत साम्प्रदायिक कटुता बढ़ गयी।

इस कटुताका सूत्रपात १९२२ में हुआ जब कि भारत सरकारने, सीमाप्रान्तको पंजाबमें मिला देनेके औचित्यके प्रश्नपर व्यक्त की गयी गम्भीरतियोंसे यह निष्कर्ष निकला कि “साधारणतया पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तके हिन्दू सीमाप्रान्तके प्रजावमें विलीनी

करणके पक्षमें थे, परन्तु मुसलमान इन दोनों प्रान्तोंकी स्वतन्त्र इकाइयोंके इच्छुक थे। मार्गला १९२६ की मार्चतक यूँ ही पड़ा रहा। मार्चमें मद्रासके एक मुस्लिम नेता मैथ्यद-मुर्तजाने जो मुस्लिम लीगमें थे और विधान-परिपदमें स्वराज्य पार्टीके साथ थे, केन्द्रीय सभागों एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें माँग की गयी थी कि गवर्नर जनरल भारत सरकारके १९१९ के ऐक्टके विधान परिपदों, मन्त्रियोंकी नियुक्ति, और अल्प संख्याके सुरक्षा सम्बन्धी उप-वन्धोंको सीमाप्रान्तपर भी लागू करें। विपिनचन्द्र पालने इस प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि सीमान्त प्रान्तके हिन्दुओंको चाहिये कि वे उस प्रान्तमें मुसलमानोंका बहुमत उसी प्रकार अंगीकार कर लें जैसे मुसलमानोंने हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तोंमें कर लिया है, परन्तु मालवीयजी, सर हरीसिंह गोड़, दीवान बहादुर रंगाचारियर जैसे प्रधान हिन्दू नेताओंने इसका विरोध किया। मालवीयजीका विरोध राजनीतिक महत्त्व रखता था क्योंकि वे एक प्रमुख महासभाई थे। उन्होंने सुझाव दिया कि १९२९ में नियुक्त होनेवाले शाही कमीशनके ऊपर यह प्रश्न छोड़ देना चाहिये। मुस्लिम-मत भी इसके ऊपर एक-राय नहीं था। उदाहरणके तौरपर-नवान अब्दुल कयूम प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए भी, सीमाप्रान्तके लिए सिर्फ 'सलाहकार समिति' को बेहतर समझते थे।

हिन्दू लोग सीमाप्रान्तका पंजावमें विलयन क्यों चाहते थे? इसका जवाब साफ तौरपर यह मान्य पड़ता है कि वहाँ वे ५% की नगण्य संख्यामें थे और पंजावमें, जहाँ हिन्दू आबादी के करीब ५०% थे, विलयनके बाद भी ४०% हो जाते। परन्तु सरकारकी कोई इच्छा सीमाप्रान्तमें सुधारयुक्त परिपद ( रिफार्म्ड कांसिल ) जारी करनेकी नहीं थी, क्योंकि वहाँ बराबर फौजी निगरानीकी आवश्यकता रहती थी और अंग्रेज सीमाप्रान्तके लिए किसी भी प्रजातान्त्रिक संस्थाको स्वतंत्रसे खाली नहीं समझते थे। इस प्रश्नपर उस समय हिन्दू-मुस्लिम विवाद व्यर्थ ही खड़ा हो गया।

१९२५ और १९२६ में साम्प्रदायिक तनातनीने बढ़कर गम्भीर रूप धारण कर लिया। यू० पी०, सी० पी०, बम्बई और कलकत्ता, हर जगह भीषण दंगे हुए और अपार धनजनकी हानि हुई। अप्रैल १९२६ में कलकत्तेमें फिर दंगा हुआ। मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंपर हमला कर रहे थे और हिन्दू मस्जिदोंपर। दंगा ५ अप्रैलको शुरू हुआ और पिछले तीन दिनोंमें ही ११० आगजनीकी घटनाएँ हुईं। सरकारी रिपोर्टोंके अनुसार ४८ आदमी मरे और ५८४ जख्मी हुए। दंगेका दूसरा दौरा अधिक भयानक था और पुलिसको भीड़ तितर-वितर करनेके लिए बारह दफा गोली चलानी पड़ी। इस मर्तवा ६६ मरे और ३९१ बायल हुए। दंगोंकी खबरें अखबारोंके जरिए देशके एक कोनेमें दूसरे कोनेतक पहुँचीं, जिससे जनता विशेषतया साम्प्रदायिक संघटनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले लोगोंका मानसिक मन्तु-लन विगड़ गया। दंगा खत होनेके कुछ ही समय बाद खिल्लाफत-सम्मेलन और हिन्दू महासभा दोनोंने अपनी-अपनी बैठकें कीं। खिल्लाफत सम्मेलनकी बैठक ९ मईको हुई जिसमें उसने अपनी नीति बदलनेका निश्चय किया। नीतिपरिवर्तनपर एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि खिल्लाफतकी जगहपर भारतीय मुसलमानोंके धार्मिक, शिक्षासम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नोंको महत्त्व दिया जायगा। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा खिल्लाफत संघटनोंको भारतीय मुसलमानोंकी नैतिक, आर्थिक और अदालत-सम्बन्धी मदद देनेकी सलाह दी थी। सम्मेलनमें इतनी उत्तेजना थी कि जब एक

सदस्यने हिन्दुओंको 'भाई' कहकर सम्बोधित किया तो भोताओंके एक हिस्सेमें हुलड मच गया और मोंग की गयी कि 'भाई' शब्दको वापस लिया जाय क्योंकि काफ़िरोंके लिए इस शब्दका इस्तेमाल आपत्ति जनक है। तिलापत-सम्मेलन राष्ट्रीय धाराप्रवाहसे निश्चित रूपसे हट गया। १० मईको राजा नरेन्द्रनाथके सभापतित्वमें हुई महासभाकी बैठकमें कुछ मुसलमानों द्वारा आर्यसमाजियोंके शुद्धों, मन्दिरों और गुरुद्वारोंपर किये गये आक्रमणोंकी घोर निन्दा की गयी और इनको अन्यायपूर्ण तथा अनुचित बताया गया। अब्दुल रशीद नामक मुसलमान द्वारा २३ दिसम्बर १९२६ को दण-शय्यापर पड़े राजाजी भद्दानन्दकी हत्या हो जानेसे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य तथा विद्वेष और ज्यादा बढ गया। स्वामी भद्दानन्द उस समय अपनी लोकप्रियताके शिखरपर थे। वे कई मुसलमानोंको, विशेषतया यू. पी. के राजपूत मुसलमानोंको पुनः हिन्दू धर्ममें वापस ले आये थे। मुसलमान उनके कार्यों और उनकी पत्निका 'लिवरेटर' में प्रकाशित लेखोंको अपने धार्मिक प्रभावपर हमलावर मानते थे। इनके हत्यारेपर मुकदमा चला और उसे फाँसी दे दी गयी। ३० नवम्बर १९२७ के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के अनुसार देवचन्दके प्रसिद्ध, थियोलॉजिकल कॉलेजके समस्त निपार्थियोंने पूरे पौच दफा 'कुरान' पढकर सिजदा लिया और प्रार्थना की कि अब्दुल रशीदको जन्तमें शांति मिले। रिपोर्टके अनुसार उन लोगोंने प्रार्थना की कि "या पाक परवरदिगार, मृतात्माको 'ऐ अल्ला ए इल्लयीन' (सातने विहित) में एक जगह मिले।"

हत्याके कुछ दिनों बाद एक पजाबी मुसलमान अब्दुल कादिर, जो पजाब विधान-परिषदके अध्यक्ष भी रह चुके थे, की अध्यक्षतामें दिल्लीमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ। उन्होंने 'हत्या' की निन्दा की और कांग्रेस लीग एकेकी आवश्यकताका महत्त्व बताया। उन्होंने कहा कि दोनों संघटनोंको एक साथ मिलकर मौजूदा विषम परिस्थितिको मुलज्ञाना चाहिये। छिटपुट दंगे हो ही रहे थे कि कुछ प्रभावशाली मुसलमानोंने जिनमें अधिकांशतः केन्द्रीय सभाके सदस्य थे, मार्च १९२७ को दिल्लीमें इस प्रश्नपर गौर करनेके लिए कि क्या पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचनकी जगह समुक्त निर्वाचन लागू किया जा सकता है, एक सभा की। सम्मेलनने ये निर्णय किये—(१) सिन्धको बम्बई प्रेसीडेंसीसे अलग कर एक पृथक प्रान्त बना देना चाहिये। (२) उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त और बलॉचिस्तानमें पौरन शासन सुधार किये जायें। (३) अगर ऊपर लिखी हुई दोनों बातें हिन्दू स्वीकार करें तो समुक्त निर्वाचन पद्धति मुसलमानोंको मान्य होगी। (४) पजाब और बंगालमें प्रतिनिधित्व जनसङ्घाके अनुपातपर होना चाहिये और केन्द्रीय विधान सभा तथा परिषदमें मुस्लिम सदस्य समुक्त निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्योंकी संख्याके बमसे कम तिहाई हों।

अभी अखबारोंमें ये फैसले छपनेको दिये ही गये थे कि सम्मेलनमें उपस्थित मुसलमानोंमेंसे दो एकने इन फैसलोंसे अपनेको अलग करते हुए वक्तव्य दे दिये। परन्तु जिनाने एक वक्तव्य द्वारा मोंग की कि या तो बुल मुसलाव स्वीकार किये जायें या बुल रद कर दिये जायें।

मुस्लिम सम्मेलनके तीन दिन बाद केन्द्रीय विधान सभाके कुछ हिन्दू सदस्योंने इन मुसलाओंपर गौर करनेके लिए दिल्लीमें एक बैठक की। इस बैठकमें आगे बातचीतके लिए निम्नलिखित सिद्धान्त तय कर दिये। (१) भारतमें प्रत्येक विधान सभा और परिषदके

लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव हो। (२) हर जगह जन-संख्याके अनुपातसे सीटें सुरक्षित की जायँ। (३) विधानमें निश्चित उपवर्गों द्वारा धार्मिक और अर्द्ध धार्मिक अधिकारोंकी रक्षाकी जाय। प्रान्तोंके विभाजनका प्रश्न फिलहाल भूँ ही छोड़ दिया जाय।

महासभाने भी इन मुझावोंपर गौर किया परन्तु कोई सगमति नहीं व्यक्त की। उसका मत था कि मुझाव अभी परिपक्व नहीं है। परन्तु मर्देके मध्यमें बगवर्द्धमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिकी बैठकने कुछ साधारणसे परिवर्तन करने (जिनमें मौलिक सिद्धान्तमें कोई अन्तर नहीं पड़ा) ये सब मुझाव सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिये। कुछ हिन्दू कांग्रेसजनोंने इस स्वीकृतिपर आपत्ति की। जुलाईके अन्तमें स्थानीय स्वाभक्त शासन विभागके मन्त्री गलिक फीरोज खॉ नूनके नेतृत्वमें पंजाब विधान परिषदके कुछ मुसलमानोंने, एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि जबतक हिन्दू मुस्लिम दोनों समाजोंकी सगमति न हो, पृथक निर्वाचन पद्धति कायम रखी जाय।

बीच-बीचमें हिन्दू-मुसलमान दंगे हो रहे थे। अप्रैल और दिसम्बर १९२७ के बीचमें बीस दंगोंकी रिपोर्ट आयी। यू. पी. में दस, बगवर्द्धमें छः, और पंजाब, गो. पो., बिहार, बंगाल उड़ीसामें दो दो और दिल्लीमें एक दंगा हुआ। नेतावर्ग अभीतक एकताकी कोशिश कर रहा था। जिनाके नेतृत्वमें केन्द्रीय विधान सभाके हिन्दू और मुसलमान सदस्य व कुछ अन्य लोगोंका एक सम्मेलन शिमलामें बुलाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिके तत्वाधानमें यह सम्मेलन कलकत्तेमें अवतूरमें पार हुआ। लग्नी बहसके बाद सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें हिन्दुओंको अधिकार दिया गया कि वे मस्जिदोंके सामने जुलूस निकाल सकते हैं, बाजा बजा सकते हैं, पर वहाँ रुक नहीं सकते और इसी तरहसे मुसलमानोंको यह अधिकार दिया गया कि मुसलमान गो-वध तो कर सकते हैं, पर वे मन्दिरोंके नजदीक या सड़कोंपर गो-वध नहीं करेंगे। सम्मेलनने स्वेच्छामें या सगमता बुझाकर बिना बल-प्रयोगके धर्मपरिवर्तन अथवा पुनः धर्मपरिवर्तनका अधिकार भी दे दिया, परन्तु १८ वर्षकी उम्रके अन्दरवालोंके धर्म-परिवर्तनका पूर्ण निषेध कर दिया।”

अवतूर १९२७ के अन्तमें या नवम्बरके आरम्भमें भारतके प्रमुख राजनीतिक नेताओंको वाइसराय भवनसे एक रहस्यमय निमन्त्रण मिला जिसमें लिखा था कि वे ५ नवम्बर या उसके बाद शीघ्र ही वाइसरायसे मिल लें। गान्धीजी उस समय दिल्लीसे १००० मील दूर गंगलोरमें थे। उन्होंने यात्राका कार्यक्रम स्थगित कर दिया और फौरन ही दिल्लीका खाना हो गये। वाइसराय इरविनने उनके हाथमें भारत-सचिव द्वारा १९१९ ऐक्टके अन्तर्गत प्रशासन और अन्य सम्बन्धित विषयोंकी जाँचके लिए वैधानिक कमीशनकी नियुक्तिकी घोषणाकी एक अग्रिम प्रति रख दी। गान्धीजीने वाइसरायसे पूछा कि क्या केवल इतना ही काम था जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था? इरविनने कहा—“हाँ।” गान्धीजीने इसके प्रतिक्रियास्वरूप उत्तर दिया कि यह एलान तो इकतीवाला लिफाफा भी उनके पास पहुँचा सकता था। पार्लियामेंट और भारतमें ८ नवम्बरको यह घोषणा कर दी गयी। १९१९ के ऐक्टमें इस कमीशनकी

नियुक्ति का वादा पिया गया। यों यह समीक्षण १९२९ में नियुक्त होनेवाला था परन्तु वैधानिक सुधारोंकी लम्बातार मौमके कारण सरकारने इसे दो वर्ष पूर्व ही नियुक्त कर दिया। परन्तु अब समीक्षणकी नियुक्ति लोकोके लिए एक महत्त्वपूर्ण चीज हो गयी, क्योंकि कांग्रेस और केन्द्रीय विधान समाने लोकसेवा समेलन (राउण्ड टेबुल फानफेस) की मौमकी थी, जिसमें भारतीयों और अंग्रेजों दोनोंके प्रतिनिधि शामिल हो। सर जान गार्डनकी अध्यक्षतामें काम करने वाले इस समीक्षणमें मात सदस्य थे और में सबके सब अंग्रेज थे। कुछ तो इसी कारण और कुछ दूसरी वजहोंसे, पूर्व देशमें समीक्षणकी घोर निन्दा की गयी। मिस बिल्लिन्सनके अनुसार जालियोंनेवाला सामग्री सुरात घटनाके बाद सारे देशमें भिजती इस समीक्षणकी निन्दा की गयी उसकी आभेजोंके और किसी कामकी नहीं हुई। सब भारतीय आगवारी और सब राजनीतिविचारोंके लोकोमें एक स्वरमें इस समीक्षणको भारतीय राष्ट्रका अपमान बतलाया क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं किये गये थे। मगर जयकर, केलकर, अणे और मुझे जैम 'सद्योगी' नेजाओंने कहा कि यदि भारतमें पूर्ण समिति (गवर्नमेण्टरी बारी) की हैमियतमें नियुक्त की जानेवाली 'इण्डियन मरीजी' की शर्तें गन्तव्यजन्य ही तो वे लोग महयोग देनेको तैयार हैं। उनके अतिरिक्त सब राजनीतिविचारियोंने समीक्षणका अतिरार करनेका निश्चय किया। दिग्भरके अतिम महामहमें मधुमें राष्ट्रीय उदारदलीय समके दसमें अधिवेशनमें अध्यक्षपदमें भावण करते हुए सर जेजबटादुर समने कहा कि उदारदल (लबरल पार्टी) को न सिर्फ समीक्षणको अमान्य टहराना चाहिये बल्कि पार्टीके द्वारा भारतकी वैधानिक समितिके प्रन्पर प्रदर्शित भावनाका भी विरोध करना चाहिये। हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें भी इसी प्रकारको भावना व्यक्त की गयी। परन्तु लीगके अन्दर यहि सारके प्रन्पर पृष्ठ हो गयी। जिना यहि सार करना चाहते थे, परन्तु उस सालके मनोनीत अध्यक्ष सर मुहम्मद शफी सद्योग करनेके पक्षमें थे। लीगकी कार्यकारिणीमें लाहौरमें प्राथिक अधिवेशन करनेका निश्चय किया। था, परन्तु बादमें कार्यकारिणीने एक विरोध गीटिंगमें तय करके यह स्थान बदलकर मलयका कर दिया। सर मुहम्मद शफीने इस स्थान परिवर्तनकी वैधानिकतापर आपत्ति की, और मलकता अधिवेशनकी अध्यक्षतामें इनकार कर दिया। इस समयमें लीगके दो अधिवेशन हुए— एक लाहौरमें और दूसरा मलयमें। लाहौर अधिवेशनमें स्वीकृत एक प्रस्तावमें समीक्षण का अंग्रेजी पार्लियमेण्टके सामने पेश करनेके लिए भारतका संविधान बनानेके लिए सब गीर-मुस्लिम जातियोंके लीगके साथ महयोग करनेकी प्रार्थना की गयी। अन्य प्रस्तावों द्वारा प्रथम निर्वाचन, सिन्धमें मधुमें लोको करने और उत्तरी पकिस्तानी सीमाप्रान्त और मन्चेस्टरमें सुधारोंकी मौमकी गयी थी। लीगने भारतका संविधान बनाने और उसपर दूसरी पार्टियोंके साथ मिलकर और करनेके लिये ३० आदमियोंकी एक समिति बनवा दी। इस अधिवेशनमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियोंमें सर मुहम्मद इफ्फाका नाम उल्लेखनीय है। उसी वर्षके अन्तमें लम्बेम लाहौर अधिवेशनके समकालीन मलकतामें लीग का अधिवेशन जिनाकी अध्यक्षतामें हुआ। यह अधिवेशन समीक्षणके यहि सारके पक्षमें था। मलकतामें हिन्दू मुस्लिम एकतापर भी और दिया गया। एक प्रस्तावमें कहा गया कि वर्तमान समयमें प्रथम निर्वाचन अधि-कार्य है, परन्तु साथ ही मूलमान समुक्त निर्वाचनके लिए तैयार हो जायेंगे यदि हमके लिए सीटें सुरक्षित कर दी जायें, परन्तु सारा यह है कि सीमान्तप्रान्त और मन्चेस्टरमें भी

शासन सुधार किये जायँ और सिन्धको एक अलग सूबा मान लिया जाय। कलकत्ता अधिवेशनने बिना मुकदमा नजरबन्द किये गये लोगोंकी रिहाईकी माँग की। लीग अधिवेशनमें लीगकी काँसिलको एक कमेटी नियुक्त करनेका आदेश दिया। इस कमेटीको अन्य राजनीतिक दलों और कांग्रेससे परामर्श करके संविधान बनाने तथा उसमें मुसलमानोंके अधिकारोंकी यथोचित सुरक्षा करनेका काम सौंपा गया। कलकत्ता अधिवेशनमें पंजाब मुस्लिम लीगके मंत्री बरकत अलीने भी भाग लिया। बरकत अलीने जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, सन् १९३० में भारतके विभाजनका जोरदार विरोध किया, परन्तु बादमें पाकिस्तानके बृहत् समर्थक बन गये।

उसी वर्ष मद्रासमें एम. ए. अन्सारीकी अध्यक्षतामें हुए कांग्रेसके अधिवेशनमें निश्चय हुआ कि हर तरहसे और हर स्तरपर कमीशनका बहिष्कार किया जाय; जिस दिन यह कमीशन भारतमें आये उस दिन देश भरमें विरोध प्रदर्शन किये जायँ, जहाँ यह कमीशन जाय वहाँ उसका बहिष्कार किया जाय और इस बहिष्कारको प्रभावशाली और सफल बनानेके लिए जोरदार प्रचार किया जाय। विधान संस्थाओंके निर्वाचित सदस्योंको कमीशनकी सहायता करनेसे इन्कार कर देना चाहिये और मन्त्रिमण्डलको हटाने या कमीशनके बहिष्कारको छोड़ कर सदस्योंको विधान संस्थाओंकी किसी भी अन्य बैठकमें सम्मिलित नहीं होना चाहिये। मद्रास अधिवेशनका विशेष महत्त्व है। इसी अधिवेशनमें, प्रथम बार भारतका लक्ष्य—पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित किया गया। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरूने पेश किया था। जवाहरलाल अभी अपनी यूरोप और रूसकी यात्रासे लौटे थे और उन्होंने प्रतिनिधियोंको 'कॉमरेड' कहकर सम्बोधन किया। मई १९२७ में चार सालकी कैदके बाद सुभाषचन्द्र वसु भी जेलसे छूटे थे।

तीन साम्प्रदायिक पार्टियोंने, जिनका प्रभाव बहुत अधिक न था, कमीशनके साथ सहयोग करनेका निश्चय किया। ये पार्टियाँ—जस्टिस पार्टी, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन और केन्द्रीय सिख संघ थीं। इन्होंने निश्चय किया कि ये कमीशनके सामने अपने साम्प्रदायिक दावे रखेंगी।

सन् १९२७ के लीगके कलकत्तेवाले अधिवेशनमें अध्यक्ष-पदमें भागण करते हुए अबुल कलाम आजादने 'दिल्लीके प्रस्तावों'की प्रशंसा की और 'लखनऊ समझौते'की निन्दा। उन्होंने मुसलमानोंसे कहा कि "लखनऊ-समझौते"से उन्होंने अपने हितोंको बेच दिया था। गत मार्चके दिल्ली प्रस्तावोंसे प्रथम बार भारतमें मुसलमानोंके वास्तविक अधिकारोंको मान्यता मिलनेका अवसर मिला है। १९१६ के समझौतेमें 'पृथक्-निर्वाचन' द्वारा उनका प्रतिनिधित्व तो अवश्य प्राप्त हो गया, परन्तु मुस्लिम-समाजके अस्तित्वके लिए उनकी संख्या-शक्तिको मान्यता मिलनी आवश्यक है। दिल्लीने वह रास्ता दिखाया है जिससे आगे चलकर भारतमें मुसलमानोंको उचित हिस्सा मिलनेकी गारण्टी मिल सके। पंजाब और बंगालमें छोटे अनुपातमें उनका बहुमत जनमतगणनाकी संख्यामात्र है, परन्तु दिल्ली प्रस्तावों द्वारा उनको पहली बार पाँच सूबे मिलते हैं, जिनमेंसे तीन (सिंध, सीमाप्रान्त और बलोचिस्तान) में मुसलमानोंका भारी बहुमत है। यदि मुसलमान इस बातका महत्त्व नहीं समझते तो वे जिन्दा रहनेके काविल नहीं। नौ हिन्दू प्रान्तोंके मुकाबलेमें पाँच मुस्लिम प्रान्त होंगे और हिन्दू-मुसलमानोंके साथ जो भी व्यवहार इन नौ सूबोंमें करेंगे वही मुसलमान हिन्दुओंके साथ अपने पाँच



सूत्रोंमें करेंगे क्या यह भारी विजय नहीं है ? क्या मुसलमानोंके हाथ अपने अधिकारोंपर जोर देनेके लिए एक नया हथियार नहीं लगा है ?”

उधर भारत सचिव लार्ड बर्कनहेड भारतके राजनीतिक दलोंमें फूट डालनेके लिए साइमन कमीशनका इस्तेमाल करनेकी कोशिश कर रहे थे । १० दिसम्बर १९२५ को उन्होंने वाइसरायको लिखा कि “यदि आप कमीशनका इस्तेमाल राजनीतिक सौदा करने या स्वराज्य पार्टीमें और अधिक फूट डालनेके लिए कर सकें” और यदि इस इस्तेमालसे आपको राजनीतिक सौदा करनेमें कोई मदद मिल सके तो आप जरूर करें और सरकार आपकी सहायता करेगी ।”

कमीशनकी नियुक्तिके साथ जत्र भारतीय राजनीतिक दलोंने उसका बहिष्कार करनेका निश्चय किया तो उन्होंने वाइसरायको लिखा “बहिष्कारकी मनोवृत्तिका भर्दन करनेके लिए हम लोग हमेशा सहयोगके लिए मुसलमानों, अछूतों, व्यापारी वर्ग तथा अन्य लोगोंपर निर्भर रहे हैं । आप स्वयं और साइमन इस बातका सबसे अच्छा निर्णय कर सकते हैं कि आप इस दिशामें आगे बढ़ और विरोधकी दीवारको कमीशनके इस दौरमें भी तोड़नेकी कोशिश करें ।” बर्कनहेडकी आखिरी सलाहने उनका रुख विलकुल स्पष्ट कर दिया । फरवरी सन् १९२८ में उन्होंने लिखा कि “मेरी साइमनको यह सलाह है कि वे हर स्तरपर कमीशनका बहिष्कार न करनेवाले प्रमुख लोगो, विशेषतया मुसलमानों और अछूतोंसे मिलते रहें । मैं प्रतिनिधि माने जा सकनेवाले मुसलमानोंके साथ उनकी प्रत्येक भेंटका बहुत अधिक प्रचार करना चाहता हूँ । इससे नीति स्पष्ट हो जाती है । नीतिका उद्देश्य वृद्ध हिन्दू जन-संख्याके दिलोंमें यह डर बैठाना है कि मुसलमानोंने कमीशनपर प्रभाव डाल लिया है और सम्भव है कि कमीशन पूरे तरीकेसे एक हिन्दू-हित विरोधी रिपोर्ट पेश करे, जिससे मुसलमान कमीशनकी पूरी सहायता करें और जिनाका नेतृत्व स्थापित हो जाय ।”

यह कमीशन ३ फरवरी १९२८ की बम्बई पहुँचा । कार्यक्रमके अनुसार कई शहरोंमें हड़ताल हुई । बम्बईमें प्रदर्शन अधिक सफल नहीं रहा लेकिन मद्रासमें कमीशन विरोधी प्रदर्शनोंपर कई बार गोली चलायी गयी । कई मरे और बहुतसे घायल हुए । लाहौरमें लाजपतरायके नेतृत्वमें कमीशनके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी । पुलिसने भीड़पर लाठी और डण्डे चलाये । लाजपतरायको भी बहुत सख्त चोट आयी “और ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनकी मौत इन चोटोंके कारण और जल्दी हो गयी ।” लखनऊ में भी पुलिसने प्रदर्शनकारियोंपर लाठी और डण्डे चलाये । आहत व्यक्तियोंमें जवाहरलाल नेहरू भी थे । प्रदर्शन कई दिनोंतक चलते रहे और पूरा शहर सुडेशनमा मालूम होता था । हथियारबन्द पुलिस और घुड़सवार पुलिस शहरकी सड़कोंपर गश्त लगाती और प्रदर्शनकारियोंपर हमले करती रही । “साइमन वापस जाओ” कहनेके अपराधपर पुलिसने घरोंमें घुस-घुसकर हमले किये, सभ्रात राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको मारा और गिरफ्तार किया । लेकिन

१. बर्कनहेड, दि लास्ट फेज, भाग २—पृष्ठ २५

२. वही पुस्तक, पृष्ठ २५४

३. वही पुस्तक, पृष्ठ २५५

४. पट्टाभी, दि हिस्टरी ऑव नेशनल काँग्रेस, पृष्ठ ३२०

लखनऊके ताल्लुकेदारोंने कैसरवाग बारादरीमें कमीशनको एक दावत दी। वहिफकार करने-वालोंको दूर रखनेके लिए कैसरवाग बारादरीके चारों तरफ हजारोंकी संख्यामें पुलिसका पहरा था। लेकिन दावत शुरू होनेके साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। गुन्वारे और पतंगें जिनपर 'साह्मन वापस जाओ', 'भारत भारतीयोंके लिए है' लिखा हुआ था, बारादरीके ऊपर छा गये। पटनामें ५०००० लोगोंका साह्मन-विरोधी प्रदर्शन हुआ। दिल्लीमें, जहाँ कमीशन सबसे पहले गया था, बड़ी संख्यामें लोगोंने 'साह्मन वापस जाओ'के लिसे हुए पोस्टर लेकर कमीशनके विरोधमें प्रदर्शन किया।

साह्मनने जिनको भारतीय विरोधका पहलसे ही आभास था, भारतमें पहुँचनेके फौरन बाद ही वाइसरायको सूचित कर दिया था कि कमीशनके सात अंग्रेज सदस्य केन्द्रीय विधान सभा द्वारा नियुक्त किये जानेवाले सात भारतीयोंके साथ मिलकर एक संयुक्त सम्मेलनकी खुली शकल अख्तियार कर लेंगे। भारतीय नेताओंने इस प्रस्तावको अवज्ञाके साथ ठुकरा दिया। लाजपतरायके पेश करने पर केन्द्रीय विधान सभाने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि कमीशन और उसकी योजना विधान सभाको विलगुल ही अमान्य है।

पूरी जिम्मेदार सरकार और अल्पमतके लिये उपयुक्त सुरक्षाओंके आधारपर भारतका विधान बनानेके लिए भारतीय नेताओंने फरवरी १९२८ में एक सर्व-दलीय सम्मेलन किया। तीन महीनोंमें सम्मेलनकी पचीस बैठकें हुईं। कार्पा कटिन परिश्रमके बाद १८ मईको मांतीलाल नेहरूके सभापतित्वमें पहली जुलाईतक भारतका विधान बनानेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी। अगस्तमें सम्मेलनने २८ अगस्तसे ३१ अगस्ततक लखनऊमें ह्य रिपोर्टपर विचार किया। नेहरूसमितिकी रिपोर्ट और सम्मेलनके संशोधनोंके बाद जो भारतीय-विधानकी रूपरेखा बनायी गयी वह इस प्रकार है। "भारतमें इस प्रकारकी सरकार होनी चाहिये जिसकी कार्यकारिणी जननिर्वाचित और पूर्णाधिकारसम्पन्न विधान सभाओंके प्रति उत्तरदायी हो; यानी उसकी हैसियत किसी प्रकार भी स्वशासित उपनिवेशसे कम न हो। अगर जाँचके बाद यह मालूम पड़े कि नया प्रान्त आंशिक रूपसे स्वावलम्बी होगा तो सिन्धको पृथक प्रान्त बना देना चाहिये। विधान सभाओंके लिए संयुक्त निर्वाचन हो। केन्द्रीय विधान सभा और ऐसी प्रान्तीय विधान सभाओंमें जहाँ मुसलमान अल्पमतमें हैं, उनकी संख्याके अनुपातमें उनकी सीटें सुरक्षित रखी जायँ और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें हिन्दुओंके लिए। परन्तु मुसलमानों व अन्य-अल्पमतोंका यह अधिकार रहेगा कि वे 'सुरक्षित-सीटों' के धतिरिक्त भी चुनावोंमें खड़े हो सकें। अगर बयस्क मताधिकारके आधारपर चुनाव किये जायँ तो पंजाब और बंगाल (मुस्लिम बहुसंख्यक सूबों) में सीटें सुरक्षित नहीं रखी जायँगी। इन दो सूबोंके बारेमें निश्चय किया गया कि यदि हमारी प्रस्तावित योजनापर १० सालतक अमल करनेके बाद कोई सम्प्रदाय चाहता है तो सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर पुनः विचार किया जायगा। केन्द्र और प्रान्तोंमें भी दस सालके बाद सुरक्षित-स्थानोंकी पद्धति समाप्त कर दी जायगी।"

सम्मेलनमें सम्मिलित प्रतिनिधियोंपर दृष्टि डालनेमें मालूम हो जायगा कि इसमें सब प्रमुख और महत्व-रखनेवाले राजनीतिक-दल और हित शामिल थे और उन्होंने सम्मेलनके फैसलोंको स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारदल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, केन्द्रीय सिख लीग, होमरूल लीग, ऑल-इण्डिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इण्डियन किश्चियन्स,

जमैयतुल उलेमा, ऑल इण्डिया स्टेट्स कांग्रेस, विधान सभाको कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, हिन्दू महासभा, अवधना आग्ल भारतीय सघ ( ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन आव अवध ) कल्कत्तेका भारतीय सघ ( इण्डियन एसोसियेशन ), महाराष्ट्रका चेम्बर ऑफ कॉमर्स, सिन्ध नेशनल लीग, दक्षिण सभा और स्वाधीन भारत सघके प्रतिनिधियोंने इस सम्मेलनमें भाग लिया था। सम्मेलनने नेहरू समितिको इस रिपोर्टको एक विधेयककी शकल देनेके लिए फिर नियुक्त किया और निश्चय किया कि इस सम्मेलनमें मभिन्नि व अन्य सभी राजनीतिक, व्यापारिक और मजदूर व अन्य सघटनों ( जो देशमें वर्तमान हैं तथा जिनको स्थापित हुए कमसे कम दो वर्ष हो गये हैं ) के प्रतिनिधियोंकी एक राष्ट्रीय सभा ( नेशनल कॉन्वेंशन ) दिसम्बर २२ को कल्कत्तेमें बुलायी जाय और उसमें नेहरू समिति द्वारा तैयार किया हुआ विधेयक पेश किया जाय। विभिन्न राजनीतिक व दूसरे सघटनोंको निमन्त्रण पत्र भेज दिये गये।

इसी बीचमें मुस्लिम लीगके कुछ सदस्य नेहरू-रिपोर्टका विरोध सघटित करने लगे। आगामी वर्षके लिए अध्यक्ष चुनने के लिए लीगकी परिषदकी बैठक जिनाके सम्भाषितत्वमें नवम्बरमें हुई। सदस्य दो हिस्सोंमें बँटे हुए थे। अवधके राजा महमूदाबादके नेतृत्वमें एक दल नेहरू रिपोर्टके पक्षमें था और शौकतअलीके नेतृत्वमें दूसरा दल विरोधमें। १७ वोटोंके मुकाबलेमें ४२ वोटोंसे राजा महमूदाबादको अध्यक्ष निर्वाचित करवाके नेहरू-रिपोर्टके पक्षवालोंकी जीत हुई। दूसरे दलके उम्मीदवार मुहम्मदअली हार गये। दिसम्बरमें लीगके वार्षिक अधिवेशनसे पहले पंजाब, बिहार और बंगालकी प्रान्तीय लीग कमेटियोंने नेहरू-रिपोर्टका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये परन्तु बम्बईमें, जहाँ शौकतअलीकी प्रधानता थी, यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गयी। मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें इस रिपोर्टपर काफी लम्बी बहस हुई परन्तु कोई फैसला न किया जा सका। अन्तमें यह निश्चय किया गया कि मार्च १९२९ में होनेवाले विशेष अधिवेशनतक इसपर विचार स्थगित कर दिया जाय। फिर भी लीगने राष्ट्रीय सभा ( नेशनल कॉन्वेंशन ) में भाग लेनेके लिए तेइस प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये। इनमें जिना भी थे। खिलाफत सम्मेलनका भी कुछ इसी तरहका हाल रहा, हालाँकि इसने भी अपने प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय किया।

राष्ट्रीय सभामें जिनाने अजीब रवैया अल्लित्यार किया। सर्व दलीय राजनीतिक सम्मेलनमें हुए साम्प्रदायिक समझौतेका आधार ही उन्होंने सशोधनो द्वारा खत्म कर देना चाहा। एक सशोधन द्वारा उन्होंने मॉग की कि केन्द्रीय विधान सभामें मुसलमानोंको निर्वाचित सदस्योंके तिहाई स्थान मिलने चाहिये। इसका साफ मतलब यह था कि सर्व-सम्मितिसे स्वीकृत फैसलेके खिलाफ जिना मुसलमानोंके लिए पक्षपात चाहते थे। बहुत बड़े बहुमतसे यह सशोधन गिर गया।

जिनाके एक दूसरे सशोधनमें कहा गया था कि जबतक वयस्क मतधिकार न हो तबतक पंजाब और बंगालमें सख्याके आधारपर मुसलमानोंके लिए स्थान सुरक्षित रखे जावें और उन्हें अतिरिक्त स्थानोंके लिए चुनाव लड़नेका अधिकार न प्राप्त हो। यह सशोधन भी गिर गया। एक विचित्र बात यह थी कि मुस्लिम लीग और खिलाफत सम्मेलनके प्रतिनिधियोंने बोट देनेमें हिस्सा नहीं लिया। जमैयतुल उलेमाने व्यादा स्पष्ट विरोध किया। उसकी २८ दिसम्बरको मुरादाबादमें हुई बैठकमें एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया

कि—नेहरू-समिति गलत ढंगसे बनायी गयी थी क्योंकि इसमें मुसलमानोंका यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सभामें अपने प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार किया और सर्व-दलीय मुस्लिम सम्मेलन ( मुस्लिम आल पार्टीज कानपरेन्स ) द्वारा रिपोर्टपर किये जानेवाले पैसलेका इन्तजार करनेका निश्चय किया।

शिमलेमें बैठे हुए अंग्रेजी-शासक कलकत्तेकी घटनाओंको बहुत उत्सुकतासे देख रहे थे। यह स्मरणीय है कि भारतीय राजनीतिमें पृथक निर्वाचन प्रणालीको शुरू करानेके लिए १९०६ में मुसलमानोंका शिष्टमण्डल शिमलामें ही खेली गयी एक चालका नतीजा था। यह भी याद होगा कि आगा खॉंको जल्दीमें शिमला जाना पड़ा था, इस वार फिर आगा खॉंके प्रभावको उपयोगमें लाया गया। संयुक्त निर्वाचनका अर्थ था हिन्दू-मुस्लिम एकता। अंग्रेज इस एकताके विरोधी थे। एक गद्दीनेके प्रारम्भिक कार्यके बाद आगा खॉंने अपनी अध्यक्षतामें १ जनवरी १९२९ को दिल्लीमें एक सर्व-दलीय मुस्लिम-सम्मेलन ( आल-पार्टीज मुसलिम कानपरेन्स ) बुलाया। इस सम्मेलनकी योजना बनानेवाले और संघटनकर्त्ता, विधान सभा, प्रान्तीय परिषदोंके चतिपय मुस्लिम सदस्य, और वे उलेमा और मुस्लिम लीगी थे जिनका अल्पमत था पर वे नेहरू-रिपोर्टके विरुद्ध थे। सम्मेलनमें भाग लेनेवाले विभिन्न संघटनोंके प्रतिनिधि भारतीय मुस्लिम नेता संयुक्त निर्वाचनके पक्षमें थे। अंग्रेज गुप्त रूपसे इस सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलनकी सहायता कर रहे थे। इस सम्मेलनने पृथक् निर्वाचन प्रणाली और मुस्लिम अधिक प्रतिनिधित्व ( वेंटेज ) कायम रखनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

१९२८ में मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें कलकत्तेमें कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशनमें हुई बहसमें इस सर्व-दलीय सम्मेलनके पैसलोंको प्रमुख स्थान दिया गया और कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—“कांग्रेसका यह अधिवेशन मद्रास अधिवेशनमें स्वीकृत पूर्ण स्वतन्त्रताके प्रस्तावपर स्थिर रहते हुए भी, इस विधान ( नेहरू रिपोर्ट ) को राजनीतिक प्रगतिमें एक बढ़ा हुआ कदम मानती है, विशेषतया इसलिए कि यह देशकी महत्त्वपूर्ण पार्टियोंके बीच हुए समझौतेके आधार पर बना है। अगर यह विधान ३१ दिसम्बर १९२९ या उससे पहले मान लिया जाता है तो कांग्रेस इसे स्वीकार कर लेगी। यदि उस तारीखतक यह स्वीकार न हुआ या उससे पहले रद्द कर दिया गया तो कांग्रेस देशको ‘कर न दो’ की सलाह देकर, या अन्य निश्चित किये हुए तरीकोंसे अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन संघटित करेगी।”

एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होनेके नाते जिना समझते थे कि अधिकारी वर्गकी सहायता प्राप्त यह सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन दो दलोंमें विभाजित मुस्लिम लीगको निगल जायगा। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षोंको फिरसे एक करने और एक टोस-मुस्लिम दल बनानेका बीड़ा उठाया। मार्च १९२९ को हुई एक मीटिंगमें जब कि दोनों पक्ष साथ साथ बैठे हुए थे—सभी ओर उनके अनुयायी अभीतक अलग बैठे थे—जिनाने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने मीटिंगमें मुसलमानोंकी सुरक्षाका एक मसविदा पेश किया जिसको वे भारतके भावी विधानमें शामिल करवाना चाहते थे। अभीतक संयुक्त निर्वाचनके प्रश्नपर मुस्लिम नेताओंमें मतभेद था। जिनाने मुसलमानोंके लिए केन्द्रीय विधान सभामें निर्वाचित सदस्योंके एक तिहाई स्थानोंकी माँग करके मुसलमानोंकी माँगको ऊँचा उठा दिया और

लीगो नेताओंको एक करनेके लिए इसे ही मुख्य साधन बनाया। हितरक्षक प्रतिवधोमें पृथक् निर्वाचनको रखते हुए जिनाने सर्व दलीय मुस्लिम सम्मेलनको मात दे दी। जिनाकी नीतिकी एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने अपने मतके पोषणके लिए अङ्ग्रेजा खतरा कभी मोल नहीं लिया और न विरोधियोंके मत परिवर्तनकी चेष्टा ही की। वे अपने आपको पौरन ही वातावरणके उपयुक्त बना लेते थे। वे स्पष्टतः पृथक् निर्वाचनके विरुद्ध थे, फिर भी उनके मुस्लिम हितरक्षक प्रतिवधों (सेफगार्ड्ज) से पृथक् निर्वाचन मीजुद था। ये प्रतिवन्धी आम तौरपर जिनाके चौदह सूत्रोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। वास्तवमें तो ये सख्यामें पन्द्रह हैं, पर पन्द्रहवाँ सूत्र पॉन्चवेंकी विशद व्याख्या मात्र है। जिना लीगके स्वीकृत नेता थे और उन्होंने १९२४ में लीगको पुनः जीवित किया था। यह जिनाका ही दम था जो नेहरू रिपोर्टके प्रश्नपर पैदा हुई फूटको दूरकर फिर लीगको सघटित करनेका प्रयत्न कर रहा था। जब जब उन्होंने देखा कि गर्म बहससे लीगमें फिर फूट पडनेकी सम्भावना है, तब तब उन्होंने लीगकी कौंसिलकी बैठकको स्थगित कर दिया। जिनाके १५ सूत्र निम्नलिखित थे—

(१) भावी विधानकी रूपरेखा सपात्मक हो और प्रान्तोंको पूर्ण प्रान्तीय स्वाधीनता प्राप्त हो।

(२) सब प्रान्तोंको एक ही स्वाधीनता प्राप्त हो।

(३) देशकी सभी विधायिकाओ तथा अन्य निर्वाचित सस्थाओंका पुनर्निर्माण प्रत्येक प्रान्तके अल्पसख्यकोंके पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्वके निश्चयात्मक सिद्धान्तके आधारपर हो और ऐसा करनेमें किसी प्रान्तकी बहुसख्यक जाति अल्पसख्यक या समान संख्यक न की जाय।

(४) केन्द्रीय विधानसभामें एक तिहाईसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व न हो।

(५) वर्तमान समयकी भाँति ही पृथक् निर्वाचन-प्रणाली द्वारा साम्प्रदायिक दलोंका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। साथ ही इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि किसी समय कोई साम्प्रदायिक दल चाहे तो समुक्त निर्वाचनके पक्षमें पृथक् निर्वाचनको त्याग दे।

(६) किसी समय आवश्यकता पडने पर यदि प्रान्तोंका पुनः सीमाकरण हो तो उसका किसी प्रकार भी पजाब, बंगाल और सीमाप्रान्तके मुस्लिम बहुमतपर असर नहीं पडना चाहिये।

(७) प्रत्येक समाजको पूरी धार्मिक स्वाधीनता—अर्थात् धार्मिक विचार, पूजा, रीति रिवाज, प्रचार, सघ बनाने और शिक्षा देनेके अधिकारोंकी स्वाधीनता प्राप्त हो।

(८) किसी विधान मंडल या निर्वाचित सस्थामें कोई विधेयक, प्रस्ताव या उसका कोई अंश पास नहीं किया जायगा यदि उस सस्था-विरोधमें सम्बन्धित समाजके तीन चौथाई सदस्य उस विधेयक, प्रस्ताव अथवा उसके अंशको अपने समाजके हितोंके लिए हानिकारक समझकर उसका विरोध करते हैं या इस विरोधके स्थानपर दूसरे उपाय, जो सम्भव तथा व्यावहारिक हों, इस विरोधको सुलझानेके लिए अपनाये जायें।

(९) सिन्धको बम्बईसे पृथक कर देना चाहिये।

(१०) दूसरे प्रान्तोंकी भाँति सीमाप्रान्त और बलोचिस्तानमें भी सुधारोंको लागू कर देना चाहिये।

(११) विधानके अन्दर राज्य और स्वशासन संस्थाओंकी नौकरियोंमें कायभ्रमताकी आवश्यकता देखते हुए मुसलमानोंको उपयुक्त हिस्सा देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

(१२) विधानके अन्दर, मुसलमानोंके धर्म, संस्कृति, और व्यक्तिगत कानूनकी रक्षा तथा शिक्षा, भाषा, धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों, मुस्लिम सहायता संस्थाओंको उन्नतिके लिए तथा मुसलमानोंको राज्य और स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा दी हुई धन-सहायतामें उचित भागकी सुरक्षाएँ होनी चाहिये ।

(१३) केन्द्रीय अथवा कोई भी प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल विना उचित मुस्लिम प्रतिनिधित्वके नहीं बनना चाहिये । मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमसे-कम एक तिहाई होना चाहिये ।

(१४) भारतीय संघकी रियासतोंकी सम्मतिके विना केन्द्रीय विधानसभा विधानमें कोई भी परिवर्तन न कर सकेगी ।

(१५) वर्तमान समयमें, देशके विभिन्न विधान मंडलों व अन्य निर्वाचित संस्थाओंमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना अनिवार्य है और चूँकि सरकार अपने वादेके अनुसार मुसलमानोंको यह अधिकार दे चुकी है, इसलिए विना मुसलमानोंकी रायके यह अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता और जबतक मुसलमानोंको यह सन्तोष न हो जाय कि उनके अधिकार और हित ऊपर दिये गये तरीकोंसे सुरक्षित हैं तबतक वे किन्हीं भी शर्तोंपर या विना शर्तोंके संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी नहीं हो सकते ।

नोट—जिन सूत्रोंमें मुसलमानोंका अल्पमत है, वहाँ उनकी गंख्याके अनुपातमें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होनेके प्रश्नपर वादमें विचार किया जायगा ।

दिसम्बर १९२९ में पेशावरमें अपने वार्षिक अधिवेशनमें जमैयतुल-उलेमाने लीगकी माँगोंका समर्थन किया । राजनीतिक क्षेत्रमें कांग्रेसकी नीतिपर चलनेवाली जमैयतने पिछले वर्ष बार-बार दंगोंके कारण अपनेको कांग्रेससे अलग कर लिया । परन्तु १९३० में सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय जमैयत फिर कांग्रेसके साथ आ गया ।

हिन्दू महासभाने, जो चुपचाप मुस्लिम राजनीतिके उतार-चढ़ावोंको देख रही थीं, सर्व-दलीय सम्मेलनके बाद पुनः अपनी नीतिपर गौर किया, विशेषतया मुसलमानोंको दी जानेवाली उन सुविधाओंपर, जो राजनीतिक समझौतेके लिए महासभाने मान ली थीं और उसने फिर अपनी यह पुरानी नीति अपना ली कि मुसलमानोंके प्रति कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिये ।

## अध्याय २१

### सत्याग्रह

साइमन कमीशनने अप्रैल १९२९ के मध्यमें अपना काम खत्म कर दिया और ईद इंग्लैण्ड वापस चला गया। कांग्रेसी सरकार विरोधी कार्यावलीने दूसरा रूप ले लिया। कलकत्ता अधिेशनने गान्धीजीकी अध्यक्षतामें एक विदेशी-वस्त्र बहिष्कार समिति बनायी थी। समितिने बड़ी संख्यामें पुस्तिकाएँ व पर्चे निकालकर जनतासे विदेशी वस्त्रोंको त्यागने और जल डालनेकी अपील की थी। १९२९ के सुरुमें जगह जगह विदेशी वस्त्रोंकी होलियाँ भी जली थीं। कलकत्तेकी होलीके कारण मार्चके दूसरे सप्ताहमें गान्धीजीपर मुकदमा चला। उनपर गडबडी करनेका अभियोग था और उन्हें एक रूपमा जुर्मानेकी सजा हुई।

प्रत्यक्ष था कि कांग्रेस आनेवाले सघर्षकी तैयारी कर रही थी। गान्धीजीकी इच्छा पूरी न होने देनेके लिए सरकारने बड़े-बड़े नेताओकी अन्धाधुंध गिरफ्तारीकी नीति अपनायी। राजनीतिक और मजदूर कार्यकर्त्ताओंपर न जाने कितने मुकदमे चले और सजाएँ हुईं। कलकत्तेमें कांग्रेस कार्यकारिणीके सदस्य सुभाषचन्द्र वसुधर मुकदमा चला। मजदूर नेता भी सक्रिय थे। इस वर्ष बम्बईके सूती मिलोंके डेट लास और बंगालके जूट मिलोंके २५००० मजदूरोंने हड़ताल की थी। जनताको राष्ट्रीय आन्दोलनमें आनेके लिए प्रेरित करनेके उद्देश्यमें हिन्दुस्तानी सेवादल हर मासके अन्तिम रविवारको राष्ट्रीय झण्डादिवस मनाता। इस दिन सत्रे आठ बजे देशभरमें राष्ट्रीय त्रिरंग झण्डा फहराया जाता। उदारदल या नरमदलके नेता स्थितिको आसकापूर्वक देख रहे थे और उन्होंने वाइसरायको सलाह दी कि सभावित आन्दोलन रोकनेके लिए गान्धीजीसे समझौता कर लिया जाय। ३१ अक्टूबरको वाइसरायने एक वक्तव्य द्वारा भारतको डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्वराज्य देनेका वचन दिया पर इसके लिए कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की। उन्होंने अपने वक्तव्यमें इतना कहा कि भारतके भविष्य के विधानके लिए एक गोल्मेज सम्मेलन होगा। वाइसरायके वक्तव्यका कांग्रेसी नेताओंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी २३ दिसम्बरको गान्धीजीको वाइसरायसे मिलनेका निमन्त्रण मिला। उस दिन गान्धीजी और मोतीलाल नेहरू एकमत और जिना, विट्टल्भाई पटेल व तेजवहादुर सभू दूसरे नरमदलीय मतके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे वाइसरायसे मिले और खाली हाथ वापस लौट आये। गान्धीजीने वाइसरायसे पूछा कि क्या गोल्मेज सम्मेलनमें पूर्ण 'औपनिवेशिक स्वराज्य'के आधार पर बात होगी? वाइसरायने इस प्रश्नके उत्तरमें स्पष्ट 'हाँ' कहनेमें अयमर्थता प्रकट की।

कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन निकट आ रहा था। इस प्रान्तोंने गान्धीजी, पॉंचने वल्लभभाई पटेल और तीनने जवाहरलाल नेहरूका नाम अध्यक्षपदके लिए प्रस्तावित किया था। गान्धीजी निर्वाचित घोषित हुए, पर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया और नया अध्यक्ष चुननेके लिए बुलायी गयी कांग्रेस महामितिकी बैठकमें मुझाव दिया कि जवाहरलाल नेहरू उनकी जगह अध्यक्ष बनाये जायें। उनकी इच्छा पूरी हुई।

१९२९ का ऐतिहासिक अधिवेशन हर वर्षकी तरह दिसम्बरमें लाहौरमें जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें होना तय हुआ। नेहरूजीने अपने भाषणमें कहा—“आज ब्रिटिश साम्राज्य दुनियाके बड़े-बड़े इलाकोंकी जनताकी इच्छाके विरुद्ध करोड़ों व्यक्तियोंपर शासन कर रहा है। यह सच्चा राष्ट्रमण्डल या कामनवेल्थ तबतक नहीं बन सकता, जबतक साम्राज्यवाद इसका आधार है और दूसरी जातियोंका शोषण इसके जीवनका सहारा। वास्तवमें यह साम्राज्य धीरे-धीरे राजनीतिक रूपसे छिन्न-भिन्न हो रहा है।” नेहरूजीने आगे कहा—“भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है। इस कांग्रेसने न कभी यह स्वीकार किया है और न कभी स्वीकार करेगी कि ब्रिटिश पार्लमेंट एगपर शासन करे। हमें पार्लमेंटसे कोई अपील नहीं करनी है लेकिन हम विश्वकी अन्तरात्मा और विश्वरूपी पार्लमेंटमें अवश्य अपील करते हैं और कहते हैं कि भारत अब विदेशी दासता स्वीकार नहीं करता, सहन नहीं करता।”

मुख्य प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसने घोषणा की कि कांग्रेस विधानकी पहली धारामें आवे शब्द ‘स्वराज्य’ का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है और औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी नेहरू समितिकी पूरी योजना समाप्त हो गयी। प्रस्तावमें कांग्रेस-जन तथा अन्य उन लोगोंसे अपील की गयी थी, जो राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेवाले थे कि वे भविष्यके चुनावोंमें हिस्सा न लें; विधान-मण्डलोंके कांग्रेसी सदस्योंसे इस्तीफा देनेको कहा गया था। प्रस्तावका आन्दोलन सम्बन्धी अंश इस प्रकार था—“कांग्रेस राष्ट्रसे अपील करती है कि वह उत्साहपूर्वक रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करे और कांग्रेस महासमितिको अधिकार देती है कि जब भी वह ठीक समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर दे; हम आन्दोलनमें वारवन्दी आन्दोलन भी शामिल हो सकता है; महासमिति सीमित या असीमित धर्मोंमें जो शर्तें ठीक समझें उनके अनुसार आन्दोलन चलावे।” अल्प संख्यकोंके सम्बन्धमें प्रस्तावमें कहा गया था कि कांग्रेसको ऐसा कोई भी विधान स्वीकार न होगा जिसमें अल्प-संख्यकोंके लिए पूरे पूरे हित-रक्षात्मक प्रतिबन्ध न रखे गये हों।

दिसम्बरके इस आखिरी सप्ताहमें लाहौरमें बड़ी सर्दी थी। जो काफी कपड़ा नहीं लाये थे, वे ठिठुर रहे थे। इसलिये कांग्रेसने तय किया कि भविष्यके अधिवेशन परवरी या मार्चमें हुआ करे। १८८५ में अपने जन्मसे ही कांग्रेसके अधिवेशन बड़े दिनकी छुट्टियोंमें हुआ करते थे। १९२९ का अन्तिम दिन था। आधी रातको जब साल खत्म हो रहा था सभी प्रतिनिधि बाहर निकले और पूर्ण स्वराज्यका झण्डा फहरा दिया। सरकारको दिया गया एक वर्षका समय समाप्त हो चुका था। नियतिकी घड़ी आ गयी थी।

वर्षके आरम्भमें कांग्रेसजनोंके विधानमण्डलोंसे इस्तीफा देनेके साथ ही संघर्षके दादल उमड़ उठे थे। कांग्रेसने २६ जनवरीको पूर्ण स्वतन्त्रता-दिवस मनाना तय किया। उन दिन रविवार था। कार्यसमितिके एक प्रस्ताव स्वीकार कर सभी मातहत समितियोंसे सार्जनिक सभाओंमें इसी प्रस्तावको स्वीकार करनेको कहा था। यह प्रस्ताव एक प्रणके रूपमें, इस प्रकार था—“हमारा विश्वास है कि अन्य देशोंकी भाँति भारतवासियोंका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करें, अपने परिश्रमके फलका उपभोग करें और जीवनकी आवश्यकताएँ पूरी करें ताकि विकासकी सारी सुविधाएँ उन्हें मिल सकें। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार जनताके इन अधिकारोंको छीनकर उसका दमन करती है तो जनताका यह भी अधिकार होता है कि वह उस सरकारको खत्म कर दे या



बदल दे। भारतमें अंग्रेज सरकारने न सिर्फ भारतवासियोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण किया है, बल्कि उसने जनताका शोषण अपना आधार बना लिया है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे देशको बरबाद कर दिया है। हमारा यह भी विदवास है कि भारतको ब्रिटेनसे नाता तोड़कर पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति करनी चाहिये। इस लम्बे प्रस्तावमें बताया गया था कि किस प्रकार ब्रिटिश मालके लिए देशी घरेलू धनके नष्ट-भ्रष्ट किये गये, ब्रिटिश व्यापारकी सहायताके लिए तटकर और मुद्रा-विनियम चलाया गया; भारतीयोंसे भाषण और सघटनकी स्वतन्त्रता छीन ली गयी, पूर्ण रूपसे शस्त्रविहीन बना दिये जानेके कारण भारतीय पुरुषत्वहीन हो गये है। अन्तमें प्रणके रूपमें कहा गया था—“हमारा पक्का विश्वास है कि यदि हम केवल अपना स्वेच्छापूर्ण सहयोग वापस ले लें और उच्छेजनामें भी हिंसा किये बिना, कर देना बन्द कर दें तो इस अमानवीय शासनका अन्त निश्चित है।”

गान्धीजी सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी तैयारी कर रहे थे, किन्तु शान्तिवादी और मुल्हमे विश्वास करनेवाले होनेके नाते उन्होंने वाइसरायको एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक ‘बग इण्डिया’ के एक लेखमें उन्होंने वाइसरायको निम्नलिखित शर्तें बतायी और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान ले तो उसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नाम भी न सुन पड़ेगा—

१—पूर्ण नशाबन्दी हो;

२—मुद्रा विनियममें एक रुपया एक शिलिंग चार पैसेके बराबर माना जाय,

३—मालगुजारी आधी कर दी जाय और उसे विधानमण्डलके नियन्त्रणमें रखा जाय,

४—नमकपर लगनेवाला कर बन्द हो;

५—फौजी खर्च कम हो, शुरूमें उसे आधा तो कर ही दिया जाय,

६—बड़े अपसरोकी तनख्वाहे आधी या उससे कम कर दी जायें, ताकि कम आमदनीमें सरकार काम चला सके।

७—विदेशी वस्त्रोंपर तटकर लगाया जाय, ताकि देशी उद्योगका संरक्षण हो;

८—तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाय,

९—हत्या या हत्याकी चेष्टामें दण्डित बन्दिओंको छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये जायें, सभी मुद्दामें वापस लिये जायें, दफा १२४, ए और १८१८ का तीसरा विनियम रद्द किया जाय और भारतसे निर्वासित किये गये सभी लोगोंको भारत आने दिया जाय,

१०—खुफिया पुलिस तोड़ दी जाय या इसे जन नियन्त्रणमें रखा जाय,

११—जननियन्त्रणमें आत्मरक्षाके लिए बन्दूक आदि हथियारोंके लैस दिये जायें।

सरकारकी ओरसे कोई उत्तर नहीं मिला; इतना ही नहीं आन्दोलन छिड़नेपर, उसे अधिक सफलता न मिले, इसलिए सरकारने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंकी गिरफ्तारियाँ जारी रखी। नेताओंमें सुभाषचन्द्र बसु भी गिरफ्तार हुए और ११ अन्य व्यक्तियोंके साथ उन्हें एक बर्षकी कड़ी कैदकी सजा हुई। जिन साधारण कानूनोंकी शक्तिसे सरकारने अपने अधिकार बटा लिये थे, उनमें किसीको भी, किसी भी भाषणके लिए दण्ड दे देना आसान था।

कांग्रेस कार्य समितिने अब आन्दोलनका कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया।

आजादीके लिए लड़नेवालोंमें अनुशासन लानेके प्रश्नपर विचार हुआ। फरवरीकी बैठकमें कार्य-समितिके निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया।

“कार्य-समितिके मतमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन उन व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ और नियन्त्रित किया जाना चाहिये जो पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए सिद्धान्त रूपमें अहिंसामें विश्वास करते हैं, और चूँकि कांग्रेस संस्थामें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वर्तमान परिस्थितियों अहिंसाको नीतिके रूपमें स्वीकार करते हैं, कार्यकारिणी इस सुझावका स्वागत करती है कि गान्धीजी और उनके वे सहयोगी जो अहिंसामें सिद्धान्त रूपमें (नीति रूपमें नहीं) विश्वास करते हैं, जिस टंगसे, जिस सीमातक, जब वे ठीक समझें सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करें। कार्यसमितिका विश्वास है कि आन्दोलन छिड़ने पर सभी कांग्रेसजन व अन्य लोग इन विनयशील प्रतिरोधियोंको हर तरहसे सहयोग देंगे और हर परिस्थितिमें, उच्छेजनाके बावजूद शान्त रहेंगे। कार्यसमितिको आशा है कि यदि आन्दोलन सार्वजनिक रूपमें छिड़ा तो सरकारसे स्वेच्छापूर्ण सहयोग करनेवाले सभी लोग—जैसे कि वकील और जो सरकारसे तथाकथित सुविधाएँ प्राप्त करते हैं—जैसे कि छात्र, सरकारसे अपना सहयोग बन्द कर देंगे तथा सुविधाएँ लेनेसे इनकार कर देंगे और आजादीकी आखिरी लड़ाईमें जुट जायँगे।

“कार्यसमितिका विश्वास है कि नेताओंके गिरफ्तार होने या सजा पाने पर जो लोग पीछे हट जायँगे और जिनमें सेवा व त्यागकी भावना है, वे कांग्रेसका संघटन चलायेंगे और अपनी योग्यतानुसार आन्दोलन चलायँगे।”

कार्यसमितिका यह प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिके स्वीकार कर लिया और गान्धीजी व उनके सैद्धान्तिक अनुयायियोंको सविनय प्रतिरोध आन्दोलन चलानेका अधिकार दे दिया।

यह गान्धीजीपर ही छोड़ दिया गया था कि किस अनुचित कानूनको सत्याग्रही तोड़ना शुरू करें। गान्धीजीने नमक कानून छाँटा क्योंकि इस कानूनका प्रभाव देशके हर गरीब अमीर इन्सानपर पड़ता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतमें नमकपर कर पहली बार अंग्रेजोंके राजमें ही लगा। अंग्रेजोंने एक तो अपनी आमदनी बढ़ानेके लिए और दूसरे भारतीय नमक बँहगा कर अंग्रेजी नमक भारतमें बेचनेके लिए यह कर लगाया था। जो अंग्रेजी जहाज भारतसे माल भरने आते थे वे नमक लाने लाने थे।

गान्धीजीने तय किया कि कुछ चुने हुए साथियोंके साथ किसी नमक गोदाम जाकर वे कानून तोड़ेंगे। उन्होंने वाइसरायको अपना यह निर्णय बताते हुए एक पत्र लिखा। २ मार्च १९३० के इस पत्रमें गान्धीजीने सावरमती आश्रमसे वाइसरायको बताया था कि वे कानून क्यों तोड़ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया ‘मैं ब्रिटिश शासनको अभिशाप क्यों मानता हूँ’ और उसी पत्रमें उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया—

“इसने भारतके करोड़ों मूक प्राणियोंको बढ़ते हुए शोषण और ऐसे लचीले कौजी और नागरिक प्रशासनसे गरीब बनाया है जिसका खर्च यह देश बरदाश्त नहीं कर सकता।

“इसने हमें राजनीतिक दृष्टिसे गुलाम रखा है। इसने हमारी संस्कृतिकी जड़ें काट दी हैं। निःशस्त्रीकरण द्वारा इसने हमें आध्यात्मिक पतनकी ओर खींचा है। आन्तरिक शक्तिके अभावमें इस लगभग पूर्ण निःशस्त्रीकरणके कारण हम भीस्तापूर्ण असहाय स्थितिमें हैं।”

“अनेक देशवासियोंकी तरह मैं भी इस आशाको गले लगाये रहा कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनसे कोई हल निकलेगा। लेकिन, जब आपने साफ-साफ कह दिया कि आप

या ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्यके संरक्षका आडवासन नहीं दे सकते तब इस सम्मेलनसे वह हल निकलना सम्भव नहीं है जिसके लिए मुखर भारत चेतन मनसे और मूक भारत अचेतन मनसे लालायित है।

“यह निलकूल स्पष्ट है कि उत्तरदायी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी नीतिमें ऐसा कोई परिवर्तन करनेकी तैयार नहीं हैं, जिससे ब्रिटेनके भारतीय व्यापारपर आँच आये या भारतमें ब्रिटिश क्रिया-कलापकी बड़ी जाँचकी सम्भावना पैदा हो। अगर यह शोषण बन्द न हुआ तो भारतका रूतु और तेजीसे चूसा जायगा।

“फिर सिर्फ़ मालगुजारी ही कम करनेकी जरूरत नहीं है, पूरी माल व्यवस्था इस प्रकार बदलनी है कि रैयतकी भलाई उसका प्रथम कर्त्तव्य बन जाय। लेकिन ब्रिटिश प्रणालीका उद्देश्य तो रैयतकी जान ले लेना मात्र ही पड़ता है। जो नमक जीवन धारण करनेके लिए खाया जाता है, उसपर भी इस प्रकार कर लगता है कि उसका सारा बोझ उम्मी रैयतपर पड़े—चाहे वह गरीब अमीर सबपर निर्दय समानताके साथ लगता हो। यह कर गरीबोंपर और भी बड़ा अन्याय तब साबित होता है, जब यह देखा जाय कि गरीब अकेले और सामूहिक रूपसे दोनों तरह अमीरोंसे ज्यादा नमक खाते हैं।

“ये अन्याय दुनियाका सभसे खराब और मँहगा शासन कायम रखनेके लिए किये जाते हैं। आप अपनी ही तनखाह स्वीजिये। जो अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत कुछ आपकी मिलता है, उसे छोड़ भी दें तो भी आपका २१.०००) महीना मिलता है। मुद्रा विनिमयकी वर्तमान दरसे ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीको सिर्फ़ ५४००) महीना मिलता है। आपको ७००) प्रति दिन मिलता है जब कि भारतीयोंकी औसत आमदनी दो आने रोजसे भी कम है। ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीको १८०) रोज मिलते हैं जब कि वहाँके नागरिकोंकी औसत आमदनी २) रोज है। इस प्रकार आप औसत भारतीयोंसे पाँच हजार गुना ज्यादा पाते हैं, जब कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री औसत ब्रिटिश नागरिकसे ९० गुना ज्यादा पाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करें। एक कष्टदायक सत्यके लिए मैंने व्यक्तिगत उदाहरण लिया। लेकिन व्यक्तिगत रूपसे आपके लिए मेरे हृदयमें इतना आदर है कि मैं आपकी भावनाको टेश नहीं पहुँचाना चाहता। मैं जानता हूँ कि आपकी इस वेतनकी आवश्यकता है। सम्भवतः आपका सारा वेतन दानमें चला जाता है। लेकिन जिल प्रणालीमें इस प्रकारकी व्यवस्था हो उसे तो पौरुष ही खत्म करना चाहिये। जो बात वाइसरायके वेतनके सम्बन्धमें कही जा सकती है, वही पूरी नौकरशाहीके बारेमें।

“इसके लिए सरकारी प्रणालीमें ही परिवर्तन जरूरी है और यह स्वराज्यके बिना असम्भव है। मेरी रायमें, २६ जनवरीके विराट आकस्मिक प्रदर्शनोका जिनमें लाखों किसानों ने भाग लिया, यही कारण है। उनके लिए स्वराज्यका अर्थ है इस जानरेवा बोझसे छुटकारा।

“फिर भी यदि भारतको एक राष्ट्रके रूपमें रहना है और यहाँकी जनताको सुखमयीसे धीरे धीरे मरने नहीं देना है, तो स्थितिके तत्काल सुधारका कोई उपाय निकालना होगा। प्रस्तावित सम्मेलन वह उपाय नहीं है।”

आगे गान्धीजीने ब्रिटिश शासनको बुराईयोगे लड़नेके लिए सविनय अज्ञा आन्दोलनकी अपनी योजना समझाते हुए लिखा—“लेकिन, यदि आपने इन बुराईयोंको दूर

करनेका रास्ता न निकाला और मेरे अनुरोधका आपपर कोई प्रभाव न हुआ तो हम महीने-की ११ तारीखको मैं आश्रमके ऐसे सहयोगियोंको लेकर नमक कानूनका उल्लंघन करने निकटूँगा जो मेरे साथ चल सकेंगे। निर्धन लोगोंकी दृष्टिसे मैं इस नमक करको सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मानता हूँ। चूँकि स्वतन्त्रता आन्दोलन अनिवार्य रूपसे देशके निर्धनोंके लिए है, इस बुराईको दूर करनेके प्रयत्नोंसे ही शुरुआत होगी। आश्चर्य तो यह है कि इस नृसंहारकारीका हम अवतक चरदास्त करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार कर मेरी योजना टप कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे बाद हजारों, लाखों व्यक्ति अनुशासित ढंगसे नमक कानून तोड़कर उस दण्डके भागी होंगे जो ऐसे कानूनके अन्तर्गत मिलेगा जिसे कभी बनना ही नहीं चाहिये था।

“मैं जहाँतक हो सकता है आपको या किसी औरको अनावश्यक परेशानी या व्यग्रतामें नहीं डालना चाहता। अगर आप इस पत्रमें तथ्य पायें और मसलोंपर मुझसे बातचीत करना चाहें, हमलिये इस पत्रका प्रकाशन स्थगित कराना चाहें तो आप इसे पाते ही मुझे तार दे दें, मैं खुशीसे प्रकाशन स्थगित कर दूँगा। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जबतक आप मेरे पत्रमें लिखी बातोंके तथ्यसे महमत न हों मुझे मेरे पथसे विचलित न करें।”

इस पत्रको एक अंग्रेज—रेजिनाल्ड रेनोल्ड्स, जो सावरगती आश्रममें कुछ दिनों रह चुके थे, लेकर वाइसरायके पास गये। उत्तरमें वाइसरायने मिर्फ इतना कहा कि “मुझे स्वेद है कि गान्धी वह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शान्ति भंग होना अनिवार्य है”। गान्धीजीने इस जवाबके बाद कहा—“मैंने घुटने टेककर रोटी माँगी थी, पर मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति परैचानता है और मुझे वाइसरायके पत्रमें आश्चर्य नहीं हुआ है। राष्ट्रको केवल एक ही सार्वजनिक शान्ति शांत है, और वह है जेलकी शान्ति। भारत एक बहुत बड़ा जेल है। मैं इस कानूनको नहीं मानता और उद्गार प्रकट करनेमें असहाय राष्ट्र-हृदयको मसलनेवाली इस लादी गर्थी शान्तिकी शांक्रमय एकरसताको भंग करना अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ।”

१२ मार्चको ७५ साथियोंके साथ गान्धीजी डाँडीतटके लिए रवाना हुए। संवाददाताओं, फिल्म व फोटो खींचनेवालों और विभिन्न प्रान्तोंके कांग्रेसजनों व किसानोंके जत्थे पीछे-पीछे चले। लेकिन फिल्मवालोंको निराश होना पड़ा, क्योंकि उन्हें फिल्म खींचनेमें तो नहीं रोक़ा गया, पर चर्खा-तकली लिये, मिर्फ भोती पहने गान्धीजीकी इस यात्राके फिल्मके प्रदर्शनपर रोक लग गयी। सावरगतीसे डाँडीकी २०० मीलकी यात्रा २४ दिनमें पूरी होनी थी। गान्धीजीने कहा था कि जबतक वे डाँडी न पहुँच जायें और लोग सत्याग्रह शुरू न करें। लेकिन यह समझकर कि शायद उन्हें गन्तव्य स्थानतक न पहुँचने दिया जाय, विनयशील प्रतिरोधियोंके लिए कुछ बातें बता दी थीं। उन्होंने एक लेख लिखा था—“हम वार मेरे गिरफ्तार होने पर निष्क्रिय नहीं, सक्रिय अहिंसा होगी, जिससे इस प्रयत्नके अन्तमें, भारतकी स्वाधीनताप्राप्तिके लिए अहिंसामें सिद्धान्त रूपमें विश्वास करनेवाला कोई भी व्यक्ति जेलके बाहर जीवित रूपमें इस दासताको सहनेके लिए नहीं वचेंगा। इसलिए सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधमें—जैसा उसे मेरे उत्तराधिकारी या कांग्रेस चलायें, भाग लेना हर एक व्यक्तिका कर्त्तव्य होगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस समय मेरा कोई अखिल

भारतीय उत्तराधिनारी नहीं है.....प्रत्येक व्यक्तिको तबतक अपने कर्त्तव्यपर दृष्टे रहना चाहिये तबतक प्रधान उसका आह्वान न करे। यदि दृष्ट्याते सार्वजनिक सहयोग हुआ—जैसी कि मुझे आशा है तो आन्दोलन अधिकारतः स्वयं चालित ही होगा। लेकिन हर वह व्यक्ति जो अहिंसामें विश्वास रखता है—चाहे सिद्धान्त रूपमें चाहे नीति रूपमें, आन्दोलनमें सहायक होगा। सार्वजनिक आन्दोलनोंमें दुनिया भरमें नये नेता पैदा होते हैं। इसलिए, हालाँकि हिंसक शक्तियोंको रोकनेकी हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिये, इस बार चलाया गया सन्निव अग्रा आन्दोलन तबतक नहीं रचना चाहिये और नहीं रवेगा जबतक एक भी सत्याग्रही जिया या जेलके बाहर है। सत्याग्रही या तो जेल या इन्हींसे मिलती जुलती स्थितिमें होगा, या अवज्ञा आन्दोलनमें लगा होगा या आदेशानुसार स्वराज्य लानेवाले चर्खा चलाने जैसे रचनात्मक कार्योंमें सतम्न होगा।

गान्धीजीके दलके डौटीके लिए खाना होनेके पहले वल्लभभाई पटेल गान्धीदलके अग्रदूतकी तरह चल चुके थे। वे गिरफ्तार कर लिये गये और आन्दोलनकी गति बढ गयी। नावरमतीके मैदानमें ७५,००० व्यक्तियोंने इकट्ठे होकर प्रण किया कि जबतक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता, न तो हम स्वयं चैन लेंगे और न सरकारको चैन लेने देंगे। गान्धीजीने उनके समक्ष भाषण करते हुए कहा—“अब पॉसा पढ चुका है और लौटाया नहीं जा सकता; गान्धीने पहले सार्वजनिक अवज्ञा आन्दोलनके प्रयोगके लिए तुम्हारा तालुका छॉटा है, उसको उस पसन्दको सही साबित करना तुम्हारा काम है ... मैं जानता हूँ कि तुममें से कुछ लोगोंको अपनी जमानें छिन जानेका डर है। वह छिनना क्या है? क्या वे जमानोंको इगलैण्ड उठा ले जावेंगे? तुम विश्वास रखो कि अगर तुम जमान छिनवानेको तैयार हो तो पूरा गुजरात तुम्हारे साथ है।” गान्धीजी जब डौटीकी यात्रामें थे, २१ मार्चको कांग्रेस महासमितिये जनताको साजधान किया कि जबतक हमारा नेता डौटी पहुँचकर स्वयं नमक नानून भंग न कर ले कोई अन्य व्यक्ति तबतक आन्दोलन न करे। गान्धीजीकी महामतिये महासमितिये एक शपथ बनायी जिसपर हर सत्याग्रहीको हस्ताक्षर करने थे। इस शपथ द्वारा सत्याग्रही आन्दोलनमें जेल जाने तथा अन्य दष्ट स्वीकार करनेका वादा करता। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे, सरकारी बाधाओंके बावजूद, सार्वजनिक आन्दोलनकी तैयारियों पूरी करनेको कहा गया।

गान्धीजी रातमें समाओंमें भाग करते जाते थे। एक जगह उनका भाषण सुनकर २०० पटेलोंने सरकारी नौजरीमें इस्तीफा दे दिया।

गान्धीजी ५ अप्रैलको डौटी पहुँच गये। ६ अप्रैलको जालियॉनाला वाग नरमेघके अतिरमणीय दिन देवाभरमें नमक सत्याग्रह शुरू होनेका निश्चय हुआ था। उस दिन प्रातः-कालीन प्रार्थनाके पौरन बाद गान्धीजी अपने अनुयायियोंके साथ कानून भंग करने चले; उन्होंने सन्नतटपर पडे नमकको उठा लिया। कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। गान्धीजीने एक प्रेस वक्तव्यमें कहा—“नमक कानून जाधे या व्यनदार रूपमें भंग हो चुका है और अब हर वह वरिच जो मुकदमेका खतग उठानेको तैयार है, जहाँ और जब चाहे नमक बनानेको स्वतन्त्र है। मेरी सलाह यह है कि कार्कत्ता हर जगह नमक बनावे और जहाँ साज नमक बनाना सम्भव है वहाँ उसका प्रयोग भी करे; साथ ही आमवाशियोंको साथ नमक बनानेकी निंद बतारें और साथ ही उन्हें बताते जावें कि वे इसके लिए दण्ड पा सकते हैं.....” प्रान-

वासियोंको यह साफ-साफ बतया दिया जाय कि कानून भंग करना चोरी-छिपे नहीं, खुले आम होना है। नमक कानूनके विरुद्ध यह युद्ध राष्ट्रीय सत्ताके अन्ततक अर्थात् १३ अप्रैल तक चले।”

गान्धीजीकी यात्रामें प्रतिदिन बढ़ता जनताका संचित उत्साह ६ अप्रैलको प्रभावित हो चला। सरकारको तैयारीका काफी समय मिला था; पुलिस बन्दूक भंग, संगीन लगाये तैयार थी। उस दिन देश भरमें सार्वजनिक सभाएँ हुईं, बड़े शहरोंमें इनमें लाखोंमें भाग लिया। एक तरफ गान्धीजीका सन्देश मुननेको आतुर निहत्थी जनता थी; दूसरी तरफ सशस्त्र बुद्धमवार पुलिस कानून भंग किये बिना भी भीड़पर गोली चला देनेको उद्यत। सभाओंमें आये सभी लोग सत्याग्रही नहीं थे, उनमेंसे बहुतसे लोग गान्धीजी और उनके आन्दोलनमें श्रद्धा करते थे पर घरेलू कारणोंसे कानून भंग नहीं करना चाहते थे। उनका एवमात्र उद्देश्य सभाओंमें भाग लेकर घर लौट आना था। लेकिन सभा-स्थलोंपर पुलिस आतंक जमानेके लिए एकत्र थी। पुलिसकी आम चाल यह थी कि सभाके संयोजकोंसे सभा बरखास्त करनेके लिए कहकर विवाद करना; और संयोजकके शान्तिपूर्ण सभा करनेके अपने नागरिक अधिकारका हवाला देकर सभा भंग करनेसे इनकार करते ही; इसमें और सत्याग्रही जनतामें भी आत्म-सम्मान उभारता; पुलिस भीड़को तितर बितर करनेके लिए गोली चला देती और जनता अहिंसाके अनुशासनमें निष्क्रिय रूपसे इसे स्वीकार करती; धीरे धीरे दोनों ओर भावावेश बढ़ता जाता; जनता अपने नागरिक अधिकारके प्रयोगके लिए दृढ़ होती; पुलिस और गुंडास होकर गोलियोंसे उसे भून देती और लाठियोंसे घायल कर देती।

आन्दोलनके दिनोंमें भारतका दौरा करनेवाले अंग्रेज ब्रेक्सफोर्डने ब्रिटिश पत्र 'मिन्चेस्टर गार्जियन' में १२ जनवरी १९३१ को लिखा—“यदि ऐसी सभाएँ हमेशा या आम तौरपर होने दी जातीं तो कोर्ट अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन जैसा हुआ—खास कर बम्बईमें, यह था कि भीड़ हटानेके इस भौंडे तरीकेने पूरे नगरमें रोंप भर दिया; लाठी खाना आत्म-सम्मानका प्रश्न बन गया और जहाँद होनेकी भावनामें सैकड़ों स्वयंसेवक मरे और मिटने गये।”

६ अप्रैलको नमक कानून देशमें अनेक जगहोंपर तोड़ा गया। नमक ऐसी जगहोंपर भी बनाया गया जहाँ इस सैनिकानूनी नमककी कामत मामूली कामतसे कहीं ज्यादा बैठती। कानून भंग करना हमें जारी रहा। पुलिस सत्याग्रहियोंको बेरहमीसे पीटती और बातनाएँ देती रही।

गिरफ्तारोंके पहले वाइसरायको लिखे गये गान्धीजीके दूसरे पत्रसे इन अत्याचारोंका कुछ भास होता है। गान्धीजीने लिखा था—“मुझे आशा थी कि सरकार सत्याग्रहियोंसे सभ्य हंगसे लड़ेगी। यदि सरकार सत्याग्रहियोंने निपटनेके लिए न्याय और नियमोंके सामान्य पालनसे संतुष्ट हो जाती तो मुझे कुछ नहीं कहना था। लेकिन, जाने गाने नेताओंके साथ तो थोड़ी बहुत न्यायव्यवस्था टीक करती गयी है, पर आम सत्याग्रहियोंपर जंगली और अमर्य्य हंगसे हमला किया गया है। यदि ऐसी घटनाएँ दफ्ती-दुबकी या छिटफुट होतीं तो इन्हें नजर-अन्दाज किया जा सकता था। लेकिन बंगाल, बिहार, उत्कल, संयुक्त प्रान्त, दिल्ली और बम्बईमें मेरे पास विवरण आये हैं जो गुजरतके मेरे अनुभवोंकी पुष्टि करते हैं और जिनके मेरे पास काफी सबूत मौजूद हैं। कराची, पेशावर और मद्रासमें अनावश्यक रूपसे,

बिना किसी उतेजनाके गोली चला दी गयी। सरकारके लिए व्यर्थ, पर स्वयंसेवकोंका बहुमूल्य नमक छीन लेनेके लिए उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गयीं, उनके गुस्ताग दबाये गये। मथुरामें, बताया जाता है कि, एक सहकारी मजिस्ट्रेटने १० बर्गके एक बालकसे राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। एकत्र भीड़ने इस तरह गैरवानूजी टगसे छीने गये झण्डेको वापस माँगा पर उसे नृशसतापूर्वक लाठियोंसे खदेड़ा गया। बगालमें नमकको लेकर बस ही हमले और गिरफ्तारियों हुईं, पर स्वयंसेवकोंसे झण्डे छीननेमें ऐसी बेरहमी बरतनेकी रिपोर्टें मिली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धानने खेत जला डालने और जबरदस्ती अन्न छीन लेनेके समाचार मिले हैं। गुजरातमें एक सब्जी मण्डीपर निकर इसलिये हमला बोल दिया गया कि वहाँ आफसरोने हाथ तरकारी बेचनेमें इनकार किया गया था।

हालाँकि सत्याग्रहियोंको पीटने और यातनाएँ देनेके लिए सरकारने रक्त न्यायके प्रशासनको तिताजलि दे रखी थी पर कुछ मामलोंमें न्यायका एक दौंग कायम रखना वाइसरायने आवश्यक समझा। उन्होंने बगाल आर्डिनंस जारी कर दिया और २७ अप्रैलको एक और आर्डिनंस जारी कर सन् १९१० का प्रेस कानून लागू कर दिया। गान्धीजीने प्रकाशकों और समाचारपत्रोंको “जमानत देनेमें इनकार करने और माँगे जाने पर या तो अपराध बन्द कर देने या फिर अधिकारियोंको जो चाहें उसे जन्त कर लेने देनेकी” मलाह दी। गान्धीजीने लिखा “जब स्वतन्त्रता हमारे दरवाजेपर थपकी दे रही है; उसके स्वागतमें महसूसने यातनाएँ सही हैं, सब पत्र प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जाना चाहिये कि उन्हें परखा गया पर वे खरे नहीं निकले”। गान्धीजीके मासाहिक ‘यग इण्डिया’के प्रकाशक नरजीवन प्रेससे जमानत माँगी गयी, पर गान्धीजीके आदेशपर जमानत देनेसे इनकार कर दिया गया। ‘यग इण्डिया’ साइकलोस्टाइलसे निकलने लगा। मर्दके मन्थमें काप्रेस कार्य-समितिकी बैठक इलाहाबादमें हुई और कार्यसमितिके जगतामें अपील की कि वह उन सभी “आयुध भारतीय या भारतीय पत्रोंका बहिष्कार कर दे जो जमानत माँगे जानेके बाद भी प्रकाशन जारी रखते हैं।”

मर्दके पहले हफ्तेमें गान्धीजीने वाइसरायको एक और पत्र लिखा, (जिसका एक उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है), जिसमें धरमानाके नमक कारखानेपर बच्चा करनेके लिए दूसरे प्रयाणका अपना निश्चय प्रकट किया। इस पत्रमें गान्धीजीने फिर वाइसरायसे नमक बर हटानेके लिए कहा “जिसकी आपके देशके बहुतसे प्रतिभाशाली व्यक्तियोंने बड़े शब्दोंमें आलोचना की है और अगला आन्दोलनमें परिलक्षित जिसका सार्वजनिक विरोध और निन्दा आपने भी देखी होगी।” इस बार धरमाना यात्राकी इजाजत नहीं मिली और ५ मई सन् १९१० को गान्धीजी गिरफ्तार कर यरवदा जेल ले जाये गये।

उनकी गिरफ्तारीका समाचार देशभरमें दाखानलकी तरह फैल गया। हर शहरमें बाजार-ब्यापार सब फीरन बन्द कर दिये गये। बम्बईमें ५० हजारमें ज्यादा मजदूर अपना काम छोड़कर प्रदर्शनमें भाग लेने सड़कोंपर निकल आये। जी० आई० पी० और वी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे कारखानोंके कर्मचारियोंने भी ऐसा ही किया। बम्बईके वस्त्र-व्यवसायियोंने ६ दिनोंतक बाजार बन्द रखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। सभी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थे; पर शोलापुरमें एक भीड़ने पुलिसकी छः चौकियाँ जला डालीं। पुलिसने भीड़-पर गोली चलाकर २५ को मार डाला और १०० को घायल कर दिया। हवडामें भी कुछ

अज्ञान्ति हुई और पुलिसने भीड़पर गोली चलायी। पाँच व्यक्तियोंमें अधिककें एक जगह इकट्ठे होनेपर रोक लगा दी गयी। जनताका सरकारके विरुद्ध रोप बढ़ता जा रहा था और बहुत-से आत्मसम्मानवाले व्यक्तियोंने सरकारी नौकरियों व अवैतनिक पदोंसे इस्तीफा दे दिया।

गान्धीजीकी गिरफ्तारीके बाद कांग्रेस कार्य-समितिकी जो बैठक मईमें हुई उसमें आशाभंगकी सीमा बढ़ा दी गयी। उसमें कुछ प्रान्तोंमें करवन्दी आन्दोलन लगानवन्दीसे शुरू करनेको कहा गया। कार्यसमितिने मध्यप्रान्तमें जंगलात कानून और दूसरे प्रान्तोंमें भी ऐसे ही कानून तोड़नेकी अनुमति दे दी और पुलिस व फौजसे सरकारी आदेशोंका उल्लंघन करनेको कहा।

इस बीच आन्दोलन जारी था। नमक कानूनका तोड़ना और उसके लिए दण्ड पाना प्रतिदिनकी घटनाएँ हो गयी थीं। लेकिन सत्याग्रहका लक्ष्य धरसाना था जो गान्धीजीकी दूसरी यात्राका लक्ष्य था। सैकड़ों स्वयंसेवक प्रतिदिन वहाँ धावा बोलते। या तो उन्हें टोंक पीटकर खदेड़ दिया जाता या वे गिरफ्तार कर लिये जाते। पहला जत्था अन्धास तैयवजीके नेतृत्वमें गया, दूसरा श्रीमती सरोजिनी नायडूके नेतृत्वमें। दो बड़े जत्थे २२० व ४४० स्वयंसेवकोंके थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। धरसानापर सबसे बड़ा धावा २१ मईको हुआ जब गुजरातके विभिन्न भागोंसे आये २५०० स्वयंसेवक वहाँ इकट्ठे हुए। गांधी सबसे बड़े जत्थेके मुकाबलेके लिए पुलिसने सबसे निर्मम हमला बोल दिया। २९० स्वयंसेवक घायल हुए, जिनमेंसे दोकी मृत्यु हो गयी। ३ जूनको २०० स्वयंसेवकोंके एक जत्थेकी भी यही हालत हुई।

‘न्यू फ्रीमैन’के संवाददाता चैव मिलरने पुलिसकी ज्यादतियोंका वर्णन करते हुए लिखा “२२ देशोंमें १८ वर्षतक संवादसंग्रहके काममें मैंने असंख्य उपद्रव, संवर्ष, गली-कूचोंमें जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैं। लेकिन धरसाना जैसे रंगटे खड़े कर देनेवाले सर्म्भेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी इतनी पीड़ाके दृश्य होते कि मुझे थोड़ी देरके लिए आँखें हटा लेनी पड़तीं। स्वयंसेवकोंका अनुशासन आश्चर्यजनक था। लगता था वे गान्धीकी अहिंसासे ओत-प्रोत हैं।” बडाला नमक डिपोपर भी स्वयंसेवक बार-बार धावा बोल रहे थे। लेकिन पहली जूनको सबसे बड़ा धावा हुआ। १५००० सत्याग्रहियों और अन्य व्यक्तियोंने भाग लिया। बडालामें भी पुलिसने लाठीचार्ज किया। “बर्ली नजरवन्दी कैम्पमें ३ जूनको बडालापर धावा बोलनेवाले लगभग ४००० बन्दियों और पुलिसमें कहा-मुनी हो गयी जिससे गम्भीर स्थिति पैदा हुई। पुलिसको दो बार लाठीचार्ज करना पड़ा, फौज बुलायी गयी और ९० व्यक्ति घायल हुए जिनमें २५ के गम्भीर चोटें लगीं।”

मद्रासमें सरकारने लम्बे-लम्बे जुमाने कर सत्याग्रहियोंको डरानेकी कोशिश की, पर यह नीति सफल न होने पर उसने भी पुलिसके डण्डेकी शरण ली और जनताको थसकाना शुरू किया। बाजारोंमें खदर पहने या गांधी टोपी पहने लोगोंको बिना कारण पीटा जाता। आंग्रमें कई जगह फौजी पुलिस तैनात की गयी। उसका यह नित्यकर्म था कि बाजारोंमें घूमा जाय और हर रास्तेमें मिलनेवाले हर खदरधारीको टोंका जाय। उसका यह रवैया



तभी एतद हुआ जब एलोरमें उसका मुजावला कर लिया गया, पुलिसने गोली चला दी जिसमें दो तीन व्यक्ति मारे गये और पाँच छः घायल हुए ।

४ जून, १९३० की बैठकमें कांग्रेस कार्यसमितिके जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसके अनुसार घरगणनामें पुलिसके अत्याचारोंमें “और अत्याचारोंके अलावा, सत्याग्रहियोंको तब-तक लाठियोंसे मारते जाना जबतक वे अचेत होकर गिर न जायें और फिर उनके शरीर चूटोंमें कुचलाना, सत्याग्रहियोंको नगा कर उनके गुनागोंमें ढण्डे ठूसना, एक बालकके शरीरमें बचलके कोंटे चुभोना और उसके अण्डकोपपर प्रहार करना” भी शामिल थे । प्रस्तावमें कहा गया था—“लखनऊमें अपने घरोंके छतों और गवाशोंमें खड़े लोगोंपर २६ मईको गोली चलाई गयी और उन्हें घायल किया गया । कुछ दूजाने भी पुलिस द्वारा खड़ी गयी ।”

मईके पहले मसालेमें ही कांग्रेसके लगभग सभी बड़े नेता पकड़े जा चुके थे । कांग्रेसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू १४ अप्रैलको गिरफ्तार किये गये और उनकी जगह मोतीलाल नेहरू कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए । गान्धीजीकी गिरफ्तारीके बाद अब्बास तैयबजी डिक्टेटर नियुक्त हुए, वे भी गिरफ्तार हो गये । २७ जूनको कांग्रेस कार्यसमितिके सत्याग्रहका एक नया रूप बताया । उसने जनताको राय दी कि जहाँ भी सम्भव हो वह सरकारसे अपना पावना रुपये या नोटोंमें न ले और सोना भोगे । कार्यसमिति सरकारी मुद्राओंसे जनताका विश्वास डिगा देना चाहती थी । पर इस प्रस्तावके प्रति जनताने विशेष उत्साह नहीं दिखाया ।

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा कार्यसमितिके जनतासे अपील की कि वह “उन सरकारी अफसरों व अन्य व्यक्तियोंका सामाजिक बहिष्कार करे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनको कुचलनेमें प्रत्यक्ष भाग लिया है । इस प्रस्तावका भी विशेष असर नहीं हुआ ।

३० जूनको कांग्रेस कार्यसमिति गैर-कानूनी सस्था घोषित कर दी गयी और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूको गिरफ्तार कर छः महीनेकी सजा दे दी गयी । कुछ प्रान्तीय व जिला कांग्रेस कमेटियाँ भी गैर-कानूनी सरघाएँ घोषित कर दी गयीं ।

उच्चाधिकारियोंके आदेशोंका पालन करते हुए पुलिसने जो असह्य अत्याचार किये, उनके वर्णनके लिए एक पूरी पुस्तक भी काफी न होगी । यहाँ कुछ उदाहरण भर दे दिये जाते हैं । पुलिसकी बर्बरताका प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए एक फ्रांसीसी महिलाने लिखा है—“इसमें सशय नहीं कि अंग्रेज अफसरोंको मातहनीमें भी पुलिस बहुधा सरकारके प्रति निष्प्राहीनताके लिए शारीरिक दण्ड देती है । कलकत्तेमें विश्वविद्यालयके छात्रोंमें खड़े कुछ छात्रोंने शान्तिपूर्ण जल्दरूपर पुलिसका बर्बर प्रहार देखकर ‘कायर’ कहा । दो घण्टे बाद, एक अंग्रेज अफसरके अधीन पुलिस विश्वविद्यालय वापस लौटी और वक्षामें बैठे छात्रोंको अन्धाधुन्ध पीटना शुरू किया । वक्षकी दीवालेंपर रतूने धक्के पड़ गये । विश्वविद्यालयके अधिकारियोंने इसकी शिनायत की पर पुलिसको कोई दण्ड नहीं मिला.....ऐसी ही घटना लाहौरमें हुई जहाँ एक अंग्रेज अफसरके नेतृत्वमें पुलिसने एक कालेजपर छाया मारा और सिर्फ छात्रोंको ही नहीं बल्कि अध्यापकोंको भी पीटा । इस हमलेके लिए यह बहाना लिया गया था कि कुछ छात्र ( मुझे विश्वास दिलाया गया कि वे एक दूसरे कालेजके थे ) सड़कपर शान्तिपूर्ण घटना दे रहे थे । कोण्ट ( बंगाल ) में एक निरीह शान्तिपूर्ण भीडको तितर-बितर करनेके लिए पाँच ग्रामीणोंको एक तालाबमें डकेल कर डुबा दिया

काम करनेकी इजाजत नहीं थी। एक व्यक्ति इस कटघरेमें छः हफ्तेसे बन्द था। कटघरा दिन-में सिर्फ एक बार पौन घण्टेके लिये खुलता था, जब बन्दी शौचादिसे निवृत्त होते थे।”

१ अगस्त १९३० को कांग्रेस कार्यसमितिके निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया—विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, नशाबन्दी, प्रान्तीय व केन्द्रीय विधानमण्डलोंका बहिष्कार, ब्रिटिश सामानका बायकाट, टाकरानों व बँस सर्टोंफिकटोंमें जमा रुपया पौन निकाल लेना, सरकारी गजटोंका बहिष्कार, सरकारी अफसरोंका बहिष्कार, पौज व पुलिससे सरकारी आदेशोंका उल्लंघन करनेकी अपीलवाला कार्यक्रमप्रस्ताव छापकर उनमें बाँटा जाना, लगान व दूसरे कर अदा न करना, व्यापार सम्बन्धी विवादोंका पत्र समझौता कर लेना, छानोसे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेकी अपील, अंग्रेजी जहाजी बीमा व बैंक कम्पनियोंसे सहयोग वापस लेना, स्वदेशीके प्रयोगका प्रचार।

गुजरातके बारदोली और वोरसद ताल्लुकोंमें पुलिसका दमन और अत्याचार इतना ब्यादा था कि ८०००० लोग वहाँसे पर छोड़कर पासकी बडौदा रियासतमें चले गये। इस निर्वागनका वर्णन करते हुए ब्रेट्सफर्डने लिखा है—“बहुतमें सजात करने पर मैं एक दृश्य अपने दिमागमें धना पाया। यह अफवा गोंवनी बात है, जो बोरान हो गया था। वहाँ कुछ भूमिहीन लोग रह रहे थे और कुछ किसान बडौदामे लौटकर खेत जोतने-बोने आ गये थे। २१ अक्तूबरको रातमें ३ बजे दस सिपाहियोंको एक मोटरमें लादे एक थानेदार उधरसे गुजरा। पुलिस उतर पडी और खेतोंपर सो रहे इन लोगोंको ठोकना शुरू कर दिया। फिर ये लोग खींचकर थानेदारके पास लाये गये। थानेदारने खुद उन्हें बूटकी ठोकरीं और हाथोंमें मारा। एक व्यक्ति तब भी लँगडाता था जब मैं वहाँ पहुँचा। एक और व्यक्तिके तब भी सूजन बनी हुई थी। थानेदारने दो भाइयोंके सिर लडा दिये। फिर उन्हें लारीमें बन्द कर बारदोलीकी हवालतमें ले जाया गया। वहाँ थानेदारने न छापने योग्य भाषामें बताया कि जिस प्रकार वह उन्हें ‘उनकी पत्नियोंके अयोग्य’ कर देगा। इस धमकीका वह अमर हुआ कि छोटे भाई-पर कोई लगान बकाया न होने पर भी उसने वापके पैतका ही बकाया अदा कर दिया। एक दूसरे मामलेमें थानेदारने एक राहगीरको पकडवा बुलाया, उसने रुपये छीन लिये और एक दूसरे गाँवके किसानका बकाया लगान उस रकमसे पूरा कर रसीद काट दी और इस अज्ञानबीनी भार पीटकर वह रसीद देकर कहा—जा कर उससे अपनी रकम वसूल कर।”

वोरसदमें पुलिसने “ओरतोंको गिराकर अपने बूटोंसे उनके सीने कुचल कर” २१ जनवरी १९३१ को आखिरी नरकके दर्शन कराये।”

गुजरातके लगानबन्दी आन्दोलनकी ‘काफी सफलता’ सरकारी तौरपर भी स्वीकार की गयी।”

लगानबन्दी आन्दोलन दूसरे प्रान्तोंमें भी छोटे पैमानेपर चला। संयुक्त प्रान्तमें किसानों व जमादारों दोनोंसे लगान व मालगुजारी न देनेकी अपील की गयी थी और आन्दोलन “देशके बड़े-बड़े इलाकोंकी जनतापर प्रभाव डाल रहा था।” विहारमें चौकीदारी कर बहुत

१. पट्टाभि सीतारमैया, द्वारा उद्धृत वही पुस्तक, पृष्ठ ४०७-९

२. पट्टाभि सीतारमैया द्वारा उद्धृत, ‘वही पुस्तक’, पृष्ठ ४२०

३. वही पुस्तक, पृष्ठ ४२०

४. ‘इण्डिया इन १९३०-३१’, पृष्ठ ८९

लोगोंने रोक लिया और इसके बदलेमें उनपर सामूहिक जुर्माने हुए और उनकी जायदादे जप्त हो गयीं। मध्यप्रान्तमें जंगलत भंग करनेका जवाब भारी जुर्मानों और पुलिसके अत्याचारोंसे दिया गया। इन इलाकोंमें कर्नाटक सबसे आगे था। वहाँका जिलेदार विवरण इस प्रकार है—कनारामें लगानवन्दीके लिए ८०० परिवारोंको परेशान किया गया; सिद्धपुर और अंकोलामें १०० स्त्रियों और ७०० पुरुषोंको कैदकी सजाएँ दी गयीं; यहाँ २००० एकड़ जमीन जप्त कर ली गयी, १६६ गकान छीन लिये गये और सम्पत्ति व फसलका १५ लाख रुपयेका नुकसान हुआ; ३३० परिवार पीड़ित हुए। सिद्धपुरमें जप्त सम्पत्ति खरीदनेवालोंके धरोपर ३७ महिला सत्याग्रहियोंने अनशन किया। मवीनागुण्टीमें एक महिलाने ३१ दिनतक अनशन किया। बहुतसे तालुकोंमें बड़ी संख्यामें ताड़ काट डाले गये।

चित्र पूरा करनेके लिए दूसरे प्रान्तोंके कुछ उदाहरण भी दे दिये जायें। बंगाल और आन्ध्रमें बहुतसे शान्तिप्रिय नागरिकोंको सिर्फ इसलिए जेलोंमें डाल दिया गया कि उन्होंने सड़कोंमें पुलिस अत्याचारोंके शिकार खूनसे लथपथ सत्याग्रहियोंको उठाया, खानापानी या शरण दी। काण्टईमें सत्याग्रहियोंके नमक बनानेकी तैयारी दूसरे देखते हुए, बहुतसे शान्तिपूर्ण नागरिकोंपर गोली चलायी गयी; छः मर गये और १८ घायल हुए। १९३०-३१ में हुए पुलिस-अत्याचारोंके विवरणोंमें पुस्तकें भर जायेंगी। नेताओंके आदेशका पालन करते हुए जनता आम तौरपर शान्त और अहिंसक रही। इसके कुछ अपवाद भी थे और एक जगह स्थिति गम्भीर हो उठी। उन्होंने पुलिसवालोंको गिरफ्तार कर एक स्कूलमें बन्द कर दिया और इमारतमें आग लगा दी, पर कांग्रेसके दो स्वयंसेवकोंने अपना जीवन संकटमें डालकर स्कूलका दरवाजा तोड़कर पुलिसवालोंकी जानकी रक्षा की। मिदनापुरमें एक भीड़ने दो चौकीदारोंको मार डाला।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें घटनाओंने दूसरा रूप धारण किया। वहाँके कांग्रेसी नेता खॉ अब्दुल गफ्फार खॉने लाल कुरतीवाले खुदाई खिदमतगारोंका एक संघटन बनाया था। १९३० के शुरूमें इस संघटनमें भरती तेजीसे शुरू हुई। हालाँकि देशके दूसरे भागोंमें मुसलमान कांग्रेसके आन्दोलनसे अलग रह रहे थे। अब्दुल गफ्फार खॉके प्रभावसे सीमाप्रान्तके मजबूत पटान बड़ी संख्यामें इसमें भरती हुए। गान्धीजीकी पवित्रता, सादगी और संकल्प अब्दुल गफ्फार खॉमें भी था और लोग उन्हें सीमान्त गान्धी कहने लगे थे। वे अहिंसामें विश्वास करते थे और उन्होंने लड़ाकू पटानोंको भी अहिंसक बना लिया था। लेकिन लाल कुरतीवालोंकी बरदी, अनुशासन, फुरती देखकर लोगोंको लगता था कि जरा-सी उच्चजनामें वे अपनी अहिंसा छोड़ देंगे। उनके त्यागका जनतापर बड़ा प्रभाव पड़ा था और वह उनसे स्नेह करने लगी थी। उनके नेताने उन्हें दो उद्देश्योंके लिए काम करना बताया था—एक मुल्ककी आजादी और दूसरे भूखेको खाना और नंगेको कपड़ा देना।

सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें उन्हें इन दो उद्देश्योंके लिए संघर्षमें अपना परिचय देनेका मौका मिला। सीमान्तमें आन्दोलन इस प्रकार शुरू हुआ—२२ अप्रैल १९३० को कांग्रेस महासमितिका एक प्रतिनिधिमण्डल सीमान्त विनियमोंके कार्यान्वित होनेके ढंगका अध्ययन करने अटक पहुँचा; वहाँ उसे रोक लिया गया। खबर पेशावर पहुँची और पटानोंने एक जलूस निकाला व एक सभा इसके रोकके विरोधमें की। अगले दिन सबेरे ही उनके ९ नेता गिरफ्तार कर लिये गये। ९ बजे दो और गिरफ्तार हुए।

लेकिन जिस मोटरमें वे हवालात ले जाये जा रहे थे, वह बिगड़ गयी। इन दोनों नेताओंने आश्वासन दिया कि वे स्वयं थाने पहुँच जायेंगे। पर जैसे ही वे थानेके लिये रवाना हुए, रास्तेमें एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी और उन्हें लेकर थानेकी तरफ चली। थाना बन्द था, पर फौरन दो तीन बख्तरबन्द गाड़ियाँ आयाँ और भीड़को चोरने लगी; “१२-१४ व्यक्ति कुचल गये, जिनमेंसे ६-७ तो वहीं फौरन मर गये, बाकी बुरी तरह घायल हुए।” तभी एक अग्रेज मोटर साइकिलपर चेतहाशा भागता हुआ आया और बख्तरबन्द गाड़ीसे लडकर कुचल गया। एक गाड़ीमें भी आग लग गयी। सरकारी बयान था कि इन दोनों घटनाओंके लिए भीड़ जिम्मेदार थी। पर उस वक्त तो सचाई जाननेकी फुरमत नही थी, दूसरी दो गाड़ियोंने फौरन भीड़पर गोली चलाना शुरू कर दिया। भीड़ चाहती थी कि मृतक और घायल उमे दे दिये जायँ और फौजी व गाड़ियाँ हट जायँ, तब वह हटे। गोली चलने पर वह तितर बितर हुई पर गोली चलना बन्द होते ही वह फिर इकट्ठी हो गयी। फिर गोली चली और भीड़ फिर हटी, पर फिर इकट्ठी हो गयी। यह तीन घण्टेतक जारी रहा। सरकारी बयानके अनुसार ३० व्यक्ति मरे और ३३ घायल हुए। पर गैर सरकारी अनुमानके अनुसार हताहतोंकी संख्या पॉच छः सौतक पहुँची थी। इन घटनासे और गम्भीर घटनाओंको प्रेरणा मिली और जहाँमें रायल गढ़वाल राइफिल्सकी दो पलटनोंने गिरफ्तारी भीड़पर गोली चलानेसे इन्कार कर दिया। ये दो पलटनों तभी बुलायी गयी थी जब पुलिस स्थितिपर काबू पानेमें असमर्थ हो चुकी थी। अधिकारियोंने ये लक्षण देखे तो पेशावरसे सभी पुलिस और फौज हटा ली और शहर खाली छोड़ दिया। गान्धीजीको फौजियोंकी हुकमउदूली पसन्द नहीं आयी और बादमें एक विदेशी पत्रकारसे कहा—“जो सिपाही गोली चलानेसे इनकार करता है, वह कसम तोड़ता है।” २४ अप्रैलमें ४ मईतक पेशावरमें अग्रेजी हुकूमत नही रही। अब्दुल गफ्फार खाँ २३ अप्रैलको ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। वन्दू, कोहाट, मरदान व कुछ देहाती इलाकोंमें इसी तरहकी अशान्ति हुई। पेशावरकी घटनाओंके फौरन बाद अशान्तिके लक्षण पूरे सीमाप्रान्तमें हजारसे डेरा इस्माइल खाँतक दृष्टिगोचर होने लगे।

सीमाप्रान्तके कबीले ब्रिटिश सरकारसे ये इलाके छीन लेनेकी सोचने लगे। मईके दूसरे हफ्तेमें चार हजार बजीरियोंने एक ब्रिटिश चौकीपर हमला बोल दिया। जयचममें अग्रेजोंने कबीलेवालोंके गाँवोंपर भोवण बमबारी की। ३ जूनको ५००० अफरोदियोंका एक बड़ा लडकर बाशा और बाजार घाटियोंमें उतर आया और गुफाओंमें जमा होने लगा। ४ जूनकी रातको २००० अफरोदियोंने पेशावर जिलेपर हमला बोल दिया। काफी लोग शहरतक जा पहुँचे। जून और जुलाई भर कबीलेवाले पेशावर जिलेके शहर व गाँवोंपर आक्रमण करते रहे। ७ अगस्तकी रातको अफरीदियोंने फिर एक जोरदार हमला किया, पर वह भी असफल रहा। मुल्ता लोग विभिन्न कबीलोंमें घूम-घूमकर विद्रोह करनेके लिए लोगोंको उभारते थे। अग्रेज विद्रोहको शान्त करनेके लिए हवाई जहाजोंमें बमबारी कर रहे थे। स्थिति इतनी गम्भीर थी कि साधारण प्रशासन कायम करना और चलाना असम्भव हो रहा था। अन्तमें अगस्तमें मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जो जनवरीतक लागू रहा। सरकारी रिपोर्टके अनुसार “विशेष ध्यान देनेकी बात यह थी कि आबाद जिलोंमें घूमते हुए इन पूरे जमानेमें कबा-

पलियोंने अपनी परम्पराके विरुद्ध गाँवोंको दो चार छोड़कर कभी नहीं लड़ा और अधिकारियोंसे समझौतेकी बात चलाते वक्त अफरोदियोंने गान्धीकी रिहाई और भारतमें जारी विद्रोह आर्डिनेंस वापस लेनेकी माँग भी रखी, जिससे साबित होता है कि कांग्रेसी प्रचारक सीमाके उस पार भी सक्रिय थे।

मरदानमें २५ मईको एक भीड़ और पुलिसके बीच गम्भीर संघर्ष हो गया। पुलिसका सहकारी कमान मर्फी बुरी तरह मार डाला गया। सीमाप्रान्तके जो चार जिले अशान्त हुए, उनमें बन्सूमें सबसे अधिक जोर रहा। ८ अप्रैलको रामसिंह नामक एक कांग्रेसी कार्यकर्ताकी गिरफ्तारीके विरोधमें एक क्रुद्ध भीड़ने शहर कोतवाली घेर ली, राग उजाड़ दिया और पातमें गोल्फ खेलते हुए अंग्रेजोंपर पत्थर व कीचड़ फेंका।<sup>१</sup> १४ अप्रैलको शहर आनेवाले सभी रास्तोंपर फौज तैनात कर दी गयी ताकि गाँवोंसे लोग प्रदर्शनमें भाग लेने न आ सकें। इसके विरोधमें कांग्रेस कमेटीने आम हड़तालका संवहन किया, यह हड़ताल अनिश्चित कालके लिए थी, पर १९ को सतम कर दी गयी। पर कवायतियोंके विद्रोहके कारण जुलाईमें फिर शहरके पाठक बन्द हुए और शराब व विदेशी कपड़ोंकी दूकानोंपर धरना देनेवाले ४४० स्वयंसेवक गिरफ्तार किये गये।

अगस्तमें फण्सेकादिर नामक एक मुल्लाने एक सशस्त्र जत्था इकट्ठा कर लिया और ६ वीं रायल बटालियनको एक टुकड़ीपर हमला कर दिया। टुकड़ीके आठ निपासी और कमान ऐशवापट मारे गये। जो संघर्ष हुआ उनमें बादमें मुल्लाके नालीस साथी सैत रहे ( जिनमें मुल्ला भी था ), तीस घायल हुए और ८० गिरफ्तार हुए।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन देश भरमें सफल रहा। खुद सरकारके अनुसार “कांग्रेसको अपनी काररवाइयोंके लिए जनताका समर्थन जिस सीमातक मिला वह कांग्रेस और सरकार दोनों पक्षोंके योग्य लोगोंके अनुमानोंसे नहीं ज्यादा था। जुलाई शुरू होते-होते ब्रिटिश भारतका कोई प्रान्त आन्दोलनके प्रभावसे अछूता न रहा और आसाम व मध्यप्रान्तको छोड़कर शेष सभी प्रान्तोंकी सरकारोंको उन घटनाओंका सामना करनेमें कभी न कभी बड़ी कठिनाई पड़ी जो इस आन्दोलनके फलस्वरूप पटीं। आन्दोलनके पहले मर्दानके बाद नमक कानून भंग करनेके देशके हर बड़े शहरमें हुए दिखाने व किसी हदतक बुद्धिहीन प्रदर्शनोंकी जगह कांग्रेसकी दूसरी काररवाइयोंने ले ली। दम्बईमें, जहाँ यह आन्दोलन सम्भवतः सबसे अधिक सकल हुआ, स्थानीय नेताओंने आस पासके नमक बनानेके तटों पर हमले संघटित करना शुरू कर दिया। पर यह काम मानगून शुरू होने पर खत्म हो गया। तब और प्रान्तोंकी तरह वहाँ भी विदेशी सामानके बहिष्कार और शराब व विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना देनेका काम शुरू हुआ और इन दोनों दिशाओंमें विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको काफी सफलता मिली। सरकारी कर्मचारियोंके सामाजिक बहिष्कार और जनताको कर न देनेके लिए उभारनेका काम भी बड़े पैमानेपर हुआ जिससे अधिकारियोंको काफी परेशानीका सामना करना पड़ा। स्कूलों व विश्वविद्यालयोंमें कांग्रेसी काररवाइयोंसे भी कुछ दिक्कत हुई। पुलिस और फौजमें निष्प्राहीनता पैदा करनेके प्रयास भी हुए पर वे लगभग पूर्णतः असफल रहे।”<sup>२</sup>

१. वही पुस्तक, पृष्ठ १७

२. 'इण्डिया इन १९३०-३१' पृष्ठ ७२.

“जिस दूसरे दूसरे काग्रेसको अप्रत्याशित सहायता मिली वह खियों थी। हजारों स्त्रियों, जिनमें कापी अच्छे घरोंकी और पढी-लिखी थीं, एकाएक अपने घरोंके एकान्तसे बहुधा परदा-प्रथा तोड़कर, निकल पडीं और काग्रेस-प्रदर्शनों व धरना देनेमें भाग लेने लगीं” —पहले तीन महीने सतम होते न होते आन्दोलन कई दिशाओंमें आश्चर्यजनक ढंगसे सफल साबित होने लगा और सरकारके सारे साधन व शक्तियों आन्दोलन कुचलनेमें लग गयीं।”

मध्यप्रान्तमें, जहाँ आन्दोलन अपने प्रथम चरणमें कुछ ढीला रहा, जुलाई, अगस्त व सितम्बरमें जगलगत कानूनोंके विरुद्ध बड़े और सार्वजनिक प्रदर्शन होते रहे; आदिवासी भी सरकारके खिलाफ उठ खड़े हुए। २४ अगस्तको गोंड जातिकी एक भीड़ने पुलिसकी एक टुकडीपर बेतुलमें हमला कर दिया। गोंड वडे पैमानेपर जगलगत कानून भंग कर रहे थे। काग्रेस आन्दोलनके दूसरे चरणके अस्थायी लक्षणोंमें विधानमण्डलोंके चुनावोंका बहिष्कार, लन्दनमें होनेवाले गोलेमेज सम्मेलनके विरुद्ध १२ नवम्बरके प्रदर्शन और पुलिस व जनताके बीच कुछ मुठभेडे भी थीं। इनमें सबसे अधिक स्मरणीय कुछ स्थानोंपर समानान्तर शासनतन्त्र स्थापित करने—स्वराज्य अदालते बनानेके प्रयास थे। ब्रिटिश सामानका बहिष्कार चारगर ढंगसे चल रहा था। नवम्बरमें आन्दोलन कुछ शिथिल हुआ था, पर दिसम्बरमें उसमें फिर तेजी आ गयी। कई जगह उपद्रव भी हुए। धरनेने जोर पकड़ा और सार्वजनिक सभाओंकी संख्या बढ़ चली। २६ काग्रेस कमेटियों जिनमें काग्रेस कार्य-समिति व अन्य काग्रेस कमेटियाँ थीं, उनसे सम्बद्ध आन्दोलन परिपद व अन्य सघटन और योजना व सयुक्तप्रान्तकी नौजवान भारत सभाएँ—ये सब गैरकानूनी करार दे दी गयीं।

जुलाईमें जब काग्रेसी आन्दोलन और सरकारी दमन दोनों अपनी चरम सीमापर थे; दो नरमदलीय नेताओं—सर तेजबहादुर सप्रू व एम. आर. जयकरने वाइसरायको एक पत्र लिखा और “सामान्य परिस्थिति पैदा करनेके लिए” आन्दोलनके कुछ नेताओंसे बातकर स्थिति सुधारनेका प्रयास” करनेके लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं। वाइसरायने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये दोनों नेता २३ जुलाईको यरवदा जेलमें गान्धीजीसे और २७ जुलाईको नैनी जेलमें मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरूने मिले। नेहरू पिता-पुत्र व गान्धी जीके भी व सन्धि प्रस्तावके सम्बन्धमें पत्रव्यवहार सफल होते न देर सरकारने इनको भी यरवदा जेल भेज दिया। वहाँ श्रीमती सरोजिनी नायडू, वल्सभ भाई पटेल, जयरामदास दौलतराम, डाक्टर सैयद महमूद, गान्धीजी व नेहरू आदि १५ नेताओंमें विचार विमर्श हुआ। इन लोगोंके सयुक्त हस्ताक्षरोंसे एक पत्र सप्र व जयकरको लिखा गया, हालाँ कि यह पत्र था वाइसरायके लिए। पत्रमें समझौतेके प्रस्तावोंका वर्णन था। उसमें लिखा था—“कोई समझौता तबतक सम्तोषजनक नहीं हो सक्ता जबतक (१) भारतका स्वेच्छासे ब्रिटिश साम्राज्यमें पृथक होनेका अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता, (२) भारतमें पूर्णरूपेण उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार नहीं बनती जिसके अधिकारक्षेत्रमें रक्षा व आर्थिक नियन्त्रण हो और वाइसरायको गान्धीजी द्वारा भेजा गया ११ सूची कार्यक्रम पूरा नहीं होता (३) भारतको यह अधिकार नहीं मिलता कि जिन ब्रिटिश दावोंको वह राष्ट्रहितमें न समझे उन्हें किसी

निष्पक्ष ट्रिब्यूनलके सामने पेश कर सके।” इन नेताओंने ये शर्तें वाहसराय द्वारा गंजूर होने पर आन्दोलन वापस लेनेका आश्वासन दिया पर नमक बनाने व शराब और विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना जारी रखनेका इरादा जाहिर किया। पत्रमें लिखा था कि नमक बनता रहेगा पर नमक गोदामोंपर धावे न होंगे। राष्ट्र व जयकर यह पत्र लेकर वाहसरायके पास गये। वाहसरायने २८ अगस्तको इन लोगोंको जवाब दिया कि इस पत्रमें लिखी शर्तोंके आधारपर समझौतेकी बात करना असम्भव है।

वाहसरायने मईमें घोषणा की थी कि अक्टूबरके अन्तमें लन्दनमें गोलमेज सम्मेलन होगा। देशमें भावना व्याप्त थी कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके बिना गोलमेज सम्मेलन असम्भव है। केन्द्रीय विधायिका कौंसिलके जुलाई अधिवेशनमें वक्ताओंके बहुमतने अनुरोध किया कि “देशको शान्त करने व सान्त्वना देनेके लिए” और गोलमेज सम्मेलनको आरम्भ करनेके लिए आवश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करनेके लिए सरकारको गान्धीजी व दूसरे कांग्रेसजनोंको मुक्त कर देना चाहिये। सप्त-जयकर प्रयास असफल होनेके बाद कांग्रेसका गोलमेज सम्मेलन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट था। अक्टूबरमें सम्मेलनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध प्रदर्शन संघटित किये गये। राष्ट्रीय समाचारपत्रोंसे कहा गया कि वे सम्मेलनकी खबर न छापें। कुछ दिनों-तक अखबारोंने यह बात मानी भी पर १२ नवम्बरसे सम्मेलनकी काररवाई शुरु होने पर उसकी खबर महत्त्वपूर्ण होनेके कारण बहुत प्रमुख स्थान पाने लगी। सम्मेलनमें ८६ प्रतिनिधि थे—५७ ब्रिटिश भारतके, १६ देशी रियासतोंके और इंग्लैण्डके विभिन्न राजनीतिक दलोंके। सम्मेलनने विभिन्न विषयोंपर विचार करनेके लिए उपसमितियाँ बना दीं। रक्षा, मतदान, सीमा, अल्प-संख्यक, वर्गा, सरकारी नौकरियाँ, प्रान्तीय अधिकारक्षेत्र, संघीय, ढाँचा आदि विषयोंपर बनी समितियोंकी रिपोर्टोंपर १९ जनवरी सन् १९३१ से सम्मेलनने फिर विचार शुरु किया।

२१ जनवरीको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकमें एक प्रस्तावमें कहा गया कि सम्मेलनकी काररवाईको कांग्रेस कोई मान्यता नहीं देती; सम्मेलनमें भारतके प्रतिनिधित्वके लिए सरकारने अपने ही समर्थक नियुक्त कर दिये हैं।

सम्मेलनके खुले अधिवेशनमें ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतमें शासन चलानेका उत्तरदायित्व केन्द्रीय व प्रान्तीय विधानमण्डलोंको ऐसे प्रतिबन्धोंके साथ दिया जाय जिससे संक्रमणकालमें कुछ विशिष्ट दायित्व निभ सके, विशेष परिस्थितियोंपर काबू पानेकी व्यवस्था हो और अल्पसंख्यकोंकी राजनीतिक स्वतन्त्रता और उनके अधिकारोंकी रक्षाका विधान हो सके।”

सम्मेलन बादमें होनेके लिए स्थगित हो गया। २१ जनवरीको राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें काफी नये सदस्योंसे बनी कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक नयी परिस्थितिपर विचार करनेके लिए बैठी और एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा की गयी कि “उस तथाकथित सम्मेलनकी काररवाईको मान्यता देनेके लिए कांग्रेस विलकुल तैयार नहीं है, जिसमें ब्रिटिश पार्लमेण्टके कुछ सदस्य हों, देशी महाराजे हों और सरकार-समर्थकोंमेंसे नियुक्त—भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित नहीं—कुछ भारतीय हों।”

लेकिन स्वतन्त्रता दिवससे एक दिन पहले २५ जनवरीको वाहसरायने सरकारके इस निर्णयकी घोषणा की कि गान्धीजी और कांग्रेस कार्यसमितिके सभी सदस्य और वे लोग

जो १ जनवरी १९३० के बाद कार्यसमितिके सदस्योंकी हैसियतसे कार्य करते रहे हों, बिना शर्त रिहा कर दिये जायें तथा कांग्रेस कार्यसमितिको वैधानिकता दे दी जाय। वाइसरायने कहा कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा १९ जनवरीको की गयी घोषणापर विचार करनेका अवसर देनेके लिए यह किया जा रहा है।

२६ जनवरीको आधी रातके पहले कार्यसमितिके २६ स्थायी और अस्थायी सदस्य रिहा कर दिये गये। मोतीलाल नेहरू बीमारीके कारण पहले ही छोड़ दिये गये थे; उनकी यह बीमारी घातक सिद्ध हुई। जेलसे छूटते ही गान्धीजीने संवाददाताओंसे कहा कि मैं खुले दिशागमे मसलेपर गौर करने आया हूँ, "धरना देनेका अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता और न करोडो, भुगतारीके शिकार लोगोंका नमक बनानेका अधिकार ही छोड़ा जा सकता है।" कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक ३१ जनवरी व १ फरवरीको हुई और आन्दोलन बदस्तूर जारी रखनेका निश्चय किया गया। लेकिन सुपचाप आदेश जारी कर दिये गये कि आन्दोलन तो जारी रहे पर कोई नयी तहरीक शुरू न की जाय।

१४ फरवरीको गान्धीजीने वाइसरायसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और १७ फरवरीसे उन दोनोंके बीच लम्बी समझौता बातें चली। कांग्रेस कार्यसमितिके गान्धीजीको समझौतेके पूरे अधिकार दे रहे थे। बीच बीचके थोड़े अवकाशको छोड़कर, १५ दिनतक गान्धीजी और वाइसराय व कुछ उच्च अफसरोंके बीच बातचीत चली और फलस्वरूप २१ सूत्री समझौता—जिसे आमतौरपर 'गान्धी इरविन पैक्ट' कहा जाता है, हो गया। ५ मार्चको इसपर दस्तखत हुए। समझौतेकी मुख्य बातें सक्षेपमें इस प्रकार हैं—(१) आन्दोलन वापस ले लिया जायगा; (२) भारतमें वैधानिक सरकार बनानेकी गोलमेज सम्मेलन योजनापर आगे और विचार होगा, (३) गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधि भाग लेंगे। (४) समझौता आन्दोलनसे प्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित काररवाइयोंपर लागू होगा; (५) कानून भंग करनेकी हर काररवाई बन्द होगी; (६) ब्रिटिश सामानके बहिष्कारको राजनीतिक हथियारके रूपमें प्रयोग नहीं किया जायगा; (७) नशों और विदेशी वस्तुओंपर धरना जारी रह सकेगा पर उसमें दबाव डालनेकी बात न हो; (८) पुलिसके रयैवेकी सुली जाँच न होगी क्योंकि इनसे अनिवार्य रूपसे पारस्परिक दोषारोपण होगा; (९, १० व ११) आन्दोलनके सिलसिलेमें बने आर्डिनेंस, आदेश आदि वापस लिये जायेंगे, (१२) जो मुकदमे चले रहे हैं, वे वापस लिये जायेंगे, (१३) आन्दोलनसे सम्बन्धित कैदी छोड़े जायेंगे; (१४) जो जमानत और जुर्माने अभी वसूल नहीं हुए हैं उन्हें वसूल नहीं किया जायगा; (१५) अतिरिक्त पुलिस वापस ली जायगी, (१६) जो जख्त की हुई चाल सम्पत्ति अव्यक्त सरकारके कब्जेमें है, वह वापस की जायगी; (१७) अचल सम्पत्ति (अगर सरकारने बेच नहीं दी है तो) वापस की जायगी; (१८) जहाँ यह माहित हो जायगा कि वसूली न्यायपूर्ण नहीं हुई है, वहाँ सरकार क्षतिपूर्ति करेगी; (१९) जिन सरकारी नौकरोंने आन्दोलनके समय नौकरीसे हस्तीके दे दिये थे, उन्हें नौकरीमें वापस लेनेमें सरकार उदारनीति बरतेगी; (२०) नमक बनानेके सम्बन्धमें सरकार "कुछ गरीब वर्गोंको सुविधा देनेके लिए" कुछ जगहोंपर प्रचलित प्रथाकी तरह ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था कर देगी कि जहाँ नमक बनानेके केन्द्र हैं वहाँके आग पासके गाँवोंवाले वहाँसे अपने प्रयोगके लिए नमक ले सके, बेचने, व्यापार करने या उन क्षेत्रोंके



बाहर भेजनेके लिए नहीं; (२१) कांग्रेसके यह समझौता लागू न करने पर सरकार शान्ति व व्यवस्थाके लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी ।

कांग्रेसकी सभी समितियों, उप-समितियोंको हिदायत दे दी गयी कि वे इस समझौतेकी शर्तोंका पालन करें ।

१९३० में कांग्रेसका कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, एक तो इसलिए कि कांग्रेस स्वयं 'वनवास' में थी और दूसरे इसलिए कि लाहौर अधिवेशनमें तय हो गया था कि भविष्यमें अधिवेशन मार्च या अप्रैलमें हुआ करेंगे । १९३१ के मार्चके अन्तमें कांग्रेसका अधिवेशन बल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें कराचीमें हुआ । अपने भाषणमें पटेलने कहा— लाहौरके पूर्ण स्वतन्त्रताके प्रस्तावसे वापस लौटना या विमुख होना नहीं है । यह स्वतन्त्रता ब्रिटेन या किसी अन्य देशसे सम्बन्ध न रखनेका अशिष्ट इरादा नहीं है । इसलिए इस स्वतन्त्रतासे यह सम्भावना अलग नहीं है कि पारस्परिक हित देखकर बराबरीके दर्जेपर, किसी एक पक्षकी इच्छापर टूट सकनेवाली साझेदारी हो सके ।”

कांग्रेसने तय किया कि अगर सरकार गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए कांग्रेसको आमन्त्रित करे तो गान्धीजी उसका प्रतिनिधित्व करें और दूसरे प्रतिनिधियोंको कांग्रेस कार्यसमिति छोटे । एक प्रस्ताव द्वारा विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार और शान्तिपूर्ण धरनेको और उग्र बनानेका निश्चय हुआ । दूसरे प्रस्तावमें बर्मा जनताका भारतसे अलग होनेका अधिकार स्वीकार किया गया । एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतके भानी विधानमें शामिल करनेके लिए मौलिक अधिकारों व कर्त्तव्योंकी सूची बनायी गयी ।

आन्दोलन खत्म होने पर कांग्रेसका कार्य गान्धी इरविन पैकटकी शर्तोंतक सीमित रह गया । धरना और ज्यादा व्यापक बनाया गया । वाइसरायका समझौता जिलोंके छोटे वाइसरायोंके लिए आश्चर्यजनक था; कांग्रेसके जुलूसों और धरना देनेवालोंपर लाठी-गोली वर्षा करनेके आदी पुलिसवाले और मजिस्ट्रेट समझौतेके अनुसार धरना होते देखना कैसे बर्दाश्त करते ? उनके लिए तो गान्धी टोपी अब भी चुनौती थी, धरना उनको अब भी अखरता था । समझौतेपर सबसे पहले इन्होंने चोट की । पूर्व गोदावरी जिलेमें पुलिसने एक छोटे जुलूसपर गोली चलाकर चार व्यक्तियोंको मार डाला और कईको घायल कर दिया । जुलूस शान्तिपूर्ण था; उसके संयोजकोंका एक मात्र अपराध यही था कि उन्होंने एक मोटरपर गान्धी जीकी तस्वीर लगा रखी थी और पुलिसके कहनेपर उसे हटाया नहीं था ।

बहुत-से प्रान्तोंमें जिला अधिकारी अपने हाकिमोंके इशारेपर नाचते और समझौतेको तो टुकराते ही, कांग्रेसजननोंसे पहलेसे बदतर व्यवहार करनेमें भी न चूकते । यह कहा जा सकता है कि समझौता लागू करनेके सम्बन्धमें उन्हें विस्तृत आदेश न मिले होंगे । संयुक्त प्रान्तमें सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनपर मुकदमे चलाये गये । कुछ जगहोंपर लोगोंसे गान्धी टोपी उतारनेको कहा गया । जो सरकारी नौकर आन्दोलनमें नौकरी छोड़ चुके थे समझौतेकी शर्तके अनुसार नौकरी वापस पानेके लिए अर्जियाँ और अपीलें भेजने पर उनकी कोई मुनवाई न होती । इसी तरह पूर्वस्थिति लानेकी दूमरी शर्तें भी नहीं मानी जा रही थीं । हाकिमों और अपारकोंके व्यवहारमें लगता था मानो कोई समझौता हुआ ही न हो और आन्दोलन बदस्तूर जारी हो । पुलिसवाले अब भी सभाएँ भंग करते, कांग्रेस कार्यकर्ताओंके घरोंपर छापा मारते, स्त्रियोंके साथ दुर्व्यवहार

करते और राष्ट्रीय झण्डे जला डालते। बारदोलीमें लगानबन्दीकी घोषणा हुई थी; २२ लासकी मालगुजारीमें २१ लास जमा हो चुकी थी; लेकिन अधिकारी फिर भी, जैसा कि गान्धीजीने वाइसरायको लिखा “दमन, जुमाने, लोगोंके घर घेरकर पुलिस शक्तिका परिचय” देते थे। सरकारने समझौतेके अनोरे अर्थ लगाकर अधिकारियोंके व्यवहारका समर्थन किया। इसपर गान्धीजीने मुझाव दिया कि एक स्थायी समझौता बोर्ड बना दिया जाय जो समझौतेकी ध्याख्या सम्बन्धी विवाद तय किया करे। सरकारने समझौता भंग करनेके कुछ आरोप कांग्रेसपर भी लगाये थे, इसलिए गान्धीजीका मुझाव समस्याका एक हल था। लेकिन यह मुझाव माना नहीं गया। तब गान्धीजीने भारत सरकारके यह सचिवसे अनुरोध किया कि वह प्रान्तीय सरकारोंको सरकार और कांग्रेसका एक-एक प्रतिनिधि लेकर जाँच बोर्ड बनानेका आदेश दे दे, जो मामलोंकी सरसरी जाँच कर पैसेला दे दिया करे। यह अनुरोध भी अस्वीकृत हो गया।

इससे, गान्धीजी अपनी प्रस्तावित लन्दन यात्रापर फिरसे विचार करनेको बाध्य हुए। उन्होंने वाइसरायको तार दिया कि ‘सयुक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त व दूसरे सूबोंमें जारी दमनसे लगता है कि गोलमेज सम्मेलनके विचारविमर्शमें भाग लेनेके लिए मुझे जाना नहीं चाहिये। गान्धीजीके निमन्त्रण अस्वीकार करनेका एक और भी कारण था। गान्धी इरविन समझौता वात्ताके समय इरविनने वादा किया था कि सम्मेलनमें शरीक होनेवाले कांग्रेसके प्रतिनिधिमण्डलमें गान्धीजीके अलावा गदनमोहन मालवीय, डाक्टर अन्तारी और सरोजिनी नायडू रहेंगे। पर नये वाइसराय विलिंगडनने डाक्टर अन्तारीका नाम काटकर यह दिखलानेकी कोशिश की कि कांग्रेस सिर्फ हिन्दुओंकी सस्था है। लेकिन गान्धीजीने इस बातपर जोर दिया कि कांग्रेस गैरसम्प्रदायवादी सस्था है और वह मुसलमानोंका भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अन्तारी नेशनलिस्ट (राष्ट्रीय) मुसलमान पार्टीके भी प्रवक्ता थे। वाइसराय नहीं माने। बात चीत कुछ समपतक चली रही। लेकिन पत्र व्यवहार चलता रहा और फलस्वरूप दोनोकी शिमलामें भेंट हुई। २७ अगस्त १९३१ को एक और छोटा सा समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप गान्धीजी लन्दन चल पड़े। इस शिमला समझौतेमें और बातोंके अलावा यह भी कहा गया था कि “५ मार्च १९३१ का समझौता लागू रहेगा, भारत व प्रान्तीय सरकारें समझौतेकी शर्तें उन मामलोंमें (यदि ऐसे मामले हुए) भी लागू करगी जहाँ उनका न लागू होना साबित हो गया है और इस सम्बन्धमें की गयी शिकायतोंकी ध्यानपूर्वक जाँच करेगी। कांग्रेस भी समझौतेकी शर्तें मानेगी।” सरकारने बारदोली तालुकेके दमनकी जाँचका आश्वासन दिया। लेकिन सरकार कांग्रेसके प्रतिनिधिमण्डलमें डाक्टर अन्तारीके शामिल करनेके लिए राजी नहीं हुई। गान्धीजी अगस्तके अन्तमें लन्दनके लिए रवाना हो गये।

## अध्याय २२

### लगानवन्दी आन्दोलन

१९३१ की विश्वव्यापी मन्दीके कारण भारतमें भी वस्तुओंकी कीमतें काफी गिर गयीं; यहाँतक कि कभी कभी किसान अपनी समस्त फसल बेचकर भी लगान चुकानेमें असमर्थ होते। परन्तु सरकारको फिर भी जमीन्दारोंके हितोंका ध्यान अधिक था। अपने सरकारी अफसरोंकी उस चेतावनीके बावजूद जो वे प्रायः दिया करते थे कि इस नीतिका परिणाम लाखों किसानोंकी वृष्ट-वृद्धि और बरबादी होगा, सरकार जमीन्दारोंके हितोंकी रक्षामें ही तत्पर रहती थी। जमीन्दार किसानोंपर मनमाने अत्याचार करते और अपनी इच्छानुसार उन्हें बेदखल कर देते थे। १९३० के आन्दोलनके पश्चात् जमीन्दारोंकी हिम्मत बढ़ गयी और वे और भी नृशंस होकर अत्याचार करने लगे। बेदखलियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी और क्रांतिकार विनाशकी अन्तिम सीमातक पहुँच गये। वे जमीन्दार और सरकार रूपी चक्कीके दो पाटोंके बीच पिस रहे थे। हारकर उन्होंने कांग्रेससे प्रार्थना की। यह स्पष्ट था कि सरकारको किसानोंकी उचित सहायता बननी चाहिये थी। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने गोविन्दवल्लभ पतको इस कार्यके लिए नियुक्त किया कि वे प्रान्तके किसानोंकी आर्थिक दुर्दशासे सरकारको परिचित कराये। नेहरू एवं गोविन्दवल्लभ पतने युक्तप्रान्तके चीफ सेक्रेटरी व अन्य अफसरोंसे कई बार भेंट की, पर व्यर्थ हुआ। जय गान्धीजी वाइस-रायसे शिमलेमें अग्रस्तमें मिले तो उन्होंने वाइसरायसे स्पष्ट कह दिया कि यदि सरकार संयुक्त प्रान्तके किसानोंकी उचित सहायता नहीं करती, तो कांग्रेस किसानोंको अपनी रक्षाके लिए आन्दोलन या सत्याग्रहकी सलाह देनेकी बाध्य होगी।

संयुक्त-प्रान्तमें लगान-वन्दी आन्दोलनके लिए परिस्थिति परिपक्व हो रही थी। सरकारने लगानमें कुछ छूट देनेकी घोषणा जल्द की—परन्तु यह छूट आवश्यकताको देखते हुए इतनी कम थी कि इससे संकट घटनेमें कोई सहायता नहीं मिली। इसी समय भागों इस संकटको और भी बढ़ानेके लिए ही एक और आज्ञा जारी की गयी जिसके अनुसार अगर महीने भरके भीतर सब लगान जमा न किया गया तो लगानकी छूट सम्बन्धी रियायत वापस ले ली जायगी। इस आदेशके अनुसार अगर ज्यादा लगानके खिलाफ कोई प्रार्थना करनी होती तो वह भी पूरा लगान जमा करनेके बाद ही की जा सकती थी।

प्रान्तीय कांग्रेस द्वारा सरकारको किसानोंकी सहायता करने तथा इस संकटको टालनेके प्रश्नपर सहमत करानेके लिए फिर वार्ताएँ आरम्भ की गयीं परन्तु सरकारकी तरफसे कोई उत्साह नहीं दिखलाया गया, इसलिए इलाहाबादकी जिला कांग्रेस कमेटीने कांग्रेस-कार्यसमितिसं सत्याग्रह आरम्भ करनेकी अनुमति देनेके लिए कहा और कार्यसमितिसं अपनी अक्यूसरकी दिल्लीवाली बैठकमें अध्यक्षको लगानवन्दी सत्याग्रहके आरम्भके लिए आज्ञा देने न देनेके समस्त अधिकार दे दिये। समझौतेकी कोशिश और इन्त-ज़ारमें कुछ वक्त गुजरा। फिर कांग्रेसके अध्यक्षने संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसको लगानवन्दी

आन्दोलन चलानेकी अनुमति दे दी। दिसम्बरमें कांग्रेसने किसानोंको लगान और कर देना अस्थायी रूपसे, समझौता धार्ता पूर्ण होनेतक रोक देनेकी सलाह दी। धार्ताके दौरानमें ही कांग्रेसको यह सलाह इसलिए देनी पडी कि सरकारी कर्मचारी जवरदस्ती और बेदरिसेसे लगान वसूल कर रहे थे। कांग्रेसने सरकारसे भी कहा कि अगर सरकार लगान थसूली स्थगित कर देनेका वादा करे तो लगानवन्दी आन्दोलन वापस कर लिया जायगा। पर सरकार राजी नहीं हुई और कई जिलोंमें लगानवन्दी आन्दोलन आरम्भ हो गया। सरकारने स्थितिपर काबू पानेके लिए सकटकालोन आर्डिनेंस लागू कर दिया। २६ दिसम्बरको जवाहरलाल नेहरू, प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष तसदतुक अहमद खॉं शेरवानी, पुद्घोत्तमदास टण्डन गिरफ्तार कर लिये गये। जमीन्दारोंने इसलगानवन्दीको अपने वर्ग स्वाभं पर कुठाराघात माना जिसे दूर करनेके लिए कांग्रेस कार्यसमितितने दिसम्बरकी बैठकमें इसपर प्रस्ताव पास किया। प्रस्तावमें कहा गया था कि “कांग्रेसको किसीके भी ऐसे न्याययुक्त अधिकारोंका अपहरण नहीं करना है जिनसे देश हितमे बाधा न पडे। कांग्रेस कार्यसमिति देशके समस्त धनी एव जमीन्दार वर्गोंसे कांग्रेसके स्वतन्त्रतासंग्राममें सहायता करने की अपील करती है।”

सीमाप्रान्तमें लाल कुरतीवाले खुदाई खिदमतगारोंकी बढ़ती हुई सख्यासे सरकार ध्वरा रही थी। मार्च १९३१ में जेलसे छूटनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खॉंने अपना राजनीतिक कार्यक्रम उसी जोश और सरगमीसे शुरू कर दिया था जैसा कि आन्दोलन चलते समय था। अपने भाषणोंमें वे कहते कि दिल्ली ऐकट तो विरामसन्धिकी तरह है, इसका यह मतलब नहीं है कि आजादीकी लडाई खत्म हो गयी। कानून न तोड़े जायँ पर देश अपनी शक्ति बढाये। “उन्होंने यह बात देहातोंके अपने दौरेमें हर भाषणमें कही और लाल कुरती स्वबसेवक सेनामें भरतीकी उनकी अपीलका उत्साहवर्धक स्वागत हुआ।” जिन गाँवोंमें जाते सडकोंके दोनों ओर लाल कुरतीवाले स्वबसेवक बतारें बाँधे खडे होते, ढोल बजते और दो जगह तो बन्दूकोंकी बाढसे सलामी भी दी गयी। अगस्तमें लाल कुरती सघटन जानतेसे कांग्रेसमें शामिल हो गया। समुक्तप्रान्तकी तरह सीमाप्रान्तमें भी भीषण कृषि-सकट चल रहा था और उन्हीं कारणोंसे किसान मालगुजारी अदा करनेमें असमर्थ थे। खान अब्दुल गफ्फार खॉं किसानोंमें कहते कि मालगुजारीका यह बोझ असह्य है, किसानोंको उतनी रकम अदा कर देनी चाहिये जितनी उनके बूतेमें हैं। इस मुझावमें किसानोंको आशाकी चिनगारी दिखाई दी। और उन्होंने या तो बिसात भर मालगुजारी चुना दी या जहाँ न हो सकी वहाँ बिलकुल ही न दी। पेशावर जिलेके एक इलाकेमें मालगुजारी बिलकुल ही वसूल न हुई। जूनके शुरूमें सरकारने मालगुजारीमें थोड़ी-सी छूटकी घोषणा की, पर यह रियायत जरूरतमें बहुत कम थी। खान अब्दुल गफ्फार खॉंने साँग की कि तीन चौथाई लगान माफ कर दिया जाय और एक चौथाई फसलकी उपजकी शकलमें ले लिया जाय। धरनेपर और अधिक जोर दिया गया। अकेले पेशावरके शहरमें लाल कुरतीवाले ९०० स्वबसेवक थे। स्वबसेवक पाली बाँधकर धरना देते और दूसरी पालीवाले पहली पालीको छुट्टी दिलाने ५०-५० के जश्नोंमें मार्च करते हुए आते।

इन कार्योंमें गैरकानूनी कुछ भी नहीं था, पर सरकार परेशान थी; उसे डर था कि वही १९३० की तरह लडाकू कबीली जातियाँ फिर न सक्रिय हो जायँ। सरकारने सर्व-

जनिक सभाओंपर रोक लगाना और निहत्थी भीड़ों और जल्दोंपर लाठी-गोली चलाकर तितर-बितर करना शुरू किया। बहुतसे लोग मारे गये। लोगोंको पकड़कर बिना मुकदमा चलाये जेलमें दूँस देनेके लिए एक आर्डिनंस जारी हुआ। २० दिसम्बरको सीमाप्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने तय किया कि अखिल भारतीय कांग्रेससे गान्धी-इरविन पैक्ट खत्म करनेको कहा जाय और खान अब्दुल गफ्फार खाँको आन्दोलन चलानेकी अनुमति प्राप्त करनेके लिए बम्बई भेजा जाय। कमेटीने यह भी निश्चय किया कि नये साल पहली जनवरीको एक सार्वजनिक सभा की जाय, जिसमें कांग्रेसका झण्डा फहराया जाय। “लालकुरती दलवी शक्ति व तैयारीका शानदार प्रदर्शन इससभामें करनेका प्रबन्ध जल्दी-जल्दी किया जाने लगा।” सरकार संदेहमें थी। २४ दिसम्बरको कुछ आर्डिनंस जारी हुए। उसी रात खान अब्दुल गफ्फार खाँ, उनके भाई डाक्टर खान साहब और खुदाई खिदमतगारोंके दूसरे नेता पकड़ लिये गये। छः सशस्त्र फौजी दस्तोंने पेशावर शहरका प्रबन्ध ले लिया। २६ दिसम्बरको कोहाटमें बड़ी-बड़ी भीड़ें इकट्ठी हो छावनीकी ओर चल पड़ीं। पुलिसने उन्हें गोलियोंसे तितर-बितर किया। बहुतसे लोग मारे गये, सरकारी अनुमानके अनुसार १४ मरे व ६० घायल हुए।

बंगालमें, शायद आतंकवादी आन्दोलनसे क्रुद्ध होकर (आतंकवादी आन्दोलनका वर्णन अन्य एक अध्यायमें किया गया है) कुछ गौरसरकारी अंग्रेजों और हुल्लडवाजोंकी एक भीड़ने एक रात एक छापेखानेमें घुसकर मशीनें तोड़ डालीं और मैनेजर व दूसरे कर्मचारियोंको मारा पीटा। दिल्ली व शिमला समझौतोंके आलोचक उनकी खिल्ली उड़ते हुए कहते कि जब जेलोंमें इतने राजनीतिक बन्दी पड़े सड़ रहे हैं और जेल अधिकारियोंके अत्याचार सह रहे हैं, ये समझौते मजाक ही हैं। अगर बन्दी जेलमें बेहतर व्यवहारके लिए कहते तो लाठियोंसे चुप कर दिया जाता। हिजली नजरबन्दी कम्पमें बन्दि्योंपर गोली चलायी गयी जिससे दो मरे और २० घायल हुए।

देशकी हालत यह थी जब २८ दिसम्बर १९३१ को गान्धीजी लन्दनसे वापस लौटकर बम्बई पहुँचे। कांग्रेस कार्यकारिणीके सदस्य गान्धीजीका स्वागत करनेके लिए बम्बई आये थे। २९ दिसम्बरसे तीन-चार दिनतक कार्यसमितिकी बैठक चली। जो प्रस्ताव स्वीकार हुए उनमें एक यह भी था कि पिछले कुछ महीनोंकी घटनाओंने “यदि सरकारने अपना रवैया विलम्बुल ही न बदल दिया तो उसने कांग्रेसका सहयोग असम्भव बना दिया है”। मामूली कानूनोंकी जगह आर्डिनंस जारी करनेकी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी खुली जाँच करनेकी माँग की गयी। कार्य-समितिने फैसला किया कि अगर सरकारसे सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर शुरू कर दिया जायगा। सत्याग्रहमें लगान व दूसरे करोंकी अदायगी रोकने, विदेशी वस्त्रों व कम्पनियोंका बहिष्कार, शराबकी दूकानोंपर धरना, गौरकानूनी तौरपर नगक बनाना व इकट्ठा करना, आर्डिनंसके अन्तर्गत जारी आदेशोंका उल्लंघन और ऐसे कानून भंग करना जो नैतिकतासे सम्बन्धित न हैं और जनताके लिए अनिष्टकारी हैं, आदि बातें शामिल की जानेवाली थीं।

कार्यसमितिकी बैठक चार दिन चली। इसी बीच गान्धीजी सरकारसे शान्तिपूर्ण समझौतेकी कोशिशमें वाइसरायसे तार द्वारा लिखापढ़ी कर रहे थे। २९ दिसम्बरके अपने पहले तारमें गान्धीजीने पूछा कि क्या संयुक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त व बंगालमें जारी आर्डिनंस इस

बातका इंगित है कि सरकार व कांग्रेसके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खत्म हो गये। गान्धीजीने पूछा था कि "क्या आप अब भी मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आपसे मिर्चूँ और कांग्रेसको क्या सलाह दूँ, इस सम्बन्धमें आपसे पथ निर्देशन लूँ?" वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरीने जवाब दिया—“सहयोग पारम्परिक होता है और सयुक्त व सीमा प्रान्तोंमें कांग्रेसी कार-रवादियों उस मैत्रीपूर्ण सहयोगका परिचायक नहीं मानी जा सकतीं जो सरकार माँगती है। प्राइवेट सेक्रेटरीने लिखा कि वाइसराय आपसे (गान्धीजीसे) मिलनेके लिए तैयार है पर शर्त यह है कि राजनीतिक परिस्थितिपर काबू पानेके लिए सरकारने जो काररवाई की है उसपर वातचीत न की जाय। चूँकि सिर्फ काररवाईपर बात करनेके लिए गान्धीजी वाइसरायसे मिलना चाहते थे और चूँकि समझौतेकी बातचीतके लिए सरकारने इस प्रकार दरवाजा बन्द कर दिया था, कांग्रेस कार्यसमितिये आन्दोलन सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन गान्धीजी अब भी सम्मानपूर्ण समझौतेकी आशामें थे और उन्होंने वाइसरायसे फिर पत्र व्यवहार शुरू किया। वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरीने फिर सूना जवाब दिया—“वाइसराय और उनकी सरकार विश्वास नहीं कर पाती कि आप या कांग्रेस कार्यसमिति यह सोच सकती है कि सधिनय अज्ञा आन्दोलनकी धमकीके समय वाइसराय, किसी सुविधाकी आशामें आपसे मिल सकते हैं।” गान्धीजीने ३ जनवरीके अपने अन्तिम तारमें धमकीका अस्तित्व अस्वीकार किया। लेकिन आन्दोलन फिरसे जारी करना अब अवश्यम्भावी था, इसलिए उस तारमें उन्होंने यह जोड़ दिया कि “मैं सरकारको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपनी ओरसे पूर्णरूपेण शान्तिमय व अहिंसक आन्दोलन चलाने और उसमें कड़ता न आने देनेका प्रयत्न करेगी।”

परन्तु लार्ड विलिंगडनकी सरकारने इस आन्दोलनको चलनेके पहले ही समाप्त कर देनेकी पूरी तैयारी कर ली थी और अगले दिन ४ जनवरीको ही गान्धीजी व पटेल (जो कांग्रेसके अध्यक्ष थे) गुजरातके उन क्षेत्रोंके दौरेके पहले ही पकड़ लिये गये जिन्होंने १९३०-३१ के सघनोंका सबसे अधिक भार उठाया। उसी दिन चार नये आर्डिनंस (काले कानून) जारी कर दिये गये। वे थे—

- (१) सक्टकालीन-अधिकार आर्डिनेन्स,
- (२) गैरकानूनी-कार्योंको भडकानेके विरुद्ध-आर्डिनेन्स,
- (३) गैरकानूनी-या सघटन विरोधी-आर्डिनेन्स,
- (४) दवाव और बहिष्कार विरोधी आर्डिनेन्स।

सरकारके हाथमें इन आर्डिनेन्सोंसे इतनी अधिक शक्ति आ गयी कि प्रायः सभी साधारण कानून उनके सामने पीके पड गये और अधिकारियोंका हर काम इनकी रक्षाके अन्तर्गत आ गया। २६ मार्चको ब्रिटिश पार्ल-मेण्टमें भाषण करते हुए भारत सचिव ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि ये आर्डिनेन्स कठोर एवं व्यापक थे परन्तु उस समयकी स्थिति देखते हुए उन्हें इस विस्तृत रूपमें बनाना आवश्यक था। क्योंकि पूरी जानकारीके आधारपर सरकारको माहूम था कि उसका अस्तित्व ही खतरेमें था और भारतको अराजकतासे बचानेके लिए उन कानूनोंका बनना बहुत आवश्यक था।

महात्मा गान्धीकी गिरफ्तारीके पश्चात् तमाम शहरोंमें कांग्रेसी नेताओंकी गिरफ्तारी की गयी। कांग्रेस एवं कांग्रेससे सम्बन्धित सब सस्याएँ गैरकानूनी घोषित कर दी गयीं। कांग्रेसके

कार्यालयों व आश्रमों पर सरकारी कब्जा कर लिया गया। छापेखानों द्वारा कांग्रेसी-साहित्य प्रकाशित किये जाने पर रोक लगा दी गयी। डाक तथा तारकी सुविधाएँ भी कांग्रेसके लिए रोक दी गयीं—यहाँ तक कि १९३२ के कांग्रेसके अधिवेशनके अध्यक्ष मदनमोहन मालवीयका एक तार इंग्लैण्ड भेजनेसे रोक दिया गया। इन राज-कानूनोंके कारण कानून भंग करनेकी एक नयी प्रथा शुरू हो गयी। कांग्रेसके कार्यालय गुप्त रूपसे छिपकर कार्य करने लगे। कांग्रेसने संवाद, पत्र तथा डाक भेजनेका अपना संघटन कर लिया। कभी-कभी स्वयंसेवक पहचान लिये जाते और डाक पकड़ ली जाती। कांग्रेसके समाचार एवं आदेश गुप्त रूपसे छापे तथा बाँटे जाते थे।

लेकिन विलिंगडनके सर्वग्रासी आर्टिनेन्सोंमें भी कांग्रेसजनको मारने-पीटने और शारीरिक यातनाएँ देनेकी व्यवस्था न थी; और चूँकि भारतीय पुलिस अपने पंजों आये लोगोंको मारे-पीटे बिना रह ही नहीं सकती थी, १९३०-३१ की तरह इस बार भी पुलिसने बड़े पैमानेपर गैर-कानूनी टंगसे मारपीट की। कांग्रेसके दफतरोंमें जो मिलते उनपर जबरदस्त मार पड़ती अगर वे यह न बताते थे या बतानेमें असमर्थ होते थे—स्वयंसेवक व दान-दाताओंकी सूचियाँ, रसीद बहियाँ व दूसरे कागजात कहाँ हैं। पुलिसके यातनाएँ देनेके टंगका एक उदाहरण यह है कि कि हाईकोर्टके एक वकीलने अपना नाम व पता बतानेसे इनकार कर दिया तो उनके सिरके बाल ही एक-एक करके नोच डाले गये।

१९३२ के सत्याग्रहने विभिन्न प्रान्तोंमें विभिन्न रूप लिये। बंगाल व संयुक्तप्रान्तमें लगानबन्दी जारी रही, बिहारमें चौकीदारी बँकसबन्दी हुई। गद्दास, बिहार, मध्यप्रान्त, कर्नाटक व संयुक्त प्रान्तके कुछ स्थानोंमें जंगलात कानून तोड़े गये, बहुतसे अन्य स्थानोंमें गैर-कानूनी टंगपर नगम बनाया व बेचा गया। शराब व विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना हर प्रान्तमें व्यापक रूपसे दिया जाता रहा। “शान्तिपूर्ण बहिष्कार ही कांग्रेसकी सबसे सफल कार्रवाई थी। विदेशी सामानका बहिष्कार बहुत सफल रहा, पर, संस्थाओंका बहिष्कार उतना कामयाब नहीं हुआ।” आन्दोलनका दूसरा प्रमुख अंग विभिन्न ‘दिवस’ मनाना था। इनमें स्वतन्त्रता, गान्धी, मोतीलाल, सीमान्त, शहीद, शण्डा दिवस आदि प्रमुख थे।

यद्यपि १९३२ का आन्दोलन पिछले आन्दोलनकी छाया माना था, सरकारी रवैयेंमें कोई अन्तर नहीं था। कांग्रेस जुद्ध या किसीकी गिरफ्तारीकी सहायुग्तिमें इकट्ठी भीड़ ल्यटीचार्ज या गोली चलाकर तितर-बितर कर दी जाती थी। बहुत बड़ी संख्यामें लोग घायल हुए व मारे गये। आन्दोलनके पहले तीन महीनोंमें ४०००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। अप्रैलके बाद हर महीने गिरफ्तारियोंकी संख्या कम होने लगी। लगान वसूल करनेके लिए फिर गैर-कानूनी टंग इस्तेमाल किये जाने लगे, और एक व्यक्तिसे बकाया वसूल करनेके लिए पूरे संयुक्त परिवारोंकी सम्पत्ति कौड़ियोंके मोल नीलाम कर दी जाती। जेवर, जानवर, बरतन-भौंटे, खड़ी पसल सब करीब-करीब मुपतमें ही निकल जाते, अगर बच जाते तो पुलिस उन्हें तोड़फोड़ डालती और बरबाद कर देती। कहीं-कहीं सामूहिक जुर्मानी होते और पुलिस उसे अपने अनोखे टंगसे वसूल करती। कांग्रेसके कुछ दफतर और आश्रम पुलिसने अपने कब्जोंमें लेकर ध्वस्त कर डाले, या उनमें आग लगा दी। अखबारोंकी भी वही हालत हुई जो १९३०-३१ में हुई थी।

११ मार्च १९३२ को भारत सचिव सर सैमुअल होरको लिखे गये अपने पत्रमें गांधी-

जोने पुलिसके अत्याचारोंका वर्णन करते हुए लिखा—“मुझे लगता है कि दमन अपनी कानूनी सीमाओंको पार कर रहा है। देशमें सरकारी आतङ्कवादका जोर है। अंग्रेज व भारतीय दोनों अफसर पशु बन रहे हैं। ऊँचे और नीचे दोनों तरहके भारतीय अफसर सरकार द्वारा जनताके प्रति निष्ठाहीनता और अपने ही ग्लून मासके बने लोगोंके साथ अमानवीय कृत्योंके श्लाघनीय माने जानेके कारण अनैतिकताकी ओर झुक रहे हैं। वे जबरदस्ती चुप किये जा रहे हैं। भाषणकी स्वतन्त्रता खत्म हो रही है। शान्ति व व्यवस्थाके नभमपर गुण्डागर्दीका बोलबाला हो रहा है। जनताकी सेवाके लिए जो महिलाएँ आगे आ रही हैं उनके अपमानित होने और आवरु छिननेका डर है।” भारत सचिवने बात टालकर शिकायत खारिज कर दी। उन्होंने लिखा—“भारत सरकार व प्रान्तीय सरकार अपने व्यापक अधिकारोंका दुरुपयोग नहीं कर रही और किसी तरहकी ज्यादती या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई रोकनेका हर सम्भव प्रयत्न कर रही हैं।

२४ अप्रैलको कांग्रेसका ४६ वाँ अधिवेशन दिल्लीमें होनेका था। यह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंके बीच चतुरतानी लड़ाई साबित हुआ। पुलिसने अधिवेशन न होने देनेकी सब तैयारी कर ली थी। स्वागत समिति गैरकानूनी करार दे दी गयी थी और उसके दिल्लीवासी सदस्य पकड़ लिये गये थे। दिल्लीके लिए रवाना होनेवाले मैकडो प्रतिनिधि अपने स्टेशनपर ही पकड़ लिये गये थे। कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू वगैरहमें ही पकड़ ली गयी थीं। होटलों व धर्मशालाओंको हुकम जारी हो गये थे कि वे प्रतिनिधियोंको हरगिज न ठहरावे। अधिवेशनसे एक हफ्ते पहलेसे दिल्ली घेरनी सी स्थितिमें थी और जिसपर भी कांग्रेस प्रतिनिधि होनेका शक होता था वह पकड़ लिया जाता था। श्रीमती सरोजिनी नायडूके बाद मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष होनेको थे, पर वे दिल्लीमें उतरते ही पकड़ लिये गये। श्रीमती नायडूने ४० सदस्योंकी विषय समितिनी घोषणा की थी; उनमेंसे आधेसे ज्यादा पकड़ लिये गये। फिर भी, इस सबके बावजूद विषय समितिने शेष सदस्योंकी बैठक २३ अप्रैलको दिल्लीमें हुई और लाहौर अधिवेशनके पाँच प्रस्तावोंके अलावा बम्बईमें हुई कार्यसमितिकी बैठकमें स्वीकृत आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए।

“२४ अप्रैलको चाँदनी चौकके एक छोरसे दूसरेतक घुड़सवार व सगन्न पुलिस गस्त करने लगी। शहरके हर हिस्सेमें भी पुलिस तैनात थी। जहाँ भी सभाएँ हो सकती थीं, वे सब जगह पुलिसके कड़े पहरेमें थीं। सरेरे ठीक ९ बजे, देशके विभिन्न भागोंसे एकत्र सैकड़ों प्रतिनिधि चाँदनी चौकके घण्टाघरके नीचे खुले मैदानमें एकत्र हो गये। अधिवेशन लगभग १० मिनटतक चला जिसमें स्वागताध्यक्षका भाषण, कांग्रेसकी वार्षिक रिपोर्ट, कांग्रेसके प्रस्ताव आदि प्रतिनिधियोंको बाँटे गये और विषय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुए। लेकिन शीघ्र ही पुलिस आ गयी और उसने लगभग ३०० प्रतिनिधियोंके आम पास घेरा डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऐसी घबरा गयी थी कि उसने गिरफ्तारीके पहले सभाको गैरकानूनी भी घोषित नहीं किया।

“इसके बाद छोटे छोटे जुद्ध चाँदनी चौक आने और गिरफ्तार होने लगे। प्रतिनिधि आधे आधे दर्जनके गुटोंमें आते और पकड़ लिये जाते। कुछ समय बाद पुलिसकी समझमें आया कि इस तरह तो गिरफ्तारियोंका ताँता ही लगा रहेगा। तीसरे पहर गिरफ्तार



होनेके लिए बन्दाबंद आये लोगोंको लार्डी-चार्ज द्वारा तितर-बितर करना शुरू हो गया ।”

दिल्ली कांग्रेसके अनुसार दिल्लीमें ३५०, मुरादाबादमें २६० और मेरठ भारतमें ५०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए । नेताओंकी गिरफ्तारोंके विरोधमें बहुतमें महरोमें हड़ताएँ हुईं ।

सितम्बर १९३२ में गान्धीजीने बरबदा जेलमें आमरण अनशन करनेकी घोषणा की । इस उपासने सम्बद्ध घटनाएँ इस प्रकार थीं—पहले गोलमेज सम्मेलनमें दो प्रतिनिधियों—अच्छूत नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर व रावबहादुर आर. श्रीनिवासनने प्रस्ताव रखा था कि दलित वर्गोंकी अधिकार हो कि वे दस वार्षिक पृथक् निर्वाचन और वयस्क मताधिकारके आधारपर स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनकर विधान मण्डलोंमें भेजें । दस वर्षके बाद विधान मंडलोंमें स्थान नियत कर दिये जायें और उन स्थानोंके लिए संयुक्त निर्वाचन हो । दूसरे गोलमेज सम्मेलनमें भी यह प्रस्ताव जोरदार शब्दोंमें दोहराया गया और अच्छूतोंके अधिकारका रूप देकर उसे खूब बढ़ावा-चढ़ाया गया । गान्धीजीने इसका विरोध करते हुए कहा कि दूसरे अल्पसंख्यकोंके दावे तो मेरी समझमें आते हैं, पर अच्छूतों का दावा तो बड़ा निर्मम है । इसका अर्थ तो यह है कि दूत-अच्छूतकी यह भयानक खाई हमेशा बनी रहेगी । हम नहीं चाहते कि हमारे समाजमें वा मर्दुमशुमारोंमें ‘अच्छूत’ कोई अलग वर्ग बनकर रहे । मिन्य हमेशा सिल रह सकते हैं, मुसलमान हमेशा मुसलमान रह सकते हैं, अंग्रेज भी रह सकते हैं पर क्या अच्छूत हमेशा अच्छूत रह सकते हैं ? अस्तव्यस्ता जिन्दा रहनेने तो मैं हिन्दुत्वका मरना ही ज्यादा पसन्द करूँगा ।” गान्धीजीने चेतावनी दी—“इसलिए, मैं अपना पूरा बल देकर कठना चाहता हूँ कि चाहे मैं अकेला ही इसका विरोध करनेके लिए रह जाऊँ, मैं अपनी जान देकर भी इसका विरोध करूँगा ।” और उन्होंने विरोध किया ।

गोलमेज सम्मेलनमें सरकारी नौकरियों और विधान मण्डलोंमें प्रतिनिधित्वका प्रश्न सम्मेलनमें आये विभिन्न वर्गोंके कथित प्रतिनिधियोंपर छोड़ दिया था । प्रतिनिधि समझौतेके लिए बार-बार एकत्र होते और बार-बार असफल होते । अन्तमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और ब्रिटिश सरकारने घोषणा की कि वह स्वयं पैसला कर देगी । गान्धीजीने इस असफलतापर बोलते हुए सम्मेलनमें ही कहा था—“भारतीय प्रतिनिधिमण्डलके मंचटनमें ही असफलताके कारण निहित हैं । लगभग हम सभी प्रतिनिधि बिना निर्वाचित हुए, सरकार द्वारा नामजद होकर यहाँ आ गये हैं । जिस वर्ग या दलके प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमें चुना नहीं है । समझौतेके लिए जिन लोगोंका यहाँ होना आवश्यक था, वे यहाँ दिखाई नहीं देते ।”

ब्रिटिश सरकारने जो प्रतिनिधित्व सम्बन्धी साम्प्रदायिक निर्णय दिये उसमें दलित वर्गोंको प्रान्तीय विधान सभाओंमें ७१ विशेष स्थान दिये गये; इन स्थानोंकी पूर्ति “विशेष निर्वाचन क्षेत्रोंमें केवल दलित वर्गोंव मतदाताओंके वोटोंसे चुने गये” लोगोंमें होनेको थी । लेकिन चूँकि ये स्थान दलितोंकी जनसंख्याके अनुपातमें कम थे, उन्हें आम निर्वाचन क्षेत्रोंमें भी अपने उम्मीदवारोंको खड़ा करने और वोट देनेका अधिकार था । ‘निर्णय’ में घोषणा की गयी थी कि स्थान सुरक्षित रखनेकी व्यवस्था २० वर्षके लिये है, पर उसके पहले भी वह पारस्परिक समझौतेसे खत्म की जा सकती है । यह व्यवस्था हिन्दू समाजमें फूट डालकर

भारतीय राजनीतिमें सिल, मुसलमान, ईसाई आदि वर्गोंकी तरह एक और दल खड़ा करनेके लिए की गयी थी। १८ अगस्तको गान्धीजीने यरवदा जेलसे एक पत्र ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको लिखकर कहा कि मैं जान देकर भी इस निर्णयका विरोध करूँगा। मेरे लिए जो एकमात्र रास्ता है वह यह कि मैं हर प्रकार पाना छोड़नेका व्रत लूँ और नमक सोड़ेके साथ या उसके बिना सिर्फ पानी लूँ। यह उपवास तभी रत्न होगा जब ब्रिटिश सरकार स्वेच्छासे या जनमतके दबावमें अपना निर्णय बदले और दलित वर्गके लिए पृथक् निर्वाचनकी अपनी योजना वापस ले, दलित वर्गका प्रतिनिधित्व आम संयुक्त निर्वाचनसे हो, चाहे मतदान अधिकार कितना ही व्यापक क्यों न करना पड़े।” गान्धीजीने लिखा था कि उपवास २० सितम्बरसे शुरू होगा। ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने अपने ८ सितम्बरके पत्रमें निर्णय बदलनेसे इनकार किया और निर्णयके जिस अक्षर गान्धीजीको आपत्ति थी उसके समर्थनमें लिखा—

“दलित वर्गके सघटनोंकी अनेक अपीलें और आप द्वारा बहुधा स्वीकृत उन सामाजिक अयोग्यताओंको देखते हुए जिनसे दलित वर्गका उत्पीड़न होता है, हमने दलित वर्गके जो अधिकार समझे, विधान मण्डलोंमें दलित वर्गको काफी प्रतिनिधित्व देकर उनकी रक्षा करना अपना कर्त्तव्य माना।”

नियत दिन २० सितम्बरको गान्धीजीने एक वक्तव्य देकर अपना उपवास शुरू किया। दलित भाइयोंको सामाजिक अयोग्यताओंमें रखनेके लिए हिन्दू समाजकी आलोचना करते हुए गान्धीजीने वक्तव्यमें कहा—“यदि सार्वजनीन सामूहिक हिन्दू भावना अस्पृश्यताका मूलोच्छेदन करनेको तैयार नहीं है तो उसे बिना किसी शिक्षणके मेरो कुर्बानी दे देनी चाहिये।” २१ सितम्बरसे ही तमाम भारतका ध्यान दलित वर्गकी समस्या और उसके हलपर केन्द्रित हो गया। विभिन्न नेता इकट्ठे होकर उस मसलेका हल ढूँढने लगे जिसपर गान्धीजीने अपनी जानकी बाजी लगा दी थी। अतमें पूनामें दलित वर्गों और श्रेष्ठ हिन्दू समाजके जाने-माने नेताओंको एक बैठकमें सर्वमान्य समझौता हो गया। इस समझौते, पूना पैक्टके अनुसार दलित वर्गोंके लिए ७१ नई १४८ स्थान सुरक्षित हुए। वे स्थान संयुक्त मतदानसे भरे जानेवाले थे पर शर्त यह थी कि चुनावके पहले उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रके दलित वर्गीय मतदाता स्वयं प्रारम्भिक चुनाव द्वारा चार उम्मीदवारोंको चुन लें जो आम चुनावमें खड़े हों। इन प्रारम्भिक चुनावोंको १० वर्ष या पारस्परिक समझौते द्वारा उससे पहले ही रत्न हो जाना था। यद्यपि दलित वर्गोंकी आवादी अधिक थी किन्तु उन्हें आम स्थानोंके लिए भी खड़े हो सकनेकी छूट होनेके कारण आवादीके अनुपातमें स्थान सुरक्षित रखनेपर जोर नहीं दिया गया। पूना पैक्ट गांधीजीके पास यरवदा जेल भेजा गया और उनकी स्वीकृति पर सर्वसम्मत समझौतेकी तरह उसे ब्रिटिश सरकारके पास भेजा गया। २६ सितम्बरको ब्रिटिश सरकारने साम्प्रदायिक निर्णयको पूना पैक्टके आधारपर संशोधित करनेकी अपनी राजामन्दीकी घोषणा की और शामकी ५ बजे गांधीजीने उपवास तोड़ दिया।

लेकिन सवर्ण हिन्दुओंके अछूतोंके प्रति व्यवहारमें पैक्टसे कोई अन्तर नहीं आया। यहाँ वहाँ कुछ मन्दिरोंमें उनके प्रवेशमें रोक हट गयी थी पर शताब्दियोंकी आदत एक दिनमें तो छूट नहीं सकती थी; अछूत सामाजिक बहिष्कारके शिकार बने रहे। स्वयं दलित-वर्गीय होनेके नाते डाक्टर अश्वेडकरको इसका बड़ा दुःख था और उन्होंने गोलमेज सम्मेलनमें कहा था कि जो लोग अस्पृश्यताके आधारपर आचरण करते हैं उन्हें कड़ी चूदकी सजा

मिलनी चाहिये। गान्धी जीके रचनात्मक कार्यक्रममें अस्पृश्यता निवारणका प्रमुख स्थान था और वह अनवरत रूपसे उसके लिए सचेष्ट रहते थे। इसका प्रभाव विशेष नहीं हुआ और सुधार लगभग सुधारकोंतक ही सीमित रहा। पूना पैक्टमें प्रमुख भाग लेनेवाले गदनमोहन मालवीयने स्वयं अक्टूबरमें एक वक्तव्यमें कहा कि “मन्दिर और कुँओं आदिका उपयोग दलितोंके लिए खोल देना ठीक है पर पूना-पैक्टका यह अर्थ नहीं कि खान-पान और रोटी-बेटीका सम्बन्ध अद्वैतोंसि किया ही जाय।”

अक्टूबरके अन्तमें ही कुछ लोगोंने अपनेको कटर हिन्दुओंका प्रतिनिधि बताते हुए नाइसरायको एक स्मृतिपत्र दिया और उसमें कहा कि अद्वैतोंके मन्दिर-प्रवेशके प्रस्तावसे हमारी रक्षा की जाय और हिन्दुओंके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें बाहरी हस्तक्षेप न किया जाय। गान्धीजीको अपना अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन जेलसे चल्यानेकी अनुमति मिल गयी थी। हिन्दू सुधारक समझते थे कि सदियों पुरानी कुप्रथाएँ कानूनसे ही समाप्त हो सकती हैं और इसके लिए दो विल मद्रास विधायिका काँग्रेस और विधान-सभामें लाये भी गये। विलोंमें व्यवस्था थी कि अस्पृश्यतापर आधारित किसी भी प्रथाको अदालतोंमें कोई मान्यता नहीं मिलेगी। सर्वण हिन्दुओंके कई संघटनोंने इन विलोंका घोर विरोध किया और सम्भवतः दुर्नीलके विलोंपर विचार बार-बार स्थगित होता रहा। डाक्टर राजेश्वरकरने घोषणा की कि मन्दिर-प्रवेश न्योन्यकी चीज है और दलित वर्ग उसके लिए अपने साधन नष्ट नहीं करेंगे; वे तो सर्वण हिन्दुओंके सर्वोन्मत्त व्यवहारके कारण अबतक वर्जित मन्दिरोंमें जानेकी जगह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारनेमें अधिक दिलचस्पी रखते हैं।

१९३३ में सत्वाग्रहमें थकानके चिन्ह प्रकट होने लगे थे, यद्यपि संयुक्तप्रान्त, बंगाल, बम्बई, मद्रास, विहार व उड़ीसामें एक छोटे पैमानेपर वह अब भी जारी था। २६ जनवरीको स्वतन्त्रता-दिवस समारोहमें ज्यादा दिलचस्पी दिखायी गयी। लगानवर्दीका प्रचार व धरना संयुक्तप्रान्तमें जारी था, बम्बई, अहमदाबाद, विहार व उड़ीसामें बहिष्कार, धरना व प्रचारकार्य चल रहा था।

कांग्रेसका ४० वाँ वार्षिक अधिवेशन कलकत्तेमें पहली अप्रैलको होना तय हुआ। कांग्रेस स्वयं रौरकानूनी संस्था करार नहीं दी गयी थी और बंगाल विधान सभामें जब गृह-मन्त्रीने पृष्टा गया कि अधिवेशन करना रौरकानूनी होगा, उन्होंने बात शालते हुए उत्तर दिया था—वह अपनी अपनी रायका सवाल है। लेकिन अधिवेशन रोकनेकी तैयारी सरकार-कर चुकी थी। इस तैयारीके फलस्वरूप स्वागत समिति रौरकानूनी करार दे दी गयी और उसके अध्यक्ष व सैक्रेटरी पकड़ लिये गये। पुलिसको अधिकार दे दिया गया कि जिसपर भी कांग्रेसमें सम्बन्धित होनेका शक हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाय। इत्याहावाद क्षेत्रके रेलवे सुपरिन्टेण्डेंटको आदेश दे दिया गया था और वह सभी स्टेशन मास्टरोंतक पहुँचा दिया गया था कि जो लोग कांग्रेसके प्रतिनिधि मालूम पड़ें उन्हें कलकत्तेके टिकट न दिये जायें। कलकत्तेकी जनताको सावधान कर दिया गया था कि वह कांग्रेसमें आये प्रतिनिधियोंको न टहराये और स्वागत समितिके दफ्तरके लिये मकान न दें। इत्याहावादके जिला मजिस्ट्रेटने कलकत्ता अधिवेशनके लिये नियुक्त अध्यक्ष गदनमोहन मालवीयको सूचना दी थी कि वे अधिवेशनमें भाग नहीं लेने पायेंगे। कलकत्तेके लगभग ५०० प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। बाहरसे आनेवाले कांग्रेस नेता पकड़े जाने लगे। जिला मजिस्ट्रेटको आशा भंग

कर कलकत्तेके लिये जाते हुए मदनमोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरूकी पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू आसनसोलमें पकड़े गये। कलकत्तेके सभी ५९ पाकोंपर पुलिसका पहरा बैठा दिया गया। अधिवेगनके लिए देशके विभिन्न भागोंसे चले दार्द हजार प्रतिनिधियोंसे एक हजार पकड़ लिये गये। तब भी लगभग १५०० प्रतिनिधि कलकत्ते पहुँच गये और प्रतिबन्ध होनेके बावजूद लोगोंने उन्हें टहराया। इन प्रतिनिधियोंमें ८३ मुसलमान, ११७ महिलाएँ, २३ सिख, ७ पारसी व २ ईसाई थे। संयुक्त प्रान्तसे सबसे अधिक ६७३ प्रतिनिधि गये थे।

कलकत्तेमें अजब दृश्य था। दो दिनतक प्रतिनिधियोंको पुलिस जहाँ पाती उन्हें मारती पीटती और दूसरी तरफकी यातनाएँ देती। बादमें मदनमोहन मालवीयने पुलिस अत्याचारोंके सम्बन्धमें जो वक्तव्य दिया उससे स्थितिका कुछ पता लगता है। उन्होंने लिखा था—“३० मार्चको संयुक्त प्रान्तके ८९ प्रतिनिधियोंको छापा मारकर गिरफ्तार किया गया और लालबाजार थानेमें अग्रेज व एंग्लो इण्डियन साजेंटोंने उनपर हमला कर दिया। यह हमला बिना किसी उच्चेजनाके, पूर्वनिश्चित और पारिविक था। प्रतिनिधियोंको डण्डे और घूँसोंसे मारा गया। कुछ साजेंट डण्डे मार रहे थे, बाकी अपने घूँसे इस्तेमाल कर रहे थे। मार पेट, सीने, चेहरे व गिरपर पड़ो। बहुतसे प्रतिनिधियोंके सिर व चेहरे जखमी हो गये। जो प्रतिनिधि मारके कारण एक ओर गिर पड़ते, उन्हें पौरन दूसरी ओर मार पड़ने लगती। पेटकी चोट रोकनेके लिए कोई प्रतिनिधि अपने हाथ वहाँ ले जाता तो उसके मुँहपर मार पड़ने लगती। कोई अपना सिर छुन्न लेता तो उसकी उड्डूँ पर घूँसा पड़ता। जो मारके कारण गिर पड़ते उन्हें घूँटोंकी ठोकरें लगती। इटावेसे आये एक प्रतिनिधिने अपने हाथोंसे सिर बचानेकी कोशिश की तो कई साजेंट उसपर दूट पड़े और उसका सिर दीवारसे लडा दिया और उसका गला पकड़कर दीवारमें उसे सटाये रहे। उसका सिर जखमी हो गया और बहुत खून बहा। हमला खत्म होनेके बहुत देर बादतक बहुतेसे प्रतिनिधि बेहोश या अर्द्ध-मूर्च्छित पड़े रहे। एक दर्जनसे अधिक प्रतिनिधियोंके सिर, मुँह, आँख या दाँतसे खून बह रहा था। साजेंट जगलियोंकी तरह मार रहे थे और साथ ही गन्दी गालियाँ देते जा रहे थे। हर प्रतिनिधिको साजेंटोंकी दोहरी कतारके बीचसे निकलना पडा और कोई भी उनके हमलेसे नहीं बचा। कुछ प्रतिनिधि तो जन्म भरके लिए लँगड़े लूले हो गये।”

कलकत्तेके दो अन्य थानोंमें भी प्रतिनिधियोंके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ।

लेकिन, तब भी, पुलिसकी तीव्र और परेशानीके बीच, कलकत्तेके सबसे धने बने इलाकोंमेंसे एक, एस्पेनेडमें ठीक वक्तपर, शामके तीन बजेसे, श्रीमती नेलीसेन गुप्तकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। दार्द ही प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। श्रीमती सेनगुप्तके भाषणके बाद जल्दी जल्दी सात प्रस्ताव पास किये गये। इसके बाद मालवीयजीके शब्दोंमें “पुलिसने अन्ततः लाठीचार्ज किया, वहाँ इकट्ठी अपार भीडको तितर बितर किया और प्रतिनिधियोंको गिरफ्तार कर लिया। प्रतिनिधियोंने हमलेको शान्तिसे सहन किया। एकके बाद एक प्रतिनिधि प्रस्ताव पेश करनेके लिए खड़ा होता और साजेंट भरपूर ताकतसे उसपर लाठीसे हमला करते। आराके एक चकील पुलिसकी मारके बावजूद प्रस्ताव पढ़ते रहे, उनका चश्मा टूट गया और एक आँखमें बुरी तरह चोट आयी। लाठीचार्जके साथ ठोकरें भी मारी जा रही थीं। जो अब भी जिन्दा हैं, उनके घावोंके निशान अब भी मौजूद हैं,

और तब भा भारत-सचिवने ब्रिटिश पार्लियामेंटमें कहा कि मालवीयके वक्तव्यमें लगाये गये आरोप 'द्वेषपूर्ण' हैं।"

३० अप्रैलको जेलसे एक वक्तव्य जारी कर गान्धीजीने ८ मईसे २१ दिनके अपने 'अविखण्डनीय और बिना शर्त' उपवासकी घोषणा की। यह उपवास हरिजनोंके मामलेमें अधिक सतर्क और सजग रहनेके उद्देश्यसे अपनी व साथियोंकी आत्मिक शुद्धिके लिए किया गया था। उपवास दोपहरको शुरू हुआ और वे शामको ही मुक्त कर दिये गये। भारत सरकारने उन्हें "उपवासके उद्देश्यके लिहाजसे और उसमें परिलक्षित मानसिक दृष्टिकोण"के कारण छोड़ा था।

मुक्त होते ही गान्धीजीने एक वक्तव्यमें कहा कि मैं इस झुटकारसे खुश कैसे हो सकता हूँ। "मैं इस मुक्तिका लाभ उठाकर आन्दोलन चलाने या उसके लिए सलाह देनेका काम कैसे कर सकता हूँ?" उन्होंने लः समाहके लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने सरकारसे अपील की कि "यदि वह देशमें सच्ची शान्ति चाहती है तो आन्दोलन स्थगित होनेका फायदा उठाकर सभी सत्याग्रहियोंको बिना शर्त रिहा कर दे।" लेकिन "जबतक मरदार वल्लभ भाई, खानसाहब अन्दोलगपफार खाँ, पण्डित जवाहरलाल नेहरू व दूसरे लोग जिन्दा दफन हैं" उन्होंने आन्दोलन वापस लेनेसे इनकार कर दिया। इसकी सरकारी प्रतिक्रिया दूसरे ही दिन प्रकट हो गयी। एक सरकारी विज्ञापनमें कहा गया कि सरकार कांग्रेससे समझौतेकी बात चलानेको तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन स्थगित करना भर काफी नहीं है।

१२ जुलाईको कांग्रेसजन गैररस्मी तौरपर पूनामें मिले और उन्होंने राजनीतिक परिस्थितिपर विचार किया। उन्होंने सरकारसे समझौतेकी बातचीत चलानेके लिए गान्धीजीको सब अधिकार दे दिये। गान्धीजीने तार देकर वाइसरायसे भेंटके लिए समय माँगा। कई तार आये-गये। अन्तमें वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरीने गान्धीजीका अनुरोध टुकराते हुए लिखा—सरकारका एक ऐसी संस्थाके प्रतिनिधिये बातचीत करनेका सवाल ही नहीं उठता जिसने सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस नहीं लिया है।

वाइसरायके उत्तरसे राजनीतिक नकशा बदल गया और कांग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्ष माधव श्रीहरि अणेसे सलाह कर गान्धीजीने एक दूसरे रूपमें आन्दोलन चलानेका निश्चय किया। अणेने निम्नलिखित कार्यक्रमकी घोषणा की—लगानबन्दी, करबन्दी व दूसरे सार्वजनिक आज्ञा भंग कार्यक्रम समाप्त किये जायँ; कांग्रेसजन अपने व्यक्तिगत दायित्वपर निर्जीरूपसे सत्याग्रह करें; गुम तरीके बन्द हों; कांग्रेस महासमिति व कांग्रेसके दूसरे संगठन कुछ समयके लिए खत्म कर दिये जायँ और उनकी जगह डिक्टेटर नियुक्त कर दिये जायँ।

गान्धीजी पहली अगस्तको रास नामक गाँव जाकर व्यक्तिगत सत्याग्रहका श्रीगणेश करनेवाले थे, पर वे ३४ आश्रमवासियोंके साथ ३१ जुलाईकी रातको ही गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ४ अगस्तको छोड़ा गया और आदेश दिया गया कि यरवदा गाँव छोड़कर वे पूना जाकर रहें। गान्धीजीने आदेशका पालन नहीं किया और आधे घण्टेके भीतर उन्हें फिर गिरफ्तार कर एक सालकी कैदका दण्ड दे दिया गया।

इसके बाद सैकड़ों कांग्रेसजनोंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और वे जेल गये। अणे

अपने १३ सहयोगियोंके साथ १४ अगस्तको पकड़ लिये गये। वे अकोलाके लिए मार्च करनेवाले थे, ज़र वे पकड़े गये। उनके स्थानापन्न शार्दूलसिंह कवीरकर भी शीघ्र ही पकड़ लिये गये। कवीरकरने अपना स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया था, ताकि आन्दोलन सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह बन सके। अगस्त १९३३ से मार्च १९३४ तक सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारीका ताता लगा रहा।

इस बार गान्धीजीको जेलमें अस्मृत्यता निवारण सम्बन्धी अपना कार्यक्रम चलानेकी सुविधा नहीं मिली और इसके विरोधमें उन्होंने गिरफ्तारीके कुछ ही दिन बाद फिर अनशन किया। २३ अगस्ततक वे बहुत कमजोर हो गये और उनकी जानकी खतरा पैदा हो गया। उसी दिन वे बिना शर्त रिहा कर दिये गये। पर गान्धीजी अपनेको बन्दी मानते रहे और ३ अगस्त १९३४ तक वे मुख्यतः हरिजन आन्दोलनके सघटनमें ही व्यस्त रहे। उस दिन उनकी एक वर्षकी कैदकी अवधि समाप्त होती थी। नवम्बरमें उन्होंने हरिजनोंकी समस्यापर प्रचार और धनसंग्रहके लिए देशव्यापी दौरा शुरू किया। १० महीनेमें उन्होंने लगभग हर प्रांतका दौरा किया। पूनामें क्रिगोने, सम्भवतः किसी कष्टर सनातनी हिन्दूने, गान्धीजीपर बम फेंका जो उन्हें तो नहीं लगा पर कई और लोग घायल हो गये। फरवरी १९३४ में जवाहरलाल नेहरूपर उनके कथित राजद्रोहात्मक भाषणोंके लिए कलकत्तेमें फिर मुकदमा चला और उन्हें दो महीनेको सजा हो गयी।

७ अप्रैल १९३४ को गान्धीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी लगभग समाप्त कर दिया। एक वक्तव्यमें उन्होंने कहा—“बहुत मोचने और दिल टटोलनेके बाद मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि वर्तमान परिस्थितिमें केवल एक व्यक्तिको अर्थात् मुझे कुछ समयके लिए सविनय प्रतिरोधना उत्तरदायित्व लेना चाहिये—यदि प्रतिरोध पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके साधन रूपमें सफल होता है तो.....इसलिए वे सब लोग जो स्वराज्यप्राप्तिके लिए मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सलाहसे सविनय प्रतिरोधके लिए प्रेरित हुए थे, अबमें प्रतिरोध न करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतकी आजादीकी लड़ाईके हितमें यही सबसे अच्छा रास्ता है।”

पिछले असहयोग आन्दोलनकी समाप्तिकी भाँति इस बार फिर स्वराज्य पार्टीका उदय हुआ। ३१ मार्च १९३४ को डाक्टर असारकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें कुछ कांग्रेस नेताओंका सम्मेलन ‘मतिरोध’ समाप्त करनेके लिए विधान मण्डलोंमें प्रवेशके कार्यक्रमपर विचार करनेके लिए हुआ और अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टीको पुनर्जीवित करनेका निश्चय हुआ। सम्मेलनने विधान मण्डलोंमें जाकर सभी दमनकारी कानून रद्द करवाने और स्वतंत्रपत्रके प्रस्तावोंको टुकराकर उनकी जगह राष्ट्रीय माँग रखवानेका कार्यक्रम बनाया। सम्मेलनके निर्णयोंपर डाक्टर असारने गान्धीजीको सलाह माँगी। गान्धीजीने स्वराज्य पार्टीका स्वागत करते हुए लिखा—“आजकी स्थितिमें विधान मण्डलोंके उपयोग सम्बन्धी मेरी राय प्रकट है। विधान मण्डल जैसे ही हैं जैसे १९२० में थे।”

फिर २ व ३ मई को राँचीमें कांग्रेसजनोंका एक बृहत् सम्मेलन हुआ, जिसमें चुनाव लड़नेके लिए स्वराज्य पार्टीके पुनर्जीवनके निर्णयका समर्थन हुआ और गोलमेज सम्मेलनके निर्णयोंपर आधारित वैधानिक सुधारोंकी योजनाके बहिष्कार और राष्ट्रीय माँगोंकी पूर्तिके लिए सविधानपरिषद् निर्माणकी माँगके आधारपर चुनाव लड़नेका फैसला हुआ। पटनामें १८ व १९ मईको हुई अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें राँची सम्मेलनके निर्णयोंको

स्वीकार कर लिया गया और चुनाव लड़ने व उम्मीदवार छाँटनेके लिए एक पार्लमेण्टरी बोर्डकी स्थापना की गयी ।

१९३४ के मध्यतक अधिकतर कांग्रेसजन रिहा कर दिये गये थे यद्यपि सरकारकी प्रतिशोधात्मक नीति जारी थी । बहुतसे कांग्रेसी नेता विशेषकर गुजरातके कार्यकर्त्ता अब भी जेलोंमें बन्द थे; कई प्रान्तोंमें कांग्रेस कार्यालयोंकी इमारतें वापस नहीं की गयीं, जिन लोगोंने आन्दोलनमें भाग लिया था उनके विदेश जानेपर पाबन्दी थी; जो लोग व्यापार या निजी कामसे जाना चाहते थे, उन्हें भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता था । खुदाई खिदमतगार संघटन अब भी गैरकानूनी था ।

१८ सितम्बर १९३४ को कांग्रेस छोड़नेके निर्णय सम्बन्धी गांधीजीका प्रेस वक्तव्य पढ़कर भारत अचम्भेमें आ गया । वक्तव्य इस प्रकार शुरू हुआ था—“कांग्रेससे सभी भौतिक सम्बन्ध खत्म कर लेनेके मेरे विचारके सम्बन्धमें जो अफवाहें थीं, वे सही थीं ।” यह कदम उठानेके कारण बताते हुए गांधीजीने लिखा था—“(१) शिक्षित कांग्रेसजनोंका काफी बड़ा भाग मेरी नीति, नीति और कार्यक्रमको पसन्द नहीं करता, लोग उससे थक गये हैं; कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमें सहायता देनेकी जगह में बाधा बनता जा रहा हूँ; जनतान्त्रिक और प्रतिनिधित्व पूर्ण संस्था रहनेकी जगह कांग्रेस मेरे व्यक्तित्वके प्रभुत्वमें आ रही है, उसमें तर्ककी प्रतिष्ठा घट रही है । (२) मैंने चरखा और खादी सबसे आगे रखा था, लेकिन शिक्षित कांग्रेसजन चरखा चलाना लगभग छोड़ चुके हैं, यदि विधानसे खादीकी शर्त हटा दी जाय तो कांग्रेस और उस करोड़ों जनताके बीचकी कड़ी टूट जायगी, जिसका प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मसे कर रही है, अगर यह शर्त विधानमें रहती है तो इसका कड़ाईके साथ पालन होना चाहिये, पर यह हो नहीं सकता यदि कांग्रेसके बहुमतका इसमें जीवित विश्वास न हो । (३) असहयोग आन्दोलनका शुरू करनेवाला होता हुआ भी मैं समझता हूँ कि देशकी वर्तमान परिस्थितिमें जब कि सविनय अवज्ञाका कोई कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेसके भीतर ही वैधानिक कार्यक्रमवाला एक दल कार्यक्रमके रूपमें आवश्यक है, पर इस सम्बन्धमें गहरे मतभेद हैं । पटनामें कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें मैंने जिस जोरसे इस कार्यक्रमकी वकालत की थी, उससे मेरे कुछ सबसे अच्छे साथी पेशान थे, लेकिन वे अपने विश्वासके अनुसार करने या कहनेमें हिचकिचाये । किसी संस्थाके स्वस्थ विकासके लिए यह आवश्यक भी है और भला भी लगता है कि एक सीमातक व्यक्ति अपने मतपर उस व्यक्तिके मतके आगे जोर न दे जो अनुभव या विवेकमें बढ़ा माना जाता हो; पर यदि यही बात दिन प्रतिदिन दोहरायी जाती रहे तो वह कृता और अत्याचार बन जाती है । (४) सोशलिस्टोंकी पुस्तिकाओंमें छपे कार्यक्रमसे मेरे आधारभूत विरोध हैं । यदि कांग्रेसमें उनका उत्कर्ष हुआ, जो होगा ही, तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकता, क्योंकि सक्रिय विरोधमें होनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती । (५) अस्पृश्यताके प्रश्नपर भी, सम्भवतः मेरा दृष्टिकोण बहुतसे (यदि अधिकांश नहीं) कांग्रेसजनोंसे भिन्न है । (६) अन्तमें अहिंसाको लें; १४ वर्षके व्यवहारके बाद आज भी कांग्रेसके बहुसंख्यक लोगोंके लिए वह केवल एक नीति है, जब कि मेरे लिए वह बुनियादी सिद्धान्त है ।”

इन बातोंपर कांग्रेसजनोंकी भावनाएँ परखनेके लिए गांधीजीने कांग्रेस विधानमें कुछ संशोधन करनेका प्रस्ताव किया । पहला संशोधन यह होना था कि 'वैध और

शांतिपूर्ण साधनों' की जगह 'सत्य और अहिंसाके साधनों' कर दिया जाय। दूसरा सशोधन यह था कि कांग्रेसकी चार आना सदस्यताकी जगह यह कर दिया जाय कि हर सदस्य या सदस्या हर महीने अपने आप कातकर कमसे कम ८००० फुट १५ नम्बरी सूत जमा करे। तीसरा सशोधन यह था कि जो व्यक्ति सादी धारण करनेका आदी न हो और जो लगातार छः महीनेसे कांग्रेसका सदस्य न हो, उसे कांग्रेस सस्थाके चुनावोंमें भाग न लेने दिया जाय। चौथा सशोधन यह था कि कांग्रेस प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या १००० निर्धारित कर दी जाय।

२६, २७ व २८ अक्टूबर १९३४ को बम्बईमें राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें हुए कांग्रेस-अधिवेशनने गान्धीजीका लगभग पूरा कार्यक्रम और सशोधन स्वीकार कर लिया; सिर्फ प्रतिनिधियोंकी संख्या १००० की जगह २००० नियत की गयी। लेकिन गान्धीजी व अन्य लोगोंके बीच जो मौलिक सैद्धांतिक मतभेद था वह प्रस्तावोंसे दूर नहीं हो सकता था और गान्धीजी अपने निर्णयपर दृढ़ रहे। बम्बई अधिवेशनके बाद वे कांग्रेससे अलग हो गये। कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा गान्धीजीके नेतृत्वमें अपना विश्वास दोहराते हुए कांग्रेस छोड़नेके अपने निर्णयपर पुनर्विचार करनेकी अपील गान्धीजीसे की। इस प्रस्तावमें आगे कहा गया था—“किन्तु इस सम्बन्धमें उन्हें राजी कर सकनेमें असमर्थ होने पर कांग्रेस उनका निर्णय बेमनसे स्वीकार करती है और देशके प्रति उनकी विलक्षण सेवाओंके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करती है। इस बातपर कांग्रेस सन्तोष प्रकट करती है कि जब भी आवश्यक होगा उनकी सलाह और नेतृत्व कांग्रेसको प्राप्त होता रहेगा।”

कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस समितिनी सदस्यताके लिए यह अनिवार्य कर दिया कि छः महीनेकी शारीरिक मेहनत जरूर की जाय। शारीरिक मेहनतमें ५०० गज सूत कातना भी था।



## अध्याय २३

### फिर आतंकवाद

सात सालकी निष्क्रियताके बाद, जिस बीच क्रान्तिकारी पार्टियाँ गान्धीवादी आन्दोलनोंके परिणामोंकी प्रतीक्षा करती रहीं, १९२४ में फिर आतंकवादी कार्य शुरु हो गये। उसी वर्ष जनवरीमें बंगाल पुलिस कमिश्नर टैगर्टके धोखेमें, गोपीमोहन साहाने एक अन्य आदमी अनैस्ट डेको गोली मार दी। अप्रैलमें एक दूसरे अंग्रेज ब्रूसको हरिसन रोड कलकत्तेमें गोली मार दी गयी। यहाँ भी धोखेमें ही ब्रूसपर गोली चलायी गयी। कलकत्तेमें ही मार्चके महीनेमें, वम बनानेका एक कारखाना पकड़ा गया। जुलाईमें कलकत्तेकी स्ट्रिकोंपर एक क्रान्तिकारी पार्टीका सदस्य पकड़ा गया। उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी। अब कुछ कांग्रेसजन भी वम-राजनीतिसे हतने प्रभावित हो गये कि जूनमें चित्तरंजन दासकी अध्यक्षतामें बंगाल राजनीतिक सम्मेलनमें गोपीमोहन साहाके आत्म-बलिदानकी प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

१९२५ में अंग्रेजी पार्लमेण्टने, भारत सरकारको, बंगालमें पाँच सालके लागू विशेष नियमोंको आगे भी लागू किये रहनेकी अनुमति दे दी जिसके परिणाम-स्वरूप बंगालमें आतंकवादी पार्टियोंके करीब डेढ़ सौ नेता गिरफ्तार कर जेलोंमें बन्द कर दिये गये।

यू० पी० में, जहाँ १९२४ में क्रान्तिकारी संघटन हिन्दोस्तान रिपब्लिकन संघकी शाखा कायम हो गयी थी, लखनऊ जिलेमें काकोरी रेलवे स्टेशनके पास एक हथियारबन्द डाका पड़ा। मुरादाबादसे लखनऊ आनेवाली एक मुसाफिर गाड़ीको रोक लिया गया और रिवाल्वर दिखाकर कुछ नौजवानोंने गाड़के डिब्बेसे रुपयेके बक्स उतार लिये। एक मुसाफिरने कुछ बाधा डालनेकी कोशिश की तो उसको गोली मार दी गयी। यू० पी० में ये शाखाएँ कायम करनेका विशेष श्रेय योगेशचन्द्र चटर्जीको है। वे १९२३ के अन्तमें कलकत्तेमें बनारस चले आये थे। इस काममें सचीन्द्रनाथ सान्यालने उनकी सहायता की। सचीन्द्रनाथ सान्यालको 'बनारस पब्लिशिंग केस' में १९१५ में सजा हुई थी और फिर १९२५ में 'क्रान्तिकारी' नामक परचा बाँटनेके अभियोगमें फिर उन्हें सजा हो गयी।

काकोरी रेल डकैतीके सम्बन्धमें अट्टाह्म आदमियोंपर मुकदमा चलाया गया। चारको फौसीकी सजा मिली, दोको कालेपानी और ब्याक्रीको पाँचसे चौदह वर्षकी कैदकी सजा दी गयी।

१९२८ में पंजावमें भी आतंकवादी कार्य आरम्भ हो गये। लाहौरमें भगतसिंह और उनके साथियोंने एक जंगू संस्था—नौजवान भारत सभा स्थापित कर ली। इस संघटनका काम, समाजवादी विचारधाराका प्रचार करना, अंग्रेजोंके विरुद्ध 'सीधी' कार्रवाई करनेकी आवश्यकता समझाना और आतंकवादी पार्टीके लिए सदस्य भरती करनेके केन्द्रके रूपमें काम करना था। यह भारत सभा आगे चलकर हिंदोस्तान समाजवादी रिपब्लिकन संघमें परिणत हो गयी। इसकी प्रान्तीय और जिला शाखाएँ स्थापित हो गयीं। दिसम्बर १९२८ में लाहौरमें एक यूरोपीय नायब सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस साण्डर्स और एक हिंदुस्तानी पुलिस-

के सिपाहीकी हत्या कर दी गयी। लाजपतरायके नेतृत्वमें साहमन कमिशन विरोधी प्रदर्शन पर पुलिसने जो लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाजपतरायको साघातिक चोट लगी थी, उससे उत्तेजित होकर ये हत्याएँ हुई थी। कुछ हफ्तों बाद लाजपतरायकी मृत्यु हो गयी। आतंकवादियोंने इसका बदला साडर्सकी हत्यासे लिया। लाठीचार्जका हुकम साडर्सने दिया था और उन्होंने अगुआई भी की थी। अप्रैल १९२९ में केन्द्रीय विधान सभामें औद्योगिक विवाद-विधेयक (ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल) पास होने पर भगतसिंह और बी० कै० दत्तने सरकारी सदस्योंपर बम फेंके। यह विधेयक मजदूर आन्दोलनके विरुद्ध था। मजिस्ट्रेटके सामने उन्होंने अभियोग स्वीकार कर लिया और अपने बयानमें कहा कि उनका उद्देश्य प्रदर्शन-मात्र था, किसीको चोट पहुँचाना नहीं था। दोनोंको कालेपानीकी सजा मिली। ये दोनों साडर्स हत्याकाण्डमें भी अभियुक्त थे।

कुछ ही दिन बाद लाहौरमें बम बनानेका कारखाना पकड़ा गया और इस सिलसिलेमें न सिर्फ पंजाबमें बल्कि यू. पी. और बिहारमें भी बड़े पैमानेपर लोग गिरफ्तार किये गये। जुलाईमें लाहौर पड्यूनन केसमें तेरह आदमियों पर मुनदमा चलाया गया। इस केसमें साडर्स हत्याकाण्ड भी जोड़ दिया गया।

जेलके अन्दर कई महीनोंतक अभियुक्तोंपर अत्याचार होते रहे और उन्हें अमानुषिक यातनाएँ दी जाती रहीं। मजिस्ट्रेटके सामने सुली अदालततकमें वे पीटे जाते थे। एक पुस्तिकामें एक अभियुक्तने लिखा है कि “वहाँ (अदालतमें) बकीलों और दर्शकोंकी उपस्थितिमें उन्हें और लाठियोंसे लैस घीसियों पुलिसके सिपाही हमारे ऊपर टूट पड़े। हमने खाली हाथोंसे इस हमलेको रोकना मगर परिस्थितियाँ हमारे प्रतिफल थीं, हमारे सर छाती, और बांहोंपर लाठियोंकी वर्षा होती रही। जमीनपर गिराकर हमारे ऊपर ठोकरों और लाठियोंकी बौछार होने लगी। हम लोगोंकी चोटें इतनी गम्भीर थी कि कई साथी कई दिनोंतक हिलडुल भी न सके।” एक मतवाँ जन सात लड़के लाहौर पड्यूनन केसके अभियुक्तोंकी रक्षाके लिए चन्दा जमा कर रहे थे तो पुलिसने उन्हें जिला मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें पीटा, यहाँतक कि सब घुरी तरहसे जखमी हो गये और कुछ बेहोश होकर गिर पड़े।

अपने साथ किये गये दुर्व्यवहारके विरोधमें और अपनी तकलीफोंको दूर करानेके लिए लाहौर पड्यूनन केसके अभियुक्तोंने जेलमें भूख-हड़ताल शुरू कर दी। ६३ दिनतक लगातार भूख हड़ताल करनेके बाद जतीन्द्रनाथ दासने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी मृत्युपर सारे देशमें विरोधात्मक प्रदर्शन हुए।

सरकारने लाहौर पड्यूननके अभियुक्तोंका मुनदमा करनेके लिए एन आर्टिनेन्स द्वारा एक विशेष ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। किसी बकीलको अभियुक्तोंकी तरफसे पैरवी करनेका अविकार नहीं दिया गया। इस ट्रिब्यूनलने भगतसिंह, राजगुह और सुखदेवको फाँसीकी सजा दी और बाकी सातको कालेपानीकी सजा दी। चाइसरायके पास गांधीजीके प्रार्थना करनेके वाक्य और पूरे राष्ट्रकी माँग—‘फाँसीके अभियुक्तोंकी सजा बदलकर कालापानी कर दी जाय’—को ठुकराकर २३ मार्च १९३१ को भगतसिंह, राजगुह और सुखदेव फाँसीपर लटका दिये गये। इस फाँसीके खिलाफ लोगोंमें इस कदर गुस्सा था कि केन्द्रीय विधान-सभाके गैर सरकारी सदस्योंकी एक बहुत बड़ी संख्या वित्त विधेयक (फाइनेंस

त्रिल) के ऊपर हो रही बहसके दौरानमें फॉसीके विरोधस्वरूप २५ मार्चकी बैठक छोड़, सभा-भवनसे बाहर चली आयी। कराची कांग्रेस अधिवेशन (१९३१) ने राजनीतिक हिंसाको उचित न मानते हुए और अपनेको उससे अलग करते हुए भगतसिंह और उनके साथियोंकी बहादुरी और बलिदानकी प्रशंसा की।

२३ दिसम्बर १९२९ को दिल्लीके निकट वॉइसरायकी गाड़ीको नष्ट करनेका असफल प्रयत्न किया गया। इस बमके ठीक वक्तपर फटनेके लिए घड़ीकी तरहके यन्त्रका हस्तेमाल किया गया था।

अप्रैल १९३० में १५० बंगाली नौजवानोंके एक दलने पूर्वी बंगालमें चटगाँवमें पुलिस शस्त्रशाला (आर्मरी) सहायक सेनाकी शस्त्रशाला (आग्जिलरी फोर्स आर्मरी) यूरोपीयन क्लब, तार और टेलीफोनके दफतरपर हमला किया और कुछ हथियार, गोली और बारूद लेकर भाग गये। ये नौजवान खाकी बरदी पहने हुए थे और इनके नेता अफमरोंकी बरदीमें थे। आक्रमणकारी चार दलोंमें विभक्त थे। सहायक सेनाकी शस्त्रशालापर हमला करनेवाली टुकड़ीने साजेंट मेजर पैरल और एक सिपाहीको गोली मार दी और इमारतमें पेट्रोलसे आग लगा दी। जब कि पुलिस शस्त्रशालापर हमला करनेवाली टुकड़ीने उस रास्तेसे गुजरनेवाली सब मोटर गाड़ियोंपर गोलियाँ चलायीं, उनकी गोलियोंसे एक रेल्वे गार्ड, एक टैक्सिका ड्राइवर और सहायक ड्राइवर तथा मजिस्ट्रेटकी कारमें एक सिपाही मरा। इस टुकड़ीने सात आदमियोंको मार डाला और दोको घायल किया। तार-घरपर हमला करनेवाली टुकड़ीने, जिसमें छः आदमी थे, वहाँके बल्कको पकड़ लिया, उसे क्लोरोफार्म सुँघाकर बेहोश कर दिया और टेलीफोन बोर्डको नष्ट कर दिया।

सफलता पानेके लिए आक्रमणकारियोंने हमला करनेसे पहले चटगाँवसे लेकर २७ मीलकी दूरीतकके तार काट दिये थे। आधी रातके करीब, जब कि आक्रमणकारी शहरके उत्तरकी तरफ पहाड़ियोंमें भागे तो उनमें और हथियारबन्द पुलिसमें छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हुईं। इन लड़ाइयोंमें १९ आक्रमणकारी मारे गये। कई पुलिसवाले भी घायल हुए और मारे गये।

पाँच दिन बाद फेनी रेलवे स्टेशनपर चटगाँव-आक्रमणसे सम्बन्ध रखनेके सन्देहमें ४ नौजवान गिरफ्तार कर लिये गये। नौजवानोंने रिवाजवरसे गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं और एक नायब इंस्पेक्टर व दो सिपाहियोंको घायल करके भाग गये।

१९३० में बम्बई, हावड़ा, मद्रास, मुस्तान, कानपुर, लाहौर, लायलपुर, वारीमाल, अमृतसर, गुजरानवाला, रावलपिण्डी, शेखपुरा, दिल्ली, कलकत्ते, पेशावर, शॉसी, ढाका, मैमनसिंह, बन्नु, राजशाही, बनारस, कराची, जैसोर, गुर्शिदाबाद, खुलना, खुरजा, इलाहाबाद, उधियाना, जैसोर, हैदराबाद (सिन्ध) चाँदपुर (बंगाल) और लाहौरमें बम फेंकने, गाड़ी रोकने, और अधिकारियोंकी हत्याके प्रयत्नोंकी अनेक घटनाएँ हुईं।

८ दिसम्बर १९३० को यूरोपियन पोशाक पहने हुए तीन आतंकवादी जेलोंके इंस्पेक्टर जनरल, लेफ्टिनेण्ट कर्नल सिम्पसनके दफतर पहुँचे और उनको गोलीसे मार डाला व दो अन्य आदमियोंको घायल कर दिया। हमला करनेवालोंमेंसे एकने जहर खाकर अपनी जान दे दी, बाकी दोनोंने अपनेको गोली मार ली। उनमेंसे एक विनय बसु मर गया और दूसरे दिनेश गुप्तपर मुकदमा चलाया गया और उसे फॉसी दे दी गयी।

उसी महीनेमें पंजाब यूनिवर्सिटीके दीक्षात समारोहके समय गवर्नर और उनके साथियोंपर गोलियाँ चलायी गयीं। गवर्नरको तो थोड़ी ही चोट आयी परन्तु पुलिसके एक अधिकारीको घातक चोट लगी।

१९३१ में भी बंगाल, पंजाब और यू० पी० में बम फेंकनेको वाद-सी आ गयी थी।

१९३१ के आरम्भमें मिदनापुरके जिला मजिस्ट्रेटको गोलीसे मार डाला गया। अलीपुरका जिला जज भी इसी प्रकार मारा गया। मिदनापुरके कई जिला मजिस्ट्रेट एकके बाद एक इसी तरहमें मारे गये। २७ जनवरी १९३१ को इलाहाबादमें प्रसिद्ध परार व्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद और पुलिसके बीच गोलियाँ चलीं। आजाद मारे गये और कई पुलिस अधिकारी घायल हुए।

१९३२ में आतंकवादियोंके हमलोंकी ९७ घटनाएँ हुईं जब कि १९३१ में ८१, १९३० में ५३ और १९२९ में ८ हुई थीं। परन्तु १९३३ में ये घटनाएँ घटकर ४३ रह गयीं। १९३४ में और कमी हुई तथा १९३५ में आतंकवादी कार्य एकदमसे खत्म हो गये। उस साल अकेले बंगालमें २७०० नजरबन्द कैदी थे।

## अध्याय २४

### समाजवादी व कम्यूनिस्ट पार्टियाँ

१९२४ में सरकारको सूचनाएँ मिलीं कि सीमाप्रान्तमें कम्यूनिस्ट प्रचार किया जा रहा है। सीमाप्रान्त हमेशासे ही अँग्रेजोंके लिए सरदर्द बना हुआ था।<sup>१</sup> कम्यूनिस्ट प्रचार का मुख्य केन्द्र समरकन्द स्थित पुरानी 'कॉलोनी' थी जहाँसे एक समय वहावी आन्दोलन संचालित होता था।

उस वर्ष सरकारने कानपुरमें एक कम्यूनिस्ट पट्टयन्त्रका पता लगा लेनेका दावा किया। एम. एन. रायसे प्रेरणा पाकर कुल नौजवानोंने 'भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी' संघटित की। एम. एन. राय इन लोगोंसे बरलिनके एक पतेकी मार्फत पत्र-व्यवहार करते थे। ये नौजवान कम्यूनिस्ट-साहित्य वितरित कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि सरकारको हिंसा द्वारा उलट दो और वर्गरहित समाज स्थापित करो। इस अपराधके लिए कई लोगोंको गिरफ्तार करके, भिन्न-भिन्न सजाएँ दी गयीं। कानपुर-पट्टयन्त्रकारियोंकी गिरफ्तारियोंके बावजूद कम्यूनिस्ट कार्य होते रहे। सत्यभक्त नामके एक व्यक्ति भारतमें कम्यूनिस्ट पार्टीके जन्मदाता और उसको संघटित करनेवाले थे। रायका प्रचार चालू था। "छपे हुए घोषणा-पत्रोंमेंसे एकमें ( जो भारतमें बहुत बड़े पैमानेपर बाँटे गये थे ) रायने कहा कि क्यों गोलियों और गुप्त समाज इत्यादिसे क्रान्ति नहीं हो सकती। व्यक्तिगत आतंक अँग्रेजी पार्लमेंटके कानूनोंकी भाँति निरर्थक हैं। केवल विद्रोही जनता ही भारतमें सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर सकती है।<sup>२</sup> कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य। हर सम्भव तरीकेसे गरीबों और मजदूर वर्गकी दशामें सुधार करना था। किसान, दफ्तरके बावू, रेल और टाकके कर्मचारी, पुलिसके सिपाही और विद्यार्थी सब 'मजदूर'की परिभाषामें रखे गये। कम्यूनिस्ट पार्टीका अन्तिम लक्ष्य 'वर्तमान सामाजिक संघटन और भारत सरकारको बदलना, उत्पत्ति और वितरण ( जैसे जमीन, कारखाने, खानें, तार और व्यापारिक समुद्री बेड़ा इत्यादि ) के सब साधनोंका नियन्त्रण साधारण जनताके हाथमें देना और उसे इन साधनोंका मालिक बनाना था। पार्टीका कहना था कि यह कार्य इस प्रकारसे पूरा किया जाय कि सर्वसाधारण अभीष्ट-सिद्धिके कार्यमें भाग लें और सब इससे लाभ उठाएँ।"<sup>३</sup>

पार्टीने दिसम्बर १९२५ के अन्तमें, गद्रासके सिंगरावलकी अध्यक्षतामें कानपुरमें अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट सम्मेलनका आयोजन किया। सिंगरावल कानपुर पट्टयन्त्र काण्डमें अभियुक्त थे, परन्तु उनपर मुकदमा नहीं चलाया गया। सम्मेलन उसी पंढालमें होनेवाला था जहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, परन्तु इस पंढालके इस्तेमालकी आज्ञा नहीं दी गयी। सम्मेलनमें पाँच सौ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। कानपुरमें सत्यभक्त द्वारा पार्टीके संघ-

१. इण्डिया इन १९२४-२५ पृष्ठ १३

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १३

३. इण्डिया इन १९२५-२६ से उद्धृत पृष्ठ १९६

टनके तरीकों और प्रबंधपर बड़ा असन्तोष व्यक्त किया गया। सत्यभक्तने, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको रूसी या और किसी विदेशी प्रभावसे मुक्त रखना चाहते थे, त्याग पत्र दे दिया। पार्टीके प्रधान कार्यालयका स्थान कानपुरसे बदलकर बम्बई कर दिया गया और बादमें कलकत्तेमें प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया।

दूसरी तरफ कम्युनिस्ट १९२६ में मजदूरों और किसानोंकी पार्टियों सघटित कर रहे थे। १९२७ में ब्रिटिश पार्लमेण्टके सदस्य शाहूजी सकलातवाला तथा एक अन्य अंग्रेजी कम्युनिस्ट जार्ज एलीसन उर्फ टोनाल्ड कैम्पबेल भारत आये। उन्होंने पूरे देशकी यात्रा कर मुख्य नगरोंमें बड़ी बड़ी सभाओंमें भाषण किये और मजदूर तथा किसान पार्टियों सघटित करनेकी प्रोत्साहित किया। महायुद्धके बाद, १९२८ का वर्ष मजदूर आन्दोलन और सघर्षोंकी सबसे बड़ी प्रगति का वर्ष था। बंगाल मजदूर आन्दोलनोंका केन्द्र बन गया। साहू-गन कमीशन विरोधी राजनीतिक दृष्टतालों और प्रदर्शनोंसे मजदूर आन्दोलनोंको बहुत प्रोत्साहन मिला। १९२८-२९ के सालमें देशमें २-३ दृष्टतालें हुईं जिनमें एक साउथ इण्डियन रेलवेकी दृष्टताल भी थी जिसमें ५०६,८५१ मजदूर शामिल थे। रेलवे दृष्टतालके सम्बन्धमें बहुतसे लोग गिरफ्तार किये गये और उनपर मुकदमा चलाया गया। उनमेंसे पन्द्रहको दस दस सालकी कड़ी कैदकी सजा मिली। सरकार समझती थी कि सकलातवाला व कुछ अन्य यूरोपीय कम्युनिस्ट भारतमें मजदूर संघर्षोंके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए सरकारने १९२८ में केन्द्रीय विधान सभामें जन सुरक्षा विधेयक पेश करके 'ऐसे लोगोंके जो ब्रिटिश भारतकी प्रजा हों और ध्वंसात्मक उपायोंसे सरकारको उलटाना चाहते हों' निष्कासनकी स्वीकृति चाही। विधान सभाने विधेयक अस्वीकृत कर दिया। जनवरी १९२९ में सरकारने इस विधेयकमें कुछ संशोधन कर हरे पिर विधान सभामें स्वीकृतिके लिए पेश किया। यह विधेयक भी अमान्य कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंटने इस विषयका एक आर्डिनंस जारी किया। मार्च १९२९ में सरकारने बत्तीस मजदूर नेताओंको जिनमें कुछ कांग्रेसजन, और तीन अंग्रेज भी थे गिरफ्तार किया और उनपर मेरठमें मुकदमा चलाया। उनपर भारत सरकारको इस तरह शक्ति-प्रयोग द्वारा, जो अपराध माना जाता हो उलटनेके पदर्थन करनेका अभियोग लगाया गया। उनके ऊपर लगाये गये अन्य आरोप थे—मजदूरों और पूँजीपतियोंके बीच विरोध और वैमनस्य बढ़ाना, मजदूरों और किसानोंकी पार्टियों व नीजवान सघों (यूथ लीग) और यूनियनोंके जरिए दृष्टतालोंको प्रोत्साहन देना। पदर्थन सिद्ध नहीं किया जा सका, फिर भी मुकदमा साढे तीन सालतक चलता रहा। जनवरी १९३३ में निर्णय मुनाया गया। मुजफ्फर अहमदको कालेपानीकी सजा दो गयी। एस. ए. डोगे, एस. वी. पाटे, के. एन. जोगलेकर, आर. एस. निम्गलकर, विलिफ स्प्रैट, को १७-१७ सालकी सजाएँ दी गयी; और शौकत उस्मान व बी. एफ. ब्रैडलेको दस दस सालकी। सबसे कम सजा तीन सालकी कड़ी कैदकी थी। अपील करने पर ये सजाएँ घटा दी गयीं। अधिन्तर सजाएँ तो १९३३ के अन्तके पहले ही समाप्त हो गयीं। छूटे हुए कम्युनिस्ट पौरन ही अपने अपने कामोंमें जुट गये। कांग्रेसके बाएँ बाजूका मार्क्सवादकी तरफ झुकाव था। १७ दिसम्बर १९३३ को जवाहरलाल नेहरूने कहा "आज सभारको कम्युनिज्म और फासिज्मसे एक चुनना है। मैं तो पूरे तौरपर कम्युनिज्मके साथ हूँ। कम्युनिज्मके मूल सिद्धान्त और इतिहासका वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों सही हैं।" १९३३ के अन्तिम दिनोंमें कम्युनिस्टोंने जोरदार

प्रचार आन्दोलन शुरू किया। हिन्दोस्तान समाजवादी रिपब्लिकन संघ द्वारा जारी हुए परचोंको दिल्लीमें चिपकाया गया। फरवरी १९३४ में, भारतके मुख्य औद्योगिक केन्द्रों, जैसे बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, अहमदाबाद वगैरहमें अकस्मात लम्बे-लम्बे लेख जिनमें क्रान्तिकारी कार्योंके सब पहलुओंकी व्याख्या और भारतमें गांधी कार्यक्रमकी रूपरेखा दी हुई थी, प्रकट हुए। उस गैरकानूनी पत्रिकाका नाम जिसमें ये सब लेख छपते थे 'कम्यूनिस्ट' था। अन्तरराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघके अंग भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टीकी अस्थायी केन्द्रीय समिति (प्रॉविजिनल सेण्ट्रल कमेटी) का यह मुखपत्र था।

जनवरी १९३४ के अन्तिम सप्ताहमें बम्बईमें एक कम्यूनिस्ट सम्मेलनने आगामी तीन महीनोंके अन्दर कपड़ा-उद्योगके मजदूरोंकी देशव्यापी हड़ताल संघटित करनेके लिए एक संघर्ष-समिति नियुक्त की। योजनाके अनुसार 'मर्ग-दिवस' पर देशव्यापी आम हड़ताल आरम्भ होनेके लिए एक हफ्तेका समय देकर २३ अप्रैलको बम्बईमें हड़ताल शुरू हो गयी। शोलापुरमें हड़ताल आरम्भ हो चुकी थी। दिल्ली और नागपुरमें भी मर्गमें हड़तालें हो गयीं।

२३ जुलाईको भारत सरकारने एक विज्ञप्ति द्वारा भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी, पार्टीकी समितियों और इसकी शाखाओंको गैरकानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि सरकारके अनुसार पार्टीका उद्देश्य शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेमें बाधा डालना था जिसके कारण जन-शान्तिको खतरा पैदा हो गया था। अगले महीने गृहमन्त्रीने इस कार्यकी सफाई पेश करते हुए विधान सभामें कहा कि मेरे पडयन्त्र काण्डके मुकदमेसे साफ तौरपर यह सिद्ध हो गया था कि भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट अन्तरराष्ट्रीय संघमें गहरा सम्बन्ध है और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य हिंसात्मक साधनों द्वारा समाजके वर्तमान ढाँचेको उलटना है तथा हथियारबन्द क्रान्तिके जरिये भारतको स्वतन्त्र करना है।<sup>१</sup>

भारत सरकारका अनुसरण कर पंजाब, बम्बई और मद्रासकी प्रान्तीय सरकारोंने भी कई कम्यूनिस्ट संघटनोंके खिलाफ विज्ञप्तियाँ निकालकर उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया। "एक दर्जनसे अधिक रजिस्ट्री शुदा मजदूर यूनियनोंको गैरकानूनी करार दे दिया गया। नौजवान मजदूर संघ (थंग वर्कर्स लीग) भी अवैधानिक घोषित कर दी गयी। मजदूर वर्गके लड़ाकू और क्रान्तिकारी संघटनोंको कुचलनेके लिए गोलियोंका भी प्रयोग किया गया। बिना मुकदमा चलाये मजदूर व कम्यूनिस्ट नेता जेलोंमें नजरबन्द कर दिये गये।"<sup>२</sup>

मेरे केसके बाद मजदूरों और किसानोंकी पार्टियाँ खत्म हो गयी थीं। कुछ वर्षों तक कम्यूनिस्ट-कार्य जो मजदूर-आन्दोलनतक ही अभी सीमित थे, करीब-करीब खत्मसे रहे।

१९२५ से १९३३ तक भारतमें कम्यूनिस्ट पार्टीकी प्रगति एक रूसी कम्यूनिस्टके शब्दोंमें यह थी, "देशमें बिखरे हुए कम्यूनिस्टोंको एक संघटनमें लानेवाली १९२५ में बनी मजदूर और किसान पार्टी थी। परन्तु इस संघटनमें मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियोंके प्रतिनिधि भी घुस आये थे और वार्यं बाजूके समाज-सुधारक भी इसमें शामिल हो गये। समाज-सुधारक राष्ट्रीय पूँजीवादके दलालोंकी हैसियतसे मजदूर-वर्गके संघटनोंमें घुस आये थे और प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी नारे लगाकर ये मजदूरवर्गको राष्ट्रीय पूँजीवादके प्रभावमें लाना चाहते थे। कम्यूनिस्टों द्वारा संघटित मजदूर यूनियनोंमें और कम्यूनिस्ट नेताओंकी नीतिमें इन दक्षिणपंथी-समाजवादी समाज-सुधारकोंका प्रभाव साफ दिख-

लाई पडता है। 'मजदूर और किसान पार्टी' ( वर्कर्स एण्ड फेजेन्ट्स पार्टी ) में शामिल होने-वाले विभिन्न दलोंमें आपसी गुटबाजीके झगड़े होने लगे। १९२८ में भगोडे रायको (एम.एन. रायको) जो पार्टीमें गुटबाजी करा रहे थे, निकाल देनेसे परिस्थिति सम्हल गयी। परन्तु समाज-सुधारकोका प्रभाव अभी बाकी था, जैसा कि आगे चलकर प्रत्यक्ष हुआ। १९२९ में भारतीय मजदूर आन्दोलनमें फूट पड गयी और १९३१ तक देशमें भारतीय मजदूर आन्दोलनके तीन केन्द्र स्थापित हो गये—दि ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स, जिसका नेतृत्व दक्षिणपन्थी सुधारक कर रहे थे, वामपन्थी नेतृत्वमें 'अरिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस' और 'रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' जिसमें सर्वहारा वर्गके कृत्तिकारी सघटन एक हो गये थे। १९३३ के अन्तमें अभीतक बिपरे हुए कम्यूनिस्ट दलोका सघटनात्मक एका हो गया और सब एक सघटनमें आ गये।<sup>१</sup>

### समाजवादी पार्टी

१९३०-३४ के सविनय अवज्ञा आन्दोलनोंमें कांग्रेसके अन्दर गान्धीजीके अग्रेजोंके खिलफ लडनेवाले तरीकोंसे एक हिस्सेमें असन्तोष पैदा हो गया था। इन लोगोंका विश्वास था कि रचनात्मक कार्योंके बजाय अग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय शोषण करनेवालोंके विरुद्ध सघर्ष करनेके लिए मजदूरों और किसानोंके सघटन करनेपर अधिक जोर देना चाहिये। बिहारमें मई १९३१ में इस विचारको ठोस रूप दिया गया और समाजवादी पार्टीकी स्थापना की गयी। समाजवादी पार्टी कांग्रेसके अन्दर ही बनी थी, और प्रोपेगण्डा अन्दुल्यारी उसके अध्यक्ष, राहुल साकृत्पायन, फूलन० वो० बर्मा और गंगाशरण सिंह मन्त्री चुने गये। अभी पार्टीका कार्य शुरु ही हुआ था कि १९३२ में फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया। नासिक जेलमें जहाँ कांग्रेसके महामन्त्री जयप्रकाशनारायण, अशोक मेहता, अन्धुन पटवर्धन, मीनू मसानी, नरायन स्वामी, एन० जी० जे० गोरे और एस० एम० जोशी बन्द थे, एक मजबूत और बड़ी समाजवादी पार्टी कायम करनेकी योजना बनायी गयी। उन्होंने कांग्रेसके अन्दर समाजवादी पार्टी कायम करनेका निश्चय किया। समाजवादी पार्टीके विधानका मसविदा तैयार कर लिया गया और गुप्त रूपमें जेलसे बाहर भेज दिया गया। नेताओंके जेलसे छूटनेके पूर्व ही १९३३ में बम्बई प्रेसीडेन्सी कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापित हो गयी थी। इसकी स्थापना करनेमें पुष्पोत्तमदास त्रिभुवनदास, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, मीनू मगानी और यूसुफ मेहरअली मुख्य थे। पार्टीका सघटन करनेवालोंके सामने ये बुनियादी उद्देश्य थे—

(१) अगर मजदूरों और किसानोंको कांग्रेसके स्वाधीनता सग्रामकी तरफ आकर्षित करना है तो उनके सामने समाजवादका चित्र खींचना पड़ेगा ताकि उन्हें मान्य हो सके कि स्वाधीन भारत किस प्रकार उनकी आर्थिक उन्नतिके लिए काम करेगा। (२) स्वतन्त्रता-संग्रामको वैधानिक स्तरपर जानेमें रोकना—यह सकेत स्वराज्य पार्टी मनोवृत्तिवालोंकी ओर था।

मई १९३४ में पटनामें अरिल भारतीय कांग्रेस महासमितिकी बैठक होनेवाली थी। समाजवादियोंने सोचा कि यह अवसर और स्थान जोर शोरसे पार्टीकी स्थापना करनेके

१. कॉलोनियल पीपुल्स स्टूडन्ट्स फार लिबरेशन, पृष्ठ २२ (पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस बम्बई)



लिए अत्युत्तम होगा। कांग्रेस महासमितिकी बैठकके एक दिन पहलेके लिए ( १७ मई १९३४ ) एक बैठक समाजवादियोंने निश्चित की और इसका निगमनण अखबारोंके जरिए उन सब लोगोंको दिया गया जो समाजवादी विचारधारामें विश्वास रखते थे। पटना-समाजवादी सम्मेलनमें एक सौसे अधिक प्रतिनिधियोंने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता आचार्य-नरेन्द्रदेवने की। स्वागत-समितिके अध्यक्ष अब्दुलबारीने अपने भाषणमें भारतीय राजनीतिमें एक नया दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि “भारतकी जनता केवल राजनीतिक स्वतन्त्रतासे सन्तुष्ट नहीं हो सकती; जरूरत है राजनीतिक स्वतन्त्रताके साथ समाजकी आर्थिक नींवका पुनर्निर्माण करनेकी—जिस पुनर्निर्माणमें आदमी द्वारा आदमीका शोषण समाप्त हो जायगा और जिसमें भौतिक, सांसारिक उन्नतिके सब साधनोंका उपयोग सब लोग बराबरीसे कर सकेंगे।”

समाजवादियोंके सामने सबसे पहला काम कांग्रेसके विधानसभा-कार्यक्रमका विरोध करना था। इस विरोधका आरम्भ आचार्य नरेन्द्रदेवने अपने अध्यक्षपदके भाषणसे किया। उन्होंने कहा कि “अबतक यह नीति रही है कि क्रान्तिकारी परिस्थितिमें सीधी राजनीतिक कार्रवाई की जाती है, परन्तु जब उसके बाद प्रतिक्रियाका काल आता है तो कांग्रेसजन अपने-अपने स्वभावानुसार या तो रचनात्मक काममें लग जाते हैं या विधायक कार्यक्रम अपना लेते हैं। यह अदला-बदली हमें पसन्द नहीं है।” सम्मेलनने आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाशनारायण, सी. सी. बनर्जा और फरीदुल हक अंसारीकी एक समिति पार्टीका विधान और कार्यक्रम बनानेके लिए नियुक्त कर दी। जयप्रकाशनारायण इस समितिके मन्त्री नियुक्त कर दिये गये।

फिर कांग्रेस अधिवेशनके अचसरपर ही समाजवादी पार्टीका पहला यथानिधि सम्मेलन अक्टूबरमें बम्बईमें हुआ। इसी बीच बीस प्रान्तोंमेंसे चौदहमें ( कांग्रेस द्वारा निर्देशित भाषावार प्रान्तोंमें ) पार्टीकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं। बम्बईके सम्मेलनमें डेढ़ सौसे ऊपर प्रतिनिधियोंने भाग लिया और सम्पूर्णानन्दने इस सम्मेलनकी अध्यक्षता की। प्रतिनिधियोंमें उल्लेखनीय डा० राममनोहर लोहिया, जयप्रकाशनारायण, मोहनलाल गौतम, अन्त्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, देशपांडे, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय और पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास थे।

पुरानी परम्परा तोड़कर सम्पूर्णानन्दने अध्यक्ष-पदसे कोई भाषण नहीं किया और सीधे सम्मेलनकी कार्रवाई आरम्भ कर दी। निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। (१) मजदूरों और किसानोंको स्वतन्त्रता और समाजवादकी प्राप्तिके लिए शक्तिशाली जन-आन्दोलन चलानेके निमित्त संघटित करना। (२) सब साम्राज्यवादी युद्धोंका जोरदार विरोध करना। (३) वैधानिक प्रश्नोंपर अंग्रेजी सरकारसे कोई समझौता-वार्ता न करना। (४) सत्ता हथियानेके बाद भारतका विधान बनानेके लिए संविधान-सभा बुलाना। सम्मेलनने विधानके लिए कुछ मूल सिद्धान्त भी निश्चित कर दिये। ये थे (१) धनके वास्तविक पैदा करने-वालोंके हाथमें सत्ता रहे। (२) सरकार देशकी आर्थिक उन्नतिकी योजनाएँ बनाये और उनका नियन्त्रण करे। (३) देशके मुख्य और प्रधान उद्योगों ( लोहा, कपड़ा, जूट, रेलवे, खानें और जहाजी उद्योगों ) बैंक, बीमा कम्पनियों, और जनहित सेवाओंका समाजीकरण कर दिया जाये। (४) वैदेशिक व्यापारके ऊपर सरकारका एकाधिकार रहे। (५)

लोगोंके आर्थिक जीवनके ऐसे क्षेत्रोंपर जिनका समाजीकरण न हुआ हो, सहाकारी-सघोंका नियन्त्रण रहे। (६) बिना मुआविजा दिये राजे महाराजे, जमींदारी प्रथा और दूसरे शोषण करनेवाले खत्म कर दिये जायँ, (७) किसानोंमें भूमिका फिरसे वितरण हो। (८) सहाकारी व संयुक्त ( कोआपरेटिव ऐण्ड कलेक्टिव ) कृषि समितियोंको प्रोत्साहन दिया जाय। (९) मजदूरों और किसानोंके सब कर्जे माफ कर दिये जायँ। (१०) प्रत्येकको नौकरीकी गारण्टी रहे। (११) 'प्रत्येकसे यथाशक्ति और प्रत्येककी आवश्यकतानुसार'का सिद्धान्त लागू किया जाय। (१२) व्यावहारिक रूपमें बालिग मताधिकार कायम किया जाय। (१३) धर्म, जाति अथवा वर्गपर आधारित विशेषताको कोई मान्यता न दी जाय। (१४) लिंगके आधारपर कोई भेदभाव न किया जाये। (१५) भारतका सार्वजनिक ऋण अस्वीकार कर दिया जाये।

चूँकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि विशेष राजनीतिक सिद्धान्तोंको माननेवालोंका एक मोर्चा थी इसलिए उसने पौरन ही उस कार्यक्रमके छठवें सूत्रसे अपनेको अलग कर लिया। १३ जून १९३४ को कार्यसमितिकी वर्षाकी बैठकमें निश्चय किया गया कि "कांग्रेस न तो सम्पत्ति जन्त करना चाहती है और न वर्गयुद्धका समर्थन करती है।" ये दोनों ही कार्यक्रम कांग्रेसकी अहिंसा नीतिके विपरीत हैं। फिर भी कार्यसमितिके इतना कहा कि "कांग्रेस व्यक्तिगत सम्पत्तिको उचित और अधिक बुद्धिमत्तासे उपयोग करनेका विचार रखती है तथा कांग्रेस, पूँजी और मजदूरोंके बीच ज्यादा अच्छे रिश्ते स्थापित करनेका भी विचार रखती है।

अब सोशलिस्टोंके सामने पहला वाम कांग्रेस द्वारा भारत सरकारका १९१९ के ऐक्ट-के अन्तर्गत कार्यभार सम्हालनेका विरोध सघटित करना था। कार्यभार सम्हालनेके पक्षमें दक्षिण पंथी अपनी शक्ति लगा रहे थे। सोशलिस्टोंने घोषणा की कि बीस सालके अनवरत आन्दोलनके फलस्वरूप और साल सालतक सरकारी गर्भमें रहनेके बाद भी यह ऐक्ट माटफोर्ड-मुधारीके मुकामलेमें अधिक उन्नतिशील नहीं है। इस ऐक्टके सघात्मक भागमें सघात्मक विधानसभामें राज्योंकी जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंके स्थानपर भारतीय रियासतोंके राजाओंको प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य परिषद्में उनको ( राजाओंको ) कुल सीटोंका २/५ मिला है और लोक सभामें १/३ जब कि भारतीय रियासतोंकी आवादी भारतकी जनसंख्याकी चौथाईसे भी कम है। फिर यह आवश्यक नहीं कि सघका विधान रियासतोंमें भी लागू हो। रियासतोंका आन्तरिक शासन हमेशाकी भौति प्रतिक्रियावादी ही रहेगा। सघके मन्त्रियोंके अधीन शासनका एक सीमित क्षेत्र रहेगा, जब कि वास्तविक सत्ता वॉइसरॉयके हाथमें रहेगी और यह विधान सभाने कैसलोंकी रद्द कर सकेगा।

सविधानके प्रान्तों सवधी भागोंमें, यद्यपि वे प्रतिक्रियावादी केन्द्रकी अधीनतामें रहेगे, वहाँकी विधान सभाओंमें राजाओंके समान तत्त्व नहीं होंगे। विधान सभा पूरे तौरपर निर्वाचित संस्था होगी यद्यपि मतदाता कुल जन संख्याके केवल ११% होंगे। परन्तु कुछ प्रांत्तोंमें स्थापित राज्य परिषद् तो बहुत ही सीमित मताधिकारके आधारपर बनी थी। प्रत्यक्ष रूपमें लोक-प्रिय प्रतीत होने और पूरी तौरपर निर्वाचित होनेके बावजूद इन विधान सभाओंको उत्तरदायी और अपने निर्णयोंको लागू करवानेमें समर्थ नहीं माना जा सकता था। प्रांत्तोंके गवर्नर

१. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ( हिन्दी ) कलेक्शन ऑफ सम स्पीचेज ऑफ जयप्रकाश-नारायण पृष्ठ १६-१७

सर्व-शक्तिमान थे और विधान सभाओंको प्रान्तीय धन-कोषका एक सीमित भाग ही खर्च करनेका अधिकार था। गवर्नर विधान-सभासे उच्च अधिकार रखता था। वह विधान-सभाओंके निर्णयोंको रद्द कर सकता था और स्वतन्त्र रूपसे कानून बना सकता था। इस ऐक्ट द्वारा उसे विशेषाधिकार मिले थे, जिनका इस्तेमाल वह मन्त्रिमण्डलसे बिना सलाह लिए ही कर सकता था। अगर गवर्नर "प्रान्तकी शान्ति अथवा व्यवस्था खतरोंमें" समझता तो वह किसी भी दिशामें पूर्ण अधिकार अपने हाथमें ले सकता था।

इसलिए जवाहरलाल नेहरू, बहुतेसे कांग्रेसजन और समाजवादी १९३५ के ऐक्टके लाने किये जानेके विरुद्ध थे।

---

## अध्याय २६

### कांग्रेस द्वारा पदग्रहण

कांग्रेसका ४९ वॉ अधिवेशन लखनऊमें अध्यक्षके पिताके नामपर बसायी गयी एक नयी बस्ती—मोतीनगरमें जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें हुआ। प्रान्तीय सरकारने जिला अधिकारियोंको आदेश दे रखा था कि 'लखनऊ अधिवेशनके रास्तेमें कोई अनावश्यक बाधाएँ न डाली जायँ।' अधिवेशनको शानदार सफलता मिली; ग्रामीण उद्योग प्रदर्शनीने भी उसकी श्रीवृद्धि की।

हालॉ कि जवाहरलालका लिखित भाषण अग्रेजीमें छपकर ब्रँट चुका था, वे दो घण्टे-तक हिन्दीमें बोले। उनका भाषण कांग्रेस और भारतीय राजनीतिमें बढकर दुनियामें काम करनेवाली आर्थिक और राजनीतिक शक्तियोंके विवेचनमें लग गया। उन्होंने कहा—  
 “दुनियामें दो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे तैयार हैं; ये दोनों व्यवस्थाएँ इस समय एक दूसरेके प्रति सहनशील हैं, पर उनमें मौलिक विरोध है और वे दुनियापर आधिपत्य जमानेके लिए लड़ रही हैं। एक व्यवस्था पूँजीवादकी है जो अनिवार्य रूपसे उपनिवेशीकरण द्वारा साम्राज्यवादी शक्तियोंको जन्म देता है; ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक दूसरेको हडप लेनेकी उतावली रहती हैं... दूसरी व्यवस्था सोवियत यूनियनके नये समाजवादकी है जो दिनोदिन उन्नति कर रहा है—यद्यपि बहुधा इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पडती है; यहाँ पूँजीवादकी समस्याएँ नहीं है।”

ब्रिटिश साम्राज्यवादके सम्बन्धमें उन्होंने कहा—“यह देखकर ताज्जुब होता है कि जो उनके कब्जेमें है उसपर कब्जा जमाये रखनेके लिए हमारे शासक नोचताकी किन गहरी खाइयोंमें उतर गये हैं और यह देखकर दुःख होता है कि हमारे कुछ देशवासी अग्रेजोंसे ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्यवादमें दिलचस्पी रखते हुए इस घृणित काममें अग्रेजोंसे बाजी मार ले जानेकी कोशिशमें लगे हैं, शायद यह अनिवार्य होता हो। इन लोगोंने अपना मानसिक सन्तुलन खो दिया है; कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलनका डर इनपर इस तरह छा गया है कि अपनी इच्छाको वे अपना विचार समझ बैठते हैं, विचारको निष्कर्ष मान लेते हैं, निष्कर्षको सत्य कहने लगते हैं और ये सत्य गम्भीरतापूर्वक सरकारी विजितियोंमें प्रकाशित किये जाते हैं; ब्रिटिश सरकारकी भारतमें गरिमा और प्रतिष्ठा इन्हींपर आधारित है, और जनता जेलों व नजरबन्दी कैम्पोंमें बिना अभियोग या मुकदमेके ठूस दी जाती है।”

समाजवादी नेहरूने आगे कहा—“मुझे विश्वास है कि दुनिया और भारतकी समस्याओंका समाधान समाजवादमें है..... मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस एक सोशलिस्ट संघटन बनकर दुनियाकी उन शक्तियोंका हाथ बटाये, जो नयी सभ्यता कायम करनेमें लगी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेसमें बहुमत सम्भवतः इतने आगे जानेकी तत्पर न होगा..... यद्यपि मैं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रममें भाग लेता हूँ, मेरा बौद्धिक दृष्टिकोण कांग्रेसके उन बहुतसे लोगोंसे भिन्न है जो औद्योगिकीकरण और समाजवादके विरोधी हैं।”

कांग्रेस मंचसे पहली बार संविधान परिषदकी माँग की गयी। नेहरूने कहा—“मैं समझता हूँ, नये प्रान्तीय विधान-मण्डलोंके चुनाव हमें लड़ने ही पड़ेंगे। हमें ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्य-क्रमके आधारपर चुनाव लड़ना चाहिये जिसमें संविधान परिषदकी माँग सबसे प्रमुख रहे। विधान निर्मात्री परिषद ही हमारा विधान ठीक और जनतान्त्रिक ढंगपर बनानेका उपाय है और परिषदके प्रतिनिधि ही ब्रिटिश सरकारसे संधिकी बात चलायें।”

वे १९३५ के विधानके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल बनानेके विरुद्ध थे। “यदि हम इस विधान व कानूनके विरुद्ध हैं और उन्हें अस्वीकार करते हैं, तो क्या इसीसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन्हें लागू करनेमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिये; इनके लागू होनेका हमें भरसक विरोध करना चाहिये? इस कानूनके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल बनाना, उसे अस्वीकार करनेका विरोध करना है और स्वयं ही अपनी निन्दा करना है।”

नागरिक स्वतन्त्रताके दमनके सम्बन्धमें अभिवेदानके मुख्य प्रस्तावसे उस समयकी स्थितिका पता लगता है। प्रस्तावमें कहा गया था—“राष्ट्रीय, मजदूर व किसान आन्दोलनोंको कुचलनेके लिए ब्रिटिश सरकारने भारतमें जिस व्यापक और तीव्र रूपसे नागरिक और बहुधा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका दमन किया है, उसकी ओर कांग्रेस ध्यान आकृष्ट करती है— विशेषकर सैकड़ों कांग्रेस, राष्ट्रीय, मजदूर व किसान और अन्य राजनीतिक संघटनोंको गैर-कानूनी कर देनेकी ओर; सरकारने बहुतसे आश्रमों और शिक्षा-संस्थानोंको अपने कब्जमें ले लिया है और उन्हें छोड़ नहीं रही; आर्डिनंस राज जारी है... हालाँकि विधान सभाने दो बार आर्डिनंस व ऐसे ही दूसरे कानूनोंको अस्वीकार कर दिया है; किताबें और पत्रिकाएँ जप्त हो रही हैं; इधर कुछ वर्षोंमें कई प्रंस कानूनों व संस्थाओंके कारण ३४८ अखबार बन्द कर दिये गये हैं और अखबारोंसे माँगी गयी बड़ी बड़ी जमानतें जप्त कर ली गयी हैं, अभियोग व मुकदमा चलाये बिना ही बड़ी संख्यामें लोग पकड़कर नजरबन्द कर दिये गये हैं; सीमाप्रान्तकी जनताको अन्य प्रकारकी असंख्य असुविधाओं व परेशानियोंका सामना करना पड़ रहा है, बंगालके कई हिस्सोंमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका छिन गया है; देशमें असंख्य लोगोंके आवागमन, प्रवेश, प्रस्थान आदिपर रोक लगाकर उन्हें अपना सामान्य काम करनेसे रोक दिया गया है; बहुधा साधारण मानवीय व सहायता कार्योंपर भी रोक लग जाती है; राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंपर ‘जशायमपेशा’ या ‘विदेशी’ कानून लागू कर दिये जाते हैं; मकानोंकी व्यापक रूपसे तलाशियाँ ली जाती हैं; भारतीयोंके विदेश जानेमें बाधा डाली जाती है; बहुतसे भारतीयोंको विदेशोंसे भारत नहीं लौटने दिया जाता और इस प्रकार उन्हें अपनी मातृभूमिसे निर्वासित रखा जाता है। १८५७ के महान् विद्रोहके बाद कभी भी इस प्रकार भारतीय जनताका दमन नहीं हुआ और कभी भी नागरिक व व्यक्तिगत आजादी ऐसे नहीं छीनी गयी जैसे कि आजकल; ब्रिटिश राजका आजकल यही साधारण रूप है...”

“कांग्रेसको इसका भी खेद है कि देशी रियासतोंमें भी इसी प्रकारके दमन और स्वतन्त्रता अपहरणका चक्र चल रहा है; कई रियासतोंमें तो शेष भारतसे भी गयी वीती हालत है और किसी भी तरहकी आजादीका नामोनिशान नहीं है; कुछ रियासतोंमें कांग्रेस गैरकानूनी करार दी गयी है।

“कांग्रेस भारतीय जनताका यह संकल्प प्रकट करती है कि राष्ट्रीय विकास और

क्रियान्त्रालपको कुण्ठित करनेके प्रयत्नोंके बावजूद वह साहस और धैर्यके साथ स्थितिका सामना करती रहेगी और स्वतन्त्रता प्राप्त होनेतक आजादीकी लड़ाई लड़ती रहेगी ।”

लम्बे निर्वासनके बाद सुभाषचन्द्र बसु भारत वापस लौट रहे थे, पर वे रास्तेमें ही पकड़ लिये गये । तान अब्दुल गफ्फार खाँ हजारों अन्य लोगोंके साथ अत्र भी जेलमें बन्द थे । “राष्ट्रीय आकाशाओंकी किसी प्रकार भी पूर्ति न करनेवाले और भारतीय जनताके दमन और शोषणको स्थायी व सुविधाजनक बनानेवाले” १९३५ के भारत कानून ( गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट ) को कांग्रेसने अस्वीकार कर दिया । पर इस विधानको तोड़ देनेके लिए उसने प्रान्तीय विधान मण्डलोंके लिए चुनाव लड़नेका फैसला किया ।

कांग्रेसने यह भी फैसला किया कि “जनता और कांग्रेस सघटनके बीच अधिक निम्न-का सम्बन्ध स्थापित किया जाय ताकि वह कांग्रेसकी नीति निर्धारित करनेमें अधिक सक्रिय भाग ले सके ।”

आसन्न चुनावके कारण कांग्रेसका अगला अधिवेशन ८॥ महीने बाद ही दिसम्बर १९३६ में पैजपुरमें कर लिया गया । सभी राजनीतिक दल चुनावमें व्यस्त थे । तान अब्दुल गफ्फार खाँ छूट गये थे और पैजपुरमें मौजूद थे । जवाहरलाल नेहरू फिर अध्यक्ष चुने गये ।

नेहरूने साफ साफ यह घोषणा की—“ब्रिटिश साम्राज्यशाहीके शासन-यन्त्रसे सहयोग करनेके लिए हम विधान मण्डलोंमें नहीं जा रहे, बल्कि उभ अधिनियमका विरोध करने और उस तन्त्रका अन्त कर देनेके लिए जा रहे हैं । हम विधान मण्डलोंमें वैधानिकताका मार्ग पकड़ने या योथे राजनीतिक सुधारोका अनुसरण करने नहीं जा रहे ।” उन्होंने विधान निर्मात्री परिषदकी माँग दोहरायी ( जिसे कांग्रेस पहले ही जान्तेसे स्वीकार कर चुकी थी ) और कहा कि इसके बाद “हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ( भारत ) कानूनका सधीय ढाँचा तोड़ना होगा । पूरा कानून पूरी तरह तो रही है ही, पर उसमें सघसे बदतर कुछ भी नहीं है ।”

चुनाव आन्दोलन जोरपर था और, जैसा कि नेहरूने कहा, कांग्रेसके विरुद्ध नौकर-शाहीका हस्तक्षेप सक्रिय था “इसके अतिरिक्त कि अपद मतदाताओंके मतदानको गुप्त न रखनेकी कोशिशें जान-बूझकर हो रही थीं । सयुक्त प्रान्त इस कामके लिए खास तौरपर छाँटा गया है और दूसरे प्रान्तोंमें प्रयुक्त रगीन बक्से यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं ।”

पैजपुर अधिवेशनमें तय हुआ था कि नया विधान लागू होनेके दिन याने १ अप्रैल १९३७ को देशव्यापी हड़ताल की जाय । अधिवेशन खत्म होने पर नेहरू व उनकी वार्ध-समित्तिने विभिन्न प्रान्तोंका दौरा शुरू किया । नेहरूजी १२-१२ और १४ १४ घण्टे सफर करते और सभाओंमें भाषण करते । वे साधारणतः एक दिनमें आधी दर्जन बड़ी सभाओं और एक दर्जन छोटी, सड़कके किनारे हुई, सभाओंमें बोलते । हर हफ्ते वे औसतन डेढ़ हजार मील चलते । अनुमान है कि अपने दौरेमें उन्होंने कमसे कम एक करोड़ व्यक्तियोंको सम्बोधित किया । पूरा देश कांग्रेसके प्रचारसे भर गया ।

कांग्रेसके रिजलाफ भडकीले जनप्रिय नाम ले लेकर कुछ मौसमी पार्टियों चुनाव लड़ रही थीं, जैसे कि प्रजापार्टी, जस्टिस ( न्याय ) पार्टी, सेल्फरिस्वेक्ट ( आत्म सम्मान ) पार्टी, राष्ट्रीय खेतिहर पार्टी, पौपुर ( जनप्रिय ) पार्टी, डेमोक्रेटिक ( जनतान्त्रिक ) पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी आदि ।

लगभग हर प्रान्तमें कुछ न कुछ सक्रिय कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव लड़नेमें वंचित रह गये क्योंकि मत्वाग्रह आन्दोलनमें वे जेल गये थे और कानूनन यह एक अयोग्यता थी। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त व उड़ीसामें कांग्रेसका इतना बहुमत चुना गया कि अन्य सब पार्टियोंके कुल सदस्योंकी संख्या भी उसमें कम थी। बंगाल, आसाम व सीमा प्रान्तमें कांग्रेस सबसे बड़े दलके रूपमें विधान-मण्डलोंमें पहुँची। मुसलिम बहुमतके सिन्ध व पंजाबके सुबोंमें कांग्रेस अल्पमतमें रही।

अब कांग्रेसके सामने सवाल यह था कि जहाँ उसका बहुमत है, वहाँ वह अपने मन्त्रिमण्डल बनाये या न बनाये। यह सवाल पहले भी पैदा हो चुका था, दक्षिणपंथी मन्त्रिमण्डल बनानेके पक्षमें थे, मोशल्लिस्ट आदि वामपंथी विरुद्ध और दोनोंके बीच बड़ी ग्यारह थी। १७ व १८ मार्चको दिल्लीमें हुई कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें गान्धीजीने समझौतेका रास्ता निकाला और कुछ शर्तोंपर मन्त्रिमण्डल बनानेका फैसला हुआ। समझौतेके अनुसार मन्त्रिमण्डल तबतक नहीं बनने थे जबतक कि “कांग्रेस दलके नेता खुलेआम यह न कह सकें कि मन्त्रिमण्डलकी वैधानिक काररवाईके सम्बन्धमें गवर्नर हस्तक्षेपका अपना अधिकार इन्हेमाल नहीं करेंगे।” इस समझौतेपर भी लोग एकमत नहीं थे और मत देने पर मन्त्रिमण्डल बनानेका प्रस्ताव १२७ वोटोंमें (७० विरोधमें) नगीकार हुआ।

महासमितिकी बैठकके बाद विधानमण्डलोंके कांग्रेसी सदस्योंका सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस अध्यक्षने उन्हें अप्पथ दिलायी कि वे कांग्रेस अनुशासनमें काम करेंगे।

जिम प्रकारका आश्वासन दिल्ली-प्रस्तावमें माँगा गया था, “सहायता, सहानुभूति व सहयोग”की बातोंके बावजूद गवर्नर यह आश्वासन देनेमें आनाकानी कर रहे थे। बल्कि, वे अल्प-संख्यक दलोंके अन्तरिम मन्त्रिमण्डल बनाने लगे। लेकिन यह स्थिति भयी नहीं थी। विधान-मण्डलोंकी बैठकें इस डरमें नहीं बुलाई गयीं कि कांग्रेसी बहुमत मन्त्रिमण्डलोंके खिलाफ अविश्वासका प्रस्ताव पास कर देंगे। अन्ततः, बाइसरायने २७ जून १९३७ को ‘भारतके नाम सन्देश’ दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विधान चलयनेके लिए कांग्रेस द्वारा गवर्नरोंसे माँगे गये आश्वासन आवश्यक नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद यह विद्याम दिलाया कि ‘गवर्नर न सिर्फ मन्त्रिमण्डलोंने स्वयं अगड़े मोल न लेंगे, बल्कि अगड़ा होनेपर उन्हें निपटानेमें वे कौर्द कर न छोड़ेंगे—मन्त्रिमण्डल चाहे जिस दलके हों।’ कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक जुलाईमें बर्धामें हुई और बाइसरायके सन्देशपर विचारके बाद कहा गया कि बर्धामें यह दिल्ली माँगकी पूर्ति नहीं करता, फिर भी कांग्रेसकी माँग पूरी करनेकी इच्छा प्रकट करता ही है। कार्यसमितिने विभिन्न प्रान्तोंमें कांग्रेसको आमन्त्रण मिलनेपर मन्त्रिमण्डल बनानेकी छूट दे दी। शीघ्र ही छः प्रान्तोंमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन गये। थोड़े दिनों बाद ही सीमाप्रान्तमें भी कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन गया। वहाँ ५० में कुल १९ कांग्रेसी सदस्य चुने गये थे, पर, आठ दूसरे सदस्योंके कांग्रेसमें शामिल हो जानेसे मन्त्रिमण्डल बनना आसान हो गया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बननेके फौरन बाद कांग्रेसी प्रान्तोंकी विधान-सभाओंने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—

“इस विधान-सभाकी रायमें १९३५ का ‘भारत सरकार’ कानून राष्ट्रीय भावनाओंका विलकुल प्रतिनिधित्व नहीं करता और भारतीय जनताकी दायता कायम रखनेके लिए ही बने होने के फलस्वरूप पूर्ण-रूपेण अस्वीकार्य है। यह विधान-सभा माँग करती है कि

यह कानून रद्द कर दिया जाय और इसकी जगह चयस्क मताधिकारके आधारपर बनी विधान निर्मात्री परिषद् द्वारा बना वह विधान प्रतिष्ठापित हो, जिसमें भारतीय जनताको अपनी इच्छा और आवश्यकताके अनुरूप विकास करनेका पूरा अवसर मिले।”

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने अपने कार्यकालमें सबसे पहला काम यह किया कि जहाँतक सम्भव था नागरिक स्वतन्त्रता पुनः स्थापित की गयी। बड़ी संख्यामें राजनीतिक बन्दी मुक्त किये गये, कहीं-कहीं गवर्नरोंके रुकावट डालनेवाले रवैयेपर इस्तीफेकी धमकीसे वापू पाया गया। सयुक्त प्रान्तमें काकोरीकाण्ड और मद्रासमें मोपला विद्रोहके बन्दी रिहा कर दिये गये। बिहारमें कैंगल वे ही बन्दी बचे जो अण्डमानसे वापस आये थे। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंपर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गये। अखबारोंसे ली गयी जमानते वापस कर दी गयी। “सन्देश-जनक” अखबारों व व्यक्तियोंकी सुफिया फिहरिस्ते रत्न कर दी गयी। राजनीतिक संघटनों और पुस्तकोंपर लगी पाबन्दियाँ हट गयीं। राजनीतिक फिल्मोंके प्रदर्शनकी अनुमति मिल गयी।

किन्तु केन्द्रीय सरकार व गैरकांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों और देशी महाराजाओंके शासन क्षेत्रोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। फजलुलहककी प्रजापाटीके शासनमें बंगालमें—विशेषकर चटगाँव व मिदनापुर जैसी जगहोंके शासनमें कोई अन्तर नहीं आया था। करभ्यू, नवयुवकोंपर परिचयपत्र रखनेकी बाध्दता (अकेले चटगाँवमें २५००० नवयुवकोंको ये पत्र रखने पड़ते थे), मध्यमवर्गीय नवयुवकोंके साइकिल चटनेपर रोक, मिदनापुरके बहुतसे प्रमुख नागरिकोंके जिलेमें सुसनेपर रोक, मिदनापुर जिलेमें कांग्रेस व अन्य राष्ट्रीय संघटनोंके गैरकानूनी होनेकी घोषणा और बहुतसे लोगोंकी नजरबन्दी अब भी बदस्तूर जारी थी। केन्द्रीय एग्जिक्शिवमें सरकार द्वारा दिये गये एक उत्तरके अनुसार अकेले चटगाँव जिलेमें २१००० नवयुवकों व नवयुवतियोंपर एक न एक प्रकारकी रोक लगी हुई थी, २०८ संघटन व सस्थाएँ गैरकानूनी थी, १२ अगस्ततक सशोधित जायता फौजदारी कानूनके अन्तर्गत बंगाल सरकार २४७० प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर चुकी थी। गान्धीजीके श्रीचमें पढ़ने व बंगालके प्रधान मन्त्री व गवर्नरसे मिलनेपर १९३७ के अन्तमें १५०० नजरबन्द कुछ शर्तोंपर छोड़े गये। पर तब भी ४५० ऐसे बन्दी जेलमें बच गये थे जिनकी रिहाईके पहले उनके मामलोंपर विचार होना था।

पञ्जाबकी यूनिवर्सिटी पार्टीके मन्त्रिमण्डलके कार्यकालमें राजद्रोहके जितने मुकदमें चले, उतने वहाँ और नहीं चले थे। मुकदमें, शहर निजाला, तलाशियाँ, प्रतिबन्धात्मक आदेश नित्यप्रति की घटनाएँ थी।

रियासतोंमें राजनीतिक चेतनाका नृसत्तापूर्वक दमन होता था। मैसूरमें, जहाँ सरकार जनताकी आर्थिक भलाईके लिए आम तौरपर सचेष्ट रहती थी, कांग्रेसका झण्डा पहरानेपर रोक थी, इसे महाराजाकी सार्वभौम सत्ताके लिए अपमान जनक माना जाता था। समाजों, जुट्टियों व सार्वजनिक भाषणोंपर रोक थी। अन्य रियासतों—विशेषकर जोधपुर व पटियालाका भी यही हाल था।

अण्डमानके कालेपानीमें सड़ रहे राजनीतिक बन्दीयोंपर भी दृष्टिपात कर लिया जाय। ३१ जुलाई १९३७ को भारत सरकारने बताया कि वहाँ २२५ राजनीतिक बन्दी २४ जुलाईसे भूख-हडताल कर रहे थे। बन्दीयोंका जीवन घोर कष्टमय था और उन्होंने यह कदम एक-



दम निराश होकर ही उठाया था। वहाँ पहले भी अनशन हुए थे और तीन कैदी इनमें जानसे हाथ धो चुके थे। इस बार इतनी बड़ी संख्यामें लोग प्राणोंकी बाजी लगा चुके थे। भारतीय नेता परेशान थे, भारत सरकार उदासीन थी। कालेपानीके अनशनकारियोंकी सहानुभूतिमें भारतीय जेलों और नजरबन्दी कैम्पोंमें भी भूख-हड़तालें हुईं। ९ अगस्तको देशभरमें अण्डमान दिवस मनाया गया जिसमें राष्ट्रने कालेपानीकी हालतपर अपना क्रोध प्रकट किया। सरकारने इसे अपनी प्रतिष्ठाका प्रश्न बना लिया और अनशनकारियोंकी भूख हड़ताल खत्म हुए बिना उनकी गाँगोंपर विचार करनेसे इनकार कर दिया। अन्ततः गान्धीजीका हस्तक्षेप कारगर हुआ। भारत सरकारा द्वारा गान्धीजीने अनशनकारियोंसे सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें अनशन खत्म करनेपर राजी कर लिया। कालेपानीके कैदियोंने गान्धीजीको जो तार भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि हममेंसे जो भी पहले आतंकवादमें विश्वास करते थे, वे भी अब उसमें निष्ठा नहीं रखते और उसकी राजनीतिक नीति या अस्त्रके रूपमें उपादेयतामें विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि आतंकवादसे देशहित आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे हटता है। १९३८ के आरम्भतक सभी राजनीतिक कैदी अण्डमानसे अपने-अपने प्रान्तोंको वापस भेजे जा चुके थे।

लेकिन १९३७ के अन्तके निकट संयुक्त-प्रान्त व विहारके गवर्नरोंने अपना रुख बदल दिया और हिंसाके अभियोगमें दण्डित राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाई रोक दी। संयुक्तप्रान्तके गवर्नरको डर था कि काकोरी-काण्डके बन्दियोंके सार्वजनिक स्वागतसे शान्तिभंगका खतरा है। कांग्रेसी मंत्रियोंने गवर्नरोंको समझानेकी कोशिश की कि अभीतक चलनेवाली नीतिमें बाधा डालना ठीक न होगा। पर गवर्नर अड़े रहे। इसपर कांग्रेसने दोनों प्रान्तोंके मन्त्रिमण्डलोंको इस्तीफा देनेकी सलाह दी। पर तब गवर्नर छूक गये और इस्तीफे वापस ले लिये गये। प्रान्तोंके आय-व्ययपर मन्त्रिमण्डलका नियन्त्रण नहीं था और वे जनताकी आर्थिक दशामें सुधार नहीं कर सके। जैसा कि पट्टाभि सीतारामैयाने लिखा—“जनता आश्चर्यसे पृथ्ने लगी कि यह जर्मीदार किस तरह अब भी कायम हैं, पुलिसके जुल्म क्यों बढ़सतूर जारी हैं; किसानोंके कष्ट और दुख अब भी क्यों दूर नहीं हो पाते, हिंसाके अभियोगोंमें दण्डित लोग अब भी क्यों जेलोंमें सड़ रहे हैं।”

दूसरी ओर कांग्रेसके आम सदस्योंमें उत्साह-पतनके लक्षण प्रकट हो रहे थे। पट्टाभि-के ही शब्दोंमें—“पता चला कि ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ अफसरों व सरकारी कर्मचारियोंपर असर डालकर प्रशासनमें हस्तक्षेप करती हैं।” कांग्रेस महासमितिके एक प्रस्तावमें कहा—“... नागरिक स्वतन्त्रताके नामपर लोग—कुछ कांग्रेसजन भी—कल, आगजनी, लूटपाट और हिंसात्मक वर्गयुद्धका प्रचार करते पाये गये हैं, बहुतसे अखबार झूठ और हिंसाका प्रचार कर रहे हैं, हिंसाके लिए उभार रहे हैं और प्रत्यक्ष झूठको चला रहे हैं। इसलिए नागरिक स्वतन्त्रताकी अपनी नीति कायम रखते हुए भी और अपनी परम्पराओंकी प्रतिष्ठा रखते हुए भी कांग्रेस अपनी सरकारोंके उन कार्योंका समर्थन करेगी जो वे जान व मालकी रक्षाके लिए करें।” मध्य प्रान्तमें एक मन्त्रीने सरकारकी क्षमाशक्तिका प्रयोग कर एक धनिकको कारागारसे मुक्त करा दिया यद्यपि वह धनिक बलात्कारके अभियोग-

में दण्डित हुआ था। कांग्रेसके उच्चाधिकारियोंने इसको गम्भीर गल्ती माना और उस मन्त्रीको मन्त्रिपदसे इस्तीफा देनेको बाध्य किया। मध्यप्रान्तमें ही एक और गम्भीर संकट आया। अपने मन्त्रिमण्डलके सदस्य बदलनेके लिए वहाँके प्रधान मन्त्री एन. वी. सरने अन्य मन्त्रियों या कांग्रेस कार्यसमितिको बताने विना, गवर्नरको मन्त्रिमण्डलका इस्तीफा सौंप दिया। इस अनुशासनहीनताके लिए खरेको कांग्रेस दलका नेतृत्व छोड़ना पडा।

१९३८ में सुभाषचन्द्र बसुकी अध्यक्षतामें हरिपुरामें कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन अधिकांशतः जाव्हेका अधिवेशन ही था और इसमें रस्मी बातोंपर ही विचार हुआ।

मार्च १९३८ में कांग्रेसका त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बसुके प्रति अविश्वासके प्रस्तावके एक नये वातावरणमें शुरू हुआ। यद्यपि अविश्वासकी बात खुलकर नहीं आयी, वहाँकी घटनाएँ इसी ओर इंगित कर रही थीं। स्थितिकी विलक्षणताकी अध्यक्षके तीव्र स्वरके कारण अध्यक्षता न कर सकनेसे योग ही मिला। बसु गान्धीजीके नामजद उम्मीदवार पट्टाभि रीतारमैयाको ९५ वोटोंसे हराकर दूसरी बार कुछ असाधारण सी परिस्थितिमें अध्यक्ष चुने गये थे। चुनावके निष्पत्ति न होनेके सम्बन्धमें भी कुछ अफवाहें फैल रही थी। गान्धीजीने कहा—“पट्टाभिकी हार मेरी हार है।” और उनके इस वक्तव्यके ये अर्थ लगाये जाने लगे कि यह सत्य, अहिंसा और गान्धीजीके नेतृत्वकी हार है। “अध्यक्षके चुनावके पहले और बादके विवादोंने वातावरणको कटु और जनताको भ्रान्त कर दिया था। कांग्रेसजनोंमें मतभेद हो गया था। कांग्रेसकी मजबूती और एकताको छिन्न भिन्न कर देनेका रस्तरा परस्पर विरोधी दलोंमें परिलक्षित होने लगा।” त्रिपुरी अधिवेशनके ठीक पहले परवरीमें कांग्रेस कार्यसमितिके १३ सदस्योंके इस्तीफेसे स्थिति और भी जटिल हो गयी। कार्यसमितिमें अन्तर्-अध्यक्ष और उनके भाई शरत्चन्द्र बसुके अलावा और कोई नहीं बचा था। इस काररवाईका सीधा अर्थ अध्यक्षमें अविश्वास था। नये अधिवेशनके लिए पुरानी कार्यसमिति प्रस्ताव तैयार करती थी। पर अब कार्यसमितिके न रहनेसे गत्यबरोध पैदा हो गया।

बाहरमें त्रिपुरी अधिवेशनकी तडक मङ्गलमें कोई अन्तर नहीं आया था। अध्यक्षका जुलूम पर हाथियों द्वारा खींचे जानेवाले रथके साथ निकलनेवाला था, पर उनकी अस्वस्थताके कारण उनके चित्रका जुलूम निकाला गया।

अन्य कारणोंके अलावा, कांग्रेसके जाने माने नेताओं और सुभाषचन्द्र बसुके बीच बड़ा मतभेद यह था कि बसु अग्नेज सरकारको पूर्ण स्वराज्यकी राष्ट्रीय माँग माननेके लिए छः महीनेका अल्टिमेटम देनेके पक्षमें थे और इंग अवधिकी समिति पर सार्वजनिक सविनय आजाय भग आन्दोलन शुरू करना चाहते थे। बसु चाहते थे कि अग्नेज सरकार द्वारा भारतपर सख व्यवस्था लादनेके पहले आन्दोलन छेड़ दिया जाय। गान्धीजीके अनुसार अभी आन्दोलनका समय नहीं आया था। बसु और गान्धीजीके अनुयायियोंके बीच गहरी सैद्धान्तिक खाई थी। यह मतभेद १६० प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षरोंसे गोविन्दवल्लभ पन्त द्वारा अध्यक्षको दिये गये एक प्रस्तावमें प्रकट हुआ। वह प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें पेश होनेको था, पर अध्यक्षने इसे अस्वीकार कर दिया। लेखिन विषय-समितिकी बैठकमें उन्होंने इसे पेश करनेकी अनुमति दे दी। लम्बे विचार विनिमयके बाद यह प्रस्ताव भारी बहुमतसे विषय समिति और बादमें खुले अधिवेशनमें स्वीकृत हो गया। बीमारीके कारण बसु खुले अधिवेशनमें

नहीं आ सके थे और अबुलकलाम आजादने कार्यसंचालन किया। अध्यक्षपदके चुनावमें सोशलिस्टोंने पट्टाभिके खिलाफ वसुका समर्थन किया था; पर पन्त प्रस्तावपर वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव इस प्रकार था—“पिछले वर्षोंमें महात्मा गान्धीके नेतृत्वमें जिन मूल-भूत सिद्धान्तोंने कांग्रेस कार्यक्रम नियन्त्रित किया है, उनमें यह कांग्रेस अपना पक्का विश्वास प्रकट करती है और उसका ध्रुव मत है कि इन नीति-सिद्धान्तोंमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इन्हीं सिद्धान्तोंपर कांग्रेसका भविष्यका कार्यक्रम भी आधारित होना चाहिये।” गत वर्षकी कार्य-समितिमें विश्वास प्रकट करते हुए प्रस्तावमें कहा गया था—“इस एक वर्षमें जो संकट उत्पन्न हो सकता है, उसे ध्यानमें रखकर और यह जानते हुए कि केवल महात्मा गान्धी ही देश व कांग्रेसको इस संकटमें विजयपथपर ले जा सकते हैं, कांग्रेस यह अनिवार्य मानती है कि उसकी कार्यसमिति पूर्णरूपेण गान्धीजीकी विश्वासभाजन हो और इसलिए अध्यक्षसे अनुरोध करती है कि वे गान्धीजीके इच्छानुसार अपनी कार्यसमितिका निर्माण करें।”

लेकिन गान्धीजीने कार्यसमितिके सदस्य छाँटनेमें यह कहकर इनकार कर दिया कि यह अध्यक्षपर दबाव डालनेके बराबर होगा। उन्होंने अध्यक्षको अपनी कार्य-समिति चुननेके लिए स्वतन्त्र कर दिया। वसुका कहना था कि वर्तमान परिस्थितिमें एक ही मतके सभी सदस्योंवाली कार्यसमितिके काम न चलेगा। गान्धीजीके सुझावपर उन्होंने पुरानी कार्यसमितिके सदस्योंकी एक बैठक बुलायी। पटेल इस बैठकमें शामिल नहीं हुए और शेष सदस्योंसे बातचीतसे मसला हल नहीं हुआ। अब अध्यक्षके सामने दो ही रास्ते थे—या तो वे एकमत वाली कार्यसमिति बनायें या इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महासमितिके राजेन्द्रप्रसादको कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया।

मईके आरम्भमें सुभाषचन्द्र वसुने कांग्रेसमें एक फारवर्ड ब्लाक (अग्रगामी दल) की स्थापना की। दलका कार्यक्रम त्रिसूत्री था—वामपक्षीय सदस्योंका संघटन, कांग्रेसका बहुमत अपने साथ करना और आजादीके लिए राष्ट्रीय आन्दोलनकी शुरुआत करना। जूनमें वामपक्षी संघटन समिति बनी जिसमें फारवर्ड ब्लाकके अतिरिक्त सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी (नेशनल फ्रण्ट), रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (एम. एन. रायका दल), मजदूर संघटन व किसान-सभाके लोग शामिल थे। समिति वसुके नेतृत्वमें काम करनेकी थी। पहले अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक सम्मेलनमें इन सभी दलोंके नेताओंने भाग लिया और पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र सोशलिस्ट सरकारकी स्थापनाका लक्ष्य स्वीकार किया। ब्रिटिश भारत व देशी रियासतोंमें एक साथ साम्राज्यविरोधी देशव्यापी आन्दोलन छेड़नेकी तैयारीकानारा दिया गया।

जूनमें ही कांग्रेस महासमितिकी एक बैठक बम्बईमें हुई और उसमें एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसजनोंको आदेश दिया गया कि वे प्रान्तीय कमेटियोंकी अनुमति बिना किसी भी प्रकारके मर्यादाके संघटन न करें और न उसमें भाग लें। वसु व सोशलिस्टोंने इस प्रस्तावका विरोध किया पर वह भारी बहुमतसे स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव पास होनेके बाद भी वसुने इसकी ग्युटेआम आलोचना की और १ जुलाईको इस प्रस्तावके विरुद्ध आन्दोलन शुरू करनेके लिए देशव्यापी दिवस मनानेकी अपील निकाली। उस दिन कुछ कांग्रेसजनों और बहुतसे गैरकांग्रेसी लोगोंके कहीं सफल और कहीं असफल प्रदर्शन हुए व सभाएँ हुईं। बंगाल कांग्रेस कार्यकारिणीने स्वयं प्रदर्शनोंका संघटन किया। वसु बंगाल कांग्रेसके अध्यक्ष

थे। कांग्रेस कार्यसमितिकी अगली बैठक अगस्तमें वर्धामें हुई। उसने बसुको अनुशासन भंग करनेके अभियोगमें बगाल कांग्रेसके अध्यक्षपदसे मुअत्तल कर दिया और तीन वर्षतक किसी निर्वाचनमें भाग न ले सकनेकी पाबन्दी उनपर लगा दी।

रचनात्मक कार्यके क्षेत्रमें बसुने राष्ट्रीय योजना समितिकी स्थापना जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें की थी। राष्ट्रीय साधनोंके अध्ययन और उनसे देशको समृद्धिशाली बनानेके उपायोंपर विचार करनेके लिए बनी इस समितिने राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न पहलुओंपर विचार करनेके लिए २७ उपसमितियाँ बनायीं। ये उपसमितियाँ कृषि, उद्योग, यातायात, व्यवसाय व वित्त, जनहित, शिक्षा, सामाजिक स्थितिके विवेचन आदि विषयोंपर ऑकडे-और तथ्य-मग्नहमें लगीं।

सितम्बर १९३९ में यूरोपमें द्वितीय विश्व-व्यापी युद्धका सूत्रपात होनेसे भारतीय राजनीतिमें भी आमूल परिवर्तन होने लगे। युद्धकी घोषणाके कुछ घण्टों बाद ही ३ सितम्बरको वाइसरायने जन प्रतिनिधियोंकी राय लिये बिना ही भारतके इस युद्धमें शामिल होनेकी घोषणा कर दी। ब्रिटिश पार्लियामेंटमें ११ मिनटके भीतर भारत सरकार कागून सशोधन बिल पास कर दिया गया जिसके द्वारा वाइसरायको यह अधिकार मिल गया कि वे विधानकी प्रान्तीय स्वराज्यकी धाराओंको भी खत्म कर सकते थे। उसी दिन डिपेंस आव रूडिया (भारत रक्षा) आर्डिनेंस जारी कर दिया गया जिससे बहुतसे नागरिक अधिकारोंका अपहरण हो गया। वाइसरायने गान्धीजीको दिल्ली बुलाया और युद्ध छिड़नेके ४८ घण्टेके भीतर ही उन दोनोंका गुप्त परामर्श शुरू हो गया। इस बातचीतकी प्रतिक्रिया बताते हुए गान्धीजीने कहा—“वाइसराय भवनसे मैं खाली हाथ लौटा हूँ और गुप्त या प्रकट किसी भी प्रकारका कोई समझौता नहीं हुआ है।” गान्धीजीने एक वक्तव्य जारी कर यह भी कहा कि मैं वाइसरायसे निजी रूपसे मिला था और यदि कोई समझौता होगा तो वह सरकार और कांग्रेसके बीच होगा। लेकिन उन्होंने वाइसरायने कहा—“मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति मानवीय दृष्टिकोणसे इंग्लैण्ड और फ्रांसके साथ है।”

८ सितम्बरको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुई और उसमें “युद्ध और भारत” के प्रश्नपर विचार हुआ। बसु भी इस बैठकमें आमन्त्रित थे। पाँच दिनतक विचार विनिमयके बाद, कार्यसमितिके एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था—“ब्रिटेन और फ्रांसकी सरकारोंने घोषणा की है कि वे आत्ममरणका अन्त करनेके लिए और जनतन्त्र व स्वतन्त्रताके लिए लड़ रही हैं। १९१४-१८ के युद्धमें भी युद्धके घोषित उद्देश्य जनतन्त्र, छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और आत्म निर्णयके अधिकार ही थे, किन्तु इन उद्देश्योंकी पवित्र घोषणा करनेवाली सरकारें ही साम्राज्य-विस्तारकी भावनासे उत्तमान (तुर्क) साम्राज्यके हिस्से बॉटके लिए गुप्त सन्धिमें लीन हुईं। यदि यह युद्ध यथास्थिति कायम रखनेके लिए—साम्राज्यवादी अधिकार, उपनिवेश, स्थिर स्वार्थ व सुविधाएँ आदि कायम रखनेके लिए—है, तो भारतीयोंको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। किन्तु यदि जनतन्त्र और जनतन्त्रके आधारपर विश्व व्यवस्था इस युद्धका उद्देश्य है, तो भारतको इसमें गहरी दिलचस्पी है।”

इसलिए कांग्रेस कार्यसमितिके ब्रिटिश सरकारसे साफ और स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा करनेको कहा कि उसके इस युद्धके उद्देश्य क्या है, वे उद्देश्य भारतमें किस प्रकार लागू होंगे और

‘अभी वर्तमानमें’ किस प्रकार लागू होंगे। समितिने इस बातपर जोर दिया कि इन उद्देश्यों-को भारतमें अधिकतम व्यापक रूपमें और फौरन लागू किया जाय, क्योंकि सिर्फ इसीसे भारतवासियोंको भरोसा हो सकेगा कि यह घोषणा कार्यान्वित होनेके लिए ही की जा रही है। भारतीय समस्याके पूर्ण व ‘अन्तिम समाधानके लिए कांग्रेस कार्यसमितिके आत्म-निर्णयका अधिकार माँगा, जिसका आशय हुआ कि भारतीयों द्वारा चुनी गयी विधान निर्मात्री परिषद् ही भारतका संविधान तैयार करे। केवल नरमदलवाले ही युद्धकी तैयारीमें सरकारके साथ बिना शर्त पूर्ण सहयोग करनेके पक्षमें थे ताकि “हमारे घर-द्वारकी रक्षा हो सके।”

ज्यादासे ज्यादा समय प्राप्त करने और कांग्रेस द्वारा उठाये गये सवालोंनेके टालनेके लिए वाइसरायने विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य हितोंके कथित प्रतिनिधियोंसे गैट शुरू कर दी और ५२ प्रतिनिधियोंसे मिलनेके बाद (जिनमें गान्धीजी, पटेल, नेहरू, जिना, नरमदलीय नेता, सिख और परिगणित जातियोंके नेता भी थे) १८ अक्टूबरको घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार १९३५ के भारतसरकार कानूनमें धे सुधार कर देगी जो कि “वांछित हो”; अभी मैं विभिन्न बड़े राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियों और देशी रियासतोंके शारुकोंकी एक सलाहकार समिति बनाऊँगा जो युद्धकी तैयारियोंसे सम्बन्धित होगी। इस घोषणाके प्रतिप्रिया-स्वरूप गान्धीजीने कहा—‘कांग्रेसने रोटी माँगी थी पर उसे मिला पत्थर’। कांग्रेस कार्य-समितिके कहा—हम “ब्रिटेनको कोई सहायता नहीं दे सकते, क्योंकि इसका अर्थ ब्रिटेनकी उस साम्राज्यवादी नीतिका समर्थन होगा जिसे मिटानेके लिए कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है।” समितिने इस सहायता न देनेकी दिशामें पहला कदम कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोंसे इस्तीफा देनेके लिए कहकर उठाया। दिसम्बर १९३९ तक सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे चुके थे।

## अध्याय २६

### भारतीय रियासतोंमें आन्दोलन

ब्रिटिश भारतके अर्द्ध शताब्दी-व्याप्त राजनीतिक आन्दोलन और चेतनाका भारतीय रियासतोंपर कोई प्रभाव न पड़ा। पॉन्ग ली वासठ देशी रियासतोंपर राजा महाराजाओं और सामन्तवादी जागीरदारोंका शासन था। ये रियासतें पूरे देशमें विपरीत हुई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अपना काम पूरे तरीकेसे ब्रिटिश भारततक ही सीमित रखा था और सावधानीसे रियासती जनताके सम्पर्कसे अपने आपको बचा रखा था। परन्तु १९२१ के असहयोग आन्दोलनने कुछ रियासतोंमें पहली राजनीतिक हिलोर पैदा कर दी; और वहाँके लोग कांग्रेसके सम्मान उद्देश्योंपर अपने आपको सघटित करनेकी सोचते रहे। रियासतोंकी जनता चाहती थी कि उनके सघटन कांग्रेसमें शामिल हो जायें, परन्तु कांग्रेसके सामने व्यावहारिक कठिनाई थी। ब्रिटिश भारतमें तो केवल एक सरकारमें लड़ना था, परन्तु भिन्न भिन्न रियासतोंके सैकड़ों राजशासकोंके विरुद्ध लड़ाई लेना एक असम्भव सपना कार्य हो रहा था। सार्वभौम सत्ताके नाने अंग्रेजोंने भारतीय रियासतोंको स्तब्ध मान लिया था और उन्हें शान्ति और रक्षाना विद्वान्त दिला दिया था। आन्तरिक आन्दोलनोंसे रक्षा हो जानेकी गारण्टीके कारण बीसवीं शताब्दीमें भी रियासतोंमें मध्यकालीन युगकी व्यवस्था कायम थी। रियासतोंकी जनता भयवस्त थी कि कहीं उसको कुचलनेके लिए अंग्रेजी शक्ति न युवा ली जाय। अंग्रेजोंकी नीति राजा और नवाबोंकी रक्षा करना थी, वे चाहे जिस तरहका अत्याचारी शासन चलायें। कांग्रेसने इसलिए रियासतोंकी जनताको सलाह दी कि वह अपनी रियासतोंके सघटनोंके जरिये अपनेको शक्तिशाली बनाये।

कुछ रियासतोंमें कांग्रेस कमेटियों बन गयीं और १९२१ में कांग्रेसने इन कमेटियोंको इस कर्तपर शामिल होने दिया कि बिना कांग्रेस महासमितिकी स्वीकृतिके किसी भी रियासतमें कोई आन्दोलन शुरू नहीं किया जायगा। बड़ौदाके अन्दर वहाँकी जनताने राजनीतिक अधिकारोंके लिए लड़नेके उद्देश्यसे 'प्रजा-मण्डल' नामका एक राजनीतिक सघटन कायम कर लिया था। मैसूर और काठियावाडमें भी ऐसे सघटन बन गये थे। परन्तु दूसरी जगहोंमें शताब्दियोंका अधिराज्य अभी आधिपत्य जमाये हुए था।

१९२६ की गरमियोंमें रियासतोंकी समस्याओंमें दिलचस्पी रखनेवाले कुछ लोग भारत-सेवक समाजके कार्यालयमें इकट्ठे हुए और प्रारम्भिक बातचीत करनेके पश्चात् उन्होंने रियासतोंका एक अखिल भारतीय राजनीतिक सघटन बनानेका निश्चय किया। बम्बईके फेंसलैंको कार्यान्वित करनेके लिए एक अस्थायी समिति नियुक्त कर दी गयी थी। आठ महीनोंके बाद अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेलन (आठ इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फरेन्स) की स्थापना की गयी और इसका प्रथम अधिवेशन, एल्लोरके उदारदत्तीय नेता दीवान महादुर (बादमें सर) एम० रामचन्द्ररायकी अध्यक्षतामें १९२७ में बम्बईमें हुआ। आरम्भ बड़ी सावधानीसे किया गया था और यही कारण था कि कांग्रेसजन नहीं बरिक्त उपाधि-प्राप्त, उदारदलका आदमी अध्यक्षपदके लिए चुना गया। सम्मेलनमें, मैसूर,

ट्रावनकोर, हैदरावाद, कोचीन, बड़ौदा, दक्षिणी रियासतों और राजपूतानाके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। इस सम्मेलनने अपना उद्देश्य स्वाधीन और संघात्मक भारतके अभिन्न अंगकी हैसियतसे रियासती जनता द्वारा शान्तिमय और वैधानिक उपायोंसे पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्राप्त करना घोषित किया।

अस्थायी समितिके मन्त्री रंगदास कम्प्राडियाने कुछ समय बाद एक लेखमें रियासतोंकी दशाके बारेमें लिखा था कि “बहुतसे शासक तो यथार्थमें अत्याचारी हैं। वे अपने अधिकारोंका केवल एक प्रयोग जानते हैं—जनतापर अत्याचार करना और उनका धन चूसना। न्यायालय और पुलिस भ्रष्ट हैं और स्वेच्छासे अत्याचारके साधन रूपमें काम करती हैं। करोंका भार असह्य है। लोग प्रारम्भिक नागरिक स्वतन्त्रतासे भी वंचित हैं। राजाओं और नवाबोंके स्वर्चकी सीमा नहीं है, उनका एक अपराधात्मक रूप हो गया है। लोगोंमें बेहद गरीबी फैली हुई है।”

अखिल भारतीय रियासती जनताके सम्मेलनका अधिवेशन लगभग प्रत्येक वर्ष होता था और रियासतोंमें सुधारोंका एक नम्र आन्दोलन चलता रहा। कांग्रेसने इनको अपने प्रभावकी शक्ति भी प्रदान की और १९२९ से ब्रिटिश भारतकी भाँति रियासतोंमें भी जिम्मेदार शासन कायम करानेकी माँगकी घोषणा करनी शुरू कर दी। परन्तु इस माँगसे शासकोंके कानपर जूँतक नहीं रेंगी। राजे अपनी सत्तामेंसे जरा भी शक्ति देनेके लिए तैयार नहीं थे। फिर भी लगभग तीस रियासतोंमें जनताकी राय लेनेकी परम्परा नियमित और आधुनिक बना दी गयी।

“केवल रस्मी तौरपर ही नहीं विधान द्वारा भी जनताकी आवाज कानून बनाने व शासकीय मामलोंमें अधिकाधिक सुनी जाने लगी थी। परन्तु यह केवल आवाज ही हाँती थी। आखिरी निर्णय राजाके ही हाथमें रहता था। आशय यह कि १९३७ तक ज्यादा प्रगतिशील रियासतोंमें भी उतनी ही प्रगति हुई जितनी साधारणतया ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंने १९०९ और १९१९ के बीचमें हासिल कर ली थी।”

ट्रावनकोरमें १९२१ से विधान परिषद कायम थी जिसमें निर्वाचित सदस्योंका बहुमत था। पुडुकोटाईमें १९२४ से, कोचीनमें १९२९ से और हैदरावादमें १९०० से विधान परिषदें काम कर रही थीं, हालाँकि हैदरावाद विधान परिषदमें १९३७ तक उसके बीस सदस्योंमेंसे ११ सरकारी सदस्य होते थे।

रियासतोंके नेताओंने कई बार कोशिश की कि कांग्रेस उन्हें अपने अन्दर शामिल कर ले परन्तु कांग्रेसको डर था कि यदि वह रियासतोंकी उलझी हुई और पेचीदा समस्याओंमें फँसी तो अंग्रेजोंके विरुद्ध चलनेवाले मुख्य संघर्षमें रुकावट पड़ जायगी। १९३८ में हरिपुरा कांग्रेस-अधिवेशनके समय यह मामला सरपर आ गया। उस समयतक रियासती जनताका सम्मेलन (स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फरेन्स) काफी लम्बा रास्ता पार कर चुका था और कांग्रेसका अनुसरण कर रहा था। मैसूरमें १९३७ में एक जुलूसके ऊपर पुलिसके गोली चला देनेसे, जिसमें दस मरे और बीस घायल हुए, राजनीतिक आन्दोलनने जोर पकड़ा। कुछ दूसरी रियासतोंमें भी उपद्रव हुए। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशनमें रियासती जनताके कुछ प्रतिनिधियोंने जोर दिया कि कांग्रेस उन्हें भी अपने महान नामका लाभ उटानेकी अनुमति दे। कांग्रेस थोड़ा झुकी और अधिवेशनमें प्रस्ताव पास हुआ कि “किलहाल रियासतोंमें कांग्रेस कमेटीयों

सीधे कांग्रेस कार्यसमितिके अन्तर्गत और निर्देशनपर काम करेंगी परन्तु कांग्रेसके नामसे अथवा तत्वावधानमें वैधानिक स्तर या सीधे काररवाईका कोई भी काम नहीं करेंगे। रियासतोंके आन्तरिक सघर्ष कांग्रेसके नामसे नहीं चलाये जा सकेंगे। इन बातोंपर, जहाँ कांग्रेस कमेटीयों कायम है वहाँ सघटन शुरू कर देना चाहिये।” परन्तु रियासती जनताके नेताओंने इस प्रस्तावकी निन्दा की। उन्होने कहा कि यह प्रस्ताव रियासती जनताकी आकाक्षाओंपर पानी डालता है।

कुछ मुख्य रियासतोंके अन्दर घटित राजनीतिक घटनाओंपर दृष्टि डालनेसे ‘भारतीय भारत’के उद्दोलनका अच्छा चित्र मिलता है।

रियासतोंमें वास्तविक आन्दोलन तो १९३७ से प्रान्तोंमें कांग्रेसी सरकार बन जानेके बाद शुरू हुआ। इस नये विकाससे रियासती जनताको प्रोत्साहन मिला और वहाँके शासकोंपर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि कई रियासतोंमें प्रजा मण्डल या रियासती जनताकी कांग्रेस १९३० या उससे पहले भी बन चुकी थीं परन्तु वे १९३८ के बाद ही वास्तवमें क्रियाशील हो पायीं जब कि उनके आन्दोलनोंका नेतृत्व करनेके लिए कुछ कांग्रेस नेताओंको अवकाश मिला।

द्रावणकोरमें रियासती कांग्रेसकी स्थापना १९३० में ही गयी थी परन्तु तबसे वह निष्क्रिय ही बनी रही। १९३८ में फिर जिम्मेदार सरकारके लिए वहाँ जोरदार आन्दोलन शुरू हुआ। आन्दोलन रोकनेके लिए राज्य सरकारने रियासती जनताको कांग्रेसको गैर-कानूनी घोषित कर दिया और सार्वजनिक सभाओंपर रोक लगा दी। सरकारके इस कदमने कांग्रेसजन और रियासती जनताके सामने एक कार्यक्रम पेश कर दिया यानी सरकारी आज्ञा (सभाओंपर पाबन्दी) को तोड़ना। कई स्थानोंपर आम सभाएँ की गयीं जिनको पुलिसने लाठीचार्ज द्वारा अथवा गोली चलाकर भग कर दिया। दमनसे सविनय प्रतिरोधको और बल मिला। दमनके बाद और अधिक तीव्र तथा घोर दमन हुआ। खुल्फर लाठीचार्ज हुए और गोलियाँ चलायी गयीं। लगभग ६६० आदिमियोंको जेलोंमें बन्द कर दिया गया। राज्य कांग्रेसके अध्यक्षकी गिरफ्तारी पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी जो विरोध प्रदर्शनके लिए एक जुद्धमें परिणत हो गयी। पीज बुला ली गयी और गोलियों द्वारा जुद्धको तितर बितर कर दिया गया। बहुतसे लोग मारे गये अथवा घायल हुए।

कुछ महीनों बाद, राजा साइबकी सालगिरहके उपलक्ष्यमें गिरफ्तार किये गये लोग छोड़ दिये गये और बराय नाम नागरिक स्वतन्त्रता दे दी गयी।

कुछ दिनोंकी खामोशीके बाद १९३९ में फिर सविनय प्रतिरोध आरम्भ किया गया जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी आम गिरफ्तारियाँ हुईं। जब द्रावणकोरका सघर्ष अपनी पूरी तेजीपर था, गान्धीजीने उसे स्थगित करनेकी सलाह दी। उनका आदेश मान लिया गया। दीवान द्वारा परिस्थितिपर फिर गौर करनेके लिए गान्धीजीने आन्दोलनको स्थगित करनेका आदेश दिया था।

मुघारोंकी घोषणाके लिए दीवानने शर्त रखी कि घोषणाके पहले राज्य कांग्रेस जिम्मेदार सरकारकी माँगके लिए सघटित प्रयास समाप्त कर दे। परन्तु दीवानने मुघारोंका कोई आश्रय नहीं दिया। समझौता बर्ता भंग हो गयी। कांग्रेसने आन्दोलन शुरू किया और दीवानने दमन।



मैसूरमें भी लगभग इन्हीं परिस्थितियोंमें आन्दोलन आरम्भ हुआ। राज्य कांग्रेसने आन्दोलनकी योजना बनायी ही थी कि सरकारने निपेधात्मक आदेश जारी कर दिये। जनताने आदेश भंग किये और कोला जिलेके एक गाँव निदूर स्वाथममें पुलिसने एक भीड़पर गोली चलायी। कई मारे गये और पचास घायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त वल्लभभाई पटेल और जी. वी. कृपालानीके हस्तक्षेपसे मैसूर-सरकारके साथ एक समझौता हो गया। मैसूर सरकारने रियासतमें राज्य कांग्रेसको मान्यता दे दी, वैधानिक मामलोंपर गौर करनेवाली कमेटीमें तीन कांग्रेस-जन भी शामिल कर लिये गये, झण्डेके प्रश्न-पर गान्धीजीका फॉर्मूला मान लिया गया—अर्थात् सब उत्सवोंपर सरकारी झण्डेके साथ-साथ कांग्रेसका झण्डा भी पहराया जायेगा, कांग्रेस-कार्य-कर्ताओंको रिहा कर देनेका और निपेधात्मक आदेश वापस लेनेका आश्वासन दे दिया गया। राज्य कांग्रेस इस समझौतेके पूरा किये जानेकी प्रतीक्षा करती रही परन्तु सरकारने अपने वादे पूरे नहीं किये। सितम्बरमें राज्य कांग्रेस और राज्य अधिकारियोंमें फिर संघर्ष शुरू हो गया परन्तु गान्धीजीके आदेश पर वह आन्दोलन रोक दिया गया।

काठियावाड़की एक छोटी-सी रियासत मनसाके किसानोंमें भी आम चेतनाके कारण हलचल आरम्भ हो गयी और उन्हें इस बातका एहसास हुआ कि अत्यधिक भूमि-करोँका भारी बोझ उन्हें नष्ट कर रहा है। जब भूमि-करमें कमीके लिए, दिये गये प्रार्थना-पत्र व्यर्थ सिद्ध हुए तो किसानोंने लगान देनेसे इनकार कर दिया और 'मनसा खेदूत समिति' नामका एक संघटन कायम कर लिया। क्रुद्ध राज्य अधिकारियोंने यहाँ भी दमनकी नीति अपनायी। इस मामलेमें भी पटेलके हस्तक्षेप करने पर सरकारने लगान-समस्याको नयी जाँच और नये सिरेमें तय करनेकी आज्ञा दे दी।

काठियावाड़की एक दूसरी रियासत लिम्बडीमें न सिर्फ भारी भूमिकर वल्कि स्वयं राजा द्वारा व्यापारकी हर वस्तुपर एकाधिकार कर लेनेके कारण आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस एकाधिकारके कारण कई व्यापारियों और दूकानदारोंकी जीविका छिन गयी थी। व्यापारी और किसानोंने राज्यके बुरे कानूनोंका विरोध करनेके लिए संयुक्त मोर्चा बनाया। राज्य-अधिकारियोंने जनताकी जो अभीतक उनके सामने घुटने टेकती थी, इस चेतनाको चुनौती माना और उन्हें 'सबक सिखाने' के लिए दमनका आश्रय लिया। किसानोंको उनके घरोंसे वेदखल कर दिया गया। व्यापारियोंकी सम्पत्ति लूट ली गयी और उनके मकान जला दिये गये। इस नरकसे बचनेके लिए बहुतेरे तो रियासत छोड़कर भाग गये।

उड़ीसाकी कुल रियासतोंमें, उदाहरणार्थ धनकनल, रनपुर और तालचरमें दशा और खराब थी। गिरफ्तारियाँ, मारपीट, मध्यकालीन युगकी यन्त्रणाएँ, सम्पत्तिको नष्ट करना, खड़ी फसलोंको जन्त कर लेना, लाठीचार्ज, गोली चलाना, भीड़पर हाथी दौड़वा देना रोजमर्राकी घटनाएँ हो गयी थीं। हथियारबन्द पुलिस गाँवोंको घेर लेती और वहाँ अत्याचारका नंगा नाच होता। लोगों द्वारा रनपुर रियासतके एक अधिकारीका कत्ल कर देनेके कारण शायद उड़ीसाकी रियासतोंमें बढ़लेकी भावनासे दमन इतना भयंकर रूपमें किया जा रहा था। अधिकारियोंने राज्य कांग्रेसको गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया। प्रमुख कांग्रेसजनोंको गिरफ्तार कर लिया और उनके घरोंमें ताला बन्द कर दिया। इस नये कदम ( कांग्रेसको गैरकानूनी कर देनेसे ) लोगोंको गुस्सा आया और उन लोगोंने एक

जगह इकट्ठा होकर अपने नेताओंकी रिहाईकी माँग की। मेजर वेजलगेटने भीड़पर विस्तार-से गोली चला दी, जिससे दो व्यक्ति मार गये और कई घायल हो गये। उल्लेखित भीड़ने मेजरको धेर लिया और उन्हें वहीं मार डाला। इस हत्याके प्रतिशोधमें अधिकारियोंने भयकर दमन किया जो काफी समयतक चलता रहा। जब परिस्थिति जरा शान्त हुई तो उड़ीसा जन सम्मेलन (उड़ीसा पीपुल्स कानफरेन्स) ने उड़ीसाकी विभिन्न रियासतोंकी दशाका अध्ययन करनेके लिए जॉन्स समिति नियुक्त की। समितिने रिपोर्टमें अधिकारियों द्वारा किये गये दमनका कथा चिट्ठा है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तकमें रिपोर्टका संक्षेप दिया गया है कि "अधिकांश रियासतोंके राजा शान-शील और ऐशो-भारामकी जिन्दगी बसर करते हैं। उनकी प्रजाकी जिन्दगी, आजादी और सम्पत्ति उनकी निरकुश स्वेच्छापर निर्भर करती है। एक-दोको छोड़कर बाकी सब राजा मालमुजारीका कर्ममे कर्म पचास प्रतिशत, अपने ऊपर अपने कुटुम्ब व अपने प्रियपात्रोंपर खर्च करते हैं। शेष पचास प्रतिशतका अधिकांश पैसा वसूली व जबरदस्ती धन छीननेवाले कर्मचारियोंपर व्यय होता है। नागरिक स्वतन्त्रता अज्ञात वस्तु है। सार्वजनिक सभाएँ करनेकी अनुज्ञा नहीं मिलती और अखबार जब जी चाहे रोक दिये जाते हैं। बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करना, कष्टकारी प्रजाजनोंको नाममात्रकी कारवाही कर दण्ड दे देना, मनमाने तौरपर सम्पत्ति जब्त कर लेना, जुर्माने वसूल करना, मारना और यन्त्रणाएँ देना आम घटनाएँ हो गयी हैं। विद्रोहको दवानेके लिए, राज्य अधिकारियोंने अँग्रेजी सेनाकी सहायता ली। धनकमल, गगापुर और रंगपुरमें कई आन्दोलियोंको गोलीसे मार डाला गया। २५ से ३० हजारके बीच लोगोंने भागकर उड़ीसा प्रान्तमें शरण ली।"

राजाओंने उड़ीसाकी सरकारसे माँग की और अँग्रेजोंने इस माँगका समर्थन किया कि निष्क्रमणके नेताओंको निर्वासित कर दिया जाय। उड़ीसा प्रान्तकी कांग्रेस सरकारने यह माँग स्वीकार नहीं की और मन्त्रिमण्डलमें सक्कट पैदा हो जानेके बादजुद गवर्नरके हस्तक्षेपका विरोध किया।

१९३८ में हैदराबाद सरकारने एक आदेश द्वारा रियासतमें राज्य कांग्रेस बनानेपर रोक लगा दी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन द्वारा इस आदेशका विरोध किया गया जिसमें कई आदमी गिरफ्तार कर लिये गये। कुछको नजरबन्द अथवा निर्वासित कर दिया गया। २३ अखबारोंके रियासतमें आनेपर रोक लगा दी गयी। राजनीतिक संघर्ष चल ही रहा था कि आर्यसमाजियोंने एक मुस्लिम शासक निजाम द्वारा धार्मिक स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके कारण, धार्मिक स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू कर दिया। आर्य समाज आन्दोलनमें देश भरके लोगोंने भाग लिया। मुद्दूर अँग्रेज शासित भूमिमें भी आर्य समाज नेता हैदराबाद आन्दोलनके लिए स्वयंसेवक भरती कर रहे थे और उन्हें हैदराबाद खाना कर रहे थे। आखिरकार निजाम सरकार छुड़ी और धार्मिक माँगको स्वीकार कर लिया। आर्यसमाजी सत्याग्रही छोड़ दिये गये। परन्तु कमिश्नरने साम्प्रदायिकता पैदा होनेके भयमें अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। साम्प्रदायिकताके कुछ लक्षण प्रकट भी होने लगे थे।

जयपुर रियासतमें नैरराजनीतिक प्रश्नके ऊपर उद्दोलन बटकर राजनीतिक आन्दोलनमें परिणत हो गया। १९३८-३९ में जयपुरमें अकाल पड़ा और कांग्रेस महासमितिके कोषा-

ध्यक्ष जमनालाल बजाज, जो जयपुरके रहनेवाले थे और अब ब्रिटिश भारतके नागरिक हो गये थे, अकाल-पीड़ित इलाकोंका निरीक्षण करने और जितनी सम्भव हो उतनी सहायता देनेके लिए जयपुर गये। उनका इरादा था कि इस अवसरपर राज्य जन-समितिकी रीटिंग-में भी सम्मिलित हो जायेंगे। अधिकारियोंने बजाजके राज्य प्रवेशपर रोक लगा दी। उन्होंने प्रार्थना की कि रोक हटा दी जाये अन्यथा वे आशा-भंग करनेपर मजबूर होंगे। अधिकारी अपनी दृष्ट-धर्मापर जमे रहे, और बजाजने आशा-भंग की। वे बर्ह दफा गिरफ्तार करके ब्रिटिश क्षेत्रमें छोड़ दिये गये और हर मतवा उन्होंने वापस आकर राज्य-सीमामें प्रवेश किया। इसी बीच जयपुर प्रजा-मण्डलने जिम्मेदार सरकारके लिए सविनय-प्रतिरोधका आन्दोलन छेड़ दिया। राज्य-सरकार किसी तरह भी वह माँग स्वीकार करनेकी तैयार न थी। परन्तु बजाजने सरकार और प्रजामण्डलके बीच समझौता करवा दिया। समझौतेके अनुसार प्रजा-मण्डलको कुछ सुविधाएँ मिल गयीं जिनमेंसे एक यह थी कि अखबारोंके ऊपरसे प्रतिबन्ध हट गया।

राजकोट राज्य सत्याग्रहमें तो वादमें स्वयं गान्धीजीको भी उलझना पड़ा। दूसरी रियासतोंकी भाँति राजकोटमें भी जिम्मेदार सरकारकी माँग की गयी। राजकोटमें, संघटित तरीकेसे आन्दोलन चलाया गया और सरकारने लाठी-चार्ज, गिरफ्तारियों, सभाओं, जुलूस और अखबारोंपर रोक लगाकर आन्दोलनको चुचलनेकी कोशिश की। अंग्रेजी दृष्टिकेसे भी कुछ औरतों और पुरुषोंने भाग लेकर अपनेको गिरफ्तार करवा दिया। वहाँके शासक टाकुर साहबने पटेलके साथ एक समझौता कर लिया। समझौतेके अनुसार टाकुर साहब 'जनताको ज्यादासे ज्यादा अधिकार देने'की गरजसे सुधारोंकी योजना प्रस्तुत करनेके लिए दस आदमियोंकी एक समिति बनानेवाले थे। समितिमें सात सदस्य पटेल द्वारा चुने हुए, गैर-सरकारी प्रजाके प्रतिनिधि होनेवाले थे। पटेलने नागोंकी सूची टाकुर साहबको दे दी। परन्तु टाकुरने अंग्रेजी रेजीडेंटके परामर्शसे तीन नाम इस आधारपर अस्वीकार कर दिये कि समितिमें मुसलमानों व अन्य अल्पमत जातियोंके प्रतिनिधियोंको भी जगह मिलनी चाहिये। प्रजा-मण्डल पटेलकी सूचीपर अड़ा हुआ था और शासक रेजीडेंटकी रायपर। फिर संघर्ष शुरू हुआ। गान्धीजी राजकोट पहुँचे और टाकुरको समझाया कि वह अपना वादा पूरा करें। जब समझौता असफल रहा तो गान्धीजीने आमरण अनशन शुरू कर दिया। "चूँकि यह अनशन अनिश्चित कालके लिए था, इसलिए बौद्धसंघसे हस्तक्षेप करनेकी प्रार्थना की गयी जिसके फलस्वरूप भारतके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वावरको निर्णय करनेके लिए पंच बना दिया गया। उनका निर्णय गान्धीजीके पक्षमें था। परन्तु गान्धीजीके ब्यालमें 'अनशनसे दयावका ध्वंसा' लग गया इसलिए उन्होंने अपने पक्षमें पंचके फैसलेका लाभ उठाना अस्वीकार कर दिया।"

## अध्याय २७

### मुसलिम लीगका अभियान

मुसलिम लीगके १९३० के अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे जिनाने जो भाषण किया उसका हिन्दुओंने यद्यपि परिहास किया और वह मुसलमानोंमें भी उत्साह भरनेमें नाकामयाब रहा मगर वह जिनाकी विभाजन योजनाका आरम्भ था—उस योजनाका जिसका खाना जिनाने लाहौरमें मन् ४० में पेश किया था। उस वर्ष इलाहाबादमें लीगके वार्षिक अधि-वेशनमें भाषण करते हुए उर्दूके प्रसिद्ध कवि डा० सर मुहम्मद इकबालने कहा कि “यूरोप इस नतीजेपर पहुँचा है कि धर्म मनुष्यका व्यक्तिगत मामला है और उसका सांसारिक कार्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस्लाममें खुदा, और दुनिया, रह और भौतिक पदार्थ, राज्य और धार्मिक सभ्यताएँ एक दूसरेके अभिन्न अंग हैं।... ..”

“भारत एशियाका छोटा रूप है। भारतीयोंके एक हिस्सेके सांस्कृतिक सम्बन्ध एशियाके पूर्वी राष्ट्रोंसे हैं तो दूसरेके एशियाके पश्चिमी और मध्यके राष्ट्रोंसे। अगर भारतमें परस्पर सहयोगका कोई प्रभावशाली सिद्धान्त तय हो जाये तो उससे इस प्राचीन भूमिमें जिसमें अभीतक तनावही रही-ही शान्ति और परस्पर भाईचारेकी स्थापना हो जायगी।

“यह देखकर दुःख होता है कि आन्तरिक सौहार्द्रका कोई भी सिद्धान्त हूँदनेमें हमें अभीतक असफलता ही मिली है और जैसा कि मैंने मुसलमानोंको समझा है, उससे मुझे यह कहनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर भारतीय मुसलमानोंके अपनी परम्पराओं और सभ्यतिके आधारपर पूरे विकासके अधिकारके सिद्धान्तको स्थायी साम्प्रदायिक समझौतेकी बुनियाद बना लिया जाय तो भारतीय मुसलमान भारतकी एकताके लिए अपना सब कुछ होम देगा।

“भारत एक महादीप है जिसमें विभिन्न जातियाँ बसती हैं जो अलग अलग भाषाएँ बोलती हैं और जिनके धार्मिक मत भी पृथक्-पृथक् हैं। उनका व्यवहार समान जाति-चेतनाके बशीभूत निश्चित नहीं होता है। यहाँतक कि हिन्दू भी एकत्व समुदाय नहीं हैं। इसलिए मुसलमानोंकी भारतके अन्दर एक मुस्लिम भारतकी माँग पूर्ण रूपमें न्यायपूर्ण है।

“मैं चाहता हूँ कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिन्ध और बलोचिस्तानके सूबे मिलकर एक राज्य बना दिया जाय। कमसे कम उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुसलमानोंके लिए अंग्रेजी साम्राज्यके अन्तर्गत था उसके बाहर, स्वराज्य दे देना ही उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुसलिम राज्याका निश्चित भविष्य मुझे मान्य पड़ता है।”

लीग अधिवेशनने अध्यक्षकी रायको कोई महत्व नहीं दिया और न कोई ऐसा प्रस्ताव ही वहाँ पास हुआ।

१९३० में साम्प्रदायिक समस्थाना विवादस्थल भारतमें दृढ़कर लन्दन गोलमेज सम्मेलन हो गया। इस सम्मेलनके प्रतिनिधि वाइसरायने नियुक्त किये थे। भारतीय जनताके प्रतिनिधि होनेके बजाय वे वाइसराय द्वारा ही नामजद किये गये थे और उनसे आशा

की जाती थी कि वे विभिन्न साम्प्रदायिक हितोंका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए गोलमेज सम्मेलनमें महत्त्वपूर्ण विषयोंकी अपेक्षा साम्प्रदायिकतापर ही अधिक जोर दिया गया। वस्तुतः हर प्रतिनिधि किन्हीं विशेष हितों या अपने सम्प्रदायका अपने मुँह नेता बना हुआ था। लन्दनमें रहनेवाले कुछ मुसलमानोंने भी भारतकी तरफसे बोलनेकी जिम्मेदारी अपने सरपर ले ली और 'पाकिस्तान' की माँग उठायी। उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलसे प्रार्थना की कि वह इस आवाजको गोलमेज सम्मेलनमें उठाये। जब मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलने उनकी बातपर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने एक कमेटी बना ली और अपना एक कार्यालय लन्दनमें स्थापित किया; और सर इकबालके इलाहाबादवाले भाषणके आधारपर आन्दोलन करने लगे। सन् १९३२ में तीसरे गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर इकबालने अपने विचारको ठोस सुझावके रूपमें पेश किया और कहा कि भारतमें कोई केन्द्रीय सरकार नहीं होनी चाहिये। प्रान्तोंकी स्वशासन मिलना चाहिये और स्वतन्त्र उपनिवेशोंके रूपमें उनका सीधा रिश्ता लन्दन स्थित भारत-सचिवसे होना चाहिये।

लेकिन गोलमेज सम्मेलनमें मुसलमान प्रतिनिधियों द्वारा उठायी गयी माँगका सार था कि—( १ ) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-सभाओं और परिषदोंमें मुसलमानोंके प्रतिनिधि पृथक् निर्वाचन द्वारा चुने जायँ। ( २ ) मुसलिम-अल्प-संख्यक प्रान्तोंमें, मुसलमानोंको प्राप्त प्रतिनिधित्व कायम रखा जाय। इनके अतिरिक्त, पंजाब, -सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक सत्तोंकी विधान-सभाओं और परिषदोंमें उन्हें बहुसंख्यामें स्थानोंकी कानूनन गारण्टी दी जाय।

हिन्दू प्रतिनिधियोंने हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए संख्याके अनुपातपर संयुक्त निर्वाचनकी माँग की। उन्होंने कानून द्वारा सम्प्रदाय विशेषको कहीं भी 'बहुसंख्या'की मान्यता देनेपर घोर आपत्ति की।

कुछ मुसलिम नेता कतिपय शर्तोंपर संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी थे, पर उनकी शर्तें हिन्दू नेताओंको अमान्य थीं। उदाहरणके तौरपर मुहम्मदअलीने प्रथम गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर ( सम्मेलनके दौरानमें ही उनकी मृत्यु हो गयी ) सुझाव दिया था कि "भारतीय राष्ट्रीयताके हितमें हमें संयुक्त निर्वाचनक्षेत्र स्वीकार कर लेने चाहिये।"<sup>१</sup> इस सुझावके साथ कुछ शर्तें भी थीं; जैसे ( १ ) विधान-सभाओं और परिषदोंमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिये। ( २ ) किसी भी उम्मीदवारको निर्वाचित घोषित न किया जाय, जबतक ( अ ) उसे अपने सम्प्रदायके कम-से-कम ४०% ( चालीस प्रतिशत ) वोट न मिलें; और ( ब ) जहाँ वह उम्मीदवार कुल आवादीकी दस प्रतिशत-अल्प-संख्यासे सम्बन्ध रखता हो वहाँ उसे कम-से-कम दूसरी जातियोंके पाँच प्रतिशत और यदि बहुसंख्यामें है तो कम-से-कम दस प्रतिशत वोट मिलना चाहिये।<sup>२</sup> मुहम्मदअलीने कहा कि उनकी योजनाके तीन लाभ होंगे। प्रथम यह कि "वोटोंके लिए हर उम्मीदवारको दोनों समाजोंके लोगोंसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि बिना अपने समाजके वोटोंकी अच्छी खासी संख्या पाये हुए कोई भी निर्वाचित न हो पायेगा। और तीसरे यह कि अगर किसी उम्मीद-

१. धीरेन्द्रनाथ सेन, दि प्रावलेम ऑफ माइनरिटीज पृष्ठ ४१७

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ४१८

वारको अपने समाजके काफ़ी वोट मिल भी जायें परन्तु यदि दूसरा समाज उसे अच्छा नहीं समझता तो यह चुनाव न जा सकेगा ।

सर मुहम्मद शफीने प्रथम गोलमेज सम्मेलनकी अल्पमत उपसमितिके सामने जो सुझाव पेश किये थे उनमें भी सयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया था । ६ जनवरी १९३१ को उपसमितिकी बैठकमें बोलते हुए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव पेश किये थे—

जो शर्तें मैं रख रहा हूँ उनपर हमें सयुक्त निर्वाचन मान्य है । पहली यह कि मुस्लिम अल्पमत प्रान्तोंमें मुसलमानोंको जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वे कायम रहे । पंजाब और बंगालमें जनसख्याके आधारपर प्रतिनिधित्व और सयुक्त निर्वाचन होना चाहिये । गोलाना मुहम्मद अली द्वारा पेश की गयी शर्तोंके साथ-साथ सुरक्षित स्थानोंका भी सिद्धान्त माना जाना चाहिये ।<sup>१</sup>

उसी उपसमितिके सामने १४ जनवरी १९३१ को एक और सुझाव उन्होंने पेश किया—“आज मुझे ये बातें रखनेका अधिकार मिला है कि पंजाबमें मुसलमानोंको साम्प्रदायिक (पृथक्) निर्वाचन द्वारा कुल स्थानोंके ४९ प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये और साथ ही उस प्रान्तमें प्रस्तावित विशेष निर्वाचन क्षेत्रमें भी उन्हें चुनाव लड़नेका अधिकार प्राप्त हो । जहाँतक बंगालका सम्बन्ध है वहाँ मुसलमानोंको साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा कुल सदस्यताके ४६ प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये और साथ ही उस सूबेमें प्रस्तावित विशेष निर्वाचन क्षेत्रमें भी उन्हें चुनाव लड़नेका अधिकार प्राप्त हो । जहाँ तक अल्पसंख्यक प्रान्तों का सम्बन्ध है वहाँ मुसलमानोंको पृथक् निर्वाचन द्वारा जो अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है वह कायम रहे और सिधमें हर्गो प्रकारका प्रतिनिधित्व-आधिक्य हमारे हिन्दू भाइयोंको, तथा हिन्दू और सिख भाइयोंको उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तोंमें मिले । अगर किसी प्रान्तीय विधान सभा अथवा केन्द्रीय विधान सभामें किसी समाज विशेषके तीन चौथाई प्रतिनिधि पृथक् निर्वाचनको त्याग कर सयुक्त निर्वाचनका अपनाना चाहते ह तो सयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी जायगी । पहले सुझावमें सयुक्त निर्वाचनके अन्तर्गत कानूनन बहुमतकी माँग की गयी थी; और दूसरोंमें पृथक् निर्वाचनके साथ सुरक्षित स्थान रखनेकी माँग की गयी थी । परन्तु अग्रेजोंने अपने पैसलेमें मुसलमानोंकी दोनों ही माँग पूरी कर दी—पृथक् निर्वाचन और कानूनन बहुमत दोनों ही बात मान ली गयी थी ।

सिखोंने कानूनन बहुमत (स्टेटुटरी कान्यूनल मैजोरिटी) और बहुसंख्यकोंके लिए स्थान सुरक्षित रखनेका विरोध किया । पंजाबमें बहुत ही कम संख्यामें होनेके कारण सिखोंने माँग की कि साम्प्रदायिक सन्तुलन ठीक रखनेके लिए सूबेका पुनर्स्थापन होना चाहिये । अगर यह माँग अमान्य हो तो केन्द्रीय सरकार पंजाबका प्रशासन स्वयं अपने हाथमें ले ले जबतक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय किसी समझौतेपर न पहुँच जायें ।

कांग्रेसने सुझाव रखा कि सिधमें हिन्दुओंके लिए, आसाममें मुसलमानोंके लिए और पंजाबमें सिखोंके लिए, सयुक्त निर्वाचनके अन्तर्गत जनसंख्याके आधारपर सुरक्षित स्थान रखे जायें । लेकिन जिन सूबोंमें हिन्दू और मुसलमान कुल जनसंख्याके पचीस प्रतिशतसे कम हैं, वहाँ उन्हें अतिरिक्त स्थानोंके लिए भी चुनाव लड़नेका अधिकार प्राप्त होगा ।

१. रिपोर्ट ऑफ दी साइनाटीज गव कमेटी ऑफ दी फर्स्ट भार. टी. (इण्डियन जेडियान)

गान्धीजीने, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व किया था, मुझावोंकी व्याख्या करते हुए कहा कि जहाँ भी सम्भव हो, निर्वाचन-क्षेत्रोंको इस प्रकार बनाना चाहिये कि हर सम्प्रदायको संख्याके उचित अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिल जाय। अगर सिन्धवासी आर्थिक उत्तरदायित्व सम्हालनेको तैयार हों तो कांग्रेसको सिन्धके पृथक प्रान्त बनाये जानमें कोई आपत्ति नहीं।

मुसलमानोंमें आपसमें मतभेद पैदा हो गया।

“मुस्लिम राष्ट्रवादी सम्मेलन और सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन ( मुस्लिम आल पार्टीज कानफरेन्स ) में समझौता करानेकी कोशिश की गयी। २२ जून १९३१ को शिमलेमें विभिन्न प्रस्तावोंपर विचार करनेके लिए एक संयुक्त सम्मेलन बुलानेका प्रयत्न किया गया।” परन्तु सम्मेलन करनेका प्रयास असफल रहा। डा० अन्सारीने इस असफलताको समझाते हुए कहा कि “यहाँ आनेपर हमने देखा कि शिमलाका वातावरण किसी भी समझौतेके प्रतिकूल है। बदकिस्मतीसे हमारा डर सही निकला। शिमलाका बदकिस्मत वातावरण और असर, जिसको लोग इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि बतलानेकी जरूरत नहीं, एकता करानेवाली शक्तियोंसे बहुत अधिक मजबूत साबित हुआ।”

जब विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिनिधि आपसमें कोई समझौता न कर सके तो अंग्रेजी सरकारने साम्प्रदायिक मसलेपर फैसला देनेकी जिम्मेदारी ले ली। अगस्त १९३२ को अंग्रेजी प्रधान मन्त्रीने यह फैसला, जो साम्प्रदायिक निर्णयके नामसे ग़ज़हूर है, सुना दिया। यह निर्णय जिसका आशय मुसलमानोंको सन्तुष्ट करना था, किसीको भी सन्तुष्ट न कर सका, यहाँ तक कि मुसलमानोंको भी नहीं। अंग्रेजी नीतिकी परम्पराके अनुसार इस निर्णयमें पृथक् निर्वाचन मान लिया गया था और संयुक्त निर्वाचनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया था, हालाँकि मुसलमानोंने स्वयं कुल शक्तोंके साथ संयुक्त निर्वाचनका प्रस्ताव रखा था। इस निर्णय ( कम्प्यूनल अवार्ड ) में हर सूबेमें मुसलमानोंके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये, जिन प्रान्तोंमें मुसलमान अल्पसंख्यामें थे वहाँ उनको प्रतिनिधित्व-आधिक्य दिया गया, सिन्ध और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें हिन्दुओंको भी प्रतिनिधित्व-आधिक्य ( वेंटेज ) दिया गया। परन्तु बंगाल और पंजाब सम्बन्धी निर्णयसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही असन्तुष्ट रहे। पंजाबमें कुल जनसंख्यामें मुसलमान ५५% ( पचपन प्रतिशत ) थे परन्तु वहाँ उन्हें ४९% प्रतिनिधित्व मिला। इसपर भी हिन्दुओंका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें जितना मिलना चाहिये था उससे भी बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला। उनकी जगहें कम करके सिखोंको प्रतिनिधित्व-आधिक्य दिया गया। बंगालमें तो हालत और बुरी थी। मुसलमानोंकी संख्याका अनुपात ५४% फी सदी था और उन्हें कुल ४७% फी सदी जगहें मिलीं। हिन्दुओंकी संख्याका अनुपात ४४% प्रतिशत था, उन्हें केवल ३२ प्रतिशत स्थान मिले। फिर बंगालमें हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंको मिलनेवाली जगहोंपर किसने कब्जा कर लिया? साम्प्रदायिक निर्णयमें यूरोपियनोंको बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देनेकी व्यवस्था की गयी थी। वे जनसंख्याके सिर्फ ०१ फी सदी थे और उनको १० फी सदी जगहें दी गयीं। यानी अपनी जनसंख्याकी २५०००० गुना जगहें उनको दी गयीं! अखिल भारतीय मुसलिम सम्मेलनने

१. राजेन्द्रप्रसाद, इण्डिया डिवाइडेड पृष्ठ १२७

२. एनुअल रजिस्टर १९३१, पृष्ठ ३०५

( जो पहले सर्वदलीय मुसलिम सम्मेलन था ) ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके साम्प्रदायिक निर्णयपर निराशा जाहिर की और मुसलमानोंको पञ्जाब तथा बंगालमें कानूनन बहुमत न देने और कतिपय प्रान्तोंमें प्रतिनिधित्व-आधिक्य कम कर देनेकी निन्दा की । परन्तु इस निर्णयमें खुली छूट थी कि यदि सम्बन्धित सम्प्रदाय आपसमें कोई समझौता कर लेते हैं तो वह समझौता निर्णयका स्थान ले लेगा । चुनावे समझौतेका रास्ता ढूँढनेके लिए मौलाना शौकत अलीने गान्धीजीमें जेलमें भेंट करनेकी वाइसरायसे अनुमति चाही । शौकत अलीको अनुमति न मिली और उनसे कहा गया कि गान्धीजीसे मिलनेसे पहले वे अपनी बातके लिए आम मुसलमानोंका समर्थन हासिल कर लें । तब तमाम मुसलिम पार्टियोंका एक सम्मेलन लखनऊमें १५ अक्टूबर १९३५को बुलवाया गया । हिन्दुओंकी तरफसे मालवीयजी भी इसी प्रकारका प्रयास कर रहे थे, जिसका परिणाम इलाहाबादमें हुआ एकता सम्मेलन था जिसमें विभिन्न साम्प्रदायिक नेताओंने भाग लिया था—६३ हिन्दू, ३९ मुसलमान, ११ सिख और ८ भारतीय ईसाई । सम्मेलनमें, जो ३ नवम्बरसे १५ तक चलता रहा, आखिरमें परेशान करनेवाले पञ्जाब बंगालके प्रश्नपर एक समझौता हो गया । हिन्दू मुसलमानोंको ५१% प्रतिनिधित्व देनेपर राजी हो गये । सयुक्त निर्वाचन भी इस शर्तपर मान लिया गया कि किसी उम्मीदवारको जीतनेके लिए अपने समाजके कम से कम ३० फीसदी वोट मिलें । अगर किसीको भी ३० फीसदी नहीं मिलते हैं तो जिसको सबसे अधिक फीसदी वोट मिले होगा वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा । केन्द्रीय विधान सभामें मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर जिसपर अभी तक अंग्रेजी सरकारने कोई निर्णय नहीं दिया था—यह निश्चय हुआ कि विधान सभाकी सदस्यतामें मुसलमानोंको ३२ फीसदी स्थान दिये जायें । सम्मेलन इस शर्तपर कि केन्द्रसे सहायता नहीं माँगी जायेगी, सिधको पृथक प्रान्त माननेपर तैयार हो गया । नये प्रान्तोंमें हिन्दुओंको भी कुछ नयी सुविधाएँ देना स्वीकार कर लिया गया ।

बंगालपर हुआ हिन्दू मुसलिम समझौता इसपर निर्भर करता था कि यूरोपीय लोग अपना अत्यधिक प्रतिनिधित्व कम करना स्वीकार कर लें । समझौतेके अनुसार मुसलमानोंको ५१ प्रतिशत जगहें मिली थीं और हिन्दुओंको ४४% फीसदी । इसका मतलब यह हुआ कि यूरोपीयनों व अन्य जातियोंके लिए सिर्फ ४२ फीसदी प्रतिनिधित्व शेष बचा था । इसलिए एकता-सम्मेलनकी एक समिति यूरोपीयोंके साथ इस प्रश्नपर बातचीत करनेके लिए बलवत्ता रवाना हो गयी ।

१९१६ में लखनऊकी ही भाँति हिन्दू और मुसलमान फिर एक हो गये और अपनी समस्याओंको सुलझानेमें उन्होंने व्यावहारिक बुद्धि दिखलायी । परन्तु अंग्रेजी सरकारने फिर चालाकीसे भरा एक ढाँव मारा । २४ दिसम्बर १९३२ को, जब कि एकता सम्मेलन चल ही रहा था, भारतसचिव सर मैमुथल होरने तीसरे गोलमेज सम्मेलनमें घोषणा की कि सरकारने केन्द्रीय विधान-सभामें मुसलमानोंको ३३% फीसदी प्रतिनिधित्व देनेका और सिधके नव निर्मित प्रान्तको केन्द्रसे आर्थिक सहायता देनेका फैसला किया है । यह उससे कहीं ज्यादा था जो हिन्दुओंने देना और मुसलमानोंने लेना स्वीकार किया था । इस घोषणामें हिन्दुओंको वे सुविधाएँ भी नहीं दी गयीं जो मुसलमान उन्हें देनेको राजी हो गये थे ।



इस प्रकार यह एकता-सम्मेलन मुसलमानोंके लिए यकायक बेकार कर दिया गया— और यह खतम ही हो गया । अंग्रेज एक बार फिर परिस्थितिके स्वागी बन गये ।

जैसा कि एक बार पहले भी कहा जा चुका है, कांग्रेसके विधान-सभा-दलमें साम्प्रदायिक निर्णयपर गतभेद था । अणे और मालवीयके नेतृत्वमें चलनेवाला दल इसका घोर विरोध कर रहा था और दूसरा तटस्थ था, हालाँ कि निर्णयके सिद्धान्तों और नियमोंके विरोधी वे भी थे । मालवीयजीकी राष्ट्रवादी पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही अपने-अपने पक्षमें लोकमत संघटित करनेमें संलग्न हो गये—एक निर्णयके विरोधमें और दूसरा उसके पक्षमें । इसी अवसर पर लीगके अन्दर मुद्दे १९३३ के अधिवेशनके अध्यक्षपदके प्रश्न पर झगड़ा हो गया । अन्ततः लीगका अधिवेशन ३१ अक्टूबरको हावड़ामें पेशावरके चैरिस्टर अब्दुल अजीजकी अध्यक्षतामें हुआ । पुलिस बाहर चौकसी करती रही कि कहीं अब्दुल अजीजकी अध्यक्षताके विरोधी कोई गड़बड़ी और शान्तिभंग न करें । इस अधिवेशनने कुछ शक्तोंके साथ 'साम्प्रदायिक निर्णय'को स्वीकार कर लिया । मगर इस अधिवेशनकी उपेक्षा कर दी गयी और दिल्लीमें खान बहादुर हाफिज हिदायत हुसैनकी अध्यक्षतामें २५ नवम्बरको फिर लीगका अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशनने साम्प्रदायिक निर्णयपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी तथा मन्त्रि-मण्डल और नौकरियोंमें उचित भाग मिलनेकी माँग की । परन्तु लीगकी समस्या अभी मुलती नहीं थी क्योंकि अब्दुल अजीज भी अध्यक्षपदपर कायम थे । इसलिए ४ मार्च १९३४ को लीगका एक और अधिवेशन बुलाया गया और जिनाको जो दो साल इंग्लैण्डमें रहनेके बाद हालमें ही भारत लौटे थे, दोनों पक्षोंने लीगका स्थायी अध्यक्ष मान लिया । २ अप्रैल १९३४ को लीगकी परिषद्ने एक प्रस्ताव पास करके साम्प्रदायिक निर्णयको 'जैसा है वैसा ही' स्वीकार करनेका फैसला किया हालाँकि इस निर्णयमे उनकी माँग पूर्णतया पूरी नहीं होती थी । और लीग इसी आधारपर दूसरे सम्प्रदायोंके साथ देशके लिए विधान, अगर वह सबको स्वीकार हो, बनानेके लिए सहयोगको तैयार थी । ज्ञायद दिल्लीके लीग-अधिवेशनमें उठायी गयी माँगके प्रतिक्रियास्वरूप ७ जुलाई १९३४ को भारत सचिवने घोषणा की कि नौकरियोंमें मुसलमानोंको २५% जगहें मिलेंगी । नौकरियोंमें यह अनुपात जनसंख्याके आधारपर किया गया था । अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलनने भारतसचिवके इस फैसलेका विरोध किया और माँग की कि मुसलमानोंको नौकरियोंमें हिसा उनके केन्द्रीय विधान-सभामें प्रतिनिधित्वके बराबर यानी ३३% की सही मिलना चाहिये, न कि जनसंख्याके आधारपर । उर्मी वर्षके आरम्भमें आगा खॉनने मुस्लिम लीग और मुस्लिम सम्मेलन ( मुस्लिम काँग्रेस ) को एक करनेकी कोशिश की थी और जिनाके स्थायी अध्यक्ष होनेके पूर्व आगा खॉनकी इसी कोशिशके कारण लीगके अन्दर तीव्र मतभेद पैदा हो गये थे । लेकिन अगस्तमें, विधान-सभाके चुनाव नजदीक आ जानेके कारण, चुनाव सम्बन्धी प्रचारके लिए किसी प्रकार एक होनेके उद्देश्यसे शिमलामें १३ अगस्तको दोनों संघटनोंकी कार्यमगितियोंकी एक संयुक्त बैठक बुलाई गयी । इस बैठकने एक संयुक्त चुनाव-घोषणा-पत्र जारी किया और मुसलमानोंमें पृथक् निर्वाचन सिद्धान्त और साम्प्रदायिक निर्णयोंके विरोधियोंके खिलाफ एक मोर्चा बनानेको कहा । चुनाव सिर्फ इसी प्रश्नपर लड़े जानेवाले थे ।

थोड़ा-सा जिक्र यहाँपर १९३५ के ऐक्टके प्रति मुस्लिम लीगके दृष्टिकोणका और

उसके अन्तर्गत पहले आम चुनावोंका कर देना चाहिये। अप्रैल १९३५ में बम्बईमें हुए लीगके अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा १९३५ के ऐक्टका प्रान्तीय योजनाका भाग स्वीकार कर लिया गया और सघात्मक भाग अस्वीकार! प्रस्तावमें कहा गया था कि “लीग यह समझती है कि देशकी दशा देखते हुए विधानकी प्रान्तीय योजना, जैसी भी है, उसका उपयोग करना चाहिये, यद्यपि इस योजनामें घोर आपत्तिजनक बात है जो पूरे मरकारी ढोंचके ऊपर वास्तविक नियन्त्रण, और मन्त्रिमण्डलकी जिम्मेदारी तथा विधान सभाओंको निरर्थक बना देती है।” विधानकी सघात्मक योजनाकी निन्दा करते हुए लीगने उसको प्रतिक्रियावादी, पिछड़ी हुई, भारतके हितोंके लिए हानिकारक और पातक कहा। प्रस्तावमें कहा गया था कि योजनाका मतलब भारतके पूर्ण उत्तरदायी शासनके ध्येयके हासिल करनेमें अनिश्चित कालके लिए विलम्ब लगाना और उसको रोकना है।

सर मैयद वजीर हसनने लीगके अध्यक्ष पदमें भाषण करते हुए कहा कि न तो कांग्रेस ही देशको पूर्ण स्वराज्यके ध्येयकी तरफ अभी तक आगे बढ़ा सकी है और न लीग ही मुसलमानोंको उनके न्यायोचित अधिकार दिलवा सकी है। इसलिए उन्होंने देशकी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओंको सुलझानेके लिए एक समुक्त कार्यक्रम बनाकर काम करनेके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियोंको निमन्त्रित किया। कुछ गैरमुसलिम लीगी मुसलमानोंने भी बम्बई अधिवेशनमें भाग लिया और जर्मयुल उल्लेगाके मौलाना अहमद सईदके प्रस्ताव पर जिनाको अधिकार दिया गया कि वे पार्लिमेण्टरी बोर्ड नामजद करें।

बोर्डने जून १९३६ में चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर लिया, जिसमें लीगकी नीतिका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया था—“जिन मुख्य सिद्धान्तोंपर हमारे प्रतिनिधि विभिन्न विधान सभाओंमें काम करेंगे वे हैं (१) वर्तमान प्रान्तीय और प्रस्तावित केन्द्रीय विधानको रद्द कर उनकी जगह पौरन ही प्रजातान्त्रिक स्वराज्य लागू कर दिया गया। (२) और हम बीचमें विभिन्न विधान सभाओंमें मुसलिम लीगके प्रतिनिधि, राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें जनताके भले और उत्थानके लिए, विधानका अत्यधिक लाभ उठानेके लिए विधानसभाओंका उपयोग करेंगे। जबतक पृथक निर्वाचन कायम है तबतक अनिवार्यतः मुसलिम लीगको स्वतन्त्र पार्टीकी हैसियतसे रहना जरूरी है, परन्तु लीग किसी भी दल अथवा पार्टीसे खुला सहयोग करेगी जिसके सिद्धान्त लीगसे मिलते-जुलते हैं। लीग मुसलमानोंसे अपील करती है कि वे समाजकी एकता भंग करनेवाले किसी भी आर्थिक अथवा अन्य घोषणके शिकार न बने।”

१९३७ में लीगने भारतकी पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना अपना ध्येय बनाया। लीगके इस राजनीतिक निरन्तरतामें कांग्रेसको लाचार होकर लीगको समान उद्देश्यों और आदर्शोंपर कार्य करनेवाला मित्र सघटन मानना पड़ा। कांग्रेसने गिफ्ट इतना ही नहीं किया कि लीगके उम्मीदवारोंके लिए मुसलिम सीटें (विधान सभाओंमें) छोड़ दी बल्कि अप्रत्यक्ष रूपमें कांग्रेसने लीगके उम्मीदवारोंकी सहायता भी की। सरकारकी सरक्षता और कृपा पाये हुए उम्मीदवारोंके खिलाफ कांग्रेस और लीगने समुक्त रूपमें मोर्चा बनाया। दूसरे यूरोपीय तुलनामें कांग्रेस लीग एका समुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में अधिक उभरा। लेकिन चुनावके बाद कांग्रेसको मालूम हुआ कि मुसलमानोंमें लीगके अनुयायी नगण्य संख्यामें हैं।

हालाँकि १९३५ के ऐक्टके अन्तर्गत हुए चुनावोंमें जनसंख्याके सिर्फ १०% भागको ही मताधिकार प्राप्त था मगर उनसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियोंके अनुयायियोंका पता लग गया। प्रान्तीय विधान-सभाओंकी १५८५ सीटें १७ विभिन्न राजनीतिक, साम्प्रदायिक, धार्मिक, व्यापारिक और विशेष हितोंमें बाँट दी गयी थी। आम सीटें (अद्वैत सीटें मिलाकर) ८०८ थीं और मुसलिम सीटें ४८२ थीं। इन स्थानोंके चुनावोंके परिणाम राजनीतिक पार्टियोंकी शक्तिके द्योतक थे। कांग्रेसने लगभग हर आम सीटपर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और ७१५ सीटोंपर विजयी हुई। कांग्रेसने केवल ५८ मुसलिम उम्मीदवार खड़े किये थे जिनमेंसे २६ जीत गये; अधिकांशतः सीमाप्रान्तमें। जहाँ चुनावोंके परिणामोंने कांग्रेसको देशकी राष्ट्रीय मंस्था और सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध कर दिया, वहाँ यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती। परन्तु अगर कांग्रेस मुसलमानोंकी नुमाइन्दगी नहीं करती थी तो मुसलिम लीग भी नहीं करती थी। और इस तरीकेसे तो कोई भी एक संघटन पूरे तौरपर उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता था। ४८२ मुसलिम सीटोंमेंसे लीगको केवल १०८ मिली। बंगालमें मुसलिम लीगकी सबसे भारी विजय हुई—११७ स्थानोंमेंसे ४० लीगने जीते—परन्तु दूसरे मुसलिम बहुसंख्यक सुबोंमें लीग बुरी तरहसे हारी। पंजाबमें ८४ सीटोंमेंसे लीग केवल एक पर विजयी हुई। उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त और सिन्धमें तो मुसलिम लीगका कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ। किसी सुबेमें लीगका मन्त्रिमण्डल बननेकी बात तो छोड़ दीजिये लीग कहीं महत्वपूर्ण शक्ति तक न बन सकी। यह निश्चय ही साबित हो चुका था कि सामन्तवादी वर्गके लीग जो अंग्रेजोंकी सुरक्षामें मुसलमानोंके प्रवक्ता बने हुए थे, मुसलिम समाजके प्रतिनिधि बिलकुल ही न थे। पंजाबमें कांग्रेस (१८ स्थान) और लीग दोनोंको दबकर रहना पड़ा और इनकी जगह सामन्तवादियोंने ले ली जो यूनिवनिस्ट पार्टीका नियन्त्रण करते थे। हिन्दू महासभाका तो चित्रमें कोई स्थान ही न था।

इस पृष्ठभूमिमें हमें लीगके भावी कार्योंपर एक दृष्टि डालनी चाहिये। नेहरूजीका चुनावविश्लेषण, जैसा कि जिनाको लिखे गये उनके जनवरी १९३७ के पत्रसे शत होता है, इस तरहसे था। “अन्तिम विश्लेषणमें भारतमें दो ही शक्तियाँ हैं—अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रीयताकी प्रतिनिधि कांग्रेस” मुसलिम लीग मुसलमानोंके एक छोटेसे हिस्से—इसमें गक नहीं कि वे लक्ष्यप्रतिष्ठ हैं—की प्रतिनिधि है। परन्तु मुसलिम लीग उच्च मध्यम वर्गके ऊँचे मुसलमानोंमें काम करती है। मुसलिम जनतासे इसका कोई सम्पर्क नहीं है और निम्न मध्यमवर्गमें इसका बहुत थोड़ा सम्पर्क है।”

उन सूबोंमें जहाँ कांग्रेसका बहुमत था, जब कांग्रेसने मन्त्रिमण्डल बनानेका भार उठानेका निश्चय किया तो मुसलमान मन्त्रियोंका हँदना इसके लिए एक समस्या बन गयी। सब विधान-सभाओंमें मिलाकर कांग्रेसके कुल २६ मुसलिम उम्मीदवार जीते थे और ऐसा मोचना व्यर्थ था कि वे सभी मन्त्रिपदके योग्य हैं। कांग्रेस लीग पार्टीके सदस्योंको इस शर्तपर लेनेकी तैयार थी कि वे कांग्रेसकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दें और कांग्रेसमें शामिल हो जायें! लीगने, विशेषतया यू. पी. में, जहाँ कांग्रेस और लीगका चुनाव-एका ज्वादा मजबूत था, कांग्रेस मन्त्रिमण्डलमें अपने अधिकारके बलपर प्रतिनिधित्व माँगा और दावा किया कि वह मुसलिम समाजकी प्रतिनिधि है, इसलिए मुसलमान मन्त्रियोंको नामजद

करनेका हक लीगको मिलना चाहिये—एक ऐसा दावा जो चुनावोंमें शूटा साबित ही चुका था। इसके अलावा, प्रजातान्त्रिक परम्पराके अनुरूप कांग्रेस सामूहिक उत्तरदायित्वसे युक्त एक जातीय मन्त्रिमण्डल बनाना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस, मुसलिम लीगके साथ मिलकर संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनानेको तैयार नहीं थी। यू. पी. कांग्रेसने नयाब मुहम्मद इस्माईल और खलीकुज्जमा (खलीकुज्जमा चुनावके पूर्व तक कांग्रेसके सदस्य थे हालाँकि उन्होंने कभी सविनय अग्रज्ञा आन्दोलनमें भाग नहीं लिया था) को ऊपर बताया हुई शर्तों पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेकी दावत दी परन्तु दोनोंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि लोगके सदस्यकी हैसियतसे ही वे मन्त्रिमण्डलमें शामिल हो सकते हैं। आज इतने समयके बाद मुसलिम लीगके मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेके दावेपर अभी तक की दी गयी शर्तोंके आधारपर इस प्रकार बहस की जा सकती है।

कांग्रेस यद्यपि सिद्धान्ततः और व्यवहारमें सभी समुदायों और समाजके लोगोंके उत्थानके लिए काम करती थी, मगर इसको मुसलमानोंके बहुत छोटेसे भागका समर्थन प्राप्त हो सका जब कि हिन्दुओंने कांग्रेसको, जैसा कि चुनावोंसे साफ़ जाहिर हो गया था, पूरा-पूरा समर्थन दिया। कांग्रेसने १९१६ में लीगके साथ एक समझौता किया था और इस तरहसे चुनचाप लीगको मुसलमानोंकी प्रतिनिधिसंस्था मान लिया। यह एक ऐसी स्थिति थी जो लीगको निर्विकल्प रूपमें हासिल नहीं थी। चुनावके समय मुसलिम लीगका यह दावा फिर स्वीकार कर लिया गया था। दावेका यह माना जाना, चाहे द्वाभाषिक विकास हो या अग्रजोंको देना, केवल भारतमें ही सम्भव था। यह भारतके अलावा और किसी भी प्रजातन्त्रवादी देश (जहाँके उदाहरणोंको भारत अपनाना चाहता था) में सम्भव न था। इसलिए मन्त्रिमण्डलकी एकरूपता इस विचित्र स्थितिसे उचित समाधानपर निर्भर करती थी। यह सही है कि कांग्रेस, पृथक् निर्वाचनके नतीजोंसे पैदा हुई इस विचित्र स्थितिको मान्यता नहीं देती थी मगर कांग्रेसकी अस्वीकृति बेमानी थी जब कि १९३५ के ऐक्टका पूरा ढाँचा इसीपर आधारित था।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलमें एकजातीयता तभी हो सकती थी, जब कांग्रेस यह साबित कर पाती कि वह मुसलमानोंमें भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि हिन्दुओंमें; या कम से-कम उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि मुस्लिम लीग। लीगका दावा था कि चुनावमें शर होनेके बावजूद वह मुसलमानोंकी प्रतिनिधिसंस्था है, क्योंकि सब मुसलिम सघटनोंमें लीगको ही चुनावमें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। यू० पी० विधान-सभाकी कुल ६४ सीटोंमेंसे लीगने ३७ सीटें जीती थी। ३० सीटें स्वतन्त्र मुसलमानों उम्मीदवारोंने पायी थी। बाकी स्थानोंपर कांग्रेस और नेशनल एमीकल्चरिस्ट पार्टी (राष्ट्रीय वृषक पार्टी) के उम्मीदवार विजयी हुए थे। लीगका दावा था कि यू० पी० में कांग्रेसने कुछ ही मुसलिम सीटें जीती हैं जब कि लीगने ३७ और चूँकि स्वतन्त्र उम्मीदवार एक दलमें सघटित न होकर बिपारे हुए हैं इसलिए सिर्फ लीग ही मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधिसंस्था है।

जिनाको लिखे गये नेहरूके पत्र और बादमें कांग्रेस द्वारा लीगका दावा अमान्य कर देनेसे लीगके नेता उत्तेजित होकर कांग्रेस प्रशासनपर अनपेक्षित हमले करने लगे। लीगके नेता समझ गये—और यह बहुत दुखदायी था—कि मुसलिम सघटनके रूपमें वह चाहे

कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो जाय, बहुसंख्यक हिन्दुओंकी विश्वासपात्र कांग्रेस कभी भी लीगके साथ सत्तामें बैठवारा करनेको तैयार न होगी।

आज सब तच्चाही हो जाने धौर एक टोस सत्यके रूपमें पाकिस्तान बन जानेके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कांग्रेस लीगके प्रति उदारता बरत सकती थी जो कि कांग्रेसकी सन् १९१६ से चली आथी नीतिके अनुरूप ही होता।

जिना और लीगके अन्य नेता, विशेषतया यू. पी. लीगके नेता, कांग्रेसके कट्टर दुष्मन बन गये। जिनाने पहला काम जो किया वह मुसलमानोंको १९३५ के ऐक्टके खिलाफ प्रदर्शनके लिए कांग्रेस द्वारा आयोजित पहली अप्रैलकी हड़तालमें भाग लेनेमें मना कर दिया और कहा कि वे कांग्रेसको सहयोग न दें। मुसलमान आमतौर पर पहली अप्रैलकी हड़तालमें उदासीन रहे। इसमें पहले भी जैसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनोंमें भी ज्यादातर मुसलमान ऐसे प्रदर्शनोंमें कभी भी हिन्दुओंके साथ शामिल नहीं हुए थे। और जिनाकी सलाहने सिर्फ उनके दृष्टिकोणपर गहरा लगा दी।

नेहरूजीके इस दार्ढ्यको कि भारतमें सिर्फ दो पार्टियाँ हैं—सरकार और कांग्रेस, मुसलमान नौजवानोंने अपने लिए चुनौती तथा ललकार मना। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि लीगको मुसलमानोंकी वास्तविक प्रतिनिधि संस्था बनाकर रहेंगे। कांग्रेसके खिलाफ क्रोधके वातावरणमें लीगका अधिवेशन जिनाकी अध्यक्षतामें १५-१७ अक्टूबर १९३७ को लखनऊमें हुआ। अधिवेशनमें आये प्रतिनिधियोंमें एक आहत अहंकी भावना व्याप्त थी और वे समझते थे कि नेहरूजीके आरोपका एक ही जवाब है कि लीगको जनसंघटन बनाया जाय। एक प्रस्ताव द्वारा लीगका विधान बदल दिया गया और अल्पमतकी सुरक्षा और उचित प्रतिनिधित्व सहित पूर्ण स्वराज्य लीगका भ्येय निश्चित हुआ। एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम बनाया गया जो किसी प्रगतिशील पार्टीका चुनाव-घोषणापत्र-मा जान पड़ता था।

लखनऊ अधिवेशनके पूर्व जिना पंजाब और बंगालके गैर-मुसलिमलीगी मुख्य-मन्त्रियोंसे पत्र-व्यवहार कर रहे थे और जिनाकी कोशिश थी कि ये दोनों आदमी लीगको मुसलमानोंकी संघटित राजनीतिक पार्टी बनानेके लिए लीगमें सम्मिलित हो जायें। पंजाबके प्रधान मन्त्री सर सिकन्दर हयात खाँ—यूनियनिस्ट पार्टीके नेता ( जो कई दलोंकी संयुक्त पार्टी थी ) लखनऊके लीग अधिवेशनमें शामिल हुए और वहाँ जिनाने घोषणा की कि दोनोंके बीच एक समझौता हो गया है। जिना और सर सिकन्दरके बीच हुई वार्ताके फल-स्वरूप यूनियनिस्ट पार्टीके मुसलिम सदस्य लीगमें शामिल हो जानेवाले थे और उनके ऊपर प्रान्तीय लीग पार्लमण्टरी बोर्डका अनुशासन लागू होता। जिना और सर सिकन्दर दोनोंने एक समझौतेपर दस्तखत कर दिये। सिकन्दर-जिना समझौतेके नामसे मशहूर इस समझौतेमें कहा गया था कि (१) लाहौर पहुँचनेपर सर सिकन्दर एक बैठक बुलायेंगे और अपनी पार्टीके मुसलमान सदस्योंको लीगमें शामिल हो जानेकी सलाह देंगे। (२) आगामी चुनावोंमें यूनियनिस्ट पार्टी दोनों दलोंके उम्मीदवारोंका लीगके साथ मिलकर समर्थन करेगी ( यूनियनिस्ट पार्टीमें हिन्दू सदस्य भी थे )। (३) विधान सभाके मुसलमान सदस्य मुसलिम लीग पार्टी बनायेंगे।

जिनाने यह भी कहा कि बंगालकी सत्तारूढ़ पार्टी याने प्रजापार्टीके साथ भी पंजाबकी तरह एक समझौता किया जायगा। प्रजा पार्टीमें भी हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे।

परन्तु पञ्जाब और बंगालके मुख्य मन्त्री कभी भी लीगके अनुशामनमें कायदेसे नहीं चले।

विधान सभाओंमें गये कांग्रेसके सदस्यों (यद्यपि वे अधिकांशतः हिन्दू थे) और लीगके सदस्योंमें प्रत्यक्ष अन्तर था। कांग्रेसी सदस्योंने सरकार विरोधी उम्मीदवारोंकी हैसियतसे चुनाव जीता था, जब कि अधिकांशतः लीगी सदस्य या तो उपाधिप्राप्त लोग थे या बड़े जमींदार घरानोंके लोग जो अंग्रेज अधिकारियोंके दोस्त या कृपापात्र रहे थे। इस विश्वासके साथ कि भविष्यमें मुसलमान लीगके झण्डेके नीचे जमा होंगे और कांग्रेसी सरकारकी लीगके ऊपर खास मेहरबानी रहेगी, वे लीगमें शामिल हो गये हालांकि उन्होंने चुनावमें लीगका विरोध किया था और कई जगह लीगी उम्मीदवारोंको हराया भी। विधान सभामें मुसलिम सदस्य इधर उधर दिखरे हुए थे जिनको जिनाने एक सूत्रमें बाँधकर एक दल बना दिया। यह युक्ति इतिहासकी अभूतपूर्व घटना है। इस प्रकारसे लीग मुसलमान प्रतिनिधि संस्था बन गयी। यद्यपि चुनावमें यह दावा झूठा साबित हो गया था। दूसरे मुसलिम बहुसंख्यक प्रांतोंमें भी लीगने यही चाल चली जहाँ उसे अलग अलग मात्रामें सफलता मिली।

जिसका भी पिछले पचास या उससे ज्यादा वर्षोंकी मुसलिम राजनीतिके विकासका इतिहास मायूम है, वह अच्छी तरहसे समझ सकता है कि सामान्यतः मुसलमान कभी भी अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़ाईमें हिन्दुओंका साथ नहीं देनेवाले थे। इसके साथ साथ २० सालके साम्प्रदायिक दंगोंसे जिनाको यह विश्वास हो गया था कि मुसलमान सिर्फ हिन्दू विरोधी नारोंपर ही जाग्रत किये जा सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन (१९३७) में यह बात बहुत जोरोंसे कही गयी कि कांग्रेस हिन्दू पासिस्ट राज्य स्थापित करना चाहती है। हिन्दू पासिस्ट राज्य एक नारा बन गया और इस नारेंने मुसलिम जनताको अपने अल्पसंख्यक अधिकारोंके प्रति जागरूक बना दिया। मुसलमानोंको विश्वास हो गया था कि केवल लीग ही उनके अधिकार दिलवा सकती है। लीगके साम्प्रदायिक प्रचारका असर मुसलमानोंपर पडा और यू. पी. की विधान सभाके उपचुनावोंमें लीगने अधिकांशतः मुसलिम सीट जीत ली। लेकिन फिर भी कांग्रेसने विजयनौरमें लीगी उम्मीदवारको बहुत बुरी तरहसे हराया। हाफिज इब्राहीमने अपने लीगी विरोधीको ७८ फी सदी वोटोंसे हरा दिया। आम चुनावोंमें हाफिज इब्राहीम लीगी उम्मीदवारकी हैसियतसे चुनावमें जीते थे मगर बादमें मन्त्रिमण्डलके लिए वे कांग्रेसमें शामिल हो गये। लीगने उन्हें सदस्यतासे त्यागपत्र देकर कांग्रेसके नामसे दुबारा चुनाव लड़नेकी चुनौती दी। हाफिज इब्राहीमने चुनौती स्वीकार कर ली और लीगको हरा दिया।

कांग्रेसके मन्त्रिमण्डलके फौरन बादसे ही लीगने कांग्रेस और उसके मन्त्रियोंकी निन्दा करना और उनके पितृपितृ गन्दा प्रचार करना आरम्भ कर दिया। सार्वजनिक भाषणोंमें भद्दी और गन्दी भाषाका प्रयोग किया जाता और मुसलमानोंको समझाया जाता कि उन्हें हिन्दू कांग्रेससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिये। लीगीयोंने मुसलमानोंसे कहा कि “अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलिम लीगमें आओ।” और मुसलमान लीगमें इस तरहसे आये जैसे यह उनका धार्मिक कर्तव्य हो। इसके पहले कभी भी लीगी मुसलिम जनतामें नहीं धुसे थे। अगर उन्होंने ऐसा उचित समय पर किया होता तो आम चुनावके नतीजे दूसरे होते। और तब लीग अपने अधिकारके बलपर मन्त्रिमण्डलमें प्रतिनिधित्व माँग सकती। उसका यह नया उम्माद नेहरूजीके उस बयानके कारण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देशमें केवल दो पार्टियों हैं—सरकार और कांग्रेस।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई उससे ईर्ष्या करता। लीगकी शिकायत थी, जैसा कि जिनाने १५ अक्टूबर १९३७ के अपने भाषणमें कहा था, कि मुसलमानोंको “उनके ( कांग्रेसके ) हाथों किसी भी भलाई अथवा न्यायकी आशा नहीं करनी चाहिये।” और दूसरी तरफ उसी दिन भाई परमानन्दने सिन्ध हिन्दू सम्मेलनके अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए कहा कि “हम हिन्दू प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल हैं और बाकी चार या पाँच सूत्रोंमें मुसलमानोंने वजारतें बना ली हैं। जब कि मुस्लिम मन्त्रिमण्डल बिना हिन्दुओं और कांग्रेसका ख्याल किये हुए मुसलमानोंके हितोंका ध्यान रखते हैं; कांग्रेस मन्त्रिमण्डल अभीतक अपने मुसलिम-हिताय कांग्रेसी प्रचारपर जमे हुए हैं और हमेशा मुसलमानोंकी कभी भी शान्त न होनेवाली साम्प्रदायिक क्षुधाको सन्तुष्ट करनेमें सचेष्ट रहते हैं।” इसी प्रकार, बंगाल हिन्दू महासभाके सम्मेलनमें फरवरी १९३९ में सावरकरने अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए कहा—“प्रान्तीय स्वराज्यके पहले हिन्दुओंकी जो हालत थी उसमें कांग्रेसी सरकारोंमें हिन्दुओंकी हालत बदतर है।” आजादीकी लड़ाईमें कांग्रेसकी साथी जर्मयत-उल-उल्गाए हिन्दुतकने १९३९ के अपने वार्षिक अधिवेशनमें कांग्रेसी सरकारोंके कुछ ‘हिन्दू रंग लिये हुए’ निर्णयोंकी शिकायत करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया। हालाँकि, जर्मयतने साथ ही कांग्रेससे मित्रताका अपना निर्णय एक बार फिर दोहराया।

लीगके उग्र साम्प्रदायिक प्रचारमें कांग्रेसको शान्ति-भंग होनेकी आशंका हो उठी थी। इसलिए नेहरूजीने संयुक्त प्रान्तकी मुसलिम लीगके प्रधान मुहम्मद इस्लाम खॉ और फिर जिनाने पत्र-व्यवहार कर उनका ध्यान लीगी वक्ताओंके खतरनाक रवैयेंकी ओर दिलवाया और उनसे अनुरोध किया कि कांग्रेस और लीगके बीच यदि कोई मतभेद है तो उसे विचार-विनिमय द्वारा दूर कर लिया जाय। यह असफल पत्र-व्यवहार नवम्बर १९३७ से मार्च १९३८ तक चला और बीचमें बड़ा कटु हो गया। नेहरूजीने बार-बार अनुरोध किया कि मुसलमानोंकी शिकायतों और लीगकी माँगोंकी एक सूची दे दी जाय जो मतभेदोंको दूर करनेकी बातचीतका आधार बन सके, पर जिनाने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बादमें स्वयं गान्धीजी और कांग्रेसके अध्यक्षने भी जिनाने पत्र-व्यवहार किया पर कोई नतीजा नहीं निकला।

पत्र-व्यवहारसे निम्नलिखित नयी माँगें प्रकट हुईं, जिनके सम्बन्धमें नेहरूजीने कांग्रेसका दृष्टिकोण रखा, पर कांग्रेस-लीग मनगुटाव चलता रहा—

- (१) वे १४ बातें जो मुसलिम लीगने १९२९ में रखी थीं;
- (२) कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध करना और यह कहना छोड़ दे कि यह निर्णय राष्ट्रीयताकी भावनाके विरुद्ध है;
- (३) प्रान्तीय सरकारोंकी नौकरियोंमें मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व कानून बनाकर विधानमें सुरक्षित कर दिया जाय;
- (४) इस्लामी कानून और संस्कृतिकी गारण्टी कानूनके रूपमें हों;
- (५) शहीदगंज मसजिदका आन्दोलन कांग्रेस अपने हाथमें ले और नैतिक दबाव डालकर वह मसजिद मुसलमानोंको दिलवाये;
- (६) अजान देने और धार्मिक कृत्योंके मुसलिम अधिकारोंपर कोई पाबन्दी न रहे;
- (७) मुसलमानोंको गो-बध करनेकी आजादी हों;

(८) जिन प्रान्तोंमें मुसलमानोंका बहुमत है, वहाँ क्षेत्रके पुनः विभाजन द्वारा उस बहुमतको बदलनेका प्रयत्न न किया जाय;

(९) 'वन्देमातरम्' गाना बन्द कर दिया जाय;

(१०) मुसलमान चाहते हैं कि उर्दू भारतीय राष्ट्रभाषा हो, और वे कानूनी गारण्टी चाहते हैं कि उर्दूके प्रयोगको सीमित या प्रतिबन्धित न किया जायगा;

(११) स्वायत्त शासन सस्थाओंमें मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व 'साम्प्रदायिक निर्णय' पर आधारित हो, अर्थात् उनकी आबादीके अनुपातमें हो और पृथक निर्वाचन पद्धति काममें लयी जाय;

(१२) या तिरगा झण्डा छोड़ दिया जाय, या फिर लीगके झण्डेको भी उतना ही आदर और महत्व दिया जाय,

(१३) मुसलिम लीगको भारतीय मुसलमानोंकी एक मात्र प्रतिनिधि सस्था मान लिया जाय और सिर्फ लीगको ही मुसलमानोंकी ओरसे बोलनेका अधिकार हो और;

(१४) प्रान्तोंमें लीगके साथ संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाये जायें ।

अगले वर्ष यह एक मॉग और बढ़ गयी कि हर जगह, हर काममें मुसलमानोंका आधा हिस्सा मान लिया जाय ।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अब सुधार कार्योंमें लग गये थे और विधानके सीमित क्षेत्रके भीतर ही जनहितके काम करनेकी चेष्टा कर रहे थे। नागरिक अधिकारोंकी स्थापनाका काम काफी दृढ़ तक पूरा हो चुका था। पुलिसका सिपाही नये दृष्टिकोणको अपनाता सीख रहा था और उसका आतंक धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शासन गैरमजहबी लोकतांत्रिक ढंगपर चल रहा था और साम्प्रदायिक उपद्रवोंकी संख्या तेजीसे कम होती जा रही थी। इस नयी स्थितिमें लीगका तीव्र और कटु साम्प्रदायिक प्रचार अशान्तिका कारण बन रहा था। बहुधा मुसलमानोंपर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके वात्पनिक अत्याचारोंकी कहानियाँ फैला कर मुसलिम जनताको धर्मके नामपर उभारा जाता था। पिछले ३० वर्षोंके सैकड़ों साम्प्रदायिक उपद्रवोंके घाव आर निशान बाकी थे और हिन्दू मुसलिम मतभेद स्वाभाविक थे। ये मतभेद बढ़ा-चढ़ाकर दिखाये जाते और इस बातका टिढ़ोरा पीटा जाता कि मुसलमानोंके साथ हर तरहका अत्याचार, अन्याय और दुर्व्यवहार हो रहा है। २० मार्च, १९३८ को मुसलिम लीगकी कौंसिलने एक विशेष समिति नियुक्त की जिसका काम इन अत्याचारोंकी जाँच कर समय समय पर कौंसिलको अपनी रिपोर्ट देना था। इस समितिने १५ नवम्बर, १९३८ को अपनी रिपोर्ट कौंसिलको दी। यह रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्टके नामसे मशहूर है। लखनऊके एक दैनिकके एक मुसलमान उपन्यासकने लखनऊमें बैठकर ही रिपोर्टका अधिकांश भाग लिखा था। साम्प्रदायिक अत्याचारों, वन्देमातरम्के गान, सार्वजनिक इमारतोंपर कांग्रेसी झण्डा फहराना, हिन्दीका प्रचार आदिकी शिकायत करते हुए रिपोर्टमें कहा गया था कि कांग्रेसी सरकारें हिन्दूराजकी स्थापनामें सचेष्ट हैं, जिसमें भारतीय मुसलमानोंके धर्म, भाषा व संस्कृतिके दमन और उनके राजनीतिक व आर्थिक अधिकारोंके हननका ध्येय निहित है। यह भी आरोप लगाया गया था कि मुसलमानोंके विश्वस्तान बन्द किये जा रहे हैं और मुसलिम छात्रोंके बर्जके रोक दिये गये हैं। इन आरोप लगानेवालों और शिकायत करनेवालोंको बार बार कांग्रेसी नेताओं द्वारा चुनौती दी गयी कि साम्प्रदायिक अत्याचारोंकी



विशिष्ट घटनाएँ बतायी जाँ, पर इसका सीधा जवाब कभी नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्ल-  
मेण्टरी बोर्डके आदेश पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने लीगके आरोपोंकी जाँच करायी और उनके  
निराधार होनेकी पुष्टि करते हुए लम्बी लम्बी विश्वासियोंमें आरोपोंके जवाब दिये। तब पार्ल-  
मेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष बल्लभभाई पटेलने कांग्रेसी प्रधान मन्त्रियोंमें कहा कि वे अपने-अपने  
गवर्नरोंका ध्यान लीगके आरोपोंकी ओर आवृष्ट कराये। यह हुआ और गवर्नरोंने आरोपों-  
को निराधार माना।

कांग्रेसका जवाब उसके जनरल सेक्रेटरी जे. बी. कृपालानीकी वार्षिक रिपोर्टसे  
परिलक्षित है। रिपोर्टमें कहा गया था—“राष्ट्रीय झण्डा सन् १९२० से ही राष्ट्रीय एकता  
और विदेशी शासनके विरोधका प्रतीक रहा है। वह इस्लामके विरोधमें नहीं अपनाया गया  
था। वन्देमातरम् ऐतिहासिक लगावके कारण इस शताब्दिके प्रारम्भमें ही राष्ट्रीय गान बन  
गया था और वग-भंगके समय प्रचलित हुआ था। इसके विरुद्ध मुसलिम आन्दोलन एक  
नयी बात है और कांग्रेसने इस गानेके केवल उसी अंशके गाय जानेको मान्यता दी है,  
जिसपर किसीकी आपत्तकी सम्भावना नहीं है। जिस गिली-जुली भाषाका कांग्रेस प्रचार  
करती है, वह उत्तर भारतमें बोली जानेवाली हिन्दुस्तानी है, जो नागरी या उर्दू लिपिमें लिखी  
जाती है। ये सब बातें पुरानी हैं, पर लीग द्वारा उनका विरोध नया है। तब भी, जहाँ भी  
विरोध हुआ है, कांग्रेसी सरकारों और कांग्रेसजनोंने संघर्ष बचाया है।”

पर लीगने इन जवाबोंपर कोई ध्यान नहीं दिया और लीग कार्य-गमितिने आरोपोंको  
दाहरते हुए कहा कि प्रान्तीय स्वराज्यका नतीजा यह हुआ है कि अल्पसंख्यक मुसलमानोंको  
हिन्दुओंने दबा लिया है और प्रतिदिन मुसलमानोंके जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति और मान  
सर्वादापर आक्रमण होता है।

कांग्रेस सरकारोंके विरुद्ध निराधार आरोपोंको पुनरावृत्ति जारी रहनेपर कांग्रेस  
अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसादने जिनासे कहा कि लीगकी शिकायतोंकी निष्पक्ष जाँच भारतके चीफ  
जस्टिस सर गौरिस गायर या किसी अन्य व्यक्तिमें करा ली जाय। पर जिनाने यह प्रस्ताव  
अस्वीकार करते हुए कहा—“अब इस मामलेपर हिज एक्सलेंसी ( वाइसराय ) खुद गौरकर  
रहे हैं, और वही ऐसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, जो हमारी माँग पूरी करनेके लिए उचित कदम उठा  
सकते हैं और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलवाले प्रान्तोंमें हममें पूर्ण सुरक्षाकी भावना फिर ला सकते  
हैं।” लेकिन न तो वाइसराय और न कोई गवर्नर ही जिनाकी शिकायतोंका समर्थन करते  
हुए कोई वक्तव्य देनेका आगे आया। बादमें जिनाने माँग की कि हमारे आरोपोंकी जाँचके लिए  
एक शाही कमीशन बैठाया जाय। ब्रिटिश सरकारने यह माँग अस्वीकार कर दी। कांग्रेसने  
अपनी ओरसे कांग्रेस मन्त्रिमण्डलवाले प्रान्तोंके अँग्रेज गवर्नरोंको दावत दी कि वे कांग्रेस  
सरकारोंका एक भी काम ऐसा बता दें जिससे अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानोंके किसी  
हितपर आँच आयी हो। इस सम्बन्धमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोंके खिलाफ गवर्नरोंको कोई  
शिकायत नहीं थी। रिटायर होनेके बाद, संयुक्तप्रान्तके गवर्नर हेरी हेगने खुले आम कहा कि  
कांग्रेस सरकारका मुसलमानोंके साथ बहुत ही न्यायसंगत और उचित व्यवहार रहा।  
अत्याचारोंकी इन शिकायतोंकी जाँच करानेके दर सुझाव और चुनौतीको लीग चुपचाप पीती  
गयी और शिकायतोंका उपयोग मुसलमानोंको साम्प्रदायिक बनानेमें करती रही। कांग्रेस-

का हर काम, हर चीज—शुद्ध, राष्ट्रीय गीत, बुनियादी तालीम, जनतामें सम्पर्क स्थापित करनेका कार्यक्रम—लीगको इन्क्याम विरोधी लगता रहा ।

सितम्बर, १९३८ में मुसलिम लीगका जो वार्षिक जलसा पटनामें हुआ, उसमें अध्यक्ष पदसे भाषण करते हुए जिनाने मुसलिम लीगके कार्यक्रमलाप या कार्यक्रम, आदिका जिक्र न कर मुख्य रूपमें कांग्रेस सरकारोंके विरुद्ध मित्रापत्तोनी पेहरिमा प्रस्तुत की थी । वास्तवमें लीगका कार्यक्रम ही नफारात्मक था । लीगकी कासिलने संयुक्त प्रान्त, बिहार व मध्यप्रान्तमें, 'मुसल्मानोंके साथ होनेवाले अत्याचारोंके खिलाफ सीधी कार्रवाई' की तैयारी करनेको कहा । लीगके नेताओंकी इन उच्छेज्ज बातोंके बीच बीच कांग्रेसके नेता जिनाने पत्र व्यवहार करते और जिनाने हमेशा इस बातपर अडते कि दोनों मस्थाओंके बीच समझौतेकी पहली और बुनियादी शर्त है कि मुसलिम लीग मुसल्मानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि राजनीतिक मस्था है जो उनकी ओरसे बात कर सकती है और इसी तरह कांग्रेस हिन्दुओंकी मस्था है । वे कहते कि यह शर्त मान लेनेमें हिन्दू मुसलिम ममस्या आमानीमें हल हो जायगी । कांग्रेस यह आधार ही माननेको तैयार नहा थी । वह अपने इस जिन्दगी भरके दावेको जैसे मूल जाती कि वह पूरे भारतीय राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करती है । फिर कांग्रेस लीगको मुसल्मानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि मस्था मान भी कैसे सकती थी, जब कि जमैअत, अहरार, खुदाई खिदमतगार, मगाल्ना कृषक प्रजापार्टी, साकसार आदि मुसलिम मस्थाएँ लीगसे मिलजुल मिल दृष्टिकोण रखती थी और मुसल्मानोंके विभिन्न वर्गोंका प्रतिनिधित्व करती थी । इनमेंसे कुछ मस्थाओंने कांग्रेससे कन्वेमें कन्धा मिलाकर आजादीकी लड़ाई लड़ी थी । लीगका दावा मान लेनेमें कांग्रेसको इन मस्थाओंको प्रतिनिधित्वहीन मानना पड़ता । पर जिनाने जड़े रहे ।

अक्टूबर, १९३८ में ही सिन्ध प्रान्तीय मुसलिम लीगने अपने वार्षिक अधिवेशनमें देशके बंटवारेकी माँगका प्रस्ताव रखीकार कर लिया और इस प्रकार विभाजनकी माँगमें वह भारतीय मुसलिम लीगसे १७ महीने आगे रही । इस अधिवेशनकी अध्यक्षता भी जिनाने की थी । प्रस्तावमें कहा गया था—“सिन्ध मुसलिम लीगका यह सम्मेलन इस विशाल देशकी शान्ति, निर्वाध सांस्कृतिक विकास, हिन्दू व मुसल्मानों दोनों राष्ट्रोंके राजनीतिक आत्मनिर्णय और आर्थिक व सामाजिक बेहतरीके लिए आवश्यक समझता है कि भारत दो सधोंमें विभाजित कर दिया जाय, एक सधमें मुस्लिम राज्य रहे, दूसरेमें हिन्दू राज्य ।” कांग्रेसके मन्त्रिमण्डल भग होनेका पायदा उठानेपर लीगने कांग्रेसको और भी बुरा-भला कहा और मन्त्रिमण्डल खत्म होनेपर देश भरमें 'मुक्ति दिवस' मनाया । उस दिन भाषणोंमें खुदाका शुक्रिया अदा किया गया कि कांग्रेसी सरकारोंका खत्या हुआ और मुसल्मानोंको अन्धाय, दमन तथा अत्याचारोंसे मुक्ति मिली । इस 'मुक्ति-दिवस' की घोषणा जिनाने तब की जब साम्प्रदायिक शगडके निवटारेके लिए वे और जवाहरलाल नेहरू मिलनेवाले थे । वह बातचीत फिर हुई नहीं ।

लीगके कांग्रेस-विरोधी रुखकी परमाशा तब हो गयी जब मार्च, १९४० में लीगके लाहौर अधिवेशनमें एफ प्रस्ताव द्वारा भारतके विभाजनमें हिन्दुओं और मुसल्मानोंको दो अलग अलग 'मातृ भूमि' बनानेकी माँग की गयी । हमेशाकी तरह जिनाने यहाँ भी अध्यक्ष वे और उन्होंने अपने भाषणसे देशको अचम्भेमें डाल दिया । उन्होंने कहा—

“हमारे हिन्दू दोस्त क्यों हिन्दू-धर्म व इस्लामकी असलियत नहीं समझ पाते, यह समझना बड़ा मुश्किल है। हिन्दू व इस्लाम सही अर्थोंमें धर्म नहीं, दो भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और यह सोचना कि वे मिलकर कभी एक राष्ट्र बना सकेंगी स्वप्नमात्र है। एक भारतीय राष्ट्रकी गलत कल्पना अपनी सीमा पार कर हमारे अधिकांश कष्टोंका कारण बन चुकी है, और यदि हम शीघ्र ही इस कल्पनाको खत्म कर वस्तु-स्थिति न समझ पायें तो देश बर्बाद हो जायगा। हिन्दू व मुसलमान दो भिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीतियों और साहित्योंके हैं। वे एक दूसरेसे ज्ञादी-विवाह नहीं करते, एक दूसरेके साथ खाते नहीं, वे दो भिन्न सभ्यताओंके हैं और ये सभ्यताएँ परस्पर-विरोधी विचारों और भावनाओंपर आधारित हैं। उनके जीवनके और जीवनके सम्बन्धमें भिन्न दृष्टिकोण हैं। इतिहासके विरोधी तत्वोंमें उन्हें अपनी अपनी प्रेरणा मिलती है। उनके बीच भिन्न हैं, बीच भाषाएँ भिन्न हैं, उनकी कथाएँ भिन्न हैं। बहुधा ऐसा होता है कि एकका वीर दूसरेका शत्रु है और इतिहासके युद्धोंमें एककी पराजय दूसरेकी विजय होती है। ऐसे दो भिन्न राष्ट्रोंको एक ऐसे राज्यमें रख देंसे, जिसमें एकका बहुमत हो और दूसरेका अल्पमत, असन्तोष ही बढ़ेगा और अन्ततः ऐसे राज्यकी सरकारका ताना-बाना टूट जायगा।”

यह वकालत घर कर गयी और एक प्रस्ताव पासकर लीगने इसपर अपनी मुहर लगा दी। इस ऐतिहासिक लड़ाईपर प्रस्तावमें कहा गया था—“निश्चय किया गया कि अखिल-भारतीय मुसलिम लीगके इस अधिवेशनका यह निश्चित मत है कि कोई भी ऐसा वैधानिक सुधार न तो लागू हो सकेगा और न मुसलमानोंको मान्य होगा जो निम्नलिखित मूल सिद्धान्त-पर आधारित न हो—कि, भौगोलिक क्षेत्रोंकी ऐसी इकाइयाँ बनायी जानी चाहिये और उनमें इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन कर देने चाहिये कि सीमाप्रान्त और पूर्वी भारत आदिके मुसलिम बहुमतके क्षेत्र ‘स्वतन्त्र राज्य’ बनाये जा सकें जिसमें शामिल होनेवाली इकाइयाँ स्वाधीन और स्वतन्त्र हों।”

लेकिन भारतमें दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त जिनासे पहले सावरकरने चलाया था। १९३७ में, हिन्दू महासभाके अहमदाबाद अधिवेशनमें सावरकरने कहा—“बहुमत वालकों जैसी बुद्धिवाले राजनीतिज्ञ यह माननेकी भारी भूल कर बैठते हैं कि भारत एक राष्ट्रके रूपमें संपटित हो चुका है, या इच्छा मात्रसे हो सकता है। इस प्रकार हमारे मद्भावनापूर्ण किन्तु अविचारशील मित्र अपने स्वप्नोंकी ही वस्तुस्थिति समझ लेते हैं। और इसीलिए वे साम्प्रदायिक सुस्थियोंसे खीज उठते हैं और उनका दोष साम्प्रदायिक संपटनोंपर मढ़ देते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि तथाकथित साम्प्रदायिक प्रश्न हमें, हिन्दुओं और मुसलमानोंको शताब्दियोंके राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व धार्मिक विरोधोंसे उत्तराधिकारमें मिले हैं। जब समय आयगा वे मवाल हल हो जायेंगे; लेकिन इस बातके अस्तित्व मात्रमे ही इनकार कर उन्हें दवा देनेसे समस्या मुलक्षेगी नहीं। पुरानी बीमारीका निदान और उपचार उसके प्रति व्यापारवाह होनेसे ज्यादा अच्छा है। हमें साहसके साथ अचक्रिक तथ्योंका सामना करना चाहिये। भारत एक और एक स्वयंमें वैधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अपितु, यहाँ मुख्यतः दो—हिन्दू व मुसलमान राष्ट्र हैं।”

१९३९ में हिन्दू महासभाके कलकत्ता अधिवेशनमें सावरकरने फिर कहा—“हमें आपसमें चाहें जितने मतभेद हों, हम हिन्दू धर्म, संस्कृति, इतिहास, जाति, भाषा आदि अनेक

एकताओं और समानताओंसे इस प्रकार एक सूत्रमें बँधे हैं कि किसी अन्य अहिन्दू जाति जापानी, अंग्रेज, या भारतीय मुगलमान किसीके समझ राड़े होते ही हम एक राष्ट्र प्रतीत होने लगते हैं। इसी कारण हम हिन्दुओंको कदमीरसे मद्रास और बिन्धसे आसाम तक अपनेमें अलग एक हिन्दू राष्ट्र बनाना है।...

लेकिन सावरकर हिन्दू भारत व मुगलमान भारतके रूपमें देशके दो टुकड़े नहीं करना चाहते थे। वे केवल हिन्दू बहुमतके लिए प्रमुल स्यान चाहते थे। वे कहते थे—“हिन्दू-महा-सभा एक व्यक्ति एक वोट” के सिद्धान्तमें विश्वास करती है, सरकारी नौकरियों योग्यताके आधारपर मिलती है, जाति या धर्मके भेद भूलकर सब नागरिकोंको एकसे मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य मिलते हैं जब ऐसी स्थिति हो तब अल्पसंख्यकोंके पृथक अधिकारीकी बात सिद्धान्ततः अनावश्यक ही नहीं गलत भी होगी, क्योंकि इससे साम्प्रदायिक स्तरपर अल्पमत और बहुमतकी चेतना फिर शुरू होगी।”

अत्याचारोंकी कपोलकल्पित कहानियोंकी पृष्ठभूमिमें आवे लाहौर प्रस्तावने शिक्षित मुसलमानोंका ध्यान रीच लिया और वे जिहादके उत्साहसे लीगके आन्दोलनमें भाग लेने लगे। इनमें भी कुछ लोग थे जो हिन्दू मुसलिम समस्याका कोई समाधान पाकिस्तानकी स्थापनामें नहीं पाते थे। वे कहते थे कि हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तोंमें तो मुसलमान हिन्दुओंपर ही आश्रित रहेंगे और मुसलिम बहुमतवाले प्रान्तोंमें मुसलमानोंको उचितसे अधिक मुविधाएँ मिल जायँगी। इसके जवाबमें कहा जाता कि अपने बहुमतवाले प्रान्तोंमें अगर हिन्दू मुसलमानोंके साथ अत्याचार करेंगे तो वे ही व्यवहार मुसलिम बहुमतवाले प्रान्तोंमें हिन्दुओंके साथ होगा और यही डर दोनों जगहोंके बहुमतोंको सद् व्यवहारकी प्रेरणा देगा। व्यावहारिक जीवनमें सूटे आरोपोंकी गुजाइश बापी होनेके कारण दोनों जगहोंके अल्पमत उन बन्दियोंकी स्थितिमें होनेकी आशकामें होते जो अन्य स्थानोंके लोगोंके सद्ब्यवहारकी गारण्टीके तौरपर पकड़े गये हों। बहुत सी नयी मुसलिम सस्थाएँ बन गयीं जो मुसलमानोंको तस्वीरका दूसरा रूप दिखानेकी कोशिश करने लगीं। लेकिन ये सब सस्थाएँ मिलकर भी लीगका मुकाबला नहीं कर सकती थीं। लीग अब मुसलमानोंकी सार्वजनिक सस्था हो रही थी।

वाइसरायने मुसलिम लीगको मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि सस्था मान लिया और उन्होंने जब फिर गान्धीजी, जिना व काप्रेस अध्यक्षको यह बतानेके लिए बुलाया कि मैं अपने पुराने वक्तव्यको सशोधित कर अपनी कार्यकारिणी कौंसिलमें कुछ नेताओंको लेनेकी तैयार हूँ, तब उन्होंने यह शर्त लगा दी कि काप्रेस लीगसे निकर केन्द्रीय कार्यकारिणी कौंसिलके सम्बन्धमें ही नहीं, बल्कि प्रांतीय मन्त्रिमण्डलोंके बारेमें भी समझौता कर ले। काप्रेसके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि वाइसराय सत्ताका हस्तांतरण करना चाहते हैं कि नहीं। लीग राजनीतिक मॉगकी ओर उदासीन थी। लीग कौंसिलकी जो बैठक मुद्रकी घोषणासे उत्पन्न परिस्थितिपर विचार करनेके लिए बुलायी गयी थी, वह काप्रेस सरकारोंके खिलाफ आरोप लगाकर स्थगित हो गयी। जिना ब्रिटिश सरकार या काप्रेससे बात करनेमें पाकिस्तानकी शर्त सबसे पहले रखते थे। उनकी दूसरी शर्त यह होती थी कि वाइसरायकी कौंसिलमें यदि काप्रेस शामिल होती है तो हिन्दू व मुसलमान सदस्योंकी संख्या बराबर हो, नहीं तो जितने नये सदस्य होनेवाले हों उनका बहुमत मुसलमान हो और मुसलिम प्रतिनिधियोंको लीग चुने।

वाइसरायने यह भी साफ कह दिया था कि राजनीतिक नेता मेरी कौंसिलमें आनेको स्वतन्त्र हैं, पर मेरे अधिकार पहलेकी तरह ही रहेंगे।

मुसलिम राजनीतिके नये दौरने जिनाको बिलकुल बदल दिया। वे कभी भी सच्चा दोनो-ईमानवाला, पाक और मुसलमान नहीं माने जाते थे। “विधान सभाके सदस्य होनेपर शपथके समय कुरान चूमनेके सिवा कभी कुरानमें क्या लिखा है और इसलाम क्या है, यह जाननेकी फिक्र करते किसीने उन्हें नहीं देखा। इसमें भी शक है कि वे जिनामा या धर्मकी भावनासे प्रेरित होकर कभी मसजिद गये हों। मुसलमानोंके धार्मिक या राजनितिक सार्वजनिक समारोहोंमें वे कभी नहीं देखे गये।” पर अब जिना मुसलिम जनताके थे—उसके कायदे आजम ( बड़े नेता ) थे। वे कुरान और इसलाममें विश्वास ही नहीं करने लगे, उसके लिए मरनेको भी तैयार हो गये। वे मसजिदमें जाकर खुतबा सुनते और ईदकी नमाजमें शामिल होते। मुसलमानोंकी कोई सभा अल्ला हो अकबर और ‘कायदे-आजम जिन्दावाद’ के बिना गुरु या खत्म न होती।

जिनाने हिन्दू विरोधी भावना कभी कम नहीं होने दी। अगस्त सन् १९४२ में जब उत्तेजित लोग ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेंकनेके लिए प्राणपणमें सन्नेष्ट थे, लीग कार्पसगितिकी १६ से २० अगस्त तक हुई बैठकमें कांग्रेस आन्दोलनको “हिन्दू अल्पजन समुदायको सत्ता सौंप देनेके लिए ब्रिटिश सरकारको बाध्य करने ही नहीं वरन् मुसलमानोंको भी कांग्रेसकी शर्तों माननेके लिए मजबूर करने” की मंशा दी।

अब अंग्रेज गवर्नरोंकी सहायतासे लीग अपना प्रभाव गैरलीगी प्रान्तोंमें भी बढ़ानेमें सन्नेष्ट हुई। २८ मार्च १९४३ को बंगालके गवर्नर सर जॉन हर्वर्टने वहाँके प्रधान मन्त्री फजलुल हकको इस्तीफा देनेको बाध्य किया और वहाँ लीगी मन्त्रिमण्डल कायम कर दिया। फजलुल हक शुरूमें कांग्रेसी और राष्ट्रीय मुसलमान थे लेकिन परिस्थितियोंके दास होनेके कारण उन्होंने बंगालके प्रधान मन्त्रीकी हैसियतमें कई बार अपनी राजनीति बदली। विधान सभामें वे हिन्दुओं व मुसलमानोंकी संयुक्त प्रजा पार्टीके नेता थे; जिनाके आमन्त्रणपर वे लीगमें शामिल हो गये और ऐसे कट्टर लीगी बने कि १९४० में लाहौरमें पाकिस्तानकी स्थापनाकी माँगवाला प्रस्ताव पेश किया। फिर अपने भाषणमें उन्होंने हिन्दुओंको धमकाना शुरू किया कि “हममेंसे हर एक शेर और चीता है।” दिसम्बर १९४१ में उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डलका इस्तीफा दिया और एक दूसरा मन्त्रिमण्डल बनाया जिसमेंसे कुछ लीगो सदस्य निकाल दिये गये थे। १९४२ के शुरूमें लाहौर प्रस्तावकी अपनी यह अनोखी व्याख्या कर कि वह बंगाल-पर लागू नहीं होगा, उन्होंने अपनेकी लीगकी ओरसे अनुशासनकी कार्रवाईका अधिकार बना लिया। पर शीघ्र ही फिर उन्होंने लीगकी सदस्यताके लिए अर्जा दी, जो नामजूर हो गयी। संयुक्त प्रान्तके बाद बंगाल ही ऐसा प्रान्त था जहाँ १९३६ के चुनावमें लीगको काफी स्थान मिल गये थे। सबसे बंगाल विधान सभाके मुसलिम लीगी दलमें और सदस्य भी शामिल हुए थे। कुछ यूरोपीय सदस्य भी इसमें शामिल हुए। लेकिन २५० सदस्योंमेंसे १५० अब भी फजलुल हकके साथ थे। पर गवर्नरको मन्त्रिमण्डल बरखास्त करनेका हमेशा अधिकार था। ३० मार्च, १९४३ को गवर्नरने हकको बुलाया और इस्तीफेके एक टाइप किये हुए कागज पर दस्तखत करनेको कहा। गवर्नरने कहा कि अगर आप इस्तीफे पर दस्तखत नहीं करते तो मैं आपको बरखास्त कर दूँगा। हकने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिये और

विधान सभामें लौटकर इसकी घोषणा कर दी। उनका अपराध यही था कि अगस्त १९४२ में दानामें हुए गोलीकाण्डकी जाँचके लिए एक समिति नियुक्त करनेका आश्वासन उन्होंने विधान सभामें दिया था। गवर्नरने अपदक्ष कर उन्हें सजा दी और लीगो सर नाजिमुद्दीनको मन्त्रिमण्डल बनानेका आमन्त्रण दिया। वे जानते थे कि विधान सभाके दुर्लभ सदस्योंकी सहायतासे लीगी मुख्य मन्त्री शीघ्र ही अपना बहुमूल्य कायम कर लेंगे।

ऐसा ही नाटक सिन्धमें खेला गया। वहाँ अटलाहबख्श प्रधान मन्त्री थे जो राष्ट्रीय मुसलमान थे। अग्रेजोंकी दमन नीतिके विरोधमें उन्होंने तानवहादुरीका खिताब छोड़ दिया। उन्हें बरखास्त कर गवर्नरने लीगी मन्त्रिमण्डल बना दिया। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें विधान सभाके कांग्रेस दलकी शक्ति दम सदस्योंकी गिरफ्तारीके कारण घट गयी थी; वहाँ भी लीगका मन्त्रिमण्डल बन गया। इसी तरह आसाम भी मुसलिम लीगका प्रान्त हो गया।

अग्रेजोंकी मददसे पाँच प्रान्तोंमें लीगके मन्त्रिमण्डल बन गये और मुसलिम समाजके नेता होनेका जिनाका दावा सही साबित कर दिया गया। अप्रैल १९४४ में पंजाबके प्रधान मन्त्री खिन्नूहयात खाँ ( जो १९४३ में मिकन्दर हयात खाँकी मौतके बाद प्रधान मन्त्री हुए थे ) और जिनामें मतभेद हो गया क्योंकि जिना चाहते थे कि मन्त्रिमण्डल यूनिवर्सिटि पार्टीका न कहकर मुसलिम लीग संयुक्त पार्टीका कहा जाय और खिन्नूहयात यह माननेको तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि हम जिना मिकन्दर हयात समझौतेको लागू कर रहे हैं जब कि जिना अपने धाँदेके खिलाफ जा रहे हैं। उम समझौतेके अनुसार पंजाबकी विधान सभामें मुसलिम लीग दल बननेपर यूनिवर्सिटि पार्टीका मन्त्रिमण्डल रहनेकी बात थी। खिन्नूहयातने एक वक्तव्यमें कहा—१९३५ के कानूनके अन्तर्गत हुए चुनावमें मुसलिम लीगका मन्त्रिमण्डल किमी भी प्रान्तमें नहीं बन सक्ता जिसमें लीग और उसके नेता मिस्टर जिनाको अखिल भारतीय स्तरपर समझौतेकी कोई बात करनेमें बड़ी दिक्कत होने लगी। मिस्टर जिनाके मुसलमानोंके गान्ध नेता होनेमें जो सशय किया जाता था, उसे दूर करने और उन्हें पूरे मुसलिम समाजका प्रतिनिधि होनेका रुतना देनेके लिए, ताकि वह अखिल भारतीय मामलोंमें दूगरे दलोंमें समझौता कर सकय बातचीत कर सकें मिकन्दरहयात खाँने अक्टूबर १९३७ में जिना मिकन्दर समझौता किया। अब मिस्टर जिना प्रान्तीय मामलोंमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं और मन्त्रिमण्डल बनानेवाली पार्टीके गचालनमें बाधा डालते हैं। इस रुतमें कोई औचित्य नहीं है और हमने तानाशाही तरीकोंकी गन्ध आती है। समझौतेमें यह साफ साफ कहा गया था कि विधान सभामें मुसलिम लीग दल बननेसे यूनिवर्सिटि पार्टीके 'वर्तमान' गुटपर कोई प्रभाव न पड़ेगा और 'वर्तमान' मिलाजुला संयुक्त गुट अपना यूनिवर्सिटि पार्टीका नाम कायम रखेगा। अब मिस्टर जिना चाहते हैं कि यह नाम बदलकर 'मुसलिम लीग संयुक्त ( कोलीशन ) दल' रख दिया जाय। यह समझौतेका उल्लंघन है। मैं सच्चे मुसलमान और और इस्लामके पैगम्बरके अनुयायीकी हैसियतसे वादा तोड़नेका गुनाहगार नहीं बनूँगा। "खिन्नूहयात अमलमें यूनिवर्सिटि पार्टीके हिन्दू व सिख सदस्योंको नाराज कर अपना मुख्य मन्त्रिमण्डल खतरोंमें नहीं डालना चाहते थे। लेकिन उन्होंने लीग और पाकिस्तान प्रस्तावमें अपना विश्वास प्रकट किया। लेकिन यह विश्वास और निष्ठा ध्यावहारिक राजनीतिमें कभी काम नहीं आयी। लीगी मुख्य मन्त्रियोंने ( जिनमें खिन्नू भी शामिल थे ) युद्धकी तैयारियोंमें पूरा सहयोग दिया और हर तरहका अपमान भी बरदास्त किया। वे जानते थे कि गवर्नर

और अफसर राजनीतिक आन्दोलनके दमनसे और राजनीतिक कैदियोंके साथ व्यवहारसे सम्बन्धित मामलोंमें उनकी उपेक्षा करते हैं। कैदियोंको हर तरहकी यातनाएँ दी जातीं, और अगर वे इसमें हस्तक्षेप भी करना चाहते तो भी उनके आदेशोंका पालन न होता। वे कैदियोंसे मिल नहीं सकते थे। कैदी प्रधान मन्त्रोंके पास जो मित्रावर्तें भेजते, उन्हें अफसर बीचमें ही रोक लेते। लेकिन तब भी इसमें जिनाको अग्निल भारतीय मुसलिम नेताका महत्व तो प्राप्त हुआ ही और ब्रिटिश सरकारने भी उनका यह महत्व स्वीकार कर लिया।

---

## युद्धविरोधी सत्याग्रह तथा क्रिप्स-प्रस्ताव

अंग्रेजोंके एक ओर भारतको गुलाम बनाये रखने और दूसरी ओर जनतन्त्र और आत्मनिर्णयके अधिकारके लिए लड़नेकी घोषणा करनेसे राष्ट्रीय भारतका क्रोध और खीझ बढ़ रही थी। जनता बेसब्रीसे कांग्रेसकी सार्वजनिक आन्दोलन छेड़नेकी घोषणाकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन सत्याग्रहके नेता प्रणेता गान्धीजीको बेसब्री नहीं थी। स्वर्ण छेड़नेके पहले समझौतेके सभी उपाय कर देखना ही उनकी अहिंसाकी नीति थी।

लेकिन कांग्रेस जैसे सोच रही थी, इसका संकेत मार्च १९४० में रामगढ़के वार्षिक अधिवेशनमें मिल गया। हजारीबाग ( बिहार ) के इस गाँवमें हुआ कांग्रेसका यह सबसे सशक्त अधिवेशन था। एक तो देशकी परिस्थिति कामकी बात झटपट कर डालनेकी माँग कर रही थी, दूसरे वर्षा बड़े जोर शोरसे हो रही थी और अधिवेशनका मैदान झील बन गया था। एम. एन. रायको १८३ के खिलाफ १८६४ वोटोंसे हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए अजुलकलाम आजादने अधिवेशनके एक मात्र प्रस्तावकी भूमिका सी देते हुए अपने भाषणमें कहा—“भारत नात्सीवाद या फासिटीवादका भविष्य सहन नहीं कर सकता पर ब्रिटिश साम्राज्यवादसे वह और भी ऊब चुका है। यदि भारतको स्वतन्त्रताका अपना अधिकार नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी तमाम परम्पराओं और विशेषताओंके साथ पनप रहा है। और ऐसी हालतमें भारत इसकी विजयमें मदद करनेके लिए किसी तरह भी तैयार न होगा।”

अध्यक्षके भाषणके बाद जवाहरलाल नेहरूने धोर वर्षाके बीच प्रस्ताव पेश किया जो लगभग एक मतसे स्वीकार हो गया—सिर्फ सात या आठ मत उसके विरोधमें आये। प्रस्तावमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारकी ओरसे दिये गये सभी वक्तव्य यह बात स्पष्ट करते हैं कि युद्ध साम्राज्यको मजबूत बनाने और कायम रखनेके लिए ही लड़ा जा रहा है। ऐसी हालतमें कांग्रेसजन या कांग्रेस द्वारा प्रभावित लोग इस युद्धमें सहायता न देनेकी ओर पहला कदमके बाद “सविनय अवज्ञाका दूसरा कदम कांग्रेस बिना हिचक तब उठायेगी जैसे ही कांग्रेस सघटन इस कामके लिए उपयुक्त मान लिया जायगा, या परिस्थिति ऐसी हो जायगी जिसमें सक्ती घड़ी आसन्न हो।”

कांग्रेसने यह आन्दोलन चलानेके लिए गान्धीजीको सेनापति बनाया और गान्धीजीने तुरन्त ही अपने आन्दोलनका सूत्रपात भी कर दिया। अपने भाषणमें उन्होंने आदेश दिया कि “हर कांग्रेस समिति सत्याग्रह समिति बन जाय और ऐसे कांग्रेसजनोंको फहरिस्त बनाये जो सबके प्रति सद्भावनासे प्रेरित हों, जिन्हें किसी भी प्रकारकी अस्पृश्यतामें विश्वास न हो, जो नियमित रूपमें कताई करते हों और जो दूसरे कपड़े छोड़कर केवल खादी पहननेके आदी हों।” जो इन शर्तोंको पूरा करते थे और जेल जानेको तैयार थे उन्हें गान्धीजीने सक्रिय सत्याग्रही माना। जो कताई न करते थे और जेल जानेको तैयार नहीं थे, पर जिन्हें



सत्याग्रहके मूलभूत सिद्धान्तोंमें विश्वास था और जो सत्याग्रह आन्दोलनके शुभचिन्तक थे, उन्हें गान्धीजीने निष्क्रिय सत्याग्रही माना ।

जुलाईमें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके मुझावपर कांग्रेस कार्यकारिणीने अपनी माँगें कम कर दीं, ताकि वे ब्रिटिश सरकारको मान्य हो जायँ और आन्दोलन न चलाना पड़े । कांग्रेस महासमितिके भी अपनी पूनाकी बैठकमें माँगोंकी इस कमकी स्वीकार कर लिया । बादमें समझौतेकी यह इच्छा पूना प्रस्तावके नामसे जानी गयी । गतिरोधके अन्तके लिए दो शतें ये थीं एक तो ब्रिटिश सरकार भारतका पूर्ण स्वराज्यका अधिकार स्वीकार कर ले और दूसरे केन्द्रीय विधायिका सभाकी विश्वास-भाजन एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बने । गान्धीजी इसके विरुद्ध थे और कांग्रेस कार्यसमितिके कई सदस्य इसमें उनके साथ थे, क्योंकि सरकार द्वारा इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके अर्थ थे कांग्रेस द्वारा अहिंसाकी तिलाञ्जलि । इस प्रस्तावसे अलग रहनेके लिए अब्दुल गफ्फार ख़ाने कार्यसमितिके इस्तीफा दे दिया । नेहरू भी इतने उतरनेको तैयार न थे और उन्होंने इस प्रस्तावका विरोध किया । लेकिन, कार्यसमितिके एक बार फिर सहयोगके लिए अपना हाथ बढ़ाया और सरकारने फिर एक बार उसे झटक दिया । ८ अगस्त १९४० को वाइसरायने एक वक्तव्य दिया । ( यह वक्तव्य बादमें अगस्त 'आफर' या अगस्त-प्रस्तावके नामसे जाना गया ) । इस वक्तव्यमें उन्होंने कुछ भारतीयोंको अपनी कार्यकारी कौंसिलमें लेकर एक युद्ध सलाहकार कौंसिल बनानेका मुझाव दिया । उन्होंने यह भी घोषणा की कि युद्धके बाद भारतीयोंको अपना विधान स्वयं बनाने दिया जायगा ।

पूना-प्रस्तावके फौरन वाद कांग्रेसके अध्यक्ष अबुलकलाम आजादने मुहम्मद अली जिनाको तार दिया कि पूना-प्रस्तावमें माँगी गयी राष्ट्रीय सरकार किसी एक दलकी नहीं बल्कि सभी दलोंकी संयुक्त सरकार होगी । किन्तु जिनाने अपने जवाबमें कांग्रेस अध्यक्षका अपमान ही किया । उनका तार था—“मुझे आपका तार मिला । लेकिन मैं आपका विश्वास लौटा नहीं सकता (जैसा आपको विश्वास है, वैसा मुझे नहीं) । पत्र-व्यवहार द्वारा या मिलकर मैं आपसे बात करनेको तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप मुसलिम भारतका विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं । क्या आप यह समझ नहीं पाते कि आप जैसे खिलौने ( मुसलमान ) को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह राष्ट्रीय संस्था है और इस तरह विदेशोंको धोखा देना चाहती है । आप न हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व करते हैं, न मुसलमानोंका । कांग्रेस हिन्दू संस्था है । आपमें यदि आत्म-सम्मान है, तो फौरन उसमें इस्तीफा दे दीजिये । अभी तक लीगका जितना नुकसान आप कर सकते थे, आपने किया है और आप यह भी जानते हैं कि आप असफल हुए हैं । यह खेल छोड़ दीजिये ।”

लेकिन वास्तवमें पूना-प्रस्ताव तो ब्रिटिश सरकारको सम्बोधित था; और जब सरकारने कांग्रेससे समझौतेका रास्ता भी बन्द कर दिया, हर व्यक्ति आन्दोलन करनेकी सोचने लगा । १५ सितम्बरको कांग्रेस महासमितिकी एक बैठक बम्बईमें बुलायी गयी और गान्धीजीको मन-चाहे ढंगसे आन्दोलन चलानेकी छूट दे दी गयी । गान्धीजीने आन्दोलनका एक विकल्प निकाला । उन्होंने अपने भाषणमें कहा—“अगर हम सरकारसे ऐसी घोषणा प्राप्त कर सकें कि कांग्रेस युद्धविरोधी तथा युद्धकी सरकारी तैयारियोंसे असहयोगका प्रचार कर सकेगी तो हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे ।” गान्धीजीने कहा कि मैं वाइसरायसे भेंट करूँगा

और उनमें कहूँगा—“अत्र स्थिति यह हो गयी है; हम झुककर इस स्थितिपर आ गये हैं; हम आपको परेशान नहीं करना चाहते और न हम आपको युद्धकी तैयारीसे ही विमुक्त करना चाहते हैं। हम अपने रास्ते जायेंगे और आप अपने रास्ते जायें; हमारे-आपके मिलनेका आधार अहिंसा है। अगर जनता हमारे साथ हुई तो फिर यहाँ युद्धकी तैयारी नहीं होगी। और सिर्फ नैतिक दबावसे आप लडाईकी तैयारियोंमें जनताका सहयोग पा गये तो हमें भी शिकायतका मौका न रहेगा। अगर आपको राजाओं और नवाबोंसे, जमींदारोंसे, ऊँचनीच कहाँसे सहयोग और सहायता मिले तो आप युद्धीके साथ उठें लें; लेकिन हमारी आवाज भी सुनी जाने दे।” फिर आपने उस सत्याग्रहकी रूप रेखा बतायी जो मजबूर होने पर ही शुरू किया जानेवाला था। “कोई भी सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा क्योंकि इस परिस्थितिमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। स्वराज्यका असली आधार विचारों और लिखने पढ़नेकी स्वतन्त्रता है। अगर इस नींवपर हो सकट आ जाय तो हमें सिर्फ नींवके इस पत्थरकी रक्षाके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिये।”

गान्धीजी २७ गितम्बरको वाइसरायके मिले। ३० गितम्बरको फिर मिले। पर कोई नतीजा नहीं निकला। वाइसरायने कहा कि गान्धीजी द्वारा प्रस्तावित काररवाईमें भारतमें युद्धकी तैयारियोंमें बाधा पड़ेगी।

लेकिन सुभाषचन्द्र बसु युद्धकी तैयारियोंके विरोधमें काररवाई कर पहले ही जेल पहुँच चुके थे। रामगढ़में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशनके समय ही युद्धविरोधी सम्मेलन बुलाया था जिसमें तय हुआ था कि—“राष्ट्रीय समाह्वेके पहले दिन ६ अप्रैल को देशभरमें युद्धविरोधी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाय।” लेकिन इस प्रस्तावमें फारवर्ड ब्लाक अकेला पड़ गया, क्योंकि सोशलिस्टों व अन्य लोगोंने यह कदम गला बताया। लेकिन बसु इसी कार्यक्रमपर अड़े रहे और उनके साथियोंको राष्ट्रीय सप्ताहमें गिरफ्तारियाँ हुईं। जुलाईमें बसुने कलकत्तेके हालवेल स्मारकके निकट आन्दोलन किया। बसुका कहना था कि यह स्मारक राष्ट्रीय अमान है, क्योंकि इसमें सम्बद्ध कथा बिल्कुल कपोलकल्पित है। इस आन्दोलनमें बसु गिरफ्तार कर भारतवर्षा नियमोंके अन्तर्गत नजरबन्द कर दिये गये। नवम्बरमें उन्होंने गैरकानूनी और अनावश्यक गिरफ्तारोंके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अधिकारियोंसे उन्होंने कहा—“मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं जिन्दा रहनेका ही विरोध करूँगा।” उन्होंने सरकारको एक पत्र लिखा जिसके माध देशवासियोंके नाम एक अपील भी नथी कर दी। उन्होंने सरकारने अतुरोध किया कि मेरे मरनेके बाद यह अपील प्रकाशित कर दी जाय। अनशनके कारण वे बहुत कमजोर हो गये थे और उनकी जानका खतरा जान कर डाक्टरों रायपर सरकारने उन्हें दिसम्बरमें रिहा कर दिया।

कांग्रेसके मोर्चेपर भारतवर्षा कानूनके नामपर सरकारने दमन शुरू कर दिया था, हालाँकि सत्याग्रह अभी शुरू नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि मिलकर दो हज़ारसे ज्यादा लोग पकड़े जा चुके थे। नवयुवकों और मजदूर कार्यकर्त्ताओंकी गिरफ्तारी सबसे ज्यादा जोर शोरसे हो रही थी। नागरिक अधिकार छीने जा रहे थे। घरोंमें लोगोंको नजरबन्द कर देना आम बात हो रही थी। बड़ी संख्यामें लोगोंको बराबर थानोंमें जाकर हाजिरी देनेकी बाध्य किया गया। उन्हें युद्धविरोधी या सरकार विरोधी प्रचार व काममें भाग लेनेसे रोक़ा गया, स्कूलों व कान्फ़ेजोंके छात्रोंके मिलने या सम्पर्क स्थापित करनेपर रोक

लगायी गयी। किसी भी प्रकारकी सभामें भाग लेनेपर पाबन्दी लगा दी गयी। कहीं जानेके २४ घण्टे पहले उन्हें पुलिसको इत्तिला देनी पड़ती थी।

आखिरकार, १७ अक्टूबर १९४० को युद्धविरोधी आन्दोलनका प्रतीक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। वर्धासे सात मील दूर पौनार विनोबाजीने गाँवमें युद्धविरोधी भाषण कर सत्याग्रहका श्रीगणेश किया। देहाती जनताके सामने, उन्होंने सीधी-सादी भाषामें, भारतको जबरदस्ती युद्धमें शामिल कर देना, भाषणकी स्वतन्त्रताका अपहरण, राष्ट्रीय सरकार बनानेकी कांग्रेसकी माँगका ठुकराया जाना आदि प्रश्नोंपर प्रकाश डाला और इन बातोंसे भारतीय जनताका विरोध प्रकट किया।

गान्धीजीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार केवल वे ही व्यक्ति सत्याग्रह कर सकेंगे, जिन्हें स्वीकृत सूचीपर रख लिया गया है। उन सूचीके व्यक्तियोंको एक एक कर गान्धीजी बुलाकर सत्याग्रह करनेका आदेश देनेको थे। सभी समझते थे कि नेहरू पहले सत्याग्रही होंगे। पर रचनात्मक कार्य-जगतके बाहर लगभग अज्ञात विनोबा भावेको चुनकर गान्धीजीने सारे संसारको आश्चर्यमें डाल दिया। विनोबाकी प्रशंसामें गान्धीजीने लिखा— “मेरे बाद विनोबा अहिंसाके सबसे अच्छे व्याख्याकार हैं, वे मूर्तिमान अहिंसा हैं; उन्होंने एक खास इलाकेमें रचनात्मक कार्य करनेमें अपनेको संलग्न कर रखा है; उनमें मुझसे अधिक एकग्रचित्ता है। उनकी युद्धसे घृणा विशुद्ध अहिंसासे उपजी है।”

विनोबाके युद्ध-विरोधी भाषणका सारांश ही समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो सका; शेष संसारने काट दिया। बादमें यह भी बन्द हो गया। १८ अक्टूबरको देशभरमें जिला मजिस्ट्रेटोंने समाचार-पत्रोंको लिखा कि दण्डसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि विनोबाका भाषण और उसके बादकी घटनाओंका विवरण दिल्ली स्थित मुख्य प्रेस सलाहकारको दिखाये बिना न छपा जाय। विनोबा चार दिनतक युद्ध-विरोधी भाषण करते रहे। पाँचवें दिन, २१ अक्टूबरको उन्हें गिरफ्तार कर तीन महीनेकी कैदकी सजा दे दी गयी।

जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही होनेवाले थे और ६ नवम्बरको भाषण करनेवाले थे। पर ३१ अक्टूबरको ही वे गोरखपुरके जिला मजिस्ट्रेटके चारण्टपर गिरफ्तार कर लिये गये और वहाँ एक ‘आपत्तिजनक’ भाषण करनेके अभियोगमें उन्हें चार वर्षकी कैदकी सजा दे दी गयी।

इसपर, गान्धीजीने कांग्रेस कार्यसमितिकी रायसे निम्नलिखित आदेश सभी कांग्रेस कमेटियोंको भेज दिये—

“कुछ समयतकके लिए, कांग्रेस कार्यसमिति, विधान मण्डलोंके कांग्रेसी सदस्यों और कांग्रेस महासमितिके सदस्योंमेंसे, मैं स्वयं सत्याग्रही चुँँगा।

“सत्याग्रही केवल वे लोग हों सकेंगे, जो मेरी घतायी शर्तोंके पाबन्द होंगे। जो स्वयं सत्याग्रह करना चाहते होंगे और जो सत्याग्रह करनेके लिये स्वतन्त्र होंगे।

“कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेटको सत्याग्रहके समय, स्थान और ढंगकी सूचना दिये बिना सत्याग्रह नहीं करेगा।

“यह बेहतर होगा कि शहरोंमें सत्याग्रहके सम्बन्धमें सभाएँ न की जायँ। गाँवोंमें सभाएँ की जा सकती हैं। सत्याग्रहका सबसे सुन्दर ढंग यह होगा कि सत्याग्रही एक दिशामें प्रस्थान करें और तबतक नीचे लिखी बात हर राहगीरसे कहता चला जाय, जबतक वह गिरफ्तार

न हो जाय—“युद्धकी तैयारीमें अग्रजोंको जैसे या व्यक्तियोंकी मदद देना गलत है, हर युद्धका अहिंसात्मक प्रतिरोध करना ही इलाघनीय और उचित प्रयास है। “मैं इस दमकी इसलिए पसन्द करता हूँ कि यह निरपराध, प्रभावकारी और क्रिपायतना दम है, इसमें तर्क करनेकी आवश्यकता नहीं, यह युद्धकी बातपर ही ध्यान केन्द्रित करता है। आशय यह है कि यह आन्दोलन सार्वजनिक आन्दोलनमें बदलने न पाये। सत्याग्रह एक-एक व्यक्ति करे। बहुतसे व्यक्तियोंका एक साथ सत्याग्रह करना आवश्यक नहीं है। सत्याग्रहका कार्यक्रम यदि हो सके तो एक महीनेमें पूरा हो जाय। सत्याग्रहके समय प्रदर्शन न होना चाहिये।”

१७ नवम्बरको कलकत्तामें पटेलकी गिरफ्तारीसे नया दौर शुरू हुआ। उनपर मुकदमा नहीं चलाया गया बल्कि वे अनिश्चित कालके लिए नजरबन्द कर दिये गये। नवम्बरके अन्ततक मन्त्री, सभासचिव, विधानमण्डलों व कांग्रेस महासमितिके लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। अशान्तिकी दो घटनाओंको छोड़कर शेष सभी स्थानोंमें पूर्ण शांति थी। बिहारमें वहाँके प्रधान मन्त्रीकी गिरफ्तारीके समय एक भीड़ने प्रदर्शन किया और उसपर ल्यठीचार्ज हुआ। पञ्जाब कांग्रेसके अध्यक्ष भियॉ इफ्तिखारकी गिरफ्तारीपर लाहौरमें भी ऐसा ही हुआ। ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेके लिए गान्धीजीने आदेश जारी किया कि सत्याग्रह करनेकी सूचना सिर्फ हाकिमोंको दी जाय, जनताको सूचना देनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

कांग्रेसके अध्यक्ष अतुलकलाम आजाद ३० दिसम्बरको पकड़ लिये गये और उन्हें डेढ़ वर्षकी कैदकी सजा मिली। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके प्रधान मन्त्री डाक्टर खान साहब एक बार गिरफ्तार होकर छूट चुके थे और सत्याग्रह करते रहनेके बावजूद फिर गिरफ्तार नहीं किये गये थे। वास्तवमें सीमाप्रान्तमें कोई सत्याग्रही गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। सत्याग्रहियोंकी पहली नवम्बरवाली सूची खत्म होने पर नयी सूचियाँ बनीं और प्रान्तीय व दूसरी कांग्रेस समितियोंके सदस्योंको भी सत्याग्रह करनेकी अनुमति मिली। सरकारका रवैया कड़ा होता जा रहा था और मजिस्ट्रेट सत्याग्रहियोंपर लम्बे जुरमाने ठोक कर उनकी सम्पत्ति नीलाम कर उन्हें बसूल करवा रहे थे। गान्धीजीने प्रशासनके लिए दो वक्तव्य दिये, पर सेंसरने उन्हें रोक लिया।

जब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चल ही रहा था, तेजबहादुर सप्रूने नरमदलीय नेताओंका एक सम्मेलन, मार्च, १९४१ में बम्बईमें बुलाया जिनमें इस लम्बे गतिरोधको खत्म करनेके प्रश्नपर विचार हुआ। सप्रूके सभापतित्वमें हुए इस सम्मेलनमें नरमदलीय नेताओंके अलावा हिन्दू महासभाके नेता विनायक दामोदर सावरकर और श्यामाप्रसाद मुखर्जीने भी भाग लिया। सप्रूने अपने भाषणमें कहा—“भारतीय जनमत और विचारधारासे कोई भी सरकार इतनी दूर नहीं थी, जितनी कि वर्तमान भारत सरकार।” गतिरोध दूर करनेके लिए सम्मेलनने दो सुझाव दिये। एक तो यह कि वाइसरायकी कार्यकारी कौंसिल (शासन परिषद) के सभी सदस्य गैरसरकारी भारतीय हों और दूसरा यह कि ब्रिटिश सरकार समय भेक्षित कर दे कि युद्धकी समाप्तिपर इस विशिष्ट अवधिके भीतर भारतको पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। वाइसरायकी इस प्रकार बनी कौंसिल हो तो ब्रिटिश शाहके प्रति उत्तरदायी, पर व्यवहारमें हर अन्तर्राष्ट्रीय मामलेमें उसे उसी स्तरपर माना जाय जिसपर अन्य औपनिवेशिक देशोंकी कौंसिलें मानी जाती हैं। भारत सचिव एमरीने

इन मुझावोंको अस्वीकार करते हुए कहा कि मुझावोंको लागू करनेके लिए आवश्यक वैधानिक परिवर्तन युद्धकी व्यस्तता और प्रयासोंमें नहीं किये जा सकते। हिन्दू-मुसलिम मतभेदोंकी ओर इशारा करते हुए एमरीने यह भी कहा कि वर्गवर्द्ध सम्मेलनके मुझाव गलत ओर भेजे गये हैं। उनका आशय यह था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर पहले अपने मतभेद दूर कर लें और तब अंग्रेज सरकारसे मिलें। लेकिन तेजवहादुर सप्र अपने काममें लगे रहे और अगले महीने वाइसरायसे मिलकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और लीग आपकी कौंसिलमें नहीं आतीं तो आप कौंसिलमें दूसरी विचारधाराओंके लोगोंको ले लें; कांग्रेस और लीगके कौंसिलमें आनेको तैयार होतें ही वे लोग कौंसिलमें निकलनेको तैयार रहें।

जुलार्हमें वाइसरायने अपनी कौंसिलकी सदस्य-संख्या बढ़ाकर उसमें सात नरमदलीय भारतीय रख लिये। सिर्फ माधव श्रीहरि अणे ही अकेले कांग्रेसी उसमें थे और वे भी कांग्रेस अन्दोलनोंसे अलग थे। युद्ध मलाहकार कौंसिलकी स्थापना भी हुई। अगस्त प्रस्तावके अनुसार यह स्थापना हुई थी; वह प्रस्ताव कांग्रेस और लीगके लिए था, पर दोनों संस्थाएँ ही इस कौंसिलके बाहर थीं।

अक्तूबरमें सरकारने रुख बदला और धीरे-धीरे सत्याग्रहियोंको छोड़ना शुरू किया। कम्प्यूनिस्ट वन्दियों—विशेषकर देवली जेलमें बन्द लोगोंके प्रति जेल अधिकारियोंका व्यवहार बुरा था। कई बार इन लोगोंने जेलोंमें सार्वजनिक अनशन किये। एक बार तो १८० कैदियोंने अनशन किया। लेकिन जूनमें जर्मनीके रूसपर हमले और रूस व ब्रिटेन आदिके बीच मंत्री होनेसे युद्धके प्रति कम्प्यूनिस्टोंका रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि अब यह लोक-युद्ध हो गया है और हम इसमें मदद करेंगे। सरकारने कम्प्यूनिस्टोंको धीरे-धीरे छोड़ना शुरू किया। पर कुछ कम्प्यूनिस्ट वन्दी आखीरतक नहीं छोड़े गये।

शुरू दिसम्बरमें, सरकारने घोषणा की कि जिन सत्याग्रहियोंके अपराध सिर्फ प्रतीक रूपमें या जायतेमें थे, वे छोड़ दिये जायेंगे। कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य छूट गये, हालांकि सत्याग्रह जारी था। मुक्त सत्याग्रहियोंको फिर सत्याग्रह करनेकी अनुमति गान्धीजीने कुछ समयके लिए न दी।

दूसी बीच राजगोपालाचारीने एक वैधानिक आपत्ति उठा दी थी, जिससे पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रहका आधार ही खत्म हो गया। जिस वर्गवर्द्ध प्रस्तावमें गान्धीजीका सत्याग्रहका नेतृत्व करनेके लिए अधिकार दिया गया था, उसका अर्थ गान्धीजीने यह लगाया था कि अहिंसामें विश्वासके कारण ही कांग्रेस इस युद्ध (हर युद्ध) में भाग लेनेका विरोध कर रही है। किसी अन्य व्याख्यासे गान्धीजी संघर्षका नेतृत्व ही नहीं करते। लेकिन २३ दिसम्बरकी बैठकमें कांग्रेस कार्यसमितिके कहा कि प्रस्तावके अर्थ वे नहीं थे जो गान्धीजीने लगाये थे। इसपर गान्धीजीने सत्याग्रहके नेतृत्वके उत्तरदायित्वसे मुक्ति चाही। कार्यसमितिके गान्धीजीकी इच्छा स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वर्गवर्द्ध प्रस्ताव और अहिंसाकी नीति चालू रहेगी। कार्यसमितिके निर्णयपर विचार करनेके लिए बुलायी गयी कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें गान्धीजीने कहा—अब जब कि आतंक और अपवाहोंको खत्म करनेके लिए लोगोंकी अधिक आवश्यकता है, मैं उन्हें जेल नहीं भेजना चाहता। उन्होंने सत्याग्रहियोंको रचनात्मक कामोंमें लग जानेको कहा। इस प्रकार युद्ध-विरोधी आन्दोलन समाप्त हो गया और शान्ति छा गयी।

इसी बीच जापानने भी "मित्र" राष्ट्रोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी थी। पूर्वमें युद्धका क्षेत्र भारतके बिल्कुल ही निकट आ गया था। जापानके युद्ध प्रवेशके एक ही महीने बाद मार्च १९४२ में ब्रिटिश युद्ध मन्त्रिमण्डलके सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, भारतीय राजनीतिक गत्यवरोध दूर करनेके लिए एक मुझाव लेकर भारत आये। भारत पहुँचते ही उन्होंने इस मुझावकी घोषणा की। मुझाव इस प्रकार था—

(क) युद्धकी समाप्तिके फौरन बाद, भारतके लिए नया सविधान बनानेके निमित्त, नीचे लिखे ढंगसे एक निर्वाचित परिषद बनानेका प्रयास शुरू होगा।

(ख) इस विधान निर्मात्री परिषदमें देशी रियासतोंके प्रतिनिधित्वकी भी व्यवस्था होगी।

(ग) ब्रिटिश सरकार इस परिषद द्वारा निर्मित विधानको स्वीकार कर लाम् करेगी, पर शर्त यह है कि—

(१) यदि नये विधानको भारतका कोई प्रान्त स्वीकार न करे तो उसे वर्तमान व्यवस्था ही कायम रखनेकी छूट रहेगी और यदि बादमें वह प्रान्त नये विधानके अन्तर्गत आना चाहे तो आ सकेगा।

ऐसे प्रान्त यदि चाहेंगे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार विधान बनाकर उसे स्वीकार करने और शेष भारतीय यूनियनके समान मान्यता देनेको तैयार रहेगो।

(२) विधान निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकारके बीच एक सन्धि होगी। इस सन्धिमें वे सब बात रहेगी जो भारतीय शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकारसे हटाकर भारतीय हाथोंमें सौंपनेके लिये आवश्यक होंगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये वादोंके अनुसार धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यक गुटोंकी रक्षाकी गारण्टी भी इस सन्धिपत्रमें रहेगी। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्य सदस्य राष्ट्रोंमें किस प्रकारके सम्बन्ध रहे—यह निश्चित करनेका भारतीय यूनियनका अधिकार अधुष्ण रहेगा।

भारतीय रियासतें नये विधानको मानें, न मानें, नयी परिस्थितिमें इसके अनुसार सन्धिकी शर्तें बदलना आवश्यक होगा।

(घ) यदि भारतकी मुख्य जातियोंके नेताओंने युद्धकी समाप्तिके पहले कोई अन्य ढंग अपनाना सर्वसम्मतिमें स्वीकार न कर लिया तो विधान निर्मात्री परिषद इस प्रकार चुनी जायगी—

युद्धकी समाप्ति पर प्रान्तीय विधान मण्डलोंके नये चुनाव होंगे। चुनावोंके नतीजे घोषित होते ही प्रान्तीय विधान सभाएँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिसे विधान निर्मात्री परिषदके सदस्योंको चुनेगी। परिषदके सदस्योंकी सख्या विधान सभाओंके सदस्योंकी सख्याकी लगभग दस फीसदी होगी।

देशी रियासतोंसे उनको आवादीके अनुसार ही प्रतिनिधि नामजद हो कर आयेंगे। आवादी और प्रतिनिधि संख्याका वही अनुपात होगा जो शेष ब्रिटिश भारतमें। देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंके वही अधिकार होंगे जो ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके।

(ङ) भारतके लिए जो सकटका समय है उसमें और जतनक नया विधान नहीं बनता, तबतक ब्रिटिश सरकार ही अनिवार्य रूपसे अपनी लडाईकी तैयारीके अन्तर्गत भारतकी

रक्षाकी जिम्मेदारी ओढ़ेगी, पर भारतके भौतिक, नैतिक और सैनिक साधनोंके पूर्ण संघटनका काम भारतीय जनताके सहयोगसे भारत सरकार ही करेगी। ब्रिटिश सरकारकी यह इच्छा है और वह भारतीय जनताके प्रमुख वर्गोंके नेताओंको आमन्त्रित भी करती है कि वे अपने देश, राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्रसंघकी गन्त्रणाओंमें कौरन हिस्सा लेना शुरू करें। इस प्रकार वे वह महत्त्वपूर्ण काम पूरा करनेमें सक्रिय और रचनात्मक सहायता देंगे जो भारतकी भावी स्वतन्त्रताके लिए महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है।

इस मुझावकी भूमिकामें कहा गया था—“ध्येय यह है कि नये भारतीय यूनियनका ऐसा डोमिनियन (उपनिवेश) स्थापित किया जाय जो ब्रिटिश ताजके प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रोंसे सम्बद्ध रहे लेकिन हर अर्थमें उन सबके समान और बराबर हो—आंतरिक या परराष्ट्र सम्बन्धी किसी मामलेमें किमीकी अधीन न हो।”

प्रान्तोंको भारतीय यूनियनसे अलग रह सकनेकी छूट देनेवाला मुझाव कांग्रेस कार्य-समितिको स्वीकार न था। वह उसे भारतीय एकतापर आघात मानती थी। लेकिन कार्य-समितिके इसके अतिरिक्त भी, वर्तमानको भविष्यमें अधिक महत्त्वपूर्ण माना और कहा—“आजके गम्भीर संकटमें, आजका, वर्तमानका ही महत्त्व है और भविष्यके लिए आये मुझावोंका महत्त्व भी उतना ही है जितनेमें वे मुझाव वर्तमानपर प्रभाव डालते हैं।”

क्रिप्सने जो व्याख्या और विवरण दिया, उससे कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेसके अन्य नेता वर्तमानके लिए प्रस्तावित व्यवस्थासे संतुष्ट हुए। क्रिप्स-मुझावको स्वीकार करनेके लिए कांग्रेसकी शर्त यह थी कि मुझावके अन्तिम भाग ( ७ ) में प्रस्तावित सरकारको पूर्ण अधिकार प्राप्त हों—वैसे ही अधिकार जैसे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलको प्राप्त है। यदि यह शर्त स्वीकार हो जाती तो कांग्रेस भविष्य सम्बन्धी मुझावोंकी विशेष चिन्ता करती; आशय यह था कि वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक होने पर भविष्यकी बात भी स्वीकार हो सकती थी। कांग्रेसके अध्यक्षने कहा—“भविष्य महत्त्वपूर्ण तो है, पर वह अधिकांशतः इसपर निर्भर होगा कि आनेवाले कुछ महीनों या वर्षोंमें क्या होता है। इसलिए हम इस अनिश्चित भविष्यके सम्बन्धमें आश्वासन लिये बिना ही काम चला सकते थे; हमें आशा थी कि देशरक्षाके लिए की गयी कुरवानियोंके द्वारा हम स्वतन्त्र और स्वाधीन भारतकी स्थायी नींव डालेंगे।” संक्षेपमें, कांग्रेस केन्द्रमें एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार चाहती थी, जिमें पूर्ण अधिकार प्राप्त हों और वाइसराय जिसके केवल वैधानिक अध्यक्ष हों।

क्रिप्स कहते थे कि मुझावमें वह निहित है जो कांग्रेस माँगती है। वे कांग्रेस-अध्यक्ष-से बात-चीतमें ‘मन्त्रिमण्डल’ और ‘राष्ट्रीय सरकार’ जैसे शब्दोंका प्रयोग करते थे। उन्होंने यह भी कहा (जैसा कि कांग्रेस अध्यक्षने बादमें बताया) कि मन्त्रिमण्डलसे वाइसरायका वही सम्बन्ध होगा जो ब्रिटेनके शाहका होता है। कांग्रेस और क्रिप्सके बीच मतभेद केवल एक बातपर था। क्रिप्स कहते थे कि रक्षा-विभागका उत्तरदायित्व कमाण्डर इन-चीफ ( सर्वोच्च सेनापति ) के हाथमें ही रहे। कांग्रेस जानानी आक्रमणका मुझावला करनेका अधिकार चाहती थी; आशंका यह थी कि जापान कभी भी भारतपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए रक्षा-विभाग बहुत महत्त्वपूर्ण था। क्रिप्स इस बातपर राजी नहीं थे। समझौतेके लिए आतुर कांग्रेस क्रिप्सके निम्नलिखित मुझावको माननेके लिए एक कदम और आगे बढ़ी—

“(अ) वाइसरायकी कार्यकारी कौंसिलमें कमाण्डर-इन-चीफ ‘युद्ध सदस्य’ की हैसियतमें रहे; भारतमें फौजी काररवाईका पूरा नियन्त्रण उसीके हाथोंमें रहे। उसका यह अधिकार ब्रिटिश सरकार और युद्ध मन्त्रिमण्डलके अधीन रहे। युद्ध-मन्त्रिमण्डलमें एक भारतीय प्रतिनिधि रहे जिसे भारत रक्षाके सम्बन्धमें अन्य सदस्योंके समान अधिकार हो। प्रशान्त महासागर क्षेत्रकी कौंसिलमें भी एक भारतीय प्रतिनिधि रहे।

“(ब) वाइसरायकी कौंसिलमें एक भारतीय प्रतिनिधि रहे जो कमाण्डर इन-चीफके युद्ध विभागके उन उपविभागोंका भार ले ले जो रक्षा विभागसे फौरन अलग किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सदस्यको युद्ध संयोजन विभाग भी दे दिया जाय, जो अवतक केवल वाइसरायके अधीन ही है। और यह सदस्य भारत सरकारके उन कामोंको भी सम्हाल ले जो रक्षा विभागमें सम्बन्धित हैं और अवतक किसी विभागके अन्तर्गत नहीं आते।”

काम्रसेने यह मुझवा स्वोकार कर लिया। पर बादमें कहा जाता है कि क्रिप्सने अपने उच्चाधिकारियोंके आदेश पर मुझवाके अन्तिम अंश ( ड ) की व्याख्या बदल दी और कहा कि नयी सरकारमें वाइसरायके सभी पुराने अधिकार उन्हींके पास रहेंगे। उन्हींने यह भी कहा कि काम्रसेने जो समझा वह मेरा कभी भी मतलब नहीं था। राष्ट्रीय सरकार और मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्वके विरोधमें क्रिप्सने तर्क दिया कि ऐसी सरकार “बहुमस्यक दलकी पूरी तानाशाही” हो जायगी और “अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए दिये गये ब्रिटिश सरकारके आश्वासनोंके विरुद्ध” होंगी।

मुस्लिम लीगने ‘वर्त्तमान’ में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि क्रिप्स प्रस्तावमें मुस्लिम बहुमतके प्रान्तोंमें मुसलमानोंके आत्मनिर्णयका अधिकार निहित था और एक प्रकारसे पाकिस्तानकी स्थापनाका आश्वासन भी उसमें था, पर मुस्लिम लीग इन सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारसे सीधा वादा चाहती थी। हिन्दू महासभाने क्रिप्स प्रस्ताव स्वोकार न था, क्योंकि उसमें भारत विभाजनकी बात निहित थी।

गान्धीजीने क्रिप्स-यात्राका उद्देश्य और फल पढ़ते ही समझ लिया था और इसलिए उन्हींने समझौता वात्तामें भाग लेनेसे इनकार कर दिया। पर क्रिप्सके अनुरोध पर गान्धीजी दिल्ली गये और उनसे मिले। क्रिप्स प्रस्तावपर गान्धीजीकी काम्रसेको राय थी—“यह तो ऐसी हुण्डी है जो भविष्यमें ही भुन सकती है, चाहे इसे स्वीकार करो चाहे न करो।” गान्धीजीने स्वयं यह हुण्डी स्वीकार नहीं की। क्रिप्सने समाचार पत्रोंके प्रतिनिधियोंसे एक भेंटमें कहा—ब्रिटिश सरकारके मुझवाका मतविदा वापस ले लिया गया है और अब फिर वही स्थिति आ गयी है, जो मेरे भारत आनेके पहले थी।

क्रिप्सकी यात्रा असफल होनेसे भारतीय भ्रतिजपर निराशा छा गयी। भारतीय जनता ब्रिटिश शासनकी तो और बड़ी शत्रु हो ही रही थी, भारत रक्षाकी ब्रिटिश सरकारकी क्षमतामें भी उसका अविश्वास होता जा रहा था। सुदूर पूर्वके ब्रिटिश अधिकारके क्षेत्र जल्दी जल्दी जापानी अधिकारमें जा रहे थे। बर्मा, मलाया और सिंगापुरके ‘अभेद्य दुर्ग’ पर जापानियोंके आश्चर्यजनक गतिमें कब्जा हो जानेसे ब्रिटिश प्रतिष्ठाको गहरा धक्का लगा। हांगकांग, मलाया, सिंगापुर व बर्मासे आनेवाले भारतीय और अंग्रेज शरणार्थियोंकी यात्रा व्यवस्थामें



ब्रिटिश शासकों द्वारा जातिभेद बरतनेसे भारतको सबसे बड़े धक्के और अपमानका आभास हुआ। “भारतीय शरणार्थियोंको भूख और मृत्युका सामना करना पड़ा। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ सड़कके किनारे गिरकर मर जाते; न उनको हटानेका प्रबन्ध था, न जलानेका। स्वस्थ नवयुवकों और नवयुवतियोंको दशा भी भारतीय सीमातक पहुँचते पहुँचते अत्यन्त दयनीय हो जाती थी; वे कंकाल मात्र रह जाते थे। लेकिन, दूसरी ओर अंग्रेज शरणार्थियोंकी खुशामदें होतीं, उनका जीवन सुखमय और आनन्दमय बनानेमें भारत सरकार कोई कोर-कसर न छोड़ती। व्यवहारभेदकी पराकाष्ठा तब हो गयी जब गोरों व काले शरणार्थियोंके लिए सड़कें अलग कर दी गयीं। अंग्रेजोंवाली सड़क पक्की थी; उसपर कई कई गोलपर खाने, ठहरनेका प्रबन्ध था। इसके पूर्ण विरोधमें, हजारों, लाखों भारतीयोंके साथ जो अपमान-जनक और पाशविक व्यवहार हुआ वह समस्त भारतीयोंके हृदयमें काँटकी तरह कसकता रहा। भारतके अपमानका प्याला लवालच भर चुका था।”

भारतमें अंग्रेज विरोधी भावनाएँ बढ़ रही थीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि जनतामें और पड़े लिखे लोगोंमें भी जापानमें सहानुभूति होने लगी और लोगोंकी उत्कट इच्छा हो उठी कि जापान भारतपर आक्रमण करे और ‘घृण्य’ अंग्रेजोंको निकाल बाहर करे।

यह पृष्ठभूमि थी, जिनमें, अप्रैल १९४२ के अन्तमें कांग्रेस कार्यसमिति और महामितिकी बैठकें इलाहाबादमें शुरू हुईं। गान्धीजीने इन बैठकोंमें भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वर्धासे अपने विचार लिख भेजे। उन्होंने निम्नलिखित बातोंपर जोर दिया :-

- (१) क्रिप्स-प्रस्तावने साम्राज्यवादका नग्नरूप सामने रख दिया है,
- (२) ब्रिटेन भारतकी रक्षामें असमर्थ है,
- (३) भारतीय और ब्रिटिश हितोंमें शाश्वत विरोधाभास है,
- (४) जापान भारतसे नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यसे युद्ध कर रहा है,
- (५) युद्धमें भारतका शामिल होना विशुद्ध रूपमें ब्रिटिश निर्णय है,
- (६) अंग्रेजोंको भारत छोड़ देना चाहिये, ताकि भारतवासी अपने देशकी रक्षा कर सकें। देशी महाराजाओं और अल्पसंख्यकोंकी रक्षाके लिए भारतमें मौजूद रहनेका ब्रिटिश तर्क न्यायसंगत और टिकाऊ नहीं है। इन दोनों वर्गोंको अंग्रेजोंने ही जन्म दिया है,
- (७) भारतकी जापान या किसी अन्य देशसे कोई दुश्मनी नहीं है। पर यदि, तब भी, जापान भारतपर हमला करता है तो उसे पूर्ण रूपेण अहिंसात्मक असहयोगका सामना करना पड़ेगा। जापान भारतके लिए खतरा है क्योंकि भारत साम्राज्यवादी ब्रिटेनका गुलाम है और इससे जापानका लालच बढ़ता है।

इसलिए गान्धीजीका निष्कर्ष यह था कि ब्रिटेन मित्रभाव और शान्तिपूर्ण ढंगसे भारत छोड़ दे। कांग्रेस महासमितिके जो प्रस्ताव अन्ततः स्वीकार किया वह इन्हीं बातोंपर आधारित था।

मद्रासमें कांग्रेस राजनीतिने एक अलग मोड़ लिया। मद्रास विधान सभाके कांग्रेस दलके नेता राजगोपालाचारीने दलकी एक विशेष बैठकमें दो प्रस्ताव स्वीकार कराये। एक प्रस्तावमें प्रान्तोंमें मन्त्रिमण्डल बनानेपर जोर दिया गया था और दूसरेमें पृथक होनेकी मुसलिम लीगकी माँग स्वीकार कर उससे समझौता कर लेनेकी माँग की गयी थी। कांग्रेसकी

नीतिके विषय होनेके कारण कांग्रेस अध्यक्षने इसपर आपत्ति की। राजगोपालाचारीने रोद्द-प्रकाश किया, पर साथ ही, अपनी नीतिके प्रचारके लिए स्वतन्त्र रहनेके लिए कांग्रेस कार्य-समितिसे इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महासमितिके इलाहाबाद अभिषेकमें उन्होंने मुसलिम लीगकी माँगके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया और इसकी जगह भारतीय एकतापर जोर देने वाला जगतनारायण लालका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ऐतिहासिक राजगोपालाचारी अपने मतपर दृढ़ रहे। अन्तमें गान्धीजीने उन्हें परामर्श दिया कि ये महासमिति विधान सभा और कांग्रेसकी सदस्यतासे इस्तीफा दे द। राजगोपालाचारीने १५ जुलाईको कांग्रेससे इस्तीफा दे दिया।



## अध्याय २०

### अगस्त-विद्रोह

युद्धके कारण भारतके कष्ट बढ़ रहे थे। सरकार भारतमें जापानसे लोहा लेनेके लिए जी-जानसे तैयारी कर रही थी। दुश्मनके हाथ कुछ न पड़ने देनेके लिए सब कुछ नष्टभ्रष्ट कर देनेकी नीति बरती जानेके कारण समुद्रतटों—विशेषकर बंगाल और उड़ीसाके लोगोंकी बचराहट बेहद बढ़ गयी। हजारों लोग अपने घरों और खेतोंमें निकाल दिये गये और जीविकाहीन हो गये। उन्हें पुलिस और फौज दोनों परेशान करती। युद्ध फण्टमें जबरन चन्दे लिये जाते। चोरबाजारीसे गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे थे, अमीर और ज्यादा अमीर। उद्योग-व्यवसाय कारपोरेशन द्वारा अंग्रेज भारतीय-व्यापारसे भारी मुनाफा कमा रहे थे। उपभोक्ता सामग्रीको लुट्टाईके काम लानेके लिए और जनतासे बचानेके लिए सरकार मुद्रास्फोटिकी नीति बरत रही थी। वह खाद्य व अन्य सामग्री उँचे दामोंपर खरीदती और उसके लिए नये नोट छाप लेती। निम्न और मध्यम वर्ग, जिनकी आय बढ़ती हुई वीगतोंके अनुपातमें नहीं बढ़ी थी, अपने आभूषणादि बेचकर गुजाग कर रहे थे। गान्धीजीने कहा कि भारत एक शवके समान है जो मित्रराष्ट्रोंके कन्धोंपर भारी बोझकी तरह लदा हुआ है। भारतकी समस्याका केवल एक ही हल था, और वह यह कि अंग्रेजी राजका अन्त हो।

इसलिए इसी आधारपर गान्धीजीने १९४२ के आन्दोलनका संघटन किया और अंग्रेजोंसे भारत छोड़नेको कहा। १४ जुलाईको सेवाश्राम ( धर्या ) में कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई, गान्धीजीसे 'भारत छोड़ो' आन्दोलनके महत्त्व और आशयके सम्बन्धमें परामर्श किया और उसीके अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव दंगलैण्डसे भारतके साथ न्याय करनेकी अपीलके रूपमें था, जिसमें कहा गया था—“यदि यह अपील अस्वीकार हुई, तो कांग्रेस १९२० से संचित अपनी समस्त अहिंसक शक्तिके प्रयोगके लिए मजबूर हो जायगी। इतना व्यापक संघर्ष अनिवार्यतः गान्धीजीके नेतृत्वमें ही होगा।”

यह स्पष्ट था कि सार्वजनिक आन्दोलन होनेवाला था; गान्धीजीने कहा भी था कि यह मेरे जीवनका सबसे बड़ा संघर्ष होगा। उन्होंने दंगलैण्डसे कहा था—“भारतको ईश्वरके भरोसे छोड़कर चले जाओ; अगर यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो तो उसे अराजकतामें छोड़ दो, पर चले जाओ।” लेकिन उन्होंने भारतवासियोंको सलाह दी कि वे “अंग्रेजी सत्तासे छुटकारा पानेके लिए जापानसे कोई आशा न लगायें।”

७ व ८ अगस्त, १९४२ को बम्बईमें कांग्रेस महासमितिकी ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। भारत छोड़ देनेकी त्रिटिश सरकारसे अपनी माँग और अपील दोहराते हुए कांग्रेस महासमितिके अपने प्रस्तावोंमें कहा—“लेकिन महासमितिकी धारणा है कि अब मानवता तथा स्वयं अपने हितोंमें काम करनेसे रोकनेवाली साम्राज्यवादी और प्रभुत्वमत्त सरकारके विरुद्ध अपनी संकल्पशक्तिका प्रयोग करनेसे राष्ट्रको रोकना महासमितिके लिए उचित न होगा। इसलिये महासमिति निश्चय करती है कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके अपने कर्मी

न छिन सकनेवाले अधिकारका प्रयोग करनेके लिए अधिकृतसे अधिक व्यापक सार्वजनिक अधिसात्मक आन्दोलनकी अनुमति दी जाय, ताकि, पिछले २२ वर्षोंके शान्तिमय सघर्षमें सचित अपनी सारी जहिंसात्मक शक्तिका देश प्रयोग कर सके। ऐसा सघर्ष अनिवार्यतः गान्धीजीके नेतृत्वमें हांगा और महासमिति उनमें अनुरोध करती है कि वे नेतृत्व ग्रहण करें और जो कदम उठाने हों, उनका निर्देश दें।”

महासमितिले अधिकार दे दिया कि नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद ‘हर भारतवासी स्वयं अपना पथप्रदर्शन करेगा।’

प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरूने पेश किया था और वल्लभभाई पटेलने उसका समर्थन किया था। प्रस्तावका केवल ११ सदस्योंने विरोध किया था; इनमेंसे १२ कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्टोंने जर्मनी द्वारा रूसपर आक्रमण होनेके बाद युद्धके सम्बन्धमें अपना मत बदल दिया था।

‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव स्वीकार हो जानेके बाद गान्धीजीने १४० मिनटतक महासमितिके समक्ष भाषण किया। वे पहले हिन्दुस्तानीमें बोले, फिर अंग्रेजीमें। यह, सम्भवतः, उनके जीवनका सबसे लम्बा भाषण था। उन्होंने कहा—मैं पौरन आजादी चाहता हूँ, आज रातको ही, कल सबेरेसे पहले आजादी चाहता हूँ—अगर वह प्राप्त हो सके। अब आजादी साम्प्रदायिक एकताकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। यदि वह एकता अभी प्राप्त हुई, तो उसके लिए अब जितनी कुरबानी करनी पड़ेगी, पहले उससे कमसे काम चल जाता। पर कांग्रेसको आजादी हासिल करनी है या उसे हासिल करनेकी कोशिशमें मिट जाना है। और यह भी न भूलो कि जिस आजादीको पानेके लिए कांग्रेस जूझ रही है, वह सिर्फ कांग्रेस जनोंके लिए ही न होगी, वरन् भारतकी ४० करोड़ जनताके लिए होगी। कांग्रेस-जनोंको सदैव जनताके तुच्छ सेवक बने रहना है।”

मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी माँगके सम्बन्धमें गान्धीजीने कहा—“देशके करोड़ों मुसलमान हिन्दू परिवारोंसे आये हैं। हिन्दुस्तानके अलावा उनकी मातृभूमि और किस जगह होगी? हिन्दुस्तान ही प्रायः सभी भारतीय मुसलमानोंकी मातृभूमि है। इसलिए हर मुसलमानको देशकी आजादीकी लड़ाईमें सहयोग देना चाहिये। कांग्रेस किसी एक वर्ग या समाजकी नहीं है; वह पूरे राष्ट्रकी है। कांग्रेसपर कब्जा कर लेनेके निमित्त मुसलमानोंके लिए दरवाजा खुला हुआ है।”

लेकिन मुस्लिम लीगने घोषणा की कि कांग्रेसका सार्वजनिक आन्दोलन मुसलमानों और उनकी पाकिस्तानकी माँगके विरुद्ध है। इसलिए गान्धीजीने जनताको सावधान किया था कि “इस बार सघर्षमें बहुत ज्यादा बड़ी कुरबानी देनी होगी क्योंकि सघर्षका विरोध मुस्लिम लीग और अंग्रेज दोनों करेंगे।”

फिर उन्होंने अपने जीवनके सबसे महान् सघर्षके लिए जनताको प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा—“इसी क्षणसे तुममेंसे हर स्त्री पुरुषको अपनेको स्वाधीन मानना चाहिये और इस तरह काम करना चाहिये मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवादके चंगुलमें जकड़े हुए नहीं हो। यह कोई कल्पनाकी बात नहीं है जो मैं तुमसे सच मान लेनेके लिए कह रहा हूँ। यही स्वतन्त्रताका सत्य है। गुलामीकी जज्बीर उसी वक्त टूट जाती है जिस क्षण गुलाम अपनेको स्वतन्त्र मान लेता है।

“यह एक छोटा-सा मन्त्र है जो मैं तुम्हें देता हूँ । तुम इसे अपने हृदयपर लिख लो ताकि तुम्हारी हर साँसमें यह प्रकाशित हो । यह मन्त्र है—हम ‘करेंगे या मरेंगे’ । हम या तो भारतको आजाद करेंगे या उसकी कोशिशमें मर जायेंगे । हम अपनी गुलाबी कायम देखनेके लिए जिन्दा नहीं रहेंगे । कांग्रेसका हर सदस्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, संघर्षमें इस अटल संकल्पसे शामिल होगा कि उसे देशको गुलाबीमें जकड़ा देखनेके लिए जिन्दा नहीं रहना है । यही तुम्हारी शपथ है । जेल भरनेकी बात अपने दिमागोंसे निकाल दो । अगर सरकार मुझे स्वतन्त्र रहने देती है तो मैं तुम्हें जेलें भरनेका कष्ट नहीं दूँगा । जब सरकार कष्टमें है, मैं उसपर बड़ी संख्यामें कैदियोंके भरण-पोषणका बोझ नहीं डालूँगा ।”

गान्धीजीने यह भी कहा कि “कोई भी काम छिपाकर नहीं किया जायगा । यह खुला विद्रोह है । इस संघर्षमें छिपाव पाप है । स्वाधीन व्यक्तिको छिपकर कोई काम नहीं करना चाहिये । “आजादी कल नहीं, आज आनी है । इसलिए मैंने कांग्रेससे वादा किया है और कांग्रेसने मुझसे वादा किया है कि हम करेंगे या मरेंगे ।”

गान्धीजीने कहा कि गार्वजनिक आन्दोलन फौरन शुरू नहीं होगा । मैं वाइसरायसे भेंट करूँगा और उनसे अपील और अनुरोध करूँगा । इसमें दो तीन सप्ताह लग जायेंगे । लेकिन ९ अगस्तको प्रातःकाल, समितिकी बैठक खत्म होनेके कुछ ही घण्टों बाद गान्धीजी और कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य गिरफ्तार कर किंगी अज्ञात स्थानको ले जाये गये । पूर्व-निश्चित योजनाके अनुसार प्रान्तोंमें कांग्रेस समितियाँ अवैध घोषित कर दी गयीं और ९ अगस्तकी शामतक देश भरके सभी प्रमुख कांग्रेसजन भारत रक्षा नियमोंके अधीन पकड़ लिये गये । जनता स्तम्भित रह गयी, विशेषकर अखबारोंमें यह पढ़कर कि गान्धीजी व कार्य-समितिके सदस्य किंगी अज्ञात स्थानको ले जाये गये हैं । हर तरहकी अफवाहें फैलने लगीं और जो विश्वास कर पाये, उन्होंने अफवाहोंमें विश्वास भी किया । देशभरमें एक अभूतपूर्व तनाव और सनसनीका वातावरण हो गया और ऐसा लगने लगा कि जनता विद्रोह कर देगी और सरकारी व्यवस्थाको नष्ट कर देगी । ९ अगस्तकी गिरफ्तारियोंके कुछ दिन पहले ही, इस तरहकी अफवाहें फैलने लगी थीं कि ९ अगस्तको ट्रेनोंका चलना बन्द हो जायगा । कुछ लोग इन अफवाहोंपर हँसे, पर कुछने उनका विश्वास भी कर लिया । और हुआ भी यही, सैकड़ों मील लम्बी रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गयीं और बहुतसे क्षेत्रोंमें रेलोंका चलना स्थगित हो गया । यह काम इतने चुपचाप ढंगसे संघटित हुआ और इस कुशलतासे कार्यान्वित हुआ कि सारे देशमें फैले खुफिया पुलिसके अपने संघटनके वादजूद भी सरकारको इसका पता न लगा और वह भी स्तम्भित रह गयी ।

कुछ दिनोंतक जनताकी उत्तेजना सार्वजनिक प्रदर्शनोंमें परिलक्षित होती रही, जिन्हें रोकनेके लिए सरकारने गारपीट, लाठी व गोलीका सहारा लिया । फिर खुला विद्रोह शुरू हो गया । विद्रोही स्वयं अपने नेता थे और कहाँ ब्रिटिश सरकारपर चोट की जाय, इसका निर्णय वे स्वयं करते थे । बड़ी-बड़ी भीड़ तत्काल निर्णय करती कि सरकारी सत्ताके किस प्रतीकपर हमला किया जाय और हमला कर देती । थाने, स्टेशन व दूसरी सरकारी इमारतें जला डाली गयीं या नष्ट कर दी गयीं, तारके खम्भे तोड़ डाले गये, तार काट डाले गये । यह कोई क्षणिक क्रोधका उद्रेक नहीं था । सरकारी सम्पत्ति व यातायातके साधनोंका विनाश सहीना-तक जारी रहा । इसे सार्वजनिक आन्दोलनका कार्यक्रम ही मान लिया गया ।

जो किसी सत्याग्रह आन्दोलनमें एक बार भी जेल गये थे, वे सभी कांग्रेसजन गिरफ्तार किये जा चुके थे और आन्दोलन वे लोग चला रहे थे जो कभी कांग्रेसके सदस्य भी न थे। उनमें बहुत से छात्र थे। वे अहिंसाके पुजारी नहीं थे आर जो भी अस्त्र उनके हाथ आता उसीमें ब्रिटिश सत्तापर हमला कर बैठते। हर जगह बन्दूक आर पिस्तौल आदि इकट्ठी की गयी; वे या तो पुलिससे छीन लीं गयी या चुपचाप बना ली गयी। गान्धीजीके 'करो या मरो' मन्त्रसे उन्हें प्रेरणा मिल रही थी; आन्दोलनके दौरानमें करोड़ों व्यक्तियोंने यह मन्त्र दोहराया और गोलियोंकी बौछार भी उन्हें चुप न कर सकी। कई जगह भौढ़ने पुलिसकी चेकानू कर थानोंपर कब्जा कर लिया। बलिया (संयुक्तप्रान्त) में जन समूहोंने पूरे जिलेके शासन तन्त्रपर कब्जा कर लिया और १९ अगस्तको स्वराज्य सरकारकी स्थापना की, जो कई दिनोंतक चली। इस स्वराज्य सरकारको मान्यता और सहायता देनेके लिए लोगोंने उदारतापूर्ण ऋण दिये। सभी सरकारी कर्मचारी नैद कर लिये गये। चित्त पाण्डेय इस सरकारके अध्यक्ष थे।

२२ अगस्तको सरकारी दमन शुरू हुआ। फैजांने जिलेपर कब्जा कर लिया और 'जनताको सत्र गिराना' शुरू किया। "लगभग डेढ़ सौ कांग्रेस जनोंके घर दूधर जला दिये गये, औरत और बच्चोंसे गद्दे दिये गये। बहुत सी स्त्रियोंके बाल काट डाले गये, उनके जेवर कपडे छीन लिये गये और न चोरीके पहननेको मजबूर की गयी। बहुत से परिवार बिना खाना पानी २४ घण्टे तक घरोंमें बन्द कर दिये गये। कुछ लोगोंको पेटोंसे बॉधर सुरी तरह पीटा गया। बहुत से लोग थककर चाटनेके लिए बाध्य किये गये और गन्दी मही गालियाँ दी गयी। यह भी सूचना मिली कि कई थानोंमें पकड़े गये लोगोंके मुँहमें पेशाब डाल दिया गया। लाठी, डण्टी, बन्दूकोंके बुन्दों और घुंगोंसे मारना आम बात थी। थपड़ मारना और कभी कभी सर्गोंसे घायल कर देना अनापी घटनाएँ नहीं थी। लगभग १२ लाख रुपयेके सामूहिक जुमाने किये गये, लेकिन कहा जाता है कि २९ लाखसे ज्यादा रकम वसूल की गयी। ६६ से अधिक व्यक्ति गोलियोंके गिराव हो गये और इनमें बहुत ज्यादा व्यक्ति गोलियोंसे घायल हुए। कई सौ मकान जला डाले गये और १०० से ज्यादा मकान गिरा दिये गये।"<sup>१</sup>

भारत सरकारके गृहमन्त्रीने १५ गितम्बरको जो वक्तव्य दिया उसके अनुसार एक महीनेमें लगभग २५० रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिये गये या उन्हें क्षति पहुँचायी गयी, जिसमेंसे १८० बलिया तथा पूर्वी संयुक्त प्रान्तके अन्य जिलोंमें थे, २४ रेलवे ट्रेने पटरियोंसे उतार दी गयी, रेलके डबों व कई इंजनोंको भारी नुकसान पहुँचाया गया, ५५० डाकखानोंपर हमला किया गया, इनमेंसे ५० से अधिक तिलकूला जला डाले गये और २०० की गहरी क्षति पहुँची। एक लाख रुपयेके ढाकके टिकट नष्ट कर दिये गये। असह्य लेटरबम चिट्ठियों सहित जला डाले गये। ३५०० स्थानोंपर टेलीफोन व टेलीग्राफके तार काट डाले गये। बहुत सी जगहोंपर सड़कें खोद टाली गयीं, यातायातके साधन नष्ट कर डाले गये और पुल उड़ा दिये गये ताकि उन स्थानोंका नियन्त्रण जिलोंके सदर मुकामसे न हो सके। जिन लोगोंने सरकारी सत्तापर आक्रमण किया; उनकी भीड़ कभी-कभी बंदर एफ एफ लासतक की हो गयी।

१. गोविन्दसहाय, '४२ रिपेडियन', पृष्ठ २२४-२२५

कुछ क्षेत्रोंमें गाँवोंको मुक्तकर प्राचीन भारतमें प्रचलित पंचायत शासन कायम किया गया जो कुछ दिनोंतक चला ।

आन्दोलनमें छात्रोंने प्रमुख भाग लिया । बड़ी संख्यामें वे स्कूल और कालेजोंसे निकल आये या निकाल दिये गये । संयुक्त प्रान्तकी सिर्षा बनारस कमिश्नरीमें ही ३२००० छात्र शिक्षा-संस्थाओंसे निकाले गये । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विद्रोही छात्रोंकी सभाई-का मुख्य केन्द्र था और प्रान्तके पूर्वी जिलोंके विद्रोहमें यहाँके छात्रोंका काफी हाथ था । यहाँ और बिहारमें आन्दोलनने जितना उग्र रूप धारण किया, उतना देशमें कहीं नहीं हुआ । अन्य प्रान्तोंकी परंपराके विरुद्ध बिहारमें हिन्दुओं और मुसलमान दोनोंने मिलकर आन्दोलनमें भाग लिया । अन्य जगहोंपर मुसलमान आन्दोलनकारियोंकी संख्या दालमें नमकके बराबर ही थी । लेकिन अधिकांश शहरी मुसलमान लीगके प्रभावमें आन्दोलनमें अलग रहे ।

मजदूरोंने भी आन्दोलनमें भाग लिया । अहमदाबाद व गुजरातके कुछ अन्य स्थानोंकी १०० से अधिक मिलें तीन महीनेसे ज्यादा बन्दतक बन्द रही । गुजरातकी हड़ताल और जगहोंतक फैली । मद्रास, बड़ौदा, इन्दौर, नागपुर, दिल्ली आदिमें कई-कई दिनोंकी हड़तालें हुईं ।

बिहारमें आन्दोलनने जेलोंपर हमलेका भी रूप लिया । भीड़ जेलोंपर हमले करती और बन्दिओंको मुक्त कर देती । मधुवनीमें खुद कैदियोंने विद्रोह कर दिया । जेलके सुपरिटेण्डेण्टको कैद कर लिया और राजनीतिक कैदियोंका छोड़ शेष सब बन्दी भाग निकले । लेकिन हाजीपुरमें, जहाँ २००० व्यक्तियोंकी भीड़ने जेलपर हमला किया था, सभी कैदी (जिनमें राजनीतिक कैदी भी शामिल थे ) भाग निकले, उनका संख्या १००० थी । बादमें उनमेंसे कुछ फिर पकड़े गये और उन्हें नृशंखतापूर्वक दण्ड दिया गया । उन्हें गर्धोंपर बैठा कर घुमाया गया । सीतामढ़ीमें १०००० व्यक्तियोंकी एक भीड़ने जेलपर आक्रमण किया । आरा और संधालपरगनेमें गोंडाकी जेलोंपर भी आक्रमण हुए ।

संक्षेपमें, देशमें व्यापक रूपसे अस्तव्यस्तता छा गयी । कुछ जिलोंमें पूरा सरकारी शासन टप हो गया । कई हफ्तों बाद ही सरकार स्थितिपर काबू पा सकी और अपने मगस्त माधनोंका प्रयोग जनताके प्रतिरोधके दमनमें करने लगी । और तब जघन्य पाशाविक अत्याचारोंका अध्याय शुरू हुआ । तब भी, कुछ स्थानोंपर विद्रोहकी आग सुलगती ही रही और बड़े-से बड़े दमन भी उसे कुचल न सके ।

१९४२ के विद्रोह और पुलिस व फौजके अत्याचारोंके वर्णनसे पूरी एक पुस्तक भर जायगी । अत्याचारोंके कुछ उदाहरणोंसे पुलिस व फौजके व्यवहारका चित्र पूरा हो जायगा ।

२४ सितम्बर, १९४२ को केन्द्रीय विधानसभामें एक प्रस्ताव पेश करते हुए कै. सी. नियोर्गने पुलिस और फौजके, दूरके, जनताकी निजी सम्पत्तिकी निर्वाध बरबादी करने, बिना किसी उत्तंजना गोली चलाने, अहिंसक भीड़ोंपर हमला करने और गोली चलानेकी घटनाओंके कुछ उदाहरण दिये । गाजीपुरके एक जमींदारने प्रान्तीय सरकारको जो एक नोटिस दी थी, आपने उसके कुछ उद्धरण सुनाये । नोटिस इस प्रकार थी—“२६ अगस्त, १९४२ को मेरे मैनेजर ( कारिन्दे ) ने मुझे सन्देश भेजा कि २४ अगस्तका दोपहरमें चार अंग्रेज फौजी लगभग डेढ़ सौ फौजी सिपाहियों और नन्दगंजके थानेदारके साथ मेरे गाँव पहुँचे और गाँवके सभी मर्दों ( जिसमें मेरे मैनेजर और नौकर भी थे ) और बच्चोंको गोली मार

देनेकी धमकी देकर गोंधकी कच्ची सड़कपर कतार बनाकर खड़े होनेको कहा । सब लोग सड़कपर आ गये । तब चारों अंग्रेज पौजी कुछ अन्य पौजियोंको लेकर गोंधमें घुस गये और बोपको सड़कपर पुरुषोंपर निगाह रखनेके लिए छोड़ गये । गोंधमें घुसकर पौजियोंने औरतांसे घरोंके बाहर निकलनेको कहा और धमकी दी कि न निकलनेपर गोली मार दी जायगी । जब औरतें बाहर निकल आयीं तब सिपाहियोंने उनके जेवर उतार लिये—बादमें घरोंमें घुसकर रुपया पैसा, जेवर, आभूषण, घड़ियाँ जो कुछ मिला, लूटने लगे ।

“इसके बाद पौजियोंने घरोंसे कपड़े लूते निफालकर उनमें आग लगा दी, गोंधके बहुतेसे छप्पर जला दिये और मेरे २० असाभियोंके घर जला दिये ।

“गाँव लूटने और घरोंमें आग लगा देनेके बाद पौजियोंने सड़कपर इकट्ठे १२ वर्षसे छोटे बच्चोंको हटा दिया । इसके बाद वहाँ मौजूद लोगोंको कपड़े उतारकर मैदककी तरह सड़कपर बैठनेको कहा गया । यह हुक्म राइफिलोंके बुन्दोंसे मनवाया गया ।

“इसके बाद बाँस काट काटकर छड़ियाँ बनायी गयी और गोंधवालोंकी नगी पीडपर पाँच पाँच छड़ियाँ जोर जोरसे मारी गयी । मेरे एक नोकरने इसका विरोध किया तो उसे एक पेड़ने बाँधकर बुरी तरह मारा गया और उसपर ३० बेल पड़े । बादमें उस नौकरके साथ तीन अन्य गोंधवालोंको गिरफ्तार कर ले जाया गया ।”

के. सी. नियोगीने दूसरी घटना यह सुनायी—“कुछ छात्र गोंधमें सत्याग्रहका प्रचार करने गये थे । प्रचारके बाद वे कैरा जिलेमें किसी स्टेशनसे रेलगाड़ी पकड़ने गये । उसी रेलगाड़ीसे कुछ पुलिसके सिपाहियोंकी एक टुन्डी उतर आयी और छात्रोंकी ओर बढ़ी । छात्र शान्तिपूर्वक गिरफ्तार होनेको तैयार थे, पर पुलिसने उनपर गोली चला दी । तीन छात्र मारे गये और बहुतसे घायल हो गये । गोली चलानेके बाद पुलिसने उन लोगोंको रोक दिया जो घायलोंको पानी पिलाने आये । घायलोंको प्यास लग रही थी । पर रेलवे कर्मचारियों और गाँव वालोंको उन्हें पानी नहीं देने दिया गया ।”

बम्बई प्रान्तमें पूर्वी मन्दुवारमें एक थानेदार कुछ लड़के-लड़कियोंका पीछा कर रहा था, जिन्होंने एक लुट्टेमें भाग लिया था । एक लड़केने थानेदारको रोककर कहा—मेरे हाथमें राष्ट्रीय झण्डा है, मेरे सीनेमें गोली मार दो । थानेदारने गोली मार दी, पर वह निश्चाना चूरु गया । लड़केने फिर गोली मारनेकी चुनौती दी । इस बार थानेदारने सिपाहियोंसे लड़केको पकड़ लेनेको कहा । जब लड़का जकड़कर खडा कर लिया गया तब थानेदारने उसपर गोली चलायी और उसे मार गिराया । इसके बाद फिर गोली चली और वहीं पाँच लड़के मरकर टेर हो गये ।

इसी तरह पटनाके सरकारी सचिवालयपर राष्ट्रीय झण्डा लगाते हुए ११ छात्रोंने पास खड़े एक अंग्रेज पुलिस अफसरमें कहा—अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो । उनपर गोली चलायी गयी । छः वहीं मर गये । सातवाँ अस्पतालमें मर गया । अस्पतालमें जब उसे होश आया, उसने नर्ससे पूछा—गोली मेरे सीनेमें लगी है या पीठ में ?

१. 'जे. एम. देव' 'लड एण्ड टीअर्स' में पृष्ठ ६०-६१ पर उद्धृत

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ६२



नर्सके यह बताने पर कि गोली सीनेमें लगी है उस लड़केने सन्तोपकी साँस लेते हुए कहा—  
‘मैं जब मर जाऊँगा तब लोग यह नहीं कहेंगे कि मैं भाग रहा था तब गोली लगी।’

विहारमें “१८ महीनेके एक बच्चेको पकड़कर इसलिए जेलमें डाल दिया गया कि उसका बाप फरार था। चार दिनतक वह बच्चा अपनी गाँसे अलग जेलमें रखा गया।”  
हाकिमोंका ख्याल था कि इस तरह माँ अपने पतिके छिपनेकी जगहका पता बता देगी। लेकिन बेचारी माँको खुद पता नहीं था कि पति कहाँ है। पूर्णिया (विहार) में १३ अगस्तको आठ व्यक्ति गोलीसे मार डाले गये। उनमें ध्रुव नामक एक बालक भी था। उसके पिता डाक्टर कुण्डू जब उसके शवकी अन्त्येष्टि करके लौट रहे थे तभी पुलिसने उन्हें गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिया।

देशके कई भागोंमें—विशेषकर बंगाल और मध्यप्रान्तके (आइती और चिगूर गाँवोंमें) तथा अन्य गाँवोंमें सिपाहियोंने लगभग २०० स्त्रियोंके साथ बलात्कार किया। कई जगह स्त्रियाँ घरोंसे बसीट लायी गयीं और खुली सड़कों और चौराहोंपर उनके साथ बलात्कार किया गया। लोगोंमें आतंक छा गया। चिमूरकाण्डके विरोधमें गान्धीजीके मेवाग्राम (वर्धा) के प्रोफेसर भंसालीने ६३ दिन तक अनशन किया। वह काण्डकी जाँचकी माँग कर रहे थे, पर वाइसरायकी काँसिलके सदस्य माधव श्रीहरि अणेतकने उनकी सहायता करनेसे इनकार कर दिया।

‘समाज’ में प्रकाशित एक लेखमें बलजीत सिंहने पुलिसके अत्याचारोंका वर्णन करते हुए लिखा—“तपती धूपमें खड़ा कर लोगोंपर गोली चला देना, उन्हें नंगाकर पेड़ोंसे उलटा टाँग देना और तब कोड़े मारना, औरतोंको नंगाकर मारना, उनके गुतांगोंमें मिर्च पीसकर भर देना, लोगोंको ऐसे कमरोंमें बन्द कर देना जहाँ मिर्चकी धूनी दी जा रही हो, लोगोंको नंगा कर पेटके बल घसितनेको बाध्य करना और ऐसे ही दूसरे तरीके पुलिसने जनतामें आतंक जमानेके लिए इस्तेमाल किये। पिताकी मौजूदगीमें पुत्रियोंके साथ बलात्कार किया गया। आम सड़कों और खुले स्थानोंमें औरतोंको नंगा करके बसीटा गया और दूसरी तरहसे अपमानित किया गया। पुलिसने यन्त्रणा देनेका एक नया ढंग निकाला। लोगोंको पैर पसार कर बैठवाया जाता, दो आदमी उनके हाथ पकड़ लेते, तीसरा आदमी अपना सिर उनके पेटमें दबाता, जिससे उन लोगोंके गुतांगोंसे खूनका फव्वारा छूट पड़ता, वे या तो वहीं मर जाते या जीवन भरके लिए बेकार हो जाते।”

पंजाबके प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता शार्दूल सिंह कवीश्वरने एक पुस्तिका में लाहौरके किल्लेमें राजनीतिक बन्दिनोंपर पुलिसके अत्याचारोंका वर्णन किया है। इस पुस्तिकामें उन कैदियोंके वयान हैं, जिनके साथ बर्बर व्यवहार किये गये। ये वयान अन्य जेलोंमें भी हुए अत्याचारोंके प्रतीक हैं। वास्तवमें कहीं-कहीं तो अत्याचार वहाँसे भी अधिक नृशंस हुए। इन वयानोंमेंसे कुछ यहाँ उदाहरणके लिए दे देना अनुपयुक्त न होगा।

सुभाषचन्द्र बसुके भतीजे द्विजेन्द्रनाथ बसुका वयान—“खुफिया पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल मिस्टर वेस मर्डके अन्तिम सताह, एक दिन मुझसे तपतीशके वक्त बोले कि ‘अगर तुमने सब कुछ न बता दिया तो तुम्हें गोली मार दी जायगी।’ इसके बाद

१. गोविन्दसहाय, वही पुस्तक, पृष्ठ १६१

२. दि लाहौर फोर्ट टार्चर कैम्प

मुझे तनहाईं सेलमें ले जाया गया। मैं फिर सरदार बहादुर सम्पूर्ण सिंहके सामने पेश किया गया, जिन्होंने मुझसे कहा कि डी. आई. जी. ने मेरे और पीटे जाने तथा मेरे सेलमें कच्चा कोयला जलानेका हुक्म दिया है। वं मुझे जूतों और घुँसोंसे पीटने लगे और रातमें देरतक मुझे जबरदस्ती जगाये रहे। फिर मैं सेलमें ले जाया गया जहाँ कच्चा कोयला जल रहा था, मैं आध घण्टे बाद बेहोश हो गया। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे फिर बुलाकर धमकी दी कि “तुम्हें नगा कर एन थॉम तुम्हारे गुतागममें ठूस दिया जायगा या सरदार निरजन सिंह तालियकी तरह यातना दी जायगी।”

सुभाष वसुके साथी सरदार निरजनसिंह तालियका बयान—“एक सत्र इस्पेक्टरने मुझे जमीनपर गिरा दिया, मेरा मुँह जमीनसे लट गया। मेरे कपड़े उतारकर उसने मुझे जूतोंमें बुरी तरह मारा। फिर वह मेरी जाँघोंपर पेट गया और मेरे सीनेपर इतनी चोटें की कि मैं बेहोश हो गया। इसके बाद प्रतिदिन मुझे इसी तरह मारा जाता। दिन रात मुझे जगाये रखा जाता। मुझे बैठने नहीं दिया जाता। अगर मैं ऊँघने लगता तो मेरी दाढ़ी नोची जाती। मैंने आत्मघात करनेका पंखला कर लिया और एक दिन दपतरकी सबसे ऊँची सीढीमें कूद पड़ा। पर मैं मरनेसे बच गया।”

प्रोफेसर हेरल्ड लार्कीको सोशलिस्ट नेता राममनोहर लोहियाने एक पत्रमें लिखा—  
“चार महीनेतक मुझे एक न एक यातना दी जाती रही। मुझे दिन रात जगाये रखा जाता—एक बार तो दस दिनतक बराबर जगाये रखा गया। पुलिस मुझे बराबर खड़ा रखती और जब जब मेने इसका विरोध किया तब तब पुलिसने मुझे हथकड़ीमें जकड़े हाथोंके बल परापर घसीटा।”

सोशलिस्ट नेता जयप्रकाशनारायण—“मुझे परेशान करनेकी यन्त्रणा सीमातक जा पहुँची जब मुझे बराबर जगाये रखा जाता। सपनेमें आधी राततक मुझे बराबर दफ्तरमें रखा जाता, उसके बाद घण्टे भरके लिए सेलमें भेज दिया जाता, फिर घण्टे दो घण्टेके लिए दफ्तरमें रखा जाता, फिर घण्टे भरके लिए सेलमें भेज दिया जाता, फिर बुला लिया जाता, ऐसे ही सवेरा हो जाता।”

रामानन्द मिश्र—“मुझे २० बार मार पड़ी। मुझे थप्पड़, घुँसे, ठोकर, तमाचे मारे जाते, मेरे बाल नोचे जाते। ११ मार्च १९४३ को मुझे इतना मारा गया कि मैं अचेत हो गया और कह नहीं सकता कि उसके बाद भी मार पड़ती रही कि नहीं।”

बम्बईमें—“पुलिसने लोगोंको बेरहमीसे ठोका और सूचना मिली कि दो व्यक्ति मारके बाद रूनकी कै बरने लगे और मर गये। दो दिनकी नृशस टुनाईके बाद एक व्यक्ति जब तीसरे दिन छूटा तो उसने आत्महत्या कर ली। नारतूनोंमें पिने सुभोने, कई-कई दिन लगातार बेरहमीसे मारपीट करने, पैरोंसे उलटा लटकाकर झुलाने और फिर सिरके बल ही पटक देने, बर्फी तिलोंपर लियाने और इसी तरहकी और निर्दय घटनाओंकी भी सूचनाएँ मिली।” एक अध्यापकको मोटर बससे घसीट लिया गया और मार मारकर नीला कर दिया गया क्योंकि उसने कांग्रेसके नारे लगाये थे। बेदकी हातमें एक लड़केके चार दाँत तोड़ डाले गये क्योंकि “उसने परार लोगोंका पना नहीं बताया।”

कांग्रेसके अनुमानके अनुसार “पुलिसकी गोली, बम और मारसे १५००० से कम व्यक्ति नहीं मारे गये। जो घायल हुए वे असह्य थे।” लेकिन भारत सरकारके अनुसार

९४० मारे गये; १६३० घायल हुए; ५३८ वार गोली चलायी गयी; ६०२२९ व्यक्ति गिरफ्तार हुए; ६० वार फौज बुलायी गयी; पटना, भागलपुर, नदिया, मुँगेर, तालचेरा और तमलुकमें ६ वार हवाई जहाजोंसे बम बरसाये गये; ३१८ रेलवे स्टेशन जलाये गये; १२००० जगहोंपर टेलीफोन व टेलीग्राफके तार काटे गये; ९४५ डाकखाने लूटे या जलाये गये; ५९ रेलगाड़ियों पटरिसे उतारी गयीं; १८ लाख रुपयेके रेलगाड़ियोंके उर्वों व इंजनोंकी क्षति हुई; ९ लाख रुपयोंकी ट्रकोंकी क्षति पहुँचायी गयी, रेलवे स्टेशनोंके नष्ट होनेसे ८१ लाख रुपयोंकी क्षति हुई, २ लाख रुपयोंकी नगदी या कीमती चीजोंका नुकसान हुआ और ६१ लाख रुपयोंके दूसरे सामानोंका नुकसान हुआ ।

पुलिस और फौजके हमलों और अत्याचारोंसे जनताका कितना नुकसान हुआ उसका अनुमान कभी किसीने नहीं लगाया ।

यह शुरूके हफ्तोंमें हुआ । उसके बाद आन्दोलनने गुप्त रूप धारण कर लिया और गुप्त उपायोंसे उसे जीवित रखा गया । राजनीतिक कार्यकर्त्ता छिप गये और पुलिसको चकमा देने लगे । वे नाम और वेशभूषा बदलकर फिर विद्रोहकी तैयारी करने लगे । कांग्रेसके मध्यम दर्जेके नेता—अधिकांशतः सोशलिस्ट और वे जिन्हें अहिंसामें विश्वास नहीं था, हथियार इकट्ठा करने और बमवारूदका उपयोग सीखने लगे । एक वार यह योजना बनायी गयी कि रेलके इंजनोंके कोयलेमें वारूद रख दी जाय जिससे इंजनोंमें विस्फोट हो जायगा । अगस्त विद्रोहमें सरकारकी मँहगी खुफिया पुलिस सोती रह गयी । उसे पता ही न चल सका कि ९ अगस्तको नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद आन्दोलन जगह-जगह संघटित कैसे हुआ । लेकिन दूसरे विद्रोहकी तैयारीके समय खुफिया पुलिस सचेत हो चुकी थी और बहुतसे नये लोग उसमें भरती हो चुके थे । बहुतसे भेदिये गुप्त आन्दोलनकारियोंके गुप्त अड्डोंमें घुस आये और उनमेंसे एकने गुप्त वारूद गोदागकी सूचना देकर सरकारका बहुत भला किया । गोदागपर पुलिसने छापा मारा और इंजनोंके कोयलेमें वारूद मिलानेकी योजना नाकामयाब हो गयी । यह एक उदाहरणमात्र है ।

अक्सर, फरार लोगोंका पता लग जाने पर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करती । इससे पुलिसको उन लोगोंको भी गिरफ्तार करनेका मौका मिल जाता जो इन फरार लोगोंको शरण देते थे । जब ये लोग गिरफ्तार होते तो दो-दो महीनेतक जाँच, तफतीश और सवाल पूछनेके लिए पुलिस थानोंकी हवालातोंमें रखे जाते जहाँ हवा और रोशनीका भी इन्तजाम न होता था । ये हवालातें यन्त्रणाग्रह होती थीं जहाँ राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंको मारपीट कर और भूखे रखकर उनसे उनके साथियोंका पता और उनके खुदके कामोंका व्योरा पूछा जाता था । इस पुस्तकका लेखक स्वयं हवालातकी यन्त्रणाका शिकार हुआ । एक महीनेतक उसे तीन आने रोज खानेके लिए मिलते रहे जो मजदूरोंके खानेकी दृकानसे एक वक्तके भोजनके लिए भी काफी न होते थे । वह इस तरह भूखा ही नहीं रखा गया; उसे एक हवालातसे दूसरी हवालातमें भेजा जाता रहा । जिस आखिरी हवालातमें उसने दो हफ्ते गुजारे उसमें पेशाबकी तीव्र दुर्गन्ध आती थी । हवालातें कभी साफ नहीं की जातीं । वहाँ वे लोग अधिकसे अधिक २४ घण्टेके लिए रखे जाते हैं जिनपर मुकदमें चलते होते हैं । ये लोग वहीं फर्शपर पेशाब कर देते और उसकी सफाई कभी नहीं होती । यहीं लेखकको खुफिया पुलिसके एक अफसरने इतने जोरसे तमाचा मारा कि कई मिनटतक उसकी आँखोंके सामने अंधेरा

छाया रहा। लेखकके एक साथी कार्यकर्ताको हवालातमें ही इतना मारा गया कि जब लेखक उनसे मिलने गया तो उनका अग अग दर्द कर रहा था। यह हवालातमें होनेवाले पुलिस व्यवहारका एक उदाहरण है।

कुछ मामलोंमें, परार लोगोंके बूढ़े पिता और सम्बन्धी गिरफ्तार कर लिये गये या परेशान किये गये ताकि पुलिसको परार लोगोंका पता लग जाय।

लेकिन विद्रोहकी दूसरी चिनगारी भटनानेमालोंको जनतामें पहले जैसा उत्साह पैदा करनेमें सफलता नहीं मिली। इसका एक कारण उनके गोपनीय ढग थे और दूसरा था पुलिसका सजग रहना। लेकिन तो भी, इधर उधर छिटफुट घटनाएँ होती रहीं, जिनके कारण अधिकारियोंको चेन नहीं मिला। विद्रोहके इस दूसरे दौरका एक रूप अहिंसात्मक भी था। कांग्रेसके पुराने ढगके जुद्ध निकाले जाते और प्रदर्शन किये जाते, जिन्हें पुलिस लाठी गोलीसे तितर बितर करती। लेकिन अब जनतामें पुलिसका पुराना आतंक नहीं रहा और जुद्धोंमें जो दिलेर होते वे उन्हें खुले आम गालियाँ देते थे। लगता था कि कांग्रेसका पूर्ण दमन हो चुका था; कांग्रेस दफ्तरो और कागजपत्रोंपर पुलिसका कब्जा था; तिरगा कहीं दिखाई भी नहीं पडता था—स्वतन्त्रता दिवसको भी नहीं। गान्धीजीके आर्थिक दर्शनके प्रतीक खहर भण्डार या तो खुद गान्धीजीके आदेशानुसार बन्द कर दिये गये थे या पुलिसने उनपर कब्जा जमा लिया था। इसी तरहसे, गान्धीजीके कहनेपर, संसदके गलाघाँटू आदेशोका पालन करनेकी जगह १६ राष्ट्रीय समाचारपत्रोंका प्रकाशन बन्द कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद उनमेंसे अधिकांश फिर प्रकाशित होने लगे। गान्धीजीने कहा था कि अगर अखबारोंपर सच्ची खबर छापनेपर पाबन्दी लगायी जाय तो हर व्यक्तिको खबर देनेमाला चलना फिरता अखबार बन जाना चाहिये।

कांग्रेसका अनुमान था कि “कमसे कम एक लाख व्यक्ति कैद किये गये। उनमेंसे कुछ नजरबन्दीकी थोड़ी सी अवधिके बाद छोड़ दिये गये, लेकिन शेष अनिश्चन कालके लिए बन्द रहे। गिरफ्तारियाँ पुलिसके लिए रूपया कमानेका ढग बन गयीं। निरीह व्यक्ति पकड़ लिये जाते और बड़ी रकमें बमूल करनेके बाद ही रिहा किये जाते।”

जिस तरह विद्रोहके विस्फोटने हिंसात्मक रूप ले लिया, वह गान्धीजीके अहिंसा सिद्धान्तके मिलजुल विपरीत था। अपनी गिरफ्तारोंके पाँच दिन बाद १४ अगस्त १९४२ को गान्धीजीने वाइसरायको लिखा कि जो हिंसा हो रही है, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने लिखा—“हिंसाकी बात तो किसी मजिलपर सोचीतक नहीं गयी। अहिंसात्मक कार-वारमें क्या क्या शामिल हो सकता है—उसकी परिभाषाही ऐसी चालाकी और कुटिलतासे न्यायका की गयी है कि उसका यह अर्थ ले लिया जाय कि कांग्रेस हिंसात्मक काररवाईकी तैयारी कर रही थी।” भारत सरकारके गृहसचिवको २३ सितम्बर को लिखे गये पत्रमें गान्धीजीने फिर कहा—“इसके विपरीत जो कुछ भी कहा गया है, उसके वापसूद मेरा दावा है कि कांग्रेसकी नीति अहिंसाकी है और इस बातमें कोई सशय नहीं है। कांग्रेस नेताओंकी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियोंसे जनता इतनी क्रोधित हो गयी लगती है कि वह अपना आत्मसन्तुलन खो बैठे। मेरी धारणा है कि जो विनाश हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं, सरकार जिम्मेदार है।” जब १९४२ में ये पत्र प्रकाशित हुए, लोग सोचने लगे कि सरकारने इन्हें समयसे प्रकाशित क्यों नहीं किया।

३१ दिसम्बर १९४२ को गान्धीजीने वाइसरायको एक पत्र और लिखा जिसमें उन्होंने १० फरवरी १९४३ से २१ दिनका उपवास करनेकी अपनी इच्छा प्रकट की। गान्धीजीने लिखा कि सरकारने कांग्रेस नेताओंकी अनावश्यक गिरफ्तारियोंसे लेकर निरन्तर दगनकी जो वाढ़-सी ला दी उससे उसने जनताका बहुत बड़ा अहित किया। गान्धीजीने कहा कि परीक्षाके ऐसे समयके लिए सत्याग्रहके नियमके अनुसार एक उपचार है और वह है 'उपवास द्वारा शरीरको सूलीपर नढ़ा देना।' गान्धीजीने अन्तमें लिखा कि लेकिन यदि सरकार मुझे मेरी गलती या गलतियों समझा दे और मुझे निश्वास दिया दे कि गलती मेरी ही थी तो मैं उपवास नहीं करूँगा और गलती दूर करनेका उपयुक्त प्रयास करूँगा। अपने जवाबमें वाइसरायने देशमें जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेसपर, और उसका क्रापी बड़ा भाग स्वयं गान्धीजीपर डाला। उन्होंने गान्धीजीसे उपवास न करनेके लिए कहा और लिखा कि अन्य कारणोंके अलावा उपवास एक तरहकी राजनीतिक भ्रमकी और जबर-दस्ती है। लेकिन गान्धीजीने कहा कि "मुझे जो वाइसरायसे नहीं मिला उस न्यायके लिए मेरा उपवास सर्वोच्च न्यायालयमें एक अपील है।" उच्चैजित भीड़की हिंसाका या उत्तरदायित्व वाइसरायने कांग्रेस और गान्धीजी पर डाला था, उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा— "आपने बिना मुकदमा नलाये और बिना उनका पक्ष सुने लोगोंको दण्ड दिया है। मेरे यह पूछनेमें क्या गलती है कि जिस अपराधमें आपने दण्ड दिया उसका सचूत मुझे दिखा-इये। आपने अपने पत्रमें जो लिखा है उससे दिलजमर्द नहीं होती। जो सचूत आपको देना है वह अंग्रेजी न्याय-शास्त्रके अनुकूल होना चाहिये। आप कहते हैं कि कांग्रेसके विरुद्ध अभियोग प्रकाशित करनेका समय अभी नहीं आया है। पर क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि किसी निष्पक्ष अदालतमें पेश होने पर आपके सचूत निराधार भी साबित हो सकते हैं।"

वाइसरायसे हुए पत्र-व्यवहारसे, उपवास करनेका गान्धीजीका निश्चय नहीं बदला और नियत दिन १० फरवरी सन् १९४३ को संघरे ९ बजेसे बम्बईमें आगा खोंके महालमें गान्धीजीने उपवास आरम्भ कर दिया। वह यहीं नजरबन्द थे। उनकी गिरफ्तारीके बाद उनके उपवासकी खबर उनके वारंमें पहली खबर थी जो जनताको मिली।

१३ फरवरीको, जब गान्धीजीका उपवास चल रहा था, कांग्रेसके अभ्यक्षने कार्य-समितिके सदस्योंकी रायके आधारपर अहमदनगर किल्लेसे जहाँ वे सब एक साथ नजरबन्द थे, वाइसरायको एक पत्र लिखा जिसमें इस आरोपका खण्डन किया गया था कि कांग्रेसने हिंसात्मक आन्दोलनका संघटन किया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस महासमितिके कभी ऐसे आन्दोलनके बारेमें सोचा भी नहीं। गान्धीजीके उपवासके शुरू होते ही सरकारने एक पुस्तिका—'उपद्रवोंके लिए कांग्रेसका उत्तरदायित्व' नामसे प्रकाशित की और उसका व्यापक वितरण किया। गान्धीजीके लेखोंसे गलत सन्दर्भमें उद्धरण छापकर यह समझानेकी कोशिश की गयी कि वे पस्ताहिम्मत और जापानके समर्थक हैं; उन्होंने और कांग्रेसने हिंसक कार्योंकी योजना बनायी या उन्हें नजरबन्दाज किया; गान्धीजी '४२ के उप-द्रवोंके लिए उत्तरदायी हैं। कुछ और भी छोटे-बोटे दोषारोप थे। गान्धीजीने इन आरोपोंका उत्तर विस्तृत रूपमें दिया। उन्होंने अपने साप्ताहिक 'हरिजन' से लम्बे-लम्बे अंश उद्धृत कर साबित किया कि सरकार जो साबित करनेकी कोशिश कर रही है, तथ्य उसके विल-

कुल उलटते हैं। गान्धीजीने कहा कि मेरे और मेरे सहयोगियोंने खिलाफ जो अभियोग लगाये गये हैं, वे या तो वापस लिये जायें या उन्हें किसी निष्पक्ष अदालतके सामने पेश कर दिया जाय।

जब विद्रोहकी शक्ति क्षीण हो गयी और भारत अंग्रेजों द्वारा पददलित हो असह्य पड़ गया, तब गान्धीजी फिर एक बार देशके ध्यानके केन्द्र बन गये। गान्धीजीके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जाननेके लिए सैद्धों लोग रेडियोके आसपास इकट्ठे हो जाते। २० फरवरीको डाक्टरोंने गान्धीजीने सम्बन्धमें विज्ञप्ति प्रकाशित की कि उनकी हालत अत्यधिक चिन्ताजनक हो गयी है। दूसरे दिन तीसरे पहर उनकी हालत और बिगड़ गयी और नाडो लगभग बन्द-सी हो गयी। उत्तेजित भीड़ सड़कोंपर टहल रही थी। पुलिसके जराभे उफसानेसे फिर एक बार अगस्तके दृश्य दिखाई पड़ने लगते। लेकिन सरकारने देशभरमें पूरी तैयारी कर रखी थी; वह जानती थी कि गान्धीजी किसी क्षण भी मर सकते हैं। एक अज्ञान स्वामोदी चारों तरफ छापी हुई थी, जिससे लगता था कि यह दुःखद घटना अनिवार्य है। वाइसरायकी कांसिलके तीन भारतीय सदस्यों—सर होमी मोदी, नल्लिनीरजन सरकार और माधव श्रीहरि अपने वाइसरायसे गान्धीजीकी रिहाईकी अमफल प्रार्थनाके बाद कांसिलसे इस्तीफा दे दिया था। चर्चिल इङ्गलैण्डके प्रधान मंत्री थे, वे, चाहे जो हो जाय, गान्धीजीकी रिहा करनेको तैयार नहीं थे। लेकिन, उपवासके १५ व दिन गान्धीजीका शरीर उपवासके अतुल्य प्रति-क्रिया करने लगा और उनके सक्कट पार कर जानेकी घोषणा कर दी गयी। ३ मार्चको नारगीका रस पीकर गान्धीजीने उपवास तोड़ा।

बड़े-बड़े डाक्टरोंने उपवास घातक बताया था। उपवास खत्म होने पर डाक्टर विधानचन्द्र रायने डाक्टरी दृष्टिकोणके सम्बन्धमें निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

“हमारी भविष्यवाणी ( कि गान्धीजीको बचाया नहीं जा सकता ) गलत साबित हुई। हमें औसतपर निर्भर रहना था और हम सिर्फ यह राय दे सकते थे कि इस हालतमें औसत व्यक्ति को क्या होगा। लेकिन गान्धीजी एक चमत्कार हैं, कभी कभी वे औषधि और शरीर विज्ञानको पवित्र और स्तम्भित कर देते हैं। शरीरपर मन्त्रिकका पूर्ण नियन्त्रण और जीवित रहनेका दृढ़ सक्कट—जिसके लिए उन्होंने हर क्षण मर्त्य क्रिया—इन दो बातोंसे ही वे सक्कट पार कर गये। उपवासके बीच एक बार यह सक्कट दुर्नियार मालूम पड़ता था।”

उपवासके कारण देशमें जो उत्तेजना दिखाई पड़ती थी, उपवासके सफल अन्तमें वह खत्म हो गयी। अगले १३ महोत्सवमें देशमें लगभग कोई भी राजनीतिक काररवाई नहीं हुई। ५ मई १९४४ को शामको बम्बई पुलिसके इन्स्पेक्टर-जनरल आगा खाँ पैलेसके नजरबन्दी कैम्पमें पहुँचे और गान्धीजीने ( जिनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं था ) कहा कि कल सबेरे आप अपने दलके साथ मुक्त कर दिये जायेंगे। “क्या आप मजाक कर रहे हैं ?” गान्धीजीने पूछा। “नहीं, मैं गम्भीर बात कह रहा हूँ।” इन्स्पेक्टर जनरलने जवाब दिया और कहा—“आप यदि चाहे तो स्वास्थ्य सुधारके लिए यहाँ कुछ दिन और रह सकते हैं। कल सबेरे ८ बजे पहरा उठा लिया जायगा और तब आपके मित्र आपसे मिलने आ सकेंगे या आप अपने मित्रोंके यहाँ पूना या बम्बई कहीं भी जा सकेंगे। निजी तौरपर

में आपको यहाँ रहनेकी सलाह नहीं दूँगा। यह फौजी क्षेत्र है और जब आपके दर्शन आदिके लिए भीड़ इकट्ठी होने लगेगी तब कोई झगड़ा भी हो सकता है, जिसे आप पसन्द नहीं करेंगे।” रिहाईसे पहले गान्धीजीको छोड़कर उनके दलके हर सदस्यको नोटिस दी गयी कि नजरबन्दीकी अवधिमें आगा खाँ महलमें जो कुछ हुआ उसे आप किसीको नहीं बतायेंगे। दलके लोग ऐसा वादा करनेमें हिचकिचाये, पर गान्धीजीके कहने पर वे मान गये और वादा कर दिया। गान्धीजीका दल नजरबन्दीसे लौट आया। पर गान्धीजीके दो प्रिय संगी नहीं लौटे। वे थे उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई जिनकी मृत्यु १५ अगस्त १९४२ को हृदयकी गति बन्द हो जानेसे हो गयी थी और गान्धीजीकी पत्नी कस्तूर बा जिनकी मृत्यु २४ फरवरी १९४४ को हुई थी। गान्धीजीको मलेरियाने जकड़ लिया था और बादमें पता चला कि वे कृमिरोगसे भी काफी दिनोंसे पीड़ित थे। जब सरकारके डाक्टरकी सलाहकारने बताया कि गान्धीजीको नजरबन्द रखना खतरेसे खाली नहीं है, तब उन्हें छोड़ दिया गया। इसीलिए गान्धीजी रिहाईसे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा—“मैं लज्जित हूँ। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिये था। मैंने स्वस्थ रहनेकी कोशिश भी की, पर अन्तमें हार गया।” यह प्रश्न उठा कि क्या गान्धीजी फिर सार्वजनिक आन्दोलन शुरू करेंगे। पर उनकी अचानक फिर गिरफ्तारीके कारण यह सवाल ऐसे ही रह गया। गान्धीजीने कहा कि मुझे आन्दोलनका नेतृत्व करनेका जो अधिकार मिला था, वह मेरी गिरफ्तारीके कारण खत्म हो गया। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदल गयी थी और १९४२ की कांग्रेसकी माँग उसी तरह दोहरायी नहीं जा सकती थी। गान्धीजीने कहा—“आजकी परिस्थितिमें मैं गैरफौजी मागलों-पर पूर्ण नियंत्रणका अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय सरकारसे ही संतुष्ट हो जाऊँगा। सरकार बनानेवाले व्यक्ति केन्द्रीय विधानसभाके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायँ। आजकी परिस्थितिमें ऐसी सरकारका निर्माण स्वतन्त्रताकी घोषणाके समान ही होगा। इंग्लैण्डके शाहकी तरह वाइसराय उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलके अध्यक्ष रहेंगे। हर प्रान्तमें जनप्रिय सरकार बनेगी। रक्षा विभाग रहेगा तो राष्ट्रीय सरकारके अधीन, पर वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ सारं फौजी कामकाजकी देखभाल करेंगे। वाइसरायने यह मुझाव अस्वीकार कर दिया।

१७ जूनको गान्धीजीने कांग्रेस कार्य-समिति और आवश्यकता हुई तो स्वयं वाइसरायसे मिलनेकी अनुमति माँगी, जो नहीं मिली। एक वर्ष और गुजरा, पर जून १९४५ तक देशके राजनीतिक गत्यवरोधका कोई हल नहीं निकला।

इसी बीच, बंगालमें ऐसा भयंकर अकाल पड़ा जैसा लोंगोंकी याददाश्तमें कभी नहीं पड़ा था। हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भूखसे मरते और सड़कोंपर लाशें इकट्ठी होतीं। सरकारके अनुसार अकालमें १५ लाख व्यक्ति मरे, पर कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्राच्य गानव-विज्ञान विभागने अकालग्रस्त गाँवोंमें जाँच करके जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ३४ लाख व्यक्ति अकालके कारण मर गये। कुछ अन्य अनुमानोंके अनुसार मृत व्यक्तियोंकी संख्या और भी ज्यादा थी। लड़ाईके क्षेत्रोंमें बड़ी मात्रामें चावल भेजा गया था और मुनाफाखारोंने इस जवन्म पापमें १५० करोड़ रुपयेका मुनाफा कमाया

## अध्याय ३०

### आजाद हिन्द फौज

पहले महायुद्धकी तरह दूसरे महायुद्धके भी आरम्भसे ही सुदूर पूर्वके विभिन्न देशोंमें वैसे भारतीयोंने ब्रिटिश विरोधी कार्योंके लिए सघटन शुरू किया। ऐसे प्रमुख भारतीयोंका एक सम्मेलन टोकियोमें हुआ। यह तय हुआ कि भारतकी आजादीका जोरदार प्रचार थाइलैण्ड, मलाया और बर्मामें किया जाय। बर्मा और मलाया स्थित भारतीय पौजियोंमें ब्रिटिश-विरोधी साहित्य गुप्त रूपमें भेजा गया और उनसे विद्रोह कर देनेकी अपील की गयी। ऐसे कामोंमें प्रचीण लोग वहाँ स्थित पौजोंमें चुपचाप भरती भी करा दिये गये; उनमेंसे कुछ पकड़े गये और उन्हें लम्बी लम्बी कैदकी सजाएँ मिली। शापाईंमें उम्मान खाने एक गदर पार्टी स्थापित की और थोड़े समयमें सुदूर पूर्वमें काम करनेवाली ऐसी सभी सस्थाओंमें आपसी सम्पर्क स्थापित हो गया। मलाया, बर्मा व थाइलैण्डके भारतीय राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंमें अधिकांशतः सिरत थे और उनमें सबसे अधिक उस्ताही कार्यकर्त्ता थे ज्ञानी प्रीतम सिंह।

सुदूर पूर्वके इन क्रान्तिकारियोंमें सबसे प्रमुख रासबिहारी बसु थे जो सन् १९१५ में जापान निकल भागे और शादी कर वहीं बस गये थे। युद्धने उन्हें पूर्वके देशोंमें भारतीयोंको अग्नेजोंपर आक्रमणके लिए सघटित करनेका एक बढ़िया अवसर प्रदान किया। जिस दिन जापानने ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की, उसी दिन टोकियोमें रहनेवाले भारतीयोंने एक सभा कर वसुकी अध्यक्षतामें एक समिति बनायी, जिसका काम भारतकी स्वाधीनताके लिए काम करना था। भारतीय जेलोंमें २२ वर्षकी कैद काटनेवाले पुराने क्रान्तिकारी अमरसिंहने दिसम्बर १९४१ में बकाकामे स्वाधीनता लीगकी स्थापना की। स्वामी सत्यानन्द पुरीने थाइलैण्डमें जो थाइ भारत सङ्घटित लीग बनायी थी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें परिवर्तित हो गयी। ये भारतीय भारतकी आजादीके लिए जापानके सहयोगसे लड़नेवाले थे, जिसने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारतमें अपना राज्य कायम करनेका उस्ताका कोई इरादा नहीं है। जब जापानी सेना मलायामें बढ़ रही थी प्रीतमसिंह उसके साथ गये। उनका एक उद्देश्य यह था कि भारतीय सिपाहियोंसे अग्नेजोंकी ओरसे न लड़नेकी अपील करें, और उनका दूसरा उद्देश्य था कि घायल भारतीयोंकी चिकित्साका प्रबंध किया जाय।

मलायामें जापानी सेना बड़ी तेजीसे आगे बढ़ी और सिगापुरके पतनने अग्नेजोंका साहस भंग कर दिया। अग्नेजी व भारतीय पौजोंके सिगापुर स्थित सेनापति लेफ्टिनेण्ट कर्नल हण्टने जैसे ही अपनी पौजे जापानी प्रतिनिधि मेजर फूजीबाराको सौंपी, उन्होंने भारतीय पौजकी भाषणमें बताया कि जापानने ब्रिटेनके खिलाफ युद्धकी घोषणा की है, भारतके खिलाफ नहीं और यहाँ मौजूद भारतीय पौजी युद्ध बन्दी नहीं हैं। १४ वीं पञ्चाव रेजिमेण्टके फतान मोहनसिंह भारतीय पौजियोंके सबसे पुराने अफसर थे और उस वक्त ज्वाइंटमें स्थित थे। प्रीतमसिंह उनसे मिले और वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमें शामिल होनेको तैयार हो गये।



मोहनसिंहने भारतीय फौजके समक्ष भाषण करते हुए कहा—‘पूर्वमें अंग्रेजी अत्याचार अब अधिक समय नहीं चलनेवाला और उनका बदनाम राज शीघ्र ही खत्म होगा। जापानी फौजने उन्हें मलाया और सिंगापुरसे खदेड़ दिया है और वे वर्मासे भी भाग रहे हैं। हिन्दुस्तान आजादीके दरवाजेपर खड़ा है और यह हर भारतीयका कर्त्तव्य है कि वह इन राक्षसोंको मार भगानेमें मदद दे, जो इतने दर्जनों सालोंसे हमारा खून चूस रहे हैं। आजादीके हमारे सपने पूरे करनेमें जापानियोंने हमें पूरी मददका भरोसा दिलाया है और अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम ४० करोड़ देशवासी नरनारियोंकी स्वतन्त्रताके लिए संघटित हों।’

इसके शीघ्र बाद मलाया स्थित गैरफौजी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंने सिंगापुरमें एक बैठक कर भारतीय स्वाधीनता लीग बनायी। लीगने आजाद हिन्द फौजकी स्थापना करनेका निर्णय किया और इसके लिए जून १९४२ में बंकाकमें सुदूरपूर्वके सभी भारतीयोंका एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलनके अध्यक्ष रासबिहारी वसु हुए और इसमें ११० प्रतिनिधियोंने भाग लिया। “यह सम्मेलन केवल भारतीयोंका था और इसमें जापानियोंका कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं था। सभी वक्ताओंने जापानके संशयात्मक उद्देश्योंका खुलकर जिक्र किया। उनमेंसे कईने जापानी साम्राज्यवादकी कट्टनम आलोचना की।” भारतीय स्वाधीनता लीगकी संघर्ष समितिके नियन्त्रणमें उद्दालक गैनिकांकी फौज बनानेका निश्चय इस सम्मेलनमें हुआ। यह फौज भारतमें विदेशियोंके खिलाफ संघर्ष करनेके लिए बनी। मोहनसिंह इंग फौजके जनरल अफसर कमाण्डिंग बने और उन्होंने अपना सदर दफ्तर माउण्ट प्लेजेंट (सिंगापुर) में बनाया। माउण्ट प्लेजेंटमें अंग्रेजोंने कभी किसी भारतीय या एशियाईको टहलने भी नहीं दिया था। आजाद हिन्द फौजमें लगभग २०००० लोग भरती हुए। सुदूर पूर्वके भारतीय समाजमें आजादीकी लड़ाईमें योग देनेके लिए उत्साह भर गया था। लेकिन जब आजाद हिन्द फौजने ब्रिटिश भारतपर हमलेकी तैयारी शुरू की, जापानियोंने उसमें हस्तक्षेप कर उसका प्रबन्ध अपने हाथमें लेनेकी कोशिश की, जिसके लिए भारतीय राजी नहीं थे। आजाद हिन्द फौजके अफसरोंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जापानी फौजियोंकी किसी भी मददके बिना आजाद हिन्द फौज भारत भूमिमें तुसेगी। इन अफसरोंको आशंका हो उठी कि जापान भारतीयोंका, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यको पूरा करनेके लिए, उपयोग करना चाहता है। जब मोहनसिंहने जापानी अधिकारियोंसे कहा कि जो भारतीय एण्टी एयर क्रेफ्ट कम्पनियोंके उपयोगमें आ रही हैं, वे मेरे सिपुर्द की जायें, तब जापानियोंने साफ इनकार कर दिया। संघर्ष समितिको सूचनाएँ मिल रही थीं कि जापानी भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आजाद हिन्द फौज तथा जापानी अफसरोंके बीच विचार-विमर्शके लिए एक बैठक बुलायी गयी जिसमें एक जापानी मेजर-जनरलने बड़े घमण्ड और क्रोधसे भारतीय प्रतिनिधियोंसे बात की। इसपर मोहनसिंहने आजाद हिन्द फौज भंग कर देनेका फैसला किया, पर रासबिहारी वसुने इस फैसलेका विरोध करते हुए कहा कि मोहनसिंहको ऐसा करनेका अधिकार ही नहीं है। मतभेद इस सीमातक बढ़ा कि भारतीय स्वाधीनता लीगके अध्यक्षकी दृष्टियतसे रासबिहारी वसुने मोहनसिंहको गिरफ्तार करनेका हुक्म दे दिया। गिरफ्तारी हो भी गयी। वसु जापानसे लड़ लेनेके पक्षमें नहीं थे। उनका तर्क था—“हमारे पास न धन है, न अस्त्र है, न सिपाही हैं, पर हम आजादीके लिए

लड़ना चाहते हैं। हमें जापानियोंसे मदद लेनी है; पर साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि सिर्फ हमारे मालिक बदल जायें और ब्रिटेनकी जगह जापानका राज हो जाय। मैं नहीं चाहता कि जापानी भारत भूमिपर पैर भी रखे। लेकिन यहाँ हजारों मील दूर बसे ३० लाख भारतीयोंको जापानी मददके बिना सपटित करना असंभव है; जापानी सहायता बिना हम इन भारतीयोंको पहुँच भी नहीं सकते और न उन्हें एक सूत्रमें बाँधकर एक उद्देश्यके लिए खड़ा ही कर सकते हैं। जापान अपने युद्धमें व्यस्त है। हमें जापानसे जितनी मदद मिल सके, मैत्री भावसे लेनी चाहिये, लड़कर नहीं।”

बसु और मोहनसिंहके मतभेदके बाद आजाद हिन्द फौज भंग ही ही थी। पर लेफ्टिनेण्ट कर्नल भोंसले, लेफ्टिनेण्ट कर्नल शाहनवाज व मेजर प्रेम सहगलने उसका पुनर्स्थापन किया। भारतीय स्वाधीनता लीगके १२ विभाग सपटित किये गये, इनमें सबसे प्रमुख फौजी भरती करनेवाला विभाग था।

मई १९४३ के आरम्भमें सुभाषचन्द्र बसु एक जर्मन पनडुब्बीमें पेनाग आये और वहाँसे जापान सरकारसे भारतीय राजनीतिक मसलोंपर बात करने विमान द्वारा टोकियो गये। सुदूर पूर्वके भारतीयोंके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन लगभग उसी समय सिंगापुरमें हुआ जिसमें रासबिहारी बसुने घोषणा की कि अबसे मेरी जगह भारतीय आन्दोलनका नेतृत्व सुभाषचन्द्र बसु करेंगे। सुभाषचन्द्र बसुने टोकियो रेडियोसे अपना सबसे पहला भाषण २६ जून, १९४३ को किया जिसमें उन्होंने पूर्वके भारतीयोंके सन्देह मिटाकर अपनेमें निष्ठा रखनेको कहा। “उन्होंने कहा कि अगर आप मुझमें विश्वास रखें तो मैं आपको स्वाधीनताके लक्ष्यतक पहुँचाऊँगा” उनके अनुयायियोंने उन्हें ‘नेताजी’ कहना शुरू किया और सुभाष बसुने आजाद हिन्द फौजके सर्वोच्च सेनापतिकी हैसियतसे अपना सदर दफ्तर सिंगापुरमें कायम किया। नहीं नेताजीको सलामी देनेके लिए २०००० भारतीयोंकी परेड हुई, जिसमें जापानी प्रधान मन्त्री तोजो भी अतिथिके रूपमें आमन्त्रित थे।

- आजाद हिन्द फौजको नेताजीने सन्देश दिया—माथियो ! मेरे सिपाहियो ! आपका नारा है—‘दिल्ली चलो’। आजादीकी लड़ाईमें, आपमेंसे कितने बचेंगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अन्तमें विजय हमारी होगी, हमारा काम तबतक खत्म नहीं होगा, जबतक हमारे जवान दिल्लीके ऐतिहासिक लाल किल्लेमें विजय परेड नहीं करते। अभी मैं भूख, प्यास, थक, लम्बी कठिन यात्रा और मृत्युके सिवा और किसी चीजका आश्वासन नहीं दे सकता।

“आजाद हिन्द फौज भारतकी राष्ट्रीय फौज है और यह पूरी तरह भारतीयोंके नियन्त्रणमें रहेगी। हम उसमें जापानियोंको नहीं आने देंगे। अगर हमारी इच्छाके विरुद्ध जापानी भारत जाते हैं तो हम उन्हें अपना दुश्मन मानेंगे।”

बसु कलकत्तेके अपने मजानसे मौलवीके वेशमें चुपचाप निकल आये थे और भगत-राम नामक एक व्यक्तिके साथ पेशावरमें कालुल आ गये थे। वहाँ एक सरायमें वह जियानुद्दीनके नामसे रहे और उसके बाद उत्तमचन्द्र नामक एक भारतीय व्यापारीके साथ रहे। बसु मास्को जाना चाहते थे पर वहाँके रूसी राजदूतसे कोई सहायता न पाने पर इटलीके राजदूतसे उन्होंने मदद माँगी, जिसने उन्हें रोम भेज दिया। रोमसे वे बरलिन गये। साल-

भर बाद बसुके भगानेमें उत्तमचन्द्रकी मददका पता सरकारको लगा और अफगानिस्तानकी सरकारने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियोंको दे दिया और वे रावलपिण्टी जेलमें रखे गये ।

सुदूरपूर्व पहुँचनेके शीघ्र बाद बसुने व्यापक प्रचार शुरू किया । उन्होंने लगभग एक दर्जन सार्वजनिक भाषणोंमें वहाँके भारतीयोंसे आजादीकी इस लड़ाईमें भाग लेनेकी अपील की । सिंगापुरकी एक सार्वजनिक सभामें स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाकी घोषणा की गयी और बसु व अन्य मन्त्रियोंने इस सरकारके प्रति निष्ठाकी शपथ ली । इस सभामें ७००० भारतीय मौजूद थे ।

दूसरे दिन ५०००० नागरिकोंका प्रदर्शन हुआ, जिसमें इस सरकारने हंगलैण्ड और अमेरिकाके खिलाफ सुद्धकी घोषणा की । १९४४ के आरम्भमें भारतपर आक्रमणके लिए आजाद हिन्द फौजने अपने प्रबन्ध पूरे कर लिये । फौजके समक्ष भाषण करते हुए बसुने कहा— “भारतके सिपाहियों ! वहाँ दूरपर, नदियों और जंगलों और पहाड़ोंके पार हमारा देश है— जहाँकी मिट्टीसे हम सब बने हैं, जहाँ हम अब जा रहे हैं । सुनो ! हिन्दुस्तान पुकार रहा है ! हिन्दुस्तानकी राजधानी, दिल्ली तुम्हें पुकार रही है ! हमारे ३८ करोड़ देशवासी पुकार रहे हैं ! खून खूनकी पुकार रहा है ! उठो ! अब खोनेके लिए समय नहीं है ! हथियार उठाओ ! दिल्लीका रास्ता आजादीका रास्ता है । दिल्ली चलो !”

जनवरीके अन्ततक, आजाद हिन्द फौजकी कुछ टुकड़ियाँ लेफ्टिनेण्ट कर्नल लक्ष्मण स्वरूप मिश्रकी कमानमें आराकान मोर्चेकी ओर बढ़ चुकी थी और अंग्रेजोंकी अधिक सशक्त फौजसे जूझ रही थी । दोनों ओरके सिपाहियोंमें कई टक्करें हुईं और घमासान युद्धके बाद आजाद हिन्द फौजको शुरूमें कई सफलताएँ भी मिली । अंग्रेजोंसे लड़ने गये स्थानोंमें गमारयो भी था जहाँ स्वतन्त्र भारत सरकारकी राजधानी बनायी गयी । लेकिन जब सुद्धकी स्थिति आजाद हिन्द फौजके पक्षमें थी, तभी घनघोर भानसून शुरू हो गया । सुद्ध रथमित-सा हो गया और इसी बीच अंग्रेजी फौजकी तुमक पहुँच गयी । अंग्रेजोंने विभिन्न पहाड़ियोंपर १२ बड़ी-बड़ी तोपें लगा दीं । आजाद हिन्द फौजके पास सिर्फ एक ही तोप थी । इस दूसरे मोर्चेमें आजाद हिन्द फौज हारी । बाढ़वाली नदियों और जंगलोंमें बहुत-से भारतीय खेत रहे ।

१८ अगस्त, १९४५ को विमान-दुर्घटनामें सुभाष बसुकी मृत्यु हो गयी । वे सिंगापुरसे टोकियो जा रहे थे । ताइ होकु ( ताइवान ) हवाई अड्डेसे हवाई जहाज उड़ा ही था कि मशीन विगड़ गयी । दो मिनटमें जहाज जमीन पर आ गिरा । पेट्रोलकी टँकियोंमें आग लग गयी । बसु लड़खड़ाते हुए जहाजसे निकले । उनके कपड़े जल रहे थे । उन्हें अस्पताल ले जाया गया । बुरी तरह जल जानेके कारण सात घण्टे बाद, रातके ९ बजे उनकी मृत्यु हो गयी ।

युद्धमें जापानकी पराजयके बाद आजाद हिन्द फौजके वे लगभग १०००० सिपाही जो पहले भारतीय फौजमें थे, भारत लिये गये और दिल्लीके लाल किले व अन्य जेलोंमें बन्द कर दिये गये । भारतीय समाचारपत्रोंने पहली बार अगस्त, १९४५ में आजाद हिन्द फौजका नाम छपा । २० अगस्तको जवाहरलाल नेहरूने भारत सरकारको सावधान किया कि आजाद हिन्द फौजके कैदियोंके साथ बुरे या प्रतिशोध भरे व्यवहारसे भारतके

करोड़ों नागरिकोंको गहरी चोट पहुँचेगी। देशभरमें असन्तोष था और स्थिति गम्भीर हो रही थी। २७ अगस्तको भारत सरकारने एक वक्तव्यमें कहा—“दुश्मनका साथ देना और अपने पुराने साथियोंके खिलाफ लडना सिपाहीके लिए सबसे बड़ा अपराध है। हर देशमें इसकी सजा मौत है... लेकिन भारत सरकारकी धारणा है कि जिन परिस्थितियोंमें भारतीय सैनिक पकड़े गये और वहाँ जिन स्थितियोंमें पड गये, उगका खयाल किया जाना चाहिये। .. उनके साथ दयाका व्यवहार होगा” लेकिन ऐसे लोगोंकी भी एक संख्या है जिनपर अभियोग है कि उन्होंने अपने पुराने साथियोंकी हत्या की, जिन्होंने मित्र राष्ट्रोंके सिपाहियोंको पकड़ा और लगता है कि जिनके नेताओंने ज्ञान वृक्षकर जापान व जर्मनीका साथ दिया। इन लोगोंका फौजी अदालतमें मुकदमा होगा।”

आजाद हिन्द फौजके तीन नेताओं—शाहनवाज खॉं, प्रेमसुमार सहगल व गुरवख्सा-सिंह दिल्लीनको ५ नवम्बर, १९४५ को ताल किलेमें एक विशेष फौजी अदालतके सामने पेश किया गया। कांग्रेस कार्यमितिने उनकी सफाई और बचावका प्रयत्न किया। इन लोगोंके खिलाफ भारतके समाजके विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अभियोग था। दिल्लीनपर हत्या और शेष दोनोंपर हत्यामें मदद देनेके अभियोग भी थे। इस मुकदमेमें देश भरकी दिलचस्पी हो गयी। इनके समाचार देशभरके अखबारोंमें माटे माटे अक्षरोंमें छपने लगे। जैसे जैसे मुकदमेकी सुनवाई आगे बढ़ी, जनताकी सहानुभूति इस बातसे और बढ़ती गयी कि इन लोगोंने हजारों अन्य लोगोंके साथ देश प्रेम्समें यह युद्ध किया था। आजाद हिन्द बन्दियोंकी सहानुभूतिमें बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए।

कांग्रेस कार्यमितिने जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेजबहादुर सप्रू, कैलाश-नाथ काटजू, बरही टेकचन्द्र, बन्नीदास, दिलीपसिंह, आसफअली आदिकी एक समिति मुकदमेकी तैयारी और पैरवीके लिए बनायी। भूलाभाई देसाईने मुकदमेकी अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर पहुँचा दिया और सबूत पत्रके तर्क तोड़ दिये। लेकिन विशेष अदालतने तीनों अभियुक्तोंको सम्राटके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके अभियोगमें दोषी पाया। शाहनवाज खॉंके खिलाफ हत्यामें सहायताका अभियोग भी सिद्ध पाया गया। अदालतने इन लोगोंके चेतन आदिवा बनाया जन्त कर लेने और हन्हे आजीवन काले पानीकी सजा दी। कमाण्डर-इन-चीफने दण्डको ठीक माना पर तत्कालीन परिस्थितियोंमें रखकर काले पानीकी सजा माफ कर दी। तीनों व्यक्ति छूट गये और देशमें तनावका जो वातावरण छा गया था, वह बहुत हदतक खत्म हो गया।

## अध्याय ३१

### कैबिनेट मिशन

( ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलका प्रतिनिधित्व )

८ अप्रैल, १९४४ को राजगोपालाचारीने जिनाके सामने भारतके विभाजनकी एक स्पष्ट योजना रखी । वास्तवमें वह योजना जिनाकी ही थी, पर राजगोपालाचारीके पेश करने पर जिनाने उसे अस्वीकार कर दिया । अगस्त, १९४२ में हिन्दू महासभाने एक विशेष समिति नियुक्त की थी, जिम्मा काम “राष्ट्रीय माँगके लिए देशकी विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टियोंमें जनमत बनानेके लिए बात करना” था । महासभाके जनरल सेक्रेटरी महेश्वरदयाल सेठने एक मित्रके द्वारा जिनासे सम्पर्क स्थापित किया और उनसे निर्गमलिखित प्रस्ताव प्राप्त किया—

“भारतीय हिन्दू महासभाको कार्यसमितिके ३० अगस्त, १९४२ के प्रस्तावमें वर्णित भारतीय स्वतन्त्रताको राष्ट्रीय माँगका मुस्लिम लीगके नेता समर्थन करते हैं और दूसरे राजनीतिक दलोंके साथ फॉरन आजादी हासिल करनेके लिए संघर्षमें हिस्सा लेनेको तैयार हैं, वशतें कि कुछ आम सिद्धान्तोंपर मुस्लिम लीगमें समझौता हो जाय । ऐसा समझौता हो जाने पर लीग प्रान्तोंमें संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनानेमें सहयोग देगी । जिन सिद्धान्तोंपर समझौता होना है वे हैं—(क) देशके उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिममें उन क्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित करनेके लिए, जहाँ मुसलमानोंका बहुमत है, एक कमीशन नियुक्त किया जायगा । (ख) इन दोनों क्षेत्रोंमें सार्वजनिक मतगणना होगी और यदि आवादी बहुमतसे एक पृथक् स्वाधीन राज्य स्थापित करनेके पक्षमें मत दे तो उनका पृथक् राज्य बना दिया जायगा, (ग) यदि पृथक् राज्य स्थापित हुआ तो हिन्दुस्तानके मुसलमान अल्पमत होनेके नाते किसी विशेष मुविधाकी माँग नहीं करेंगे । दो हिन्दुस्तानोंके धार्मिक अल्पसंख्यकोंकी सुरक्षाकी व्यवस्था दोनों सरकारें कर सकेंगी, (घ) पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तरके दोनों क्षेत्रोंको मिलानेके लिए कोई गलियारा नहीं होगा पर दोनों क्षेत्रोंका मिलकर एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज बनेगा, (ङ) जो आवादी पूर्ण स्वेच्छासे दूसरे राज्यमें जाना चाहेगी, उसे मुविधाएँ प्रदान करनेकी सरकारी व्यवस्था होगी ।

हिन्दू महासभाके सेक्रेटरीने दिसम्बर १९४२ में तेजवहादुर सप्रूके घरपर हुए सम्मेलन में यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया । इसकी एक प्रति राजगोपालाचारीको भी दी गयी जो वहाँ मौजूद थे । २१ दिनके उपवासके समय आगा खाँके महलमें राजगोपालाचारीने इस प्रस्ताव पर गान्धीजीकी स्वीकृति ले ली । ८ अप्रैल १९४७ को राजगोपालाचारीने इन्हीं मूल सिद्धान्तों पर आधारित, पर थोड़े-से बदले हुए रूपमें एक प्रस्ताव जिनाको दिया । प्रस्ताव इस प्रकार था—

(१) स्वतन्त्र भारतके विधानके सम्बन्धमें ये शर्तें पूरी होने पर मुस्लिम लीग भारतकी स्वाधीनताकी माँगको मानती है और अन्तरिम कालकी अस्थायी सरकार बनानेमें कांग्रेसको

सहयोग देगे; (२) मुद्रकी समाप्ति पर भारतके उत्तरपूर्व व उत्तरपश्चिमके उन जिलोंकी सीमा तय करनेके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जायगा जहाँ मुसलमानोंका पूर्ण बहुमत है। इस तरह छोटे गये मुसलिम बहुमतके जिलोंमें बयस्क मताधिकार या अन्य किसी व्यावहारिक पद्धतिसे मतगणना होगी जिसके द्वारा हिन्दुस्तानसे पृथक् होनेके प्रश्नपर निर्णय होगा। यह निर्णय बिना भेदभाव लागू किया जायगा और जो जिले सीमापर होंगे उन्हें किसी भी तरफ जानेकी छूट होगी; (३) जनमतगणनाके पहले सभी दलोंको अपना अपना दृष्टिकोण समझानेकी स्वतन्त्रता होगी, (४) यदि पूर्वोत्तर व पश्चिमोत्तरके क्षेत्र भारतसे पृथक् हुए, तो इन क्षेत्रों और शेष भारतके बीच रक्षा, व्यवसाय व यातायात आदिके प्रश्नोंपर आपसी समझौता होगा; (५) आजादीका जो भी तपादल होगा वह पूर्ण स्वच्छाके आधारपर; (६) ये शर्तें सभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत सरकारको पूर्ण सत्ता और उत्तरदायित्व सौंप दे।”

जिनाने अब इस योजनाको अस्वीकार करते हुए कहा कि यह तो पाकिस्तानको छिन्न भिन्न करना है। पर भारतके विभाजनका आधार अन्ततः यही योजना हुई।

मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि सभा बननेकी दिशामें मुसलिम लीग तेजीसे बढ़ रही थी। २४ से २६ अप्रैल १९४३ में दिल्लीमें लीगके वार्षिक अधिवेशनमें एक लाख व्यक्तियोंने भाग लिया। देशी रिवासनोंमें भी मुसलमान जाग रहे थे और शीघ्र अखिल भारतीय देशी रिवासनी मुसलिम लीगकी स्थापना हुई, जिसके अधिवेशन शेष भारतकी मुसलिम लीगके अधिवेशनके साथ ही होते थे। दिसम्बर, १९४४ में कराचीमें लीगका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उपस्थितिकी दृष्टिसे वह भी बहुत सफल रहा। जिना १९३७ से लगातार हर वर्ष लीगके अध्यक्ष चुने जाते थे, उन्होंने कराचीमें कहा कि अंग्रेज भारतको दो भागोंके बीच बाँट दे और भारत छोड़ दे। उनका नारा था—‘विभाजित करो और छोड़ो’।

१९४४ में ही सरकारने कांग्रेसजनोंको एक एक दो दो करके छोड़नेकी नीति अपना ली थी। केन्द्रीय विधान सभाके लगभग सभी कांग्रेसी सदस्य दृष्ट गये थे और वे विधानसभाकी बैठकोंमें भाग लेने लगे थे। कांग्रेस दलके नेता भूलाभाई देसाईने फिर एक बार लीगके उपनेता खियामतअली खॉंसे केन्द्रमें अन्तरिम सरकार बनानेके लिए समझौतेकी बात चलायी। गान्धीजी और जिनाजी स्वीकृतिके लिए निम्नलिखित सुझाव बना—

“कांग्रेस और लीग इस बातपर राजी हैं कि केन्द्रमें एक अन्तरिम सरकार बने जिसमें दोनों शामिल हों। यह सरकार इस प्रकार बनेगी कि (क) उसमें लीग और कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या बराबर होगी; अनुपात इस प्रकार होगा—कांग्रेस ४० फीसदी, लीग ४० फीसदी, अन्य २० फीसदी; जो प्रतिनिधि कांग्रेस या लीग तय करें, यह जरूरी नहीं कि वे पहलेसे ही केन्द्रीय विधान सभाके सदस्य हों; (ख) अल्प संख्यकोंके (विशेषकर परिगणित जातियों और सिखोंके) प्रतिनिधि होंगे; (ग) कमाण्डर इन चीफ (सर्वोच्च सेनापति) होंगे।” यह सरकार १९३९ के भारत सरकार कानूनने अन्तर्गत बननेको थी पर आशा यह की गयी थी कि केन्द्रीय विधान सभाओंके निर्णयोंके विरुद्ध सरकार वाइसरायके विशेष सुरक्षित अधिकारोंका प्रयोग नहीं करेगी।

देसाई-खियामतअली बातचीत लम्बी चली। फिर १५ जून १९४५ को गान्धीजीने यह सुझाव स्वीकार करते हुए एक वक्तव्यमें कहा कि मैं कांग्रेस कार्य-समितिसे दूसे

स्वीकार करनेके लिए कहूँगा। पर इस बीच हुई घटनाओंके कारण वह सुझाव पुराना पड़ गया।

१४ जूनको वाइसराय लार्ड वैवलने रेटियोसे घोषणा की कि कांग्रेस कार्य-समितिके सभी सदस्योंकी रिहाईके आदेश जारी हो गये हैं। यूरोपमें युद्धका अन्त हो चुका था और ब्रिटिश सरकार भारतीय स्थितिकी वास्तविकताकी ओर ध्यान देनेमें समर्थ हो गयी थी। वाइसरायने प्रस्ताव किया कि मेरी कौंसिलमें मुझे और कमाण्डर-इन-चीफको छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय हों, इसके लिए मैं नेताओंको वातचीतके लिए आमन्त्रित करता हूँ। परराष्ट्र विभाग भी भारतीय सदस्यको सौंप देनेके लिए वाइसराय तैयार थे। वैवलने कहा कि कौंसिलके समग्र मुख्य काम होंगे—(१) जापानके विरुद्ध युद्ध चलाना, (२) नया स्थायी विधान बननेतक भारतका शासन चलाना, और (३) सभीको मान्य समझौतेके लिए प्रयाग करना। यह कौंसिल भी १९३५ के कानूनके अन्तर्गत बननेकी थी पर वाइसराय भारतीय हितोंके विरुद्ध और तर्कहीन ढंगसे अपने विशेष अधिकारोंका प्रयोग नहीं करनेवाले थे।

उसी दिन ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवने ब्रिटिश लोक-सभामें पुराना प्रस्ताव दोहराते हुए कहा—“इस प्रस्तावकी बुनियादमें दो मिळान्त हैं। एक तो यह कि भारतको कितनी आजादी मिले, इसपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; वह चाहे तो स्वतन्त्र सदस्यकी हैमियतमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें रहे और राष्ट्रमण्डलमें न भी रहे। दूसरा यह कि यह भारतके अपने ऐसे विधान या विधानों द्वारा ही सम्भव है जिसे या जिन्हें मुख्य दल स्वीकार करते हैं।”

लगभग तीन सालके बाद २१ व २२ जूनको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक बम्बईमें फिर हुई और वाइसराय द्वारा बुलाये गये २५ जूनके नेता-सम्मेलनमें भाग लेनेका निश्चय हुआ। इस सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष अबुलकलाम आजाद थे जिन्होंने कांग्रेसका दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि जो व्यवस्था होनेका प्रस्ताव है उसे हम अस्वायी और अन्तरिम मानते हैं; हम ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कांग्रेसके राष्ट्रीय संस्था होनेके गुणको आँच आये; कांग्रेस कार्यसमितिके जो भी फैसले किये हैं वे कांग्रेस महासमिति द्वारा स्वीकार होते हैं, और महासमिति अब भी अवैध है।

२५ जूनके नेता सम्मेलनमें कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ और प्रस्तावित कार्य-कारी कौंसिलके सदस्योंकी नामावलीके सम्बन्धमें अपनी-अपनी संस्थाकी कार्यसमितिकी सलाह लेनेके लिए यह १५ दिनोंके लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच वाइसरायने अपनी फेहरिस्त तैयार कर ली और कांग्रेसने पूरी कौंसिलके लिए सदस्योंकी एक फेहरिस्त दे दी जिसके सभी मुसलिम सदस्य मुसलिम लीगके सदस्य नहीं थे। पर मुसलिम लीगने कोई फेहरिस्त नहीं दी। जब जिना वैवलसे मिले, वैवलने उन्हें अपना फेहरिस्त दिखायी जिसके एक मुसलिम सदस्य लीगके सदस्य नहीं थे। जिनाने इसपर आपत्ति की और कहा कि सभी मुसलिम सदस्य लीगी होने चाहिये क्योंकि लीग ही मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। अनोखी बात यह है कि वैवलने अपना सूची कांग्रेसके नेताओंको नहीं दिखायी। लेकिन समझौतेकी वातचीत जिनाकी जिदकी वजहसे भंग हो गयी।

१४ जुलाईको जब फिर सम्मेलन हुआ, वाइसरायने घोषणा कर दी कि समझौता

घातार्थ असफल हो गयो है। भारत सरकारने केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभ्तलोंके नये चुनाव करानेका फैसला कर लिया।

इस बीच सरकारी घोषणा हो जानेके कारण कांग्रेस महासमित भी अरिध नहीं रह गयी और उसके सदस्य मुक्त हो गये थे। महासमितिकी बैठक सिन्धुधरमें सम्भरमें हुई। महासमितिके अगम, १९४२ के उद्देश्य और ध्येय दोहराते हुए यह निश्चय प्रकट किया कि विद्रोहात्मिके लिए भारतीय स्वाधीनता आवश्यक है। "१९४२ के स्वाधीनता सम्ग्रामपर राष्ट्रको गर्व है यद्यपि अहिमात्री नमोटीपर उसकी आलोचना की जा सकती है।" राष्ट्रको बधाई देते हुए महासमितिके कहा—“जिस साहस और सहिष्णुतासे ब्रिटिश सरकारके भयानक हिमापूर्ण हमलेका उसने सामना किया उसके लिए वह बधाईकी पात्र है।” महासमितिके “तीन सालके पुलिस, पीन व आर्डिनेंस राजमें जिन्हें कष्ट हुआ” उनमें गहरी सहानुभूति प्रकट की।

मुसलमानोंकी एरमाच प्रतिनिधि मन्था होनेके मुस्लिम लीगके दावेका प्रतिवाद राष्ट्रीय मुस्लिम कानफरेन्स, मोगीन कानफरेन्स, अहरार पार्टी, शीया कानफरेन्स, जर्मियत-उल-उलेगा आदि मुस्लिम मन्थाओंने भी किया। जर्मियतने अपने प्रधान हुगेन अहमद गदनीको कांग्रेस और सरकारसे कांमिलमें अपने (जर्मियतके) प्रतिनिधित्वकी बात करनेके लिए तैनात भी किया। पञ्जाबमें प्रधान मन्त्री तिरुहयात रॉने भी वाइसरायको अपनी एक फेहरिस्त भोजी, जिमसे स्पष्ट ही जिनाका विरोध होता था। अहरार पार्टीका मोटा सा जिन यहाँ अगम न होगा।

अहरार पार्टी १९२९ में पञ्जाबमें बनी थी और कांग्रेसके साथ चल रही थी। यह गरीब मुसलमानों मजदूरों और किसानोंका प्रतिनिधित्व करती थी और इसकी बैठकोंमें वे दस दस पन्द्रह पन्द्रह हजारकी संख्यामें आते थे। इनके लिए अहरार पार्टीने कई लडाइयों भी लड़ीं जिनमें १९३१ में तीन महीनेमें ही कपूरथला, बग्गीर और गियालकोटमें ५० हजार व्यक्ति मरफतार हुए थे। १९३७ में जर्म लीगने कांग्रेस विरोधी रैषिया अस्मितयार किया, अहरारोंने लीगमें सम्बन्ध विच्छेदका निश्चय कर लिया। इन्होंने कांग्रेससे पहले ही युद्धका विरोध किया था और उसकी भरतीका विरोधकर बड़ी संख्यामें जेल भी गये थे।

जुलाईमें जब युद्ध-समाप्तिके आसार प्रकट हो रहे थे, पर जापानने लडाईं चल ही रही थी, इंग्लैण्डमें चुनाव हुए, जिनमें चर्चिलकी कजरवेटिव (अनुदार) पार्टी हार गयी और लेबर (मजदूर) दलके नेता क्लीमेण्ट एटलीने १० जुलाईकी प्रधान मन्त्रित्व ले लिया। एटलीने बैलको २५ अगस्तको लन्दन बुलाया, उनसे बातचीत की और बैलने हिन्दुस्तान कीटकर १८ गितम्बरको (जब कांग्रेस महासमितिकी बैठक सम्भरमें चल रही थी) एर नया वक्तव्य दिया। उसमें कहा गया था—“ब्रिटिश सरकार जदी से जल्दी संविधान परिषदका निर्माण करना चाहती है और इसके लिए मुझे अधिहार मिला है कि प्रान्तोंमें विधान सभाओंके चुनाव रस्ता होते ही मैं उनके प्रतिनिधियोंसे बात कर पता लगाऊँ कि १९४२ का प्रभाव उन्हें मान्य है, या उसकी जगह कोई नयी योजना अधिक पसन्द होगी।

“ब्रिटिश सरकार उस सन्धिपर विचार कर रही है जो भारत और ग्रेट ब्रिटेनके बीच होगी।

“इस बीच भारत सरकारको शासन चलाना ही है और बड़ी बड़ी आर्थिक व सामा-



जिक समस्याओंको हल करना है। नयी विश्व-व्यवस्था बनानेमें भी भारतको योग देना है। ब्रिटिश सरकारने इसलिए मुझे यह भी अधिकार दिया है कि प्रान्तीय चुनाव पूरे होते ही मैं प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलोंकी सहायतासे केन्द्रीय कार्यकारी कौंसिल बनाऊँ।”

अगले दिन एटलीने लन्दनमें ऐसा ही एक वक्तव्य दिया। इन वक्तव्योंके अनुसार केन्द्रीय कौंसिलकी स्थापना प्रान्तीय चुनावोंके बादतकके लिए स्थगित हो गयी, जिसका अर्थ यह था कि उसमें विभिन्न दलोंके प्रतिनिधित्वकी कसौटी चुनाव ही होने थे।

कांग्रेस कार्यसमिति और महासमितिनै इन वक्तव्योंको “अस्पष्ट, अनुपयुक्त और असन्तोषजनक” बताया क्योंकि इनमें भारतकी स्वाधीनताकी स्पष्ट घोषणा नहीं थी। लेकिन कांग्रेसने चुनाव लड़नेका फैसला किया। इन वक्तव्योंका स्पष्टीकरण करते हुए नये भारत सचिव लार्ड पेथिक लॉरेंसने एक सभामें कहा—“ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें स्वशासनके साथ कोई बाध्यता नहीं है; राष्ट्रमण्डलका कोई सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छाके विरुद्ध नहीं रखा जा सकता; यही बात भारतपर भी लागू होती है; लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि भारतकी स्वाधीनता मिलनेपर वह अपनी इच्छासे और अपने हितमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें शामिल रहेगा।”

४ दिसम्बरको ब्रिटिश लॉरेंससभामें पेथिक लॉरेंस पुराने वक्तव्योंको स्पष्ट करते हुए, एक कदम और आगे बढ़े और घोषणा की कि ब्रिटिश पार्लमण्टका एक प्रतिनिधिमण्डल भारत जायगा। उन्होंने कहा—

“भारतमें कुछ इस तरहकी तर्कहीन भावना पैदा हो गयी है कि बातचीत हीमें काफी समय निकाल देनेका इरादा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान निर्मात्री परिषद और उससे सम्बन्धित अन्य बातोंको ब्रिटिश सरकार जल्दीसे जल्दी कर डालना चाहती है।

“इस भ्रमके कारण ब्रिटिश सरकारने इस प्रश्नपर भी विचार किया है कि इधर कई वर्षोंमें ब्रिटेन व भारतके जो व्यक्तिगत पारस्परिक सम्बन्ध कट-से गये थे, उन्हें फिर क्यों न शुरू किया जाय। इसलिए एम्पायर पार्लमण्टरी ( साम्राज्य संसदीय ) एसोसियेशनकी ओरसे एक प्रतिनिधिमण्डल भारत भेजनेका प्रवन्ध किया जा रहा है।”

यह प्रतिनिधिमण्डल देश भरमें पूरा, लोमोंसे मिला और फरवरी १९४६ में इंग्लैण्ड वापस चला गया। मण्डलने यह स्वीकार किया कि देशके मतभेद आजादीकी माँगमें मिट जाते हैं। एक अनुदार दलीय प्रतिनिधित्वको कहना पड़ा कि भारत राजनीतिक व्यवस्थाकी सीमापर पहुँच चुका है” (यह राजनीतिक दृष्टिसे बाल्गम हो गया है)। मण्डलकी राय थी कि भारतकी आजादी अब ज्यादा दिन रोकनी नहीं जानी चाहिये। मण्डलमें निम्नलिखित लोग थे— रिचर्ड्स ( नेता ), निकल्सन, व्याट, सोरेनसन, बॉटमले, हॉपकिन गॉरिस, लार्ड कॉलें, लार्ड गंस्टेड व श्रीमती निकोल।

१९ फरवरी, १९४६ को पेथिक लॉरेंसने भारतीय राजनीतिको एक नया अध्याय शुरू किया और १५ मार्चको एटलीने मानों आजादीका द्वार खोल दिया। पेथिक लॉरेंसने ब्रिटिश लोकसभामें घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलका एक प्रतिनिधिमण्डल ( क्विनेट मिशन ) भारत जायगा और स्वाधीन भारतके विधान और राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार बनाने-

के सम्बन्धमें वहाँ क्या कदम उठाये जायें, इसपर भारतके प्रतिनिधियोंसे बात करेगा। मण्डलमें एलेक्जेंडर, क्रिप्प और मैं रहूँगा।

प्रधान मन्त्री एटलीने वहाँ लोगमभामें भाषण करते हुए कहा—“मेरे सहयोगी भारत इस द्वादेशे जा रहे हैं कि भारतको जल्दीसे जल्दी और पूरी स्वाधीनता देनेमें अपनी पूरी सहायता दे सकें। वर्तमान सरकारकी जगद वहाँ कैसी सरकार बने, यह तय करना भारतीयोंके हाथमें है, हमारा प्रयास यही है कि यह निर्णय करनेके लिए वे जल्दी व्यवस्था कर लें। यह भारतको ही तय करना है कि दुनियामें उसकी स्थिति भविष्यमें क्या होगी।

“मैं आशा करता हूँ कि भारत ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलमें ही रहेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें उसका बड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर भारत राष्ट्र-मण्डलमें रहनेका निर्णय करता है, तो भी वह यह निर्णय स्वेच्छामें ही करेगा क्योंकि मण्डलके देश बाहरी दवावकी सूत्रसे नहीं बँधे हैं। मण्डल तो स्वतन्त्र देशोंका स्वतन्त्र सघ है।

“किन्तु यदि भारत मण्डलसे स्वतन्त्र रहना चाहे, और हमारी रायमें ऐसा करनेका उसे अधिकार है, तब भी यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी वह स्थिति बनानेका काम जितना सरल हो सके, करें।”

अल्पतरुपत्रोंके सम्बन्धमें उन्होंने कहा—“अल्पतरुपत्रोंके अधिकारोंके प्रति हम जागरूक हैं और उन्हें निर्भय रहना चाहिये। लेकिन हम क्रिती अल्पतरुपत्रक वर्गको बहुमतकी प्रगतिपर रोक भी नहीं लगाने दे सकते।”

अमेजोंके भारतमें जानेके परिणामोंके सम्बन्धमें उन्होंने कहा—“जो सरकार पुरानी सरकारका पात्रना लेगी वही देना भी देगी। पर यह प्रश्न बादमें उठेगा, इसके लिए अभी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। जहाँतक सन्धिका गवाल है, हम अपने हितमें ऐसा कुछ भी करनेमें अडेंगे नहीं, जो भारतके हितोंके विरुद्ध हो।”

एटलीने अन्तमें कहा—“एशियाके देशोंमें, सुदूर बरवाद हुए एशियामें, भारत एक देश है जो जनतन्त्रके सिद्धान्त लागू करनेमें सक्षम है। मेरी यह हमेशाकी धारणा है कि राजनीतिक भारत एशियाका पथप्रदर्शक हो सकता है। मेरे सहयोगी वहाँ इस सक्षममें जा रहे हैं कि वे सफल होकर ही रहेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी उनकी सफलता चाहेंगे।”

ब्रिटिश राजके इतिहासमें पहली बार ब्रिटिश सरकारके इस वक्तव्यका भारतमें स्वागत किया गया कि अमेज राचमुन भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन जिना खुश नहीं थे, क्योंकि एटलीके वक्तव्यमें पाकिस्तान बनानेकी बात नहीं थी। वक्तव्यको अत्यन्त शोचनीय बताते हुए उन्होंने पंजाब विधान सभाके मुसलिम लोग दलमें कहा—“पाकिस्तानकी स्थापनामें आपका तलवारवाला हाथ शानदार काम करे।”

गिरोंको जब पता लगा कि पंजाब पाकिस्तानमें शामिल हो जायगा, तब उन्होंने ‘सिरोंके लिए मानवभूमि, गिरोंका राष्ट्रीय घर’ मॉगपर जिनाके सिक्केमें ही उन्हें जवाब दे डाला। लेकिन जिनाने यह मॉग पीरन स्वीकार कर सिप आन्दोलन रोक दिया। ११ मार्च १९४६ को जिनाने लाहौरमें कहा—“एक राष्ट्र होनेके नाते सिरोंका अपना एक राज्य होना आवश्यक है और सिद्धान्ततः मुझे उनकी मॉगपर आपत्ति नहीं है।” पर सिप नेता यह क्षेत्र तो बताते जहाँ उनका राज्य बन सकता है।

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके तीन सदस्योंका प्रतिनिधिमण्डल २३ मार्चको कराची पहुँचा।

एक सप्ताह तक मण्डल वाइसराय, उनकी कौंसिलके सदस्यों, और प्रान्तीय गवर्नरोंसे परामश कर रहा, फिर विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंसे मिला और फिर देशी रियासतोंके राजाओंसे। ये भेंटें २६ अप्रैल तक चलती रहीं पर कांग्रेस-लीग गुप्तरी मुलज्जानमें सफलता नहीं हुई। मण्डल चाहता था कि लीग और कांग्रेसमें कोई समझौता हो जाय जो उसकी सिफारिशोंका आधार हो। कांग्रेसका कहना था कि समस्याका हल लीग-कांग्रेसके समझौतेमें नहीं, कांग्रेस, लीग या किसी अन्य दलको सत्ता सौंपकर चले जानेमें है। जिस दलको भी सत्ता मिलेगी वह अन्य दलोंका सहयोग पानेके लिए प्रयत्नशील होगा। यह सुझाव मण्डल या वाइसरायको स्वीकार नहीं था।

२७ मईको मण्डलने लीग, कांग्रेस व अपना एक त्रिदलीय सम्मेलन करनेको कहा— कांग्रेसने अबुलकलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खॉं वल्लभ भाई पटेल को प्रतिनिधि बनाया; लीगने जिना, लियाकत अली खॉं, नुहम्मद इस्माइल खॉं व अब्दुरस निश्तरको। इस सम्मेलनमें विचारका आधार था, भारत सचिवका कांग्रेस व लीगको निमन्त्रण कि “ब्रिटिश भारतका भविष्यका वैधानिक ढाँचा ऐसा हो— एक यूनिजन सरकार बने जो निम्नलिखित विभागोंको चलाये— परराष्ट्र, रक्षा व यातायात; प्रान्तोंके दो समूह हों— एक हिन्दू बहुमतवाला और दूसरा मुस्लिम बहुमतवाला। ये दो समूह उन विभागोंका समूह हों जो उस समूहके प्रान्त आपसमें तय कर लें। प्रान्तीय सरकारें शेष विभागोंको समूह लें।”

आजाद और जिना दोनोंने विचार-विनिमयके इस आधारका विरोध किया, यद्यपि उनके विरोध करनेके कारण भिन्न थे। कांग्रेस धर्मके आधारपर प्रान्त-समूह बनानेके विरुद्ध थी और जिना लार्हार-प्रस्तावकी माँग दोहरा रहे थे। पर तब भी दोनों पक्षोंने निमन्त्रण स्वीकार कर त्रिदलीय सम्मेलनमें भाग लिया।

सम्मेलन ५ मईको शिमलामें शुरू हुआ और कई दिनतक विचार-विनिमय होता रहा। जैसी कि सम्भावना थी, समझौता नहीं हो सका। लीगने सम्मेलनमें एक स्मृतिपत्र पेश किया जिसमें उसकी निम्नतम माँगें थीं:—

( १ ) छः मुस्लिम प्रान्तों—पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध, बंगाल, आसाम व वल्ल्चिस्तानका एक समूह बने। यह समूह सभी शासकीय विषय और विभाग समूहान्तरेगा, सिर्फ परराष्ट्र, रक्षा और रक्षासे सम्बन्धित यातायातके विभागोंको छोड़कर; और इन तीन विभागोंको हिन्दू प्रान्तों व पाकिस्तान समूहकी संविधान निर्माण परिपदें समूह लें।

( २ ) छः मुस्लिम प्रान्तोंके लिए एक पृथक संविधान परिपद बने।

( ३ ) यदि केन्द्रमें कोई विधान-सभा या कार्यसमिति बने तो उसमें दोनों प्रान्त समूहोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या बराबर हो।

( ४ ) यदि कोई प्रान्त अपने समूहसे अलग निकलना चाहे तो उसे इसकी स्वतन्त्रता हो पर शर्त यह रहे कि उस प्रान्तकी यह इच्छा जनमतगणना द्वारा जानी जाय।

( ५ ) दोनों संविधान निर्मात्री परिपदें तय करें कि एक केन्द्रीय विधान-सभाकी आवश्यकता है या नहीं; वे यह भी तय करें कि केन्द्र ( यूनिजन ) की आयके साधन क्या हों; पर ये साधन कर घटाना कदापि न होंगे।

( ६ ) साम्प्रदायिक समस्यासे सम्बन्धित कोई प्रश्न तब तक हल न किया जाय जब तक दोनों विधान परिपदें इस हलके पक्षमें अलग-अलग, बहुमतसे अपना फैसला न दें।

( ७ ) कोई भी महत्वपूर्ण वैधानिक, प्रशासकीय या वार्यकारी प्रश्न केन्द्रमें तीन चौथाई बहुमतके बिना तय न हो ।

( ८ ) प्रान्त व प्रान्त समूहके विधानोंमें विभिन्न जातियोंके धर्म, संस्कृति आदिकी सुरक्षाकी गारण्टी हो ।

( ९ ) प्रारम्भिक दस वर्षोंके बाद किसी भी प्रान्तको यूनियनसे अलग हो जानेका अधिकार हो ।

कामेसने निम्नलिखित सुझाव दिये—

( १ ) विधान निर्मात्री परिषदके सदस्य प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जायें ।

( २ ) विधान परिषद् यूनियनका सघीय विधान बनाये । इस विधानमें सघ सरकार और केन्द्रीय विधान सभाके निर्माणकी व्यवस्था हो, जो परराष्ट्र, रक्षा, यातायात, मौलिक अधिकार, मुद्रा, नियोजन व तटकर तथा ऐसे विषयों व विभागोंका काम चलाये जो बादमें इन विषयोंमें सम्बन्धित साबित हो । इस कामके लिए जो धन चाहता हो उसे प्राप्त करनेका अधिकार केन्द्रको हो ।

( ३ ) सघ सभो विषय व विभाग प्रान्तीय सरकारोंमें निहित हो ।

( ४ ) यदि कुछ प्रान्त चाहे तो वे प्रान्त-समूह बना सकें ।

( ५ ) साम्प्रदायिक समस्याओंसे सम्बन्धित प्रश्न उस सम्प्रदायके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे तय हों जिसपर उस प्रश्नका प्रभाव पडता हो ।

( ६ ) संविधानमें परिवर्तन करनेकी व्यवस्था हो ।

( ७ ) जिन विवादोंका निर्णय न हो सके, उन्हें पच निर्णायकको सौंपनेकी व्यवस्था हो ।

स्पष्ट है कि इन दोनो दृष्टिकोणोंमें ही बहुत बड़ा अन्तर था । लीग और कामेसने समझौता नहीं हो सका । १६ मईको मण्डलने अपने सुझाओंकी घोषणा की जिनमें भारतके विभाजनका विरोध किया गया था, लीगकी माँगका विरोध किया गया था, और फिर भी पाकिस्तानकी माँग प्रच्छन्न रूपसे मान ली गयी थी । मण्डलने कहा—“हमने मुस्लिम लीग द्वारा पेश पूर्ण स्वतन्त्र और स्वाधीन पाकिस्तान राज्यकी स्थापनाके प्रश्नपर विचार किया । यह राज्य दो क्षेत्रोंका—ब्रिटिश बलूचिस्तान, पंजाब, सिन्ध व सीमाप्रांतके पश्चिमोत्तरके क्षेत्र और बंगाल व आसामके पूर्वोत्तरके क्षेत्रका होगा ।” मण्डलने हिसाब लगाया कि पश्चिमोत्तर क्षेत्रमें ६२\*०७ प्रतिशत मुसलमान हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्रमें ५१\*६९ प्रतिशत, शेष भारतमें उनही संख्या लगभग दो करोड़ है जो १८\*८ करोड़की आबादीमें वितरित हुए हैं । मण्डलका तर्क था—“इन आकड़ोंसे स्पष्ट है कि मुस्लिम लीगका दावा स्वीकार कर एक शुधक स्वाधीन पाकिस्तान राज्य बना देनेसे साम्प्रदायिक अल्पसङ्ख्यकोंकी समस्या हल नहीं होगी । पाकिस्तानमें पंजाब, बंगाल व आसामके उन जिलोंको शामिल कर देनेका औचित्य भी नहीं समझमें आता जहाँकी आबादीका भारो बहुमत गैर मुसलिम है । पाकिस्तानकी स्थापनाके पक्षमें जो तर्क दिये जाते हैं, वे हमारी समझमें, उतने ही औचित्यके साथ पाकिस्तानसे गैर-मुसलिम आबादीवाले इलाकोंको अलग कर देनेमें लागू होते हैं । यह बात सित्तोंकी स्थितिके सम्बन्धमें खास तौरपर लागू होती है—पंजाबका विभाजन किसी भी ढंगसे क्यों न किया

जाय, सिख जातिके बड़े-बड़े भाग सीमाके दोनों ओर रहेंगे।” आर्थिक, भौगोलिक, सैनिक, रक्षात्मक आदि अन्य प्रश्नोंपर विचार कर मण्डलने कहा—“इसलिए हम ब्रिटिश सरकारको यह राय देनेमें लजाचर हैं कि आज जो सत्ता अंग्रेजोंके पास है वह दो बिल्कुल स्वतन्त्र और अलग-अलग राज्योंको सौंपी जाय।”

मुसलिम लीगके दृष्टिकोणसे समस्याको देखते हुए मण्डलने कहा—“लेकिन इस निर्णयके कारण हम मुसलमानोंकी इस बिल्कुल सच्ची आशंकासे आँखें नहीं चुरा रहे कि विशाल हिन्दू बहुमतवाले भारतके विरुद्ध एकात्मक केन्द्रीय शासनमें मुसलमानोंके सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवनके ह्रास जानेकी सम्भावना है। इसके लिए कांग्रेसने मुझाव रखा है कि प्रान्तोंको लगभग पूर्णतः स्वार्थीन बना दिया जाय, सिर्फ वैदेशिक सम्बन्ध, रक्षा व यातायात जैसे निम्नतम विषयोंको केन्द्रके अधीन रखा जाय।” इस प्रकार ब्रिटिश सरकारके मन्त्रिमण्डलके प्रतिनिधियोंने सिद्धान्ततः कांग्रेसकी योजना स्वीकार कर ली थी।

मण्डलने विधानके बुनियादी ढाँचेके सम्बन्धमें मुझाव दिया—“( १ ) भारतका एक यूनियन हो जिसमें देशी रियासतें व ब्रिटिश भारत शामिल हों; यह यूनियन वैदेशिक सम्बन्धों, रक्षा व यातायातके विषय अपने अधीन रखे, और अपने कामके लिए आवश्यक धन इकट्ठा करनेका उसका अधिकार हो।

( २ ) यूनियनकी एक कार्यसमिति और एक विधान परिषद् हो, जिनमें ब्रिटिश भारत व देशी रियासतोंके प्रतिनिधि हों। किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नके केन्द्रीय विधानसभामें पेश होने पर निर्णय दोनों मुख्य जातियोंके प्रतिनिधियोंके अलग-अलग बहुमत और सभी उपस्थित प्रतिनिधियोंके बहुमत से हो।

( ३ ) यूनियन अधिकारक्षेत्रके विषयोंको छोड़कर शेष सभी विषय और अधिकार प्रान्तोंमें निहित हों।

( ४ ) अन्य प्रान्तोंकी भाँति देशी रियासतोंके भी वे सभी अधिकार रहें जो यूनियनके नहीं हैं।

( ५ ) प्रान्तोंको अपने समूह बनाने और समूहको सामान्य प्रान्तीय विषय निश्चित करनेका अधिकार रहे।

( ६ ) यूनियन व प्रान्त-समूहोंके विधानमें यह व्यवस्था रहे कि कोई भी प्रान्त शुरूके दस सालके बाद विधानकी व्यवस्थाओंपर पुनर्विचारकी माँग अपनी विधानसभाके बहुमत द्वारा कर सके। पुनर्विचारकी माँग दस-दस सालके अन्तरपर ही की जा सके।

ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि-मण्डलने विधान निर्मात्री परिषद्के सम्बन्धमें सिफारिश की कि—

“( क ) हर प्रान्तके लिए उसकी आवादीके अनुपातमें ( मोटे तौरपर हर १० लाखकी आवादीपर एक ) विधान परिषद्के सदस्योंकी संख्या तय कर दी जाय। इसे वयस्क मताधिकारका सबसे निकट पर्याय माना जाय।

( ख ) प्रान्तोंके लिए इस प्रकार निर्धारित संख्याओंको वहाँ वसी मुख्य जातियों ( सम्प्रदायों ) की आवादीके अनुपातमें विभिन्न जातियोंमें बाँट दिया जाय।

( ग ) प्रत्येक सम्प्रदायके लिए निर्धारित प्रतिनिधियोंको उसी सम्प्रदायके विधान सभाओंके सदस्य चुनें ।

मण्डलने भारतीय प्रान्तोंको तीन श्रेणियोंमें बाँट दिया और सिफारिश की कि विधान निर्मात्री परिषद इन्हीं तीन भागोंमें बाँट दी जाय । वे भाग अपने अपने प्रान्तोंके विधान बनाने और यह भी तय करे कि प्रान्त-समूह बनते हैं या नहीं और यदि बनते हैं तो प्रान्तीय विषयोंमें से कौनसे विषय समूहके अधिकार क्षेत्रमें जायें । प्रान्तोंको यह भी अधिकार रहे कि नये संविधानके अनुसार चुनी गयी पहली विधान सभाएँ अगर चाहें तो बहुमतसे प्रस्ताव कर प्रान्त समूहसे पृथक हो जायें ।

प्रान्तोंकी तीन श्रेणियाँ और उनके लिए संविधान निर्मात्री परिषदमें निर्धारित स्थानोंकी संख्या इस प्रकार थी—

	भाग क		
	आम	मुस्लिम	कुल
मद्रास	४५	४	४९
बम्बई	१९	२	२१
सयुक्तप्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्यप्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	९	०	९
जोड़	१६७	२०	१८७
	भाग र सिल		
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त	०	३	३
पंजाब	८	१६	२४
बिध	१	३	४
जोड़	९	२२	३१
	भाग ग		
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
जोड़	३४	३६	७०

श्रेणी 'क' में दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ाका एक एक प्रतिनिधि कुडना था । देशी रियासतोंको १२ से अधिक स्थान नहीं मिलने थे । इनका श्रेणी और विभाजन परामर्शसे तय होता था ।

प्रान्तीय और प्रान्त समूहों सम्बन्धी विधानोंके बन जाने पर देशी रियासतों और भागोंके प्रतिनिधि इकट्ठे होकर केन्द्रीय यूनियनका विधान बनानेवाले थे ।

यह भी सिफारिश की गयी थी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नोंके फैसलेके लिए परिषदके उपस्थित सदस्योंका बहुमत और दोनों मुख्य सम्प्रदायोंके उपस्थित प्रतिनिधियोंका अलग-अलग बहुमत आवश्यक होगा ।

मण्डलने यह भी घोषणा की कि प्रमुख राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियोंकी अन्तरिम केन्द्रीय सरकार फौरन बना दी जायगी ।

मण्डलके इन मुझावोंके प्रकाशनके फौरन बाद मण्डल, कांग्रेस, लीग, देशी-राजाओं, सिखों आदिमें लम्बा पत्र-व्यवहार शुरू हुआ जिसमें या तो कुछ मुझावोंका विरोध किया गया या अन्य कुछ मुझावोंका स्पष्टीकरण माँगा गया । सिख नेता मास्टर तारासिंहने मुझावोंको अस्वीकार करते हुए कहा कि इनमें सिखोंको मुसलमानोंकी दयापर आश्रित कर दिया गया है ।

१६ जूनको मण्डल व वाइसरायने उन व्यक्तियोंके नामोंकी घोषणा की जो उन्होंने अन्तरिम सरकारके मन्त्रिमण्डलके लिए छँटि थे । इस सूचीपर कांग्रेसको आश्चर्य हुआ क्योंकि कांग्रेसकी नामावलीमेंसे डाक्टर जाकिर हुसेन और शरत्चन्द्र वसुके नाम काटकर हेन्ड्रिक्स महताव और सर एन. पी. इंजीनियर ( गैर-कांग्रेसी ) के नाम रख दिये गये थे । कांग्रेसको महतावके नामपर इतनी आपत्ति नहीं थी पर डाक्टर जाकिर हुसैनको हटानेको वह तैयार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस अपनेको साम्प्रदायिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्रीय संस्था होनेकी बातपर जोर देना चाहती थी । कांग्रेसने लीगकी नामावलीमें अब्दुर्व नुस्तरके नामपर भी इसलिए आपत्ति की कि उन्हें हालमें ही हुए चुनावमें एक कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीदवारने हरा दिया था ।

वाइसरायने कांग्रेसकी आपत्ति इस आधारपर स्वीकार नहीं की कि यदि कांग्रेसको एक मुस्लिम प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया तो मुसलिम लीग राजी न होगी क्योंकि उसका दावा है कि वही भारतीय मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है । समझौतेकी कोशिश एक बार फिर असफल हो गयी और वाइसरायने मानों प्रतिशोधकी भावनामें, अधिकांशतः अंग्रेज सदस्योंकी एक अस्थायी सरकार बना दी ।

अबतक मण्डल और अन्य लोगोंके बीच पत्रव्यवहार समाप्त हो चुका था और कांग्रेस व लीग दोनोंने मण्डलके १६ मईके मुझावोंको स्वीकार कर लिया था । लेकिन जुलाईमें लीगने अपनी स्वीकृति वापस लेते हुए कहा कि हमने तो दीर्घ व अल्पकालीन दोनों योजनाएँ एक साथ स्वीकार की थीं, पर कांग्रेसने अल्पकालीन योजना अस्वीकार कर दी । २६ जूनके कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावमें कहा गया—

“जिस प्रकारकी स्वाधीनता प्राप्त करना कांग्रेसका लक्ष्य है, उसमें संयुक्त जनतान्त्रिक भारतीय संघकी स्थापना होनी चाहिये; एक केन्द्रीय सत्ता होनी चाहिये जो विद्युत्के राश्ट्रोंकी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके; अधिकतम प्रान्तीय स्वाधीनता होनी चाहिये, देशके हर नर-नारीके समान अधिकार होने चाहिये । मण्डलके मुझावोंमें विशेषकर प्रान्त-समूह बनानेकी प्रणालीमें निहित केन्द्रीय सत्तापर लगनेवाली सीमासे पूरा ढाँचा निर्वल होता है और पश्चिमोत्तर, सीमाप्रान्त व आसाम जैसे प्रान्तोंके लिए मुझाव सन्तोपजनक हैं, वे कुछ अल्पसंख्यकों, विशेषकर सिखोंके लिए असन्तोपजनक हैं । कार्यसमिति इस स्थितिको स्वीकार नहीं करती । लेकिन कार्यसमितिका मत है, मुझावोंको उनके पूर्णत्वमें एक साथ लेकर विचार करनेसे लगता है कि केन्द्रीय सत्ताको व्यापक व सशक्त बनाने तथा समूह बनानेके सम्बन्धमें प्रान्तोंके स्वेच्छासे निर्णय करनेके अधिकारकी रक्षा करने और ऐसे अल्पसंख्यक वर्गोंको सुरक्षा देनेकी उसमें काफी गुंजाइश है-जो अन्यथा अहितकर स्थितिमें है ।”

कार्यसमितिके यह भी मिश्रण किया कि "स्वतन्त्र, सयुक्त, जनतान्त्रिक भारतका सविधान बनानेकी दृष्टिके" काग्रेसको प्रस्तावित सविधान परिषदमें भाग लेना चाहिये। कार्यसमितिके माँग की कि केन्द्रमें शीघ्रतिशीघ्र एक उत्तरदायी, प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय अस्थायी सरकार स्थापित की जाय। ७ जुलाईकी अपनी बैठकमें कांग्रेस महासमितिके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

२७ जुलाईको सभ्रद्वैमें मुसलिम लीगकी बैठक हुई और उसमें लीगने दावा किया कि दो प्रमुख दलोंमें सिर्फ हमने ही मण्डलके वक्त योको पूरा-पूरा (अन्तरिम सरकार बनानेके सुझावको मिलाकर) स्वीकार किया है। सविधान परिषदके निर्माणसे सम्बन्धित मुझावोंकी अप्रत्याशित व्याख्या करनेका आरोप कांग्रेसपर लगाते हुए लीगने अपने प्रस्तावमें कहा— "ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिमण्डल और वाइसरायने अलग अलग और सयुक्त रूपमें कई बार कहा था कि बुनियादी सिद्धान्त सिर्फ इसलिए तय कर दिये गये ह कि सविधान परिषदमें दोनों प्रमुख पक्ष भाग ले सकें, उन्होंने यह भी कहा था कि यह योजना तबतक नहीं चल सकती, जबतक उसे सहयोगकी भावनामें न लागू किया जाय। कांग्रेसके रवैयेंमें यह स्पष्ट है कि सविधान परिषदके सफल संचालनकी इस पूर्व परिस्थितिका अस्तित्व भी नहीं है। यह बात और इसके साथ मुसलिम राष्ट्र व भारतीय जनताके कुछ अन्य कमजोर वर्गोंके हितोंकी, कांग्रेसको सुझाव देनेके लिए, कुरबानी करनेका ब्रिटिश सरकारका रवैया और उसका मुसलमानोंको बार-बार दिये गये लिखित और मौखिक वचनों व आश्वासनोंके उल्लंघनका रवैया इस बातमें कोई शक नहीं छोड़ने कि इस स्थितिमें मुसलमानोंके लिए प्रस्तावित सविधान निर्मात्री परिषदमें शामिल हो जानेमें उत्तरा है, इसलिए लीगकी यह कैबिनेट मण्डलके मुझावोंको दी गयी अपनी यह स्वीकृति वापस लेती है जो लीगके अध्यक्षने ६ जून १९४६ को ब्रिटिश सरकारके भारत मन्त्रिको दी थी।"

लीग एक कदम आगे बढ़ी। उसने 'सीधी काररवाई'का फँसला किया, और बंगालको रक्तस्नान करा दिया। सीधी काररवाई सम्बन्धी प्रस्तावका उद्देश्य बताया गया था "पाकिस्तान प्राप्त करना, मुसलमानोंके न्यायमगत अधिकारोंका दावा करना और वर्तमान अंग्रेजोंकी गुलामी और भविष्यमें कल्पित छवर्ण हिन्दुओंकी गुलामीसे छुटकारा लेकर अपना राष्ट्रीय धातमसम्मान प्राप्त करना।" लीगने अपनी कार्यसमितिके 'सीधी काररवाई'का कार्यक्रम बनाने और मुसलमानोंमें 'विदेशी सरकार द्वारा दिये गये रिताओंको छोट देने'को कहा। रिताओंके बहिष्कारकी लीगकी अपीलको विरोध सफलना नहीं मिली। जिन्हें उपाधियाँ मिली हुई थीं, उन्हें त्रिस्वास नहीं होता था कि अंग्रेज सचमुच जा रहे हैं, वे लीगमें शामिल हो कर वह भी नहीं खोना चाहते थे, जा उन्हें मिला हुआ था। लेकिन हिंसा और रक्तपातका खेल रचना ज्यादा आसान था। 'सीधी काररवाई'के लिए १६ अगस्तका दिन नियत किया गया। बंगालके लीग मन्त्रिमण्डलने उस दिन सार्वजनिक छुट्टीकी घोषणा कर दी। कलकत्तेके लीगी नेता "हिन्दुओंको सबक सिखाने"के लिए हिंसाका प्रचार करने लगे। जिना खुद हिंसा नहीं चाहते थे और उन्होंने एक वक्तव्यमें लीगके प्रस्तावकी व्याख्या करते हुए कहा कि लीगकी माँगके समर्थनमें जनमत बनानेके लिए उस दिन सभाएँ की जायें; 'सीधी-काररवाई'का किसी अन्य अर्थमें सीधी काररवाई करनेका आशय नहीं था। उन्होंने मुसलमानोंसे उनके आदेशका पालन कर शान्त और अनुशासित ढंगसे व्यवहार करनेकी अपील की



और 'हुश्मनके हाथमें खेल जाने'से सावधान किया। लेकिन लीगके कुछ नेताओंने बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्रवाई करनेका पूरा प्रबन्ध पहले ही कर लिया था, जिनाकी चेतावनी जनतातक देरमें पहुँची। नियत समयपर कलकत्ता और सिलहटमें कत्ल शुरू हो गये, शीघ्र ही सड़कोंपर खून बहने लगा। लगभग ७००० व्यक्ति मारे गये, इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए।<sup>१</sup> कलकत्तेकी सड़कोंपर शव सड़ने लगे। मुसलमानोंकी रक्तपिपासा शान्त होनेके बाद हिन्दुओंका प्रतिशोध शुरू हुआ, और इससे नोआखाली और टिप्परा जिलोंके बहुसंख्यक मुसलमान उत्तेजित हुए। इन दो जिलोंमें जो हुआ वह कलकत्तेकी घटनाओंसे भी ज्यादा लोमहर्षक और भयानक था। पहले हत्या, अग्निकाण्ड और सम्पत्तिकी लूटपाटकी वाढ़-सी आयी। फिर हिन्दुओंकी स्त्रियोंको भगाकर उनकी मुसलमानोंसे बलपूर्वक शादी करना शुरू हुआ। बलात्कार और बलात् धर्मपरिवर्तन इन उपद्रवोंकी विशेषता थी।

कुछ समयतक सम्पूर्ण देशका ध्यान तो नोआखालीमें केन्द्रित रहा। सार्वजनिक पैमानेपर हिंसासे गान्धीजी विचलित हो गये और उन्होंने शान्तिस्थापनार्थ नोआखालीमें ही रहनेका निश्चय किया। वे अपने उद्देश्यमें सफल हुए। बरवाद और उजड़े नोआखालीमें सद्भावनापूर्ण मुसलमानोंने उनका अपने बीच स्वागत किया, उन्होंने गान्धीजीको अपना मेहमान बनाया और शान्ति व व्यवस्था स्थापित करनेमें हर तरहसे मदद देनेका आश्वासन दिया। बंगालकी लीग सरकारने गान्धीजीकी सुरक्षाकी व्यवस्था कर दी हालाँकि गान्धीजी यह नहीं चाहते थे। किन्तु रवीन्द्र नाथके 'एकला चलें रे!' ध्वनिके साथ मुसलमानोंकी घनी वस्तियोंमें अकेले जाते और कहते कि मुझपर कोई आँच नहीं आयगी। और उगपर कोई आँच नहीं आयी। अनेक परिवारोंमें वे फिर प्रसन्नता ला सके, मुसलमानोंने उन्हें वचन दिया कि हम अपने हिन्दू भाइयोंकी रक्षा करेंगे। जादूमे, चमत्कारसे, गान्धीजीने उनका हृदय बदल दिया। बहुत-सी भगायी हुई हिन्दू स्त्रियाँ अपने-अपने परिवारोंको वापस भेज दी गयीं। जो शान्ति हिंसासे असम्भव थी वह प्रेमसे स्थापित हो गयी।

पर जो दुष्टता गान्धीजीके प्रयाससे नोआखालीमें समाप्त हो गयी, दुष्टोंने दूसरे स्थानोंपर उसे उभारा। आखिरकार हिन्दू, मुसलमान एक दूसरेके मिर पचासों वर्षोंमें फोड़ते आ रहे थे। इस बार विहारमें हिन्दुओंने मुसलमानोंपर भीषण हमला बोल दिया और बहुतसे मुसलमानोंको मार डाला। एक बार तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि जवाहरलाल नेहरूने ( जो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमें आ चुके थे ) अशान्त क्षेत्रमें हवाई जहाजोंसे बमबारी करनेका हुक्म दे दिया।

२५ अगस्तको वाइसरायने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें अन्तरिम सरकारके लिए निम्नलिखित व्यवस्था थी—कांग्रेस छः सदस्य ( जिनमें एक परिगणित जातिका हो ) नामजद करे, पाँच लीग नामजद करे और अन्य अल्पसंख्यकोंके तीन प्रतिनिधि ( एक सिखोंका हो ) वाइसराय खुद नियुक्त करें। अन्तरिम सरकारका उतना ही मान और उसकी सलाहका उतना ही महत्त्व होगा जितना किसी औपनिवेशिक सरकारका। लीगने इस मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया, वह कांग्रेसको अपने प्रतिनिधियोंमें भी एक मुसलमान नियुक्त नहीं करने देना चाहती थी, चाहे कांग्रेस हिन्दुओंके लिए नियत संख्यामें ही एक राष्ट्रीय मुसलमान भले ही नियुक्त करना चाहे। वाइसरायने लीगके बिना ही सरकार

बना दी और निम्नलिखित मन्त्रियोंकी घोषणा कर दी— जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, आसफअली, राजगोपालाचारी, शरत्चन्द्र बसु, जान मयाई, बलदेव सिंह, शपात अहमद खॉं, जगजीवन राम, अंगे जदीर, क्वरजी होरमुसजी भाभा । दो मुसलिम प्रतिनिधि बादमें नियुक्त होनेवाले थे ।

जवाहरलाल नेहरू २ मिनम्बरको मन्त्रिमण्डलमें शामिल हुए थे । उसके पौरन वाद उन्होंने लीगको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेके लिए राजी करनेके इरादेसे जिनाने पत्र-व्यवहार शुरू किया । ६ अक्टूबरके अपने पत्रमें नेहरूने लिखा—“चुनावके नतीजोंपर मुसलिम लोगको भारतीय मुसलमानोंके भारी बहुमतका प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्था और इसलिए जनतान्त्रिक सिद्धान्तोंके अनुसार भारतीय मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार मैं स्वीकार करता हूँ “बसतें कि लीग इन्हीं तर्जोंमें कांग्रेसको सभी गैरमुसलमानों और ऐसे मुगलमानोंका प्रतिनिधि मान ले जिन्होंने अपना भाग्य कांग्रेसके साथ मिला दिया है ।” अपने दानेकी इस स्वीकृतिपर सन्तोष प्रकट करते हुए जिनाने सरकारमें शामिल होनेकी अपनी शर्त दोहरा दी और हरिजनोंका प्रतिनिधित्व करनेके कांग्रेसके अधिकारका विरोध किया । लेकिन १५ अक्टूबरको वे झुके और अन्तरिम सरकारमें शामिल होनेके लिए लीगकी ओरसे लियाकतअली खॉं, आद. आइ. चुन्दरीगर, अब्दुर्रव निस्तर, गजनपरअली खॉं तथा जोगेन्द्रनाथ मण्डलके नाम दिये । जोगेन्द्रनाथ मण्डल परिगणित जातिके थे । मन्त्रिमण्डलमें दो स्थान पहलेसे ही खाली थे, तीन स्थान और खाली करनेके लिए शपात अहमद खॉं, अली जदीर और शरत्चन्द्र बसुने इस्तीफे दे दिये । लेकिन लीग अपनी शर्त लेकर मन्त्रिमण्डलमें आयी थी । पाकिस्तानी क्षेत्रोंकी अलग भविष्यपरिपदकी माँग करते हुए उसने सविधान परिषदमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया ।

कांग्रेस लीगका संयुक्त मन्त्रिमण्डल सन्तोषजनक दगसे नहीं चला, चल भी नहीं सकता था । मुसलमान जनताका पाकिस्तानके लिए जो उत्साह था, उसपर अपत्यक्ष रूपसे भी प्रभाव डालनेवाला कोई काम लीगी मन्त्री करनेको तैयार नहीं थे । विधान सभामें ही किस तरह लीगी व कांग्रेसी मन्त्री एक दूसरेका विरोध करते थे, उसका एक उदाहरण यह है कि राज्यपरिषदमें अब्दुर्रव निस्तरने कहा कि विहारमें उपद्रवोंके कारण दसों लाख व्यक्ति मारे गये । यह हास्यपद अतिरजना थी और राजेन्द्रप्रसादकी उठकर कहना पडा कि मेरे सहयोगीका अनुमान मूर्खतापूर्ण है ।

‘सीधी काररवाई दिवस’को कलकत्तेमें जिस हिंसात्मक प्रवृत्तिने तिर उटावा था, वह भारतके विभिन्न स्थानोंमें अपना भदा रूप दिखाती रही । २३ व २४ नवम्बरको मेरठमें कांग्रेसका ५४वाँ अधिवेशन ६११ वर्षके अन्तरसे हो रहा था । बड़ी सरगामें लोगोंके आने की सम्भावना थी पर अधिवेशनके कुछ दिन पहले वहाँ सांघप्रदायिक उपद्रव हो जानेके कारण, अधिवेशन केवल कामकी सक्षित बातों और अति आवश्यक उपस्थितिक ही सीमित रह गया । जे. बी. कृपालानीकी अध्यक्षतामें हुए इस अधिवेशनमें यह निश्चय दोहराया गया कि “विश्वमें शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगतिकी स्थापनामें अन्य राष्ट्रोंसे समनताके स्तरपर सहयोग करनेके लिए कांग्रेस भारतको पूर्ण स्वाधीन बनानेके सपनामें लगी रहेगी” ।

लीगके नेता चुपचाप नर-संहार देखते रहे—शायद इस इरासे कि हिंसाके विरोधसे

मुसलमानोंका पाकिस्तानके लिए उत्साह ठण्डा न पड़ जाय। संविधान परिषदकी पहली बैठक ९ दिसम्बरको होनेवाली थी। लीग उसका बहिष्कार करनेका संकल्प कर चुकी थी। दिसम्बरके आरम्भमें ही नेहरू, जिना, लियाकतअलीख़ाँ और बलदेव सिंह इस उद्देश्यसे लन्दन आगन्वित किये गये कि सभी दलोंका सहयोग संविधान परिषदको मिल सके, इसका एक और प्रयास किया जाय। प्रयास असफल हुआ और नेहरू ९ दिसम्बरको संविधान परिषदकी पहली बैठकमें शामिल होनेके लिए लौट आये। परिषद नियत दिन शुरू हुई और लीगको छोड़ दोष सभी दलोंने उसमें सहयोग दिया।

लेकिन लन्दन-वार्तामें लीगको अपने पक्षके समर्थनमें एक बात मिल गयी। वार्ताके अन्तमें ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके प्रतिनिधिमण्डलके १६ मईके वक्तव्यकी व्याख्याके रूपमें जो वक्तव्य दिया, उसका अन्तिम अंश इस प्रकार था—“जो विधि निश्चित की गयी थी, उसके पालन न होने पर संविधान परिषदकी सफलताकी कोई आशा कभी भी नहीं थी। यदि ऐसी संविधान परिषद कोई संविधान बनाये जिसमें भारतीय जनताका काफी बड़े भागका प्रतिनिधित्व न हो तो उस संविधानको भारतके ऐसे भागोंपर लागू करनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती (जैसा कि कांग्रेसमें भी कहा है) जो राजामन्द न हों।” इस वक्तव्यसे जिनाके अनुयायियोंके हृदयमें आशाका फिर संचार हो गया और पृथक् संविधान परिषदकी सम्भावना उन्हें फिर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। लीगकी कार्यसमितिके ब्रिटिश सरकारसे यह शोषणा करनेको कहा कि उसके “प्रतिनिधिमण्डलने जो वैधानिक योजना बनायी थी वह असफल हो गयी है” और “परिषदके चुनाव न उसका बुलाना शुरूसे ही अवैध, गैरकानूनी और अर्थहीन है, उसका जारी रहना न उसकी बैठकोंकी कार्रवाई अवैध है और वह भंग कर दी जाय।” अब इतने समयके बाद, ब्रिटिश सरकारके लिए भी यह करना आसान न था। संविधान परिषद अपना काम करती रही।

१९४६-४७ में भारतीय राष्ट्रीयताको प्रेरणा देनेवाली बहुत-सी घटनाएँ हुईं और ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय जनता आजादीके लिए बेचैन है। फरवरी १९४६ में भारतीय नौसेनाके सिपाहियोंने हड़ताड़ कर विद्रोह कर दिया। “बहुत-सी शिकायतें काफी समयतक दूर न होनेके कारण १८ फरवरीको ‘तलवार’ ट्रेनिंग स्कूलमें यह शुरू हुआ। १९ फरवरीके संधैरेतक वह बमर्द और उसके आम-पासके १२ नौसैनिक शिथिलों व बन्दरगाहमें लंगर टाले २० जहाजोंके २०००० कर्मचारियोंमें फैल गया। जहाजोंके मस्तूलोंसे ब्रिटिश यूनिफन बैक (छांटा) उतार दिया गया और उसकी जगह लीग और कांग्रेसके झण्डे फहराने लगे। कम्यूनिस्ट, लीग और कांग्रेस झण्डोंके नीचे शहरमें नाविकोंके प्रदर्शन शुरू हो गये, जिनके नारें थे—जयहिन्द, इनकिलाब जिन्दाबाद, हिन्दू मुसलिम एक हों, अंग्रेजी साम्राज्यशाहीका नाश हो, हमारी गोंगें पूरी हों, आजाद हिन्द फौजके राजनीतिक कौंदी छोड़े जाँ, एण्डोनेशियासे भारतीय फौजें वापस बुलानी जाँ। यह विद्रोह उसी समय हुआ जब ब्रिटिश सरकारने अपना प्रतिनिधिमण्डल भोजनेके निश्चयकी घोषणा की थी। कांग्रेस और लीग दोनोंने विद्रोहका समर्थन नहीं किया।

आजाद हिन्द फौजकी कहानी हर एककी बुजानपर थी। उनके नेताओंके (जो अंग्रेजी सेनामें उच्च पदोंपर थे) मुकदमोंमें दुनियाभरमें दिलचस्पी ली गयी। इस लम्बे मुकदमेसे जनताकी बेचैनी बढ़ रही थी। कलकत्ता और बम्बईमें कई बार दस-दस लाख

जनताकी समाप्ति हुई, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरे शहरोंमें भी प्रदर्शन हुए जो इतने बड़े नहीं थे। आन्दोलन नगरिकोंतक ही सीमित न रहा और पौजियोंमें भी घर कर गया। जिनाने बार-बार सिर्फ देशके ही नहीं, बल्कि पुलिस, फौज हर चीजके बँटवारेकी माँग की थी। पाकिस्तानकी भावना पौजियोंमें भी घर करने लगी और मुसलमान सिपाही नये मुसलिम राज्यकी स्थापनाके प्रति उत्साह दिखाने लगे। १८५७-५८ के महान् विद्रोहके बाद कई बार भारतीय फौजी टुकड़ियोंमें विद्रोह हुआ था, पर कभी भी इस पैमाने-पर उनमें जोश नहीं आया था जितना कि जिनाके नारेने पैदा कर दिया था। नियति अग्रेजोंसे प्रतिशोध ले रही थी; “फूट डालो और राज करो” की नीति आज उलटकर उन्हीं-पर चोट कर रही थी। इस नीतिके फल पक रहे थे। सरकारका कोई ऐसा विभाग नहीं था जहाँ भारतमें रहने या पाकिस्तानमें जानेके प्रश्नपर कर्मचारी उद्वेलित न हो रहे हों। मुसलमान पाकिस्तानकी अपनी कल्पनाका देश मान रहे थे। एक समय अग्रेज मुसलमानोंको अपनी सत्ताका मजबूत स्तम्भ मानते थे, अब उन्हीं मुसलमानोंकी निष्ठा पाकिस्तानके प्रति थी और जिना उनके आदर्श थे। अपने विशिष्ट नाटकीय ढंगमें जिनाने मुसलमानोंको भावावेशके इस स्तरपर ला दिया था। उन्होंने मुसलमानोंकी मुल्लाओंके पतवोंके असरमें निक्कालकर राजनीतिके पथपर ला पड़ा किया था।

मजदूरोंमें भी आजादीके लिए बड़ी लगन और उमंग थी। १९४६ में १९६१-०० मजदूरोंने हड़ताल की जिससे कामके १,०७,१७,००० घण्टोंका नुकसान हुआ। जब कि पिछले सालोंमें यही संख्याएँ क्रमशः केवल ७,४७,००० व ४०,५४,००० तक ही पहुँची थीं। १९४७ के पहले आठ महीनोंमें इन संख्याओंमें और वृद्धि हुई। १९४७ के शुरूमें सरकारने मजदूरोंके प्रति कड़ाईका हल आखिरीपर कर लिया और बहुत-से कम्प्यूनिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये। २१ फरवरी, १९४७ को केन्द्रीय विधान सभामें गृहमन्त्री चल्हमभाई पटेलने बताया कि कुल १९५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

देशी रियासतोंमें भी असन्तोष उबला पड़ रहा था। कश्मीर, हैदराबाद व त्रावन-कोरमें यह असन्तोष सबसे ज्यादा था। कश्मीरमें शेख अब्दुल्लाके नेतृत्वमें नेशनल (राष्ट्रीय) कानफरेंसने ‘कश्मीर छोड़ो’ आन्दोलन चलाया था जिसका उद्देश्य कश्मीरके महाराजने गद्दी छुटवाकर शासन-सत्ता जनताके हाथमें देना था। महाराजाकी स्थिति केवल वैधानिक अध्यक्षकी कर देनेकी माँग थी। महाराजाके प्रधान मन्त्री रामचन्द्र कामने जवाहरलाल नेहरू तककी कश्मीरमें नहीं गुसने दिया। वे दमनके अग्रेजी ढंगको काममें ला रहे थे। भारतके आजाद होनेके कई महीने बाद महाराजाने अपना ढग बदला और वह भी तब जब पाकिस्तानकी शहर कुछ मुस्लिम कबीलोंने कश्मीरपर हमला बोल दिया। शेख अब्दुल्ला प्रधान मन्त्री बना दिये गये।

आसाममें आन्दोलनने दूसरा रूप धारण किया। सिलहटको छोड़कर आसामके शेष सभी जिलोंमें हिन्दुओंका बहुमत था, पर लीग उसको पाकिस्तानमें शामिल करना चाहती थी और ब्रिटिश सरकारी प्रतिनिधि मण्डलने भी उसे बंगालके साथ जोड़ दिया था। पूर्वी बंगालमें मुस्लिम लीगने यह आन्दोलन चलाया कि बड़ी संख्यामें मुसलमान जाकर आसाममें बस जायँ, ताकि आसाममें हिन्दू बहुमतकी जगह अल्पमत हो जायँ। पूर्वी बंगालके गरीब मुस्लिम किसानोंको आसाममें खेतीके लिए बड़ी-बड़ी जमीनें देनेका लालच दिया गया और

बड़ी संख्यामें मुसलमान आसाम जाने लगे। उनका यह आगमन इस तरह अकस्मात् और अचानक हुआ कि आसामके कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलको चिन्ता होने लगी और उसने बंगालियोंके आसाम-प्रवेशपर रोक लगा दी।

इन सब बातोंसे ब्रिटिश सरकारको विश्वास होने लगा कि भारतीयोंको ज्यादा दिन दास नहीं बनाये रखा जा सकता और उसने शासन-सत्ता एस्तान्तरित करनेको तिथि निश्चित कर दी। २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने लोकसभामें घोषणा की कि—

“ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि शासन-व्यवस्था उस सत्ताको सौंपी जाय जो सभी भारतीय दलों द्वारा स्वीकृत हो, विधानके अनुसार स्थापित की गयी हो। यही मन्त्रिमण्डलके प्रतिनिधिमंडली योजना थी। पर दुर्भाग्यवश अभी ऐसी कोई आशा नहीं है कि इस तरहका संविधान बनेगा और इस तरहकी व्यवस्था स्थापित होगी। वर्त्तमान अनिश्चित परिस्थितिमें संकट निहित है और यह स्थिति कायम नहीं रसी जा सकती। ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसका यह निश्चित इरादा है कि जून १९४८ से पहले ही शासन-सत्ता उत्तरदायी भारतीयोंके हाथोंमें सौंप दी जाय।”

“ब्रिटिश सरकारको यही सोचना है कि ब्रिटिश भारतकी केन्द्रीय सरकारके अधिकार निश्चित तिथिपर किसे सौंपे जायँ—भारतकी किसी केन्द्रीय सरकारको सौंपे जायँ या कुछ इलाकोंमें वर्त्तमान प्रान्तीय सरकारोंको सौंपे जायँ जिसमें भारतीय जनताका सबसे अधिक हित-साधन हो और जो सबसे अधिक न्यायसंगत प्रतीत हो। सत्ताका अन्तिम एस्तान्तरण चाहे जून १९४८ के पहले न हो, लेकिन उसी तैयारी पहलेसे करनी होगी।”

ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने बैचलकी जगह ‘सत्ता एस्तान्तरणका कार्य पूरा करनेके लिए’ एडमिरल वाइकाउण्ट माउण्टबेटनको भारतका नया वाइसराय नियुक्त किया।

१५ दिन बाद ५ मार्चको ब्रिटिश लोकसभामें वादविवादके समय ब्रिटिश सरकारके भारत छोड़नेके कारण बताते हुए स्टैफर्ड क्रिप्सने कहा—

“सरकारके सामने दो बुनियादी रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि भारतपर ब्रिटिश नियन्त्रणको और मजबूत किया जाय, भारत-सचिवके कर्मचारियोंकी संख्या और बढ़ाई जाय, भारतमें ब्रिटिश फौजोंकी संख्यामें वृद्धि की जाय तथा प्रशासकीय उत्तरदायित्व तब तक निभाते रहा जाय जबतक भारतीय जातियोंमें कोई समझौता न हो जाय। इस नीतिके लिए यह निर्णय आवश्यक था कि अगले १५-२० वर्षोंतक भारतमें रहना ही है, क्योंकि इससे कम समयमें वहाँ शासन व्यवस्थाको मजबूत और स्थायी नींवपर खड़ा नहीं किया जा सकता।

“दूसरा रास्ता यह था कि हम यह स्वीकार कर लें कि पहले रास्तेपर चलना सम्भव नहीं है.....यह निर्णय करना असम्भव था कि हम अनिश्चित कालतकके लिए उत्तरदायित्व ओढ़ लें—उस समयतकके लिए यह दायित्व ले लें जबतक निभानेकी शक्ति हममें नहीं है।”

इस समयतककी लीगकी स्थितिपर एक दृष्टि डाल लें। लीग अब भी भारतीय मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। उसके मन्त्रिमण्डल बंगाल व सिन्धमें काम कर रहे थे। अत्यधिक मुसलिम बहुमतवाले पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें कांग्रेसका मन्त्रिमण्डल था; पंजाब विधान सभामें लीग दल सबसे बड़ा था, पर न्यूनियनिस्ट दल शासन कर

रहा था क्योंकि हिन्दू, सिख, मुसलमानोंकी सहायतासे यूनिवर्सिटि दलका विधान सभामें बहुमत था, आसाममें विशुद्ध काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल काम कर रहा था। जिना और उनके अनुयायियोंको सबसे बड़ी चिन्त यह थी कि शासन सत्ता तो मिल रही है, पर वह पञ्जाब व सीमाप्रान्तमें लोगकी नहीं मिलेगी।

इसलिए लीगने आसाम, सीमाप्रान्त व पञ्जाबमें अपना जोर बढ़ानेके लिए कोशिशें शुरू कीं। आसाममें उसने जो ढग अपनाया वह ऊपर लिखा जा चुका है। सीमाप्रान्तमें काँग्रेस और खुदाई सिद्धमन्तारोंके खिलाफ गाली गलौजका प्रचार शुरू हुआ। बहुत ते सरकारी नौकर लीगमें शामिल हो गये। लूट मार, आगजनी व कत्ली घटनाएँ होने लगी। हिन्दू व सिख वहाँमें भागने लगे। वे अपनेकी अगहाय पाने थे क्योंकि मुसलमान पुलिसवाले उनानी रखा नहीं करते थे। वहाँ अव्यवस्था व अराजकता पैल गयी।

पञ्जाबमें सरकारी कर्मचारियोंकी निष्ठा सरकारके प्रति कम थी, लीगके प्रति ज्यादा। शान्ति व व्यवस्था कायम रखनेके आदेशोंका या तो पालन ही न होता ओर होता भी तो अनमने ढग से। मुस्लिम लीगके प्रचारक खुलेआम हिंसाका प्रचार करते घूमते, हाकिम या तो उनकी वाररवाईकी नजरअन्दाज कर देते या उन्हें ओर शह देते। कई सौ व्यक्ति गिरफ्तार तो हुए पर अराजकता बढ़ती गयी। शासन व्यवस्था ढगमगाने लगी ओर यूनिवर्सिटि प्रधान मन्त्री सिद्धहयात खाने अपने मन्त्रिमण्डलका इस्तीफा दे दिया। इन्दीपके कारण एक सत्य मा पैदा हो गया। विधान-सभामें लीग दलका बहुमत नहीं था। उसने हिन्दुओं व सिखोंमें भिलकर बहुमत बनानेकी कोशिश भी की पर हिन्दुओं और सिखोंका लीगसे विश्वास उठ चुका था। इस गतिरोधकी परिस्थितिमें ही बड़े पैमानेपर लूट मार, हत्या व आगजनी होने लगी। मार्चके शुरूमें काँग्रेस पञ्जाबके कान्डसे इतनी बेचैन हो उठी कि उनकी कार्यसमितिके इस स्थितिका एक ही हल यह पाया कि पञ्जाबके दो हिस्से—हिन्दू पञ्जाब व मुस्लिम पञ्जाब कर दिये जायें।

इस रक्तपात, नरमहार, लूट व अग्निक्राण्डोंके बीच हिन्दू जो कुछ भी सम्पत्ति ले जा पाते, उसे लेकर पूर्णकी आर आ रहे थे, मुसलमान पश्चिमकी ओर भाग रहे थे। आयादीका तबादला चल रहा था। पाकिस्तानकी स्थापना ओर लीगका शासन निश्चित माने जा रहे थे। लेकिन निर्बन् लोग अपने अपने घरोंपर जमे हुए थे। सुरक्षित स्थानोंको ले जानेके लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। शान्ति और व्यवस्था कार्पनिक हो गयी थी क्योंकि व्यवस्था रखनेवाले सत्य सघर्षम पक्षपात कर रहे थे। इस स्थितिसे बचनेका एक ही सन्ना दृष्टिकोचर होता था—भारतका विभाजन।

## अध्याय ३२

### भारत स्वतन्त्र

“फूट डालो और राज करो” की नीतिने ही ( जिसने अंग्रेजी राजको प्रायः द्वां सो वर्षोंतक कायम रखा था ) उसका अन्त भी निकट ला दिया । अंग्रेजी सरकारने स्वीकार किया कि वह जून १९४८ तक भी राज चलानेमें असमर्थ है और भारतको विभाजित करनेके आधारपर उसने जल्दी ही शासन-सत्ता भारतीयोंको सौंप देनेकी इच्छा प्रकट की ।

३ जून १९४७ को भारतके नये वाइसराय माउण्टबैटनने अंग्रेजी सरकारके अन्तिम वक्तव्यकी घोषणा की जिसमें भारतके विभाजन तथा भारत तथा पाकिस्तानको उपनिवेशीय स्वराज्य देनेकी योजनाका वर्णन था ।

इस वक्तव्यमें मुसलिम लीग द्वारा संविधान परिषद्के वहिष्कारके कारण उत्पन्न हुए गति-रोधको सुलझानेका मुझाव दिया गया था । इसमें बताया गया कि “यह स्पष्ट है कि इस संविधान परिषद् द्वारा निर्मित कोई भी विधान देशके उन भागोंपर लागू न हो सकेगा जो इसे माननेके लिए तैयार नहीं हैं।” इसलिए इन भागोंकी जनताके सही विचार जाननेके लिए कि वह अपना संविधान (१) वर्त्तमान संविधानपरिषद् द्वारा ही तैयार कराना चाहती है, या (२) एक नयी और पृथक् संविधान परिषद् द्वारा तैयार कराना चाहती है जिसमें उन क्षेत्रोंके प्रतिनिधि होंगे जो वर्त्तमान संविधान परिषद्में भाग लेना नहीं चाहते, निम्न-लिखित तरीका बताया गया—

“बंगाल और पंजाबकी विधान सभाएँ ( यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर ) दो भागोंमें अपनी बैठकें करें; एक भागमें मुसलिम बहुमत जिलोंके प्रतिनिधि बैठें और दूसरेंमें प्रान्तके शेष भागके । ठीक जनसंख्या जाननेके लिए १९४१ की जनगणना अधिकृत मानी जायगी ।

“प्रत्येक विधान सभाके दोनों भागोंके सदस्य, उक्त नीतिसे अलग-अलग बैठकर चोट द्वारा निश्चय करेंगे - कि प्रान्तका विभाजन हो या न हो । यदि किसी भी एक भागके सदस्य साधारण बहुमतसे विभाजनके पक्षमें निर्णय लेंगे तो विभाजन किया जायगा और तदनुसार विभाजनका प्रबन्ध किया जायगा ।

“विभाजन विषयक प्रदनका निर्णय करनेसे पहले यह बांछनीय है कि प्रत्येक भागके प्रतिनिधियोंको पता रहे कि यदि अन्ततः प्रान्तने एक साथ संयुक्त रहनेका ही निश्चय किया तो वह कौन-सी संविधान परिषद्में शामिल होना चाहेगा । इसलिए यदि कोई भी सदस्य ऐसी इच्छा प्रकट करेगा तो प्रांतीय विधान सभाका संयुक्त अधिवेशन ( यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर ) किया जायगा जिसमें पूरी विधान सभा यह निश्चय करेगी कि प्रान्तको किस संविधान परिषद्में शामिल होना है ।

“यदि विभाजनका निर्णय हुआ तो हर भाग अलग अलग निश्चय करेगा कि उसे किस संविधान परिषद्में शामिल होना चाहिये ।

“सिंधकी विधान सभा ( यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर ) भी ऐसा ही निर्णय करेगी ।

परन्तु विधेमें कोई हिन्दू बहुमतका जिला नहीं है, इसलिए वह दो भागोंमें नहीं बँटेगी।”

उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्तके विषयमें ब्रिटिश सरकारके वक्तव्यमें कहा गया कि यह निश्चय करनेके लिए कि वहाँके लोग वर्तमान सविधान परिपदमें रहना चाहते हैं या नयी पृथक् परिपदमें, जनमत गणना करायी जाय। ऐसी जनमत गणनाका प्रबन्ध सिलहट जिलेके सम्बन्धमें भी किया गया जो हिन्दू बहुमत प्रान्त आगाममें केवल एक मुसलिम बहुमत जिला था।

भारत और पाकिस्तानकी सीमाएँ निर्धारित करनेके लिए बंगाल, पंजाब और सिलहटके लिए अलग अलग सीमा-कमीशनोंकी स्थापनाका प्रबन्ध किया गया।

सन् १९४१ की जनगणनाके अनुसार पंजाबमें मुसलिम बहुमतवाले जिले ये थे—  
लाहौर टिर्वाजन—गुजरानवाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखूपुरा, स्थालकोट; गजल-  
पिण्डी टिर्वाजन—अटक, गुजरात, शेखम, मियांगाली, राजपिण्डी, साहपुर; मुन्तान  
टिर्वाजन—देरा गाजी खान, शहाग, लायलपुर, मॉटगोमरी, मुल्तान, मुजफ्फर गढ़।

बंगालके मुसलिम बहुमतके जिले ये थे—

चटर्पाँव टिर्वाजन—चटर्पाँव, नोआपगाली, टिपरा, ढाका टिर्वाजन—बांर-  
गञ्ज, ढाका, फरीदपुर, मेमनगिह, प्रेमिडेंसी टिर्वाजन—बैखोर, सुरगिदाबाद, नदिया;  
राजशाही टिर्वाजन—बोगरा, दीनाजपुर, मालदा, पटना, राजशाही, रंगपुर।

ब्रिटिश सरकारका यह वक्तव्य जो माउण्टबैटन योजनाके नाममें प्रसिद्ध हुआ, वास्तवमें राजगोपालाचारी पारमूल्याका व्यावहारिक रूप था। जनसाधारणके सामने इसकी घोषणा करनेसे पहले माउण्टबैटनने इस वक्तव्यकी प्रतिष्ठा राजनीतिक नेताओंकी अभ्यवन करनेके लिए भेज दी थी जिसमें वे २ जूनकी आधी राततक उसपर अपने विचार प्रकट कर सके। जिनाने कहा कि मैं अकेले कोई निर्णय नहीं कर सकता और न लीगकी कार्य-समिति ही कर सकती है—“इस निर्णयके लिए” उन्होंने कहा, “हमें मुसलिम जनताके सामने जाना होगा। मैं तो केवल इतना ही कर सकता हूँ कि विधानिक ढंगसे उसकी प्रभावित करनेकी भरसक कोशिश करूँ जिससे वह इसे स्वीकार कर ले। मेरी कार्यसमिति इस मामलेमें मेरा समर्थन करेगी।”

सब माउण्टबैटनने जिनाने साफ-साफ कहा कि आपकी इस चालके बारेमें कांग्रेस दलको बहुत सन्देह है क्योंकि आप हमेशा यही तरीका इस्तेमाल कर अपना निर्णय कांग्रेस द्वारा परिपक्व निर्णय हो जानेके कई दिन बाद करते हैं, और इस प्रकार आप लीगको खेच्छानुसार निर्णय करनेका अवसर प्राप्त कर लेते हैं। माउण्टबैटनने जिनाने यह भी चेतावनी दे दी कि इस बार नेहरू, कृपालानी और पटेल इस बातपर अड गये हैं कि यदि मुसलिम लीग कांग्रेसके साथ इस योजनाको अन्तिम रूपसे स्वीकार नहीं करती तो वे भी इसे अस्वीकार कर देंगे।

कांग्रेसी नेतागण बहुत सशक थे क्योंकि कुछ ही सप्ताह पहले जिनाने बंगालसे पंजाब तक, दोनों पाकिस्तानी क्षेत्रोंको भौगोलिक रूपसे जोड़नेके लिए ८०० मील लम्बा एक “गलि यात्रा” भौंगा था, और लीगके मुखपत्र “दान”ने उसके लिए ग्लूब प्रचार आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया था। और जब जिनाने लीग कीसिलका अधिवेशन शीघ्र बुलानेमें अस-



मर्धता प्रकट की तो कांग्रेस दलका सन्देह और भी पुष्ट हो गया। इसलिए माउण्टबैटनने जिनासे दृढ़तापूर्वक कह दिया—“अगर आपका यह रस्ख है तो कांग्रेस और सिरा दोनों ही कल प्रातःकाल इस योजनाको अस्वीकार कर देंगे, खलबखी मच जायगी, और आप अपना पाकिस्तान खो बैठेंगे, चायद सदैवके लिए।” जिनाने कन्धे सिकोड़ते हुए उत्तर दिया—“जो होना है, होगा।” तब माउण्टबैटनने कहा—“मिस्टर जिना, जो सारी मेहनत इस समझौतेके बनानेमें व्यय हुई आप उसे वर्वाद नहीं कर सकते। क्योंकि आप मुसलिम लीगकी ओरसे स्वीकृति नहीं देंगे, मैं स्वयं उसको ओरसे बोद्धूंगा। मैं यह कहूँगा कि आपने जो आश्वासन मुझे दिया है उसमें मैं सन्तुष्ट हूँ और यदि लीग कौंसिल स्वीकृति न दे, तो आप सारा दोष मेरे ऊपर रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक शर्त रखता हूँ, और वह यह है कि जब मैं प्रातः की बैठकमें कहूँ कि ‘मिस्टर जिनाने मुझे आश्वासन दिया है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और उसमें मैं सन्तुष्ट हूँ’ तब आप किसी भी दशामें उसका खण्डन नहीं करेंगे, और जब मैं आपकी ओर देखूँ, तो आप स्वीकृति सूचक सिर हिल्या दीजियेगा।”

योजनाके विषयमें जिनाका जवाब केवल समगतिसूचक सिर हिल्याना था। उन्होंने मौखिक स्वीकृतितक नहीं दी। परन्तु कांग्रेसने निश्चयात्मक रूपसे अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी, यद्यपि गान्धीजीने इससे सम्बन्धित होनेमें इनकार कर दिया था। प्रातःकाल बैठक हुई, सब नेतागण अपनी-अपनी स्वीकृति देकर विदा हो गये। सिखोंकी ओरसे बलदेवसिंहने स्वीकृति दी। जिस स्थानपर यह बैठक हुई थी उसके प्रवेश-द्वारके हालमें “क्याइवका तैल चित्र ब्रिटिश राजकी इहलीला समाप्तिके इस दृश्यको धृणासे देख रहा था।”

घोषणा होनेके दो-चार दिनके अन्दर ही कांग्रेस और लीगकी कार्यसमितियोंने इस स्वीकृतिको पुष्टि प्रदान कर दी।

६ जूनको अपनी प्रार्थना-सभामें गान्धीजीने वाइसरायमें गेंट करनेके बाद घोषणा कर दी कि अंग्रेज अधिकारी १५ अगस्तके दिन भारतको सत्ता हस्तान्तरित करनेकी तैयारी कर रहे हैं।

बड़ी तत्परता और तेजीसे सरकार योजनाके उपबन्धोंको कार्यान्वित करने लगी। पंजाब और बंगालकी विधान सभाएँ बुलायी गयीं और सीमा प्रान्त तथा सिलहटमें जनमत गणनाका आदेश जारी कर दिया गया। विधान सभाएँ क्या निर्णय करेंगी इसमें तो किसीको सन्देह था ही नहीं—मुसलिम बहुमत जिल्लोंके प्रतिनिधियोंने एक पृथक् संविधान परिपदके लिए वोट दिया। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमें, जहाँकी जनताने १९४६ में कांग्रेसको बहुमतसे वोट दिया था, लीगको सफलताका भरोसा न था। इसलिए उसने अपने अनुयायियों और समर्थकोंको हिन्दू व गैरलीगी मुसलमानोंपर हिंसात्मक आक्रमण करनेकी योजना बनायी। अनेक सरकारी अफसर पाकिस्तानके पक्षमें थे। उन्होंने या तो चुपकेसे लीगके विद्रोहकी सहायता की या नृशंसताओंकी ओरसे निगाह बचाकर अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें बढ़ावा दिया। पहले लीगियों द्वारा हिन्दुओं और गैरलीगी मुसलमानोंके खिलाफ घर-घर घुणित प्रचार किया गया। फिर हिंसाका नभन नृत्य होने लगा। ऐसी स्थितिमें शान्तिप्रिय लाल कुर्तावालोंने अपनेको असहाय अवस्थामें पाया। उनके नेताने सोचा कि ऐसे वातावरणमें निष्पक्ष जन-

मतगणना असम्भर है और उन्होंने गणनाका बहिष्कार करनेका फैसला कर लिया। २५ जूनको उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा—

“पिछले कुछ महीनोंमें मुसलिम लीगियोंने सघटित रूपसे आतंकका प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप सैन्डों पुरुष, स्त्री और बच्चे गोतके घाट उतार दिये गये। करोड़ों रुपयेकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गयी। पूरा वातावरण साम्प्रदायिक बीरलाहट और विपत्ते भरा हुआ है।

“अब भी मुसलिम लीगके प्रमुख सदस्य बड़े जोर शोरका प्रचार करके लीगोंको भयभीत कर रहे हैं कि वे लीगके खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे। प्रसट है कि वे उन हजारों शरणार्थियोंको जो प्रान्तके बाहर भाग गये है, वोट देनेमें रोक्ना चाहते हैं। सीधे सादे पटानोंका भी धार्मिक जोश जगारित किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जनमत-गणनाका मामला ‘काफिर’ और ‘इसलाम’ के बीचका झगडा तय करनेके लिए उठा है।”

अब्दुलगाफ्फार खोंने कहा कि यदि लीगको एक प्रथम राज्य मिलना है, तो पटाना को भी एक पृथक मानृभूमि, पस्त्रूनख्तान, मिलनी चाहिये। उन्होंने दावा किया कि पस्त्रूनो का भारी बहुमत एक आजाद पटान राज्यके पक्षमें है। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों तथा अन्य लोगोंमें जो आजाद पटान राज्यमें विश्वास रखते थे, अपील की कि वे जनमतगणनामें भाग न लें। गान्धीजीने सीमान्त नेताकी इस उक्तिका समर्थन किया। जनमतगणना निश्चित दिन हुई, अब्दुलगाफ्फार खोंने अनुयायियोंने उसका बहिष्कार किया। हिन्दू जो अधिकांश शरणार्थीकी हालतमें सीमान्त प्रान्तके बाहर थे, इस गणनामें भाग न ले सके। लीगने कुल जनसंख्याके ५० प्रतिशतमें कुछ अधिक वोट प्राप्त कर लिये।

सिलहटकी मतगणनामें भी लीगने इन्ही तरीकोंसे सफलता प्राप्त कर ली।

जुलाईमें ब्रिटिश पार्लेमेण्टने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित कर दिया जिसमें भारत और पाकिस्तानके दो नये स्वतन्त्र राज्योंको जन्म दिया गया। इस अधिनियममें दोनों औपनिवेशिक स्वतन्त्र राज्योंकी विधायिकाओंको पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया कि वे अपने अपने देशोंके आन्तरिक तथा बाह्य मामलोंके लिए कोई भी कानून बना सकती हैं और यह भी उपबन्ध कर दिया गया कि ऐसे कानून चाहे वे ब्रिटिश कानूनके विपरीत ही क्यों न हों, अपैध नहीं ठहराये जा सकेंगे। इस अधिनियमने ब्रिटिश पार्लेमेण्टको उसकी भारतपर नियन्त्रणकी शक्तिमें चञ्चित कर दिया और भारत और पाकिस्तानको अपने अपने भाग्यका विधाता बना दिया।

आधी रातके समय जब १५ अगस्त भारतीय स्वाधीनताकी लाने ही वाला था, भारतीय संविधान परिषदने एक प्रस्ताव पारित करके भारतको स्वतन्त्र घोषित कर दिया और माउण्टबैटनको उसका प्रथम वैधानिक गवर्नर जनरल बननेके लिए आमन्त्रित किया। उस रातकी संविधान परिषदकी कार्रवाई अति सम्पीर और प्रभावशाली थी। अपने हृदय-प्राप्त भावणमें नेहरूने कहा “बयों पूर्ण हमने भाग्यके साथ जो गुप्त समझौता किया था, आज उसने पूरा करनेका समय आया है, पूर्णतया नहीं, फिर भी बड़ी मात्रामें। ठीक आधी रातके घण्टेकी आवाजके साथ, जब सम्पूर्ण सत्तार सीता होगी, भारत स्वतन्त्रता और जीवनमय स्फूर्तिसे जाग उठेगा।”

रातके १२ बजे माउण्टबैटन अपनी मेजपर चुपचाप बैठे थे—‘सम्भारता और कुछ

कुछ अलगावके वातावरणमें ।' उन्होंने अपना पढ़नेका चश्मा उतार लिया और कागज-पत्रोंके बक्सोंमें ताले लगा दिये, फिर अपने प्रेस सेक्रेटरीको बुलाया ताकि "वह कमरा साफ कर सके और 'वाइसरायी' कार्योंके बाहरी और दृष्टिगोचर चिन्होंको हटा दे ।" लगभग १२ बजकर ४५ मिनटपर प्रधान मन्त्री नेहरू और विधान परिषदके अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद रस्मी तौरपर माउण्टबैटनको निगन्त्रण देने आये । जो कहना था, उसे राजेन्द्रप्रसादने बुद-बुदाना शुरू किया, लेकिन "वे पाठ भूल गये और नेहरूको पीछेसे उन्हें पाठ बतानेकी भूमिकामें आना पड़ा ।" माउण्टबैटनने मुसकराते हुए कहा—"मुझे इस सम्मानपर गर्व है, और आपकी सलाहको वैधानिक ढंगसे लागू करनेके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूँगा ।" इसपर नेहरूने एक लिफाफा उन्हें देते हुए आदर और सौजन्यसे कहा—"क्या मैं नये मन्त्रिमण्डलके सदस्योंके नाम पेश कर सकता हूँ ?" पूरा समारोह लगभग १० मिनटमें समाप्त हो गया । अपनी उत्सुकता शान्त करने और नये मन्त्रियोंके नाम याद करनेके लिए माउण्टबैटनने लिफाफा खोला पर खाली निकला—विशिष्ट असावधानी बश ।

सबेरे ८। बजे वही तुरही और तूली व मुनहरी सजधजमें स्वतन्त्र भारतके पहले गवर्नर-जनरल निष्ठाकी शपथ लेने आये, जिसमें पहले गुलाम भारतके २० वाइसराय आये थे । भवनके बाहर ढाई लाखसे अधिक उत्साहित भीड़ इकट्ठी थी और 'जयहिन्द'के नारोंके साथ भवनमें घुस पड़नेकी चेष्टा कर रही थी । भीड़को शान्त करनेके लिए नेहरू आदि नेताओंको बाहर आना पड़ा ।

सब ओर उमंग और उत्साह था । भवनके भीतर दुनिया भरसे आये वधार्थके सन्देश पढ़ना शुरू किया गया "किन्तु, भ्रमवश अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रूमनका सन्देश न पढ़ा गया और अमरीकी राजदूतके जोरसे फुसफुसा कर प्रबोधन करने पर ही उस ओर ध्यान गया और गलती सुधार ली गयी ।" इसके उपरान्त राजेन्द्रप्रसादने पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजीमें लम्बा भाषण किया—"जो हमने प्राप्त किया है वह बहुत सीमातक हमारे त्याग और बलिदानके कारण तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं और शक्तियोंने भी इसमें योग दिया, ब्रिटिश जातिकी ऐतिहासिक परम्परा और जनतान्त्रिक आदर्शोंका पूर्णत्व भी इसमें है.....भारतपर ब्रिटेनका प्रभुत्व आज समाप्त हुआ और ब्रिटेनसे अब हमारे सम्बन्ध समता, सद्भावना और पारस्परिक लाभपर आधारित हैं ।"

उत्सवके उपरान्त माउण्टबैटनके वाइसराय भवन वापस लौटते समय भीड़ने 'जय-हिन्द', 'माउण्टबैटनकी जय', 'पण्डित माउण्टबैटनकी जय' आदि नारोंसे उनका स्वागत किया । उत्साह और उमंगके ऐसे ही दृश्य उस दिन देशभरमें दिखाई दिये ।

## अध्याय ३३

### उपसंहार

जब देश स्वतन्त्रता दिवसकी शुभियाँ मना रहा था, गान्धीजी दूर गोआवालीतक शान्तिका संदेश पहुँचाने कलकत्ते गये थे। लेकिन स्वयं कलकत्तेमें साम्प्रदायिक उरगातोंकी तैयारीका समाचार पाकर वे वहाँ रुक गये। उनकी मौजूदगीका जादू जैसा असर हुआ और कलकत्तेमें १४ व १५ अगस्तको उपद्रवकी जगह हिन्दू मुसलमान सद्भावनाके ये दृश्य देने गये जो खिलाफत आन्दोलनके समय देवघनेका मिलते थे। गलियों और मद्रकोंपर हिन्दू और मुसलमान गले मिल रहे थे। सितम्बरमें फिर एक बार स्थिति बिगड़नेकी हुई, पर गान्धीजीने फिर उसे गमहाल लिया—दूग बार उपवास करके।

लेकिन पंजाब और पाकिस्तानके कुछ अन्य क्षेत्रोंमें पूरे गृहयुद्धके दृश्य दिखाई देते थे। सभ्य समाजकी नींव दह गयी थी। लगता था कि पूरे मुसलमान समाजने पूरे हिन्दू समाजके खिलाफ युद्धकी घोषणा कर दी है और यह युद्ध पाश्चिक्ताकी पराकाशा पार कर गया है। आक्रमणकी सभ्य बड़ी शिकार स्थियाँ थीं, उन्हें दूग निर्दयतापूर्वक मारा जा रहा था कि उनके वर्णनमें नृमत्त गितमगरवा दिल भी दहल जाय। नवयुवतियों व बालिकाएँ बलात् मुसलमान बनाकर गुण्टे द्वारा रंगेलियोंकी तरह रसी जा रही थीं। पंजाबके हिन्दू भागमें मुसलमानोंके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा था।

व्यवस्था और कार्रवाई अस्तित्व मिट गया था, लूट पाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, सार्वजनिक बला, ये नित्यप्रतिनी घटनाएँ थीं। दूग अग्निपरीधके बीच लाखों व्यक्ति अपनी जमा पूँजी लिये एक पंजाबमें दूसरे पंजाब जा रहे थे। बहुत में बालक, युद्ध, स्त्री-पुरुष इस यात्रामें ही मर गये। जब भारत व पाकिस्तानकी सरकारोंने देखा कि साम्प्रदायिक दंगपर आवादीका तनादला ही दूग नरकमें छुटकारका एकमात्र रास्ता है तो उन्होंने अल्पमूल्यकी निष्पन्नमें सहायता देनेका निर्णय किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानके हर कोनेसे हिन्दू सदेके जा रहे थे, पंजाब छोड़ दोष भारतमें मुसलमान सुरक्षित थे और उन्हें पाकिस्तान सदेके देनेकी हत्या नहा बह रही थी। तब भी कहीं-कहीं भारतमें भी हिन्दुओंने मुसलमानोंके साथ वैसा ही पैसायिक व्यवहार किया जैसा हिन्दुओंके साथ मारे पाकिस्तानमें हो रहा था।

पश्चिमी पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तोंमें हिन्दुओं और सिखोंके पूरी तरह हट जाने पर ही वहाँ सामान्य जीवन प्रारम्भ हुआ। लेकिन लाखों शरणार्थी अपना घरघर छोड़ भारतमें रोटी और शरणके लिए भटक रहे थे और उनकी दुःखमाथा सहानुभूतिपूर्ण हिन्दुओंको उम्मा देती थी। शरणार्थियोंमें प्रतिशोधकी आग थी और कई जगह उन्हींने उद्दिग्ध हिन्दुओंके साथ मिलकर मुसलमानोंकी सार्वजनिक हत्या कर दी। मुसलमान खरे हुए थे। गान्धीजीतक की अर्पीले उपद्रवकारियोंको शान्त न कर पाया। उलटे साम्प्रदायिक हिन्दू यह समझने लगे कि गान्धीजी उन्हें उनका 'धार्मिक कर्तव्य' पूरा करनेसे रोक रहे हैं। कुछ

समयतक रेडियो और समाचारपत्रोंमें प्रसारित गान्धीजीके प्रार्थना-सभाओंके भाषणोंने लोगोंको संवत रखा, पर सम्प्रदायवादी नीच-नीचमें लोगोंको भड़का देते और नयी दुर्गन्त घटनाएँ हो जाती। स्वयं दिल्लीमें जहाँ गान्धीजी उस समय रह रहे थे, कल्ल होते थे और गान्धीजीकी उपस्थितिका उपद्रवियोंपर प्रभाव नहीं पड़ता था। मुसलमान सतत भयके वातावरणमें रह रहे थे। गान्धीजीका क्लेश और मानसिक वेदना उनके आग्रण अनशनमें प्रकट हुई। १३ जनवरीको उन्होंने उपवास शुरू किया जो दिल्लीमें शान्ति-स्थापनातक चलनेवाला था—जैसा कि हमेशा होता था, उनके उपवाससे सभी वर्ग चिन्तानुल हो उठे और विभिन्न वर्गों व राजनीतिक दलोंके सैकड़ों नेताओंने लिखकर आश्वासन दिया कि वे शान्ति-स्थापनाके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। १८ जनवरीको उपवास भंग हुआ। दिल्लीमें पुनः शान्ति स्थापित हो गयी। कुछ दिनोंतक देशभरमें पूर्ण शान्ति रही; लेकिन फिर इको दुकी छिटफुट घटनाएँ होने लगीं।

गान्धीजी भारत और पाकिस्तानकी सद्भावनापूर्ण हादिक एकताके लिए प्रयत्नशील थे, ताकि दोनों ओरके शरणार्थी फिरसे अपने-अपने घरोंमें बसाये जा सकते। इस सद्भावनापूर्ण वातावरणके लिए यह आवश्यक था कि भारतमें मुसलमान पूर्णरूपसे सुरक्षित रहें। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वे कोई भी कीमत चुकानेके लिए तैयार थे। लेकिन कुछ हिन्दू ऐसे भी थे जिनकी प्यास सिर्फ मुसलमानोंके खूनसे ही बुझती; वे गान्धीजीके कामको मुसलमानोंको खुन्न करना भर मानते थे।

उपवास भंग होनेके दो दिन बाद २० जनवरीको गान्धीजीको उरानेके दूरदसे उनकी प्रार्थना-सभामें एक बम फेंका गया। लेकिन ऐसी असंख्य घटनाएँ भी गान्धीजीको उनके निश्चयसे नहीं डिगा सकती थीं; वे हर शाम प्रार्थना-सभामें साम्प्रदायिक सद्भावनाकी अपील करते।

अन्तमें असन्तुलित बुद्धिके एक सम्प्रदायवादी हिन्दूने गान्धीजीको मार डालनेका निश्चय किया। शुक्रवार, ३० जनवरीको, शामको ५ बजकर १२ मिनटपर जब गान्धीजी प्रार्थना-सभामें मंचकी सीढियों चढ़ रहे थे, एक ३५ वर्षीय युवकने उनके सामने आकर कहा—“आज आपको देर हो गयी।” गान्धीजी मुस्कराये और बोले—“हाँ, मुझे देर हो गयी।” उसी समय उस युवकने रिवाल्वर निकाल कर गान्धीजीके कृत्र तनपर हृदयके नीचे तीन गोलियों बंध दीं। गान्धीजी गिर पड़े। उनका अन्तिम हृत्थ था, प्रार्थना-सभाके लिए एकत्र भीड़की दिशामें हाथ जोड़ना। उनके अन्तिम शब्द थे—“हे राम!” वे फौरन बिड़ला भवन ले जाये गये। ५ बजकर ४० मिनटपर उन्होंने अन्तिम सांस ली।

कुछ मिनटोंमें ही सारे देशने मुना कि गान्धीजी नहीं रहे। लोगोंको विश्वास नहीं हुआ, हर एक दो-दो तीन-तीन बार यही पृष्ठता कि खबर गलत है। कुछ लोगोंको इस समाचारसे ऐसी संधातिक चोट लगी कि खबर सुनते ही उनके हृदयकी गति बन्द हो गयी।

इस ऐतिहासिक दुःखद घटनाकी घोषणा करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरूने काँपती वाणीमें रेडियोसे कहा—

“साथियो और भाइयो! हमारे जीवनकी रोशनी चली गयी है और हर तरफ अँधेरा है। हमारा प्यारा नेता, राष्ट्रपिता, जिसे हम बापू कहकर पुकारते थे, नहीं रहा..... रोशनी चली गयी है, जैसा मैंने कहा; पर मैं गलत था। क्योंकि जो रोशनी इस देशको रोशन करने

आयी वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। जो रोशनी इधर वपौतक देशकी जिन्दगीको प्रकाशमान करती रही, वह आनेवाले सालोंमें भी चमकती रहेगी; हजार साल बाद भी वह रोशनी इस देशमें रहेगी और दुनिया उसे देखेगी और वह असंख्य लोगोंके हृदयको आलोकित करेगी।”

दर राततक भीड़ बिड़ला भजनके आसपास रही। भीड़ गान्धीजीके दर्शनके लिए बढ़ती गयी। श्वेत खादीमें सजाकर शरीर एक साधारण अर्थपर रतकर छतपर छुका कर रत दिया गया। वहाँ बहुत तेज रोशनी कर दी गयी। ९ बजे रातसे भीड़ वहाँ दर्शन करने आती रही। 'महात्मा गान्धीकी जय'के नारोंसे आकाश काँपता रहा।

दूसरे दिन देशभरमें सब काम बन्द रहा और शागकी हर शहर व कस्बेमें लोग महात्माकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए एकत्र हुए। १२ दिनतक सरकारने शोक मनाया। सारे ससारसे समवेदनाके सन्देश आये। सारे संसारके समाचारपत्रोंने, सारे ससारके सार्वजनिक नेताओंने उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित की। ऐसे व्यक्तिके लिए पहली बार—जो सधका सदस्य न हो या किसी देशकी सरकारका नेता न हो—संयुक्त राष्ट्र सधका झण्डा तीन दिनतक झुमा रहा।

गान्धीके बलिदानने साम्प्रदायिक आगको जादूकी तरह बुझा दिया। उनकी मृत्युके बाद कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ।

२१ जनवरीको सवेरे ११ बजकर ४३ मिनटपर शवका जुलूस बिड़ला भवनसे चला। १० लाख व्यक्ति राजघाटतकका ५॥ मीलका सपर पाँच घण्टेमें पूरा कर यमुनाके किनारे पहुँचे। स्थल सेनाके ४ हजार, नम सेनाके १ हजार और जल सेनाके १०० जवान व पुलिसके हजार सिपाही जुलूसके आगे थे।

शामके ४ बजे ही राजघाटके मैदानमें विशाल जनसमूह एकत्र था। जुलूस पहुँचने पर अन्तिम दर्शनके लिए पागल भीड़ने पुलिसका घेरा तोड़ दिया। दर्जनों व्यक्ति बेहोश हो गये और उन्हें अस्पतालकी गाड़ियोंपर ले जाया गया।

४ बजकर ३० मिनटपर शव चितापर रता गया। ४ बजकर ४५ मिनटपर गान्धी जीके तीसरे पुत्र रामदासने चितामें अग्नि दी। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था और जैसा नेहरूने कहा—“जिस सूर्यने हमें प्रकाश दिया, ऊष्मा दी, वह अस्त हो गया है और हम अन्धकार व शीतमें काँप रहे हैं।”